

जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश



लेखक
जुगलकिशोर मुख्तार
'युगवीर'

प्रकाशकीय

‘जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश’ नामक ग्रन्थका यह प्रथम खण्ड पाठकोंके समक्ष उपस्थित किया जा रहा है । इसमें प्राच्य-विद्या-महार्णव आचार्यश्री जुगलकिशोरजी मुख्तारके उन लेखोंका संग्रह है, जो समय समय पर अनेकान्तादि पत्रोंमें और अनेक स्व-पर-सम्पादित ग्रंथों की प्रस्तावनाओंमें प्रगट होते रहे हैं । लेखोंकी संख्या इतनी अधिक है, कि यह संग्रह कई खण्डोंमें प्रकाशित करना होगा । इस प्रथम खण्डमें ही ७५० के लगभग पृष्ठ हो गये हैं । दूसरे खण्डोंमें भी प्रायः इतने इतने ही पृष्ठोंकी संभावना है ।

इतिहास-अनुसंधाताओं और साहित्यिकोंके लिए नई नई खोजें एवं गवेषणाओंको लिए हुए ये लेख बहुत ही उपयोगी हैं, और नित्य के उपयोगमें आनेकी चीज हैं अर्थात् एक अच्छी Reference book के रूपमें स्थित हैं अतएव इन सब लेखोंको एकत्रित कर पुस्तकके रूपमें निकालनेकी अतीव आवश्यकता थी । पं० नाथूरामजी प्रेमीके जैन साहित्य और इतिहास विषयक लेखोंका एक संग्रह कुछ वर्ष पहिले प्रकाशित हुआ था । वह कितना उपयोगी सिद्ध हुआ, इसे उपयोगमें लाने वाले विद्वान् जानते हैं । इस संग्रहमें उस संग्रह के कुछ लेखों पर भी कितना ही नया तथा विशद प्रकाश डाला गया है । जैनोंके प्रामाणिक इतिहासके निर्माणमें इस प्रकारकी पुरातत्त्व सामग्रीकी अतीव आवश्यकता है । जैनसमाजमें इस प्रकारके युग-प्रवर्तक विद्वानोंमें पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार और पं० नाथूरामजी प्रेमीके नाम ही अग्रगण्य हैं । अतः इन दोनों प्राक्तनविमर्श-विचक्षण विद्वानोंका भारतीय समाज सामान्यतः और जैन समाज विशेषतः ऋणी हैं ।

इन लेखोंको पढ़ते हुए पाठकोंको ज्ञात होगा, कि इनके निर्माण में लेखक को कितने अधिक श्रम, गम्भीर चिन्तन, अनुभवन, मनन, एवं शोध-खोज से काम लेना पड़ा है। यद्यपि श्री मुख्तार सा० की लेखनशैली कुछ लम्बी होती है पर वह बहुत जैची-तुली, पुनरावृत्तियों से रहित और विषयको स्पष्ट करने वाली होनेसे अनुसंधान-शिक्षार्थियोंके लिए अतीव उपयोगी पड़ती है और सदा मार्ग-दर्शकके रूपमें बनी रहती है। इन लेखोंसे अब हमारे इतिहासकी कितनी ही उलझनें सुलभ गई हैं। साथ ही अनेक नये विषयोंके अनुसंधान का क्षेत्र भी प्रशस्त हो गया है। कितने ही ऐसे ग्रंथोंके नाम भी उपलब्ध हुए हैं, जिनके कुछ उद्धरण तो प्राप्त हैं, पर उन ग्रंथोंके अस्तित्वका अभी तक पता नहीं चला। नाम-साम्य को लेकर जो कितनी ही भ्रान्तियां उपस्थित की जा रही थीं या प्रचलित हो रही थीं, उन सबका निरसन भी इन सब लेखोंसे हो जाता है।

यद्यपि हमारा विशाल प्राचीन साहित्य कई कारणोंसे बहुत कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो चुका है, फिर भी जो कुछ अवशिष्ट और उपलब्ध है, उसमें भी साहित्य इतिहास और तत्त्वज्ञानकी अनुसन्धान-योग्य बहुत कुछ सामग्री सन्निहित है, अतः उस परसे हमें प्राचीन साहित्यादिके अनुसंधान करनेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह कार्य तभी संभव हो सकता है, जबकि हम सर्व प्रथम अपने आचार्योंका समय निर्धारित कर लेवें। तत्पश्चात् हम उनके साहित्यसे अपने इतिहास, संस्कृति और भाषा-विज्ञानके सम्बन्धमें अनेक अमूल्य विषयोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अतः हमें उन विलुप्त ग्रंथोंकी खोजका भी पूरा यत्न करना होगा, तभी सफलता मिल सकेगी।

भारतके प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलालजी नेहरूने अपने एक व्याख्यानमें कहा था कि 'अगर कोई जाति अपने साहित्य-उन्नयनकी उपेक्षा करती है तो बड़ी से बड़ी धन-राशि भी उस जाति (Nation) के उत्कर्षमें सहायक नहीं हो सकती है। साहित्य मनुष्यकी उन्नतिका सबसे बड़ा साधन है।

कोई राष्ट्र, कोई धर्म अथवा कोई समाज साहित्य के बिना जीवित नहीं रह सकता, या यों कहिये कि साहित्यके बिना राष्ट्र धर्म एवं समाजकी कल्पना ही असंभव है। सुप्रसिद्ध विद्वान् कार्लाइलने कहा है, कि 'ईसाई

धर्मके जीनेका कारण 'बाइबिल' है, यदि बाइबिल न होती तो ईसाई धर्म कभी भी जीवित न रह पाता' ।

भाषा किसी देशके निवासियोंके मनोविचारोंको प्रगट करने का साधन मात्र ही नहीं होनी, किन्तु उन देशवासियोंकी संस्कृति का संरक्षण करने वाली भी होती है । साहित्यके अन्दर प्रादुर्भूत हो कर कोई भी भाषा ज्ञानका संचित कोष एवं संस्कृतिका निर्मल दर्पण बन जाती है । राष्ट्रको महान् बनानेके लिये हमें नअपनी गौरवमय अतीत संस्कृतिका ज्ञान होना अत्यावश्यक है ।

साहित्यकी तरह इतिहास भी कम महत्वकी वस्तु नहीं है । हम लोगोंमें इतिहास-मूलक ज्ञानका एक प्रकारसे अभाव सा हो गया है । हमारी कितनी ही महत्वकी साहित्यिक रचनाओंमें सभ्य और कर्ताका नाम तक भी उपलब्ध नहीं है । सामाजिक संस्कृतिकी रक्षाके लिये ऐतिहासिक ज्ञान और भी आवश्यक है । पुरातत्वके अध्ययनके लिये मानव-विकासका ज्ञान अनिवार्य है, और यह तभी संभव है जब कि हम अपने साहित्यका समयानुक्रम दृष्टिसे अध्ययन करनेमें प्रवृत्त हों ।

इतिहाससे ही हम अपने पूर्वजों उत्थान और पतनके साथ साथ उनके कारणोंको भी ज्ञात कर उनसे यथेष्ट लाभ उठा सकते हैं ।

हमें अपने पूर्व महापुरुषोंकी स्मृतिको अक्षुण्ण बनाये रखना होगा, जिससे हमारी संतानके समक्ष अनुसरण करनेके लिये समुचित आदर्श रहे । साथ ही अपने पूर्वजोंमें श्रद्धा बढ़ानेके लिये यह भी आवश्यक है कि हम उनके साहित्य एवं अन्य कृतियों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें ।

किसी भी देशका, धर्मका और जातिका भूतकालीन इतिहास उसके वर्तमान और भविष्यको सुगठित करनेके लिये एक समर्थ साधन है । इतिहास, ज्ञानकी अन्य शाखाओंकी भांति, सत्यको और तथ्यपूर्ण घटनाओंको प्रकाशित करता है, जो साधारणतः आँखोंसे ओझल होती हैं ।

इस संग्रहको प्रगट करनेके लिये मैं कई वर्षोंसे चेष्टा कर रहा था, और श्रीमुख्तार सा० से कई बार निवेदन भी किया गया कि वे अपने लेखोंकी पुनरावृत्तिके लिये एक बार उन्हें सरसरी नजरसे देख जायें, और जहाँ कहीं संशोधनादिकी जरूरत हो उसे कर दें । पर उन्हें अनवकाशकी बराबर

शिकायत बनी रहनेके कारण यह काम इससे पहिले सम्पन्न नहीं हो सका, अस्तु ।

आज इस चिरप्रतीक्षित लेखसंग्रहके प्रथम खण्डको पाठकोंके समक्ष रखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है । आशा है पाठक इस महत्त्वपूर्ण लेखसंग्रहसे यथोचित लाभ उठाने में समर्थ होंगे ।

अन्तमें मैं इतना और भी प्रगट कर देना चाहता हूं, कि इस संग्रहमें ३२ लेखों—निबन्धोंका संग्रह है जैसा कि लेख-सूचीमें प्रगट है । अन्तका 'समन्त-भद्रका समयनिर्णय' नामका ३२वां लेख मुख्तारसा०की हालकी नई रचना है, वह उस समयसे पहिले नहीं लिखा जा सका जो उसपर दिया हुआ है, और इसीसे उसे समन्तभद्र-सम्बन्धी लेखोंके सिलसिलेमें नहीं दिया जा सका । उसके पूर्ववर्ती लेखपर भी जो नम्बर ३२ पड़ा है वह छपनेकी गलतीका परिणाम है, "छपने में २६के बाद लेखों पर २८ आदि नम्बर पड़ गये हैं, जबकि वे २७ आदि होने चाहिये और तदनुसार सुधार किये जानेके योग्य हैं ।

कलकत्ता

ज्येष्ठ सुदी ५ (श्रुतपञ्चमी)

वीर नि० सम्बत् २४८२

छोटेलाल जैन

मंत्री—श्रीवीरशासनसंघ

कलकत्ता



❁ इस सूचीमें यह भी सूचित कर दिया गया है कि कौन लेख प्रथमतः कब-कहां प्रकाशित हुआ है और जिन लेखोंका निर्माण-काल मात्तूम हो सका है उनका वह समय भी लेखके अनन्तर दे दिया गया है ।

भगवान महावीर और उनका समय

शुद्धिस्तयोः परां काष्ठां योऽवाप्य शान्तिमुत्तमाम् ।

देशयामास सद्धर्मं महावीरं नमामि तम् ॥

महावीर-परिचय

जैनियोंके अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर विदेह (विहार) देशस्थ कुण्ड-पुर ॐ के राजा 'सिद्धार्थ'के पुत्र थे और माता 'प्रियकारिणी'के गर्भसे उत्पन्न हुए थे, जिसका दूसरा नाम 'त्रिशला' भी था और जो वैशालीके राजा 'चेटक' की सुपुत्री† थी । आपके शुभ जन्मसे चैत्र शुक्ला त्रयोदशीकी तिथि पवित्र हुई और उसे महान् उत्सवोंके लिये पर्वका-सा गौरव प्राप्त हुआ । इस तिथिको जन्म-समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था, जिसे कहीं कहीं 'हस्तोत्तरा' (हस्त नक्षत्र है

ॐ श्वेताम्बर सम्प्रदायके कुछ ग्रन्थोंमें 'क्षत्रियकुण्ड' ऐसा नामोल्लेख भी मिलता है जो संभवतः कुण्डपुरका एक मुहल्ला जान पड़ता है । अन्यथा, उसी सम्प्रदायके दूसरे ग्रन्थोंमें कुण्डग्रामादि-रूपसे कुण्डपुरका साफ उल्लेख पाया जाता है । यथा:—

“हन्धुत्तराहि जाओ कुण्डगामे महावीरो ।” आ० नि० भा०

यह कुण्डपुर ही आजकल कुण्डलपुर कहा जाता है, जो कि वास्तवमें वैशालीका उपनगर था ।

† कुछ श्वेताम्बरीय ग्रन्थोंमें 'बहन' लिखा है ।

उत्तरमें—अनन्तर—जिसके) इस नामसे भी उल्लेखित किया गया है, और सौम्य ग्रह अपने उच्चस्थान पर स्थित थे; जैसा कि श्रीपूज्यपादाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट है :—

चैत्र-सितपक्ष-फाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम् ।

जज्ञे स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु शुभलग्ने ॥ ५ ॥

—निर्वाणभक्ति

तेजःपुञ्ज भगवान्के गर्भमें आते ही सिद्धार्थ राजा तथा अन्य कुटुम्बीजनोंकी श्रीवृद्धि हुई—उनका यश, तेज, पराक्रम और वैभव बढ़ा—माताकी प्रतिभा चमक उठी, वह सहज ही में अनेक गूढ़ प्रश्नोंका उत्तर देने लगी, और प्रजाजन भी उत्तरोत्तर सुख-शान्तिका अधिक अनुभव करने लगे । इससे जन्मकालमें आपका सार्थक नाम 'वर्द्धमान' रक्खा गया । साथ ही, वीर महावीर और सन्मति जैसे नामोंकी भी क्रमशः सृष्टि हुई, जो सब आपके उस समय प्रस्फुटित तथा उच्छलित होनेवाले गुणों पर ही एक आधार रखते हैं, * ।

महावीरके पिता 'णात' वंशके क्षत्रिय थे । 'णात' यह प्राकृत भाषाका शब्द है और 'नात' ऐसा दन्त्य नकारसे भी लिखा जाता है । संस्कृतमें इसका पर्यायरूप होता है 'जात' । इसीसे 'चारित्रभक्ति' में श्री पूज्यपादाचार्यने "श्री-मज्जातकुलेन्दुना" पदके द्वारा महावीर भगवान्को 'जात' वंशका चन्द्रमा लिखा है, और इसीसे महावीर 'णातपुत्र' अथवा 'जातपुत्र' भी कहलाते थे, जिसका बौद्धादि ग्रन्थोंमें भी उल्लेख पाया जाता है । इस प्रकार वंशके ऊपर नामोंका उस समय चलन था—बुद्धदेव भी अपने वंश परसे 'शाकप्रपुत्र' कहे जाते थे । अस्तु; इस 'नात' का ही बिगड़ कर अथवा लेखकों या पाठकोंकी नासमझीकी वजहसे बादको 'नार्थ' रूप हुआ जान पड़ता है । और इसीसे कुछ ग्रन्थोंमें महावीरको नाथवंशी लिखा हुआ मिलता है, जो ठीक नहीं है ।

महावीरके बाल्यकालकी घटनाओंमेंसे दो घटनाएँ खास तौरसे उल्लेखयोग्य हैं—एक यह कि, संजय और विजय नामके दो चारण-मुनियोंको तत्त्वार्थ-विषयक कोई भारी संदेह उत्पन्न हो गया था, जन्मके कुछ दिन बाद ही जब उन्होंने आपको देखा तो आपके दर्शनमात्रसे उनका वह सब संदेह तत्काल दूर हो गया और इस-

* देखो, गुणभद्राचार्यकृत महापुराणका ७४वाँ पर्व ।

लिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे आपका नाम 'सन्मति' रक्खा ॐ । दूसरी यह कि, एक दिन आप बहुतसे राजकुमारोंके साथ वनमें वृक्षक्रीड़ा कर रहे थे, इतनेमें वहाँ पर एक महाभयंकर और विशालकाय सर्प आ निकला और उस वृक्षको ही मूलसे लेकर स्कंध पर्यन्त बेढ़कर स्थित हो गया जिस पर आप चढ़े हुए थे । उसके विकराल रूपको देखकर दूसरे राजकुमार भयवित्तल हो गये और उसी दशामें वृक्षों परसे गिरकर अथवा कूद कर अपने अपने घरको भाग गये । परन्तु आपके हृदयमें ज़रा भी भयका संचार नहीं हुआ—आप बिलकुल निर्भयचित्त होकर उस काले नागमे ही क्रीड़ा करने लगे और आपने उस पर सवार होकर अपने बल तथा पराक्रमसे उसे खूब ही घुमाया, फिराया तथा निर्मद कर दिया । उसी वक्तसे आप लोकमें 'महावीर' नामसे प्रसिद्ध हुए । इन दोनों† घटनाओंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि महावीरमें बाल्यकालसे ही बुद्धि और शक्तिका असाधारण विकास हो रहा था और इस प्रकारकी घटनाएँ उनके भावी असाधारण व्यक्तित्वको सूचित करती थीं । सो ठीक ही है—

“होनहार बिरवानके होत चीकने पात ।”

प्रायः तीस वर्षकी अवस्था हो जाने पर महावीर संसार-देहभोगोंसे पूर्णतया विरक्त हो गये, उन्हें अपने आत्मोत्कर्षको साधने और अपना अन्तिम ध्येय प्राप्त करनेकी ही नहीं किन्तु संसारके जीवोंको सन्मार्गमें लगाने अथवा उनकी सच्ची सेवा बजानेकी एक विशेष लगन लगी—दीन दुखियोंकी पुकार उनके हृदयमें घर कर गई—और इसलिये उन्होंने, अब और अधिक समय तक गृहवासको उचित न समझकर, जंगल का रास्ता लिया, संपूर्ण राज्यवैभवको ठुकरा दिया और इन्द्रिय-

ॐ संजयस्यार्थसंदेहे संजाते विजयस्य च ।

जन्मानन्तरमेवैनमभ्येत्यालोकमात्रतः ॥

तत्संदेहगते ताम्भ्यां चारणाम्भ्यां स्वभक्तिनः ।

अस्त्वेष सन्मतिर्देवो भावीति समुदाहृतः ॥

—महापुराण, पर्व ७४वाँ

† इनमेंसे पहली घटनाका उल्लेख प्रायः दिगम्बर ग्रन्थोंमें और दूसरी का दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायके ग्रन्थोंमें बहुलतासे पाया जाता है ।

सुखोंसे मुख मोड़कर मंगसिरखदि १० मीको 'ज्ञातखंड' नामक वनमें जिनदीक्षा धारण करली। दीक्षाके समय आपने संपूर्ण परिग्रहका त्याग करके आकिचन्य (अपरिग्रह) व्रत ग्रहणकिया, अपने शरीर परसे वस्त्राभूषणोंको उतार कर फेंक दिया † और केशोंको क्लेशसमान समझते हुए उनका भी लौंच कर डाला। अब आप देहसे भी निर्ममत्व होकर नग्न रहते थे, सिंहकी तरह निर्भय होकर जंगल-पहाड़ोंमें विचरते थे और दिन रात तपश्चरण ही तपश्चरण किया करते थे।

विशेष सिद्धि और विशेष लोकसेवाके लिये विशेष ही तपश्चरणकी जरूरत होती है—तपश्चरण ही रोम-रोममें रमे हुए आन्तरिक मलको छाँट कर आत्मा-को शुद्ध, साफ, समर्थ और कार्यक्षम बनाता है। इसीलिये महावीरको बारह वर्ष तक घोर तपश्चरण करना पड़ा—खूब कड़ा योग साधना पड़ा—तब कहीं जाकर आपकी शक्तियोंका पूर्ण विकास हुआ। इस दुर्द्धर तपश्चरणकी कुछ घटनाओंको मालूम करके रोगटे खड़े हो जाते हैं। परन्तु साथ ही आपके असाधारण धैर्य, अटल निश्चय, सुदृढ़ आत्मविश्वास, अनुपम साहस और लोकोत्तर क्षमाशीलताको देखकर हृदय भक्तिसे भर आता है और खुद-बखुद (स्वयमेव) स्तुति करनेमें प्रवृत्त हो जाता है। अस्तु; मनःपर्ययज्ञानकी प्राप्ति तो आपको दीक्षा लेनेके बाद ही होगई थी परन्तु केवलज्ञान-ज्योतिका उदय बारह वर्षके उग्र तपश्चरणके बाद वैशाख सुदि १० मी को तीसरे पहरके समय उस वक्त हुआ जब कि आप जृम्भका ग्रामके निकट ऋजुकूला नदीके किनारे, शाल वृक्षके नीचे एक शिला पर, पण्ठीपवाससे युक्त हुए, क्षपकश्रेणि पर आरूढ़ थे—आपने शुबल-ध्यान लगा रक्खा था—और चन्द्रमा हस्तोत्तर नक्षत्रके मध्यमें स्थित था *।

† कुछ श्वेताम्बरीय ग्रन्थोंमें इतना विशेष कथन पाया जाता है और वह संभवतः साम्प्रदायिक ज्ञान पड़ता है कि, वस्त्राभूषणोंको उतार डालनेके बाद इन्द्रने 'देवदूश्य' नामका एक बहुमूल्य वस्त्र भगवान्‌के कन्धे पर डाल दिया था, जो १३ महीने तक पड़ा रहा। बादको महावीरने उसे भी त्याग दिया और वे पूर्णरूपसे नग्न-दिगम्बर अथवा जिनकल्पी हो रहे।

* केवलज्ञानोत्पत्तिके समय और क्षेत्रादिका प्रायः यह सब वर्णन 'धवल' और 'जयधवल' नामके दोनों सिद्धान्तग्रन्थोंमें उद्धृत तीन प्राचीन गाय्याओंमें भी पाया जाता है, जो इस प्रकार हैं :—

जैसा कि श्रीपूज्यपादाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :—

ग्राम-पुर-खेट-कर्वट-मटम्ब-घोषाकरान् प्रविजहार ।

उग्रैस्तपोविधानैर्द्वादशवर्षाण्यमरपूज्यः ॥१०॥

ऋजुकूलायास्तीरे शालद्रुमसंश्रिते शिलापट्टे ।

अपराह्णे षष्ठेनास्थितस्य खलु जृम्भकाग्रामे ॥११॥

वैशाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे ।

क्षपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्नं केवलज्ञानम् ॥ १२ ॥

—निर्वाणभक्ति

इस तरह घोर तपश्चरण तथा ध्यानान्नि-द्वारा, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय और अन्तराय नामके घातिकर्म-मलको दग्ध करके, महावीर भगवान्ने जब अपने आत्मामें ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य नामके स्वाभाविक गुणोंका पूरा विकास अथवा उनका पूर्ण रूपसे आविर्भाव कर लिया और आप अनुपम शुद्धि, शक्ति तथा शान्तिकी पराकाष्ठाको पहुँच गये, अथवा यों कहिये कि आपको स्वात्मोपलब्धिरूप 'सिद्धि' की प्राप्ति हो गई, तब आपने सब प्रकारसे समर्थ होकर ब्रह्मपथका नेतृत्व ग्रहण किया और संसारी जीवोंको सन्मार्गका उपदेश देनेके लिये—उन्हें उनकी भूल सुझाने, बन्धनमुक्त करने, ऊपर उठाने और उनके दुःख मिटानेके लिये—अपना विहार प्रारम्भ किया । दूसरे शब्दोंमें कहना चाहिये कि लोकहित-माधनाका जो असाधारण विचार आपका वर्षोंसे चल रहा था और जिसका गहरा संस्कार जन्मजन्मान्तरोंसे आपके आत्मामें पड़ा हुआ था वह अब संपूर्ण स्फुटताके दूर हो जाने पर स्वतः कार्यमें परिणत हो गया ।

विहार करते हुए आप जिस स्थान पर पहुँचते थे और वहाँ आपके उपदेशके लिए जो महती सभा जुड़ती थी और जिसे जैनसाहित्यमें 'समवसरण' नामसे

गमइय छदुमत्थत्तं वारसवासाणि पंचमासे य ।

पण्णारसाणि दिणाणि य तिरयणमुद्धो महावीरो ॥१॥

उज्जुल्लणदीतीरे जंभियगामे वहिं सिलावट्टे ।

छट्ठेणादावेत्तो अवरण्हे पायछायाए ॥२॥

वइसाहजोण्हपक्खे दसमीए खवगसेढिमारुद्धो ।

हंतूसां घाइकम्मं केवलण्णाणं समावण्णो ॥३॥

उल्लेखित किया गया है उसकी एक खास विशेषता यह होती थी कि उसका द्वार सबके लिये मुक्त रहता था, कोई किसीके प्रवेशमें बाधक नहीं होता था—पशुपक्षी तक भी आकृष्ट होकर वहाँ पहुँच जाते थे, जाति-पाँति छूताछूत और ऊँचनीचका उसमें कोई भेद नहीं था, सब मनुष्य एक ही मनुष्यजातिमें परिगणित होते थे, और उक्त प्रकारके भेदभावको भुलाकर आपसमें प्रेमके साथ रल-मिलकर बैठते और धर्मश्रवण करते थे—मानों सब एक ही पिताकी संतान हों। इस आदर्शसे समवसरणमें भगवान् महावीरकी समता और उदारता मूर्तिमती नजर आती थी और वे लोग तो उसमें प्रवेश पाकर बेहद संतुष्ट होते थे जो समाजके अत्याचारोंसे पीड़ित थे, जिन्हें कभी धर्मश्रवणका, शास्त्रोंके अध्ययनका, अपने विकासका और उच्चसंस्कृतिको प्राप्त करनेका अवसर ही नहीं मिलता था अथवा जो उसके अधिकारी ही नहीं समझे जाते थे। इसके सिवाय, समवसरणकी भूमिमें प्रवेश करते ही भगवान् महावीरके सामीप्यसे जीवोंका वैरभाव दूर हो जाता था, क्रूर जन्तु भी सौम्य बन जाते थे और उनका जाति-विरोध तक मिट जाता था। इसीसे सर्पको नकुल या मयूरके पास बैठनेमें कोई भय नहीं होता था, चूहा बिना किसी संकोचके बिल्लीका आलिङ्गन करता था, गौ और सिंही मिलकर एक ही नाँदमें जल पीती थीं और मृग-शावक खुशीसे सिंह-शावकके साथ खेलता था। यह सब महावीरके योगबलका माहात्म्य था। उनके आत्मामें अहिंसाकी पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, इसलिये उनके संनिकट अथवा उनकी उपस्थितिमें किसीका वैर स्थिर नहीं रह सकता था। पतंजलि ऋषिने भी, अपने योगदर्शनमें, योगके इस माहात्म्यको स्वीकार किया है; जैसा कि उसके निम्न सूत्रसे प्रकट है:—

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३५॥

जैनशास्त्रोंमें महावीरके विहारसमयादिककी कितनी ही विभूतियोंका—अतिशयोंका—वर्णन किया गया है। परन्तु उन्हें यहाँ पर छोड़ा जाता है। क्योंकि स्वामी समन्तभद्रने लिखा है:—

देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतयः ।

मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥१॥

—आसमीमांसा

अर्थात्—देवोंका आगमन, आकाशमें गमन और चामरादिक (दिव्य चमर, छत्र, सिंहासन, भामंडलादिक) विभूतियोंका अस्तित्व तो मायावियोंमें—इन्द्र-जालियोंमें—भी पाया जाता है, इनके कारण हम आपको महान् नहीं मानते और न इनकी वजहसे आपकी कोई खास महत्ता या बड़ाई ही है ।

भगवान् महावीरकी महत्ता और बड़ाई तो उनके मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय नामक कर्मोंका नाश करके परमशान्तिको लिये हुए ❀ शुद्धि तथा शक्तिकी पराकाष्ठाको पहुँचने और ब्रह्मपथका—अहिंसात्मक मोक्ष-मार्गका—नेतृत्व ग्रहण करनेमें है—अथवा यों कहिये कि आत्मोद्धारके साथ-साथ लोककी सच्ची सेवा बजानेमें है । जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्य-से भी प्रकट है :—

त्वं शुद्धिशक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्तिरूपाम् ।

अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीयत् प्रतिवक्तुमीशाः ॥ ४ ॥

—युक्त्यनुशासन

महावीर भगवान् ने प्रायः तीस वर्ष तक लगातार अनेक देश-देशान्तरोंमें विहार करके सन्मार्गका उपदेश दिया, असंख्य प्राणियोंके अज्ञानान्धकारको दूर करके उन्हें यथार्थ वस्तु-स्थितिका बोध कराया, तत्त्वार्थको समझाया, भूलें दूर कीं, भ्रम मिटाए, कमजोरियाँ हटाई, भय भगाया, आत्मविश्वास बढ़ाया, कदाग्रह दूर किया, पाखण्डबल घटाया, मिथ्यात्व छुड़ाया, पतितोंको उठाया, अन्याय-अत्याचारको रोका, हिंसाका विरोध किया, साम्यवादको फैलाया और लोगोंको स्वावलम्बन तथा संयमकी शिक्षा दे कर उन्हें आत्मोत्कर्षके मार्ग पर लगाया । इस तरह आपने लोकका अनन्त उपकार किया है और आपका यह विहार बड़ा ही उदार, प्रतापी एवं यशस्वी हुआ है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रके स्वयंभू-स्तोत्रमें 'गिरिभित्त्यवदानवतः' इत्यादि पद्यके द्वारा इस विहारका यत्किंचित् उल्लेख करते हुए, उसे "ऊर्जितं गतं" लिखा है ।

❀ ज्ञानावरण-दर्शनावरणके अभावसे निर्मल ज्ञान-दर्शनकी आविर्भूतिका नाम 'शुद्धि' और अन्तराय कर्मके नाशसे वीर्यलब्धिका होना 'शक्ति' है और साहनीय कर्मके अभावसे अनुलित सुखकी प्राप्तिका होना 'परमशान्ति' है ।

भगवान्का यह विहार-काल ही प्रायः उनका तीर्थ-प्रवर्तनकाल है, और इस तीर्थ-प्रवर्तनकी वजहसे ही वे 'तीर्थंकर' कहलाते हैं * । आपके विहारका पहला स्टेशन राजगृहीके निकट विपुलाचल तथा वैभार पर्वतादि पंच पहाड़ियों-का प्रदेश जान पड़ता है † जिसे धवल और जयधवल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोंमें क्षेत्ररूपसे महावीरका अर्थकर्तृत्व प्ररूपण करते हुए, 'पंचशैलपुर' नामसे उल्लेखित किया है ‡ । यहीं पर आपका प्रथम उपदेश हुआ है—केवल-ज्ञानोत्पत्तिके पश्चात् आपकी दिव्य वाणी खिरी है—और उस उपदेशके समयसे ही आपके तीर्थकी उत्पत्ति हुई है § । राजगृहीमें उस वक्त राजा

* 'जयधवल' में, महावीरके इस तीर्थप्रवर्तन और उनके आगमकी प्रमाणता-का उल्लेख करते हुए, एक प्राचीन गाथाके आधार पर उन्हें 'निःसशयकर' (जगतके जीवोंके सन्देहको दूर करने वाले), 'वीर' (ज्ञान-वचनादिकी सातिशय शक्तिसे सम्पन्न), 'जिनोत्तम' (जितेन्द्रियों तथा कर्मजेताओंमें श्रेष्ठ), 'राग-द्वेष-भयसे रहित' और 'धर्मतीर्थ-प्रवर्तक' लिखा है । यथा—

गिरस्संसयकरो वीरो महावीरो जिणुत्तमो ।

राग-दोस-भयादीदो धम्मतिट्ठस्स कारओ !

† आप जृम्भका ग्रामके ऋजुकूला-तटसे चलकर पहले इसी प्रदेशमें आए हैं । इसीसे श्रीपूज्यपादाचार्यने आपकी केवलज्ञानोत्पत्तिके उस कथनके अनन्तर जो ऊपर दिया गया है आपके वैभार पर्वत पर आनेकी बात कही है और तभीसे आपके तीस वर्षके विहारकी गणना की है । यथा—

“अथ भगवान्सम्प्रापद्विव्यं वैभारपर्वतं रम्यं ।

चातुर्वर्ण्य-सुसंघस्तत्राभूद् गौतमप्रभृति ॥१३॥

“दशविधमनगाराणामेकादशधोत्तरं तथा धर्मं ।

देश्यमानो व्यहरत् त्रिशद्वर्षाण्यथ जितेन्द्रः ॥१५॥ —निर्वाणभक्ति ।

‡ पंचशैलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे ।

राणादुमसमाइणो देवदाणववदिदे ॥

महावीरेण (अ) त्थो कहिओ भवियलोअस्स ।

§ यह तीर्थोत्पत्ति श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्वाह्ण (सूर्योदय) के समये

श्रेणिक राज्य करता था, जिसे बिम्बसार भी कहते हैं । उसने भगवान् की परिषदोंमें—समवसरण सभाओंमें—प्रधान भाग लिया है और उसके प्रश्नों पर बहुतसे रहस्योंका उद्घाटन हुआ है । श्रेणिककी रानी चेलना भी राजा चेटककी पुत्री थी और इसलिये वह रिश्तेमें महावीरकी मातृवसा (मावसी) † होती थी । इस तरह महावीरका अनेक राज्योंके साथमें शारीरिक सम्बन्ध भी था । उनमें आपके धर्मका बहुत प्रचार हुआ और उसे अच्छा राजाश्रय मिला है ।

विहारके समय महावीरके साथ कितने ही मुनि-आर्यिकाओं तथा श्रावक-श्राविकाओंका संघ रहता था । आपने चतुर्विध संघकी अच्छी योजना और बड़ी ही सुन्दर व्यवस्था की थी । इस संघके गणधरोंकी संख्या ग्यारह तक पहुँच गई थी और उनमें सबसे प्रधान गौतम स्वामी थे, जो 'इन्द्रभूति' नामसे भी प्रसिद्ध हैं और समवसरणमें मुख्य गणधरका कार्य करते थे । ये गौतम-गोत्री और सकल वेद-वेदांगके पारगामी एक बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान् थे, जो महावीरको केवलज्ञानकी संप्राप्ति होनेके पश्चान् उनके पास अपने जीवाऽजीव-विषयक सन्देहके निवारणार्थ गये थे, सन्देहकी निवृत्तिपर उनके शिष्य बन गये थे और जिन्होंने अपने बहुतसे शिष्योंके साथ भगवान् से जिनदीक्षा लेली थी । अस्तु ।

तीस ॐ वर्षके लम्बे विहारको समाप्त करते और कृतकृत्य होते हुए, भगवान्

अभिजित नक्षत्रमें हुई है; जैसा कि धवल सिद्धान्तके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले । ✓

पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुप्पत्ती दु अभिजिम्ह ॥२॥

† कुछ श्वेताम्बरीय ग्रन्थानुसार 'मातुलजा'—मामूजाद बहन ।

ॐ धवल सिद्धान्तमें—और जयधवलमें भी—कुछ आचार्योंके मतानुसार एक प्राचीन गाथाके आधार पर विहारकालकी संख्या २६ वर्ष ५ महीने २० दिन भी दी है, जो केवलोत्पत्ति और निर्वाणकी तिथियोंको देखते हुए ठीक जान पड़ती है । और इसलिये ३० वर्षकी यह संख्या स्थूलरूपसे समझनी चाहिये । वह गाथा इस प्रकार है:—

वासाणूणत्तीसं पंच य मासे य वीसदिवसे य ।

चउविहअणगारेहि बारहहि गणेहि विहरंतो ॥१॥

महावीर जब पावापुरके एक सुन्दर उद्यानमें पहुँचे, जो अनेक पद्म-सरोवरों तथा नाना प्रकारके वृक्षसमूहोंसे मंडित था, तब आप वहाँ कायोत्सर्गसे स्थित हो गये और आपने परम शुक्लध्यानके द्वारा योगनिरोध करके दग्धरगुप्त-समान अवशिष्ट रहे कर्म-रजको—अघातिचतुष्टयको—भी अपने आत्मासे पृथक् कर डाला, और इस तरह कार्तिक वदि अमावस्याके दिन, स्वाति नक्षत्रके समय, निर्वाण-पदको

ॐ धवल सिद्धान्तमें, “पच्छा पावाणयरे कत्तियमासे य किण्हचोद्दिए । सादीए रत्तीए सेसरयं छेतु गिण्वाओ ॥” इस प्राचीन गाथाको प्रमाणमें उद्धृत करते हुए, कार्तिक वदि चतुर्दशीकी रात्रिको (पच्छिमभाए = पिछले पहरमें) निर्वाणका होना लिखा है । साथ ही, केवलोत्पत्तिसे निर्वाण तकके समय २६ वर्ष ५ महीने २० दिनकी संगति ठीक बिठलाते हुए, यह भी प्रतिपादन किया है कि अमावस्याके दिन देवेन्द्रोंके द्वारा परिनिर्वाणपूजा की गई है वह दिन भी इस कालमें शामिल करने पर कार्तिकके १५ दिन होते हैं । यथा:—

“अमावसीए परिणिग्वाणपूजा सयलदेविदेहि कया त्ति तं पि दिवसमेत्थेव पक्खित्ते पण्णारस दिवसा होति ।”

इससे यह मालूम होता है कि निर्वाण अमावस्याको दिनके समय तथा दिनके बाद रात्रिको नहीं हुआ, बल्कि चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमें हुआ है जब कि अमावस्या आ गई थी और उसका सारा कृत्य—निर्वाणपूजा और देहसंस्कारादि—अमावस्याको ही प्रातःकाल आदिके समय भुगता है । इससे कार्तिककी अमावस्या आम तौर पर निर्वाणकी तिथि कहलाती है । और चूँकि वह रात्रि चतुर्दशीकी थी इससे चतुर्दशीको निर्वाण कहना भी कुछ असंगत मालूम नहीं होता । महापुराणमें गुणभद्राचार्यने भी “कार्तिककृष्णपक्षस्य चतुर्दश्यां निशात्यये” इस वाक्यके द्वारा कृष्ण चतुर्दशीकी रात्रिको उस समय निर्वाणका होना बतलाया है जबकि रात्रि समाप्तिके करीब थी । उसी रात्रिके अंधेरेमें, जिसे जिनसेनने हरिवंशपुराणमें “कृष्णभूतसुप्रभातसन्ध्यासमये” पदके द्वारा उल्लेखित किया है, देवेन्द्रों-द्वारा दीपावली प्रज्वलित करके निर्वाणपूजा किये जानेका उल्लेख है और वह पूजा धवलके उक्त वाक्यानुसार अमावस्याको की गई है । इससे चतुर्दशीकी रात्रिके अन्तिम भागमें अमावस्या आ गई थी यह स्पष्ट जाना

प्राप्त करके आप सदाके लिये अजर, अमर तथा अक्षय सौख्यको प्राप्त हो गये* । इसीका नाम विदेहमुक्ति, आत्यन्तिक-स्वात्मस्थिति, परिपूर्णसिद्धावस्था अथवा निष्कल-परमात्मपदकी प्राप्ति है । भगवान् महावीर प्रायः ७२ वर्षकी अवस्था † में अपने इस अन्तिम ध्येयको प्राप्त करके लोकाग्रवासी हुए । और आज उन्हींका तीर्थ प्रवर्त रहा है ।

इस प्रकार भगवान् महावीरका यह संक्षेपमें सामान्य परिचय है, जिसमें प्रायः किसीको भी कोई खास विवाद नहीं है । भगवज्जीवनीकी उभय सम्प्रदाय-सम्बन्धी कुछ विवादग्रस्त अथवा मतभेदवाली बातोंको मैंने पहलेसे ही छोड़ दिया है । उनके लिये इस छोटेसे निबन्धमें स्थान भी कहाँ हो सकता है ? वे तो गहरे

जाता है । और इसलिये अमावस्याको निर्वाण बतलाना बहुत युक्तियुक्त है, उसीका श्रीपूज्यपादाचार्यने “कार्तिककृष्णस्यान्ते” पदके द्वारा उल्लेख किया है ।

* जैसा कि श्रीपूज्यपादके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है:—

“पद्मवनदीधिकाकुलविविधद्रुमखण्डमण्डिते रम्ये ।

पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थितः स मुनिः ॥१६॥

कार्तिककृष्णस्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरजः ।

अवशेषं संप्रापद् व्यजरामरमक्षयं सौख्यम्॥१७॥” —निर्वाणभक्ति ।

† धवल और जयधवल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोंमें महावीरकी आयु, कुछ आचार्योंके मतानुसार, ७१ वर्ष ३ महीने २५ दिनकी भी बतलाई है और उसका लेखा इस प्रकार दिया है—

गर्भकाल = ६ मास ८ दिन; कुमारकाल = २८ वर्ष ७ मास १२ दिन;
छद्यस्थ (तपश्चरण) काल = १२ वर्ष ५ मास १५ दिन; केवल(विहार)काल = २९ वर्ष ५ मास २० दिन ।

इस लेखके कुमारकालमें एक वर्षकी कमी जान पड़ती है; क्योंकि वह ग्राम तौर पर प्रायः ३० वर्षका माना जाता है । दूसरे, इस आयुमेंसे यदि गर्भकालको निकाल दिया जाय, जिसका लोक-व्यवहारमें ग्रहण नहीं होता तो वह ७० वर्ष कुछ महीनेकी ही रह जाती है और इतनी आयुके लिये ७२ वर्षका व्यवहार नहीं बनता ।

अनुसंधानको लिये हुए एक विस्तृत आलोचनात्मक निबन्धमें अच्छे ऊहापोह अथवा विवेचनके साथ ही दिखलाई जानेके योग्य है।

देशकालकी परिस्थिति

देश-कालकी जिस परिस्थितिने महावीर भगवान्‌को उत्पन्न किया उसके सम्बन्धमें भी दो शब्द कह देना यहाँ पर उचित जान पड़ता है। महावीर भगवान्‌के अवतारसे पहले देशका वातावरण बहुत ही क्षुब्ध, पीड़ित तथा संव्रस्त हो रहा था; दीन-दुर्बल खूब सताए जाते थे; ऊँच-नीचकी भावनाएं जोरों पर थीं; शूद्रोंसे पशुओं-जैसा व्यवहार होता था, उन्हें कोई सम्मान या अधिकार प्राप्त नहीं था, वे शिक्षा-दीक्षा और उच्चसंस्कृतिके अधिकारी ही नहीं माने जाते थे और उनके विषयमें बहुत ही निर्दय तथा घातक नियम प्रचलित थे; स्त्रियाँ भी काफी तौर पर सताई जाती थीं, उच्चशिक्षासे वंचित रक्खी जाती थीं, उनके विषयमें “न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” (स्त्री स्वतन्त्रताकी अधिकारिणी नहीं) जैसी कठोर आज्ञाएं जारी थीं और उन्हें यथेष्ट मानवी अधिकार प्राप्त नहीं थे—बहुतोंकी दृष्टिमें तो वे केवल भोगकी वस्तु, विलासकी चीज़, पुरुषकी सम्पत्ति अथवा बच्चा जननेकी मशीनमात्र रह गई थीं; ब्राह्मणोंने धर्मानुष्ठान आदिके सब ऊँचे ऊँचे अधिकार अपने लिए रिजर्व रख छोड़े थे—दूसरे लोगोंको वे उनका पात्र ही नहीं समझते थे—सर्वत्र उन्हींकी तूती बोलती थी, शासनविभागमें भी उन्हींने अपने लिए खास रिआयतें प्राप्त कर रक्खी थीं—घोरसे घोर पाप और बड़ेसे बड़ा अपराध कर लेने पर भी उन्हें प्राणदण्ड नहीं दिया जाता था, जब कि दूसरोंको एक साधारणसे अपराधपर भी सूली-फाँसीपर चढ़ा दिया जाता था; ब्राह्मणोंके बिगड़े तथा सड़े हुए जाति-भेदकी दुर्गन्धसे देशका प्राण घुट रहा था और उसका विकास रुक रहा था, खुद उनके अभिमान तथा जाति-मदने उन्हें पतित कर दिया था और उनमें लोभ-लालच, दंभ, अज्ञानता, अकर्मण्यता, क्रूरता तथा धूर्ततादि दुर्गुणोंका निवास हो गया था; वे रिश्वतें अथवा दक्षिणाएँ लेकर परलोकके लिए सर्टिफिकेट और पर्वाने तक देने लगे थे; धर्मकी असली भावनाएं प्रायः लुप्त हो गई थीं और उनका स्थान अर्थ-हीन क्रियाकाण्डों तथा थोथे विधि-विधानोंने ले लिया था; बहुतसे देवी-देवताओंकी कल्पना प्रबल हो उठी

थी, उनके सन्तुष्ट करनेमें ही सारा समय चला जाता था और उन्हें पशुओंकी बलियाँ तक चढ़ाई जाती थीं; धर्मके नाम पर सर्वत्र यज्ञ-यागादिक कर्म होते थे और उनमें असंख्य पशुओंको होमा जाता था—जीवित प्राणी धधकती हुई आगमें डाल दिये जाते थे—और उनका स्वर्ग जाना बतलाकर अथवा 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' कहकर लोगोंको भुलावेमें डाला जाता था और उन्हें ऐसे क्रूर कर्मोंके लिये उत्तेजित किया जाता था । साथ ही, बलि तथा यज्ञके बहाने लोग मांस खाते थे । इस तरह देशमें चहुँ ओर अन्याय-अत्याचारका साम्राज्य था—बड़ा ही बीभत्स तथा कुरूप दृश्य उपस्थित था—सत्य कुचला जाता था, धर्म अपमानित हो रहा था, पीड़ितोंकी आहोंके धुँएँ आकाश व्याप्त था और सर्वत्र असन्तोष ही असन्तोष फैला हुआ था ।

यह सब देखकर सज्जनोंका हृदय तलमला उठा था, धार्मिकोंको रात दिन चैन नहीं पड़ता था और पीड़ित व्यक्ति अत्याचारों से ऊबकर त्राहि त्राहि कर रहे थे । सबोंकी हृदय-तन्त्रियोंसे 'हो कोई अवतार नया' की एक ही ध्वनि निकल रही थी और सबोंकी दृष्टि एक ऐसे असाधारण महात्माकी ओर लगी हुई थी जो उन्हें हस्तावलम्बन देकर इस घोर विपत्तिसे निकाले । ठीक इसी समय—आजसे कोई ढाई हजार वर्षसे भी पहले—प्राची दिशामें भगवान् महावीर भास्करका उदय हुआ, दिशाएं प्रसन्न हो उठीं, स्वास्थ्यकर मन्द-सुगन्ध पवन बहने लगा, सज्जन धर्मात्माओं तथा पीड़ितोंके मुखमंडल पर आशाकी रेखाएँ दीख पड़ीं, उनके हृदयकमल खिल गये और उनकी नस-नाड़ियोंमें ऋतुराज (वसंत) के आगमनकाल-जैसा नवरसका संचार होने लगा ।

महावीरका उद्धारकार्य

महावीरने लोक-स्थितिका अनुभव किया, लोगोंकी अज्ञानता, स्वार्थपरता, उनके बहम, उनका अन्धविश्वास और उनके कुत्सित विचार एवं दुर्व्यवहारको देखकर उन्हें भारी दुःख तथा खेद हुआ । साथ ही, पीड़ितोंकी कुरूप पुकारको सुनकर उनके हृदयसे दयाका अखंड स्रोत बह निकला । उन्होंने लोकोद्धारका संकल्प किया, लोकोद्धारका सम्पूर्ण भार उठानेके लिये अपनी सामर्थ्यको तोला

और उसमें जो त्रुटि थी उसे बारह वर्षके उस घोर तपश्चरणाके द्वारा पूरा किया जिसका अभी उल्लेख किया जा चुका है।

इसके बाद सब प्रकारसे शक्तिसम्पन्न होकर महावीरने लोकोद्धारका सिंहनाद किया—लोकमें प्रचलित सभी अन्याय-अत्याचारों, कुविचारों तथा दुराचारोंके विरुद्ध आवाज़ उठाई—और अपना प्रभाव सबसे पहले ब्राह्मण विद्वानों पर डाला, जो उस वक्त देशके 'सर्वे सर्वाः' बने हुए थे और जिनके सुधरने पर देशका सुधरना बहुत कुछ सुखसाध्य हो सकता था। आपके इस पटु सिंहनादको सुनकर, जो एकान्तका निरसन करने वाले स्याद्वादकी विचार-पद्धतिको लिए हुये था, लोगोंका तत्त्वज्ञानविषयक भ्रम दूर हुआ, उन्हें अपनी भूलें मालूम पड़ीं, धर्म-अधर्मके यथार्थ स्वरूपका परिचय मिला, आत्मा-अनात्माका भेद स्पष्ट हुआ और बन्ध-मोक्षका सारा रहस्य जान पड़ा। साथ ही, झूठे देवी-देवताओं तथा हिंसक यज्ञादिकों परसे उनकी श्रद्धा हटी और उन्हें यह बात साफ़ जँच गई कि हमारा उत्थान और पतन हमारे ही हाथमें है, उसके लिये किसी गुप्त शक्तिकी कल्पना करके उसीके भरोसे बैठ रहना अथवा उसको दोष देना अनुचित और मिथ्या है। इसके सिवाय, जातिभेदकी कट्टरता मिटी, उदारता प्रकटी, लोगोंके हृदयमें साम्यवादकी भावनाएँ दृढ़ हुईं और उन्हें अपने आत्मोत्कर्षका मार्ग सूझ पड़ा। साथ ही, ब्राह्मण गुरुओंका आसन डोल गया, उनमेंसे इन्द्रभूति-गौतम जैसे कितने ही दिग्गज विद्वानोंने भगवान्‌के प्रभावसे प्रभावित होकर उनकी समीचीन धर्मदेशनाको स्वीकार किया और वे सब प्रकारसे उनके पूरे अनुयायी बन गये। भगवान्‌ने उन्हें 'गणधर' के पद पर नियुक्त किया और अपने संवका भार सौंपा। उनके साथ उनका बहुत बड़ा शिष्यसमुदाय तथा दूसरे ब्राह्मण और अन्य धर्मानुयायी भी जैनधर्ममें दीक्षित होगये। इस भारी विजयसे क्षत्रिय गुरुओं और जैनधर्मकी प्रभाव-वृद्धिके साथ साथ तत्कालीन (क्रियाकाण्डी) ब्राह्मणधर्मकी प्रभा क्षीण हुई, ब्राह्मणोंका शक्ति घटी, उनके अत्याचारोंमें रोक हुई, यज्ञ-यागादिक कर्म मन्द पड़ गये—उनमें पशुओंके प्रतिनिधियोंकी भी कल्पना होने लगी—और ब्राह्मणोंके लौकिक स्वार्थ तथा जाति-पांतिके भेदको बहुत बड़ा धक्का पहुँचा। परन्तु निरंकुशताके कारण उनका पतन जिस तेजीसे हो रहा था वह रुक गया और उन्हें सोचने-विचारनेका अथवा अपने धर्म तथा

परिणतिमें फेरफार करनेका अवसर मिला ।

महावीरकी इस धर्मदेशना और विजयके सम्बन्धमें कविसम्राट् डा० रवीन्द्र-नाथ टागोरने जो दो शब्द कहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

Mahavira proclaimed in India the message of salvation that religion is a reality and not a mere social convention, that salvation comes from taking refuge in that true religion, and not from observing the external ceremonies of the community, that religion can not regard any barrier between man and man as an eternal verity. Wondrous to relate, this teaching rapidly overtopped the barriers of the race's abiding instinct and conquered the whole country. For a long period now the influence of Kshatriya teachers completely suppressed the Brahmin power.

अर्थात्—महावीरने डंकेकी चोट भारतमें मुक्तिका ऐसा सन्देश घोषित किया कि, धर्म कोई महज सामाजिक रूढ़ि नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है—वस्तुस्वभाव है,—और मुक्ति उस धर्ममें आश्रय लेनेसे ही मिल सकती है, न कि समाजके बाह्य आचारोंका—विधिविधानों अथवा क्रियाकाण्डोंका—पालन करनेसे, और यह कि धर्मकी दृष्टिमें मनुष्य मनुष्यके बीच कोई भेद स्थायी नहीं रह सकता । कहते आश्चर्य होता है कि इस शिक्षणने बद्धमूल हुई जातिकी हृद-बन्धियोंको शीघ्र ही तोड़ डाला और सम्पूर्ण देश पर विजय प्राप्त किया । इस वक्त क्षत्रिय गुरुओंके प्रभावने बहुत समयके लिये ब्राह्मणोंकी सत्ताको पूरी तौरसे दबा दिया था ।

इसी तरह लोकमान्य तिलक आदि देशके दूसरे भी कितनेही प्रसिद्ध हिन्दू विद्वानोंने, अहिंसादिकके विषयमें, महावीर भगवान् अथवा उनके धर्मकी ब्राह्मण-धर्म पर गहरी छापका होना स्वीकार किया है, जिनके वाक्योंको यहाँ पर उद्धृत करनेकी जरूरत नहीं है—प्रनेक पत्रों तथा पुस्तकोंमें वे छप चुके हैं । महत्मा गांधी तो जीवन भर भगवान् महावीरके मुक्तकण्ठसे प्रशंसक बने रहें । विदेशी विद्वानोंके भी बहुतसे वाक्य महावीरकी योग्यता, उनके प्रभाव और उनके

शासनकी महिमा-सम्बन्धमें उद्धृत किये जा सकते हैं; परन्तु उन्हें भी यहाँ छोड़ा जाता है ।

वीर-शासनकी विशेषता

भगवान् महावीरने संसारमें सुख-शान्ति स्थिर रखने और जनताका विकास सिद्ध करनेके लिये चार महासिद्धान्तोंकी—१ अहिंसावाद, २ साम्यवाद, ३ अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) और ४ कर्मवाद नामक महासत्योंकी—घोषणा की है और इनके द्वारा जनताको निम्न बातोंकी शिक्षा दी है :—

१ निर्भय-निर्वैर रह कर शान्तिके साथ जीना तथा दूसरोंको जीने देना ।

२ राग-द्वेष-अहंकार तथा अन्याय पर विजय प्राप्त करना और अनुचित भेद-भावको त्यागना ।

३ सर्वतोमुखी विशालदृष्टि प्राप्त करके अथवा नष्ट-प्रमाणका संहारा लेकर सत्यका निर्णय तथा विरोधका परिहार करना ।

४ 'अपना उत्थान और पतन अपने हाथमें है' ऐसा समझते हुए, स्वावलम्बी बनकर अपना हित और उत्कर्ष साधना तथा दूसरोंके हित-साधनमें मदद करना ।

साथ ही, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको—तीनोंके समुच्चय-को—मोक्षकी प्राप्तिका एक उपाय अथवा मार्ग बतलाया है । ये सब सिद्धान्त इतने गहन, विशाल तथा महान् हैं और इनकी विस्तृत व्याख्याओं तथा गम्भीर विवेचनाओंसे इतने जैन ग्रन्थ भरे हुए हैं कि इनके स्वरूपादि-विषयमें यहाँ कोई चलतीसी बात कहना इनके गौरवको घटाने अथवा इनके प्रति कुछ अन्याय करने-जैसा होगा । और इसलिये इस छोटेसे निबन्ध में इनके स्वरूपादिका न लिखा जाना क्षमा किये जानेके योग्य है । इन पर तो अलग ही विस्तृत निबन्धोंके लिखे जानेकी जरूरत है । हाँ, स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्यानुसार इतना जरूर बतलाना होगा कि महावीर भगवान्का शासन नय-प्रमाणके द्वारा वस्तु-तत्त्वको बिल्कुल स्पष्ट करने वाला और सम्पूर्ण प्रवादियोंके द्वारा अबाध्य होनेके साथ साथ दया (अहिंसा), दम (संयम), त्याग (परिग्रहत्यजन) और समाधि (प्रशस्त ध्यान) इन चारोंकी तत्परताको लिये हुए है, और यही सब उसकी विशेषता है अथवा इसी लिये वह अद्वितीय है ।

दया-दम-त्याग-समाधिनिष्ठ नय-प्रमाण-प्रकृतांजसार्थम् ।

अधृष्यमन्यैरखिलैः प्रवादैर्जिन त्वदीयं मतमद्वितीयम् ॥६॥

—युक्त्यनुशासन

इस वाक्यमें 'दया' को सबसे पहला स्थान दिया गया है और वह ठीक ही है। जब तक दया अथवा अहिंसाकी भावना नहीं तब तक संयममें प्रवृत्ति नहीं होती, जब तक संयममें प्रवृत्ति नहीं तब तक त्याग नहीं बनता और जब तक त्याग नहीं तब तक समाधि नहीं बनती। पूर्व पूर्व धर्म उत्तरोत्तर धर्मका निमित्त कारण है। इसलिये धर्ममें दयाको पहला स्थान प्राप्त है। और इसीसे 'धर्मस्य मूलं दया' आदि वाक्योंके द्वारा दयाको धर्मका मूल कहा गया है। अहिंसाको 'परम धर्म' कहनेकी भी यही वजह है। और उसे परम धर्म ही नहीं किन्तु 'परम ब्रह्म' भी कहा गया है; जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं ।”

—स्वयम्भूस्तोत्र

और इसलिये जो परमब्रह्मकी आराधना करना चाहता है उसे अहिंसाकी उपासना करनी चाहिये—राग-द्वेषकी निवृत्ति, दया, परोपकार अथवा लोक-सेवाके कामोंमें लगना चाहिये। मनुष्योंमें जब तक हिंसकवृत्ति बनी रहती है तब तक आत्मगुणोंका घात होनेके साथ साथ “पापाः सर्वत्र शंकिताः” की नीतिके अनुसार उसमें भयका या प्रतिहिंसाकी आशंकाका सद्भाव बना रहता है। जहाँ भयका सद्भाव वहाँ वीरत्व नहीं—सम्यक्त्व नहीं * और जहाँ वीरत्व नहीं—सम्यक्त्व नहीं वहाँ आत्मोद्धारका नाम नहीं। अथवा यों कहिये कि भयमें संकोच होता है और संकोच विकासको रोकनेवाला है। इसलिये आत्मोद्धार

* इसीसे सम्यग्दृष्टिको सप्त प्रकारके भयोंसे रहित बतलाया है और भयको मिथ्यात्वका चिह्न तथा स्वानुभवकी क्षतिका परिणाम सूचित किया है। यथा—

“नापि स्पृष्टो सुदृष्टियः स सप्तभिर्भयैर्मनाक् ॥”

“ततो भीत्याज्जुमेयोऽस्ति मिथ्याभावो जिनागमात् ।

सा च भीतिरवश्यं स्याद्वेतोः स्वानुभवक्षतेः ॥” —पंचाध्यायी

अथवा आत्मविकासके लिये अहिंसाकी बहुत बड़ी जरूरत है और वह वीरताका विरुद्ध है—कायरताका नहीं। कायरताका आधार प्रायः भय होता है, इसलिये कायर मनुष्य अहिंसा धर्मका पात्र नहीं—उसमें अहिंसा ठहर नहीं सकती। वह वीरोंके ही योग्य है और इसीलिये महावीरके धर्ममें उसको प्रधान स्थान प्राप्त है। जो लोग अहिंसा पर कायरताका कलंक लगाते हैं उन्होंने वास्तवमें अहिंसाके रहस्यको समझा ही नहीं। वे अपनी निर्बलता और आत्म-विस्मृतिके कारण कषायोंसे अभिभूत हुए कायरताको वीरता और आत्माके क्रोधादिक-रूप पतनको ही उसका उत्थान समझ बैठे हैं। ऐसे लोगोंकी स्थिति, निःसन्देह बड़ी ही करुणाजनक है।

सर्वोदय तीर्थ

स्वामी समन्तभद्रने भगवान् महावीर और उनके शासनके सम्बन्धमें और भी कितने ही बहुमूल्य वाक्य कहे हैं जिनमेंसे एक सुन्दर वाक्य में यहाँ पर और उद्धृत कर देना चाहता हूँ और वह इस प्रकार हैः—

सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं, सर्वान्तशून्यं च मिथोऽनपेक्षम्।

सर्वापदामन्तरं निरन्तं, सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव ॥६१॥

—युवत्यनुशासन

इसमें भगवान् महावीरके शासन अथवा उनके परमागमलक्षण-रूप वाक्यका स्वरूप बतलाते हुए जो उसे ही सम्पूर्ण आपदाओंका अन्त करने वाला और सबोंके अभ्युदयका कारण तथा पूर्ण अभ्युदयका—विकासका—हेतु ऐसा 'सर्वोदय तीर्थ' बतलाया है वह बिल्कुल ठीक है। महावीर भगवान्का शासन अनेकान्तके प्रभावसे सकल दुर्गों तथा मिथ्यादर्शनोंका अन्त (निरसन) करनेवाला है और ये दुर्ग तथा मिथ्यादर्शन ही संसारमें अनेक शारीरिक तथा मानसिक दुःस्वरूप आपदाओंके कारण होते हैं। इसलिये जो लोग भगवान् महावीरके शासनका—उनके धर्मका—आश्रय लेते हैं—वसे पूर्णतया अपनाते हैं—उनके मिथ्यादर्शनादिक दूर होकर समस्त दुःख मिट जाते हैं। और वे इस धर्मके प्रसादसे अपना पूर्ण अभ्युदय सिद्ध कर सकते हैं। महावीरकी ओरों इस धर्मका द्वार सबके लिये खुला हुआ है। जैसा कि जैनग्रन्थोंके निम्न वाक्योंसे ध्वनित है :—

(१) “दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चतुर्थश्च विधोचितः ।

मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ॥”

“उच्चावचजनप्रायः समयोऽयं जिनेशिनं ।

नैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवालयः ॥” —यशस्तिलक, सोमदेवः

(२) आचाराऽनवद्यत्वं शुचिरुपस्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति शूद्रानपि
देवद्विजातितपस्विपरिकर्मसु योग्यान् ।” —नीतिवाक्यामृते, सोमदेवः

(३) “शूद्रोऽप्युपस्काराचारवपुः शुद्ध्याऽस्तु तादृशः ।

जात्या हीनोऽपि कालादिलब्धौ ह्यात्मास्ति धर्मभाक् ॥” २-२२॥

—सागारधर्मामृते, आशाधरः ।

इन सब वाक्योंका आशय क्रमशः इस प्रकार है—

(१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण (आम तौर पर) मुनिदीक्षाके योग्य हैं और चौथा शूद्र वर्ण विधिके द्वारा दीक्षाके योग्य है । (वास्तवमें) मन-वचन-कायसे किये जाने वाले धर्मका अनुष्ठान करनेके लिये सभी जीव अधिकारी हैं ।

‘जिनेन्द्रका यह धर्म प्रायः ऊँव और नीव दोनों ही प्रकारके मनुष्योंके अश्रित है; एक स्तम्भके आधार पर जैसे मकान नहीं ठहरता उसी प्रकार ऊँव-नीवमेंसे किसी एक ही प्रकारके मनुष्यसमूहके आधार पर धर्म ठहरा हुआ नहीं है ।’

—यशस्तिलक

(२) मद्य-मांसादिकके त्यागरूप आचारकी निर्दोषता, गृह-पात्रादिककी पवित्रता और नित्य-स्नानादिके द्वारा शरीरशुद्धि ये तीनों प्रवृत्तियाँ (विधियाँ) शूद्रोंको भी देव, द्विजाति और तपस्वियोंके परिकर्मोंके योग्य बना देती हैं ।

—नीतिवाक्यामृत

(३) आसन और बर्तन आदि उपकरण जितके शुद्ध हों, मद्य-मांसादिके त्यागसे जिसका आचरण पवित्र हो और नित्य स्नानादिके द्वारा जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, ऐसा शूद्र भी ब्राह्मणादिक वर्णोंके सदृश धर्मका पालन करनेके योग्य है; क्योंकि जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक-लब्धिको पाकर जैनधर्मका अधिकारी होता है ।

—सागारधर्मामृत

नीवसे नीव कहा जानेवाला मनुष्य भी इस धर्मको धारण करके इतने

लोकमें अति उच्च बन सकता है ❀ । इसकी दृष्टिमें कोई जाति गर्हित नहीं—तिरस्कार किये जानेके योग्य नहीं—सर्वत्र गुणोंकी पूज्यता है, वे ही कल्याणकारी हैं, और इसीसे इस धर्ममें एक चाण्डालको भी व्रतसे युक्त होने पर 'ब्राह्मण' तथा सम्यग्दर्शनसे युक्त होने पर 'देव' माना गया है † । यह धर्म इन ब्राह्मणादिक जाति-भेदोंको तथा दूसरे चाण्डालादि विशेषोंको वास्तविक ही नहीं मानता किन्तु वृत्ति अथवा आचारभेदके आधारपर कल्पित एवं परिवर्तनशील जानता है और यह स्वीकार करता है कि अपने योग्य गुणोंकी उत्पत्ति पर जाति उत्पन्न होती है और उनके नाश पर नष्ट हो जाती है ✕ । इन जातियोंका आकृति आदिके भेदको लिए हुए कोई शाश्वत लक्षण भी मो-अश्वदि जातियोंकी तरह मनुष्य शरीरमें नहीं पाया जाता, प्रत्युत इसके शूद्रादिके योगसे ब्राह्मणी आदिकमें गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी जाती है, जो वास्तविक जातिभेदके विरुद्ध है।

❀ यो लोके त्वा नतः सोऽतिहीनोऽप्यतिगुर्यतः ।

बालोऽपि त्वा श्रितं नौति को नो नीतिपुरुः कुतः ॥८२॥

—जिनशतके, समन्तभद्रः ।

† “ न जातिर्गर्हिता काचिद् गुणाः कल्याणकारणं ।

व्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ ११-२०३ ॥”

—पद्मचरिते, रविषेणः ।

“सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजं ।

देवा देवं विदुर्भस्मगूढांगारान्तरौजसम्” ॥२८॥—रत्नकरण्डे, समन्तभद्रः ।

✕ “चातुर्वर्ण्यं यथान्यच्च चाण्डालादिविशेषणं ।

सर्वमाचारभेदेन प्रसिद्धिं भुवने गतं” ॥११-२०५॥—पद्मचरिते, रविषेणः ।

“आचारमात्रभेदेन जातीनां भेदकल्पनं ।

न जातिर्ब्राह्मणीयास्ति नियता कापि तात्त्विकी” ॥१७-२४॥

“गुणैः सम्पद्यते जातिर्गुणध्वंसैर्विपद्यते ।” ॥३२॥

—धर्मपरीक्षायां, अमितभतिः ।

‡ “वर्णाकृत्यादिभेदानां देहेऽस्मिन्न च दर्शनात् ।

ब्राह्मण्यादिषु शूद्राद्यैर्गर्भाधानप्रवर्तनात् ॥

इसी तरह जारजका भी कोई चिन्ह शरीरमें दिखाई नहीं देता, जिससे उसकी कोई जुदी जाति कल्पित की जाय, और न महज व्यभिचारजात होनेकी वजहसे ही कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है—नीचताका कारण इस धर्ममें 'अनार्य आचरण' अथवा 'म्लेच्छाचार' माना गया है * । वस्तुतः सब मनुष्योंकी एक ही मनुष्य जाति इस धर्मको अभीष्ट है, जो 'मनुष्यजाति' नामक नाम कर्मके उदयसे होती है, और इस दृष्टिसे सब मनुष्य समान हैं—आपसमें भाई भाई हैं—और उन्हें इस धर्मके द्वारा अपने विकासका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है ‡ । इसके सिवाय, किसीके कुलमें कभी कोई दोष लग गया हो उसकी शुद्धिकी, और म्लेच्छों तककी कुलशुद्धि करके उन्हें अपनेमें मिला लेने तथा मुनि-दीक्षा आदिके द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट आज्ञाएँ भी इस शासनमें पाई जाती हैं × । और

नास्तिजातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवाऽश्ववत् ।

आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते ॥ —महापुराणे, गुणभद्रः ।

* चिह्नानि विटजातस्य सन्ति नाऽङ्गेषु कानिचित् ।

अनार्यमाचरन् किञ्चिजायते नीचगोचरः ॥ —पद्मचरिते, रविषेणः ।

‡ "मनुष्यजातिरेकैव जातिकर्मोदयोद्भवा ।

वृत्तिभेदाहिताद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाश्रुते ॥ ३८-४५ ॥

—आदिपुराणे, जिनसेनः ।

"विप्रक्षत्रियविट्सूद्राः प्रोक्ताः क्रियाविशेषतः ।

जैनधर्मो पराः शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमाः ॥ —धर्मरसिके, सोमसेनोद्धृतः ।

× जैसा कि निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

१. कुतश्चित्कारणाद्यस्य कुलं सम्प्राप्तदूषणं ।

सोपि राजादिसम्मत्या शोधयेत्स्वं यदा कुलम् ॥ ४०-१६८ ॥

तदाऽस्योपनयार्हत्वं पुत्रपौत्रादिसन्ततौ ।

न निषिद्धं हि दीक्षार्हं कुले चेदस्य पूर्वजाः ॥ —१६९ ॥

२. स्वदेशेऽनक्षरम्लेच्छान् प्रजाबाधाविधायिनः ।

कुलशुद्धिप्रदानाद्यैः स्वसात्कुर्यादुपक्रमैः ॥ ४२-१७९ ॥

—आदिपुराणे, जिनसेनः ।

इसलिये यह शासन सचमुच ही 'सर्वोदय-तीर्थ' के पदको प्राप्त है—इस पदके योग्य इसमें सारी ही योग्यताएँ मौजूद हैं—हर कोई भव्य जीव इसका सम्यक् आश्रय लेकर संसार-समुद्रसे पार उतर सकता है।

परन्तु यह समाजका और देशका दुर्भाग्य है जो आज हमने—जिनके हाथों दैवयोगसे यह तीर्थ पड़ा है—इस महान् तीर्थकी महिमा तथा उपयोगिताको भुला दिया है; इसे अपना घरेलू, धुद्र या असर्वोदय तीर्थका-सा रूप देकर इसके चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवारें खड़ी कर दी हैं और इसके फाटकमें ताला डाल दिया है। हम लोग न तो खुद ही इससे ठीक लाभ उठाते हैं और न दूसरों को लाभ उठाने देते हैं—महज अपने थोड़ेसे विनोद अथवा क्रीडाके स्थल रूपमें ही हमने इसे रख छोड़ा है और उसीका यह परिणाम है कि जिस 'सर्वोदय-तीर्थ' पर दिन रात उपासकोंकी भीड़ और यात्रियोंका मेलासा लगा

३. “मलेच्छभूमिजमनुप्याणां सकलसंयमग्रहणं कथं भवतीति नाशंकितव्यं । दिग्विजयकाले चक्रवर्तिना सह आर्यखण्डमागतानां म्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जातवैवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्तेरविरोधात् । अथवा तत्कन्यानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेषूत्पन्नस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छव्यपदेशभाजः संयमसंभवात् तथाजातीयकानां दीक्षार्हत्वे प्रतिषेधाभावात् ॥”—लब्धिसारटीका (गाथा १६३वीं)

नोट—म्लेच्छोंकी दीक्षा-योग्यता, सकलसंयम-ग्रहणकी पात्रता और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्धादिका यह सब विधान जयधवल सिद्धान्तमें भी इसी क्रमसे प्राकृत और संस्कृत भाषामें दिया है। वहींसे भाषादिरूप थोड़ासा शब्द-परिवर्तन करके लब्धिसारटीकामें लिया गया मालूम होता है। जैसा कि जयधवलके निम्न शब्दोंसे प्रकट है:—

“जइ एवं कुदो तत्थ संजमग्गहणसंभवो त्ति णासंकणिज्जं । दिसाविजयपयट्ट-चक्कवट्टिखंधावारेण सह मज्झिमखंडमागयाणां मिलेच्छरायाणां तत्थ चक्कवट्टि-आदीहि सह जादवेवाहियसंबंधाणां संजमपडिक्तीए विरोहाभावादो । अहवा तत्तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भेषूत्पन्ना मातृपक्षापेक्षया स्वयमकर्म-भूमिजा इतीह विवक्षिताः ततो न किंचिद्विप्रतिषिद्धं । तथाजातीयकानां दीक्षार्हत्वे प्रतिषेधाभावादिति ।”

—जयधवल, आरा-प्रति, पत्र ८२७-२८

रहना चाहिये था वहाँ आज सन्नाटासा छाया हुआ है, जैनियोंकी संख्या भी अंगुलियों पर गिनने लायक रह गई है और जो जैनी कहे जाते हैं उनमें भी जैनत्वका प्रायः कोई स्पष्ट लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता—कहीं भी दया, दम, त्याग और समाधिकी तत्परता नज़र नहीं आती—लोगोंको महावीरके संदेशकी ही खबर नहीं, और इसीसे संसारमें सर्वत्र दुःख ही दुःख फैला हुआ है।

ऐसी हालतमें अब खास ज़रूरत है कि इस तीर्थका उद्धार किया जाय, इसकी सब रुकावटोंको दूर कर दिया जाय, इस पर खुने प्रकाश तथा खुली हवाकी व्यवस्था की जाय, इसका फाटक सबोंके लिये हरवक्त खुला रहे, सबोंके लिये इस तीर्थ तक पहुँचनेका मार्ग सुगम किया जाय, इसके तटों तथा घाटोंकी मरम्मत कराई जाय, बन्द रहने तथा अर्से तक यथेष्ट व्यवहारमें न आनेके कारण तीर्थ-जल पर जो कुछ काई जम गई है अथवा उसमें कहीं कहीं शैवाल उत्पन्न हो गया है उसे निकाल कर दूर किया जाय और सर्वसाधारणको इस तीर्थके महात्म्यका पूरा पूरा परिचय कराया जाय। ऐसा होने पर अथवा इस रूपमें इस तीर्थका उद्धार किया जाने पर आप देखेंगे कि देश-देशान्तरके कितने बेशुमार यात्रियोंकी इस पर भीड़ रहती है, कितने विद्वान इस पर मुग्ध होते हैं, कितने असंख्य प्राणी इसका आश्रय पाकर और इसमें अवगाहन करके अपने दुःख-संतापोंसे छुटकारा पाते हैं और संसारमें कैसी सुख-शान्तिकी लहर व्याप्त होती है। स्वामी समन्तभद्रने अपने समयमें, जिसे आज १७०० वर्षसे भी ऊपर हो गये हैं, ऐसा ही किया है; और इसीसे कनडी भाषाके एक प्राचीन शिलालेख* में यह उल्लेख मिलता है कि 'स्वामी समन्तभद्र भगवान् महावीरके तीर्थकी हज़ारगुनी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए'—अर्थात्, उन्होंने उसके प्रभावको सारे देश-देशान्तरों में व्याप्त कर दिया था। आज भी वैसा ही होना चाहिये। यही भगवान् महावीरकी सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति और उनकी सच्ची जयन्ती मनाना होगा।

* यह शिलालेख बेलूर ताल्लुकेका शिलालेख नम्बर १७ है, जो रामा-नुजाचार्य-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनाथकी-मन्दिरकी छतके एक पथर पर उत्कीर्ण है और शक संवत् १०५६ का लिखा हुआ है। देखो, एपिग्रेफिका कर्णाटिकाकी जिल्द पाँचवीं, अथवा 'स्वामी समन्तभद्र' (इतिहास) पृष्ठ ४६ वाँ।

महावीरके इस अनेकान्त-शासन-रूप तीर्थमें यह खूबी खुद मौजूद है कि इससे भरपेट अथवा यथेष्ट द्वेष रखनेवाला मनुष्य भी यदि समदृष्टि (मध्यस्थवृत्ति) हुआ उपपत्ति-चक्षुसे (मात्सर्यके त्यागपूर्वक युक्तिसंगत समाधानकी दृष्टिसे) इसका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही उसका मान-शृङ्ग खण्डित हो जाता है—सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यामतका आग्रह छूट जाता है—और वह अभद्र अथवा मिथ्यादृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यग्दृष्टि बन जाता है। अथवा यों कहिये कि भगवान् महावीरके शासन-तीर्थका उपासक और अनुयायी हो जाता है। इसी बात को स्वामी समन्तभद्रने अपने निम्न वाक्य-द्वारा व्यक्त किया है—

कामं द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षुः समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम् ।

त्वयि ध्रुवं खण्डितमानशृङ्गो भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥

—युक्त्यनुशासन

अतः इस तीर्थके प्रचार-विषयमें जरा भी संकोचकी जरूरत नहीं है, पूर्ण उदारताके साथ इसका उपर्युक्त रीतिसे योग्य प्रचारकोंके द्वारा खुला प्रचार होना चाहिये और सबोंको इस तीर्थकी परीक्षाका तथा इसके गुणोंको मालूम करके इससे यथेष्ट लाभ उठानेका पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। योग्य प्रचारकोंका यह काम है कि वे जैसे तैसे जनतामें मध्यस्थभावको जाग्रत करें, ईर्ष्या-द्वेषादि-रूप मत्सर भावको हटाएँ, हृदयोंको युक्तियोंसे संस्कारित कर उदार बनाएँ, उनमें सत्यकी जिज्ञासा उत्पन्न करें और उस सत्यकी दर्शनप्राप्तिके लिये लोगोंकी समाधान दृष्टिको खोलें।

महावीर-सन्देश

हमारा इस वक्त यह खास कर्तव्य है कि हम भगवान् महावीरके संदेशको—उनके शिक्षासमूहको—मालूम करें, उसपर खुद अमल करें और दूसरोंसे अमल करानेके लिये उसका घर घरमें प्रचार करें। बहुतसे जैनशास्त्रोंका अध्ययन, मनन और मन्थन करने पर मुझे भगवान् महावीरका जो सन्देश मालूम हुआ है उसे मैंने एक छोटीसी कवितामें निबद्ध कर दिया है। यहाँ पर उसका दे दिया जाना भी कुछ अनुचित न होगा। उससे थोड़ेमें ही—सूत्ररूपसे—महावीर

भगवान्की बहुतसी शिक्षाओंका अनुभव हो सकेगा और उन पर चलकर—उन्हें अपने जीवनमें उतारकर—हम अपना तथा दूसरोंका बहुत कुछ हित साधन कर सकेंगे। वह संदेश इस प्रकार है:—

यही है महावीर-संदेश।

विपुलाचल पर दिया गया जो प्रमुख धर्म-उपदेश ॥ यही० ॥

“सब जीवोंको तुम अपनाओ, हर उनके दुख-क्लेश।

असद्भाव रक्खो न किसीसे, हो अरि क्यों न विशेष ॥ १ ॥

वैरीका उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे सविधि-विशेष।

वैर छुटे, उपजे मति जिससे, वही यत्न यत्नेश ॥ २ ॥

घृणा पापसे हो, पापीसे नहीं कभी लव-लेश।

भूल सुभा कर प्रेम-मार्गसे, करो उसे पुण्येश ॥ ३ ॥

तज एकान्त-कदाग्रह-दुर्गुण, बनो उदार विशेष।

रह प्रसन्नचित सदा, करो तुम मनन तत्त्व-उपदेश ॥ ४ ॥

जीतो राग-द्वेष-भय-इन्द्रिय-मोह-कषाय अशेष।

धरो धैर्य, समचित्त रहो, औ' सुख-दुखमें सविशेष ॥ ५ ॥

अहंकार-ममकार तजो, जो अवनतिकार विशेष।

तप-संयममें रत हो, त्यागो तृष्णा-भाव अशेष ॥ ६ ॥

‘वीर’ उपासक बनो सत्यके, तज मिथ्याऽभिनिवेश।

विपदाओंसे मत घबराओ, धरो न कोपावेश ॥ ७ ॥

संज्ञानी-संदृष्टि बनो, औ' तजो भाव संक्लेश।

सदाचार पालो दृढ होकर, रहे प्रमाद न लेश ॥ ८ ॥

सादा रहन-सहन-भोजन हो, सादा भूषा-वेष।

विश्व-प्रेम जाग्रत कर उर में, करो कर्म निःशेष ॥ ९ ॥

हो सबका कल्याण, भावना ऐसी रहे हमेश।

दया-लोक-सेवा-रत चित हो, और न कुछ आदेश ॥ १० ॥

इस पर चलनेसे ही होगा, विकसित स्वात्म-प्रदेश।

आत्म-ज्योति जोगी ऐसे, जैसे उदित दिनेश ॥ ११ ॥”

यही है महावीर-संदेश, विपुला०।

महावीरका समय

अब देखना यह है कि भगवान् महावीरको अवतार लिये ठीक कितने वर्ष हुए हैं। महावीरकी आयु कुछ कम ७२ वर्षकी—७१ वर्ष, ६ मास, १८ दिनकी—थी। यदि महावीरका निर्वाण-समय ठीक मालूम हो तो उनके अवतार-समयको अथवा जय-तीके अवसरों पर उनकी वर्षगांठ-संख्याको सूचित करनेमें कुछ भी देर न लगे। परन्तु निर्वाण-समय अर्सेसे विवादग्रस्त चल रहा है—प्रचलित वीरनिर्वाण-संवत् पर आपत्ति की जाती है—कितने ही देशी विदेशी विद्वानों-का उसके विषयमें मतभेद है; और उसका कारण साहित्यकी कुछ पुरानी गड़बड़, अर्थ समझनेकी गलती अथवा कालगणनाकी भूलजान पड़ती है। यदि इस गड़बड़, गलती अथवा भूलका ठीक पता चल जाय तो समयका निर्णय सहजमें ही हो सकता है और उससे बहुत काम निकल सकता है; क्योंकि महावीरके समयका प्रश्न जैन इतिहासके लिये ही नहीं किन्तु भारतके इतिहासके लिये भी एक बड़े ही महत्वका प्रश्न है। इसीसे अनेक विद्वानोंने उसको हल करनेके लिये बहुत परिश्रम किया है और उससे कितनी ही नई नई बातें प्रकाशमें आई हैं। परन्तु फिर भी, इस विषयमें, उन्हें जैसी चाहिये वैसी सफलता नहीं मिली—बल्कि कुछ नई उलझनें भी पैदा हो गई हैं—और इस लिये यह प्रश्न अभी तक बराबर विचारके लिये चला ही जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं इस विषयमें कुछ गहरा उतर कर पूरी तफ़सीलके साथ एक विस्तृत लेख लिखूँ परन्तु समयकी कमी आदिके कारण वैसा न करके, संक्षेपमें ही, अपनी खोजका एक सार भाग पाठकोंके सामने रखता हूँ। आशा है कि सहृदय पाठक इस परसे ही, उस गड़बड़, गलती अथवा भूलको मालूम करके, समयका ठीक निर्णय करनेमें समर्थ हो सकेंगे।

आजकल जो वीर-निर्वाण-संवत् प्रचलित है और कार्तिक शुक्ला प्रतिपदासे प्रारम्भ होता है वह २४६० है। इस संवत्का एक आधार 'त्रिलोकसार' की निम्न गाथा है, जो श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है:—

पणञ्जस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिव्वुइदो ।

सगराजो तो कक्की चदुणवतियमहियसगमासं ॥ ८५०

इसमें बतलाया गया है कि 'महावीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शक राजा हुआ, और शक राजासे ३६४ वर्ष ७ महीने बाद कल्की राजा हुआ ।' शक राजाके इस समयका समर्थन 'हरिवंशपुराण' नामके एक दूसरे प्राचीन ग्रंथसे भी होता है जो त्रिलोकसारसे प्रायः दो सौ वर्ष पहलेका बना हुआ है और जिसे श्रीजिनसेनाचार्यने शक सं० ७०५ में बनाकर समाप्त किया है। यथा :—

वर्षाणां षट्शतीं त्यक्त्वा पंचाग्रां मासपंचकम् ।

मुक्तिं गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवत् ॥ ६०-५४६ ॥

इतना ही नहीं, बल्कि और भी प्राचीन ग्रन्थोंमें इस समयका उल्लेख पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण 'तिलोयपण्णत्ती' (त्रिलोकप्रज्ञप्ति) का निम्न वाक्य है—

णिग्वाणे वीरजिणे छग्वाससदेसु पंचवरिसेसु ।

पणमासेसु गदेसु संजादो सगणिओ अहवा ॥

शकका यह समय ही शक-संवत्की प्रवृत्तिका काल है, और इसका समर्थन एक पुरातन श्लोकसे भी होता है, जिसे श्वेताम्बराचार्य श्रीमेरुतुंगने अपनी 'विचारश्रेणि'में निम्न प्रकारसे उद्धृत किया हैः—

श्रीवीरनिवृत्तेर्वर्षैः षड्भिः पंचोत्तरैः शतैः ।

शाकसंवत्सरस्यैषा प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत् ॥

इसमें, स्थूलरूपसे वर्षोंकी ही गणना करते हुए, साफ़ लिखा है कि 'महावीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष बाद इस भारतवर्षमें शकसंवत्सरकी प्रवृत्ति हुई ।'

श्रीवीरसेनाचार्य-प्रणीत 'धवल' नामके सिद्धान्त-भाष्यसे—जिसे इस निबंध में 'धवल सिद्धान्त' नामसे भी उल्लेखित किया गया है—इस विषयका और भी ज्यादा समर्थन होता है; क्योंकि इस ग्रंथमें महावीरके निर्वाणके बाद केवलियों तथा श्रुतधर-आचार्योंकी परम्पराका उल्लेख करते हुए और उसका

॥ त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें शककालका कुछ और भी उल्लेख पाया जाता है और इसीसे यहां 'अहवा' (अथवा) शब्दका प्रयोग किया गया है ।

काल-परिमाण ६८३ वर्ष बतलाते हुए यह स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट किया है कि इस ६८३ वर्षके कालमेंसे ७७ वर्ष ७ महीने घटा देने पर जो ६०५ वर्ष ५ महीनेका काल अवशिष्ट रहता है वही महावीरके निर्वाणदिवससे शककालकी आदि—शक संवत्की प्रवृत्ति—तकका मध्यवर्ती काल है; अर्थात् महावीरके निर्वाणदिवससे ६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद शकसंवत्का प्रारम्भ हुआ है। साथ ही इस मान्यताके लिये कारणका निर्देश करते हुए, एक प्राचीन गाथाके आधार पर यह भी प्रतिपादन किया है कि इस ६०५ वर्ष ५ महीनेके कालमें शककालको—शक संवत्की वर्षादि-संख्याको—जोड़ देनेसे महावीरका निर्वाणकाल—निर्वाण-संवत्का ठीक परिमाण—आ जाता है। और इस तरह वीरनिर्वाण-संवत् मालूम करनेकी स्पष्ट विधि भी सूचित की है। धवलके वे वाक्य इस प्रकार हैं :—

“सव्वकालसमासो तेयासीदिअहियञ्जस्सदमेत्तो (६८३)। पुणो एत्थ सत्तमासाहियसत्तहत्तरिवासेसु (७७-७) अवणीदेसु पंचमासाहिय-पंचुत्तर-ञ्जस्सदवासाणि (६०५-५) हवन्ति, एसो वीरजिणिंदणिव्वाण्णददिवसादो जाव सगकालस्स आदी होदि तावदिय कालो। कुदो ? एदम्भि काले सगणरिंदकालस्स पक्खित्ते वट्ठमाणजिण्णिव्वुदकालागमणादो। वुत्तंच—

❀ पंच य मासा पंच य वासा छच्चैव होति वाससया ।

सगकालेण य सहिया थावेयव्वो तदो रासी ॥”

—देखो, आरा जैनसिद्धान्तभवनकी प्रति, पत्र ५३७

❀ इस प्राचीन गाथाका जो पूर्वार्ध है वही श्वेताम्बरोंके ‘तित्थोगाली पइन्नय’ नामक प्राचीन प्रकरणकी निम्न गाथाका पूर्वार्ध है—

पंच य मासा पंच य वासा छच्चैव होति वाससया ।

परिणिव्वुअस्सऽरिहतो तो उप्पन्नो सगो राया ॥ ६२३ ॥

और इससे यह साफ जाना जाता है कि ‘तित्थोगाली’ की इस गाथामें जो ६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद शकराजाका उत्पन्न होना लिखा है वह शककालके उत्पन्न होने अर्थात् शकसंवत्के प्रवृत्त होनेके आशयको लिये हुए है। और इस तरह महावीरके इस निर्वाणसमय-सम्बन्धमें दोनों सम्प्रदायोंकी एक वाक्यता पाई जाती है।

इन सब प्रमाणोंसे इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि शकसंवत्के प्रारम्भ होनेसे ६०५ वर्ष ५ महीने पहले महावीरका निर्वाण हुआ है।

शक-सम्बत्के इस पूर्ववर्ती समयको वर्तमान शक-सम्बत् १८५५ में जोड़ देनेसे २४६० की उपलब्धि होती है, और यही इस वत्त प्रचलित वीर निर्वाण-सम्बत्की वर्षसंख्या है। शक-सम्बत् और विक्रम-सम्बत्में १३५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर है। यह १३५ वर्षका अन्तर यदि उक्त ६०५ वर्षमेंसे घटा दिया जाय तो अवशिष्ट ४७० वर्षका काल रहता है, और यही स्थूल रूपसे वीरनिर्वाणके बाद विक्रम-सम्बत्की प्रवृत्तिका काल है, जिसका शुद्ध अथवा पूर्णरूप ४७० वर्ष ५ महीने हैं और जो ईस्वी सन्से प्रायः ५२८ वर्ष पहले वीरनिर्वाणका होना बतलाता है। और जिसे दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय मानते हैं।

अब मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि त्रिलोकसारकी उक्त गाथामें शकराजके समयका—वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने पहलेका—जो उल्लेख है उसमें उसका राज्यकाल भी शामिल है; क्योंकि एक तो यहाँ 'सगराजो' पदके बाद 'तो' शब्दका प्रयोग किया गया है जो 'ततः' (तत्पश्चात्) का वाचक है और उससे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि शकराजाकी सत्ता न रहने पर अथवा उसकी मृत्युसे ३६४ वर्ष ७ महीने बाद कल्की राजा हुआ। दूसरे, इस गाथामें कल्कीका जो समय वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्ष तक (६०५ वर्ष ५ मास + ३६४ वर्ष ७ मास) बतलाया गया है उसमें नियमानुसार कल्कीका राज्य काल भी आ जाता है, जो एक हजार वर्षके भीतर सीमित रहता है। और तभी हर हजार वर्ष पीछे एक कल्कीके होनेका वह नियम बन सकता है जो त्रिलोकसारदि ग्रन्थोंके निम्न वाक्योंमें पाया जाता है:—

इदि पडिसहस्सवस्सं वीसे कक्कीणदिक्कमे चरिमो ।

जलमंथणो भविस्सदि कक्की सम्मग्गमत्थणओ ॥ ८५७ ॥

—त्रिलोकसार

मुक्तिं गते महावीरे प्रतिवर्षसहस्रकम् ।

एकैको जायते कल्की जिनधर्म-विरोधकः ॥ —हरिवंशपुराण

एवं वस्ससहस्से पुह कक्की हवेइ इक्केको । —त्रिलोकप्रज्ञप्ति

इसके सिवाय, हरिवंशपुराण तथा त्रिलोकप्रज्ञप्तिमें महावीरके पश्चात् एक हजार वर्षके भीतर होनेवाले राज्योंके समयकी जो गणना की गई है उसमें साफ़ तौर पर कल्किराज्यके ४२ वर्ष शामिल किये गये हैं ‡ । ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि त्रिलोकसारकी उक्त गाथामें शक और कल्कीका जो समय दिया है वह अलग अलग उनके राज्य-कालकी समाप्तिका सूचक है । और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि शक राजाका राज्यकाल वीर-निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रारम्भ हुआ और उसकी—उसके कतिपय वर्षात्मक स्थितिकालकी—समाप्तिके बाद ३६४ वर्ष ७ महीने और बीतने पर कल्किराज्यारम्भ हुआ । ऐसा कहने पर कल्किराज्य अस्तित्वसमय वीर-निर्वाणसे एक हजार वर्षके भीतर न रहकर ११०० वर्षके करीब हो जाता है और उससे एक हजारकी नियत संख्यामें तथा दूसरे प्राचीन ग्रन्थोंके कथनमें भी बाधा आती है और एक प्रकारसे सारी ही कालगणना बिगड़ जाती है ❁ । इसी तरह यह भी स्पष्ट है कि

‡ श्रीयुत के० पी० जायसवाल वैरिष्ठर पटनाने, जुलाई सन् १९१७ की 'इण्डियन एण्टिक्वेरी' में प्रकाशित अपने एक लेखमें, हरिवंशपुराणके 'त्रिचत्वारिंशदेवातः कल्किराजस्य राजता' वाक्यके सामने मौजूद होते हुए भी, जो यह लिख दिया है कि इस पुराणमें कल्किराज्यके वर्ष नहीं दिये, यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है । आपका इस पुराणके आधार पर गुप्तराज्य और कल्किराज्यके बीच ४२ वर्षका अन्तर बतलाना और कल्किके अस्तकालको उसका उदयकाल (Rise of Kalki) सूचित कर देना बहुत बड़ी गलती तथा भूल है ।

❁ हाँ, शक-सम्बन्ध यदि वास्तवमें शकराजाके राज्यारम्भसे ही प्रारम्भ हुआ हो तो यह कहा जा सकता है कि त्रिलोकसारकी उक्त गाथामें शकके ३६४ वर्ष ७ महीने बाद जो कल्कीका होना लिखा है उसमें शक और कल्की दोनों राजाओंका राज्यकाल शामिल है । परन्तु इस कथनमें यह विपमता बनी ही रहेगी कि अमुक अमुक वर्षसंख्याके बाद 'शकराजा हुआ' तथा 'कल्किराजा हुआ' इन दो सहस्र वाक्योंमेंसे एकमें तो राज्यकालको शामिल नहीं किया और दूसरेमें वह शामिल कर लिया गया है, जो कथन-वृद्धतिके विरुद्ध है ।

हरिवंशपुराण और त्रिलोकप्रज्ञसिंहे उक्त शक-काल-सूचक पद्योंमें जो क्रमशः 'अभवत्' और 'संजादो' (संजातः) पदोंका प्रयोग किया गया है उनका 'हुआ'—शकराजा हुआ—अर्थ शकराजाके अस्तित्वकालकी समाप्तिका सूचक है, आरम्भसूचक अथवा शकराजाकी शरीरोत्पत्ति या उसके जन्मका सूचक नहीं । और त्रिलोकसारकी गाथामें इन्हीं जैसा कोई क्रियापद अध्याहृत (understood) है ।

यहाँ पर एक उदाहरण-द्वारा मैं इस विषयको और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । कहा जाता है और आम तौर पर लिखनेमें भी आता है कि भगवान् पार्श्वनाथसे भगवान् महावीर ढाई सौ (२५०) वर्षके बाद हुए । परन्तु इस ढाई सौ वर्ष बाद होनेका क्या अर्थ ? क्या पार्श्वनाथके जन्मसे महावीरका जन्म ढाई सौ वर्ष बाद हुआ ? या पार्श्वनाथके निर्वाणसे महावीरका जन्म ढाई सौ वर्ष बाद हुआ ? अथवा पार्श्वनाथके निर्वाणसे महावीरको केवलज्ञान ढाई सौ वर्ष बाद उत्पन्न हुआ ? तीनोंमेंसे एक भी बात सत्य नहीं है । तब सत्य क्या है ? इसका उत्तर श्रीगुणभद्राचार्यके निम्न वाक्यमें मिलता है:—

पार्वेश-तीर्थ-सन्ताने पंचाशद्द्विशताब्दके ।

तदभ्यन्तरवर्त्यायुर्महावीरोऽत्र जातवान् ॥२७६॥

—महापुराण, ७४वाँ पर्व

इसमें बतलाया गया है कि 'श्रीपार्श्वनाथ तीर्थकरसे ढाई सौ वर्षके बाद, इसी समय के भीतर अपनी आयुको लिये हुए, महावीर भगवान् हुए' अर्थात् पार्श्वनाथके निर्वाणसे महावीरका निर्वाण ढाई सौ वर्षके बाद हुआ । इस वाक्यमें 'तदभ्यन्तरवर्त्यायुः' (इसी समयके भीतर अपनी आयुको लिये हुए) यह पद महावीरका विशेषण है । इस विशेषण-पदके निकाल देनेसे इस वाक्यकी जैसी स्थिति रहती है और जिस स्थितिमें आम तौर पर महावीरके समयका उल्लेख किया जाता है ठीक वही स्थिति त्रिलोकसारकी उक्त गाथा तथा हरिवंशपुराणादिकके उन शककालसूचक पद्यों की है । उनमें शक राजाके विशेषण रूपसे 'तदभ्यन्तरवर्त्यायुः' इस आशयका पद अध्याहृत है, जिसे अर्थका स्पष्टीकरण करते हुए ऊपरसे लगाना चाहिये । बहुत सी कालगणनाका यह विशेषण-पद अध्याहृत-रूपमें ही प्राण जान पड़ता है । और इसलिये जहाँ कोई बात

स्पष्टतया अथवा प्रकरणसे इसके विरुद्ध न हो वहाँ ऐसे अवसरों पर इस पदका आशय जरूर लिया जाना चाहिये । अस्तु ।

जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने पर शक-राजाके राज्यकालकी समाप्ति हुई और यह काल ही शकसम्बत्की प्रवृत्तिका काल है—जैसा कि ऊपर जाहिर किया जा चुका है—तब यह स्वतः मानना पड़ता है कि विक्रमराजाका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष ५ महीनेके अनन्तर समाप्त हो गया था और यही विक्रमसम्बत्की प्रवृत्तिका काल है—तभी दोनों सम्बतोंमें १३५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर बनता है । और इसलिये विक्रमसम्बत्को भी विक्रमके जन्म या राज्यारोहणका संवत् न कहकर, वीरनिर्वाण या बुद्धनिर्वाण-संवत्वादिककी तरह, उसकी स्मृति या यादगारमें कायम किया हुआ मृत्यु-संवत् कहना चाहिये । विक्रमसंवत् विक्रमकी मृत्युका संवत् है, यह बात कुछ दूसरे प्राचीन प्रमाणोंसे भी जानी जाती है, जिसका एक नमूना श्रीअमितगति आचार्यका यह वाक्य है:—

समारूढे पूतत्रिदशवसतिं विक्रमनृपे

सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशदधिके ।

समाप्तं पंचम्यामवति धरिणीं मुञ्जनृतौ

सिते पक्षे पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमनघम् ॥

इसमें, 'सुभाषितरत्नसदोह' नामक ग्रन्थको समाप्त करते हुए, स्पष्ट लिखा है कि विक्रमराजाके स्वर्गारोहणके बाद जब १०५०वाँ वर्ष (संवत्) बीत रहा था और राजा मुंज पृथ्वीका पालन कर रहा था उस समय पौष शुक्ला पंचमीके दिन यह पवित्र तथैव हितकारी शास्त्र समाप्त किया गया है । इन्हीं अमितगति आचार्यने अपने दूसरे ग्रन्थ 'धर्मपरीक्षा'की समाप्तिका समय इस प्रकार दिया है:—

संवत्सराणां विगते सहस्रे ससप्ततौ विक्रमपार्थिवस्य ।

इदं निषिद्धान्यमतं समाप्तं जेनेन्द्रधर्मामृतयुक्तिशास्त्रम् ॥

इस पद्यमें, यद्यपि, विक्रमसंवत् १०७० के विगत होने पर ग्रंथकी समाप्तिका उल्लेख है और उसे स्वर्गारोहण अथवा मृत्युका संवत् ऐसा कुछ नाम नहीं दिया; फिर भी इस पद्यको पहले पद्यकी रोशनीमें पढ़नेसे इस विषयमें कोई सन्देह नहीं रहता कि अमितगति आचार्यने प्रचलित विक्रमसंवत्का ही अपने

ग्रन्थोंमें प्रयोग किया है और वह उस वक्त विक्रमकी मृत्युका संवत् माना जाता था। संवत्के साथमें विक्रमकी मृत्युका उल्लेख किया जाना अथवा न किया जाना एक ही बात थी—उससे कोई भेद नहीं पड़ता था—इसीलिये इस पद्यमें उसका उल्लेख नहीं किया गया। पहले पद्यमें मुञ्जके राज्यकालका उल्लेख इस विषयका और भी खास तौरसे समर्थक है; क्योंकि इतिहाससे प्रचलित वि० संवत् १०५० में मुञ्जका राज्यासीन होना पाया जाता है। और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि अमृतगतिने प्रचलित विक्रमसंवत्से भिन्न किसी दूसरे ही विक्रमसंवत्का उल्लेख अपने उक्त पद्योंमें किया है। ऐसा कहने पर मृत्युसंवत् १०५० के समय जन्मसंवत् ११३० अथवा राज्यसंवत् १११२ का प्रचलित होना ठहरता है और उस वक्त तक मुञ्जके जीवित रहनेका कोई प्रमाण इतिहासमें नहीं मिलता। मुञ्जके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सं० १११२ से पूर्व ही देहावसान होना पाया जाता है।

अमृतगति आचार्यके समयमें, जिसे आज साढ़े नौ सौ वर्षके करीब हो गये हैं, विक्रमसंवत् विक्रमकी मृत्युका संवत् माना जाता था यह बात उनसे कुछ समय पहलेके बने हुए देवसेनाचार्यके ग्रन्थोंसे भी प्रमाणित होती है। देवसेना-चार्यने अपना 'दर्शनसार' ग्रन्थ विक्रमसंवत् ६६० में बनाकर समाप्त किया है। इसमें कितने ही स्थानों पर विक्रमसंवत्का उल्लेख करते हुए उसे विक्रमकी मृत्युका संवत् सूचित किया है; जैसा कि इसकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है:—

छत्तीसे वरिससये विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

सोरठ्ठे वलहीए उप्पण्णो सेवडो संघो ॥ ११ ॥

पंचसए छव्वीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २८ ॥

सत्तसए तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ।

णंदियडे वरगामे कट्ठो संघो मुण्येव्वो ॥ ३८ ॥

विक्रमसंवत्के उल्लेखको लिये हुए जितने ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध हुए हैं उनमें, जहाँ तक मुझे मालूम है, सबसे प्राचीन ग्रन्थ यही है। इससे पहले धनपालकी 'पाइअलच्छी नाममाला' (वि० सं० १०१६) और उससे भी पहले अमृतगति का 'सुभाषितरत्नसंदोह' ग्रन्थ पुरातत्त्वज्ञों-द्वारा प्राचीन माना जाता था।

हाँ, शिलालेखोंमें एक शिलालेख इससे भी पहिले विक्रमसंवत्के उल्लेखको लिये हुए है और वह चाहमान चण्ड महासेनका शिलालेख है, जो धौलपुरसे मिला है और जिसमें उसके लिखे जानेका संवत् ८६८ दिया है; जैसा कि उसके निम्न अंशसे प्रकट है:—

“वसु नव अष्टौ वर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य ।”

यह अंश विक्रमसंवत्को विक्रमकी मृत्युका संवत् बतलानेमें कोई बाधक नहीं है और न ‘पाइअलच्छी नाममाला’ का ‘विक्रम कालस्स गए अउणत्ती [एणवी] सुत्तरे सहस्सम्मि’ अंश ही इसमें कोई बाधक प्रतीत होता है। बल्कि ये दोनों ही अंश एक प्रकारसे साधक जान पड़ते हैं; क्योंकि इनमें जिस विक्रमकालके बीतनेकी बात कही गई है और उसके बादके बीते हुए वर्षोंकी गणना की गई है वह विक्रमका अस्तित्वकाल—उसकी मृत्युपर्यन्तका समय—ही जान पड़ता है। उसीका मृत्युके बाद बीतना प्रारम्भ हुआ है। इसके सिवाय, दर्शनसारमें एक यह भी उल्लेख मिलता है कि उसकी गाथाएँ पूर्वाचार्योंकी रची हुई हैं और उन्हें एकत्र संचय करके ही यह ग्रंथ बनाया गया है। यथा:—

पुव्वायरियकयाइं गाहाइं संचिऊण एयस्थ ।

सिरिदेवसेणगणिणा धाराए संवसंतेण ॥४६॥

रइओ दंसणसारो हारो भव्वाण एवसए एवए ।

सिरिपासणाहगेहे सुविसुद्धे माहसुद्धसमीए ॥५०॥

इससे उक्त गाथाओंके और भी अधिक प्राचीन होनेकी संभावना है और उनकी प्राचीनतासे विक्रमसंवत्को विक्रमकी मृत्युका संवत् माननेकी बात और भी ज्यादा प्राचीन हो जाती है। विक्रमसंवत्की यह मान्यता अमितगतिके बाद भी असें तक चली गई मालूम होती है। इसीसे १५ वीं-१६ वीं शताब्दी तथा उसके करीबके बने हुए ग्रन्थोंमें भी उसका उल्लेख पाया जाता है, जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं:—

मृते विक्रमभूपाले सप्तविंशतिसंयुते ।

दशपंचशतेऽब्दानामतीते शृणुतापरम् ॥१५७॥

लुङ्कामतमभूदेकं.....॥१५८॥

—रत्ननन्दिकृतभद्रबाहुचरित्र

सषट्त्रिंशे शतेऽब्दानां मृते विक्रमराजनि ।

सौराष्ट्रे वल्लभीपुर्यामभूत्कथ्यते मया ॥१८८॥

—वामदेवकृत, भावसंग्रह

इस संपूर्ण विवेचन परसे यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि प्रचलित विक्रमसंवत् विक्रमकी मृत्युका संवत् है, जो वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष ५ महीनेके बाद प्रारम्भ होता है । और इस लिये वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो बात कही जाती है और उसके आधार पर प्रचलित वीरनिर्वाणसंवत् पर आपत्ति की जाती है वह ठीक नहीं है । और न यह बात ही ठीक बैठती है कि इस विक्रमने १८ वर्षकी अवस्थामें राज्य प्राप्त करके उसी वक्तसे अपना संवत् प्रचलित किया है । ऐसा माननेके लिये इतिहासमें कोई भी समर्थ कारण नहीं है । हो सकता है कि यह एक विक्रमकी बातको दूसरे विक्रमके साथ जोड़ देनेका ही नतीजा हो ।

इसके सिवाय, नन्दिसंघकी एक पट्टावलीमें—विक्रम प्रबन्धमें भी—जो यह वाक्य दिया है कि—

“सत्तरिचदुसदजुत्तो जिणकाला विक्रमो हवइ जम्मो ।”

अर्थात्—“जिनकालसे (महावीरके निर्वाणसे) * विक्रमजन्म ४७० वर्षके अन्तरको लिये हुए है” । और दूसरी पट्टावलीमें जो आचार्योंके समयकी गणना विक्रमके राज्यारोहण-कालसे—उक्त जन्मकालमें १८ की वृद्धि करके—की गई है वह सब उक्त शककालको और उसके आधार पर बने हुए विक्रमकालको ठीक न समझनेका परिणाम है, अथवा यों कहिये कि पादर्वनाथके निर्वाणसे ढाईसौ वर्ष बाद महावीरका जन्म या केवलज्ञानको प्राप्त होना मान लेने जैसी गलती है ।

ऐसी हालतमें कुछ जैन, अजैन तथा पश्चिमीय और पूर्वीय विद्वानोंने पट्टावलियोंको लेकर जो प्रचलित वीर-निर्वाण सम्वत् पर यह आपत्ति की है कि ‘उसकी’ वर्षसंख्यामें १८ वर्षकी कमी है जिसे पूरा किया जाना चाहिये’

* विक्रमजन्मका आशय यदि विक्रमकाल अथवा विक्रमसम्वत्की उत्पत्तिसे लिया जाय तो यह कथन ठीक हो सकता है । क्योंकि विक्रमसम्वत्की उत्पत्ति विक्रमकी मृत्युके बाद हुई पाई जाती है ।

वह समीचीन मालूम नहीं होती, और इसलिये मान्य किये जानेके योग्य नहीं । उसके अनुसार वीरनिर्वाणसे ४८८ वर्ष बाद विक्रमसम्बत्का प्रचलित होना माननेसे विक्रम और शक सम्बत्तोंके बीच जो १३५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर है वह भी बिगड़ जाता है—सदोष ठहरता है—अथवा शककाल पर भी आपत्ति लाजिमी आती है जो हमारा इस कालगणनाका मूलाधार है, जिस पर कोई आपत्ति नहीं की गई और न यह सिद्ध किया गया कि शकराजाने भी वीर-निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद जन्म लेकर १८ वर्षकी अवस्थामें राज्याभिषेकके समय अपना सम्बत् प्रचलित किया है । प्रत्युत इसके, यह बात ऊपरके प्रमाणोंसे भले प्रकार सिद्ध है कि यह समय शकसम्बत्की प्रवृत्तिका समय है—चाहे वह सम्बत् शकराजाके राज्यकालकी समाप्ति पर प्रवृत्त हुआ हो या राज्यारम्भके समय—शकके शरीरजन्मका समय नहीं है । साथ ही, श्वेताम्बर भाइयोंने जो वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना है † और जिसकी वजहसे प्रचलित वीरनिर्वाणसम्बत्में १८ वर्षके बढ़ानेकी भी कोई जरूरत नहीं रहती उसे क्यों ठीक न मान लिया जाय, इसका कोई समाधान नहीं होता । इसके सिवाय, जाल्चापैटियरकी यह आपत्ति बराबर बनी ही रहती है कि वीरनिर्वाणसे ४७० वर्षके बाद जिस विक्रमराजाका होना बतलाया जाता है उसका इतिहासमें कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है॥ परन्तु विक्रम संवत् को विक्रमकी मृत्युका सम्बत् मान लेने पर यह आपत्ति कायम नहीं रहती; क्योंकि जाल्चापैटियरने वीरनिर्वाणसे ४१० वर्षके बाद विक्रमराजाका

† यथा—विक्रमरज्जारम्भा प(पु?) रओ सिरिवीरनिव्वुई भणिया ।

सुन्न-मुणि-वेय-जुत्तो विक्रमकालाउ जिणकालो । —विचारश्रेणि

॥ इस पर बैरिष्टर के. पी. जायसवालने जो यह कल्पना की है कि सातर्णि द्वितीयका पुत्र 'पुलमायि' ही जैनियोंका विक्रम है—जैनियोंने उसके दूसरे नाम 'विलवय' को लेकर और यह समझकर कि इसमें 'क्र' को 'ल' हो गया है उसे 'विक्रम' बना डाला है—वह कोरी कल्पना ही कल्पना जान पड़ती है । कहींसे भी इसका समर्थन नहीं होता । (बैरिष्टर सा० की इस कल्पनाके लिये देखो, जैनसाहित्यसंशोधकके प्रथम खंडका चौथा अंक) ।

राज्यारंभ होना इतिहाससे सिद्ध माना है ❀ । और यही समय उसके राज्या-
रम्भका मृत्युसम्बत् माननेसे आता है; क्योंकि उसका राज्यकाल ६० वर्ष तक
रहा है । मालूम होता है जार्लचार्पेटियरके सामने विक्रमसम्बत्के विषयमें
विक्रमकी मृत्युका सम्बत् होनेकी कल्पना ही उपस्थित नहीं हुई और इसीलिये
आपने वीरनिर्वाणसे ४१० वर्षके बाद ही विक्रम सम्बत्का प्रचलित होना मान
लिया है और इस भूल तथा गलतीके आधार पर ही प्रचलित वीरनिर्वाण
सम्बत् पर यह आपत्ति कर डाली है कि उसमें ६० वर्ष बढ़े हुए हैं । इसलिये
उसे ६० वर्ष पीछे हटाना चाहिये—अर्थात् इस समय जो २४६० सम्बत्
प्रचलित है उसमें ६० वर्ष घटाकर उसे २४०० बनाना चाहिये । अतः आपकी
यह आपत्ति भी निःसार है और वह किसी तरह भी मान्य किये जानेके योग्य नहीं ।

अब मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि जार्ल चार्पेटियरने, विक्रमसम्बत्को
विक्रमकी मृत्युका सम्बत् न समझते हुए और यह जानते हुए भी कि श्वेताम्बर
भाइयोंने वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्यारम्भ माना है, वीर-
निर्वाणसे ४१० वर्ष बाद जो विक्रमका राज्यारम्भ होना बतलाया है वह केवल
उनकी निजी कल्पना अथवा खोज है या कोई शास्त्राधार भी उन्हें इसके किये
प्राप्त हुआ है । शास्त्राधार जरूर मिला है और उससे उन श्वेताम्बर विद्वानोंकी
गलतीका भी पता चल जाता है जिन्होंने जिनकाल और विक्रमकालके ४७०
वर्षके अन्तरकी गणना विक्रमके राज्याभिषेकसे की है और इस तरह विक्रम-
सम्बत्को विक्रमके राज्यारोहणका ही सम्बत् बतला दिया है । इस विषयका
खुलासा इस प्रकार है:—

श्वेताम्बराचार्य श्रीमेरुगुप्ते, अपनी 'विचारश्रेणि' में—जिसे 'स्थविरावली'
भी कहते हैं, 'जं रयणिं कालगओ' आदि कुछ प्राकृत गाथाओंके आधार पर
यह प्रतिपादन किया है कि—“जिस रात्रिको भगवान् महावीर पावापुरमें

❀ देखो, जार्लचार्पेटियरका वह प्रसिद्ध लेख जो इण्डियन एण्टिकरी
(जिल्द ४३ वीं, सन् १९१४) की जून, जुलाई और अगस्तकी संख्याओंमें
प्रकाशित हुआ है और जिसका गुजराती अनुवाद 'जैनसाहित्यसंशोधकके दूसरे
खंडके द्वितीय अंकमें निकला है ।

निर्वाणको प्राप्त हुए उसी रात्रिको उज्जयिनीमें चंडप्रद्योतका पुत्र 'पालक' राजा राज्याभिषिक्त हुआ, इसका राज्य ६० वर्ष तक रहा, इसके बाद क्रमशः नन्दोंका राज्य १५५ वर्ष, मौर्योंका १०८, पुण्ड्रमित्रका ३०, बलमित्र-भानुमित्रका ६०, नभोवाहन (नरवाहन) का ४०, गर्दभिल्लका १३ और शकका ४ वर्ष राज्य रहा। इस तरह यह काल ४७० वर्षका हुआ। इसके बाद गर्दभिल्लके पुत्र विक्रमादित्यका राज्य ६० वर्ष, धर्मादित्यका ४०, भाइल्लका ११, नाइल्लका १४ और नाहडका १० वर्ष मिलकर १३५ वर्षका दूसरा काल हुआ। और दोनों मिलकर ६०५ वर्ष का समय महावीरके निर्वाण बाद हुआ। इसके बाद शकोंका राज्य और शकसम्बत्की प्रवृत्ति हुई, ऐसा बतलाया है। यही वह परम्परा और कालगणना है जो श्वेताम्बरोंमें प्रायः करके मानी जाती है।

परन्तु श्वेताम्बर-सम्प्रदायके बहुमान्य प्रसिद्ध विद्वान् श्रीहेमचन्द्राचार्यके 'परिशिष्टपर्व' से यह मालूम होता है कि उज्जयिनीके राजा पालकका जो समय (६० वर्ष) ऊपर दिया है उसी समय मगधके सिंहासन पर श्रेणिकके पुत्र कूरणिक (अजातशत्रु) और कूरणिकके पुत्र उदायीका क्रमशः राज्य रहा है। उदायीके निःसन्तान मारे जाने पर उसका राज्य नन्दको मिला। इसीसे परिशिष्टपर्वमें श्रीवर्द्धमान महावीरके निर्वाणसे ६० वर्षके बाद प्रथम नन्दराजाका राज्याभिषिक्त होना लिखा है। यथा:—

अनन्तरं वर्द्धमानस्वामिनिर्वाणवासरात् ।

गतायां षष्ठिवत्सर्यामेष नन्दोऽभवन्नृपः ॥६-२४३॥

इसके बाद नन्दोंका वर्णन देकर, मौर्यवंशके प्रथम राजा सम्राट् चन्द्रगुप्तके राज्यारम्भका समय बतलाते हुए, श्रीहेमचन्द्राचार्यने जो महत्वका श्लोक दिया है वह इस प्रकार है:—

एवं च श्रीमहावीरमुक्तेर्वर्षशते गते ।

पंच पंचाशदधिके चन्द्रगुप्तोऽभवन्नृपः ॥८-३३६॥

इस श्लोक पर जालं चार्पेटियरने अपने निरायका खास आधार रक्खा है और डा० हर्मन जेकोबीके कथानुसार इसे महावीर-निर्वाणके सम्बन्धमें अधिक संगत परम्पराका सूचक बतलाया है। साथ ही, इसकी रचना परसे यह अनुमान किया है कि या तो यह श्लोक किसी अधिक प्राचीन ग्रन्थ परसे ज्योंका त्यों

उद्धृत किया गया है अथवा किसी प्राचीन गाथा परसे अनुवादित किया गया है । अस्तु; इस श्लोकमें बतलाया है कि 'महावीरके निर्वाणसे १५५ वर्ष बाद चंद्रगुप्त राज्यारूढ़ हुआ' । और यह समय इतिहासके बहुत ही अनुकूल जान पड़ता है । विचारश्रेणि की उक्त कालगणनामें १५५ वर्षका समय सिर्फ नन्दोंका और उससे पहले ६० वर्षका समय पालकका दिया है । उसके अनुसार चंद्रगुप्तका राज्यारोहण-काल वीरनिर्वाणसे २१५ वर्ष बाद होना था परन्तु यहां १५५ वर्ष बाद बतलाया है, जिससे ६० वर्ष की कमी पड़ती है । मेरुतुंगाचार्यने भी इस कमीको महसूस किया है । परन्तु वे हेमचन्द्राचार्यके इस कथनको गलत साबित नहीं कर सकते थे और दूसरे ग्रन्थोंके साथ उन्हें साफ विरोध नजर आता था, इसलिये उन्होंने 'तच्चिन्त्यम्' कहकर ही इस विषयको छोड़ दिया है । परन्तु मामला बहुत कुछ स्पष्ट जान पड़ता है । हेमचन्द्रने ६० वर्ष की यह कमी नन्दोंके राज्यकालमें की है—उनका राज्यकाल १५५ वर्षका बतलाया है—क्योंकि नन्दोंसे पहिले उनके और वीरनिर्वाणके बीचमें ६० वर्षका समय कृणिक आदि राजाओंका उन्होंने माना ही है । ऐसा मालूम होता है कि पहलेसे वीरनिर्वाणके बाद १५५ वर्षके भीतर नन्दोंका होना माना जाता था परन्तु उसका यह अभिप्राय नहीं था कि वीरनिर्वाणके ठीक बाद नन्दोंका राज्य प्रारम्भ हुआ, बल्कि उनसे पहिले उदायी तथा कृणिकका राज्य भी उसमें शामिल था । परन्तु इन राज्योंकी अलग अलग वर्ष-गणना साथमें न रहने आदिके कारण बादको गलतीसे १५५ वर्षकी संख्या अकेले नन्दराज्यके लिये रूढ़ हो गई । और उधर पालक राजाके उसी निर्वाण-रात्रिको अभिषिक्त होनेकी जो महज एक दूसरे राज्यकी विशिष्ट घटना थी उसके साथमें राज्यकालके ६० वर्ष जुड़कर वह गलती इधर मगधकी काल गणनामें शामिल हो गई । इस तरह दो भूलोंके कारण काल-गणनामें ६० वर्षकी वृद्धि हुई और उसके फलस्वरूप वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना जाने लगा । हेमचन्द्राचार्यने इन भूलोंको मालूम किया और उनका उक्त प्रकारसे दो श्लोकोंमें ही सुधार कर दिया है । बैरिष्ठर काशीप्रसाद (के. पी.) जी जायसवालने, जालं चार्षेयिटरके लेखका विरोध करते हुए, हेमचन्द्राचार्य पर जो यह आपत्ति की है कि उन्होंने महावीरके निर्वाणके बाद तुरन्त ही नन्दवंशका राज्य बतला दिया है, और इस कल्पित

आधार पर उनके कथनको 'भूलभरा तथा अप्रामाणिक' तक कह डाला है ॥ उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है । हमें तो वैरिष्टर साहबकी ही साफ़ भूल नज़र आती है । मालूम होता है उन्होंने न तो हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वको ही देखा है और न उसके छठे पर्वके उक्त श्लोक नं० २४३ के अर्थ पर ही ध्यान दिया है, जिसमें साफ़ तौर पर वीरनिर्वाणसे ६० वर्षके बाद नन्द राजाका होना लिखा है । अस्तु; चन्द्रगुप्तके राज्यारोहण समयकी १५५ वर्षसंख्यामें आगेके २५५ वर्ष जोड़नेसे ४१० हो जाते हैं, और यही वीरनिर्वाणसे विक्रमका राज्यारोहणकाल है । परन्तु महावीरकाल और विक्रमकालमें ४७० वर्षका प्रसिद्ध अन्तर माना है और वह तभी बन सकता है जब कि इस राज्यारोहणकाल ४१० में राज्यकालके ६० वर्ष भी शामिल किये जावें । ऐसा किया जाने पर विक्रमसम्बत् विक्रमकी मृत्युका सम्बत् हो जाता है और फिर सारा ही भगड़ा मिट जाता है । वास्तवमें, विक्रमसम्बत्को विक्रमके राज्याभिषेकका सम्बत् मान लेनेकी गलतीसे यह सारी गड़बड़ फैली है । यदि वह मृत्युका सम्बत् माना जाता तो पालकके ६० वर्षोंको भी इधर शामिल होनेका अवसर न मिलता और यदि कोई शामिल भी कर लेता तो उसकी भूल शीघ्र ही पकड़ ली जाती । परन्तु राज्याभिषेकके सम्बत्की मान्यताने उस भूलको चिरकाल तक बना रहने दिया । उसीका यह नतीजा है जो बहुतसे ग्रन्थोंमें राज्याभिषेक-संवत्के रूपमें ही विक्रम-संवत्का उल्लेख पाया जाता है और कालगणनामें कितनी ही गड़बड़ उपस्थित हो गई है, जिसे अब अच्छे परिश्रम तथा प्रयत्नके साथ दूर करनेकी ज़रूरत है ।

इसी गलती तथा गड़बड़को लेकर और शककालविषयक त्रिलोकसारादिकके वाक्योंका परिचय न पाकर श्रीयुत एस वी. वेंकटेश्वरने, अपने महावीर-समय-सम्बन्धी—The date of Vardhamana नामक—लेख में यह कल्पना

॥ देखो, विहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीके जनरलका सितम्बर सन् १९१५ का अंक तथा जैनसाहित्यसंशोधकके प्रथम खंडका ४ था अंक ।

† यह लेख सन् १९१७ के 'जनरल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी-में पृ० १२२-३० पर, प्रकाशित हुआ है और इसका गुजराती अनुवाद जैनसाहित्य-संशोधकके द्वितीय खंडके दूसरे अङ्कमें निकला है ।

की है कि महावीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद जिस विक्रमकालका उल्लेख जैन-ग्रन्थोंमें पाया जाता है वह प्रचलित सनन्द-विक्रमसंवत् न होकर अनन्द-विक्रम-संवत् होना चाहिये, जिसका उपयोग १२ वीं शताब्दीके प्रसिद्ध कवि चन्दवरदाई ने अपने काव्यमें किया है और जिसका प्रारम्भ ईसवी सन् ३३ के लगभग अथवा यों कहिये कि पहले (प्रचलित) विक्रम संवत्के ६० या ६१ वर्ष बाद हुआ है । और इस तरह पर यह सुझाया है कि प्रचलित वीरनिर्वाणसंवत्मेंसे ६० वर्ष कम होने चाहिये—अर्थात् महावीरका निर्वाण ईसवी सन्से ५२७ वर्ष पहले न मानकर ४३७ वर्ष पहले मानना चाहिये, जो किसी तरह भी मान्य किये जानेके योग्य नहीं । आपने यह तो स्वीकार किया है कि प्रचलित विक्रमसंवत्की गणना-नुसार वीरनिर्वाण ई० सन्से ५२७ वर्ष पहले ही बैठता है परन्तु इसे महज इस बुनियाद पर असंभवित करार दे दिया है कि इससे महावीरका निर्वाण बुद्ध-निर्वाणसे पहले ठहरता है, जो आपको इष्ट नहीं । परन्तु इस तरह पर उसे असंभवित करार नहीं दिया जा सकता; क्योंकि बुद्धनिर्वाण ई० सन्से ५४४ वर्ष पहले भी माना जाता है, जिसका आपने कोई निराकरण नहीं किया । और इसलिये बुद्धका निर्वाण महावीरके निर्वाणसे पहले होने पर भी आपके इस कथनका मुख्य आधार आपकी यह मान्यता ही रह जाती है कि बुद्ध-निर्वाण ई० सन्से पूर्व ४८५ और ४५३के मध्यवर्ती किसी समयमें हुआ है, जिसके समर्थनमें आपने कोई भी सबल प्रमाण उपस्थित नहीं किया और इसलिये वह मान्य किये जानेके योग्य नहीं । इसके सिवाय, अनन्द-विक्रम-संवत्की जिस कल्पनाको आपने अपनाया है वह कल्पना ही निर्मूल है—अनन्दविक्रम नामका कोई संवत् कभी प्रचलित नहीं हुआ और न चन्दवरदाईके नामसे प्रसिद्ध होने वाले 'पृथ्वीराजरासे' में ही उसका उल्लेख है—और इस बातको जाननेके लिये रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझाका 'अनन्द-विक्रम संवत्की कल्पना' नामका वह लेख पर्याप्त है जो नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके प्रथम भागमें, पृ० ३७७ से ४५४ तक मुद्रित हुआ है ।

अब मैं एक बात यहाँ पर और भी बतला देना चाहता हूँ और वह यह कि बुद्धदेव भगवान् महावीरके समकालीन थे । कुछ विद्वानोंने बौद्धग्रंथ मज्झिमनिकाय

के उपालिमुत्त और सामगाममुत्तकी* संयुक्त घटनाको लेकर, जो बहुत कुछ अप्राकृतिक द्वेषमूलक एवं कल्पित जान पड़ती है और महावीर भगवान् के साथ जिसका संबंध ठीक नहीं बैठता, यह प्रतिपादन किया है कि महावीरका निर्वाण बुद्धके निर्वाणसे पहले हुआ है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी मालूम नहीं होती। खुद बौद्धग्रन्थोंमें बुद्धका निर्वाण अजातशत्रु (कूरिक) के राज्याभिषेकके आठवें वर्षमें बतलाया है; और दीघनिकायमें, तत्कालीन तीर्थंकरोंकी मुलाकातके अवसर पर, अजातशत्रुके मंत्रीके मुखसे निगंठ नातपुत्त (महावीर) का जो परिचय दिलाया है उसमें महावीरका एक विशेषण “अद्धगतो वयो” (अर्धगतवयाः) भी दिया है, जिससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि अजातशत्रुको दिये जाने वाले इस परिचयके समय महावीर अर्धेड उम्रके थे अर्थात् उनकी अवस्था ५० वर्षके लग-भग थी। यह परिचय यदि अजातशत्रुके राज्यके प्रथम वर्षमें ही दिया गया हो, जिसकी अधिक संभावना है, तो कहना होगा कि महावीर अजातशत्रुके राज्यके २२ वें वर्ष तक जीवित रहे हैं; क्योंकि उनकी आयु प्रायः ७२ वर्ष की थी। और इसलिये महावीरका निर्वाण बुद्धनिर्वाणसे लगभग १४ वर्षके बाद हुआ है। ‘भगवतीसूत्र’ आदि श्वेताम्बर ग्रन्थोंसे भी ऐसा मालूम होता है कि महावीर-निर्वाणसे १६ वर्ष पहले गोशालक (मंखलिपुत्त गोशाल) का स्वर्गवास हुआ, गोशालकके स्वर्गवाससे कुछ वर्ष पूर्व (प्रायः ७ वर्ष पहले) अजातशत्रुका राज्या-रोहण हुआ, उसके राज्यके आठवें वर्षमें बुद्ध का निर्वाण हुआ और बुद्धके निर्वाण-से कोई १४-१५ वर्ष बाद अथवा अजातशत्रुके राज्यके २२ वें वर्षमें महावीरका निर्वाण हुआ। इस तरह बुद्धका निर्वाण पहले और महावीरका निर्वाण उसके बाद पाया जाता है †। इसके सिवाय, हेमचन्द्राचार्यने चंद्रगुप्तका राज्यारोहण-समय वीरनिर्वाणसे १५५ वर्ष बाद बतलाया है और ‘दीपवंश’ ‘महावंश’ नामके

* इन सूत्रोंके हिन्दी अनुवादके लिये देखो, राहुल सांकृत्यायन-कृत ‘बुद्धचर्या’ पृष्ठ ४४५, ४८१।

† देखो, जार्ज चार्ल्स टियरका वह प्रसिद्ध लेख जिसका अनुवाद जैनसाहित्य-संशोधकके द्वितीय खंडके दूसरे अङ्कमें प्रकाशित हुआ है और जिसमें बौद्धग्रन्थकी उस घटना पर खासी आपत्ति की गई है।

बौद्ध ग्रन्थोंमें वही समय बुद्ध निर्वाणसे १६२ वर्ष बाद बतलाया गया है । इससे भी प्रकृत विषयका कितना ही समर्थन होता है और यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरनिर्वाणसे बुद्धनिर्वाण अधिक नहीं तो ७-८ वर्षके करीब पहले जरूर हुआ है ।

बहुत संभव है कि बौद्धोंके सामगामसुत्तमें वर्णित निगंठ नातपुत्त (महावीर) की मृत्यु तथा संघभेद-समाचार वाली घटना मक्खलिपुत्त गोशालकी मृत्युसे संबंध रखती हो और पिटक ग्रंथोंको लिपिबद्ध करते समय किसी भूल आदिके वश इस सूत्रमें मक्खलिपुत्तकी जगह नातपुत्तका नाम प्रविष्ट हो गया हो; क्योंकि मक्खलिपुत्तकी मृत्यु—जो कि बुद्धके छह प्रतिस्पर्धी तीर्थकरोंमेंसे एक था—बुद्धनिर्वाणसे प्रायः एक वर्ष पहले ही हुई है और बुद्धका निर्वाण भी उक्त मृत्युसमाचारसे प्रायः एक वर्ष बाद माना जाता है । दूसरे, जिस पावामें इस मृत्युका होना लिखा है वह पावा भी महावीरके निर्वाणक्षेत्र-वाली पावा नहीं है, बल्कि दूसरी ही पावा है जो बौद्ध पिटकानुसार गोरखपुरके जिलेमें स्थित कुशीनाराके पासका कोई ग्राम है । और तीसरे, कोई संघभेद भी महावीरके निर्वाणके अनन्तर नहीं हुआ, बल्कि गौशालककी मृत्यु जिस दशामें हुई है उससे उसके संघका विभाजित होना बहुत कुछ स्वाभाविक है । इससे भी उक्त मृत्यु-समाचार-वाली घटनाका महावीरके साथ कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता, जिसके आधार पर महावीर-निर्वाणको बुद्धनिर्वाणसे पहले बतलाया जाता है ।

बुद्धनिर्वाणके समय-सम्बन्धमें भी विद्वानोंका मतभेद है और वह महावीर-निर्वाणके समयसे भी अधिक विवादग्रस्त चल रहा है; परन्तु लंकामें जो बुद्ध-निर्वाणसम्बन्ध प्रचलित है वह सबसे अधिक मान्य किया जाता है—ब्रह्मा, श्याम और आसाममें भी वह माना जाता है । उसके अनुसार बुद्धनिर्वाण ई० सन्से ५४४ वर्ष पहले हुआ है । इससे भी महावीरनिर्वाण बुद्धनिर्वाणके बाद बैठता है; क्योंकि वीरनिर्वाणका समय शकसंवत्से ६०५ वर्ष (विक्रमसम्बत्से ४७० वर्ष) ५ महीने पहले होनेके कारण ईसवी सन्से प्रायः ५२८ वर्ष पूर्व पाया जाता है । इस ५२८ वर्ष पूर्वके समयमें यदि १८ वर्षकी वृद्धि करदी जाय तो वह ५४६ वर्ष पूर्व होजाता है—अर्थात् बुद्धनिर्वाणके उक्त लंकामान्य समयसे दो वर्ष पहले । अतः जिन विद्वानोंने महावीरके निर्वाणको बुद्धनिर्वाणसे पहले मान लेने की

वज्रहसे प्रचलित वीरनिर्वाणसम्बत्में १८ वर्षकी वृद्धिका विधान किया है वह भी इस हिसाबसे ठीक नहीं है ।

उपसंहार

यहाँ तकके इस सम्पूर्ण विवेचन परसे यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि आज कल जो वीरनिर्वाणसम्बत् २५६० प्रचलित है वही ठीक है—उसमें न तो बैरिष्ठर के० पी० जायसवाल जैसे विद्वानोंके कथनानुसार १८ वर्षकी वृद्धि की जानी चाहिए और न जालं चार्पेंटियर जैसे विद्वानोंकी धारणानुसार ६० वर्ष की अथवा एस० वी० वेंकटेश्वरकी सूचनानुसार ६० वर्षकी कमी ही की जानी उचित है । वह अपने स्वरूपमें यथार्थ है । हाँ, उसे गत सम्बत् समझना चाहिये—जैनकाल-गणनामें वीरनिर्वाणके गतवर्ष ही लिये जाते रहे हैं—ईसवी सन् आदिकी तरह वह वर्तमान सम्बत्का द्योतक नहीं है । क्योंकि गत कार्तिकी अमावस्याको शकसम्बत्के १८५४ वर्ष ७ महीने व्यतीत हुए थे और शकसम्बत् महावीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रवर्तित हुआ है, यह ऊपर बतलाया जा चुका है; इन दोनों संख्याओंके जोड़नेसे पूरे २४६० वर्ष होते हैं । इतने वर्ष महावीरनिर्वाणको हुए गत कार्तिकी अमावस्याको पूरे हो चुके हैं और गत कार्तिकशुक्ला प्रतिपदासे उसका २४६१ वाँ वर्ष चल रहा है । यही आधुनिक सम्बत्-लेखन पद्धतिके अनुसार वर्तमान वीरनिर्वाण सम्बत् है । और इसलिये इसके अनुसार महावीरको जन्म लिये हुए २५३१ वर्ष बीत चुके हैं और इस समय गत चैत्रशुक्ला त्रयोदशी (वि० सं० १९६० शक सं० १८५५) से, आपकी इस वर्षगांठका २५३२ वाँ वर्ष चल रहा है और जो समाप्तिके करीब है । इत्यलम् ।



वीरनिर्वाणसंवत्की समालोचनापर विचार

श्रीयुत् पंडित ए० शान्तिराजजी शास्त्री आस्थान विद्वान् मैसूर राज्यने 'भगवान् महावीरके निर्वाण-सम्बत्की समालोचना' शीर्षक एक लेख संस्कृत भाषा में लिखा है, जो हिन्दी जैनगजटके गत दीपमालिकाङ्क (वर्ष ४७ अंक १)-में प्रकाशित हुआ है और जिसका हिन्दी अनुवाद 'अनेकान्त' वर्ष ४ की किरण १० में प्रकाशित किया जा रहा है। जैनगजटके सहसम्पादक पं० सुमेरचन्दजी 'दिवाकर' और 'जैनसिद्धान्तभास्कर' के सम्पादक पं० के० भुजबली शास्त्री आदि कुछ विद्वान् मित्रोंका अनुरोध हुआ कि मुझे उक्त लेखपर अपना विचार जरूर प्रकट करना चाहिये। तदनुसार ही मैं यहाँ अपना विचार प्रकट करता हूँ।

इस लेखमें मूल विषयको छोड़कर दो बातें खास तौरपर आपत्तिके योग्य हैं—एकतो शास्त्रीजीने 'अनेकान्त' आदि दिगम्बर समाजके पत्रोंमें उल्लिखित की जाने वाली वीरनिर्वाण-सम्बत्की संख्याको मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका अनुसरण बतलाया है; दूसरे इन पंक्तियोंके लेखक तथा दूसरे दो संशोधक विद्वानों (प्रो० ए० एन० उपाध्याय और पं० नाथूरामजी 'प्रेमी') के ऊपर यह मिथ्या आरोप लगाया है कि इन्होंने बिना विचारे ही (गतानुगतिक रूपसे) श्वेताम्बर-सम्प्रदायी मार्गका अनुसरण किया है। इस विषयमें सबसे पहले मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूँ कि 'भगवान् महावीरके निर्वाणको आज कितने वर्ष व्यतीत हुए ?' यह एक शुद्ध ऐतिहासिक प्रश्न है—किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताके साथ इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसे साम्प्रदायिक मान्यताका रूप देना और इस तरह दिगम्बर समाजके हृदयमें अपने लेखका कुछ महत्त्व स्थापित करनेकी

चेष्टा करना ऐतिहासिक क्षेत्रमें कदम बढ़ानेवालोंके लिये अनुचित है। श्वेताम्बर समाजके भी कितने ही विद्वानोंने ऐतिहासिक दृष्टिसे ही इस प्रश्नपर विचार किया है, जिनमें मुनि कल्याणविजयजीका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है। इन्होंने 'वीर-निर्वाण-सम्बत् और जैन कालगणना' नामका एक गवेषणात्मक विस्तृत निबन्ध १८५ पृष्ठ का लिखा है, और उसमें कालगणनाकी कितनी ही भूलें प्रकट की गई हैं। यह निबन्ध 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के १०वें तथा ११वें भागमें प्रकाशित हुआ है। यदि यह प्रश्न केवल साम्प्रदायिक मान्यताका ही होता तो मुनिजीको इसके लिये इतना अधिक ऊहापोह तथा परिश्रम करनेकी जरूरत न पड़ती। अस्तु।

मुनि कल्याणविजयजीके उक्त निबन्धसे कोई एक वर्ष पहिले मैंने भी इस विषयपर 'भगवान् महावीर और उनका समय' शीर्षक एक निबन्ध लिखा था, जो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी संवत् १९८६ को होनेवाले महावीर-जयन्तीके उत्सवपर देहलीमें पढ़ा गया था और बादको प्रथमवर्षके 'अनेकान्त' की प्रथम किरणमें अग्रस्थान पर प्रकाशित किया गया था *। इस निबन्धमें प्रकृत विषयका कितना अधिक ऊहापोहके साथ विचार किया गया है, प्रचलित वीरनिर्वाण-संवत् पर होनेवाली दूसरे विद्वानोंकी आपत्तियोंका कहाँ तक निरसन कर गुत्थियोंको सुलझाया गया है, और साहित्यकी कुछ पुरानी गड़बड़ अर्थ समझनेकी गलती अथवा कालगणनाकी कुछ भूलोंको कितना स्पष्ट करके बतलाया गया है, ये सब बातें उन पाठकोंसे छिगी नहीं हैं जिन्होंने इस निबन्धको गौरके साथ पढ़ा है। इसीसे 'अनेकान्त' में प्रकाशित होते ही अच्छे-अच्छे जैन-अजैन विद्वानोंने 'अनेकान्त' पर दी जाने वाली अपनी सम्मितियोंमें† इस निबन्धका अभिनन्दन किया था और इसे महत्वपूर्ण, खोजपूर्ण, गवेषणापूर्ण, विज्ञातापूर्ण, बड़े मार्केका, अत्युत्तम, उपयोगी, आवश्यक और मननीय लेख प्रकट किया था। कितने ही

* सन् १९३४ में यह निबन्ध संशोधित तथा परिवर्धित होकर और धवल जयधवलके प्रमाणोंकी भी साथमें लेकर अलग पुस्तकाकार रूपसे छप चुका है।

† ये सम्मितियाँ 'अनेकान्तपर लोकमत' शीर्षकके नीचे 'अनेकान्त' के प्रथम-वर्षकी किरणोंमें प्रकाशित हुई हैं।

विद्वानोंने इसपरसे अपनी भूलको सुधार भी लिया था। मुनि कल्याणविजयजीने सूचित किया था—“आपके इस लेखकी विचार-सरणी भी ठीक है।” और पं० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा था—“आपका वीरनिर्वाण-संवत् वाला लेख बहुत ही महत्वका है और उससे अनेक उलझनें सुलभ गईं हैं।” इस निबन्धके निर्णयानुसार ही ‘अनेकान्त’ में ‘वीर-निर्वाण-संवत्’ का देना प्रारम्भ किया था, जो अब तक चालू है। इतने पर भी शास्त्रीजीका मेरे ऊपर यह आरोप लगाना कि मैंने ‘बिना विचार किये ही’ (गतानुगतिक रूपसे) दूसरोंके मार्गका अनुसरण किया है’ कितना अधिक अविचारित, अनभिज्ञतापूर्ण तथा आपत्तिके योग्य है और उसे उनका ‘अतिसाहस’ के सिवाय और क्या कहा जा सकता है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। आशा है शास्त्रीजीको अपनी भूल मालूम पड़ेगी और वे भविष्यमें इस प्रकारके निर्मूल आक्षेपोंसे बाज आएँगे।

अब मैं लेखके मूल विषयको लेता हूँ और उस पर इस समय सरसरी तौर पर अपना कुछ विचार व्यक्त करता हूँ। आवश्यकता होनेपर विशेष विचार फिर किसी समय किया जायगा।

शास्त्रीजीने त्रिलोकसारकी ‘पण-छस्तद-वस्सं पणमासजुदं’ नामकी प्रसिद्ध गाथाको उद्धृत करके प्रथम तो यह बतलाया है कि इस गाथामें उल्लिखित ‘शकराज’ शब्दका अर्थ कुछ विद्वान तो शालिवाहन राजा मानते हैं और दूसरे कुछ विद्वान विक्रमराजा। जो लोग विक्रमराजा अर्थ मानते हैं उनके हिसाबसे इस समय (गत दीपमालिकासे पहले) वीर निर्वाण संवत् २६०४ आता है, और जो लोग शालिवाहन राजा अर्थ मानते हैं उनके अर्थानुसार वह २४६६ बैठता है, परन्तु वे लिखते हैं २४६७; इस तरह उनकी गणनामें दो वर्षका अन्तर (व्यत्यास) तो फिर भी रह जाता है। साथ ही अपने लेखके समय प्रचलित विक्रम संवत्को १९९९ और शालिवाहनशकको १८६४ बतलाया है तथा दोनों

ॐ शास्त्रीजीका लेख गत दीपमालिका (२० अक्तूबर १९४१) से पहलेका लिखा हुआ है, अतः उनके लेखमें प्रयुक्त हुए ‘सम्प्रति’ (इस समय) शब्दका वाच्य गत दीपमालिकासे पूर्वका निर्वाणसंवत् है, वही यहाँपर तथा आगे भी ‘इस समय’ शब्दका वाच्य समझना चाहिये—न कि इस लेखके लिखनेका समय।

के अन्तरको १३६ वर्षका घोषित किया है। परन्तु शास्त्रीजीका यह लिखना ठीक नहीं है—न तो प्रचलित विक्रम तथा शक संवत्की वह संख्या ही ठीक है जो आपने उल्लेखित की है और न दोनों संवत्तोंमें १३६ वर्षका अन्तर ही पाया जाता है, बल्कि अन्तर १३५ वर्षका प्रसिद्ध है और वह आपके द्वारा उल्लिखित विक्रम तथा शक संवत्तोंकी संख्याओं (१६६६-१८६४=१३५) से भी ठीक जान पड़ता है। बाकी विक्रम संवत् १६६६ तथा शक संवत् १८६४ उस समय तो क्या अभी तक प्रचलित नहीं हुए हैं—काशी आदिके प्रसिद्ध पंचांगोंमें वे क्रमशः १६६८ तथा १८६३ ही निर्दिष्ट किये गये हैं। इस तरह एक वर्षका अन्तर तो यह सहज हीमें निकल आता है। और यदि इधर सुदूर दक्षिण देशमें इस समय विक्रम संवत् १६६६ तथा शक संवत् १८६४ ही प्रचलित हो, जिसका अपनेको ठीक हाल मालूम नहीं, तो उसे लेकर शास्त्रीजीको उत्तर भारतके विद्वानोंके निर्णयपर आपत्ति नहीं करनी चाहिये थी—उन्हें विचारके अवसरपर विक्रम तथा शक संवत्की वही संख्या ग्रहण करनी चाहिये थी जो उन विद्वानोंके निर्णयका आधार रही है और उस देशमें प्रचलित है जहां वे निवास करते हैं। ऐसा करने पर भी एक वर्षका अन्तर स्वतः निकल जाता। इसके विपरीत प्रवृत्ति करना विचार-नीतिके विरुद्ध है।

अब रही दूसरे वर्षके अन्तरकी बात, मैंने और कल्याणविजयजीने अपने अपने उक्त निबन्धोंमें प्रचलित निर्वाण संवत्के अंकसमूहको गत वर्षोंका वाचक बतलाया है—ईसवी सन् आदिकी तरह वर्तमान वर्ष का द्योतक नहीं बतलाया—और वह हिसाबसे महीनों की भी गणना साथमें करते हुए ठीक ही है। शास्त्रीजीने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ६०५ के साथमें शक संवत्की विवादापन्न संख्या १८६४ को जोड़कर वीरनिर्वाण-संवत्को २४६६ बना डाला है ! जबकि उन्हें चाहिये था यह कि वे ६०५ वर्ष ५ महीनेमें शालिवाहन शकके १८६२ वर्षोंको जोड़ते जो काशी आदिके प्रसिद्ध पंचाङ्गानुसार शक सम्वत् १८६३ के प्रारम्भ होनेके पूर्व व्यतीत हुए थे, और इस तरह चैत्रशुक्ला प्रतिपदा के दिन वीरनिर्वाणको हुए २४६७ वर्ष ५ महीने बतलाते। इससे उन्हें एक भी वर्षका अन्तर कहनेके लिये अवकाश न रहता; क्योंकि ऊपरके पांच महीने चालू वर्षके हैं, जब तक बारह महीने पूरे नहीं होते तब तक उनकी गणना वर्षमें नहीं

की जाती। और इस तरह उन्हें यह बात भी जँच जाती कि जैन कालगणनामें वीरनिर्वाणके गत वर्ष ही लिये जाते रहे हैं। इसी बातको दूसरी तरहसे यों भी समझाया जा सकता है कि गत कार्तिकी अमावस्याको शक सम्वत्के १८६२ वर्ष ७ महीने व्यतीत हुए थे, और शक सम्वत् महावीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रवर्तित हुआ है। इन दोनों संख्याओंको जोड़ देनेसे पूरे २४६८ वर्ष होते हैं। इतने वर्ष महावीरनिर्वाणको हुए गत कार्तिकी अमावस्याको पूरे हो चुके हैं और गत कार्तिक शुक्ला प्रतिपदासे उसका २४६९ वाँ वर्ष चल रहा है; परन्तु इसको चले अभी डेढ़ महीना ही हुआ है और डेढ़ महीनेकी गणना एक वर्षमें नहीं की जा सकती, इसलिये यह नहीं कह सकते कि वर्तमानमें वीरनिर्वाणको हुए २४६९ वर्ष व्यतीत हुए हैं बल्कि यही कहा जायगा कि २४६८ वर्ष हुए हैं। अतः 'शकराज' का शालिवाहन राजा अर्थ करनेवालोंके निर्णयानुसार वर्तमानमें प्रचलित वीरनिर्वाण सम्वत् २४६८ गताब्द के रूपमें है और उसमें गणना-नुसार दो वर्षका कोई अन्तर नहीं है—वह अपने स्वरूपमें यथार्थ है। अस्तु।

त्रिलोकसारकी उक्त गाथाको उद्धृत करके और 'शकराज' शब्दके सम्बन्धमें विद्वानोंके दो मतभेदोंको बतलाकर, शास्त्रीजीने लिखा है कि "इन दोनों पक्षोंमें कौनसा ठीक है, यही समालोचनाका विषय है (उभयोरनयोः पक्षयोः कतरो याथातथ्यमुपगच्छतीति समालोचनीयः)," और इसतरह दोनों पक्षोंके सत्यासत्य-के निर्णयकी प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा तथा लेखके शीर्षकमें पड़े हुए 'समालोचना' शब्दको और दूसरे विद्वानोंपर किये गये तीव्र आक्षेपको देख कर यह आशा होती थी कि शास्त्रीजी प्रकृत विषयके संबन्धमें गंभीरताके साथ कुछ गहरा विचार करेंगे, किसने कहाँ भूल की है उसे बतलाएँगे और चिरकालसे उलझी हुई समस्याका कोई समुचित हल करके रखेंगे। परन्तु प्रतिज्ञाके अनन्तरके वाक्य और उसकी पुष्टिमें दिये हुए आपके पाँच प्रमाणोंको देखकर वह सब आशा धूलमें मिल गई, और यह स्पष्ट मालूम होने लगा कि आप प्रतिज्ञाके दूसरे क्षण ही निर्णायकके आसनसे उतरकर एक पक्षके साथ जा मिले हैं अथवा तराजूके एक पलड़ेमें जा बैठे हैं और वहाँ खड़े होकर यह कहने लगे हैं कि हमारे पक्षके अमुक व्यक्तियोंने जो बात कही है वही ठीक है; परन्तु वह क्यों ठीक है? कैसे ठीक है? और दूसरोंकी बात ठीक क्यों नहीं है? इन

सब बातोंके निर्णायको आपने एकदम भुला दिया है !! यह निर्णायकी कोई पद्धति नहीं और न उलभी हुई समस्याओंको हल करनेका कोई तरीका ही है। आपके वे पंच प्रमाण इस प्रकार हैं :—

(१) दिगम्बर जैनसंहिताशास्त्रके संकल्प-प्रकरणमें विक्रमराजाका ही उल्लेख पाया जाता है, शालिवाहनका नहीं।

(२) त्रिलोकसार ग्रन्थकी माधवचन्द्र-त्रैविद्यदेवकृत संस्कृत-टीकामें शकराज शब्दका अर्थ विक्रमराजा ही उल्लिखित हैं।

(३) पं० टोडरमलजी कृत हिन्दी टीकामें इस शब्दका अर्थ इस प्रकार है—

“श्री वीरनाथ चौबीसवाँ तीर्थंकरको मोक्ष प्राप्त होनेतैं पीछे छसैपाँच वर्ष पाँच मास सहित गए विक्रमनाम शकराज हो है। बहुरि तातैं उपरि च्यारि नव तीन इन अंकनि करि तीनसै चौराणवै वर्ष और सात मास अधिक गए कल्की हो है”...८५०”

इस उल्लेखसे भी शकराजाका अर्थ विक्रमराजा ही सिद्ध होता है।

(४) मिस्टर राइस-सम्पादित श्रवणबेलगोलकी शिलाशासन पुस्तकमें १४१ नं० का एक दानपत्र है, जिससे कृष्णराज तृतीय (मुम्मडि, कृष्णराज ओडेयर) ने आजसे १११ वर्ष पहले क्रिस्ताब्द १८३० में लिखाया है। उसमें निम्न श्लोक पाए जाते हैं—

“नानादेशनृपालमौलिविलसन्माणिक्यरत्नप्रभा-।

भास्वत्पादसरोजयुग्मरुचिरः श्रीकृष्णराजप्रभुः ॥

श्रीकर्णाटकदेशभासुरमहीशूरस्थसिंहासनः ।

श्रीचामक्षितिपालसूनुरवनौ जीयात्सहस्रं समाः ॥

स्वस्ति श्रीवर्द्धमानाख्ये, जिने मुक्तिं गते सति ।

वह्निर्ध्वाब्धिनेत्रैश्च (२४६३) वत्सरेषु मितेषु वै ॥

विक्रमाङ्कसमास्विंदुगजसामजहस्तिभिः (१८८८) ।

सतीषु गणनीयासु गणितज्ञैर्बुधैस्तदा ॥

शालिवाहनवर्षेषु नेत्रवाणनगेंदुभिः (१७५२) ।

प्रमितेषु विकृत्यब्दे श्रावणे मासि मंगले ॥” इत्यादि—

इन श्लोकोंमें उल्लिखित हुए महावीर-निर्वाणान्द, विक्रमशकाब्द और शालिवाहनशकाब्द इस बातको दृढ़ करते हैं कि शकराज शब्दका अर्थ विक्रम-राजा ही है। महावीर-निर्वाणान्द २४६३ की संख्यामें दानपत्रकी उत्पत्तिकालके १११ वर्षोंको मिला देनेपर इस समय वीरनिर्वाणसम्बत् २६०४ हो जाता है। और विक्रम शकाब्दकी संख्या १८८८ को दानपत्रोत्पत्तिकाल १११ वर्षके साथ जोड़ देने से इस समय विक्रमशकाब्द १९९९ आ जाता है।

(५) चामराजनगरके निवासी पं० ज्ञानेश्वर द्वारा प्रकाशित जैन पंचांगमें भी यही २६०४ वीरनिर्वाणान्द उल्लिखित है।

इन पाँच प्रमाणोंमेंसे नं० २ और ३ में तो दो टीकाकारोंके अर्थका उल्लेख है जो गलत भी हो सकता है, और इसलिये वे टीकाकार अर्थ करनेवालोंकी एक कोटिमें ही आजाते हैं। दूसरे दो प्रमाण नं० ४, ५ टीकाकारोंमेंसे किसी एकके अर्थ का अनुसरण करनेवालोंकी कोटिमें रखे जा सकते हैं। इस तरह ये चारों प्रमाण 'शकराज' का गलत अर्थ करनेवालों तथा गलत अर्थका अनुसरण करनेवालोंके भी हो सकनेसे इन्हें अर्थ करनेवालोंकी एक कोटिमें रखनेके सिवाय निर्णयके क्षेत्रमें दूसरा कुछ भी महत्व नहीं दिया जा सकता और न निर्णयपर्यन्त इनका दूसरा कोई उपयोग ही किया जा सकता है। मुकाबलेमें ऐसे अनेक प्रमाण रखे जा सकते हैं जिनमें 'शकराज' शब्दका अर्थ शालिवाहन राजा मान कर ही प्रवृत्ति की गई है। उदाहरणके तौर पर पाँचवें प्रमाणके मुकाबलेमें ज्योतिष-रत्न पं० जियालालजी दि० जैनके सुप्रसिद्ध 'असली पंचाङ्ग' को रक्खा जा सकता है, जिसमें वीरनिर्वाण सं० २४६७ का स्पष्ट उल्लेख है—२६०४ की वहाँ कोई गंध भी नहीं है।

रहा शास्त्रीजीका पहला प्रमाण, उसकी शब्दरचना परसे यह स्पष्ट मालूम नहीं होता कि शास्त्रीजी उसके द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं। उल्लिखित संहिताशास्त्रका आपने कोई नाम भी नहीं दिया, न यह बतलाया कि वह किसका बनाया हुआ है और उसमें किस रूपसे विक्रम राजाका उल्लेख आया है वह उल्लेख उदाहरणपरक है या विधिपरक, और क्या उसमें ऐसा कोई आदेश है कि संकल्पमें विक्रम राजाका ही नाम लिया जाना चाहिये—शालिवाहनका नहीं, अथवा जैनियोंको संकल्पादि सभी अवसरों पर—जिसमें ग्रन्थरचना भी

शामिल है—विक्रम संवत्का ही उल्लेख करना चाहिये, शक-शालिवाहन का नहीं ? कुछ तो बतलाना चाहिये था, जिससे इस प्रमाणकी प्रकृतविषयके साथ कोई संगति ठीक बैठती । मात्र किसी दिगम्बर ग्रन्थमें विक्रम राजाका उल्लेख आजाने और शालिवाहन राजाका उल्लेख न होनेसे यह नतीजा तो नहीं निकाला जा सकता कि शालिवाहन नामका कोई शक राजा हुआ ही नहीं अथवा दिगम्बर साहित्यमें उसके शक संवत्का उल्लेख ही नहीं किया जाता । ऐसे कितने ही दिगम्बर ग्रन्थ प्रमाणमें उपस्थित किये जासकते हैं जिनमें स्पष्टरूपसे शालिवाहनके शकसंवत्का उल्लेख है । ऐसी हालतमें यदि किसी संहिताके संकल्पप्रकरणमें उदाहरणारूपसे विक्रमराजाका अथवा उसके संवत्का उल्लेख आ भी गया है तो वह प्रकृत विषयके निर्णयमें किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, यह उनके इस प्रमाणसे कुछ भी मालूम नहीं होता, और इसलिये इस प्रमाणका कुछ भी मूल्य नहीं है । इस तरह आपके पाँचों ही प्रमाण विवादापन्न विषयकी गुत्थीको सुलझानेका कोई काम न करनेसे निर्णयक्षेत्रमें कुछ भी महत्व नहीं रखते; और इसलिये उन्हें प्रमाण न कहकर प्रमाणाभास कहना चाहिये ।

कुछ पुरातन विद्वानोंने 'शकराजा' का अर्थ यदि विक्रम राजा कर दिया है तो क्या इतनेसे ही वह अर्थ ठीक तथा ग्राह्य होगया ? क्या पुरातनोंसे कोई भूल तथा गलती नहीं होती और नहीं हुई है ? यदि नहीं होती और नहीं हुई है तो फिर पुरातनों-पुरातनों में ही कालगणनादिके सम्बन्धमें मतभेद क्यों पाया जाता है ? क्या वह मतभेद किसी एककी गलतीका सूचक नहीं है ? यदि सूचक है तो फिर किसी एक पुरातनने यदि गलतीसे 'शकराजा' का अर्थ 'विक्रमराजा' कर दिया है तो मात्र पुरातन होनेकी वजहसे उसके कथनको प्रमाण-कोटिमें क्यों रक्खा जाता है और दूसरे पुरातन कथनकी उपेक्षा क्यों की जाती है ? शक राजा अथवा शककालके ही विषयमें दिगम्बर साहित्यमें पाँच पुरातन मतोंका उल्लेख मिलता है, जिनमेंसे चार मत तो त्रिलोकप्रज्ञसिद्धिमें पाये जाते हैं और उनमें सबसे पहला मत वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष बाद शकराजाका उत्पन्न होना बतलाता है * । तीन मत 'धवल' ग्रन्थमें उपलब्ध होते हैं, जिनमेंसे दो तो

* वीरजिणो सिद्धिगदे चउसद-इगसट्ठि-वासपरिमारो ।

कालम्मिअदिवक्कंते उप्पण्णो एत्थ सगराओ ॥

त्रिलोकप्रज्ञप्ति वाले ही हैं और एक उनसे भिन्न है। श्रीवीरसेनाचार्यने 'धवल' में इन तीनोंमतोंको उद्धृत करनेके बाद लिखा है—

“एदेसु तिसु एक्केण होदव्वं, ए तिण्णमुवदेसाणसच्चत्तं अण्णोएण-विरोहादो । तदो जाणिय वत्तव्वं ।”

अर्थात्—इन तीनोंमेंसे एक ही कथन ठीक होना चाहिये, तीनों कथन सच्चे नहीं हो सकते; क्योंकि तीनोंमें परस्पर विरोध है। अतः जान करके—अनुसंधान करके—वर्तना चाहिये।

इस आचार्यवाक्यसे भी स्पष्ट है कि पुरातन होनेसे ही कोई कथन सच्चा तथा मान्य नहीं हो जाता। उसमें भूल तथा गलतीका होना संभव है, और इसीसे अनुसन्धान-पूर्वक जाँच-पड़ताल करके उसके ग्रहण-त्यागका विधान किया गया है। ऐसी हालतमें शास्त्रीजीका पुरातनोंकी बातें करते हुए एक पक्षका हो रहना और उसे बिना किसी हेतुके ही यथार्थ कह डालना विचार तथा समालोचनाकी कोरी विडम्बना है।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि इधर प्रचलित वीर-निर्वाण संवत्की मान्यताके विषयमें दिगम्बरों और श्वेताम्बरोंमें परस्पर कोई मतभेद नहीं है। दोनों ही वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शकशालि-वाहनके संवत्की उत्पत्ति मानते हैं। धवल-सिद्धान्तमें श्रीवीरसेनाचार्यने श्रीवीर-निर्वाण संवत्को मालूम करनेकी विधि बतलाते हुए प्रमाणरूपसे जो एक प्राचीन गाथा उद्धृत की है वह इस प्रकार है—

पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया ।

सगकालेण सहिया थावेयव्वो तदो रासी ।

इसमें बतलाया है कि—‘शककालकी संख्याके साथ यदि ३०५ वर्ष ५ महीने जोड़ दिये जावें तो वीरजिनेन्द्रके निर्वाणकालकी संख्या आ जाती है।’ इस गाथाका पूर्वार्ध, जो वीरनिर्वाणसे शककाल (संवत्) की उत्पत्तिके समयको सूचित करता है, श्वेताम्बरोंके ‘तित्योगाली पइन्नय’ नामक निम्न गाथाका भी पूर्वार्ध है, जो वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शकराजाका उत्पन्न होना बतलाती है—

पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया ।

परिणिव्वुअस्सऽरिहतो तो उपण्णो सगो राया ॥ ६२३ ॥

यहाँ शकराजका जो उत्पन्न होना कहा है उसका अभिप्राय शककालके उत्पन्न होने अर्थात् शकसंवत्सरे प्रवृत्त (प्रारम्भ) होनेका है, जिसका समर्थन 'विचार-श्रेणि' में श्वेताम्बराचार्य श्री मेरुतुंग-द्वारा उद्धृत निम्न वाक्यसे भी होता है—

श्रीवीरनिवृत्तेर्वर्षैः षड्भिः पंचोत्तरैः शतैः ।

शाकसंवत्सरस्यैषा प्रवृत्तिर्भरतेऽभवत् ॥

इस तरह महावीरके इस निर्वाण-समय-सम्बन्ध में दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंकी एक वाक्यता पाई जाती है । और इसलिये शास्त्रीजीका दिगम्बर समाजके संशोधक विद्वानों तथा सभी पत्र-सम्पादकोंपर यह आरोप लगाना कि उन्होंने इस विषयमें मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका ही अनुसरण किया है—उसीकी मान्यतानुसार वीरनिर्वाणसंवत्सका उल्लेख किया है—बिल्कुल ही निराधार तथा अविचारित है ।

ऊपरके उद्धृत वाक्योंमें 'शककाल' और 'शाकसंवत्सर' जैसे शब्दोंका प्रयोग इस बातकी भी स्पष्ट बतला रहा है कि उनका अभिप्राय 'विक्रमकाल' अथवा 'विक्रमसंवत्सर' से नहीं है, और इसलिये 'शकराज' का अर्थ विक्रमराजा नहीं लिया जा सकता । विक्रमराजा वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद हुआ है जैसा कि दिगम्बर नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

सत्तरचदुसदजुत्तो जिणकाला विक्कमो हवइ जम्मो ॥

इसमें भी विक्रमजन्मका अभिप्राय विक्रमकाल अथवा विक्रमसंवत्सरकी उत्पत्तिका है । श्वेताम्बरोंके 'विचारश्रेणि' ग्रन्थमें भी इसी आशयका वाक्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

विक्कमरज्जारंभा पुरओ सिरिवीरनिव्वुई भणिया ।

॥ यह वाक्य 'विक्रमप्रबन्ध' में भी पाया गया है । इसमें स्थूल रूपसे—महीनोंकी संख्याको साथमें न लेते हुए—वर्षोंकी संख्याका ही उल्लेख किया है; जैसाकि 'विचारश्रेणी' में उक्त 'श्रीवीरनिवृत्तेर्वर्षैः' वाक्यमें शककालके वर्षोंका ही उल्लेख है ।

मुन्न-मुणि-वेय-जुत्तो विक्रमकालाउ जिणकालो ॥

यहाँ पर एक प्राचीन दिगम्बर वाक्य और भी उद्धृत किया जाता है जो वीरनिर्वाणसे विक्रमकालकी उत्पत्तिको स्पष्टरूपसे ४७० वर्ष बाद बतलाता है और कविवर वीरके, संवत् १०७६ में बनकर समाप्त हुए, जम्बूस्वामिचरितमें पाया जाता है—

वरिसाणसयचउक्कं सत्तरिजुत्तं जिणेंदवीरस्स ।

णिव्वाणा उववण्णे विक्रमकालस्स उप्पत्ती ॥

जब वीरनिर्वाणकाल और विक्रमकालके वर्षोंका अन्तर ४७० है तब निर्वाणकालसे ६०५ वर्ष बाद होने वाले शक राजा अथवा शककालको विक्रमराजा या विक्रमकाल कैसे कहा जा सकता है ? इसे सहृदय पाठक स्वयं समझ सकते हैं। वैसे भी 'शक' शब्द आम तौर पर शालिवाहन राजा तथा उसके संवत्के लिये व्यवहृत होता है, इस बातको शास्त्रीजीने भी स्वयं स्वीकार किया है, और वामन शिवराम आप्टे (V. S. APTE) के प्रसिद्ध कोषमें भी इसे Specia-ly applied to Salivahan जैसे शब्दोंके द्वारा शालिवाहनराजा तथा उसके संवत् (era) का वाचक बतलाया है। विक्रमराजा 'शक' नहीं था, किन्तु 'शकारि' = 'शकशत्रु' था, यह बात भी उक्त कोषसे जानी जाती है। इसलिये जिन जिन विद्वानोंने 'शकराज' शब्दका अर्थ 'शकराजा' न करके 'विक्रम-राजा' किया है उन्होंने जरूर गलती खाई है। और यह भी संभव है कि त्रिलोकसारके [संस्कृत-टीकाकार माधवचन्द्रने 'शकराजो' पदका अर्थ शकराजा ही किया हो, बादको 'शकराजः' से पूर्व 'विक्रमांक' शब्द किसी लेखककी गलती-से जुड़ गया हो और इस तरह वह गलती उत्तरवर्ती हिन्दी टीकामें भी पहुँच गई हो, जो प्रायः संस्कृत टीकाका ही अनुसरण है। कुछ भी हो, त्रिलोकसार की उक्त गाथा नं० ८५० में प्रयुक्त हुए 'शकराज' शब्दका अर्थ शकशालिवाहनके सिवाय और कुछ भी नहीं है, इस बातको मैंने अपने उक्त 'भगवान् महावीर और उनका समय' शीर्षक निबन्धमें भले प्रकार स्पष्ट करके बतलाया है, और भी दूसरे विद्वानोंकी कितनी ही आपत्तियोंका निरसन करके सत्यका स्थापन किया है।

अब रहो शास्त्रीजीकी यह बात, कि दक्षिण देशमें महावीरशक, विक्रम-शक और क्रिस्तशकके रूपमें भी 'शक' शब्दका प्रयोग किया जाता है, इससे भी उनके प्रतिपाद्य विषयका कोई समर्थन नहीं होता। वे प्रयोग तो इस बातको सूचित करते हैं कि शालिवाहन शककी सबसे अधिक प्रसिद्धि हुई है और इस लिये बादको दूसरे सन्-संवत्तोंके साथ भी 'शक' का प्रयोग किया जाने लगा और वह मात्र 'वत्सर' या 'संवत्' अर्थका वाचक हो गया। उसके साथ लगा हुआ महावीर, विक्रम या क्रिस्त विशेषण ही उसे दूसरे अर्थमें ले जाता है, खाली 'शक' या 'शकराज' शब्दका अर्थ महावीर, विक्रम अथवा क्रिस्त (क्राइस्ट=ईसा) का या उनके सन्-संवत्तोंका नहीं होता। त्रिलोकसारकी गाथामें प्रयुक्त हुए शकराज शब्दके पूर्व चूंकि 'विक्रम' विशेषण लगा हुआ नहीं है, इस लिये दक्षिण देशकी उक्त रूढिके अनुसार भी उसका अर्थ 'विक्रमराजा' नहीं किया जा सकता।

ऊपरके इस संपूर्ण विवेचनपरसे स्पष्ट है कि शास्त्रीजीने प्रकृत विषयके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसमें कुछ भी सार तथा दम नहीं है। आशा है शास्त्रीजीको अपनी भूल मालूम पड़ेगी, और जिन लोगोंने आपके लेखपरसे कुछ गलत धारणा की होगी वे भी इस विचारलेखपरसे उसे सुधारनेमें समर्थ हो सकेंगे।



वीर-शासनकी उत्पत्तिका समय और स्थान

जैनियोंके अन्तिम तीर्थंकर श्रीवीरभगवान्के शासनतीर्थको उत्पन्न हुए आज कितना समय होगया, किस शुभवेलामें अथवा पुण्य-तिथिको उसका जन्म हुआ और किस स्थान पर वह सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, ये सब बातें ही आजके मेरे इस लेखका विषय हैं, जिन्हें भावी वीरशासन-जयन्ती-महोत्सवके लिये जान लेना सभीके लिये आवश्यक है। इस सम्बन्धमें अब तक जो गवेषणाएँ (Res-earches) हुई हैं उनका सार इस प्रकार है:—

किसी भी जैनतीर्थंकरका शासनतीर्थ केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले प्रवर्तित नहीं होता—तीर्थप्रवृत्तिके पूर्वमें केवलज्ञानकी उत्पत्तिका होना आवश्यक है। वीरभगवानको उस केवलज्ञानज्योतिकी संप्राप्ति बैसाख सुदि दशमीको अपराह्णके समय उस वक्त हुई थी जबकि आप जृम्भिका ग्रामके बाहिर, ऋजुकुलानदीके किनारे, शालवृक्षके नीचे, एक शिलापर षष्ठोपवाससे युक्त हुए क्षपक-श्रेणीपर आरूढ थे—आपने शुक्लध्यान लगा रक्खा था। जैसा कि नीचे लिखे वाक्योंसे प्रकट है—

उजुकूलणदीतीरे जंभियगामे वहिं सिलावट्टे ।

छट्ठेणादावेतो अवरण्हे पायछायाए ॥

वइसाहजोण्ह-पक्खे दसमीए खवगसेढिमारूढो ।

हंतूण घाइकम्मं केवलणाणं समावणो ॥

—धवल-जयधवलमें उद्धृत प्राचीनगाथाएँ ।

ऋजुकूलायास्तीरे शालद्रुमसंश्रिते शिलापट्टे ।
 अपराह्णे षष्ठेणास्थितस्य खलु जृम्भकाग्रामे ॥ ११ ॥
 वैशाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे ।
 क्षपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्नं केवलज्ञानम् ॥ १२ ॥

—श्रीपूज्यपाद-सिद्धिभक्तिः

वइसाहसुद्धदसमी-माघा-रिक्खम्हि वीरणाहस्स ।
 रिजुकूलणदीतीरे अवरणहे केवलं णाणं ॥

—तिलोयपण्णात्ती ४-७०१

जंभिय-वहि उजुवालिय तीर वियावत्त सामसालअहे ।
 छट्ठेणुक्कुडुयस्स उ उप्पणं केवलं णाणं ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति ५२६ पृ० २२७

जहाँ केवलज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ उसकी उत्पत्तिके अनन्तर, देवतागण आते हैं, भूत-भविष्यत् वर्तमानरूप सकल चराऽचरके ज्ञाता केवलज्ञानी जिनेन्द्रकी पूजा करते हैं—महिमा करते हैं—और उनके उपदेशके लिये शक्राज्ञासे समवसरण-सभाकी रचना करते हैं †, ऐसी साधारण जैन मान्यता है। इस मान्यताके अनुसार जृम्भकाके पास ऋजुकूला नदीके किनारे बैसाख सुदि दशमीको देवतागणने आकर वीरभगवानकी पूजाकी—महिमा की* और उनके उपदेशके लिये—तीर्थकी प्रवृत्तिके निमित्त—समवसरण-सभाकी सृष्टि भी की, यह स्वतः फलित हो जाता है। परन्तु इस प्रथम समवसरणमें वीरभगवानका शासन-तीर्थ प्रवर्तित नहीं हुआ, यह बात श्वेताम्बर सम्प्रदायको भी मान्य है, जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

तित्थं चाउवण्णो संघो सो पढमए समोसरणे ।

उप्पण्णो उ जिण्णं, वीरजिणिदस्स बीयम्मि ॥

—आवश्यकनिर्युक्ति, २६५ पृ० १४०

† ताहे सक्काणाए जिण्णं सयलाण समवसरणाणि ।

विक्किरियाए धनदो विरएदि विचित्तरूवेहि ॥ —तिलोयप० ४-७१०

* केवलस्य प्रभावेण सहसा चलितासनाः ।

आगत्य महिमां चक्रुस्तस्य सर्वे सुरज्जुराः ॥ —जिनसेन-हरिवंशपु० २-६०

आद्ये समवसरणे सर्वेषामर्हतामिह ।

उत्पन्नं तीर्थमन्त्यस्य जिनेन्द्रस्य द्वितीयके ॥ १७-३२

—लोकप्रकाश, ख० ३

इनमें श्री वीर-जिनेन्द्रके तीर्थको द्वितीय समवसरणमें उत्पन्न हुआ बतलाया है, जबकि शेष सभीजैन तीर्थकरोंका तीर्थ प्रथम समवसरणमें उत्पन्न हुआ है । श्वेताम्बरीय आगमोंमें इस प्रथम समवसरणमें तीर्थोत्पत्तिके न होनेकी घटनाको आश्चर्यजनक घटना बतलाया है और उसे आमतौर पर 'अछेरा' (असाधारण घटना) कहा जाता है ।

अब देखना यह है कि, दूसरा समवसरण कब और कहाँपर हुआ ? और प्रथम समवसरणमें भगवानका शासनतीर्थ प्रवर्तित न होनेका क्या कारण था ? इस विषयमें अभी तक जितना श्वेताम्बर-साहित्य देखनेको मिला है उससे इतना ही मालूम होता है कि प्रथम समवसरणमें देवता ही देवता उपस्थित थे—कोई मनुष्य नहीं था, इससे धर्मतीर्थका प्रवर्तन नहीं हो सका । महावीरको केवल-ज्ञानकी प्राप्ति दिनके चौथे पहरमें हुई थी, उन्होंने जबयह देखा कि उस समय मध्यमा नगरी (वर्तमान पावापुरी) में सोमिलार्य ब्राह्मणके यहाँ यज्ञ-विषयक एक बड़ा भारी धार्मिक प्रकरण चल रहा है, जिसमें देश-देशान्तरोंके बड़े-बड़े विद्वान् आमन्त्रित होकर आए हुए हैं तो उन्हें यह प्रसंग अपूर्वलाभका कारण जान पड़ा और उन्होंने यह सोचकर कि यज्ञमें आए हुए विद्वान् ब्राह्मण प्रतिबोधको प्राप्त होंगे और मेरे धर्मतीर्थ केआधारस्तम्भ बनेंगे,संध्या-समय ही विहार कर दिया और वे रातोंरात १२ योजन (४८ कोस) चल कर मध्यमाके महासेननामक उद्यानमें पहुँचे, जहाँ प्रातःकालसे ही समवसरणकी रचना होगई । इस तरह बैसाख सुदि एकादशीको जो दूसरा समवसरण रचा गया उसमें वीरभगवानने एक पहर तक बिना किसी गणधरकी उपस्थितिके ही धर्मोपदेश दिया । इस धर्मोपदेश और महावीरकी सर्वज्ञताकी खबर पाकर इन्द्रभूति आदि ११ प्रधान ब्राह्मण विद्वान् अपने अपने शिष्यसमूहोंके साथ कुछ आगे पीछे समवसरणमें पहुँचे और वहाँ वीरभगवानसे साक्षात् वार्तालाप करके अपनी अपनी शंकाओंकी निवृत्ति होनेपर उनके शिष्य बन गये, उन्हें ही फिर वीरप्रभुद्वारा

गरांधर-पदपर नियुक्त किया गया* । साथ ही, यह भी मालूम हुआ कि मध्यमा-के इस द्वितीय समवसरणके बाद, जिसमें धर्मचक्रवर्तित्व प्राप्त हुआ बतलाया गया है†, भ० महावीरने राजगृहकी ओर जो राजा श्रेणिककी राजधानी थी प्रस्थान किया, जहाँ पहुँचते ही उनका तृतीय समवसरण रचा गया और उन्होंने सारा वर्षा काल वहीं बिताया, जिससे श्रावणादि वर्षाके चातुर्मास्यमें वहाँ बराबर धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति होती रही ‡ ।

परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि प्रथम समवसरणमें मनुष्योंका अभाव क्यों रहा—वे क्यों नहीं पहुँच सके ? समवसरणकी इतनी विशाल योजना होने, हजारों देवी-देवताओंके वहाँ आकर जय जयकार करने, देवदुर्गुभि बाजोंके बजने और अनेक दूसरे आश्चर्योंके होनेपर भी, जिनसे दूर दूरकी जनता ही नहीं किन्तु पशु-पक्षी तक भी खिचकर चले आते हैं, जृम्भकादि आस-पासके ग्रामोंके मनुष्यों तक को भी समवसरणमें जानेकी प्रेरणा न मिली हो, यह बात कुछ समझमें नहीं आती । दूसरे, केवलज्ञान जब दिनके चौथे पहरमें उत्पन्न हुआ था तब उस केवलोत्पत्तिकी खबर को पाकर अनेक समूहोंमें देवताओंके ऋजु-कूला नदीके तट पर वीरभगवानके पास आने, आकर उनकी वन्दना तथा स्तुति करने—महिमा गाने, समवसरणमें नियत समय तक उपदेशके होने तथा उसे सुनने आदिके सब नेग-नियोग इतने थोड़े समयमें कैसे पूरे हो गये कि भ० महावीरको संध्याके समय ही विहारका अवसर मिल गया ? × तीसरे, यह भी मालूम नहीं हो सका कि केवलज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले जब भ० महावीर

ॐ देखो, मुनिकल्याणविजयकृत 'श्रमण भगवान महावीर' पृ० ४८ से ७३ ।

† अमर-णाररायमहिम्नो पत्तो धम्मवरचक्कवट्ठितं ।

बीयम्मि समवसरणे पावाए मज्झिमाए उ ॥

—आव० नि० ४५० पृ० २२६

‡ देखो, उक्त 'श्रमण भगवान महावीर' पृ० ७४ से ७८ ।

× स्थानकवासी श्वेताम्बरोंमें केवलज्ञानका होना १० मीकी रात्रिको माना गया है (भ० महावीरका आदर्श जीवन पृ० ३३२) अतः उनके कथनानुसार भी उस दिन संध्या-समय विहारका कोई अवसर नहीं था ।

मोहनीय और अन्तराय कर्मका बिल्कुल नाश कर चुके थे—फलतः उनके कोई प्रकारकी इच्छा नहीं थी—तब वे शासनफलकी एषणासे इतने आतुर कैसे हो उठे कि उस यज्ञ-प्रसंगसे अपूर्व लाभ उठानेकी बात सोचकर संध्यासमय ही ऋजुकूला-तटसे चल दिये और रातोंरात ४८ कोस चलकर मध्यमा नगरीके उद्यानमें जा पहुँचे ? और इसलिये प्रथम समवसरणमें केवल देवताओंके ही उपस्थित होने, संध्या समयके पूर्व तक सब नेग-नियोगोंके पूरा हो जाने और फिर अपूर्वलाभकी इच्छासे भ० महावीरके संध्या समय ही प्रस्थान करके रातों-रात मध्यमा नगरीके उद्यानमें पहुँचने आदिकी बात कुछ जीको लगती हुई मालूम नहीं होती ।

प्रत्युत इसके, दिगम्बर साहित्य परसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ऋजुकूला तटवाले प्रथम समवसरणमें वीर भगवानकी वाणी ही नहीं खिरी—उनका उपदेश ही नहीं हो सका—और उसका कारण मनुष्योंकी उपस्थितिका अभाव नहीं था किन्तु उस गणीन्द्रका अभाव था जो भगवानके मुखसे निकले हुए बीजपदोंकी अपने ऋद्धिबलसे ठीक व्याख्या कर सके अथवा उनके आशयको लेकर वीर-प्ररूपित अर्थको ठीक रूपमें जनताको समझा सके और या यों कहिये कि जनताके लिखे उपयोगी ऐसे द्वादशाङ्ग श्रुतरूपमें वीरवाणीको गूँथ सके । ऐसे गणीन्द्रका उस समय तक योग नहीं भिड़ा था, और इसलिये वीरजिनेन्द्रने फिरसे मौन-पूर्वक विहार किया, जो ६६ दिन तक जारी रहा और जिसकी समाप्तिके साथ साथ वे राजगृह पहुँच गये, जहाँ विपुलाचल पर्वत पर उनका वह समवसरण रचा गया जिसमें इन्द्रभूति (गोतम) आदि विद्वानोंकी दीक्षाके अनन्तर श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्वाह्नके समय अभिजित नक्षत्रमें वीर भगवानकी सर्वप्रथम दिव्यवाणी खिरी और उनके शासन-तीर्थकी उत्पत्ति हुई । जैसाकि श्री जिन-सेनाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

षट्षष्टिदिवसान् भूयो मौनेन विहरन् विभुः ।

आजगाम जगत्ख्यातं जिनो राजगृहं पुरं ॥ ६१ ॥

“बीजपदणिणीगत्यपरूवरणं दुवालसंगाणं कारओ गणहरभडारओ गंथ-कत्तारओ त्ति अब्भुपगमादो । बीजपदाणं वक्खाणओ त्ति वुत्तं होदि ।”

—धवल, वेयणाखंड

आरुरोह गिरिं तत्र विपुलं विपुलश्रियं ।
 प्रबोधार्थं स लोकानां भानुमानुदयं-यथा ॥ ६२ ॥
 ततः प्रबुद्धवृत्तान्तैरापतद्भिरितस्ततः ।
 जगत्सुरासुरैर्व्याप्तं जिनेन्द्रस्य गुणैरिव ॥ ६३ ॥

❀ ❀ ❀ ❀

इन्द्राऽग्निवायुभूत्याख्या कौण्डिन्याख्याश्च पण्डिताः ।
 इन्दनोदयनाऽऽयाताः समवस्थानमर्हतः ॥ ६८ ॥
 प्रत्येकं संहिताः सर्वे शिष्याणां पंचभिः शतैः ।
 त्यक्ताम्बरादिसम्बन्धा संयमं प्रतिपेदिरे ॥ ६९ ॥
 प्रत्यक्षीकृतविश्वार्थं कृतदोषत्रयक्षयं ।
 जिनेन्द्रं गोतमोपृच्छत्तीर्थार्थं पापनाशनम् ॥ ८६ ॥
 स दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिनः ।
 दुन्दुभिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥ ९० ॥
 श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रभुः ।
 प्रतिपद्यहि पूर्वाह्णे शासनार्थमुदाहरत् ॥ ९१ ॥

—हरिवंशपुराण, द्वि० सर्ग

इस विषयमें धवल और जयधवल नामके मिद्धान्तग्रन्थोंमें, श्रीवर्द्धमान महा-
 वीरके अर्थकर्तृत्वकी—तीर्थोत्पादनकी—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावरूपसे प्ररू-
 पणा करते हुए, प्राचीन गाथाओंके आधारपर जो विशद कथन किया गया है
 वह अपना खास महत्व रखता है । द्रव्यप्ररूपणामें तीर्थोत्पत्तिके समय महावीरके
 शरीरका ‘केरिसं महावीरसरीरं’ इत्यादिरूपसे वर्णन करते हुए उसे समचतुः-
 संस्थानादि-गुणोंसे विशिष्ट सकल दोषोंसे रहित और राग-द्वेष-मोहके अभावका
 सूचक बतलाया है । क्षेत्रप्ररूपणामें ‘तित्थुप्पत्ती कम्हि खेत्ते’ इत्यादिरूपसे तीर्थो-
 त्पत्तिके क्षेत्रका निरूपण और उसमें समवसरण तथा उसके स्थानादिका निर्देश
 करते हुए जो विस्तृत वर्णन दिया है उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

“..... गयणद्वियल्लत्ततयेण वड्ढमाण-तिहुवणाहिवइत्तचिंधएण
 सुसोहियए पंचसेलउर-णोरइदिसा-विसय-अइविउल-विउलगिरिमत्थय-
 त्थए गंगोहोव्व चउहि सुरविरइयचारे हियविसमाणदेवविज्जाहरमणु-

वज्रणाण मोहए समवसरणमंडले × × × × होदु णामदिट्ठ जिण-
दव्वमहिमाणं देविंदसरूवावगच्छंत जीवाणमिदं जिणसव्वण्णुत्तलिगं
चामरल्लएणट्ठदि-साविसयम्मि दिव्वामोयगंधसुरसाराण्येमणिणिबंध-
फुडियम्मि गंधउडिप्पासायम्मि द्वियसिंहासणारूढेण वड्ढमाणभडारएण
तिथुप्पाइदं । खेत्तप्परूवणा ।”

इसमें अनेक विशेषणोंके साथ यह स्पष्ट बतलाया है कि, ‘पंचशैलपुर (‘राज-
गृह’ नगर) की नैऋति दिशामें जो विपुलाचल पर्वत है उसके मस्तकपर होने-
वाले तत्कालीन समवसरण-मंडलकी गंधकुटीमें गगन-स्थित छत्रत्रयसे युक्त एवं
सिंहासनारूढ हुए वर्द्धमान भट्टारक (भ० महावीर) ने तीर्थकी उत्पत्तिकी—
अपना शासनचक्र प्रवर्तित किया ।’

जयधवल ग्रन्थमें इतना विशेष और भी पाया जाता है कि पंचशैलपुरको,
जो कि गुणनाम था, ‘राजगृह’ नगरके नामसे भी उल्लेखित किया है, उसे
मगधमंडलका तिलक बतलाया है और तीर्थोत्पत्तिके समय चलना-सहित महामंड-
लीकराजा श्रेणिकसे उपभुक्त—उनके द्वारा शासित—प्रकट किया है । यथा:—

“कथं कहियं ? सेणियराये सचेलणे महामंडलीए सयलवसुहामंडलं
भुंजंते मगहं-मंडलतिलअ-रायगिहणयर-णेरयि-दीसमहिद्विय-विउललि-
रिपव्वए सिद्धचारणसेविए वारहगणवेट्टिएण कहियं ।”

इसके बाद ‘उक्तच’ रूपसे जो गाथाएँ दी हैं और जो धवल ग्रन्थमें भी
अन्यत्र पाई जाती हैं उनमेंसे शुरूकी डेढ़ गाथा, जिसके अनन्तरकी दो गाथाएँ
पंचपर्वतोंके नाम, आकार और दिशादिके निर्देशको लिए हुए हैं, इस प्रकार हैं—

“पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे ।

णाणादुम-समाइण्णे देव-दाणव-वंदिदे ॥१॥

महावीरेणत्थो कहिओ भविय-लोअस्स ।”

क्षेत्रप्ररूपणा-सम्बन्धी इस कथनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महा-
वीरके शासन-तीर्थकी उत्पत्ति राजगृहकी नैऋति दिशामें स्थित विपुलाचल
पर्वतपर हुई है, जो उस समय राजा श्रेणिकके राज्यमें था ।

अब काल-प्ररूपणाको लीजिये, इस प्ररूपणामें निम्न तीन गाथाओंको एक
साथ देकर धवल-सिद्धान्तमें बतलाया है कि—‘इस भरतक्षेत्रके अवसर्पिणी-

कल्प-सम्बन्धी चतुर्थ कालके पिछले भागमें जब कुछ कम चौतीस वर्ष अवशिष्ट रहे थे तब वर्षके प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम दिनमें श्रावणकृष्णप्रतिपदाको पूर्वाह्नके समय अभिजित् नक्षत्रमें भगवान महावीरके तीर्थकी उत्पत्ति हुई थी। साथ ही, यह भी बतलाया है कि श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको रुद्र-मुहूर्तमें सूर्योदयके समय अभिजित् नक्षत्रका प्रथम योग होनेपर जहाँ युगकी आदि कही गई है उसी समय इस तीर्थोत्पत्तिको जानना चाहिये :—

“इमिस्सेऽवसप्पणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए ।

चोत्तीसवाससेसे किंचिवि सेसूणए संते ॥१॥

वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले ।

पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुपपत्ती दु अभिजिम्मि ॥२॥

सावणबहुलपडिवदे रुद्धमुहुत्ते सुहोदए रविणो ।

अभिजिस्स पढमजोए जत्थ जुगादी मुण्येव्वा ॥३॥”

श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको तीर्थोत्पत्ति होनेका यह स्पष्ट अर्थ है कि वैशाख सुदि १०मीको केवलज्ञान हो जानेपर भी आषाढी पूर्णिमा तक अर्थात् ६६ दिन तक भगवान महावीरकी दिव्यध्वनि-वाणी नहीं खिरी और इसीसे उनके प्रवचन (शासन) तीर्थकी उत्पत्ति पहले नहीं हो सकी—इन ६६ दिनोंमें वे श्री जिनसेनाचार्यके कथनानुसार मौनसे विहार करते रहे हैं। ६६ दिन तक दिव्य-ध्वनिके प्रवृत्त न होनेका कारण बतलाते हुए धवल और जयधवल दोनों ग्रन्थोंमें एक रोचक शंका-समाधान दिया गया है, जो इस प्रकार है—

“छासठदिवसावणयणं केवलकालम्मि किमट्ठं कीरदे ? केवलणाणे समुप्पण्णे वि तत्थ तित्थाणुववत्तीदो । दिव्वज्झुणीए किमट्ठं तद्धाऽप-उत्ती ? गणिंदाभावादो । सोहम्मिदेण तक्खणे चेव गणिंदो किएण-धोइदो ? काललद्धीए विणा असहायस्स देविंदस्स तद्धोयणसत्तीए अभा-वावदो । सगपादमूलम्मि पडिवण्णमहव्वयं भोत्तूण अण्णमुद्दिसिय दिव्व-ज्झुणी किएण पयट्ठदे ? साहावियादो, ए च सहावो परपज्जणियोगारूहो अव्ववत्थापत्तीदो ।”

शंका—केवल-कालमेंसे ६६ दिनोंका घटाना किस लिये किया जाता है ?

समाधान—इसलिये कि, केवलज्ञानके समुत्पन्न होनेपर भी उस समय तीर्थ-की उत्पत्ति नहीं हुई ।

शंका—दिव्यध्वनिकी उस समय प्रवृत्ति क्यों नहीं हुई ?

समाधान—गणीन्द्रका अभाव होनेसे नहीं हुई ।

शंका—सौधर्म इन्द्रने उसी समय गणीन्द्रकी खोज क्यों नहीं की ?

समाधान—काललब्धिके बिना देवेन्द्र असहाय था और उसमें उस खोजकी शक्तिका अभाव था ।

शंका—अपने पादमूलमें जिसने महाव्रत ग्रहण किया है उसे छोड़कर अन्य-को उद्देश्य करके दिव्यध्वनि क्यों प्रवृत्त नहीं होती ?

समाधान—ऐसा ही स्वभाव है, और स्वभाव पर-पर्यनुयोगके योग्य नहीं होता, अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं रहेगी ।

इस शंका-समाधानसे दिगम्बर-मान्यतानुसार केवलज्ञानकी उत्पत्तिके दिन वीरभगवानकी देशनाके न होने और ६६ दिन तक उसके बन्द रहनेके कारणाका भली प्रकार स्पष्टीकरण हो जाता है ।

श्रीयतिवृषभाचार्यके 'तिलोयपण्णात्ती' नामक ग्रन्थसे भी, जिसकी रचना देवद्विगणके श्वेताम्बरीय आगम ग्रन्थों और आवश्यक नियुक्ति आदिसे पहले हुई है, यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीर भगवानके शासनतीर्थकी उत्पत्ति पंच-शैलपुर (राजगृह) के विपुलाचल पर्वतपर श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको हुई है; जैसा कि नीचेके कुछ वाक्योंसे प्रकट है—

सुर-खेयरमणहरणो गुणणामे पंचसेलणयरम्मि ।

विउलम्मि पव्वद्वरे वीरजिणो अत्थकत्तारो ॥६५॥

वासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुलपडिवाए ।

अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतिथस्स ॥६६॥

ऐसी स्थितिमें श्वेताम्बरीकी मान्यताका उक्त द्वितीय-तृतीय समवसरण जैसा थोड़ा सा मतभेद राजगृहमें आगामी श्रावण कृष्ण प्रतिपदादिको होनेवाले वीर-शासन-जयन्ती-महोत्सवमें उनके सहयोग देने और सम्मिलित होनेके लिये कोई बाधक नहीं हो सकता—खासकर ऐसी हालतमें जब कि वे जान रहे हैं कि जिस श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको दिगम्बरआगम राजगृहमें वीरभगवानके समवसरण-

का होना बतला रहे हैं उसी श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको श्वेताम्बर आगम भी वहां वीरप्रभुके समवसरणका अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, इतना ही नहीं किन्तु वहां केवलोत्पत्तिके अनन्तर होनेवाले उस सारे चातुर्मास्यमें समवसरणका रहना प्रकट कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी मान रहे हैं कि 'राजगृह नगर महावीरके उपदेश और वर्षावासके केन्द्रोंमें सबसे बड़ा और प्रमुख केन्द्र था और उसमें दोसौसे अधिकवार समवसरण होनेके उल्लेख जैनसूत्रोंमें पाये जाते हैं ॥

आशा है शासन-प्रभावनाके इस सत्कार्यमें दिगम्बरोंको अपने श्वेताम्बर और स्थानकवासी भाइयोंका अनेक प्रकारसे सद्भावपूर्वक सहयोग प्राप्त होगा। इसी आशाको लेकर आगामी वीर-शासन-जयन्ती-महोत्सवकी योजनाके प्रस्तावमें उक्त दोनों सम्प्रदायोंके प्रमुख व्यक्तियोंके नाम भी साथमें रखे गये हैं।

अब मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि वीर-शासनको प्रवर्तित हुए गत श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको २४९९ वर्ष हो चुके हैं और अब यह २५००वाँ वर्ष चल रहा है, जो आषाढ़ी पूर्णिमाको पूरा होगा। इसीसे वीरशासनका अर्द्ध-द्वयसहस्राब्दि-महोत्सव उस राजगृहमें ही मनानेकी योजना की गई है जो वीर-शासनके प्रवर्तित होनेका आद्यस्थान अथवा मुख्यस्थान है। अतः इसके लिये सभीका सहयोग वांछनीय है—सभीको मिलकर उत्सवको हर प्रकारसे सफल बनाना चाहिये।

इस अवसरपर वीरशासनके प्रेमियोंका यह खास कर्तव्य है कि वे शासनकी महत्ताका विचारकर उसके अनुसार अपने आचार-विचारको स्थिर करें और लोकमें वीरशासनके प्रचारका—महावीर सन्देशको सर्वत्र फैलानेका—भरसक उशोग करें अथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमें लगे हों उन्हें मतभेदकी साधारण बातोंपर न जाकर अपना सच्चा सहयोग एवं साहाय्य प्रदान करनेमें कोई बात उठा न रखें, जिससे वीरशासनका प्रसार होकर लोकमें सुख-शान्ति-मूलक कल्याणकी अभिवृद्धि हो सके।



जैनतीर्थकरोंका शासनभेद



जैनसमाजमें, श्रीवट्टकेराचार्यका बनाया हुआ 'मूलाचार' नामका एक यत्या-चार-विषयक प्राचीन ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। मूलग्रन्थ प्राकृत भाषामें है, और उस पर वसुनन्दी सैद्धान्तिककी बनाई हुई 'आचारवृत्ति' नामकी एक संस्कृत टीका भी पाई जाती है। इस ग्रन्थमें, सामायिकका वर्णन करते हुए, ग्रन्थकर्ता-महोदय लिखते हैं:—

बावीसं तित्थयरा सामाइयं संजमं उवदिसंति ।

छेदोवट्ठावणियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥ ७-३२ ॥

अर्थात्—अजितसे लेकर पार्श्वनाथ पर्यन्त बाईस तीर्थकरोंने 'सामायिक' संयमका और ऋषभदेव तथा महावीर भगवानने 'छेदोपस्थापना' संयमका उप-देश दिया है।

यहाँ मूल गाथामें दो जगह 'च' (य) शब्द आया है। एक चकारसे परिहार-विशुद्धि आदि चारित्रका भी ग्रहण किया जा सकता है। और तब यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषभदेव और महावीर भगवानने सामायिकादि पाँच प्रकारसे चारित्रका प्रतिपादन किया है, जिसमें छेदोपस्थापनाकी यहां प्रधानता है। शेष बाईस तीर्थकरोंने केवल सामायिक चारित्रका या छेदोपस्थापनाको छोड़कर शेष सामायिकादि चार प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है। अस्तु।

आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंने छेदोपस्थापन संयमका प्रतिपादन क्यों किया है? इसका उत्तर आचार्यमहोदय आगेकी दो गाथाओंमें इस प्रकार देते हैं:—

आचक्खिदुं विभजिदुं विण्णादुं चावि सुहदरं होदि ।

एदेण कारणेण दु महव्वदा पंच पणत्ता ॥ ३३ ॥

आदीए दुव्विसोधणे णिहणे तह सुहु दुरणुपालेया ।

पुरिमा य पच्छिमा वि हु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३४ ॥

टीका—“....ॐ यस्मादन्यस्मै प्रतिपादयितुं स्वेच्छानुष्ठातुं विभक्तुं विज्ञातुं चापि भवमि सुखतरं सामायिकं तेन कारणेन महाव्रतानि पंच प्रज्ञप्तानीति ॥ ३३ ॥”
“आदितीर्थे शिष्या दुःखेन शोधयन्ते सुष्ठु ऋक्षुस्वभावा यतः । तथा च पश्चि-
मतीर्थे शिष्या दुःखेन प्रतिपालयन्ते सुष्ठु वक्रस्वभावा यतः । पूर्वकालशिष्याः
पश्चिमकालशिष्याश्च अपि स्फुटं कल्पं योग्यं अकल्पं अयोग्यं न जानन्ति यतस्तत
आदौ निधने च छेदोपस्थापनमुपदिशत इति ॥ ३४ ॥”

अर्थात्—पाँच महाव्रतों (छेदोपस्थापना) का कथन इस वजहसे किया गया है कि इनके द्वारा सामायिकका दूसरोंको उपदेश देना, स्वयं अनुष्ठान करना, पृथक् पृथक् रूपसे भावनामें लाना और सविशेषरूपसे समझना सुगम हो जाता है। आदिम तीर्थमें शिष्य मुश्किलसे शुद्ध किये जाते हैं; क्योंकि वे अतिशय सरल-स्वभाव होते हैं। और अन्तिम तीर्थमें शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; क्योंकि वे अतिशय वक्रस्वभाव होते हैं। साथ ही, इन दोनों समयोंके शिष्य स्पष्टरूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं। इसलिये आदि और अन्तके तीर्थमें इस छेदोपस्थापनाके उपदेशकी जरूरत पैदा हुई है।

यहांपर यह भी प्रकट कर देना जरूरी है कि छेदोपस्थापनामें हिंसादिकके भेदसे समस्त सावद्यकर्मका त्याग किया जाता है † । इसलिये छेदोपस्थापनाकी

ॐ इससे पहले, टीकामें, गाथाका शब्दार्थ मात्र दिया है।

† ‘तत्त्वार्थराजवार्तिक’ में भट्टाकलंकदेवने भी छेदोपस्थापनाका ऐसा ही स्वरूप प्रतिपादन किया है। यथा:—

“सावद्यं कर्म हिंसादिभेदेन विकल्पनिवृत्तिः छेदोपस्थापना ।”

इसी ग्रन्थमें अकलंकदेवने यह भी लिखा है कि सामायिककी अपेक्षा व्रत एक है और छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा उसके पाँच भेद हैं। यथा:—

‘पंचमहाव्रत’ संज्ञा भी है, और इसी लिये आचार्यमहोदयने गाथा नं० ३३ में छेदोपस्थापनाका ‘पंचमहाव्रत’ शब्दोंसे निर्देश किया है। अस्तु। इसी ग्रन्थमें, आगे ‘प्रतिक्रमण’ का वर्णन करते हुए, श्रीवट्टकेरस्वामीने यह भी लिखा है:—

सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स जिणस्स ।
अवराहपडिक्कमणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥ ७-१२५ ॥
जावे दु अप्पणो वा अण्णदरे वा भवे अदीचारो ।
तावे दु पडिक्कमणं मज्झिमयाणं जिणवराणं ॥ १२६ ॥
इरियागोयरसुमिणादि सव्वमाचरदु मा व आचरदु ।
पुरिमचरिमा दु सव्वे सव्वे णियमा पडिक्कमदि ॥ १२७ ॥

अर्थात्—पहले और अन्तिम तीर्थंकरका धर्म, अपराधके होने और न होनेकी अपेक्षा न करके, प्रतिक्रमण-सहित प्रवर्तता है। पर मध्यके बाईस तीर्थंकरोंका धर्म अपराधके होने पर ही प्रतिक्रमणका विधान करता है। क्योंकि उनके समय-अपराधकी बहुलता नहीं होती। मध्यवर्ती तीर्थंकरोंके समयमें जिस व्रतमें अपने

“सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं, भेदपरतंत्रच्छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधं व्रतम् ।”

श्रीपूज्यपादाचार्यने भी ‘सर्वार्थसिद्धि’ में ऐसा ही कहा है। इसके सिवाय, श्रीवीरनन्दी आचार्यने, ‘आचारसार’ ग्रन्थके पांचवें अधिकारमें, छेदोपस्थापनाका जो निम्न स्वरूप वर्णन किया है उससे इस विषयका और भी स्पष्टीकरण हो जाता है। यथा:—

व्रत-समिति-गुप्तिगैः पंच पंच त्रिभिर्मतैः ।
छेदैर्भेदैरुपेत्यार्थं स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥ ६ ॥
छेदोपस्थापनं प्रोक्तं सर्वसावद्यवर्जने ।
व्रतं हिंसाजुतस्तेयाऽब्रह्मसंगेष्वसंगमः ॥ ७ ॥

अर्थात्—पांच व्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति नामके छेदों-भेदोंके द्वारा अर्थको प्राप्त होकर जो अपने आत्मामें स्थिर होने रूप क्रिया है उसको छेदोपस्थापना या छेदोपस्थापन कहते हैं। समस्त सावद्यके त्यागमें छेदोपस्थापनाको हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन (अब्रह्म) और परिग्रहसे विरतिरूप व्रत कहा है।

या दूसरोंके अतीचार लगता है उसी व्रतसम्बन्धी अतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण किया जाता है। विपरीत इसके, आदि और अन्तके तीर्थकरों (ऋषभदेव और महावीर) के शिष्य ईर्ष्या, गोचरी और स्वप्नादिसे उत्पन्न हुए समस्त अतिचारों-का आचरण करो अथवा मत करो उन्हें समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना होता है। आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्योंको क्यों समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना होता है और क्यों मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य वैसा आचरण नहीं करते ? इसके उत्तरमें आचार्यमहोदय लिखते हैं:—

मञ्जिमया दिढबुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खा य ।

तम्हा हु जमाचरंति तं गरहंता विमुज्झंति ॥ १२८ ॥

पुरिम-चरमा दु जम्हा चलचित्ता चेव मोहलक्खा य ।

तो सन्वपडिक्कमणं अंधलयघोडयदिट्ठं तो ॥ १२९ ॥

अर्थात्—मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य विस्मरणशीलतारहित दृढबुद्धि, स्थिरचित्त और मूढतारहित परीक्षापूर्वक कार्य करनेवाले होते हैं। इसलिये प्रकटरूपसे वे जिस दोषका आचरण करते हैं उस दोषके विषयमें आत्मनिन्दा करते हुए शुद्ध हो जाते हैं। पर आदि और अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्य चलचित्त, विस्मरणशील और मूढमना होते हैं—शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करनेपर भी उसे नहीं जान पाते। उन्हें क्रमशः ऋजुजड और वक्रजड समझना चाहिये—इसलिये उनके समस्त प्रतिक्रमणदण्डकोंके उच्चारणका विधान किया गया है और इस विषयमें अन्धे घोड़ेका दृष्टान्त बतलाया गया है। टीकाकारने इस दृष्टान्तका जो स्पष्टीकरण किया है उसका भावार्थ इस प्रकार है—

‘किसी राजाका घोड़ा अन्धा हो गया। उक्त राजाने वैद्यपुत्रसे घोड़ेके लिये औषधि पूछी। वह वैद्यपुत्र वैद्यक नहीं जानता था, और वैद्य किसी दूसरे ग्राम गया हुआ था। अतः उस वैद्यपुत्रने घोड़ेकी आँखको आराम पहुँचानेवाली समस्त औषधियोंका प्रयोग किया और उनसे वह घोड़ा नीरोग हो गया। इसी तरह साधु भी एक प्रतिक्रमणदण्डकमें स्थिरचित्त नहीं होता हो तो दूसरेमें होगा, दूसरेमें नहीं तो तीसरेमें, तीसरेमें नहीं तो चौथेमें होगा। इस प्रकार सर्वप्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण करना न्याय है। इसमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि सब ही प्रतिक्रमण-दण्डक कर्मके क्षय करनेमें समर्थ हैं।

मूलाचारके इस सम्पूर्ण कथनसे यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि समस्त जैनतीर्थंकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। वल्कि समयकी आवश्यकतानुसार—लोकस्थितिको देखते हुए—उसमें कुछ परिवर्तन जरूर होता रहा है। और इसलिये जिन लोगोंका ऐसा खयाल है कि जैनतीर्थंकरोंके उपदेशमें परस्पर रंचमात्र भी भेद या परिवर्तन नहीं होता—जो वचनवर्गणा एक तीर्थंकरके मुँहसे खिरती है वही जँची तुली दूसरे तीर्थंकरके मुँहसे निकलती है, उसमें जरा भी फेरफार नहीं होता—वह खयाल निर्मूल जान पड़ता है। शायद ऐसे लोगोंने तीर्थंकरोंकी वाणीको फोनोग्राफके रिकार्डोंमें भरे हुए मैटर (मज्जमून) के सदृश समझ रक्खा है ! परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। ऐसे लोगोंको मूलाचारके उपर्युक्त कथनपर खूब ध्यान देना चाहिये।

पं० आशाधरजीने भी, अपने 'अनगारधर्मावृत्त' ग्रन्थ और उसकी स्वोपज्ञ टीकामें, तीर्थंकरोंके इस शासनभेदका उल्लेख किया है। जैसा कि आपके निम्न-वाक्योंसे प्रकट है:—

“आदिमान्तिमतीर्थंकरावेव व्रतादिभेदेन सामायिकमुपदिशतः स्म नाऽजितादयो द्वाविंशतिरिति सहेतुकं व्याचष्टे—

दुःशोधं ऋजुजडैरिति पुरुरिव वीरोऽदिशद्ब्रतादिभिदा ।

दुष्पालं वक्रजडैरिति साम्यं नापरे सुपटुशिष्याः ॥६-८७॥

टीका—आदिशदुपदिष्टवान् । कोऽसौ ? वीरोऽन्तिमतीर्थंकरः । किं तत् ? साम्यं सामायिकाख्यं चारित्र्यम् कया ? व्रतादिभिदा व्रतसमितिगुप्तिभेदेन । कुतो हेतोः ? इति । किमिति ? भवति । किं तत् ? साम्यम् । कीदृशम् ? दुष्पालं पालयतुमशक्यम् । कैः ? वक्रजडैरानर्जवजाड्योपेतैः शिष्यैर्ममेति । क इव ? पुरुरिव । इव शब्दो यथाऽर्थः । यथा पुरुरादिनाथः साम्यं व्रतादिभिदाऽदिशत् । कुतो हेतोः ? इति । किमिति ? भवति । किं तत् ? साम्यं । कीदृशम् ? दुःशोधं शोधयितुमशक्यम् । कैः ऋजुजडैरानर्जवजाड्योपेतैः शिष्यैर्ममेति । तथाऽपरेऽजितादयो द्वाविंशतिस्तीर्थंकरा व्रतादिभिदा साम्यं नादिशन् । साम्यमेव व्रतमिति कथयन्ति स्म स्वशिष्याणामग्रे । कीदृशास्ते ? सुपटुशिष्याः यतः ऋजुवक्रजडत्वाभावात् सुष्ठु पटवो व्युत्पन्नतमाः शिष्या येषां त एवम् । ”

×

×

×

×

निन्दागर्हालोचनाभियुक्तो युक्तेन चेतसा ।

पठेद्वा शृणुयान्छुद्धयै कर्मघनान् नियमान् समान् ॥८-६२॥

टीका—पठेदुच्चरेत् साधुः शृणुयाद्वा आचार्यादिभ्य आकर्णयेत् । कान् ? नियमान् प्रतिक्रमणदण्डकान् । किंविशिष्टान् ? समान् सर्वान् ।इदमत्र तात्पर्यं, यस्मादैदंयुगीना दुःखमाकालानुभावाद्वक्रजडीभूताः स्वयमपि कृतं व्रता-द्यतिचारं न स्मरन्ति चलचित्तत्वाच्चासकृत्प्रायशोपराध्यन्ति तस्मादीर्यादिषु दोषो भवतु वा मा भवतु तैः सर्वातिचारविशुद्धयर्थं सर्वे प्रतिक्रमणदण्डकाः प्रयोक्तव्याः । तेषु यत्र कचिच्चित्तं स्थिरं भवति तेन सर्वोऽपि दोषो विशोध्यते । ते हि सर्वोऽपि कर्मघातसमर्थाः । तथा चोक्तम्—

❖ सप्रतिक्रमणो धर्मो जिनयोरादिमान्ययोः ।

अपराधे प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥

यदोपजायते दोष आत्मन्यन्यतरत्र वा ।

तदैव स्यात्प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम् ॥

ईर्यागोचरदुःस्वप्नप्रभृतौ वर्ततां न वा ।

पौरस्त्यपश्चिमाः सर्वे प्रतिक्रामन्ति निश्चितम् ॥

मध्यमा एकचित्ता यदमूढदृढबुद्धयः ।

आत्मनानुष्ठितं तस्माद्गृहमाणाः संजन्ति तम् ॥

पौरस्त्यपश्चिमा यस्मात्समोहाश्चलचेतसः ।

ततः सर्वे प्रतिक्रान्तिरन्धोऽश्वोऽत्र निदर्शनम् ॥”

और श्रीपूज्यपादाचार्यने, अपनी ‘चारित्रभक्ति’ में, इस विषयका एक पद्य निम्नप्रकारसे दिया हैः—

तिस्रः सत्तमगुप्त्रयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदयाः

पंचेर्यादिसमाश्रयाः समितयः पंचव्रतानीत्यपि ।

❖ ये पांचों पद्य, जिन्हें पं० आशाधरजीने अपने कथनके समर्थनमें उद्धृत किया है, विक्रमकी प्रायः १३वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए किसी प्राचीन ग्रन्थके पद्य हैं । इनका सब आशय क्रमशः वही है जो मूलाचारकी उक्त गाथा नं० १२५ से १२६ का है । इन्हें उक्त गाथाओंकी छाया न कहकर उनका पद्यानुवाद कहना चाहिये ।

चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दिष्टं परै-
राचारं परमेष्ठिनो जिनपतेर्वोरान्नमामो वयम् ॥७॥

इसमें कायादि तीन गुणियों, ईर्यादि पंच समितियों और अहिंसादि पंच महा-
व्रतोंके रूपमें त्रयोदश प्रकारके चारित्रको 'चारित्राचार' प्रतिपादन करते हुए उसे
नमस्कार किया है और साथ ही यह बतलाया है कि 'यह तेरह प्रकारका चारित्र
महावीर जिनेन्द्रसे पहलेके दूसरे तीर्थकरों-द्वारा उपदिष्ट नहीं हुआ है'
—अर्थात्, इस चारित्रका उपदेश महावीर भगवान् ने दिया है, और इसलिये यह
उन्हींका खास शासन है। यहाँ 'वीरान् पूर्व न दिष्टं परैः' शब्दों परसे,
यद्यपि, यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि महावीर भगवान् से पहलेके किसी भी
तीर्थकरने—ऋषभदेवने भी—इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश नहीं दिया
है, परन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्यने 'परैः' पदके वाच्यको भगवान् 'अजित'
तक ही सीमित किया है—ऋषभदेव तक नहीं अर्थात्, यह सुझाया है कि—
पार्श्वनाथसे लेकर अजितनाथपर्यंत पहलेके बाईस तीर्थकरोंने इस तेरह प्रकारके
चारित्रका उपदेश नहीं दिया है—उनके उपदेशका विषय एक प्रकारका चारित्र
(सामायिक) ही रहा है—यह तेरह प्रकारका चारित्र श्रीवर्धमान महावीर और
आदिनाथ (ऋषभदेव) के द्वारा उपदेशित हुआ है। जैसा कि आपकी टीकाके
निम्न अंशसे प्रकट हैः—

“.....परैः अन्यतीर्थकरैः । कस्मात्परैः ? वीरादन्यतीर्थकरात् । किंवि-
शिष्टात् ? जिनपतेः..... । परैरजितादिभिर्जिननाथैस्त्रयोदशभेदभिन्नं चारित्रं न
कथितं सर्वसावद्यविरतिलक्षणमेकं चारित्रं तैर्विनिर्दिष्टं तत्कालीनशिष्याणां ऋजु-
वक्रजडमतित्वाभावात् । वर्धमानस्वामिना तु वक्रजडमतिभव्याशयवशात् आदि-
देवेन तु ऋजुजडमतिविनेयवशात् त्रयोदशविधं निर्दिष्टं आचारं नमामो वयम् ।”

संभव है कि 'परैः' पदकी इस सीमाके निर्धारित करनेका उद्देश्य मूलाचार-
के साथ पूज्यपादके इस कथनकी संगतिको ठीक बिठलाना रहा हो । परन्तु
वास्तवमें यदि इस सीमाको न भी निर्धारित किया जाय और यह मान लिया
जाय कि ऋषभदेवने भी इस त्रयोदशविधरूपसे चारित्रका उपदेश नहीं दिया है
तो भी उसका मूलाचारके साथ कोई विरोध नहीं आता है। क्योंकि यह हो
सकता है कि ऋषभदेवने पंचमहाव्रतोंका तो उपदेश दिया हो—उनका छेदोप-

स्थापना संयम अहिंसादि पंचभेदात्मक ही हो—किन्तु पंचसमितियों और तीन गुप्तियोंका उपदेश न दिया हो, और उनके उपदेशकी जरूरत भगवान् महावीर-को ही पड़ी हो। और इसी लिये उनका छेदोपस्थापन संयम इस तेरह प्रकारके चारित्रभेदको लिये हुए हो, जिसकी उनके नामके साथ खास प्रसिद्धि पाई जाती है। परन्तु कुछ भी हो, ऋषभदेवने भी इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश दिया हो या न दिया हो, किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि शेष बाईस तीर्थंकरोंने उसका उपदेश नहीं दिया है।

यहाँपर इतना और भी बतला देना जरूरी है कि भगवान् महावीरने इस तेरह प्रकारके चारित्रमेंसे दस प्रकारके चारित्रको—पंचमहाव्रतों और पंचसमितियोंको—मूलगुणोंमें स्थान दिया है। अर्थात्, साधुओंके अट्टाईस* मूलगुणोंमें दस मूलगुण इन्हें करार दिया है। तब यह स्पष्ट है कि श्रीपार्श्वनाथादि दूसरे तीर्थंकरोंके मूलगुण भगवान् महावीरद्वारा प्रतिपादित मूलगुणोंसे भिन्न थे और उनकी संख्या भी अट्टाईस नहीं हो सकती—दसकी संख्या तो एकदम कम हो ही जाती है; और भी कितने ही मूलगुण इनमें ऐसे हैं जो उस समयके शिष्योंकी उक्त स्थितिको देखते हुए अनावश्यक प्रतीत होते हैं। वास्तवमें मूलगुणों और उत्तरगुणोंका सारा विधान समय-समयके शिष्योंकी योग्यता और उन्हें तत्तत्कालीन परिस्थितियोंमें सन्मार्ग-पर स्थिर रख सकनेकी आवश्यकतापर अवलम्बित रहता है। इस दृष्टिसे जिस समय जिन व्रतनियमादिकोंका आचरण सर्वोंपर मुख्य तथा आवश्यक जान पड़ता है उन्हें मूलगुण करार दिया जाता है और शेषको उत्तर-

* अट्टाईस मूलगुणोंके नाम इसप्रकार हैं:—

१. अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिग्रह (ये पांच महाव्रत); ६ ईर्या, ७ भाषा, ८ एषणा, ९ आदाननिक्षेपण, १० प्रतिष्ठापन, (ये पांच समिति); ११-१५ स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षु-श्रोत्र-निरोध (ये पंचेंद्रियनिरोध); १६ सामायिक, १७ स्तव, १८ वन्दना, १९ प्रतिक्रमण, २० प्रत्याख्यान, २१ कायोत्सर्ग (ये षडावश्यक क्रिया); २२ लोच, २३ आचेलक्य, २४ अस्तान, २५ भूशयन, २६ अदन्तघर्षण, २७ स्थितिभोजन, और २८ एकभक्त।

गुण । इसीसे सर्व समयोंके मूलगुण कभी एक प्रकारके नहीं हो सकते । किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं अथवा थोड़ेमें ही समझ लेते हैं और किसी समयके विस्ताररुचिवाले अथवा विशेष खुलासा करनेपर समझनेवाले । कभी लोगोंमें ऋजुजडताका अधिक संचार होता है, कभी वक्रजडताका और कभी इन दोनोंसे अतीत अवस्था होती है । किसी समयके मनुष्य स्थिरचित्त, दृढबुद्धि और बलवान होते हैं और किसी समयके चलचित्त, विस्मरणशील और निर्बल । कभी लोकमें मूढ़ता बढ़ती है और कभी उसका ह्रास होता है । इसलिये जिस समय जैसी जैसी प्रकृति और योग्यताके शिष्योंकी—उपदेशपात्रोंकी—बहुलता होती है उस उस वक्तकी जनताको लक्ष्य करके तीर्थकरोंका उसके उपयोगी वैसा ही उपदेश तथा वैसा ही व्रत-नियमादिकका विधान होता है । उसीके अनुसार मूलगुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है । परन्तु इस भिन्न प्रकारके उपदेश, विधान या शासनमें परस्पर उद्देश्य-भेद नहीं होता । समस्त जैन तीर्थकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य 'आत्मासे कर्ममल-को दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष और स्वाधीन बनाना' होता है । दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि संसारी जीवोंको संसार-रोग दूर करनेके मार्गपर लगाना ही जैनतीर्थकरोंके जीवनका प्रधान लक्ष्य होता है । अस्तु । एक रोगको दूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक औषधियाँ होती हैं और वे अनेक प्रकारसे व्यवहारमें लाई जाती हैं; रोग शान्तिके लिये उनमेंसे जिस वक्त जिस औषधिको जिस विधिसे देनेकी जरूरत होती है वह उस वक्त उसी विधिसे दी जाती है—इसमें न कुछ विरोध होता है और न कुछ बाधा आती है । उसी प्रकार संसार-रोग या कर्म-रोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं, जिनका अनेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है । उनमेंसे तीर्थकर भगवान् अपनी अपनी समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस रीतिसे प्रयोग करना उचित समझते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं । उनके इस प्रयोगमें किसी प्रकारका विरोध या बाधा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती । इन्हीं सब बातोंपर मूलाचारके किद्वान् आचार्यमहोदयने, अपने ऊपर उल्लेख किये हुए वाक्यों-द्वारा अच्छा प्रकाश डाला है और अनेक युक्तियोंसे जैनतीर्थकरोंके शासनभेदको भले प्रकार प्रदर्शित और सूचित किया है । इसके सिवाय, दूसरे

विद्वानोंने भी इस शासनभेदको माना तथा उसका समर्थन किया है, यह और भी विशेषता है।

श्वेताम्बर-मान्यता

श्वेताम्बरोंके यहां भी जैनतीर्थंकरोंके शासनभेदका कितना ही उल्लेख मिलता है, जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:—

(१) 'आवश्यकनिर्युक्ति' में, जो भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी रचना कही जाती है, दो गाथाएँ निम्नप्रकारसे पाई जाती हैं—

सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स ।

मज्झिमयाण जिणाणं कारणजाए* पडिक्कमणं ॥१२४४॥

बावीसं तित्थयरा सामाइयसंजमं उवइसंति ।

छेओवट्ठावणयं पुण वयन्ति उसभो य वीरो य ॥१२४६॥

ये गाथाएँ साधारणसे पाठभेदके साथ, जिससे कोई अर्थभेद नहीं होता, वे ही हैं जो 'मूलाचार' के ७वें अध्यायमें क्रमशः नं० १२५ और ३२ पर पाई जाती हैं। और इसलिये, इस विषयमें, निर्युक्तिकार और मूलाचारके कर्ता श्रीवट्टकेराचार्य दोनोंका मत एक जान पड़ता है।

(२) 'उत्तराध्ययनसूत्र' में 'केशि-गौतम-संवाद' नामका एक प्रकरण (२३वाँ अध्यायन) है, जिसमें सबसे पहले पार्श्वनाथके शिष्य (तीर्थंशिष्य) केशी स्वामीने महावीर-शिष्य गौतम गणधरसे दोनों तीर्थंकरोंके शासनभेदका कुछ उल्लेख करते हुए उसका कारण दर्शाया किया है और यहाँतक पूछा है कि धर्मकी इस द्विविध-प्ररूपणा अथवा मतभेद पर क्या तुम्हें कुछ अविश्वास या संशय नहीं होता है? तब गौतमस्वामीने उसका समाधान किया है। इस संवादके कुछ वाक्य (भाव-विजयगणीकी व्याख्यासहित) इस प्रकार हैं:—

चाउज्जामो अ जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वड्ढमाणेणं, पासेण य महामुणी ॥ २३ ॥

व्याख्या—चतुर्थीमो हिसानृतस्तेयपरिग्रहोपरमात्मक-व्रतचतुष्करूपः, पंचशि-क्षितः स एव मैथुनविरतिरूपपंचमहाव्रतान्वितः ॥२३॥

* 'कारणाजाते' अपराध एवोत्पन्ने सति प्रतिक्रमणं भवति—इति हरिभद्रः ।

एककज्जपवन्नाणं, विसेसे किं नु कारणं ।

धम्मं दुविहे मेहावी ! कहं विप्पच्चओ न ते ? ॥२४॥

व्याख्या—‘धम्मेति’ इत्थं धर्मो साधुधर्मो द्विविधे हे मेधाविन् कथं विप्रत्ययः अविश्वासो न ते तव ? तुल्ये हि सर्वज्ञत्वे किं कृतोऽयं मतभेदः ? इति ॥ २४ ॥ एवं तेनोक्ते—

तओ केसिं बुवंतं तु, गोअमो इणमव्ववी ।

पण्णा समिक्खए धम्मं-तत्तं तत्तविणिच्छयं ॥२५॥

व्याख्या—‘बुवंतं तु त्ति’ ब्रुवन्तमेवाऽनेनादरातिशयमाह, प्रज्ञाबुद्धिः समीक्ष्यते पश्यति, किं तदित्याह—‘धम्मं-तत्तं’ विन्दोलोपि धर्मतत्त्वं धर्मपरमार्थं, तत्त्वानां जीवादानां विनिश्चयो यस्मात्तत्तथा, अयं भावः—न वाक्यश्रवणमात्रादेवार्थनिर्णयः स्थात्किन्तु प्रज्ञावशादेव ॥२५॥ ततश्च—

पुरिमा उज्जुजडा उ, वक्कजडा य पच्छिमा ।

मज्झिमा उज्जुपण्णा उ, तेण धम्मं दुहा कए ॥२६॥

व्याख्या—‘पुरिमेति’ पूर्वे प्रथमजिनमुनयः ऋजवश्च प्राञ्जलतया जडाश्च दुष्प्रज्ञाप्तया ऋजुजडाः, ‘तु’ इति यस्माद्धेतोः वक्राश्च वक्रप्रकृतित्वाजडाश्च निजानेककुविकल्पैः विवक्षितार्थावगमाक्षमत्वाद्गजडाः, च समुच्चये, पश्चिमाः पश्चिमजिनतनयाः । मध्यमास्तु मध्यमार्हतां साधवः, ऋजवश्च ते प्रज्ञाश्च सुबोधत्वेन ऋजुप्रज्ञाः । तेन हेतुना धर्मो द्विधा कृतः । एककार्यप्रपन्नत्वेऽपि इति प्रक्रमः ॥२६॥ यदि नाम पूर्वादिमुनीनामीदृशत्वं, तथापि कथमेतद्वैविध्यमित्याह—

पुरिमाणं दुव्विसोव्वो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोव्वो सुपालओ ॥२७॥

व्याख्या—पूर्वेषां दुःखेन विशोध्योऽनिर्मलतां नेतुं शक्यो दुर्विशोध्यः, कल्प- इति योज्यते, ते हि ऋजुजडत्वेन गुरुणानुशिष्यमाणा अपि न तद्वाक्यं सम्यगवबोद्धुं प्रभवन्तीति तुः पूर्तो । चरमाणां दुःखेनानुपाल्यते इति दुरनुपालः स एव दुरनुपालः कल्पः साध्वाचारः । ते हि कथंचिज्ज्ञानन्तोऽपि वक्रजडत्वेन न यथावदनुष्ठातुमीशते । मध्यमकानां तु विशोध्यः सुपालकः कल्प इतीहापि योज्यं, ते हि ऋजुप्रज्ञत्वेन सुखेनैव यथावज्ज्ञानन्ति पालयन्ति च अतस्ते चतुर्यमोक्तावपि

पंचममपि यामं ज्ञातुं पालयितुं च क्षमाः । यदुक्तं—“नो अपरिगृहिष्माण, इत्थीए जेण होइ परिभोगो । ता तव्विरईए च्चिअ, अबंभविरइति पवणाणं ॥१॥ इति तदपेक्षया श्रीपार्श्वस्वामिना चतुर्यामो धर्म उक्तः पूर्वपश्चिमास्तु नेइशा इति श्रीऋषभश्रीवीरस्वामिभ्यां पंचव्रतः । तदेवं विचित्रप्रज्ञविनेयानुग्रहाय धर्मस्य द्वैविध्यं न तु तात्त्विकं । आद्यजिनकथनं चेह प्रसंगादिति सूत्रपंचकार्थः ॥२७॥

इस संवादकी २६वीं और २७वीं गाथामें शासनभेदका जो कारण बतलाया गया है—भेदमें कारणीभूत तत्तत्कालीन शिष्योंकी जिस परिस्थितिविशेषका उल्लेख किया गया है—वह सब वही है जो मूलाचारादि दिगम्बर ग्रन्थोंमें वर्णित है । बाकी, पार्श्वनाथके ‘चतुर्याम’ धर्मका जो यहाँ उल्लेख किया गया है उसका आशय यदि वही है जो टीकाकारने अहिंसादि चार व्रतरूप बतलाया है, तो वह दिगम्बर सम्प्रदायके कथनसे कुछ भिन्न जान पड़ता है । हो सकता है कि पंच प्रकारके चारित्रमेंसे छेदोपस्थापनाको निकाल देनेसे जो शेष चार प्रकारका चारित्र रहता है उसीसे उसका अभिप्राय रहा हो और बादको आगमाविहित चारित्र-भेदोंके स्थानपर व्रत-भेदोंकी कल्पना कर ली गई हो ।

(३) ‘प्रज्ञापनासूत्र’ की मलयगिरि-टीकामें भी तीर्थंकरोंके शासन भेदका कुछ उल्लेख मिलता है । यथाः—

“यद्यपि सर्वमपि चारित्रमविशेषतः सामायिकं तथापि छेदादिविशेषैर्विशिष्य-
माणमर्थतः शब्दान्तरतश्च नानात्वं भजते, प्रथमं पुनरविशेषणात् सामान्यशब्द
एवावतिष्ठते सामायिकमिति तच्च द्विधा—इत्वरं यावत्कथिकं च, तत्रेत्वरं भरतै-
रावतेषु प्रथमपश्चिमतीर्थंकरतीर्थेष्वाणारोपितमहाव्रतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयं, यावत्क-
थिकं च प्रव्रज्याप्रतिपत्तिकालादारभ्याप्राणोपरमात्, तच्च भरतैरावतभावमध्य-
द्वाविंशतितीर्थंकरतीर्थान्तरगतानां विदेहतीर्थंकरतीर्थान्तरगतानां च साधूनामवसेयं
तेषामुपस्थापनाया अभवात् । उक्तं च—

सव्वमिणं सामाइयं छेयाइविसेसियं पुण विभिन्नं ।

अविसेसं सामाइयं ठियमिय सामन्नसन्नाए ॥१॥

सावज्जजोगविरइ त्ति तत्थ सामाइयं दुहा तं च ।

इत्तरमावकहं ति य पढमंतिमजिणाणं ॥२॥

तिथ्येसु अणारोवियवयस्स सेहस्स थोवकालीयं ।

सेसाण यावकहियं तिथ्येसु विदेहयाणं च ॥ ३ ॥

तथा छेदः पूर्वपर्यायस्य उपस्थापना च महाव्रतेषु यस्मिन् चारित्र्ये तच्छेदोपस्थापनं, तच्च द्विविधा—सातिचारं निरतिचारं च, तत्र निरतिचारं यदित्तरसा-मायिकवैतशैक्षकस्य आरोप्यते तीर्थान्तरसंक्रान्तौ वा यथा पार्श्वनाथतीर्थाद् वर्धमानतीर्थं संक्रामतः पंचयामप्रतिपत्तौ, सातिचारं यन्मूलगुणधातिनः पुनर्ब्रतोच्चारणं, उक्तं च—

सेहम्स निरइयारं तिथ्यंतरसंकमे व तं होज्जा ।

मूलगुणघाइणो साइयारमुभयं च ठियकप्पे ॥१॥

‘उभयं चेति’ सातिचारं निरतिचारं च ‘स्थितकल्पे’ इति प्रथमपश्चिमतीर्थकर-तीर्थकाले ।”

इस उल्लेखमें अजितसे पार्श्वनाथपर्यंत बाईस तीर्थकरोके साधुओंके जो छेदोपस्थापनाका अभाव बतलाया है और महाव्रतोंमें स्थित होनेरूप चारित्र्यको छेदोपस्थापना लिखा है वह मूलाचारके कथनसे मिलता जुलता है । शेष कथनको विशेष अथवा भिन्न कथन कहना चाहिये ।

आशा है इस लेखको पढ़कर सर्वसाधारण जैनी भाई सत्यान्वेपी और अन्य ऐतिहासिक विद्वान् ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ नया अनुभव प्राप्त करेंगे और साथ ही इस बातकी खोज लगायेंगे कि जैनतीर्थकरोके शासनमें और किन किन बातोंका परस्पर भेद रहा है ।



श्रुतावतार-कथा

('धवल' और 'जयधवल' के आधार पर)

श्रीवीर-हिमाचलसे श्रुत-गंगाका जो निर्मल स्रोत बहा है वह अन्तिम श्रुत-केवली श्रीभद्रबाहुस्वामी तक अविच्छिन्न एक धारामें चला आया है, इसमें किसीको विवाद नहीं है। बादको द्वादश वर्षीय दुर्भिक्षादिके कारण मतभेदरूपी एक चट्टानके बीचमें आजानेसे वह धारा दो भागोंमें विभाजित होगई, जिनमेंसे एक दिगम्बर और दूसरी श्वेताम्बर शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई। दोनों ही शाखाओंमें अपनी-अपनी तात्कालिक जरूरत और तरीकतके अनुसार अवतरित श्रुतजलकी रक्षाका प्रयत्न हुआ; किन्तु ग्रहण-धारणकी शक्तिके दिनपर दिन कम होतेजाने और देशकालकी परिस्थितियों अथवा रक्षणादि-विषयक उपेक्षाके कारण कोई भी विद्वान् उस श्रुतको अपने अविकल द्वादशांग-रूपमें सुरक्षित नहीं रख सका और इसलिये उसका मूल शरीर प्रायः क्षीण होता चला गया। जिस-जिस अवधिपर पुनः निबद्ध संगृहीत अथवा लिपिबद्ध होनेके कारण वह और अधिक क्षीण होनेसे बचा है उसकी कथाएँ दोनों ही सम्प्रदायोंमें पाई जाती हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें इस श्रुतावतारके जो भी प्रकरण उपलब्ध हैं उनमें इन्द्रनन्दिका श्रुतावतार* अधिक प्रसिद्ध है। इस श्रुतावतारमें अन्तिम अवधिके तौरपर उन

* यह ग्रन्थ माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमालाके त्रयोदश ग्रन्थ 'तत्त्वानुशासनादि-संग्रह'में मुद्रित हुआ है। उसीपरसे उसके विषयोंका यहाँ उल्लेख किया गया है।

दो सिद्धान्तागमोंके अवतारकी कथा दी गई है जिन पर अन्तको 'धवला' और 'जयधवला' नामकी विस्तृत टीकाएँ—क्रमशः ७२ हजार तथा ६० हजार श्लोक-परिमाण लिखी गई हैं। भाष्यके रूपमें इनका नाम 'धवल' और 'जयधवल' अधिक प्रसिद्ध है।

षट्खण्डागम और कषायप्राभृतकी उत्पत्ति

धवलके शुरूमें, कर्ताके 'अर्थकर्ता' और 'ग्रन्थकर्ता' ऐसे दो भेद करके, केवल-ज्ञानी भगवान महावीरको द्रव्य-क्षेत्र-काल-पाव-रूपसे अर्थकर्ता प्रतिपादित किया है और उसकी प्रमाणतामें कुछ प्राचीन पद्योंको भी उद्धृत किया है। महावीर-द्वारा-कथित अर्थको गौतम गोत्री ब्राह्मणोत्तम गौतमने अवधारित किया, जिनका नाम इन्द्रभूति था। यह गौतम सम्पूर्ण दुःश्रुतिका पारगामी था, जीवाजीव-विषयक सन्देहके निवारणार्थ श्रीवर्द्धमान महावीरके पास गया था और उनका शिष्य बन गया था। उसे वहीं पर उसी समय क्षयोपशम-जनित निर्मल ज्ञान-चतुष्टयकी प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार भाव-श्रुतपर्याय-रूप परिणत हुए इन्द्रभूति गौतम ने महावीर-कथित अर्थकी बारह अंगों-चौदह पूर्वोंमें ग्रन्थ-रचना की और वे द्रव्यश्रुतके कर्ता हुए। उन्होंने अपना वह द्रव्य-भाव-रूपी श्रुतज्ञान लोहाचार्य* के प्रति संचारित किया और लोहाचार्यने जम्बूस्वामीके प्रति। ये तीनों सप्त-प्रकारकी लब्धियोंसे सम्पन्न थे और उन्होंने सम्पूर्ण श्रुतके पारगामी होकर केवलज्ञानको उत्पन्न करके क्रमशः निर्वृतिको प्राप्त किया था।

जम्बूस्वामीके पश्चात् क्रमशः विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्द्धन और भद्रबाहु ये पांच आचार्य चतुर्दश-पूर्वके धारी अर्थात् श्रुतज्ञानके पारगामी हुए।

भद्रबाहुके अनन्तर विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचार्य^१, नागाचार्य^२, सिद्धार्थदेव, धृतिषेण, विजयाचार्य^३, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धर्मसेन ये क्रमशः

* धवलके 'वेदना' खण्डमें भी लोहाचार्यका नाम दिया है। इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारमें इस स्थान पर सुधर्म मुनिका नाम पाया जाता है।

१, २, ३, इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें जयसेन, नागसेन, विजयसेन, ऐसे पूरे नाम दिये हैं। जयधवलामें भी जयसेन, नागसेन-रूपसे उल्लेख है परन्तु साथमें विजय-को विजयसेन-रूपसे उल्लेखित नहीं किया। इससे मूल नामोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

११ आचार्य ग्यारह अंगों और उत्पादपूर्वादि दश पूर्वोंके पारगामी तथा शेष चार पूर्वोंके एक देश धारी हुए ।

धर्मसेनके बाद नक्षत्राचार्य, जयपाल, पाण्डुस्वामी, ध्रुवसेन^१ और कंसाचार्य ये क्रमशः पांच आचार्य ग्यारह अंगोंके पारगामी और चौदह पूर्वोंके एक देशधारी हुए ।

कंसाचार्यके अनन्तर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु^२ और लोहाचार्य ये क्रमशः चार आचार्य आचारांगके पूर्णपाठी और शेष अंगों तथा पूर्वोंके एक देशधारी हुए * ।

लोहाचार्यके बाद सर्व अंगों तथा पूर्वोंका वह एकदेशश्रुत जो आचार्य-परम्परासे चला आया था धरसेनाचार्यको प्राप्त हुआ । धरसेनाचार्य अष्टांग महानिमित्तके पारगामी थे । वे जिस समय सोरठ देशके गिरिनगर (गिरनार) पहाड़की चन्द्र-गुहामें स्थित थे उन्हें अपने पासके ग्रन्थ (श्रुत) के व्युच्छेद हो जानेका भय हुआ, और इसलिये प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन्होंने दक्षिणा-पथके आचार्योंके पास, जो उस समय महिमा^३ नगरीमें सम्मिलित हुए

^१ यहां पर यद्यपि द्रुमसेन (द्रुमसेणो) नाम दिया है परन्तु इसी ग्रंथके 'वेदना' खंडमें और जयधवलामें भी उसे ध्रुवसेन नामसे उल्लेखित किया है—पूर्ववर्ती ग्रंथ 'तिलोयपरायत्ती' में भी ध्रुवसेन नामका उल्लेख मिलता है । इससे यही नाम ठीक जान पड़ता है । अथवा द्रुमसेनको इसका नामान्तर समझना चाहिये । इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें द्रुमसेन नामसे ही उल्लेख किया है ।

† अनेक पट्टावलियोंमें यशोबाहुको भद्रबाहु (द्वितीय) सूचित किया है और इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार में 'जयबाहु' नाम दिया है तथा यशोभद्रकी जगह अभयभद्र नामका उल्लेख किया है ।

* इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें इन आचार्योंको शेष अंगों तथा पूर्वोंके एक देश धारी नहीं लिखा, न धर्मसेनादिको चौदह पूर्वोंके एकदेश-धारी लिखा और न विशाखाचार्यादिको शेष चार पूर्वोंके एक देश-धारी ही बतलाया है । इसलिये धवलके ये उल्लेख खास विशेषताको लिए हुए हैं और बुद्धि-ग्राह्य तथा समुचित मालूम होते हैं ।

‡ 'महिमानगड'-नामक एक गांव सतारा ज़िले में है (देखो, 'स्थलनामकोश'), संभवतः यह वही जान पड़ता है ।

थे (दक्खिणावहाइरियाणां महिमाए मिलियाणां) ❀ एक लेख (पत्र) भेजा । लेखस्थित धरसेनके वचनानुसार उन आचार्योंने दो साधुओंको, जो कि ग्रहण-धारणमें समर्थ थे, बहुविध निर्मल विनयसे विभूषित तथा शील-मालाके धारक थे, गुरु-सेवामें सन्तुष्ट रहने वाले थे, देश कुल-जातिसे शुद्ध थे और सकल-कला-पारगामी एवं तीक्ष्ण बुद्धिके धारक आचार्य थे—अन्ध देशके वेण्यातट* नगरसे धरसेनाचार्यके पास भेजा । (अंधविसय-वेण्यायडादो पेसिदा) । वे दोनों साधु जब आ रहे थे तब रात्रिके पिछले भागमें धरसेन भट्टारकरने स्वप्नमें सर्व-लक्षण सम्पन्न दो धवल वृषभोंको अपने चरणोंमें पड़ते हुए देखा । इस प्रकार सन्तुष्ट हुए धरसेनाचार्यने ‘जयउ सुयदेवदा’ ❀ ऐसा कहा । उसी दिन वे दोनों साधुजन धरसेनाचार्यके पास पहुँच गये और तब भगवान् धरसेनका कृतिकर्म (वन्दनादि) करके उन्होंने दो दिन विश्राम किया, फिर तीसरे दिन विनयके साथ धरसेन भट्टारकको यह बतलाया कि ‘हम दोनों जन अमुक कार्यके लिये आपकी चरण-शरणमें आए हैं ।’ इसपर धरसेन भट्टारकने ‘सुट्ठु भइ’ ऐसा कहकर उन दोनोंको आश्वासन दिया और फिर वे इस प्रकार चिन्तन करने लगे—

❀ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके निम्न वाक्यसे यह कथन स्पष्ट नहीं होता—वह कुछ गड़बड़को लिये हुये जान पड़ता है :—

“देशेन्द्र (अन्ध ?) देशनामनि वेणाकतटीपुरे महामहिमा । समुदित मुनीन् प्रति...”

इसमें ‘महिमासमुदितमुनीन्’ लिखा है तो आगे, लेखपत्रके अर्थका उल्लेख करते हुए, उसमें ‘वेणाकतटसमुदितयतीन्’ विशेषण दिया है जो कि ‘महिमा’ और ‘वेण्यातट’ के वाक्योंको ठीक रूपमें न समझनेका परिणाम हो सकता है ।

* ‘वेण्या’ नामकी एक नदी सतारा जिले में है (देखो ‘स्थलनाम कोश’) । संभवतः यह उसीके तट पर बसा हुआ नगर जान पड़ता है ।

❀ इन्द्रनन्दिश्रुतावतारमें ‘जयतु-श्रीदेवता’ लिखा है, जो कुछ ठीक मालूम नहीं होता; क्योंकि प्रसंग श्रुतदेवताका है ।

† इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें तीन दिनके विश्रामका उल्लेख है ।

❖ 'सेलघण-भग्गघड-अहि-चालणि-महिसाऽवि-जाहय-सुएहि ।'

मट्टिय-मसयसमाणं वक्खाणइ जो सुदं मोहा ॥१॥

धद-गारवपडिवद्धो विसयामिस-विस-वसेण घुम्मंतो ।

सो भट्टबोहिलाहां भमइ चिरं भव-वणे मूढो ॥२॥

इस वचनसे स्वच्छन्दचारियोंको विद्या देना संसार-भयका बढ़ाने वाला है ।

ऐसा चिन्तन कर, शुभ-स्वप्नके दर्शनसे ही पुरुषभेदको जाननेवाले धरसेनाचार्यने फिर भी उनकी परीक्षा करना अंगीकार किया । सुपरीक्षा ही निःसन्देह हृदय-को मुक्ति दिलाती है * । तब धरसेनने उन्हें दो विद्याएँ दीं—जिनमें एक अधिकाक्षरी, दूसरी हीनाक्षरी थी—और कहा कि इन्हें पष्ठोपवासके साथ साधन करो । इसके बाद विद्या सिद्ध करके जब वे विद्यादेवताओंको देखने लगे तो उन्हें मालूम हुआ कि एकका दाँत बाहरको बढ़ा हुआ है और दूसरी कानी (एकाक्षरी) है । देवताओंका ऐसा स्वभाव नहीं होता, यह विचार कर जब उन मंत्र-व्याकरणमें निपुण मुनियोंने हीनाधिक अक्षरोंका क्षेपण-अपनयन विधान करके—कमीवेशीको दूरकरके—उन मंत्रोंको फिरसे पढ़ा तो तुरन्त ही वे दोनों विद्या देवियाँ अपने अपने स्वभाव-रूपमें स्थित होकर नजर आने लगीं । तदनन्तर उन मुनियोंने विद्या-सिद्धिका सब हाल पूर्णविनयके साथ भगवद् धरसेनसे निवेदन किया । इस पर धरसेनजीने सन्तुष्ट होकर उन्हें सौम्य तिथि और प्रगस्त नक्षत्रके दिन उस ग्रन्थका पढ़ाना प्रारम्भ किया, जिसका नाम 'महाकम्पपयडिपाहुड' (महाकर्मप्रकृतिप्राभृत) था । फिर क्रमसे उसकी व्याख्या करते हुए (कुछ दिन व्यतीत होने पर) आषाढ शुक्ला एकादशीको

❖ इन गाथाओंका संक्षिप्त आशय यह है कि 'जो आचार्य गौरवादिक वशवर्ती हुआ मोहसे ऐसे श्रोताओंको श्रुतका व्याख्यान करता है जो शैलघन, भग्न घट, सर्प, छलनी, महिष, मेष, जोंक, शुक, मिट्टी और मशकके समान हैं—इन जैसी प्रकृतिको लिये हुए हैं—वह मूढ़ बोधिलाभसे अष्ट होकर चिर-काल तक संसार-वनमें परिभ्रमण करता है ।'

* इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें 'सुपरीक्षा हृन्निर्वर्तिकरीति, इत्यादि वाक्य के द्वारा परीक्षाकी यही बात सूचित की है; परन्तु इससे पूर्ववर्ती चिन्तनादि-विषयक कथन, जो इसपर 'धरसेन' से प्रारम्भ होता है, उसमें नहीं है ।

पूर्वाह्न के समय ग्रन्थ समाप्त किया गया। विनयपूर्वक ग्रन्थका अध्ययन समाप्त हुआ, इससे सन्तुष्ट होकर भूतोंने वहांपर एक मुनीकी शंख-तुरहीके शब्द सहित पुष्पबलिसे महती पूजा की। उसे देखकर धरसेन भट्टारकने उस मुनिको 'भूतबलि' नाम रक्खा, और दूसरे मुनिका नाम 'पुष्पदन्त' रक्खा, जिसको पूजाके अवसर पर भूतोंने उसकी अस्तव्यस्त रूपसे स्थित विषमदन्त पंक्तिको सम अर्थात् ठीक कर दिया था। फिर उसी नाम-करणके दिन धरसेनाचार्यने उन्हें रुखसत (विदा) कर दिया। गुरुवचन अलंघनीय है, ऐसा विचार कर वे वहां से चल दिये और उन्होंने अंकलेश्वर+ में आकर वर्षाकाल व्यतीत किया × ।

वर्षायोगको समाप्त करके तथा जिनपालित* को देखकर पुष्पदन्ताचार्य तो बनवास देशको चले गये और भूतबलि भी द्रमिल (द्राविड) देशको प्रस्थान कर गये। इसके बाद पुष्पदन्ताचार्यने जिनपालितको दीक्षा देकर, बीस सूत्रों (विंशति प्ररूपणात्मकसूत्रों) की रचना कर और वे सूत्र जिनपालितको पढ़ाकर उसे भगवान् भूतबलिके पास भेजा। भगवान् भूतबलिने जिनपालितके पास उन विंशतिप्ररूपणात्मक सूत्रोंको देखा और साथ ही यह मालूम किया कि जिनपालित अल्पायु है। इससे उन्हें 'महाकर्मप्रकृतिप्राभूत' के व्युच्छेदका विचार

+ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें उक्त मुनियोंका यह नामकरण धरसेनाचार्यके द्वारा न होकर भूतों द्वारा किया गया, ऐसा उल्लेख है।

§ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें ग्रन्थसमाप्ति और नामकरणका एक ही दिन विधान करके, उससे दूसरे दिन रुखसत करना लिखा है।

+ यह गुजरातके भरोच (Broach) जिलेका प्रसिद्ध नगर है।

× इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें ऐसा उल्लेख न करके लिखा है कि खुद धरसेना-चार्यने उन दोनों मुनियोंको 'कुरीश्वर' (?) पत्तन भेज दिया था जहां वे ६ दिनमें पहुँचे थे और उन्होंने वहीं आषाढ़ कृष्ण पंचमीको वर्षायोग ग्रहण किया था।

§ इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें जिनपालितको पुष्पदन्तका भानजा लिखा है और दक्षिणकी ओर विहार करते हुए दोनों मुनियोंके करहाट पहुँचने पर उसके देखने का उल्लेख किया है।

उत्पन्न हुआ और तब उन्होंने (उक्त सूत्रोंके बाद) 'द्रव्यप्रमाणानुगम' नाम-
के प्रकरणको आदिमें रखकर ग्रन्थकी रचना की । इस ग्रन्थका नाम ही 'षट्-
खण्डागम' है; क्योंकि इस आगम ग्रन्थमें १ जीवस्थान, २ क्षुल्लकबन्ध, ३ बन्ध-
स्वामित्वविचय, ४ वेदना, ५ वर्गणा और ६ महाबन्ध नामके छह खण्ड अर्थात्
विभाग हैं, जो सब महाकर्म-प्रकृतिप्राभृत-नामक मूलागमग्रन्थको संक्षिप्त करके
अथवा उसपरसे समुद्धृत करके लिखे गये हैं । और वह मूलागम द्वादशांगश्रुतके
अग्रायणीय-पूर्वस्थित पंचमवस्तुका चौथा प्राभृत है । इस तरह इस षट्खण्डागम
श्रुतके मूलतंत्रकार श्रीवर्द्धमान महावीर, अनुतंत्रकार गौतमस्वामी और
उपतंत्रकार भूतबलि-पुष्पदन्तादि आचार्योंको समझना चाहिये । भूतबलि-
पुष्पदन्तमें पुष्पदन्ताचार्य सिर्फ 'सत्प्ररूपणा' नामके प्रथम अधिकारके कर्ता
हैं, शेष सम्पूर्ण ग्रन्थके रचयिता भूतबलि आचार्य हैं । ग्रन्थका श्लोक-
परिमाण इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके कथनानुसार ३६ हजार है, जिनमेंसे ६ हजार
संख्या पांच खण्डोंकी और शेष महाबन्ध खण्डकी है; और ब्रह्महेमचन्द्रके श्रुत-
स्कन्धानुसार ३० हजार है ।

यह तो हुई धवलाके आधारभूत षट्खण्डागमश्रुतके अवतारकी कथा; अब
जयधवलाके आधारभूत 'कषायपाहुड' श्रुतको लीजिये, जिसे 'पेज्जदोस पाहुड' भी
कहते हैं । जय धवलामें इसके अवतारकी प्रारम्भिक कथा तो प्रायः वही दी है
जो महावीरसे आचारांग-धारी लोहाचार्य तक ऊपर वर्णन की गई है—मुख्य
भेद इतना ही है कि यहाँ पर एक-एक विषयके आचार्योंका काल भी साथमें
निर्दिष्ट कर दिया गया है, जब कि 'धवला' में उसे अन्यत्र 'वेदना' खण्डका
निर्देश करते हुए दिया है । दूसरा भेद आचार्योंके कुछ नामोंका है । जयधवलामें
गौतमस्वामीके बाद लोहाचार्यका नाम न देकर सुधर्माचार्यका नाम दिया है, जो
कि वीर भगवान्के बाद होने वाले तीन केवलियोंमेंसे द्वितीय केवलीका प्रसिद्ध
नाम है । इसी प्रकार जयपालकी जगह जसपाल और जसबाहूकी जगह जयबाहू
नामका उल्लेख किया है । प्राचीन लिपियोंको देखते हुए 'जस' और 'जय' के
लिखनेमें बहुत ही कम अन्तर प्रतीत होता है इससे साधारण लेखकों द्वारा 'जस'
का 'जय' और 'जय' का 'जस' समझ लिया जाना कोई बड़ी बात नहीं है । हाँ,
लोहाचार्य और सुधर्माचार्यका अन्तर अवश्य ही चिन्तनीय है । जयधवलामें कहीं

कहीं गौतम और जम्बूस्वामीके मध्य लोहाचार्यका ही नाम दिया है; जैसा कि उसके 'अगुभागविहति' प्रकरणके निम्न अंशसे प्रकट है :—

“विउलगिरिमत्थयत्थवड्ढमाणदिवायरदो विणिग्गमिय गोदम लो-
हज्ज-जंबुसामियादि आइरिय परंपराए आगंतूण गुणहराइरियं पाविय”
(आराकी प्रति पत्र ३१३)

जब धवला और जयधवला दोनों ग्रन्थोंके रचयिता वीरसेनाचार्यने एक ही व्यक्तिके लिये इन दो नामोंका स्वतन्त्रतापूर्वक उल्लेख किया है, तब वे दोनों एक ही व्यक्तिके नामान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये; परन्तु जहाँ तक मुझे मालूम है, इसका समर्थन अन्यत्रसे अथवा किसी दूसरे पृष्ठ प्रमाणसे अभी तक नहीं होता—पूर्ववर्ती ग्रन्थ 'तिलोयपण्णत्ती' में भी 'सुधर्मस्वामी' नामका उल्लेख है। अस्तु; जयधवला परसे शेष कथाकी उपलब्धि निम्न प्रकार होती है:—

आचारांग-धारी लोहाचार्यका स्वर्गवास होने पर सर्व अंगों तथा पूर्वोंका जो एकदेशश्रुत आचार्य परम्परासे चला आया था वह गुणधराचार्यको प्राप्त हुआ। गुणधराचार्य उस समय पाँचवें ज्ञानप्रवाद-पूर्वस्थित दशम वस्तुके तीसरे 'कसाय-पाहुड' नामक ग्रन्थ-महार्णवके पारगामी थे। उन्होंने ग्रन्थ-व्युच्छेदके भयसे और प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर, सोलह हजार पद-परिमाण उस 'पेज्जदोसपाहुड' ('कसायपाहुड') का १८०* सूत्र गाथाओंमें उपसंहार किया—सार खींचा। साथ ही, इन गाथाओंके सम्बन्ध तथा कुछ वृत्ति-आदिकी सूचक ५३ विवरण-गाथाएँ भी और रचीं, जिससे गाथाओंकी कुल संख्या २३३ हो गई। इसके बाद ये सूत्र-गाथाएँ आचार्य-परम्परासे चलकर आर्यमंथु और नागहस्ती नामके आचार्योंको प्राप्त हुईं। इन दोनों आचार्योंके पाससे गुणधराचार्यकी उक्त

* इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें 'त्र्यधिकाशीत्या युक्तं शतं' पाठके द्वारा मूलसूत्र-गाथाओंकी संख्या १८३ सूचित की है, जो ठीक नहीं है और समझनेकी किसी गलतीपर निर्भर है। जयधवलामें १८० गाथाओंका खूब खुलासा किया गया है।

† इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें लिखा है कि 'गुणधराचार्यने इन गाथासूत्रोंको रचकर स्वयं ही इनकी व्याख्या नागहस्ती और आर्यमंथुको बतलाई।' इससे ऐतिहासिक कथनमें बहुत बड़ा अन्तर पड़ जाता है।

साथाओंके अर्थको भलेप्रकार सुनकर यतिवृषभाचार्यने उन पर चूणि-सूत्रोंकी रचना की, जिनकी संख्या छह हजार श्लोक-परिमाण है। इन चूणि-सूत्रोंको साथमें लेकर ही जयधवला-टीकाकी रचना हुई है, जिसके प्रारम्भका एक तिहाई भाग (२० हजार श्लोक-परिमाण) वीरसेनाचार्यका और शेष (४० हजार श्लोक-परिमाण) उनके शिष्य जिनसेनाचार्यका लिखा हुआ है।

जयधवलामें चूणि-सूत्रों पर लिखे हुए उच्चारणाचार्यके वृत्ति-सूत्रोंका भी कितना ही उल्लेख पाया जाता है परन्तु उन्हें टीकाका मुख्याधार नहीं बनाया गया है और न सम्पूर्ण वृत्ति-सूत्रोंको उद्धृत ही किया जान पड़ता है, जिनकी संख्या इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें १२ हजार श्लोक-परिमाण बतलाई है।

इस प्रकार संक्षेपमें यह दो सिद्धान्तागमोंके अवतारकी कथा है, जिनके आधारपर फिर कितने ही ग्रंथोंकी रचना हुई है। इसमें इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार-से अनेक अंशोंमें कितनी ही विशेषता और विभिन्नता पाई जाती है, जिसकी कुछ मुख्य मुख्य बातोंका दिग्दर्शन, तुलनात्मक दृष्टिसे, इस लेखके फुटनोटोंमें कराया गया है।

यहाँ पर मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि धवला और जयधवलामें गौतम स्वामीसे आचारांगधारी लोहाचार्य तकके श्रुतधर आचार्योंकी एकत्र गणना करके और उनकी रूढकाल-गणना ६८३ वर्षकी देकर उसके बाद धर-सेन और गुणधर आचार्योंका नामोल्लेख किया गया है, साथमें इनकी गुरुपरम्पराका कोई खास उल्लेख नहीं किया गया* और इस तरह इन दोनों आचार्यों का समय यों ही वीर-निर्वाणसे ६८३ वर्ष बादका सूचित किया है। यह सूचना ऐतिहासिक दृष्टिसे कहाँ तक ठीक है अथवा क्या कुछ आपत्तिके योग्य है इसके विचारका यहाँ अवसर नहीं है। फिर भी इतना जरूर कह देना होगा कि मूल सूत्रग्रन्थोंको देखते हुए टीकाकारका यह सूचन कुछ त्रुटिपूर्ण अवश्य जान पड़ता है, जिसका स्पष्टीकरण फिर किसी समय किया जायगा।



* इन्द्रनन्दिने तो अपने श्रुतावतारमें यह स्पष्ट लिख दिया है कि इन गुणधर और धरसेनाचार्यकी गुरुपरम्पराका हाल हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उसको बतलानेवाले शास्त्रों तथा मुनि-जनोंका इस समय अभाव है।

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य और उनके ग्रन्थ

प्राकृत दिगम्बर जैनवाङ्मयमें सबसे अधिक ग्रन्थ (२२ या २३) श्रीकुन्दकुन्दाचार्य के उपलब्ध हैं, जो ८४ पाहुड ग्रन्थोंके कर्ता प्रसिद्ध हैं और जिनके विदेह-क्षेत्रमें श्रीसीमन्धर-स्वामीके समवसरणमें जाकर साक्षात् तीर्थकर-मुख तथा गणधरदेवसे बोध प्राप्त करनेकी कथा भी सुप्रसिद्ध है॥ और जिनका समय विक्रमकी प्रायः प्रथम शताब्दी माना जाता है ।

यहाँ पर मैं इन ग्रन्थकार-महोदयके सम्बन्धमें इतना और बतला देना चाहता हूँ कि इनका पहला—सम्भवतः दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दी था †; परन्तु ये कोण्डकुन्दाचार्य अथवा कुन्दकुन्दाचार्यके नामसे ही अधिक प्रसिद्धको प्राप्त हुए हैं, जिसका कारण 'कोण्डकुन्दपुर' के अधिवासी होना बतलाया जाता है,

ॐ देवसेनाचार्यने भी, अपने दर्शनसार (वि० सं० ११०) की निम्न गाथामें, कुन्दकुन्द (पद्मनन्दि) के सीमन्धर-स्वामीसे दिव्यज्ञान प्राप्त करनेकी बात लिखी है;—

जइ पउमण्दि-णाहो सीमन्धरसामि-दिव्वणाणोण ।

एण विवोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥४३॥

† तस्यान्वये भूत्रिदिते बभूव यः पद्मनन्दि-प्रथमाभिधानः ।

श्रीकौडकुन्ददिमुनीश्वरराख्यस्ससंयमादुदगत-चारणादिः ॥

इसी नामसे इनकी वंशपरम्परा चली है अथवा 'कुन्दकुन्दान्वय' स्थापित हुआ है, जो अनेक शाखा-प्रशाखाओंमें विभक्त होकर दूर दूर तक फैला है। मर्कराके ताम्रपत्रमें, जो शक संवत् ३८८ में उत्कीर्ण हुआ है, इसी कोण्डकुन्दान्वयकी परम्परामें होनेवाले छह पुरातन आचार्योंका गुरु-शिष्यके क्रमसे उल्लेख है॥ ये मूलसंघके प्रधान आचार्य थे, पूतात्मा थे, सत्संयम एवं तपश्चरणके प्रभावसे इन्हें चारण-ऋद्धिकी प्राप्ति हुई थी और उसके बलपर ये पृथ्वीसे प्रायः चार अंगुल ऊपर अन्तरिक्षमें चला करते थे। इन्होंने भरतक्षेत्रमें श्रुतकी—जैन आगमकी—प्रतिष्ठा की है—उसकी मान्यता एवं प्रभावको स्वयंके आचरणादि-द्वारा (खुद आमिल बनकर) ऊँचा उठाया तथा सर्वत्र व्याप्त किया है अथवा यों कहिये कि आगमके अनुसार चलनेको खास महत्व दिया है, ऐसा श्रवणबेलगोलके शिलालेखों आदिसे जाना जाता है ‡। ये बहुत ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित आचार्य हुए हैं। संभवतः इनकी उक्त श्रुत-प्रतिष्ठाके कारण ही शास्त्रसभाकी आदिमें जो मंगलाचरण 'मङ्गलं भगवान् वीरो' इत्यादि किया जाता है उस में 'मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो' इस रूपसे इनके नामका खास उल्लेख है।

आपके उपलब्ध ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :—

१ प्रवचनसार, २ समयसार, ३ पंचास्तिकाय—ये तीनों ग्रन्थ कुन्द-कुन्दाचार्य के ग्रन्थोंमें प्रधान स्थान रखते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और अखिल

॥ देखो, कुर्ग-इन्स्क्रिपशन्सका निम्न अंश :— (E. C. I.)

“.....श्रीमान् कोंगणि-महाधिराज अविनीतनामधेयदत्तस्य देसिगगणं कोण्डकुन्दान्वय-गुणचन्द्रभटारशिष्यस्य अभयणंदिभटारतस्य शिष्यस्य शीलभद्र भटार-शिष्यस्य जनाणंदिभटार-शिष्यस्य गुणणंदिभटार-शिष्यस्य वन्दणान्दि-भटारगणं अष्ट-अशीतिउत्तरस्य त्रयो-शतस्य सम्बत्सरस्य माघमासे.....”

‡ वन्द्यो विभुर्भुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः कुन्दप्रभा-प्रणयि-कीर्तिविभूषिताशः ।

यश्चारु-चारण-काराम्बुज-चञ्चरीकश्चक्रे-श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

—अ० शि० ५४

रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्येऽपि संव्यजयितुं यतीशः ।

रजः पदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरंगुलं सः ॥—अ० शि० १०५

जैन समाजमें समान आदरकी दृष्टिसे देखे जाते हैं । पहलेका विषय ज्ञान, ज्ञेय और चारित्ररूप तत्त्व-त्रयके विभागसे तीन अधिकारोंमें विभक्त है, दूसरेका विषय शुद्ध आत्मतत्त्व है और तीसरेका विषय कालद्रव्यसे भिन्न जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश नामके पाँच द्रव्योंका सविशेष-रूपसे वर्णन है । प्रत्येक ग्रंथ अपने-अपने विषयमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है । हरएक का यथेष्ट परिचय उस—उस ग्रंथको स्वयं देखने से ही सम्बन्ध रखता है ।

इनपर अमृतचन्द्राचार्य और जयसेनाचार्यकी खास संस्कृत टीकाएँ हैं, तथा बालचन्द्रदेवकी कन्नड टीकाएँ भी हैं; और भी दूसरी कुछ टीकाएँ प्रभाचन्द्रादिकी संस्कृत तथा हिन्दी आदिकी उपलब्ध हैं । अमृतचन्द्राचार्यकी टीकानुसार प्रवचन-सारमें २७५ समयसारमें ४१५ और पंचास्तिकायमें १७३ गाथाएँ हैं; जब कि जयसेनाचार्यकी टीकाके पाठानुसार इन ग्रंथोंमें गाथाओंकी संख्या क्रमशः ३११, ४३६ १८१ है । संक्षेपमें, जैनधर्मका मर्म अथवा उसके तत्त्वज्ञानको समझाके लिये ये तीनों ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हैं ।

४. नियमसार—कुन्दकुन्दका यह ग्रंथ भी महत्त्वपूर्ण है और अध्यात्म-विषयको लिये हुए है । इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको नियम—नियमसे किया जानेवाला कार्य—एवं मोक्षोपाय बतलाया है और मोक्षके उपायभूत सम्यग्दर्शनादिका स्वरूपकथन करते हुए उनके अनुष्ठानका तथा उनके विपरीत मिथ्यादर्शनादिके त्यागका विधान किया है और इसीको (जीवनका) सार निर्दिष्ट किया है । इस ग्रन्थपर एकमात्र संस्कृत टीका पद्मप्रभ-मलधारिदेवकी उपलब्ध है और उसके अनुसार ग्रन्थकी गाथा-संख्या १८७ है । टीकामें मूलको द्वादश श्रुतस्कन्धरूप जो १२ अधिकारोंमें विभक्त किया है वह विभाग मूलकृत नहीं है—मूल परसे उसकी उपलब्धि नहीं होती, मूलको समझनेमें उससे कोई मदद भी नहीं मिलती और न मूलकारका वैसा कोई अभिप्राय ही जाना जाता है । उसकी सारी जिम्मेदारी टीकाकारपर है । इस टीकाने मूलको उल्टा कठिन कर दिया है । टीकामें बहुधा मूलका आश्रय छोड़कर अपना ही राग अलापा गया है—मूलका स्पष्टीकरण जैसा चाहिये था वैसा नहीं किया । टीकाके बहुतसे वाक्यों और पद्योंका सम्बन्ध परस्परमें नहीं मिलता । टीकाकारका आशय अपनी गद्य-पद्यात्मक काव्यशक्तिको प्रकट करनेका

अधिक रहा है—उसके काव्योंका मूलके साथ मेल बहुत कम है। अध्यात्म-कथन होनेपर भी जगह जगहपर स्त्रीका अनावश्यक स्मरण किया गया है और अलंकाररूपमें उसके लिये उत्कंठा व्यक्त की गई है, मानो सुख स्त्रीमें ही है। इस ग्रंथका टीकासहित हिन्दी अनुवाद ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने किया है और वह प्रकाशित भी हो चुका है।

५. बारस-अणुवेकखा (द्वादशानुप्रेक्षा)—इसमें १ अध्रुव (अनित्य), २ अशरण, ३ एकत्व, ४ अन्यत्व, ५ संसार, ६ लोक, ७ अशुचित्य, ८ आसव, ९ संवर, १० निर्जरा, ११ धर्म, १२ बोधिदुर्लभ नामकी बारह भावनाओंका ६१ गाथाओंमें सुन्दर वर्णन है। इस ग्रंथकी 'सव्वे वि पोग्गला खलु' इत्यादि पांच गाथाएँ (नं० २५ से २९) श्रीपूज्यपादाचार्य-द्वारा, जो कि विक्रमकी छठी शताब्दीके विद्वान् हैं, सर्वार्थसिद्धि के द्वितीय अध्यायान्तर्गत दशवें सूत्रकी टीकामें 'उक्तं च' रूपसे उद्धृत की गई हैं।

६. दंसणपाहुड—इसमें सम्यग्दर्शनके माहात्म्यादिका वर्णन ३६ गाथाओंमें है और उससे यह जाना जाता है कि सम्यग्दर्शनको ज्ञान और चारित्र्यपर प्रधानता प्राप्त है। वह धर्मका मूल है और इसलिये जो सम्यग्दर्शनसे—जीवादि तत्त्वोंके यथार्थ श्रद्धानसे—अष्ट है उसको सिद्धि अथवा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

७. चारित्तपाहुड—इस ग्रंथकी गायसंख्या ४४ और उसका विषय सम्यक् चारित्र्य है। सम्यक्चारित्र्यको सम्यक्त्वचरण और संयमचरण ऐसे दो भेदोंमें विभक्त करके उनका अलग अलग स्वरूप दिया है और संयमचरणके सागार अनगार ऐसे दो भेद करके उनके द्वारा क्रमशः श्रावकधर्म तथा यतिधर्मका अतिसंक्षेपमें प्रायः सूचनात्मक निर्देश किया है।

८. सुत्तपाहुड—यह ग्रंथ २७ गाथात्मक है। इसमें सूत्रार्थकी मार्गणाका उपदेश है—आगमका महत्व ख्यापित करते हुए उसके अनुसार चलनेकी शिक्षा दी गई है। और साथ ही सूत्र (आगम) को कुछ बातोंका स्पष्टताके साथ निर्देश किया गया है, जिनके संबंधमें उस समय कुछ विप्रतिपत्ति या अलतफहमी फैली हुई थी अथवा प्रजासममें आरही थी।

९. बोधपाहुड—इस पाहुड का शरीर ६२ गाथाओंसे निर्मित है। इनमें

१ आयतन, २ चैत्यगृह, ३ जिनप्रतिमा, ४ दर्शन ५ जिनबिम्ब, ६ जिनमुद्रा, ७ आत्मज्ञान, ८ देव, ९ तीर्थ, १० अर्हन्त, ११ प्रव्रज्या इन ग्यारह बातोंका क्रमशः आगमानुसार बोध दिया गया है। इस ग्रंथकी ६१ वीं गाथामें॥कुन्दकुन्दने अपनेको भद्रबाहुका शिष्य प्रकट किया है जो संभवतः भद्रबाहु द्वितीय जान पड़ते हैं; क्योंकि भद्रबाहु श्रुतकेवलीके समयमें जिनकथित श्रुतमें ऐसा विकार उपस्थित नहीं हुआ था जिसे उक्त गाथामें 'सहवियारों हूओ भासासुत्तेसु जं जिणो कहियं' इन शब्दोंद्वारा सूचित किया गया है—वह अविच्छिन्न चला आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह स्थिति नहीं रही थी—कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका था और जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषा-सूत्रोंमें परिवर्तित हो गया था। इससे ६१ वीं गाथाके भद्रबाहु भद्रबाहुद्वितीय ही जान पड़ते हैं। ६२ वीं गाथामें उसी नामसे प्रसिद्ध होने वाले प्रथम भद्रबाहुका जो कि बारह अंग और चौदहपूर्वके ज्ञाता श्रुतकेवली थे, अन्त्य मंगलके रूपमें जयघोष किया गया और उन्हें साफ तौर पर 'गमकगुरु' लिखा है। इस तरह अन्तकी दोनों गाथाओंमें दो अलग अलग भद्रबाहुओंका उल्लेख होना अधिक युक्तियुक्त और बुद्धिगम्य जान पड़ता है।

१०. भावपाहुड—१६३ गाथाओंका यह ग्रन्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें भावकी—चित्तशुद्धिकी—महत्ताको अनेक प्रकारसे सर्वोपरि ख्यापित किया गया है। विना भावके बाह्यपरिग्रहका त्याग करके नग्न दिग्म्बर साधु तक होने और वनमें जा बैठनेको भी व्यर्थ ठहराया है। परिणामशुद्धिके बिना संसार-परिभ्रमण नहीं रुकता और न बिना भावके कोई पुरुषार्थ ही सधता है, भावके बिना सब कुछ निःसार है इत्यादि अनेक बहुमूल्य शिक्षाओं एवं मर्मकी बातोंसे यह ग्रन्थ परिपूर्ण है। इसकी कितनी ही गाथाओंका अनुसरण गुण-भद्राचार्यने अपने आत्मानुशासन ग्रन्थमें किया है।

११. मोक्षपाहुड—यह मोक्ष-प्राप्त भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है और इसकी गाथा-संख्या १०६ है। इसमें आत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनके स्वरूपको समझाया है और मुक्ति अथवा

॥ सहवियारो हूओ भासा-सुत्तेसु जं जिणो कहियं ।

सो तह कहियं गायं सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥ ६१ ॥

परमात्मपद कैसे प्राप्त हो सकता है इसका अनेक प्रकारसे निदर्श किया है। इस ग्रन्थके कितने ही वाक्योंका अनुसरण पूज्यपाद आचार्यने अपने 'समाधितंत्र' ग्रन्थ में किया है।

इन दंसणपाहुडसे मोक्खपाहुड तकके छह प्राभृत ग्रन्थोंपर श्रुतसागरसूरिकी टीका भी उपलब्ध है, जो कि माणिकचन्द-ग्रंथमालाके षट्प्राभृतादिसंग्रहमें मूल-ग्रंथोंके साथ प्रकाशित हो चुकी है।

१२. लिंगपाहुड—यह द्वाविंशति (२२) गाथात्मक ग्रंथ है। इसमें श्रमणलिङ्गको लक्ष्यमें लेकर उन आचरणोंका उल्लेख किया गया है जो इस लिङ्गधारी जैनसाधुके लिये निषिद्ध हैं और साथ ही उन निषिद्ध आचरणोंका फल भी नरकवासादि बतलाया गया है तथा उन निषिद्धाचारमें प्रवृत्ति करनेवाले लिङ्गभावसे शून्य साधुओंको श्रमण नहीं माना है—तिर्यञ्चयोनि बतलाया है।

१३. शीलपाहुड—यह ४० गाथाओंका ग्रन्थ है। इसमें शीलका—विषयोंसे विरागका—महत्त्व ख्यापित किया है और उसे मोक्ष-सोपान बतलाया है। साथ ही जीवदया, इन्द्रियदमन, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और तपको शीलका परिवार घोषित किया है।

१४. रयणसार—इस ग्रंथका विषय गृहस्थों तथा मुनियोंके रत्नत्रय-धर्म-सम्बन्धी कुछ विशेष कर्तव्योंका उपदेश अथवा उनकी उचित-अनुचित प्रवृत्तियोंका कुछ निर्देश है। परन्तु यह ग्रंथ अभी बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें स्थित है—जिस रूपमें अपनेको प्राप्त हुआ है उसपरसे न तो इसकी ठीक पद्य-संख्या ही निर्धारित की जा सकती है और न इसके पूर्णतः मूलरूपका ही कोई पता चलता है। माणिकचन्द-ग्रंथमालाके षट्प्राभृतादि-संग्रहमें इस ग्रंथकी पद्य-संख्या १६७ दी है। साथ ही फुटनोट्समें सम्पादकने जिन दो प्रतियों (क-ख) का तुलनात्मक उल्लेख किया है उसपरसे दोनों प्रतियोंमें पद्योंकी संख्या बहुत कुछ विभिन्न (हीनाधिक) पाई जाती है और उनका कितना ही क्रमभेद भी उपलब्ध है—सम्पादनमें जो पद्य जिस प्रतिमें पाये गये उन सबको ही बिना जांचके यथेच्छ क्रमके साथ ले लिया गया है। देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रति-परसे जब मैंने इस मा० ग्र० संस्करणकी तुलना की तो मालूम हुआ कि उसमें इस ग्रंथकी १२ गाथाएँ नं० ८, ३४, ३७, ४६, ५५, ५६, ६३, ६६, ६७,

११३, १२५, १२६ नहीं हैं और इसलिये उसमें ग्रंथकी पद्यसंख्या १५५ है। साथ ही उसमें इस ग्रंथकी गाथा नं० १७, १८ को आगे-पीछे; ५२ व ५३, ६१ व ६६ को क्रमशः १६३ के बाद, ५४ को १६४ के बाद, ६० को १६५ के पश्चात् १०१ व १०२ को आगे पीछे; ११० व १११को १६२ के अनन्तर, १२१ को ११६ के पूर्व और १२२ को १५४ के बाद दिया है। पं० कलापा भरमापा नितवेने इस ग्रंथको सन् १६०७ में मराठी अनुवादके साथ मुद्रित कराया था उसमें भी यद्यपि पद्य-संख्या १५५ है, और क्रमभेद भी देहली-प्रति-जैसा है, परन्तु उक्त १२ गाथाओंमें से ६३ वीं गाथाका अभाव नहीं है—वह मौजूद है; किन्तु मा० ग्र० संस्करणकी ३५ वीं गाथा नहीं है, जो कि देहली की उक्त प्रतिमें उपलब्ध है। इस तरह ग्रंथप्रतियोंमें पद्य-संख्या और उनके क्रमका बहुत बड़ा भेद पाया जाता है।

इसके सिवाय, कुछ अपभ्रंश भाषाके पद्य भी इन प्रतियोंमें उपलब्ध होते हैं, एक दोहा भी गाथाओंके मध्यमें आ चुसा है, विचारोंकी पुनरावृत्तिके साथ कुछ बेतरतीबी भी देखी जाती है, गण-गच्छादिके उल्लेख भी मिलते हैं और ये सब बातें कुन्दकुन्दके ग्रंथोंकी प्रकृतिके साथ संगत मालूम नहीं होतीं—मेल नहीं नहीं खातीं। और इसलिये विद्वद्वर प्रोफेसर ए० एन० उपाध्येने (प्रवचनसारकी अंग्रेजी प्रस्तावनामें) इस ग्रंथपर अपना जी यह विचार व्यक्त किया है वह ठीक ही है कि—‘रयणसार ग्रंथ गाथाविभेद, विचारपुनरावृत्ति, अपभ्रंश पद्योंकी उपलब्धि, गण-गच्छादि उल्लेख और बेतरतीबी आदिको लिये हुए जिस स्थितिमें उपलब्ध है उसपरसे वह पूरा ग्रन्थ कुन्दकुन्दका नहीं कहा जा सकता—कुछ अतिरिक्त गाथाओंकी मिलावटने उसके मूलमें गड़बड़ उपस्थित कर दी है। और इसलिये जब तक कुछ दूसरे प्रमाण उपलब्ध न हो जाएँ तब तक यह बात विचाराधीन ही रहेगी कि कुन्दकुन्द इस समग्र रयणसार ग्रंथके कर्ता है।’ इस ग्रंथपर संस्कृतकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

१५. सिद्धभक्ति—यह १२ गाथाओंका एक स्तुतिपरक ग्रंथ है, जिसमें सिद्धों की, उनके गुणों, भेदों, सुख, स्थान, आकृति और सिद्धिके मार्ग तथा क्रमका उल्लेख करते हुए, अति-भक्तिभावके साथ वन्दना की गई है। इसपर प्रभा-चन्द्राचार्यकी एक संस्कृत टीका है, जिसके अन्तमें लिखा है कि—“संस्कृताः

सर्वा भक्तयः पादपूज्यस्वामिकृताः प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यकृताः” अर्थात् संस्कृतकी सब भक्तियाँ पूज्यपाद स्वामीकी बनाई हुई हैं और प्राकृतकी सब भक्तियाँ कुन्दकुन्दाचार्यकृत हैं। दोनों प्रकारकी भक्तियोंपर प्रभाचन्द्रचार्यकी टीकाएँ हैं। इस भक्तिपाठके साथमें कहीं कहीं कुछ दूसरी पर उसी विषयकी, गाथाएँ भी मिलती हैं, जिनपर प्रभाचन्द्रकी टीका नहीं है और जो प्रायः प्रक्षिप्त जान पड़ती हैं; क्योंकि उनमेंसे कितनी ही दूसरे ग्रंथोंकी अंगभूत हैं। शोलापुरसे ‘दशभक्ति’ नामका जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसमें ऐसी ८ गाथाओं का शुरूमें एक संस्कृतपद्य-सहित अलग क्रम दिया है। इस क्रमकी ‘गमरागगमरागविमुक्ते’ और ‘तवसिद्धे रागसिद्धे’ नामकी गाथाएँ ऐसी हैं जो दूसरे ग्रंथोंमें नहीं पाई गईं।

१६. श्रुतभक्ति—यह भक्तिपाठ एकादश-गाथात्मक है। इसमें जैनश्रुतके आचाराङ्गादि द्वादश अंगोंका भेद-प्रभेद-सहित उल्लेख करके उन्हें नमस्कार किया गया गया है। साथ ही, १४ पूर्वोक्तोंसे प्रत्येककी वस्तुसंख्या और प्रत्येक वस्तुके प्राभूतों (पाहुडों) की संख्या भी दी है।

१७. चारित्रभक्ति—इस भक्तिपाठकी पद्यसंख्या १० है और वे अनुष्टुभ् छन्दमें हैं। इसमें श्रीवर्द्धमान-प्रणीत सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसंयम (सूक्ष्मसाम्पराय) और यथाख्यात नामके पाँच चारित्रों, अहिंसादि २८ मूलगुणों तथा दशधर्मों, त्रिगुप्तियों, सकलशीलों, परीषहोंके जय और उत्तरगुणोंका उल्लेख करके उनकी सिद्धि और सिद्धि-फल मुक्तिमुखकी भावना की है।

१८. योगि (अनगार) भक्ति—यह भक्तिपाठ २३ गाथाओंको अङ्गरूप में लिये हुए है। इसमें उत्तम अनगारों—योगियोंकी अनेक अवस्थाओं, ऋद्धियों, सिद्धियों तथा गुणोंके उल्लेखपूर्वक उन्हें बड़ी भक्तिभावके साथ नमस्कार किया है, योगियोंके विशेषणरूप गुणोंके कुछ समूह परिसंख्यानात्मक पारिभाषिक शब्दों में दो की संख्यासे लेकर चौदह तक दिये हैं; जैसे ‘दोदोसविप्पमुक्क’ तिदंडविरदं, तिसल्लपरिसुद्धं, तिण्णिगगरवरहिअं, तियरगमुद्धं, चउदसगंथपरिसुद्धं, चउद-सपुव्वपगम्भ और चउदसमलविवज्जिद’ इस भक्तिपाठके द्वारा जैनसाधुओंके आदर्श-जीवन एवं चर्याका अच्छा स्पष्टरूपीय सुन्दर स्वरूप सामने आजाता है।

कुछ ऐतिहासिक बातोंका भी पता चलता है, और इससे यह भक्तिपाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण जान पड़ता है।

१६. आचार्यभक्ति—इसमें १० गाथाएँ हैं और उनमें उत्तम-आचार्योंके गुणोंका उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है। आचार्य परमेष्ठी किन किन खास गुणोंसे विशिष्ट होने चाहियें, यह इस भक्तिपाठपरसे भले प्रकार जाना जाता है।

२०. निर्वाणभक्ति—इसकी गाथासंख्या २७ है। इसमें प्रधानतया निर्वाणको प्राप्त हुए तीर्थकरों तथा दूसरे पूतात्म-पुरुषोंके नामोंका, उन स्थानोंके नाम-सहित स्मरण तथा वन्दन किया गया है जहाँसे उन्होंने निर्वाण-पदकी प्राप्ति की है। साथ ही, जिन स्थानोंके साथ ऐसे व्यक्ति-विशेषोंकी कोई दूसरी स्मृति खास तौरपर जुड़ी हुई है ऐसे अतिशय क्षेत्रोंका भी उल्लेख किया गया है और उनकी तथा निर्वाणभूमियोंकी भी वन्दना की गई है। इस भक्तिपाठपर से कितनी ही ऐतिहासिक तथा पौराणिक बातों एवं अनुश्रुतियोंकी जानकारी होती है, और इस दृष्टिसे यह पाठ अपना खास महत्व रखता है।

२१. पंचगुरु (परमेष्ठि) भक्ति—इसकी पद्यसंख्या ७ (६) है। इसके प्रारम्भिक पाँच पद्योंमें क्रमशः अर्हत्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ऐसे पाँच गुरुवों—परमेष्ठियोंका स्तोत्र है, छठे पद्यमें स्तोत्रका फल दिया है और ये छहों पद्य सृग्विणी छंदमें हैं। अन्तका ७ वाँ पद्य गाथा है, जिसमें अर्हदादि पंच परमेष्ठियोंके नाम देकर और उन्हें पंचनमस्कार (गमोकारमंत्र) के अंगभूत बतलाकर उनसे भवभवमें सुखकी प्रार्थना की गई है। यह गाथा प्रक्षिप्त जान पड़ती है। इस भक्तिपर प्रभाचन्द्रकी संस्कृत टीका नहीं है।

२२. थोस्सामि शुद्धि—(तीर्थकरभक्ति)—यह 'थोस्सामि' पदसे प्रारंभ होनेवाली अष्टगाथात्मक स्तुति है, जिसे 'तित्थयरभक्ति' (तीर्थकरभक्ति) भी कहते हैं। इसमें वृषभादि-वर्द्धमान-पर्यन्त चतुर्विंशति तीर्थकरोंकी, उनके नामोल्लेख-पूर्वक, वन्दना की गई है और तीर्थकरोंके लिये जिन, जिनवर, जिनवरेन्द्र, नरप्रवर, केवली, अननन्तजिन, लोकमहित, धर्मतीर्थकर, विधूत-रज-मल, लोकोद्योतकर, अर्हन्त, प्रहीन-जर-मरण, लोकोत्तम, सिद्ध, चन्द्र-निर्मलतर, आदित्याधिकप्रभ और सागरमिव गम्भीर जैसे विशेषणोंका प्रयोग किया गया है। और अन्तमें

उनसे आरोग्यज्ञान-लाभ (निरावरण अथवा मोहविहीन ज्ञानप्राप्ति), समाधि (धर्म्य-शुक्लध्यानरूप चारित्र), बोधि (सम्यग्दर्शन) और सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) की प्रार्थना की गई है। यह भक्तिपाठ प्रथम पद्यको छोड़ कर शेष सात पद्योंके रूपमें थोड़ेसे परिवर्तनों अथवा पाठ-भेदोंके साथ, श्वेताम्बर समाजमें भी प्रचलित हैं और इसे 'लोगस्स सूत्र' कहते हैं। इस सूत्रमें 'लोगस्स' नामके प्रथम पद्यका छांदसिक रूप शेष पद्योंसे भिन्न है—शेष छहों पद्य जब गाथारूपमें पाये जाते हैं तब यह अनुष्टुप्-जैसे छंदमें उपलब्ध होता है, और यह भेद ऐसे छोटे ग्रंथमें बहुत ही खटकता है—खासकर उस हालतमें जबकि दिगम्बर सम्प्रदायमें यह अपने गाथारूपमें ही पाया जाता है। यहाँ पाठभेदोंकी दृष्टिसे दोनों सम्प्रदायों के दो पद्योंको तुलनाके रूपमें रक्खा जाता है :—

लोयस्सुज्जोययरे धम्मं-तित्थंकरे जिणे वंदे ।

अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवल्लिणे ॥ २ ॥ —दिगम्बरपाठ

लोगस्स उज्जोअगरे धम्मतित्थयरे जिणे ।

अरहंते कित्तइस्सं चउवीसं पि केवली ॥ १ ॥ —श्वेताम्बरपाठ

कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा ।

आरोग्ग-णाण-लाहं दिंतु समाहिं च मे बोहिं ॥ ७ ॥ —दिगम्बरपाठ

कित्तिय वंदिय महिया जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा ।

आरुग्ग-बोहिलाहं समाहिवरमुत्तमं दिंतु ॥ ६ ॥ —श्वेताम्बरपाठ*

इन दोनों नमूनोंपरसे पाठक इस स्तुतिकी साम्प्रदायिक स्थिति और मूलमें एकताका अच्छा अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है कि यह स्तुतिपाठ और भी अधिक प्राचीन—सम्प्रदाय-भेदसे भी बहुत पहलेका हो और दोनों सम्प्रदायोंने इसे थोड़े थोड़ेसे परिवर्तनके साथ अपनाया हो। अस्तु ।

कुन्दकुन्दके ये सब ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं ।

२३. मूलाचार और वट्टकेर—'मूलाचार' जैन साधुओंके आचार-विषयका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। वर्तमानमें दिगम्बर-सम्प्रदायका

* दोनों पद्योंका श्वेताम्बरपाठ पं० मुखलालजी-द्वारा सम्पादित 'पंचप्रति-क्रमण' ग्रन्थसे लिया गया है ।

‘आचाराङ्ग’ सूत्र समझा जाता है। धवला टीकामें आचाराङ्गके नामसे उसका नमूना प्रस्तुत करते हुए कुछ गाथाएँ उद्धृत हैं, वे भी इस ग्रन्थमें पाई जाती हैं; जब कि श्वेताम्बरोके आचाराङ्गमें वे उपलब्ध नहीं हैं। इससे भी इस ग्रन्थको आचाराङ्गकी स्थाति प्राप्त है। इसपर ‘आचारवृत्ति’ नामकी एक टीका आचार्य वसुनन्दीकी उपलब्ध है, जिसमें इस ग्रन्थको आचाराङ्गका उन्हीं पूर्वनिबद्ध द्वादश अधिकारोंमें उपसंहार (सारोद्धार) बतलाया, और उसके तथा भाषाटीकाके अनुसार इस ग्रन्थकी पद्यसंख्या १२४३ है। वसुनन्दी आचार्यने अपनी टीकामें इस ग्रन्थके कर्ताको वट्टकेराचार्य, वट्टकेर्याचार्य तथा वट्टेरकाचार्यके रूपमें उल्लेखित किया है। पहलारूपटीकाके प्रारम्भिक प्रस्तावना-वाक्यमें, दूसरा ९वें १०वें, ११वें अधिकारों के सन्धिवाक्योंमें और तीसरा ७ वें अधिकारके सन्धि-वाक्यमें पाया जाता है*। परन्तु इस नामके किसी भी आचार्यका उल्लेख अन्यत्र गुर्वावलियों, पट्टावलियों, शिलालेखों तथा ग्रन्थप्रशस्तियों आदिमें कहीं भी देखनेमें नहीं आता; और इसलिये ऐतिहासिक विद्वानों एवं रिसर्चस्कालरोंके सामने यह प्रश्न बराबर खड़ा हुआ है कि ये वट्टकेरादि नामके कौनसे आचार्य हैं और कब हुए हैं ?

मूलाचारकी कितनी ही ऐसी पुरानी हस्तलिखित प्रतियां पाई जाती हैं जिनमें ग्रन्थकर्ताका नाम कुन्दकुन्दाचार्य दिया हुआ है। डाक्टर ए० एन० उपाध्येको दक्षिणभारतकी ऐसी कुछ प्रतियोंको स्वयं देखनेका अवसर मिला है और जिन्हें, प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें, उन्होंने quite genuine in their appearance—‘अपने रूपमें बिना किसी मिलावटके बिल्कुल असली प्रतीत होनेवाली’ लिखा है। इसके सिवाय, माणिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमालामें मूलाचारकी जो सटीक प्रति प्रकाशित हुई है उसकी अन्तिम पुष्पिकामें भी मूलाचारको ‘कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत’ लिखा है। वह पुष्पिका इस प्रकार है :—

“इति मूलाचार-विवृत्तौ द्वादशोऽध्यायः । कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत-मूलाचाराख्यविवृत्तिः । कृतिरियं वसुनन्दिनः श्रीश्रमणस्य ।”

यह सब देखकर मेरे हृदयमें खयाल उत्पन्न हुआ कि कुन्दकुन्द एक बहुत

* देखो, माणिकचन्दग्रन्थमालामें प्रकाशित ग्रन्थके दोनों भाग नं० १६, २३ ।

बड़े प्रवर्तक आचार्य हुए हैं—आचार्य भक्तिमें उन्होंने स्वयं आचार्यके लिये 'प्रवर्तक' होना बहुत बड़ी विशेषता बतलाया है * और 'प्रवर्तक' विशिष्ट साधुओंकी एक उपाधि है, जो श्वेताम्बर जैन समाजमें आज भी व्यवहृत है। हो सकता है कि कुन्दकुन्दके इस प्रवर्तकत्व-गुणको लेकर ही उनके लिये यह 'वट्टकेर' जैसे पदका प्रयोग किया गया हो। और इसलिये मैंने वट्टकेर, वट्टकेरि और वट्टेरक इन तीनों शब्दोंके अर्थपर गम्भीरताके साथ विचार करना उचित समझा। तदनुसार मुझे यह मालूम हुआ कि 'वट्टक' का अर्थ वर्तक-प्रवर्तक है, 'इरा' गिरा-वाणी-सरस्वतीको कहते हैं, जिसकी वाणी-प्रवर्तिका हो—जनताको सदाचार एवं सन्मार्गमें लगाने वाली हो—उसे 'वट्टकेर' समझना चाहिये। दूसरे, वट्टकों—प्रवर्तकोंमें जो इरि=गिरि-प्रधान-प्रतिष्ठित हो अथवा इरि=समर्थ-शक्तिशाली हो उसे 'वट्टकेरि' जानना चाहिये। तीसरे, 'वट्ट' नाम वर्तन-आचरणका है और 'ईरक' प्रेरक तथा प्रवर्तकको कहते हैं, सदाचारमें जो प्रवृत्ति करानेवाला हो उसका नाम 'वट्टेरक' है; अथवा 'वट्ट' नाम मार्गका है, सन्मार्गका जो प्रवर्तक, उपदेशक एवं नेता हो उसे भी 'वट्टेरक' कहते हैं। और इसलिये अर्थकी दृष्टि से ये वट्टकेरादि पद कुन्दकुन्दके लिये बहुत ही उपयुक्त तथा संगत मालूम होते हैं। आश्चर्य नहीं जो प्रवर्तकत्व-गुणकी विशिष्टताके कारण ही कुन्दकुन्दके लिये वट्टेरकाचार्य (प्रवर्तकाचार्य) जैसे पदका प्रयोग किया गया हो। मूलाचारकी कुछ प्राचीन प्रतियोंमें ग्रन्थकर्तृत्वरूपसे कुन्दकुन्दका स्पष्ट नामोल्लेख उसे और भी अधिक पुष्ट करता है। ऐसी वस्तु-स्थितिमें सुहृद् पं० नाथूरामजी प्रेमीने जैनसिद्धान्तभास्कर (भाग १२ किरण १) में प्रकाशित 'मूलाचारके कर्ता वट्टकेरि' शीर्षक अपने हालके लेखमें, जो यह कल्पना की है कि, बेट्टेगेरि या बेट्टेकेरी नामके कुछ ग्राम तथा स्थान पाये जाते हैं, मूलाचारके कर्ता उन्हींमेंसे किसी बेट्टेगेरि या बेट्टेकेरी ग्रामके ही रहनेवाले होंगे और उसपरसे कोण्डकुन्दादिकी तरह 'बेट्टेकेरि' कहलाने लगे होंगे, वह कुछ संगत मालूम नहीं होती—बेट्ट और वट्ट शब्दोंके रूपमें ही नहीं किन्तु भाषा तथा अर्थमें भी बहुत अन्तर है। 'बेट्ट' शब्द, प्रेमीजीके लेखानुसार, छोटी पहाड़ी का वाचक कनड़ी भाषाका शब्द है और 'गेरि' उस भाषामें गली—मोहल्लेको

* बाल-गुरु-बुद्ध-सेहे गिलाण-थेरे य खमण-संजुत्ता ।

वट्टावयगा अण्णे दुस्सीले चावि जाणित्ता ॥ ३ ॥

कहते हैं; जब कि 'वट्ट' और 'वट्टक' जैसे शब्द प्राकृत भाषाके उपर्युक्त अर्थके वाचक शब्द हैं और ग्रंथकी भाषाके अनुकूल पड़ते हैं। ग्रंथभरमें तथा उसकी टीकामें बेट्टेगेरि या बेट्टेकेरि रूपका एक जगह भी प्रयोग नहीं पाया जाता और न इस ग्रंथके कर्तृत्वरूपमें अन्यत्र ही उसका प्रयोग देखनेमें आता है, जिससे उक्त कल्पनाको कुछ अवसर मिलता। प्रत्युत इसके, ग्रंथदानकी जो प्रशस्ति मुद्रित प्रतिमें अंकित है उसमें 'श्रीमद्वट्टेराचायकृतसूत्रस्य सद्विधेः' इस वाक्यके द्वारा 'वट्टेराक' नामका उल्लेख है, जोकि ग्रंथकार-नामके उक्त तीनों रूपोंमेंसे एक रूप है और सार्थक है। इसके सिवाय, भाषा-साहित्य और रचना-शैली की दृष्टिसे भी यह ग्रंथ कुन्दकुन्दके ग्रंथोंके साथ मेल खाता है, इतना ही नहीं बल्कि कुन्दकुन्दके अनेक ग्रंथोंके वाक्य (गाथा तथा गाथांश) इस ग्रंथमें उसी तरहसे संप्रयुक्त पाये जाते हैं जिस तरह कि कुन्दकुन्दके अन्य ग्रंथोंमें परस्पर एक-दूसरे ग्रंथके वाक्योंका स्वतन्त्र प्रयोग देखनेमें आता है*। अतः जब तक किसी स्पष्ट प्रमाण-द्वारा इस ग्रंथके कर्तृत्वरूपमें वट्टकेराचार्यका कोई स्वतन्त्र अथवा पृथक् व्यक्तित्व सिद्ध न हो जाए तब तक इस ग्रंथको कुन्दकुन्दकृत मानने और वट्टकेराचार्यको कुन्दकुन्दके लिये प्रयुक्त हुआ प्रवर्तकाचार्यका पद स्वीकार करनेमें कोई खास बाधा मालूम नहीं होती। यह ग्रन्थ अति प्राचीन है; ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य यतिवृषभने, अपनी तिलोपपण्णत्तीमें, 'मूलाआरे इरिया एवं निउणं गिरूवेति' इस वाक्यके साथ प्रस्तुत ग्रन्थके कथनका स्पष्ट उल्लेख किया है। ग्रन्थकी यह प्राचीनता भी उसके कुन्दकुन्दकृत होने में एक सहायक है—बाधक नहीं है।

तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता कुन्दकुन्द !



सब लोग यह जानते हैं कि प्रचलित 'तत्त्वार्थसूत्र' नामक मोक्षशास्त्रके कर्ता 'उमास्वाति' आचार्य हैं, जिन्हें कुछ समयसे दिगम्बरपरम्परामें 'उमास्वामी' नाम भी दिया जाता है और जिनका दूसरा नाम 'गृध्रपिच्छाचार्य' है। इस भावका पोषक एक श्लोक भी जैनसमाजमें सर्वत्र प्रचलित है और वह इस प्रकार है—

तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृध्रपिच्छोपलक्षितं ।

वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वातिमुनीश्वरं ॥

परंतु पाठकोंको यह जान कर आश्चर्य होगा कि जैनसमाज में ऐसे भी कुछ विद्वान हो गये हैं जो इस तत्त्वार्थसूत्रको कुन्दकुन्दाचार्यका बनाया हुआ मानते थे। कुछ वर्ष हुए, तत्त्वार्थसूत्रकी एक श्वेताम्बरीय-टिप्पणी को देखते हुए, सबसे पहले मुझे इसका आभास मिला था और तब टिप्पणीकारके उस लिखने पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। टिप्पणीके अन्तमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्तृत्वविषयमें 'दुर्वादापहार' नामसे कुछ पद्य देते हुए लिखा है :—

“ परमेतावच्चतुरैः कर्तव्यं शृणुत वच्मि सविवेकः ।

शुद्धो योऽस्य विधाता सदूषणीयो न केनापि ॥ ४

यः कुंदकुन्दनामा नामांतरितो निरुच्यते कैश्चित् ।

ज्ञेयोऽन्येषां सोऽस्मात्पृष्ठमुमास्वासि रिति विदितान्

टिप्पणी—“एवं चाकर्ण्य वाचको ह्युमास्वातिर्दिगम्बरो निन्हव इति केचिन्मावदन्नदः शिन्नार्थं परमेतावच्चतुरैरिति पद्यं ब्रूमहे शुद्धः सत्यः प्रथम इति यावद्यः कोप्यस्य ग्रन्थस्य निर्माता स तु केनापि प्रकारेण न निन्दनीय एतावच्चतुरैर्विधेयमिति । तर्हि कुन्दकुन्द एवैतत्प्रथमं कर्तेति संशयापाहाय स्पष्टं ज्ञापयामः यः कुन्दकुन्दनामेत्यादि अयं च परतीर्थी-कैः कुन्दकुन्द इडाचार्यः पद्मनन्दी उमास्वातिरित्यादिनामांतराणि कल्पयित्वा पठ्यते सोऽस्मात्प्रकरणकर्तुरुमास्वातिरित्येव प्रसिद्धनाम्नः सकाशादन्य एव ज्ञेयः किं पुनः पुनर्वेदयामः ।”

इसमें अपने सम्प्रदाय-वालोंको दो बातोंकी शिक्षा की गई है—एक तो यह कि इस तत्त्वार्थसूत्रके विधाता वाचक उमास्वातिको कोई दिगम्बर अथवा निन्हव न कहने पाए, ऐसा चतुर पुरुषोंको यत्न करना चाहिये । दूसरे यह कि कुन्दकुन्द, इडाचार्य, पद्मनन्दी, और उमास्वाति ये एक ही व्यक्तिके नाम कल्पित करके जो लोग इस ग्रन्थका असली अथवा आद्यकर्ता कुन्दकुन्दको बतलाते हैं वह ठीक नहीं, वह कुन्दकुन्द हमारे इस तत्त्वार्थसूत्रकर्ता प्रसिद्ध उमास्वातिसे भिन्न ही-व्यक्ति है ।

इस परसे मुझे यह खयाल हुआ था कि शायद पट्टावलि-वर्णित कुन्दकुन्दके नामोंको लेकर किसी दन्तकथाके आधार पर ही यह कल्पना की गई है । और इस लिये मैं उसी वक्तसे इस विषयकी खोजमें था कि दिगम्बर-साहित्यमें किसी जगह पर कुन्दकुन्दाचार्यको इस तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता लिखा है या नहीं । खोज करने पर बम्बईके ऐलक-पन्नालालसरस्वतीभवनसे ‘अर्हत्सूत्रवृत्ति’ नामका एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ, जो कि तत्त्वार्थसूत्रकी टीका है—‘सिद्धान्त सूत्रवृत्ति’ भी जिसका नाम है—और जिसे ‘राजेन्द्रमौलि’ नामके भट्टारकने रचा है । इसमें तत्त्वार्थसूत्रको स्पष्टतया कुन्दकुन्दाचार्यकी कृति लिखा है; जैसा कि इसके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“अथ अर्हत्सूत्रवृत्तिमारभे । तत्रादौ मंगलाद्यानि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथ्यन्ते । तदस्माकं विघ्नघाताय अस्मदाचार्यो भगवान् कुन्द-कुन्दमुनिः स्वेष्टदेवतागणोत्कर्षकीर्तनपूर्वकं तत्स्वरूपवस्तुनिर्देशात्मकं च शिष्टाचारविशिष्टेष्टजीववादं सिद्धान्तीकृत्य तद्गुणोप-

लब्धिफलोपयोग्यवन्दनानुकूलव्यापारगर्भमंगलमाचरति—

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वनां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

एतद्गुणोपलक्षितं समवसृतावुपदिशतं भगवंतमर्हदाख्यं केवलिनं तद्गुणानां नेतृत्व-भेदृत्व-ज्ञातृत्वादीनां सम्यगुपलब्धये वन्दे नतोऽस्मि ॥ सूत्र ॥ “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥” अत्र बहुवचनत्वात्समुदायार्थघातकत्वेन त्रयाणां समुदायो मोक्षमार्गः ।”

×

×

×

×

“इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सिद्धान्तसूत्रवृत्तौ दशमोऽध्ययाय ॥१०॥

“मूलसंघबलात्कारगणे गच्छे गिरां शुभे ॥

राजेंद्रमौलि-भट्टार्कः सागत्य-पट्टराडिमां ।

व्यरचीत्कुं दकुं दार्यकृतसूत्रार्थदीपिकाम् ॥”

जहाँ तक मैंने जैनसाहित्यका अन्वेषण किया है और तत्त्वार्थसूत्रकी बहुतसी टीकाओंको देखा है, यह पहला ही ग्रंथ है जिसमें तत्त्वार्थसूत्रका कर्ता ‘उमास्वाति’ या गृध्रपिच्छाचार्यको न लिख कर ‘कुन्दकुन्द’ मुनिको लिखा है। यह ग्रन्थ कब बना अथवा राजेंद्रमौलिका अस्तित्व समय क्या है, इसका अभी तक कुछ ठीक पता नहीं चल सका—इतना तो स्पष्ट है कि आप मूलसंघ-सरस्वतीगच्छके भट्टारक-तथा सागत्यपट्टके आधीश्वर थे। हाँ; उक्त श्वेताम्बर टिप्पणिकार रत्नसिंहके समयका विचार करते हुए, राजेंद्रमौलिभ०का समय संभवतः १४वीं शताब्दी या उससे कुछ पहले-पीछे जान पड़ता है। मालूम नहीं भट्टारकजीने किस आधार पर इस तत्त्वार्थसूत्रको कुन्दकुन्दाचार्यकी कृति बतलाया है! उपलब्ध प्राचीन साहित्य परसे तो इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता। हो सकता है कि पट्टावली (गुर्वावलि)-वर्णित कुन्दकुन्दके नामोंमें* गृध्रपिच्छका नाम देख कर और यह मालूम करके कि उमास्वातिका दूसरा नाम ‘गृध्रपिच्छाचार्य’ है, आपने कुन्दकुन्द

* ततोऽभवत्पंचसुनामधामा श्रीपद्मनंदी मुनिचक्रवर्ती ॥

आचार्यकुन्दकुन्दाख्यो वक्रगीवो महामतिः ।

एवाचार्यो गृध्रपिच्छः पद्मनन्दीति तन्यते ॥ —नन्दिसंघगुर्वावली ।

और उमास्वाति दोनोंको एक ही व्यक्ति समझ लिया हो और इसीलिये तत्त्वार्थसूत्रके कर्तृत्वरूपसे कुन्दकुन्दाचार्यका नाम दे दिया हो । यदि ऐसा है, और इसीकी सबसे अधिक संभावना है, तो यह स्पष्ट भूल है । दोनोंका व्यक्तित्व एक नहीं था । उमास्वाति कुन्दकुन्दके वंशमें एक जुदे ही आचार्य हुए हैं, और वे ही गृध्रसंखोंकी पीछी रखने से गृध्रपिच्छ कहलाते थे । जैसा कि कुछ श्रवण-बेलगोलके निम्न शिलालेखोंसे भी पाया जाता है :—

श्रीपद्मनन्दीत्यनवद्यनामा ह्याचार्यशब्दोत्तरकोण्डकुन्द-
द्वितीयमासीदभिधानमुद्यच्चरित्रसंजातसुचारणर्द्धिः ॥
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृध्र पिच्छः ।
तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥
तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला ।
बभौ यदन्तर्मणिवन्मुनीन्द्रस्स कौण्डकुन्दोदितचंडदंडः
अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुंगवेन
सप्राणिसंरक्षणासावधानो बभार योगीकिलगृध्रपक्षान् ।
तदाप्रभृत्येव बुधायमाहुराचार्यशब्दोत्तरगृध्रपिच्छं ॥

यहाँ शिलालेख नं० ४७ में कुन्दकुन्दका दूसरा नाम 'पद्मनंदी' दिया है और इसी का उल्लेख दूसरे शिलालेखों आदिमें भी पाया जाता है । बाकी पट्टावलियों (गुर्वावलियों) में जो गृध्रपिच्छ, एलाचार्य और वक्रग्रीव नाम अधिक दिये हैं उनका समर्थन अन्यत्र से नहीं होता । गृध्रपिच्छ (उमास्वाति) की तरह एलाचार्य और वक्रग्रीव नामके भी दूसरे ही आचार्य हो गये हैं । और इस लिये पट्टावली की यह कल्पना बहुत कुछ संदिग्ध तथा आपत्तिके योग्य जान पड़ती है ।

उमास्वाति या उमास्वामी ?

दिगम्बर सम्प्रदायमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्तिका नाम आजकल आम तौरसे 'उमास्वामी' प्रचलित हो रहा है। जितने ग्रन्थ और लेख आम तौरसे प्रकाशित होते हैं और जिनमें किसी न किसी रूपसे तत्त्वार्थसूत्रके कर्त्तिका नामोल्लेख करने-की जरूरत पड़ती है उन सबमें प्रायः उमास्वामी नामका ही उल्लेख किया जाता है; बल्कि कभी-कभी तो प्रकाशक अथवा सम्पादक जन 'उमास्वाति' की जगह 'उमास्वामी' या 'उमास्वामि'का संशोधन तक कर डालते हैं। तत्त्वार्थसूत्रके जितने संस्करण निकले हैं उन सबमें भी ग्रन्थकर्त्तिका नाम उमास्वामी ही प्रकट किया गया है। प्रत्युत इसके, श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ग्रन्थकर्त्तिका नाम पहलेसे ही 'उमास्वाति' चला आता है और वही इस समय प्रसिद्ध है। अब देखना यह है कि उक्त ग्रन्थकर्त्तिका नाम वास्तवमें उमास्वाति था या उमास्वामी और उसकी उपलब्धि कहाँसे होती है। खोज करनेसे इस बिषयमें दिगम्बर साहित्यसे जो कुछ मालूम हुआ है उसे पाठकोंके अवलोकनार्थ नीचे प्रकट किया जाता है—

(१) श्रवणबेलगोलके जितने शिलालेखोंमें आचार्यमहोदयका नाम आया है उन सबमें आपका नाम 'उमास्वाति' ही दिया है। 'उमास्वामी' नामका उल्लेख किसी शिलालेखमें नहीं पाया जाता। उदाहरणके लिये कुछ अवतरण नीचे दिये जाते हैं—

अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छः ।

—शिलालेख नं० ४७

श्रीमानुमास्वातिरयं यतोशस्तत्त्वार्थसूत्रं प्रकटीचकार ।

—शि० नं० १०५

अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी ।

सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातं मुनिपुंगवेन ॥

—शि० नं० १०८

इन शिलालेखोंमें पहला शिलालेख शक संवत् १०३७ का, दूसरा १३२० का और तीसरा १३५५ का लिखा हुआ है । ४७वें शिलालेखवाला वाक्य ४०, ४२, ४३ और ५० नम्बरके शिलालेखोंमें भी पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि आजसे आठसौ वर्षसे भी पहलेसे दिगम्बर सम्प्रदायमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम 'उमास्वाति' प्रचलित था और वह उसके बाद भी कई सौ वर्ष तक बराबर प्रचलित रहा है । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि उनका दूसरा नाम गृद्ध-पिच्छाचार्य था । विद्यानन्द स्वामीने भी, अपने 'श्लोकवार्तिक' में, इस पिछले नामका उल्लेख किया है ।

(२) 'एप्रिप्रेफिया कर्णाटिका' की ८ वीं जिल्दमें प्रकाशित 'नगर' ताल्लुके ४६ वें शिलालेखमें भी 'उमास्वाति' नाम दिया है—

तत्त्वार्थसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनीश्वरम् ।

श्रुतकेवलिदेशीयं वन्देहं गुणमन्दिरम् ॥

(३) नन्दिसङ्घकी 'गुर्वावली' में भी तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम 'उमास्वाति' दिया है । यथा—

तत्त्वार्थसूत्रकर्तृत्वप्रकटीकृतसन्मतिः ।

उमास्वातिपदाचार्यो मिथ्यात्वतिमिरांशुमानः ॥

जैनसिद्धान्तभास्करकी ४थी किरणमें प्रकाशित श्रीशुभचन्द्राचार्यकी गुर्वावलीमें भी यही नाम है और यही वाक्य दिया है और ये शुभचन्द्राचार्य विक्रम की १६ वीं और १७ वीं शताब्दीमें हो गये हैं ।

(४) नन्दिसङ्घकी 'पट्टावली' में भी कुन्दकुन्दाचार्यके बाद छठे नम्बर पर 'उमास्वाति' नाम ही पाया जाता है।

(५) बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुई तत्त्वार्थसूत्रकी कनडी टीका भी 'उमास्वाति' नामका ही समर्थन करती है और साथ ही उसमें 'गृध्रपिच्छाचार्य' नाम भी दिया हुआ है। बालचन्द्र मुनि विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान् हैं।

(६) विक्रमकी १६वीं शताब्दीसे पहले का ऐसा कोई ग्रन्थ अथवा शिला-लेख आदि अभी तक मेरे देखनेमें नहीं आया जिसमें तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम 'उमास्वामी' लिखा हो। हाँ, १६वीं शताब्दीके बने हुए श्रुतसागरसूरिके ग्रन्थोंमें इस नामका प्रयोग जरूर पाया जाता है। श्रुतसागरसूरिने अपनी श्रुतसागरी टीकामें जगह-जगह पर यही (उमास्वामी) नाम दिया है और 'औदार्यचिन्तामणि' नामके व्याकरण ग्रन्थमें 'श्रीमानुमाप्रभुरनन्तरपूज्यपादः' इस वाक्यमें आपने 'उमा' के साथ 'प्रभु' शब्द लगाकर और भी साफ तौरसे 'उमास्वामी' नामको सूचित किया है। जान पड़ता है कि 'उमास्वाति' की जगह 'उमास्वामी' यह नाम श्रुतसागरसूरिका निर्देश किया हुआ है और उनके समय से ही यह हिन्दी भाषा आदिके ग्रन्थोंमें प्रचलित हुआ है। और अब इसका प्रचार इतना बढ़ गया कि कुछ विद्वानोंको उसके विषयमें बिलकुल ही विपर्यास हो गया है और वे यहाँतक लिखनेका साहस करने लगे हैं कि तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका नाम दिगम्बरोंके अनुसार 'उमास्वामी' और श्वेताम्बरोंके अनुसार 'उमास्वाति' है ❀।

(७) मेरी रायमें, जब तक कोई प्रबल प्राचीन प्रमाण इस बातका उपलब्ध न हो जाय कि १६ वीं शताब्दीसे पहले भी 'उमास्वामी' नाम प्रचलित था, तब तक यही मानना ठीक होगा कि आचार्य महोदयका असली नाम 'उमास्वाति' तथा इसका नाम 'गृध्रपिच्छाचार्य' था और 'उमास्वामी' यह नाम श्रुतसागरसूरिका निर्देश किया हुआ है। यदि किसी विद्वान महाशयके पास इसके विरुद्ध कोई प्रमाण मौजूद हो तो उन्हें कृपाकर उसे प्रकट करना चाहिये।

तत्त्वार्थसूत्रकी उत्पत्ति



उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्र पर 'तत्त्वरत्नप्रदीपिका' नामकी एक कनडी टीका बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुई है, जिसे 'तत्त्वार्थ-तात्पर्य-वृत्ति' भी कहते हैं। इस टीकाकी प्रस्तावनामें तत्त्वार्थसूत्रकी उत्पत्ति जिस प्रकारसे बतलाई है उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है :—“सौराष्ट्र देशके मध्य ऊर्जयन्तगिरिके निकट गिरिनगर (जूनागढ़?) नामके पत्तनमें आसन्न भव्य स्वहितार्थी, द्विजकुलोत्पन्न, श्वेताम्बरभक्त ऐसा 'सिद्धय्य' नामका एक विद्वान् श्वेताम्बर मतके अनुकूल सकल शास्त्रका जाननेवाला था। उसने 'दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' यह एक सूत्र बनाया और उसे एक पाटिये पर लिख छोड़ा। एक समय चर्यार्थ श्रीशुद्धपिच्छाचार्य 'उमास्वाति' नामके धारक मुनिवर वहाँ पर आये और उन्होंने आहार लेनेके पश्चात् पाटियेको देखकर उसमें उक्त सूत्रके पहले 'सम्यक्' शब्द जोड़ दिया। जब वह (सिद्धय्य) विद्वान् बाहरसे अपने घर आया और उसने पाटिये पर 'सम्यक्' शब्द लगा देखा तो उसने प्रसन्न होकर अपनी मातासे पूछा कि, किस महानुभावने यह शब्द लिखा है। माताने उत्तर दिया कि एक महानुभाव निर्ग्रन्थाचार्यने यह बनाया है। इस पर वह गिरि और अरण्यको ढूँढता हुआ उनके आश्रममें पहुँचा और भक्तिभावसे नम्रीभूत हो कर उक्त मुनि

❀ यह टीका आराके जैनसिद्धान्त-भवनमें देवनागरी अक्षरोंमें मौजूद है।

महाराजसे पूछने लगा कि आत्माका हित क्या है ? (यहाँ प्रश्न और इसके बादका उत्तर-प्रत्युत्तर प्रायः सब वही है जो 'सर्वार्थसिद्धि' की प्रस्तावनामें श्रीपूज्यपादाचार्यने दिया है ।) मुनिराजने कहा 'मोक्ष' है । इस पर मोक्षका स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय पूछा गया जिसके उत्तररूपमें ही इस ग्रन्थका अवतार हुआ है ।

इस तरह एक श्वेताम्बर विद्वान्के प्रश्नपर एक दिगम्बर आचार्यद्वारा इस तत्त्वार्थसूत्रकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा उक्त कथनसे पाया जाता है । नहीं कहा जा सकता कि उत्पत्तिकी यह कथा कहाँ तक ठीक है । पर इतना जरूर है कि यह कथा सातसौ वर्षसे भी अधिक पुरानी है; क्योंकि उक्त टीकाके कर्ता बालचंद्र मुनि विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें हो गये हैं । उनके गुरु 'नयकीर्ति' का देहान्त शक सं० १०६६ (वि० सं० १२३४) में हुआ था ॥

मालूम नहीं कि इस कनड़ी टीकासे पहलेके और किस ग्रन्थमें यह कथा पाई जाती है । तत्त्वार्थसूत्रकी जितनी टीकाएँ इस समय उपलब्ध हैं उनमें सबसे पुरानी टीका 'सर्वार्थसिद्धि' है । परन्तु उसमें यह कथा नहीं है । उसकी प्रस्तावनासे सिर्फ इतना पाया जाता है कि किसी विद्वान्के प्रश्नपर इस मूल ग्रन्थ (तत्त्वार्थसूत्र) का अवतार हुआ है । वह विद्वान् कौन था, किस सम्प्रदायका था, कहाँका रहनेवाला था और उसे किस प्रकारसे ग्रन्थकर्ता आचार्यमहोदयका परिचय तथा समागम प्राप्त हुआ था, इन सब बातोंके विषयमें उक्त टीका मौन है । यथा—

“कश्चिद्भूव्यः† प्रत्यासन्ननिष्ठः प्रज्ञावान् स्वहितमुपलिप्सुर्विविक्ते परमरम्ये भव्यसत्त्वविश्रामास्पदे क्वचिदाश्रमपदे मुनिपरिषण्मध्ये सन्निवृण्णां मूर्तमिव मोक्षमार्गमावाग्विसर्गं वपुषा निरूपयन्तं युक्त्यागमकुशलं परहितप्रतिपादनैककार्यमार्यनिषेव्यं निर्ग्रन्थाचार्यवर्यमुपसद्य सविनयं परिपृच्छतिस्म, भगवन् ! किंखलु आत्मनो

॥ देखो श्रवणबेलगोलस्थ शिलालेख नं० ४२ ।

† इस पदकी वृत्तिमें प्रभञ्जचन्द्राचार्यने प्रश्नकर्ता भव्यपुरुषका नाम दिया है जो पाठकी अशुद्धिसे कुछ गलतसा हो रहा है, और प्रायः 'सिद्धय' ही जान पड़ता है ।

हितं स्यादिति । स आह मोक्ष इति । स एव पुनः प्रत्याह किं स्वरूपोऽसौ मोक्षः कश्चास्य प्राप्त्युपाय इति । आचार्य आह..... ।”

संभव है कि इस मूलको* लेकर ही किसी दन्तकथाके आधार पर उक्त कथाकी रचना की गई हो; क्योंकि यहां प्रश्नकर्ता और आचार्य महोदयके जो विशेषण दिये गये हैं प्रायः वे सब कनड़ी टीकामें भी पाये जाते हैं। साथ ही प्रश्नोत्तरका ढंग भी दोनोंका एक सा ही है। और यह सम्भव है कि जो बात सर्वार्थसिद्धिमें संकेत रूपसे ही दी गई है वह बालचन्द्र मुनिको गुरु परम्परासे कुछ विस्तारके साथ मालूम हो और उन्होंने उसे लिपिबद्ध कर दिया हो; अथवा किसी दूसरे ही ग्रन्थसे उन्हें यह सब विशेष हाल मालूम हुआ हो। कुछ भी हो, बात नई है जो अभी तक बहुतोंके जाननेमें न आई होगी और इससे तत्त्वार्थसूत्रका समन्वय दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके साथ स्थापित होता है। साथ ही, यह भी मालूम होता है कि उस समय दोनों सम्प्रदायोंमें आज कल-जैसी खींचातानी नहीं थी और न एक दूसरेको घृणाकी दृष्टिसे देखता था।



* श्रुतसागरी टीकामें भी इसी मूलका प्रायः अनुसरण किया गया है और इसे सामने रखकर ही ग्रन्थकी उत्थानिका लिखी गई है। साथ ही, इतना विशेष है कि उसमें प्रश्नकर्ता विद्वान्का नाम ‘द्वैपायक’ अधिक दिया है। कनड़ी टीका-वाली और बातें कुछ नहीं दीं। यह टीका कनड़ी टीकासे कई सौ वर्ष बाद की बनी हुई है।

तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी एक सटिप्पण प्रति

अर्सा कई सालका हुआ सुहृद्दर पं० नाथूरामजी प्रेमीने बम्बईसे तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी एक पुरानी हस्तलिखित सटिप्पण प्रति, सेठ राजमलजी बड़जात्याके यहाँसे लेकर मेरे पास देखनेके लिये भेजी थी। देखकर मैंने उसी समय उस पर से आवश्यक नोट्स (Notes) ले लिये थे, जो अभी तक मेरे संग्रहमें सुरक्षित हैं। यह सटिप्पण प्रति श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी है और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। श्वेताम्बर जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा अनेक भण्डारों और उनकी सूचियों आदि परसे खोजकर तय्यार की गई 'जैनग्रन्थावली' में इसका नाम तक भी नहीं है और न हालमें प्रकाशित तत्त्वार्थसूत्रकी पं० सुखलालजी कृत विवेचनकी विस्तृत प्रस्तावना (परिचयादि) में ही, जिसमें उपलब्ध टीका-टिप्पणोंका परिचय भी कराया गया है, इसका कोई उल्लेख है और इसलिये इस टिप्पणीकी-प्रतियाँ बहुत कुछ विरलसी ही जान पड़ती हैं। अस्तु; इस सटिप्पण प्रतिका परिचय प्रकट होनेसे अनेक बातें प्रकाशमें आएँगी, अतः आज उसे पाठकोंके सामने रखवा जाता है।

(१) यह प्रति मध्यमाकारके ८ पत्रों पर है, जिनपर पत्राङ्क ११ से १८ तक पड़े हैं। मूल मध्यमें और टिप्पणी हाशियों (Margins) पर लिखी हुई है।

(२) बंगाल-एशियाटिक-सोसाइटी कलकत्ताके द्वारा स० १९५६ में प्रका-

शित सभाष्य-तत्त्वार्थाधिगमसूत्रके शुरूमें जो ३१ सम्बन्ध-कारिकाएँ दी हैं और अन्तमें ३२ पद्य तथा प्रशस्तिरूपसे ६ पद्य और दिये हैं वे सब कारिकाएँ एवं पद्य इस सटिप्पण प्रतिमें ज्यों-के-त्यों पाये जाते हैं, और इससे ऐसा मालूम होता है कि टिप्पणकारने उन्हें मूल तत्त्वार्थसूत्रके ही अंग समझा है।

(३) इस प्रतिमें सम्पूर्ण सूत्रोंकी संख्या ३४६ और प्रत्येक अध्यायके सूत्रों की संख्या क्रमशः ३५, ५३, १६, ५४, ४५, २७, ३३, २६, ४६, ८ दी है। अर्थात् दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और दसवें अध्यायमें सभाष्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी उक्त सोसाइटीवाले संस्करणकी छपी हुई प्रतिसे एक-एक सूत्र बढ़ा हुआ है; और वे सब बढ़े हुए सूत्र अपने-अपने नम्बर-सहित क्रमशः इस प्रकार हैं:—

तैजसमपि ५०, धर्मा वंशा शैलांजनारिष्टा माघव्या माघवीति च २, उच्छ्वासाहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्याः २३, स द्विविधः ४२, सम्यक्त्वं च २१; धर्मास्तिकायाभावात् ७।

और सातवें अध्यायमें एक सूत्र कम है—अर्थात् ‘सचित्तनिक्षेपापिधान-परव्यपदेशमात्सर्गकालातिक्रमाः ३१’ यह सूत्र नहीं है।

सूत्रोंकी इस वृद्धि-हानिके कारण अपने-अपने अध्यायमें अगले-अगले सूत्रोंके नम्बर बदल गये हैं। उदाहरणके तौर पर दूसरे अध्यायमें ५० वें नम्बरपर ‘तैजसमपि’ सूत्र आजानेके कारण ५० वें ‘शुभं विशुद्धं’ सूत्रका नम्बर ५१ हो गया है, और ७वें अध्यायमें ३१वाँ ‘सचित्तनिक्षेपापिधानं’ सूत्र न रहनेके कारण उस नम्बर पर ‘जीवितमरणां’ नामका ३२ वाँ सूत्र आगया है।

दूसरी प्रतियोंमें बढ़े हुए सूत्रोंकी बाबत जो यह कहा जाता है कि वे भाष्य-के वाक्योंकी ही गलतीसे सूत्र समझ लेनेके कारण सूत्रोंमें दाखिल होगये हैं, वह यहाँ ‘सम्यक्त्वं च’ सूत्रकी बाबत संगत मालूम नहीं होता; क्योंकि पूर्वोत्तरवर्ती सूत्रोंके भाष्यमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है और यह सूत्र दिगम्बरसूत्र-पाठमें २१वें नम्बर पर ही पाया जाता है। पं० सुखलालजी भी अपने तत्त्वार्थसूत्र-विवेचनमें इस सूत्रका उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि श्वेताम्बरीय परम्पराके अनुसार भाष्यमें यह बात (सम्यक्त्वकी देवायुके आस्रवका कारण बतलाना) नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें बहुत कुछ

विवादापन्न है, और उसकी यह विवादापन्नता टिप्पणमें सातवें अध्यायके उक्त ३१वें सूत्रके न होनेसे और भी अधिक बढ़ जाती है; क्योंकि इस सूत्र पर भाष्य भी दिया हुआ है, जिसका टिप्पणकारके सामनेवाली उस भाष्यप्रतिमें होना नहीं पाया जाता जिसपर वे विश्वास करते थे, और यदि किसी प्रतिमें होगा भी तो उसे उन्होंने प्रक्षिप्त समझा होगा। अन्यथा यह नहीं हो सकता कि जो टिप्पणकार भाष्यको मूल-चूल-सहित तत्त्वार्थसूत्रका वाता (रक्षक) मानता हो वह भाष्यतकके साथमें विद्यमान होते हुए उसके किसी सूत्रको छोड़ देवे।

(४) बढ़े हुए कतिपय सूत्रोंके सम्बन्धमें टिप्पणीके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं:—

(क) “केचित्त्वाहारकनिर्देशात्पूर्वं ‘तैजसमपि’ इति पाठं मन्यन्ते, नैवं युक्तं तथासत्याहारकं न लब्धिजमिति भ्रमः समुत्पद्यते, आहारकस्य तु लब्धिरेव योनिः।”

(ख) “केचित्तुधर्मा वंशेत्यादिसूत्रं न मन्यन्ते तदसत्। ‘धर्मा वंशा सेला अंजनरिट्ठा मघा य माघवई, नामेहिं पुढवीओ छत्ताइछत्तसंठाणा’ इत्यागमात्।”

(ग) “केचिज्जडाः ‘स द्विविधः’ इत्यादिसूत्राणि न मन्यन्ते।”

ये तीनों वाक्य प्रायः दिगम्बर आचार्योंको लक्ष्य करके कहे गये हैं। पहले वाक्यमें कहा है कि ‘कुछ लोग आहारकके निर्देशात्मक सूत्रसे पूर्व ही “तैजसमपि” यह सूत्र पाठ मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा होने पर आहारक शरीर लब्धिजन्य नहीं ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है, आहारककी तो लब्धि ही योनि है।’ दूसरे वाक्यमें बतलाया है कि ‘कुछ लोग ‘धर्मा वंशा’ इत्यादि सूत्र को जो नहीं मानते हैं वह ठीक नहीं है।’ साथ ही, ठीक न होनेके हेतुरूपमें नरकभूमियोंके दूसरे नामोंवाली एक गाथा देकर लिखा है कि ‘चूँकि आगममें नरकभूमियोंके नाम तथा संस्थानके उल्लेखवाला यह वाक्य पाया जाता है, इसलिये इन नामोंवाले सूत्रको न मानना अयुक्त है।’ परन्तु यह नहीं बतलाया कि जब सूत्रकारने ‘रत्नप्रभा’ आदि नामोंके द्वारा सप्त नरकभूमियोंका उल्लेख पहले ही सूत्रमें कर दिया है तब उनके लिये यह कहाँ लाजिमी आता है कि वे उन नरकभूमियोंके दूसरे नामोंका भी उल्लेख एक दूसरे सूत्र-द्वारा करें।

इससे टिप्पणकारका यह हेतु कुछ विचित्रसा ही जान पड़ता है। दूसरे प्रसिद्ध श्वेताम्बराचार्योंने भी उक्त 'धर्माविंशा' नामक सूत्रको नहीं माना है, और इसलिये यह वाक्य कुछ उन्हें भी लक्ष्य करके कहा गया है। तीसरे वाक्यमें उन आचार्योंको 'जडबुद्धि' ठहराया है जो "स द्विविधः" इत्यादि सूत्रोंको नहीं मानते हैं !! यहां 'आदि' शब्दका अभिप्राय 'अनादिरादिमांश्च,' 'रूपिष्वादिमान्,' 'योगोपयोगौ जीवेषु' इन तीन सूत्रोंसे है जिन्हें 'स द्विविधः' सूत्र-सहित दिगम्बराचार्य सूत्रकारकी कृति नहीं मानते हैं। परन्तु इन चार सूत्रोंमेंसे 'स द्विविधः' सूत्रको तो दूसरे श्वेताम्बराचार्योंने भी नहीं माना है। और इसलिये अकस्मात्में 'जडाः' पदका वे भी निशाना बन गये हैं ! उन पर भी जडबुद्धि होनेका आरोप लगा दिया गया है !!

इससे श्वेताम्बरोमें भाष्य-मान्य-सूत्रपाठका विषय और भी अधिक विवादापन्न हो जाता है और यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि उसका पूर्ण एवं यथार्थ रूप क्या है। जब कि सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठके विषयमें दिगम्बराचार्योंमें परस्पर कोई मतभेद नहीं है। यदि दिगम्बर सम्प्रदायमें सर्वार्थसिद्धिसे पहले भाष्यमान्य अथवा कोई दूसरा सूत्रपाठ रूढ़ हुआ होता और सर्वार्थसिद्धिकार (श्रीपूज्यपादाचार्य) ने उसमें कुछ उलटफेर किया होता तो यह सम्भव नहीं था कि दिगम्बर आचार्योंमें सूत्रपाठके सम्बन्धमें परस्पर कोई मतभेद न होता। श्वेताम्बरोमें भाष्यमान्य सूत्रपाठके विषयमें मतभेदका होना बहुधा भाष्यसे पहले किसी दूसरे सूत्रपाठके अस्तित्व अथवा प्रचलित होने को सूचित करता है।

(५) दसवें अध्यायके एक दिगम्बर सूत्रके सम्बन्धमें टिप्पणकारने इस प्रकार लिखा है—

“केचित्तु ‘आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपालांबुवदेरण्डवीजवदग्निशिखावच्च’ इति नव्यं सूत्रं प्रक्षिपन्ति तन्न सूत्रकारकृतिः, ‘कुलालचक्रे दोलायामिषौ चापि यथेष्टयते’ इत्यादिश्लोकैः सिद्धस्य गतिस्वरूपं प्रोक्तमेव, ततः पाठान्तरमपार्थम्।”

अर्थात्—कुछ लोग 'आविद्धकुलालचक्र' नामका नया सूत्र प्रक्षिप्त करते हैं, वह सूत्रकारकी कृति नहीं है। क्योंकि 'कुलालचक्रे दोलायामिषौ चापि यथे-

ध्यते' इत्यादि श्लोकोंके द्वारा सिद्धगतिका स्वरूप कहा ही है, इसलिये उक्त सूत्र-रूपसे पाठान्तर निरर्थक है ।

यहाँ 'कुलालचक्र' इत्यादिरूपसे जिन श्लोकोंका सूचन किया है वे उक्त सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रके अन्तमें लगे हुए ३२ श्लोकोंमेंसे १०, ११, १२, १४ नम्बरके श्लोक हैं, जिनका विषय वही है जो उक्त सूत्रका—उक्त सूत्रमें वर्णित चार उदाहरणोंको अलग-अलग चार श्लोकोंमें व्यक्त किया गया है । ऐसी हालत-में उक्त सूत्रके सूत्रकारकी कृति होनेमें क्या बाधा आती है उसे यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है । यदि किसी बातको श्लोकमें कह देने मात्रसे ही उस आशयका सूत्र निरर्थक हो जाता है और वह सूत्रकारकी कृति नहीं रहता, तो फिर २२वें श्लोकमें 'धर्मास्तिकायस्याभावात् स हि हेतुर्गतेः परः' इस पाठ के मौजूद होते हुए टिप्पणकारने "धर्मास्तिकायाभावात्" यह सूत्र क्यों माना ?—उसे सूत्रकारकी कृति होनेसे इनकार करते हुए निरर्थक क्यों नहीं कहा ? यह प्रश्न पैदा होता है, जिसका कोई भी समुचित उत्तर नहीं बन सकता । इस तरह तो दसवें अध्यायके प्रथम छह सूत्र भी निरर्थक ही ठहरते हैं; क्योंकि उनका सब विषय उक्त ३२ श्लोकोंके प्रारम्भके ६ श्लोकोंमें आगया है—उन्हें भी सूत्रकारकी कृति न कहना चाहिये था । अतः टिप्पणकारका उक्त तर्क निःसार है—उससे उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात् उक्त दिगम्बर सूत्रपर कोई आपत्ति नहीं आ सकती । प्रत्युत इसके, उसका सूत्रपाठ उसी के हाथों बहुत कुछ आपत्तिका विषय बन जाता है ।

(६) इस सटिप्पण प्रतिके कुछ सूत्रोंमें थोड़ासा पाठ-भेद भी उपलब्ध होता है—जैसे कि तृतीय अध्यायके १०वें सूत्रके शुरुमें 'तत्र' शब्द नहीं है वह दिगम्बर सूत्रपाठकी तरह 'भरतहैमवतहरिविदेह' से ही प्रारम्भ होता है । और छठे अध्यायके छठे (दि० ५वें सूत्रका प्रारम्भ) 'इन्द्रियकषायव्रतक्रियाः' पदसे किया गया है, जैसे कि दिगम्बर सूत्रपाठमें पाया जाता है और सिद्धसेन तथा हरिभद्रकी कृतियोंमें भी जिसे भाष्यमान्य सूत्रपाठके रूपमें माना गया है; परन्तु बंगाल एशयाटिक सोसाइटीके उक्त संस्करणमें उसके स्थानपर 'अव्रतकषायेन्द्रियक्रियाः' पाठ दिया हुआ है और पं० सुखलालजीने भी अपने अनुवादमें उसी को स्वीकार किया है, जिसका कारण इस सूत्रके भाष्यमें 'अव्रत' पाठका प्रथम

होना जान पड़ता है और इसलिये जो बादमें भाष्यके व्याख्याक्रमानुसार सूत्रके सुधारको सूचित करता है ।

(७) दिगम्बर सम्प्रदायमें जो सूत्र श्वेताम्बरीय मान्यताकी अपेक्षा कमती-बढ़ती रूपमें माने जाते हैं अथवा माने ही नहीं जाते उनका उल्लेख करते हुए टिप्पणमें कहीं-कहीं अपशब्दोंका प्रयोग भी किया गया है । अर्थात् प्राचीन दिगम्बराचार्योंको 'पाखंडी' तथा 'जडबुद्धि' तक कहा गया है । यथा—

ननु-ब्रह्मोत्तर-आपिष्ठ-महाशुक्र-सहस्रारेषु नैद्रोत्पत्तिरिति परवादि-मतमेतावतैव सत्याभिमतमिति कश्चिन्मा ब्रूयात्किल पाखंडिनः स्वकपोलकल्पितबुद्धयैव षोडश कल्पान्प्राहुः, नोचेदशाष्टपंचषोडशविकल्पा इत्येव स्पष्टं सूत्रकारोऽसूत्रयिष्यद्यथाखंडनीयो निह्वः ।”

“केचिज्जडाः ‘प्रहाणामेकं’ इत्यादि मूलसूत्रान्यपि न मन्यन्ते चन्द्रा-कीर्दीनां मिथः स्थितिभेदोस्तोत्यपि न पश्यन्ति ।”

इससे भी अधिक अपशब्दोंका जो प्रयोग किया गया है उसका परिचय पाठकोंको आगे चलकर मालूम होगा ।

(८) दसवें अध्यायके अन्तमें जो पुष्पिका (अन्तिम सन्धि) दी है वह इस प्रकार है—

“इति तत्त्वार्थाधिगमेऽर्हत्प्रचनसंग्रहे मोक्षप्ररूपणाध्यायो दशमः । प्र०२२५ पर्यंतमादितः । समाप्तं चैतदुमास्वातिवाचकस्य प्रकरणपंचशती कर्तुः कृतिस्तत्त्वार्थाधिगमप्रकरणं ॥”

इसमें मूल तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी आद्यन्तकारिकाओं सहित ग्रंथसंख्या २२५ श्लोकपरिमाण दी है और उसके रचयिता उमास्वातिको श्वेताम्बरीय मान्यता-नुसार पाँचसौ प्रकरणोंका अथवा ‘प्रकरणपंचशती’ का कर्ता सूचित किया है, जिनमें से अथवा जिसका एक प्रकरण यह ‘तत्त्वार्थाधिगमसूत्र’ है ।

(९) उक्त पुष्पिकाके अनन्तर ९ पद्य दिये हैं, जो टिप्पणकारकी खुदकी कृति हैं । उनमेंसे प्रथम सात पद्य दुर्वादापहारके रूपमें हैं और शेष दो पद्य अंतिम मंगल तथा टिप्पणकारके नामसूचनको लिये हुए हैं । इन पिछले पद्योंके प्रत्येक चरणके दूसरे अक्षरको क्रमशः मिलाकर रखनेसे “रत्नसिंहो जिनं वंदे” ऐसा वाक्य उपलब्ध होता है, और इसीको टिप्पणमें “इत्यन्तिमगाथाद्वयरहस्यं”

पदके द्वारा पिछले दोनों गाथा-पद्योंका रहस्य सूचित किया है। वे दोनों पद्य इस प्रकार हैं—

सुरनरनिकरनिषेव्यो । नूनपयोदप्रभारुचिरदेहः ।

धीसिधुर्जिनराजो । महोदयं दिशति न क्रियद्भ्यः ॥८॥

वृजिनोपतापहारी । सनंदिमच्चिकोरचंद्रात्मा ।

भावं भविनां तन्वन्मुदे न संजायते केषां ॥९॥*

इससे स्पष्ट है कि यह टिप्पण 'रत्नसिंह' नामके किसी श्वेताम्बराचार्यका बनाया हुआ है। श्वेताम्बरसम्प्रदायमें 'रत्नसिंह' नामके अनेक सूरि-आचार्य हो गये हैं, परन्तु उनमेंसे इस टिप्पणके रचयिता कौन हैं, इसका ठीक पता मालूम नहीं हो सका; क्योंकि 'जैनग्रंथावली' और 'जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास' जैसे ग्रंथोंमें किसी भी रत्नसिंहके नामके साथ इस टिप्पण ग्रन्थका कोई उल्लेख नहीं है। और इसके लिये इनके समय-सम्बन्धमें यद्यपि अभी निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि ये विक्रमकी १२ वीं-१३ वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य हेमचन्द्रके बाद हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एक टिप्पणमें हेमचन्द्रके कोषका प्रमाण 'इति हैमः' वाक्यके साथ दिया है। साथ ही, यह भी स्पष्ट ही है कि इनमें साम्प्रदायिक-कट्टरता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी और वह सभ्यता तथा शिष्टताको भी उल्लंघन गई थी, जिसका कुछ अनुभव पाठकोंको अगले परिचयसे प्राप्त हो सकेगा।

(१०) उक्त दोनों पद्योंके पूर्वमें जो ७ पद्य दिये हैं और जिनके अन्तमें "इति दुर्वादापहारः" लिखा है उनपर टिप्पणकारकी स्वोपज्ञ टिप्पणी भी है। यहाँ उनका क्रमशः टिप्पणी-सहित कुछ परिचय कराया जाता हैः—

प्रागेवैतददक्षिणभषणगणादास्यमानमिव मत्वा ।

त्रातं समूलचूलं स भाष्यकारश्चिरं जीयात् ॥१॥

टिप्प०—“दक्षिणे सरलोदाराविति हैमः† अदक्षिणा असरलाः

* इन दोनों पद्योंके अन्तमें “श्रेयोऽस्तु” ऐसा आशीर्वाक्य दिया हुआ है।

† “दक्षिणे सरलोदारौ” यह पाठ अमरकोशका है, उसे 'इति हैमः' लिखकर हेमचन्द्राचार्यके कोषका प्रकट करना टिप्पणकारकी विचित्र नीतिको सूचित करता है।

स्ववचनस्यैव पक्षपातमलिना इति यावत्त एव भषणाः कुर्कुरास्तेषां गणैरादास्यमानं ग्रहिष्यमानं स्वायत्तीकरिष्यमाणमिति यावत्तथाभूत-मिवैतत्तत्त्वार्थशास्त्रं प्रागेव पूर्वमेव मत्वा ज्ञात्वा येनेति शेषः सह मूलचूलाभ्यामिति समूलचूलं त्रातं रक्षितं स कश्चिद् भाष्यकारो भाष्यकर्ता चिरं दीर्घं जीयाज्जयं गम्यादित्याशीर्वचोस्माकं लेखकानां निर्मलग्रन्थरक्ष-काय प्राग्वचनचौरिकायामशक्यायेति ।”

भावार्थ—जिसने इस तत्त्वार्थशास्त्रको अपने ही वचनके पक्षपातसे मलिन-अनुदार कुत्तोंके समूहों-द्वारा ग्रहीष्यमान-जैसा जानकर—यह देखकर कि ऐसी कुत्ता-प्रकृतिके विद्वान् लोग इसे अपना अथवा अपने सम्प्रदायका बनाने वाले हैं—पहले ही इस शास्त्रकी मूल-चूल-सहित रक्षा की है—इसे ज्योंका त्यों श्वेताम्बर-सम्प्रदायके उमास्वातिकी कृतिरूप में ही कायम रक्खा है—वह भाष्यकार (जिसका नाम मालूम नहीं*) चिरंजीव होवे—चिरकाल तक जयको प्राप्त होवे—ऐसा हम टिप्पणकार-जैसे लेखकोंका उस निर्मल ग्रन्थके रक्षक तथा प्राचीन-वचनोंकी चोरीमें असमर्थके प्रति आशीर्वाद है ।

पूर्वाचार्यकृतेरपि कविचौरः किंचिदात्मसात्कृत्वा ।

व्याख्यानयति नवीनं न तत्समः कश्चिदपि पिशुनः ॥२॥

टिप्प०—“अथ ये केचन दुरात्मानः सूत्रवचनचौराः स्वमनीषया

* क्योंकि टिप्पणकारने भाष्यकारका नाम न देकर उसके लिये ‘स कश्चित्’ (वह कोई) शब्दोंका प्रयोग किया है; जबकि मूलसूत्रकारका नाम उमास्वाति कई स्थानों पर स्पष्टरूपसे दिया है, इससे साफ़ ध्वनित होता है कि टिप्पणकारको भाष्यकारका नाम मालूम नहीं था और वह उसे मूलसूत्रकारसे भिन्न समझता था । भाष्यकारका ‘निर्मलग्रन्थरक्षकाय’ विशेषणके साथ ‘प्राग्वचनचौरिकायामशक्याय’ विशेषण भी इसी बातको सूचित करता है । इसके ‘प्राग्वचन’ का वाच्य तत्त्वार्थसूत्र जान पड़ता है, भाष्यकारने उसे चुराकर अपना नहीं बनाया—वह अपनी मनःपरिणतिके कारण ऐसा करनेके लिये असमर्थ था—यही आशय यहाँ व्यक्त किया गया है । अन्यथा, उमास्वातिके लिये इस विशेषणकी कोई जरूरत नहीं थी और न कोई संगति ही ठीक बैठती है ।

यथाम्थानं यथेप्सितपाठप्रक्षेपं प्रदर्श्य स्वपरहितापगमं कथंचित् कुर्वन्ति तद्वाक्य-शुश्रूषापरिहारायेदमुच्यते—पूर्वाचार्यकृतेरपीत्यादि । ततः परं वादविह्वलानां सद्वक्तृवचोप्यमन्यमानानां वाक्यात्संशयेभ्यः सुज्ञेभ्यो निरीहतया सिद्धांतेतरशास्त्रस्मयापनोदकमेव ब्रूमः ।”

भावार्थ—सूत्रवचनोंको चुरानेवाले जो कोई दुरात्मा अपनी बुद्धिसे यथा-स्थान यथेच्छ पाठप्रक्षेपको दिखलाकर कथंचित् अपने तथा दूसरोंके हितका लोप करते हैं उनके वाक्योंके सुननेका निषेध करनेके लिये ‘पूर्वाचार्यकृतेरपीत्यादि’ पद्य कहा जाता है, जिसका आशय यह है कि ‘जो कविचोर पूर्वाचार्यकी कृतिमेंसे कुछ भी अपनाकर (चुराकर) उसे नवीनरूपमें व्याख्यान करता है—नवीन प्रगट करता है—उसके समान दूसरा कोई भी नीच अथवा धूर्त नहीं है ।’

इसके बाद जो सुधीजन वाद-विह्वलों तथा सद्वक्ताके वचनको भी न मानने-वालोंके कथनसे संशयमें पड़े हुए हैं उन्हें लक्ष्य करके सिद्धान्तसे भिन्न शास्त्र-स्मयको दूर करनेके लिये कहते हैं—

सुज्ञाः शृणुत निरीहाश्चेदाहो परगृहीतमेवेदं ।

सति जिनसमयसमुद्रे तदेकदेशेन किमनेन ॥३॥

टिप्पण—“शृणुत भोः कतिचिद्विज्ञाश्चेदाहो यद्युतेदं तत्त्वार्थप्रकरणं परगृहीतं परोपात्तं परनिर्मितमेवेति यावादिति भवंतः संशेरते किं जातमेतावता वर्य त्वस्मिन्नेव कृतादरा न वर्तामहे लघीयः सरसीव, यस्माद्द्यापि जिनेन्द्रोक्तांगोपांगाद्यागमसमुद्रा गर्जतीति हेतोः तदेकदेशेनानेन किं ? न किंचिदित्यर्थः । ईदृशानि भूयांस्येव प्रकरणानि संति केषु केषु रिरिसां करिष्याम इति ।”

भावार्थ—भोः कतिपय विद्वानों ! सुनों, यद्यपि यह तत्त्वार्थप्रकरण परगृहीत है—दूसरोंके द्वारा अपनाया गया है—परनिर्मित ही है, यहाँ तक आप संशय करते हैं; परन्तु ऐसा होनेसे ही क्या होगया ? हम तो एकमात्र इसीमें आदररूप नहीं वर्त रहे हैं, छोटे तालाबकी तरह । क्योंकि आज भी जिनेन्द्रोक्त अंगोपांगादि आगमसमुद्र गर्ज रहे हैं, इस कारण उस समुद्रके एक देशरूप इस प्रकरणसे—उसके जाने रहनेसे—क्या नतीजा है ? कुछ भी नहीं । इस प्रकारके बहुतसे प्रकरण विद्यमान हैं, हम किन किनमें रमनेकी इच्छा करेंगे ?

परमेतावच्चतुरैः कर्तव्यं शृणुत वच्मि सविवेकः ।

शुद्धो योस्य विधाता स दूषणीयो न केनापि ॥४॥

टिप्प०—“एवं चाकर्ण्य वाचको ह्युमास्वातिर्दिगम्बरो निह्व इति केचिन्मावदन्नदः शिञ्चार्यं ‘परमेतावच्चतुरैरिति’ पद्यं ब्रूमहे—शुद्धः सत्यः प्रथम इति यावद्यः कोप्यस्य ग्रन्थस्य निर्माता स तु केनापि प्रकारेण न निन्दनीय एतावच्चतुरैर्विधेयमिति ।”

भावार्थ—ऊपरकी बातको सुनकर ‘वाचक उमास्वाति निश्चयसे दिगम्बर निह्व है ऐसा कोई न कहे, इस बातकी शिक्षाके लिये हम ‘परमेतावच्चतुरैः’ इत्यादि पद्य कहते हैं, जिसका यह आशय है कि ‘चतुरजनोंको इतना कर्तव्य पालन जरूर करना चाहिये कि जिससे इस तत्त्वार्थशास्त्रका जो कोई शुद्ध विधाता—आद्यनिर्माता—है वह किसी प्रकारसे दूषणीय—निन्दनीय—न ठहरे ।

यः कुन्दकुन्दनामा नामान्तरितो निरुच्यते कैश्चित् ।

ज्ञेयोऽन्य एव सोऽस्मात्स्पष्टमुमास्वातिरिति विदितात् ॥५॥

टिप्प०—“तर्हि कुन्दकुन्द एवैतत्प्रथमकर्तेति संशयापोहाय स्पष्टं ज्ञापयामः ‘यः कुन्दकुन्दनामेत्यादि’ । अयं च परतीर्थिकैः कुन्दकुन्द इडाचार्यः पद्मनन्दी उमास्वातिरित्यादिनामान्ताराणि कल्पयित्वा पठ्यते सोऽस्मात्प्रकरणकर्तुरुमास्वातिरित्येव प्रसिद्धनाम्नः सकाशादन्य एव ज्ञेयः किं पुनः पुनर्वेदयामः ।”

भावार्थ—‘तब कुन्दकुन्द ही इस तत्त्वार्थशास्त्रके प्रथम कर्ता हैं,’ इस संशयको दूर करनेके लिये हम ‘यः कुन्दनामेत्यादि’ पद्यके द्वारा स्पष्ट बतलाते हैं कि—पर तीर्थिकों (!)के द्वारा जो कुन्दकुन्दको कुन्दकुन्द, इडाचार्य (?) पद्मनन्दी उमास्वाति ❀ इत्यादि नामान्तरोंकी कल्पना करके उमास्वाति कहा जाता है

❀ जहाँ तक मुझे दिगम्बर जैनसाहित्यका परिचय है उसमें कुन्दकुन्दाचार्यका दूसरा नाम उमास्वाति है ऐसा कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । कुन्दकुन्दके जो पाँच नाम कहे जाते हैं उनमें मूल नाम पद्मनन्दी तथा प्रसिद्ध नाम कुन्दकुन्दको छोड़कर शेष तीन नाम एलाचार्य, वक्रग्रीव और गृद्धपिच्छाचार्य

वह हमारे इस प्रकरणकर्ता से, जिसका स्पष्ट 'उमास्वाति' ही प्रसिद्ध नाम है, भिन्न ही है, इस बातको हम बार-बार क्या बतलावें ।

श्वेतांबरसिंहानां सहजं राजाधिराजविद्यानां ।

निह्वनिर्मितशास्त्राग्रहः कथंकारमपि न स्यात् ॥ ६ ॥

टिप्प०—नन्वत्र कुतोलभ्यते यत्पाठांतरसूत्राणि दिगंबरैरेव प्रक्षिप्तानि ? परे तु वक्ष्यन्ति यदस्मद्वृद्धैरचितमेतत्प्राप्य सम्यगिति ज्ञात्वा श्वेतांबराः स्वैरं कतिचित्सूत्राणि तिरोकुर्वन् कतिचिच्च प्राक्षिपन्निति भ्रम-भेदार्थं 'श्वेतांबरसिंहानामित्यादि' ब्रूमः । कोऽर्थः श्वेतांबरसिंहाः स्वय-मत्यंतोऽहं ग्रन्थग्रन्थनप्रभूषणवः परनिर्मितशास्त्रं तिरस्करण-प्रक्षेपादिभिर्न कदाचिदप्यात्मसाद्विदधीरन् । यतः 'तस्करा एव जायन्ते परवस्त्वात्मसा-त्कराः, निर्विशेषेण पश्यन्ति स्वमपि स्वं महाशयाः ।'

भावार्थ—यहाँ पर यदि कोई कहे कि 'यह बात कैसे उपलब्ध होती है कि जो पाठांतरित सूत्र हैं वे दिगम्बरोंने ही प्रक्षिप्त किये हैं । क्योंकि दिगम्बर तो कहते हैं कि हमारे वृद्धों-द्वारारचित इस तत्त्वार्थसूत्रको पाकर और उसे समीचीन जानकर श्वेताम्बरोंने स्वेच्छाचारपूर्वक कुछ सूत्रोंको तो तिरस्कृत कर दिया और कुछ नये सूत्रोंको प्रक्षिप्त कर दिया—अपनी ओरसे मिला दिया है' । इस भ्रमको दूर करनेके लिये हम 'श्वेताम्बरसिंहानां' इत्यादि पद्य कहते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि—श्वेताम्बरसिंहोंके, जो कि स्वभावसे ही विद्याओंके राजा-धिराज हैं और स्वयं अत्यन्त उद्दंड ग्रन्थोंके रचनेमें सभर्य हैं, निह्व-निर्मित-शास्त्रोंका ग्रहण किसी प्रकार भी नहीं होता है—वे परनिर्मित शास्त्रोंको तिर-स्करण और प्रक्षेपादिके द्वारा कदाचित् भी अपने नहीं बनाते हैं । क्योंकि जो दूसरेकी वस्तुको अपनाते हैं—अपनी बनाते हैं—वे चोर होते हैं, महान् आशयके धारक तो अपने धनको भी निर्विशेषरूपसे अवलोकन करते हैं—उसमें अपनायतका (निजत्वका) भाव नहीं रखते ।'

हैं । तथा कुन्दकुन्द और उमास्वातिकी भिन्नताके बहुत स्पष्ट उल्लेख पाये जाते हैं । अतः इस नामका दिया जाना भ्रान्तिमूलक है ।

पाठांतरमुपजीव्य भ्रमंति केचिद्वृथैव संतोऽपि ।

सर्वेषामपि तेषामतः परं भ्रान्तिविगमोऽस्तु ॥ ७ ॥

टिप्प०—अतः सर्वरहस्यकोविदा अमृतरसे कल्पनाविषपूरं न्यस्यमानं दूरतस्त्यक्त्वा जिनसमयार्णवानुसाररसिका उमास्वातिमपि स्वतीर्थिक इति स्मरंतोऽनंतसंसारपाशं पतिष्यद्भिर्विशदमपि कलुषीकर्तुं कामैः सह निह्वैः संगं माकुर्वन्ति ।

भावार्थ—कुछ संत पुरुष भी पाठान्तरका उपयोग करके—उसे व्यवहारमें लाकर—वृथा ही भ्रमते हैं, उन सबकी भ्रान्तिका इसके बादसे विनाश होवे ।

अतः जो सर्वरहस्यको जाननेवाले हैं और जिनागमसमुद्रके अनुसरण-रसिक हैं वे अमृतरसमें न्यस्यमान कल्पना-विषपूरको दूरसे ही त्याग कर, उमास्वातिको भी स्वतीर्थिक स्मरण करते हुए, अनन्त संसारके जालमें पड़नेवाले उन निह्वोंके साथ संगति न करें—कोई सम्पर्क न रखें—जो विशदको भी कलुषित करना चाहते हैं ।

(११) उक्त ७ पद्यों और उनकी टिप्पणीमें टिप्पणकारने अपने साम्प्रदायिक कट्टरतासे परिपूर्ण हृदयका जो प्रदर्शन किया है—स्वसम्प्रदायके आचार्योंको 'सिंह' तथा 'विद्याओंके राजाधिराज' और दूसरे सम्प्रदायवालोंको 'कुत्ते' तथा 'दुरात्मा' बतलाया है, अपने दिगम्बर भाइयोंको 'परतीर्थिक' अर्थात् भ० महावीरके तीर्थको न माननेवाले अन्यमती लिखा है और साथ ही अपने श्वेताम्बर भाइयोंको यह आदेश दिया है कि वे दिगम्बरोंकी संगति न करें अर्थात् उनसे कोई प्रकारका सम्पर्क न रखें—उस सबकी आलोचनाका यहाँ कोई अवसर नहीं है, और न यह बतलाने की ही जरूरत है कि श्वेताम्बरसिंहोंने कौन कौन दिगम्बर ग्रंथोंका अपहरण किया है और किन किन ग्रंथोंको आदरके साथ ग्रहण करके अपने अपने ग्रन्थोंमें उनका उपयोग किया है, उल्लेख किया है और उन्हें प्रमाणमें उपस्थित किया है । जो लोग परीक्षात्मक, आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक साहित्यको बराबर पढ़ते रहते हैं उनसे ये बातें छिपी नहीं हैं । हाँ, इतना जरूर कहना होगा कि यह सब ऐसे कलुषितहृदय लेखकोंकी लेखनी अथवा साम्प्रदायिक कट्टरताके गहरे रंगमें रंगे हुए कषायाभिभूत साधुओंकी कर्तृता ही परिणाम है—नतीजा है—जो अर्सेसे एक ही पिताकी संतानरूप भाइयों-भाइयोंमें—दिगम्बरों-श्वेताम्बरोंमें—परस्पर मनमुटाव चला जाता है और पारस्परिक कलह तथा विसंवाद शान्त होनेमें नहीं

आता ! दोनों एक दूसरेपर कीचड़ उछालते हैं और विवेककों प्राप्त नहीं होते ! वास्तवमें दोनों ही बहुधा अनेकान्तकी ओर पीठ दिये हुए हैं और उस समीचीन-दृष्टि—अनेकान्तदृष्टि—को भुलाए हुए हैं जो जैनशासनकी जान तथा प्राण है और जिससे अवलोकन करनेपर विरोध ठहर नहीं सकता—मनमुटाव कायम नहीं रह सकता । यदि ऐसे लेखकोंको अनेकान्तदृष्टि प्राप्त होती और वे जैन-नीतिका अनुसरण करते होते तो कदापि इस प्रकारके विषबीज न बोते । खेद है कि दोनों ही सम्प्रदायोंमें ऐसे विषबीज बोनेवाले तथा द्वेष-कषायकी अग्निको भड़कानेवाले होते रहे हैं, जिसका कटुक परिणाम आजकी सन्तानको भुगतना पड़ रहा है !! अतः वर्तमान वीरसन्तानको चाहिये कि वह इस प्रकारकी द्वेषमूलक तहरीरों—पुरानी अथवा आधुनिक लिखावटों—पर कोई ध्यान न देवे और न ऐसे जैननीतिविरुद्ध आदेशोंपर कोई अमल ही करे । उसे अनेकान्तदृष्टिको अपनाकर अपने हृदयको उदार तथा विशाल बनाना चाहिए, उसमें विवेकको जागृत करके साम्प्रदायिक मोहको दूर भगाना चाहिए और एक सम्प्रदायवालोंको दूसरे सम्प्रदायके साहित्यका प्रेमपूर्वक तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये, जिससे परस्परके गुण-दोष मालूम होकर सत्यके ग्रहणकी ओर प्रवृत्ति होसके, दृष्टिविवेककी उपलब्धि होसके और साम्प्रदायिक संस्कारोंके वश कोई भी एकांगी अथवा ऐकान्तिक निर्णय न किया जासके; फलतः हम एक दूसरेकी भूलों अथवा त्रुटियोंको प्रेमपूर्वक प्रकट कर सकें, और इस तरह परस्परके वैर-विरोधको समूल नाश करनेमें समर्थ होसकें । ऐसा करनेपर ही हम अपनेको वीरसन्तान कहने और जैनशासनके अनुयायी बतलानेके अधिकारी हो सकेंगे । साथ ही, उस उपहासको मिटा सकेंगे जो अनेकान्तको अपना सिद्धान्त बनाकर उसके विरुद्ध आचरण करनेके कारण लोकमें हमारा हो रहा है ।



श्वे० तत्त्वार्थसूत्र और उसके भाष्यकी जाँच



जैनसमाजमें उमास्वाति अथवा उमास्वामीकी कृतिरूपसे जिस तत्त्वार्थसूत्रकी प्रसिद्धि है उसके मुख्य दो पाठ पाये जाते हैं—एक दिगम्बर और दूसरा श्वेताम्बर। दिगम्बर सूत्रपाठको सर्वार्थसिद्धि-मान्य सूत्रपाठ बतलाया जाता है, जो दिगम्बरसमाजमें सर्वत्र एकरूपसे प्रचलित है; और श्वेताम्बर सूत्रपाठको भाष्य-मान्य सूत्रपाठ कहा जाता है, जो श्वेताम्बर समाजमें प्रायः करके प्रचलित है; परन्तु कहीं कहीं उसमें अच्छा उल्लेखनीय भेद भी पाया जाता है ❁ । भाष्यकी बाबत श्वे० समाजका दावा है कि वह 'स्वोपज्ञ' है—स्वयं सूत्रकारका ही रचा हुआ है। साथ ही यह भी दावा है कि मूल सूत्र और उसका भाष्य ये दोनों बिल्कुल श्वेताम्बरश्रुतके अनुकूल हैं—श्वेताम्बर आगमोंके आधार पर ही इनका निर्माण हुआ है, और इसलिये सूत्रकार उमास्वाति श्वेताम्बर-परम्पराके थे † ।

❁ देखो, 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी एक सटिप्पण प्रति' नामका लेख, (नं० १०) जो पहले अनेकान्त वर्ष ३ किरण १ (वीरशासनाब्द) में प्रकाशित हुआ था, तथा पं० मुखलालजीके तत्त्वार्थ-सूत्र-विवेचनकी प्रस्तावनाका पृष्ठ ८४-८५ ।

† श्वे० समाजके असाधारण विद्वान् पं० मुखलालजी अपने तत्त्वार्थसूत्रके लेखकीय वक्तव्यमें लिखते हैं:—“उमास्वाति श्वेताम्बर-परम्पराके थे और उनका सभाष्य तत्त्वार्थसूत्र सचेलपक्षके श्रुतके आधार पर ही बना है।”

दावेकी ये दोनों बातें कहाँ तक ठीक हैं—मूलसूत्र, उसके भाष्य और श्वेताम्बरीय आगमों परसे इनका पूरी तौर पर समर्थन होता है या कि नहीं, इस विषयकी जाँचको पाठकोंके सामने उपस्थित करना ही इस लेखका मुख्य विषय है।

सूत्र और भाष्य-विरोध

सूत्र और भाष्य जब दोनों एक ही आचार्यकी कृति हों तब उनमें परस्पर असंगति, अर्थभेद, मतभेद अथवा किसी प्रकारका विरोध न होना चाहिये। और यदि उनमें कहींपर ऐसी असंगति, भेद, अथवा विरोध पाया जाता है तो कहना चाहिए कि वे दोनों एक ही आचार्यकी कृति नहीं हैं—उनका कर्ता भिन्न भिन्न है—और इसलिये सूत्र का वह भाष्य 'स्वोपज्ञ' नहीं कहला सकता। श्वेताम्बरीके तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और उसके भाष्यमें ऐसी असंगति भेद अथवा विरोध पाया जाता है; जैसा कि नीचेके कुछ नमूनोंसे प्रकट है:—

(१) श्वेताम्बरीय सूत्रपाठमें प्रथम अध्यायका २३ वाँ सूत्र निम्न प्रकार है—

यथोक्तनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्।

इसमें अवधिज्ञानके द्वितीय भेदका नाम 'यथोक्तनिमित्तः' दिया है और भाष्य में 'यथोक्तनिमित्तः क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थः' ऐसा लिखकर 'यथोक्तनिमित्त' का अर्थ 'क्षयोपशमनिमित्त' बतलाया है; परन्तु 'यथोक्त' का अर्थ 'क्षयोपशम' किसी तरह भी नहीं बनता। 'यथोक्त' का सर्वसाधारण अर्थ होता है—'जैसा कि कहा गया', परन्तु पूर्ववर्ती किसी भी सूत्रमें 'क्षयोपशमनिमित्त' नामसे अवधिज्ञानके भेदका कोई उल्लेख नहीं है और न कहीं 'क्षयोपशम' शब्दका ही प्रयोग आया है, जिससे 'यथोक्त' के साथ उसकी अनुवृत्ति लगाई जा सकती। ऐसी हालतमें 'क्षयोपशमनिमित्त' के अर्थमें 'यथोक्तनिमित्त'का प्रयोग सूत्रसंदर्भके साथ असंगत जान पड़ता है। इसके सिवाय, 'द्विविधोऽवधिः' इस २१वें सूत्रके भाष्यमें लिखा है—'भवप्रत्ययः क्षयोपशमनिमित्तश्च' और इसके द्वारा अवधिज्ञानके दो भेदोंके नाम क्रमशः 'भवप्रत्यय' और 'क्षयोपशमनिमित्त' बतलाये हैं। २२वें सूत्र 'भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्' में अवधिज्ञानके प्रथम भेदका वर्णन जब भाष्यनिर्दिष्ट नामके साथ किया गया है तब २३वें सूत्रमें उसके द्वितीय भेदका वर्णन भी भाष्यनिर्दिष्ट नामके साथ होना चाहिये था और तब उस

सूत्रका रूप होता—“क्षयोपशमनिमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम्”, जैसा कि दिगम्बर सम्प्रदायमें मान्य है। परन्तु ऐसा नहीं है, अतः उक्त सूत्र और भाष्यकी असंगति स्पष्ट है और इसलिये यह कहना होगा कि या तो ‘यथोक्त-निमित्तः’ पदका प्रयोग ही गलत है और या इसका जो अर्थ ‘क्षयोपशमनिमित्तः’ दिया है वह गलत है तथा २१वें सूत्रके भाष्यमें ‘यथोक्तनिमित्त’ नामको न देकर उसके स्थानपर ‘क्षयोपशमनिमित्त’ नामका देना भी गलत है। दोनों ही प्रकारसे सूत्र और भाष्यकी पारस्परिक असंगतिमें कोई अन्तर मालूम नहीं होता।

(२) श्वे० सूत्रपाठके छठे अध्यायका छठा सूत्र है—

“इन्द्रियकषायाऽव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चविंशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः।”

दिगम्बर सूत्रपाठमें इसीको नं० ५ पर दिया है। यह सूत्र श्वेताम्बराचार्य हरिभद्रकी टीका और सिद्धसेनगणीकी टीकामें भी इसी प्रकारसे दिया हुआ है। श्वेताम्बरोंकी उस पुरानी सटिप्पण प्रतिमें भी इसका यही रूप है जिसका प्रथम परिचय अनेकान्तके तृतीय वर्षकी प्रथम किरणमें प्रकाशित हुआ है। इस प्रामाणिक सूत्रपाठके अनुसार भाष्यमें पहले इन्द्रियका, तदनन्तर कषायका और फिर अव्रतका व्याख्यान होना चाहिये था; परन्तु ऐसा न होकर पहले ‘अव्रत’ का और अव्रतवाले तृतीय स्थानपर इन्द्रियका व्याख्यान पाया जाता है। यह भाष्यपद्धतिको देखते हुए सूत्रक्रमोल्लंघन नामकी एक असंगति है, जिसे सिद्धसेनगणीने अन्य प्रकारसे दूर करनेका प्रयत्न किया है, जैसा कि पं० सुखलालजी-के उक्त तत्त्वार्थसूत्रकी सूत्रपाठसे सम्बन्ध रखनेवाली निम्न टिप्पणी (पृ० १३२)-से भी पाया जाता है :—

“सिद्धसेनको सूत्र और भाष्यकी यह असंगति मालूम हुई है और उन्होंने इसको दूर करनेकी कोशिश भी की है।”

परन्तु जान पड़ता है पं० सुखलालजीको सिद्धसेनका वह प्रयत्न उचित नहीं जँचा, और इसलिये उन्होंने मूलसूत्रमें उस सुधारको इष्ट किया है जो उसे भाष्यके अनुरूप रूप देकर ‘अव्रतकषायेन्द्रियक्रियाः’ पदसे प्रारम्भ होनेवाला बनाता है। इस तरह पर यद्यपि सूत्र और भाष्यकी उक्त असंगतिको कहीं कहीं

पर सुधारा गया है, परन्तु सुधारका यह कार्य बादकी कृति होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि सूत्र और भाष्यमें उक्त असंगति नहीं थी ।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि श्वेताम्बरीय आगमादि पुरातनग्रन्थोंमें भी साम्प्रायिक आस्रवके भेदोंका निर्देश इन्द्रिय, कषाय, अन्नत योग और क्रिया इस सूत्रनिर्दिष्ट क्रमसे पाया जाता है; जैसाकि उपाध्याय मुनि श्रीआत्मारामजी द्वारा 'तत्त्वार्थसूत्र-जैनागमसमन्वय'में उद्धृत स्थानांगसूत्र और नवतत्त्वप्रकरणके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“पंचिदिया पण्णत्ता ... चत्तारिकसाया पण्णत्ता पंचअविरय पण्णत्ता...पंचवीसा किरिया पण्णत्ता... ।”

—स्थानांग स्थान २, उद्देश्य १ सू० ६० (?)

“इंदियकसायअव्वयजोगा पंच चउ पंच तिन्नि कमा ।”

किरियाओ पण्वीसं इमाओ ताओ अणुकमसो ॥”

—नवतत्त्वप्रकरण

इससे उक्त सुधार वैसे भी समुचित प्रतीत नहीं होता, वह आगमके विरुद्ध पड़ेगा । और इस तरह एक असंगतिसे बचनेके लिये दूसरी असंगतिको आमन्त्रित करना होगा ।

(३) चौथे अध्यायका चौथा सूत्र इस प्रकार है—

“इन्द्र-सामानिक-त्रायस्त्रिंश-पारिषद्याऽऽत्मरत्न-लोकपाला-ऽनीक-प्रकीर्णका-ऽऽभियोग्य-किल्बिषिकाश्चैकशः ।”

इस सूत्रमें पूर्वसूत्रके निर्देशानुसार देवनिर्णयोंमें देवोंके दश भेदोंका उल्लेख किया है । परन्तु भाष्यमें 'तद्यथा' शब्दके साथ उन भेदोंको जो गिनाया है उसमें दशके स्थानपर निम्न प्रकारसे ग्यारह भेद दे दिये हैं:—

“तद्यथा, इन्द्राः सामानिकाः त्रायस्त्रिंशाः पारिषद्याः आत्मरत्नाः लोकपालाः अनीकाधिपतयः अनीकानि प्रकीर्णकाः आभियोग्याः किल्बिषिकाश्चेति ।”

इस भाष्यमें 'अनीकाधिपतयः' नामका जो भेद दिया है वह सूत्रसंगत नहीं है । इसीसे सिद्धसेनगणी भी लिखते हैं कि—

“सूत्रे चानीकान्येवोपात्तानि सूरिणा नानीकाधिपतयः, भाष्ये पुनरु-
पन्यस्ताः ।”

अर्थात्—सूत्रमें तो आचार्यने अनीकोंका ही ग्रहण किया है, अनीकाधिप-
तियोंका नहीं। भाष्यमें उसका पुनः उपन्यास किया गया है।

इससे सूत्र और भाष्यका जो विरोध आता है उससे इनकार नहीं किया
जा सकता। सिद्धसेनगणीने इस विरोधका कुछ परिमार्जन करनेके लिये जो
यह कल्पना की है कि ‘भाष्यकारने अनीकों और अनीकाधिपतियोंके एकत्वका
विचार करके ऐसा भाष्य कर दिया जान पड़ता है *’, वह ठीक मालूम नहीं
होती; क्योंकि अनीकों और अनीकाधिपतियोंकी एकताका वैसा विचार यदि
भाष्यकारके ध्यानमें होता तो वह अनीकों और अनीकाधिपतियोंके लिये अलग
अलग पदोंका प्रयोग करके संख्याभेदको उत्पन्न न करता। भाष्यमें तो दोनोंका
स्वरूप भी फिर अलग अलग दिया गया है जो दोनोंकी भिन्नताका द्योतन करता
है। यों तो देव और देवाधिपति (इन्द्र) यदि एक हों तो फिर ‘इन्द्र’ का अलग
भेद करना भी व्यर्थ ठहरता है; परन्तु दश भेदोंमें इन्द्रकी अलग गणना की गई
है, इससे उक्त कल्पना ठीक मालूम नहीं होती। सिद्धसेन भी अपनी इस कल्पना
पर दृढ मालूम नहीं होते, इसीसे उन्होंने आगे चलकर लिख दिया है—“अन्यथा
वा दशसंख्या भिद्येत”—अथवा यदि ऐसा नहीं है तो दशकी संख्याका विरोध
आता है।

(४) श्वे० सूत्रपाठके चौथे अध्यायका २६ वां सूत्र निम्न प्रकार है—

“सारस्वतादित्यबन्धरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतोऽरिष्टाश्च ।”

इसमें लोकान्तिक देवोंके सारस्वत, आदित्य, बन्धि, अरुण, गर्दतोय, तुषित,
अव्याबाध, मरुत और अरिष्ट; ऐसे नव भेद बतलाये हैं, परन्तु भाष्यकारने पूर्वे
सूत्रके भाष्यमें और इस सूत्रके भाष्यमें भी लोकान्तिक देवोंके भेद आठ ही
बतलाये हैं और उन्हें पूर्वादि आठ दिशा-विदिशाओंमें स्थित सूचित किया है;
जैसाकि दोनों सूत्रोंके निम्न भाष्योंसे प्रकट है :—

“ब्रह्मलोकं परिवृत्त्याशु दिक्षु अष्टकिकल्पा भवन्ति। तद्यथा—”

❁ “तदेकत्वमेवानीकानीकाधिपत्योः परिचिन्त्य विवृतमेव भाष्यकारेण ।”

“एते सारस्वतादयोऽष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिक्षु प्रदक्षिणं भवन्ति यथासंख्यम् ।”

इससे सूत्र और भाष्यका भेद स्पष्ट है। सिद्धसेनगणी और पं० सुखलाल-जीने भी इस भेदको स्वीकार किया है; जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

“नन्वेवमेते नवभेदा भवन्ति, भाष्यकृता चाष्टविधा इति मुद्रिताः ।”

“इन दो सूत्रोंके मूलभाष्यमें लोकान्तिक देवोंके आठ ही भेद बतलाये हैं, नव नहीं ।”

इस विषयमें सिद्धसेनगणी तो यह कहकर छुट्टी पागये हैं कि लोकान्तमें रहने वालोंके ये आठ भेद जो भाष्यकार सूरिने अंगीकार किये हैं वे रिष्टविमानके प्रस्तारमें रहनेवालोंकी अपेक्षा नवभेदरूप हो जाते हैं, आगममें भी नव भेद कहे हैं, इससे कोई दोष नहीं* परन्तु मूल सूत्रमें जब स्वयं सूत्रकारने नव भेदोंका उल्लेख किया है तब अपने ही भाष्यमें उन्होंने नव भेदोंका उल्लेख न करके आठ भेदोंका ही उल्लेख क्यों किया है, इसकी वे कोई माकूल (युक्तियुक्त) वजह नहीं बतला सके। इसीसे शायद पं० सुखलालजीको उस प्रकारसे कहकर छुट्टी पा लेना उचित नहीं जँचा, और इस लिये उन्होंने भाष्यकी स्वोप-ज्ञतामें बाधा न पड़ने देनेके खयालसे यह कह दिया है कि—“यहाँ मूल सूत्रमें ‘मरुतो’ पाठ पीछेसे प्रक्षिप्त हुआ है ।” परन्तु इसके लिये वे कोई प्रमाण उपस्थित नहीं कर सके। जब प्राचीनसे प्राचीन श्वेताम्बरीय टीकामें ‘मरुतो’ पाठ स्वीकृत किया गया है तब उसे यों ही दिगम्बर पाठकी बातको लेकर प्रक्षिप्त नहीं कहा जा सकता।

सूत्र तथा भाष्यके इन चार नमूनों और उनके उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि सूत्र और भाष्य दोनों एक ही आचार्यकी कृति नहीं हैं, और इसलिये श्वे० भाष्यको ‘स्वोपज्ञ’ नहीं कहा जा सकता।

ॐ उच्यते—लोकान्तवर्तिनः एतेष्टभेदाः सूरिणोपात्ताः, रिष्टविमानप्रस्तारव-
र्तिभिर्नवधा भवन्तीत्यदोषः। आगमे तु नवधैवाधीता इति ।”

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि तत्त्वार्थसूत्रपर श्वेताम्बरोंका एक पुराना टिप्पण है, जिसका परिचय अनेकान्तके वीरशासनाङ्क (वर्ष ३ कि० १ पृ० १२१-१२८) में प्रकाशित हो चुका है। इस टिप्पणके कर्ता रत्नसिंह सूरि बहुत ही कट्टर साम्प्रदायिक थे और उनके सामने भाष्य ही नहीं किन्तु सिद्धसेनकी भाष्यानुसारिणी टीका भी थी, जिन दोनोंका टिप्पणमें उपयोग किया गया है, परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी उन्होंने भाष्यको 'स्वोपज्ञ' नहीं बतलाया। टिप्पणके अन्तमें 'दुर्वादापहार' रूपसे जो सात पद्य दिये हैं उनमेंसे प्रथम पद्य और उसके टिप्पणमें, साम्प्रदायिक-कट्टरताका कुछ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भाष्यकारका जिन शब्दोंमें स्मरण किया है वे निम्न प्रकार हैं:—

“प्रागेवैतददक्षिण-भषण-गणादास्यमानमिति मत्वा।

त्रातं समूल-चूलं स भाष्यकारश्चिरं जीयात् ॥ १ ॥

टिप्पण—‘दक्षिणे सरलोदाराविति हेमः’ अदक्षिणा असरलाः स्ववचनस्यैव पक्षपातमलिना इति यावत्त एव भषणाः कुर्कुरास्तेषां गणैरादास्यमानं ग्रहीष्यमानं स्वायत्तीकरिष्यमानमिति यावत्तथाभूतमिवैतत्तत्त्वार्थशास्त्रं प्रागेवं पूर्वमेव मत्वा ज्ञात्वा येनेति शेषः। सहमूलचूलाभ्यामिति समूलचूलं त्रातं रक्षितं स कश्चिद् भाष्यकारो भाष्यकर्ता चिरं दीर्घजीयाञ्जयं गम्यादित्याशीर्वचोऽस्माकं लेखकानां निर्मलग्नन्थरक्षकाय प्राग्गचनं-चौरिकायामशक्यायेति।”

इन शब्दोंका भावार्थ यह है कि—‘जिसने इस तत्त्वार्थशास्त्रको अपने ही वचनके पक्षपातसे मलिन अनुदार कुत्तोंके समूहोंद्वारा ग्रहीष्यमान-जैसा जानकर—यह देखकर कि ऐसी कुत्ता-प्रकृतिके विद्वान लोग इसे अपना अथवा अपने सम्प्रदायका बनाने वाले हैं—पहले ही इस शास्त्रकी मूल-चूल* सहित-रक्षा की है—इसे ज्योंका त्यों श्वेताम्बरसम्प्रदायके उमास्वातिकी कृतिरूपमें ही कायम रक्खा है—वह (अज्ञातनामा) भाष्यकार चिरंजीव होवे—चिरकाल तक जयको प्राप्त होवे—ऐसा हम टिप्पणकार-जैसे लेखकोंका उस निर्मलग्नन्थके रक्षक तथा प्राचीनवचनोंकी चोरीमें असमर्थके प्रति आशीर्वाद है।’

यहाँ भाष्यकारका नाम न देकर उसके लिये 'सकश्चित्' (वह कोई) शब्दोंका प्रयोग किया है, जब कि मूल सूत्रकारका नाम 'उमास्वाति' कई स्थानोंपर स्पष्ट रूपसे दिया है। इससे साफ ध्वनित होता है कि टिप्पणकारको भाष्यकारका नाम मालूम नहीं था और वह उसे मूल सूत्रकारसे भिन्न समझता था, भाष्यकारका 'निर्मलग्नन्थरक्षकाय' विशेषणके साथ 'प्राग्वचन-चौरिकायाम-शक्याय' विशेषण भी इसी बातको सूचित करता है। इसके 'प्राग्वचन' का वाच्य तत्त्वार्थसूत्र जान पड़ता है—जिसे प्रथम विशेषणमें 'निर्मलग्नन्थ' कहा गया है, भाष्यकारने उसे चुराकर अपना नहीं बनाया—वह अपनी मनःपरिणति-के कारण ऐसा करनेके लिये असमर्थ था—यही आशय यहाँ व्यक्त किया गया है। अन्यथा, उमास्वातिके लिये इस विशेषणकी कोई जरूरत नहीं थी—यह उनके लिये किसी तरह भी ठीक नहीं बैठता। साथ ही, 'अपने ही बचनके पक्षपातसे मलिन अनुशार कुत्तोंके समूहोंद्वारा ग्रहीष्यमान-जैसा जानकर' ऐसा जो कहा गया है उससे यह भी ध्वनित होता है कि भाष्यकी रचना उस समय हुई है जब कि तत्त्वार्थसूत्रपर 'सर्वार्थसिद्धि' आदि कुछ प्राचीन दिगम्बर टीकाएँ बन चुकी थीं और उनके द्वारा दिगम्बर समाजमें तत्त्वार्थसूत्रका अच्छा प्रचार प्रारंभ हो गया था। इस प्रचारको देखकर ही किसी श्वेताम्बर विद्वानको भाष्यके रचनेकी प्रेरणा मिली है और उसके द्वारा तत्त्वार्थसूत्रको श्वेताम्बर बनाने की चेष्टा की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी हालतमें भाष्यको स्वयं मूल सूत्रकार उमास्वातिकी कृति बतलाना और भी असंगत जान पड़ता है।

सूत्र और भाष्यका आगमसे विरोध

सूत्र और भाष्य दोनोंका निर्माण यदि श्वेताम्बर आगमोंके आधारपर ही हुआ हो, जैसा कि दावा है, तो श्वे० आगमोंके साथ उनमेंसे किसीका जरा भी मतभेद, असंगतपन अथवा विरोध न होना चाहिये। यदि इनमेंसे किसीमें भी कहींपर ऐसा मतभेद, असंगतपन अथवा विरोध पाया जाता है तो कहना होगा

❁ 'चल' का अभिप्राय आदि अन्तकी कारिकाओंसे जान पड़ता है, जिन्हें साथमें लेकर और मूलसूत्रका अंग मानकर ही टिप्पण लिखा गया है।

कि उसके निर्माण का आधार पूर्णतः श्वेताम्बर आगम नहीं है, और इस लिये दावा मिथ्या है। श्वेताम्बरीय सूत्रपाठ और उसके भाष्यमें ऐसे अनेक स्थल हैं जो श्वे० आगमोंके साथ मतभेदादिको लिये हुए हैं। नीचे उनके कुछ नमूने प्रकट किये जाते हैं:—

(१) श्वेताम्बरीय आगममें मोक्षमार्गका वर्णन करते हुए उसके चार कारण बतलाये हैं और उनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इस क्रमसे निर्देश किया है; जैसा कि उत्तराध्ययन सूत्रके २८ वें अध्ययनकी निम्न गाथाओंमें प्रकट है—

मोक्षमग्गगइं तच्च सुणेह जिणभासियं ।

चउकारणसंजुत्तं नाणदंमणलक्खणं ॥ १ ॥

नाणं च दंसणं चेव चरित्तं च तवो तहा ।

एस मग्गुत्तिपण्णत्तो जिणेहिं वरदंसहिं ॥ २ ॥

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ।

एयं मग्गमुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गइं ॥ ३ ॥

नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सहहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसुद्धई ॥ ३५ ॥

परन्तु श्वेताम्बर-सूत्रपाठमें, दिगम्बर सूत्रपाठकी तरह, तीन कारणोंका दर्शन-ज्ञान-चारित्रके क्रमसे निर्देश है; जैसा कि निम्न सूत्रसे प्रकट है—

सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

अतः यह सूत्र श्वेताम्बर आगमके साथ पूर्णतया संगत नहीं है। वस्तुतः यह दिगम्बरसूत्र है और इसके द्वारा मोक्षमार्गके कथनकी उस दिगम्बर शैलीको अपनाया गया है जो श्रीकुन्दकुन्दादिके ग्रंथोंमें सर्वत्र पाई जाती है।

(२) श्वेताम्बरीय सूत्रपाठके प्रथम अध्यायका चौथा सूत्र इस प्रकार है—

जीवाऽजीवास्रवबन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् ।

इसमें जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ऐसे सात तत्त्वोंका निर्देश है। भाष्यमें भी “जीवा अजीवा आस्रवा बन्धः संवरो निर्जरा मोक्ष इत्येष सप्तविधोऽर्थस्तत्त्वम् एते वा सप्तपदार्थास्तत्त्वानि” इन वाक्योंके द्वारा निर्देश्य तत्त्वोंके नामके साथ उनकी संख्या सात बतलाई गई है, और तत्त्व तथा पदार्थको एक सूचित किया है। परन्तु श्वेताम्बर आगममें

तत्त्व अथवा पदार्थ नव बतलाए हैं, जैसा कि 'स्थानांग' आगमके निम्न सूत्रसे प्रकट है:—

“नव सम्भावपयत्था पण्णत्ते । तं जहा-जीवा अजीवा पुण्णं पावो आसवो संवरो निज्जरा बंधो मोक्खो ।” (स्थान ६ सू० ६६५)

सात तत्त्वोंके कथनकी शैली श्वेताम्बर आगमोंमें है, ही नहीं, इसीसे उपाध्याय मुनि आत्मारामजीने तत्त्वार्थसूत्रका श्वे० आगमके साथ जो समन्वय उपस्थित किया है उसमें वे स्थानांगके उक्त सूत्रको उद्धृत करनेके सिवाय आगमका कोई भी दूसरा वाक्य ऐसा नहीं बतला सके जिसमें सात तत्त्वोंकी कथनशैलीका स्पष्ट निर्देश पाया जाता हो । सात तत्त्वोंके कथनकी यह शैली दिगम्बर है—दिगम्बर सम्प्रदायमें साततत्त्वों और नव पदार्थोंका अलग अलग रूपसे निर्देश किया है* । दिगम्बर-सूत्रपाठमें यह सूत्र भी इसी रूपसे स्थित है । अतः इस चौथे सूत्रका आधार दिगम्बरश्रुत जान पड़ता है—श्वेताम्बरश्रुत नहीं ।

(३) प्रथम अध्यायका आठवां सूत्र इस प्रकार है—

सत्संख्यात्ते त्रस्पर्शनकालान्तरभावालपबहुत्वैश्च ।

इसमें सत्, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन आठ अनुयोगद्वारोंके द्वारा विस्तारसे अधिगम होना बतलाया है; जैसा कि भाष्यके निम्न अंशसे भी प्रकट है—

“सत् संख्या क्षेत्रं स्पर्शनं कालः अन्तरं भावः अल्पबहुत्वमित्येतैश्च सद्भूतपदप्ररूपणादिभिरष्टाभिरनुयोगद्वारैः सर्वभावानां (तत्त्वानां) विकल्पशो विस्तराधिगमो भवति ।”

परन्तु श्वेताम्बर आगममें सत् आदि अनुयोगद्वारोंकी संख्या नव मानी है—‘भाग’ नामका एक अनुयोगद्वार उसमें और है; जैसा कि अनुयोगद्वारसूत्रके निम्न वाक्यसे प्रकट है, जिसे उपाध्याय मुनि आत्मारामजीने भी अपने उक्त ‘तत्त्वार्थसूत्र-जैनागमसमन्वय’ में उद्धृत किया है—

* सम्भविरओ वि भावहि एव य पयत्थाइं सत्तत्त्वाइं । —भावप्राभृत ६५

“से किं तं अणुगमे ? नवविहे पणत्ते । तं जहा—संतपयपरुवणया
१ दव्वपमाणं च २ खित्त ३ फुसणा य ४ कालो य ५ अंतरं ६ भाग
७ भाव ८ अप्पावहुं ९ चेव ।” (अनु० सूत्र ८०)

इससे स्पष्ट है कि उक्त सूत्र और भाष्यका कथन श्वेताम्बर आगमके साथ संगत नहीं है । वास्तवमें यह दिगम्बरसूत्र है; दिगम्बरसूत्र पाठमें भी इसी तरहसे स्थित है और इसका आधार षट्खण्डागमके प्रथमखण्ड जीवट्टाणके निम्न तीन सूत्र हैं—

“एदेसिं चोदसण्हं जीवसमासाणं परुवणट्ठादाए तत्थ इमाणि अट्ठ
अणियोगद्वाराणि णायव्वाणि भवन्ति ॥ ५ ॥ तं जहा ॥ ६ ॥

संतपरुवणा दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमो
कालाणुगमो अंतराणुगमो भावानुगमो अप्पावहुगाणुगमो चेदि ॥७॥

षट्खण्डागममें और भी ऐसे अनेक सूत्र हैं जिनसे इन सत् आदि आठ अनुयोगद्वारोंका समर्थन होता है ।

(४) श्वे० सूत्रपाठके द्वितीय अध्यायमें ‘निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्’ नामका जो १७ वां सूत्र है उसके भाष्यमें ‘उपकरणं बाह्याभ्यन्तरं च’ इस वाक्यके द्वारा उपकरणके बाह्य और अभ्यन्तर ऐसे दो भेद किये गये हैं; परन्तु श्वे० आगममें उपकरणके ये दो भेद नहीं माने गये हैं । इसीसे सिद्धसेन गणी अपनी टीकामें लिखते हैं—

“आगमे तु नास्ति कश्चिदन्तर्बहिर्भेद उपकरणस्येत्याचार्यस्यैव
कुतोऽपि सम्प्रदाय इति ।”

अर्थात्—आगममें तो उपकरणका कोई अन्तर-बाह्यभेद नहीं है । आचार्य-का ही यह कहींसे भी कोई सम्प्रदाय है—भाष्यकारने ही किसी सम्प्रदाय-विशेषकी मान्यतापरसे इसे अंगीकार किया है ।

इससे दो बातें स्पष्ट हैं—एक तो यह कि भाष्यका उक्त वाक्य श्वे० आगम-के साथ संगत नहीं है, और दूसरी यह कि भाष्यकारने दूसरे सम्प्रदायकी बातको अपनाया है । वह दूसरा (श्वेताम्बरभिन्न) सम्प्रदाय दिगम्बर हो सकता है । दिगम्बर सम्प्रदायमें सर्वत्र उपकरणके दो भेद माने भी गये हैं ।

(५) चौथे अध्यायमें लोकान्तिक देवोंका निवासस्थान 'ब्रह्मलोक' नामका पाँचवां स्वर्ग बतलाया गया है और 'ब्रह्मलोकात्तया लोकान्तिका।' इस २५वें सूत्रके निम्न भाष्यमें यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ब्रह्मलोक में रहने वाले ही लोकान्तिक होते हैं—अन्य स्वर्गोंमें या उनसे परे—ग्रैवेयकादिमें लोकान्तिक नहीं होते—

“ब्रह्मलोकात्तया एव लोकान्तिका भवन्ति नान्यकल्पेषु नापि परतः ।”

ब्रह्मलोकमें रहने वाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दस सागरकी, और जघन्य स्थिति सातसागरसे कुछ अधिककी बतलाई गई, जैसा कि सूत्र नं० ३७ और ४२ और उनके निम्न भाष्यांशोंसे प्रकट है—

“ब्रह्मलोके त्रिभिरधिकानि सप्तदशेत्यर्थः ।”

“माहेन्द्रे परा स्थितिर्विशेषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा ब्रह्मलोके जघन्या भवति । ब्रह्मलोके दशसागरोपमाणि परा स्थितिः सा लान्तवे जघन्या ।”

इससे स्पष्ट है कि सूत्र तथा भाष्यके अनुसार लोकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागरकी और जघन्य आयु सात सागरसे कुछ अधिककी होती है; क्योंकि लोकान्तिक देवोंकी आयुका अलग निर्देश करने वाला कोई विशेष सूत्र भी श्वे० सूत्रपाठमें नहीं है । परन्तु श्वे० आगममें लोकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य दोनों ही प्रकारकी आयु की स्थिति आठ सागरकी बतलाई है जैसाकि 'स्थानांग' और 'व्याख्याप्रज्ञप्ति' के निम्न सूत्रसे प्रकट है—

“लोगंतिकदेवाणं जहण्णमुक्कोसेणं अट्ठसागरोवमाइं ठिती पण्णत्ता ।”—स्था० स्थान ८ सू० ६२३ व्या, श० ६ उ० ५

ऐसी हालतमें सूत्र और भाष्य दोनों का कथन श्वे० आगमके साथ संगत न होकर स्पष्ट विरोधको लिये हुए है । दिगम्बर आगमके साथ भी उसका कोई मेल नहीं है; क्यों कि दिगम्बर सम्प्रदायमें भी लोकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति आठ सागरकी मानी है और इसीसे दिगम्बर सत्रपाठमें

“लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम्” यह एक विशेषसूत्र लोकान्तिक देवोंकी आयुके स्पष्ट निर्देशको लिये हुए है ।

(६) चौथे अध्यायमें देवोंकी जघन्य स्थितिका वर्णन करते हुए, जो ४२वां सत्र दिया है वह अपने भाष्यसहित इस प्रकार है—

“परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा ॥ ४२ ॥” (अ० ३४)

भाष्य—“माहेन्द्रात्परतः पूर्वापराऽनन्तरा जघन्या स्थितिर्भवति । तद्यथा । माहेन्द्रे परा स्थितिर्विशेषाधिकानि सप्तसागरोपमाणि सा ब्रह्मलोके जघन्या भवति । ब्रह्मलोके दशसागरोपमाणि परा स्थितिः सा लान्तवे जघन्या । एवमासर्वार्थसिद्धादिति ।”

यहां माहेन्द्र स्वर्गसे बादके वैमानिक देवोंकी स्थिति का वर्णन करते हुए यह नियम दिया है कि अगले अगले विमानोंमें वह स्थिति जघन्य है, जो पूर्व पूर्वके विमानोंमें उत्कृष्ट कही गई है, और इस नियमको सर्वार्थसिद्ध विमानपर्यन्त लगानेका आदेश दिया गया है । इस नियम और आदेशके अनुसार सर्वार्थसिद्ध विमानके देवोंकी जघन्यस्थिति बत्तीस सागरकी और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी ठहरती है । परन्तु आगममें सर्वार्थसिद्धके देवोंकी स्थिति एक ही प्रकारकी बतलाई है—उसमें जघन्य उत्कृष्टका कोई भेद नहीं है, और वह स्थिति तेतीस सागरकी ही है; जैसा कि श्वे० आगमके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

“सर्ववट्सिद्धदेवाणां भंते ! केवतिथं कालं ठिई पणत्ता ? गोयमा ! अजहण्णुक्कोसेण तिच्चीसं सागरोपमाइं ठिई पणत्ता ।”

—प्रज्ञा० प० ४ सू० १०२

“अजहण्णमणुक्कोसा तेच्चीसं सागरोपमा ।

महाविमाणे सर्ववट्ठे ठिई एसा वियाहिया ॥२४२॥

—उत्तराध्ययनसूत्र अ० ३६

और इसलिए यह स्पष्ट है कि भाष्यका ‘एवमासर्वार्थसिद्धादिति’ वाक्य श्वे० आगमके विरुद्ध है । सिद्धसेनगणीने भी इसे महसूस किया है और इसलिये वे अपनी टीकामें लिखते हैं—

“तत्र विजयमदिषु चतुर्षु जघन्येनैकत्रिंशदुत्कर्षेण द्वात्रिंशत् सर्वार्थसिद्धे त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाण्यजघन्योत्कृष्टा स्थितिः । भाष्यकारेण तु

सर्वार्थसिद्धेऽपि जघन्या द्वात्रिंशत्सागरोपमाण्यधीता तन्न विद्वः केनाप्य-
भिप्रायेण । आगमस्तावदयम्—”

अर्थात्—विजयादिक चार विमानोमें जघन्य स्थिति इकतीस सागरकी—
उत्कृष्ट स्थिति बत्तीस सागरकी है और सर्वार्थसिद्धमें अजघन्योत्कृष्ट स्थिति
तेतीस सागरकी है । परन्तु भाष्यकारने तो सर्वार्थसिद्धमें जघन्यस्थिति बत्तीस
सागरकी बतलाई है, हमें नहीं मालूम किस अभिप्रायसे उन्होंने ऐसा कथन
किया है । आगम तो यह है—(इसके बाद प्रज्ञापनासूत्रका वह वाक्य दिया है
जो ऊपर उद्धृत किया गया है) ।

(७) छठे अध्यायमें तीर्थंकर प्रकृति नामकर्मके आस्रव-कारणोंको बतलाते
हुए जो सूत्र दिया है वह इस प्रकार है—

“दर्शनविशुद्धिं विनयसम्पन्नतां शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीक्ष्णं ज्ञानो-
पयोगसंवेगौ शक्तितस्त्याग-तपसी संघसाधुसमाधिर्वैयावृत्यकरणमर्हदा-
चार्य-बहुश्रुत-प्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्स-
लत्वमिति तीर्थंकरत्वस्य ॥ २३ ॥”

यह सूत्र दिगम्बर सूत्रपाठके विल्कुल समकक्ष है—मात्रसाधुसमाधिसे पहले
यहां ‘संघ’ शब्द बढ़ा हुआ है, जिससे अर्थमें कोई विशेष भेद उत्पन्न नहीं
होता । दि० सूत्रपाठमें इसका नम्बर २४ है । इसमें सोलह कारणोंका निर्देश
है और वे हैं—१ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलव्रतानतिचार,
४ अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, ५ अभीक्ष्णसंवेग, ६ यथाशक्ति त्याग, ७ यथाशक्ति
तप, ८ संघसाधुसमाधि, ९ वैयावृत्यकरण, १० अर्हद्वृत्ति, ११ आचार्यभक्ति,
१२ बहुश्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिहाणि, १५ मार्गप्रभावना,
१६ प्रवचनवत्सलत्व ।

परन्तु श्वेताम्बर आगममें तीर्थंकरत्वकी प्राप्तिके बीस* कारण बतलाये
हैं—सोलह नहीं और वे हैं—१ अर्हद्वत्सलता, २ सिद्धवत्सलता, ३ प्रवचन-
वत्सलता, ४ गुरुवत्सलता, ५ स्थविरवत्सलता, ६ बहुश्रुतवत्सलता, ७ तपस्वि-

* ‘पढमचरमेहि पुट्टा जिणहेऊ बीस ते इमे—

—सत्तरिसयठाणाद्वार १०

वत्सलता, ८ अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, ९ दर्शननिरतिचारता, १० विनयनिरतिचारता, ११ आवश्यकनिरतिचारता, १२ शीलनिरतिचारता, १३ व्रतनिरतिचारता, १४ क्षणलवसमाधि, १५ तपःसमाधि, १६ त्यागसमाधि, १७ वैय्यावृत्यसमाधि, १८ अपूर्वज्ञानग्रहण, १९ श्रुतभक्ति, २० प्रवचनप्रभावना, जैसाकि 'ज्ञाताधर्म-कथांग' नामक श्वेताम्बर आगमकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है:—

अरिहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेयर-बहुसुए तवस्सीसु ।

वच्छलया य एसि अभिक्खनाणावआंगे अ ॥ १ ॥

दंसणविणए आवस्सए अ सीलव्वए निरइचारो ।

खणलवतवच्चियाए वेयावच्चे समाही य ॥ २ ॥

अपुव्वणाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहावणया ।

एएहिं कारणेहिं तिथयरत्तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥

इनमेंसे सिद्धवत्सलता, गुरुवत्सलता, स्थविरवत्सलता, तपस्वि-वत्सलता, क्षणलवसमाधि और अपूर्व-ज्ञानग्रहण नामके छह कारण तो ऐसे हैं जो उक्त सूत्रमें पाये ही नहीं जाते; शेषमेंसे कुछ पूरे और कुछ अधूरे मिलते जुलते हैं। इसके सिवाय, उक्त सूत्रमें अभीक्ष्णसंवेग, साधुसमाधि और आचार्यभक्ति नामके तीन कारण ऐसे हैं जिनकी गणना इन आगमकथित बीस कारणोंमें नहीं की गई है। ऐसी हालतमें उक्त सूत्रका एकमात्र आधार श्वेताम्बर श्रुत (आगम) कैसे हो सकता है? इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि भाष्यकारने प्रवचन-वत्सलत्वका “अरिहच्छासनानुष्ठायिनां श्रुतधराणां बाल-वृद्ध-तपस्वि-शैक्ष-ग्लानादिनां च संग्रहोपग्रहानुग्रहकारित्वं प्रवचनवत्सलत्वमिति” ❀ ऐसा विलक्षण लक्षण करके, इसके द्वारा उक्त बीस कारणोंमेंसे कुछ छूटे हुए कारणोंका संग्रह करना चाहा है; परन्तु फिर भी वे सब का संग्रह वहीं कर सके—सिद्धवत्सलता और क्षणलवसमाधि जैसे कुछ कारण रह ही गये और कई

* अर्थात्—“अरिहन्तदेवके शासनका अनुष्ठान करनेवाले श्रुतधरों और बाल-वृद्ध-तपस्वि-शैक्ष तथा ग्लानादि जातिके मुनियोंका जो संग्रह-उपग्रह-अनुग्रह करना है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है।”

भिन्न कारणोंका भी संग्रह कर गये हैं ! इस विषयमें सिद्धसेनगणी लिखते हैं—

“विंशतेः कारणानां सूत्रकारेण किञ्चित्सूत्रे किञ्चिद्भाष्ये किञ्चित्
आदिग्रहणात् सिद्धपूजा-क्षणलवध्यानभावनाख्यमुपात्तम् उपयुज्य च
प्रवक्त्रा व्याख्येयम् ।”

अर्थात्—बीस कारणोंमेंसे सूत्रकारने कुछका सूत्रमें कुछका भाष्यमें और
कुछका—सिद्धपूजा क्षणलवध्यानभावनाका—‘आदि’ शब्दके ग्रहणद्वारा संग्रह
किया है, वक्ताको ऐसी ही व्याख्या करनी चाहिये ।

इस तरह आगमके साथ सूत्रकी असंगतिको दूर करनेका कुछ प्रयत्न किया
गया है; परन्तु इस तरह असंगति दूर नहीं हो सकती—सिद्धसेनके कथनसे इतना
तो स्पष्ट ही है कि सूत्रमें बीसों कारणोंका उल्लेख नहीं है । और इसलिये उक्त
सूत्रका आधार श्वेताम्बर श्रुत नहीं है । वास्तवमें इस सूत्रका प्रधान आधार
दिगम्बर श्रुत है, दिगम्बर सूत्रपाठके यह बिलकुल समकक्ष है इतना ही नहीं
बल्कि दिगम्बर आम्नायमें आमतौर पर जिन सोलह कारणोंकी मान्यता है
उन्हींका इसमें निर्देश है । दिगम्बर खट्खण्डागमके निम्नसूत्रसे भी इसका भले
प्रकार समर्थन होता है—

“दंसणविसुञ्जदाए विणयसंपण्णदाए सीलवदेसु गिरदिचारदाए
आवासएसु अपरिहीणदाए खणलवपरिबुञ्जणदाए लद्धिस्वेगसंपण्णदाए
यथागामे तथा तवे साहूणं पासुअपरिच्चागदाए साहूणं समाहिसंधारणाए
साहूणं वेज्जावच्चजोगजुत्तदाए अरहंतभत्तीए बहुसुदभत्तीए पवयण-
भत्तीए पवयणवच्छलदाए पवयणपभावणाए अभिक्खणं णाणोवजोग-
जुत्तदाए इच्चेदेहि सोलसहि कारणेहि जीवा तित्थयरणामगोदकम्मं
बंधंति ।”

३-४१

इस विषयका विशेष ऊहापोह पं० फूलचंदजी शास्त्रीने अपने ‘तत्त्वार्थसूत्रका
अन्तःपरीक्षण’ नामक लेखमें किया है, जो चौथे वर्षके अनेकान्तकी किरण ११-
१२ (पृष्ठ ५८३-५८८) में मुद्रित हुआ है । इसीसे यहां अधिक लिखनेकी जरूरत
नहीं समझी गई ।

(८) सातवें अध्याय का १६ वां सूत्र इस प्रकार है:—

“दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरि-
माणाऽतिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ।”

इस सूत्रमें तीन गुणव्रतों और चार शिक्षाव्रतोंके भेदवाले सात उत्तर-
व्रतोंका निर्देश है, जिन्हें शीलव्रत भी कहते हैं । गुणव्रतोंका निर्देश पहले और
शिक्षाव्रतोंका निर्देश बादमें होता है, इस दृष्टिसे इस सूत्रमें प्रथम निर्दिष्ट हुए
दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदण्डव्रत ये तीन तो गुणव्रत हैं; शेष सामायिक,
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभाग, ये चार
शिक्षाव्रत हैं । परन्तु श्वेताम्बर आगममें देशव्रतको गुणव्रतोंमें न लेकर शिक्षा-
व्रतोंमें लिया है और इसी तरह उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतका ग्रहण शिक्षा-
व्रतोंमें न करके गुणव्रतोंमें किया है । जैसा कि श्वेताम्बर आगमके निम्न सूत्रसे
प्रकट है—

“आगारधम्मं दुवालसविहं आइक्खइ, तं जहा—पंचअणुव्वयाइं
तिणिण गुणव्वयाइं चत्तारि सिक्खावयाइं । तिणिण गुणव्वयाइं, तं जहा-
अणत्थदंडवेरमाणं, दिसिक्खयं, उपभोगपरिभोगपरिमाणं । चत्तारि
सिक्खावयाइं, तं जहा—सामाइयं, देसावगासियं, पोसहोपवासे, अति-
हिसंविभागे ।”

—औपपातिक श्रीवीरदेशना सूत्र ५७

इससे तत्त्वार्थशास्त्रका उक्त सूत्र श्वेताम्बर आगमके साथ संगत नहीं, यह
स्पष्ट है । इस असंगतिको सिद्धसेनगणीने भी अनुभव किया है और अपनी टीका-
में यह बतलाते हुए कि ‘आर्ष (आगम) में तो गुणव्रतोंका क्रमसे आदेश करके
शिक्षाव्रतोंका उपदेश दिया है, किन्तु सूत्रकारने अन्यथा किया है’, यह प्रश्न
उठाया है कि सूत्रकारने परमआर्ष वचनका किसलिये उल्लंघन किया है ? जैसा
कि निम्नटीका वाक्यसे प्रकट है—

“सम्प्रति क्रमनिर्दिष्टं देशव्रतमुच्यते । अत्राह वक्ष्यति भवान् देश-
व्रतं । परमार्षवचनक्रमः कैमर्यादभिन्नः सूत्रकारेण ? आर्षे तु गुणव्रतानि
क्रमेणादिश्य शिक्षाव्रतान्युपदिष्टानि सूत्रकारेण त्वन्यथा ।”

इसके बाद प्रश्नके उत्तररूपमें इस असंगतिको दूर करने अथवा उस पर
कुछ पर्दा डालनेका यत्न किया गया है, और वह इस प्रकार है—

“तत्रायमभिप्रायः—पूर्वतो योजनशतपरिमितं गमनमभिगृहीतम् । न चास्ति सम्भवो यत्प्रतिदिवसं तावती दिग्भ्रमग्राह्या, ततस्तदनन्तरमेवोपदिष्टं देशव्रतमिति देशे-भागेऽवस्थानं प्रतिदिनं प्रतिप्रहरं प्रतिक्षणमिति सुखावबोधार्थमन्यथा क्रमः ।”

इसमें अन्यथाक्रमका यह अभिप्राय बतलाया है कि—‘पहलेसे किसीने १०० योजन परिमाण दिशागमनकी मर्यादा ली परन्तु प्रतिदिन उतनी दिशाके अवगाहनका सम्भव नहीं है, इसलिये उसके बाद ही देशव्रतका उपदेश दिया है । इससे प्रतिदिन, प्रतिप्रहर और प्रतिक्षण पूर्वगृहीत मर्यादाके एक देशमें—एक भागमें अवस्थान होता है । अतः सुखबोधार्थ—सरलतासे समझानेके लिए यह अन्यथाक्रम स्वीकार किया गया है ।’

यह उत्तर बच्चोंको बहकाने जैसा है । समझमें नहीं आता कि देशव्रतको सामायिकके बाद रखकर उसका स्वरूप वहाँ बतला देनेसे उसके सुखबोधार्थमें कौनसी अड़चन पड़ती अथवा कठिनता उपस्थित होती थी और अड़चन अथवा कठिनता आगमकारको क्यों नहीं सूझ पड़ी ? क्या आगमकारका लक्ष्य सुख-बोधार्थ नहीं था ? आगमकारने तो अधिक शब्दोंमें अच्छी तरह समझाकर—भेदोपभेदको बतलाकर लिखा है । परन्तु बात वास्तवमें सुखबोधार्थ अथवा मात्र क्रमभेदकी नहीं है, क्रमभेद तो दूसरा भी माना जाता है—आगममें अनर्थ-दण्डव्रतको दिग्भ्रतसे भी पहले दिया है, जिसकी सिद्धसेन गणीने कोई चर्चा नहीं की है । परन्तु वह क्रमभेद गुणव्रत-गुणव्रतका है, जिसका विशेष महत्व नहीं; यहाँ तो उस क्रमभेदकी बात है जिससे एक गुणव्रत शिक्षाव्रत और एक शिक्षाव्रत गुणव्रत हो जाता है । और इसलिए इस प्रकारकी असंगति सुखबोधार्थ कह देने मात्रसे दूर नहीं हो सकती । अतः स्पष्ट कहना होगा कि इसके द्वारा दूसरे शासनभेदको अपनाया गया है । आचार्यों-आचार्योंमें इस विषयमें कितना ही मतभेद रहा है । इसके लिए लेखकका ‘जैनाचार्योंका शासनभेद’ ग्रन्थ देखना चाहिए ।

(६) आठवें अध्यायमें ‘गतिजाति’ आदिरूपसे नामकर्मकी प्रकृतियोंका जो सूत्र है उसमें ‘पर्याप्ति’ नामका भी एक कर्म है । भाष्यमें इस ‘पर्याप्ति’ के पांच भेद निम्न प्रकारसे बतलाए हैं—

“पर्याप्तिः पंचविधा । तथा—आहारपर्याप्तिः शरीरपर्याप्तिः
इन्द्रियपर्याप्तिः प्राणपानपर्याप्तिः भाषापर्याप्तिरिति ।”

परन्तु दिगम्बर आगमकी तरह श्वेताम्बर आगममें भी पर्याप्तिके छह भेद माने गये हैं—छठा भेद मनः-पर्याप्तिका है, जिसका उक्त भाष्यमें कोई उल्लेख नहीं है । और इस लिये भाष्यका उक्त कथन पूर्णतः श्वेताम्बर आगमके अनुकूल नहीं है । इस असंगतिको सिद्धसेनगणीने भी अनुभव किया है और अपनी टीकामें यह प्रश्न उठाया है कि ‘परमआर्षवचन (आगम) में तो षट् पर्याप्तियां प्रसिद्ध हैं, फिर यह पर्याप्तिषोकी पांच संख्या कैसी ?’; जैसा कि टीकाके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“ननु च षट् पर्याप्तयः पारमार्षवचनप्रसिद्धाः कथं पंचसंख्याकाः ? इति” ।

बादको इसके भी समाधानका वैसा ही प्रयत्न किया गया है जो किसी तरह भी हृदय-ग्राह्य नहीं है । गणीजी लिखते हैं —“इन्द्रियपर्याप्तिग्रहणादिह मनःपर्याप्तेरपि ग्रहणमवसेयम् ।” अर्थात् इन्द्रियपर्याप्तिके ग्रहणसे यहां मनःपर्याप्तिका भी ग्रहण समझ लेना चाहिये । परन्तु इन्द्रियपर्याप्तिमें यदि मनः-पर्याप्तिका भी सममनःवेश है और पर्याप्ति कोई अलग चीज नहीं है तो आगम में मनःपर्याप्तिका अलग निर्देश क्यों किया गया है ? और सूत्रमें क्यों इन्द्रियों तथा मनको अलग अलग लेकर मतिज्ञानके भेदोंकी परिगणना की गई है तथा संज्ञीअसंज्ञीके भेदोंको भी प्राधान्य दिया गया है ? इन प्रश्नोंका कोई समुचित समाधान नहीं बैठता, और इसलिये कहना होगा कि यह भाष्यकारका आगम-निरपेक्ष अपना मत है, जिसे किसी कारणविशेषके वश होकर उसने स्वीकार

❁ आहार-सरीरेंदियपज्जत्ती आणपाण-भास-मणो ।

चउ पंच पंच छप्पिय इग-विगलाज्जप्णिण-सण्णीणां ॥

—नवतत्त्वप्रकरण, गा० ६

अहार-सरीरेंदिय-ऊसास-वओ-मणोऽहि निव्वत्ती ।

होइ जओ दलियाओ करणं एसाउ पज्जत्ती ॥

—सिद्धसेनीया टीकामें उद्धृत पृ० १६०

किया है। अन्यथा, इन्द्रियपर्याप्तिका स्वरूप देते हुए वह इसका स्पष्टीकरण जरूर कर देता। परन्तु नहीं किया गया; जैसाकि “त्वगादीन्द्रियनिर्वर्तना-क्रियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्याप्तिः” इस इन्द्रियपर्याप्तिके लक्षणसे प्रकट है। अतः श्वेताम्बर आगमके साथ इस भाष्यवाक्यकी संगति बिठलानेका प्रयत्न निष्फल है।

(१०) नवमें अध्यायका अन्तिम सूत्र इस प्रकार है—

“संयम - श्रुत - प्रतिसेवना - तीर्थ-लिङ्ग-लेश्योपपातस्थानविकल्पतः साध्याः ।”

इसमें पुलाकादिक पंचप्रकारके निर्ग्रन्थमुनि संयम, श्रुत, प्रतिसेवना आदि आठ अनुयोगद्वारोंके द्वारा भेदरूप सिद्ध किये जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। भाष्यमें उस भेदको स्पष्ट करके बतलाया गया है; परन्तु उस बतलानेमें कितने ही स्थानों पर श्वेताम्बर आगमके साथ भाष्यकारका मतभेद है, जिसे सिद्धसेन गरीने अपनी टीकामें ‘आगमस्त्वन्यथा व्यवस्थितः’, ‘अत्रैवाऽन्यथैवागमः’, ‘अत्राप्यागमोऽन्यथाऽतिदेशकारी’ जैसे वाक्योंके साथ आगमवाक्योंको उद्धृत करके व्यक्त किया है। यहाँ उनमेंसे सिर्फ एक नमूना दे देना ही पर्याप्त होगा— भाष्यकार ‘श्रुत’ की अपेक्षा जैन मुनियोंके भेद को बतलाते हुए लिखते हैं—

“श्रुतम् । पुलाक-बकुश-प्रतिसेवनाकुशीला उत्कृष्टेनाऽभिन्नाक्षर-दशपूर्वधराः । कषायकुशील-निर्ग्रन्थौ चतुर्दशपूर्वधरौ । जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु, बकुश-कुशील-निर्ग्रन्थानां श्रुतमष्टौ प्रवचनमातरः । श्रुतापगतः केवली स्नातक इति ।”

अर्थात्—श्रुतकी अपेक्षा पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि ज्यादासे ज्यादा अभिन्नाक्षर (एक भी अक्षरकी कमीसे रहित) दशपूर्वके धारी होते हैं। कषायकुशील और निर्ग्रन्थ मुनि चौदह पूर्वके धारी होते हैं। पुलाक मुनिका कमसे कम श्रुत आचारवस्तु है। बकुश, कुशील और निर्ग्रन्थमुनियोंका कमसे कम श्रुत आठ प्रवचनमात्रा तक सीमित है। और स्नातक मुनि श्रुतसे रहित केवली होते हैं।

इस विषयमें आगमकी जिस अन्यथा व्यवस्थाका उल्लेख सिद्धसेनने किया है वह इस प्रकार है—

“पुलाए णं भंते केवतियं सुयं अहिज्जिज्जा गोयमा ! जहण्णेणं एवमस्स पुव्वस्स तत्तियं आयारवत्थु’, उक्कोसेणं नव पुव्वाइ संपुण्णाइ । वउस-पडिसेवणा-कुसीला जहण्णेणं अट्ठपवयणमायाओ, उक्कोसेणं चौदसपुव्वाइ अहिज्जिज्जा । कसायकुसील-निग्गंथा जहण्णेणं अट्ठपवयणमायाओ, उक्कोसेणं चौदसपुव्वाइ अहिज्जिज्जा ।”

इसमें जघन्य श्रुतकी जो व्यवस्था है वह तो भाष्यके साथ मिलती-जुलती है; परन्तु उत्कृष्ट श्रुतकी व्यवस्थामें भाष्यके साथ बहुत कुछ अन्तर है। यहाँ पुलाक मुनियोंके उत्कृष्ट श्रुतज्ञान नवपूर्व तक बतलाया है, जब कि भाष्यमें दस-पूर्व तकका स्पष्ट निर्देश है। इसी तरह बकुश और प्रतिसेवनाकुशील मुनियोंका श्रुतज्ञान यहाँ चौदहपूर्व तक सीमित किया गया है, जब कि भाष्यमें उसकी चरमसीमा दसपूर्व तक ही कही गई है। अतः आगमके साथ इस प्रकारके मत-भेदोंकी मौजूदगीमें जिनकी संगति बिठलानेका सिद्धसेन गणीने कोई प्रयत्न भी नहीं किया, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त सूत्रके भाष्यका आधार पूर्णतया श्वेताम्बर आगम है।

(११) नवमें अध्यायमें उत्तमक्षमादि-दशधर्म-विषयक जो सूत्र है उसके तपोधर्म-सम्बन्धी भाष्यका अन्तिम अंश इस प्रकार है:—

“तथा द्वादशभिज्जु-प्रतिमाः मासिक्यादयः आसप्तमासिक्यः सप्त, सप्तचतुर्दशैकविंशतिरात्रिक्यस्तिस्त्रः अहोरात्रिकी, एकरात्रिकी चेति ।”

इसमें भिक्षुओंकी बारह प्रतिमाओंका निर्देश है, जिनमें सात प्रतिमाएँ तो एकमासिकीसे लेकर सप्तमासिकी तक बतलाई हैं, तीन प्रतिमाएँ सप्तरात्रिकी चतुर्दशरात्रिकी और एकविंशतिरात्रिकी कही हैं, शेष दो प्रतिमाएँ अहोरात्रिकी और एकरात्रिकी नामकी हैं।

सिद्धसेन गणीने उक्त भाष्यकी टीका लिखते हुए आगमके अनुसार सप्तरात्रिकी प्रतिमाएँ तीन बतलाई हैं—चतुर्दशरात्रिकी और एकविंशतिरात्रिकी प्रतिमाओंको आगम-सम्मत नहीं माना है, और इसलिये आप ‘सप्त चतुर्दशैक-विंशतिरात्रिक्यस्तिस्त्रः’ इस भाष्यांशको आगमके साथ असंगत, आर्षविसंवादि और प्रमत्तगीत तक बतलाते हुए लिखते हैं:—

“सप्तचतुर्दशैकविंशतिरात्रिक्यस्तिस्र इति नेदं परमार्षवचनानुसारि-
भाष्यं; किं तर्हि ? प्रमत्तगीतमेतत् । वाचकोहि पूर्ववित् कथमेवं विधमा-
र्षविसंवादि निबध्नीयात् ? सूत्रानवबोधादुपजातभ्रान्तिना केनापि रचि-
तमेतद्वचनकम् । दोच्चा सत्तराईदिया तइया सत्तराईदिया—द्वितीया
सत्तरात्रिकी तृतीया सत्तरात्रिकीति सूत्रनिर्भेदः । द्वे सत्तरात्रे त्रीणीति
सत्तरात्राणीति सूत्रनिर्भेदं कृत्वा पठितमज्ञेन सप्तचतुर्दशैकविंशतिरात्रिक्य-
स्तिस्र इति ।

अर्थात्—‘सप्तचतुर्दशैकविंशतिरात्रिक्यस्तिस्रः’ यह भाष्य परममार्षवचन
(आगम) के अनुकूल नहीं है । फिर क्या है ? यह प्रमत्तगीत है—पागलों जैसी
बरड़ है अथवा किसी पागलका कहा हुआ है । वाचक (उमास्वाति) पूर्वके ज्ञाता
थे, वे कैसे इस प्रकारका आर्षविसंवादि वचन निबद्ध कर सकते थे ? आगमसूत्र-
की अनभिज्ञतासे उत्पन्न हुई भ्रान्तिके कारण किसीने इस वचनकी रचना की
है । ‘दोच्चा सत्तराईरिया तइया सत्तराईदिया—द्वितीया सत्तरात्रिकी तृतीया
सत्तरात्रिकी’ ऐसा आगमसूत्रका निर्देश है, इसे ‘द्वेसत्तरात्रे, त्रीणीति सत्तरात्राणीति’
ऐसा सूत्रनिर्भेद करके किसी अज्ञानीने पढ़ा है और उसीका फल ‘सप्तचतुर्दशैक-
विंशतिरात्रिक्यस्तिस्रः’ यह भाष्य बना है ।

सिद्धसेनकी इस टीका परसे ऐसा मालूम होता है कि सिद्धसेनके समयमें
इस विवादापन्न भाष्यका कोई दूसरा आगमसंगतरूप उपलब्ध नहीं था, उप-
लब्ध होता तो वह सिद्धसेन-जैसे ख्यातिप्राप्त और साधनसम्पन्न आचार्यको जरूर
प्राप्त होता, और प्राप्त होनेपर वे उसे ही भाष्यके रूपमें निबद्ध करते—आपत्ति-
जनक पाठ न देते, अथवा दोनों पाठोंको देकर उनके सत्यासत्यकी आलोचना
करते । दूसरी बात यह मालूम होती है कि सिद्धसेन चूँकि पहलेसे भाष्यको
मूल सूत्रकारकी स्वोपज्ञकृति स्वीकार कर चुके थे और सूत्रकारको पूर्ववित् भी
मान चुके थे, ऐसी हालतमें जिस तत्कालीन श्वे० आगमके वे कट्टर पक्षपाती थे
उसके विरुद्ध ऐसा कथन आनेपर वे एकदम विचलित हो उठे हैं और उन्होंने
यह कल्पना कर डाली है कि किसीने यह अन्यथा कथन भाष्यमें मिला दिया है,

यही कारण है कि वे उक्त भाष्यवाक्यके कर्ताको अज्ञानी और उस भाष्यवाक्यको 'प्रमत्तगीत' तक कहनेके लिए उतारू होगये हैं। परन्तु स्वयं यह नहीं बतला सके कि उस भाष्यवाक्यको किसने मिलाया, किसके स्थानपर मिलाया, क्यों मिलाया, कब मिलाया और इस मिलावटके निर्णयका आधार क्या है? यदि उन्होंने भाष्यकारको स्वयं मूलसूत्रकार और पूर्ववित् न माना होता तो वे शायद वैसा लिखनेका कभी साहस न करते। उनका यह तर्क कि 'वाचक उतास्वाति पूर्वके ज्ञाता थे, वे कैसे इस प्रकारका आर्षविसंवादि वचन निबद्ध कर सकते थे, कुछ भी महत्त्व नहीं रखता, जबकि अन्य कितने ही स्थानोंपर भी आगमके साथ भाष्यका स्पष्ट विरोध पाया जाता है और जिसके कितने ही नमूने ऊपर बतलाये जा चुके हैं। पिछले (नं० १०) नमूनेमें प्रदर्शित भाष्यके विषयमें जब सिद्धमेन गणी स्वयं यह लिखते हैं कि "आगमस्त्वन्यथा व्यवस्थितः"—आगमकी व्यवस्था इसके प्रतिकूल है, और उसकी संगति बिठलानेका भी कोई प्रयत्न नहीं करते, तब वहाँ भाष्यकारका पूर्ववित् होना कहाँ चला गया? अथवा पूर्ववित् होते हुए भी उन्होंने वहाँ 'आर्षविसंवादि' वचन क्यों निबद्ध किया? इसका कोई उत्तर सिद्धमेनकी टीका परसे नहीं मिल रहा है और इसलिये जब तक इसके विरुद्ध सिद्ध न किया जाय तब तक यह कहना होगा कि भाष्यका उक्त वाक्य श्वे० आगमके विरुद्ध है और वह किसीके द्वारा प्रक्षिप्त न होकर भाष्यकारका निजी मत है। और ऐसे स्पष्ट विरोधोंकी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि भाष्यादिका एकमात्र आधार श्वेताम्बर-श्रुत है।

उपसंहार

मैं समझता हूँ ये सब प्रमाण, जो ऊपर दो भागोंमें संकलित किये गये हैं, इस बातको बतलानेके लिये पर्याप्त हैं कि श्वेताम्बरीय तत्त्वार्थसूत्र और उसका भाष्य दोनों एक ही आचार्यकी कृति नहीं हैं और न दोनोंकी रचना सर्वथा श्वेताम्बर आगमोंके आधारपर अवलम्बित है, उसमें दिगम्बर आगमोंका भी बहुत बड़ा हाथ है॥ और कुछ मन्तव्य ऐसे भी हैं जो दोनों सम्प्रदायोंसे भिन्न

॥ इस विषयकी विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये 'तत्त्वार्थसूत्रके बीजों-

किसी तीसरे ही सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं अथवा सूत्रकार तथा भाष्यकारके निजी मतभेद हैं। और इसलिये उक्त दोनों दावे तथ्यहीन होनेसे मिथ्या हैं। आशा है विद्वज्जन इस विषय पर गहरा विचार करके अपने-अपने अनुभवोंको प्रकट करेंगे। ज़रूरत होनेपर जाँच-पड़तालकी विशेष बातोंको फिर किसी समय पाठकोंके सामने रक्खा जायगा।



की खोज' नामका वह निबन्ध देखना चाहिये जो चतुर्थ वर्षके 'अनेकान्त' की प्रथम किरणमें प्रकाशित हुआ है।

स्वामी समन्तभद्र



प्रास्ताविक

जैनसमाजके प्रतिभाशाली आचार्यों, समर्थ विद्वानों और सुपूज्य महात्माओंमें भगवान् समन्तभद्र स्वामीका आसन बहुत ऊँचा है। ऐसा शायद कोई ही अभाग जैनी होगा जिसने आपका पवित्र नाम न सुना हो; परन्तु समाजका अधिकांश भाग ऐसा जरूर है जो आपके निर्मल गुणों और पवित्र जीवनवृत्तान्तोंसे बहुत ही कम परिचित है—बल्कि यों कहिये कि अपरिचित है। अपने एक महान् नेता और ऐसे नेताके विषयमें जिसे 'जिनशासनका प्रणेता*' तक लिखा है समाजका इतना भारी अज्ञान बहुत ही खटकता है। मेरी बहुत दिनोंसे इस बातकी बराबर इच्छा रही है कि आचार्यमहोदयका एक सच्चा इतिहास—उनके जीवनका पूरा वृत्तान्त—लिखकर लोगोंका यह अज्ञानभाव दूर किया जाय। परन्तु बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी मैं अभी तक अपनी उस इच्छाको पूरा करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका। इसका प्रधान कारण यथेष्ट साधनसामग्रीकी अप्राप्ति है। समाज अपने प्रमादसे, यद्यपि, अपनी बहुतसी ऐतिहासिक सामग्रीको खो चुका है फिर भी जो अवशिष्ट है वह भी कुछ कम नहीं है। परन्तु वह इतनी अस्तव्यस्त तथा इधर उधर बिखरी हुई है और उसको मालूम करने तथा प्राप्त करनेमें इतनी अधिक विघ्नबाधाएँ उपस्थित होती हैं कि उसका होना न-होना प्रायः बराबर हो रहा है। वह न तो अधिकारियोंके स्वयं उपयोगमें आती है, न दूसरोंको उपयोगके लिए दी जाती है और इसलिए उसकी दिनपर दिन तृतीया गति (नष्ट) होती रहती है, यह बड़े ही दुःखका विषय है !

* देखो, श्रवणबेलगोलका शिलालेख नं० १०८ (नया नं० २५८)।

साधनसामग्रीकी इस विरलताके कारण ऐतिहासिक तत्त्वोंके अनुसंधान और उनकी जाँचमें कभी कभी बड़ी ही दिक्कतें पेश आती हैं और कठिनाइयाँ मार्ग रोककर खड़ी हो जाती हैं। एक नामके कई कई विद्वान् हो गये हैं* ; एक विद्वान् आचार्यके जन्म, दीक्षा, गुणप्रत्यय और देशप्रत्यादिके भेदसे कई कई नाम अथवा उपनाम भी हुए हैं † और दूसरे विद्वानोंने उनका यथारुचि—चाहे जिस नामसे—अपने ग्रन्थोंमें उल्लेख किया है; एक नामके कई कई पर्यायनाम भी होते हैं और उन पर्यायनामों अथवा आंशिक पर्यायनामोंसे भी विद्वानोंतथा आचार्योंका उल्लेख † मिलता है; कितने ही विभिन्न भाषाओंके अनुवादोंमें, कभी कभी मूलग्रंथ और ग्रंथकारके नामोंका भी अनुवाद कर दिया जाता है अथवा वे नाम अनुवादित रूपसे ही उन भाषाओंके ग्रन्थोंमें उल्लेखित हैं; एक व्यक्तिके जो दूसरे नाम, उपनाम, पर्यायनाम अथवा अनुवादित नाम हों वे ही दूसरे व्यक्तियोंके मूल नाम भी हो सकते हैं और अक्सर होते रहे हैं; सम-सामयिक व्यक्तियोंके

* जैसे, 'पद्मनन्दि' और 'प्रभाचन्द्र' आदि नामोंके धारक बहुतसे आचार्य हुए हैं। 'समन्तभद्र' नामके धारक भी कितने ही विद्वान् हो गये हैं, जिनमें कोई 'लघु' या 'चिक्क', कोई 'अभिनव', कोई 'गेरुसोप्पे', कोई 'भट्टारक' और कोई 'गृहस्थ' समन्तभद्र कहलाते थे। इन सबके समयादिका कुछ परिचय रत्नकरण्डश्रावकाचार (समीचीन धर्मशास्त्र)की प्रस्तावना अथवा तद्विषयक निबन्धमें 'ग्रन्थपर सन्देह' शीर्षकके नीचे, दिया गया है। स्वामी समन्तभद्र इन सबसे-भिन्न थे और वे बहुत पहले हो गये हैं।

† जैसे 'पद्मनन्दी' यह कुन्दकुन्दाचार्यका पहला दीक्षानाम था और बादको 'कोण्डकुन्दाचार्य' यह उनका देशप्रत्यय-नाम हुआ है; क्योंकि वे 'कोण्डकुन्दपुर'-के निवासी थे। गुर्वीलियोंमें आपके एलाचार्य, वक्रग्रीव और गृध्रपिच्छाचार्य भी दिये हैं, जो ठीक होनेपर गुणादिप्रत्ययोंके लिये हुए समझने चाहियें और इन नामोंके दूसरे आचार्य भी हुए हैं।

† जैसे नागचन्द्रका कहीं 'नागचन्द्र' और कहीं 'भुजंगसुधाकर' इस पर्याय-नामसे उल्लेख पाया जाता है। और प्रभाचन्द्रका 'प्रभेन्दु' यह आंशिक पर्याय-नाम है, जिसका बहुत कुछ व्यवहार देखनेमें आता है।

नामोंका भी प्रायः ऐसा ही हाल है; कोई कोई विद्वान् कई कई आचार्योंके भी शिष्य हुए हैं और उन्होंने अपनेको चाहे जहाँ चाहे जिस आचार्यका शिष्य सूचित किया है; एक संघ अथवा गच्छके किसी अच्छे आचार्यको दूसरे संघ अथवा गच्छने भी अपनाया है और उसे अपने ही संघ तथा गच्छका आचार्य सूचित किया है; इसी तरहपर कोई कोई आचार्य अनेक मठोंके अधिपति अथवा अनेक स्थानोंकी गदियोंके स्वामी भी हुए हैं और इससे उनके कई कई पट्टशिष्य हो गये हैं, जिनमेंसे प्रत्येकने उन्हें अपना ही पट्टगुरु सूचित किया है। इस प्रकार की हालतोंमें किसीके असली नाम और असली कामका पता चलाना कितनी टेढ़ी खीर है, और एक ऐतिहासिक विद्वानके लिये यथार्थ वस्तु वस्तुस्थितिका निर्णय करने अथवा किसी खास घटना या उल्लेखको किसी खास व्यक्तिके साथ संयोजित करनेमें कितनी अधिक उलझनों तथा कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, इसका अच्छा अनुभव वे ही विद्वान् कर सकते हैं जिन्हें ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ अर्सेतक काम करनेका अवसर मिला हो। अस्तु।

यथेष्ट साधनसामग्रीके बिना ही इन सब अथवा इसी प्रकारकी और भी बहुतसी दिक्कतों, उलझनों और कठिनाइयोंमेंसे गुज़रते हुए, मैंने आजतक स्वामी समन्तभद्रके विषयमें जो कुछ अनुसंधान किया है—जो कुछ उनकी कृतियों, दूसरे विद्वानोंके ग्रन्थोंमें उनके विषयके उल्लेखवाक्यों और शिलालेखों आदि परसे मैं मालूम कर सका हूँ—अथवा जिसका मुझे अनुभव हुआ है उस सब इतिवृत्तको अब संकलित करके, और अधिक साधन सामग्रीके मिलनेकी प्रतीक्षामें न रहकर, प्रकाशित कर देना ही उचित मालूम होता है, और इसलिये नीचे उसीका प्रयत्न किया जाता है।

पितृकुल और गुरुकुल

स्वामी समन्तभद्रके बाल्यकालका अथवा उनके गृहस्थ-जीवनका प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता और न यह मालूम होता है कि उनके माता पिताका क्या नाम था। हाँ, आपके 'आत्ममीमांसा' ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रति ताड़पत्रों पर लिखी हुई श्रवणबेलगोलके दौर्बलि-जिनदास शास्त्रीके भंडारमें पाई जाती है उसके अन्तमें लिखा है—

“इति फणिमंडलालंकारस्योरगपुराधिपसूनोः श्रीस्वामिसमन्तभद्र-
मुनेः कृतौ आप्तमीमांसायाम् *।”

इससे मालूम होता है कि समन्तभद्र क्षत्रियवंशमें उत्पन्न हुए थे और राज-
पुत्र थे। आपके पिता फणिमंडलान्तर्गत ‘उरगपुर’ के राजा थे, और इसलिए
उरगपुरको आपकी जन्मभूमि अथवा बाल्यलीलाभूमि समझना चाहिये। ‘राजा-
वलीकथे’ में आपका जन्म ‘उत्कलिका’ ग्राममें होना लिखा है, जो प्रायः उरग-
पुरके ही अन्तर्गत होगा। यह उरगपुर ‘उरयूर’† का ही संस्कृत अथवा श्रुति-
मधुर नाम जान पड़ता है जो चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राज-
धानी थी। पुरानी त्रिचिनापोली भी इसीको कहते हैं। यह नगर कावेरीके तट
पर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा ही समृद्धशाली
जनपद था।

समन्तभद्रका बनाया हुआ ‘स्तुतिविद्या’‡ अथवा ‘जिनस्तुतिशत’ नामका
एक अलंकारप्रधान ग्रंथ है, जिसे ‘जिनशतक’ अथवा ‘जिनशतकालंकार’ भी कहते
हैं। इस ग्रंथका ‘शतवैकस्तुतमेव’ नामका जो अन्तिम पद्य है वह कवि और
काव्यके नामको लिये हुए एक चित्रबद्ध काव्य है। इस काव्यकी छह आरे और
नव वलयवाली चित्ररचनापरसे ये दो पद निकलते × हैं—

‘शान्तिवर्मकृतं,’ ‘जिनस्तुतिशतं’।

इनसे स्पष्ट है कि यह ग्रंथ ‘शान्तिवर्मा’ का बनाया हुआ और इसलिये
‘शान्तिवर्मा’ समन्तभद्रका ही नामान्तर है। परन्तु यह नाम उनके मुनिजीवनका
नहीं हो सकता; क्योंकि मुनियोंके ‘वर्मान्त’ नाम नहीं होते। जान पड़ता है यह

* देखो जैनहितैषी भाग ११, अंक ७-८, पृष्ठ ४८०। आराके जैन-
सिद्धान्तभवनमें भी, ताड़पत्रोंपर, प्रायः ऐसे ही लेखवाली प्रति मौजूद है।

† महाकवि कालिदासने अपने ‘रघुवंश’ में भी ‘उरगपुर’ नामसे इस नगर
का उल्लेख किया है।

‡ यह नाम ग्रन्थके आदिम मंगलाचरणमें दिये हुए ‘स्तुतिविद्यां प्रसाधये’
इस प्रतिज्ञावाक्यसे जाना जाता है।

× देखो. वसुनन्दिकृत ‘जिनशतक-टीका’।

आचार्यमहोदयके मातापितादि-द्वारा रक्खा हुआ उनका जन्मका शुभ नाम था । इस नामसे भी आपके क्षत्रियवंशोद्भव होनेका पता चलता है । यह नाम राज-घरानोंका-सा है । कदम्ब, गंग और पल्लव आदि वंशोंमें कितने ही राजा वर्मान्त नामको लिये हुए हो गए हैं । कदम्बोंमें 'शांतिवर्मा' नामका भी एक राजा हुआ है ।

यहाँ पर किसीको यह आशंका करनेकी जरूरत नहीं कि 'जिनस्तुतिशतं' नामका ग्रन्थ समन्तभद्रका बनाया हुआ न होकर शांतिवर्मा नामके किसी दूसरे ही विद्वान्का बनाया हुआ होगा; क्योंकि यह ग्रन्थ निर्विवाद-रूपसे स्वामी समन्तभद्रका बनाया हुआ माना जाता है । ग्रन्थकी प्रतियोंमें कर्तृत्वरूपसे समन्त-भद्रका नाम लगा हुआ है, टीकाकार श्रीवसुनन्दिने भी उसे 'तार्किकचूडामणि-श्रीमत्समन्तभद्राचार्यविरचित' सूचित किया है और दूसरे आचार्यों तथा विद्वानोंने भी उसके वाक्योंका, समन्तभद्रके नामसे, अपने ग्रन्थोंमें उल्लेख किया है । उदाहरणके लिये 'अलंकारचिन्तामणि' को लीजिये, जिसमें अजितसेना-चार्यने निम्नप्रतिज्ञावाक्यके साथ इस ग्रन्थके कितने ही पद्योंको प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है—

श्रीमत्समन्तभद्रार्यजिनसेनादिभाषितम् ।

लक्ष्यमात्रं लिखामि स्वनामसूचितलक्षणम् ॥

इसके सिवाय पं० जिनदास पार्श्वनाथजी फडकुलेने 'स्वयंभूस्तोत्र' का जो संस्करण संस्कृतटीका और मराठी अनुवादसहित प्रकाशित कराया है उसमें समन्तभद्रका परिचय देते हुए उन्होंने यह सूचित किया है कि कर्णाटकदेशस्थित 'अष्टसहस्री' की एक प्रतिमें आचार्यके नामका इस प्रकारसे उल्लेख किया है—
“इति फणिमंडलालंकारस्योरगपुराधियसूनुना शांतिवर्मनाम्ना श्रीसमन्त-भद्रेण ।” यदि पंडितजीकी यह सूचना सत्य॥ हो तो इससे यह विषय और

॥ पं० जिनदासकी इस सूचनाको देखकर मैंने पत्र-द्वारा उनसे यह मालूम करना चाहा कि कर्णाटक देशसे मिली हुई अष्टसहस्रीकी वह कौनसी प्रति है और कहाँके भण्डारमें पाई जाती है जिसमें उक्त उल्लेख मिलता है । क्योंकि दौर्बलि जिनदास शास्त्रीके भण्डारसे मिली हुई 'आप्तमीमांसा' के उल्लेखसे यह

भी स्पष्ट हो जाता है कि शांतिवर्मा समन्तभद्रका ही नाम था ।

वास्तवमें ऐसे ही महत्त्वपूर्ण काव्यग्रंथोंके द्वारा समन्तभद्रकी काव्यकीर्ति जगतमें विस्तारको प्राप्त हुई है । इस ग्रंथमें आपने जो अपूर्व शब्दचातुर्यको लिये हुए निर्मल भक्तिगंगा बहाई है उसके उपयुक्त पात्र भी आप ही हैं । आपसे भिन्न 'शांतिवर्मा' नामका कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्वान् हुआ भी नहीं । इस लिये उक्त शंका निर्मूल जान पड़ती है । हाँ, यह कहा जा सकता है कि समन्तभद्रने अपने मुनिजीवनसे पहले इस ग्रंथकी रचना की होगी । परन्तु ग्रन्थके साहित्य परसे इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता । आचार्यमहोदयने, इस ग्रन्थमें, अपनी जिस परिणति और जिस भावमयी मूर्तिको प्रदर्शित किया है उससे आपकी यह कृति

उल्लेख कुछ भिन्न है । उत्तरमें आपने यह सूचित किया कि यह उल्लेख पं० बंशीधरजीकी लिखी हुई अष्टसहस्रीकी प्रस्तावना परसे लिया गया है, इसलिये इस विषयका प्रश्न उन्हींसे करना चाहिये । अष्टसहस्रीकी प्रस्तावना (परिचय) को देखने पर मालूम हुआ कि इसमें 'इति' से 'समन्तभद्रेण' तकका उक्त उल्लेख ज्योंका त्यों पाया जाता है, उसके शुरूमें 'कर्णाटदेशतो लब्धपुस्तके' और अन्तमें 'इत्याद्युल्लेखो दृश्यते' ये शब्द लगे हुए हैं । इसपर ता० ११ जुलाईको एक रजिस्टर्ड पत्र पं० बंशीधरजीको शोलापुर भेजा गया और उनसे अपने उक्त उल्लेखका खुलासा करनेके लिये प्रार्थना की गई । साथ ही यह भी लिखा गया कि 'यदि आपने स्वयं उस कर्णाट देशसे मिली हुई पुस्तकको न देखा हो तो जिस आधार पर आपने उक्त उल्लेख किया है उसे ही कृपया सूचित कीजिये' । ३ री अगस्त सन् १९२४ को दूसरा रिमाण्डर पत्र भी दिया गया परन्तु पंडितजीने दोनोंमेंसे किसीका भी कोई उत्तर देनेकी कृपा नहीं की । और भी कहींसे इस उल्लेखका समर्थन नहीं मिला । ऐसी हालतमें यह उल्लेख कुछ संदिग्ध मालूम होता है । आश्चर्य नहीं जो जैनहितैषीमें प्रकाशित उक्त 'आप्तमीमांसा' के उल्लेखकी गलत स्मृति परसे ही यह उल्लेख कर दिया गया हो; क्योंकि उक्त प्रस्तावनामें ऐसे और भी कुछ गलत उल्लेख पाये जाते हैं—जैसे 'कांच्यां नग्नाटकोऽहं' नामक पद्यको मल्लिषेणप्रशस्तिका बतलाना, जिसका वह पद्य नहीं है ।

मुनिअवस्थाकी ही मालूम होती है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए और राज-काज करते हुए इस प्रकार की महापांडित्यपूर्ण और महदुच्चभावसम्पन्न मौलिक रचनाएँ नहीं बन सकतीं। इस विषयका निर्णय करनेके लिये, संपूर्ण ग्रन्थको गौरके साथ पढ़ते हुए, पद्य नं० १६, ७६ और ११४ * को खास तौरसे ध्यानमें लाना चाहिये। १६ वें पद्यसे ही यह मालूम हो जाता है कि स्वामी संसारसे भय-भीत होने पर शरीरको लेकर (अन्य समस्त परिग्रह छोड़कर) वीतराग भगवान्‌की शरणमें प्राप्त हो चुके थे, और आपका आचार-उस समय (ग्रन्थरचनाके समय) पवित्र, श्रेष्ठ, तथा गणधरादि-अनुष्ठित आचार-जैसा उत्कृष्ट अथवा निर्दोष था। वह पद्य इस प्रकार है—

पूतस्वनवमाचारं तन्वायातं भयादूर्चा ।

स्वया वामेश पाया मा नतमेकार्च्यशंभव ॥

इस पद्यमें समन्तभद्रने जिस प्रकार 'पूतस्वनवमाचारं + और 'भयात् तन्वा-यातं' × ये अपने (मा = 'मां' पदके) दो खास विशेषणपद दिये हैं उसी प्रकार ७६ वें ❀ पद्यमें उन्होंने 'ध्वंसमानसमानस्तत्रासमानसं' विशेषणके द्वारा अपनेको उल्लेखित किया है। इस विशेषणसे मालूम होता है कि समन्तभद्रके मनसे यद्यपि त्रास उद्वेग-बिल्कुल नष्ट (अस्त) नहीं हुआ था—सत्तामें कुछ मौजूद ढ़रूर था—फिर भी वह ध्वंसमानके समान हो गया था, और इस लिये उनके चित्तको उद्वेजित अथवा संतुष्ट करनेके लिये समर्थ नहीं था। चित्तकी ऐसी स्थिति बहुत ऊँचे दर्जे पर जाकर होती है और इस लिये यह विशेषण भी समन्तभद्रके मुनिजीवनकी उत्कृष्ट स्थितिको सूचित करता है और यह बतलाता है

* यह पद्य आगे 'भावी तीर्थकरत्व' शीर्षकके नीचे उद्धृत किया गया है।

+ 'पूतः पवित्रः सु सुष्टु अनवमः गणधराद्यनुष्ठितः आचारः पापक्रिया-निवृत्तिर्यस्यासौ पूतस्वनवमाचारः अतस्तं पूतस्वनतमाचारम्'—इति टीका ।

× 'भयात् संसारभीतेः। तन्वा शरीरेण (सह) आयातं आगतं ।'

❀ यह पूरा पद्य इस प्रकार है—

स्वसमान समानन्द्या भासमान स माऽनघ ।

ध्वंसमानसमानस्तत्रासमानसमानतम् ॥ ७६ ॥

कि इस ग्रंथकी रचना उनके मुनिजीवनमें ही हुई है। टीकाकार आचार्य वसुनन्दीने भी, प्रथम पद्यकी प्रस्तावनामें 'श्रोसमन्तभद्राचार्यविरचित' लिखनेके अतिरिक्त, ८४ वें पद्यमें आए हुए 'ऋद्ध' विशेषणका अर्थ 'वृद्ध' करके, और ११५ वें पद्यके 'वन्दीभूतवतः' पदका अर्थ 'मंगलपाठकीभूतवतोपि नगनाचार्यरूपेण भवतोपि मम' ऐसा देकर, यही सूचित किया है कि यह ग्रंथ समन्तभद्रके मुनि-जीवनका बना हुआ है। अस्तु।

स्वामी समन्तभद्रने गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया और विवाह कराया या कि नहीं, इस बातके जाननेका प्रायः कोई साधन नहीं है। हां, यदि यह सिद्ध किया जा सके कि कदम्बवंशी राजा शान्तिवर्मा और शान्तिवर्मा समन्तभद्र दोनों एक ही व्यक्ति थे तो यह सहजहीमें बतलाया जा सकता है कि आपने गृहस्थाश्रमको धारण किया था और विवाह भी कराया था। साथ ही, यह भी कहा जा सकता कि आपके पुत्रका नाम मृगेशवर्मा, पौत्रका रविवर्मा, प्रपौत्रका हरिवर्मा और पिताका नाम काकुत्स्थवर्मा था; क्योंकि काकुत्स्थवर्मा, मृगेशवर्मा और हरिवर्माके जो दानपत्र जैनियों अथवा जैनसंस्थाओंको दिये हुए हलसी और वैजयन्ती के मुकामोंपर पाये जाते हैं उनसे इस वंशपरम्पराका पता चलता है॥ इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन कदम्बवंशी राजा प्रायः सब जैनो हुए हैं और दक्षिण (बनवास) देशके राजा हुए हैं; परन्तु इतने परसे ही, नामसाम्यके कारण, यह नहीं कहा जा सकता कि शान्तिवर्मा कदम्ब और शान्तिवर्मा समन्तभद्र दोनों एक व्यक्ति थे। दोनोंको एक व्यक्ति सिद्ध करनेके लिये कुछ विशेष साधनों तथा प्रमाणोंकी जरूरत है, जिनका इससमय अभाव है। मेरी रायमें, यदि समन्तभद्रने विवाह कराया भी हो तो वे बहुत समय तक गृहस्थाश्रममें नहीं रहे हैं, उन्होंने जल्दी ही थोड़ी अवस्थामें, मुनि-दीक्षा धारण की है और तभी वे उस असाधारण योग्यता और महत्ताको प्राप्त कर सके हैं जो उनकी कृतियों तथा दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंमें उनके विषयके उल्लेखवाक्योंसे पाई जाती है और जिसका दिग्दर्शन आगे चल कर कराया जायगा। ऐसा मालूम होता है कि

ॐ देखो 'स्टडीज़ इन साउथ इंडियन जैनिज़्म' नामकी पुस्तक, भाग दूसरा
पृष्ठ ८७।

समन्तभद्रने बाल्यावस्थासे ही अपने आपको जैनधर्म और जिनेन्द्रदेवकी सेवाके लिये अर्पण कर दिया था, उनके प्रति आपका नैसर्गिक प्रेम था और आपका रोम रोम उन्हींके ध्यान और उन्हींकी वार्ताको लिये हुए था । ऐसी हालतमें यह आशा नहीं की जा सकती कि आपने घर छोड़नेमें विलम्ब किया होगा ।

भारतमें ऐसा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी मृत्युपर राज्यासन सबसे बड़े बेटेको मिलता था, छोटे बेटे तब कुटुम्बको छोड़ देते थे और धार्मिकजीवन व्यतीत करते थे; उन्हें अधिक समयतक अपनी देशीय रियासतमें रहनेकी भी इजाजत नहीं होती थी * । और यह एक चर्या थी जिसे भारतकी, खासकर बुद्धकालीन भारतकी, धार्मिक संस्थाने छोटे पुत्रोंके लिये प्रस्तुत किया था, इस कार्यमें पड़ कर योग्य आचार्य कभी कभी अपने राजबन्धुसे भी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करते थे । संभव है कि समन्तभद्र को भी ऐसी ही किसी परिस्थितिमेंसे गुजरना पड़ा हो; उनका कोई बड़ा भाई राज्याधिकारी हो, उसे ही पिताकी मृत्यु पर राज्यासन मिला हो, और इस लिये समन्तभद्रने न तो राज्य किया हो और न विवाह ही कराया हो; बल्कि अपनी स्थितिको समझ कर उन्होंने अपने जीवनको शुरूसे ही धार्मिक साँचेमें ढाल लिया हो; और पिताकी मृत्यु पर अथवा उससे पहले ही अवसर पाकर आप दीक्षित हो गये हों; और शायद यही वजह हो कि आपका फिर उरगपुर जाना और वहां रहना प्रायः नहीं पाया जाता । परंतु कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि, आपकी धार्मिक परिणतिमें कृत्रिमताकी जरा भी गंध नहीं थी । आप स्वभावसे ही धर्मात्मा थे और आपने

* इस दस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी लेखकके लेखकसे मिलता है (Matwan-lin, cited in Ind. Ant. IX, 22.) देखो, विन्सेण्ट स्मिथकी अर्ली हिस्ट्री आफ़ इंडिया' पृ० १८५, जिसका एकअंश इस प्रकार है—

An ancient Chinese writer assures us that 'according to the laws of India, when a king dies, he is succeeded by his eldest son (Kumararaja); the other sons leave the family and enter a religious life, and they are no longer allowed to reside in their native kingdom.'

अपने अन्तःकरणकी आवाज़से प्रेरित होकर ही जिनदीक्षा* धारण की थी।

दीक्षासे पहले आपकी शिक्षा या तो उरैयूरमें ही हुई है और या वह कांची अथवा मदुरामें हुई जान पड़ती है। ये तीनों ही स्थान उस वक्त दक्षिण भारतमें विद्याके खास केन्द्र थे और इन सबोंमें जैनियोंके अच्छे अच्छे मठ भी मौजूद थे, जो उस समय बड़े बड़े विद्यालयों तथा शिक्षालयोंका काम देते थे।

आपका दीक्षास्थान प्रायः कांची था उसके आसपासका कोई ग्राम जान पड़ता है और कांची ❀ ही—जिसे ‘कांजीवरम्’ भी कहते हैं—आपके धार्मिक उद्योगोंकी केन्द्र रही मालूम होती है। आप वहींके दिगम्बर साधु थे। ‘कांच्यां नगनाटकोऽहं +’ आपके इस वाक्यसे भी प्रायः यही ध्वनित होता है। कांचीमें आप कितनी ही बार गये हैं, ऐसा उल्लेख × ‘राजावलीकथे’ में भी मिलता है।

पितृकुलकी तरह समन्तभद्रके गुरुकुलका भी प्रायः कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता और न यह मालूम होता है कि आपके दीक्षागुरुका क्या नाम था। स्वयं उनके ग्रंथोंमें उनकी कोई प्रशस्तियाँ उपलब्ध नहीं होतीं और न दूसरे

* सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक जिनानुष्ठित सम्यक्चारित्रके ग्रहणको ‘जिनदीक्षा’ कहते हैं। समन्तभद्रने जिनेन्द्रदेवके चारित्र-गुणको अपनी जाँच-द्वारा ‘न्यायविहित’ और ‘अद्भुत उदयसहित’ पाया था, और इसी लिये वे सुप्रसन्नचित्तसे उसे धारण करके जिनेन्द्रदेवकी सच्ची सेवा और भक्तिमें लीन हुए थे। नीचेके एक पद्यसे भी उनके इसी भावकी ध्वनि निकलती है—

अत एव ते बुधनुतस्य चरितगुणमद्भुतोदयम् ।

न्यायविहितमवधार्य जिने ! त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् ॥१३०॥

—स्वयंभूस्तोत्र ।

❀ द्रविड देशकी राजधानी जो अर्सेतक पल्लवराजाओंके अधिकारमें रही है। यह मद्राससे दक्षिण-पश्चिमकी ओर ४२ मीलके फासलेपर, वेगवती नदी पर स्थित है।

+ यह पूरा पद्य आगे दिया जायगा।

× स्टडीज़ इन साउथ इंडियन जैनिज़्म, पृ० ३० ।

विद्वानोंने ही उनके गुरुकुलके सम्बन्धमें कोई खास प्रकाश डाला है। हाँ, इतना जरूर मालूम होता है कि आप 'मूलसंघ' के प्रधान आचार्योंमें थे। विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके विद्वान् कवि 'हस्तिमल्ल' और 'अय्यप्पार्य'ने 'श्रीमूल-संघव्योम्नेन्दुः' विशेषणके द्वारा आपको मूलसंघरूपी आकाशका चन्द्रमा लिखा है*। इसके सिवाय श्रवणबेलगोलके कुछ शिलालेखोंसे इतना पता और चलता है कि आप श्रीभद्रबाहु श्रुतकेवली, उनके शिष्य चन्द्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मुनिके वंशज पद्मनन्दि अपरनाम श्रीकोंडकुन्दमुनिराज, उनके वंशज उमास्वाति अपरनाम गृध्रपिच्छाचार्य, और गृध्रपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छ इस प्रकार महान् आचार्योंकी वंशपरम्परामें हुए हैं। यथा—

श्रीभद्रस्सर्वतो यो हि भद्रबाहुरिति श्रुतः ।

श्रुतकेवलीनाथेषु चरमः परमो मुनिः ॥

चंद्रप्रकाशोज्जलसान्द्रकीर्तिः श्रीचन्द्रगुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः ।

यस्य प्रभावाद्बनदेवताभिराराधितः स्वस्य गणो मुनीनां ॥

तस्यान्वये भूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधानः ।

श्रीकोंडकुन्दादिमुनीश्वराख्यस्सत्संयमादुद्गतचारणद्विः ॥

अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृध्रपिच्छः ।

तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाऽशेषपदार्थवेदी ॥

श्रीगृध्रपिच्छमुनिपस्य बलाकपिच्छः

शिष्योऽजनिष्ठ भुवनत्रयवर्तिकीर्तिः ।

चारित्रचञ्चुरखिलावनिपालमौलि-

मालाशिलीमुखविराजितपादपद्मः ॥

एवं महाचार्यपरंपरायां स्यात्कारमुद्रांकिततत्त्वदीपः ।

भद्रस्समन्ताद्गुणतो गणीशस्समन्तभद्रोऽजनि वादिसिंहः ॥

—शिलालेख नं० ४० (६४) ।

इस शिलालेखमें जिस प्रकार चन्द्रगुप्तको भद्रबाहुका और बलाकपिच्छको उमास्वातिकी शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समन्तभद्र, अथवा कुन्द-

❧ देखो, 'विक्रान्तकौरव' और 'जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय' नामके ग्रन्थ ।

कुन्द और उमास्वाति आचार्योंके विषयमें यह सूचित नहीं किया कि वे किसके शिष्य थे। दूसरेॐ शिलालेखोंका भी प्रायः ऐसा ही हाल है। और इससे यह मालूम होता है कि या तो लेखकोंको इन आचार्योंके गुरुओंके नाम मालूम ही न थे और या वे गुरु अपने उक्त शिष्योंकी कीर्तिकौमुदीके सामने, उस वक्त इतने अप्रसिद्ध हो गये थे कि उनके नामोंके उल्लेखकी ओर लेखकोंकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकी अथवा उन्होंने उसकी कुछ जरूरत ही नहीं समझी। संभव है कि उन गुरुदेवोंके द्वारा उनकी विशेष उदासीन परिणतिके कारण साहित्यसेवाका काम बहुत कम हुआ हो और यही बात बादको, समय बीतने पर, उनकी अप्रसिद्धि का कारण बन गई हो। परन्तु कुछ भी हो इसमें संदेह नहीं कि इस शिलालेख में, और इसी प्रकारके दूसरे शिलालेखोंमें भी, जिस ढंगसे कुछ चुने हुए आचार्यों के बाद समन्तभद्रका नाम दिया है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वामी समन्तभद्र बहुत ही खास आचार्योंमेंसे थे। उनकी कीर्ति उनके गुरुकुल अथवा गण-गच्छसे ऊपर है; पितृकुलको भी वह उल्लंघन गई है। और इस लिये, साधनाभावके कारण, यदि हमें उनके गुरुकुलादिका पूरा पता नहीं चलता।

ॐ देखो 'इन्स्क्रिप्शन्स ऐट श्रवणबेलगोल' नामकी पुस्तक जिसे मिस्टर बी. लेविस राइसने सन् १८८६ में मुद्रित कराया था, अथवा उसका संशोधित-संस्करण १९२३ का छपा हुआ। शिलालेखोंके जो नये नम्बर कोष्ठक आदिमें दिये हैं वे इसी संशोधित संस्करणके नम्बर हैं।

† श्रवणबेलगोलके दूसरे शिलालेखोंमें, और दूसरे स्थानोंके शिलालेखोंमें भी, कुन्दकुन्दको नन्दिगण तथा देशीय गणका आचार्य लिखा है। कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परामें होनेसे समन्तभद्र नन्दिगण अथवा देशीयगणके आचार्य ठहरते हैं। परन्तु जैनसिद्धान्तभास्करमें प्रकाशित सेनगणकी पट्टावलीमें आपको सेनगणका आचार्य सूचित किया है। यद्यपि यह पट्टावली पूरी तौर पर पट्टावलीके ढंगसे नहीं लिखी गई और न इसमें सभी आचार्योंका पट्टक्रमसे उल्लेख है फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि इसमें समन्तभद्रको सेनगणके आचार्योंमें परिगणित किया है। इन दोनोंके विरुद्ध १०८ नंबरका शिलालेख यह बतलाता है कि नन्दि और सेनादि भेदोंको लिये हुए यह चार प्रकारका संघभेद भट्टकलंकदेवके

तो न सही; हमें यहाँ पर उसकी चिन्ताको छोड़कर अब आचार्यमहोदयके गुणों-की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिये—यह मालूम करना चाहिये कि वे कैसे कैसे गुणोंसे विशिष्ट थे और उनके द्वारा धर्म, देश तथा समाजकी क्या कुछ सेवा हुई है।

गुणादि-परिचय

ऊपरके शिलालेखमें ‘गुणतोगणीशः’ विशेषणके द्वारा स्वामी समन्तभद्रको गुणोंकी अपेक्षा गरिबियोंका—संधाधिपति आचार्योंका—ईश्वर (स्वामी) सूचित किया है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि, ‘आप समन्तात् भद्र’ थे—बाहर भीतर सब ओरसे भद्ररूप* थे—अथवा यों कहिये कि आप भद्रपरगामी थे, भद्रवाक् थे, भद्राकृति थे, भद्रदर्शन थे, भद्रावलोकी थे, भद्रव्यवहारी थे, और इस लिये जो लोग आपके पास आते थे वे भी भद्रतामें परिणत हो जाते थे। शायद इन्हीं गुणोंकी वजहसे, दीक्षासमय ही, आपका नाम ‘समन्तभद्र’ रक्खा गया हो, अथवा आप बादको इस नामसे प्रसिद्ध हुए हों और यह आपका गुणप्रत्यय नाम हो। इसमें संदेह नहीं कि, समन्तभद्र एक बहुत ही बड़े योगी, त्यागी, तपस्वी और तत्त्वज्ञानी हो गये हैं। आपकी भद्रमूर्ति, तेजःपूर्ण-दृष्टि

स्वर्गारोहणके बाद उत्पन्न हुआ है और इससे समन्तभद्र न तो नन्दिगणके रहते हैं और न सेनगणके; क्योंकि वे अकलंकदेवसे बहुत पहले हो चुके हैं। अकलंक-देवसे पहलेके साहित्यमें इन चार प्रकारके गणोंका कोई उल्लेख अभी देखनेमें नहीं आया। इन्द्रनन्दिके ‘नीतिसार’ और १०५ नंबरके शिलालेखमें इन चारों संघोंका प्रवर्तक ‘अर्हद्वलि’ आचार्योंको लिखा है; परन्तु यह सब साहित्य अकलंकदेवसे बहुत ही पीछेका है। इसके सिवाय, तिरुमकूडलु-नरसीपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं० १०५ में (E. C. III) समन्तभद्रको द्रमिल संघके अन्तर्गत नन्दिसंघकी अरुङ्गल शाखा (अन्वय) का विद्वान् सूचित किया है। ऐसी हालतमें समन्तभद्रके गण-गच्छादिका विषय कितनी गड़बड़में है इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

* ‘भद्र’ शब्द कल्याण, मंगल, शुभ, श्रेष्ठ, साधु, मनोज्ञ, क्षेम, प्रसन्न और सानुकम्प आदि अर्थोंमें व्यवहृत होता है।

और सारगर्भित उक्ति अच्छे अच्छे मदनमत्तोंको नतमस्तक बनानेमें समर्थ थी । आप सदैव ध्यानाध्ययनमें मग्न और दूसरोंके अज्ञानभावको दूर करके उन्हें सन्मार्गकी ओर लगाने तथा आत्मोन्नतिके पथ पर अग्रसर करनेके लिये सावधान रहते थे । जैनधर्म और जैनसिद्धान्तोंके मर्मज्ञ होनेके सिवाय आप तर्क, व्याकरण, छंद, अलंकार और काव्य-कोषादि ग्रंथोंमें पूरी तौरसे निष्णात थे । आपकी अलौकिक प्रतिभाने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्रायः सभी विषयों पर अपना अधिकार जमा लिया था । यद्यपि आप संस्कृत, प्राकृत, कनड़ी और तामिल आदि कई भाषाओंके पारंगत विद्वान् थे, फिर भी संस्कृत भाषा पर आपका विशेष अनुराग तथा प्रेम था और उसमें आपने जो असाधारण योग्यता प्राप्त की थी वह विद्वानोंसे छिपी नहीं है । अकेली 'स्तुतिविद्या' ही आपके अद्वितीय शब्दाधिपत्यको अथवा शब्दोंपर आपके एकाधिपत्यको सूचित करती है । जितनी कृतियाँ अब तक उपलब्ध हुई हैं वे सब संस्कृतमें ही हैं । परंतु इससे किसीको यह न समझ लेना चाहिए कि दूसरी भाषाओंमें आपने ग्रंथरचना न की होगी, की जरूर है; क्योंकि कनड़ी भाषाके प्राचीन कवियोंमें सभीने, अपने कनड़ी काव्योंमें, उत्कृष्ट कविके रूपमें आपकी भूरि भूरि प्रशंसा की है * । और तामिल देशमें तो आप उत्पन्न ही हुए थे, इससे तामिल भाषा आपकी मातृभाषा थी । उसमें ग्रंथरचनाका होना स्वाभाविक ही है । फिर भी संस्कृत भाषाके साहित्यपर आपकी अटल छाप थी । दक्षिण भारतमें उच्च कोटिके संस्कृत ज्ञानको प्रोत्तेजन, प्रोत्साहन और प्रसारण देनेवालोंमें आपका नाम खास तौरसे लिया जाता है । आपके समयसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें एक खास युगका प्रारंभ होता है †; और इसीसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें आपका नाम अमर है ।

* देखो, 'हिस्टरी आफ़ कनड़ीज़ लिटरेचर' तथा 'कर्णाटककविचरिते ।'

† मिस्टर एस० एस० रामस्वामी आय्यंगर, एम० ए० भी अपनी 'स्टडीज़ इन साउथ इंडियन जैनिज़्म' नामकी पुस्तकमें, बम्बई गजेटियर, जिल्द पहली, भाग दूसरा, पृष्ठ ४०६ के आधारपर लिखते हैं कि 'दक्षिण भारतमें समंतभद्रका उदय, न सिर्फ़ दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही बल्कि, संस्कृत साहित्यके इतिहासमें भी एक खास युगको अंकित करता है ।' यथा—

सचमुच ही आपकी विद्याके आलोकसे एक बार सारा भारत आलोकित हो चुका है। देशमें जिस समय बौद्धादिकोंका प्रबल आतंक छाया हुआ था और लोग उनके नैरात्म्यवाद, शून्यवाद क्षणिकवादादि सिद्धान्तोंसे संव्रस्त थे—घबरा रहे थे—अथवा उन एकान्त गतोंमें पड़कर अपना आत्मपतन करनेके लिये विवश हो रहे थे, उस समय दक्षिण भारतमें उदय होकर आपने जो लोकसेवा की है वह बड़े ही महत्त्वकी तथा चिरस्मरणीय है। और इस लिये शुभचंद्राचार्यने जो आपको 'भारतभूषण' ✽ लिखा है वह बहुत ही युक्तियुक्त जान पड़ता है।

स्वामी समन्तभद्र, यद्यपि, बहुतसे उत्तमोत्तम गुणोंके स्वामी थे, फिर भी कवित्व, गमकत्व वादित्व और वाग्मिस्त्व नामके चार गुण आपमें असाधारण कोटिकी योग्यतावाले थे—ये चारों ही शक्तियाँ आपमें खास तौरसे विकाशको प्राप्त हुई थीं—और इनके कारण आपका निर्मल यश दूर दूर तक चारों ओर फैल गया था। उस वक्त जितने वादी†, वाग्मी+, कवि× और

"Samantbhadra's appearance in South India marks an epoch not only in the annals of Digambar Tradition, but also in the history of Sanskrit literature."

✽ समन्तभद्रो भद्रार्थो भातु भारतभूषणः । —पाँडवपुराण ।

† 'वादी विजयवाग्बुक्तिः'—जिसकी वचनप्रवृत्ति विजयकी ओर हो उसे 'वादी' कहते हैं।

+ 'वाग्मी तु जनरंजनः'—जो अपनी वाक्पटुता तथा शब्दचातुरीसे दूसरोंको रंजायमान करने अथवा अपना प्रेमी बनालेनेमें निपुण हो उसे 'वाग्मी' कहते हैं।

× 'कविर्नूतनसंदर्भः'—जो नये नये संदर्भ—नई नई मौलिक रचनाएँ तैयार करनेमें समर्थ हो वह कवि है, अथवा प्रतिभा ही जिसका उज्जीवन है, जो नानावर्णनाओंमें निपुण है, कृती है, नाना अभ्यासोंमें कुशलबुद्धि है और व्युत्पत्तिमान (लौकिक व्यवहारोंमें कुशल) है उसे भी कवि कहते हैं; यथा—

प्रतिभोज्जीवनो नानावर्णनानिपुणः कृती ।

नानाभ्यासकुशाग्रीयमतिव्युत्पत्तिमान्कविः । —अलंकारचिन्तामणि ।

गमकः थे उन सब पर आपके यशकी छाप पड़ी हुई थी—आपका यश चूडामणिके तुल्य सर्वोपरि था—और वह बादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा महान् आचार्योंके द्वारा शिरोधार्य किया गया है। जैसा कि, आजसे ग्यारह सौ वर्ष पहलेके विद्वान्, भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे प्रकट हैं—

कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयते ॥ ४४ ॥

—आदिपुराण ।

भगवान् समंतभद्रके इन वादित्व और कवित्वादि गुणोंकी लोकमें कितनी धाक थी, विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुआ था और वे वास्तवमें कितने अधिक महत्त्वको लिये हुए थे, इन सब बातोंका कुछ अनुभव करानेके लिये नीचे कुछ प्रमाणवाक्योंका उल्लेख किया जाता है—

(१) यशोधरचरितके 'कर्ता और विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके विद्वान् महाकवि वादिराजसूरि, समंतभद्रको 'उत्कृष्टकाव्य-माणिक्योंका रोहण (पर्वत)' सूचित करते हैं और साथ ही यह भावना करते हैं कि वे हमें सूक्तिरूपी रत्नोंके समूहको प्रदान करने वाले होंगे—

श्रीमत्समंतभद्राद्याः काव्यमाणिक्यरोहणाः ।

सन्तु नः संततोत्कृष्टाः सूक्तिरत्नोत्करप्रदाः ॥

(२) 'ज्ञानार्णव' ग्रंथके रचयिता योगी श्रीशुभचंद्राचार्य, जो विक्रमकी प्रायः ११वीं शताब्दीके विद्वान् हैं, समंतभद्रको 'कवीन्द्रभास्वान्' विशेषणके साथ स्मरण करते हुए, लिखते हैं कि जहाँ आप जैसे कवीन्द्र-सूर्योंकी निर्मल सूक्तिरूपी किरणें स्फुरायमान हो रहै हैं वहाँ वे लोग खद्योत या जुगनूकी तरह हँसीकी ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेसे ज्ञानको पाकर उद्धत हैं—कविता करने लगते हैं ।

❀ 'गमकः कृतिभेदकः'—जो दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंके मर्मको समझने-वाला—उनकी तहतक पहुँचनेवाला—हो और दूसरोंको उनका मर्म तथा रहस्य समझानेमें प्रवीण हो उसे 'गमक' कहते हैं। निश्चायक, प्रत्ययजनक और संशयछेदी भी उसीके नामान्तर हैं ।

और इस तरहपर उन्होंने समन्तभद्रके मुकाबलेमें अपनी कविताकी बहुत ही लघुता प्रकट की है—

समन्तभद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसूक्तिरश्मयः ।

ब्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां, न तत्र किं ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥१४॥

(३) अलंकारचिन्तासणिमें, अजितसेनाचार्यने समन्तभद्रको नमस्कार करते हुए, उन्हें 'कविकुंजर' 'मुनिवंद्य' और 'जनानन्द' (लोगोंको आनन्दित करने-वाले) लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया है कि मैं उन्हें अपनी 'वचनश्री'के लिये—वचनोंकी शोभा बढ़ाने अथवा उनमें शक्ति उत्पन्न करनेके लिये—नमस्कार करता हूँ—

श्रीमत्समन्तभद्रादिकविकुंजरसंचयम् ।

मुनिवंद्यं जनानन्दं नमामि वचनश्रियै ॥ ३ ॥

(४) वरांगचरित्रमें, परवादि-दन्ति-पंचानन श्रीवर्धमानसूरि, समन्तभद्रको 'महाकवीश्वर' और 'सुतर्कशास्त्रामृतसारसागर' प्रकट करते हुए, यह सूचित करते हैं कि समन्तभद्र कुवादियों (प्रतिवादियों) की विद्यापर जयलाभ करके यशस्वी हुए थे। साथ ही, यह भावना करते हैं कि वे महाकवीश्वर मुझ कविताकांक्षीपर प्रसन्न होवें—उनकी विद्या मेरे अन्तःकरणमें स्फुरायमान होकर मुझे सफल मनोरथ करे—

समन्तभद्रादिमहाकवीश्वराः कुवादिविद्याजयलब्धकीर्तयः ।

सुतर्कशास्त्रामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांक्षिणि ॥७॥

(५) भगवज्जिनसेनाचार्यने, आदिपुराणमें, समन्तभद्रको नमस्कार करते हुए, उन्हें 'महान् कविवेधा' कवियोंको उत्पन्न करनेवाला महान् विधाता (महाकवि-ब्रह्मा) लिखा है और यह प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी वज्रपातमें कुमतरूपी पर्वत खंड खंड हो गये थे—

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ।

यद्वचोवज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥

(६) ब्रह्म अजितने, अपने 'हनुमच्चरित्र' में, समन्तभद्रका जयघोष करते हुए, उन्हें 'भैरवरूपी कुमुदोंको प्रफुल्लित करनेवाला चन्द्रमा' लिखा है और साथ

ही यह प्रकट किया है कि वे 'दुर्वादियोंकी वादरूपी खाज (खुजली) को मिटाने के लिये अद्वितीय महौषधि' थे—उन्होंने कुवादियोंकी बढ़ती हुई वादाभिलाषाको ही नष्ट कर दिया था—

जीयात्समन्तभद्रोऽसौ भव्यकैरवचंद्रमाः ।

दुर्वादिवादकंङ्कनां शमनैकमहौषधिः ॥ १६ ॥

(७) श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० १०५ (२५४) में, जो शक संवत् १३२० का लिखा हुआ है, समन्तभद्रको 'वादीभवज्जांकुशसूक्तिजाल' विशेषणके साथ स्मरण किया है—अर्थात् यह सूचित किया है कि समन्तभद्रकी सुन्दर उक्तियोंका समूह वादीरूपी हस्तियोंको वशमें करनेके लिये वज्जांकुशका काम देता है । साथ ही, यह भी प्रकट किया है कि समन्तभद्रके प्रभावसे यह संपूर्ण पृथ्वी दुर्वादकोंकी वातसे भी विहीन हो गई—उनकी कोई बात भी नहीं करता—

समन्तभद्रस्स चिराय जीयाद्वादीभवज्जांकुशसूक्तिजालः ।

यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुकुवार्त्तयापि ॥

इस पद्यके बाद, इसी शिलालेखमें, नीचे लिखा पद्य भी दिया हुआ है और उसमें समन्तभद्रके वचनोंको 'स्फुटरत्नदीप' की उपमा दी है और यह बतलाया है कि वह दैदीप्यमान रत्नदीपक उस त्रैलोक्यरूपी सम्पूर्ण महलको निश्चित रूपसे प्रकाशित करता है जो स्यात्कारमुद्राको लिए हुए समस्तपदार्थोंसे पूर्ण है और जिसके अन्तराल दुर्वादकोंकी उक्तिरूपी अन्धकारसे आच्छादित हैं—

स्यात्कारमुद्रितसमस्तपदार्थपूर्णं त्रैलोक्यहर्म्यमखिलं स खलु व्यनक्ति ।

दुर्वादुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपः ॥

४० वें शिलालेखमें भी, जिसके पद्य ऊपर उद्धृत किये गये हैं, समन्तभद्रको 'स्यात्कारमुद्रांकिततत्त्वदीप' और 'वादिसिंह' लिखा है । इसी तरह पर श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्रसूरिने, अपनी 'अनेकान्तजयपताका' में, समन्तभद्रका 'वादिमुख्य' विशेषण दिया है और उसकी स्वोपज्ञ टीकामें लिखा है—“आह च वादिमुख्यः समन्तभद्रः ।”

(८) गद्यचिन्तामणिमें, महाकवि वादीभसिंह समन्तभद्र-मुनीश्वरको 'सरस्वतीकी स्वच्छन्दविहारभूमि' लिखते हैं, जिससे यह सूचित होता है कि

समन्तभद्रके हृदय-मन्दिरमें सरस्वती देवी बिना किसी रोक-टोकके पूरी आज़ादीके साथ विचरती थी और इसलिये समन्तभद्र असाधारण विद्याके धनी थे और उनमें कवित्व वाग्मितादि शक्तियाँ उच्च-कोटिके विकाशको प्राप्त हुई थीं, यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि उनके वचन-रूपी वज्रके निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पर्वतोंकी चोटियाँ खंड खंड हो गई थीं—अर्थात् समन्तभद्रके आगे, बड़े बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्रायः कुछ भी गौरव नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा मुँह करके ही सामने खड़े हो सकते थे—

सरस्वतीस्वैरविहारभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः ।

जयन्ति वाग्वज्रनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः ॥

(६) श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० १०८ में, जो सं० १३५५ का लिखा हुआ है और जिसका नया नम्बर २५८ है, मंगराजकवि सूचित करते हैं कि समन्तभद्र बलाकपिच्छके बाद 'जिनशासनके प्रणेता' हुए हैं, वे 'भद्रमूर्ति' थे और उनके वचनरूपी वज्रके कठोर पातसे प्रतिवादीरूपी पर्वत चूर चूर हो गये थे—कोई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठरहरता था—

समन्तभद्रोऽजनि भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य ।

यदीयवाग्वज्रकठोरपातश्चूर्णीचकार प्रतिवादिशैलान् ॥

(१०) समन्तभद्रके सामने प्रतिवादियोंकी—कुवादियोंकी—क्या हालत होती थी, और वे कैसे नम्र अथवा विषण्णवदन और किर्तव्यविमूढ बन जाते थे, इसका कुछ आभास अलंकार-चिन्तामणिमें उद्धृत किये हुए निम्न दो पुरातन पद्योंसे मिलता है—

कुवादिनः स्वकान्तानां निकटे परुषोक्तयः ।

समन्तभद्रयत्यग्रे पाहि पाहीति सूक्तयः ॥ ४-३१५

श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते ।

कुवादिनोऽलिखन्भूमिमंगुष्ठैरानताननाः ॥ ५-१५६

पहले पद्यसे यह सूचित होता है कि कुवादिजन अपनी स्त्रियोंके निकट तो कठोर भाषण किया करते थे—उन्हें अपनी गर्वोक्तियाँ सुनाते थे—परन्तु जब

समन्तभद्र यतिके सामने आते थे तो मधुरभाषी बन जाते थे और उन्हें 'पाहि पाहि'—रक्षा करो, रक्षा करो, अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं; ऐसे सुन्दर मृदुलवचन ही कहते बनता था । और दूसरा पद्य यह बतलाता है कि जब महावादी समन्तभद्र (सभास्थान आदिमें) आते थे तो कुवादियन नीचा मुख करके अँगूठोंसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे—अर्थात् उन लोगों पर—प्रतिवादियों पर—समन्तभद्रका इतना प्रभाव छा जाता था कि वे उन्हें देखते ही विषण्णवदन हो जाते और किकर्तव्यविमूढ बन जाते थे ।

(१२) अजितसेनाचार्यके 'अलंकार-चिन्तामणि' ग्रन्थमें और कवि हस्ति-मल्लके 'विक्रान्तकौरव' नाटककी प्रशस्तिमें एक पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

* अवटुतटमटति भटिति स्फुटपटुवाचाटधूर्जटेजिह्वा ।

वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति सति का कथान्येषाम् ॥

इसमें यह बतलाया है कि वादी समन्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलने वाले धूर्जटकी जिह्वा ही जब शीघ्र अपने बिलमें घुस जाती है—उसे कुछ बोल नहीं आता—तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो कथा ही क्या है ? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्त्व नहीं रखता ।

इस पद्यसे भी समन्तभद्रके सामने प्रतिवादियोंकी क्या हालत होती थी उसका कुछ बोध होता है ।

कितने ही विद्वानोंने इस पद्यमें 'धूर्जट' को 'महादेव' अथवा 'शिव' का पर्याय नाम समझा है और इसलिये अपने अनुवादोंमें उन्होंने 'धूर्जट' की जगह महादेव तथा शिव नामोंका ही प्रयोग किया है । परन्तु ऐसा नहीं है । भले ही यह नाम, यहां पर, किसी व्यक्ति-विशेषका पर्यायनाम हो, परन्तु वह महादेव नामके रुद्र अथवा शिव नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है । महादेव न तो

* 'जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय' ग्रंथकी प्रशस्तिमें भी, जो शक सं० १२४१ में बनकर समाप्त हुआ है, यह पद्य पाया जाता है, सिर्फ 'धूर्जटेजिह्वा'के स्थानमें 'धूर्जटेरपि जिह्वा' यह पाठान्तर कुछ प्रतियोंमें देखा जाता है ।

समन्तभद्रके समसामयिक व्यक्ति थे और न समन्तभद्रका उनके साथ कभी कोई साक्षात्कार या वाद ही हुआ। ऐसी हालतमें यहाँ 'धूर्जटि' से महादेवका अर्थ निकालना भूलसे खाली नहीं है। वास्तवमें इस पद्यकी रचना केवल समन्तभद्रका महत्व ख्यापित करनेके लिये नहीं हुई बल्कि उसमें समन्तभद्रके वादविषयकी एक खास घटनाका उल्लेख किया गया है और उससे दो ऐतिहासिक तत्त्वोंका पता चलता है—एक तो यह कि समन्तभद्रके समयमें 'धूर्जटि' नामका कोई बहुत बड़ा विद्वान् हुआ है, जो चतुरार्थके साथ स्पष्ट शीघ्र और बहुत बोलनेमें प्रसिद्ध था; उसका यह विशेषण भी उसके तात्कालिक व्यक्तिविशेष होनेको और अधिकताके साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि, समन्तभद्रका उसके साथ वाद हुआ, जिसमें वह शीघ्र ही निरुत्तर हो गया और उसे फिर कुछ बोल नहीं आया।

पद्यका यह आशय उसके उस प्राचीन रूपसे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है जो शक सं० १०५० में उत्कीर्ण हुए, मल्लिषेणाप्रशस्ति नामके ५४वें (६७वें) शिलालेखमें पाया जाता है और वह रूप इस प्रकार है—

ॐ अवदुतटमटति भटिति स्फुटपटुवाचाटधूर्जटेरपि जिह्वा ।

वादिनि समन्तभद्रे स्थितवति तव सदसि भूप कास्थान्येषां ॥

इस पद्यमें 'धूर्जटि'के बाद 'अपि' शब्द ज्यादा है और चौथे चरणमें 'सति का कथान्येषां'की जगह 'तव सदसि भूप कास्थान्येषां' ये शब्द दिये हुए हैं। साथ ही इसका छन्द भी दूसरा है। पहला पद्य 'आर्या' और यह 'आर्यगीति' नामके छंदमें है, जिसके समचरणोंमें बीस बीस मात्राएँ होती हैं। अस्तु; इस पद्यमें पहले पद्यसे जो शब्दभेद है उस परसे यह मालूम होता है कि यह पद्य समन्तभद्रकी ओरसे अथवा, उनकी मौजूदगीमें, उनके किसी शिष्यकी तरफसे, किसी राजसभामें, राजाको सम्बोधन करके कहा गया है। वह राजसभा चाहे वही हो जिसमें 'धूर्जटि' को पराजित किया गया है और या वह कोई दूसरी ही राजसभा हो। पहली हालतमें यह पद्य धूर्जटिके निरुत्तर होनेके बाद सभास्थित

ॐ दावरागेरे ताल्लुकके शिलालेख नं० ६० में भी, जो चालुक्य विक्रमके ५३वें वर्ष, कीलक संवत्सर (ई० सन ११२८) का लिखा हुआ है यह पद्य इसी प्रकार दिया है। देखो एपिग्रेफिया कर्णाटिका, जिल्द ११वीं।

दूसरे विद्वानोंको लक्ष्य करके कहा गया है और उसमें राजासे यह पूछा गया है कि धूर्जटि जैसे विद्वानकी ऐसी हालत होने पर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानों की क्या आस्था है ? क्या उनमेंसे कोई वाद करनेकी हिम्मत रखता है ? दूसरी हालत में, यह पद्य समन्तभद्रके वादारंभ-समयका वचन मालूम होता है और उसमें धूर्जटिकी स्पष्ट तथा गुरुतर पराजयका उल्लेख करके दूसरे विद्वानोंको यह चेतावनी दी गई है कि वे बहुत सोच-समझकर वादमें प्रवृत्त हों । शिलालेखमें इस पद्यको समन्तभद्रके वादारंभ-समारंभ समयकी उक्तियोंमें ही शामिल किया है*। परन्तु यह पद्य चाहे जिस राजसभामें कहा गया हो, इसमें संदेह नहीं कि इसमें जिस घटनाका उल्लेख किया गया है वह बहुत ही महत्त्वकी जान पड़ती है । ऐसा मालूम होता है कि धूर्जटि † उस वक्त एक बहुत ही बड़ाचढ़ा प्रसिद्ध प्रतिवादी था, जनतामें उसकी बड़ी धाक थी और वह समन्तभद्रके सामने बुरी तरहसे पराजित हुआ था । ऐसे महावादीको लीलामात्रमें परास्त कर देनेसे समन्तभद्रका सिक्का दूसरे विद्वानों पर और भी ज्यादा अंकित हो गया और तबसे यह एक कहावतसी प्रसिद्ध हो गई कि 'धूर्जटि जैसे विद्वान् ही जब समन्तभद्रके सामने वादमें नहीं ठहर सकते तब दूसरे विद्वानोंकी क्या सामर्थ्य है जो उनसे वाद करें ।'

समन्तभद्रकी वादशक्ति कितनी अप्रतिहत थी और दूसरे विद्वानोंपर उसका कितना अधिक सिक्का तथा प्रभाव था, यह बात ऊपरके अवतरणोंसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है, फिर भी मैं यहां पर इतना और बतला देना चाहता हूँ कि समन्तभद्रका वाद-क्षेत्र संकुचित नहीं था । उन्होंने उसी देशमें अपने वादकी विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, बल्कि उनकी वादप्रीति, लोगों-के अज्ञानभावको दूर करके उन्हें सन्मार्गकी ओर लगानेकी शुभ भावना और

* जैसा कि उन उक्तियोंके पहले दिये हुए निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“यस्यैवविधा विद्यावादारंभसंरंभविजृंभिताभिव्यक्तयः सूक्तयः ।”

† आफरेडके 'केटेलॉग' में धूर्जटिको एक 'कवि' Poet लिखा है और कवि अच्छे विद्वानको कहते हैं, जैसा कि इससे पहले फुटनोटमें दिये हुए उसके लक्षणों-से मालूम होगा ।

जैन सिद्धान्तोंके महत्त्वको विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षको अपने वादका लीलास्थल बनाया था। वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके लिये निमंत्रण दे और न उनकी मनःपरिणति उन्हें इस बातमें संतोष करनेकी ही इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तों (खड्डों) में गिरकर अपना आत्मपतन कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया जाय। और इस लिये, उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा किसी बड़ी वादशालाका पता लगता था वे वहीं पहुँच जाते थे और अपने वादका डंकार बजाकर विद्वानोंको स्वतः वादके लिये आह्वान करते थे। डंकेको सुनकर वादीजन, यथानियम, जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब समन्तभद्र उनके सामने अपने सिद्धान्तोंका बड़ी ही खूबीके साथ विवेचन करते थे और साथ ही इस बातकी घोषणा कर देते थे कि उन सिद्धान्तोंमेंसे जिस किसी सिद्धान्त पर भी किसीको आपत्ति हो वह वादके लिये सामने आ जाय। कहते हैं कि समन्तभद्रके स्याद्वादन्यायकी तुलामें तुले हुए तत्त्वभाषणको सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे और उन्हें उसका कुछ भी विरोध करते नहीं बनता था—यदि कभी कोई मनुष्य अहंकारके वश होकर अथवा नासमझीके कारण कुछ विरोध खड़ा करता था तो उसे शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पड़ता था। इस तरह पर, समन्तभद्र भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः सभी देशोंमें, एक अप्रतिद्वंद्वी सिंहकी तरह क्रीडा करते हुए, निर्भयताके साथ वादके लिये घूमे हैं। एक बार आप घूमते हुए 'करहाटक' नगरमें पहुँचे, जिसे कुछ विद्वानोंने सितारा जिलेका

† उन दिनों—समन्तभद्रके समयमें—,फाहियान (ई० स० ४००) और ह्वेनत्संग (ई० स० ६३०) के कथनानुसार, यह दस्तूर था कि नगरमें किसी सार्वजनिक स्थानपर एक डंका (भेरी या नक्कारा) रक्खा जाता था और जो कोई विद्वान् किसी मतका प्रचार करना चाहता था अथवा वादमें अपने पाण्डित्य और नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था वह वादघोषणाके तौरपर, उस डंकेको बजाता था।

आधुनिक 'करहाड' या 'कराड़' और कुछने दक्षिणमहाराष्ट्रदेशका 'कोल्हापुर' † नगर बतलाया है, और जो उस समय बहुतेसे भटों (वीर-योद्धाओं) से युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही अल्प विस्तारवाला अथवा जनाकीर्ण था। उस वक्त आपने वहाँके राजा पर अपने वादप्रयोजनको प्रकट करते हुए, उन्हें अपना तद्विषयक जो परिचय एक पद्यमें दिया था वह श्रवण-बेलगोलके उक्त ५४ वें शिलालेखमें निम्न प्रकारसे संग्रहीत है—

‡ पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता
पश्चान्मालवसिन्धुठक्कविषये कांचीपुरे वैदिशे।

प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं

वादार्यो विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितं ॥

इस पद्यमें दिये हुए आत्म-परिचयसे यह मालूम होता है कि 'करहाटक' पहुँचनेसे पहले समन्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें वादके लिये विहार किया था उनमें पाटलीपुत्र (पटना) नगर, मालव (मालवा), सिन्धु तथा ठक्क §

§ देखो, मिस्टर एडवर्ड पी० राइस बी०ए० रचित 'हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर' पृ० २३।

† देखो, मिस्टर बी० लेविस राइसकी 'इंस्क्रिप्शन्स ऐट् श्रवणबेलगोल नामकी पुस्तक, पृ० ४२; परन्तु इस पुस्तकके द्वितीय संशोधित संस्करणमें, जिसे आर० नरसिंहाचारने तैय्यार किया है, शुद्धिपत्रद्वारा 'कोल्हापुर' के स्थानमें 'करहाड' बनानेकी सूचना की गई है।

‡ यह पद्य ब्रह्म नेमिदत्तके 'आराधनाकथाकोष'में भी पाया जाता है; परन्तु यह ग्रंथ शिलालेखसे कई सौ वर्ष पीछेका बना हुआ है।

§ कनिंघम साहबने अपनी Ancient Geography (प्राचीत भूगोल) नामकी पुस्तक में 'ठक्क' देशका पंजाब देशके साथ समीकरण किया है (S. I. J. 30); मिस्टर लेविस राइस साहबने भी अपनी श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंकी पुस्तकमें उसे पंजाब देश लिखा है। और 'हिस्टरी आफ कनडीज लिटरेचर' के लेखक मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहबने उसे In the Punjab लिखकर पंजाबका एक देश बतलाया है। परन्तु हमारे कितने ही

(पंजाब) देश, कांचीपुर (कांजीवरम्), और वैदिश‡ (भिलसा) ये प्रधान देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने वादकी मेरी बजाई थी और जहाँ पर किसीने भी उनका विरोध नहीं किया था । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि सबसे पहले जिस प्रधान नगरके मध्यमें आपने वादकी मेरी बजाई थी वह 'पाटलीपुत्र' नामका शहर था, जिसे आजकल 'पटना' कहते हैं और जो सम्राट् चंद्रगुप्त (मौर्य) की राजधानी रह चुका है ।

'राजावलीकथे' नामकी कनडी ऐतिहासिक पुस्तकमें भी समन्तभद्रका यह सब आत्मपरिचय दिया हुआ है—विशेषता सिर्फ इतना ही है कि उसमें करहा-टकसे पहले 'कर्णाट' नामके देशका भी उल्लेख है, ऐसा मिस्टर लेविस राइस साहब अपनी 'इन्स्क्रिप्शन्स ऐट् श्रवणबेलगोल' नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं । परन्तु इससे यह मालूम न हो सका कि राजावलीकथेका वह सब परिचय केवल कनडीमें ही दिया हुआ है या उसके लिये उक्त संस्कृत पद्यका

जैन विद्वानोंने 'ठक्क' का 'ढक्क' पाठ बनाकर उसे बंगाल प्रदेशका 'ढाका' सूचित किया है, जो ठीक नहीं है । पंजाबमें, 'अटक' एक प्रदेश है । संभव है उसीकी वजहसे प्राचीन कालमें सारा पंजाब 'ठक्क' कहलाता हो, अथवा उस खास प्रदेशका ही नाम ठक्क हो जो सिंधुके पास है । पद्यमें भी 'सिंधु' के बाद एक ही समस्त पदमें ठक्कको दिया है इससे वह पंजाब देश या उसका अटकवाला प्रदेश ही मालूम होता है—बंगाल या ढाका नहीं । पंजाबके उस प्रदेशमें 'ठठ्ठा' आदि और भी कितने ही नाम इसी प्रकारके पाये जाते हैं । प्राक्तनविमर्षविचक्षण राव बहादुर आर० नरसिंहाचार एम० ए० ने भी ठक्कको पंजाब देश ही लिखा है ।

‡ विदिशाके प्रदेशको वैदिश कहते हैं जो दशार्ण देश की राजधानी थी और जिसका वर्तमान नाम भिलसा है । राइस साहबने 'कांचीपुरे वैदिशे' का अर्थ to the out of the way Kanchi किया था जो गलत था और जिसका सुधार श्रवणबेलगोल-शिलालेखोंके संशोधित संस्करणमें कर दिया गया है । इसी तरह पर आर्य्यंगर महाशयने जो उसका अर्थ in the far off city of Kanchi किया है वह भी ठीक नहीं है ।

भी, प्रमाण रूपसे उल्लेख किया गया है। यदि वह परिचय केवल कनड़ीमें ही है तब तो दूसरी बात है, और यदि उसके साथमें संस्कृत पद्य भी लगा हुआ है, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो उसमें करहाटकसे पहले 'कर्णाट'का समावेश नहीं बन सकता; वैसा किये जाने पर छंदोभंग हो जाता है और गलती साफ़ तौरसे मालूम होने लगती है। हाँ, यह हो सकता है कि पद्यका तीसरा चरण ही उसमें 'कर्णाटे करहाटके बहुभटे विद्योत्कटे संकटे' इस प्रकारसे दिया हुआ हो॥ यदि ऐसा है तो यह कहा जा सकता है कि वह उक्त पद्यका दूसरा रूप है जो करहाटकके बाद किसी दूसरी राजसभामें कहा गया होगा। परन्तु वह दूसरी राजसभा कौनसी थी अथवा करहाटकके बाद समंतभद्रने और कहाँ कहाँ पर अपनी वादभेरी बजाई है, इन सब बातोंके जाननेका इस समय कोई साधन नहीं है। हाँ, राजावलिकये आदिसे इतना जरूर मालूम होता है कि समन्तभद्र कौशाम्बी †, मणुवकहल्ली, लाम्बुश(?), पुण्ड्रोड‡, दशपुर § और वाराणसी (बनारस) में भी कुछ कुछ समय तक रहे हैं। परन्तु करहाटक

* मेरी इस कल्पनाके बाद, बाबू छोटेलालजी जैन, एम० आर० ए० एस० कलकत्ताने, 'कर्णाटक शब्दानुशासन' की लेविस राइस लिखित भूमिकाके आधार पर, एक अधूरासा नोट लिखकर मेरे पास भेजा है। उसमें समन्तभद्रके परिचयका डेढ़ पद्य दिया है और उसे 'राजावलिकये' का बतलाया है, जिसमेंसे एक पद्य तो 'कांच्यां नगनाटकोह' वाला है और बाकीका आधा पद्य इस प्रकार है—

कर्णाट करहाटके बहुभटे विद्योत्कटे संकटे

वादार्थ विजहार संप्रतिदिनं शार्दूलविक्रीडितम्।

† इलाहाबादके निकट यमुना-तटपर स्थित नगरी। यहाँ एक समय बौद्ध धर्मका बड़ा प्रचार रहा है। यह वत्सदेशकी राजधानी थी।

‡ उत्तर बंगालका पुण्ड्र नगर तथा उड्र = उड़ीसा।

§ कुछ विद्वानोंने 'दशपुर' को आधुनिक 'मन्दसौर' (मालवा) और कुछने 'धौलपुर' लिखा है; परन्तु पम्परामायण (७-३५) में उसे 'उज्जयिनी' के पासका नगर बतलाया है और इसलिये वह 'मन्दसौर' ही मालूम होता है।

पहुँचनेके प्रहले रहे हैं या पीछे, यह कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका ।

बनारसमें आपने वहाँके राजाको सम्बोधन करके यह वाक्य भी कहा था—

‘राजन् यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिर्ग्रन्थवादी ॥’

अर्थात्—हे राजन् मैं जैननिर्ग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी शक्ति मुझसे वाद करनेकी हो वह सन्मुख आकर वाद करे ।

और इससे आपकी वहाँपर भी स्पष्ट रूपसे वादघोषणा पाई जाती है । परन्तु बनारसमें आपकी वादघोषणा ही होकर नहीं रह गई, बल्कि वाद भी हुआ जान पड़ता है, जिसका उल्लेख तिरुमकूडलुनरसीपुर ताल्लुकेके शिलालेख नं० १०५ के निम्नपद्यसे, जो शक सं० ११०५ का लिखा हुआ है, पाया जाता है—

समन्तभद्रस्सस्तुत्यः कस्य न स्यान्मुनीश्वरः ।

वाराणसीश्वरस्याग्रे निर्जिता येन विद्विषः ॥

इस पद्यमें लिखा है कि ‘वे समन्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी (बनारस) के राजाके सामने शत्रुओंको—मिथ्यैकान्तवादियोंको—परास्त किया है किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ? अर्थात्, सभीके द्वारा स्तुति किये जानेके योग्य हैं ।

समन्तभद्रने अपनी एक ही यात्रामें इन सब देशों तथा नगरोंमें परिभ्रमण किया है अथवा उन्हें उसके लिये अनेक यात्राएँ करनी पड़ी हैं, इस बातका यद्यपि कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी अनुभवसे और आपके जीवनकी कुछ घटनाओंसे यह जरूर मालूम होता है कि आपको अपनी उद्देश-सिद्धिके लिये एकसे अधिक बार यात्राके लिये उठना पड़ा है—‘ठक्क’ से कांची पहुँच जाना और फिर वापिस वैदिश तथा करहाटको आना भी इसी बातको सूचित करता है । बनारस आप कांचीसे चलकर ही, दशपुर होते हुए, पहुँचे थे ।

समन्तभद्रके सम्बंधमें यह भी एक उल्लेख मिलता है कि वे ‘पर्दद्धिक’ थे—चारण ‡ ऋद्धिसे युक्त थे—अर्थात् उन्हें तपके प्रभावसे चलनेकी ऐसी शक्ति

* यह ‘कांच्यां नगनाटकोहं’ पद्यका चौथा चरण है ।

‡ ‘तत्त्वार्थ-राजवार्तिक’में भट्टाकलंकदेवने चारणद्वियुक्तोंका जो कुछ स्वरूप दिया है वह इस प्रकार है—‘क्रियाविषया ऋद्धिद्विविधा चारणत्वमाकाशगामित्वं चेति । तत्र चारणा अनेकविधाः जलजंघातं तु पुष्पपत्रश्रेण्यग्निशिखाद्यालंबनगमनाः ।

प्राप्त हो गई थी जिससे वे दूसरे जीवोंको बाधा न पहुँचाते हुए, शीघ्रताके साथ सैकड़ों कोस चले जाते थे। उस उल्लेखके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

...समन्तभद्राख्यो मुनिर्जीयात्पदद्विकः ॥

—विकान्तकौरव प्र० ।

....समंतभद्रार्यो जीयात्प्राप्तपदद्विकः ।

—जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय ।

...समंतभद्रस्वामिगलु पुनर्दीक्षेगोण्डु तपस्सामर्थ्यदि
चतुरङ्गुलचारणत्वमं पडेदु.....।

—राजावलीकथे ।

ऐसी हालतमें समन्तभद्रके लिये सुदूरदेशोंकी लम्बी यात्राएँ करना भी कुछ कठिन नहीं था। जान पड़ता है इसीसे वे भारतके प्रायः सभी प्रान्तोंमें आसानीके साथ घूम सके हैं।

समंतभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धमें मिस्टर एम. एस. रामस्वामी आय्यंगर, अपनी 'स्टडीज़ इन साउथ इंडिज़न जैनिज़्म' नामकी पुस्तकमें लिखते हैं—

“....It is evident that he (Samantbhadra) was a great Jain missionary who tried to spread far and wide Jain doctrines and morals and that he met with no opposition from other sects wherever he went.”

अर्थात्—यह स्पष्ट है कि समन्तभद्र एक बहुत बड़े जैनधर्मप्रचारक थे, जिन्होंने जैनसिद्धान्तों और जैन आचारोंको दूर दूर तक विस्तारके साथ फैलानेका उद्योग किया है, और यह कि जहां कहीं वे गये हैं उन्हें दूसरे सम्प्रदायोंकी तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पड़ा।

जलमुपादाय वाप्यादिष्वप्कायान् जीवनविराधयंतः भूमाविव पादोद्धारनिक्षेप-
कुशला जलचारणाः । भुव उपर्युक्ताशे चतुरंगुलप्रमाणे जंघोत्क्षेपनिक्षेपशीघ्र-
करणपटवो बहुयोजनशतासु गमनप्रवणा जंघचारणाः । एवमितरे च वेदितव्याः ।’

—अध्याय ३, सूत्र ३६ ।

‘हिस्टरी आफ़ कनडीज लिटेचर’ के लेखक—कनड़ी साहित्यका इतिहास लिखनेवाले—मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहब समन्तभद्रको एक तेज-पूर्ण प्रभावशाली वादी लिखते हैं और यह प्रकट करते हैं कि वे सारे भारतवर्षमें जैनधर्मका प्रचार करनेवाले एक महान् प्रचारक थे। साथ ही, यह भी सूचित करते हैं कि उन्होंने वादभेरी बजानेके उस दस्तूरसे पूरा लाभ उठाया है, जिसका उल्लेख पीछे एक फुटनोटमें किया गया है, और वे बड़ी शक्तिके साथ जैनधर्मके ‘स्याद्वाद-सिद्धान्त’ को पुष्ट करनेमें समर्थ हुए हैं ❀ ।

यहां तकके इस सब कथनसे स्वामी समन्तभद्रके असाधारण गुणों, उनके प्रभाव और धर्मप्रचारके लिये उनके देशाटनका कितना ही हाल तो मालूम हो गया, परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि समन्तभद्रके पास वह कौनसा मोहन-मंत्र था जिसकी वजहसे वे हमेशा इस बातके लिये खुशकिस्मत + रहे हैं कि विद्वान् लोग उनकी वादघोषणाओं और उनके तात्त्विक भाषणोंको झुपकेसे सुन लेते थे और उन्हें उनका प्रायः कोई विरोध करते नहीं बनता था—वादका तो नाम ही ऐसा है जिससे ख्वाहमख्वाह विरोधकी आग भड़कती है, लोग अपनी मानरक्षाके लिये, अपने पक्षको निर्बल समझते हुए भी, उसका समर्थन करनेके

* He (Samantbhadra) was a brilliant disputant, and a great preacher of the Jain religion throughout India.....It was the custom in those days, alluded to by Fa Hian (400) and Hiven Tsang (630) for a drum to be fixed in a public place in the city, and any learned man, wishing to propagate a doctrine or prove his erudition and skill in debate, would strike it by way of challenge of disputation,....Samantbhadra made full use of this custom, and powerfully maintained the Jain doctrine of Syadvada.

+ मिस्टर आर्थर यंगरने भी आपको ‘ever fortunate’ ‘सदा भाग्यशाली’ लिखा है। S. in S.I. Jainism, 29.

लिये खड़े हो जाते हैं और दूसरेकी युक्तियुक्त बातको भी मानकर नहीं देते, फिर भी समंतभद्रके साथमें ऐसा प्रायः कुछ भी न होता था, यह क्यों ?—अवश्य ही इसमें कोई खास रहस्य है जिसके प्रकट होने की जरूरत है और जिसको जानने के लिये पाठक भी उत्सुक होंगे ।

जहाँ तक मैंने इस विषयकी जाँच की है—इस मामले पर गहरा विचार किया है—और अपनेको समंतभद्रके साहित्यादिपरसे उसका अनुभव हुआ है उसके आधार पर मुझे इस बातके कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता कि, समंतभद्रकी इस सफलताका सारा रहस्य उनके अन्तःकरणकी शुद्धता, चरित्रकी निर्मलता और उनकी वाणीके महत्त्वमें संनिहित है, अथवा यों कहिये कि यह सब अन्तःकरण तथा चरित्रकी शुद्धि को लिये हुए उनके वचनोंका ही माहात्म्य है जो वे दूसरों पर अपना इस प्रकार सिक्का जमा सके हैं । समंतभद्रकी जो कुछ भी वचनप्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंकी हितकामनाको ही लिये हुए होती थी । उसमें उनके लौकिक स्वार्थकी अथवा अपने अहंकारको पुष्ट करने और दूसरोंको नीचा दिखानेरूप कुत्सित भावनाकी गंध तक भी नहीं रहती थी । वे स्वयं सन्मार्ग पर आरूढ़ थे और यह चाहते थे कि दूसरे लोग भी सन्मार्गको पहचानें और उसपर चलना आरंभ करें । साथ ही, उन्हें दूसरोंको कुमार्गमें फँसा हुआ देखकर बड़ा ही खेद तथा कष्ट होता था और इसलिये उनका वाक्प्रयत्न सदा उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा ऐसे लोगोंके

* आपके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर पर, इस प्रकार हैं—

मद्यांगवद्भूतसमागमे ज्ञः शक्त्यन्तरव्यक्तिरदैवसृष्टिः ।

इत्यात्मशिक्षोदरपुष्टितुष्टैर्निर्हीभयैर्हा ! मृदवः प्रलब्धाः ॥३५॥

दृष्टेऽविशिष्टे जननादिहेतौ विशिष्टता का प्रतिसत्त्वमेषां ।

स्वभावतः किं न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा ! प्रपातः ॥३६॥

स्वच्छन्दवृत्तेर्जगतः स्वभावादुच्चै रनाचारपथेष्वदोषं ।

निर्घुष्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वददृष्टिबाह्या बत ! विभ्रमन्ति ॥३७॥

—युवत्यनुशासन ।

उद्धारका अपनी शक्तिभर उद्योग किया करते थे। ऐसा मालूम होता है कि स्वात्म-हितसाधनके बाद दूसरोंका हितसाधन करना ही उनके लिये एक प्रधान कार्य था और वे बड़ी ही योग्यताके साथ उसका संपादन करते थे। उनकी वाक्परिणति सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अपशब्द नहीं कहते थे, न दूसरोंके अपशब्दोंसे उनकी शांति भंग होती थी, उनकी आंखोंमें कभी सुर्खी नहीं आती थी, हमेशा वे हंसमुख तथा प्रसन्नवदन रहते थे, बुरी भावनासे प्रेरित होकर दूसरोंके व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और मधुरभाषण तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिल था। यही वजह थी कि कठोर भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर मृदुभाषी बन जाते थे, अपशब्दमदान्धों को भी उनके आगे बोल तक नहीं आता था और उनके 'वज्रपात' तथा 'वज्रांकुश' की उपमाको लिए हुए वचन भी लोगोंको अप्रिय मालूम नहीं होते थे।

समंतभद्रके वचनोंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी कि वे स्याद्वाद-न्यायकी तुलामें तुले हुए होते थे और इस लिये उनपर पक्षपातका भूत कभी सवार होने नहीं पाता था। समंतभद्र स्वयं परीक्षाप्रधानी थे, वे कदाग्रहको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भगवान् महावीर तककी परीक्षा की है और तभी उन्हें 'आप्त' रूपसे स्वीकार किया है। वे दूसरोंको भी परीक्षाप्रधानी होनेका उपदेश देते थे—उनकी सदैव यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व अथवा सिद्धान्तको, बिना परीक्षा किये, केवल दूसरोंके कहने पर ही न मान लेना चाहिये बल्कि समर्थ युक्तियोंद्वारा उसकी अच्छी तरहसे जाँच करनी चाहिये—उसके गुण-दोषोंका पता लगाना चाहिये—और तब उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना चाहिये। ऐसी हालतमें वे अपने किसी भी सिद्धान्तको जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने अथवा उनके सिर मँढ़नेका कभी यत्न नहीं करते थे। वे विद्वानोंको, निष्पक्ष दृष्टिसे, स्व-पर सिद्धान्तों पर खुला विचार करनेका पूरा अवसर देते थे। उनकी सदैव यह घोषणा रहती थी कि किसी भी वस्तुको एक ही पहलूसे—एक ही ओरसे मत देखो, उसे सब ओरसे और सब पहलुओंसे देखना चाहिये, तभी उसका यथार्थ ज्ञान हो सकेगा। प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म अथवा अंग होते हैं—इसीसे वस्तु अनेकान्तात्मक है—उसके किसी

एक धर्म या अगको लेकर सर्वथा उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपादन करना एकान्त है, और यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधर्म है और अन्याय है। स्याद्वादन्याय इसी एकान्तवादका निषेध करता है, सर्वथा सत्-असत्-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि संपूर्ण एकान्तोंसे विपक्षीभूत अनेकान्ततत्त्व ही उसका विषय* है। वह सप्तभंग† तथा नय × विवक्षाको लिये रहता है और हेयादेयका विशेषक है, उसका 'स्यात्' शब्द ही वाक्योंमें अनेकान्तताका द्योतक तथा गम्यका विशेषण है और वह 'कथंचित्' आदि शब्दोंके द्वारा भी अभिहित होता है। यथा—

वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणं ।

स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ॥ १०३ ॥

स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात्किंवृत्तचिद्विधिः ।

सप्तभंगनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥

—देवागम ।

अपनी घोषणाके अनुसार, सभंतभद्र प्रत्येक विषयके गुणदोषोंको स्याद्वाद-

* 'सर्वथासदसदेकानेकनित्यानित्यादिसकलैकान्तप्रत्यनीकानेकान्ततत्त्वविषयः स्याद्वादः' ।—देवागमवृत्तिः ।

‡ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तव्य, स्यान्नास्त्यवक्तव्य और स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य, ये सात भंग हैं जिनका विशेष स्वरूप तथा रहस्य भगवान् समंतभद्रके 'आप्तमीमांसा' नामक 'देवागम' ग्रन्थमें दिया हुआ है ।

× द्रव्याधिक-पर्यायाधिकके विभागको लिये हुए, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ऐसे सात नय हैं। इनमेंसे पहले तीन नय 'द्रव्याधिक' और शेष 'पर्यायाधिक' कहे जाते हैं। इसी तरह पहले चार 'अर्थनय' और शेष तीन 'शब्दनय' कहे जाते हैं। द्रव्याधिकको कथंचित् शुद्ध, निश्चय तथा भूतार्थ और पर्यायाधिकको अशुद्ध, व्यवहार तथा अभूतार्थ नय भी कहते हैं। इन नयोंका विस्तृत स्वरूप 'नयचक्र' तथा 'श्लोकवातिक' आदि ग्रंथोंसे जानना चाहिये ।

न्यायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोंके सामने रखते थे— वे उन्हें बतलाते थे कि एक ही वस्तुतत्त्वमें अमुक अमुक एकान्त पक्षोंके माननेसे क्या क्या अनिवायं दोष आते हैं और वे दोष स्याद्वादन्यायको स्वीकार करनेपर अथवा अनेकान्तवादके प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतत्त्वका सामंजस्य बैठ जाता है * । उनके समझानेमें दूसरोंके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं होता था; वे एक मार्ग भूले हुएको मार्ग दिखानेकी तरह, प्रेमके साथ उन्हें उनकी त्रुटियोंका बोध कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूसरोंपर अच्छा ही प्रभाव पड़ता था—उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण नहीं रहता था । यही वजह थी और यही सब वह मोहन मंत्र था जिससे समन्तभद्र को दूसरे संप्रदायोंकी ओरसे किसी खास विरोधका सामना प्रायः नहीं करना पड़ा और उन्हें अपने उद्देश्यमें अच्छी सफलताकी प्राप्ति हुई ।

यहाँपर मैं इतना और भी प्रकट कर देना उचित समझता हूँ कि समन्तभद्र स्याद्वादविद्याके अद्वितीय अधिपति थे; वे दूसरोंको स्याद्वाद मार्गपर चलनेका उपदेश ही न देते थे बल्कि उन्होंने स्वयं अपने जीवनको स्याद्वादके रंगमें पूरी

❀ इस विषयका अच्छा अनुभव प्राप्त करनेके लिये समन्तभद्र का 'आप्तमी-मासा' नामक ग्रंथ देखना चाहिये, जिसे 'देवागम' भी कहते हैं । यहाँपर अद्वैत एकांतपक्षमें दोषोद्भावन करनेवाले उसके कुछ पद्य, नमूनेके तौरपर, नीचे दिये जाते हैं—

अद्वैतैकान्तपक्षेऽपि दृष्टो भेदो विरुध्यते ।

कारकाणां क्रियायाश्च नैकं स्वस्मात्प्रजायते ॥ २४ ॥

कर्मद्वैतं फलद्वैतं लोकद्वैतं च नो भवेत् ।

विद्याविद्याद्वयं न स्यादबन्धमोक्षद्वयं तथा ॥ २५ ॥

हेतोरद्वैतसिद्धिश्चेद्वैतं स्याद्वेतुसाध्ययोः ।

हेतुना चेद्विना सिद्धिर्द्वैतं वाङ्मात्रतो न किं ॥ २६ ॥

अद्वैतं न विना द्वैतादहेतुरिव हेतुना ।

संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याद्वैते क्वचित् ॥ २७ ॥

तौरसे रंग लिया था और वे उस मार्गके सच्चे तथा पूरे अनुयायी थे* । उनकी प्रत्येक बात अथवा क्रियासे अनेकान्तकी ही ध्वनि निकलती थी और उनके चारों ओर अनेकान्तका ही साम्राज्य रहता था । उन्होंने स्याद्वादका जो विस्तृत वितान या शामियाना ताना था उसकी छत्रछायाके नीचे सभी लोग, अपने अज्ञान ताप-को मिटाते हुए, सुखसे विश्राम कर सकते थे । वास्तवमें समन्तभद्रके द्वारा स्याद्वाद-विद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है । उन्होंने स्याद्वादन्यायको जो विशद और व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे पहलेके किसी भी ग्रंथमें नहीं पाया जाता । इस विषयमें, आपका 'आप्तमीमांसा' नामका ग्रंथ जिसे 'देवागम' स्तोत्र भी कहते हैं, एक खास तथा अपूर्व ग्रंथ है । जैनसाहित्यमें उसकी जोड़का दूसरा कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता । ऐसा मालूम होता है कि समन्तभद्रसे पहले जैनधर्मकी स्याद्वाद-विद्या बहुत कुछ लुप्त हो चुकी थी, जनता उससे प्रायः अनभिज्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था । समन्तभद्रने अपनी असाधारण प्रतिभासे उस विद्याको पुनरुज्जीवित किया और उसके प्रभाव-को सर्वत्र व्याप्त किया है । इसीसे विद्वान् लोग आपको 'स्याद्वादविद्याग्रगुरु +', 'स्याद्वादविद्याधिपति' 'स्याद्वादशरीर'‡ और 'स्याद्वादमार्गाग्रणी'† जैसे विशेषणोंके साथ स्मरण करते आए हैं । परन्तु इसे भी रहने दीजिये, ७वीं

* भट्टकलंकदेवने भी समन्तभद्रको स्याद्वादमार्गके परिपालन करनेवाले लिखा है । साथ ही 'भव्यैकलोकनयन' (भव्यजीवोंके लिये अद्वितीय नेत्र) यह उनका अथवा स्याद्वादमार्गका विशेषण दिया है—

श्रीवर्द्धमानमकलंकमनिन्द्यवन्द्यपादारविन्दयुगलं प्रणिपत्य मूर्ध्ना ।

भव्यैकलोकनयनं परिपालयन्तं स्याद्वादवर्त्म परिणौमि समन्तभद्रम् ॥

—अष्टशती ।

श्रीविद्यानंदाचार्यने भी, युक्त्यनुशासनकी टीकाके अन्तमें, 'स्याद्वादमार्गानुगैः' विशेषणके द्वारा, आपको स्याद्वादमार्गका अनुगामी लिखा है ।

+ लघुसमन्तभद्रकृत 'अष्टसहस्री-विषमपद-तात्पर्यटीका' ।

‡ वसुनन्दाचार्यकृत 'देवागमवृत्ति' ।

† श्रीविद्यानन्दाचार्यकृत 'अष्टसहस्री' ।

शताब्दीके तार्किक विद्वान्, भट्टकलंकदेव जैसे महान् आचार्य लिखते हैं कि 'आचार्य समन्तभद्रने संपूर्णपदार्थतत्त्वोंको अपना विषय करनेवाले स्याद्वादरूपी पुण्योदधि-तीर्थको, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर करनेके लिये प्रभावित किया है—उसके प्रभावको सर्वत्र व्याप्त किया है । यथा—

तीर्थ सर्वपदार्थ-तत्त्वविषय-स्याद्वादपुण्योदधे—

भव्यानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कलौ ।

येनाचार्यसमन्तभद्रयतिना तस्मै नमः संततं

कृत्वा विव्रियते स्तयो भगवतां देवागमस्तःकृतिः ॥

यह पद्य भट्टकलंककी 'अष्टशती' नामक वृत्तिके मंगलाचरणका द्वितीय पद्य है, जिसे भट्टकलंकने, समन्तभद्राचार्यके 'देवागम' नामक भगवत्स्तोत्रकी वृत्ति (भाष्य) लिखनेका प्रारम्भ करते हुए, उनकी स्तुति और वृत्ति लिखनेकी प्रतिज्ञारूपसे दिया है । इसमें समन्तभद्र और उनके वाङ्मयका जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है वह बड़े ही महत्त्वका है । समन्तभद्रने स्याद्वादतीर्थको कलिकालमें प्रभावित किया, इस परिचयके 'कलिकालमें' ('काले कलौ') शब्द खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं और उनसे दो अर्थोंकी ध्वनि निकलती है— एक तो यह कि, कलिकालमें स्याद्वादतीर्थको प्रभावित करना बहुत कठिन कार्य था, समन्तभद्रने उसे पूरा करके निःसन्देह एक ऐसा कठिन कार्य किया है जो दूसरोंसे प्रायः नहीं हो सकता था अथवा नहीं हो सका था; और दूसरा यह कि कलिकालमें समन्तभद्रसे पहले उक्त तीर्थकी प्रभावना—महिमा या तो हुई नहीं थी, या वह होकर लुप्तप्राय हो चुकी थी और या वह कभी उतनी और उतने महत्त्वकी नहीं हुई थी जितनी और जितने महत्त्वकी समन्तभद्रके द्वारा, उनके समयमें, हो सकी है । पहले अर्थमें किसीको प्रायः कुछ भी विवाद नहीं हो सकता—कलिकालमें जब कलुषाशयकी वृद्धि हो जाती है तब उसके कारण अच्छे कामोंका प्रचलित होना कठिन हो ही जाता है—स्वयं समन्तभद्राचार्यने,

ॐ नगर ताल्लुका (जि०शिमोगा) के ४६वें शिलालेखमें, समन्तभद्रके 'देवागम' स्तोत्रका भाष्य लिखनेवाले अकलंकदेवको 'महर्द्धिक' लिखा है । यथा—

जीयात्समन्तभद्रस्य देवागमनसंज्ञिनः ।

स्तोत्रस्य माष्यं कृतवानकलंको महर्द्धिकः ॥

यह सूचित करते हुए कि महावीर भगवानके अनेकान्तात्मक शासनमें एकाधिपति-त्वरूप-लक्ष्मीका स्वामी होनेकी शक्ति है, कलिकालको भी उस शक्तिके अपवाद-का—एकाधिपत्य‡ प्राप्त न कर सकनेका—एक कारण माना है। यद्यपि, कलिकाल उसमें एक साधारण§ बाह्य कारण है, असाधारणकारकेरूपमें उन्होंने श्रोताओं का कलुषित आशय (दर्शनमोहाक्रान्त-चित्त) और प्रवक्ता (आचार्यादि) का वचनानय (वचनका अप्रशस्त निरपेक्ष* नयके साथ व्यवहार) ही स्वीकार किया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि कलिकाल उस शासनप्रचारके कार्यमें कुछ बाधा डालनेवाला—उसकी सिद्धिको कठिन और जटिल बना देनेवाला—जरूर है। यथा—

कालः कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तुर्वचनानयो वा ।

त्वच्छासनैकाधिपतित्व-लक्ष्मी-प्रभुत्वशक्तेरपवादहेतुः ॥५॥

—युक्त्यनुशासन ।

स्वामी समन्तभद्र एक महान् प्रवक्ता थे, वे वचनानयके दोषसे बिल्कुल रहित थे, उनके वचन—जैसा कि पहले जाहिर किया गया है—स्याद्वादन्यायकी तुलामें तुल्य हुए होते थे; विकार-हेतुओंके समुपस्थित होने पर भी उनका चित्त कभी विकृत नहीं होता था—उन्हें क्षोभ या क्रोध नहीं आता था—और इसलिये उनके वचन कभी मार्गका उल्लंघन नहीं करते थे। उन्होंने अपनी आत्मिक शुद्धि, अपने चारित्र्यबल और अपने स्तुत्य वचनोंके प्रभावसे श्रोताओंके कलुषित आशय पर भी बहुत कुछ विजय प्राप्त कर लिया था—उसे कितने ही अंशोंमें बदल दिया था। यही वजह है कि आप स्याद्वादशासनको प्रतिष्ठित करनेमें बहुत

‡ 'एकाधिपतित्वं सर्वैरवश्याश्रयणीयत्वम्'—इति विद्यानन्दः ।

‘सभी जिसका अवश्य आश्रय ग्रहण करें, ऐसे एक स्वामीपनेको एकाधिपतित्व या एकाधिपत्य कहते हैं ।’

§ अपवादहेतुर्बाह्यः साधारणः कलिरेव कालः—इति विद्यानन्दः ।

* जो नय परस्पर अपेक्षारहित हैं वे मिथ्या हैं और जो अपेक्षासहित हैं वे सम्यक् अथवा वस्तुतत्त्व कहलाते हैं। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने कहा है—

‘निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्’ —देवागम ।

कुछ सफल हो मके और कलिकाल उसमें कोई विशेष बाधा नहीं डाल सका । वसुनन्दि सैद्धान्तिकने तो आपके मतकी—शासनकी—वन्दना और स्तुति करते हुए यहाँ तक लिखा है कि उस शासनने कालदोषको ही नष्ट कर दिया था—अर्थात् समन्तभद्रमुनिके शासन-कालमें यह मालूम नहीं होता था कि आजकल कलिकाल बीत रहा है । यथा—

लक्ष्मीभृत्परमं निरुक्तिनिरतं निर्वाणसौख्यप्रदं
कुञ्जानातपवारणायविधृतं छत्रं यथा भासुरं ।
सज्जानैर्नययुक्तिमौक्तिकफलैः संशोभमानं परं
वन्दे तद्धतकालदोषममलं सामन्तभद्रं मतम् ॥२॥

—देवागमवृत्ति

इस पद्यमें समन्तभद्रके 'मत' को, लक्ष्मीभृत् परम निर्वाणसौख्यप्रद हत-कालदोष और अमल आदि विशेषणोंके साथ स्मरण करते हुए, जो देदीप्यमान छत्रकी उपमा दी गई है वह बड़ी ही हृदयग्राहिणी है, और उससे मालूम होता है कि समन्तभद्रका शासनछत्र सम्यग्ज्ञानों, सुनयों तथा सुयुक्तियों रूपी मुक्ताफलों-से संशोभित है और वह उसे धारण करनेवालेके कुञ्जानरूपी आतापको मिटा देने वाला है । इस सब कथनसे स्पष्ट है कि समन्तभद्रका स्याद्वादशासन बड़ा ही प्रभावशाली था । उसके तेजके सामने अवश्य ही कलिकालका तेज मन्द पड़ गया था, और इसलिये कलिकालमें स्याद्वाद तीर्थको प्रभावित करना, यह समन्तभद्रका ही एक खास काम था ।

दूसरे अर्थके सम्बन्धमें सिर्फ इतना ही मान लेना ज्यादा अच्छा मालूम होता है कि समन्तभद्रसे पहले स्याद्वादतीर्थकी महिमा लुप्तप्राय हो गई थी, समन्तभद्रने उसे पुनः संजीवित किया है, और उसमें असाधारण बल तथा शक्तिका संचार किया है । श्रवणबेलगोलके निम्न शिलावाक्यसे भी ऐसा ही ध्वनित होता है, जिसमें यह सूचित किया गया है कि मुनिसंघके नायक आचार्य समन्तभद्रके द्वारा सर्वहितकारी जैनमार्ग (स्याद्वादमार्ग) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुआ है—अर्थात् उसका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला और सबका प्रेमपात्र बना है—

“आचार्यस्स समन्तभद्रगणभृद्येनेहकाले कलौ
जैनं वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः” ॥

—५४ वाँ शिलालेख ।

इसके सिवाय चन्नरायणपट्टण ताल्लुकेके कनड़ी शिलालेख ॐ नं० १४६ में, जो शक सं० १०४७ का लिखा हुआ है, समन्तभद्रकी बाबत यह उल्लेख मिलता है कि वे श्रुतकेवल-संतानको उन्नत करनेवाले और समस्त-विद्याओंके निधि थे । यथा—

श्रुतकेवलिगलु पलवरुम् अतीतर् आद् इस्वलिकके तत्सन्तानो-
न्नतियं समन्तभद्र-व्रतिपर् तलेन्दरु समस्तविद्यानिधिगल् ॥

और बेलूर ताल्लुकेके शिलालेख ॐ नं० १७ में भी, जो रामानुजाचार्य मंदिर के अहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरकी छतके एक पत्थर पर उत्कीर्ण है और जिसमें उसके उत्कीर्ण होनेका समय शक सं० १०५६ दिया है, ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकेवलियों तथा और भी कुछ आचार्योंके बाद समन्तभद्रस्वामी श्रीवर्द्धमानस्वामीके तीर्थकी—जैनमार्गकी—सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त हुए । यथा—

“श्रीवर्द्धमानस्वामिगलु तीर्थदोलु केवलिगलु ऋद्धिप्राप्तर् श्रुति-
केवलिगलु पलर् सिद्धसाध्यर् आगे तत्.....त्थर्मं सहस्रगुणं माडि
समन्तभद्र-स्वामिगलु सन्दर्”†.....।

इन दोनों उल्लेखोंसे भी यही पाया जाता है कि स्वामी समन्तभद्र इस कलिकालमें जैनमार्गकी—स्याद्वादशासनकी—असाधारण उन्नति करनेवाले हुए हैं । नगर ताल्लुकेके ३५वें शिलालेखमें, भद्रबाहुके बाद कलिकालके प्रवेशको सूचित करते हुए, आपको ‘कलिकालगणधर’ और ‘शास्त्रकर्त्ता’ लिखा है:—

ॐ, ॐ देखो ‘एपिग्रेफिया कर्णाटिका’ जिल्द पाँचवीं (E.C., V.)

† इस अंशका लेविस राइसकृत अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है—Increasing that doctrine a thousand fold Samantabhadra swami arose.

† यह शिलालेख शक सं० ९९६ का लिखा हुआ है (E.C., VIII.)

“...भद्रबाहुस्वामि गलिंदू इत्तकलिकाल वर्तनेयि गणभेदं पुट्टिदुद्ध
अवर अन्यव्यक्रमदिंकलिकालगणधरं शास्त्रकत्तुंगलुम् एनिसिद समन्त-
भद्रस्वामिगल्।”

समन्तभद्रने जिस स्याद्वादशासनको कलिकालमें प्रभावित किया है उसे भट्टाकलंकदेवने, अपने उक्त पद्यमें, ‘पुण्योदधि’ की उपमा दी है। साथ ही, उसे ‘तीर्थ’ लिखा है और यह प्रकट किया है कि वह भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर करनेवाला है और इसी उद्देश्यसे प्रभावित किया गया है। भट्टा-कलंकका यह सब लेख समन्तभद्रके उस वचनतीर्थको लक्ष्य करके ही लिखा गया है जिसका भाष्य लिखनेके लिये आप उस वक्त दत्तावधान थे और जिसके प्रभावसे ‘पात्रकेसरी’ ❀ जैसे प्रखर तार्किक विद्वान् भी जैनधर्मको धारण करनेमें समर्थ हो सके हैं।

भट्टाकलंकके इस सब कथनसे समन्तभद्रके वचनोंका अद्वितीय माहात्म्य प्रकट होता है। वे प्रौढत्व, उदारता और अर्थगौरवको लिये हुए होनेके अति-रिक्त कुछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे। इसीसे बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने आपके वचनोंकी महिमाका खुला गान किया है। नीचे उसीके कुछ नमूने और दिये जाते हैं, जिनसे पाठकोंको समन्तभद्रके वचनमाहात्म्यको समझने और उनके गुणोंका विशेष अनुभव प्राप्त करनेमें और भी ज्यादा सहायता मिल सकेगी। साथ ही, यह भी मालूम हो सकेगा कि समन्तभद्रकी वचनप्रवृत्ति, परि-णति और स्याद्वादविद्याको पुनरुज्जीवित करने आदिके विषयमें ऊपर जो कुछ कहा गया है अथवा अनुमान किया गया है वह सब प्रायः ठीक ही है—

नित्याद्येकान्तगर्तप्रपतनविवशान्प्राणिनोऽनर्थसार्थाद्-

उद्धर्तुं नेतुमुच्चैः पदममलमलं मंगलानामलंघ्यं।

स्याद्वादन्यायवर्त्म प्रथयदवितथार्थं वचः स्वामिनोदः

प्रेक्षावत्वात्प्रवृत्तं जयतु विघटिताऽशेषमिथ्याप्रवादं ॥—अष्टसहस्री

इस पद्यमें, विक्रमकी प्रायः ६ वीं शताब्दीके दिग्गज तार्किक विद्वान्

❀ आप पहले अजैन थे, ‘देवागम’ को सुनकर आपकी श्रद्धा बदल गई और आपने जैनदीक्षा धारण की।

श्रीविद्यानन्द आचार्य, स्वामी समंतभद्रके वचनसमूहका जयधोष करते हुए लिखते हैं कि स्वामीजीके वचन नित्यादिॐ एकान्त गतों में पड़े हुए प्राणियोंको अनर्थसमूहसे निकालकर उस उच्च पदको प्राप्त करानेके लिये समर्थ हैं जो उत्कृष्ट मंगलात्मक तथा निर्दोष है, स्याद्वादन्यायके मार्गको ग्रथित करनेवाले हैं, सत्यार्थ हैं, परीक्षापूर्वक प्रवृत्त हुए हैं अथवा प्रेक्षावान् ‡—समीक्ष्यकारी—आचार्यमहोदयके द्वारा उनकी प्रवृत्ति हुई है, और उन्होंने संपूर्ण मिथ्या-प्रवाद-को विघटित—तितर वितर—कर दिया है ।

प्रज्ञाधीशप्रपूज्योज्ज्वलगुणनिकरोद्भूतसत्कीर्तिसम्प-

द्विद्यानन्दोदयायानवरतमखिलक्लेशनिर्णाशनाय ।

स्ताद्गौः सामन्तभद्री दिनकररुचिजित्सप्रभंगीविधीद्धा

भावाद्येकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी वोऽकलंकप्रकाशा ॥

—अष्टसहस्री ।

इस पद्यमें वे ही विद्यानन्द आचार्य यह सूचित करते हैं कि समन्तभद्रकी वारणी उन उज्ज्वल गुणोंके समूहसे उत्पन्न हुई सत्कीर्तिरूपी सम्पत्तिसे युक्त है

* वस्तु सर्वथा नित्य ही है—कूटस्थवत् एकरूपतासे रहती है—इस प्रकारकी मान्यताको 'नित्यैकान्त' कहते हैं और उसे सर्वथा क्षणिक मानना—क्षणक्षणमें उसका निरन्वयविनाश स्वीकार करना—'क्षणिकैकान्त' वाद कहलाता है । 'देवागम' में इन दोनों एकान्तवादोंकी स्थिति और उससे होनेवाले अनर्थोंको बहुत कुछ स्पष्ट करके बतलाया गया है ।

‡ यह स्वामी समन्तभद्रका विशेषण है । युक्त्यनुशासन—टीकाके निम्न पद्यमें भी श्रीविद्यानन्दाचार्यने आपको 'परीक्षेक्षण' (परीक्षादृष्टि) विशेषणके साथ स्मरण किया है और इस तरह पर आपकी परीक्षाप्रधानताको सूचित किया है—

श्रीमद्वीरजिनेश्वरामलगुणस्तोत्रं परीक्षेक्षणैः

साक्षात्स्वामिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्त्वं समीक्ष्यखिलं ।

प्रोक्तं युक्त्यनुशासनं विजयिभिः स्याद्वादमार्गानुगै—

विद्यानन्दबुधैरलंकृतमिदं श्रीसत्यवाक्याधिपैः ॥

जो बड़े बड़े बुद्धिमानों द्वारा प्रपूज्य ❀ है, वह अपने तेजसे सूर्यकी किरणकी जीतनेवाली सप्तभंगी विधिके द्वारा प्रदीप्त है, निर्मल प्रकाशको लिये हुए है और भाव-अभाव आदिके एकान्त पक्षरूपी हृदयांधकारको दूर करनेवाली है। साथ ही, अपने पाठकोंको यह आशीर्वाद देते हैं कि वह वाणी तुम्हारी विद्या (केवलज्ञान) और आनन्द (अनंतसुख) के उदयके लिये निरंतर कारणीभूत होवे और उसके प्रसादसे तुम्हारे संपूर्ण क्लेश नाशको प्राप्त हो जायँ । यहां 'विद्यानन्दोदयाय' पदसे एक दूसरा अर्थ भी निकलता है और उससे यह सूचित होता है कि समंतभद्रकी वाणी विद्यानंदाचार्यके उदयका कारण हुई है और इसलिये उसके द्वारा उन्होंने अपने और उदयकी भी भावना की है।

अद्वैताद्याग्रहोग्रहगहनविपन्निग्रहेऽलंघ्यवीर्याः

स्यात्कारामोघमंत्रप्रणयनविधयः शुद्धसद्ब्रह्मचानधीराः ।

धन्यानामादधाना धृतिमधिवसतां मंडलं जैनमग्र्यं

वाचः सामन्तभद्रयो विदधतु विविधां सिद्धिमुद्भूतमुद्राः ॥

अपेक्षैकान्तादिप्रबलगरलोद्रेकदलिनी

प्रवृद्धानेकान्तामृतरसनिषेकानवरतम् ।

प्रवृत्ता वागेषा सकलविकलादेशवशतः

समन्ताद्भद्रं वो दिशतु मुनिपस्यामलमतेः ॥

अष्टसहस्रीके इन पद्योंमें भी श्रीविद्यानन्द-जैसे महान् आचार्योंने, जिन्होंने अष्टमहस्रीके अतिरिक्त आसपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, विद्यानन्दमहोदय और श्लोकवार्तिक आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथोंकी रचना की है, निर्मलमति श्रीसमंतभद्र-मुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकारसे गुणगात्र किया है और उसे अलंघ्यवीर्य, स्यात्काररूप अमोघमंत्रका प्रणयन करनेवाली, शुद्ध-सद्ब्रह्मचानधीराः, उद्भूतमुद्राः, (ऊँचे आनन्दको देनेवाली), एकान्तरूपी

❀ अथवा समन्तभद्रकी भारती बड़े बड़े बुद्धिमानोंके द्वारा प्रपूजित है और उज्ज्वल गुणोंके समूहसे उत्पन्न हुई सत्कीर्तिरूपी सम्पत्तिसे युक्त है।

† 'ध्यानं परीक्षा तेन धीराः स्थिराः' इति टिप्पणकारः ।

‡ 'उद्भूतां मुदं शान्तिं ददातीति (उद्भूतमुद्राः) इति टिप्पणकारः ।

प्रबल गरल (विष) के उद्रेकको दलनेवाली और निरन्तर अनेकान्तरूप अमृत रसके सिंचनसे प्रवृद्ध तथा प्रमाण नयोंके अधीन प्रवृत्त हुई लिखा है । साथ ही, वह वाणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे और सब ओरसे मंगल तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली होवे, इस प्रकारके आशीर्वाद भी दिये हैं ।

कार्यादेर्भेद एव स्फुटमिह-नियतः सर्वथा-कारणादे-
रित्याद्येकान्तवादाद्धततरमतयः शांततामाश्रयन्ति ।

प्रायो यस्योपदेशाद्विघटितनयान्माननूयादलंघ्यात्
स्वामी जीयात्स शश्वत्प्रथिततरयतीशोऽकलंकोरुकीर्तिः ॥

अष्टसहस्रीके इस पद्यमें लिखा है कि 'वे स्वामी (समन्तभद्र) सदा जयवंत रहें जो बहुत प्रसिद्ध मुनिराज हैं, जिनकी कीर्ति निर्दोष तथा विशाल है और जिनके नयप्रमाणमूलक अलंघ्य उपदेशसे वे महाउद्धतमति एकान्तवादी भी प्रायः शान्तताको प्राप्त हो जाते हैं जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा भेद ही नियत मानते हैं अथवा यह स्वीकार करते हैं कि वे कारण कार्यादिक सर्वथा अभिन्न ही हैं—एक ही हैं ।

येनाशेषकुनीतिवृत्तिसरितः प्रेक्षावतां शोषिताः

यद्वाचोऽप्यकलंकनीतिरुचिरास्तत्त्वार्थसार्थद्युतः ।

स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिभृद्भूयाद्विभुर्भानुमान्

विद्यानंदघनप्रदोऽनघधियां स्याद्वादमार्गप्रणीः ॥

अष्टसहस्रीके इस अन्तिम† मंगलपद्यमें श्रीविद्यानन्द आचार्यने, संक्षेपमें, समन्तभद्र-विषयक अपने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे बड़े ही महत्वके हैं । आप

† अष्टसहस्रीके प्रारम्भमें जो मंगल पद्य दिया है उसमें समन्तभद्रको 'श्री वर्द्धमान', 'उद्भूतबोधमहिमान्' और 'अनिन्द्यवाक्' विशेषणोंके साथ अभिवन्दन किया है । यथा—

श्रीवर्द्धमाममभिवंद्यसमन्तभद्रमुद्भूतबोधवहिमानमनिन्द्यवाचम् ।

शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचरासमीमांसितं कृतिरलंकियते मयाऽस्य ॥

लिखते हैं कि 'जिन्होंने परीक्षावानोंके लिये संपूर्ण कुनीति-वृत्तिरूपी नदियोंको सुखा दिया है और जिनके वचन निर्दोषनीति (स्याद्वादन्याय) को लिये हुए होनेकी वजहसे मनोहर हैं तथा तत्त्वार्थसमूहके द्योतक हैं वे यतियोंके नायक, स्याद्वादमार्गके अग्रणी, विभु और भानुमान् (तेजस्वी) श्रीसमन्तभद्रस्वामी कलुषाशयरहित प्राणियोंको विद्या और आनन्दधनके प्रदान करनेवाले होंवें।' इससे स्वामी समन्तभद्र और उनके वचनोंका बहुत ही अच्छा महत्त्व स्थापित होता है।

गुणान्विता निर्मलवृत्तमौक्तिका नरोत्तमैः कण्ठविभूषणीकृता ।

न हारयष्टिः परमेव दुर्लभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ ६ ॥

—चन्द्रप्रभचरित ।

इस पद्यमें महाकवि श्रीवीरनन्दी आचार्य, समन्तभद्रकी भारती (वाणी)-को उस हारयष्टि (मोतियोंकी माला) के समकक्ष रखते हुए जो गुणों (सूतके धागों) से गूँथी हुई है, निर्मल गोल मोतियोंसे युक्त हैं और उत्तम पुरुषोंके कंठका विभूषण बनी हुई हैं, यह सूचित करते हैं कि समन्तभद्रकी वाणी अनेक सद्गुणोंको लिये हुए है, निर्मल वृत्त^१ रूपी मुक्ताफलोंसे युक्त हैं और बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने उसे अपने कंठका आभूषण बनाया है। साथ ही, यह भी बतलाते हैं कि उस हारयष्टिको प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन कि समन्तभद्रकी भारतीको पा लेना—उसे समझकर हृदयंगम कर लेना—और इससे स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि समन्तभद्रके वचनोंका लाभ बड़े ही भाग्य है। तथा परिश्रमसे होता है।

श्रीनरेन्द्रसेनाचार्य भी, अपने 'सिद्धान्तसारसंग्रह' में, ऐसा ही भाव प्रकट करते हैं। आप समन्तभद्रके वचनको 'अनघ' (निष्पाप) सूचित करते हुए उसे मनुष्यत्वकी प्राप्तिकी तरह दुर्लभ बतलाते हैं। यथा—

श्रीमत्समन्तभद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघं ।

प्राणिनां दुर्लभं यद्वन्मानुषत्वं तथा पुनः ॥ ११ ॥

शक संवत् ७०५ में 'हरिवंशपुराण' को बनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनेसेनाचार्यने समन्तभद्रके वचनोंको किस कोटिमें रक्खा है और उन्हें किस महा-

पुरुषके वचनोंकी उपमा दी है, यह सब उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

जीवासिद्धि-विधायीह कृत-युक्त्यनुशासनं ।

वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥ ३० ॥

इस पद्यमें जीवसिद्धिका विधान करनेवाले और युक्तियोंद्वारा अथवा युक्तियोंका अनुशासन करनेवाले समन्तभद्रके वचनोंकी बाबत यह कहा गया है कि वे वीर भगवानके वचनोंकी तरह प्रकाशमान हैं, अर्थात् अन्तिम तीर्थंकर श्रीमहावीर भगवानके वचनोंके समकक्ष हैं और प्रभावादिकमें भी उन्हींके तुल्य हैं । जिनसेनाचार्यका यह कथन समन्तभद्रके 'जीवसिद्धि' और 'युक्त्यनुशासन' नामक दो ग्रन्थोंके उल्लेखको लिये हुए है, और इससे उन ग्रन्थों (प्रवचनों) का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है ।

प्रमाण-नय-निर्णीत-वस्तुतत्त्वमबाधितं ।

जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्रं युक्त्यनुशासनं ॥

—युक्त्यनुशासनटीका ।

इस पद्यमें श्रीविद्यानंदचार्य, समन्तभद्रके 'युक्त्यनुशासन' स्तोत्रका जय-घोष करते हुए, उसे 'अबाधित' विशेषण देते हैं और साथ ही यह सूचित करते हैं कि उसमें प्रमाण-नयके द्वारा वस्तुतत्त्वका निर्णय किया गया है ।

* स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदर्श्यते ।

त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्षय्यसुखावहः ।

अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरंडकः ॥

—पार्श्वनाथचरित ।

* माणिकचंद्रग्रन्थमालामें प्रकाशित 'पार्श्वनाथचरित' में इन दोनों पद्योंके मध्यमें नीचे लिखा एक पद्य और भी दिया है, जिसके द्वारा वादिराजने समन्तभद्रको अपना हित चाहनेवालोंके द्वारा वंदनीय और अचिन्त्य-महिमावाला देव प्रतिपादन किया है । साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं, उनके किसी व्याकरण ग्रन्थका उल्लेख किया है—

अचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवंद्यो हितैषिणा ।

शब्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिलभिताः ॥

इन पद्योंमें, 'पाश्वर्नाथचरितको शक सं० ६४७ में बनाकर समाप्त करने-वाले श्रीवादिराजसूरि, समन्तभद्रके 'देवागम' और 'रत्नकरंडक' नामके दो प्रवचनों (ग्रन्थों) का उल्लेख करते हुए, लिखते हैं कि 'उन स्वामी (समन्तभद्र) का चरित्र किसके लिये विस्मयावह (आश्चर्यजनक) नहीं है जिन्होंने 'देवागम' के द्वारा आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है। निश्चयसे वे ही योगीन्द्र (समन्तभद्र) त्यागी (दाता) हुए हैं जिन्होंने भव्यसमूहरूपी याचकको अक्षय सुखका कारण रत्नोंका पिटारा (रत्नकरंडक) दान दिया है'।

समन्तभद्रो भद्रार्थो भातु भारतभूषणः ।

देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥

—पाण्डवपुराण

इस पद्यमें श्रीशुभचंद्राचार्य लिखते हैं कि "जिन्होंने 'देवागम' नामक अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको—जिनेन्द्रदेवके आगमको—इस लोकमें व्यक्त कर दिया है वे 'भारतभूषण' और 'एक मात्र भद्रप्रयोजनके धारक' श्रीसमन्तभद्र लोकमें प्रकाशमान होवें, अर्थात् अपनी विद्या और गुणोंके द्वारा लोगोंके हृदयान्धकारको दूर करनेमें समर्थ होवें।"

समन्तभद्रकी भारतीका एक स्तोत्र, हालमें, मुझे दक्षिण देशसे प्राप्त हुआ है। यह स्तोत्र कवि नागराज† का बनाया हुआ और अभीतक प्रायः अप्रकाशित ही जान पड़ता है। यहाँ पर उसे भी अपने पाठकोंकी अनुभववृद्धिके लिये दे देना उचित समझता हूँ। वह स्तोत्र इस प्रकार है—

सास्मरीमि तोष्ट्रवीमि ननमीमि भारती,

तंतनीमि पापठीमि बंभणीमि तेऽमलां ।

❀ इसकी प्राप्तिके लिये मैं उन पं० शांतिराजजीका आभारी हूँ जो कुछ अर्से तक 'जैनसिद्धान्तभवन आरा' के अध्यक्ष रह चुके हैं।

† 'नागराज' नामके एक कवि शक संवत् १२५३ में हो गये हैं, ऐसा 'कर्णाटककविचरित' से मालूम होता है। बहुत संभव है कि यह स्तोत्र उन्हींका बनाया हुआ हो; वे 'उभयकविताविलास' उपाधिसे भी युक्त थे। उन्होंने उक्त सं० में अपना 'पुण्यास्त्रवचस्पू' बना कर समाप्त किया है।

देवराजनागराजमर्त्यराजपूजितां
 श्रीसमन्तभद्रवादभासुरात्मगोचरां ॥ १ ॥
 मातृ-मान-मेयसिद्धिवस्तुगोचरां स्तुवे,
 सप्तभंगसप्तनीतिगम्यतत्त्वगोचरां ।
 मोक्षमार्ग-तद्विपक्षभूरिधर्मगोचरा-
 माप्ततत्त्वगोचरां समन्तभद्रभारतीं ॥ २ ॥
 सूरिसूक्तिवंदितामुपेयतत्त्वभाषिणीं,
 चारुकीर्तिभासुरामुपायतत्त्वसाधनीं ।
 पूर्वपक्षखंडनप्रचण्डवाग्विलासिनीं
 संस्तुवे जगद्धितां समन्तभद्रभारतीं ॥ ३ ॥
 पात्रकेसरिप्रभावसिद्धकारिणीं स्तुवे,
 भाष्यकारपोषितामलंकृतां मुनीश्वरैः ।
 गृध्रपिच्छभाषितप्रकृष्टमंगलार्थिकां
 सिद्धि-सौख्यसाधनीं समन्तभद्रभारतीं ॥ ४ ॥
 इन्द्रभूतिभाषितप्रमेयजालगोचरां,
 वर्द्धमानदेवबोद्धबुद्धचिद्विलासिनीं,
 यौगसौगतादिगर्वपर्वताशनिं स्तुवे
 क्षीरवार्धिसन्निभां समन्तभद्रभारतीं ॥ ५ ॥
 मान-नीति-वाक्यसिद्धवस्तुधर्मगोचरां
 मानितप्रभावसिद्धसिद्धिसिद्धसाधनीं ।
 घोरभूरिदुःखवार्धितारणक्षमामिमां
 चारुचेतसा स्तुवे समन्तभद्रभारतीम् ॥ ६ ॥
 सान्तसाधनाद्यनन्तमध्ययुक्तमध्यमां
 शून्यभावसर्ववेदि-तत्त्वसिद्धिसाधनीं ।
 हेत्वहेतुवादसिद्धवाक्यजालभासुरां
 मोक्षसिद्धये स्तुवे समन्तभद्रभारतीम् ॥ ७ ॥
 व्यापकद्वयाप्तमार्गतत्त्वयुग्मगोचरां
 पापहारि-वाग्विलासिभूषणांशुकां स्तुवे ।

श्रीकरीं च धीकरीं च सर्वसौख्यदायिनीं नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीम् ॥ ८ ॥

इस 'समन्तभद्रभारतीस्तोत्र' में, स्तुतिके साथ, समन्तभद्रके वादों, भाषणों और ग्रंथोंके विषयका यत्किंचित् दिग्दर्शन कराया गया है। साथ ही, यह सूचित किया गया है कि समन्तभद्रकी भारती आचार्योंकी सूक्तियोंद्वारा वंदित, मनोहर कीर्तिसे देदीप्यमान और क्षीरोदधिके समान उज्ज्वल तथा गम्भीर है; पापोंको हरना, मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रको दूर करना ही उस वाग्देवीका एक आभूषण और वाग्विलास ही उसका एक वस्त्र है; वह घोर दुःखसागरसे पार करनेके लिये समर्थ है, सर्व सुखोंको देनेवाली है और जगतके लिये हितरूप है ॐ ।

यह मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ कि समन्तभद्रकी जो कुछ वचनप्रवृत्ति होती थी वह सब प्रायः दूसरोंके हितके लिये ही होती थी; यहाँ भी इस स्तोत्रसे वही बात पाई जाती है, और ऊपर दिये हुए दूसरे कितने ही आचार्योंके वाक्योंसे भी उसका पोषण तथा स्पष्टीकरण होता है। अस्तु, इस विषयका यदि और भी अच्छा अनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिये स्वयं समन्तभद्रके ग्रंथोंको देखना चाहिये। उनके विचारपूर्वक अध्ययनसे वह अनुभव स्वतः हो जायगा। समन्तभद्रके ग्रंथोंका उद्देश्य ही पापोंको दूर करके—कुदृष्टि, कुबुद्धि, कुनीति और कुवृत्तिको हटाकर—जगतका हित साधन करना है। समन्तभद्रने अपने इस उद्देश्यको कितने ही ग्रंथोंमें व्यक्त भी किया है, जिसके दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छतां ।

सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्तये ॥ ११४ ॥

यह 'आप्तमीमांसा' ग्रन्थका पद्य है। इसमें, ग्रंथनिर्माणका उद्देश्य प्रकट करते हुए, बतलाया गया है कि यह 'आप्तमीमांसा' उन लोगोंको सम्यक् और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिये निर्दिष्ट की गई है जो अपना

ॐ इस स्तोत्रके पूरे हिन्दी अनुवादके लिये देखो, 'सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ' जो वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित हुआ है।

हित चाहते हैं। ग्रन्थकी कुछ प्रतियोंमें 'हितमिच्छतां' की जगह 'हितमिच्छता' पाठ भी पाया जाता है। यदि यह पाठ ठीक हो तो वह ग्रन्थरचयिता समन्तभद्र-का विशेषण है और उससे यह अर्थ निकलता है कि यह आप्तमीमांसा हित चाहनेवाले समन्तभद्रके द्वारा निर्मित हुई है; बाकी निर्माणका उद्देश्य ज्योंका त्यों कायम ही रहता है—दोनों ही हालतोंमें यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ दूसरोंका हित सम्पादन करने—उन्हें हेयादेयका विशेष बोध करानेके लिये ही लिखा गया है।

न रागान्नः स्तोत्रं भवति भवपाशच्छिदि मुनौ

न चान्येषु द्वेषादपगुणकथाभ्यासखलता ।

किमु न्यायान्यायप्रकृतगुणदोषज्ञमनसां ।

हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासंगगदितः ॥

यह 'युक्त्यनुशासन' नामक स्तोत्रका, अन्तिम पद्यसे पहला, पद्य है। इसमें आचार्यमहोदयने बड़े ही महत्वका भाव प्रदर्शित किया है। आप श्रीवर्द्धमान (महावीर) भगवान्को सम्बोधन करके उनके प्रति अपनी इस स्तोत्र-रचनाका जो भाव प्रकट करते हैं उसका स्पष्टाशय § इस प्रकार है—

(हे वीर भगवन् !) हमारा यह स्तोत्र आप जैसे भवपाशछेदक मुनिके प्रति रागभावसे नहीं है, न हो सकता है; क्योंकि इधर तो हम परीक्षाप्रधानी हैं और उधर आपने भवपाशको छेद दिया है—संसारसे अपना सम्बन्ध ही अलग कर लिया है—ऐसी हालतमें आपके व्यक्तित्वके प्रति हमारा रागभाव इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरोंके प्रति द्वेषभावसे भी इस स्तोत्रका कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि एकान्तवादियोंके साथ-उनके व्यक्तित्वके प्रति—हमारा कोई द्वेष नहीं है। हम तो दुर्गुणोंकी कथाके अभ्यासको भी खलता समझते हैं और उस प्रकारका अभ्यास न होनेसे वह 'खलता' हममें नहीं है, और इस लिये दूसरोंके प्रति कोई द्वेषभाव भी इस स्तोत्रकी उत्पत्तिका कारण नहीं हो सकता। तब फिर इसका हेतु अथवा उद्देश ? उद्देश यही है कि जो

§ इस स्पष्टाशयके लिखनेमें श्रीविद्यानंदाचार्यकी टीकासे कितनी ही सहायता ली गई है।

लोग न्याय-अन्यायको पहचानना चाहते हैं और प्रकृत पदार्थके गुण-दोषोंको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह स्तोत्र 'द्वितान्वेषणके उपायस्वरूप' आपकी गुणकथाके साथ, कहा गया है। इसके सिवाय, जिस भवपाशको आपने छेद दिया है उसे छेदना—अपने और दूसरोंके संसारबन्धनोंको तोड़ना—हमें भी इष्ट है और इस लिये वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक हेतु है।'

इससे स्पष्ट है कि समन्तभद्रके ग्रंथोंका प्रणयन—उनके वचनोंका अवतार—किसी तुच्छ रागद्वेषके वशवर्ती होकर नहीं हुआ है। वह आचार्यमहोदयकी उदारता तथा प्रेक्षापूर्वकारिताको लिये हुए है और उसमें उनकी श्रद्धा तथा गुणज्ञता दोनों ही बातें पाई जाती हैं। साथ ही, यह भी प्रकट है कि समन्तभद्रके ग्रंथोंका उद्देश्य महान् है, लोकहितको लिये हुए है, और उनका प्रायः कोई भी विशेष कथन गुणदोषोंकी अच्छी जाँचके बिना निर्दिष्ट हुआ नहीं जान पड़ता।

यहां तकके इस सब कथनसे ऐसा मालूम होता है कि समन्तभद्र अपने इन सब गुणोंके कारण ही लोकमें अत्यंत महनीय तथा पूजनीय थे और उन्होंने देश-देशान्तरोंमें अपनी अनन्यसाधारण कीर्तिको प्रतिष्ठित किया था। निःसन्देह, वे सद्बोधरूप थे, श्रेष्ठगुणोंके आवास थे, निर्दोष थे और उनकी यशःकान्तिसे तीनों लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और मध्य ये तीनों विभाग कान्तिमान थे—उनका यशस्तेज सर्वत्र फैला हुआ था, जैसा कि श्रीवसुनन्दी आचार्यके निम्न वाक्यसे पाया जाता है—

समन्तभद्रं सद्बोधं स्तुचे वरगुणालयं ।

निर्मलं यद्यशष्कान्तं बभूव भुवनत्रयं ॥२॥

—जिनशतकटीका ।

अपने इन सब पूज्य गुणोंकी वजहसे ही समन्तभद्र लोकमें 'स्वामी' पदसे खास तौर पर विभूषित थे। लोग उन्हें 'स्वामी' 'स्वामीजी' कहकर ही पुकारते थे, और बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंने भी उन्हें प्रायः इसी विशेषणके साथ स्मरण किया है। यद्यपि और भी कितने ही आचार्य 'स्वामी' कहलाते थे परन्तु उनके साथ यह विशेषण उतना रूढ़ नहीं है जितना कि समन्तभद्रके साथ रूढ़ जान पड़ता है—समन्तभद्रके नामका तो यह प्रायः एक अंग ही बन गया है। इसीसे कितने ही महान् आचार्यों तथा विद्वानोंने अनेक स्थानों पर नाम न देकर,

केवल 'स्वामी' पदके प्रयोग-द्वारा ही आपका नामोल्लेख किया है ॥ और इससे यह बात सहजहीमें समझमें आ सकती है कि आचार्य महोदयकी 'स्वामी' रूपसे कितनी अधिक प्रसिद्धि थी। निःसंदेह यह पद आपकी महती प्रतिष्ठा और असाधारण महत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, ऋषिमुनियोंके स्वामी थे, सद्गुणियोंके स्वामी थे, सत्कृतियोंके स्वामी थे और लोकहितैषियोंके स्वामी थे।

भावी तीर्थंकरत्व

समन्तभद्रके लोकहितकी मात्रा इतनी बड़ी हुई थी कि उन्हें दिन रात उसीके संपादनकी एक धुन रहती थी; उनका मन, उनका वचन और उनका शरीर सब उसी ओर लगा हुआ था; वे विश्वभरको अपना कुटुम्ब समझते थे—उनके हृदयमें 'विश्वप्रेम' जागृत था—और एक कुटुम्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वभरका उद्धार करनेमें सदा सावधान रहते थे। वस्तुतत्त्वकी सम्यक् अनुभूतिके साथ, अपनी इस योगपरिणतिके द्वारा ही उन्होंने उस महत्, निःसीम तथा सर्वातिशायि पुण्यको संचित किया मालूम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्षमें 'तीर्थंकर' होनेवाले हैं—धर्मतीर्थको चलानेके लिये अवतार लेनेवाले हैं। आपके 'भावी तीर्थंकर' होनेका उल्लेख कितने ही ग्रंथोंमें पाया जाता है, जिनके कुछ अवतरण नीचे दिये जाते हैं—

॥ देखो—वादिराजसूरिकृत पार्श्वनाथचरितका 'स्वामिनश्चरितं' नामका पद्य जो ऊपर उद्धृत किया गया है, पं० आशाधरकृत सागारधर्मामृत और अनंगारधर्मामृतकी टीकाओंके 'स्वाम्युक्ताष्टमूलगुणपक्षे, इति स्वामिमतेन दर्शनिको भवेत्, स्वामिमतेन त्वमे (अतिचाराः), अत्राह स्वामी यथा, तथा च स्वामिसूक्तानि' इत्यादि पद; न्यायदीपिकाका 'तदुक्तं स्वामिभिरेव' इस वाक्यके साथ 'देवागम' की दो कारिकाओंका अवतरण, और श्रीविद्यानंदाचार्यकृत अष्टसहस्री आदि ग्रन्थोंके कितने ही पद्य तथा वाक्य जिनमेंसे 'नित्याद्योक्तान्त' आदि कुछ पद्य ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं।

† "सर्वातिशायि तत्पुण्यं त्रैलोक्याधिपतित्वकृत् ।" —श्लोकवार्तिक

श्रीमूलसंघव्योमेन्दुभारते भावितीर्थकृद्-
देशे समन्तभद्रारुयो मुनिर्जीयात्पदद्विकः ॥ —विक्रान्तकौरव प्र०

श्रीमूलसंघव्योमेन्दुभारते भावितीर्थकृद्-
देशे समन्तभद्रार्यो जीयात्प्राप्तपदद्विकः ॥

—जिनेंद्रकल्याणाम्युदय

उक्तं च समन्तभद्रेणोत्सर्पिणीकाले आगामिनिभविष्यत्तीर्थकर-परम-
देवेन—‘काले कल्पशतेऽपि च’ (इत्यादि ‘रत्नकरंड’ का पूरा पद्य दिया है।)

—श्रुतसागरकृत-षट्प्राभृतटीका

कृत्वा श्रीमज्जिनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां ।

स्वमोक्षदायिनीं धीरो भावितीर्थकरो गुणी ।

—नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोश ।

आ भावि तीर्थकरन् अप्प समन्तभद्रस्वामिगलु (राजावलिकथे)

* अट्ट हरी एव पडिहरि चक्किचउक्कं च एय बलभदो ।

सेणिय समन्तभदो तित्थयरा हुंति णियमेण † ॥

श्रीवर्द्धमान महावीरस्वामीके निर्वाणके बाद सैकड़ों ही अच्छे अच्छे महा-
त्मा आचार्य तथा मुनिराज यहाँ हो गये हैं परंतु उनमेंसे दूसरे किसी भी आचार्य
तथा मुनिराजके विषयमें यह उल्लेख नहीं मिलता कि वे आगेको इस देशमें

* इस गाथामें लिखा है कि—आठ नारायण, नौ प्रतिनारायण, चार
चक्रवर्ती, एक बलभद्र, श्रेणिक और समन्तभद्र ये (२४ पुरुष आगेको) नियमसे
तीर्थकर होंगे ।

† यह गाथा कौनसे मूलग्रन्थकी है, इसका अभी तक मुझे कोई ठीक पता
नहीं चला । पं० जिनदास पार्श्वनाथजी फडकुलेने इसे स्वयंभूस्तोत्रके उस
संस्करणमें उद्धृत किया है जिसे उन्होंने संस्कृतटीका तथा मराठीअनुवादसहित
प्रकाशित कराया है । मेरे दर्यापत् करने पर पंडितजीने सूचित किया है कि यह
गाथा ‘चर्चासमाधान’ नामक ग्रंथमें पाई जाती है । ग्रन्थके इस नाम परसे ऐसा
मालूम होता है कि वहाँ भी यह गाथा उद्धृत ही होगी और किसी दूसरे ही
पुरातन ग्रंथकी जान पड़ती है ।

‘तीर्थकर’ होंगे। भारतमें ‘भावी तीर्थकर’ होने का यह सौभाग्य, शलाका पुरुषों तथा श्रेणिक राजाके साथ, एक समंतभद्रको ही प्राप्त है और इससे समंतभद्रके इतिहासका—उनके चरित्रका—गौरव और भी बढ़ जाता है। साथ ही, यह भी मालूम हो जाता है कि आप १ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलव्रते-ष्वनतिचार, ४ अभीक्षणज्ञानोपयोग, ५ संवेग, ६ शक्तितस्त्याग, ७ शक्तितस्तप, ८ साधुसमाधि, ९ वैयावृत्यकरण, १० अर्हद्भक्ति, ११ आचार्यभक्ति, १२ बहु-श्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकपरिहाणि, १५ मार्गप्रभावना और १६ प्रवचनवत्सलत्व, इन सोलह गुणोंसे प्रायः युक्त थे—इनकी उच्च गहरी भावनाओंसे आपका आत्मा भावित था—क्योंकि दर्शनविशुद्धिको लिये हुए, ये ही गुण समस्त अथवा व्यस्तरूपसे आगममें तीर्थकरप्रकृति नामक ‘नामकर्म’-की महापुण्यप्रकृतिके आस्रवके कारण कहे गये हैं *। इन गुणोंका स्वरूप तत्त्वार्थसूत्रकी बहुतसी टीकाओं तथा दूसरे भी कितने ही ग्रन्थोंमें विशदरूपसे दिया हुआ है, इसलिये उनकी यहाँपर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं है। हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि दर्शनविशुद्धिके साथ साथ, समंतभद्रकी ‘अर्हद्भक्ति’ बहुत बड़ी चढ़ी थी, वह बड़े ही उच्चकोटिके विकासको लिये हुए थी। उसमें अंधश्रद्धा अथवा अंधविश्वासको स्थान नहीं था, गुणज्ञता गुणप्रीति और हृदयकी सरलता ही उसका एक आधार था, और इस लिये वह एकदम शुद्ध तथा निर्दोष थी। अपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही समंतभद्र इतने अधिक प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए मालूम होते हैं। उन्होंने स्वयं भी इस बातका अनुभव किया था, और इसीसे वे अपने ‘जिनस्तुतिशतक’ (स्तुतिविद्या) के अन्तमें लिखते हैं—

सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यचनं चापि ते

हस्तावजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्षि संप्रेक्षते ।

* देखो, तत्त्वार्थाधिगम सूत्रके छठे अध्यायका २४वाँ सूत्र, और उसके ‘श्लोकवार्तिक’ भाष्यका निम्न पद्य—

हृग्विशुद्ध्यादयो नाम्नस्तीर्थकृत्वस्य हेतवः ।

समस्ता व्यस्तरूपा वा हृग्विशुद्ध्या समन्विताः ॥

मुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशी येन ते

तेजस्वी मुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते ॥११४॥

अर्थात्—हे भगवन्, आपके मतमें अथवा आपके ही विषयमें मेरी सुश्रद्धा है—ग्रन्थश्रद्धा नहीं—, मेरी स्मृति भी आपको ही अपना विषय बनाये हुए है, मैं पूजन भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ आपको ही प्रणामांजलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान आपकी ही गुणकथाको सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी आँखें आपके ही रूपको देखती हैं, मुझे जो व्यसन † है वह भी आपकी ही सुन्दर स्तुतियोंके रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमें तत्पर रहता है; इस प्रकारकी चूँकि मेरी सेवा है—मैं निरन्तर ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता हूँ—इसी लिये हे तेजःपते ! (केवलज्ञानस्वामिन् !) मैं तेजस्वी हूँ, मुजन हूँ और सुकृती (पुण्यवान्) हूँ ।

समन्तभद्रके इन सच्चे हार्दिक उद्गारोंसे यह स्पष्ट चित्र खिंच जाता है कि वे कैसे और कितने 'अर्हद्भूत' थे और उन्होंने कहाँ तक अपनेको अर्हत्सेवाके लिये अर्पण कर दिया था । अर्हद्गुणोंमें इतनी अधिक प्रीति होनेसे ही वे अर्हन्त होनेके योग्य और अर्हन्तोंमें भी तीर्थकर होनेके योग्य पुण्य संचय कर सके हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है । अर्हद्गुणोंकी प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतियाँ रचनेकी ओर उनकी बड़ी रुचि थी, उन्होंने इसीको अपना व्यसन लिखा है और यह बिल्कुल ठीक है । समन्तभद्रके जितने भी ग्रन्थ पाये जाते हैं उनमेंसे कुछको छोड़कर शेष सब ग्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिये हुए हैं और उनसे समन्तभद्रकी अद्वितीय अर्हद्भूक्ति प्रकट होती है । 'जिनस्तुतिशतक' के सिवाय देवागम, युक्त्यनुशासन और स्वयंभूस्तोत्र, ये आपके खास स्तुतिग्रंथ हैं ।

† समन्तभद्रके इस उल्लेखसे ऐसा पाया जाता है कि यह 'जिनशतक' ग्रन्थ उस समय बना है जब कि समन्तभद्र कितनी ही सुन्दर सुन्दर स्तुतियों—स्तुतिग्रन्थों—का निर्माण कर चुके थे और स्तुतिरचना उनका एक व्यसन बन चुका था । आश्चर्य नहीं जो देवागम, युक्त्यनुशासन और स्वयंभू नामके स्तोत्र इस ग्रन्थसे पहले ही बन चुके हों और ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समन्तभद्र अपने स्तुतिव्यसनको 'मुस्तुतिव्यसन' लिखनेके लिये समर्थ हो सके हों ।

इन ग्रंथोंमें जिस स्तोत्रप्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है और कठिनसे कठिन तात्त्विक विवेचनोंको योग्य स्थान दिया गया है वह समन्तभद्रसे पहलेके ग्रंथोंमें प्रायः नहीं पाई जाती अथवा बहुत ही कम उपलब्ध होती है। समन्तभद्रने, अपने स्तुतिग्रंथोंके द्वारा, स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार तथा संस्कार किया है और इसी लिये वे 'स्तुतिकार' कहलाते थे। उन्हें 'आद्य स्तुतिकार' होनेका भी गौरव प्राप्त था। श्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहेमचंद्रने भी अपने 'सिद्ध हैमशब्दानुशासन' व्याकरणके द्वितीय-सूत्रकी व्याख्यामें "स्तुतिकारोऽप्याह" इस वाक्यके द्वारा आपको 'स्तुतिकार' लिखा है और साथ ही आपके 'स्वयंभूस्तोत्र' का निम्न पद्य उद्धृत किया है—

नयास्तव स्यात्पदलाञ्छनां इमे रसोपविद्धा इव लोहधातवः।

भवन्त्यभिप्रेतफलाः यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता द्वितैषिणः ॥

इसी पद्यका श्वेताम्बराग्रणी श्रीमलयगिरिसूरिने भी, अपनी 'आवश्यकसूत्र' की टीकामें, 'आद्यस्तुतिकारोऽप्याह'* इस परिचय-वाक्यके साथ उद्धृत किया है, और इस तरह पर समन्तभद्रको 'आद्यस्तुतिकार'—सबसे प्रथम अथवा सबसे श्रेष्ठ स्तुतिकार—सूचित किया है। इन उल्लेखवाक्योंसे यह भी पाया जाता है कि समन्तभद्रकी 'स्तुतिकार' रूपसे भी बहुत अधिक प्रसिद्धि थी और इसीलिये 'स्तुतिकार'के साथमें उनका नाम देनेकी शायद कोई जरूरत नहीं समझी गई।

समन्तभद्र इस स्तुतिरचनाके इतने प्रेमी क्यों थे और उन्होंने क्यों इस मार्ग-को अधिक पसंद किया, इसका साधारण कारण यद्यपि, उनका भक्ति-उद्रेक अथवा भक्तिविशेष हो सकता है; परन्तु यहाँ पर मैं उन्हींके शब्दोंमें इस विषय-

†,‡ सनातन जैनग्रंथमालामें प्रकाशित 'स्वयंभूस्तोत्र' में और स्वयंभूस्तोत्रकी प्रभाचंद्राचार्यविरचित-संस्कृतटीकामें 'लाञ्छना इमे' की जगह 'सत्यलाञ्छिताः' और 'फलाः' की जगह 'गुणाः' पाठ पाया जाता है।

* इस पर मुनि जिनविजयजी अपने 'साहित्यसंशोधक' के प्रथम अंकमें लिखते हैं—“इस उल्लेखसे स्पष्ट जाना जाता है कि ये (समन्तभद्र) प्रसिद्ध स्तुतिकार माने जाते थे, इतना ही नहीं परन्तु आद्य—सबसे पहले होनेवाले—स्तुतिकारका मान प्राप्त थे।”

को कुछ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समन्तभद्रका इन स्तुति-स्तोत्रोंके विषयमें क्या भाव था और वे उन्हें किस महत्त्वकी दृष्टिसे देखते थे । आप अपने 'स्वयंभूस्तोत्र' में लिखते हैं—

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा

भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।

किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे

स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम् ॥११६॥

अर्थात्—स्तुतिके समय और स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु साधु स्तोताकी स्तुति कुशलपरिणामकी—पुण्यप्रसाधक परिणामोंकी—कारण जरूर होती है; और वह कुशलपरिणाम अथवा तज्जन्य पुण्यविशेष श्रेय फलका दाता है । जब जगतमें इस तरह स्वाधीनतासे श्रेयोमार्ग सुलभ है—अपनी स्तुतिके द्वारा प्राप्त है—तब, हे सर्वदा अभिपूज्य नमिजिन ! ऐसा कौन परीक्षापूर्वकारी विद्वान् अथवा विवेकी होगा जो आपकी स्तुति न करेगा ? जरूर करेगा ।

इससे स्पष्ट है कि समन्तभद्र इन अर्हत्स्तोत्रोंके द्वारा श्रेयोमार्गको सुलभ और स्वाधीन मानते थे, उन्होंने इन्हें 'जन्मारण्यशिखी'†—जन्ममरणरूपी संसार-वनको भस्म करनेवाली अग्नि—तक लिखा है और ये उनकी उस निःश्रेयस—मुक्तिप्राप्तिविषयक—भावनाके पोषक थे जिसमें वे सदा सावधान रहते थे । इसी लिये उन्होंने इन 'जिन-स्तुतियों' को अपना व्यसन बनाया था—उनका उपयोग प्रायः ऐसे ही शुभ कामोंमें लगा रहता था । यही वजह थी कि संसारमें उनकी उन्नतिका—उनकी महिमाका—कोई बाधक नहीं था, वह नाशरहित थी । 'जिनस्तुतिशतक' के निम्नवाक्यसे भी ऐसा ही ध्वनित होता है—

‘वन्दीभूतवतोऽपिनोन्नतिहतिर्नन्तुश्च येषां मुदा॥

† 'जन्मारण्यशिखी स्तवः' ऐसा 'जिनस्तुतिशतक' में लिखा है ।

‡ "येषां नन्तुः (स्तोतुः) मुदा (हर्षेण) वन्दीभूतवतोऽपि (मंगलपाठकी भूतवतोऽपि नग्नाचार्यरूपेण भवतोपि मम) नोन्नतिहतिः (न उन्नतेः माहात्म्यस्य हतिः हननं)" —इति तट्टीकायां वसुनन्दी ।

॥ यह पूरा पद्य इस प्रकार है—

इसी ग्रन्थमें एक श्लोक निम्न प्रकारसे भी पाया जाता है—

रुचं विभर्ति ना धीरं नाथातिस्पष्टवेदनः ।

वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पर्शवेदिनः ॥ ६० ॥

इसमें, थोड़े ही शब्दों-द्वारा, अर्हद्भक्तिका अच्छा माहात्म्य प्रदर्शित किया है—यह बतलाया है कि 'हे नाथ, जिस प्रकार लोहा स्पर्शमणि (पारस पाषाण) का सेवन (स्पर्शन) करनेसे सोना बन जाता है और उसमें तेज अजाता है उसी प्रकार यह मनुष्य आपकी सेवा करनेसे अति स्पष्ट (विशद) ज्ञानी होता हुआ तेजको धारण करता है और उसका वचन भी सारभूत तथा गम्भीर हो जाता है ।'

मालूम होता है समन्तभद्र अपनी इस प्रकारकी श्रद्धाके कारण ही अर्हद्भक्ति में सदा लीन रहते थे और यह उनकी इस भक्तिका ही परिणाम था जो वे इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजस्वी हो गये हैं और उनके वचन अद्वितीय तथा अपूर्व माहात्म्यको लिये हुए थे ।

समन्तभद्रका भक्तिमार्ग उनके स्तुतिग्रन्थोंके गहरे अध्ययनसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है । वास्तवमें समन्तभद्र ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग तीनोंकी एक मूर्ति बने हुए थे—इनमेंसे किसी एक ही योगके वे एकान्त पक्षपाती नहीं थे—निरी * एकान्तता तो उनके पास भी नहीं फटकती थी । वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी थे और उसे वस्तुतत्त्व नहीं मानते थे । उन्होंने जिन खास कारणोंसे अर्हन्तदेवको अपनी स्तुतिके योग्य समझा और उन्हें अपनी स्तुति

जन्मारण्यशिखी स्तवः स्मृतिरपि क्लेशाम्बुधेनर्तः पदे

भक्तानां परमौ निधी प्रतिकृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा ।

वन्दीभूतवतोपि नोन्नतिहतिर्ननुश्च येषां मुदा

दातारो जयिनो भवन्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा । ११५॥

* जो एकान्तता नयोंके निरपेक्ष व्यवहारको लिये हुए होती है उसे 'निरी' अथवा 'मिथ्या' एकान्तता कहते हैं । समन्तभद्र इस मिथ्यैकान्ततासे रहित थे; इसीसे 'देवागम'में एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने लिखा है—

“न मिथ्यैकान्ततास्ति नः ।”

का विषय बनाया है उनमें, उनके द्वारा, एकान्तदृष्टिके प्रतिषेधकी सिद्धि भी एक कारण है। अर्हन्तदेवने अपने न्यायवाणोंसे एकान्त दृष्टिका निषेध किया है अथवा उसके प्रतिषेधको सिद्ध किया है और मोहरूपी शत्रुको नष्ट करके वे कैवल्य-विभूतिके सम्राट् बने हैं, इसीलिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके कहते हैं कि 'आप मेरी स्तुतिके योग्य हैं—पात्र हैं'। यथा—

एकान्तदृष्टिप्रतिषेधसिद्धि-न्यायेषुभिर्मोर्हरिपुं निरस्य ।

असि स्म कैवल्यविभूतिसम्राट् ततस्त्वमर्हन्नसि वे स्तवार्हः ॥५५॥

—स्वयंभूस्तोत्र

इससे समन्तभद्रकी साफ़ तौरपर परीक्षाप्रधानता पाई जाती है और साथ ही यह मालूम होता है कि (१) एकान्तदृष्टिका प्रतिषेध करना और (२) मोह-शत्रुका नाश करके कैवल्य विभूतिका सम्राट् होना ये दो उनके जीवनके खास उद्देश्य थे। समन्तभद्र अपने इन उद्देश्योंको पूरा करनेमें बहुत कुछ सफल हुए हैं। यद्यपि वे अपने इस जन्ममें कैवल्यविभूतिके सम्राट् नहीं हो सके परन्तु उन्होंने वैसा होनेके लिये प्रायः सम्पूर्ण योग्यताओंका सम्पादन कर लिया है, यह कुछ कम सफलता नहीं है—और इसीलिये वे आगामीको उस विभूतिके सम्राट् होंगे—तीर्थकर होंगे—जैसा कि ऊपर प्रकट किया जा चुका है। केवलज्ञान न होने पर भी, समन्तभद्र उस स्याद्वादविद्याकी अनुपम विभूतिसे विभूषित थे जिसे केवलज्ञानकी तरह सर्वतत्त्वोंकी प्रकाशित करनेवाली लिखा है और जिसमें तथा केवलज्ञानमें साक्षात्-असाक्षात्का ही भेद माना गया है ❀। इसलिये प्रयोजनीय पदार्थोंके सम्बन्धमें आपका ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है, और इसका अनुभव ऊपरके कितने ही अवतरणों तथा समन्तभद्रके ग्रन्थोंसे बहुत कुछ हो जाता है। यही वजह है कि श्रीजिनसेनाचार्य-ने आपके वचनोंको केवली भगवान महावीरके वचनोंके तुल्य प्रकाशमान लिखा है और दूसरे भी कितने ही प्रधान प्रधान आचार्यों तथा विद्वानोंने आपकी

❀ यथा—स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥१०५॥

—आप्तमीमांसा ।

विद्या और वाणीकी प्रशंसामें खुला गान किया है + ।

यहाँ तकके इस संपूर्ण परिचयसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और इसमें जरा भी संदेह नहीं रहता कि समन्तभद्र एक बहुत ही बड़े महात्मा थे, समर्थ विद्वान् थे, प्रभावशाली आचार्य थे, महा मुनिराज थे, स्याद्वादविद्याके नायक थे, एकांत पक्षके निर्मूलक थे, अबाधितशक्ति थे, 'सातिशय योगी' थे, सातिशय वादी थे, सातिशय वाग्मी थे, श्रेष्ठकवि थे, उत्तम गमक थे, सद्गुणोंकी मूर्ति थे, प्रशांत थे, गंभीर थे, भद्रप्रयोजन और सदुद्देश्यके धारक थे, हितमित-भाषी थे, लोकहितैषी थे, विश्वप्रेमी थे, परहितनिरत थे, मुनिजनोंसे वंद्य थे, बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंसे स्तुत्य थे और जैन शासनके अनुपम द्योतक थे, प्रभावक थे और प्रसारक थे ।

ऐसे सातिशय पूज्य महामान्य और सदा स्मरण रखने योग्य भगवान्‌ॐ समंतभद्र स्वामीके विषयमें श्रीशिवकोटि आचार्यने, अपनी 'रत्नमाला' में जो यह भावना की है कि 'वे निष्पाप स्वामी समंतभद्र मेरे हृदयमें रात दिन तिष्ठो जो जिनराजके ऊँचे उठते हुए शासनसमुद्रको बढ़ानेके लिये चंद्रमा हैं' वह बहुत ही युक्तियुक्त है और मुझे बड़ी प्यारी मालूम देती है । निःसन्देह स्वामी समंतभद्र इसी योग्य हैं कि उन्हें निरन्तर अपने हृदयमंदिरमें विराजमान किया जाय, और इस लिये मैं शिवकोटि आचार्यकी इस भावनाका हृदयसे अभिनंदन और अनुमोदन करते हुए, उसे यहाँ पर उद्धृत करता हूँ—

स्वामी समन्तभद्रो मेऽहर्निशं मानसेऽनघः ।

विष्ठताजिनराजोद्यच्छासनाम्बुधिचंद्रमाः ॥ ४ ॥

+ श्वेताम्बर साधु मुनिश्री जिनविजयजी कुछ थोड़ेसे प्रशंसा - वाक्योंके आधार पर ही लिखते हैं—“इतना गौरव शायद ही अन्य किसी आचार्यका किया गया हो ।”—जैनसाहित्यसंशोधक १ ।

ॐ श्रीविद्यानंदाचार्यने भी अष्टसहस्रीमें कई बार इस विशेषणके साथ आपका उल्लेख किया है ।

समन्तभद्रका मुनि-जीवन और आपत्काल

श्रीअलंकदेव, विद्यानंद और जिनसेन-जैसे महान् आचार्यों तथा दूसरे भी अनेक प्रसिद्ध मुनियों और विद्वानोंके द्वारा किये गये जिनके उदार स्मरणों एवं प्रभावशाली स्तवनों-संकीर्तनोंको पाठक इससे पहले आनंदके साथ पढ़ चुके हैं और उन परसे जिन आचार्य महोदयकी असाधारण विद्वत्ता, योग्यता, लोक-सेवा और प्रतिष्ठादिका कितना ही परिचय प्राप्त कर चुके हैं, उन स्वामी समंत-भद्रके बाधारहित और शान्त मुनिजीवनमें एक बार कठिन विपत्तिकी भी एक बड़ी भारी लहर आई है, जिसे आपका 'आपत्काल' कहते हैं। वह विपत्ति क्या थी और समंतभद्रने उसे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृदय-द्रावक विषय है। नीचे उसीका, उनके मुनिजीवनकी भाँकी सहित, कुछ परिचय और विचार पाठकोंके सामने उपस्थित किया जाता है।

मुनि जीवन

समन्तभद्र, अपनी मुनिचर्याके अनुसार, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामके पंचमहाव्रतोंका यथेष्ट रीतिसे पालन करते थे, ईर्या-भाषा-एषणादि पंचसमितियोंके परिपालन-द्वारा उन्हें निरन्तर पुष्ट बनाते थे, पाँचों इंद्रियोंके निग्रहमें सदा तत्पर, मनोगुप्ति आदि तीनों गुप्तियोंके पालनमें धीर और सामायिकादि षडावश्यक क्रियाओंके अनुष्ठानमें सदा सावधान रहते थे। वे पूर्ण अहिंसाव्रतका पालन करते हुए, कषायभावको लेकर किसी भी जीवको अपने मन, वचन या कायसे पीड़ा पहुँचाना नहीं चाहते थे। इस बातका सदा यत्न रखते थे कि किसी प्राणीको उनके प्रमादवश बाधा न पहुँच जाय, इसीलिये वे दिनमें मार्ग शोधकर चलते थे, चलते समय दृष्टिको इधर उधर नहीं भ्रमाते थे, रात्रिको गमनागमन नहीं करते थे, और इतने साधनसंपन्न थे कि सोते समय एकासनसे रहते थे—यह नहीं होता था कि निद्रावस्थामें एक कर्वटसे दूसरी कर्वट बदल जाय और उसके द्वारा किसी जीवजंतुको बाधा पहुँच जाय, वे पीछी पुस्तकादिक किसी भी वस्तुको देख भाल कर उठाते-धरते थे और मलमूत्रादिक भी प्रासुक भूमि तथा बाधारहित एकांत स्थानमें क्षेपण करते थे। इसके सिवाय, उनपर यदि कोई प्रहार करता तो वे उसे नहीं रोकते थे, उसके प्रति दुर्भाव भी

नहीं रखते थे, जंगलमें यदि हिंस्र जंतु भी उन्हें सताते अथवा डंसमशकादिक उनके शरीरका रक्त पीते थे तो वे बलपूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, और न ध्यानावस्थामें अपने शरीरपर होने वाले चींटी आदि जंतुओंके स्वच्छंद विहारको ही रोकते थे। वे इन सब अथवा इसी प्रकारके और भी कितने ही उपसर्गों तथा परीषर्होंको साम्यभावसे सहन करते थे और अपने ही कर्मविपाकका चिन्तन कर सदा धैर्य धारण करते थे—दूसरोंको उसमें जरा भी दोष नहीं देते थे।

समंतभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे, वे सदा यथार्थ भाषण करते थे, इतना ही नहीं बल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला सावद्य वचन भी मुँहसे नहीं निकालते थे, और कितनी ही बारें मौन धारण करना भी श्रेष्ठ समझते थे। स्त्रियोंके प्रति आपका अनादरभाव न होते हुए भी आप कभी उन्हें रागभावसे नहीं देखते थे; बल्कि माता, बहिन और सुताकी तरहसे ही पहचानते थे। साथ ही, मैथुनकर्मसे, घृणात्मक ॐ दृष्टिके साथ, आपकी पूर्ण विरक्ति रहती थी, और आप उसमें द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारकी हिंसाका सद्भाव मानते थे। इसके सिवाय, प्राणियोंकी अहिंसाको आप 'परमब्रह्म' समझते थे ‡ और जिस आश्रमविधिमें अणुमात्र भी आरंभ न होता हो उसी-के द्वारा उस अहिंसाकी पूर्णसिद्धि मानते थे। उसी पूर्ण अहिंसा और उसी परमब्रह्मकी सिद्धिके लिए आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिग्रहोंका

ॐ आपकी इस घृणात्मक दृष्टिका भाव 'ब्रह्मचारी' के निम्न लक्षणसे भी पाया जाता है, जिसे आपने 'रत्नकरंड' में दिया है—

मलवीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिं गंधिं बीभत्सं ।

पश्यन्नंगमनंगाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥१४३॥

‡ अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं,

न सा तत्रारंभोस्त्यगुरपि च यत्राश्रमविधौ ।

ततस्तत्सिद्धचर्यं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं,

भवानेवात्याक्षिन्नं च विकृतवेषोपधिरतः ॥११६॥

—स्वयंभूस्तोत्र ।

त्याग किया था और नैर्ग्रन्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर अपना प्राकृतिक दिग्गम्बर वेष धारण किया था । इसीलिये आप अपने पास कोई कौड़ी पैसा नहीं रखते थे, बल्कि कौड़ी-पैसेसे सम्बन्ध रखना भी अपने मुनिपदके विरुद्ध समझते थे । आपके पास शौचोपकरण (कमंडलु), संयमोपकरण (पीछी) और ज्ञानोपकरण (पुस्तकादिक) के रूपमें जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उससे भी आपका ममत्व नहीं था—भले ही उसे कोई उठा ले जाय, आपको इसकी ज़रा भी चिन्ता नहीं थी । आप सदा भूमिपर शयन करते थे और अपने शरीरको कभी संस्कारित अथवा मंडित नहीं करते थे, यदि पसीना आकर उस पर मैल जम जाता था तो उसे स्वयं अपने हाथसे धोकर दूसरोंको अपना उजलारूप दिखानेकी भी कभी कोई चेष्टा नहीं करते थे । बल्कि उस मलजनित परीषहको साम्य-भावसे जीतकर कर्ममलको धोनेका यत्न करते थे, और इसी प्रकार नग्न रहते तथा दूसरी सरदी गरमी आदिकी परीषहोंको भी खुशीखुशीसे सहन करते थे । इसीसे आपने अपने एक परिचय * में गौरवके साथ अपने आपको 'नग्नाटक' और 'मलमलिनतनु' भी प्रकट किया है ।

समन्तभद्र दिनमें सिर्फ एक बार भोजन करते थे, रात्रिको कभी भोजन नहीं करते थे, और भोजन भी आगमोदित विधिके अनुसार शुद्ध, प्रासुक तथा निर्दोष ही लेते थे । वे अपने उस भोजनके लिये किसीका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे, किसीको किसी रूपमें भी अपना भोजन करने-करानेके लिये प्रेरित नहीं करते थे, और यदि उन्हें यह मालूम हो जाता था कि किसीने उनके उद्देश्यसे कोई भोजन तय्यार किया है अथवा किसी दूसरे अतिथि (मेहमान) के लिये तय्यार किया हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है तो वे उस भोजनको नहीं लेते थे । उन्हें उसके लेनेमें सावद्यकर्मके भागी होनेका दोष मालूम पड़ता था और सावद्यकर्मसे वे सदा अपने आपको मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-अनुमोदन-द्वारा दूर रखना चाहते थे । वे उसी शुद्ध भोजनको अपने लिये कल्पित और शास्त्रानुमोदित समझते थे जिसे दातारने स्वयं अपने अथवा अपने कुटुम्बके लिये

ॐ 'कांच्यां नग्नाटकोहं मलमलिनतनुः' इत्यादि पद्यमें ।

ही तय्यार किया हो, जो देनेके स्थान पर उनके आनेसे पहले ही मौजूद हो और जिसमेंसे दातार कुछ अंश उन्हें भक्तिपूर्वक भेंट करके शेषमें स्वयं संतुष्ट रहना चाहता हो—उसे अपने भोजनके लिये फिर दोबारा आरंभ करनेकी कोई जरूरत न हो। आप आमरी वृत्तिसे, दातारको कुछ भी बाधा न पहुँचाते हुए, भोजन लिया करते थे। भोजनके समय यदि आगमकथित दोषोंमेंसे उन्हें कोई भी दोष मालूम पड़ जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उपस्थित हो जाता था तो वे खुशीसे उसी दम भोजनको छोड़ देते थे और इस अलाभके कारण चित्तपर जरा भी मैल नहीं लाते थे। इसके सिवाय, आपका भोजन परिमित और सकारण होता था। आगममें मुनियोंके लिये ३२ ग्रास तक भोजनकी आज्ञा है परंतु आप उससे अक्सर दो चार दस ग्रास कम ही भोजन लेते थे, और जब यह देखते थे कि बिना भोजन किये भी चल सकता है—नित्यनियमोंके पालन तथा धार्मिक अनुष्ठानोंके सम्पादनमें कोई विशेष बाधा नहीं आती तो कई कई दिनके लिए आहारका त्याग करके उपवास भी धारण कर लेते थे; अपनी शक्तिको जाँचने और उसे बढ़ानेके लिये भी आप अक्सर उपवास किया करते थे, ऊनोदर रखते थे, अनेक रसोंका त्याग कर देते थे और कभी कभी ऐसे कठिन तथा गुप्त नियम भी ले लेते थे जिनकी स्वाभाविक पूर्तिपर ही आपका भोजन अवलम्बित रहता था। वास्तवमें, समंतभद्र भोजनको इस जीवनयात्राका एक साधनमात्र समझते थे। उसे अपने ज्ञान, ध्यान और संयमादिकी सिद्धि, वृद्धि तथा स्थितिको सहायकमात्र मानते थे—और इसी दृष्टिसे उसको ग्रहण करते थे। किसी शारीरिक बलको बढ़ाना, शरीरको पुष्ट बनाना अथवा तेजोवृद्धि करना उन्हें उसके द्वारा इष्ट नहीं था। वे स्वादके लिये भी भोजन नहीं करते थे, यही वजह है कि आप भोजनके ग्रासको प्रायः बिना चबाये ही—बिना उसका रसास्वादन किये ही—निगल जाते थे। आप समझते थे कि जो भोजन केवल देहस्थितिको कायम रखनेके उद्देशसे किया जाय उसके लिये रसास्वादनकी जरूरत ही नहीं है, उसे तो उदरस्थ कर लेने मात्रकी जरूरत है। साथ ही, उनका यह विश्वास था कि रसास्वादन करनेसे इन्द्रियविषय पुष्ट होता है, इन्द्रियविषयोंके सेवनसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती, उल्टी तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णारोगकी वृद्धि निरंतर ताप उत्पन्न करती है और उस ताप अथवा दाहके कारण यह जीव

संसारमें अनेक प्रकारकी दुःखपरम्परासे पीड़ित होता है †, इसलिये वे क्षणिक सुखके लिये कभी इन्द्रियविषयोंको पुष्ट नहीं करते थे—क्षणिक सुखोंकी अभिलाषा करना ही वे परीक्षावानोंके लिये एक कलंक और अधर्मकी बात समझते थे। आपकी यह खास धारणा थी कि, आत्यन्तिकस्वास्थ्य—अविनाशी स्वात्मस्थिति अथवा कर्मविमुक्त-अनंतज्ञानादिमय-अवस्थाकी प्राप्ति—ही पुरुषोंका—इस जीवात्माका—स्वार्थ है—स्वप्रयोजन है, क्षणभंगुर भोग—क्षणस्थायी विषयसुखानुभवन—उनका स्वार्थ नहीं है; क्योंकि तृषानुषंगसे—भोगों की उत्तरोत्तर आकांक्षा बढ़नेसे—शारीरिक और मानसिक दुःखोंकी कभी शांति नहीं होती। वे समझते थे कि, यह शरीर ‘अजंगम’ है—बुद्धिपूर्वक परिस्पंदव्यापाररहित है—और एक यंत्रकी तरह चैतन्य पुरुषके द्वारा स्वव्यापारमें प्रवृत्त किया जाता है; साथ ही, ‘मलबीज’ है—मलसे उत्पन्न हुआ है; मलयोनि है—मलकी उत्पत्तिका स्थान है; ‘गलन्मल’ है—मल ही इससे भरता है; ‘पूति’ है—दुर्गन्धियुक्त है; ‘बीभत्स’ है—घृणात्मक है; ‘क्षयि’ है—नाशवान् है—और ‘तापक’ है—आत्माके दुःखोंका कारण है। इस लिये वे इस शरीरसे स्नेह रखने तथा अनुराग बढ़ानेको अच्छा नहीं समझते थे, उसे व्यर्थ मानते थे, और इस प्रकारकी मान्यता तथा परिणतिको ही आत्महित स्वीकार करते थे *। अपनी ऐसी ही विचारपरिणतिके कारण समन्तभद्र शरीरसे बड़े ही निस्पृह और

† शतह्रदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतुः।

तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस्रं, तापस्तदायासयतीत्यवादीः॥१३॥

—स्वयंभूस्तोत्र।

* स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकमेव पुंसां, स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा।

तृषोनुषंगान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यदभगवान्मुपार्षदः॥३१॥

अजंगमं जंगमनेययंत्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरं।

बीभत्सु पूति क्षयि तापक च स्नेहो वृथान्नेति हितं त्वमाख्यः॥३२॥

—स्वयंभूस्तोत्र।

मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूति गन्धि बीभत्सं। पश्यन्नंगम्.....

—रत्नकरण्ड

निर्ममत्व रहते थे—उन्हें भोगोंसे ज़रा भी रुचि अथवा प्रीति नहीं थी—; वे इस शरीरसे अपना कुछ पारमार्थिक काम निकालनेके लिये ही उसे थोड़ासा शुद्ध भोजन देते थे और इस बातकी कोई पर्वाह नहीं करते थे कि वह भोजन रूखा-चिकना, ठंडा-गरम, हल्का-भारी, कड़ुआ-कषायला आदि कैसा है।

इस लघु भोजनके बदलेमें समन्तभद्र अपने शरीरसे यथाशक्ति खूब काम लेते थे, घंटों तक कायोत्सर्ग में स्थिर होजाते थे, आतापनादि योग धारण करते थे, और आध्यात्मिक तपकी वृद्धिके लिये †, अपनी शक्तिको न छिपाकर, दूसरे भी कितने ही अनशनादि उग्र उग्र बाह्य तपश्चरणोंका अनुष्ठान किया करते थे। इसके सिवाय, नित्य ही आपका बहुतसा समय सामायिक, स्तुतिपाठ, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, समाधि, भावना, धर्मोपदेश, ग्रन्थरचना और परहित-प्रतिपादनादि कितने ही धर्मकार्योंमें खर्च होता था। आप अपने समयको ज़रा भी धर्मसाधनारहित व्यर्थ नहीं जाने देते थे।

आपत्काल

इस तरहपर, बड़े ही प्रेमके साथ मुनिधर्मका पालन करते हुए, स्वामी समन्तभद्र जब 'मणुवकहल्ली'* ग्राममें धर्मध्यानसहित आनन्दपूर्वक अपना मुनि जीवन व्यतीत कर रहे थे और अनेक दुर्द्धर तपश्चरणोंके द्वारा आत्मोन्नतिके पथमें अग्रेसर हो रहे थे तब एकाएक पूर्वसंचित असातावेदनीय कर्मके तीव्र उदयसे आपके शरीरमें 'भस्मक' नामका एक महारोग उत्पन्न होगया ‡। इस रोगकी उत्पत्तिसे

† बाह्यं तपः परमदुश्चरमारंस्त्वमाध्यत्मिकस्यतपसः परिवृंहणार्थम् ॥८२॥

—स्वयंभूस्तोत्र ।

* ग्रामका यह नाम 'राजावलीकथे' में दिया है। यह 'कांची' के आस-पासका कोई गाँव जान पड़ता है।

‡ ब्रह्मणेमिदत्त भी अपने 'आराधनाकथाकोष' में, समन्तभद्रकथाके अन्तर्गत, ऐसा ही सूचित करते हैं। यथा—

दुर्द्धरानेकचारिव्रतनरत्नाकरो महान् ।

यावदास्ते सुखं धीरस्तावत्तत्कायकेऽभवत् ॥४॥

असद्वैद्यमहाकर्मोदयादुर्दुःखदायकः ।

तीव्रकष्टप्रदः कष्टं भस्मकव्याधिसंज्ञकः ॥ ५ ॥

से यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रके शरीरमें उस समय कफ क्षीण होगया था और वायु तथा पित्त दोनों बढ़ गये थे; क्योंकि कफके क्षीण होने पर जब पित्त, वायुके साथ बढ़कर कुपित हो जाता है तब वह अपनी गर्मी और तेजीसे जठराग्नि-को अत्यन्त प्रदीप्त, बलाढ्य और तीक्ष्ण कर देता है और वह अग्नि, अपनी तीक्ष्णतासे, विरूक्ष शरीरमें पड़े हुए भोजनका तिरस्कार करती हुई उसे क्षण-मात्रमें भस्म कर देती है। जठराग्निकी इस अत्यन्त तीक्ष्णावस्थाको ही 'भस्मक' रोग कहते हैं। यह रोग उपेक्षा किये जाने पर—अर्थात् गुरु, स्निग्ध शीतल मधुर और श्लेष्मल अन्नपानका यथेष्ट परिमाणमें अथवा तृप्तिपर्यन्त सेवन न करने पर—शरीरके रक्तमांसादि धातुओंको भी भस्म कर देता है, महादौर्बल्य उत्पन्न कर देता है, तृषा, स्वेद, दाह तथा मूर्च्छादिक अनेक उपद्रव खड़े कर देता है और अन्तमें रोगीको मृत्युमुखमें ही स्थापित करके छोड़ता है *। इस रोगके आक्रमण पर समन्तभद्रने शुरूशुरूमें उसकी कुछ पर्याह नहीं की। वे स्वेच्छापूर्वक धारण किये हुए उपवासों तथा अन्नशनादि तपोंके अवसरपर जिस

* “कट्वादिरूक्षान्नभुजां नराणां क्षीणे कफे मारुतपित्तवृद्धौ।

अतिप्रवृद्धः पवनान्वितोऽग्निर्भुक्तं क्षणाद्भस्मकरोति यस्मात्।

तस्मादसौ भस्मकसंज्ञकोऽभूदुपेक्षितोयं पचते च धातून्।”

—इति भावप्रकाशः।

“नरे क्षीणकफे पित्तं कुपितं मारुतानुगम्।

स्वोष्मणा पावकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति॥

तथा लब्धबलो देहे विरूक्षे साऽनिलोऽनलः।

परिभूय पचत्यन्नं तैक्षण्यादाशु मुहुं मुहुः॥

पक्त्वान्नं सततं धातून् शोणितादीन्पचत्यपि।

ततो दौर्बल्यमातंकान् मृत्युं चोपनयेन्नरं॥

भुक्तेऽग्ने लभते शान्तिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति।

तृट्स्वेददाहमूर्च्छाः स्युर्व्याधयोऽत्यग्निसंभवाः॥”

“तमेत्यग्निं गुरुस्निग्धशीतमधुरविज्वलैः।

अन्नपानैर्नयेच्छान्तिं दीप्तमग्निमिवाम्बुभिः॥”—इति चरकः।

प्रकार क्षुधापरीषहको सहा करते थे उसी प्रकार उन्होंने इस अवसर पर भी, पूर्व अम्यासके बलपर, उसे सह लिया। परन्तु इस क्षुधा और उस क्षुधामें बड़ा अन्तर था; वे इस बढ़ती हुई क्षुधाके कारण, कुछ ही दिन बाद, असह्य वेदनाका अनुभव करने लगे; पहले भोजनसे घंटोंके बाद नियत समय पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय उपयोगके दूसरी ओर लगे रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता था तो वह भूख मर जाती थी और फिर घंटों तक उसका पता नहीं रहता था; परन्तु अब भोजनको किये हुए देर नहीं होती थी कि क्षुधा फिरसे आ धमकती थी और भोजनके न मिलनेपर जठराग्नि अपने आसपासके रक्त मांसको ही खींच खींचकर भस्म करना आरम्भ कर देती थी। समन्तभद्रको इससे बड़ी वेदना होती थी, क्षुधाके समान दूसरी शरीरवेदना है भी नहीं; कहा भी गया है—

“क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना।”

इस तीव्र क्षुधावेदनाके अवसरपर किसीसे भोजनकी याचना करना, दोबारा भोजन करना अथवा रोगोपशांतिके लिये किसीको अपने वास्ते अच्छे स्निग्ध, मधुर, शीतल, गरिष्ठ और कफकारी भोजनोंके तय्यार करनेकी प्रेरणा करना, यह सब उनके मुनिधर्मके विरुद्ध था। इसलिये समन्तभद्र, वस्तुस्थितिका विचार करते हुए, उस समय अनेक उत्तमोत्तम भावनाओंका चिन्तन करते थे और अपने आत्माको सम्बोधन करके कहते थे—‘हे आत्मन्, तूने अनादिकालसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए अनेक बार नरक-पशु आदि गतियोंमें दुःसह क्षुधावेदनाको सहा है, उसके आगे तो यह तेरी क्षुधा कुछ भी नहीं है। तुझे इतनी तीव्र क्षुधा रह चुकी है जो तीन लोकका अन्न खाजाने पर भी उपशम न हो, परन्तु एक कण खानेको नहीं मिला। ये सब कष्ट तूने पराधीन होकर सहे हैं और इसलिए उनसे कोई लाभ नहीं होसका, अब तू स्वाधीन होकर इस वेदनाको सहन कर। यह सब तेरे ही पूर्वकर्मका दुर्विपाक है। साम्य-भावसे वेदनाको सह लेनेपर कर्मकी निर्जरा हो जायगी, नवीन कर्म नहीं बँधेगा और न आगेको फिर कभी ऐसे दुःखोंको उठानेका अवसर ही प्राप्त होगा।’ इस तरह पर समन्तभद्र अपने साम्यभावको दृढ़ रखते थे और कषायादि दुर्भावोंको उत्पन्न होनेका अवसर नहीं देते थे। इसके सिवाय, वे इस शरीरको

कुछ अधिक भोजन प्राप्त कराने तथा शारीरिक शक्तिको विशेष क्षीण न होने देनेके लिये जो कुछ कर सकते थे वह इतना ही था कि जिन अनशनादि बाह्य तथा घोर तपश्चरणोंको वे कर रहे थे और जिनका अनुष्ठान उनकी नित्यकी इच्छा तथा शक्तिपर निर्भर था—मूलगुणोंकी तरह लाजमी नहीं था—उन्हें वे ढीला अथवा स्थगित कर दें । उन्होंने वैसा ही किया भी—वे अब उपवास नहीं रखते थे, अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग और कायक्लेश नामके बाह्य तपोंके अनुष्ठानको उन्होंने, कुछ कालके लिये, एकदम स्थगित कर दिया था, भोजनके भी वे अब पूरे ३२ रास लेते थे; साथ ही रोगी मुनिके लिये जो कुछ भी रिसायतें मिल सकती थीं वे भी प्रायः सभी उन्होंने प्राप्त कर ली थीं । परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, आपकी क्षुधाको ज़रा भी शांति नहीं मिली, वह दिनपर दिन बढ़ती और तीव्रसे तीव्रतर होती जाती थी; जठरानलकी ज्वालाओं तथा पित्तकी तीक्ष्ण ऊष्मासे शरीरका रस-रक्तादि दग्ध हुआ जाता था, ज्वलाएँ शरीरके अंगोंपर दूर दूर तक धावा कर रही थीं, और नित्यका स्वल्प भोजन उनके लिये ज़रा भी पर्याप्त नहीं होता था—वह एक जाज्वल्यमान अग्निपर थोड़ेसे जलके छीटिका ही काम देता था । इसके अतिरिक्त 'यदि किसी दिन भोजनका अन्तराय हो जाता था तो और भी ज्यादा गजब हो जाता था—क्षुधा राक्षसी उस दिन और भी ज्यादा उग्र तथा निर्दय रूप धारण कर लेती थी । इस तरहपर समन्तभद्र जिस महावेदनाका अनुभव कर रहे थे उसका पाठक अनुमान भी नहीं कर सकते । ऐसी हालतमें अच्छे अच्छे धीरवीरोंका धैर्य छूट जाता है, श्रद्धा भ्रष्ट हो जाता है और ज्ञानगुण डगमगा जाता है । परन्तु समन्तभद्र महामना थे, महात्मा थे, आत्म-देहान्तरज्ञानी थे, संपत्ति-विपत्तिमें समचित्त थे, निर्मल सम्यग्दर्शनके धारक थे और उनका ज्ञान अदुःख-भावित नहीं था जो दुःखोंके आने पर क्षीण हो जाय ॐ, उन्होंने यथाशक्ति उग्र उग्र तपश्चरणोंके द्वारा कष्ट सहनका अच्छा अभ्यास किया था, वे आनन्द-पूर्वक कष्टोंको सहन किया करते थे—उन्हे सहते हुए खेद नहीं मानते

ॐ अदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधौ ।

तस्माद्यथाबलं दुखैरात्मानं भावयेन्मुनिः ॥ —समाधितन्त्र

थे ‡ और इसलिये, इस संकटके अवसरपर वे जरा भी विचलित तथा धैर्यच्युत नहीं हो सके ।

समन्तभद्रने जब यह देखा कि रोग शान्त नहीं होता, शरीरकी दुर्बलता बढ़ती जा रही है, और उस दुर्बलताके कारण नित्यकी आवश्यक क्रियाओंमें भी कुछ बाधा पड़ने लगी है; साथ ही, प्यास आदिकके भी कुछ उपद्रव शुरू हो गये हैं, तब आपको बड़ी ही चिन्ता पैदा हुई । आप सोचने लगे—“इस मुनि अवस्थामें, जहाँ आगमोदित विधिके अनुसार उद्गम-उत्पादनादि छयालीस दोषों चौदह मलदोषों और बत्तीस अन्तरायोंको टालकर, प्रासुक तथा परिमित भोजन लिया जाता है वहाँ इस भयंकर रोगकी शान्तिके लिये उपयुक्त और पर्याप्त भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती ❁ । मुनिपदको कायम रखते हुए, यह रोग प्रायः असाध्य अथवा निःप्रतीकार जान पड़ता है; इसलिये या तो मुझे अपने मुनिपदको छोड़ देना चाहिये और या ‘सल्लेखना’ व्रत धारण करके इस शरीरको धर्मार्थ त्यागनेके लिये तय्यार हो जाना चाहिये; परन्तु मुनिपद कैसे छोड़ा जा सकता है ? जिस मुनिधर्मके लिये मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका हूँ, जिस मुनिधर्मको मैं बड़े प्रेमके साथ अब तक पालता आ रहा हूँ और जो मुनिधर्म मेरे ध्येयका एक मात्र आधार बना हुआ है उसे क्या मैं छोड़ दूँ ?

‡ जो आत्मा और देहके भेद-विज्ञानी होते हैं वे ऐसे कष्टोंको सहते हुए खेद नहीं माना करते, कहा भी है—

आत्मदेहान्तरज्ञानजनिताह्लादनिवृत्तः ।

तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोपि न खिद्यते ॥ —समाधितन्त्र

❁ जो लोग आगमसे इन उद्गमादि दोषों तथा अन्तरायोंका स्वरूप जानते हैं और जिन्हें पिण्डशुद्धिका अच्छा ज्ञान है उन्हें यह बतलानेकी जरूरत नहीं है कि सब्जे जैन साधुओंको भोजनके लिये वैसे ही कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है । इन कठिनाइयोंका कारण दातारोंकी कोई कमी नहीं है; बल्कि भोजनविधि और निर्दोष भोजनकी जटिलता ही उसका प्रायः एक कारण है—फिर ‘भस्मक’ जैसे रोगकी शान्तिके लिये उपयुक्त और पर्याप्त भोजनकी तो बात ही दूर है ।

क्या क्षुधाकी वेदनासे घबराकर अथवा उससे बचनेके लिये छोड़ दूँ ? क्या इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दे दूँ ? यह नहीं हो सकता । क्या क्षुधादि दुःखोंके इस प्रतिकारसे अथवा इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सुखके अनुभवनसे इस देहकी स्थिति सदा एकसी और सुखरूप बनी रहेगी ? क्या फिर इस देहमें क्षुधादि दुःखोंका उदय नहीं होगा ? क्या मृत्यु नहीं आएगी ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकार आदिमें गुण ही क्या हैं ? उनसे इस देह अथवा देहीका उपकार ही क्या बन सकता है ? ॐ मैं दुःखोंसे बचनेके लिये कदापि मुनिधर्मको नहीं छोड़ूँगा; भले ही यह देह नष्ट हो जाय, मुझ उसकी चिन्ता नहीं है; मेरा आत्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर सकता; मैंने दुःखोंका स्वागत करनेके लिये मुनिधर्म धारण किया था, न कि उनसे घबराने और बचनेके लिये; मेरी परीक्षाका यही समय है, मैं मुनिधर्मको नहीं छोड़ूँगा ।” इतनेमें ही अंतःकरणके भीतरसे एक दूसरी आवाज आई—

“समन्तभद्र ! तू अनेक प्रकारसे जैन शासनका उद्धार करने और उसे प्रचार देनेमें समर्थ है, तेरी बदौलत बहुतसे जीवोंका अज्ञानभाव तथा मिथ्यात्व नष्ट होगा और वे सन्मार्गमें लगेंगे; यह शासनोद्धार और लोकहितका काम क्या कुछ कम धर्म है ? यदि इस शासनोद्धार और लोकहितकी दृष्टिसे ही तू कुछ समयके लिये मुनिपदको छोड़दे और अपने भोजनकी योग्य व्यवस्था-द्वारा रोगको शान्त करकेफिरसे मुनिपद धारण कर लेवे तो इसमें कौनसी हानि है ? तेरे ज्ञान, श्रद्धान, और चारित्रिक भावको तो इससे ज़रा भी क्षति नहीं पहुँच सकती, वह तो हरदम तेरे साथ ही रहेगा; तू द्रव्यलिंगकी अपेक्षा अथवा बाह्यमें भले ही मुनि न रहे, परंतु भावोंकी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि-जैसी ही होगी, फिर इसमें अधिक सोचने विचारनेकी बात ही क्या है ? इसे आपद्धर्मके तौरपर ही स्वीकार कर; तेरी परिणति तो हमेशा लोकहितकी तरफ़ रही है, अब उसे

ॐ क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकारादिविषयक आपका यह भाव ‘स्वयंभूस्तोत्र’ के निम्न पद्यसे भी प्रकट होता है—

क्षुदादिदुःखप्रतिकारतः स्थितिर्न चेन्द्रियार्थप्रभवाल्पसौख्यतः ।

ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदमित्थं भगवान् व्यजिज्ञपत् ॥१८॥

गौण क्यों किये देता है ? दूसरोंके हितके लिये ही यदि तू अपने स्वार्थकी थोड़ीसी बलि देकर—अल्पकालके लिये मुनिपदको छोड़कर—बहुतोंका भला कर सके तो इससे तेरे चरित्र पर जरा भी कलंक नहीं आ सकता, वह तो उलटा और भी ज्यादा देदीप्यमान होगा; अतः तू कुछ दिनोंके लिये, इसमुनिपदका मोह छोड़कर और मानापमानकी जरा भी पर्वाह न करते हुए अपने रोगको शांत करनेका यत्न कर, वह निःप्रतीकार नहीं है, इस रोगसे मुक्त होनेपर, स्वस्थावस्थामें, तू और भी अधिक उत्तम रीतिसे मुनिधर्मका पालन कर सकेगा; अब विलम्ब करनेकी जरूरत नहीं है, विलम्बसे हानि होगी ।”

इस तरह पर समन्तभद्रके हृदयमें कितनी ही देर तक विचारोंका उत्थान और पतन होता रहा । अन्तको आपने यही स्थिर किया कि “क्षुधादिदुःखोंसे घबराकर उनके प्रतिकारके लिये अपने न्याय्य नियमोंको तोड़ना उचित नहीं है; लोकका हित वास्तवमें लोकके आश्रित है और मेरा हित मेरे आश्रित है; यह ठीक है कि लोककी जितनी सेवा मैं करना चाहता था उसे मैं नहीं कर सका; परन्तु उम सेवाका भाव मेरे आत्मामें मौजूद है और मैं उसे अगले जन्ममें पूरा करूंगा; इस समय लोकहितकी आशा पर आत्महितको बिगाड़ना मुनासिब नहीं है; इसलिये मुझे अब ‘सल्लेखना’ का व्रत जरूर ले लेना चाहिये और मृत्युकी प्रतीक्षामें बैठकर शान्तिके साथ इस देहका धर्मार्थ त्याग कर देना चाहिये ।” इस निश्चयको लेकर समन्तभद्र सल्लेखनाव्रतकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और अनेक सद्गुणालंकृत पूज्य गुरुदेव^४ के पास पहुँचे और उनसे अपने रोगका सारा हाल निवेदन किया । साथ ही, उनपर यह प्रकट करते हुए कि मेरा रोग निःप्रतीकार जान पड़ता है और रोगकी निःप्रतीकारावस्थामें ‘सल्लेखना’ का शरण लेना ही श्रेष्ठ कहा गया है +, यह विनम्र प्रार्थनां

^४ ‘राजावलीकथे’ से यह तो पता चलता है कि समन्तभद्रके गुरुदेव उस समय मौजूद थे और समन्तभद्र सल्लेखनाकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिये उनके पास गये थे, परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि उनका क्या नाम था ।

+ उपसर्गें दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥१२२॥

—रत्नकरंड

की कि—‘अब आप कृपाकर मुझे सल्लेखना धारण करनेकी आज्ञा प्रदान करें और यह आशीर्वाद देवें कि मैं साहसपूर्वक और सहर्ष उसका निर्वाह करनेमें समर्थ हो सकूँ ।’

समन्तभद्रकी इस विज्ञापना और प्रार्थनाको सुनकर गुरुजी कुछ देरके लिये मौन रहे, उन्होंने समन्तभद्रके मुखमंडल (चेहरे) पर एक गंभीर दृष्टि डाली और फिर अपने योगबलसे मालूम किया कि समन्तभद्र अल्पायु नहीं है, उसके द्वारा धर्म तथा शासनके उद्धारका महान् कार्य होनेको है, इस दृष्टिसे वह सल्लेखनाका पात्र नहीं; यदि उसे सल्लेखनाकी इजाजत दी गई तो वह अकालमें ही कालके गालमें चला जायगा और उससे श्री वीरभगवानके शासन-कार्यको बहुत बड़ी हानि पहुंचेगी; साथ ही, लोकका भी बड़ा अहित होगा। यह सब सोचकर गुरुजीने, समन्तभद्रकी प्रार्थनाको अस्वीकार करते हुए, उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ समझाकर कहा—‘वत्स, अभी तुम्हारी सल्लेखनाका समय नहीं आया, तुम्हारे द्वारा शासन कार्यके उद्धारकी मुझे बड़ी आशा है, निश्चय ही तुम धर्मका उद्धार और प्रचार करोगे, ऐसा मेरा अन्तःकरण कहता है; लोकको भी इस समय तुम्हारी बड़ी जरूरत है; इसलिये मेरी यह खास इच्छा है और यही मेरी आज्ञा है कि तुम जहाँपर और जिस वेषमें रहकर रोगोपशमनके योग्य तृत्तिपर्यन्त भोजन प्राप्त कर सको वहींपर खुशीसे चले जाओ और उसी वेषको धारण करलो, रोगके उपशान्त होनेपर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर लेना और अपने सब कामोंको संभाल लेना। मुझे तुम्हारी श्रद्धा और गुणज्ञतापर पूरा विश्वास है, इसीलिये मुझे यह कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि तुम चाहे जहाँ जा सकते हो और चाहे जिस वेषको धारण कर सकते हो; मैं खुशीसे तुम्हें ऐसा करनेकी इजाजत देता हूँ ।’

गुरुजीके इन मधुर तथा सारगर्भित वचनोंको सुनकर और अपने अन्तःकरण की उस आवाज़को स्मरण करके समन्तभद्रको यह निश्चय हो गया कि इसीमें जरूर कुछ हित है, इसलिये आपने अपने सल्लेखनाके विचारको छोड़ दिया और गुरुजीकी आज्ञाको शिरोधारण कर आप उनके पाससे चल दिये।

अब समन्तभद्रको यह चिन्ता हुई कि दिगम्बर मुनिवेषको यदि छोड़ा जाय तो फिर कौनसा वेष धारण किया जाय, और वह वेष जैन हो या अजैन। अपने

मुनिवेषको छोड़नेका खयाल आते ही उन्हें फिर दुःख होने लगा और वे सोचने लगे—“जिस दूसरे वेषको मैं आज तक विकृत + और अप्राकृतिक वेष समझता आ रहा हूँ उसे मैं कैसे धारण करूँ ! क्या उसीको अब मुझे धारण करना होगा ? क्या गुरुजीकी ऐसी ही आज्ञा है ?—हाँ, ऐसी ही आज्ञा है । उन्होंने स्पष्ट कहा है—‘यही मेरी आज्ञा है,—चाहे जिस वेषको धारण करलो, रोगके उपशांत होनेपर फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर लेना, तब तो इसे अलंघ्य-शक्ति भवितव्यता कहना चाहिये । यह ठीक है कि मैं वेष (लिंग) को ही सब कुछ नहीं समझता—उसीको मुक्तिका एक मात्र कारण नहीं जानता,—वह देहाश्रित है और देह ही इस आत्माका संसार है; इसलिये मुझ मुमुक्षुका—संसार-बंधनोंसे छूटनेके इच्छुकका—किसी वेषमें एकान्त आग्रह नहीं हो सकता ❀; फिर भी मैं वेषके विकृत और अविकृत ऐसे दो भेद जरूर मानता हूँ, और अपने लिये अविकृत वेषमें रहना ही अधिक अच्छा समझता हूँ । इसीसे, यद्यपि, उस दूसरे वेषमें मेरी कोई रुचि नहीं हो सकती, मेरे लिये वह एक प्रकारका उपसर्ग ही होगा और मेरी अवस्था उस समय अधिकतर चेलोपसृष्ट मुनि जैसी ही होगी; परन्तु फिर भी उस उपसर्गका कर्ता तो मैं खुद ही हूँगा न ? मुझे ही स्वयं उस वेषको धारण करना पड़ेगा ! यही मेरे लिये कुछ कष्टकर प्रतीत होता है । अच्छा, अन्य वेष न धारण करूँ तो फिर उपाय भी

+ ...ततस्तत्सिद्धचर्यं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं ।

भवानेवात्याक्षीन्न च विकृतवेषोपधिरतः ॥ —स्वयंभूस्तोत्र

❀ श्रीपूज्यपादके समाधितंत्रमें भी वेषविषयमें ऐसा ही भाव प्रतिपादित किया गया है । यथा—

लिंगं देहाश्रितं दृष्टं देह एवात्मनो भवः ।

न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये लिंगकृतागृहाः ॥८७॥

अर्थात्—लिंग (जटाधारण-नग्नत्वादि) देहाश्रित है और देह ही आत्मा का संसार है, इसलिये जो लोग लिंग (वेष) का ही एकान्त आग्रह रखते हैं—उसीको मुक्तिका कारण समझते हैं—वे संसारबंधनसे नहीं छूटते ।

अब क्या है ? मुनिवेषको कायम रखता हुआ यदि भोजनादिके विषयमें स्वेच्छा-चारसे प्रवृत्ति करूँ तो उससे अपना मुनिवेष लज्जित और कलंकित होता है, और यह मुझसे नहीं हो सकता; मैं खुशीसे प्राण दे सकता हूँ परन्तु ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारण मुनिवेष अथवा मुनिपदको लज्जित और कलंकित होना पड़े। मुझसे यह नहीं बन सकता कि जैनमुनिके रूपमें उस पदके विरुद्ध कोई हीनाचारण करूँ; और इसलिये मुझे अब लाचारीसे अपने मुनिपदको छोड़ना ही होगा। मुनिपदको छोड़कर मैं 'क्षुल्लक' हो सकता था, परन्तु वह लिंग भी उपयुक्त भोजनकी प्राप्तिके योग्य नहीं है—उस पदधारीके लिए भी उद्दिष्ट भोजनके त्याग आदिका कितना ही ऐसा विधान है जिससे, उस पदकी मर्यादाको पालन करते हुए, रोगोपशान्तिके लिये यथेष्ट भोजन नहीं मिल सकता, और मर्यादाका उल्लंघन मुझसे नहीं बन सकता—इसलिये मैं उस वेषको भी नहीं धारण करूँगा। बिल्कुल गृहस्थ बन जाना अथवा यों ही किसीके आश्रयमें जाकर रहना भी मुझे इष्ट नहीं है। इसके सिवाय, मेरी चिरकालकी प्रवृत्ति मुझे इस बातकी इजाजत नहीं देती कि मैं अपने भोजनके लिये किसी व्यक्ति-विशेषको कष्ट दूँ; मैं अपने भोजनके लिए ऐसे ही किसी निर्दोष मार्गका अवलम्बन लेना चाहता हूँ जिसमें खास मेरे लिये किसीको भी भोजनका कोई प्रबन्ध न करना पड़े और भोजन भी पर्याप्त रूपमें उपलब्ध होता रहे।'

यही सब सोचकर अथवा इसी प्रकारके बहुतसे ऊहापोहके बाद, आपने अपने दिगम्बर मुनिवेषका आदरके साथ त्याग किया और साथ ही, उदासीन भावसे, अपने शरीरको पवित्र भस्मसे आच्छादित करना आरंभ कर दिया। उस समयका दृश्य बड़ा हीं करुणाजनक था। देहसे भस्मको मलते हुए आपकी आंखें कुछ आर्द्र हो आई थीं। जो आंखें भस्मक व्याधिकी तीव्र वेदनासे भी कभी आर्द्र नहीं हुई थीं उनका इस समय कुछ आर्द्र हो जाना साधारण बात न थी। संघके मुनिजनोंका हृदय भी आपको देखकर भर आया था और वे सभी भावी-की अलंघ्य शक्ति तथा कर्मके दुर्विपाकका ही चिंतन कर रहे थे। समन्तभद्र जब अपने देहपर भस्मका लेप कर चुके तो उनके बहिरंगमें भस्म और अंतरङ्गमें सम्यग्दर्शनादि निर्मल गुणोंके दिव्य प्रकाशको देखकर ऐसा मालूम होता था कि

एक महाकांतिमान् रत्न कर्दमसे लिप्त हो रहा है और वह कर्दम उस रत्नमें प्रविष्ट न हो सकनेसे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता ❀, अथवा ऐसा जान पड़ता था कि समन्तभद्रने अपनी भस्मकाग्निको भस्म करने—उसे शांत बनाने—के लिये यह ‘भस्म’ का दिव्य प्रयोग किया है। अस्तु। संघको अभिवादन करके अब समन्तभद्र एक वीर योद्धाकी तरह कार्यसिद्धिके लिए, ‘मणुवकहल्ली’ से चल दिये।

‘राजावलिकथे’ के अनुसार, समन्तभद्र मणुवकहल्लीसे चलकर ‘कांची’ पहुँचे और वहाँ ‘शिवकोटि’ राजाके पास, संभवतः उसके ‘भीमलिंग’ नामक शिवालयमें ही, जाकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। राजा उनकी भद्राकृति आदिको देखकर विस्मित हुआ और उसने उन्हें ‘शिव’ समझकर प्रणाम किया। धर्मकृत्योंका हाल पूछे जानेपर राजाने अपनी शिवभक्ति, शिवाचार, मंदिर-निर्माण और भीमलिंगके मंदिरमें प्रतिदिन बारह खंडुग + परिमाण तंडुलान्न-विनियोग करनेका हाल उनसे निवेदन किया। इसपर समन्तभद्रने, यह कहकर कि ‘मैं तुम्हारे इस नैवेद्यको शिवार्पण † करूँगा,’ उस भोजनके साथ मंदिरमें अपना आसन ग्रहण किया, और किवाड़ बंद करके सबको चले जानेकी आज्ञा की। सब लोगोंके चले जाने पर समन्तभद्रने शिवार्थ जठराग्निमें उस भोजनकी आहुतियाँ देनी आरम्भ कीं और आहुतियाँ देते देते उस भोजनमेंसे जब एक कण भी अवशिष्ट नहीं रहा तब आपने पूर्ण तृप्ति लाभ करके, दरवाजा खोल दिया।

❀ अन्तःस्फुरितसम्यक्त्वे बहिर्व्याप्तिकुलिंगकः।

शोभितोऽसौ महाकान्तिः कर्दमाक्तो मणिर्यथा ॥—आराधना कथाकोश।

+ ‘खंडुग’ कितने सेरका होता है, इस विषयमें वर्गी नेमिसागरजीने, पं० शांतिराजजी शास्त्री मैसूरके पत्राधारपर, यह सूचित किया है कि बेंगलोर प्रांतमें २०० सेरका, मैसूर प्रांतमें १८० सेरका, हेगडदेवन कोटमें ८० सेरका और शिमोगा डिस्ट्रिक्टमें ६० सेरका खंडुग प्रचलित है, और सेरका परिमाण सर्वत्र ८० तोलेका है। मालूम नहीं उस समय खाम कांचीमें कितने सेरका खंडुग प्रचलित था। संभवतः वह ४० सेरसे तो कम न रहा होगा।

† ‘शिवार्पण’ में कितना ही गूढ अर्थसंनिहित है।

सम्पूर्ण भोजनकी समाप्तिको देखकर राजाको बड़ा ही आश्चर्य हुआ । अगले दिन उसने और भी अधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेंट किया; परन्तु पहले दिन प्रचुर परिमाणमें तृत्तिपर्यन्तभोजन कर लेनेके कारण जठराग्निके कुछ उपशांत होनेसे, उस दिन एक चौथाई भोजन बच गया, और तीसरे दिन आधा भोजन शेष रह गया । समन्तभद्रने साधारणतया इस शेषान्नको देवप्रसाद बतलाया; परन्तु राजाको उससे संतोष नहीं हुआ । चौथे दिन जब और भी अधिक परिमाणमें भोजन बच गया तब राजाका संदेह बढ़ गया और उसने पाँचवें दिन मन्दिरको, उस अवसर पर, अपनी सेनासे घिरवाकर दरवाजे को खोल डालने की आज्ञा दी ।

दरवाजेको खोलनेके लिए बहुतसा कलकल शब्द होनेपर समन्तभद्रने उपसर्ग का अनुभव किया और उपसर्गकी निवृत्तिपर्यन्त समस्त आहार पानका त्याग करके तथा शरीरसे बिल्कुल ही ममत्व छोड़कर, आपने बड़ी ही भक्तिके साथ एकाग्र चित्तसे श्रीवृषभादि चतुर्विंशति तीर्थकरोंकी स्तुति ॐ करना आरंभ किया । स्तुति करते हुए, समन्तभद्रने जब आठवें तीर्थकर श्रीचन्द्रप्रभस्वामीकी भले प्रकार स्तुति करके भीमलिंगकी ओर दृष्टि की तो उन्हें उस स्थानपर, किसी दिव्यशक्तिके प्रतापसे, चन्द्रलाञ्छनयुक्त अर्हन्त भगवानका एक जाज्वल्यमान सुवर्णमय विशाल बिम्ब, विभूतिसहित, प्रकट होता हुआ दिखलाई दिया । यह देखकर समन्तभद्रने दरवाजा खोल दिया और आप शेष तीर्थकरोंकी स्तुति करनेमें तल्लीन होगये ।

दरवाजा खुलते ही इस माहात्म्यको देखकर शिवकोटि राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और अपने छोटे भाई 'शिवायन'-सहित, योगिराज श्रीसमन्तभद्रको उद्दंड नमस्कार करता हुआ उनके चरणोंमें गिर पड़ा । समन्तभद्र ने, श्रीवर्द्धमान महावीरपर्यंत स्तुति कर चुकनेपर, हाथ उठाकर दोनोंको आशीर्वाद दिया । इसके बाद धर्मका विस्तृत स्वरूप सुनकर राजा संसार-देह-भोगोंसे विरक्त होगया और उसने अपने पुत्र 'श्रीकंठ' को राज्य देकर शिवायन-सहित उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारण की । और भी कितने ही लोगोंकी

श्रद्धा इस माहात्म्यसे पलट गई और वे अणुव्रतादिकके धारक होगये ॥

इस तरह समन्तभद्र थोड़े ही दिनोंमें अपने 'भस्मक' रोगको भस्म करनेमें समर्थ हुए, उनका आपत्काल समाप्त हुआ, और देहके प्रकृतिस्थ होजानेपर उन्होंने फिरसे जैनमुनिदीक्षा धारण कर ली ।

श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख[‡] में भी, जो आजसे आठसौ वर्षसे भी अधिक पहलेका लिखा हुआ है, समन्तभद्रके 'भस्मक' रोगकी शान्ति, एक दिव्य शक्तिके द्वारा उन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति और योगसामर्थ्य अथवा वचन-बलसे उनके द्वारा 'चन्द्रप्रभ' (बिम्ब) की आकृष्टि आदि कितनी ही बातोंका उल्लेख पाया जाता है । यथा—

वंद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपटुः पद्मावती देवता-

दत्तोदात्तपद-स्वमंत्रवचनव्याहृतचंद्रप्रभः ।

आचार्यस्स समन्तभद्रगणभृद्येनेह काले कलौ

जैन वर्त्म समन्तभद्रमभवद्भद्रं समन्तान्मुहुः ॥

इस पद्यमें यह बतलाया गया है कि 'जो अपने 'भस्मक' रोगको भस्मसात् करनेमें चतुर है 'पद्मावती' नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपने मन्त्रवचनोंसे (बिम्बरूपमें) 'चन्द्रप्रभ' को बुला लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी जैनमार्ग (धर्म) इस कलिकालमें सब ओरसे भद्ररूप हुआ, वे गणनायक आचार्य समन्तभद्र पुनः पुनः वन्दना किये जानेके योग्य हैं ।'



॥ देखो, 'राजावलिकथे' का वह मूलपाठ, जिसे मिस्टर लेविस राइस साहब-ने अपनी Inscriptions at Sravanabelgola नामक पुस्तककी प्रस्तावनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया है । इस पाठका अनुवाद मुझे वर्राी नेमिसागरकी कृपासे प्राप्त हुआ, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ ।

‡ इस शिलालेखका पुराना नंबर ५४ तथा नया नं० ६७ है, इसे 'मल्लि-षेणप्रशस्ति' भी कहते हैं, और यह शक सम्वत् १०५० का लिखा हुआ है ।

ऐतिहासिक पर्यालोचन

स्वामी समन्तभद्रकी 'भस्मक' व्याधि और उसकी उपशान्ति आदिके समर्थनमें जो 'वंद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपटुः' इत्यादि प्राचीन परिचय-वाक्य श्रवण-बेलगोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) परसे इस लेखमें ऊपर उद्धृत किया गया है उसमें यद्यपि 'शिवकोटि' राजाका कोई नाम नहीं है; परन्तु जिन घटनाओंका उसमें उल्लेख है वे 'राजावलिकथं' आदिके अनुसार शिवकोटि राजाके 'शिवालय' से ही सम्बन्ध रखती हैं। 'सेनगणकी पट्टावली' से भी इस विषयका समर्थन होता है। उसमें भी 'भीमलिंग' शिवालयमें शिवकोटि राजाके समन्तभद्रद्वारा चमत्कृत और दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है। साथ ही, उसे 'नवतिलिंग' देशका 'महाराज' सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समय संभवतः 'कांची' ही होगी। यथा—

“(स्वस्ति) नवतिलिङ्गदेशाभिरामद्राक्षाभिरामभीमलिङ्गस्वयंन्वादि-
स्तोतकोत्कीरणः॥रुन्द्रसान्द्रचन्द्रिकाविशदयशः श्रीचन्द्रजिनेन्द्रसद्दर्शनसमु-
त्पन्नकौतूहलकलितशिवकोटिमहाराजतपोराज्यस्थापकाचार्यश्रीमत्समन्त-
भद्रस्वामिनाम् †”

इसके सिवाय, 'विक्रान्तकौरव' नाटक और श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० १०५ (नया नं० २५४) से यह भी पता चलता है कि 'शिवकोटि' समन्तभद्रके प्रधान शिष्य थे। यथा—

शिष्यौ तदीयौ शिवकोटिनामा शिवायनः शास्त्रविदां वरेण्यौ ।

कृत्स्नश्रुतं श्रीगुरुपादमूले ह्यधीतवंतौ भवतः कृतार्थौ ॥ ×

—विक्रान्तकौरव

तस्यैव शिष्यशिवकोटिसूरिः तपोलतालम्बनदेह्यष्टिः ।

संसारवाराकरपोतमेतत् तत्त्वार्थसूत्रं तदलं चकार ॥

—श्रवणबेलगोल-शिलालेख

॥ 'स्वयं' से 'कीरण' तकका पाठ कुछ अशुद्ध जान पड़ता है ।

† 'जैनसिद्धान्तभास्कर' किरण १ली, पृ० ३८ ।

× यह पद्य 'जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय'की प्रशस्तिमें भी पाया जाता है ।

‘विक्रान्तकौरव’ के उक्त पद्यमें ‘शिवकोटि’ के साथ ‘शिवायन’ नामके एक दूसरे शिष्यका भी उल्लेख है, जिसे ‘राजावलिकथे’ में ‘शिवकोटि’ राजाका अनुज (छोटा भाई) लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया है कि उसने भी शिवकोटिके साथ समन्तभद्रसे जिनदीक्षा ली थी ❀; परन्तु शिलालेखवाले पद्यमें वह उल्लेख नहीं है और उसका कारण - पद्यके अर्थपरसे यह जान पड़ता है कि यह पद्य तत्त्वार्थसूत्रकी उस टीकाकी प्रशस्तिका पद्य है जिसे शिवकोटि आचार्यने रचा था, इसीलिये इसमें तत्त्वार्थसूत्रके पहले ‘एतत्’ शब्दका प्रयोग किया गया है और यह सूचितकिया गया है कि ‘इस तत्त्वार्थसूत्रको उस शिवकोटि-सूरिने अलंकृत किया है जिसका देह तपरूपी लताके आलम्बनके लिये यष्टि बना हुआ है’ । जान पड़ता है यह पद्य + उक्त टीका परसे ही शिलालेखमें उद्धृत किया गया है, और इस दृष्टिसे यह पद्य बहुत प्राचीन है और इस बातका निर्णय करनेके लिये पर्याप्त मालूम होता है कि ‘शिवकोटि’ आचार्य स्वामी समन्तभद्रके शिष्य थे † । आश्चर्य नहीं जो ये ‘शिवकोटि’ कोई राजा ही हुए हों । देवागमकी वसुनन्दिश्रुति में मंगलाचरणका प्रथम पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

सार्वश्रीकुलभूषणं क्षतरिपुं सर्वार्थसंसाधनं

सन्नीतेरकलंकभावविधृतेः संस्कारकं सत्पथं ।

निष्णातं नयसागरे यतिपतिं ज्ञानांशुसद्भास्करं

भेत्तारं वसुपालभावतमसो वन्दामहे बुद्धये ॥

यह पद्य द्व्यर्थक ‡ है, और इस प्रकारके द्व्यर्थक त्र्यर्थक पद्य बहुधा ग्रन्थों-

* यथा—शिवकोटिमहाराजं भव्यनप्पुदरि निजानुजं वेरस...संसारशरीर-भोगनिर्वेगदि श्रीकण्ठनेम्बसुतंगे राज्यमनित्तु शिवायनं गूडिय आ मुनिपरल्लिये जिनदीक्षेयनान्तु शिवकोट्याचार्यरागि... ।

+ इसके पहलेके ‘समन्तभद्रस्स चिराय जीयात्’ और ‘स्यात्कारमुद्रितसमस्त-पदार्थपूर्ण’ नामके दो पद्य भी उसी टीकाके जान पड़ते हैं ।

† नगरताल्लुकेके ३५ वें शिलालेखमें भी ‘शिवकोटि’ आचार्यको समन्तभद्र-का शिष्य लिखा है (E. C. VIII.) ।

‡ त्र्यर्थक भी हो सकता है, और तब यतिपतिसे तीसरे अर्थमें वसुनन्दीके

में पाये जाते हैं। इसमें बुद्धिबुद्धिके लिये जिस 'यतिपति' को नमस्कार किया गया है उससे एक अर्थमें 'श्रीवर्द्धमानस्वामी' और दूसरेमें 'समन्तभद्रस्वामी' का अभिप्राय जान पड़ता है। यतिपतिके जितने विशेषण हैं वे भी दोनोंपर ठीक घटित होजाते हैं। 'अकलंक-भावकी व्यवस्था करनेवाली सन्नीति (स्याद्वादनीति) के सत्पथको संस्कारित करनेवाले' ऐसा जो विशेषण है वह समन्तभद्रके लिये भट्टाकलंकदेव और श्रीविद्यानन्द-जैसे आचार्यों-द्वारा प्रयुक्त विशेषणोंसे मिलता-जुलता है। इस पद्यके अनन्तर ही दूसरे 'लक्ष्मीभूत्परम' नामके पद्यमें, समन्तभद्र-के मत(शासन) को नमस्कार किया गया है। मतको नमस्कार करनेसे पहले खास समन्तभद्रको नमस्कार किया जाना ज्यादा संभवनीय तथा उचित मालूम होता है। इसके सिवाय, इस वृत्तिके अन्तमें जो मंगलपद्य दिया है वह भी द्व्यर्थक है और उसमें साफ़ तौरसे परमार्थविकल्पी 'समन्तभद्रदेव' को नमस्कार किया है और दूसरे अर्थमें वही 'समन्तभद्रदेव' परमात्माका विशेषण किया गया है। यथा—

समन्तभद्रदेवाय परमार्थविकल्पिने ।

समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥

इन सब बातोंसे यह बात और भी दृढ़ हो जाती है कि उक्त 'यतिपति'से समन्तभद्र खास तौर पर अभिप्रेत हैं। अस्तु; उक्त यतिपतिके विशेषणोंमें 'भेत्तारं वसुपालभावतमसः' भी एक विशेषण है, जिसका अर्थ होता है 'वसुपालके भावांधकारको दूर करनेवाले'। 'वसुपाल' शब्द सामान्य तौरसे 'राजा' का वाचक है और इसलिये उक्त विशेषणसे यह मालूम होता है कि समन्तभद्रस्वामी-ने भी किसी राजाके भावांधकारको दूर किया है *। बहुत संभव है कि वह राजा 'शिवकोटि' ही हो और वही समन्तभद्रका प्रधान शिष्य हुआ हो। इसके सिवाय, 'वसु' शब्दका अर्थ 'शिव' और 'पाल'का अर्थ 'राजा' भी होता है और इस तरह पर 'वसुपाल' से शिवकोटि राजाका अर्थ निकाला जा सकता है; परन्तु यह कल्पना बहुत ही क्लिष्ट जान पड़ती है और इसलिये मैं इस पर अधिक जोर गुरु नेमिचंद्रका भी आशय लिया जा सकता है, जो वसुनन्दि-श्रावकाचारकी प्रशस्तिके अनुसार नयनन्दीके शिष्य और श्रीनन्दीके प्रशिष्य थे।

* श्रीवर्द्धमानस्वामीने राजा श्रेणिकके भावान्धकारको दूर किया था।

देना नहीं चाहता ।

ब्रह्म नेमिदत्त † के 'आराधना-कथाकोश' में भी 'शिवकोटि' राजाका उल्लेख है—उसीके शिवालयमें शिवनैवेद्यसे 'भस्मक' व्याधिकी शांति और चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बकी प्रादुर्भूतिका उल्लेख है । साथ ही, यह भी उल्लेख है कि शिवकोटि महाराजने जिनदीक्षा धारण की थी । परन्तु शिवकोटिको, 'कांची' अथवा 'नवतैलंग' देशका राजा न लिखकर 'वाराणसी' (काशी-बनारस) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है ‡ ।

अब देखना चाहिये, इतिहाससे 'शिवकोटि' कहाँका राजा सिद्ध होता है । जहाँ तक मैंने भारतके प्राचीन इतिहासका, जो अब तक संकलित हुआ है, परिशीलन किया है वह इस विषयमें मौन मालूम होता है—शिवकोटि नामके राजाकी उससे कोई उपलब्धि नहीं होती—बनारसके तत्कालीन राजाओंका तो उससे प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता । इतिहासकालके प्रारम्भमें ही—ईसवी सन्से करीब ६०० वर्ष पहले—बनारस या काशीकी छोटी रियासत 'कोशल' राज्यमें मिला ली गई थी, और प्रकट रूपमें अपनी स्वाधीनताको खो चुकी थी । इसके बाद, ईसासे पहलेकी चौथी शताब्दीमें, अजातशत्रुके द्वारा वह 'कोशल' राज्य भी 'मगध' राज्यमें शामिल कर लिया गया था, और उस वक्तसे उसका एक स्वतन्त्र राज्यसत्ताके तौरपर कोई उल्लेख नहीं मिलता ❀ ।

† ब्रह्म नेमिदत्त भट्टारक मल्लिभूषणके शिष्य और चिक्रमकी १६वीं शताब्दीके विद्वान् थे । आपने वि० सं० १५८५ में श्रीपालचरित्र बनाकर समाप्त किया है । आराधना कथाकोश भी उसी वक्तके करीबका बना हुआ है ।

‡ यथा—वाराणसीं ततः प्राप्तः कुलघोषैः समन्विताम् ।

योगिलिंगं तथा तत्र गृहीत्वा पर्यटन्पुरे ॥१६॥

स योगी लीलया तत्र शिवकोटिमहीभुजा ।

कारितं शिवदेवोरुप्रासादं संविलोक्य च ॥२०॥

❀ V. A. Smith's Early History of India, III Edition, p. 30-35. (विन्सेंट ए० स्मिथ साहबकी अर्ली हिस्टरी आफ इन्डिया, तृतीयसंस्करण, पृ० ३०-३५।)

संभवतः यही वजह है जो इस छोटीसी परतन्त्र रियासतके राजाओं अथवा रईसोंका कोई विशेष हाल उपलब्ध नहीं होता। रही कांचीके राजाओंकी बात, इतिहासमें सबसे पहले वहाँके राजा 'विष्णुगोप' (विष्णुगोप वर्मा) का नाम मिलता है, जो धर्मसे वैष्णव था और जिसे ईसवी सन् ३५०के करीब 'समुद्रगुप्त'-ने युद्धमें परास्त किया था। इसके बाद ईसवी सन् ४३७ में 'सिंहवर्मन्' (बौद्ध)† का, ५७५ में सिंहविष्णुका, ६०० से ६२५ तक महेन्द्रवर्मन्का, ६२५ से ६४५ तक नरसिंहवर्मन्का, ६५५में परमेश्वरवर्मन्का, इसके बाद नरसिंहवर्मन् द्वितीय (राजसिंह) का और ७४० में नन्दिवर्मन्का नामोल्लेख मिलता है ❀। ये सब राजा पल्लव वंशके थे और इनमें 'सिंहविष्णु' से लेकर पिछले सभी राजाओं का राज्यक्रम ठीक पाया जाता है §। परन्तु सिंहविष्णुसे पहलेके राजाओंकी क्रमशः नामावली और उनका राज्यकाल नहीं मिलता, जिसकी इस अवसर पर—शिवकोटिका निश्चय करनेके लिये—खास जरूरत थी। इसके सिवाय, विसैंट स्मिथ साहब ने, अपनी 'अर्ली हिस्टरी आफ इन्डिया' (पृ० २७५-२७६) में यह भी सूचित किया है कि ईसवी सन् २२० या २३० और ३२० का मध्य-वर्ती प्रायः एक शताब्दीका भारतका इतिहास बिल्कुल ही अन्धकाराच्छन्न है—उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इससे स्पष्ट है कि भारतका जो प्राचीन इतिहास संकलित हुआ है वह बहुत कुछ अधूरा है। उसमें शिवकोटि-जैसे

† शक सं० ३८० (ई० स० ४५८) में भी 'सिंहवर्मन्' कांचीका राजा था और वह उसके राज्यका २२वाँ वर्ष था, ऐसा 'लोकविभाग' नामक दिगम्बर जैनग्रन्थसे मालूम होता है।

❀ कांचीका एक पल्लवराजा 'शिवस्कंद वर्मा' भी था जिसकी ओरसे 'मायिदावोलु' का दानपत्र लिखा गया है, ऐसा मद्रासके प्रो० ए० चक्रवर्ती 'पंचास्तिकाय' की अपनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं। आपकी सूचनाओं-के अनुसार यह राजा ईसाकी १ली शताब्दीके करीब (विष्णुगोपसे भी पहले) हुआ जान पड़ता है।

§ देखो, विसैंट ए० स्मिथ साहबका 'भारतका प्राचीन इतिहास' (Early History of India) तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४७१ से ४७६।

प्राचीन राजाका यदि नाम नहीं मिलता तो यह कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है। यद्यपि ज्यादा पुराना इतिहास मिलता भी नहीं, परन्तु जो मिलता है और मिल सकता है उसको संकलित करनेका भी अभी तक पूरा आयोजन नहीं हुआ। जैनियोंके ही बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ी, तामिल और तेलगु आदि ग्रन्थोंमें इतिहासकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है जिसकी ओर अभी तक प्रायः कुछ भी लक्ष्य नहीं गया। इसके सिवाय, एक एक राजाके कई कई नाम भी हुए हैं और उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपसे होता रहा है, इससे यह भी संभव है कि वर्तमान इतिहासमें 'शिवकोटि' का किसी दूसरे ही नामसे उल्लेख हो * और वहाँ पर यथेष्ट परिचयके न रहनेसे दोनोंका समीकरण न हो सकता हो, और वह समीकरण विशेष अनुसन्धानकी अपेक्षा रखता हो। परन्तु कुछ भी हो, इतिहासकी ऐसी हालत होते हुए, बिना किसी गहरे अनुसन्धानके यह नहीं कहा जा सकता कि 'शिवकोटि' नामका कोई राजा हुआ ही नहीं, और न शिवकोटिके व्यक्तित्वसे ही इनकार किया जा सकता है। 'राजा-वलिकथे' में शिवकोटिका जिस ढंगसे उल्लेख पाया जाता है और पट्टावलियों तथा शिलालेखों आदि द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन होता है उस परसे मेरी यही राय होती है कि 'शिवकोटि' नामका अथवा उस व्यक्तित्वका कोई राजा जरूर हुआ है, और उसके अस्तित्वकी संभावना अधिकतर कांचीकी ओर ही पाई जाती है; ब्रह्मनेमिदत्तने जो उसे वाराणसी (काशी-बनारस) का राजा लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता। ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामें और भी कई बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं जँचती। इस कथा में लिखा है कि—

कांचीमें उस वक्त भस्मक व्याधिको नाश करने के लिये समर्थ (स्निग्धादि)

* शिवकोटिसे मिलते-जुलते शिवस्कन्दवर्मा (पल्लव), शिवमृगेशवर्मा (कदम्ब), शिवकुमार (कुन्दकुन्दाचार्यका शिष्य), शिवस्कन्द वर्मा हारितीपुत्र (कदम्ब), शिवस्कन्द शातकर्णि (आंध्र), शिवमार (गंग), शिवश्री (आंध्र), और शिवदेव (लिच्छिवि), इत्यादि नामोंके धारक भी राजा हो गये हैं। संभव है कि शिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रहा हो, अथवा इनमेंसे ही कोई शिवकोटि हो।

भोजनोंकी सम्प्राप्तिका अभाव था, इसलिये समन्तभद्र कांचीको छोड़कर उत्तरकी ओर चल दिये। चलते चलते वे 'पुण्ड्रेन्दुनगर'† में पहुँचे, वहाँ बौद्धोंकी महती दानशालाको देखकर उन्होंने बौद्ध-भिक्षुकका रूप धारण किया; परन्तु जब वहाँ भी महाव्याधिकी शान्तिके योग्य आहार का अभाव देखा तो आप वहाँसे निकल गये और क्षुधासे पीडित अनेक नगरोंमें घूमते हुए 'दशपुर' नामके नगरमें भागवतों (वैष्णवों) का उन्नत मठ देखकर और यह देखकर कि यहाँपर भागवत लिङ्गधारी साधुओंको भक्तजनों-द्वारा प्रचुर परिमाणमें सदा विशिष्ट आहार भेंट किया जाता है, आपने बौद्ध-वेषका परित्याग किया और भागवत वेष धारण कर लिया, परन्तु यहाँका विशिष्टाहार भी आपकी भस्मक व्याधिकी शान्त करनेमें समर्थ न हो सका और इस लिये आप यहाँसे भी चल दिये। इसके बाद नानादिग्देशादिकोंमें घूमते हुए आप अन्तको 'वाराणसी' नगरी पहुँचे और वहाँ आपने योगिलिङ्ग धारण करके शिवकोटि राजाके शिवालयमें प्रवेश किया। इस शिवालयमें शिवजीके भोगके लिये तय्यार किये हुए अठारह प्रकारके सुन्दर श्रेष्ठ भोजनोंके समूहको देखकर आपने सोचा कि यहाँ मेरी दुर्व्याधि जरूर शान्त हो जायगी। इसके बाद जब पूजा हो चुकी और वह दिव्य आहार—ढेरका ढेर नैवेद्य—बाहर निक्षेपित किया गया तब आपने एक युक्तिके द्वारा लोगों तथा राजाको आश्चर्यमें डालकर शिवको भोजन करानेका काम अपने हाथमें लिया। इस पर राजाने घी, दूध, दही और मिठाई (इक्षुरस) आदिसे मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य भोजन प्रचुर परिमाणमें (पूर्णेः कुम्भ-शतैर्युक्तं=भरे हुए सौ घड़ों जितना) तय्यार कराया और उसे शिवभोजनके लिये योगिराजके सुपुर्द किया। समन्तभद्रने वह भोजन स्वयं खाकर जब मंदिरके कपाट खोले और खाली बरतनोंको बाहर उठा ले जानेके लिये कहा, तब राजादिकको बड़ा आश्चर्य हुआ। यही समझा गया कि योगिराजने अपने योग-

† 'पुण्ड्र' नाम उत्तर बंगालका है जिसे 'पौण्ड्रवर्धन' भी कहते हैं। 'पुण्ड्रेन्दु नगर'से उत्तर दंगालके इन्दुपुर, चन्द्रपुर अथवा चन्द्रनगर आदि किसी खास शहरका अभिप्राय जान पड़ता है। छपे हुए 'आराधनाकथाकोश' (श्लोक ११) में ऐसा ही पाठ दिया है। संभव है कि वह कुछ अशुद्ध हो।

बलसे साक्षात् शिवको अवतारित करके यह भोजन उन्हें ही कराया है। इससे राजाकी भक्ति बढ़ी और वह नित्य ही उत्तमोत्तम नैवेद्यका समूह तैयार करा कर भेजने लगा। इस तरह, प्रचुर परिमाणमें उत्कृष्ट आहारका सेवन करते हुए, जब पूरे छह महीने बीत गये तब आपकी व्याधि एकदम शांत होगई और आहारकी मात्रा प्राकृतिक हो जाने के कारण वह सब नैवेद्य प्रायः ज्योंका त्यों बचने लगा। इसके बाद राजाको जब यह खबर लगी कि योगी स्वयं ही वह भोजन करता रहा है और 'शिव' को प्रणाम तक भी नहीं करता तब उसने कुपित होकर योगीसे प्रणाम न करनेका कारण पूछा। उत्तरमें योगिराजने यह कह दिया कि 'तुम्हारा यह रागी द्वेषी देव मेरे नमस्कारको सहन नहीं कर सकता, मेरे नमस्कारको सहन करनेके लिये वे जिनसूर्य ही समर्थ हैं जो अठारह दोषोंसे रहित हैं और केवलज्ञानरूपी सत्तेजसे लोकालोकके प्रकाशक हैं। यदि मैंने नमस्कार किया तो तुम्हारा यह देव (शिवलिङ्ग) विदीर्ण हो जायगा—खंड खंड हो जायगा—इसीसे मैं नमस्कार नहीं करता हूँ'। इस पर राजाका कौतुक बढ़ गया और उसने नमस्कारके लिये आग्रह करते हुए कहा—'यदि यह देव खंड खंड हो जायगा तो हो जाने दीजिये, मुझे तुम्हारे नमस्कारके सामर्थ्यको जरूर देखना है। समन्तभद्रने इसे स्वीकार किया और अगले दिन अपने सामर्थ्यको दिखलानेका वादा किया। राजाने 'एवमस्तु' कहकर उन्हें मन्दिरमें रक्खा और बाहरसे चौकी पहरेका पूरा इन्तजाम कर दिया। दो पहर रात बीतने पर समन्तभद्रको अपने वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, उससे अम्बिकादेवीका आसन डोल गया। वह दौड़ी हुई आई, आकर उसने समन्तभद्रको आश्वासन दिया और यह कहकर चली गई कि तुम 'स्वयंभुवा भूतहितेन भूतले' इस पदसे प्रारम्भ करके चतुर्विंशति तीर्थंकरोंकी उन्नत स्तुति रचो, उसके प्रभावसे सब काम शीघ्र हो जायगा और यह कुलिंग टूट जायगा। समन्तभद्रको इस दिव्य-दर्शनसे प्रसन्नता हुई और वे निर्दिष्ट स्तुतिको रचकर सुखसे स्थित हो गये। सवेरे (प्रभात समय) राजा आया और उसने वही नमस्कार द्वारा सामर्थ्य दिखलानेकी बात कही। इस पर समन्तभद्रने अपनी उस महास्तुतिको पढ़ना प्रारम्भ किया। जिस वक्त 'चन्द्रप्रभ' भगवानकी स्तुति करते हुए 'तमस्तमो-रेरिव रश्मिभिन्नं' यह वाक्य पढ़ा गया उसी वक्त वह 'शिवलिंग' खंड खंड

होगया और उस स्थानसे 'चन्द्रप्रभ' भगवानकी चतुर्मुखी प्रतिमा महान् जय-कोलाहलके साथ प्रकट हुई। यह देखकर राजादिकको बड़ा आश्चर्य हुआ और राजाने उसी समय समन्तभद्रसे पूछा—हे योगीन्द्र, आप महासामर्थ्यवान् अव्यक्त-लिंगी कौन हैं ? इसके उत्तरमें समन्तभद्रने नीचे लिखे दो काव्य कहे—

कांच्यां नगनाटकोऽहं मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिंडः ।
 पुण्ड्रोण्ड्रे ❀ शाक्यभिन्नुः दशपुरनगरे मृष्टभोजी परिव्राट् ।
 वाराणस्यामभूवं शशिधरधवलः† पाण्डुरांगतपस्वी,
 राजन् यस्यास्ति शक्तिः, सवदतु‡ पुरतो जैननिर्ग्रथवादी ॥
 पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता,
 पश्चान्मालवसिन्धुठक्कविषये कांचीपुरे वैदिशे,
 प्राप्नोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्यात्कटं ऋकटं,
 वादार्थी विचराम्यहं नरपते शार्दूलविक्रीडितं ॥

इसके बाद समन्तभद्रने कुलिगवेष छोड़कर जैन निर्ग्रथ लिंग धारण किया और संपूर्ण एकान्तवादियोंको बादमें जीतकर जैनशासनकी प्रभावना की। यह सब देखकर राजाको जैनधर्ममें श्रद्धा होगई, वैराग्य हो आया और राज्य छोड़ कर उसने जिनदीक्षा धारण करली X ।”

* संभव है कि यह 'पुण्ड्रोण्ड्रे' पाठ हो, जिससे 'पुण्ड्र'—उत्तर बंगाल—और 'उड्र'—उड़ीसा—दोनोंका अभिप्राय जान पड़ता है।

† कहीं पर 'शशिधरधवलः' भी पाठ है जिसका अर्थ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल होता है।

‡ 'प्रवदतु' भी पाठ कहीं कहीं पर पाया जाता है।

X ब्रह्म नेमिदत्तके कथनानुसार उनका कथाकोश भट्टारक प्रभाचन्द्रके उस कथाकोशके आधारपर बना हुआ है जो गद्यात्मक है और जिसको पूरी तरह देखनेका मुझे अभी तक कोई अवसर नहीं मिल सका। सुहृद्वर पं० नाथूरामजी प्रेमीने मेरी प्रेरणासे, दोनों कथाकोशोंमें दी हुई समन्तभद्रकी कथाका परस्पर मिलान किया है और उसे प्रायः समान पाया है। आप लिखते हैं—“दोनोंमें कोई विशेष फर्क नहीं है। नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्यकथाका प्रायः पूर्ण

नेमिदत्तके इस कथनमें सबसे पहले यह बात कुछ जीको नहीं लगती कि 'कांची' जैसी राजधानी में अथवा और भी बड़े-बड़े नगरों शहरों तथा दूसरी राजधानियोंमें भस्मक व्याधिको शांत करने योग्य भोजनका उस समय अभाव रहा हो और इस लिये समन्तभद्रको सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों मीलकी यात्रा करनी पड़ी हो। उस समय दक्षिणमें ही बहुतसी ऐसी दानशालाएँ थीं जिनमें साधुओंको भरपेट भोजन मिलता था, और अग्रणीत ऐसे शिवालय थे जिनमें इसी प्रकारसे शिवको भोग लगाया जाता था, और इसलिये जो घटना काशी (बनारस) में घटी वह वहाँ भी घट सकती थी। ऐसी हालतमें, इन सब संस्थाओंसे यथेष्ट लाभ न उठाकर, सुदूर उत्तरमें काशीतक भोजनके लिये भ्रमण करना कुछ समझमें नहीं आता। कथामें भी यथेष्ट भोजनके न मिलनेका कोई विशिष्ट कारण नहीं बतलाया गया—सामान्यरूपसे 'भस्मकव्याधिविना-शाहारहानितः' ऐसा सूचित किया गया है, जो पर्याप्त नहीं है। दूसरे यह बात भी कुछ असंगतसी मालूम होती है कि ऐसे गुरु, स्निग्ध, मधुर और श्लेष्मल

पद्यानुवाद है। पादपूर्ति आदिके लिये उसमें कही कही थोड़े बहुत शब्द—विशेषण अव्यय आदि—अवश्य बढ़ा दिये गये हैं। नेमिदत्त द्वारा लिखित कथाके ११ वें श्लोकमें 'पुण्ड्रेन्दुनगरे' लिखा है, परन्तु गद्यकथामें 'पुण्ड्रनगरे' और 'वन्दक-लोकानां स्थाने' की जगह 'वन्दकानां बृहद्विहारे' पाठ दिया है। १२ वें पद्यके 'बौद्धलिंगक' की जगह 'वन्दकलिंग' पाया जाता है। शायद 'वन्दक' बौद्धका पर्यायशब्द हो। 'कांच्यां नगनाटकोऽहं' आदि पद्योंका पाठ ज्योंका त्यों है। उसमें 'पुण्ड्रोण्ड्रे' की जगह 'पुण्ड्रोण्ड्रे' 'ठक्कविषये' की जगह 'ढक्कविषये' और 'वेदिशे' की जगह 'वैदुपे' इस तरह नाममात्रका अन्तर दीख पड़ता है। ऐसी हालतमें, नेमिदत्तकी कथाके इस सारांशको प्रभाचन्द्रकी कथाका भी सारांश समझना चाहिये और इसपर होनेवाले विवेचनादिको उस पर भी यथासंभव लगा लेना चाहिये। 'वन्दक' बौद्धका पर्याय नाम है यह बात परमात्मप्रकाशकी ब्रह्मदेवकृतटीकाके निम्न अंशसे भी प्रकट है—

“खवणउ वंदउ सेवडउ”—अपणको दिगम्बरोऽहं, वंदको बौद्धोऽहं, श्वेत-पटादिंलिंगधारकोहोमितिमूढात्मा एवं मन्यत इति।”

गरिष्ठ पदार्थोंका इतने अधिक (पूर्ण शतकुंभ जितने) परिमाणमें नित्य सेवन करने पर भी भस्मकाग्निको शांत होनेमें छह महीने लग गये हों । जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने कुछ अनुभवी वैद्योंसे भी इस विषयमें परामर्श किया है, यह रोग भोजनकी इतनी अच्छी अनुकूल-परिस्थितिमें अधिक दिनों तक नहीं ठहर सकता, और न रोगकी ऐसी हालतमें पैदलका इतना लम्बा सफ़र भी बन सकता है। इसलिये, 'राजावलिकथे' में जो पांच दिनकी बात लिखी है वह कुछ असंगत प्रतीत नहीं होती। तीसरे समन्तभद्रके मुखसे उनके परिचयके जो दो काव्य कहलाये गये है वे बिल्कुल ही अप्रासंगिक जान पड़ते हैं। प्रथम तो राजाकी ओरसे उस अवसर पर वैसे प्रश्नका होना ही कुछ बेढंगा मालूम देता है—वह अवसर तो राजाका उनके चरणोंमें पड़ जाने और क्षमा-प्रार्थना करनेका था—दूसरे समन्तभद्र, नमस्कारके लिये आग्रह किये जाने पर, अपना इतना परिचय दे भी चुके थे कि वे 'शिवोपासक' नहीं हैं बल्कि 'जिनोपासक' हैं, फिर भी यदि विशेष परिचयके लिये वैसे प्रश्नका किया जाना उचित ही मान लिया जाय तो उसके उत्तरमें समन्तभद्रकी ओरसे उनके पितृकुल और गुरुकुलका परिचय दिये जानेकी, अथवा अधिकसे अधिक उनकी भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति और उसकी शांतिके लिये उनके उस प्रकार भ्रमणकी कथाको भी बतला देनेकी जरूरत थी; परन्तु उक्त दोनों पद्योंमें यह सब कुछ भी नहीं है—न पितृकुल अथवा गुरुकुलका कोई परिचय है और न भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति आदिका ही उसमें कोई खास जिक्र है—दोनोंमें स्पष्टरूपसे वादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे पद्यमें तो, उन स्थानोंका नाम देते हुए जहां पहले वादकी भेरो बजाई थी, अपने इस भ्रमणका उद्देश्य भी 'वाद' ही बतलाया गया है। पाठक सोचें, क्या समन्तभद्रके इस भ्रमणका उद्देश्य 'वाद' था ? क्या एक प्रतिष्ठित व्यक्तिद्वारा विनीत-भावसे परिचयका प्रश्न पूछे जानेपर दूसरे व्यक्तिका उसके उत्तरमें लड़ने-गड़नेके लिये तय्यार होना अथवा वादकी घोषणा करना शिष्टता और सभ्यताका व्यवहार कहला सकता है ? और क्या समन्तभद्र-जैसे महान् पुरुषोंके द्वारा ऐसे उत्तरकी कल्पना की जा सकती है ? कभी नहीं। पहले पद्यके चतुर्थ चरणमें यदि वादकी घोषणा न होती तो वह पद्य इस अवसर पर उत्तरका एक अंग बनाया जा सकता था; क्योंकि उसमें अनेक स्थानों पर समन्तभद्रके अनेक वेष

धारण करनेकी बातका उल्लेख है * । परन्तु दूसरा पद्य तो यहां पर कोरा अप्रासंगिक ही है—वह पद्य तो ‘करहाटक’ नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ पद्य है उसमें, अपने पिछले वादस्थानोंका परिचय देते हुए, साफ़ लिखा भी है कि मैं अब उस करहाटक (नगर) को प्राप्त हुआ हूँ जो बहुभटोंसे युक्त है, विद्याका उत्कट स्थान है और जनाकीर्ण है। ऐसी हालतमें पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि बनारसके राजाके प्रश्नके उत्तरमें समंतभद्रसे यह कहलाना कि, अब मैं इस करहाटक नगरमें आया हूँ कितनी बे-सिर-पैरकी बात है, कितनी भारी भूल है और उससे कथामें कितनी कृत्रिमता आ जाती है। जान पड़ता है ब्रह्मनेमदत्त इन दोनों पुरातन पद्योंको किसी तरह कथामें संगृहीत करना चाहते थे और उस संग्रहकी धुनमें उन्हें इन पद्योंके अर्थसम्बन्धका कुछ भी खयाल नहीं रहा। यही वजह है कि वे कथामें उनको यथेष्ट स्थान पर देने अथवा उन्हें ठीक तौर पर संकलित करनेमें कृतकार्य नहीं हो सके। उनका इस प्रसंग पर, ‘स्फुटं काव्यद्वयं चेति योगीन्द्रः तमुवाच सः’ यह लिखकर, उक्त पद्योंका उद्धृत करना कथाके गौरव और उसकी अकृत्रिमताको बहुत कुछ कम कर देता है। इन पद्योंमें वादकी घोषणा होनेसे ही ऐसा मालूम देता है कि ब्रह्म नेमिदत्तने, राजामें जैन धर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पहले, समंतभद्रका एकान्तवादियोंसे वाद कराया है; अन्यथा इतने बड़े चमत्कारके अवसर पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कांचीके बाद समंतभद्रका वह भ्रमण भी पहले पद्यको लक्ष्यमें रखकर ही कराया गया मालूम होता है। यद्यपि उसमें भी कुछ त्रुटियाँ हैं—वहां, पद्यानुसार काँचीके बाद, लांबुशमें समंतभद्रके ‘पाण्डु-पिण्ड’रूपसे (शरीरमें भस्म रमाए हुए) रहनेका कोई उल्लेख ही नहीं है,

❀ यह बतलाया गया है कि “काँचीमें मैं नग्नाटक (दिगम्बर साधु) हुआ, वहाँ मेरा शरीर मलसे मलिन था, लांबुशमें पाण्डुपिण्ड रूपका धारक (भस्म रमाए शैवसाधु) हुआ; पुण्ड्रोड्रमें बौद्ध भिक्षुक हुआ; दशपुर नगरमें मृष्टभोजी परिव्राजक हुआ, और वाराणसीमें शिवसमान उज्ज्वल पाण्डुर अंगका धारी मैं तपस्वी (शैवसाधु) हुआ हूँ; हे राजन् मैं जैन निर्ग्रन्थवादी हूँ, जिस किसीकी शक्ति मुझसे वाद करनेकी हो वह सामने आकर वाद करे।”

चौर न दशपुरमें रहते हुए उनके मृष्टभोजी होनेकी प्रतिज्ञाका ही कोई उल्लेख है। परन्तु इन्हें रहने दीजिये, सबसे बड़ी बात यह है कि उस पद्यमें ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है जिससे यह मालूम होता हो कि समन्तभद्र उस समय भस्मक व्याधिसे युक्त थे अथवा भोजनकी यथेष्ट प्राप्तिके लिये ही उन्होंने वे वेष धारण किये थे ॥ बहुत संभव है कि कांचीमें 'भस्मक' व्याधिकी शांतिके बाद समन्तभद्रने कुछ अर्से तक और भी पुनर्जिनदीक्षा धारण करना उचित न समझा हो; बल्कि लगे हाथों शासनप्रचारके उद्देशसे, दूसरे धर्मोंके आन्तरिक भेदको अच्छी तरहसे मालूम करनेके लिये उस तरह पर भ्रमण करना जरूरी अनुभव किया हो और उसी भ्रमणका उक्त पद्यमें उल्लेख हो; अथवा यह भी होसकता है कि उक्त पद्य में समन्तभद्रके निर्ग्रन्थमुनिजीवनसे पहलेकी कुछ घटनाओंका उल्लेख हो जिनका इतिहास नहीं मिलता और इसलिये जिन पर कोई विशेष राय कायम नहीं की जासकती। पद्यमें किसी क्रमिक भ्रमणका अथवा घटनाओंके क्रमिक होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहां कांची और कहाँ उत्तर बंगालका पुण्ड्रनगर ! पुण्ड्रसे वाराणसी निकट, वहां न जाकर उज्जैनके पास 'दशपुर' जाना और फिर वापिस वाराणसी आना, ये बातें क्रमिक भ्रमणको सूचित नहीं करतीं। मेरी रायमें पहली बात ही ज्यादा संभवनीय मालूम होती है। अस्तु, इन सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए, ब्रह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अंशपर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता जो कांचीसे बनारस तक भोजनके लिये भ्रमण करने और बनारसमें भस्मक-व्याधिकी शांति आदिसे सम्बन्ध रखता है, खासकर

॥ कुछ जैन विद्वानोंने इस पद्यका अर्थ देते हुए 'मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिण्डः' पदोंका कुछ भी अर्थ न देकर उसके स्थानमें 'शरीरमें रोग होनेसे' ऐसा एक खंडवाक्य दिया है; जो ठीक नहीं है। इस पद्यमें एक स्थानपर 'पाण्डुपिण्डः' और दूसरे पर 'पाण्डुरागः' पद आये हैं जो दोनों एक ही अर्थके वाचक हैं और उनसे यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रने जो वेष वाराणसीमें धारण किया है वही लाम्बुशमें भी धारण किया था। हर्षका विषय है कि उन लेखकोंमेंसे प्रधान लेखकने मेरे लिखनेपर अपनी उस भूलको स्वीकार किया है और उसे अपनी उस समयकी भूल माना है।

ऐसी हालतमें जब कि 'राजावलिकथे' साफ़ तौर पर कांचीमें ही भस्मक-व्याधिका शान्ति आदिका विधान करती है और सेनगणकी पट्टावलीसे भी उसका बहुत कुछ समर्थन होता है ।

जहाँ तक मैंने इन दोनों कथाओंकी जाँच की है, मुझे 'राजावलिकथे' में दी हुई समन्तभद्रकी कथामें बहुत कुछ स्वाभाविकता मालूम होती है—मणुवकहल्ली ग्राममें तपश्चरण करते हुए भस्मक-व्याधिका उत्पन्न होना, उसकी निःप्रतीकारावस्थाको देखकर समन्तभद्रका गुरुसे सल्लेखनाव्रतकी प्रार्थना करना, गुरुका प्रार्थनाको अस्वीकार करते हुए मुनिवेष छोड़ने और रोगोपशान्तिके पश्चात् पुनर्जिनदीक्षा धारण करनेकी प्रेरणा करना, 'भीमलिंग' नामक शिवालयका और उसमें प्रतिदिन १२ खंडुग परिमाण तंडुलान्नके विनियोगका उल्लेख, शिवकोटि राजाको आशीर्वाद देकर उसके धर्मकृत्योंका पूछना, क्रमशः भोजनका अधिक अधिक बचना, उपसर्गका अनुभव होते ही उसकी निवृत्तिपर्यन्त समस्त आहार-पानादिकका त्याग करके समन्तभद्रका पहलेसे ही जिनस्तुतिमें लीन होना, चन्द्रप्रभकी स्तुतिके बाद शेष तीर्थकरोंकी स्तुति भी करते रहना, महावीर भगवान्की स्तुति की समाप्ति पर चरणोंमें पड़े हुए राजा और उनके छोटे भाईको आशीर्वाद देकर उन्हें सद्धर्मका विस्तृत स्वरूप बतलाना, राजाके पुत्र 'श्रीकंठ' का नामोल्लेख, राजाके भाई 'शिवायन' का भी राजाके साथ दीक्षा लेना, और समन्तभद्रकी ओरसे भीमलिंग नामक महादेवके विषयमें एक शब्द भी अविनय या अपमानका न कहा जाना, ये सब बातें, जो नेमिदत्तकी कथामें नहीं हैं, इस कथाकी स्वाभाविकताको बहुत कुछ बढ़ा देती हैं । प्रत्युत इसके, नेमिदत्तकी कथासे कृत्रिमताकी बहुत कुछ गंध आती है, जिसका कितना ही परिचय ऊपर दिया जा चुका है । इसके सिवाय, राजाका नमस्कारके लिये आग्रह, समन्तभद्र का उत्तर, और अगले दिन नमस्कार करनेका वादा, इत्यादि बातें भी उसकी कुछ ऐसी ही हैं जो जीको नहीं लगती और आपत्तिके योग्य जान पड़ती हैं । नेमिदत्तकी इस कथापरसे ही कुछ विद्वानोंका यह खयाल हो गया था कि इसमें जिनविम्बके प्रकट होनेकी भी बात कही गई है वह भी शायद कृत्रिम ही है और वह 'प्रभावकचरित' में दी हुई 'सिद्धसेन दिवाकर' की कथासे, कुछ परिवर्तनके साथ, ले ली गई जान पड़ती है—उसमें भी स्तुति पढ़ते हुए इसी तरह

पार्श्वनाथका बिम्ब प्रकट होनेकी बात लिखी है। परन्तु उनका यह खयाल गलत था और उसका निरसन श्रवणबेलगोलके उस मल्लिषेणप्रशस्ति नामक शिलालेखसे भले प्रकार हो जाता है, जिसका 'वंद्यो भस्मक' नामका प्रकृत पद्य ऊपर उद्धृत किया जा चुका है और जो उक्त प्रभावकचरितसे १५६ वर्ष पहिलेका लिखा हुआ है—प्रभावकचरितका निर्माणकाल वि० सं० १३३४ है और शिलालेख शक संवत् १०६० (वि० सं० ११८५) का लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि चन्द्रप्रभ-बिम्बके प्रकट होनेकी बात उक्त कथापरसे नहीं ली गई बल्कि वह समन्तभद्रकी कथासे खास तौरपर सम्बन्ध रखती है। दूसरे एक प्रकारकी घटनाका दो स्थानोंपर होना कोई अस्वाभाविक भी नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि नमस्कारके लिये आग्रह आदिकी बात उक्त कथा परसे ले ली गई हो ॥ क्योंकि 'राजावलिकथे' आदिसे उसका कोई समर्थन नहीं होता, और न समन्तभद्रके सम्बन्धमें वह कुछ युक्तियुक्त ही प्रतीत होती है। इन्हीं सब कारणोंसे मेरा यह कहना है कि ब्रह्म नेमिदत्तने 'शिवकोटि' को जो वाराणसी का राजा लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता; उसके अस्तित्वकी सम्भावना अधिकतर काँचीकी ओर ही पाई जाती है, जो समन्तभद्रके निवासादिका प्रधान प्रदेश रहा है। अस्तु।

शिवकोटिने समन्तभद्रका शिष्य होने पर क्या क्या कार्य किये और कौन कौनसे ग्रन्थोंकी रचना की, यह सब एक जुदा ही विषय है जो खास शिवकोटि आचार्यके चरित्र अथवा इतिहाससे सम्बन्ध रखता है, और इसलिये मैं यहाँ पर उसकी कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं समझता।

'शिवकोटि' और 'शिवायन' के सिवाय समन्तभद्रके और भी बहुत से

॥ प्रभाचन्द्रभट्टारकका गद्य कथाकोश, जिसके आधार पर नेमिदत्तने अपने कथाकोशकी रचना की है, 'प्रभावकचरित' से पहलेका बना हुआ है अतः यह भी हो सकता है कि उसपरसे ही प्रभावचरितमें यह बात ले ली गई हो। परन्तु साहित्यकी एकतादि कुछ विशेष प्रमाणोंके बिना दोनों ही के सम्बन्धमें यह कोई लाजिमी बात नहीं है कि एकने दूसरेकी नकल ही की हो; क्योंकि एक प्रकारके विचारोंका दो ग्रन्थकर्त्ताओंके हृदयमें उदय होना भी कोई असंभव नहीं है।

शिष्य रहे होंगे, इसमें सन्देह नहीं है परन्तु उनके नामादिका अभी तक कोई पता नहीं चला, और इसलिये अभी हमें इन दो प्रधान शिष्यों के नामों पर ही संतोष करना होगा ।

समन्तभद्रके शरीरमें 'भस्मक' व्याधिकी उत्पत्ति किस समय अथवा उनकी किस अवस्थामें हुई, यह जाननेका यद्यपि कोई यथेष्ट साधन नहीं है, फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि वह समय, जबकि उनके गुरु भी मौजूद थे, उनकी युवावस्थाका ही था । उनका बहुतसा उत्कर्ष, उनके द्वारा लोकहितका बहुत कुछ साधन, स्याद्वादतीर्थके प्रभावका विस्तार और जैनशासनका अद्वितीय प्रचार, यह सब उसके बाद ही हुआ जान पड़ता है । 'राजावलिकथे' में तपके प्रभावसे उन्हें 'चारणऋद्धि' की प्राप्ति होना, और उनके द्वारा 'रत्नकरंडक' आदि ग्रंथोंका रचा जाना भी पुनर्दीक्षाके बाद ही लिखा है । साथ ही, इसी अवसर पर उनका खास तौर पर 'स्याद्वाद-वादी'—स्याद्वादविद्याके आचार्य—होना भी सूचित किया है * इसीसे एडवर्ड राइस साहब भी लिखते हैं—

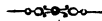
It is told of him that in early life he (Samantabhadra) performed severe penance, and on account of a depressing disease was about to make the vow of Sallekhana, or starvation; but was dissuaded by his guru, who foresaw that he would be a great pillar of the Jain faith.

अर्थात्—समन्तभद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन (मुनिजीवन) की प्रथमावस्था में घोर तपश्चरण किया था, और एक अव-पीडक या अपकर्षक रोगके कारण वे सल्लेखनाव्रत धारण करने ही को थे कि उनके गुरुने, यह देखकर कि वे जैनधर्मके एक बहुत बड़े स्तम्भ होने वाले हैं, उन्हें वैसा करनेसे रोक दिया ।

इस प्रकार यह स्वामी समन्तभद्रकी भस्मकव्याधि और उसकी प्रतिक्रिया एवं शान्ति आदिकी घटनाका कुछ समर्थन और विवेचन है ।

* “आ भावि तीर्थकरन् अप्प समन्तभद्रस्वामिगलु पुनर्दीक्षिणोण्डु तपस्साम-
र्य्यदि चतुरंगुल-चारणत्वमं पडेदु रत्नकरण्डकादिजिनागमपुराणमं पेलि स्याद्वाद-
वादिनल आगि समाधिं ओडेदरु ॥”

समन्तभद्रका एक और परिचय-पद्य



स्वामी समन्तभद्रके आत्म-परिचय-विषयक अभी तक दो ही ऐसे पद्य मिल रहे थे जो राजसभाओंमें राजाको सम्बोधन करके कहे गये हैं—एक ‘पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता’† नामका है, जो करहाटककी राजसभामें अपनी पूर्ववाद-घोषणाओंका उल्लेख करते हुए कहा गया था और दूसरा ‘कांच्यां नगनाटकोहं’‡ इस वाक्यसे प्रारम्भ होता है जो किसी दूसरी राजसभामें कहा हुआ जान पड़ता है और जिसमें विभिन्न स्थानोंपर अपने विभिन्न साधु-वेषोंका उल्लेख करते हुए अपनेको जैननिर्ग्रन्थवादी प्रकट किया है और साथ ही यह चैलेंज किया है कि जिस किसीकी भी वादकी शक्ति हो वह सामने आकर वाद करे ।

हालमें समन्तभद्र-भारतीका संशोधन करते हुए, स्वयम्भूस्तोत्रकी प्राचीन प्रतियोंकी खोजमें, मुझे देहलीके पंचायती मंदिरसे एक ऐसा अतिजीर्ण-शीर्ष गुटका मिला है जिसके पत्र उलटने-पलटने आदिकी जरा-सी भी असावधानीकी

† पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता,

पश्चान्मालवसिन्धुटक्कविषये कांचीपुरे वैदिशे ।

प्राप्तोऽहं करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं,

वादार्थी विचराम्यहं नरपते ! शार्दूलविक्रीडितम् ॥

‡ काच्यां नगनाटकोऽहं मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिडः,

पुण्ड्रोङ्गे शाक्यभिक्षुदशपुरनगरे मृ(मि)ष्टभोजी परिव्राट् ।

वाराणस्यामभूवं शशि(श)धरधवलः पाण्डुरांगस्तपस्वी,

राजन् ! यस्यास्ति शक्तिः सर्वदत्तुं पुरतो जैननिर्ग्रन्थवादी ॥

सहन नहीं कर सकते । इस गुटकेके अन्तर्गत स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तमें उक्त दोनों यथाक्रम पद्योंके अनन्तर एक तीसरा पद्य और संगृहीत है, जिसमें स्वामीजीके परिचय-विषयक दस विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं—१ आचार्य, २ कवि, ३ वादिराट्, ४ पण्डित, ५ दैवज्ञ (ज्योतिर्विद्), ६ भिषक् (वैद्य), ७ मान्त्रिक (मन्त्रविशेषज्ञ), ८ तान्त्रिक (तन्त्रविशेषज्ञ), ९ आज्ञासिद्ध और सिद्ध सारस्वत । वह पद्य इस प्रकार है :—

आचार्योहं कविरहमहं वादिराट् पण्डितोहं

दैवज्ञोहं भिषगहमहं मांत्रिकस्तान्त्रिकोहं ।

राजन्नस्यां जलधिवलयामेखलायामिलाया-

माज्ञासिद्धः किमिति बहुना सिद्धसारस्वतोहं ॥३॥

इस पद्यमें वर्णित प्रथम तीन विशेषण—आचार्य, कवि और वादिराट्—तो पहलेसे परिज्ञात हैं—अनेक पूर्वाचार्योंके वाक्यों, ग्रंथों तथा शिलालेखोंमें इनका उल्लेख मिलता है*। चौथा ‘पण्डित’ विशेषण आजकलके व्यवहारमें ‘कवि’ विशेषण की तरह भले ही कुछ साधारण समझा जाता हो परन्तु उस समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बड़ा मूल्य था और वह प्रायः गमक (शास्त्रोंके मर्म एवं रहस्यको समझने और दूसरोंको समझानेमें निपुण) जैसे विद्वानोंके लिये प्रयुक्त होता था । भगवज्जिनसेनाचार्यने आदिपुराणमें समन्तभद्रके यशको कवियों, गमकों, वादियों और वाग्मियोंके मस्तकका चूड़ामणि बतलाया है और इसके द्वारा यह सूचित किया है कि उस समय जितने कवि, गमक-वादी और वाग्मी थे उन सबपर समन्तभद्रके यशकी छाया पड़ी हुई थी—उनमें कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाग्मि-त्व नामके ये चारों गुण असाधारण कोटिके विकासको प्राप्त हुए थे, और इसलिये पण्डित विशेषण यहाँ गमकत्व जैसे गुण विशेषका द्योतक है । शेष सब विशेषण इस पद्यके द्वारा प्रायः नए ही

‡ देखो, बीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित ‘सत्साधुस्मरणमंगलपाठ’ में ‘स्वामि-समन्तभद्रस्मरण’

* कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ध्नि चूडामणीयते ॥

प्रकाशमें आए हैं और उनसे ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र और तन्त्र जैसे विषयोंमें भी समन्तभद्रकी निपुणाताका पता चलता है। रत्नकरण्डश्रावकाचारमें अंगहीन सम्यग्दर्शनको जन्मसन्ततिके छेदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विषवेदनाके हरनेमें न्यूनाक्षरमन्त्रकी असमर्थताका उदाहरण दिया है वह और शिलालेखों तथा ग्रंथोंमें 'स्वमन्त्रवचन-व्याहृतचन्द्रप्रभः' जैसे वाक्योंका जो प्रयोग पाया जाता है वह सब भी आपके मन्त्रविशेषज्ञ तथा मन्त्रवादी होने का सूचक हैं। अथवा यों कहिये कि आपके 'मान्त्रिक' विशेषणसे अब उन सब कथनोंकी यथार्थताको अच्छा पोषण मिलता है। इधर १६वीं शताब्दीके विद्वान् उग्रादित्याचार्यने अपने 'कल्याणकारक' वैद्यक ग्रंथमें 'अष्टाङ्गमप्यखिलमत्र समन्तभद्रैः प्रोक्तं सविस्तरवचोविभवैर्विशेषात्' इत्यादि पद्य (२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी अष्टाङ्ग वैद्यकविषयपर विस्तृत रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बतलानेमें 'भिषक्' विशेषण अच्छा सहायक जान पड़ता है।

अन्तके दो विशेषण 'आज्ञासिद्ध' और 'सिद्धसारस्वत' तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उनसे स्वामी समन्तभद्रका असाधारण व्यक्तित्व बहुत कुछ सामने आ जाता है। इन विशेषणोंको प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाको सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि—'हे राजन् ! मैं इस समुद्रवलया पृथ्वीपर 'आज्ञा-सिद्ध' हूँ—जो आदेश दूँ वही होता है। और अधिक क्या कहा जाय 'मैं सिद्ध-सारस्वत' हूँ—सरस्वती मुझे सिद्ध है।' इस सरस्वतीकी सिद्धि अथवा वचनसिद्धि में ही समन्तभद्रकी उस सफलता का सारा रहस्य सन्निहित है जो स्थान स्थानपर वादघोषणाएँ करने पर उन्हें प्राप्त हुई थी अथवा एक शिलालेखके कथनानुसार वीर जिनेन्द्रके शासनतीर्थकी हजारगुणी वृद्धि करनेके रूपमें वे जिसे अधिकृत कर सके थे।

अनेक विद्वानोंने 'सरस्वती-स्वैरविहारभूमयः' जैसे पदोंके द्वारा समन्तभद्रको जो सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि प्रकट किया है और उनके रचे हुए प्रबन्ध (ग्रंथ) रूप उज्ज्वल सरोवरमें सरस्वतीको क्रीड़ा करती हुई बतलाया है* उन सब

* देखो, सत्साधुस्मरणमंगलपाठ, पृ० ३४, ४६।

† देखो, बेलूरताल्लुकेका शिलालेख नं० १७ (E. C. V.) तथा सत्साधु-स्मरणमंगल पाठ, पृ० ५१

कथनोंकी पुष्टि भी इस 'सिद्धसारस्वत' विशेषणसे भले प्रकार हो जाती है ।

समन्तभद्रकी वह सरस्वती (वाग्देवी) जिनवाणी माता थी जिसकी अनेकान्तदृष्टिद्वारा अनन्य आराधना करके उन्होंने अपनी वाणीमें वह अतिशय प्राप्त किया था जिसके आगे सभी नततस्तक होते थे और जो आज भी सहृदय विद्वानों को उनकी ओर आकर्षित किए हुए है ।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि उक्त गुटकेमें जो दूसरे दो पद्य पाये जाते हैं उनमें कहीं-कहीं कुछ पाठभेद भी उपलब्ध होता है; जैसे कि प्रथम पद्यमें 'ताडिता' की जगह 'त्राटिता' 'वैदिशे' की जगह 'वैदुशे' 'बहुभटं विद्योत्कटं' की जगह 'बहुभटैविद्योत्कटैः' और 'शार्दूलविक्रीडित' की जगह 'शार्दूलवत्क्रीडितु' पाठ मिलता है । दूसरे पद्यमें 'कांच्या' की जगह 'कांच्या' 'लांबुशे' की जगह 'लांबुसे', 'पुंङ्गोङ्' की जगह 'पिंङ्गोङ्', 'शाक्य-भिक्षुः' की जगह 'शाकभक्षी', 'वाराणस्यामभूव' की जगह 'वाराणस्यां बभूव', 'शशधरधवलः' की जगह 'शशधरधवला' और 'यस्याति' की जगह 'जस्यास्ति' पाठ पाया जाता है । इन पाठभेदोंमें कुछ तो साधारण हैं, कुछ लेखकोंकी लिपि की अशुद्धिके परिणाम जान पड़ते हैं और कुछ मौलिक भी हो सकते हैं । 'शाक्यभिक्षुः' की जगह 'शाकभक्षी' जैसा पाठभेद विचारणीय है । भट्टारक प्रभाचन्द्र और ब्रह्मनेमिदत्त के कथाकोषोंमें जिस प्रकार समन्तभद्रकी कथा दी है उसके अनुसार तो वह 'शाक्यभिक्षुः' ही बनता है; परन्तु यह भी हो सकता है कि उस पाठके कारण ही कथाको वैसा रूप दिया गया हो और वह 'मिष्ट-भोजी परिव्राट्' से मिलता जुलता 'शाकभोजी' परिव्राट्का वाचक हो । कुछ भी हो, अभी निश्चितरूपसे एक बात नहीं कही जा सकती । इस विषयमें अधिक खोजकी आवश्यकता है ।

स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे

अनेकान्तकी पिछली किरण (वर्ष ७ नं० ३-४) में सुहृद्वर पं० नाथूरामजी प्रेमीका एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है 'क्या रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही हैं ?' इस लेखमें 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' पर स्वामी समन्तभद्रके कर्तृत्वकी आशंका करते हुए प्रेमीजीने वादिराजसूरिके पाश्वर्नाथचरितसे 'स्वामिनश्चरितं तस्य', 'अचिन्त्यमहिमादेवः', 'त्यागी स एव योगीन्द्रो' इन तीन पद्योंको इसी क्रमसे एक साथ उद्धृत किया है और बतलाया है कि इसमें क्रमशः स्वामी, देव और योगीन्द्र इन तीन आचार्योंकी स्तुति उनके अलग-अलग ग्रन्थों (देवागम, जैनेन्द्र, रत्नकरण्डक) के संकेत सहित की गई है। 'स्वामी' तथा 'योगीन्द्र' नाम न होकर उपपद हैं और 'देव' जैनेन्द्रव्याकरणके कर्ता देवनन्दीके नामका एक देश है। स्वामी पद देवागमके कर्ता स्वामी समन्तभद्रका वाचक है और 'योगीन्द्र' पद, बीचमें देवनन्दीका नाम पड़ जानेसे, स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न किसी दूसरे ही आचार्यका वाचक है और इसलिये वे दूसरे आचार्य ही 'रत्नकरण्ड' के कर्ता होने चाहिये। परन्तु 'योगीन्द्र' पदके वाच्य वे दूसरे आचार्य कौन हैं यह आपने बतलाया नहीं। हाँ, इतनी कल्पना जरूर की है कि—'असली नाम रत्नकरण्डके कर्ताका भी समन्तभद्र हो सकता है, जो स्वामी समन्तभद्रसे पृथक् शायद दूसरे ही समन्तभद्र हों। यह कल्पना भी आपकी ('हो सकता है', 'शायद' और 'हों' जैसे शब्दोंके प्रयोगको लिये रहने

और दूसरे समन्तभद्रका कोई स्पष्टीकरण न होनेसे) सन्देहात्मक है, और इस लिये यह कहना चाहिये कि 'योगीन्द्र' पदके वाच्यरूपमें आप दूसरे किसी आचार्यका नाम अभी तक निर्धारित नहीं कर सके हैं। ऐसी हालतमें आपकी आशंका और कल्पना कुछ बलवती मालूम नहीं होती।

लेखके अन्तमें "समन्तभद्र नामके धारण करनेवाले विद्वाद् और भी अनेक हो गये हैं" ऐसा लिखकर उदाहरणके तौर पर अष्टसहस्रीकी विषमपद-तात्पर्य-वृत्तिके कर्ताका नाम सूचित किया है और बतलाया है कि वे म० म० सतीश-चन्द्र विद्याभूषणके अनुसार ई० सन् १००० के लगभग हुए हैं। हो सकता है कि ये 'विषमपद तात्पर्य-वृत्ति' के कर्ता समन्तभद्र ही प्रेमीजी की दृष्टिमें उन दूसरे समन्तभद्रके रूपमें स्थित हों जिनके विषयमें रत्नकरण्डके कर्ता होनेकी उपर्युक्त कल्पना की गई है। परन्तु एक तो इन्हें 'योगीन्द्र' सिद्ध नहीं किया गया, जिससे उक्त पदमें प्रयुक्त 'योगीन्द्र' पदके साथ इनकी संगति कुछ ठीक बैठ सकती। दूसरे, इन विषमपद-तात्पर्यवृत्तिके कर्ता-विषयमें प्रेमीजी स्वयं ही आगे लिखते हैं—

“नाम तो इनका भी समन्तभद्र था; परन्तु स्वामी समन्तभद्रसे अपनेको पृथक् बतलानेके लिए इन्होंने आपको 'लघु' विशेषण सहित लिखा है।”

अतः ये लघु समन्तभद्र ही यदि रत्नकरण्डके कर्ता होते तो अपनी वृत्तिके अनुसार॥ रत्नकरण्डमें भी स्वामी समन्तभद्रसे अपना पृथक् बोध करानेके लिए अपनेको 'लघुसमन्तभद्र' के रूपमें ही उल्लेखित करते; परन्तु रत्नकरण्डके पद्यों, गद्यात्मक सन्धियों और टीका तकमें कहीं भी ग्रन्थके कर्तृत्वरूपसे 'लघुसमन्तभद्र' का नामोल्लेख नहीं है, तब उसके विषयमें लघुसमन्तभद्र-कृत होनेकी कल्पना कैसे की जा सकती है? नहीं की जा सकती!—खासकर ऐसी हालतमें जब कि

॥ देवं स्वामिनममलं विद्यानन्दं प्रणम्य निजभक्त्या ।

विवृणोम्यष्टसहस्री-विषमपदं लघुसमन्तभद्रोऽहम् ॥१॥

‡ इन लघुसमन्तभद्रके अलावा चिक्कस०, गेरुसोप्पे स०, अभिनव स०, भट्टारक स० और गृहस्थ स० नामके पाँच समन्तभद्रोंकी मैंने और खोज की थी और उसे आजसे कोई २० वर्ष पहले मा० दि० जैन ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी अपनी प्रस्तावनामें प्रकट किया था और उसके द्वारा

रत्नकरण्डकी प्रत्येक सन्धिमें समन्तभद्रके नामके साथ 'स्वामी' पद लगा हुआ है, जैसा कि सनातन जैनग्रन्थमालाके उस प्रथम गुच्छकसे भी प्रकट है जिसे सन् १९०५ में प्रेमीजीके गुरुवर पं० पन्नालालजी बाकलीवालने एक प्राचीन गुटके परसे बम्बईके निर्णयसागर प्रेसमें मुद्रित कराया था और जिसकी एक सन्धिकानमूना इस प्रकार है—

“इति श्रीसमन्तभद्रस्वामिविरचिते रत्नकरण्डनाम्नि उपासकाध्ययने सम्यग्दर्शनवर्णनो नाम प्रथमः परिच्छेदः ॥१॥”

और इसलिये लेखके शुरूमें प्रेमीजीका यह लिखना कि 'ग्रन्थमें कहीं भी कर्ताका नाम नहीं दिया है' कुछ संगत मालूम नहीं देता । यदि पद्य भागमें नाम के देनेको ही ग्रन्थकारका नाम देना कहा जायगा तब तो समन्तभद्रका 'देवागम' भी उनके नामसे शून्य ही ठहरेगा; क्योंकि उसके भी किसी पद्यमें समन्तभद्रका नाम नहीं है ।

तीसरे, लघुसमन्तभद्रने अपनी उस विषमपदतात्पर्यवृत्तिमें प्रभाचन्द्रके 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' का उल्लेख किया है, इससे लघुसमन्तभद्र प्रभाचन्द्रके बादके विद्वान् ठहरते हैं । और स्वयं प्रेमीजीके कथनानुसार इन प्रभाचन्द्राचार्यने ही रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी वह संस्कृत टीका लिखी है जो माणिकचन्द्रग्रन्थमाला में उन्हींके मन्त्रित्वमें मुद्रित हो चुकी है + । इस टीकाके सन्धिवाक्योंमें ही नहीं किन्तु मूलग्रन्थकी टीकाका प्रारम्भ करते हुए उसके आदिम प्रस्तावना वाक्यमें

यह स्पष्ट किया था कि समयादिककी दृष्टिसे इन छहों दूसरे समन्तभद्रोंमेंसे कोई भी रत्नकरण्डका कर्ता नहीं हो सकता है । (देखो, उक्त प्रस्तावनाका 'ग्रन्थपर सन्देह' प्रकरण पृ० ५ से ।)

॥ ‘अथवा तच्छक्तिसमर्थनं प्रमेयकमलमार्तण्डे द्वितीयपरिच्छेदे प्रत्यक्षेतर-भेदादित्यत्र व्याख्यानावसरे प्रपञ्चतः प्रोक्तमत्रावगन्तव्यम् ॥”

“तथा च प्रमेयकमलमार्तण्डे द्वितीय-परिच्छेदे इतरेतराभावप्रघट्टके प्रतिपादितं ... ।

+ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास' ग्रन्थमें 'श्रीचन्द्र और प्रभाचन्द्र' नामक लेख, पृष्ठ ३३६ ।

भी प्रभाचन्द्राचार्यने इस रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति सूचित किया है। यह प्रस्तावना-वाक्य और नमूनेके तौर एक सन्धिवाक्य इस प्रकार है—

“श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रत्नोपायभूतरत्नकरण्डकाख्यं सम्यग्दर्शनादिरत्नानां पालनोपायभूतं रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्रं कर्तुं कामो निर्विघ्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषन्निष्ठदेवताविशेषं नमस्कुर्वन्नाह—”

“इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वामिविरचितोपासकाध्ययन-टीकायां प्रथमः परिच्छेदः ॥१॥”

प्रेमीजीने अपने ‘जैनसाहित्य और इतिहास’ नामक ग्रन्थ (पृ० ३३६) में कुछ उल्लेखोंके आधारपर यह स्वीकार किया है कि प्रभाचन्द्राचार्य धाराके परमारवंशी राजा भोजदेव और उनके उत्तराधिकारी जयसिंह नरेशके राज्यकालमें हुए हैं और उनका ‘प्रमेयकमलमार्तण्ड’ भोजदेवके राज्यकालकी रचना है। जब कि वादिराजसूरिका पार्श्वनाथचरित शकसंवत् ६४७ (वि० सं० १०८२) में बनकर समाप्त हुआ है। इससे प्रभाचन्द्राचार्य वादिराजके प्रायः समकालीन जान पड़ते हैं। और जब प्रेमीजीकी मान्यतानुसार उन्हींने रत्नकरण्डकी वह टीका लिखी है जिसमें साफ तौर पर रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति प्रतिपादित किया गया है तब प्रेमीजीके लिये यह कल्पना करनेकी कोई माकूल वजह नहीं रहती कि वादिराजसूरि देवागम और रत्नकरण्डको दो अलग अलग आचार्योंकी कृति मानते थे और उनके समक्ष वैसा माननेका कोई प्रमाण या जनश्रुति रही होगी।

यहाँ पर मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रेमीजीने वादिराजके स्पष्ट निर्देशके बिना ही देवागम और रत्नकरण्डको भिन्न भिन्न कर्तृक मानकर यह कल्पना तो कर डाली कि वादिराजके सामने दोनों ग्रन्थोंके भिन्नकर्तृत्वका कोई प्रमाण या जनश्रुति रही होगी, उनके कथनपर एकाएक अविश्वास नहीं किया जा सकता; परन्तु १३वीं शताब्दीके आचार्यकल्प पं० आशाधर जैसे महान् विद्वान्ने जब अपने ‘धर्माभूत’ ग्रन्थमें जगह जगहपर रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति और एक आगम ग्रन्थ प्रतिपादित किया है तब उसके सम्बन्ध में यह कल्पना नहीं की कि पं० आशाधरजीके सामने भी वैसा प्रतिपादन करने

का कोई प्रबल प्रमाण अथवा जनश्रुतिका आधार रहा होगा !! क्या आशाधर-जी को एकाएक अविश्वासका पात्र समझ लिया गया, जो उनके कथनकी जाँचके लिये तो पूर्व परम्पराकी खोजको प्रोत्तेजन दिया गया परन्तु वादिराजके तथा-कथित कथनकी जाँचके लिए कोई संकेत तक भी नहीं किया गया ? नहीं मालूम इसमें क्या कुछ रहस्य है ? आशाधरजीके सामने तो बहुत बड़ी परम्परा आचार्य प्रभाचन्द्रकी रही है, जो अपनी टीका द्वारा रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रका प्रतिपादित करते थे और जिनके वाक्योंको आशाधरजीने अपने धर्माभूत की टीकामें श्रद्धाके साथ उद्धृत किया है और जिनके उद्धरणका एक नमूना इस प्रकार है—

“यथाहुस्तत्र भगवन्तः श्रीमत्प्रभेन्दुदेवपादा रत्नकरण्ड-टीकायां ‘चतुरावर्तत्रितय’ इत्यादि सूत्रे ‘द्विनिषद्य’ इत्यस्य व्याख्याने ‘देववन्दनां कुर्वता हि प्रारम्भे समाप्तौ चोपविश्य प्राणामः कर्तव्यः’ इति ।

—अनगारधर्माभूत पं० नं० ६३ की टीका

पं० आशाधरजीके पहले १२वीं शताब्दीमें श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव भी होगये हैं, जो रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति मानते थे, इसीसे नियमसारकी टीकामें उन्होंने ‘तथा चोक्तं श्रीसमन्तभद्रस्वामिभिः’ इस वाक्यके साथ रत्नकरण्डका ‘अन्यूनमनतिरिक्त’ नामका पद्य उद्धृत किया है ।

इस तरह पं० आशाधरजीसे पूर्वकी १२वीं और ११वीं शताब्दीमें भी, वादिराजसूरिके समय तक, रत्नकरण्डके स्वामी समन्तभद्रकृत होनेकी मान्यताका पता चलता है । खोजने पर और भी प्रमाण मिल सकते हैं । और वैसे रत्नकरण्डके अस्तित्वका पता तो उसके वाक्योंके उद्धरणों तथा अनुसरणोंके द्वारा विक्रमकी छठी (ईसाकी ५वीं) शताब्दी तक पाया जाता है ❀, और

❀ उदाहरणके तौरपर रत्नकरण्डका ‘आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्य’ पद्य न्यायावतार में उद्धृत मिलता है, जो ई० की ७वीं शताब्दीकी रचना प्रमाणित हुई है । और रत्नकरण्डके कितने ही पद-वाक्योंका अनुसरण ‘सर्वार्थसिद्धि’ (ई० की ५वीं शताब्दी) में पाया जाता है और जिनका स्पष्टीकरण ‘सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव’ नामक लेखमें किया जा चुका है (देखो, अनेकान्त वर्ष ५ कि० १०-११)

इसलिये उसके बादके किसी विद्वान-द्वारा उसके कर्तृत्वकी कल्पना नहीं की जा सकती ।

यहाँ पर पाठकोंको इतना और भी जान लेना चाहिये कि आजसे कोई २० वर्ष पहले मैंने 'स्वामी समन्तभद्र' नामका एक इतिहास ग्रन्थ लिखा था, जो प्रेमीजीको समर्पित किया गया था और माणिकचन्द्र-जैनग्रंथमालामें रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनाके साथ भी प्रकाशित हुआ था । उसमें पार्श्वनाथचरितके उक्त 'स्वामिनश्चरितं' और 'त्यागी स एव योगीन्द्रो' इति दोनों पद्योंको एक साथ रखकर मैंने बतलाया था कि इनमें वादिराजसूरिने स्वामी समन्तभद्रकी स्तुति उनके 'देवागम' और 'रत्नकरण्डक' नामक दो प्रवचनों (ग्रन्थों) के उल्लेख पूर्वक की है । साथ ही, एक फुटनोट-द्वारा यह सूचित किया था कि इन दोनों पद्योंके मध्यमें "अचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवन्द्यो हितैषिणा । शब्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिलम्बिताः" यह पद्य प्रकाशित प्रतिमें पाया जाता है, जो मेरी रायमें उक्त दोनों पद्योंके बादका मालूम होता है और जिसका 'देवः' पद संभवतः देववन्दी (पूज्यपाद) का वाचक जान पड़ता है । और लिखा था कि "यदि यह तीसरा पद्य सचमुच ही ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों पद्योंके मध्यमें ही पाया जाता है और मध्यका ही पद्य है तो यह कहना होगा कि वादिराजने समन्तभद्रको अपना हित चाहने वालोंके द्वारा वन्दनीय और अचिन्त्यमहिमा वाला देव भी प्रतिपादन किया है । साथ ही यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं, उनके (समन्तभद्रके) किसी व्याकरण ग्रन्थका उल्लेख किया है ।" इस सूचना और सम्मतिके अनुसार विद्वान् लोग बराबर यह मानते आ रहे हैं कि "त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्षय्यमुखावहः । अर्थिने भव्यार्थादिष्टो रत्नकरण्डक" इस पद्यके द्वारा वादिराजसूरिने पूर्वके 'स्वामिनश्चरितं' पद्यमें उल्लिखित स्वामी समन्तभद्रको ही रत्नकरण्डका कर्ता सूचित किया है; चुनांचे प्रोफेसर हीरालालजी एम०ए० भी सन् १९४२ में षट्खण्डागमकी चौथी जिल्दकी प्रस्तावना लिखते हुए उसके १२ वें पृष्ठपर लिखते हैं—

‘श्रावकाचारका सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्ड-श्रावकाचार है, जिसे वादिराजसूरिने ‘अक्षय्यमुखावह’

और प्रभाचन्द्रने 'अखिल सागारमार्गको प्रकाशित करनेवाला सूर्य' लिखा है'

मेरे उक्त फुटनोटको लक्ष्यमें रखते हुए प्रेमीजी अपने लेखमें लिखते हैं—
'यदि यह कल्पना की जाय कि पहले श्लोकके बाद ही तीसरा श्लोक होगा, बीचका श्लोक गलतीसे तीसरेकी जगह छप गया होगा—यद्यपि इसके लिये हस्तलिखित प्रतियोंका कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। तो भी, दोनोंको एक साथ रखनेपर भी, स्वामी और योगीन्द्रको एक नहीं किया जा सकता और न उनका सम्बन्ध ही ठीक बैठता है।' परन्तु सम्बन्ध क्योंकर ठीक नहीं बैठता और स्वामी तथा योगीन्द्रको एक कैसे नहीं किया जा सकता ? इसका कोई स्पष्टीकरण आपने नहीं किया। मात्र यह कह देनेसे काम नहीं चल सकता कि "तीनोंमें एक एक आचार्यकी स्वतन्त्र प्रशस्ति है"। क्योंकि यह बात तो अभी विवादास्पद ही है कि तीनोंमें एक एक आचार्यकी प्रशस्ति है या दोकी अथवा तीनकी। वादिराजसूरिने तो कहीं यह लिखा नहीं कि "हमने १५ श्लोकों में पूर्ववर्ती १५ ही आचार्योंका या कवियोंका स्मरण किया है" और न दूसरे ही किसी आचार्यने ऐसी कोई सूचना की है। इसके सिवाय समन्तभद्रके साथ 'देव' उपपद भी जुड़ा हुआ पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण देवागमकी वसुनन्दि-वृत्तिके अन्त्यमंगलका निम्न पद्य है—

समन्तभद्रदेवाय परमार्थविकल्पने ।

समन्तभद्रदेवाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १ ॥

और इस लिये उक्त मध्यवर्ती श्लोकमें आए हुए 'देव' पदके वाच्य समन्तभद्र भी हो सकते हैं, जैसा कि उपर्युक्त लिखित फुटनोटमें कहा गया है, उसमें कोई बाधा नहीं आती।

इसी तरह यह कह देनेसे भी काम नहीं चलता कि—“तीनों श्लोक अलग-अलग अपने आपमें परिपूर्ण हैं, वे एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते।” क्योंकि अपने आपमें परिपूर्ण होते और एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते हुए भी क्या ऐसे एकसे अधिक श्लोकोंके द्वारा किसीकी स्तुति नहीं की जा सकती ? जरूर की जा सकता है। और इसका एक सुन्दर उदाहरण भगवज्जिनसेन-द्वारा समन्तभद्रकी ही स्तुतिके निम्न दो श्लोक हैं, जो अलग-अलग अपनेमें परिपूर्ण हैं, एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते और एक साथ भी दिये हुए हैं—

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे ।

यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रयः ॥ ४३ ॥

कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि ।

यशः सामन्तभद्रीयं मूर्ध्नि चूड़ामणीयते ॥ ४४ ॥

—आदिपुराण, प्रथम पर्व

यहां पर यह बात भी नोट कर लेने की है कि भगवजिनसेनने 'प्रवादि-करियूथानां' इस पद्यसे पूर्वाचार्योंकी स्तुतिका प्रारम्भ करते हुए, समन्तभद्र और अपने गुरु वीरसेनके लिये तो दो दो पद्योंमें स्तुति की है, शेषमेंसे किसी भी आचार्यकी स्तुतिके लिये एकसे अधिक पद्यका प्रयोग नहीं किया है । और इस लिये यह स्तुतिकर्ताकी इच्छा और रुचिपर निर्भर है कि वह सबकी एक-एक पद्यमें स्तुति करता हुआ भी किसीकी दो या तीन पद्योंमें भी स्तुति कर सकता है—उसके ऐसा करनेमें बाधाकी कोई बात नहीं है । और इसलिये प्रेमीजीका अपने उक्त तर्कपरसे यह नतीजा निकालना कि "तब उक्त दो श्लोकोंमें एक ही समन्तभद्रकी स्तुति की होगी, यह नहीं हो सकता," कुछ भी युक्ति-संगत मालूम नहीं होता ।

हाँ, एक बात लेखके अन्तमें प्रेमीजीने और भी कही है । संभव है वही उनका अन्तिम तर्क और उनकी आशंकाका मूलाधार हो, वह बात इस प्रकार है—

“देवागमादिके कर्ता और रत्नकरण्डके कर्ता अपनी रचनाशैली और विषयकी दृष्टिसे भी एक नहीं मालूम होते । एक तो महान् तार्किक हैं और दूसरे धर्मशास्त्री । जिनसेन आदि प्राचीन आचार्योंने उन्हें वादी, वाग्मी और तार्किक-के रूपमें ही उल्लेखित किया है, धर्मशास्त्रीके रूपमें नहीं । योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हें कहीं भी नहीं दिया गया ।”

इससे मालूम होता है कि प्रेमीजी स्वामी समन्तभद्रको 'तार्किक' मानते हैं; परन्तु 'धर्मशास्त्री' और 'योगी' माननेमें सन्दिग्ध हैं, और अपने इस सन्देहके कारण स्वामीजीके द्वारा किसी धर्मशास्त्रका रचा जाना तथा पार्श्वनाथ-चरितके उस तीसरे श्लोकमें 'योगीन्द्र' पदके द्वारा स्वामीजीका उल्लेख किया जाना उन्हें कुछ संगत मालूम नहीं होता, और इसलिये वे शंका शील बने हुए हैं । ऐसा

नहीं कि वे एक तार्किकका धर्मशास्त्री तथा योगी होना असंभव समझते हों, बल्कि इस विषयमें उनकी दूसरी दलील है और वह केवल इतनी ही है कि—किसी प्राचीन आचार्यने स्वामी समन्तभद्रको धर्मशास्त्रीके रूपमें उल्लेखित नहीं किया और योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हें कहीं भी नहीं दिया गया। परन्तु यह दलील ठीक नहीं है; क्योंकि श्रीजिनसेनाचार्यसे भी प्राचीन आचार्य अकलंकदेवने देवागम-भाष्यके मंगलपद्यमें 'येनाचार्यसमन्तभद्र-यतिना तस्मै नमः संततं' इस वाक्यके द्वारा समन्तभद्रको 'आचार्य' और 'यति' दोनों विशेषणोंके साथ उल्लेखित किया है जिसमें 'आचार्य' विशेषण 'धर्माचार्य' अथवा 'आचार्यपरमेश्वर' का वाचक है, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप और वीर्यरूप पंचाचार धर्मका स्वयं आचरण करते और दूसरोंको आचरण कराते हैं * । और इसलिये यह आचार्यपद 'धर्मशास्त्री'से भी बड़ा है—धर्मशास्त्रित्व इसके भीतर संनिहित अथवा समाविष्ट है। स्वयं समन्तभद्रने भी अपने एक परिचय-पद्य†में, अपने को आचार्य सूचित किया है।

दूसरा 'यति' विशेषण सन्मार्गमें यत्नशील योगीका वाचक है। श्री विद्या-नन्दाचार्यने अपनी अष्टसहस्रीमें स्वामी समन्तभद्रको 'यतिभृत' और 'यतीश' + तक लिखा है जो दोनों ही 'योगिराज' अथवा 'योगीन्द्र' अर्थके द्योतक हैं। कवि हस्तिमल्ल और अय्यपार्यने विक्रान्तकौरवादिक ग्रन्थोंमें समन्तभद्रको 'पर्दादिक'—चारण ऋद्धिका धारक—लिखा है, जो उनके महान् योगी होनेका सूचक है। और कवि दामोदरने अपने 'चन्द्रप्रभचरितमें' साफतौरपर 'योगी' विशेषणका ही प्रयोग किया है। यथा—

* दंसरागाणपहाणे वीरियचरित्तवरतवायारे ।

अप्यं परं च जुंजइ सो आयरिओ मुणि भेयो ॥५६॥

—द्रव्यसंग्रह

‡ देखो, अनेकान्तकी उस पिछली किरणमें प्रकाशित 'समन्तभद्रका एक और परिचय-पद्य' शीर्षक सम्पादकीय लेख (अथवा इससे पूर्ववर्ती लेख) ।

+ "स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिभृद् भूयाद्विभुर्भुविमान् ।"

"स्वामी जीयात्स शश्वत्प्रथरतस्यतीशोऽकलङ्कोरुकीतिः ॥"

यद्भारत्याः कविः सर्वोऽभवत्संज्ञानपारगः ।

तं कविनायकं स्तौमि समन्तभद्र-योगिनम् ॥

इसके सिवाय ब्रह्म नेमिदत्तने अपने 'आराधना-कथाकोश' में, समन्तभद्रकी कथाका वर्णन करते हुए, जब योगिचमत्कारके अनन्तर समन्तभद्रके मुखसे उनके परिचयके दो पद्य कहलाये हैं तब उन्हें स्पष्ट शब्दोंमें 'योगीन्द्र' लिखा है जैसा कि निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“स्फुटं काव्यद्वयं चेति योगीन्द्रः समुवाच सः ।”

ब्रह्म नेमिदत्तका यह कथाकोश आचार्य प्रभाचन्द्रके गद्यकथाकोशके आधार पर निर्मित हुआ है, और इसलिये स्वामी समन्तभद्रका इतिहास लिखते समय मैंने प्रेमीजीको उक्त गद्यकथाकोशपरसे ब्रह्मनेमिदत्त-वर्णित कथाका मिलान करके विशेषताओंका नोट कर देनेकी प्रेरणा की थी । तदनुसार उन्होंने मिलान करके मुझे जो पत्र लिखा था उसका तुलनात्मक वाक्योंके साथ उल्लेख मैंने एक फुटनोटमें उक्त इतिहासके पृ० १०५, १०६ पर कर दिया था । उसपरसे मालूम होता है कि—“दोनों कथाओंमें कोई विशेष फर्क नहीं है । नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्य कथाका प्रायः पूर्ण अनुवाद है ।” और जो साधारणसा फर्क है वह उक्त फुटनोटमें पत्रकी पंक्तियोंके उद्धरण-द्वारा व्यक्त है । अतः उस-परसे यह कहनेमें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती कि प्रभाचन्द्रने भी अपने गद्य कथाकोशमें स्वामी समन्तभद्रको 'योगीन्द्र' रूपमें उल्लेखित किया है । चूँकि प्रेमीजीके कथनानुसार * ये गद्यकथाकोशके कर्ता प्रभाचन्द्र भी वे ही प्रभाचन्द्र हैं जो 'प्रेमेयकमलमार्तण्ड' और 'रत्नकरण्ड-श्रावकाचार' की टीकाके कर्ता हैं । अतः स्वामी समन्तभद्रके लिये 'योगीन्द्र' विशेषणके प्रयोगका अनुसन्धान प्रमेय-कमलमार्तण्डकी रचनाके समय तक अथवा वादिराजसूरिके पार्श्वनाथ-चरितकी रचनाके लगभग पहुँच जाता है । ऐसी हालतमें प्रेमीजीका यह लिखना कि “योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हें कहीं भी नहीं दिया गया” कुछ भी संगत मालूम नहीं होता और वह खोजसे कोई विशेष सम्बन्ध न रखता हुआ चलती लेखनीका ही परिणाम जान पड़ता है ।

अब रही रचनाशैली और विषयकी बात । इसमें किसीको विवाद नहीं कि 'देवागम' और 'रत्नकरण्ड' का विषय प्रायः अलग है—एक मुख्यतया आसकी मीमांसाको लिये हुए है तो दूसरा आसकयित श्रावकधर्मके निर्देशको । विषयकी भिन्नतासे रचनाशैलीमें भिन्नताका होना स्वाभाविक है; फिर भी यह भिन्नता ऐसी नहीं जो एक साहित्यकी उत्तमता तथा दूसरेकी अनुत्तमता (घटियापन)-को द्योतन करती हो । रत्नकरण्डका साहित्य देवागमसे जरा भी हीन न होकर अपने विषयकी दृष्टिसे इतना प्रौढ, सुन्दर जँचा तुला और अर्थगौरवको लिये हुए है कि उसे सूत्रग्रन्थ कहनेमें जरा भी संकोच नहीं होता । पं० आशाधरजी जैसे प्रौढ विद्वानोंने तो अपनी धर्माभ्युदयिका में उसे जगह-जगह 'आगम' ग्रन्थ लिखा ही है और उसके वाक्योंको 'सूत्र' रूपसे उल्लेखित भी किया है—जैसा कि पीछे दिये हुए एक उद्धरणसे प्रकट है ।

और यदि रचनाशैलीसे प्रेमीजीका अभिप्राय उस 'तर्कपद्धति' से है जिसे वे देवागमादिक तर्कप्रधान ग्रन्थोंमें देख रहे हैं और समझते हैं कि 'रत्नकरण्ड' भी उसी रंगमें रंगा हुआ होना चाहिये था तो वह उनकी भारी भूल है । और तब मुझे कहना होगा कि उन्होंने श्रावकाचार-विषयक जैनसाहित्यका कालक्रमसे अथवा ऐतिहासिक दृष्टिसे अवलोकन नहीं किया और न देश तथा समाजकी तात्कालिक स्थितिपर ही कुछ गम्भीर विचार किया है । यदि ऐसा होता तो उन्हें मालूम हो जाता कि उस वक्त—स्वामी समन्तभद्रके समयमें—और उससे भी पहले श्रावक-लोग प्रायः साधु-मुखापेक्षी हुआ करते थे—उन्हें स्वतन्त्ररूपसे ग्रन्थोंको अध्ययन करके अपने मार्गका निश्चय करनेकी जरूरत नहीं होती थी; बल्कि साधु अथवा मुनिजन ही उस वक्त, धर्मविषयमें, उनके एकमात्र पथप्रदर्शक होते थे । देशमें उस समय मुनिजनोंकी खासी बहुलता थी और उनका प्रायः हर वक्तका सत्समागम बना रहता था । इससे गृहस्थ लोग धर्मश्रवणके लिये उन्हींके पास जाया करते थे और धर्मकी व्याख्याको सुनकर उन्हींसे अपने लिये कभी कोई व्रत, किसी खास व्रत, अथवा व्रतसमूहकी याचना किया करते थे । साधुजन भी श्रावकोंको उनके यथेष्ट कर्तव्यकर्मका उपदेश देते थे, उनके याचित व्रतको यदि उचित समझते तो उसकी गुरुमन्त्र-पूर्वक उन्हें दीक्षा देते थे और यदि उनकी शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध

कर देते थे। साथ ही, जिस व्रतका उनके लिये निर्देश करते थे उसके विधि-विधानको भी उनकी योग्यताके अनुकूल नियंत्रित कर देते थे। इस तरहपर गुरु-जनोंके द्वारा धर्मोपदेशको सुनकर धर्मानुष्ठानकी जो कुछ शिक्षा गृहस्थोंको मिलती थी उसीके अनुसार चलना वे अपना धर्म—अपना कर्तव्यकर्म—समझते थे, उसमें ‘चूँचरा’ (कि, कथमित्यादि) करना उन्हें नहीं आता था; अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा और भक्ति उन्हें उस ओर (संशयमार्गकी तरफ) जाने ही न देती थी। श्रावकोंमें सर्वत्र आज्ञा-प्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और अपनी इस प्रवृत्ति तथा परिणतिके कारण ही वे लोग ‘श्रावक’ तथा ‘श्राद्ध’ कहलाते थे। उस वक्त तक श्रावकधर्ममें अथवा स्वाचार-विषयपर श्रावकोंमें तर्कका प्रायः प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचार्योंका परस्पर इतना मत-भेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने अथवा जिसका सामंजस्य स्थापित करने आदिके लिये किसीको तर्कपद्धतिका आश्रय लेनेकी जरूरत पड़ती। उस वक्त तर्कका प्रयोग प्रायः स्व-परमतके विचारों सिद्धांतों तथा आत्मादि विवादग्रस्त विषयोंपर ही होता था। वे ही तर्ककी कसौटीपर चढ़े हुए थे—उन्हींकी परीक्षा तथा निर्णयदिके लिये उसका सारा प्रयास था। और इसलिये उस वक्तके जो तर्कप्रधान ग्रंथ पाये जाते हैं वे प्रायः उन्हीं विषयोंकी चर्चाके लिये हुए हैं। जहाँ विवाद नहीं होता वहाँ तर्कका काम भी नहीं होता। इसीसे छन्द, अलंकार, काव्य, कोश, व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिषादि दूसरे कितने ही विषयोंके ग्रंथ तर्कपद्धतिसे प्रायः शून्य पाये जाते हैं। खुद स्वामी समन्तभद्रका ‘जिनशतक’ नामक ग्रंथ भी इसी कोटिमें स्थित है—स्वामी-द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें ‘देवागम’ जैसी तर्कप्रधानता नहीं पाई जाती—वह एक कठिन, शब्दालङ्कार-प्रधान ग्रंथ है और आचार्यमहोदयके अपूर्व काव्यकौशल, अद्भुत व्याकरण-पांडित्य और अद्वितीय शब्दाधिपत्यको

ॐ ‘शृणोति गुवादिभ्यो धर्ममिति श्रावकः’

—सा० धर्माभूतटीका

“श्राद्धः श्रद्धासमन्विते”

—श्रीधर, हेमचन्द्र”

सूचित करता है। रत्नकरण्ड भी उन्हीं तर्कप्रधानता-रहित ❀ ग्रन्थोंमेंसे एक ग्रंथ है और इसलिये उसकी यह तर्क-हीनता सन्देहका कोई कारण नहीं हो सकती। ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिससे एक ग्रन्थकार अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ-में एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये बाध्य हो सके। नानाविषयोंके ग्रन्थ नाना प्रकारके शिष्योंको लक्ष्य करके लिखे जाते हैं और उनमें विषय तथा शिष्यरुचिकी विभिन्नताके कारण लेखन-पद्धतिमें भी अवसर विभिन्नता हुआ करती है।

ऐसी हालतमें प्रेमीजीने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके कर्तृत्व-विषयपर जो आशंका की है उसमें कुछ भी सार मालूम नहीं होता। आशा है इस लेखपर-से प्रेमजी अपनी शंकाका यथोचित समाधान करने में समर्थ हो सकेंगे।



❀ ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डमें तर्कसे बिल्कुल काम ही न लिया गया हो। आवश्यक तर्कको यथावसर बराबर स्थान दिया गया है। जरूरत होनेपर उसका अच्छा स्पष्टीकरण किया जायगा। यहाँ सूचनारूपमें ऐसे कुछ पद्योंके नम्बरोंको (१५० की संख्यानुसार) नोट किया जाता है, जिनमें तर्कसे कुछ काम लिया गया है अथवा जो तर्कदृष्टिको लक्ष्यमें रख कर लिखे गये हैं :—५, ८, ९, २१, २६, २७, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ४७, ४८, ५३, ५९, ६७, ७०, ७१, ८२, ८४, ८५, ८६, ९५, १०२, १२३।

समन्तभद्रके ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय

स्वामी समन्तभद्राचार्यने कुल कितने ग्रन्थोंकी रचना की, वे किस किस विषय अथवा नामके ग्रन्थ हैं, प्रत्येककी श्लोकसंख्या क्या है, और उनपर किन किन आचार्यों तथा विद्वानोंने टीका-टिप्पण अथवा भाष्य लिखे हैं; इन सब बातोंका पूरा विवरण देनेके लिये, यद्यपि साधनाभावसे, मैं तय्यार नहीं हूँ फिर भी आचार्यमहोदयके बनाये हुए जो जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं और जिनका पता चलता या उल्लेख मिलता है उन सबका कुछ परिचय अथवा यथावश्यकता उनपर कुछ विचार नीचे प्रस्तुत किया जाता है:—

१ आप्तमीमांसा

समन्तभद्रके उपलब्ध ग्रन्थोंमें यह सबसे प्रधान ग्रन्थ है और ग्रन्थका यह नाम उसके विषयका स्पष्ट द्योतक है। इसे 'देवागम' स्तोत्र भी कहते हैं। 'भक्तामर' आदि कितने ही स्तोत्रोंके नाम जिस प्रकार उनके कुछ आद्य अक्षरोंपर अवलम्बित हैं उसी प्रकार 'देवागम' शब्दोंसे प्रारम्भ होनेके कारण यह ग्रन्थ भी 'देवागम' कहा जाता है; अथवा अर्हन्तदेवका आगम इसके द्वारा व्यक्त होता है—उसका तत्त्व साफ़ तौर पर समझमें आजाता है—और यह उसके रहस्यको लिये हुए है, इससे भी यह ग्रन्थ 'देवागम' कहलाता है। इस ग्रन्थके श्लोकों अथवा कारिकाओंकी संख्या ११४ है। परन्तु 'इतीयमाप्तमीमांसा' नामके पद्य नं० ११४ के बाद 'वसुनन्दी' आचार्यने, अपनी 'देवागमवृत्ति' में, नीचे लिखा पद्य भी दिया है—

जयति जगति क्लेशावेशप्रपंचहिमांशुमान्
विहृतविषमैकान्तध्वान्तप्रमाणनयांशुमान् ।

यतिपतिरजो यस्याधृष्टान्मताम्बुनिधेर्लवान्
स्वमतमतयस्तीर्थ्या नाना परे समुपासते ॥११५॥

यह पद्य यदि वृत्तिके अन्तमें ऐसे ही दिया होता तो हम यह नतीजा निकाल सकते थे कि यह वसुनन्दी आचार्यका ही पद्य है और उन्होंने अपनी वृत्तिके अन्त-मंगलस्वरूप इसे दिया है। परन्तु उन्होंने इसकी वृत्ति दी है और साथ ही इसके पूर्व निम्न प्रस्तावनावक्य भी दिया है—

“कृतकृत्यो निर्व्यूढतत्त्वप्रतिज्ञ आचार्यः श्रीसमन्तभद्रकेसरी प्रमाण-
नयतीक्ष्णनखरदंष्ट्राविदारित-प्रवादिकुनयमदविह्वलकुम्भिकुम्भस्थलपाट-
नपटुरिदमाह—”

इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, एक तो यह कि यह पद्य वसुनन्दी आचार्यका नहीं है, दूसरी यह कि वसुनन्दीने इसे समन्तभद्रका ही, ग्रन्थके अन्त मंगलस्वरूप, पद्य समझा है और वैसा समझकर ही इसे वृत्ति तथा प्रस्तावनाके साथ दिया है। परन्तु यह पद्य, वास्तवमें, मूल ग्रन्थका अन्तिम पद्य है या नहीं यह बात अवश्य ही विचारणीय है और उसका यहाँ विचार किया जाता है—

इस ग्रन्थपर भट्टकलंकदेवने एक भाष्य लिखा है, जिसे ‘अष्टशती’ कहते हैं और श्रीविद्यानन्दाचार्यने ‘अष्टसहस्री’ नामक एक बड़ी टीका लिखी है, जिसे ‘आसंमीमांसालंकृति’ तथा ‘देवागमालंकृति’ भी कहते हैं। इन दोनों प्रधान तथा प्राचीन टीकाग्रन्थोंमें इस पद्यको मूल ग्रन्थका कोई अंग स्वीकार नहीं किया गया और न इसकी कोई व्याख्या ही की गई है। ‘अष्टशती’ में तो यह पद्य दिया भी नहीं। हाँ, ‘अष्टसहस्री’ में टीकाकी समाप्तिके बाद, इसे निम्न वाक्यके साथ दिया है—

‘अत्र शास्त्रपरिसमाप्तौ केचिदिदं मंगलवचनमनुमन्यते ।’

उक्त पद्यको देनेके बाद ‘श्रीमदकलंकदेवाः पुनरिदं वदन्ति’ इस वाक्यके साथ ‘अष्टशती’ का अन्तिम मंगलपद्य उद्धृत किया है; और फिर निम्न वाक्यके साथ, श्रीविद्यानन्दाचार्यने अपना अन्तिम मंगल पद्य दिया है—

“इति परापरगुरुप्रवाहगुणगणसंस्तवस्य मंगलस्य प्रसिद्धेर्वयं तु
वभक्तिवशादेवं निवेदयामः ।”

अष्टसहस्रीके इन वाक्योंसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि 'अष्टशती' और 'अष्टसहस्री' के अन्तिम मंगल-वचनोंकी तरह यह पद्य भी किसी दूसरी पुरानी टीकाका मंगल-वचन है, जिससे शायद विद्यानंदाचार्य परिचित नहीं थे अथवा परिचित भी होंगे तो उन्हें उसके रचयिताका नाम ठीक मालूम नहीं होगा। इसीलिये उन्होंने, अकलंकदेवके सहश उनका नाम न देकर, 'केचित्' शब्दके द्वारा ही उनका उल्लेख किया है। मेरी रायमें भी यही बात ठीक जँचती है। ग्रंथकी पद्धति भी उक्त पद्यको नहीं चाहती। मालूम होता है वसुनन्दी आचार्य-को 'देवागम' की कोई ऐसी ही मूल प्रति उपलब्ध हुई है जो साक्षात् अथवा परम्परया उक्त टीकासे उतारी गई होगी और जिसमें टीकाका उक्त मंगल-पद्य भी गलतीसे उतार लिया गया होगा। लेखकोंकी नासमझीसे ऐसा बहुधा ग्रन्थप्रतियोंमें देखा जाता है। 'सनातनजैनग्रंथमाला' में प्रकाशित 'बृहत्स्वयंभू-स्तोत्र'के अन्तमें भी टीकाका 'यो निःशेषजिनोक्त' नामका पद्य मूलरूपसे दिया हुआ है और उसपर नंबर भी क्रमशः १४४ डाला है। परन्तु यह मूलग्रंथका पद्य कदापि नहीं है।

'आप्तमीमांसा' की जिन चार टीकाओंका ऊपर उल्लेख किया गया है उनके सिवाय 'देवागम-पद्यवार्तिकालंकार' नामकी एक पाँचवीं टीका भी जान पड़ती है जिसका उल्लेख *युक्त्यनुशासन-टीकामें निम्न प्रकारसे पाया जाता है—
इति देवागमपद्यवार्तिकालंकारे निरूपितप्रायम्।

इससे मालूम होता है कि यह टीका प्रायः पद्यात्मक है। मालूम नहीं इसके रचयिता कौन आचार्य हुए हैं। संभव है कि 'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकालंकार' की तरह इस 'देवागमपद्यवार्तिकालंकार' के कर्ता भी श्रीविद्यानंद आचार्य ही हों और इस तरह उन्होंने इस ग्रंथकी एक गद्यात्मक (अष्टसहस्री) और दूसरी यह पद्यात्मक ऐसी दो टीकाएँ लिखी हों, परन्तु यह बात अभी निश्चयपूर्वक नहीं कही जा सकती। अस्तु; इन टीकाओंमें 'अष्टसहस्री' पर 'अष्टसहस्रीविषम-पदतात्पर्यटीका' नामकी एक टिप्पणी लघुसमन्तभद्राचार्यने लिखी है और दूसरी टिप्पणी श्वेताम्बर सम्प्रदायके महान् आचार्य तथा नैयायिक विद्वान् उपाध्याय यशोविजयजीकी लिखी हुई है। प्रत्येक टिप्पणी परिमाणमें अष्टसहस्री-जितनी

ही है—अर्थात् दोनों आठ आठ हजार श्लोकोंवाली हैं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी—ऐसी ऐसी विशालकाय तथा समर्थ टीका-टिप्पणियोंकी उपस्थितिमें भी—‘देवागम’ अभी तक विद्वानोंके लिये दूरूह और दुर्बोधसा बना हुआ है। इससे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि इस ग्रन्थके ११४ श्लोक कितने अधिक महत्व, गांभीर्य तथा गूढार्थको लिये हुए हैं; और इसलिये, श्रीवीरनंदी आचार्यने ‘निर्मलवृत्तमौक्तिका हारयष्टि’ की तरह और नरेंद्रसेनाचार्यने ‘मनुष्यत्व’के समान समन्तभद्रकी भारतीको जो ‘दुर्लभ’ बतलाया है उसमें जरा भी अत्युक्ति नहीं है। वास्तवमें इस ग्रन्थकी प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद ‘सूत्र’ है और वह बहुत ही जांचतोलकर रक्खा गया है—उसका एक भी अक्षर व्यर्थ नहीं है। यही वजह है कि समन्तभद्र इस छोटेसे कूजेमें संपूर्ण मतमतान्तरोंके रहस्यरूपी समुद्रको भर सके हैं और इसलिये उसको अधिगत करनेके लिये गहरे अध्ययन, गहरे मनन और विस्तीर्ण हृदयकी खास जरूरत है।

हिन्दीमें भी इस ग्रन्थपर पंडित जयचन्द्ररायजीको बनाई हुई एक टीका मिलती है जो प्रायः साधारण है। सबसे पहले यही टीका मुझे उपलब्ध हुई थी और इसी परसे मैंने इस ग्रन्थका कुछ प्राथमिक परिचय प्राप्त किया था। उस वक्त तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ था, और इसलिये मैंने बड़े प्रेमके साथ, उक्त टीकासहित, इस ग्रन्थकी प्रतिलिपि स्वयं अपने हाथसे उतारी थी। वह प्रतिलिपि अभी तक मेरे पुस्तकालयमें सुरक्षित है। उस वक्तसे बराबर मैं इस मूल ग्रन्थको देखता आ रहा हूँ और मुझे यह बड़ा ही प्रिय मालूम होता है।

इस ग्रन्थपर कनड़ी, तामिलादि भाषाओंमें भी कितने ही टीका-टिप्पण, विवरण और भाष्य ग्रन्थ होंगे परन्तु उनका कोई हाल मुझे मालूम नहीं है; इसीलिये यहांपर उनका कुछ भी परिचय नहीं दिया जा सका।

† इस विषयमें, श्वेताम्बर साधु मुनि जिनविजयजी भी लिखते हैं—

“यह देखनेमें ११४ श्लोकोंका एक छोटासा ग्रंथ मालूम होता है, पर इसका गांभीर्य इतना है कि, इस पर सैकड़ों-हजारों श्लोकोंवाले बड़े बड़े गहन भाष्य-विवरण आदि लिखे जाने पर भी विद्वानोंको यह दुर्गम्यसा दिखाई देता है।”

—जैनहितैषी भाग १४, अंक ६।

२ युक्त्यनुशासन

समन्तभद्रका यह ग्रंथ भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण तथा अपूर्व है और इसका भी प्रत्येक पद बहुत ही अर्थगौरवको लिए हुए है। इसमें, स्तोत्रप्रणालीसे, कुल ६४७ पद्यों-द्वारा, स्वमत और परमतोंके गुणदोषोंका, सूत्ररूपसे, बड़ा ही मार्मिक वर्णन दिया है, और प्रत्येक विषयका निरूपण, बड़ी ही खूबी के साथ, प्रबल युक्तियोंद्वारा किया गया है। यह ग्रंथ जिज्ञासुओंके लिये हितान्वेषणके उपाय-स्वरूप है और इसी मुख्य उद्देश्यको लेकर लिखा गया है; जैसा कि ६३वीं कारिकाके उत्तरार्धसे प्रकट है*। श्रीजिनसेनाचार्यने इसे महावीर भगवानके वचनोंके तुल्य लिखा है। इस ग्रंथपर अभीतक श्रीविद्यानंदाचार्यकी बनाई हुई एक ही सुन्दर संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है और वह 'मार्गिकचन्द-ग्रंथमाला' में प्रकाशित भी हो चुकी है। इस टीकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे मालूम होता है कि यह ग्रंथ 'आप्तमीमांसा' के बादका बना हुआ है—

“श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदाद्व्यवस्थापितेन भगवता श्रीमताहृतान्त्यतीर्थकरपरमदेवेन मां परीक्ष्य किं चिकीर्षवो भवन्त इति ते पृष्टा इव प्राहुः।”

ग्रंथका विशेष परिचय 'समन्तभद्रका युक्त्यशासन' लेखमें दिया गया है।

३ स्वयम्भूस्तोत्र

इसे 'बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र' और 'समन्तभद्रस्तोत्र' भी कहते हैं। यह ग्रंथ भी

* सन् १९०५ में प्रकाशित 'सनातनजैनग्रंथमाला'के प्रथम गुच्छकमें इस ग्रंथके पद्योंकी संख्या ६५ दी है, परन्तु यह भूल है। उसमें ४० वें नम्बर पर जो 'स्तोत्रे युक्त्यनुशासने' नामका पद्य दिया है वह टीकाकार का पद्य है, मूलग्रन्थका नहीं। और मा० ग्रन्थमालामें प्रकाशित इस ग्रन्थके पद्यों पर गलत नम्बर पड़ जानेसे ६५ संख्या मालूम होती है।

† किमु न्यायाज्याय-प्रकृत-गुणदोषज्ञ-मनसां हितान्वेषोपायस्तव गुण-कथा-संग-गदितः।

+ 'जैनसिद्धान्त भवन आरा' में इस ग्रंथकी कितनी ही ऐसी प्रतियां कनड़ी अक्षरोंमें मौजूद हैं जिनपर ग्रंथका नाम 'समन्तभद्रस्तोत्र' लिखा है।

बड़ा ही महत्त्वशाली है, निर्मल-सूक्तियोंको लिये हुए है और चतुर्विंशति जिन-देवोंके धर्मको प्रतिपादन करना ही इसका एक विषय है। इसमें कहीं कहीं पर-किसी-किसी तीर्थकरके सम्बन्धमें—कुछ पौराणिक तथा ऐतिहासिक बातोंका भी उल्लेख किया गया है, जो बड़ा ही रोचक मालूम होता है। उस उल्लेखको छोड़कर शेष संपूर्ण ग्रंथ स्थान स्थान पर, तात्त्विक वर्णनों और धार्मिक शिक्षाओंसे परिपूर्ण है। यह ग्रंथ अच्छी तरहसे समझ कर नित्य पाठ किये जानेके योग्य है। इसका पूरा एवं विस्तृत परिचय 'समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र' इस नामके निबन्धमें दिया गया है।

इस ग्रन्थपर क्रियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्र आचार्यकी बनाई हुई अभी तक एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है। टीका साधारणतया अच्छी है परन्तु ग्रन्थके रहस्यको अच्छी तरह उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नहीं है। ग्रन्थपर अवश्य ही दूसरी कोई उत्तम टीका भी होगी, जिसे भंडारोंसे खोज निकालनेकी जरूरत है। यह स्तोत्र 'क्रियाकलाप' ग्रन्थमें भी संग्रह किया गया है, और क्रिया-कलापपर पं० आशाधरजीकी एक टीका कही जाती है, इससे इस ग्रन्थपर पं० आशाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये।

४ स्तुतिविद्या

यह ग्रंथ 'जिनस्तुतिशतक' 'जिनस्तुतिशतं,' 'जिनशतक' और 'जिनशत-कालंकार' नामोंसे भी प्रसिद्ध है, भक्तिरससे लबालब भरा हुआ है, रचनाकौशल तथा चित्रकाव्योंके उत्कर्षको लिये हुए है, सर्व अलंकारोंसे भूषित है और इतना दुर्गम तथा कठिन है कि बिना संस्कृतटीकाकी सहायता के अच्छे-अच्छे विद्वान् भी इसे सहसा नहीं लगा सकते। इसके पद्योंकी संख्या ११६ है और उनपर एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध है जो वसुनन्दीकी बनाई हुई है। वसुनन्दीसे पहले नरसिंह विभाकरकी टीका बनी थी, जो इस सुपद्मिनी कृतिको विकसित करने वाली थी और जिससे पहले इस ग्रन्थपर दूसरी कोई टीका नहीं थी, ऐसा टीका-कार वसुनन्दीके एक वाक्यसे पाया जाता है। वह टीका आज उपलब्ध नहीं है और संभवतः वसुनन्दीके समय (१२वीं शताब्दी)में भी उपलब्ध नहीं थी—केवल उसकी जनश्रुति ही अवशिष्ट थी ऐसा जाना जाता है। प्रस्तुत टीका अच्छी

और उपयोगी बनी है। इसका विशेष परिचय 'समन्तभद्रकी स्तुतिविद्या' नामक निबन्धसे जाना जासकता है।

५ रत्नकरंड उपासकाध्ययन

इसे 'रत्नकरंडश्रावकाचार' तथा 'समीचीन-धर्मशास्त्र' भी कहते हैं। उपलब्ध ग्रंथोंमें, श्रावकाचार विषयका, यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। श्रीवादिराजसूरिने इसे 'अक्षय्यसुखावह'❧ और प्रभाचन्द्रने 'अखिल सागारमार्गको प्रकाशित करनेवाला निर्मल सूर्य' लिखा है। इसका विशेष परिचय और इसके पद्योंकी जाँच आदि-विषयक विस्तृत लेख माणिकचन्द्र-ग्रंथमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनामें तथा वीरसेवामन्दिर-से हालमें प्रकाशित 'समीचीन-धर्मशास्त्र'की प्रस्तावनामें दिया गया है। यहाँपर मैं सिर्फ इतनाही बतला देना चाहता हूँ कि इस ग्रन्थपर अभीतक केवल एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है, जो प्रभाचन्द्राचार्यकी बनाई हुई है और वह प्रायः साधारण है। हाँ, 'रत्नकरंडकविषमपदव्याख्यान' नामका एक संस्कृत टिप्पण भी इस ग्रन्थपर मिलता है, जिसके कर्त्ताका नाम उसपरसे मालूम नहीं हो सका। यह टिप्पण आराके जैनसिद्धान्तभवनमें मौजूद है। कनड़ी भाषामें भी इस ग्रन्थकी कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु उनके रचयिताओं आदिका कुछ पता नहीं चल सका। तामिल भाषाका 'अरुंगलछेप्पु' (रत्नकरंडक) ग्रन्थ, जिसकी पद्य-संख्या १८० है, इस ग्रन्थको सामने रखकर बनाया गया मालूम होता है और कुछ अपवादोंको छोड़कर इसीका प्रायः भावानुवाद अथवा सारांश जान पड़ता है *। परन्तु वह कब बना और किसने बनाया, इसका कोई पता नहीं चलता और न उसे तामिल-भाषाकी टीका ही कह सकते हैं।

६ जीवसिद्धि

इस ग्रन्थका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत 'हरिवंशपुराण' के उस पद्यसे चलता है जो 'जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनं' जैसे पदोंसे प्रारम्भ

❧ यह राय मैंने इस ग्रंथके उस अंग्रेजी अनुवादपरसे कायम की है जो सन् १९२३-२४ के अंग्रेजी जैनगजटके कई अंकोंमें the Casket of Gems नामसे प्रकाशित हुआ है।

होता है। ग्रंथका विषय उसके नामसे ही प्रकट है और वह बड़ा ही उपयोगी विषय है। श्रीजिनसेनाचार्यने समन्तभद्रके इस प्रवचनको भी “जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम् । वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥” इस वाक्यके द्वारा महावीर भगवानके वचनोंके समान प्रकाशमान बतलाया है। इससे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि यह ग्रंथ कितने अधिक महत्त्वका होगा। दुर्भाग्यसे यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। मालूम नहीं किस भंडारमें बन्द पड़ा हुआ अपना जीवन शेष कर रहा है अथवा शेष कर चुका है। इसके शीघ्र अनुसंधानकी बड़ी जरूरत है।

७ तत्त्वानुशासन

‘दिगम्बरजैनग्रंथकर्ता और उनके ग्रंथ’ नामकी सूचीमें दिए हुए समन्तभद्रके ग्रंथोंमें ‘तत्त्वानुशासन’ का भी एक नाम है। श्वेताम्बर कान्करेंसद्वारा प्रकाशित ‘जैनग्रंथावली’ में भी ‘तत्त्वानुशासन’ को समन्तभद्रका बनाया हुआ लिखा है, और साथ ही यह भी प्रकट किया है कि उसका उल्लेख सूरतके उन सेठ भगवानदास कल्याणदासजीकी प्राइवेट रिपोर्टमें है जो पिटर्सन साहबकी नौकरीमें थे। और भी कुछ विद्वानोंने, समन्तभद्रका परिचय देते हुए, उनके ग्रंथोंमें ‘तत्त्वानुशासन’ का भी नाम दिया है। इस तरह पर इस ग्रन्थके अस्तित्वका कुछ पता चलता है। परन्तु यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। अनेक प्रसिद्ध भंडारोंकी सूचियाँ देखने पर भी यह मालूम नहीं हो सका कि यह ग्रन्थ किस जगह मौजूद है और न इसके विषयमें अभी तक किसी शास्त्रवाक्यादिपरसे यह ही पूरी तौर पर निश्चय किया जा सका है कि समन्तभद्रने वास्तवमें इस नामका कोई ग्रंथ बनाया है, फिर भी यह खयाल जरूर होता है कि समन्तभद्रका ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिये। खोज करनेसे इतना पता जरूर चलता है कि रामसेनके उस ‘तत्त्वानुशासन’से भिन्न, जो माणिकचन्द्रग्रंथमालामें ‘नागसेन’‡

‡ ‘नागसेन’ नाम गलतीसे दिया गया है। वास्तवमें वह ग्रन्थ नागसेनके शिष्य ‘रामसेन’ का बनाया हुआ है; और यह बात मैंने एक लेखद्वारा सिद्ध की थी जो जुलाई सन् १९२० के जैनहितैषीमें प्रकाशित हुआ है।

के नामसे मुद्रित हुआ है, कोई दूसरा 'तत्त्वानुशासन' ग्रन्थ भी बना है, जिसका एक पद्य नियमसारकी पद्यप्रभ-मलधारिदेव-विरचित टीकामें, 'तथा चोक्तं तत्त्वानुशासने' इस वाक्यके साथ, पाया जाता है और वह पद्य इस प्रकार है—

उत्सज्ये कायकर्माणि भावं च भवकारणं ।

स्वात्मावस्थानमव्यग्रं कायोत्सर्गः स उच्यते ॥

यह पद्य 'माणिकचन्द्रग्रंथमाला' में प्रकाशित उक्त तत्त्वानुशासनमें नहीं है, और इसलिये यह किसी दूसरे ही 'तत्त्वानुशासन' का पद्य है, ऐसा कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता । पद्यपरसे ग्रंथ भी कुछ कम महत्त्वका मालूम नहीं होता । बहुत संभव है कि जिस 'तत्त्वानुशासन'का उक्त पद्य है वह स्वामी समंतभद्रका ही बनाया हुआ हो ।

इसके सिवाय, श्वेताम्बरसम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहर्षिभद्रसूरिने, अपने 'अनेकान्तजयपताका' ग्रन्थमें 'वादिमुख्य समन्तभद्र'के नामसे नीचे लिखे दो श्लोक उद्धृत किये हैं, और ये श्लोक शान्त्याचार्यविरचित 'प्रमाणकलिका' तथा वादिदेवसूरि-विरचित 'स्याद्वादरत्नाकर'में भी समन्तभद्रके नामसे उद्धृत पाये जाते हैं ‡ —

बोधात्मा चेच्छब्दस्य न स्यादन्यत्र तच्छ्रुतिः ।

यद्बोद्धारं परित्यज्य न बोधोऽन्यत्र गच्छति ॥

न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते ।

शब्दाभेदेन सत्येवं सर्वः स्यात्परचित्तवत् ॥

और 'समयसार' की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यवृत्ति' में भी, समन्तभद्रके नामसे कुछ श्लोकोंको उद्धृत करते हुए एक श्लोक निम्न प्रकारसे दिया है—

धर्मिणोऽनन्तरूपत्वं धर्माणां न कथंचन ।

अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति जैनमतं ततः ॥

ये तीनों श्लोक समंतभद्रके उपलब्ध ग्रंथों (नं० १ से ५ तक) में नहीं पाये जाते और इस लिये यह स्पष्ट है कि ये समन्तभद्रके किसी दूसरे ही ग्रन्थ

‡ देखो, जैनहितपी भाग १४, अंक ६ (पृ० १६१) तथा 'जैनसाहित्यसंशोधक' अंक प्रथममें मुनि जिनविजयजीका लेख ।

अथवा ग्रन्थोंके पद्य हैं जो अभी तक अज्ञात अथवा अप्राप्त हैं। आश्चर्य नहीं जो ये भी इस 'तत्त्वानुशासन' ग्रंथके ही पद्य हों। यदि ऐसा हो और यह ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय तो उसे जैनियोंका ही नहीं किन्तु विज्ञजगतका महाभाग्य समझना चाहिये। ऐसी हालतमें इस ग्रन्थकी भी शीघ्र खोज होनेकी बड़ी जरूरत है।

यहाँ पर मैं इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूँ कि स्वामी समन्तभद्र से शताब्दियों बाद बने हुए रामसेनके तत्त्वानुशासनमें एक पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

ममाऽहंकारनामानौ सेनान्यौ तौ च तत्सुतौ।

यदाऽतः सुदर्भेदो मोहव्यूहः प्रवर्त्तते ॥ १३ ॥

इसमें रूपकालंकार-द्वारा ममकार और अहंकारको मोहराजाके दो सेनापति बतलाया है और उनके द्वारा उस दुर्भेद मोहव्यूहके प्रवर्तित होनेका उल्लेख किया है जिसके राग-द्वेष-काम-क्रोधादि प्रमुख अंग होते हैं। इस पद्यके आशयसे मिलता-जुलता एक प्राचीन पद्य आचार्य विद्यानन्दने युक्त्यनुशासनकी टीकामें 'तथा चोक्त' वाक्यके साथ उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है—

ममकाराऽहंकारौ सचिवाविव मोहनीयराजस्य।

रागादि-सकलपरिकर-परिपोषणतत्परौ सततम् ॥

इसमें ममकार और अहंकारको मोहराजाके दो मन्त्री बतलाया है और लिखा है कि ये दोनों मन्त्री राग-द्वेष-काम-क्रोधादिरूप सारे मोह-परिवारको परिपुष्ट करनेमें सदा तत्पर रहते हैं। यह पद्य अपने मूलरूपमें अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता और इससे मेरी यह कल्पना एवं धारणा होती है कि इसका मूलस्थान संभवतः समन्तभद्रका उक्त तत्त्वानुशासन ही है। इसी पद्यमें कुछ फेर-फार करके अथवा रूपकको बदलकर आ० रामसेनने अपने उक्त पद्यकी सृष्टि की है।

८ प्राकृतव्याकरण

'जैनग्रंथावली'से मालूम होता है कि समन्तभद्रका बनाया हुआ एक 'प्राकृत-व्याकरण' भी है जिसकी श्लोकसंख्या १२०० है। उक्त ग्रंथावलीमें इस ग्रन्थका

उल्लेख 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' की रिपोर्टके आधारपर किया गया है और उक्त सोसायटीमें ही उसका अस्तित्व बतलाया गया है। परंतु मेरे देखनेमें अभी तक यह ग्रन्थ नहीं आया और न उक्त सोसाइटीकी वह रिपोर्ट ही देखनेको मिल सकी है ‡ ; इसलिए इस विषयमें मैं अधिक कुछ भी कहना नहीं चाहता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि स्वामी समंतभद्रका बनाया हुआ यदि कोई व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होजाय तो वह जैनियोंके लिये एक बड़े ही गौरवकी वस्तु होगी। श्रीपूज्यपाद आचार्यने अपने 'जैनेन्द्र' व्याकरणमें 'चतुष्टयं समंत-भद्रस्य' इस सूत्रके द्वारा समन्तभद्रके मतका उल्लेख भी किया है, इससे समन्त-भद्रके किसी व्याकरणाका उपलब्ध होना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।

६ प्रमाणपदार्थ

मूडविद्रीके 'पडुवस्तिभंडार' की सूचीसे मालूम होता है कि वहाँपर 'प्रमाणपदार्थ' नामका एक संस्कृत ग्रन्थ समन्तभद्राचार्यका बनाया हुआ मौजूद है और उसकी श्लोकसंख्या १८०० है*। साथ ही उसके विषयमें यह भी लिखा है कि वह अधूरा है। मालूम नहीं, ग्रन्थकी यह श्लोकसंख्या उसकी किसी टीकाको साथमें लेकर है या मूलकाही इतना परिमाण है। यदि अपूर्ण मूलका ही इतना परिमाण है तब तो यह कहना चाहिये कि समन्तभद्रके उपलब्ध मूलग्रन्थोंमें यह सबसे बड़ा ग्रन्थ है, और न्यायविषयक होनेसे बड़ा ही महत्व रखता है। यह भी मालूम नहीं कि यह ग्रन्थ किस प्रकारका अधूरा है—इसके कुछ पत्र नष्ट हो गये हैं या ग्रन्थकार इसे पूरा ही नहीं कर सके हैं। बिना देखे इन सब बातोंके विषयमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ

‡ रिपोर्ट आदिको देखकर आवश्यक सूचनाएँ देनेके लिये कई बार अपने एक मित्र, मेम्बर रायल एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता, को लिखा गया और प्रार्थनाएँ की गईं परन्तु वे अपनी किन्हीं परिस्थितियोंके वश आवश्यक सूचनाएँ देनेमें असमर्थ रहे।

* यह सूची आराके 'जैनसिद्धान्त भवन' में मौजूद है।

§ इस ग्रन्थके विषयमें आवश्यक बातोंको मालूम करनेके लिए मूडविद्रीके पं० लोकनाथजी शास्त्रीको दो पत्र दिये गये। एक पत्रके उत्तरमें उन्होंने ग्रन्थको

कि यदि यह ग्रंथ, वास्तवमें, इन्हीं समन्तभद्राचार्य का बनाया हुआ है तो इसका बहुत शीघ्र उद्धार करने और उसे प्रकाशमें लानेकी बड़ी ही आवश्यकता है।

१० कर्मप्राभृत-टीका

प्राकृतभाषामें, श्रीपुष्पदन्त-भूतबल्याचार्य-विरचित 'कर्मप्राभृत' अथवा 'कर्मप्रकृतिप्राभृत' नामका एक सिद्धान्त ग्रंथ है। यह ग्रंथ १जीवस्थान, २क्षुल्लक-बन्ध, ३बन्धस्वामित्व, ४भाववेदना, ५वर्गणा और ६ महाबन्ध नामके छह खंडोंमें विभक्त है, और इसलिये इसे 'षट्खण्डागम' भी कहते हैं। समन्तभद्रने इस ग्रंथके प्रथम पांच खंडोंकी यह टीका बड़ी ही सुन्दर तथा मृदु संस्कृत भाषामें लिखी है और इसकी संख्या अड़तालीस हजार श्लोकपरिमाण है; ऐसा श्रीइन्द्र-द्याचार्यकृत 'श्रुतावतार' ग्रंथके निम्नवाक्योंसे पाया जाता है। साथ ही, यह भी मालूम होता है कि समन्तभद्र 'कषायप्राभृत' नामके द्वितीय सिद्धान्तग्रंथकी भी व्याख्या लिखना चाहते थे; परन्तु द्रव्यादि-शुद्धिकरण-प्रयत्नोंके अभावसे, उनके एक सधर्मी साधुने (गुरुभाईने) उन्हें वैसा करनेसे रोक दिया था—

कालान्तरे ततः पुनरासन्ध्यां पलरि (?) तार्किकाऽर्कोभूत् ॥१६७॥

श्रीमान्समंतभद्रस्वामीत्यथ सोऽप्यधीत्य तं द्विविधं ।

सिद्धान्तमतः षट्खंडागमगतखंडपंचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥

अष्टौ चत्वारिंशत्सहस्रसद्ग्रन्थरचनया युक्तां ।

विरचितवानतिसुन्दरमृदुसंस्कृतभाषया टीकाम् ॥ १६९ ॥

विलिखन् द्वितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्वेन ।

द्रव्यादिशुद्धिकरणप्रयत्नविरहात्प्रतिनिषिद्धः ॥१७०॥

इस परिचयमें उस स्थानविशेष अथवा ग्रामका नाम भी दिया हुआ है जहाँ तार्किकसूर्य स्वामी समंतभद्रने उदय होकर अपनी टीकाकिरणोंसे कर्मप्राभृत सिद्धान्तके अर्थको विकसित किया है। परन्तु पाठकी कुछ अशुद्धिके कारण

निकलवाकर देखने और उसके सम्बन्धमें यथेष्ट सूचनाएं देनेका वायदा भी किया था; परन्तु नहीं मालूम क्या वजह हुई जिससे वे मुझे फिर कोई सूचना नहीं दे सके। यदि शास्त्रीजीसे मेरे प्रश्नोंका उत्तर मिल जाता तो मैं पाठकोंको इस ग्रंथका अच्छा परिचय देनेके लिये समर्थ हो सकता था।

वह नाम स्पष्ट नहीं हो सका। 'आसन्ध्यां पलरि' की जगह 'आसीद्यः पलरि' पाठ देकर पं० जिनदास पार्श्वनाथजी फडकुलेने उसका अर्थ 'आनन्द नांवच्या गांवांत'—आनंद नामके गाँवमें—दिया है। परंतु इस दूसरे पाठका यह अर्थ कैसे हो सकता है, यह बात कुछ समझमें नहीं आती। पूछने पर पंडितजी लिखते हैं "श्रुतपंचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी अनुवादमें समंतभद्राचार्यका जन्म आनंदमें होना लिखा है," बस इतने परसे ही आपने 'पलरि' का अर्थ 'आनंद गाँवमें' कर दिया है, जो ठीक मालूम नहीं होता; और न आपका 'आसीद्यः' पाठ ही ठीक जँचता है; क्योंकि 'अभूत' क्रियापदके होनेसे 'आसीत्' क्रियापद व्यर्थ पड़ता है। मेरी रायमें, यदि कर्णाटक प्रान्तमें 'पल्ली' शब्दके अर्थमें 'पलर' या इसीसे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द व्यवहृत होता हो और सप्तमी विभक्तिमें उसका 'पलरि' रूप बनता हो तो यह कहा जा सकता है कि 'आसन्ध्यां' की जगह 'आनंद्यां' पाठ होगा, और तब ऐसा आशय निकल सकेगा कि समंतभद्रने 'आनंदी पल्ली' में अथवा 'आनंदमठ' में ठहर कर इस टीकाकी रचना की है।



गंधस्ति महाभाष्यकी खोज

कहा जाता है कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्वातिके 'तत्त्वार्थसूत्र' पर 'गंधहस्ति'† नामका एक महाभाष्य भी लिखा है जिसकी श्लोक-संख्या ८४ हजार है, और उक्त 'देवागम' स्तोत्र ही जिसका मंगलाचरण है। इस ग्रंथकी वर्षोंसे तलाश हो रही है। बम्बईके सुप्रसिद्ध-दानवीर सेठ माणिकचंद हीराचंदजी जे० पी० ने इसके दर्शनमात्र करा देनेवालेके लिये पाँचसौ रुपये नक़दका परिनोषिक भी निकाला था, और मैंने भी, 'देवागम' पर मोहित होकर, उस समय वह संकल्प किया था कि यदि यह ग्रंथ उपलब्ध हो जाय तो मैं इसके अध्ययन, मनन और प्रचारमें अपना शेष जीवन व्यतीत करूँगा—परन्तु आज तक किसी भी भण्डारसे इस ग्रंथका कोई पता नहीं चला। एक बार अखबारों में ऐसी खबर उड़ी थी कि यह ग्रंथ आस्ट्रेलिया देश के एक प्रसिद्ध

† 'गन्धहस्ति' एक बड़ा ही महत्वसूचक विशेषण है—गन्धेभ, गन्धगज, और गन्धद्विप भी इसीके पर्यायनाम हैं। जिस हाथीकी गन्धको पाकर दूसरे हाथी नहीं ठहरते—भाग जाते अथवा निर्मद और निस्तेज हो जाते हैं—उसे 'गंधहस्ती' कहते हैं। इसी गुणके कारण कुछ खास खास विद्वान् भी इस पदसे विभूषित रहे हैं। समन्तभद्रके सामने प्रतिवादी नहीं ठहरते थे, यह बात कुछ विस्तारके साथ उनके परिचयमें बतलाई जा चुकी है; इससे 'गंधहस्ती' अवश्य ही समन्तभद्रका विरुद्ध अथवा विशेषण रहा होगा और इसीसे उनके महाभाष्यको गंधहस्ति-महाभाष्य कहते होंगे। अथवा गंधहस्ति—तुल्य होनेसे ही वह गंधहस्ति-महाभाष्य कहलाता होगा और इससे यह समझना चाहिये कि वह सर्वोत्तम भाष्य है—दूसरे भाष्य उसके सामने फीके, श्रीहीन और निस्तेज हैं।

नगर (वियना) की लायब्रेरीमें मौजूद है । और इसपर दो एक विद्वानोंको वहाँ भेजकर ग्रंथकी कापी मँगानेके लिये कुछ चंदे वगैरहकी योजना भी हुई थी; परंतु बादमें मालूम हुआ कि वह खबर गलत थी—उसके मूलमें ही भूल हुई है—और इस लिये दर्शनोत्कथित जनताके हृदयमें उस समाचारसे जो कुछ मंगलमय आशा बँधी थी वह फिर से निराशामें परिणत होगई ।

मैं जैनसाहित्यपरसे भी इस ग्रंथके अस्तित्वकी बराबर खोज करता आ रहा हूँ । अबतकके मिले हुए उल्लेखों—द्वारा प्राचीन जैनसाहित्य परसे इस ग्रंथका जो कुछ पता चलता है उसका सार इस प्रकार है:—

(१) कवि हस्तिमल्ल†के ‘विक्रान्त-कौरव’ नाटककी प्रशस्तिमें एक पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यानगंधहस्तिप्रवर्तकः ।

स्वामी समन्तभद्रोऽभूद्देवागमनिदेशकः ॥

यही पद्य ‘जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय’ ग्रंथकी प्रशस्तिमें भी दिया हुआ है, जिसे पं० अय्यपार्यने शक सं० १२४१ में बना कर समाप्त किया था; और उसकी किसी किसी प्रतिमें ‘प्रवर्तकः’ की जगह ‘विधायकः’ और ‘निदेशकः’ की जगह ‘कवीश्वरः’ पाठ भी पाया जाता है; परन्तु उससे कोई अर्थभेद नहीं होता अथवा यों कहिये कि पद्यके प्रतिपाद्य विषयमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । इस पद्यमें यह बतलाया गया है कि ‘स्वामी समन्तभद्र ‘तत्त्वार्थसूत्र’ के ‘गंधहस्ति’ नामक व्याख्यान (भाष्य) के प्रवर्तक—अथवा विधायक—हुए हैं और साथ ही वे ‘देवागम’ के निदेशक—अथवा कवीश्वर—भी थे ।”

इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्रने ‘तत्त्वार्थसूत्र’ पर ‘गंधहस्ति’ नामका कोई भाष्य अथवा महाभाष्य लिखा है, परंतु यह मालूम नहीं होता कि देवागम (आत्ममीमांसा) उस भाष्यका मंगलाचरण है । ‘देवागम’ यदि मंगलाचरणरूपसे उस भाष्यका ही एक अंश होता तो उसका पृथक् रूपसे नामोल्लेख करनेकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी; इस पद्यमें उसके पृथक् नामनिर्देशसे

† कवि हस्तिमल्ल विक्रमकी १४ वीं शताब्दीमें हुए हैं ।

यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि वह समन्तभद्रका एक स्वतंत्र और प्रधान ग्रंथ है । देवागम (आत्ममीमांसा) की अन्तिम कारिका भी इसी भावको पुष्ट करती हुई नजर आती है और वह निम्न प्रकार है—

‡ इतीयमात्ममीमांसा विहिता हितमिच्छतां ।

सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्तये ॥

वसुनन्दी आचार्यने, अपनी टीकामें, इस कारिकाको ‘शास्त्रार्थोपसंहार-कारिका’ § लिखा है, और इसकी टीकाके अन्तमें समन्तभद्रका ‘कृतकृत्यः निर्व्यूढतत्त्वप्रतिज्ञः’ * इत्यादि विशेषणोंके साथ उल्लेख किया है । विद्यानंदाचार्यने अष्टसहस्रीमें, इस कारिकाके द्वारा प्रारब्धनिर्वहण—प्रारंभ किये हुए कार्यकी परिसमाप्ति—आदि को सूचित करते हुए, ‘देवागम’ को ‘स्वोक्त-परिच्छेदशास्त्र’ † बतलाया है—अर्थात्, यह प्रतिपादन किया है कि इस शास्त्र में जो दश परिच्छेदोंका विभाग पाया जाता है वह स्वयं स्वामी समन्तभद्रका किया हुआ है । अकलंकदेवने भी ऐसा ही † प्रतिपादन किया है । और इस सब कथनसे ‘देवागम’का एक स्वतंत्र शास्त्र होना पाया जाता है जिसकी समाप्ति उक्त कारिकाके साथ हो जाती है, और यह प्रतीत नहीं होता कि वह किसी टीका अथवा भाष्यका आदिम मंगलाचरण है; क्योंकि किसी ग्रंथपर टीका

‡ जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें लक्ष्य करके, यह ‘आत्ममीमांसा’ सम्यक् और मिथ्या उपदेशके अर्थविशेषकी प्रतिपत्तिके लिये कही गई है ।

§ शास्त्रके विषयका उपसंहार करनेवाली अथवा उसकी समाप्तिकी सूचक कारिका ।

* ये दोनों विशेषण समन्तभद्रके द्वारा प्रारंभ किये हुए ग्रंथकी परिसमाप्तिको सूचित करते हैं ।

† “इति देवागमाख्ये स्वोक्तपरिच्छेदे शास्त्रे (स्वेनोक्ताः परिच्छेदा दश यस्मिस्तत् स्वोक्तपरिच्छेदमिति ग्राह्यं तत्र) विहितेयमात्ममीमांसा सर्वज्ञ-विशेष-परीक्षा.....”

—अष्टसहस्री ।

+ “इति स्वोक्तपरिच्छेदविहितेयमात्ममीमांसा सर्वज्ञविशेषपरीक्षा ।”

—अष्टशती

अथवा भाष्य लिखते हुए नमस्कारादि-रूपसे मंगलाचरण करनेकी जो पद्धति पाई जाती है वह इससे विभिन्न मालूम होती है और उसमें इस प्रकारसे परिच्छेदभेद नहीं देखा जाता। इसके सिवाय उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं होता कि यहाँ तक मंगलाचरण किया गया है और न ग्रंथके तीनों टीकाकारों—अकलंक, विद्यानंद तथा वसुनन्दी नामके आचार्यों—मेंसे ही किसीने अपनी टीकामें इसे 'गंधहस्ति महाभाष्यका मंगलाचरण' सूचित किया है, बल्कि गंधहस्ति महाभाष्यका कहीं नाम तक भी नहीं दिया। और भी कितने ही उल्लेखोंसे देवागम (आप्तमीमांसा) एक स्वतंत्र ग्रंथके रूपमें उल्लेखित मिलता है*। और इस लिये कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्य परसे देवागमकी स्वतंत्रतादि-विषयक जो नतीजा निकाला गया है उसका बहुत कुछ समर्थन होता है।

कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्यसे यह भी मालूम नहीं होता कि जिस तत्त्वार्थसूत्र पर समन्तभद्रने गंधहस्ति नामका भाष्य लिखा है वह उमास्वातिका 'तत्त्वार्थसूत्र' अथवा 'तत्त्वार्थशास्त्र' है या कोई दूसरा तत्त्वार्थसूत्र। हो सकता है कि वह उमास्वातिका ही तत्त्वार्थसूत्र हो, परन्तु यह भी हो सकता है कि वह उससे भिन्न कोई दूसरा ही तत्त्वार्थसूत्र अथवा तत्त्वार्थशास्त्र हो, जिसकी रचना किसी दूसरे विद्वानाचार्य के द्वारा हुई हो; क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रोंके रचयिता अकेले उमास्वाति ही नहीं हुए हैं—दूसरे आचार्य भी हुए हैं—और न सूत्रका अर्थ केवल गद्यमय

* यथा—

१—गोत्रिन्दभट्ट इत्यासीद्विद्वान्मिथ्यात्ववर्जितः

देवागमनसूत्रस्य श्रुत्वा सदृशान्वितः ॥ —विक्रान्तकौरव-प्रशस्ति

२—स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदर्श्यते ॥ —वादिराजसूरि (पार्श्व च०)

३—जीयात् समन्तभद्रस्य देवागमनसंज्ञिनः ।

स्तोत्रस्य भाष्यं कृतवानकलंको महर्द्धिकः ॥

अलंकार यस्सार्वमाप्तमीमांसितं मतं ।

स्वामिविद्यादिनंदाय नमस्तस्मै महात्मने ॥

—नगरताल्लुकेका शि० लेख नं० ४६ (E. C, VIII.)

संक्षिप्त सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही है बल्कि वह 'शास्त्र' का पर्याय नाम भी है और पद्यात्मक शास्त्र भी उससे अभिप्रेत होते हैं। यथा—

कायस्थपद्मनाभेन रचितः पूर्वसूत्रतः ।—यशोधरचरित्र ।

तथोद्दिष्टं मयात्रापि ज्ञात्वा श्रीजिनसूत्रतः ।—भद्रबाहुचरित्र ।

भणियं पवयणसारं पंचत्थियसंगहं सुत्तं ।—पंचास्तिकाय ।

देवागमनसूत्रस्य श्रुत्वा सदृशानान्वितः ।—वि० कौरव प्रशस्ति ।

एतच्च.....मूलाराधनाटीकायां सुस्थितसूत्रे ‡ विस्तरतः समर्थितं द्रष्टव्यं ।—अनगारधर्मावृत-टीका ।

अतएव तत्त्वार्थसूत्रका अर्थ 'तत्त्वार्थविषयक शास्त्र' होता है और इसीसे उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र 'तत्त्वार्थशास्त्र' और 'तत्त्वार्थाधिगमभोक्षशास्त्र' कहलाता है। 'सिद्धान्तशास्त्र' और 'राद्धान्तसूत्र' भी तत्त्वार्थशास्त्र अथवा तत्त्वार्थसूत्रके नामान्तर हैं। इसीसे आर्यदेवको एक जगह 'तत्त्वार्थसूत्र' का और दूसरी जगह 'राद्धान्त' का कर्ता लिखा है † और पुष्पदन्त, भूतबल्यादि आचार्यों-द्वारा विरचित सिद्धान्तशास्त्रको भी तत्त्वार्थशास्त्र या तत्त्वार्थमहाशास्त्र कहा जाता है। इन सिद्धान्त शास्त्रोंपर तुम्बलूराचार्यने कनड़ी भाषामें 'चूडामणि' नामकी एक बड़ी टीका लिखी है, जिसका परिमाण इन्द्रनन्दिकृत 'श्रुतावतार' में ८४ हजार और 'कर्णाटकशब्दानुशासन' में ९६ हजार श्लोकोंका बतलाया है। भट्टाकलंकदेवने, ✽ अपने 'कर्णाटक शब्दानुशासन' में कनड़ी भाषाकी

‡ यह गाथाबद्ध 'भगवती आराधना' शास्त्रके एक अधिकारका नाम है।

† यथा—(१)“.....अवरिं तत्त्वार्थसूत्रकर्तुं गल् एनिसिद् आर्यदेवर....।”

—नगरताल्लुकेका शि० लेख नं० ३५”

(२)“आचार्यवर्य्यो यतिरार्य्य देवो राद्धान्तकर्ता ध्रियतां स मूर्ध्नि ।

—श्रवणबेलगुल शिलालेख नं० ५४ (६७)

✽ ये 'अष्टशती' आदि ग्रन्थोंके कर्तासे भिन्न दूसरे भट्टाकलंक हैं, जो विक्रमकी १७वीं शताब्दीमें हुए हैं। इन्होंने कर्णाटकशब्दानुशासनको ई० सन् १६०४ (शक-१५२६) में बनाकर समाप्त किया है।

उपयोगिताको जतलाते हुए, इस टीकाका निम्न प्रकारसे उल्लेख † किया है—

“ न चैष (कण्टिक) भाषाशास्त्रानुपयोगिनी । तत्त्वार्थमहाशास्त्र-
व्याख्यानस्य षण्णवतिसहस्रप्रमितग्रन्थसंदर्भरूपस्य चूडामण्यभिधानस्य
महाशास्त्रस्यान्येषां च शब्दागम-युक्त्यागम-परमागम-विषयाणां तथा
काव्य-नाटक-कलाशास्त्र-विषयाणां च बहूनां ग्रन्थानामपि भाषाकृतानामु-
पलब्धमानत्वात्” ।

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि ‘चूडामणि’ जिन दोनों (कर्मप्राभृत और कषाय-
प्राभृत) सिद्धान्त-शास्त्रोंकी टीका कहलाती है, उन्हें यहाँ ‘तत्त्वार्थमहाशास्त्र’के
नामसे उल्लेखित किया गया है । इससे ‘सिद्धान्तशास्त्र’ और ‘तत्त्वार्थशास्त्र’
दोनोंकी एकार्थताका समर्थन होता है और साथ ही यह पाया जाता है कि कर्म-
प्राभृत तथा कषायप्राभृत ग्रंथ ‘तत्त्वार्थशास्त्र’ कहलाते थे । तत्त्वार्थविषयक होनेसे
उन्हें ‘तत्त्वार्थशास्त्र’ या ‘तत्त्वार्थसूत्र’ कहना कोई अनुचित भी प्रतीत नहीं होता ।

इन्हीं तत्त्वार्थशास्त्रोंमेंसे ‘कर्मप्राभृत’ सिद्धान्तपर समन्तभद्रने भी एक वि-
स्तृत संस्कृतटीका लिखी है जिसका परिचय पहले दिया जा चुका है और जिसकी
संख्या ‘इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार’के अनुसार ४८ हजार और ‘विबुधश्रीधर-विर-
चित-श्रुतावतार’के मतसे ६८ हजारश्लोक-परिमाण है । ऐसी हालतमें,
आश्चर्य नहीं कि कवि हस्तिमल्लादिकने अपने उक्त पद्यमें समन्तभद्रको तत्त्वार्थसूत्र-
के जिस ‘गंधहस्ति’ नामक व्याख्यानका कर्ता सूचित किया है वह यही टीका
अथवा भाष्य हो । जब तक किसी प्रबल और समर्थ प्रमाणके द्वारा, बिना किसी
संदेहके, यह मालूम न हो जाय कि समन्तभद्रने उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रपर ही
‘गंधहस्ति’ नामक महाभाष्यकी रचना की थी तबतक उनके उक्त सिद्धान्तभाष्यको
गंधहस्तिमहाभाष्य माना जा सकता है और उसमें यह पद्य कोई बाधक प्रतीत
नहीं होता ।

(२) आराके जैनसिद्धान्त भवनमें ताड़पत्रों पर लिखा हुआ, कनड़ी
भाषाका एक अपूर्ण ग्रंथ है, जिसका तथा जिसके कर्त्ताका नाम मालूम नहीं हो

देखो, राइस साहबकी ‘इंस्क्रिप्शंस ऐट श्रवरणबेलगोल’ नामकी पुस्तक
सन् १८८६ की छपी हुई !

सका, और जिसका विषय उमास्वातिके तत्त्वार्थाधिगमसूत्रके तीसरे अध्यायसे सम्बन्ध रखता है । इस ग्रंथके प्रारंभमें नीचे लिखा वाक्य मंगलाचरणके तौर पर मोटे अक्षरोंमें दिया हुआ है—

“तत्त्वार्थव्याख्यानषण्णवतिसहस्रगन्धहस्तिमहाभाष्यविधायत(क)-
देवागमकवीश्वरस्याद्वादविद्यधिपतिसमन्तभद्रान्वयपेनुगोण्डेयलक्ष्मीसे-
नाचार्य दिव्यश्रीपादपद्मगलिगे नमोस्तु ।”

इस वाक्यमें ‘पेनुगोण्डे’के रहनेवाले लक्ष्मीसेन * आचार्यके चरणकमलोंको नमस्कार किया गया है और साथ ही यह बलाया गया है कि वे उन समन्तभद्राचार्यके वंशमें हुए हैं जिन्होंने तत्त्वार्थके व्याख्यानस्वरूप ६६ हजार ग्रंथपरिमाणको लिए हुए गंधहस्ति नामक महाभाष्यकी रचना की है और जो ‘देवागम’के कवीश्वर तथा स्याद्वादविद्याके अधीश्वर (अधिपति) थे ।

यहाँ समन्तभद्रके जो तीन विशेषण दिये गये हैं उनमेंसे पहले दो विशेषण प्रायः वे ही हैं जो ‘विक्रान्तकौरव’ नाटक और ‘जिनेन्द्रिकल्याणाम्युदय’ के उक्त पद्यमें—खासकर उसके पाठांतरित रूपमें—पाये जाते हैं । विशेषता सिर्फ इतनी है कि इसमें ‘तत्त्वार्थसूत्रव्याख्यान’की जगह ‘तत्त्वार्थव्याख्यान’ और ‘गंधहस्ति’ की जगह ‘गंधहस्तिमहाभाष्य’ऐसा स्पष्टोल्लेख किया है । साथही, गंधहस्तिमहाभाष्यका परिमाण भी ६६ हजार दिया है, जो उसके प्रचलित परिमाण (चौरासी हजार) से १२ हजार अधिक है ❀ ।

* लक्ष्मीसेनाचार्यके एक शिष्य मल्लिषेणदेवकी निषद्याका उल्लेख श्रवण-बेलगोलके १६८ वें शिलालेखमें पाया जाता है और वह शिलालेख ई० सन् १४०० के करीबका बतलाया गया है । संभव है कि इन्हीं लक्ष्मीसेनके शिष्यकी निषद्याका वह उल्लेख हो और इससे लक्ष्मीसेन १४ वीं शताब्दीके लगभगके विद्वान् हों । लक्ष्मीसेन नामके दो विद्वानोंका और भी पता चला है परन्तु वे १६ वीं और १८ वीं शताब्दीके आचार्य हैं ।

❀ विक्रमकी १२वीं शताब्दीके विद्वान् कवि गुणवर्मने भी अपने कन्नड़-भाषामें रचे गये पुष्पदन्तपुराणमें समन्तभद्रके गन्धहस्ति भाष्यका उल्लेख करते हुए उसकी ग्रन्थसंख्या ६६ हजार दी है ।

इस उल्लेखसे भी 'देवागम' के एक स्वतंत्र तथा प्रधान ग्रंथ होनेका पता चलता है, और यह मालूम नहीं होता कि गन्धहस्तिमहाभाष्य जिस 'तत्त्वार्थ' ग्रन्थका व्याख्यान है वह उमास्वातिका 'तत्त्वार्थसूत्र' है या कोई दूसरा तत्त्वार्थ-शास्त्र; और इसलिये, इस विषयमें जो कुछ कल्पना और विवेचना ऊपर की गई है उसे यथासंभव यहाँ भी समझ लेना चाहिये। रही ग्रन्थसंख्याकी बात, वह बेशक उसके प्रचलित परिमाणसे भिन्न है और कर्मप्राभृतटीकाके उस परिमाणसे भी भिन्न है जिसका उल्लेख इन्द्रनन्दी तथा बिबुध श्रीधरके 'श्रुतावतार' नामक ग्रन्थोंमें पाया जाता है। ऐसी हालतमें यह खोजनेकी जरूरत है कि कौनसी संख्या ठीक है। उपलब्ध जैनसाहित्यमें, किसी भी आचार्यके ग्रन्थ अथवा प्राचीन शिलालेख परसे प्रचलित संख्याका कोई समर्थन नहीं होता अर्थात्, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जिससे गन्धहस्ति महाभाष्यकी श्लोक-संख्या ८४ हजार पाई जाती हो;—बल्कि ऐसा भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आता जिससे यह मालूम होता हो कि समन्तभद्रने ८४ हजार श्लोकसंख्यावाला कोई ग्रन्थ निर्माण किया है, जिसका सम्बन्ध गन्धहस्ति महाभाष्यके साथ मिला लिया जाता; और इसलिये महाभाष्यकी प्रचलित संख्याका मूल मालूम न होनेसे उसपर संदेह किया जासकता है। श्रुतावतारमें 'चूडामणि' नामके कनडी भाष्यकी संख्या ८४ हजार दी है; परंतु कर्णाटक शब्दानुशासनमें भट्टकलंकदेव उसकी संख्या ६६ हजार लिखते हैं और यह संख्या स्वयं ग्रन्थको देखकर लिखी हुई मालूम होती है; क्योंकि उन्होंने ग्रन्थको 'उपलभ्यमान' बतलाया है। इससे श्रुतावतारमें समन्तभद्रके सिद्धान्तागम-भाष्यकी जो संख्या ४८ हजार दी है उसपर भी संदेहको अवसर मिल सकता है, खासकर ऐसी हालत में जब कि बिबुध श्रीधरके 'श्रुतावतार'में उसकी संख्या ६८ हजार हो—अंकोंके ❁ आगे

❁ अंकोंका आगे पीछे लिखा जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, वह कभी-कभी जल्दीमें हो जाया करता है। उदाहरणके लिये डा० सतीशचन्द्रकी 'हिस्टरी आफ इंडियन लाजिक' को लीजिये, उसमें उमास्वातिका आयुका उल्लेख करते हुए ८४ की जगह ४८ वर्ष, इसी अंकोंके आगे पीछेके कारण, लिखे गये हैं। अन्यथा, डाक्टर साहबने उमास्वातिका समय ईसवी सन् १ से ८५ तक दिया है। वे यदि इसे न देते तो वहाँ आयुके विषयमें और भी ज्यादा भ्रम होना संभव था।

पीछे लिखे जानेसे कहीं पर ४८ हजार लिखी गई हो और उसीके आधारपर ४८ हजारका गलत उल्लेख कर दिया गया हो—या ६६ हजार हो अथवा ६८ हजार वगैरह कुछ और ही हो; और यह भी संभव है कि उक्त वाक्यमें जो संख्या दी गई है वही ठीक न हो—वह किसी गलतीसे ८४ हजार था ४८ हजार आदिकी जगह लिखी गई है हो। परन्तु इन सब बातोंके लिये विशेष अनुसंधान तथा खोजकी जरूरत है और तभी कोई निश्चित बात कही जा सकती है। हाँ, उक्त वाक्योंमें दी हुई महाभाष्यकी संख्या और किसी एक श्रुतावतारमें दी हुई समन्तभद्रके सिद्धान्तागमभाष्यकी संख्या दोनों यदि सत्य साबित हों तो यह जरूर कहा जा सकता है कि समन्तभद्रका गंधहस्तिमहाभाष्य उनके सिद्धान्तागमभाष्य (कर्मप्राभृत-टीका) से भिन्न है, और वह उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका भाष्य ही सकता है।

(३) श्रीचामुण्डरायने, अपने कर्णाटक भाषा-निबद्ध त्रिषष्ठिलक्षणपुराणके निम्न पद्यमें, समन्तभद्रके तत्त्वार्थभाष्यका उल्लेख किया है—

“अभिमत्तमगिरे तत्त्वार्थभाष्यमं तर्कशास्त्रमं वरदु वचो—।

विभवदिनिलेगेसेद समन्तभद्रदेवर समानरेंवरुमोतारे ॥ ५ ॥”

यह पुराण शक सं० ६०० (वि० १०३५) में बनकर समाप्त हुआ है। इसमें समन्तभद्रके जिस तत्त्वार्थभाष्यका उल्लेख है उसे ‘तर्कशास्त्र’ बतलाया गया है, जिससे वह तर्कशैलीकी प्रधानताको लिये हुए जान पड़ता है, उसकी संख्यादिका यहाँ कोई निर्देश नहीं है।

(४) उमास्वातिके ‘तत्त्वार्थसूत्र’ पर ‘राजवार्तिक’ और ‘श्लोकवार्तिक’ नामके दो भाष्य उपलब्ध हैं जो क्रमशः अकलंकदेव तथा विद्यानंदाचार्यके बनाये हुए हैं। ये वार्तिकके ढंगसे लिखे गये हैं और ‘वार्तिक’ ही कहलाते हैं। वार्तिकोंमें उक्त, अनुक्त और दुरुक्त—कहे हुए, बिना कहे हुए और अन्यथा कहे हुए—तीनों प्रकारके अर्थोंकी चिन्ता, विचारणा अथवा अभिव्यक्ति हुआ करती है। जैसा कि श्रीहेमचन्द्राचार्यप्रतिपादित ‘वार्तिक’के निम्न लक्षणसे प्रकट है—

उक्तानुक्तदुरुक्तार्थचिन्ताकारि तु वार्तिकम् † ।

† A rule which explains what is said or but imperfectly said and supplies omissions. (V. S. Apte's dictionary)

इससे वार्तिक-भाष्योंका +परिमाण पहले भाष्योंसे प्रायः कुछ बढ़ जाता है । जैसे सर्वार्थसिद्धिसे राजवार्तिकका और राजवार्तिकसे श्लोकवार्तिकका परिमाण बढ़ा हुआ है । ऐसी हालतमें उक्त तत्त्वार्थसूत्रपर समन्तभद्रका ८४ या ९६ हजार श्लोकसंख्यावाला भाष्य यदि पहलेसे मौजूद था तो अकलंकदेव और विद्यानंदके वार्तिक-भाष्योंका अलग अलग परिमाण उससे जरूर कुछ बढ़ जाना चाहिये था; परन्तु बढ़ना तो दूर रहा वह उल्टा उससे कई गुणा कम है । इससे यह नतीजा निकलता है कि या तो समन्तभद्रने उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्र पर वैसा कोई भाष्य नहीं लिखा—उन्होंने सिद्धान्तग्रन्थपर जो भाष्य लिखा है वही 'गंधहस्ति महाभाष्य' कहलाता होगा—और या लिखा है तो वह अकलंकदेव तथा विद्यानंदसे पहले ही नष्ट हो चुका था, उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ ।

(५) शाकटायन व्याकरणके 'उपज्ञाते*' सूत्रकी टीकामें टीकाकार श्रीअभयचन्द्रसूरि† लिखते हैं—

+ वार्तिकभाष्योंसे भिन्न दूसरे प्रकारके भाष्यों अथवा टीकाओंका परिमाण भी बढ़ जाता है, ऐसा अभिप्राय नहीं है । वह चाहे जितना कम भी हो सकता है ।

* यह तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १८२ वां सूत्र है और अभयचन्द्रसूरिके मुद्रित 'प्रक्रियासंग्रह'में इसका क्रमिक नं० ७४६ दिया है । देखो, कोल्हापुरके 'जैनेन्द्रमुद्रणालय'में छपा हुआ सन् १९०७ का संस्करण ।

† ये अभयचन्द्रसूरि वे ही अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती मालूम होते हैं जो केशववर्णिके गुरु तथा 'गोम्मटसार'की 'मन्दप्रबोधिका' टीकाके कर्ता थे, और 'लघीयस्त्रय'के टीकाकार भी ये ही जान पड़ते हैं । 'लघीयस्त्रय'की टीकामें टीकाकारने अपनेको मुनिचंद्रका शिष्य प्रकट किया है और मंगलाचरणमें मुनिचंद्रको भी नमस्कार किया है; 'मंदप्रबोधिका' टीकामें भी 'मुनि'को नमस्कार किया गया है और शाकटायन व्याकरणकी इस 'प्रक्रियासंग्रह' टीकामें भी 'मुनीन्द्र'को नमस्कार पाया जाता है और वह 'मुनीन्दु' (=मुनिचंद्र) का पाठान्तर भी हो सकता है । साथ ही, इन तीनों टीकाओंके मंगलाचरणोंकी शैली भी एक पाई जाती है—प्रत्येकमें अपने गुरुके सिवाय, मूलग्रंथकर्ता तथा जिनेश्वर (जिनाधीश) को भी नमस्कार किया गया है और टीका करनेकी प्रतिज्ञाके

“तृतीयान्तादुपज्ञाते प्रथमतोज्ञाते यथायोगं अणादयो भवन्ति ॥
अर्हता प्रथमतो ज्ञातं आर्हतं प्रवचनं । सामन्तभद्रं महाभाष्यमित्यादि ॥”

यहाँ तृतीयान्तसे उपज्ञात अर्थमें अणादि प्रत्ययोंके होनेसे जो रूप होते हैं उनके दो उदाहरण दिये गये हैं—एक ‘आर्हत-प्रवचन’ और दूसरा सामन्तभद्र महाभाष्य’ । साथ ही, ‘उपज्ञात’का अर्थ ‘प्रथमतो ज्ञात’—बिना उपदेशके प्रथम-जाना हुआ—किया है । अमरकोशमें भी ‘आद्य ज्ञान’को ‘उपज्ञा’ लिखा है । इस अर्थकी दृष्टिसे अर्हन्तके द्वारा प्रथम जाने हुए प्रवचनको जिस प्रकार ‘आर्हत प्रवचन’ कहते हैं उसी प्रकार (सामन्तभद्रेण प्रथमतो विनोपदेशेनज्ञातं सामन्त-

साथ टीकाका नाम भी दिया है । इससे ये तीनों टीकाकार एक ही व्यक्ति मालूम होते हैं और मुनिचंद्रके शिष्य जान पड़ते हैं । केशववर्णनि गोम्मटसारकी कनड़ी टीका शक सं० १२८१ (वि० सं० १४१६) में बनाकर समाप्त की है, और मुनिचंद्र विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दीके विद्वान् थे । उनके अस्तित्व समयका एक उल्लेख सौदत्तिके शिलालेखमें शक सं० ११५१ (वि० सं० १२८६) का और दूसरा श्रवणबेलगोलके १३७ (३४७) नंबरके शिलालेखमें शक सं० १२०० (वि० सं० १३३५) का पाया जाता है । इस लिए ये अभयचंद्रसूरि विक्रमकी प्रायः १४ वीं शताब्दीके विद्वान् मालूम होते हैं । बहुत संभव है कि वे अभयसूरि सैद्धान्तिक भी ये ही अभयचंद्र हों जो ‘श्रुतमुनि’के शास्त्रगुरु थे और जिन्हें श्रुतमुनिके ‘भावसंग्रह’की प्रशस्तिमें शब्दागम, परमागम और तर्कागमके पूर्ण जानकार (विद्वान्) लिखा है । उनका समय भी यही पाया जाता है; क्योंकि श्रुतमुनिके अणुव्रतगुरु और गुरुभाई बालचंद्र मुनिने शक सं० ११६५ (वि० सं० १३३०) में ‘द्रव्यसंग्रह’सूत्र पर एक टीका लिखी है (देखो ‘कर्णाटककविवरिते’) । परन्तु श्रुतमुनिके दीक्षागुरु अभयचंद्र सैद्धान्तिक इन अभयचंद्रसूरिसे भिन्न जान पड़ते हैं; क्योंकि श्रवणबेलगोलके शि० लेख नं० ४१ और १०५ में उन्हें माघनंदीका शिष्य लिखा है । लेकिन समय उनका भी विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दी है । अभयचंद्र नामके दूसरे कुछ विद्वानोंका अस्तित्व विक्रमकी १६ वीं और १७ वीं शताब्दियोंमें पाया जाता है । परन्तु वे इस ‘प्रक्रियासंग्रह’के कर्ता मालूम नहीं होते ।

भद्रं) समन्तभद्रके द्वारा बिना उपदेशके प्रथम जाने हुए महाभाष्यको 'सामन्तभद्र महाभाष्य' कहते हैं, ऐसा समझना चाहिये; और इससे यह ध्वनि निकलती है कि समन्तभद्रका महाभाष्य उनका स्वोपज्ञ भाष्य है— उन्हींके किसी ग्रन्थपर रचा हुआ भाष्य है । अन्यथा, इसका उल्लेख 'टः प्रोक्ते'* सूत्रकी टीका में किया जाता, जहाँ 'प्रोक्त' तथा 'व्याख्यात' अर्थमें इन्हीं प्रत्ययोंसे बने हुए रूपोंके उदाहरण दिये हैं और उनमें 'सामन्तभद्र' भी एक उदाहरण है परन्तु उसके साथमें 'महाभाष्य' पद नहीं है क्योंकि दूसरेके ग्रंथ पर रचे हुए भाष्यका अथवा यों कहिये कि उस ग्रन्थके अर्थका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नहीं होता बल्कि मूल ग्रन्थकारको होता है । परन्तु यहां पर हमें इस चर्चामें अधिक जानेकी जरूरत नहीं है । मैं इस उल्लेख परसे सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि इसमें समन्तभद्रके महाभाष्यका उल्लेख है और उसे 'गन्धहस्ति' नाम न देकर 'सामन्तभद्र महाभाष्य'के नामसे ही उल्लेखित किया गया है । परन्तु इस उल्लेखसे यह मालूम नहीं होता कि वह भाष्य कौनसे ग्रन्थपर लिखा गया है । उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रकी तरह वह कर्मप्राभृत सिद्धान्तपर या अपने ही किसी ग्रंथपर लिखा हुआ भाष्य भी हो सकता है । ऐसी हालतमें, महाभाष्यके निर्माण का कुछ पता चलनेके सिवाय, इस उल्लेखसे और किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती ।

(६) स्याद्वादमजरी ❀ नामके श्वेताम्बर ग्रंथमें एक स्थानपर 'गन्धहस्ति' आदि ग्रन्थोंके हवालेसे अवयव और प्रदेशके भेदका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

“यद्यप्यवयवप्रदेशयोगगन्धहस्त्यादिषु भेदोऽस्ति तथापि नात्र सूक्ष्मे-
च्छिका चिन्त्या ।”

* यह उसी तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १६६ वाँ सूत्र है; और प्रक्रियासंग्रहमें इसका क्रमिक नं० ७४३ दिया है ।

❀ यह हेमचन्द्राचार्य-विरचित 'अन्ययोगव्यवच्छेद-ट्वात्रिंशिका'की टीका है जिसे मल्लिषेणसूरिने शक सं० १२१४ (वि० सं० १३४६) में बनाकर समाप्त किया है ।

इस उल्लेखसे सिर्फ 'गंधहस्ति' नामके एक ग्रन्थका पता चलता है परन्तु यह मालूम नहीं होता कि वह मूल ग्रन्थ है या टीका, दिगम्बर है या श्वेताम्बर और उसके कर्त्ताका क्या नाम है। हो सकता है कि, इसमें 'गंधहस्ति' से समन्तभद्रके गंधहस्तिमहाभाष्यका ही अभिप्राय हो, जैसाकि पं० जवाहरलाल शास्त्रीने ग्रन्थकी भाषाटीकामें सूचित किया है; परन्तु वह श्वेताम्बरोंका कोई ग्रन्थ भी हो सकता है जिसकी इस प्रकारके उल्लेख-अवसरपर अधिक संभावना पाई जाती है। क्योंकि दोनों ही सम्प्रदायोंमें एक नामके अनेक ग्रन्थ होते रहे हैं— और नामोंकी यह परस्पर समानता हिन्दुओं तथा बौद्धों तकमें पाई जाती है। अतः इस नाममात्रके उल्लेखसे किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती।

(७) 'न्यायदीपका' * में आचार्य धर्मभूषणने अनेक स्थानों पर 'आस-मीमांसा' के कई पद्योंको उद्धृत किया है; परन्तु एक जगह सर्वज्ञकी सिद्धि करते हुए, वे उसके 'सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः' नामक पद्यको निम्न वाक्यके साथ उद्धृत करते हैं—

“तदुक्तं स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावाप्तमीमांसाप्रस्तावे—”

इस वाक्यसे इतना पता चलता है कि महाभाष्यकी आदिमें 'आसमीमांसा' नामका भी एक प्रस्ताव है—प्रकरण है—और ऐसा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है; एक ग्रन्थकार अपनी किसी कृतिको उपयोगा समझकर अनेक ग्रन्थोंमें भी उद्धृत कर सकता है। परन्तु इससे यह मालूम नहीं होता कि वह महाभाष्य उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका ही भाष्य है। वह कर्मप्राभृत नामके सिद्धान्तशास्त्रका भी भाष्य हो सकता है और उसमें भी 'आसमीमांसा' नामके एक प्रकरणका होना कोई असंभव नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय 'आसमीमांसाप्रस्तावे' पदमें आये हुए 'आसमीमांसा' शब्दोंका वाच्य यदि समन्तभद्रका संपूर्ण 'आस-मीमांसा' नामका दशपरिच्छेदात्मक ग्रन्थ माना जाय तो उक्त पदसे यह भी मालूम नहीं होता कि वह आसमीमांसा ग्रन्थ उस भाष्यका मंगलाचरण है, बल्कि वह उसका एक प्रकरण जान पड़ता है। प्रस्ताव या प्रकरण होना और बात है और

* यह ग्रन्थ शक सं० १३०७ (वि० सं० १४४२)में बनकर समाप्त हुआ है और इसके रचयिता धर्मभूषण 'अभिनव धर्मभूषण' कहलाते हैं।

मंगलाचरण होना दूसरी बात । एक प्रकरण मंगलात्मक होते हुए भी टीकाकारोंके मंगलाचरणकी भाषामें मंगलाचरण नहीं कहलाता । टीकाकारोंका मंगलाचरण अपने इष्टदेवादिककी स्तुतिको लिए हुए या तो नमस्कारात्मक होता है या आशीर्वादात्मक और कभी कभी उसमें टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिल रहती है; अथवा इष्टकी स्तुति-ध्यानादिपूर्वक टीका करने की प्रतिज्ञाको ही लिये हुए होता है; परन्तु वह एक ग्रन्थके रूपमें अनेक परिच्छेदोंमें बंटा हुआ नहीं देखा जाता । आप्तमीमांसामें ऐसा एक भी पद नहीं है जो नमस्कारात्मक या आशीर्वादात्मक हो अथवा इष्टकी स्तुतिध्यानादिपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाको लिए हुए हो; उसके अन्तिम पद्यसे भी यह मालूम नहीं होता कि वह किस ग्रन्थका मंगलाचरण है, और यह बान पहिले जाहिर की जा चुकी है कि उसमें दशपरिच्छेदोंका जो विभाग है वह स्वयं समन्तभद्राचार्यका किया हुआ है । ऐसी हालतमें यह प्रतीत नहीं होता कि आप्तमीमांसा गंधहस्तिमहाभाष्यका आदिम मंगलाचरण है—अर्थात्, वह भाष्य ‘देवागमनभोयानचामरादिविभूतिय । मायाविष्वपि-दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥’ इस पद्यसे भी प्रारम्भ होता है और इससे पहले उसमें कोई दूसरा मंगल पद्य अथवा वाक्य नहीं है । हो सकता है कि समन्तभद्रने महाभाष्यकी आदिमें आप्तके गुणोंका कोई खास स्तवन किया हो और फिर उन गुणोंकी परीक्षा करने अथवा उनके विषयमें अपनी श्रद्धा और गुणज्ञताको संसूचित करने आदिके लिये ‘आप्तमीमांसा’ नामके प्रकरणकी रचना की हो अथवा पहलेसे रचे हुए अपने इस ग्रन्थक वहाँ उद्धृत किया हो । और यह भी हो सकता है कि मूलग्रन्थके मंगलाचरणको ही उन्होंने महाभाष्यका मंगलाचरण स्वीकार किया हो; जैसे कि पूज्यपादकी बाबत अनेक विद्वानोंका कहना है कि उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणकोही अपनी सर्वार्थसिद्धि टीकाका मंगलाचरण बनाया है और उससे भिन्न टीकामें किसी नये मंगलाचरणका विधान नहीं किया ॐ । दोनों ही हालतोंमें ‘आप्तमीमांसा’ प्रकरणसे पहले दूसरे मंगलाचरणका—आप्तस्तवन—होना ठहरता है, जिसकी संभावना अभी बहुत कुछ विचारणीय है ।

ॐ परन्तु किन्तने ही विद्वान् इस मतसे विरोध भी रखते हैं जिसका हाल आगे चलकर मालूम होगा ।

(८) आत्ममीमांसा (देवागम) की 'अष्टसहस्री' टीका पर लघु ❀ समन्त भद्रने 'विषमपदतात्पर्यटीका' नामकी एक टिप्पणी लिखी है, जिसकी प्रस्तावना-का प्रथम वाक्य इस प्रकार है :—

“इह हि † खलु पुरा स्वकीय-निरवद्य-विद्या-संयम-संपदा गणधर-प्रत्येकबुद्ध-श्रुतकेवलि-दशपूर्वाणां सूत्रकृन्महर्षीणां महिमानमात्मसात्कुर्वद्भिर्भगवद्भिर्मास्वातिपादैराचार्यवर्यैरासूत्रितस्य तत्त्वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्यं महाभाष्यमुपनिबध्न्तः स्याद्वादविद्याप्रगुरुवः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यास्तत्र किल ‡मंगलपुरस्सर-स्तव-विषय-परमाप्त-गुणातिशय-परीक्षामुपक्षिप्तवन्तो देवागमाभिधानस्य प्रवचनतीर्थस्य सू-

❀ डा० सतीशचन्द्रने, अपनी 'हिस्टरी आफ इंडियन लॉजिक' में, लघुसमन्त-भद्रको ई० सन् १००० (वि० सं० १०५७) के करीबका विद्वान् लिखा है। परन्तु बिना किसी हेतुके उनका यह लिखना ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि अष्टसहस्रीके अंतमें 'केचित्' शब्दपर टिप्पणी देते हुए, लघुसमन्तभद्र उसमें वसुनन्दि आचार्य और उनकी देवागमवृत्तिका उल्लेख करते हैं। यथा—
“वसुनन्दिआचार्याः केचिच्छब्देन ग्राह्याः, यतस्तैरेव स्वस्य वृत्त्यन्ते लिखितोयं श्लोकः” इत्यादि। और वसुनन्दि आचार्य विक्रमकी १२ वीं शताब्दीमें हुए हैं, इसलिये लघुसमन्तभद्र सम्भवतः विक्रमकी १३ वीं शताब्दीसे पहले नहीं हुए। रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनामें 'चिक्क (लघु) समन्तभद्र'के विषयमें जो कुछ उल्लेख किया गया है उसे ध्यानमें रखते हुए ये विक्रमकी प्रायः १४ वीं शताब्दीके विद्वान् मालूम होते हैं और यदि 'माघनन्दी' नामान्तरको लिये हुए तथा अमरकीर्तिके शिष्य न हों तो ज्यादासे ज्यादा विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान् हो सकते हैं।

† यह प्रस्तावनावक्य मुनिजिनविजयजीने पूनाके 'भण्डारकर इन्स्टिट्यूट' की उस ग्रन्थ प्रतिपरमे उद्धृत करके भेजा था जिसका नम्बर ६२० है।

‡ “मंगलपुरस्सरस्तवोहि शास्त्रावतार-रचित-स्तुतिरुच्यते। मंगलं पुरस्सर-मस्येति मंगलपुरस्सरः शास्त्रावतारकालस्तत्र रचितः स्तवो मंगलपुरस्सरस्तव इति व्याख्यानात्।”

—अष्टसहस्री

ष्टिमापूरयांचक्रिरे ।”

इस वाक्य-द्वारा, आचार्योंके विशेषणोंको छोड़कर, यह खासतौर पर सूचित किया गया है कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्वातिके ‘तत्त्वार्थाधिगम—मोक्षशास्त्र’ पर ‘गन्धहस्ति’ नामका एक महाभाष्य लिखा है, और उसकी रचना करते हुए उन्होंने उसमें परम आसक्तके गुणातिशयकी परीक्षाके अवसरपर ‘देवागम’ नामके प्रवचनतीर्थकी सृष्टि की है ।

यद्यपि इस उल्लेखसे गन्धहस्तिमहाभाष्यकी श्लोकसंख्याका कोई हाल मालूम नहीं होता और न यही पाया जाता है कि देवागम (आसमीमांसा) उसका मंगलाचरण है, परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट मालूम होती है कि समन्तभद्रका गन्धहस्ति महाभाष्य उमास्वातिके ‘तत्त्वार्थसूत्र’ पर लिखा गया है और ‘देवागम’ भी उसीका एक प्रकरण है । जहाँ तक मैं समझता हूँ यही इस विषयका पहला स्पष्टोल्लेख है जो अभीतक उपलब्ध हुआ है । परन्तु यह उल्लेख किस आधारपर अवलम्बित है ऐसा कुछ मालूम नहीं होता । विक्रमकी बारहवीं शताब्दीसे पहले-के जैनसाहित्यमें तो गन्धहस्तिमहाभाष्यका कोई नाम भी अभीतक देखनेमें नहीं आया और न जिस ‘अष्टसहस्री’ टीका पर यह टिप्पणी लिखी गई है उसमें ही इस विषयका कोई स्पष्ट विधान पाया जाता है । अष्टसहस्रीकी प्रस्तावनासे सिर्फ इतना मालूम होता है कि किसी निःश्रेयस शास्त्रके आदिमें किये हुए आसक्तके स्तवनको लेकर उसके आशयका समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये यह आसमीमांसा लिखी गई है * । वह निःश्रेयसशास्त्र कौनसा और उसका वह स्तवन क्या है, इस बातकी पर्यालोचना करने पर अष्टसहस्रीके अन्तिम भागसे इतना पता चलता है कि जिस शास्त्रके आरम्भमें आसक्तका स्तवन ‘मोक्षमार्ग-प्रणेता, कर्मभूटद्भेत्ता और विश्वतत्त्वानां ज्ञाता’ रूपसे किया गया है उसी

* ‘तदेवेदं निःश्रेयसशास्त्रस्यादौ तन्निबन्धनतया मंगलार्थतया च मुनिभिः संस्तुतेन निरतिशयगुणेन भगवताप्तेन श्रेयोमार्गमात्महितमिच्छतां सम्यग्मि-
थ्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्यर्थमासमीमांसां विदधानाः श्रद्धागुणज्ञताभ्यां प्रवृत्त-
मनसः कस्माद् देवागमादिविभूतितोऽहं महान्नाभिषृणुत इति स्फुटं पृष्ठा इव
स्वामिसमन्तभद्राचार्याः प्राहुः—”

शास्त्रसे 'निःश्रेयस शास्त्र' का अभिप्राय है ❁ । इन विशेषणोंको लिये हुए आसके स्तवनका प्रसिद्ध श्लोक निम्न प्रकार है—

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ।

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

आसके इस स्तोत्रको लेकर, अष्टसहस्रीके कर्ता श्रीविद्यानन्दाचार्यने इसपर 'आप्तपरीक्षा' नामका एक ग्रन्थ लिखा है और स्वयं उसकी टीका भी की है । इस ग्रन्थमें परीक्षाद्वारा अर्हन्तदेवको ही इन विशेषणोंसे विशिष्ट और वंदनीय ठहराते हुए, १२० वें नंबरके पद्यमें, 'इति संक्षेपतोन्ययः' यह वाक्य दिया है और इसकी टीकामें लिखा है—

“इति संक्षेपतः शास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोत्रस्य मुनिपुङ्गवैर्विधीयमान-
स्यान्वयः संप्रदायाव्यवच्छेदलक्षणः पदार्थघटनालक्षणो वा लक्षणीयः
प्रपंचतस्तदन्वयस्याक्षेपसमाधानलक्षणस्य श्रीमत्स्वामीसमंतभद्रदेवागमा-
ख्याप्रमीमांसायां प्रकाशनात्.... ।”

इस सब कथनसे इतना तो प्रायः स्पष्ट हो जाता है कि समन्तभद्रका देवागम नामक आसमीमांसा ग्रन्थ 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' नामके पद्यमें कहे हुए आसके स्वरूपको लेकर लिखा गया है; परन्तु यह पद्य कौनसे निःश्रेयस (मोक्ष) शास्त्रका पद्य है और उसका कर्ता कौन है, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई । विद्यानन्दाचार्य, आसपरीक्षाको समाप्त करते हुए, इस विषयमें लिखते हैं—

श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसलिलनिधेरिद्धरत्नोद्भवस्य,

प्रोत्थानारंभकाले सकलमलभिदे शास्त्रकारैः कृतं यत् ।

स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितपृथुपथं स्वामिमीमांसितं तत् ,

विद्यानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयै ॥१२३॥

इस पद्यसे सिर्फ इतना पता चलता है कि उक्त तीर्थोपमान स्तोत्र, जिसकी स्वामी समन्तभद्रने मीमांसा और विद्यानन्दने परीक्षा की, तत्त्वार्थशास्त्ररूपी अद्भुत

❁ “शास्त्रारंभेभिषटुतस्यास्तस्य मोक्षमार्गप्रणेतृतया कर्मभूभृद्वेतृतया विश्व-
तत्त्वानां ज्ञातृतया च भगवदहर्हत्सर्वज्ञस्यैवान्ययोगव्यवच्छेदेन व्यवस्थापनपर-
परीक्षेयं विहिता ।”

समुद्रके प्रोत्थानका—उसे ऊँचा उठाने या बढ़ानेका—आरम्भ करते समय शास्त्रकारद्वारा रचा गया है। परन्तु वे शास्त्रकार महोदय कौन हैं, यह कुछ स्पष्ट मालूम नहीं होता। विद्यानन्दने आसपरीक्षाकी टीकामें शास्त्रकारको सूत्रकार सूचित किया है और उन्हीं ‘मुनिपुंगव’ का बनाया हुआ उक्त गुणस्तोत्र लिखा है परन्तु उनका नाम नहीं दिया। हो सकता है कि आपका अभिप्राय ‘सूत्रकार’से ‘उमास्वाति’ महाराजका ही हो; क्योंकि कई स्थानोंपर आपने उमास्वातिके वचनोंको सूत्रकारके नामसे उद्धृत किया है परन्तु केवल सूत्रकार या शास्त्रकार शब्दोंपरसे ही—जो दोनों एक ही अर्थके वाचक हैं—उमास्वातिका नाम नहीं निकलता; क्योंकि दूसरे भी कितने ही आचार्य सूत्रकार अथवा शास्त्रकार हो गए हैं, समन्तभद्र भी शास्त्रकार थे, और उनके देवागमादि० ग्रन्थ सूत्रग्रन्थ कहलाते हैं। इसके सिवाय, यह बात अभी विवादग्रस्त चल रही है कि उक्त ‘मोक्षमार्गस्य नेतारं’ नामका स्तुतिपद्य उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण है। कितने ही विद्वान् इसे उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण मानते हैं, और बालचन्द्र, योगदेव तथा श्रुतसागर नामके पिछले टीकाकारोंने भी अपनी टीकामें ऐसा ही प्रतिपादन किया है। परन्तु दूसरे कितने ही विद्वान् ऐसा नहीं मानते, वे इसे तत्त्वार्थसूत्रकी प्राचीन टीका ‘सर्वार्थसिद्धि’ का मंगलाचरण स्वीकार करते हैं और यह प्रतिपादन करते हैं कि यदि यह पद्य तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण होता तो सर्वार्थसिद्धि-टीकाके कर्ता श्रीपूज्यपादाचार्य इसकी जरूर व्याख्या करते, लेकिन उन्होंने इसकी कोई व्याख्या न करके इसे अपनी टीकाके मंगलाचरणके तौर पर दिया है और इस लिये यह पूज्यपादकृत ही मालूम होता है। सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें, पं० कलाप्पा भरमाप्पा नितवे भी, श्रुतसागरके कथनका विरोध करते हुए अपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं, और साथ ही, एक हेतु यह भी देते हैं कि तत्त्वार्थसूत्रकी रचना द्वैपायक ‡ के प्रश्नपर हुई

ॐ “देवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सहर्शान्वितः”—विक्रान्तकौरव ।

‡ श्रुतसागरी टीकाकी एक प्रतिमें ‘द्वैयाक’ नाम दिया है, और बालचन्द्र मुनिकी टीकामें ‘सिद्धय्य’ ऐसा नाम पाया जाता है। देखो, जनवरी सन् १९२१ का जैनहितैषी, पृ० ८०, ८१ ।

है और प्रश्नका उत्तर देते हुए बीचमें मंगलाचरणका करना अप्रस्तुत जान पड़ता है; दूसरे वस्तुनिर्देशको भी मंगल माना गया है जिसका उत्तरद्वारा स्वतः विधान हो जाता है और इसलिये ऐसी परिस्थितिमें पृथक् रूपसे मंगलाचरणका किया जाना कुछ संगत मालूम नहीं होता । भूमिकाके वे वाक्य इस प्रकार हैं—

“सर्वार्थसिद्धिग्रन्थारंभे ‘मोक्षमार्गस्य नेतारमिति’ श्लोको वर्तते स तु सूत्रकृता भगवदुमास्त्रातिनैव विरचित इति श्रुतसागराचार्यस्याभिमतमिति तत्प्रणीतश्रुतसागर्याख्यवृत्तितः स्पष्टमवगम्यते । तथापि श्रीमत्पूज्यपादाचार्येणाव्याख्यातत्वादिदं श्लोकनिर्माणं न सूत्रकृतः किंतु सर्वार्थसिद्धिकृत एवेति निर्विवादम् । तथा एतेषां सूत्राणं द्वैपायक-प्रश्नोपर्युत्तरत्वेन विरचनं तैरेवाङ्गीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मंगलस्याप्रस्तुतत्वाद्ब्रह्मनिर्देशस्यापि मंगलत्वेनाङ्गीकृतत्वाच्चोपरितनः सिद्धान्त एव दाढ्यमाप्नोतीत्युह्यं सुधीभिः ॥”

पं०वंशीधरजी, अष्टसहस्रीके स्वसंपादित संस्करणमें, ग्रंथकर्ताओंका परिचय देते हुए, लिखते हैं कि समन्तभद्रने गंधहस्तिमहाभाष्यकी रचनाकरते हुए उसकी आदिमें इस पद्यके द्वारा आप्तका स्तवन किया है और फिर उसकी परीक्षाके लिये ‘आप्तमीमांसां’ ग्रंथकी रचना की है । यथा—

“भगवता समन्तभद्रेण गन्धहस्तिमहाभाष्यनामानं तत्त्वार्थोपरि टीकाग्रन्थं चतुरशीतिसहस्रानुष्टुभ्मात्रं विरचयत । तदादौ ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ इत्यादिनैकेन पद्येनाप्तः स्तुतः । तत्परीक्षणार्थं च ततोप्रे पंचदशाधिकशतपद्यैराप्तमीमांसाग्रन्थोभ्यधायि ।”

कुछ विद्वानोंका कहना है कि ‘राजवार्तिक’ टीकामें अकलंकदेवने इस पद्यको नहीं दिया—इसमें दिये हुए आप्तके विशेषणोंकी चर्चा तक भी नहीं की—और न विद्यानंदने ही अपनी ‘श्लोकवार्तिक’ टीकामें इसे उद्धृत किया है, ये ही सर्वार्थसिद्धिके बादकी दो प्राचीन टीकाएँ उपलब्ध हैं जिनमें यह पद्य नहीं पाया जाता, और इससे यह मालूम होता है कि इन प्राचीन टीकाकारोंने इस पद्यको मूलग्रन्थ (तत्त्वार्थसूत्र) का अंग नहीं माना । अन्यथा, ऐसे महत्वशाली पद्यको छोड़कर खण्डरूपमें ग्रन्थके उपस्थित करनेकी कोई वजह नहीं थी जिस पर ‘आप्तमीमांसा’ जैसे महान् ग्रन्थोंकी रचना हुई हो ।

सनातनजैनग्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें प्रकाशित तत्त्वार्थसूत्रमें भी, जो कि एक प्राचीन गुटके परसे प्रकाशित हुआ है, मंगलाचरण नहीं है, और भी बम्बई—बनारस आदिसे प्रकाशित हुए मूल तत्त्वार्थसूत्रके कितने ही संस्करणोंमें वह नहीं पाया जाता, अधिकांश हस्तलिखित प्रतियोंमें भी वह नहीं देखा जाता और कुछ हस्तलिखित प्रतियोंमें वह पद्य ‘त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं,’ ‘उज्जोवरा-मुज्जवरां’ इन दोनों अथवा इनमेंसे किसी एक पद्यके साथ उपलब्ध होता है और इससे यह मालूम नहीं होता कि वह मूल ग्रन्थकारका पद्य है बल्कि दूसरे पद्योंकी तरह ग्रन्थके शुरूमें मंगलाचरणके तौरपर संग्रह किया हुआ जान पड़ता है साथ ही श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो मूल तत्त्वार्थसूत्र प्रचलित है उसमें भी यह अथवा दूसरा कोई मंगलाचरण नहीं पाया जाता ।

ऐसी हालतमें लघुसमन्तभद्रके उक्त कथनका अष्टसहस्री ग्रन्थ भी कोई स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता । और यदि यह मान भी लिया जाय कि विद्यानन्दने सूत्रकार या शास्त्रकारसे ‘उमास्वाति’ का और तत्त्वार्थशास्त्रसे उनके ‘तत्त्वार्थाधिगम मोक्षशास्त्र’ का उल्लेख किया है और इस लिये उक्त पद्यको तत्त्वार्थाधिगमसूत्रका मंगलाचरण माना है तो इससे अष्टसहस्री और आप्तपरीक्षाके उक्त कथनोंका सिर्फ इतना ही नतीजा निकलता है कि समन्तभद्रने उमास्वातिके उक्त पद्यको लेकर उसपर उसी तरहसे ‘आप्तमीमांसा’ ग्रन्थकी रचना की है जिस तरहसे कि विद्यानन्दने उसपर ‘आप्तपरीक्षा’ लिखी है— अथवा यों कहिये कि जिस प्रकार ‘आप्तपरीक्षा’ की सृष्टि श्लोकवार्तिक-भाष्यको लिखते हुए नहीं की गई और न वह श्लोकवार्तिकका कोई अंग है उसी प्रकारकी स्थिति गन्धहस्ति महाभाष्यके सम्बन्धमें ‘आप्तमीमांसा’ की भी हो सकती है, उसमें अष्टसहस्री या आप्तपरीक्षाके उक्त वचनोंसे कोई बाधा नहीं आती; ❀ और न उनसे यह लाजिमी आता है कि समूचे तत्त्वार्थसूत्रपर महा-

❀ ‘समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र’ के निम्न वाक्यसे भी कोई बाधा नहीं आती, जिसमें सांकेतिक रूपमें समन्तभद्रकी भारती (आप्तमीमांसा) को ‘शृङ्गुपिच्छाचार्यके कहे हुए प्रकृष्ट मंगलके आशयको लिये हुए’ बतलाया है—

“शृङ्गुपिच्छ-भाषित-प्रकृष्ट-मंगलाधिकाम् । ”

भाष्यकी रचना करते हुए 'आप्तमीमांसा' की सृष्टि की गई है और इसलिये वह उसीका एक अंग है। हाँ, यदि किसी तरह पर यह माना जा सके कि 'आप्त-परीक्षा' के उक्त १२३वें पद्यमें 'शास्त्रकार' से समन्तभद्रका अभिप्राय है और इस लिये मंगलाचरणका वह स्तुति पद्य (स्तोत्र) उन्हीं का रचा हुआ है तो 'तत्त्वार्थशास्त्र' का अर्थ उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र करते हुए भी उक्त पद्यके 'प्रोत्थान' शब्द परसे महाभाष्यका आशय निकाला जा सकता है; क्योंकि तत्त्वार्थसूत्रका प्रोत्थान—उसे ऊँचा उठाना या बढ़ाना—महाभाष्य जैसे ग्रन्थोंके द्वारा ही होता है। और 'प्रोत्थान' का आशय यदि ग्रन्थकी उस 'उत्थानिका' से लिया जाय जो कभी कभी ग्रन्थकी रचनाका सम्बन्धादिक बतलानेके लिये शुरूमें लिखी जाती है, तो उससे भी उक्त आशयमें कोई बाधा नहीं आती; बल्कि 'भाष्यकार' को 'शास्त्रकार' कहा गया है यह और स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि मूल तत्त्वार्थसूत्रमें वैसी कोई उत्थानिका नहीं है, वह या तो मंगलाचरणके बाद 'सर्वार्थसिद्धि' में पाई जाती और या महाभाष्यमें होगी। सर्वार्थसिद्धि टीकाके कर्ता भी कथंचित् उस 'शास्त्रकार' शब्दके वाच्य हो सकते हैं। रही भाष्यकारको शास्त्रकार कहनेकी बात, सो इसमें कोई विरोध मालूम नहीं होता—तत्त्वार्थशास्त्रका अर्थ होनेसे जब उसके वार्तिक भाष्य या व्याख्यानको भी 'शास्त्र' कहा जाता* है तब उन वार्तिक-भाष्यादिके रचयिता स्वयं 'शास्त्रकार' सिद्ध होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

और यदि उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रद्वारा तत्त्वार्थशास्त्ररूपी समुद्रका प्रोत्थान होनेसे 'प्रोत्थान' शब्दका वाच्य वहाँ उक्त तत्त्वार्थसूत्र ही माना जाय तो फिर उससे पहले 'तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसलिलनिधि' का वह वाच्य नहीं रहेगा, उसका वाच्य कोई ग्रन्थविशेष न होकर सामान्य रूपसे तत्त्वार्थमहोदधि, द्वादशांगश्रुत या कोई अंग-पूर्व ठहरेगा, और तब अष्टसहस्री तथा आप्तपरीक्षाके कथनोंका वही नतीजा निकलेगा जो ऊपर निकाला गया है—गंधहस्ति महाभाष्यकी

* जैसा कि 'श्लोकवार्तिक' में विद्यानंदाचार्यके निम्न वाक्योंसे भी प्रकट है—
'प्रसिद्धे च तत्त्वार्थस्य शास्त्रत्वे तद्वार्तिकस्य शास्त्रत्वं सिद्धमेव तदर्थत्वात् ।
.....तदनेन तद्व्याख्यानस्य शास्त्रत्वं निवेदितम् ॥ ”

रचनाका लाजिमी नतीजा उनसे नहीं निकल सकेगा ।

इसके सिवाय, आसमीमांसाके साहित्य अथवा संदर्भपरसे जिस प्रकार उक्त पद्यके अनुसरणकी या उसे अपना विचाराश्रय बनानेकी कोई खास ध्वनि नहीं निकलती उसी प्रकार 'वसुनन्दि-वृत्ति' की प्रस्तावना या उत्थानिकासे भी यह मालूम नहीं होना कि आसमीमांसा उक्त मंगलपद्य (मोक्षमार्गस्य नेतारमित्यादि) को लेकर लिखी गई है, वह इस विषयमें अष्टसहस्रीकी प्रस्तावनासे कुछ भिन्न पाई जाती है और उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्र स्वयं सर्वज्ञ भगवानकी स्तुति करनेके लिये बैठे हैं—किसीकी स्तुतिका समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये नहीं—उन्होंने अपने मानसप्रत्यक्ष-द्वारा सर्वज्ञको साक्षात् करके उनसे यह निवेदन किया है कि ' हे भगवन्, माहात्म्यके आधिक्य-कथनको 'स्तवन' कहते हैं और आपका माहात्म्य अतीन्द्रिय होनेसे मेरे प्रत्यक्षका विषय नहीं है, इस लिये मैं किस तरहसे आपकी स्तुति करूँ ? उत्तरमें भगवान्की ओरसे यह कहे जानेपर कि, हे वत्स ! जिस प्रकार दूसरे विद्वान् देवोंके आगमन और आकाशमें गमनादिक हेतुसे मेरे माहात्म्यको समझकर स्तुति करते हैं उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते ?' समन्तभद्रने फिर कहा कि 'भगवन् ! इस हेतुप्रयोगसे आप मेरे प्रति महान् नहीं ठहरते—मैं देवोंके आगमन और आकाशमें गमनादिकके कारण आपको पूज्य नहीं मानता—क्योंकि यह हेतु व्यभिचारी है, ' और यह कह कर उन्होंने आसमीमांसाके प्रथम पद्य-द्वारा उसके व्यभिचारको दिखलाया है; आगे भी इसी प्रकारके अनेक हेतु-प्रयोगों तथा विकल्पोंको उठाकर आपने अपने ग्रन्थकी क्रमशः रचना की है

✽ अष्टसहस्रीकी प्रस्तावनाके जो शब्द पीछे फुटनोटमें उद्धृत किये गये हैं उनसे यह पाया जाता है कि निःश्रेयसशास्त्रकी आदिमें दिये हुए मंगलपद्यमें आसका स्तवन निरतिशय गुणोंके द्वारा किया गया है; इसपर मानों आस भगवानने समन्तभद्रसे यहपूछा है कि मैं देवागमादि विभूतिके कारण महान् हूँ, इस लिये इस प्रकारके गुणातिशयको दिखलाते हुए निःश्रेयस शास्त्रके कर्त्ता मुनिने मेरी स्तुति क्यों नहीं की ? उत्तरमें समन्तभद्रने आसमीमांसाका प्रथम पद्य कहा है । और उसका ' नः ' पद खास तौरसे ध्यान देने योग्य है ।

है और उसके द्वारा सभी आत्मीकी परीक्षा कर डाली है । वसुनन्दि-वृत्तिकी प्रस्तावनाके वे वाक्य इस प्रकार हैं—

“.....स्वभक्तिसंभारप्रेक्षापूर्वकारित्वलक्षणप्रयोजनवद्गुणस्तवं कर्तुं कामः श्रीमत्समन्तभद्राचार्यः सर्वज्ञं प्रत्यक्षीकृत्यैवमाचष्टे—हे भट्टारक संस्तवो नाम माहात्म्यस्याधिक्यकथनं । त्वदीयं च माहात्म्यमतीन्द्रियं मम प्रत्यक्षागोचरं । अतः कथं मया स्तूयसे ॥ अत आह भगवान् ननु भो वत्स यथान्ये देवागमादिहेतोर्मम माहात्म्यमवबुध्य स्तवं कुर्वन्ति तथा त्वं किमिति न कुरुषे ॥ अत आह—अस्माद्धेतोर्न महान् भवान् मां प्रति । व्यभिचारित्वादस्य हेतोः । इति व्यभिचारं दर्शयति—”

इस तरहपर, लघुसमन्तभद्रके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहित्यपरसे कोई समर्थन होता हुआ मालूम नहीं होता । बहुत संभव है कि उन्होंने अष्टसहस्री और आत्तपरीक्षाके उक्त वचनोंपरसे ही परम्परा-कथनके सहारेसे वह नतीजा निकाला हो, और यह भी संभव है कि किसी दूसरे ग्रन्थके स्पष्टोल्लेखके आधार-पर, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, वे गंधहस्ति-महाभाष्यके विषयमें वैसा उल्लेख करने अथवा नतीजा निकालनेके लिये समर्थ हुए हों । दोनों ही हालतोंमें प्राचीन साहित्यपरसे उक्त कथनके समर्थन और यथेष्ट निर्णयके लिये विशेष अनुसंधानकी जरूरत बाकी रहती है, इसके लिये विद्वानोंको प्रयत्न करना चाहिए ।

ये ही सब उल्लेख हैं जो अभीतक इस ग्रन्थके विषयमें हमें उपलब्ध हुए हैं । और प्रत्येक उल्लेखपरसे जो बात जितने अंशोंमें पाई जाती है उसपर यथाशक्ति ऊपर विचार किया जा चुका है । मेरी रायमें, इन सब उल्लेखोंपरसे इतना जरूर मालूम होता है कि ‘गंधहस्ति-महाभाष्य’ नामका कोई ग्रन्थ जरूर लिखा गया है, उसे ‘सामन्तभद्र-महाभाष्य’ भी कहते थे और खालिस ‘गंधहस्ति’ नामसे भी उसका उल्लेखित होना संभव है । परन्तु वह किस ग्रन्थपर लिखा गया—कर्मप्राभृत‡के भाष्यसे भिन्न है या अभिन्न—यह अभी सुनिश्चतरूपसे नहीं

‡ समन्तभद्रका ‘कर्मप्राभृत’ सिद्धान्तपर लिखा हुआ भाष्य भी उपलब्ध नहीं है । यदि वह सामने होता तो गंधहस्ति महाभाष्यके विशेष निर्णयमें उससे बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी ।

कहा जा सकता। हाँ, उमास्वातिके 'तत्त्वार्थसूत्र'पर उसके लिखे जानेको अधिक संभावना जरूर है; परन्तु ऐसी हालतमें, वह अष्टशती और राज-वार्तिकके कर्त्ता अकलंकदेवसे पहले ही नष्ट हो गया जान पड़ता है। पिछले लेखकोंके ग्रंथोंमें महाभाष्यके जो कुछ स्पष्ट या अस्पष्ट उल्लेख मिलते हैं वे स्वयं महाभाष्यको देखकर किये हुए उल्लेख मालूम नहीं होते—बल्कि परंपरा-कथनोंके आधारपर या उन दूसरे प्राचीन ग्रंथोंके उल्लेखोंपरसे किये हुए जान पड़ते हैं, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुए ! उनमें एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिसमें 'देवागम' जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थके पद्योंको छोड़कर, महाभाष्यके नामके साथ उसके किसी वाक्यको उद्धृत किया हो। इसके सिवाय, 'देवागम' उक्त महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण है यह बात इन उल्लेखोंसे नहीं पाई जाती। हाँ, वह उसका एक प्रकरण जरूर हो सकता है; परन्तु उसकी रचना 'गंधहस्ति' की रचनाके अवसरपर हुई या वह पहले ही रचा जा चुका था और बादको महाभाष्यमें शामिल किया गया इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। फिर भी इतना तो स्पष्ट है और इस कहनेमें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती कि 'देवागम (आप्तमीमांसा)' एक बिल्कुल ही स्वन्तत्र ग्रन्थके रूपमें इतना अधिक प्रसिद्ध रहा है कि महाभाष्यको समंतभद्रकी कृति प्रकट करते हुए भी उसके साथमें कभी कभी देवागमका भी नाम एक पृथक् कृतिके रूपमें देना जरूरी समझा गया है और इस तरहपर 'देवागम' की प्रधानता और स्वन्तत्रताको उद्घोषित करनेके साथ साथ यह सूचित किया गया है कि देवागमके परिचयके लिये गंधहस्ति-महाभाष्यका नामोल्लेख पर्याप्त नहीं है—उसके नामपरसे ही देवागमका बोध नहीं होता। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि 'देवागम' गंधहस्ति-महाभाष्यका एक प्रकरण है तो 'युक्त्यनुशासन' ग्रंथ भी उसके अनन्तरका एक प्रकरण होना चाहिये; क्योंकि 'युक्त्यनुशासनटीकाके प्रथम' प्रस्तावनावा-

† टीकाका प्रथम प्रस्तावनावक्य इस प्रकार है—

“श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदाद्व्यवस्थापितेन भगवता श्रीमताहंतान्यतीर्थकरपरमदेवेन मां परीक्ष्य किं चिकीर्षवो भवन्तः इति ते पृष्ठा इव प्राहुः—।”

क्यद्वारा श्रीविद्यानंद आचार्य ऐसा सूचित करते हैं कि आसमीमांसा-द्वारा आसकी परीक्षा हो जानेके अनन्तर यह ग्रंथ रचा गया है, और ग्रंथके प्रथम पद्यमें आये हुए 'अद्य'† शब्द परसे भी यह ध्वनि निकलती है कि उससे पहले किसी दूसरे ग्रन्थ अथवा प्रकारणकी रचना हुई है। ऐसी हालतमें, उस ग्रन्थ-राजको 'गंधहस्ति' कहना कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता जिसके 'देवागम' और 'युक्त्यनुशासन' जैसे महामहिमासम्पन्न मौलिक ग्रन्थरत्न भी प्रकरण हों। नहीं मालूम तब, उस महाभाष्यमें ऐसे कितने ग्रन्थरत्नोंका समावेश होगा। उसका लुप्त हो जाना निःसन्देह जैनसमाजका बड़ा ही दुर्भाग्य है।

रही महाभाष्यके मंगलचरणकी बात, इस विषयमें, यद्यपि अभी कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती, फिर भी 'मोक्षमार्गस्य नेतारं' नामक पद्यके मंगलाचरण होनेकी संभावना जरूर पाई जाती है और साथ ही इस बातकी भी संभावना है कि वह समन्तभद्र-प्रणीत है। परन्तु यह भी हो सकता है कि उक्त पद्य उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण हो और समन्तभद्रने उसे ही महाभाष्यका आदिम मंगलाचरण स्वीकार किया हो, ऐसी हालतमें उन सब आक्षेपों के योग्य समाधानकी जरूरत रहती है जो इस पद्यको तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण मानने पर किये जाते हैं और जिनका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका है। मेरी रायमें, इन सब बातोंको लेकर और सबका अच्छा निर्णय प्राप्त करनेके लिये, महाभाष्यके सम्बंधमें प्राचीन जैनसाहित्यको टटोलनेकी अभी और जरूरत जान पड़ती है, और वह जरूरत और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि ऊपर जितने भी उल्लेख मिले हैं वे सब विक्रमकी प्रायः ११वीं, १२वीं, १३वीं, १४वीं, और १५वीं

† युक्त्यनुशासनका प्रथम पद्य इस प्रकार है—

“कीर्त्या महत्या भुवि वर्द्धमानं त्वां वर्द्धमानं स्तुतिगोचरत्वं ।

निनीषवः स्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धं ॥”

‡ अद्य अस्मिन्काले परीक्षावसानसमये (— इति विद्यानंदः)

अर्थात्—इस समय—परीक्षाकी समाप्तिके अवसरपर—हम आपको—वीर-वर्द्धमानको—अपनी स्तुतिका विषय बनाना चाहते हैं—आपकी स्तुति करना चाहते हैं।

शताब्दियोंके उल्लेख[†] हैं, उनसे पहले आठसौ वर्षके भीतरका एक भी उल्लेख नहीं है और यह समय इतना तुच्छ नहीं हो सकता जिसकी कुछ पर्वाह न की जाय; बल्कि महाभाष्यके अस्तित्व, प्रचार और उल्लेखकी इस समयमें ही अधिक संभावना पाई जाती है और यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता है। अतः पहले उल्लेखोंके साथ पिछले उल्लेखोंकी शृंखला और संगति ठीक बिठलाने के लिये इस बातकी खास जरूरत है कि १०वींसे ३री शताब्दी पीछे तकके प्राचीन जैनसाहित्यको खूब टटोला जाय—उस समयका कोई भी ग्रंथ अथवा शिलालेख देखनेसे बाकी न रक्खा जाय—, ऐसा होने पर इन पिछले उल्लेखोंकी शृंखला और संगति ठीक बैठ सकेगी और तब वे और भी ज्यादा वजनदार हो जाएंगे। साथ ही, इस ढूँढ-खोजसे समन्तभद्रके दूसरे भी कुछ ऐसे ग्रंथों तथा जीवन-वृत्तान्तोंका पता चलनेकी आशा की जाती है जो उनके परिचयमें निबद्ध नहीं हो सके और जिनके मालूम होनेपर समन्तभद्रके इतिहासका और भी ज्यादा उद्धार होना संभव है। आशा है कि अब पुरातत्त्वके प्रेमी और समन्तभद्रके इतिहासका उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान् जरूर इस ढूँढ-खोजके लिये अच्छा यत्न करेंगे, और इस तरह शीघ्र ही कुछ विवादग्रस्त प्रश्नोंको हल करनेमें समर्थ हो सकेंगे।



[†] देखो, उन उल्लेखोंके वे फुटनोट भी जिनमें उनके कर्ताओंका समय दिया हुआ है।

समन्तभद्रका समय और डाक्टर के० बी० पाठक

डाक्टर के० बी० पाठक बी० ए०, पी० एच० डी० ने 'समन्तभद्रके समय-पर' एक लेख पूनाके 'ऐन्सल्स ऑफ दि भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट' नामक अंग्रेजी पत्रकी ११वीं जिल्द (Vol XI, Pt. II P. 149) में प्रकाशित कराया है और उसके द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि स्वामी समन्तभद्र ईसाकी आठवीं शताब्दीके पूर्वार्द्धमें हुए हैं; जब कि जैन समाज में उनका समय आमतौरपर दूसरी शताब्दी माना जाता है और पुरातत्त्वके कई विद्वानोंने उसका समर्थन किया है। यह लेख, कुछ अर्सा हुआ, मेरे मित्र पं० नाथूरामजी प्रेमी बम्बईकी कृपासे मुझे देखनेको मिला, देखनेपर बहुत कुछ सदोष तथा भ्रममूलक जान पड़ा और अन्तको जाँचनेपर निश्चय हो गया कि पाठकजीने जो निर्णय दिया है वह ठीक तथा युक्तियुक्त नहीं है। अतः आज पाठकजीके उक्त लेखके उत्पन्न होनेवाले भ्रमको दूर करने और यथार्थ वस्तु-स्थितिका बोध करानेके लिए ही यह लेख लिखा जाता है।

पाठकजी का हेतुवाद

“समन्तभद्रका समय निर्णय करना आसान है, यदि हम उनके 'युक्तियनु-शासन' और उनकी 'आप्तमीमांसा' का सावधानीके साथ अध्ययन करें,” इस

प्रस्तावनावाक्यके साथ पाठकजीने अपने लेखमें जिन हेतुओंका प्रयोग किया है, उनका सार इस प्रकार है:—

(१) समन्तभद्र बौद्ध ग्रन्थकार धर्मकीर्तिके बाद हुए हैं; क्योंकि उन्होंने 'युक्त्यनुशासन' में निम्न वाक्य-द्वारा प्रत्यक्षके उस प्रसिद्ध लक्षणपर आपत्ति की है जिसे धर्मकीर्तिने 'न्यायबिन्दु' में दिया है—

प्रत्यक्षनिर्देशवदप्यसिद्धमकल्पकं ज्ञापयितुं ह्यशक्यम् ।

विना च सिद्धेर्न च लक्षणार्थो न तावकद्वेषिणि वीर ! सत्यम् ॥३॥

(२) चूँकि आप्तमीमांसाके ८०वें पद्यमें समन्तभद्रने बतलाया है कि धर्मकीर्ति अपना विरोध खुद करता है जब कि वह कहता है कि—

सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः (प्रमाणविनिश्चय)

इसलिये भी समन्तभद्र धर्मकीर्तिके बाद हुए हैं ।

(३) आप्तमीमांसाके पद्य नं० १०६ में जैनग्रन्थकार (समन्तभद्र) ने बौद्ध ग्रन्थकार (धर्मकीर्ति) के त्रिलक्षण हेतुपर आपत्ति की है । इससे भी स्पष्ट है कि समन्तभद्र धर्मकीर्तिके बादके विद्वान् हैं ।

(४) शब्दाद्वैतके सिद्धान्तको भर्तृहरिने इस प्रकारसे प्रतिपादित किया है—

न मोरिति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥

वाग्रूपता चेदुक्तामेदवबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥

भर्तृहरिके इसी सिद्धान्तकी श्वेताम्बर ग्रन्थकार हरिभद्रसूरिने अपनी 'अनेकान्तजयपताका' के निम्न वाक्यमें तीव्र आलोचना की है और उसमें समन्तभद्रको 'वादिमुख्य' नाम देते हुए प्रमाणरूपसे उनका वचन उद्धृत किया है—

“एतेन यदुक्तमाह च शब्दार्थवित्, वाग्रूपता चेदुक्तामेत् इत्यादि कारिकाद्वयं तदपि प्रत्युक्तम् । तुल्ययोगक्षेमत्वादिति आह च वादिमुख्यः—

बोधात्मा चेच्छब्दस्य न स्यादन्यत्र तच्छ्रुतिः ।

यद्बोद्धारं परित्यज्य न बोधोऽन्यत्र गच्छति ॥

न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते ।

शब्दाभेदेन सत्येवं सर्वः स्यात्परचित्तवत् ॥ इत्यादि ।

इस तरहपर यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रके मतमें शब्दाद्वैतका सिद्धान्त सुनिश्चित रूपसे असत्य है । समन्तभद्रके शब्दों “न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते” की तुलना भर्तृहरिके शब्दों “न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्वैते” के साथ करनेपर मालूम होता है कि समन्तभद्रने भर्तृहरिके मतका खण्डन यथासंभव प्रायः उसीके शब्दोंको उद्धृत करके किया है, जो कि मध्यकालीन ग्रन्थकारोंकी विशेषताओंमेंसे एक खास विशेषता है, (लेखमें नमूनेके तौर पर इस विशेषताके कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं ।) और इस लिये समन्तभद्र भर्तृहरिके बाद हुए हैं ।

(५) समन्तभद्रके शिष्य लक्ष्मीधरने अपने ‘एकान्त खण्डन’ में लिखा है—

“अनेकांतलक्ष्मीविलासावासाः सिद्धसेनार्याः असिद्धिं प्रति (त्य)-पादयन् । षड्दर्शनरहस्यसंवेदनसंपादितनिस्सीमपाण्डित्यमण्डिताः पूज्य-पादस्वामिनस्तु विरोधं साधयति स्म । सकलतार्किकचक्रचूडामणिमरीचि-मेचकितचरणानखमयूखा भगवन्तः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्या असिद्धि-विरोधावब्रुवन् । तदुक्तं ।

असिद्धं सिद्धसेनस्य विरुद्धं देवनन्दिनः ।

द्वयं समन्तभद्रस्य सर्वथैकान्तसाधनमिति ॥

नित्याद्येकान्तहेतुर्बुधततिमहितः सिद्धसेनो ह्यसिद्धं ।

ब्रूते श्रीदेवनन्दी विदितजिनमतः सन् विरोधं व्यनक्ति ॥”

इन अवतरणोंसे, जो कि एकान्तखण्डनके प्रारम्भिक भागसे उद्धृत किये गये हैं, स्पष्ट है कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहिले जीवित थे—अर्थात् समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं । और इसलिये पूज्यपादके जैनेन्द्र व्याकरणमें “चतुष्टयं समन्तभद्रस्य” यह समन्तभद्रके नामोल्लेखवाला जो सूत्र (अ० ५ पा० ४ सू० १६८) पाया जाता है, वह प्रक्षिप्त है । इसीसे जैन शाकटायनने, जिसने जैनेन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल की है, उसका अनुसरण भी नहीं किया है, किन्तु “वा” शब्दका प्रयोग करके ही सन्तोष धारण किया है—अपना काम निकाल लिया है ।

(६) उक्त एकान्तखण्डनमें लक्ष्मीधरने भट्टाचार्यका एक वाक्य निम्न प्रकारसे उद्धृत किया है—

वर्णात्मकाश्च ये शब्दाः नित्याः सर्वगतास्तथा ।

पृथक् द्रव्यतया ते तु न गुणाः कस्यचिन्मताः ॥

—इति भट्टाचार्याः (यवचनाच्च)

ये भट्टाचार्य स्वयं कुमारिल हैं, जो प्रायः इस नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं; जैसा कि निम्न दो अवतरणोंसे प्रकट है—

तदुक्तं भट्टाचार्यैर्मीमांसाश्लोकवार्तिके ।

यस्य नावयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णबुद्धिभिः ।

सोपि पर्यनयोगेन नैकेनापि विमुच्यते ॥ इति ।

तदुक्तं भट्टाचार्यैः

प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते ।

जगच्च सृजतस्तस्य किं नाम न कृतं भवेत् ॥ इति ।

—सर्वदर्शनसंग्रह

अतः खुद समन्तभद्रके शिष्यद्वारा कुमारिलका उल्लेख होनेसे समन्तभद्र कुमारिलसे अधिक पहलेके विद्वान् नहीं ठहरते—वे या तो कुमारिलके प्रायः समसामयिक हैं अथवा कुमारिलसे थोड़े ही समय पहले हुए हैं ।

(७) “दिगम्बर जैनसाहित्यमें कुमारिलका स्थान” नामक मेरे लेखमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि समन्तभद्रकी ‘आप्तमीमांसा’ और उसकी अकलंक-देवकृत ‘अष्टशती’ नामकी पहली टीका दोनों कुमारिलके द्वारा तीव्रालोचित हुई हैं—खण्डित की गई हैं—और अकलंकदेवके दो अवतर (Junior) समकालीन विद्वानों विद्यानन्द—पात्रकेसरी तथा प्रभाचन्द्रके द्वारा मण्डित (सुरक्षित) की गई हैं । अकलंकदेव राष्ट्रकूट राजा साहसतुङ्ग—दन्तिदुर्गके राज्यकालमें हुए हैं, और प्रभाचन्द्र अमोघवर्ष प्रथमके राज्यतक जीवित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुण-भद्रके आत्मानुशासनका उल्लेख किया है । अकलंकदेव और उनके छिद्रान्वेषी कुमारिलके साहित्यिक व्यापारोंको ईसाकी आठवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें रक्खा जाना चाहिये । और चूँकि समन्तभद्रने धर्मकीर्ति तथा भर्तृहरिके मतोंका खण्डन किया है और उनके शिष्य लक्ष्मीधर कुमारिलका उल्लेख करते हैं, अतः

हम समन्तभद्रको ईसाकी आठवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें स्थापित करनेके लिये मजबूर हैं—हमें बलात् ऐसा निर्णय देनेके लिये बाध्य होना पड़ता है ।

हेतुओंकी जाँच

समन्तभद्रका धर्मकीतिके बाद होना सिद्ध करनेके लिये जो पहले तीन हेतु दिये गये हैं उनमेंसे कोई भी समीचीन नहीं है । प्रथमहेतु रूपसे जो बात कही गई है वह युक्त्यनुशासनके उस वाक्यपरसे उपलब्ध ही नहीं होती जो वहाँपर उद्धृत किया गया है; क्योंकि उसमें न तो धर्मकीतिका नामोल्लेख है, न न्याय-बिन्दुका और न धर्मकीतिका प्रत्यक्ष लक्षण ही उद्धृत पाया जाता है, जिसका रूप है—“प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् ।” यदि यह कहाजाय कि उक्त वाक्य-में ‘अकल्प’ पदका जो प्रयोग है वह ‘निर्विकल्पक’ तथा ‘कल्पनापोढ’का वाचक है और इसलिये धर्मकीतिके प्रत्यक्ष-लक्षणको लक्ष्य करके ही लिखा गया है, तो इसके लिये सबसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि प्रत्यक्षको अकल्पक अथवा कल्पनापोढ निर्दिष्ट करना एकमात्र धर्मकीतिकी ईजाद है—उससे पहलेके किसी भी विद्वान्ने प्रत्यक्षका ऐसा स्वरूप नहीं बतलाया है । परन्तु यह सिद्ध नहीं है—धर्मकीतिसे पहले दिग्नाग नामके एक बहुत बड़े बौद्ध तार्किक हो गये हैं, जिन्होंने न्यायशास्त्रपर ‘प्रमाणसमुच्चय’ आदि कितने ही ग्रन्थ लिखे हैं और जिनका समय ई० सन् ३४५ से ४१५ तक बतलाया जाता है * । उन्होंने भी ‘प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्’ इत्यादि वाक्य † के द्वारा प्रत्यक्षका स्वरूप ‘कल्पनापोढ’ बतलाया है । ब्राह्मण तार्किक उद्योतकरने अपने न्यायवार्तिक (१--१--४) में ‘प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्’ इस वाक्यको उद्धृत करते हुए दिग्नागके प्रत्यक्ष विषयक सिद्धान्तकी तीव्र आलोचना की है । और यह उद्योतकर भी धर्मकीतिसे पहले हुए हैं; क्योंकि धर्मकीतिने उनपर आपत्ति की है, जिसका उल्लेख खुद

* देखो, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज बड़ौदामें प्रकाशित ‘तत्त्वसंग्रह’ ग्रंथ-की भूमिकादिक ।

† यह वाक्य दिग्नागके ‘प्रमाणसमुच्चय’ में तथा ‘न्यायप्रवेश’ में भी पाया जाता है और वाचस्पति मिश्रने न्यायवार्तिककी टीकामें इसे साफ़ तौर पर दिग्नागके नामसे उल्लेखित किया है ।

पाठक महाशयने अपने 'भर्तृहरि और कुमारिल' नामके लेखमें किया है † । इसके सिवाय तत्त्वार्थराजवार्तिकमें अकलंकदेवने जो निम्न श्लोक 'तथा चोक्तं' शब्दोंके साथ उद्धृत किया है उसे पाठकजीने, उक्त ऐत्रलसकी उसी संख्यामें प्रकाशित अपने दूसरे लेख (पृ० १५७) में दिग्नागका बतलाया है—

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्यादियोजना ।

असाधारणहेतुवादचैस्तद्व्यपदिश्यते ॥

ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षका 'कल्पनापोढ' स्वरूप एकमात्र धर्मकीतिके द्वारा निर्दिष्ट नहीं हुआ है । यदि सबसे पहले उसीके द्वारा निर्दिष्ट होना माना जायगा तो दिग्नागको भी धर्मकीतिके बादका विद्वान् कहना होगा जो पाठक महाशयको भी इष्ट नहीं हो सकता और न इतिहाससे किसी तरह सिद्ध ही किया जासकता है; क्योंकि धर्मकीतिने दिग्नागके 'प्रमाणसमुच्चय' ग्रन्थपर वार्तिक लिखा है । वस्तुतः धर्मकीति दिग्नागके बाद न्यायशास्त्रमें विशेष उन्नति करनेवाला हुआ है, जिसका स्पष्टीकरण ई-त्सिंग नामक चीनी यात्री (सन् ६७१-६८५) ने अपने यात्राविवरणमें भी दिया है ‡ । उसने दिग्नाग-प्रतिपादित प्रत्यक्षके 'कल्पनापोढ' लक्षणमें 'अभ्रान्त' पदकी वृद्धिकर उसका सुधार किया है । और यह 'अभ्रान्त' शब्द अथवा इसी आशयका कोई दूसरा शब्द समन्तभद्रके उक्त वाक्यमें नहीं पाया जाता, और इसलिये यह नहीं कहा जासकता कि समन्तभद्रने धर्मकीतिके प्रत्यक्ष लक्षणको सामने रखकर उसपर आपत्ति की है । यह दूसरी बात है कि समन्तभद्रने प्रत्यक्षके जिस 'निर्विकल्पक' लक्षणपर आपत्ति की है उससे धर्मकीतिका लक्षण भी आपन्न एवं बाधित ठहरता है; क्योंकि उसने भी अपने लक्षणमें प्रत्यक्षके निर्विकल्पक स्वरूपको अपनाया है । और इसीसे टीकामें टीकाकार विद्यानन्द आचार्यने, जिन्हें गलतीसे लेखमें 'पात्रकेसरी' नामसे भी उल्लेखित किया गया है, "कल्प-

† देखो, डा० सतीशचन्द्रकी 'हिस्टरी आफ़ दि मिडियावल स्कूल आफ़ इंडियन लॉजिक' पृ० १०५ तथा J. B. B. R. A. S. Vol. XVIII P. 229.

‡ देखो, उक्त हिस्टरी (H. M. S. I. L.) पृ० १०५ या हिस्टरी आफ़ इण्डियन लॉजिक पृ० ३०६ ।

नापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षमिति लक्षणमस्यार्थः प्रत्यक्षप्रत्यायनं” इस वाक्यके द्वारा उदाहरणके तौरपर अपने समयमें खास प्रसिद्धिको प्राप्त धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष-लक्षणको लक्षणार्थ बतलाया है। अन्यथा, “प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्” यह लक्षण भी लक्षणार्थ कहा जासकता है। इसी तरह धर्मकीर्तिके बाद होनेवाले जिन जिन विद्वानोंने प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माना है उन सबका मत भी आपन्न तथा बाधित हो जाता है, और इससे समन्तभद्र इतने परसे ही जिस प्रकार उन अनुकरणशील विद्वानोंके बादके विद्वान् नहीं कहे जासकते उसी प्रकार वे धर्मकीर्तिके बादके भी विद्वान् नहीं कहे जासकते। अतः यह हेतु असिद्धादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं है।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना उचित समझता हूँ कि प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माननेके विषयमें दिग्नागकी भी गणना अनुकरणशील विद्वानोंमें ही है; क्योंकि उनके पूर्ववर्ती आचार्य वसुबन्धुने भी सम्यक्ज्ञानरूप प्रत्यक्षको ‘निर्विकल्प’ माना है, और यह बात उनके ‘विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि’ तथा ‘त्रिशिका विज्ञप्तिकारिका’ जैसे प्रकरण-ग्रन्थों * परसे साफ़ ध्वनित है। इसके सिवाय वसुबन्धुसे भी पहलेके प्राचीन बौद्ध साहित्यमें इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि बौद्ध सम्प्रदायमें उस सम्यक्ज्ञानको ‘निर्विकल्प’ माना है जिसके १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान ऐसे दो भेद किये गये हैं और जिन्हें धर्मकीर्तिने भी, न्याय-बिन्दुमें, “द्विविधं सम्यग्ज्ञानं प्रत्यक्षमनुमानं च” इस वाक्यके द्वारा अपनाया है; जैसा कि ‘लंकावतारसूत्र’ में दिये हुए ‘सम्यक्ज्ञान’ के स्वरूपप्रतिपादक निम्न बुद्ध-वाक्यसे प्रकट है—

“मयान्यैश्च तथागतैरनुगम्य यथावदेशितं प्रज्ञप्तं विवृतमुत्तानीकृतं यत्रानुगम्य सम्यगवबोधानुच्छेदाशाश्वततो विकल्पस्य प्रवृत्तिः स्वप्रत्यात्मार्थज्ञानानुकूलं तीर्थकरपक्षपरपक्षश्रावकप्रत्येकबुद्धाग्नितिलक्षणं तत्सम्यग्ज्ञानम्।” पृ० २२८

* ये दोनों ग्रंथ संस्कृतवृत्तिसहित सिलवेन लेवीसके द्वारा संपादित हीकर पैरिसमें मुद्रित हुए हैं। पहलेकी वृत्ति स्वोपज्ञ जान पड़ती है, और दूसरेकी वृत्ति आचार्य स्थिरमतिकी कृति है।

जब 'सम्यग्ज्ञान' ही बौद्धोंके यहाँ बहुत प्राचीनकालसे विकल्पकी प्रवृत्तिसे रहित माना गया है तब उसके अंगभूत प्रत्यक्षका निर्विकल्प माना जाना स्वतः सिद्ध है। बहुत सम्भव है कि आर्य नागार्जुनके किसी ग्रन्थमें—सम्भवतः उनकी 'युक्तिषष्टिकाकारिका' * में—प्रत्यक्षका अकल्पक अथवा निर्विकल्पक रूपसे निर्देश किया गया हो और उसे लक्ष्यमें रखकर ही समन्तभद्रने अपने युक्त्यनुशासनमें उसका निरसन किया हो। आर्य नागार्जुनका समय ईसवी सन् १८१ बतलाया जाता है † और समन्तभद्र भी दूसरी शताब्दीके विद्वान् माने जाते हैं। दोनों ग्रन्थोंके नामोंमें भी बहुत कुछ साम्य है और दोनोंकी कारिकासंख्या भी प्रायः मिलती-जुलती है। युक्त्यनुशासनमें ६४ कारिकाएँ हैं—मुख्य तो ६० ही हैं—और इससे उसेभी 'युक्तिषष्टिका' अथवा 'युक्त्यनुशासनषष्टिका' कहसकते हैं। ये सब बातें उक्त सम्भावनाकी पुष्टि करती हैं। यदि वह ठीक हो—और उसको ठीक माननेके लिये और भी कुछ सहायक सामग्री पाई जाती है, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा—तो समन्तभद्र प्रायः नागार्जुनके समकालीन विद्वान् ठहरते हैं। धर्मकीर्तिके बादके विद्वान् तो वे किसी तरह भी सिद्ध नहीं किये जासकते।

दूसरे हेतुरूपसे जो बात कही गई है वह भी असिद्ध है अर्थात् आप्तमीमांसाकी उस ८० नम्बरकी कारिकासे उपलब्ध ही नहीं होती, जो इस प्रकार है—

साध्यसाधनवेज्ञप्तेर्यदि विज्ञप्तिमात्रता ।

न साध्यं न च हेतुश्च प्रतिज्ञा-हेतु-दोषतः ॥

इसमें न तो धर्मकीर्तिका नामोल्लेख है और न "सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः" वाक्यका। फिर समन्तभद्रकी ओरसे यह कहना कैसे बन सकता है कि 'धर्मकीर्ति अपना विरोध खुद करता है जब कि वह सहोपलम्भनियमात् इत्यादि वाक्य कहता है ?' मालूम होता है अष्टसहस्री-जैसी टीकामें 'सहोपलम्भनियमात्' इत्यादि वाक्यको देखकर और उसे धर्मकीर्तिके प्रमाण-विनिश्चय ग्रन्थमें भी पाकर पाठक महाशयने यह सब कल्पना कर डाली है !

* नागार्जुनके इस ग्रन्थका उल्लेख डाक्टर सतीशचन्द्रने अपनी पूर्वोल्लेखित 'हिस्टरी आफ़ इण्डियन लॉजिक'में किया है; देखो, उसका पृ० ७० ।

† देखो, पूर्वोल्लेखित 'तत्त्वसंग्रह' ग्रन्थकी भूमिकादिक ।

परन्तु अष्टसहस्रीमें यह वाक्य उदाहरणके तौरपर दिये हुए कथनका एक अंग है, इसके पूर्व 'तथाहि' शब्दका भी प्रयोग किया गया है जो उदाहरणका वाचक है और साथमें धर्मकीर्तिका कोई नाम नहीं दिया गया है; जैसाकि टीकाके निम्न प्रारम्भिक अंशसे प्रकट है—

“प्रतिज्ञादोषस्तावत्स्ववचनविरोधः साध्यसाधनविज्ञानस्य विज्ञप्ति-मात्रमभिलपतः प्रसज्यते । तथाहि । सहोपलम्भनियमादभेदो नील-तद्वियोद्विचन्द्रदर्शनवदित्यत्रार्थसंविदो सहदर्शनमुपेत्यैकत्वैकान्तं साधयन् कथमवधेयाभिलापः ?” पृ० २४२

ऐसी हालतमें टीकाकारके द्वारा उदाहरणरूपसे प्रस्तुत किये हुए कथनको मूल ग्रन्थकारका बतला देना अति साहसका कार्य है ! मूलमें तो विज्ञप्तिमात्रताका सिद्धान्त माननेवालों (बौद्धों) पर आपत्ति की गई है और इस सिद्धान्तके माननेवाले समन्तभद्रके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों ही हुए हैं । अतः इस आपत्तिसे जिस प्रकार पूर्ववर्ती विद्वानोंकी मान्यताका निरसन होता है वैसे ही उत्तरवर्ती विद्वानोंकी मान्यताका भी निरसन होजाता है । इसीसे टीकाकारोंको उनमेंसे जिसके मतका निरसन करना इष्ट होता है वे उसीके वाक्यको लेकर मूलके आधारपर उसका खण्डन करडालते हैं और इसीसे टीकाओंमें प्रायः ‘एतेन एतदपि निरस्तं—भवति—प्रत्युक्तं भवति’, ‘एतेन यदुक्तं भट्टेन... तन्निरस्तं (अष्टसहस्री)’ जैसे वाक्योंका भी प्रयोग पाया जाता है । और इस लिये यदि टीकाकारने उत्तरवर्ती किसी विद्वान्के वाक्यको लेकर उसका निरसन किया है तो इससे वह विद्वान् मूलकारका पूर्ववर्ती नहीं होजाता—टीकाकारका पूर्ववर्ती जरूर होता है । मूलकारको तब उसके बादका विद्वान् मानना भारी भूल होगा और ऐसी भूलोंसे ऐतिहासिक क्षेत्रमें भारी अनर्थोंकी संभावना है; क्योंकि प्रायः सभी सम्प्रदायोंके टीकाग्रंथ यथावश्यकता उत्तरवर्ती विद्वानोंके मतोंके खण्डनसे भरे हुए हैं । टीकाकारोंकी दृष्टि प्रायः ऐतिहासिक नहीं होती किन्तु सैद्धान्तिक होती है । यदि ऐतिहासिक हो तो वे मूलवाक्योंपरसे उन पूर्ववर्ती विद्वानोंके मतोंका ही निरसन करके बतलाएँ जो मूलकारके लक्ष्यमें थे ।

इसके सिवाय, विज्ञप्तिमात्रताका सिद्धान्त धर्मकीर्तिके बहुत पहलेसे माना जाता था, वसुबन्धु जैसे प्राचीन आचार्योंने उसपर ‘विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि’ और

‘त्रिशिका विज्ञप्तिकारिका’ जैसे प्रकरण-ग्रन्थों तककी रचना की है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। यह बौद्धोंकी विज्ञानाद्वैतवादिनी योगाचार-शाखाका मत है और आचार्य वसुबन्धुके भी बहुत पहलेसे प्रचलित था। इसीसे उन्होंने लिखा है कि ‘यह विज्ञप्तिमात्रताकी सिद्धि मैंने अपनी शक्तिके अनुसार की है, पूर्ण रूपसे यह मुझ-जैसोंके द्वारा चिन्तनीय नहीं है, बुद्धगोचर है’—

“विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसदृशी मया ।

कृतेयं सर्वथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः ॥”

‘लंकावतारसुत्र’ नामके प्राचीन बौद्ध ग्रन्थमें, जो वसुबन्धुसे भी बहुत पहले निर्मित हो चुका है और जिसका उल्लेख नागार्जुनके प्रधान शिष्य आर्यदेव तक ने किया है ❁, महामति-द्वारा बुद्ध भगवान्से जो १०८ प्रश्न किये गये हैं, उनमें भी विज्ञप्तिमात्रताका प्रश्न निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

“प्रज्ञप्तिमात्रं च कथं ब्रूहि मे वदतांवर । २-३७ ।”

और आगे ग्रन्थके तीसरे परिवर्तनमें विज्ञप्तिमात्रताके स्वरूप-सम्बन्धमें लिखा है—

“यदा त्वालम्ब्यमर्थं नोपलभते ज्ञानं तथा विज्ञप्तिमात्रव्यवस्थानं भवति विज्ञप्तेर्ग्राह्याभावाद् ग्राहकस्याप्यग्रहणं भवति । तदग्रहणान्नपरवर्तते ज्ञानं विकल्पसंशब्दितं ।”

इससे बौद्धका यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन मालूम होता है। आश्चर्य नहीं जो “सहोपलम्भानियमादभेदो नीलतद्विद्योः” यह वाक्य भी पुराना ही हो और उसे धर्मकीर्तिने अपनाया हो। अतः आसमीमांसाके उक्त वाक्यपरसे समन्तभद्रको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् करार देना नितान्त भ्रमात्मक है। यदि धर्मकीर्तिको ही विज्ञप्तिमात्रता सिद्धान्तका ईजाद करनेवाला माना जायगा तो वसुबन्धु आदि पुरातन आचार्योंको भी धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् मानना होगा, जो पाठक महाशयको भी इष्ट नहीं होसकता और न इतिहाससे ही किसी तरह-पर सिद्ध किया जासकता है। और इसलिये यह दूसरा हेतु भी असिद्धादि दोषों-

* देखो, पूर्वोल्लेखित ‘हिस्टरी ऑफ मिडियावल स्कूल आफ इण्डियन लॉजिक’

पृ० ७२, (या हिस्टरी आफ इण्डियन लॉजिक पृ० २४३, २६१)

से दूषित होनेके कारण साध्यकी सिद्धि करने—समन्तभद्रको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् करार देने—के लिये समर्थ नहीं है ।

तीसरे हेतुमें आत्ममीमांसाकी जिस कारिका नं० १०६ का उल्लेख किया गया है वह इस प्रकार है—

सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधतः ।

स्याद्वादप्रविभक्तार्थ-विशेष-व्यञ्जको नयः ॥

इसमें नयका स्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट रूपसे बौद्धोंके त्रैलोक्य अथवा त्रिलक्षण हेतुका कोई नामोल्लेख नहीं किया गया है, जो “सपक्षे सत्त्वं विपक्षे चासत्त्वं” इन तीन रूप है * और न उसपर सीधी कोई आपत्ति ही की गई है, बल्कि इतना ही कहागया है कि स्याद्वाद (श्रुतज्ञान) के द्वारा प्रविभक्त अर्थविशेषका जो साध्यके सधर्मरूपसे, साधर्म्यरूपसे और अविरोधरूपसे व्यञ्जक है—प्रतिपादक है—वह ‘नय’ है । इसीसे आत्ममीमांसा (देवागम) को सुनकर पात्रकेसरी स्वामी जब जनधर्मके श्रद्धालु बने थे तब उन्हें अनुमान-विषयक हेतुके स्वरूपमें सन्देह रहगया था—उक्त ग्रन्थपरसे यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि जैनधर्म सम्मत-उसका क्या स्वरूप है और उससे बौद्धका त्रिलक्षण-हेतु कैसे असमीचीन ठहरता है । और वह सन्देह बादको “अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्” इस वाक्य-की उपलब्धिपर दूर होसका था, और इसके आधारपर ही वे बौद्धोंके त्रिलक्षण-हेतुका कदर्थन करनेमें समर्थ हुए थे । परन्तु अकलंकदेव-जैसे टीकाकारोंने, जो पात्रकेसरीके बाद हुए हैं, अपने बुद्धि-वैभवसे यह खतियान करके बतलाया है कि उक्त कारिकामें ‘सपक्षेणैव (सधर्मणैव) साध्यस्य साधर्म्यात्’ इन शब्दोंके द्वारा हेतुके त्रैलक्षण्य रूपको और ‘अविरोधात्’ पदसे हेतुके अन्यथानुपपत्ति स्वरूपको दर्शाते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल त्रिलक्षणके अहेतुपना है, तत्पुत्रत्वादिकी तरह † । यदि यह मान लिया जाय कि समन्तभद्रके

* देखो, ‘न्यायप्रवेश’ आदि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ ।

† ‘सपक्षेणैव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलक्षण्यमविरोधात् इत्यन्यथानुपपत्तिं च दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाधनत्वमुक्तं तत्पुत्रत्वादिवत् ।’ —अष्टशती

सामने ऐसी ही परिस्थिति थी और इस वाक्यसे उनका वही लक्ष्य था जो अकलंकदेव-द्वारा प्रतिपादित हुआ है, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह त्रिलक्षणाहेतु धर्मकीर्तिका ही था; क्योंकि 'धर्मकीर्तिसे पहले भी बौद्ध-सम्प्रदायमें हेतुको त्रिलक्षणात्मक माना गया है। जैसा कि दिग्नागके 'प्रमाणसमुच्चय' तथा 'हेतुचक्रडमरु' आदि ग्रंथोंपरसे प्रकट है—प्रमाणसमुच्चयमें 'त्रिरूपहेतु' नामका एक अध्याय ही अलग है §। नागार्जुनने अपने 'प्रमाणविहेतना' ग्रन्थमें नैयायिकोंके पंचांगी अनुमानकी जगह त्र्यंगी अनुमान स्थापित किया है * और इससे ऐसा मालूम होता है कि जिस प्रकार नैयायिकोंने पंचांगी अनुमानके साथ हेतुको पंचलक्षणा माना है उसी प्रकार नागार्जुनने भी त्र्यंगी अनुमानका विधान करके हेतुको त्रिलक्षणरूपसे प्रतिपादित किया है। इस तरह त्रिलक्षणा अथवा त्रैरूप्य हेतुका अनुसन्धान नागार्जुन तक पहुँच जाता है।

इसके सिवाय, प्रशस्तपादने काश्यपके नामसे जो निम्न दो श्लोक उद्धृत किये हैं उनके आशयसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वैशेषिक दर्शनमें भी बहुत प्राचीन कालसे त्रैरूप्य हेतुकी मान्यता प्रचलित † थी—

यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते ।
तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम् ॥
विपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा ।
विरुद्धासिद्धसंदिग्धमलिंगं काश्यपोऽब्रवीत् ॥

यदि केवल इस त्रिलक्षणा-हेतुके उल्लेखके कारण, जो स्पष्ट भी नहीं है, समन्त-भद्रको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् माना जायगा तो दिग्नागको और दिग्नागके पूर्ववर्ती उन आचार्योंको भी धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् मानना पड़ेगा जिन्होंने

§ देखो, डा० सतीशचन्द्रकी उक्त हिस्टरी आफ़ इण्डियन लाजिक पृ० ८५-८६

* देखो, श्रीनर्मदाशंकर मेहताशंकर बी० ए० कृत 'हिन्दू तत्त्वज्ञाननो इतिहास' पृष्ठ १८२ ।

† देखो, गायकवाड़सिरिजमें प्रकाशित 'न्यायप्रवेश' की प्रस्तावना (Introduction) पृ० २३ आदि ।

त्रिरूपहेतुको स्वीकार किया है, और यह मान्यता किसी तरह भी संगत नहीं ठहर सकेगी, किन्तु विरुद्ध पड़ेगी। अतः यह तीसरा हेतु भी असिद्धादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण साध्यकी सिद्धि करनेके लिये समर्थ नहीं है।

इस तरहपर जब यह सिद्ध ही नहीं है कि समन्तभद्रने अपने दोनों ग्रन्थोंके उक्त वाक्योंमेंसे किसीमें भी धर्मकीर्तिका, धर्मकीर्तिके किसी ग्रन्थ-विशेषका या वाक्य-विशेषका अथवा उसके किसी ऐसे अन्तर्वर्ती सिद्धान्त-विशेषका उल्लेख तथा प्रतिवाद किया है जिसका आविष्कार एकमात्र उसीके द्वारा हुआ हो, तब स्पष्ट है कि ये हेतु खुद असिद्ध होनेसे तीनों मिलकर भी साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं हो सकते—अर्थात् इनके आधारपर किसी तरह भी यह साबित नहीं किया जासकता कि स्वामी समन्तभद्र धर्मकीर्तिके बाद हुए हैं।

चौथा हेतु भी समीचीन नहीं है; क्योंकि इस हेतु-द्वारा जो यह बात कही गई है कि 'समन्तभद्रने भर्तृहरिके मतका खण्डन यथासम्भव प्रायः उसीके शब्दोंको उद्धृत करके किया है' वह सुनिश्चित नहीं है। इस हेतुकी निश्चय-पथप्राप्तिके लिये अथवा इसे सिद्ध करार देनेके लिए कमसे कम दो बातोंको साबित करनेकी खास जरूरत है, जो लेखपरसे साबित नहीं हैं—एक तो यह है कि "बोधात्मा चेच्छब्दस्य" इत्यादि दोनों श्लोक वस्तुतः समन्तभद्रकी कृति हैं, और दूसरी यह है कि भर्तृहरिसे पहले शब्दाद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ है—भर्तृहरि ही उसका आद्य विधायक है—और यदि हुआ है तो उसके द्वारा 'न सोस्ति प्रत्ययो लोके' इत्यादि श्लोकसे मिलता जुलता या ऐसे आशयका कोई वाक्य नहीं कहा गया है अथवा एक ही विषयपर एक ही भाषामें दो विद्वानोंके लिखने बैठनेपर परस्पर कुछ भी शब्द-सादृश्य नहीं हो सकता है।

लेखमें यह नहीं बतलाया गया है कि उक्त दोनों श्लोक समन्तभद्रके कौनसे ग्रन्थके वाक्य हैं। समन्तभद्रके उपलब्ध ग्रन्थोंमेंसे किसीमें भी वे पाये नहीं जाते और न विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र-जैसे आचार्योंके ग्रन्थोंमें ही वे उल्लेखित मिलते हैं, जो समन्तभद्रके वाक्योंका बहुत कुछ अनुसरण करनेवाले हुए हैं। विद्यानन्दके श्लोकवार्तिकमें इस शब्दाद्वैतके सिद्धान्तका खण्डन अकलंकदेवके

आधारपर किया है—समन्तभद्रके आधार पर नहीं। इस कथनका प्रस्तावना-वाक्य इस प्रकार है—

“.....सर्वथैकान्तानां तदसंभवं भगवत्समन्तभद्राचार्यन्यायाद्वा-
वाद्येकान्तनिराकरणप्रवणादावेद्य वक्ष्यमानाच्च न्यायात्संक्षेपतः प्रवचन-
प्रामाण्यदाढ्यमवधार्य तत्र निश्चितं नामात्मसात्कृत्य संप्रति श्रुतस्वरूप-
प्रतिपादकमकलंकप्रथमनुवादपुरस्सरं विचारयति ।” (पृ० २३६)

इसपरसे ऐसा खयाल होता है कि यदि शब्दाद्वैतके खण्डनमें समन्तभद्रके उक्त दोनों श्लोक होते तो विद्यानन्द उन्हें यहाँ पर—इस प्रकरणमें—उद्धृत किये बिना न रहते। और इसलिये इन श्लोकोंको समन्तभद्रके बतलाना संदेहसे खाली नहीं है। इन श्लोकोंके साथ हरिभद्रसूरिके जिन पूर्ववर्ती वाक्योंको पाठकजीने उद्धृत किया है वे ‘अनेकान्तजयपताका’ की उस वृत्तिके ही वाक्य जान पड़ते हैं जिसे स्वोपज्ञ कहा जाता है और उनमें “आह च वादिमुख्यः” इस वाक्यके द्वारा इन श्लोकोंको वादिमुख्यकी कृति बतलाया गया है—समन्तभद्रकी नहीं। वादिमुख्यको यहाँ समन्तभद्र नाम देना किसी टिप्पणीकारका कार्य मालूम होता है, और शायद इसीसे उस टिप्पणीको पाठकजीने उद्धृत नहीं किया। हो सकता है कि जिस ग्रन्थके ये श्लोक हों उसे अथवा इन श्लोकोंको ही समन्तभद्रके समझनेमें टिप्पणीकारको, चाहे वे खुद हरिभद्र ही क्यों न हों—भ्रम हुआ हो। ऐसे भ्रमके बहुत कुछ उदाहरण पाये जाते हैं—कितने ही ग्रन्थ तथा वाक्य ऐसे देखनेमें आते हैं जो कृति तो हैं किसीकी और समझ लिए गये किसी दूसरेके। नमूनेके तौरपर ‘तत्त्वानुशासन’ को लीजिये, जो रामसेनाचार्यकी कृति है परन्तु मारिकचन्द्रग्रन्थमालामें वह गलतीसे उनके गुरु नागसेनके नामसे मुद्रित हो गई है * और तबसे हस्तलिखित प्रतियोंसे अपरिचित विद्वान् लोग भी देखादेखी नागसेनके नामसे ही उसका उल्लेख करने लगे हैं। इसी तरह प्रमेयकमलमार्तण्डके निम्न वाक्यको लीजिये, जो गलतीसे उक्त ग्रन्थमें अपनी टीकासहित मुद्रित हो गया है और उसपरसे कुछ विद्वानों-ने यह समझ लिया है कि वह मूलकार मारिकव्यनन्दीका वाक्य है, जिनके

‘परीक्षामुख’ शास्त्रका उक्त प्रमेयकमलमार्तण्ड भाष्य है और जिस भाष्यपर भी फिर अन्यद्वारा टीका लिखी गई है, और इसीलिये वे यह कहने लगे हैं कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है—

सिद्धं सर्वजनप्रबोधजननं सद्योऽकलंकाश्रयं ।

विद्यानन्द समन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम् ।

निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षणम् ।

युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानं जिनम् ॥

खुद पाठक महाशयने भी कहा है कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है और वह इसी वाक्यको माणिक्यनन्दीका वाक्य समझनेकी शलती पर आधार रखता हुआ जान पड़ता है । इसीसे डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण-को अपनी मध्यकालीन भारतीय न्यायशास्त्रकी हिस्टरीमें (पृ० २८ पर) यह लिखना पड़ा है कि ‘मिस्टर पाठक कहते हैं कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है, परन्तु खुद परीक्षामुख शास्त्रके मूलमें ऐसा उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया ।’

ऐसी हालत में उक्त दोनों श्लोकोंकी स्थिति बहुत कुछ सन्देहजनक है— बिना किसी विशेष समर्थन तथा प्रमाणके उन्हें सुनिश्चित रूपसे समन्तभद्रका नहीं कहा जासकता और इसलिये उनके आधारपर जो अनुमान बाँधा गया है वह निर्दोष नहीं कहला सकता । यदि किसी तरह पर यह सिद्ध कर दिया जाय कि वे दोनों श्लोक समन्तभद्रके ही हैं तो फिर दूसरी बातको सिद्ध करना होगा और उसमें यह तो सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भर्तृहरिसे पहले शब्दाद्वैत सिद्धान्तका माननेवाला दूसरा कोई हुआ ही नहीं ; क्योंकि पाणिनि आदि दूसरे विद्वान् भी शब्दाद्वैतके माननेवाले शब्द-ब्रह्मवादी हुए हैं—खुद भर्तृहरिने अपने ‘वाक्यपदीय’ ग्रन्थमें उनमेंसे कितनोंही का नामोल्लेख तथा सूचन किया है । और न तब यही सिद्ध किया जा सकता है कि उनमेंसे किसी-के द्वारा “न सोस्ति प्रत्ययो लोके” जैसा कोई वाक्य न कहा गया हो । स्वतन्त्र रूपसे एक ही विषयपर लिखने बैठनेवाले विद्वानोंके साहित्यमें कितना ही शब्दसादृश्य स्वतः ही हो जाया करता है, फिर उस विषयके अपने पूर्ववर्ती विद्वानोंके कथनोंको पढ़कर तथा स्मरण कर लिखनेवालोंकी तो बात ही जुदी

है—उनकी रचनाओंमें शब्दसादृश्यका होना और भी अधिक स्वाभाविक है । जैसा कि पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्दकी कृतियोंके क्रमिक अध्ययनसे जाना जाता है अथवा दिग्नाग और धर्मकीर्तिकी रचनाओंकी तुलनासे पाया जाता है । दिग्नागने प्रत्यक्षका लक्षण ‘कल्पनापोढ’ और हेतुका लक्षण “ब्राह्मधर्मस्तदंशेन व्याप्नो हेतुः” किया तब धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षका लक्षण ‘कल्पनापोढमभ्रान्तं’ और हेतुका लक्षण “पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्नो हेतुः” किया है ❀ । दोनोंमें कितना अधिक शब्दसादृश्य है, इसे बतलानेकी जरूरत नहीं । इसी तरह भर्तृहरिका ‘न सोस्ति प्रत्ययो लोके, नामका श्लोक भी अपने पूर्ववर्ती किसी विद्वान्के वाक्यका अनुसरण जान पड़ता है । बहुत सम्भव है कि वह निम्न वाक्यका ही अनुसरण हो, जो विद्यानन्दके श्लोकवार्तिक और प्रभाचंद्रके प्रमेय-कमलमार्तण्डमें समानरूपसे उद्धृत पाया जाता है और अपने उत्तरार्धमें थोड़ेसे शब्दभेदको लिये हुए है, और यह भी सम्भव है कि उसे ही लक्ष्यमें रखकर ‘न चास्ति प्रत्ययो लोके’ नामक उस श्लोककी रचना हुई हो जिसे हरिभद्रने उद्धृत किया है—

न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते ।

अनुविद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥

प्रमेयकमलमार्तण्डमें यह श्लोक और साथमें दो श्लोक और भी, ऐसे तीन श्लोक ‘तदुक्तं’ शब्दके साथ एक ही जगह पर उद्धृत किये गये हैं, और इससे ऐसा जान पड़ता है कि वे किसी ऐसे ग्रन्थसे उद्धृत किये गये हैं जिसमें वे इसी क्रमको लिये हुए होंगे । भर्तृहरिके ‘वाक्यपदीय’ ग्रन्थमें वे इस क्रमको लिये हुए नहीं हैं; बल्कि ‘अनादिनिधनं शब्दब्रह्मतत्त्वं यदक्षरं’ नामका तीसरा श्लोक जरासे पाठभेदके साथ वाक्यपदीयके प्रथम काण्डका पहला श्लोक है और शेष दो श्लोक (पहला उपर्युक्त शब्द भेदको लिये हुए) उसमें क्रमशः नम्बर १२४, १२५ पर पाये जाते हैं । इससे भी किसी दूसरे ऐसे प्राचीन ग्रंथकी सम्भावना दृढ होती है जिसका भर्तृहरिने अनुकरण किया हो । इसके

❀ हेतुके ये दोनों लक्षण पाठकजीने एन्गल्सके उसी नम्बरमें प्रकाशित अपने दूसरे लेखमें उद्धृत किये हैं ।

सिवाय भर्तृहरि खुद अपने वाक्यपदीय ग्रन्थको एक संग्रहग्रन्थ बतलाते हैं—

न्यायप्रस्थानमार्गीस्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम् ।

प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः ॥ २—४६०

उन्होंने पूर्वमें एक बहुत बड़े संग्रहकी सूचना की है, जिसके अल्प-ज्ञानियों-द्वारा लुप्तप्राय हो जानेपर पतञ्जलि ऋषिके द्वारा उसका पुनः कुछ उद्धार किया गया । इसीसे टीकाकार पुण्यराजने “एतेन संग्रहानुसारेण भगवता पतञ्जलिना संग्रहसंक्षेपभूतमेव प्रायशो भाष्यमुपनिबद्धमित्युक्तं वेदितव्यम्” इस वाक्यके द्वारा पतञ्जलिके महाभाष्यको उस संग्रहका प्रायः ‘संक्षेपभूत’ बतलाया है । और भर्तृहरिने इस ग्रन्थके प्रथम कांडमें यहां तक भी प्रतिपादित किया है कि पूर्व ऋषियोंके स्मृति-शास्त्रोंका आश्रय लेकर ही शिष्यों-द्वारा शब्दानुशासनकी रचना की जाती है—

तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिं वा सनिबन्धनम् ।

आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानामनुशासनम् ॥४३॥

ऐसी हालतमें ‘न च स्यात् प्रत्ययो लोके’ इन शब्दोंका किसी दूसरे पूर्ववर्ती ग्रन्थमें पाया जाना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है । अस्तु ।

यदि धर्मकीर्तिके पूर्ववर्ती किसी विद्वानने दिग्नाग-प्रतिपादित प्रत्यक्ष-लक्षण अथवा हेतु-लक्षणको बिना नामधामके उद्धृत करके उसका खण्डन किया हो और बादको दिग्नागके ग्रन्थोंकी अनुपलब्धिके कारण कोई शस्त्र धर्मकीर्तिके वाक्योंके साथ सादृश्य देखकर उसे धर्मकीर्तिपर आपत्ति करनेवाला और इस-लिये धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् समझ बैठे, तो उसका वह समझना जिस प्रकार मिथ्या तथा भ्रममूलक होगा उसी प्रकार भर्तृहरिके पूर्ववर्ती किसी विद्वान्को उसके महज किसी ऐसे पूर्ववर्ती वाक्यके उल्लेखके कारण जो भर्तृहरिके उक्त वाक्यके साथ कुछ मिलताजुलता हो, भर्तृहरिके बादका विद्वान् करार देना भी मिथ्या तथा भ्रममूलक होगा ।

अतः यह चौथा हेतु दोनों बातोंकी दृष्टिसे असिद्ध है और इसलिये इसके आधारपर समन्तभद्रको भर्तृहरिके बादका विद्वान् करार नहीं दिया जासकता ।

पाँचवें हेतुमें एकान्तखण्डनके जिन अवतरणोंकी तरफ इशारा किया गया है उनपरसे यह कैसे स्पष्ट है कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले जीवित थे अर्थात्

समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं—वह कुछ समझमें नहीं आता ! क्योंकि यह तो कहा नहीं जासकता कि सिद्धसेनने असिद्धहेत्वाभासका और पूज्यपाद (देव-नन्दी) ने विरुद्धहेत्वाभासका आविर्भाव किया है और समन्तभद्रने एकान्त-साधन को दूषित करनेके लिये, चूँकि इन दोनोंका प्रयोग किया है इसलिये वे इनके आविष्कर्ता सिद्धसेन और पूज्यपादके बाद हुए हैं। ऐसा कहना हेत्वाभासोंके इतिहासकी अनभिज्ञताको सूचित करेगा; क्योंकि ये हेत्वाभास न्यायशास्त्रमें बहुत प्राचीनकालसे प्रचलित हैं। जब असिद्धादि हेत्वाभास पहलेसे प्रचलित थे तब एकान्त-साधनको दूषित करनेके लिये किसीने उनमेंसे एकका, किसीने दूसरेका और किसीने एकसे अधिक हेत्वाभासोंका यदि प्रयोग किया है तो ये एक प्रकार-की घटनाएँ अथवा किसी किसी विषयमें किसी किसीकी प्रसिद्धि-कथाएँ हुईं, उनके मात्र उल्लेखक्रमको देखकर उसपरसे उनके अस्तित्व-क्रमका अनुमान करलेना निर्हेतुक है। उदाहरणके तौरपर नीचे लिखे श्लोकको लीजिये, जिसमें तीन विद्वानोंकी एक एक विषयमें खास प्रसिद्धिका उल्लेख है—

प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् ।

धनंजयकवेः काव्यं रत्नत्रयमकण्टकम् ॥

यदि उल्लेखक्रमसे इन विद्वानोंके अस्तित्वक्रमका अनुमान किया जाय तो अकलंकदेवको पूज्यपादसे पूर्वका विद्वान् मानना होगा। परन्तु ऐसा नहीं है—पूज्यपाद ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके विद्वान् हैं और अकलंकदेवने उनकी सर्वार्थ-सिद्धिको साथमें लेकर 'राजवार्तिक' की रचना की है। अतः मात्र उल्लेखक्रमकी दृष्टिसे अस्तित्वक्रमका अनुमान करलेना ठीक नहीं है। यदि पाठकजीका ऐसा ही अनुमान हो तो सिद्धसेनका नाम पहले उल्लेखित होनेके कारण उन्हें सिद्धसेनको पूज्यपादसे पहलेका विद्वान् मानना होगा, और ऐसा मानना उनके पहले हेतुके विरुद्ध पड़ेगा! क्योंकि सिद्धसेनने अपने 'न्यायावतार' में प्रत्यक्षको 'अभ्रान्त' के अतिरिक्त 'ग्राहक' भी बतलाया है जो निर्णायक, व्यवसायात्मक अथवा सवि-कल्पकका वाचक है और उससे धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष-लक्षणपर आपत्ति होती है। इसीसे उसकी टीकामें कहा गया है—“तेन यत् ताथागतैः प्रत्यपादि 'प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तमिति' तदपास्तं भवति ।” और इसलिये अपने प्रथम हेतुके अनुसार उन्हें सिद्धसेनको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् कहना होगा। सिद्ध-

सेनका धर्मकीर्तिके बाद होना और पूज्यपादके पहले होना ये दोनों कथन परस्पर में विरुद्ध हैं; क्योंकि पूज्यपादका अस्तित्वसमय धर्मकीर्तिसे कोई दो शताब्दी पहलेका है ।

अतः महज उक्त अवतरणोंपरसे न तो हेत्वाभासोंके आविष्कारकी दृष्टिसे और न उल्लेखक्रमकी दृष्टिसे ही समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान कहा जासकता है । तब एक सूरत अनुमानकी और भी रह जाती है—यद्यपि पाठकजीके शब्दोंपरसे उसका भी स्पष्टीकरण नहीं होता * और वह यह है कि, चूँकि समन्तभद्रके शिष्यने उक्त अवतरणोंमें पूज्यपाद (देवनन्दी) का नामोल्लेख किया है इसलिये पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए हैं—यद्यपि इसपरसे वे समन्तभद्रके समकालीन भी कहे जासकते हैं । परन्तु यह अनुमान तभी बन सकता है जबकि यह सिद्ध कर दिया जाय कि एकान्तखंडनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके साक्षात् शिष्य थे । उक्त अवतरणोंपरसे इस गुरुशिष्य-सम्बन्धका कोई पता नहीं चलता, और इसलिये मुझे 'एकान्तखंडन' की उस प्रतिको देखनेकी जरूरत पैदा हुई जिसका पाठकजीने अपने लेखमें उल्लेख किया है और जो कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन-मठमें ताड़पत्रोंपर पुरानी कन्नडलिपिमें मौजूद है । श्रीयुत ए० एन० उपाध्येजी एम० ए० प्रोफेसर राजाराम कालिज कोल्हापुरके सौजन्य तथा अनुग्रहसे मुझे उक्त ग्रंथकी एक विश्वस्त प्रति (True copy) खुद प्रोफेसर साहबके द्वारा जाँच होकर प्राप्त हुई, और इसके लिये मैं प्रोफेसर साहबका बहुत ही आभारी हूँ ।

ग्रंथप्रतिको देखनेसे मालूम हुआ कि यह ग्रंथ अधूरा है—किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका—और इसलिये इसमें ग्रंथकर्ताकी कोई प्रशस्ति नहीं है, न दुर्भाग्यसे ऐसी कोई सन्धियां ही हैं जिनमें ग्रंथकारने गुह्यके नामोल्लेखपूर्वक अपना नाम दिया हो और न अन्यत्र ही कहीं ग्रंथकारने अपनेको स्पष्टरूपसे समन्तभद्रका दीक्षित या समन्तभद्रशिष्य लिखा है । साथ ही, यह भी मालूम हुआ कि उक्त

* पाठकजीके शब्द इस प्रकार हैं—From the passages cited above from the Ekantakhandana, it is clear that Pujyapada lived prior to Samantabhadra.

अवतरणोंमें पाठकजीने 'तदुक्तं' रूपसे जो दो श्लोक दिये हैं वहाँ एक पहला ही श्लोक है और उसके बाद निम्न वाक्य देकर ग्रंथविषयका प्रारम्भ किया गया है—

“तदीयचरणाराधनाराधितसंवेदनविशेषः नित्याद्येकान्तवादविवाद-
प्रथमवचनखण्डनप्रचण्डरचनाडम्बरो लक्ष्मीधरो धीरः पुनरसिद्धादि-
षट्कमाह ।”

दूसरा श्लोक वस्तुतः ग्रन्थके मंगलाचरणपद्य 'जिनदेवं जगद्बन्धु' इत्यादि के अनन्तरवर्ती पद्य नं० २ का पूर्वार्ध है और जिसका उत्तरार्ध निम्न प्रकार है । इसलिये वह ग्रन्थकारका अपना पद्य है, उसे भिन्न स्थानपर 'तदुक्तं' रूपसे देना पाठक महाशयकी किसी गलतीका परिणाम है—

“तौ द्वौ ब्रूते वरेण्यः पटुतरधिषणः श्रीसमन्तादिभद्रः

तच्छिष्यो लक्ष्मणस्तु प्रथितनयपथो वक्त्यसिद्ध्यादिषट्कं ॥”

इस उत्तरार्धके बाद और 'तदुक्तं' से पहले कुछ गद्य है, जिसका उत्तरांश पाठकजीने उद्धृत किया है और पूर्वांश, जिससे ग्रंथके विषयका कुछ दिग्दर्शन होता है, इस प्रकार है—

“नित्याद्येकान्तसाधनानामङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वाद् यत्कार्यं तत् सकर्तृकं यथा घटः । कार्यं च इदं तस्मात्सकर्तृकमेवेत्यादीनाम् ।”

इस तरहपर यह ग्रन्थकी स्थिति है और इसपरसे ग्रन्थकारका नाम 'लक्ष्मीधर' के साथ लक्ष्मण भी उपलब्ध होता है, जो लक्ष्मीधरका पर्यायनाम भी हो सकता है । जान पड़ता है ग्रन्थके आरम्भमें उक्त प्रकारसे प्रयुक्त हुए 'तच्छिष्यः' और “तदीयचरणाराधनाराधितसंवेदनविशेषः” इन दो विशेषणोंपरसे ही पाठकजीने लक्ष्मीधरके विषयमें समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य होनेकी कल्पना कर डाली है ! परन्तु वास्तवमें इन विशेषणोंपरसे लक्ष्मीधरको समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य समझना भूल है; क्योंकि लक्ष्मीधरने एकान्तसाधनके विषयमें भिन्नकालीन तीन आचार्यों—सिद्धसेन, देवन्दी (पूज्यपाद) और समन्तभद्रके मतोंका उल्लेख करके जो 'तच्छिष्यः' और 'तदीयचरणाराधनाराधितसंवेदनविशेषः' ऐसे अपने दो विशेषण दिये हैं उनके द्वारा उसने अपने को उक्त तीनों आचार्योंका शिष्य (उपदेश्य) सूचित किया है, जिसका फलि-

तार्थ है परम्परा-शिष्य (उपदेश्य) । और यह बात 'तदुक्तं' रूपसे दिये हुए श्लोकको 'इति' शब्दसे पृथक् करके उसके बाद प्रयुक्त किये गये तदीयादि द्वितीय विशेषणपदसे और भी स्पष्टताके साथ भलकती है । 'तच्छिष्यः' का अर्थ 'तस्य समन्तभद्रस्य शिष्यः' नहीं किन्तु 'तेषां सिद्धसेनादीनां शिष्यः' ऐसा होना चाहिये । और उसपरसे किसीको यह भ्रम भी न होना चाहिये कि 'उनके चरणोंकी आराधना-सेवासे प्राप्त हुआ है ज्ञानविशेष जिसको' पदके इस आशय-से तो वह साक्षात् शिष्य मालूम होता है; क्योंकि आराधना प्रत्यक्ष ही नहीं किन्तु परोक्ष भी होती है, बल्कि अधिकतर परोक्ष ही होती है । और चरणा-राधनाका अभिप्राय शरीरके अंगरूप पैरोंकी पूजा नहीं, किन्तु उनके पदोंकी—वाक्योंकी—सेवा—उपासना है, जिससे ज्ञान-विशेषकी प्राप्ति होती है । ऐसे बहुतसे उदाहरण देखनेमें आते हैं जिनमें शताब्दियों पहलेके विद्वानोंको गुरु-रूपसे अथवा अपनेको उनका शिष्यरूपसे उल्लेखित किया गया है, और वे सब परम्परीण गुरुशिष्यके उल्लेख हैं—साक्षात् के नहीं । नमूनेके तौरपर 'नीतिसार' के निम्न प्रशस्ति वाक्यको लीजिये, जिसमें ग्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हजार वर्षसे भी अधिक पहलेके आचार्य कुन्दकुन्दस्वामीका अपनेको शिष्य (विनेय) सूचित किया है—

“—सः श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावानुभावी दैवज्ञः
कुन्दकुन्दप्रभुपदविनयः स्वागमाचारचंचुः ॥”

इसी तरह एकान्तखंडनके उक्त विशेषणपद भी परम्परीण शिष्यताके उल्लेखको लिये हुए हैं—साक्षात् शिष्यताके नहीं । यदि लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य होता तो वह 'तदुक्तं' रूपसे उस श्लोकको न देता, जिसमें सिद्धसेनादिकी तरह समन्तभद्रकी भी एकान्त साधनके विषयमें एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया गया है और वह उल्लेख-वाक्य किसी दूसरे विद्वान्का है, जिससे ग्रन्थकार समन्तभद्रसे बहुत पीछे का—इतने पीछेका जब कि वह प्रसिद्धि एक लोकोक्तिका रूप बन गई थी—विद्वान् जान पड़ता है । यह प्रसिद्धिका श्लोक सिद्धिविनिश्चयटीका और न्यायविनिश्चय-विवरणमें निम्न रूपसे पाया जाता है—

असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः ।

द्वेधा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने ॥

न्यायविनिश्चय-विवरणमें वादिराजने इसे 'तदुक्तं' पदके साथ दिया है और सिद्धिविनिश्चयटीकामें अनन्तवीर्य आचार्यने, जो कि अकलंकदेवके ग्रन्थोंके प्रधान व्याख्याकार हैं और अपने बादके व्याख्याकारों प्रभाचन्द्र--वादिराजादिके द्वारा अतीव पूज्यभाव तथा कृतज्ञताके व्यक्तीकरणपूर्वक स्मृत किये गये हैं, इस श्लोक-को एक बार पाँचवें प्रस्तावमें "यद्वच्चयसिद्धः सिद्धसेनस्य" इत्यादि रूपसे उद्धृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमें इसे पुनः पूरा दिया है। और वहाँपर इसके पदोंकी व्याख्या भी की है। इससे यह श्लोक अकलंकदेवके सिद्धिविनिश्चय ग्रंथके 'हेतुलक्षणसिद्धि' नामक छठे प्रस्तावका है। और इसलिये लक्ष्मीधर अकलंकदेव-के बादका विद्वान् मालूम होता है। वह वस्तुतः उन विद्यानन्दके भी बाद हुआ है जिन्होंने अकलंकदेवकी 'अष्टशती'के प्रतिवादी कुमारिलके मतका अपने तत्त्वार्थ-श्लोकवार्तिक आदि ग्रंथोंमें तीव्र खण्डन किया है; क्योंकि उसने एकान्तखण्डनमें "तथा चोक्तं विद्यानन्दस्वामिभिः" इस वाक्यके साथ 'आप्तपरीक्षा' का निम्न वाक्य उद्धृत किया है, जो कि विद्यानन्दकी उनके तत्त्वार्थ-श्लोकवार्तिक और अष्टसहस्री आदि कई ग्रंथोंके बादकी कृति है—

सति धर्मविशेषे हि तीर्थकृत्वसमाह्वये ।

ब्रूयाज्जिनेश्वरो मार्गं न ज्ञानादेव केवलात् ॥

ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य नहीं था—समन्तभद्रके साक्षात् शिष्योंमें शिवकोटि और शिवायन नामके दो आचार्योंका ही नामोल्लेख मिलता है ॥—वह विद्यानन्दका उक्त प्रकारसे उल्लेख करने के कारण वास्तवमें समन्तभद्रसे कई शताब्दी पीछे का विद्वान् मालूम होता है और यह बात आगे चल कर और स्पष्ट हो जायेगी। यहाँपर सिर्फ इतना ही जान लेना चाहिये कि जब लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य नहीं था, तब उसके द्वारा पूज्यपादका नामोल्लेख होना इस बातके लिये कोई नियामक नहीं

॥ देखो, विक्रान्तकौरव, जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय, अथवा स्वामी समन्तभद्र (इतिहास) पृ० ६५ आदि ।

हो सकता कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए हैं। यदि लक्ष्मीधरके द्वारा उल्लेखित होने मात्रसे ही उन्हें समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान् माना जायगा तो विद्यानन्दको भी समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान् मानना होगा, और यह स्पष्ट ही पाठकजीके, इतिहासके तथा विद्यानन्दके उस उपलब्ध साहित्यके विरुद्ध पड़ेगा, जिसमें जगह जगह पर समन्तभद्रका और उनके बहुत पीछे होनेवाले अकलंक-देवका तथा दोनोंके वाक्योंका भी उल्लेख किया गया है।

यहाँ मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि उपलब्ध जैनसाहित्यमें पूज्यपाद समन्तभद्रसे बादके विद्वान् माने गये हैं। पट्टावालियोंको छोड़कर श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंसे भी ऐसा ही प्रतिपादित होता है। शिलालेख नं० ४० (६४) में समन्तभद्रके परिचय-पद्यके बाद “ततः” शब्द लिखकर ‘यो देवनन्दी प्रथमाभिधानः’ इत्यादि पद्यों के द्वारा पूज्यपादका परिचय दिया है, और नं० १०८ (२५८) के शिलालेखमें समन्तभद्रके बाद पूज्यपादके परिचयका जो प्रथम पद्य दिया है उसीमें ‘ततः’ शब्दका प्रयोग किया है। इस तरह पर पूज्यपादको समन्तभद्रके बादका विद्वान् सूचित किया है। इसके सिवाय, खुद पूज्यपादके जैनैन्द्रव्याकरणमें समन्तभद्रका नामोल्लेख करनेवाला एक सूत्र निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

“चतुष्टयं समन्तभद्रस्य ।” ५-४-१६८

इस सूत्रकी मौजूदगीमें यह नहीं कहा जासकता कि समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं, और इसी लिए पाठकजीको इस सूत्रकी चिन्ता पैदा हुई, जिसने उनके उक्त निर्णयके मार्गमें एक भारी कठिनाई (difficulty) उपस्थित कर दी। इस कठिनाईसे सहजमें ही पार पानेके लिये पाठकजीने इस सूत्रको तथा इसी प्रकारके दूसरे नामोल्लेखवाले सूत्रोंको भी—क्षेपक करार देनेकी जो चेष्टा की है वह व्यर्थकी कल्पना तथा खींचातानीके सिवाय और कुछ प्रतीत नहीं होती। आपकी इस कल्पनाका एकमात्र आधार शाकटायन व्याकरणमें, जिसे आपने जैनैन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नक़ल (copy) करनेवाला बतलाया है, उक्त सूत्रका अथवा उसी आशयके दूसरे समान सूत्रका न होना है। और इससे आपका ऐसा आशय तथा अनुमान जान पड़ता है कि

‘चूँकि जैनशाकटायनने जैनैन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नक़ल (कॉपी) की है इसलिये यह सूत्र यदि जैनैन्द्र व्याकरणका होता तो शाकटायन इसकी भी नक़ल जरूर करता , परन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है; क्योंकि एक तो ‘बहुत’ में ‘सब’-का समावेश नहीं किया जासकता है । यदि ऐसा समावेश माना जायगा तो पूज्यपादके ‘जैनैन्द्र’ में पाणिनीय व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंका अनुसरण होनेसे और साथ ही पाणिनि-द्वारा उल्लेखित शाकटायनादि विद्वानोंका नामोल्लेख न होनेसे पाणिनीय व्याकरणके उन नामोल्लेखवाले सूत्रोंको भी प्रक्षिप्त कहना होगा, जो इष्ट नहीं होसकता । दूसरे, जैन शाकटायनने सर्वथा ‘जैनैन्द्र’ का अनुसरण किया है, ऐसा न तो पाठकजी-द्वारा उद्धृत सूत्रोंपरसे और न दूसरे सूत्रोंपरसे ही प्रतीत होता है । प्रत्युत इसके, कितने ही अंशोंमें वह स्वतन्त्र रहा है और कितने ही अंशोंमें उसने दूसरोंके सूत्रोंका, जिनमें पाणिनिके सूत्र भी शामिल हैं, अनुसरण किया है । खुद पाठकजीने अपने प्रकृत लेखमें शाकटायनके “ जरायाडसिन्द्रस्याचि ” (१-२-३७) सूत्रके विषयमें लिखा है कि वह बिल्कुल पाणिनिके “जराया जरसन्यतरस्याम्” (७-२-१०१) सूत्रके आधार पर रचा गया है (is entirely based on) । साथ ही, यह भी लिखा है कि जैन शाकटायनके इस सूत्रमें ‘इन्द्र’का नामोल्लेख होनेसे ही कुछ विद्वानोंको यह विश्वास करनेमें ग़लती हुई है कि ‘इन्द्र’ नामका भी वास्तवमें कोई वैयाकरणी हुआ है † । ऐसी हालतमें यदि उसने जैनैन्द्रके कुछ सूत्रोंको नहीं लिया अथवा उनका या उनके नामवाले अंशका काम ‘वा’ शब्दके प्रयोगसे निकाल लिया और कुछ ऐसे सूत्रोंमें स्वयं पूर्वाचार्योंके नामोंका निर्देश किया जिनमें पूज्यपादने ‘वा’ शब्दका प्रयोग करके ही संतोष धारण कर लिया था तो इससे कोई बाधा नहीं आती और न जैनैन्द्र तथा शाकटायनके वे वे (पूर्वाचार्योंके नामोल्लेखवाले) सूत्र प्रक्षिप्त ही ठहरते हैं । उन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करनेके लिये विशेष प्रमाणोंको उपस्थित करनेकी

† पाठकजीका यह मत भी कुछ ठीक मालूम नहीं होता; क्योंकि लंकावतारसूत्र जैसे प्राचीन ग्रन्थमें भी इन्द्रको शब्दशास्त्रका प्रणेता लिखा है—

“ इन्द्रोऽपि महामते अनेकशास्त्रविदग्धबुद्धिः स्वशब्दशास्त्रप्रणेता ” पृ० १७४

जरूरत है, जो उपस्थित नहीं किये गये । अस्तु ।

जब एकान्तखण्डनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके साक्षात् शिष्य ही सिद्ध नहीं होते और न उनके द्वारा उल्लेखित होने मात्रसे पूज्यपादाचार्य समन्तभद्रसे पहलेके विद्वान् ठहरते हैं तब यहाँपर इन सूत्रोंके विषयमें कोई विशेष विचार करनेकी जरूरत ही नहीं रहती; क्योंकि उक्तसूत्र (५-४-१६८) की प्रक्षिप्तताके आधारपर ही समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान् नहीं बतलाया गया है बल्कि एकान्तखण्डनके उक्त अवतरणोंके आधार पर वैसा प्रतिपादित करके जेनेन्द्रके इस सूत्रविषयमें प्रक्षिप्ताकी कल्पना की गई है, और इस कल्पनाके कारण दूसरे नामोल्लेखवाले सूत्रोंको भी प्रक्षिप्त कहनेके लिये बाध्य होना पड़ा है । परन्तु फिर भी जेनेन्द्रके “कृवृषिमृजां यशोभद्रस्य” (२-१-६६) इस नामोल्लेखवाले सूत्रको प्रक्षिप्त नहीं बतलाया गया ! नहीं मालूम इसका क्या कारण है !

छठा हेतु भी समीचीन नहीं है; क्योंकि जब लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य ही नहीं था और उसने कुमारिलके मतका खंडन करनेवाले विद्यानन्दस्वामी तकका अपने ग्रन्थमें उल्लेख किया है, तब उसके द्वारा भट्टाचार्यके रूपमें कुमारिलका उल्लेख होनेसे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि समन्तभद्र कुमारिलके प्रायः समसामयिक थे अथवा कुमारिलसे कुछ थोड़े ही समय पहले हुए हैं ।

अब रहा सातवाँ हेतु, जो कि प्रायः सब हेतुओंके समुच्चयके साथ साथ समयके निर्देशको लिये हुए है । इसमेंकी कुछ बातें—जैसे समन्तभद्रका धर्मकीर्ति तथा भर्तृहरिको लक्ष्य करके उनके मतोंका खण्डन करना और लक्ष्मीधरकी साक्षात् शिष्यता—तो पहले ही असिद्ध सिद्ध की जा चुकी हैं, जिनकी असिद्धिके कारण इस हेतुमें प्रायः कुछ भी बल तथा सार नहीं रहता । बाकी विद्यानन्द और पात्रकेसरीको जो यहाँ एक बतलाया गया है—पहले भी विद्यानन्दको ‘पात्रकेसरी’ तथा ‘विद्यानन्द-पात्रकेसरी’ उल्लेखित किया गया है—और उन्हें तथा प्रभाचन्द्रको अकलंकदेवके अवतर (Junior) समकालीन विद्वान् ठहराया गया है और साथ ही अकलंकदेवको ईसाकी आठवीं

शताब्दीके उत्तरार्धका विद्वान् करार दिया गया है, वह सब भी असिद्ध और बाधित है। पात्रकेसरी विद्यानन्दका कोई नामान्तर नहीं था, न वे तथा प्रभाचन्द्र अकलंकदेवके शिष्य थे और न उनके समकालीन विद्वान्; बल्कि पात्रकेसरी तत्त्वार्थ-श्लोकवार्तिकादिके कर्ता विद्यानन्दसे भिन्न एक जुदे ही आचार्य हुए हैं तथा अकलंकदेवके भी बहुत पहले होगये हैं और अकलंकदेव ईसाकी सातवीं शताब्दीके प्रायः पूर्वार्धके विद्वान् हैं। इन सब बातोंके लिये 'स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' नामक निबन्धको देखना चाहिये जो इस निबन्धसंग्रहमें अन्यत्र प्रकाशित हो रहा है।



सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव

‘सर्वार्थसिद्धि’ आचार्य उमास्वाति (गृध्रपिच्छाचार्य) के तत्त्वार्थसूत्रकी प्रसिद्ध प्राचीन टीका है और देवनन्दी अपरनाम पूज्यपाद आचार्यकी खास कृति है, जिनका समय आम तौरपर ईसाकी पाँचवीं और विक्रमकी छठी शताब्दी माना जाता है। दिगम्बर समाजकी मान्यतानुसार आ० पूज्यपाद स्वामी समन्तभद्रके बाद हुए हैं, यह बात पट्टावतियोंसे ही नहीं किन्तु अनेक शिलालेखोंसे भी जानी जाती है। श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ४० (६४) में आचार्योंके वंशादिकका उल्लेख करते हुए, समन्तभद्रके परिचय-पद्यके बाद ‘ततः’ (तत्पश्चात्) शब्द लिखकर ‘यो देवनन्दी प्रथमाभिधानः’ इत्यादि पद्योंके द्वारा पूज्यपादका परिचय दिया है, और नं० १०८ (२५८) के शिलालेखमें समन्तभद्रके अनन्तर पूज्यपादके परिचयका जो प्रथमपद्य ❀ दिया है उसीमें ‘ततः’ शब्दका प्रयोग किया है, और इस तरहपर पूज्यपादको समन्तभद्रके बादका विद्वान् सूचित किया है। इसके सिवाय, स्वयं पूज्यपादने अपने ‘जैनेन्द्र’ व्याकरणके निम्न सूत्रमें समन्तभद्रके मतका उल्लेख किया है—

“चतुष्टयं समन्तभद्रस्य ।” —५-४-१६८

इस सूत्रकी मौजूदगीमें यह नहीं कहा जा सकता कि समन्तभद्र पूज्यपादके

* श्रीपूज्यपादोद्धृतधर्मराज्यस्ततः सुराधीश्वरपूज्यपादः ।

यदीयवैदुष्यगुणानिदानीं वदन्ति शास्त्राणि तदुद्धृतानि ॥

बाद हुए हैं, और न अनेक कारणोंके वश ऽ इसे प्रक्षिप्त ही बतलाया जा-सकता है ।

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी और इन उल्लेखोंकी असत्यताका कोई कारण न बतलाते हुए भी, किसी गलत धारणाके वश, हालमें एक नई विचार-धारा उपस्थित की गई है, जिसके जनक हैं प्रमुख श्वे० विद्वान् श्रीमान् पं० सुखलालजी संधवी काशी, और उसे गति प्रदान करनेवाले हैं न्यायाचार्य पं० महेन्द्र-कुमारजी शास्त्री काशी । पं० सुखलालजीने जो बात अकलंकग्रन्थत्रयके 'प्राक्कथन' में कही उसे ही अपनाकर तथा पुष्ट बनाकर पं० महेन्द्रकुमारजीने न्यायकुमुदचन्द्र द्वि० भागकी प्रस्तावना, प्रमेयकमलमार्तण्डकी प्रस्तावना और जैनसिद्धान्तभास्कर के 'भोक्षमार्गस्य नेतारम्' शीर्षक लेखमें प्रकाशित की है । चुनाँचे पं० सुखलाल-जी, न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागके 'प्रक्कथन' में, पं० महेन्द्रकुमारजीकी कृतिपर सन्तोष व्यक्त करते हुए और उसे अपने 'संक्षिप्त लेखका विशद और सबल भाष्य' बतलाते हुए लिखते हैं—'पं० महेन्द्रकुमारजीने मेरे संक्षिप्त लेखका विशद और सबल भाष्य करके प्रस्तुत भागकी प्रस्तावना (पृ० २५) में यह अभ्रान्तरूपसे स्थिर किया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं ।

इस तरह पं० सुखलालजीको पं० महेन्द्रकुमारजीका और पं० महेन्द्रकुमार-जीको पं० सुखलालजीका इस विषयमें पारस्परिक समर्थन और अभिनन्दन प्राप्त है—दोनों ही विद्वान् इस विचारधाराको बहानेमें एकमत हैं । अतः ।

इस नई विचारधाराका लक्ष्य है समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान् सिद्ध करना, और उसके प्रधान दो साधन हैं जो संक्षेपमें निम्न प्रकार हैं—

(१) विद्यानन्दकी आप्तपरीक्षा और अष्टसहस्रीके उल्लेखोंपरसे यह 'सर्वथा स्पष्ट' है कि विद्यानन्दने 'भोक्षमार्गस्य नेतारम्' इत्यादि मंगलस्तोत्रको पूज्यपाद-

† देखो, 'समन्तभद्रका समय और डा० के० बी० पाठक' नामका (पूर्ववर्ती) लेख जो (पहले) १६जून-१जुलाई सन् १९३४ के 'जैन जगत्'में प्रकाशित हुआ है, अथवा "Samantabhadra's date and Dr. pathak" *Annals of B. O. R. I. vol XV Pts. I-II, P. 67-88.*

कृत सूचित किया है और समन्तभद्रको इसी आसस्तोत्रका 'मीमांसाकार' लिखा है, अतएव समन्तभद्र पूज्यपादके "उत्तरवर्ती ही" हैं ।

(२) यदि पूज्यपाद समन्तभद्रके उत्तरवर्ती होते तो वे समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका और खासकर 'सप्तभंगी' का "जोकि समन्तभद्रकी जैनपरम्परा को उस समयकी नई देन रही," अपने 'सर्वार्थसिद्धि' आदि किसी ग्रन्थमें 'उपयोग' किये बिना न रहते । चूँकि पूज्यपादके ग्रन्थोंमें "समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श भी" नहीं पाया जाता, अतएव समन्तभद्र पूज्यपादके "उत्तरवर्ती ही" हैं ।

इन दोनों साधनोंमेंसे प्रथम साधनको कुछ विशद तथा पल्लवित करते हुए पं० महेन्द्रकुमारजीने जैनसिद्धान्तभास्कर (भाग ६ कि० १) में अपना जो लेख प्रकाशित कराया था उसमें विद्यानन्दकी आसपरीक्षाके "श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसलिलनिधेरिद्धरत्नोद्भवस्य प्रोत्थानारम्भकाले" इत्यादि पद्य * को देकर यह बतलाना चाहा था कि विद्यानन्द इसके द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इत्यादि जिस मंगलस्तोत्रका इसमें संकेत है उसे तत्त्वार्थशास्त्रकी उत्पत्तिकी निमित्त बतलाते समय या उसकी प्रोत्थान-भूमिका बांधते समय पूज्यपादने रचा है । और इसके लिये उन्हें 'प्रोत्थानारम्भकाले' पदकी अर्थविषयक बहुत कुछ खींचतान करनी पड़ी थी, 'शास्त्रावताररचितस्तुति' तथा 'तत्त्वार्थशास्त्रादौ' जैसे स्पष्ट पदोंके सीधे सच्चे अर्थको भी उसी 'प्रोत्थानारम्भकाले' पदके कल्पित अर्थकी ओर घसीटनेकी प्रेरणाके लिये प्रवृत्त होना पड़ा था और खींचतानकी यह सब चेष्टा पं० सुखलालजीके उस नोटके अनुरूप थी जिसे उन्होंने न्यायकुमुदचन्द्र-द्वितीय भागके 'प्राक्कथन' (पृ० १७) में अपने बुद्धि-व्यापारके द्वारा स्थिर किया था । परन्तु 'प्रोत्थानारम्भकाले' पदके अर्थकी खींचतान उसी वक्त तक कुछ चल सकती थी जब तक विद्यानन्दका कोई स्पष्ट

* श्रीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसलिलनिधेरिद्धरत्नोद्भवस्य
प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शास्त्रकारैः कृतं यत् ।

स्तोत्रं तीर्थोपमानं पृथितपृथुपथं स्वामिमीमांसितं तद्
विद्यानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयै ॥१२३॥

उल्लेख इस विषयका न मिलता कि वे 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इत्यादि मंगल-स्तोत्र को किसका बतला रहे हैं। चुनांचे न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी कोठिया और पं० रामप्रसादजी शास्त्री आदि कुछ विद्वानोंने जब पं० महेन्द्रकुमारजीकी भूलों तथा गलतियोंको पकड़ते हुए, अपने उत्तर-लेखोंके द्वारा विद्यानन्दके कुछ अभ्रान्त उल्लेखोंको सामने रक्खा और यह स्पष्ट करके बतला दिया कि विद्यानन्दने उक्त मंगलस्तोत्रको सूत्रकार उमास्वातिकृत लिखा है और उनके तत्त्वार्थ-सूत्रका मंगलाचरण बतलाया है, तब उस खींच-तानकी गति रुकी तथा बन्द पड़ी। और इसलिये उक्त मंगलस्तोत्रको पूज्यपादकृत मानकर तथा समन्तभद्रको उसीका मीमांसाकार बतला कर निश्चितरूपमें समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका (उत्तरवर्ती) विद्वान् बतलानेरूप कल्पनाकी जो इमारत खड़ी की गई थी वह एक दम धराशायी हो गई है। और इसीसे पं० महेन्द्रकुमारजीको यह स्वीकार करनेके लिये बाध्य होना पड़ा है कि आ० विद्यानन्दने उक्त मंगलश्लोकको सूत्रकार उमास्वातिकृत बतलाया है, जैसा कि अनेकान्तकी पिछली किरण (वर्ष ५ कि० ८-९)में 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' शीर्षक उनके उत्तर-लेखसे प्रकट है। इस लेखमें उन्होंने अब विद्यानन्दके कथनपर सन्देह व्यक्त किया है और यह सूचित किया है कि विद्यानन्दने अपनी अष्टसहस्रीमें अकलंककी अष्टशतीके 'देवागमेत्यादिमंगल-पुरस्सरस्तव' वाक्यका सीधा अर्थ न करके कुछ गलती खाई है और उसीका यह परिणाम है कि वे उक्त मंगलश्लोकको उमास्वातिकी कृति बतला रहे हैं, अन्यथा उन्हें इसके लिये कोई पूर्वाचार्यपरम्परा प्राप्त नहीं थी। उनके इस लेखका उत्तर न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजीने अपने द्वितीय लेखमें दिया है, जो अन्यत्र (अनेकान्त वर्ष ५ कि० १०-११में) 'तत्त्वार्थसूत्रका मंगलाचरण' इस शीर्षकके साथ, प्रकाशित हुआ है। जब पं० महेन्द्रकुमारजी विद्यानन्दके कथनपर सन्देह करने लगे हैं तब वे यह भी असन्दिग्धरूपमें नहीं कह सकेंगे कि समन्तभद्रने उक्त मंगलस्तोत्रको लेकर ही 'आप्तमीमांसा' रची है, क्योंकि उसका पता भी विद्यानन्दके आप्तपरीक्षादि ग्रन्थोंसे चलता है। चुनांचे वे अब इसपर भी सन्देह करने लगे हैं, जैसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“यह एक स्वतन्त्र प्रश्न है कि स्वामी समन्तभद्रने 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोकपर आप्तमीमांसा बनाई है या नहीं।”

ऐसी स्थितिमें पं० सुखलालजीके द्वारा अपने प्राक्कथनोंमें प्रयुक्त निम्न वाक्यों का क्या मूल्य रहेगा, इसे विज्ञपाठक स्वयं समझ सकते हैं—

“ ‘पूज्यपादके द्वारा स्तुत आप्रके समर्थनमें ही उन्होंने (समन्तभद्रने) आप्रमीमांसा लिखी है’ यह बात विद्यानन्दने आप्रपरीक्षा तथा अष्टसहस्रीमें सर्वथा स्पष्टरूपसे लिखी है ।” —अकलंकग्रन्थत्रय, प्राक्कथन पृ० ८

“ मैंने अकलंकग्रन्थत्रयके ही प्राक्कथनमें विद्यानन्दकी आप्रपरीक्षा एवं अष्टसहस्रीके स्पष्ट उल्लेखके आधारपर यह निःशंक रूपसे बतलाया है कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके आप्रस्तोत्रके मीमांसाकार हैं अतएवं उनके उत्तरवर्ती ही हैं ।”

“ ठीक उसी तरहसे समन्तभद्रने भी पूज्यपादके ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ वाले मंगलपद्यको लेकर उसके ऊपर आप्रमीमांसा रची है ।”

“पूज्यपादका ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ वाला सुप्रसन्न पद्य उन्हें (समन्तभद्रको) मिला फिर तो उनकी प्रतिभा और जग उठी ।”

—न्यायकुमुद० द्वि० प्राक्कथन पृ० १७—१९

इन वाक्योंपरसे मुझे यह जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि पं० सुखलालजी—जैसे प्रौढ़ विद्वान् भी कच्चे आधारोंपर ऐसे सुनिश्चित वाक्योंका प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं ! सम्भवतः इसकी तहमें कोई गलत धारणा ही काम करती हुई जान पड़ती है, अन्यथा जब विद्यानन्दने आप्रपरीक्षा और अष्टसहस्रीमें कहीं भी उक्त मंगलश्लोकके पूज्यपादकृत होनेकी बात लिखी नहीं तब उसे ‘सर्वथा स्पष्ट रूपसे लिखी’ बतलाना कैसे संगत हो सकता है ?” नहीं हो सकता ।

अब रही दूसरे साधनकी बात, पं० महेन्द्रकुमारजी इस विषयमें पं० सुखलालजीके एक युक्ति-वाक्यको उद्धृतकरते और उसका अभिनन्दन करते हुए, अपने उसी जैनमिद्धान्तभास्कर वाले लेखके अन्तमें, लिखते हैं—

“श्रीमान् पंडित सुखलालजी सा०का इस विषयमें यह तर्क “कि यदि समन्तभद्र पूर्ववर्ती होते, तो समन्तभद्रकी आप्रमीमांसा जैसी अनूठी कृतिका उल्लेख अपनी सर्वार्थसिद्धि आदि कृतियोंमें किए बिना न रहते” हृदयको लगता है ।”

इसमें पं० सुखलालजीके जिस युक्ति-वाक्यका डबल इनवर्टेड कामाजके भीतर उल्लेख है उसे पं० महेन्द्रकुमारजीने अकलंकग्रन्थत्रय और न्याय-कुमुदचन्द्र द्वि० भागके प्राक्कथनोंमें देखनेकी प्रेरणा की है, तदनुसार दोनों प्राक्कथनोंको एकसे अधिक बार देखा गया, परन्तु खेद है कि उनमें कहीं भी उक्त वाक्य उपलब्ध नहीं हुआ ! न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावनामें यह वाक्य कुछ दूसरे ही शब्दपरिवर्तनोंके साथ दिया हुआ है* और वहां किसी 'प्राक्कथन' को देखनेकी प्रेरणा भी नहीं की गई । अच्छा होता यदि 'भास्कर' वाले लेखमें भी किसी प्राक्कथनको देखनेकी प्रेरणा न की जाती अथवा पं० सुखलालजीके तर्कको उन्हींके शब्दोंमें रखा जाता और या डबल इनवर्टेड कामाजके भीतर न दिया जाता । अस्तु; इस विषयमें पं० सुखलालजीने जो तर्क अपने दोनों प्राक्कथनोंमें उपस्थित किया है उसीके प्रधान अंशको ऊपर साधन नं० २ में संकलित किया गया है, और उसमें पंडितजीके खास शब्दोंको इनवर्टेड कामाजके भीतर दे दिया है । इससे पंडितजीके तर्ककी स्पिरिट अथवा रूपरेखाको भले प्रकार समझा जा सकता है । पंडितजीने अपने पहले प्राक्कथनमें उपस्थित तर्ककी बावत दूसरे प्राक्कथनमें यह स्वयं स्वीकार किया है कि—'मेरी वह (सप्तभंगीवाली) दलील विद्यानन्दके स्पष्ट उल्लेखके आधारपर किये गये निर्णयकी पोषक है । और उसे मैंने वहाँ स्वतन्त्र प्रमाणके रूपसे पेश नहीं किया है;' परन्तु उक्त मंगलश्लोकको 'पूज्यपादकृत' बतलाने-वाला जब विद्यानन्दका कोई स्पष्ट उल्लेख है ही नहीं और उसकी कल्पनाके आधारपर जो निर्णय किया गया था वह गिर गया है तब पोषकके रूपमें उपस्थित की गई दलील भी व्यर्थ पड़ जाती है; क्योंकि जब वह दीवार ही नहीं रही जिसे लेप लगाकर पुष्ट किया जाय तब लेप व्यर्थ ठहरता है—उसका कुछ अर्थ नहीं रहता । और इसलिये पंडितजीकी वह दलील विचारके योग्य नहीं रहती ।

* यथा—“यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्राक्कालीन होते तो वे अपने इस युग-प्रधान आचार्यकी आत्ममीमांसा जैसी अगूठी कृतिका उल्लेख किये बिना नहीं रहते ।”

यद्यपि, पं० महेंद्रकुमारजीके शब्दोंमें, “ऐसे नकारात्मक प्रमाणोंसे किसी आचार्यके समयका स्वतन्त्रभावसे साधन-वाधन नहीं होता।” फिर भी विचार-की एक कोटि उपस्थित होजाती है । सम्भव है कलको पं० मुखलालजी अपनी दलीलको स्वतन्त्र प्रमाणके रूपमें भी उपस्थित करने लगें, जिसका उपक्रम उन्होंने “समन्तभद्रकी जैनपरम्पराको उस समयकी नई देन” जैसे शब्दोंको बादमें जोड़कर दिया है और साथ ही ‘समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी ग्रंथमें स्पर्श भी न करने’ तककी बात भी वे लिख गये हैं ❀ अतः उसपर—द्वितीय साधनपर—विचार कर लेना ही आवश्यक जान पड़ता है । और उसीका इस लेखमें आगे प्रयत्न किया जाता है ।

सबसे पहले मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि यद्यपि किसी आचार्यके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने पूर्ववर्ती आचार्योंके सभी विषयोंको अपने ग्रन्थमें उल्लेखित अथवा चर्चित करे—ऐसा करना न करना ग्रंथकारकी रुचि-विशेषपर अवलम्बित है । चुनाँचे ऐसे बहुतसे प्रमाण उपस्थित किये जासकते हैं जिनमें पिछले आचार्योंने पूर्ववर्ती आचार्योंकी कितनी ही बातोंको अपने ग्रन्थोंमें छुआ तक भी नहीं; इतनेपर भी पूज्यपादके सब ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । उनके ‘सारसंग्रह’ नामके एक खास ग्रन्थ का ‘ध्वला’ में नयविषयक उल्लेख ङ मिलता है । और उसारसे वह उनका महत्त्वका स्वतन्त्र ग्रन्थ जान पड़ता है । बहुत सम्भव है कि उसमें उन्होंने ‘सप्तभंगी’ की भी विशदचर्चा की हो । उस ग्रन्थकी अनुपलब्धिकी हालतमें यह नहीं कहा जा सकता कि पूज्यपादने ‘सप्तभंगी’ का कोई विशद कथन नहीं किया अथवा उसे छुआ तक नहीं ।

इसके सिवाय, ‘सप्तभंगी’ एकमात्र समन्तभद्रकी ईजाद अथवा उन्हींके द्वारा आविष्कृत नहीं है, बल्कि उसका विधान पहलेसे चला आता है और वह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्थोंमें भी स्पष्टरूपसे पाया जाता है; जैसा कि निम्न दो गाथाओंसे प्रकट है—

❀ देखो, न्यायकुमुदचन्द्र द्वि० भागका ‘प्राक्कथन’ पृ० १८ ।

‡ “तथा सारसंग्रहेऽप्युक्तं पूज्यपादैः—‘अनन्तपर्यायात्मकस्य वस्तुनोऽन्यत-मपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवच्छप्रयोगो नय’ इति ।”

अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य ह्वदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं ।

पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिट्ठमण्णं वा ॥ २-२३

—प्रवचनसार

सिय अत्थि णत्थि उह्यं अवत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं ।

दव्वं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥ १४ ॥

—पंचास्तिकाय

आचार्य कुन्दकुन्द पूज्यपादसे बहुत पहले हो गये हैं । पूज्यपादने उनके मोक्ष-प्राप्तादि ग्रन्थोंका अपने समाधितंत्रमें बहुत कुछ अनुसरण किया है—कितनी ही गाथाओंको तो अनुवादितरूपमें ज्यों-का-त्यों रख दिया है † और कितनी ही गाथाओंको अपनी सर्वार्थसिद्धिमें 'उक्तं च' आदि रूपसे उद्धृत किया है, जिसका एक नमूना ५वें अध्यायके १६वें सूत्रकी टीकामें उद्धृत पंचास्तिकायकी निम्न गाथा है—

अण्णोण्णं पविसंता दिंता ओगासमण्णमण्णस्स ।

मेलंता वि य णिच्चं सगं सभावं ण विजहंति ॥५॥

ऐसी हालतमें पूज्यपादके द्वारा 'सप्तभंगी' का स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख न होने-पर भी जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि आ० कुन्दकुन्द पूज्यपादके बाद हुए हैं वैसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि समन्तभद्राचार्य पूज्यपादके बाद हुए हैं—उत्तरवर्ती हैं । और न यही कहा जा सकता है कि 'सप्तभंगी' एकमात्र समन्त-भद्रकी कृति है—उन्हींकी जैनपरम्पराको 'नई देन' है । ऐसा कहनेपर आचार्य कुन्दकुन्दको समन्तभद्रके भी वादका विद्वान् कहना होगा, और यह किसी तरह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता—मर्कंराके ताम्रपत्र और अनेक शिलालेख तथा ग्रन्थोंके उल्लेख इसमें प्रबल बाधक हैं । अतः पं० सुखलालजीकी 'सप्तभंगी' वाली दलील ठीक नहीं है—उससे उनके अभिमतकी सिद्धि नहीं हो सकती ।

अब मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि पं० सुखलालजीने अपने साधन- (दलील) के अंगरूपमें जो यह प्रतिपादन किया है कि 'पूज्यपादने समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श भी नहीं किया' वह अभ्रान्त न होकर

वस्तुस्थितिके विरुद्ध है; क्योंकि समन्तभद्रकी उपलब्ध पाँच असाधारण कृतियोंमें-
से आसमीमांसा, युक्त्यनुशासन, स्वयंभूस्तोत्र और रत्नकरण्डश्रावकाचार नामकी
चार कृतियोंका स्पष्ट प्रभाव पूज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि' पर पाया जाता है;
जैसा कि अन्तःपरीक्षणके द्वारा स्थिर की गई नीचेकी कुछ तुलना परसे प्रकट है।
इस तुलनामें रक्खे हुए वाक्योंपरसे विज्ञपाठक सहजहीमें यह जान सकेंगे कि
आ० पूज्यपादने स्वामी समन्तभद्रके प्रतिपादित अर्थको कहीं शब्दानुसरणके,
कहीं पदानुसरणके, कहीं वाक्यानुसरणके, कहीं उदाहरणके, कहीं पर्यायशब्द-
प्रयोगके, कहीं 'आदि' जैसे संग्राहकपद-प्रयोगके और कहीं व्याख्यान-विवेचनादि-
के रूपमें पूर्णतः अथवा अंशतः अपनाया है—ग्रहण किया है। तुलनामें स्वामी
समन्तभद्रके वाक्योंको ऊपर और श्रीपूज्यपादके वाक्योंको नीचे भिन्न टाइपोंमें
रख दिया गया है, और साथमें यथावश्यक अपनी कुछ व्याख्या भी दे दी गई
है, जिससे साधारण पाठक भी इस विषयको ठीक तौरपर अवगत कर सकें:—

(१) “नित्यं तत्प्रत्यभिज्ञानान्नाकस्मात्तदविच्छिदा।

क्षणिकं कालभेदात्ते बुद्ध्यसंचरदोषतः॥”

—आसमीमांसा, का० ५६

“नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः।”

—स्वयंभूस्तोत्र, का० ४३

“तदेवेदमिति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम् । तदकस्मान्न भवतीति योऽस्य
हेतुः स सद्भावः ।”येनात्मना प्राग्दृष्टं वस्तु तेनैवात्मना पुनरपि भावात्त-
देवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते.....ततस्तद्भावेनाऽव्ययं नित्यमिति निश्चीयते ।
तत्तु कथंचिद्वेदितव्यम् ।

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ५ सू ३१

यहाँ पूज्यपादने समन्तभद्रके 'तदेवेदमिति' इस प्रत्यभिज्ञानलक्षणको ज्योंका
त्यों अपनाकर इसकी व्याख्या की है, 'नाऽकस्मात्' शब्दोंको 'अकस्मान्न भवति'
रूपमें रक्खा है, 'तदविच्छिदा' के लिये सूत्रानुसार 'तद्भावेनाऽव्ययं' शब्दोंका
प्रयोग किया है और 'प्रत्यभिज्ञान' शब्दको ज्योंका त्यों रहने दिया है। साथ ही
'न नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः' 'क्षणिकं कालभेदात्' इन वाक्योंके भावको 'तत्तु
कथंचिद्वेदितव्यं' इन शब्दोंके द्वारा संगृहीत और सूचित किया है।

(२) “नित्यत्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते ।”

—आप्तमीमांसा, का० ३७

“भावेषु नित्येषु विकारहानेर्न कारकव्यापृतकार्ययुक्तिः ।

न वन्यभोगौ न च तद्विमोक्षः..... ॥

—युक्त्यनुशासन, का० ८

“न सर्वथा नित्यमुदेत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम् ।”

—स्वयम्भूस्तोत्र २४

“सर्वथा नित्यत्वे अन्यथाभावाभावात् संसारतन्निवृत्तिकारणप्रक्रिया-
विरोधः स्यात् ।”

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ५ सू० ३१

यहाँ पूज्यपादने ‘नित्यत्वैकान्तपक्षे’ पदके लिये समन्तभद्रके ही अभिमतानु-
सार ‘सर्वथा नित्यत्वे’ इम समानार्थक पदका प्रयोग किया है, ‘विक्रिया नोपपद्यते’
और ‘विकारहानेः’ के आशयको ‘अन्यथाभावाभावात्’ पदके द्वारा व्यक्त किया
है और शेषका समावेश ‘संसार-तन्निवृत्तिकारणप्रक्रियाविरोधः स्यात्’ इन
शब्दोंमें किया है ।

(३) “विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते ।

—स्वयम्भूस्तोत्र ५३

“विवक्षा चाऽविवक्षा च विशेष्येऽनन्तवर्मिणि ।

सतो विशेषणस्याऽत्र नाऽसतस्तस्तदर्थिभिः ॥”

—आप्तमीमांसा, का० ३५

“अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्यस्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया
प्रापितं प्राधान्यमर्पितमुपनीतमिति यावत् । तद्विपरीतमनर्पितम्, प्रयोजना-
भावात् । सतोऽप्यविवक्षा भवतीत्युपसर्जनीभूतमनर्पितमुच्यते ।”

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ५ सू० ३२

यहाँ ‘अर्पित’ और ‘अनर्पित’ शब्दोंकी व्याख्या करते हुए समन्तभद्रकी
‘मुख्य’ और ‘गुण (गौण)’ शब्दोंकी व्याख्याको अर्थतः अपनाया गया है । ‘मुख्य’
के लिये प्राधान्य, ‘गुण’ के लिये ‘उपसर्जनीभूत’ ‘विवक्षित’ के लिये ‘विवक्षया
प्रापित’ और ‘अन्यो गुणः’ के लिये ‘तद्विपरीतमनर्पितम्’ जैसे शब्दोंका प्रयोग

किया गया है। साथ ही, 'अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्यस्य कस्य-चिद्धर्मस्य' ये शब्द 'विवक्षित' के स्पष्टीकरणको लिये हुए हैं—आप्तमीमांसाकी उक्त कारिकामें जिस अनन्तधर्मविशेष्यका उल्लेख है और युक्त्यनुशासनकी ४६ वीं कारिकामें जिसे 'तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूपम्' शब्दोंसे उल्लेखित किया है उसीको पूज्यपादने 'अनेकान्तात्मकवस्तु' के रूपमें यहाँ ग्रहण किया है। और उनका 'धर्मस्य' पद भी समन्तभद्रके 'विशेषणस्य' पदका स्थानापन्न है। इसके सिवाय, दूसरी महत्वकी बात यह है कि आप्तमीमांसाकी उक्त कारिकामें जो यह नियम दिया गया है कि विवक्षा और अविवक्षा दोनों ही सत् विशेषणकी होती हैं—असत्की नहीं—और जिसको स्वयम्भूस्त्रोत्रके 'अविवक्षो न निरात्मकः' शब्दोंके द्वारा भी सूचित किया गया है, उसीको पूज्यपादने 'सतोऽप्यविवक्षा भवतीति' इन शब्दोंमें संग्रहीत किया है। इस तरह अपित और अनपितकी व्याख्यामें समन्तभद्रका पूरा अनुसरण किया गया है।

(४) "न द्रव्यपर्यायपृथग्व्यवस्था, द्वैयात्म्यमेकापण्या विरुद्धम्।

धर्मा च धर्मश्च मिथस्त्रिधेमौ न सर्वथा तेऽभिमतौ विरुद्धौ ॥"

—युक्त्यनुशासन, का० ४७

"न सागान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्।

व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत् ॥"

—आप्तमीमांसा, का० ५७

"ननु इदमेव विरुद्धं तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति । यदि नित्यं व्ययो-दयाभावादनित्यताव्याघातः । अथानित्यत्वमेव स्थित्यभावाच्चित्यताव्याघात इति । नैतद्विरुद्धम् । कुतः ? (उत्थानिका).....अपितानपितसिद्धेर्नास्ति विरोधः । तद्यथा—एकस्य देवदत्तस्य पिता, पुत्रो, आता, भागिनेय इत्येव-मादयः सम्बन्धा जनकत्व-जन्यत्वादिनिमित्ता न विरुद्ध्यन्ते अर्पणाभेदात् । पुत्रापक्षेया पिता, पित्रपक्षेया पुत्र इत्येवमादिः । तथा द्रव्यमपि सामान्याप-ण्या नित्यं, विशेषापण्याऽनित्यमिति नास्ति विरोधः ।"

—सर्वार्थसि० अ० ५ सू० ३२

यहाँ पूज्यपादने एक ही वस्तुमें उत्पाद-व्ययादिकी दृष्टिसे नित्य-अनित्यके विरोधकी शंका उठाकर उसका जो परिहार किया है वह सब युक्त्यनुशासन

और आत्ममीमांसाकी उक्त दोनों कारिकाओंके आशयको लिए हुए है—उसे ही पिता-पुत्रादिके सम्बन्धों-द्वारा उदाहृत किया गया है। आत्ममीमांसाकी उक्त कारिकाके पूर्वार्ध तथा तृतीय चरणमें कही गई नित्यता-अनित्यता-विषयक बातको ‘द्रव्यमपि सामान्यार्पणया नित्यं, विशेषार्पणयाऽनित्यमिति’ इन शब्दोंमें फलितार्थ रूपसे रक्खा गया है। और युक्त्यनुशासनकी उक्त कारिकामें ‘एकार्पणासे’—एक ही अपेक्षासे—विरोध बतलाकर जो यह सुभाषा था कि अर्पणाभेदसे विरोध नहीं आता उसे ‘न विरुध्यन्ते अर्पणाभेदात्’ जैसे शब्दों-द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

(५) “द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोरव्यतिरेकतः।

परिणामविशेषाच्च शक्तिमच्छक्तिभावतः॥

संज्ञा-संख्या-विशेषाच्च स्वलक्षणविशेषतः।

प्रयोजनादिभेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा॥”

—आत्ममीमांसा, का०७१, ७२

“यद्यपि कथंचिद् व्यदेपशादिभेदहेतुत्वापेक्षया द्रव्यादन्ये (गुणाः) तथापि तद्व्यतिरेकात्तत्परिणामाच्च नान्ये ।” —सर्वार्थसिद्धि अ० ५ सू०४२

यहां द्रव्य और गुणों (पर्यायों) का अन्यत्व तथा अनन्यत्व बतलाते हुए, आ० पूज्यपादने स्वामी समन्तभद्रकी उक्त दोनों ही कारिकाओंके आशयको अपनाया है और ऐसा करते हुए उनके वाक्यमें कितना ही शब्द-साम्य भी आगया है; जैसा कि ‘तदव्यतिरेकात्’ और ‘परिणामाच्च’ पदोंके प्रयोगसे प्रकट है। इसके सिवाय, ‘कथंचित्’ शब्द ‘न सर्वथा’ का, ‘द्रव्यादन्ये’ पद ‘नानात्वं’ का ‘नान्य’ शब्द ‘ऐक्य’ का, ‘व्यपदेश’ शब्द ‘संज्ञा’ का वाचक है तथा ‘भेदहेत्वपेक्षया’ पद ‘भेदात्’ ‘विशेषात्’ पदोंका समानार्थक है और ‘आदि’ शब्द संज्ञासे भिन्न शेष संख्या-लक्षण-प्रयोजनादि भेदोंका संग्राहक है। इस तरह शब्द और अर्थ दोनोंका साम्य पाया जाता है।

(६) “उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्यादानहानधीः।

पूर्वावाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे॥” —आत्ममी०१०२

“ज्ञस्वभावस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य करणालम्बनादर्थनिश्चये प्रीति-

रूपजायते, सा फलमित्युच्यते । उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम् । रागद्वेषयो-
रप्रणिधानमुपेक्षा अन्धकारकल्पाज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते ।”

—सर्वार्थसिद्धि अ० १ सू० १०

यहाँ इन्द्रियोंके आलम्बनसे अर्थके निश्चयमें जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे प्रमाणज्ञानका फल बतलाकर ‘उपेक्षा अज्ञाननाशो वा फलम्’ यह वाक्य दिया है, जो स्पष्टतया आसमीमांसाकी उक्त कारिकाका एक अवतरण जान पड़ता है और इसके द्वारा प्रमाणफल-विषयमें दूसरे आचार्योंके मतको उद्धृत किया गया है । कारिकामें पड़ा हुआ ‘पूर्वा’ पद भी उसी ‘उपेक्षा’ फलके लिये प्रयुक्त हुआ है जिससे कारिकाका प्रारम्भ है ।

(७) “नयस्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पतः ॥६२॥” —स्वयम्भूस्तोत्र

“निरपेक्षा नयामिथ्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ।”

—आसमीमांसा, का० १०८

“मिथोऽनपेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्नांशा न चांशी पृथगास्ति तेभ्यः ।
परस्परेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्दृष्टा नयास्तद्वदसक्रियायाम् ॥

—युवत्यनुशासन, का० ५६

“त एते (नया) गुण-प्रधानतया परस्परतंत्राः सम्यग्दर्शनहेतवः
पुरुषार्थक्रियासाधनसामर्थ्यात् तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवेश्यमानाः
पटादिसंज्ञाः स्वतंत्राश्चासमर्थाः । निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिकार्यं
नास्तीति ॥”

—सर्वार्थसिद्धि, अ० १ सू० ३३

स्वामी समन्तभद्रने अपने उक्त वाक्योंमें नयोंके मुख्य और गुण (गौण) ऐसे दो भेद बतलाये हैं, निरक्षेप नयोंको मिथ्या तथा सापेक्ष नयोंको वस्तु = वास्तविक (सम्यक्) प्रतिपादित किया है और सापेक्ष नयोंका ‘अर्थकृत्’ लिख कर फलतः निरपेक्ष नयोंको ‘नार्थकृत्’ अथवा कार्याशक्त (असमर्थ) सूचित किया है । साथ ही, यह भी बतलाया है कि जिस प्रकार परस्पर अनपेक्ष अंश पुरुषार्थके हेतु नहीं, किन्तु परस्पर सापेक्ष अंश पुरुषार्थके हेतु देख-जाते हैं और अंशोंसे अंशी पृथक् (भिन्न अथवा स्वतन्त्र) नहीं होता । उसी प्रकार नयोंको जानना चाहिए । इन सब बातोंको सामने रखकर ही पूज्यपादने

अपनी सर्वार्थसिद्धिके उक्त वाक्यको सृष्टि की जान पड़ती है। इस वाक्यमें अंश-अंशिकी बातको तन्त्रादिपटादिसे उदाहृत करके रक्खा है। इसके 'गुणप्रधान-तया', 'परस्परतंत्राः', 'पुरुषार्थ-क्रियासाधनसामर्थ्यात्' और 'स्वतंत्राः' पद क्रमशः 'गुणमुख्यकल्पतः' 'परस्परपेक्षा-सापेक्षा 'पुरुषार्थ-हेतुः', 'निरपेक्षाः' अनपेक्षाः' पदोंके समानार्थक हैं। और 'असमर्थाः' तथा 'कार्यं नास्ति' ये पद 'अर्थकृत्'के विपरीत 'नार्थकृत्'के आशयको लिये हुए हैं।

(८) "भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मो भावान्तरं भाववदहर्तस्ते।

प्रमीयते च व्यपदिश्यते च वस्तुव्यवस्थाङ्गममेयमन्यत् ॥"

—युक्त्यनुशासन, का० ५६

"अभावस्य भावान्तरत्वाद्धेतुवृत्तत्वादिभिरभावस्य वस्तुधर्मत्वसिद्धेश्च ॥"

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ६ सू० २७

इस वाक्यमें पूज्यपादने, अभावके वस्तुधर्मत्वकी सिद्धि बतलाते हुए, समन्तभद्रके युक्त्यनुशासन-गत उक्त वाक्यका शब्दानुसरणके साथ कितना अधिक अनुकरण किया है, यह बात दोनों वाक्योंको पढ़ते ही स्पष्ट होजाती है। इनमें 'हेत्वङ्ग' और 'वस्तुव्यवस्थाङ्ग' शब्द समानार्थक हैं।

(९) "धनधान्यादि-ग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहता। परिमित-परिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामाऽपि ॥"—रत्नकरण्ड आ० ६१

"धन-धान्य-क्षेत्रादीनामिच्छावशात् कृत्परिच्छेदो गृहीति

पंचमाणुव्रतम् ॥"

—सर्वार्थसिद्धि, अ० ७ सू० २०

यहाँ 'इच्छावशात् कृतपरिच्छेदः' ये शब्द 'परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहता' आशयको लिये हुए हैं।

(१०) "तिर्यक्क्लेशवाणिज्याहिंसारम्भप्रलम्भनादीनाम्।

कथाप्रसङ्गप्रसवः स्मर्तव्यः पापउपदेशः ॥"—रत्नकण्ड० ७६

"तिर्यक्क्लेशवाणिज्यप्राणवधकारम्मक्रादिषु पापसंयुक्तं वचनं पापो-पदेशः ॥"

—सर्वार्थसि० अ० ७ सू० २५

२१ वें सूत्र ('दिग्देशानर्थदण्ड०') की व्याख्यामें अनर्थदण्डव्रतके समन्त-भद्र-प्रतिपादित पाँचों भेदोंको अपनाते हुए उनके जो लक्षण दिये हैं उनमें शब्द

और अर्थका कितना अधिक साम्य है यह इस तुलना तथा आगेकी दो तुलनाओंसे प्रकट है। यहां 'प्राणित्रय' हिसाका समानार्थक है और 'आदि' में 'प्रलम्भन' भी गभित है।

(११) "वध-बन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः।

आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः।"

—रत्नकरण्ड० ७८

"परेषां जयपराजयवधवन्धनाङ्गच्छेदपरस्वहरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपध्यानम्"

—सर्वार्थसि० अ० ७ सू० २१

यहाँ 'कथं स्यादिति मनसा चिन्तनम्' यह 'आध्यानम्' पदकी व्याख्या है 'परेषां जय पराजय' तथा 'परस्वहरण' यह 'आदि' शब्द-द्वारा गृहीत अर्थका कुछ प्रकटीकरण है और 'परस्वहरणादि' में 'परकलत्रादि' का अपहरण भी शामिल है।

(१२) "क्षितिसलिलदहनपवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम्।

सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ॥" —रत्नकरण्ड० ८०

"प्रयोजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेदन-भूमिकुट्टन-सलिलसेचनाद्यवद्यकार्यं प्रमादाचरितम्।"

—सर्वार्थसि० अ० ७ सूत्र २१

यहाँ 'प्रयोजनमन्तरेण' यह पद 'विफल' पदका समानार्थक है, 'वृक्षादि' पद 'वनस्पति' के आशयको लिये हुए है, 'कुट्टन-सेचन' में 'आरम्भ' के आशयका एक देश प्रकटीकरण है और 'आदि अवद्यकार्य' में 'दहन-पवनारम्भ' तथा 'सरण सारण' का आशय संगृहीत है।

(१३) 'त्रसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये।

मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ॥" —रत्नकरण्ड० ८४

"मधु मांसं मद्यं च सदा परिहर्तव्यं त्रसघातान्निवृत्तचेतसा।"

—सर्वार्थसि० अ० ७ सू० ११

यहाँ 'त्रसघातान्निवृत्तचेतसा' ये शब्द 'त्रसहतिपरिहरणार्थं' पदके स्पष्ट आशयको लिये हुए हैं और मधु, मांस, परिहर्तव्यं ये पद क्रमशः क्षौद्रं, पिशितं, वर्जनीयं पदोंके पर्यायपद हैं।

(१४) अल्पफलबहुविघातान्मूलकमार्द्राणि शृंगवेराणि ।

नवनीत-निम्बकुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम् ॥ —रत्नकरण्ड ०८५

“कैतक्यजुं नपुष्पानि शृंगवेरमूलकादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानान्यनन्तका-
यव्यपदेशार्हाणि परिहर्तव्यानि बहुघाताल्पफलत्वात् ।”

यहाँ ‘बहुघाताल्पफलत्वात्’ पद ‘अल्पफलबहुविघातात्’ पदका शब्दानु-
सरणके साथ समानार्थक है ‘परिहर्तव्यानि’ पद ‘हेयं’ के आशयका लिए हुए है
और ‘बहुजन्तुयोनिस्थानानि’ जैसे दो पद स्पष्टीकरणके रूपमें है ।

(१५) “यदनिष्टं तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेतदपि ज्ञात् ।

अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योग्याद्व्रतं भवति ॥”

—रत्नकरण्ड ८६

“यानवाहनाभरणादिष्वेतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टमित्यनिष्टाविवर्तनं
कर्तव्यं कालनियमेन यावज्जीवं वा यथाशक्ति ।”

“व्रतमभिसन्धिकृतो विषयः ।”

—सर्वार्थसि० अ० ७ सू० २१, १

यहाँ ‘यानवाहन’ आदि पदोंके द्वारा ‘अनिष्ट’ की व्याख्या की गई है, शेष
भोगोपभोगपरिमाणव्रतमें अनिष्टके निवर्तनका कथन समन्तभद्रका अनुसरण है ।
साथमें ‘कालनियमेन’ और ‘यावज्जीवं’ जैसे पद समन्तभद्रके ‘नियम’ और
‘यम’ के आशयको लिए हुए हैं, जिनका लक्षण रत्नकरण्ड० श्रा० के अगले पद्य
(८७) में ही दिया हुआ है । भोगोपभोगपरिमाणव्रतके प्रसंगानुसार समन्त-
भद्रने उक्त पद्यके उत्तरार्धमें यह निर्देश किया था कि अयोग्य विषयसे ही नहीं
किन्तु योग्य विषयसे भी जो ‘अभिसन्धिकृता विरति’ होती है वह व्रत कहलाती
है । पूज्यपादने इस निर्देशसे प्रसंगोपात्त ‘विषयाद्योग्यात्’ पदोंको निकाल कर
उसे व्रतके साधारण लक्षणके रूपमें ग्रहण किया है, और इसीसे उस लक्षणको
प्रकृत अध्याय (नं० ७) के प्रथम सूत्रकी व्याख्यामें दिया है ।

(१६) “आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन ।

वैय्यावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्त्राः ॥” —रत्नकरण्ड० ११७

“स (अतिथिसंविभागः) चतुर्विधः—मिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् ।”

—सर्वार्थसि० अ० ७ सू० २१

यहाँ पूज्यादने समन्तभद्र-प्रतिपादित दानके चारों भेदोंको अपनाया है। उनके 'भिक्षा' और 'प्रतिश्रय' शब्द क्रमशः 'आहार' और 'आवास' के लिये प्रयुक्त हुए हैं।

इस प्रकार ये तुलनाके कुछ नमूने हैं जो श्रीपूज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि' पर स्वामी समन्तभद्रके प्रभावको—उनके साहित्य एवं विचारोंकी छापको—स्पष्टतया बतला रहे हैं और द्वितीय साधनको दूषित ठहरा रहे हैं। ऐसी हालतमें मित्रवर पं० सुखलालजीका यह कथन कि 'पूज्यपादने समन्तभद्रकी असाधारण कृतियोंका किसी अंशमें स्पर्श भी नहीं किया' बड़ा ही आश्चर्यजनक जान पड़ता है और किसी तरह भी संगत मालूम नहीं होता। आशा है पं० सुखलालजी उक्त तुलनाकी रोशनीमें इस विषयपर फिरसे विचार करनेकी कृपा करेंगे।



समन्तभद्रकी स्तुतिविद्या

ग्रन्थ-नाम—

इस ग्रन्थका मूलनाम 'स्तुतिविद्या' है; जैसा कि आदिम मंगलपद्यमें प्रयुक्त हुए 'स्तुतिविद्यां प्रसाधये' इस प्रतिज्ञावाक्यसे जाना जाता है। ग्रन्थका 'गत्त्वैकस्तुतमेव' नामक जो अन्तिम पद्य कवि और काव्यके नामको लिए हुए एक चक्रवृत्तरूपमें चित्रकाव्य है उसकी छह आरों और नव वलयोंवाली चित्ररचनापरसे ग्रन्थका नाम 'जिनस्तुतिशतं' निकलता है, जैसा कि टीकाकारने व्यक्त किया है और इसलिए ग्रन्थका दूसरा नाम 'जिनस्तुतिशतं' है जो ग्रन्थकारको इष्ट रहा मालूम होता है। यह नाम जिनस्तुतियोंके रूपमें स्तुतिविद्याके पद्योंकी प्रधान संख्याको साथमें लिये हुए है और इसलिये इसे स्तुतिसंख्यापरक नाम समझना चाहिये। जो ग्रन्थनाम संख्यापरक होते हैं उनमें 'शत' की संख्याके लिये ऐसा नियम नहीं है कि ग्रन्थकी पद्यसंख्या पूरी सौ ही हो वह दो चार दस बीस अधिक भी हो सकती है; जैसे समाधिशतककी पद्यसंख्या १०५ और भूधर-जैनशतकी १०७ है। और भी बहुतसे शत-संख्यापरक ग्रन्थनामोंका ऐसा ही हाल है। भारतमें बहुत प्राचीनकालसे कुछ चीजोंके विषयमें ऐसा दस्तूर रहा है कि वे सौ की संख्या अथवा सैंकड़के रूपमें खरीदी जानेपर कुछ अधिक संख्यामें ही मिलती है; जैसे आम कहीं ११२ और कहीं १२० की संख्यामें मिलते हैं इत्यादि। शतक ग्रन्थोंमें भी ग्रन्थकारोंकी प्रायः ऐसी ही नीति रही है—उन्होंने 'शत' कहकर भी शतसे प्रायः कुछ अधिक पद्य ही अपने पाठकोंको प्रदान किये हैं। इस दृष्टिसे प्रस्तुत ग्रन्थमें ११६ पद्य होते हुए भी उसका 'जिनस्तुतिशतं'

यह नाम सार्थक जान पड़ता है। 'शत' और 'शतक' दोनों एकार्थक हैं अतः 'जिनस्तुतिशत' को जिनस्तुतिशतक' भी कहा जाता है। 'जिनस्तुतिशतक' का बादको संक्षिप्तरूप 'जिनशतक' होगया है और यह ग्रंथका तीसरा नाम है, जिसे टीकाकारने 'जिनशतकनामेति' इस वाक्यके द्वारा प्रारम्भमें ही व्यक्त किया है। साथ ही, 'स्तुतिविद्या' नामका भी उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ अलङ्कारोंकी प्रधानताको लिये हुए है और इसलिये अनेक ग्रन्थप्रतियोंमें इसे 'जिनशतालङ्कार' अथवा 'जिनगतकालंकार' जैसे नामसे भी उल्लेखित किया गया है, और इसलिये यह ग्रन्थका चौथा नाम अथवा ग्रन्थनामका चौथा संस्करण है।

ग्रन्थ-परिचय—

समन्तभद्र--भारतीका अंगरूप यह ग्रन्थ जिन-स्तुति-विषयक है। इसमें वृषभादि चतुर्विंशतिजिनोंकी—चौबीस जैन तीर्थंकरोंकी—अलंकृत भाषामें बड़ी ही कलात्मक स्तुति की गई है। कहीं श्लोकके एक चरणको उलटकर रख देनेसे दूसरा चरण ॐ, पूर्वार्धको उलटकर रख देनेसे उत्तरार्ध † और समूचे श्लोकको उलटकर रख देनेसे दूसरा श्लोक ‡ बन गया है। कहीं-कहीं चरणके पूर्वार्ध-उत्तरार्धमें भी ऐसा ही क्रम रक्खा गया + है और कहीं-कहीं एक चरणमें क्रमशः जो अक्षर हैं वे ही दूसरे चरण में है, पूर्वार्धमें जो अक्षर हैं वे ही उत्तरार्धमें हैं और पूर्ववर्ती श्लोकमें जो अक्षर हैं वे ही उत्तरवर्ती श्लोकमें हैं, परन्तु अर्थ उन सबका एक-दूसरेसे प्रायः भिन्न है और वह अक्षरोंको सटा कर तथा अलगसे रखकर भिन्न-भिन्न शब्दों तथा पदोंकी कल्पना-द्वारा संगठित किया गया है *। श्लोक नं० १०२ का उत्तरार्ध है—'श्रीमते वर्द्धमानाय नमो नमितविद्विषे।' अगले दो श्लोकोंका भी यही उत्तरार्ध इसी अक्षर-क्रमको लिये हुए है; परन्तु वहाँ अक्षरोंके विन्यासभेद और पदादिककी जुदी कल्पनाओंसे अर्थ प्रायः बदल गया है।

ॐ श्लोक १०, ८३, ८८, ९५। † श्लोक ५७, ९६, ९८।

‡ श्लोक ८६, ८७। + श्लोक ८५, ९३, ९४।

*देखो, श्लोक ५, १५, २५, ५२, ११-१२, १६-१७, ६७-३८, ४६-४७, ७६-७७, ९३-९४, १०६-१०७।

कितने ही श्लोकग्रन्थमें ऐसे हैं जिनमें पूर्वार्धके विषमसंख्याङ्कअक्षरोंको उत्तरार्ध-
के समसंख्याङ्क अक्षरोंके साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे पूर्वार्ध और उत्तरार्धके
विषमसंख्याङ्कअक्षरोंको पूर्वार्धके समसंख्याङ्क अक्षरोंकेसाथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे
उत्तरार्ध हो जाता है। ये श्लोक 'मुरज' अथवा 'मुरजबन्ध' कहलाते हैं; क्योंकि
इनमें मृदङ्गके बन्धनों-जैसी चित्राकृतिको लिये हुए अक्षरोंका बन्धन रक्खा गया
है। ये चित्रालंकार थोड़े थोड़ेसे अन्तरके कारण अनेक भेदोंको लिये हुए हैं और
अनेक श्लोकोंमें समाविष्ट किये गये हैं। कुछ श्लोक ऐसे भी कलापूर्ण हैं जिनके
प्रथमादि चार चरणोंके चार आद्य अक्षरोंको अन्तिमादि चरणोंके चार अन्तिम
अक्षरोंके साथ मिलाकर पढ़नेसे प्रथम चरण बन जाता है। इसी तरह प्रथमादि
चरणोंके द्वितीयादि अक्षरोंको अन्तिमादि चरणोंके उपान्त्यादि अक्षरोंके साथ
साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेपर द्वितीयादि चरण बनजाते हैं, ऐसे श्लोक 'अर्ध-
अम' कहलाते हैं † ।

कुछ पद्य चक्राकृतिके रूपमें अक्षर-विन्यासको लिये हुए हैं और इससे उनके
कोई कोई अक्षर चक्रमें एक बार लिखे जाकर भी अनेक बार पढ़नेमें आते हैं॥
उनमेंसे कुछमें यह भी खूबी है कि चक्रके गर्भवृत्तमें लिखा जानेवाला जो आदि
अक्षर है वह चक्रकी चार महा दिशाओंमें स्थित चारों आरोंके अन्तमें भी पड़ता
है ‡ । १११ और ११२ नम्बरके पद्योंमें तो वह खूबी और भी बढ़ी चढ़ी है।
उनकी छह आरों और नव वलयोंवाली चक्ररचना करनेपर गर्भमें अथवा केन्द्र-
वृत्तमें स्थित जो एक अक्षर ('न' या 'र') है वही छहों आरोंके प्रथम चतुर्थ
तथा सप्तम वलयमें भी पड़ता है, और इसलिए चक्रमें १६ बार लिखा जाकर २८
बार पढ़ा जाता है। पद्यमें भी वह दो-दो अक्षरोंके अन्तरालसे २८ बार प्रयुक्त
हुआ है। इनके सिवाय, कुछ चक्रवृत्त ऐसे भी हैं जिनमें आदि अक्षरको गर्भमें
नहीं रक्खा गया बल्कि गर्भमें वह अक्षर रक्खा गया है जो प्रथम तीन चरणोंमेंसे

† देखो श्लोक नं० ३, ४, १८, १९, २०, २१, २७, ३६, ४३, ४४,
५६, ६०, ६२ ।

॥ देखो, श्लोक २६, ५३, ५४ आदि । ‡ देखो, श्लोक २२, २३, २४ ।

प्रत्येकके मध्यमें प्रयुक्त हुआ है ‡ । इन्हींमें केवि और काव्यके नामोंको अंकित करनेवाला ११६ वाँ चक्रवृत्त है ।

अनेक पद्य ग्रन्थमें ऐसे हैं जो एकसे अधिक अलंकारोंको साथमें लिये हुए हैं, जिसका एक नमूना ८४ वाँ श्लोक है, जो आठ प्रकारके चित्रालंकारोंसे अलंकृत है * । यह श्लोक अपनी चित्ररचनापरसे सब ओरसे समानरूपमें पढ़ा जाता है ।

कितने ही पद्य ग्रन्थमें ऐसे हैं जो दो-दो अक्षरोंसे बने हैं—दो व्यञ्जनाक्षरोंसे ही जिनका सारा शरीर निर्मित हुआ है † । १४ वाँ श्लोक ऐसा है जिसका प्रत्येक पाद भिन्न प्रकारके एक-एक अक्षरसे बना है और वे अक्षर हैं क्रमशः य, न, म, त, । साथ ही, ‘ततोतिता तु तेतीत’ नामका १६ वाँ श्लोक ऐसा भी है जिसके सारे शरीरका निर्माण एक ही तकार अक्षरसे हुआ है ।

इस प्रकार यह ग्रन्थ शब्दालंकार और चित्रालंकारके अनेक भेद-प्रभेदोंसे अलंकृत है और इसीसे टीकाकार महोदयने टीकाके प्रारंभमें ही इस कृतिको ‘समस्तगुणगणोपेता’ विशेषणके साथ ‘सर्वालंकारभूषिता’ (प्रायः सब अलंकारोंसे भूषित) लिखा है । सचमुच यह गूढ ग्रन्थ ग्रन्थकारमहोदयके अपूर्व काव्य-कौशल, अद्भुत व्याकरण-पाण्डित्य और अद्वितीय शब्दाधिपत्यको सूचित करता है । इसकी दुर्बोधताका उल्लेख टीकाकारने ‘योगिनामपि दुष्करा’—योगियोंके लिये भी दुर्गम (कठिनतासे बोधगम्य)—विशेषणके द्वारा किया है और साथ ही इस कृतिको ‘सद्गुणाधारा’ (उत्तम गुणोंकी आधारभूत) बतलाते हुए ‘सुपद्मिनी’ भी सूचित किया है और इससे इसके अंगोंकी कोमलता, सुरभिता और सुन्दरताका भी सहज सूचन हो जाता है, जो ग्रन्थमें पद-पदपर लक्षित होती है ।

ग्रन्थ-रचनाका उद्देश्य—

इस ग्रन्थकी रचनाका उद्देश्य, ग्रन्थके प्रथम पद्यमें ‘आगसां जये’ वाक्यके द्वारा ‘पापोंको जीतना’ बतलाया है और दूसरे अनेक पद्योंमें भी जिनस्तुतिसे

‡ देखो, पद्य नं० ११०, ११३, ११४, ११५, ११६ ।

* देखो, बीरसेवामन्दिरसे प्रकाशितग्रन्थ पृष्ठ नं० १०३, १०४ का फुटनोट ।

† दोनों, पद्य नं० ५१, ५२, ५५, ८५, ९३, ९४, ९७, १००, १०६ ।

पापोंको जीते जानेका भाव व्यक्त किया है। परन्तु जिनस्तुतिसे पाप कैसे जीते जाते हैं यह एक बड़ा ही रहस्यपूर्ण विषय है। यहाँ उसके स्पष्टीकरणका विशेष अवसर नहीं है, फिर भी संक्षेपमें इतना जरूर बतला देना होगा कि जिन तीर्थङ्करोंकी स्तुति की गई है वे सब पाप-विजेता हुए हैं—उन्होंने अज्ञान-मोह तथा काम-क्रोधादि पापप्रकृतियोंपर पूर्णतः विजय प्राप्त की है। उनके चिन्तन और आराधनसे अथवा हृदयमन्दिरमें उनके प्रतिष्ठित (विराजमान) होनेसे पाप खड़े नहीं रह सकते—पापोंके दृढ बन्धन उसी प्रकार ढीले पड़ जाते हैं जिस प्रकार कि चन्दनके वृक्षपर मोरके आनेसे उससे लिपटे हुए साँप ढीले पड़ जाते हैं और वे अपने विजेतासे घबराकर कहीं भाग निकलनेकी ही सोचने लगते हैं ॐ। अथवा यों कहिये कि उन पुण्यपुरुषोंके ध्यानादिकसे आत्माका वह निष्पाप शुद्ध स्वरूप सामने आता है जो सभी जीवोंकी सामान्य सम्पत्ति है और जिसे प्राप्त करनेके सभी भव्य जीव अधिकारी हैं। उस शुद्धस्वरूपके सामने आते ही अपनी उस भूली हुई निधिका स्मरण हो उठता है, उसकी प्राप्तिके लिये प्रेम तथा अनुराग जाग्रत हो जाता है और पाप-परिराति सहज ही छूट जाती है। अतः जिन पूतात्माओंमें वह शुद्धस्वरूप पूर्णतः विकसित हुआ है उनकी उपासना करता हुआ भव्यजीव अपनेमें उस शुद्धस्वरूपको विकसित करनेके लिये उसी तरह समर्थ होता है जिस तरह कि तैलादिकसे सुसज्जित बत्ती दीपककी उपासना करती हुई उसके चरणोंमें जब तन्मयताकी दृष्टिसे अपना मस्तक रखती है तो तद्रूप हो जाती है—स्वयं दीपक बनकर जगमगा उठती है। यह सब भक्ति-योगका माहात्म्य है, स्तुति-पूजा और प्रार्थना जिसके प्रधान अंग हैं। साधु स्तोताकी स्तुति कुशल-परिणामोंकी—पुण्य-प्रसाधक शुभभावोंकी—निमित्तभूत होती है और अशुभ अथवा पापकी निवृत्तिरूप वे कुशल-परिणाम ही आत्माके विकासमें सहायक होते हैं। इसीसे स्वामी समन्तभद्रने

ॐ “हृद्वर्तिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवन्ति

जन्तोः क्षणेण निबिडा अपि कर्मबन्धाः ।

सद्यो भुजंगममया इव मध्यभाग-

मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥” — कल्याणमन्दिर

अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें, परमात्माकी—परम वीतराग-सर्वज्ञ-जिनदेवकी—स्तुतिको कुशल-परिणामोंकी हेतु बतलाकर उसके द्वारा कल्याणमार्गको सुलभ और स्वाधीन बतलाया है † । साथ ही यह भी बतलाया है कि पुण्य-गुणोंका स्मरण आत्मासे पापमलको दूर करके उसे पवित्र बनाता है ‡ । और स्तुतिविद्या (११४) में जिनदेवकी ऐसी सेवाको अपने 'तेजस्वी' तथा 'सुकृती' होने आदिका कारण निर्दिष्ट किया है ।

परन्तु स्तुति कोरी स्तुति, तोता-रटन्त अथवा रूढिका पालन-मात्र न हो कर सच्ची स्तुति होनी चाहिये—स्तुतिकर्ता स्तुत्यके गुणोंकी अनुभूति करता हुआ उनमें अनुरागी होकर तद्रूप होने अथवा उन आत्मीय गुणोंको अपनेमें विकसित करनेकी शुद्ध-भावनासे सम्पन्न होना चाहिये, तभी स्तुतिका ठीक उद्देश्य एवं फल (पापोंको जीतना) घटित हो सकता है और वह ग्रन्थकारके शब्दोंमें 'जन्मारण्यशिखी' (११५)—भवभ्रमणरूप संसार-वनको दहनकरनेवाली अग्नि—तक बनकर आत्माके पूर्ण विकासमें सहायक हो सकती है ।

और इसलिये स्तुत्यकी प्रशंसामें अनेक चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर उसे प्रसन्न करना और उसकी उस प्रसन्नता-द्वारा अपने लौकिक कार्योंको सिद्ध-करना—कराना—जैसा कोई उद्देश्य भी यहाँ अभीष्ट नहीं है । परमवीतरागदेवके साथ वह घटित भी नहीं हो सकता; क्योंकि सच्चिदानन्दरूप होनेसे वह सदा ही ज्ञान तथा आनन्दमय है, उसमें रागका कोई अंश भी विद्यमान नहीं है, और इसलिये किसीकी पूजा-वन्दना या स्तुति-प्रशंसासे उसमें नवीन प्रसन्नताका कोई संचार नहीं होता और न वह अपनी स्तुति-पूजा करनेवालेको पुरस्कारमें कुछ देता-दिलाता ही है । इसी तरह आत्मामें द्वेषांशके न रहनेसे

† “स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा

भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।

किमेवं स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे

स्तुत्यान् त्वा विद्वान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम् ॥११६॥”

‡ “ तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥”

वह किसीकी निन्दा या अवज्ञापर कभी अप्रसन्न नहीं होता, कोप नहीं करता और न दण्ड देने-दिलानेका कोई भाव ही मनमें लाता है। निन्दा और स्तुति दोनों ही उसके लिये समान हैं, वह दोनोंके प्रति उदासीन है, और इस लिये उनसे उसका कुछ भी बनता या बिगड़ता नहीं है। फिर भी उसका एक निन्दक स्वतः दण्ड पा जाता है और एक प्रशंसक अभ्युदयको प्राप्त होता है, यह सब कर्मों और उनकी फल-प्रदान-शक्तिका बड़ा ही वैचित्र्य है, जिसे कर्मसिद्धान्तके अध्ययनसे भले प्रकार जाना जा सकता है। इसी कर्म-फल-वैचित्र्यको ध्यानमें रखते हुए स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयम्भूस्तोत्र में कहा है—

सुहृत्त्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते द्विषंस्त्वयि प्रत्यय-वत्प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो ! परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥६६॥

‘हे भगवन् ! आप मित्र और शत्रु दोनोंके प्रति अत्यन्त उदासीन हैं। मित्रसे कोई अनुराग और शत्रुसे कोई प्रकारका द्वेषभाव नहीं रखते, इसीसे मित्रके कार्योंसे प्रसन्न होकर उसका भला नहीं चाहते और न शत्रुके कार्योंसे अप्रसन्न होकर उसका बुरा मनाते हैं—, फिर भी आपका मित्र (अपने गुणानुराग, प्रेम और भक्तिभावके द्वारा) श्रीविशिष्ट सौभाग्यको अर्थात् ज्ञानादि लक्ष्मीके आधिपत्यरूप अभ्युदयको प्राप्त होता है और एक शत्रु (अपने गुणद्वेषी परिणामके द्वारा) ‘क्वक्’ प्रत्ययादिकी तरह विनाशको—अपकर्षको—प्राप्त हो जाता है, यह आपका ईहित-चरित्र बड़ा ही विचित्र है !!

ऐसी स्थितिमें ‘स्तुति’ सचमुच ही एक विद्या है। जिसे यह विद्या सिद्ध होती है वह सहज ही पापोंको जीतने और अपना आत्मविकास सिद्ध करनेमें समर्थ होता है ‡। इस विद्याकी सिद्धिके लिये स्तुत्यके गुणोंका परिचय चाहिये, गुणोंमें वर्द्धमान अनुराग चाहिये, स्तुत्यके गुण ही आत्म-गुण हैं और उनका विकास अपने आत्मामें हो सकता है ऐसी दृढ श्रद्धा चाहिये। साथ ही,

‡ इसीसे टीकाकारने स्तुतिविद्याको ‘धन-कठिन-घातिकर्मन्धन-दहन-समर्थ’ लिखा है—अर्थात् यह बतलाया है कि ‘वह धने कठोर घातियाकर्मरूपी ईन्धनको भस्म करनेवाली समर्थ अग्नि है’, और इससे पाठक ग्रन्थके आध्यात्मिक महत्त्वका कितना ही अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

मन-वचन-कायरूप योगको स्तुत्यके प्रति एकाग्र करनेकी कला आनी चाहिये । इसी योग-साधनारूप कलाके द्वारा स्तुत्यमें स्थित प्रकाशसे अपनो स्नेहसे—भक्तिरससे—भीगी हुई आत्म-बत्तीको प्रकाशित और प्रज्वलित किया जाता है ।

वस्तुतः पुरातन आचार्योंने—ग्रन्थ-पूर्वादिके पाठी महर्षियोंने—वचन और कायको अन्य व्यापारोंसे हटाकर स्तुत्य (उपास्य) के प्रति एकाग्र करनेको ‘द्रव्यपूजा’ और मनकी नाना-विकल्पजनित व्यग्रताको दूर करके उसे ध्यान तथा गुणचिन्तनादिके द्वारा स्तुत्यमें लीन करनेको ‘भावपूजा’ बतलाया है । प्राचीनोंकी इस द्रव्यपूजा आदिके भावको श्रीअमितगति आचार्योंने अपने उपासकाचार (वि० ११वीं शताब्दी) के निम्न वाक्यमें प्रकट किया है—

“ वचोविग्रह-संकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते ।

तत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातनैः ॥”

स्तुति-स्तोत्रादिके रूपमें ये भक्तिपाठ ही उस समय हमारे पूजा-पाठ थे, ऐसा उपासना-साहित्यके अनुसन्धानसे जाना जाता है । आधुनिक पूजापाठोंकी तरहके कोई भी दूसरे पूजापाठ उस समयके उपलब्ध नहीं हैं । उस समय मुमुक्षु-जन एकान्त-स्थानमें बैठकर अथवा अर्हत्प्रतिमा आदिके सामने स्थित होकर बड़े ही भक्तिभावके साथ विचार-पूर्वक इन स्तुतिस्तोत्रोंको पढ़ते थे और सब कुछ भूल-भुलाकर स्तुत्यके गुणोंमें लीन हो जाते थे; तभी अपने उद्देश्यमें सफल और अपने लक्ष्यको प्राप्त करनेमें समर्थ होते थे । ग्रन्थकारमहोदय उन्हीं मुमुक्षुजनोंके अग्रणी थे । उन्होंने स्तुतिविद्याके मार्गको बहुत ही परिष्कृत और प्रशस्त किया है ।

वीतरागसे प्रार्थना क्यों ?

स्तुतिविद्याका उद्देश्य प्रतिष्ठित होजानेपर अब एक बात और प्रस्तुत की जाती है और वह यह कि, जब वीतराग अर्हन्तदेव परम उदासीन होनेसे कुछ करते-धरते नहीं तब ग्रन्थमें उनसे प्रार्थनाएँ क्यों की गई हैं और क्यों उनमें व्यर्थ ही कर्तृत्व-विषय-का आरोप किया गया है ? यह प्रश्न बड़ा सुन्दर है

और सभीके लिये इसका उत्तर वांछनीय एवं जाननेके योग्य है। अतः अब इसीके समाधानका यहां प्रयत्न किया जाता है।

सबसे पहली बात इस विषयमें यह जान लेनेकी है कि इच्छापूर्वक अथवा बुद्धिपूर्वक किसी कामको करनेवाला ही उसका कर्ता नहीं होता बल्कि अनिच्छा-पूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक कार्य करनेवाला भी कर्ता होता है। वह भी कार्यका कर्ता होता है जिसमें इच्छा या बुद्धिका प्रयोग ही नहीं बल्कि सद्भाव (अस्तित्व) भी नहीं अथवा किसी समय उसका संभव भी नहीं है। ऐसे इच्छाशून्य तथा बुद्धिविहीन कर्ता कामोंके प्रायः निमित्तकारण ही होते हैं और प्रत्यक्षरूपमें उनके कर्ता जड और चेतन दीनों ही प्रकारके पदार्थ हुआ करते हैं। इस विषयके कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते हैं, उनपर जरा ध्यान दीजिये—

(१) 'यह दवाई अमुक रोगको हरनेवाली है।' यहां दवाईमें कोई इच्छा नहीं और न बुद्धि है, फिर भी वह रोगको हरनेवाली है—रोगहरण कार्यकी कर्ता कही जाती है; क्योंकि उसके निमित्तसे रोग दूर होता है।

(२) 'इस रसायनके प्रसादसे मुझे नीरोगताकी प्राप्ति हुई।' यहां 'रसायन' जड-औषधियोंका समूह होनेसे एक जड पदार्थ है; उसमें न इच्छा है, न बुद्धि और न कोई प्रसन्नता; फिर भी एक रोगी प्रसन्नचित्तसे उस रसायनका सेवन करके उसके निमित्तसे आरोग्य-लाभ करता है और उस रसायनमें प्रसन्नताका आरोप करता हुआ उक्त वाक्य कहता है। यह सब लोक-व्यवहार है अथवा अलंकारोंकी भाषामें कहनेका एक प्रकार है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि 'मुझे इस रसायन या दवाईने अच्छा कर दिया' जब कि उसने बुद्धिपूर्वक या इच्छापूर्वक उसके शरीरमें कोई काम नहीं किया। हाँ, उसके निमित्तसे शरीरमें रोगनाशक तथा आरोग्यवर्धक कार्य जरूर हुआ है और इसलिये वह उसका कार्य कहा जाता है।

(३) एक मनुष्य छत्री लिये जा रहा था और दूसरा मनुष्य बिना छत्रीके सामनेसे आ रहा था। सामनेवाले मनुष्यकी दृष्टि जब छत्रीपर पड़ी तो उसे अपनी छत्रीकी याद आगई और यह स्मरण हो आया कि 'मैं अपनी छत्री अमुक दुकानपर भूलआया हूँ', चुनाँचे वह तुरन्त ही वहाँ गया और अपनी छत्री ले आया और आकर कहने लगा—'तुम्हारी इस छत्रीका मैं बहुत आभारी हूँ,

इसने मुझे मेरी भूली हुई छत्रीकी याद दिलाई है ।' यहाँ छत्री एक जडवस्तु है, उसमें बोलनेकी शक्ति नहीं, वह कुछ बोली भी नहीं और न उसने बुद्धिपूर्वक छत्री भूलनेकी वह बात ही सुभाई है, फिर भी चूँकि उसके निमित्तसे भूली हुई छत्रीकी स्मृतिआदिरूप यह सब कार्य हुआ है इसीसे अलंकृत भाषामें उसका आभार माना गया है ।

(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीको देखते ही उसपर आसक्त होगया, तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके दीवाना बन गया और कहने लगा—'उस स्त्रीने मेरा मन हर लिया, मेरा चित्त चुरा लिया, मेरे ऊपर जादू कर दिया ! मुझे पागल बना दिया ! अब मैं बेकार हूँ और मुझसे उसके बिना कुछ भी करते-धरते नहीं बनता ।' परन्तु उस बेचारी स्त्रीको इसकी कोई खबर नहीं—किसी बातका पता तक नहीं और न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धिपूर्वक कोई कार्य ही किया है—उस पुरुषने ही कहीं जाते हुए उसे देख लिया है, फिर भी उस स्त्रीके निमित्तको पाकर उस मनुष्यके आत्म-दोषोंको उत्तेजना मिली और उसकी यह सब दुर्दशा हुई । इसीसे वह उसका सारा दोष उस स्त्रीके मत्थे मढ़ रहा है; जब कि वह उसमें अज्ञातभावसे एक छोटासा निमित्त कारण बनी है, बड़ा कारण तो उस मनुष्यका ही आत्मदोष था ।

(५) एक दुःखित और पीड़ित गरीब मनुष्य एक सन्तके आश्रयमें चला गया और बड़े भक्तिभावके साथ उस सन्तकी सेवा-शुश्रूषा करने लगा । वह सन्त संसार-देह-भोगोंसे विरक्त है—वैराग्यसम्पन्न है—किसीसे कुछ बोलता कहता नहीं—सदा मौनसे रहता है । उस मनुष्यकी अपूर्व भक्तिको देखकर पिछले भक्त लोग सब दंग रह गये ! अपनी भक्तिको उसकी भक्तिके आगे नगण्य गिनने लगे और बड़े आदर-सत्कारके साथ उस नवागन्तुक भक्तहृदय मनुष्यको अपने-अपने घर भोजन कराने लगे और उसकी दूसरी भी अनेक आवश्यकताओंकी पूर्ति गड़े प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वह सुखसे अपना जीवन व्यतीत करने लगा । कभी-कभी वह भक्तिमें विह्वल होकर सन्तके चरणोंमें गिर पड़ता और बड़े ही कम्पित स्वरमें गिडगिड़ाता हुआ कहने लगता—'हे नाथ ! आप ही मुझ दीन-हीनके रक्षक हैं, आप ही मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे वह भोजन दिया है जिससे मेरी जन्म-जन्मान्तरकी भूख मिट

गई है। आपके चरण-शरणमें आनेसे ही मैं सुखी बन गया हूँ, आपने मेरे सारे दुःख मिटा दिये हैं और मुझे वह दृष्टि प्रदान की है जिससे मैं अपनेको और जगतको भले प्रकार देख सकता हूँ। अब दया कर इतना अनुग्रह और कीजिये कि मैं जल्दी ही इस संसारके पार हो जाऊँ।' यहाँ भक्त-द्वारा सन्तके विषयमें जो कुछ कहा गया है वैसा उस सन्तने स्वेच्छासे कुछ भी नहीं किया। उसने तो भक्तके भोगादिकी व्यवस्थाके लिये किसीको संकेत तक भी नहीं किया और न अपने भोजनमेंसे कभी कोई ग्रास ही उठा कर उसे दिया है; फिर भी उसके भोजनादिकी सब व्यवस्था हो गई। दूसरे भक्तजन स्वयं ही बिना किसीकी प्रेरणाके उसके भोजनादिकी व्यवस्था करनेमें प्रवृत्त हो गये और वैसा करके अपना अहोभाग्य समझने लगे। इसी तरह सन्तने उस भक्तको लक्ष्य करके कभी कोई खास उपदेश भी नहीं दिया, फिर भी वह भक्त उस सन्तकी दिनचर्या और अवाग्विसर्ग (मौनोपदेशरूप) मुख-मुद्रादिकपरसे स्वयं ही उपदेश ग्रहण करता रहा और प्रबोधको प्राप्त हो गया। परन्तु यह सबकुछ घटित होनेमें उस सन्त पुरुषका व्यक्तित्व ही प्रधान निमित्त कारण रहा है—भले ही वह कितना ही उदासीन क्यों न हो। इसीसे भक्त-द्वारा उसका सारा श्रेय उक्त सन्तपुरुषको ही दिया गया है।

इन सब उदाहरणोंपरसे यह बात सहज ही समझमें आजाती है कि किसी कार्यका कर्ता या कारण होनेके लिये यह लाजिमी (अनिवार्य) अथवा ज़रूरी नहीं है कि उसके साथमें इच्छा, बुद्धि तथा प्रेरणादिक भी हों, वह उनके बिना भी हो सकता है और होता है। साथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी वस्तुको अपने हाथसे उठाकर देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरणा करके अथवा आदेश देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नहीं होता बल्कि ऐसा न करते हुए भी दाता होता है, जब कि उसके निमित्तसे, प्रभावसे, आश्रयमें रहनेसे, सम्पर्कमें आनेसे, कारणका कारण बननेसे कोई वस्तु किसीको प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थितिमें परमवीतराग श्रीअर्हन्तादिदेवोंमें कर्तृत्वादि-विषयका आरोप व्यर्थ नहीं कहा जा सकता—भले ही वे अपने हाथसे सीधा (direct) किसी का कोई कार्य न करते हों, मोहनीय कर्मके अभावसे उनमें इच्छाका अस्तित्व तक न हो और न किसीको उस कार्यकी प्रेरणा या आज्ञा देना ही उनसे बनता

हो । क्योंकि उनके पुण्यस्मरण, चिन्तन, पूजन, कीर्तन, स्तवन और आराधनसे जब पापकर्मोंका नाश होता है, पुण्यकी वृद्धि और आत्माकी विशुद्धि होती है—जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है—तब फिर कौन कार्य है जो अटका रह जाय * ? सभी कार्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं, भक्त जनोंकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, और इसलिये उन्हें यही कहना पड़ता है कि 'हे भगवन् आपके प्रसादसे मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया; जैसे कि रसायनके प्रसादसे आरोग्यका प्राप्त होना कहा जाता है । रसायन-औषधि जिस प्रकार अपना सेवन करनेवालेपर प्रसन्न नहीं होती और न इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य ही सिद्ध करती है उसी तरह वीतराग भगवान् भी अपने सेवकपर प्रसन्न नहीं होते और न प्रसन्नताके फल-स्वरूप इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य सिद्धकरनेका प्रयत्न ही करते हैं । प्रसन्नता-पूर्वक सेवन-आराधनके कारण ही दोनोंमें—रसायन और वीतरागदेवमें—प्रसन्नताका आरोप किया जाता है और यह अलंकृत भाषाका कथन है । अन्यथा, दोनोंका कार्य वस्तुस्वभावके वशवर्ती, संयोगोंकी अनुकूलताको लिये हुए, स्वतः होता है—उसमें किसीकी इच्छा अथवा प्रसन्नतादिकी कोई बात नहीं है ।

यहाँ पर कर्मसिद्धान्तकी दृष्टिसे एक बात और प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि, संसारी जीव मनसे वचनसे या कायसे जो क्रिया करता है उससे आत्मामें कम्पन (हलन-चलन) होकर द्रव्यकर्मरूप परिणत हुए पुद्गल परमाणु-ओंका आत्म-प्रवेश होता है, जिसे 'आस्रव' कहते हैं । मन-वचन-कायकी यह क्रिया यदि शुभ होती है तो उससे शुभकर्मका और अशुभ होती है तो अशुभ कर्मका आस्रव होता है । तदनुसार ही बन्ध होता है । इस तरह कर्म शुभ-अशुभके भेदसे दो भागोंमें बँटा रहता है । शुभकार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे शुभकर्म अथवा पुण्यप्रकृति और अशुभ कार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे अशुभकर्म अथवा पापप्रकृति कहते हैं । शुभाऽशुभ-भावोंकी तरंगमत्ता और कषायादि परिणामोंकी तीव्रता-मन्दतादिके कारण इन कर्मप्रकृतियोंमें बराबर परिवर्तन, (उलटफेर) अथवा संक्रमण हुआ करता है । जिस

* 'पुण्यप्रभावात् किं किं न भवति'—'पुण्यके प्रभावसे क्या-क्या नहीं होता' ऐसी लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है ।

समय जिस प्रकारकी कर्मप्रकृतियोंके उदयका प्राबल्य होता है उस समय कार्य प्रायः उन्हींके अनुरूप निष्पन्न होता है। वीतरागदेवकी उपासनाके समय उनके पुण्यश्रुणोंका प्रेमपूर्वक स्मरण एवं चिन्तन करने और उनमें अनुराग बढ़ानेसे शुभभावों (कुशलपरिणामों)की उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणति छूटती और पुण्य-परिणति उसका स्थान लेती है। नतीजा इसका यह होता है कि हमारी पापप्रकृतियोंका रस (अनुभाग) सूखता और पुण्यप्रकृतियोंका रस बढ़ता है। पापप्रकृतियोंका रस सूखने और पुण्यप्रकृतियोंमें रस बढ़नेसे 'अन्तरायकर्म' नामकी प्रकृति, जो कि एक मूल पापप्रकृति है और हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य (शक्ति-बल) में विघ्नरूप रहा करती है—उन्हें होने नहीं देती—वह भग्नरस होकर निर्वल पड़ जाती है और हमारे इष्ट कार्यको बाधा पहुँचानेमें समर्थ नहीं रहती। तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, विगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं और उन सबका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है। इसीसे स्तुति-बन्दनादिको इष्टफलकी दाता कहा है; जैसा कि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकदिमें उद्धृत एक आचार्यमहोदयके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“नेष्टं विहन्तुं शुभभाव-भग्न-रसप्रकर्षः प्रभुरन्तरायः।

तत्कामचारेण गुणानुरागान्नुत्यादिरिष्टार्थकदाऽर्हदादेः॥”

जब भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तुति-बन्दनादि कार्य इष्ट-फलको देनेवाले हैं और वीतरागदेवमें कर्तृत्व-विषयका आरोप सर्वथा असंगत तथा व्यर्थ नहीं है बल्कि ऊपरके निर्देशानुसार संगत और सुघटित है—वे स्वेच्छा-बुद्धि-प्रयत्नादिकी दृष्टिसे कर्ता न होते हुए भी निमित्तादिकी दृष्टिसे कर्ता जरूर हैं और इसलिये उनके विषयमें अकर्तापनका सर्वथा एकान्त पक्ष घटित नहीं होता; तब उनसे तद्विषयक अथवा ऐसी प्रार्थनाओंका किया जाना भी असंगत नहीं कहा जा सकता जो उनके सम्पर्क तथा शरणमें आनेसे स्वयं सफल हो जाती हैं अथवा उपासना एवं भक्तिके द्वारा सहज-साध्य होती हैं। वास्तवमें परमवीतरागदेवसे प्रार्थना एक प्रकारकी भावना है अथवा यों कहिये कि अलंकारकी भाषामें देवके समक्ष अपनी मनःकामनाको व्यक्त करके यह प्रकट करना है कि 'मैं' आपके चरण-

शरणमें रहकर और उससे पदार्थपाठ लेकर आत्मशक्तिको जागृत एवं विकसित करता हुआ अपनी उस इच्छाको पूरा करनेमें समर्थ होना चाहता हूँ।' उसका यह आशय कदापि नहीं होता कि, 'हे वीतराग देव ! आप अपने हाथ-पैर हिलाकर मेरा असुक काम करदो, अपनी जबान चलाकर या अपनी इच्छाशक्ति-को काममें लाकर मेरे कार्यके लिये किसीको प्रेरणा कर दो, आदेश दे दो अथवा सिफारिश कर दो; मेरा अज्ञान दूर करनेके लिये अपना ज्ञान या उसका एक टुकड़ा तोड़कर मुझे दे दो; मैं दुखी हूँ, मेरा दुख आप ले लो और मुझे अपना सुख दे दो; मैं पापी हूँ, मेरा पाप आप अपने सिरपर उठालो—स्वयं उसके जिम्मेदार बन जाओ—और मुझे निष्पाप बना दो।' ऐसा आशय असम्भाव्यको सम्भाव्य बनाने जैसा है और देवके स्वरूपसे अनभिज्ञता व्यक्त करता है।

ग्रन्थकारमहोदय देवरूपके पूर्णपरीक्षक और बहुविज्ञ थे। उन्होंने अपने स्तुत्यदेवके लिये जिन विशेषणपदों तथा सम्बोधनपदोंका प्रयोग किया है और अपने तथा दूसरोंके लिये जैसी कुछ प्रार्थनाएँ की हैं उनमें असम्भाव्य—जैसी कोई बात नहीं है—वे सब जँचे तुले शब्दोंमें देवगुणोंके अनुरूप, स्वाभाविक, सुसंभाव्य, युक्तिसंगत और सुसंघटित हैं। उनसे देवके गुणोंका बहुत बड़ा परिचय मिलता है और देवकी साकार मूर्ति सामने आ जाती है। ऐसी ही मूर्तिको अपने हृदय-पटलपर अंकित करके ग्रन्थकारमहोदय उसका ध्यान, भजन तथा आराधन किया करते थे; जैसा कि उनके “स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चारु भजत्ययम्” (१०१) इस वाक्यसे जाना जाता है। मैं चाहता था कि उन विशेष-णादिपदों तथा प्रार्थनाओंका दिग्दर्शन कराते हुए यहाँ उनपर कुछ विशेष प्रकाश डालूँ और इसके लिये मैंने उनकी एक सूची भी तय्यार की थी; परन्तु यह कृति धारणासे अधिक लम्बी होती चली जाती है अतः उस विचारको यहाँ छोड़ना ही इष्ट जान पड़ता है। मैं समझता हूँ ऊपर इस विषयमें जो कुछ लिखा गया है उसपरसे सहृदय पाठक स्वयं ही उन सबका सामंजस्य स्थापित करनेमें समर्थ हो सकेगे। वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित ग्रंथके हिन्दी अनुवादमें कहीं-कहीं कुछ बातोंका स्पष्टोक्तिकरण किया गया है, जहाँ नहीं किया गया और सामान्यतः पदोंका अनुवाद मात्र दे दिया गया है वहाँ भी अन्यत्र कथनके अनुरूप उसका आशय समझना चाहिये।

ग्रन्थटीका और टीकाकार—

इस ग्रन्थरत्नपर वर्तमानमें एक ही संस्कृत टीका उपलब्ध है, जिसके कर्ताका विषय कुछ जटिलसा हो रहा है। आम-तौरपर इस टीकाके कर्ता नरसिंह नामके कोई महाकवि समझे जाते हैं, जिनका विशेष परिचय अज्ञात है, और उसका कारण प्रायः यही जान पड़ता है कि अनेक हस्तलिखित प्रतियोंके अन्तमें इस टीकाको 'श्रीनरसिंहमहाकवि-भव्योत्तमविरचिता' लिखा है॥ स्व० पं० पन्नालालजी बाकलीवालने इस ग्रन्थका 'जिनशतक' नामसे जो पहला संस्करण सन् १९१२ में जयपुरकी एक ही प्रतिके आधारपर प्रकट किया था उसके टाइपलपेजपर नरसिंहके साथ 'भट्ट' शब्द और जोड़कर इसे 'नरसिंहभट्टकृतव्याख्या' बना दिया था और तबसे यह टीका नरसिंहभट्टकृत समझी जाने लगी है। परन्तु 'भट्ट' विशेषणकी जयपुरकी किसी प्रतिमें तथा देहली धर्मपुराके नयामन्दिरकी प्रतिमें भी उपलब्धि नहीं हुई और इसलिये नरसिंहका यह 'भट्ट' विशेषण तो व्यर्थ ही जान पड़ना है। अब देखना यह है कि इस टीकाके कर्ता वास्तवमें नरसिंह ही हैं या कोई दूसरे विद्वान्।

श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'जैनसाहित्य और इतिहास' नामक ग्रन्थके ३२वेंप्रकरणमें इस चर्चाको उठाया है और टीकाके प्रारम्भमें दिये हुए सात † पद्योंकी स्थिति और अर्थ पर विचार करते हुए अपना जो मत व्यक्त किया है उसका सार इस प्रकार है—

॥ बाबा दुलीचन्दजी जयपुरके शास्त्रभण्डारकी प्रति नं० २१६ और २६६ के अन्तमें लिखा है—'इति कविगमकवादिवाग्मिगुणालंकृतस्य श्रीसमन्तभद्रस्य कृतिरियं जिनशतालंकारनाम समाप्ता ॥ टीका श्रीनरसिंहमहाकविभव्योत्तमविरचिता समाप्ता ॥

† बाबा दुलीचन्दजी जयपुरके भण्डारकी मूल ग्रन्थकी दो प्रतियों नं० ४१५, ४५४ में भी ये सातों पद्य दिये हुए हैं, जो कि लेखकोंकी असावधानी और नासमझीका परिणाम है; क्योंकि मूलकृतिके ये पद्य कोई अंग नहीं हैं।

(१) इस टीकाके कर्ता 'नरसिंह' नहीं किन्तु 'वसुनन्दि' जान पड़ते हैं अन्यथा छठे पद्यमें प्रयुक्त 'कुरुते वसुनन्द्यपि' वाक्यकी संगति नहीं बैठती ।

(२) एक तो नरसिंहकी सहायतासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभावसे वसुनन्दि इस टीकाको बनानेमें समर्थ हुए ।

(३) पद्योंका ठीक अभिप्राय समझमें न आनेके कारण ही भाषाकार (पं० लालाराम) ने इस वृत्तिको अपनी कल्पनासे 'भव्योत्तमनरसिंहभट्टकृत' छपा दिया ।

इस मत की तीसरी बातमें तो कुछ तथ्य मालूम नहीं होता; क्योंकि हस्त-लिखित प्रतियोंमें टीकाको भव्योत्तमनरसिंहकृत लिखा ही है और इसलिये 'भट्टविशेषणको छोड़कर वह भाषाकारकी कोई निजी कल्पना नहीं है । दूसरी बातका यह अंश ठीक नहीं जँचता कि वसुनन्दिने नरसिंहकी सहायतासे टीका बनाई; क्योंकि नरसिंहके लिये परोक्षभूतकी क्रिया 'बभूव' का प्रयोग किया गया है, जिससे मालूम होता है कि वसुनन्दिने उसका अस्तित्व नहीं था । अब रही पहली बात, वह प्रायः ठीक जान पड़ती है; क्योंकि टीकाके नरसिंहकृत होनेसे उसमें छठे पद्यकी ही नहीं किन्तु चौथे पद्यकी भी स्थिति ठीक नहीं बैठती । ये दोनों पद्य अपने मध्यवर्ती पद्यसहित निम्न प्रकार हैं:—

तस्याः प्रबोधकः कश्चिन्नास्तीति विदुषां मतिः ।

यावत्तावद्बभूवैको नरसिंहो विभाकरः ॥ ४ ॥

दुर्गमं दुर्गमं काव्यं श्रूयते महतां वचः ।

नरसिंहं पुनः प्राप्तं सुगमं सुगमं भवेत् ॥ ५ ॥

स्तुतिविद्यां समाश्रित्य कस्य न क्रमते मतिः ।

तद्वृत्तिं येन जाड्ये तु कुरुते वसुनन्द्यपि ॥ ६ ॥

यहां ४थे पद्यमें यह बतलाया है कि 'जब तक एक नरसिंह नामका सूर्य उस भूतकालमें उदित नहीं हुआ था जो अपने लिये परोक्ष है, तब तक विद्वानोंका यह मत था कि समन्तभद्रकी 'स्तुतिविद्या' नामकी सुपद्यिनीका कोई प्रबोधक—उसके अर्थको खोलने-खिलाने वाला—नहीं है ।' इस वाक्यका, जो परोक्षभूतके क्रियापद 'बभूव' को साथमें लिये हुए है, उस नरसिंहके द्वारा कहा जाना नहीं

बनता जो स्वयं टीकाकार हो । पाँचवें पद्यमें यह प्रकट किया गया है कि 'महान् पुरुषोंका ऐसा वचन सुना जाता है कि नरसिंहको प्राप्त हुआ दुर्गमसे, दुर्गम काव्य भी सुगमसे सुगम हो जाता है ।' इसमें कुछ बड़ोंकी नरसिंहके विषयमें काव्यमर्मज्ञ होने विषयक सम्मतिका उल्लेखमात्र है और इसलिये यह पद्य नरसिंहके समयका स्वयं उसके द्वारा उक्त तथा उसके बादका भी हो सकता है । शेष छठे पद्यमें स्पष्ट लिखा ही है कि स्तुतिविद्याको समाश्रित करके किसकी बुद्धि नहीं चलती ? —जरूर चलती और प्रगति करती है । यही वजह है कि जडमति होते हुए वसुनन्दी भी उस स्तुतिविद्याकी वृत्ति कर रहा है । और इससे अगले पद्यमें आश्रयका महत्व ख्यापित किया गया है ।

ऐसी स्थिति में यही कहना पड़ता है कि यह वृत्ति (टीका) वसुनन्दीकी कृति है—नरसिंहकी नहीं । नरसिंहकी वृत्ति वसुनन्दीके सामने भी मालूम नहीं होती, इसलिये प्रस्तुत वृत्तिमें उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता । जान पड़ता है वह उस समय तक नष्ट हो चुकी थी और उसकी 'किंवदन्ती' मात्र रह गई थी । अस्तु; इस वृत्तिके कर्ता वसुनन्दी संभवतः वे ही वसुनन्दी आचार्य जान पड़ते हैं जो देवागमवृत्तिके कर्ता हैं; क्योंकि वहाँ भी 'वसुनन्दिना जडमतिना' जैसे शब्दोंद्वारा वसुनन्दीने अपने को 'जडमति' सूचित किया है और समन्तभद्रका स्मरण भी वृत्तिके प्रारम्भमें किया गया है । साथ ही, दोनों वृत्तियोंका ढंग भी समान है—दोनोंमें पद्योंके पदक्रमसे अर्थ दिया गया है और 'किमुक्तं भवति', 'एतदुक्तं भवति'—जैसे वाक्योंके साथ अर्थका समुच्चय अथवा सारसंग्रह भी यथारुचि किया गया है । हाँ, प्रस्तुत वृत्तिके अन्तमें समाप्ति-सूचक वैसे कोई गद्यात्मक या पद्यात्मक वाक्य नहीं हैं जैसे कि देवागमवृत्तिके अन्तमें पाये जाते हैं । यदि वे होते तो एककी वृत्तिको दूसरेकी वृत्ति समझ लेने-जैसी गड़बड़ ही न हो पाती । बहुत संभव है कि वृत्तिके अन्तमें कोई प्रशस्ति-पद्य रहा हो और वह किसी कारणवश प्रति-लेखकोंसे छूट गया हो; जैसा कि अन्य अनेक ग्रन्थोंकी प्रतियोंमें हुआ है और खोजसे जाना गया है । उसके छूट जाने अथवा खण्डित होजानेके कारण ही किसीने उस पुष्पिकाकी कल्पना की हो जो आधुनिक (१०० वर्षके भीतरकी) कुछ प्रतियोंमें पाई जाती है । इस ग्रन्थकी अभी तक कोई प्राचीन प्रति सामने नहीं आई । अ

प्राचीन प्रतियोंकी खोज होनी चाहिये, तभी दोनों वृत्तियोंका यह सारा विषय स्पष्ट हो सकेगा ।

यह टीका यद्यपि साधारण प्रायः पदोंके अर्थबोधके रूपमें है—किसी विषयके विशेष व्याख्यानको साथमें लिये हुए नहीं है—फिर भी मूल ग्रन्थमें प्रवेश पानेके इच्छुकों एवं विद्यार्थियोंके लिये बड़ी ही काम की चीज है । इसके सहारे ग्रन्थ-पदोंके सामान्यार्थ तक गति होकर उसके भीतर (अन्तरंगमें) संनिहित विशेषार्थको जाननेकी प्रवृत्ति हो सकती है और वह प्रयत्न करनेपर जाना तथा अनुभवमें लाया जा सकता है । ग्रन्थका सामान्यार्थ भी उतना ही नहीं है जितना कि वृत्तिमें दिया हुआ है, बल्कि कहीं कहीं उससे अधिक भी होना संभव है; जैसाकि अनुवादक साहित्याचार्य पं० पन्नालालजीके उन टिप्पणोंमें जाना जाता है जिन्हें पद्य नं० ५३ और ८७ के सम्बन्धमें दिया है । हो सकता है कि इस ग्रन्थपर कवि नरसिंहकी कोई बृहत् टीका रही हो और अजितसेनाचार्यने अपने अलंकार-चिन्तामणि ग्रन्थमें, ५३वें पद्यको उद्धृत करते हुए, उसके विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले जिन तीन पद्योंको साथमें दिया है वे उक्त टीकाके ही अंश हों । यदि ऐसा हो तो उस टीकाको पद्यात्मक अथवा मध्य-पद्यात्मक समझना चाहिये ❀ ।



❀ अलंकारचिन्तामणि ग्रंथ इस समय मेरे सामने नहीं है । देहलीमें खोजने पर भी उसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी इसीसे इस विषयका कोई विशेष विचार यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र

ग्रन्थ-नाम—

इस ग्रन्थका सुप्रसिद्ध नाम 'स्वयम्भूस्तोत्र' है। 'स्वयम्भू' शब्दसे यह प्रारम्भ होता है, जिसका तृतीयान्तपद 'स्वयम्भुवा' आदिमें प्रयुक्त हुआ है। प्रारम्भिक शब्दानुसार स्तोत्रोंका नाम रखनेकी परिपाटी बहुत कुछ रूढ़ है। देवागम, सिद्धिप्रिय, भक्तामर, कल्याणमन्दिर और एकीभाव जैसे स्तोत्र-नाम इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं—ये सब अपने अपने नामके शब्दसे ही प्रारम्भ होते हैं। इस तरह प्रारम्भिक शब्दकी दृष्टिसे 'स्वयम्भूस्तोत्र' यह नाम जहां सुघटित है वहां स्तुति-पात्रकी दृष्टिसे भी यह सुघटित है; क्योंकि इसमें स्वयम्भुवोंकी—स्वयम्भू-पदको प्राप्त चतुर्विंशति जैनतीर्थङ्करोंकी—स्तुति की गई है। दूसरोंके उपदेश-विना ही जो स्वयं मोक्षमार्गको जानकर और उसका अनुष्ठान करके अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तवीर्यरूप आत्मविकासको प्राप्त होता है उसे 'स्वयम्भू' कहते हैं ‡ वृषभादिवीरपर्यन्त चौबीस जैनतीर्थङ्कर ऐसे अनन्तचतुष्टयादिरूप आत्मविकासको प्राप्त हुए हैं, स्वयम्भू-पदके स्वामी हैं और इसलिये उन स्तुत्योंका यह स्तोत्र 'स्वयम्भूस्तोत्र' इस सार्थक संज्ञाको भी प्राप्त है। इसी दृष्टिसे चतुर्विंशति-जिनकी स्तुतिरूप एक दूसरा स्तोत्र भी, जो 'स्वयम्भू' शब्दसे प्रारम्भ न हो कर 'येन स्वयं बोधमयेन' जैसे शब्दोंसे प्रारम्भ होता है, 'स्वयम्भूस्तोत्र' कहलाता है।

‡ "स्वयं परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्गमवबुद्ध्य अनुष्ठाय वाजन्तचतुष्टयतया भवतीति स्वयम्भूः ।"—प्रभाचन्द्राचार्यः

ग्रन्थकी अनेक प्रतियोंमें इस ग्रन्थका दूसरा नाम 'समन्तभद्रस्तोत्र' भी पाया जाता है ! अकेले जैनसिद्धान्त-भवन आरामें ऐसी कई प्रतियाँ हैं । दूसरे भी शास्त्रभंडारोंमें ऐसी प्रतियाँ पाई जाती हैं । जिस समय सूचियोंपरसे 'समन्तभद्रस्तोत्र' यह नाम मेरे सामने आया तो मुझे उसी वक्त यह खयाल उत्पन्न हुआ कि यह गालबन समन्तभद्रकी स्तुतिमें लिखा गया कोई ग्रन्थ है और इसलिये उसे देखनेकी इच्छा तीव्र हो उठी । मँगानेके लिये लिखा पढ़ी करने पर मालूम हुआ कि यह समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र ही है—दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं, और इसलिये 'समन्तभद्रस्तोत्र' को समन्तभद्र-कृत स्तोत्र माननेके लिये वाध्य होना पड़ा । ऐसा माननेमें स्तोत्रका कोई मूल विशेषण नहीं रहता । परन्तु समन्तभद्रकृत स्तोत्र तो और भी हैं उनमेंसे किसीको 'समन्तभद्रस्तोत्र' क्यों नहीं लिखा और इसी को क्यों लिखा ? इसमें लेखकोंकी गलती है या अन्य कुछ, यह बात विचारणीय है । इस सम्बन्धमें यहाँ एक बात प्रकट कर देनेकी और है वह यह कि स्वामी समन्तभद्रके ग्रन्थ प्रायः दो नामोंको लिये हुए हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम 'आप्तमीमांसा', स्तुतिविद्याका दूसरा नाम 'जिनशतक' और समीचीनधर्मशास्त्रका दूसरा नाम 'रत्नकरण्ड' है । इनमेंसे पहला पहला नाम ग्रन्थके प्रारम्भमें और दूसरा दूसरा नाम ग्रन्थके अन्तिम भागमें सूचित किया गया है । युक्त्यनुशासनग्रन्थके भी दो नाम हैं—दूसरा नाम 'वीरजिनस्तोत्र' है, जिसकी सूचना आदि और अन्तके दोनों पद्योंमें की गई है । ऐसी स्थितिमें बहुत संभव है कि स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तिम पद्यमें जो 'समन्तभद्र' पद प्रयुक्त हुआ है उसके द्वारा स्वयम्भूस्तोत्रका दूसरा नाम 'समन्तभद्रस्तोत्र' सूचित किया गया हो । 'समन्तभद्र' पद वहाँ वीरजिनेन्द्रके मत-शासनके विशेषणरूपमें स्थित है और उसका अर्थ है सब ओरसे भद्ररूप—यथार्थता, निर्बाधता और परहित-प्रतिपादनतादि गुणोंकी शोभासे सम्पन्न एवं जगतके लिये कल्याणकारी । यह स्तोत्र वीरके शासनका प्रतिनिधित्व-करता है—उसके स्वरूपका निदर्शक है—और सब ओरसे भद्र-रूप है अतः इसका 'समन्तभद्रस्तोत्र' यह नाम भी सार्थक जान पड़ता है, जो समन्तात् भद्रं इस पदच्छेदकी दृष्टिको लिये हुए है और उसमें श्लेषालंकारसे ग्रन्थकारका नाम भी उसी तरह समाविष्ट हो जाता है जिस तरह कि वह उक्त

‘समन्तभद्र’ पद में संनिहित है। और इसलिये इस द्वितीय नामोल्लेखनमें लेखकोंकी कोई कर्तृता या गलती प्रतीत नहीं होती। यह नाम भी प्रायः पहलेसे ही इस ग्रन्थको दिया हुआ जान पड़ता है।

ग्रन्थका सामान्य परिचय और महत्व—

स्वामी समन्तभद्रकी यह ‘स्वयम्भूस्तोत्र’ कृति समन्तभद्रभारतीका एक प्रमुख अंग है और बड़ी ही हृदय-हारिणी एवं अपूर्वरचना है। कहनेके लिये यह एक स्तोत्रग्रंथ है—स्तोत्रकीपद्धतिको लिये हुए हैं और इसमें वृषभादि चौबीस जिनदेवोंकी स्तुति की गई है; परन्तु यह कोरा स्तोत्र नहीं, इसमें स्तुतिके बहाने जैनागमका सार एवं तत्त्वज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। इसीसे टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्रने इसे ‘निःशेष-जिनोक्त-धर्म-विषयः’ ऐसा विशेषण दिया है और ‘स्तवोऽयमसमः’ पदोंके द्वारा इसे अपना सानी (जोड़ा) न रखने-वाला अद्वितीय स्तवन प्रकट किया है। साथ ही, इसके पदोंको ‘सूक्तार्थ’, ‘अमल’, ‘स्वल्प’ और ‘प्रसन्न’ विशेषण देखकर यह बतलाया है कि ‘वे सूक्तरूपमें ठीक अर्थका प्रतिपादन करनेवाले हैं, निर्दोष हैं, अल्पाक्षर हैं और प्रसादयुक्त-विशिष्ट हैं’। सचमुच इस स्तोत्रका एक एक पद प्रायः बीजपद-जैसा सूत्रवाक्य है, और इसलिये इसे ‘जैनमार्गप्रदीप’ ही नहीं किन्तु एकप्रकारसे जैनागम कहना चाहिये। आगम (श्रुति) रूपसे इसके वाक्योंका उल्लेख मिलता भी है॥ इतना ही नहीं, स्वयं ग्रन्थकारमहोदयने ‘त्वयि वरदाऽऽगम-

† “सूक्तार्थैरमलैः स्तवोऽयमसमः स्वल्पैः प्रसन्नैः पदैः।”

॥ जैसा कि कवि वाग्भटके काव्यानुशासनमें और जटासिंहनन्दी आचार्यके वरांगचरित्रमें पाये जानेवाले निम्न उल्लेखोंसे प्रकट है—

(क) आगमं आसवचनं यथा—

‘प्रजापतियं प्रति(थ)मं जिजीविषूः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजाः।

प्रबुद्धतत्त्वः पुनरद्भुतोदयो ममत्वतो निर्विवदे विदांवरः॥” [स्व० २]

—काव्यानुशासन

दृष्टिरूपतः गुणकुशमपि किञ्चनोदितं' (१०५) इस वाक्यके द्वारा ग्रन्थके कथन-को आगमदृष्टिके अनुरूप बतलाया है। इसके सिवाय, अपने दूसरे ग्रन्थ युक्त्यनुशासनमें 'दृष्टाऽऽगमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते' इस वाक्यके द्वारा युक्त्यनुशासन (युक्तिवचन) का लक्षण व्यक्त करते हुए यह बतलाया है कि 'प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोधरूप—अबाधित-विषय-स्वरूप—अर्थका जो अर्थसे प्ररूपण है—अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण साधनरूप अर्थसे साध्यरूप अर्थका प्रतिपादन है—उसे 'युक्त्यनुशासन' कहते हैं और वही (हे वीरभगवन् !) आपको अभिमत है'। इससे साफ़ जाना जाता है कि स्वयम्भूस्तोत्रमें जो कुछ युक्तिवाद है और उसके द्वारा अर्थका जो प्ररूपण किया गया है वह सब प्रत्यक्षाऽविरोधके साथ साथ आगमके भी अविरोधको लिए हुए है अर्थात् जैनागमके अनुकूल है। जैनागमके अनुकूल होनेसे आगमकी प्रतिष्ठाको प्राप्त है। और इस तरह यह ग्रन्थ आगमके—आप्तवचनके—तुल्य मान्यताकी कोटिमें स्थित है। वस्तुतः समन्तभद्र महान्के वचनोंका ऐसा ही महत्व है। इसीसे उनके 'जीवसिद्धि' और 'युक्त्यनुशासन' जैसे कुछ ग्रन्थोंका नामोल्लेख साथमें करते हुए विक्रमकी ९वीं शताब्दीके आचार्य जिनसेनने, अपने हरिवंशपुराणमें, ससन्तभद्रके वचनको श्रीवीरभगवानके वचन (आगम) के समान प्रकाशमान एवं प्रभावादिकसे युक्त बतलाया है॥ और ७वीं शताब्दीके अकलंकदेव-जैसे महान् विद्वान् आचार्यने, देवागमका भाष्य लिखते समय, यह स्पष्ट घोषित किया है कि 'समन्तभद्रके वचनोंसे उस स्याद्वादरूपी पुण्योदधितीर्थका प्रभाव कलिकालमें भी भव्यजीवोंके आन्तरिक मलको दूर करनेके लिये सर्वत्र व्याप्त

(ख) अनेकान्तोऽपि चैकान्तः स्यादित्येवं वदेत्परः।

“अनेकान्तोऽप्यनेकान्त” [स्व० १०३] इति जैनी श्रुतिः स्मृता ॥

—वरांगचरित

इस पद्यमें स्वयम्भूस्तोत्रके “अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः” इस वाक्यको उद्धृत करते हुए उसे 'जैनी श्रुतिः' अर्थात् जैनागमका वाक्य बतलाया है।

॥ जीवसिद्धि-विधायीह कृत-युक्त्यनुशासनं ।

वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥ —हरिवंशपुराण

हुआ है, जो सर्व पदार्थों और तत्त्वोंको अपना विषय किये हुए है' † । इसके सिवाय, समन्तभद्रभारतीके स्तोता कवि नागराजने सारी ही समन्तभद्रवाणीके लिये 'वर्द्धमानदेव-बोध-बुद्ध-चिद्विलासिनी' और 'इन्द्रभूति-भाषित-प्रमेयजाल-गोचरा' जैसे विशेषणोंका प्रयोग करके यह सूचित किया है कि समन्तभद्रकी वाणी श्रीवर्द्धमानदेवके बोधसे प्रबुद्ध हुए चैतन्यके विलासको लिये हुए है और उसका विषय वह सारा पदार्थसमूह है जो इन्द्रभूति (गौतम) गणधरके द्वारा प्रभाषित हुआ है—द्वादशांगश्रुतके रूपमें गूँथा गया है । अस्तु ।

इस ग्रन्थमें भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोगकी जो निर्मल गंगा अथवा त्रिवेणी बहाई है उसमें अवगाहन-स्नान किए ही बनता है और उस अवगाहनसे जो शान्ति-सुख मिलता अथवा ज्ञानानन्दका लाभ होता है उसका कुछ पार नहीं—वह प्रायः अनिर्वचनीय है । इन तीनों योगोंका अलग अलग विशेष परिचय आगे कराया जायगा ।

इस स्तोत्रमें २४ स्तवन हैं और वे भरतक्षेत्र-सम्बन्धी वर्तमान अवसर्पिणी-कालमें अवतीर्ण हुए २४ जैन तीर्थंकरोंकी अलग अलग स्तुतिको लिये हुए हैं । स्तुति-पद्योंकी संख्या सब स्तवनोंमें समान नहीं है । १८ वें स्तवनकी पद्य-संख्या २०, २२ वें की १० और २४ वें की आठ है, जब कि शेष २१ स्तवनोंमेंसे प्रत्येक की पद्यसंख्या पांच पांचके रूपमें समान है । और इस तरह ग्रन्थके पद्योंकी कुल संख्या १४३ है । ये सब पद्य अथवा स्तवन एक ही छन्दमें नहीं किन्तु भिन्न भिन्न रूपसे तेरह प्रकारके छन्दोंमें निर्मित हुए हैं, जिनके नाम हैं—वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, रथोद्धता, वसन्ततिलका, पथ्यावक्त्र अनुष्टुप्, सुभद्रामालती-मिश्र-यमक, वानवासिका, वैतालीय, शिखरणी, उद्गता आर्यांगीति (स्कन्धक) । कहीं कहीं एक स्तवनमें एकसे अधिक छन्दोंका भी प्रयोग किया गया है । किस स्तवनका कौनसा पद्य किस छन्दमें रचा गया है

† तीर्थ सर्वपदार्थ-तत्त्व-विषय-स्याद्वाद-पुण्योदधे-

भग्वानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कलौ ।

येनाचार्य-समन्तभद्र-यतिना तस्मै नमः सन्ततं

कृत्वा विव्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः ॥—अष्टशती

और उस छन्दका क्या लक्षण है, इसकी सूचना 'स्तवन-छन्द सूची' नामके एक परिशिष्टमें कर दी गई है, जिससे पाठकोंको इस ग्रन्थके छन्द-विषयका ठीक परि-
ज्ञान हो सके ।

स्तवनोंमें स्तुतिगोचर-तीर्थकरोंके जो नाम दिये हैं वे सब क्रमशः इस प्रकार हैं—

१ वृषभ, २ अजित, ३ शम्भव, ४ अभिनन्दन, ५ सुमति, ६ प्रद्युम्न, ७ सुपाश्व, ८ चन्द्रप्रभ, ९ सुविधि, १० शीतल, ११ श्रेयांस, १२ वासुपूज्य, १३ विमल, १४ अनन्तजित्, १५ धर्म, १६ शान्ति, १७ कुन्धु, १८ अर, १९ मल्लि, २० मुनिसुव्रत, २१ नमि, २२ अरिष्टनेमि, २३ पार्श्व, २४ वीर ।

[इनमेंसे वृषभको इक्ष्वाकु-कुलका आदिपुरुष, अरिष्टनेमिको हरिवंशकेतु और पार्श्वको उग्रकुलाम्बरचन्द्र बतलाया है । शेष तीर्थकरोंके कुलका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।]

उक्त सब नाम अन्वर्थ-संज्ञक हैं—नामानुकूल अर्थविशेषको लिये हुए हैं । इनमेंसे जिनकी अन्वर्थसंज्ञकता अथवा सार्थकताको स्तोत्रमें किसी-न-किसी तरह प्रकट किया गया है वे क्रमशः नं० २, ४, ५, ६, ८, १०, ११, १४, १५, १६, १७, २० पर स्थित हैं । शेषमेंसे कितने ही नामोंकी अन्वर्थताको अनुवादमें व्यक्त किया गया है ।

स्तुत-तीर्थङ्करोंका परिचय—

इन तीर्थकरोंके स्तवनोंमें गुणकीर्तनादिके साथ कुछ ऐसी बातों अथवा घटनाओंका भी उल्लेख मिलता है जो इतिहास तथा पुराणसे सम्बन्ध रखती हैं और स्वामी समन्तभद्रकी लेखनीसे उल्लेखित होनेके कारण जिनका अपना विशेष महत्त्व है और इसलिए उनकी प्रधानताको लिये हुए यहाँ इन स्तवनोंमेंसे स्तुत-तीर्थङ्करोंका परिचय क्रमसे दिया जाता हैः—

(१) वृषभजिन नाभिनन्दन (नाभिरायके पुत्र) थे, इक्ष्वाकुकुलके आदि-पुरुष थे और प्रथम प्रजापति थे । उन्होंने सबसे पहले प्रजाजनोंको कृष्यादि-कर्मोंमें सुशिक्षित किया था (उनसे पहले यहाँ भोगभूमिकी प्रवृत्ति होनेसे लोग खेती-व्यापारादि करना अथवा असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प,

इन जीवोपायरूप पट् कर्मोंको नहीं जानते थे), मुमुक्षु होकर और ममता छोड़कर वधू तथा वसुधाका त्याग करते हुए दीक्षा धारण की थी, अपने दोषोंके मूलकारण (घातिकर्मचतुष्क) को अपने ही समाधितेज-द्वारा भस्म किया था (फलतः विश्वचक्षुता एवं सर्वज्ञताको प्राप्त किया था) और जगतको तत्त्वका उपदेश दिया था । वे सत्पुरुषोंसे पूजित होकर अन्तको ब्रह्मपदरूप अमृतके स्वामी बने थे और निरंजन पदको प्राप्त हुए थे ।

(२) अजितजिन देवलोकसे अवतरित हुए थे, अवतारके समयसे उनका बंधुवर्ग पृथ्वीपर अजेयशक्ति बना था । और उस बन्धुवर्गने उनका नाम 'अजित' रखवा था । आज भी (लाखों वर्ष बीत जानेपर) उनका नाम स्वसिद्धिकी कामना रखनेवालोंके द्वारा मंगलके लिये लिया जाता है । वे महामुनि बनकर तथा घनोपदेहसे (घातिया कर्मोंके आवरणारूप दृढ उपलेपसे) मुक्त होकर भव्यजीवोंके हृदयोंमें संलग्न हुए कलकों (अज्ञानादिदोष तथा उनके कारणों) की शान्तिके लिए अपनी समर्थ-वचनादि-शक्तिकी सम्पत्तिके साथ उसी प्रकार उदयको प्राप्त हुए थे जिस प्रकार कि मेघोंके आवरणसे मुक्त हुआ सूर्य कमलोंके अभ्युदयके लिये—उनके अन्तः अन्धकारको दूर कर उन्हें विकसित करनेके लिये—अपनी प्रकाशमय समर्थशक्ति-सम्पत्तिके साथ प्रकट होता है । और उन्होंने उस महान् एवं ज्येष्ठ धर्मतीर्थका प्रणयन किया था जिसे प्राप्त होकर लौकिक जन दुःखपर विजय प्राप्त करते हैं ।

(३) शम्भव-जिन इस लोकमें तृष्णा-रोगोंसे संतप्त जनसमूहके लिए एक आकस्मिक वैद्यके रूपमें अवतीर्ण हुए थे और उन्होंने दोष-दूषित एवं प्रपीडित जगतको अपने उपदेशों-द्वारा निरंजना शान्तिकी प्राप्ति कराई थी । आपके उपदेशका कुछ नसूना दो एक पद्योंमें दिया है और फिर लिखा है कि 'उन पुण्य-कीर्तिकी स्तुति करनेमें शक्र (इन्द्र) भी असमर्थ रहा है' ।

(४) अभिनन्दन-जिनने (लौकिक वधूका त्याग कर) उस दयावधूको अपने आश्रयमें लिया था जिसकी सखी क्षमा थी और समाधिकी सिद्धिके लिए बाह्याऽभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर निर्ग्रन्थताको धारण किया था । साथ ही, मिथ्याभिनिवेशके वशसे नष्ट होते हुए जगतको हितका उपदेश

देकर तत्त्वका ग्रहण कराया था। हितका जो उपदेश दिया गया था उसका कुछ नमूना ३-४ पद्योंमें व्यक्त किया गया है।

(५) सुमति-जिनने जिस सुयुक्ति-नीत तत्त्वका प्रणयन किया है उसीका सुन्दर सार इस स्तवनमें दिया गया है।

(६) पद्मप्रभ-जिन पद्मपत्रके समान रक्तवर्णाभि शरीरके धारक थे। उनके शरीरकी किरणोंके प्रसारने नरों और अमरोंसे पूर्ण सभाको व्याप्त किया था—सारी समवसरणसभामें उनके शरीरकी आभा फैली हुई थी। प्रजाजनोंकी विभूतिके लिये—उनमें हेयोपादेयके विवेकको जागृत करनेके लिये—उन्होंने भूतल-पर विहार किया था और विहारके समय (इन्द्रादिरचित) सहस्रदल-कमलों-के मध्यभागपर चलते हुए अपने चरण-कमलों-द्वारा नभस्तलको पल्लवमय बना दिया था। उनकी स्तुतिमें इन्द्र असमर्थ रहा है।

(७) सुपाश्व-जिन सर्वतत्त्वके प्रमाता (ज्ञाता) और माताकी तरह लोक-हितके अनुशास्ता थे। उन्होंने हितकी जो बातें कही हैं उन्हींका सार इस स्तवन में दिया गया है।

(८) चन्द्रप्रभ-जिन चन्द्रकिरण-सम-गौरवर्ण थे, द्वितीय चन्द्रमाकी समान दीप्तिमान थे। उनके शरीरके दिव्य प्रभामण्डलसे बाह्य अन्धकार और ध्यान-प्रदीपके अतिशयसे मानस अन्धकार दूर हुआ था। उनके प्रवचनरूप सिंहनादोंको सुनकर अपने पक्षकी सुस्थितिका घमण्ड रखने वाले प्रवादजन निर्मद हो जाते थे। और वे लोकमें परमेष्ठिके पदको प्राप्त हुए हैं।

(९) सुविधि-जिन जगदीश्वरों (इन्द्र-चक्रवर्त्यादिकों) के द्वारा अभिवन्द्य थे। उन्होंने जिस अनेकान्तशासनका प्रणयन किया है उसका सार पाँचों पद्योंमें दिया है।

(१०) शीतल-जिनने अपने सुखाभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूर्छित हुए मनको कैसे मूर्च्छा-रहित किया और कैसे वे दिन-रात आत्मविशुद्धिके मार्गमें जागृत रहते थे, इन बातोंको बतलानेके बाद उनके तपस्याके उद्देश्य और व्यक्तित्वकी दूसरे तपस्वियों आदिसे तुलना करते हुए लिखा है कि 'इसीसे वे बुधजनश्रेष्ठ आपकी उपासना करते हैं जो अपने आत्मकल्याणकी भावनामें तत्पर हैं।

(११) श्रेयो-जिनने प्रजाजनोंको श्रेयोमार्गमें अनुशासित किया था। उनके अनैकान्त-शासनकी कुछ बातोंका उल्लेख करनेके बाद लिखा है कि वे 'कैवल्य-विभूतिके सम्राट् हुए हैं'।

(१२) वामुपूज्य-जिन अभ्युदय क्रियाओंके समय पूजाको प्राप्त हुए थे, त्रिदशेन्द्र-पूज्य थे और किसीकी पूजा या निन्दासे कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। उनके शासनकी कुछ बातोंका उल्लेख करके उनके बुधजन-अभिवन्द्य होनेकी सार्थकताका द्योतन किया गया है।

(१३) विमल-जिनका शासन किस प्रकारसे नयोंकी विशेषताको लिये हुए था उसका कुछ दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि 'इसीसे वे अपना हित चाहने-वालोंके द्वारा वन्दित थे'।

(१४) अनन्तजित्-जिनने अपने अनन्तदोषाशय-विग्रहरूप 'मोह' को कषाय नामके पीडनशील-शत्रुओंको, विशोपक कामदेवके दुरभिमानरूप आतंक-को कैसे जीता और अपनी तृष्णानदीको कैसे सुखाया, इत्यादि बातोंका इस स्तवनमें उल्लेख है।

(१५) धर्म-जिन अनवद्य-धर्मतीर्थका प्रवर्तन करते हुए सत्पुरुषोंके द्वारा 'धर्म' इस सार्थक संज्ञाको लिए हुए माने गये हैं। उन्होंने तपरूप अग्नियोंसे अपने कर्मवनको दहन करके शाश्वत सुख प्राप्त किया है और इसलिये वे 'शङ्कर' हैं। वे देवों तथा मनुष्योंके उत्तम समूहोंसे परिवेष्टित तथा गणधरादि बुधजनोंसे परिचारित (सेवित) हुए (समवसरण-सभामें) उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हुए थे जिसप्रकार कि आकाशमें तारकाओंसे परिवृत निर्मल चन्द्रमा। प्रातिहार्यों और विभवोंसे विभूषित होते हुए भी वे उन्हींसे नहीं, किन्तु देहसे भी विरक्त रहे हैं। उन्होंने मनुष्यों तथा देवोंको मोक्षमार्ग सिखलाया, परन्तु शासनफलकी एषणासे वे कभी आतुर नहीं हुए। उनके मन-वचन-कायकी प्रवृत्तियाँ इच्छाके बिना होती हुए भी असमीक्ष्य नहीं होती थीं। वे मानुषी प्रकृतिका उल्लंघन कर गये थे, देवताओंके भी देवता थे और इसीसे 'परमदेवता'के पदको प्राप्त थे।

(१६) शान्ति-जिन शत्रुओंसे प्रजाकी रक्षा करके अग्रतिम प्रतापके धारी राजा हुए थे और भयंकर चक्रसे सर्वनरेन्द्र-समूहकों जीतकर चक्रवर्ती राजा

बने थे । उन्होंने समाधिचक्रसे दुर्जय मोहचक्रको—मोहनीय कर्मके मूलोत्तर-प्रकृति-प्रपंचको—जीता था और उसे जीतकर वे महान् उदयको प्राप्त हुए थे, आर्हन्त्यलक्ष्मीसे युक्त होकर देवों तथा असुरोंकी महती (समवरण) सभामें सुशोभित हुए थे । उनके चक्रवर्ती राजा होने पर राजचक्र, मुनि होनेपर दया-दीधिति-धर्मचक्र, पूज्य (तीर्थ-प्रवर्तक) होने पर देवचक्र प्राञ्जलि हुआ—हाथ जोड़े खड़ा रहा अथवा स्वाधीन बना—और ध्यानोन्मुख होने पर कृता-न्तचक्र—कर्मोंका अवशिष्टमूह—नाशको प्राप्त हुआ था ।

(१७) कुन्धु-जिन कुन्धवादि सकल प्राणियोंपर दयाके अनन्य विस्तारको लिये हुए थे । उन्होंने पहले चक्रवर्ती राजा होकर पश्चात् धर्मचक्रप्रवर्तन किया था, जिसका लक्ष्य लोकिजनोंके ज्वर-जरा-मरणकी उपशान्ति और उन्हें आत्म-विभूतिकी प्राप्ति कराना था । वे विषय-सौख्यसे पराङ्मुख कैसे हुए, परमदुश्चर बाह्यतपका आचरण उन्होंने किस लिये किया, कौनसे ध्यानों-को अपनाया और कौनसी सातिशय अग्निमें अपने (घातिया) कर्मोंकी चार प्रकृतियोंको भस्म करके वे शक्तिसम्पन्न हुए और सकल-वेद-विधिके प्रणेता बने, इन सब बातोंको इस स्तवनमें बतलाया गया है । साथ ही, यह भी बतलाया गया है कि लोकके जो पितामहादिक प्रसिद्ध हैं वे आपकी विद्या और विभूतिकी एक कणिकाको भी प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसलिये आत्महितकी धुनमें लगे हुए श्रेष्ठ सुधीजन (गणधरादिक) उनअद्वितीय स्तुत्यकी स्तुति करते हैं ।

(१८) अर-जिन चक्रवर्ती थे, मुमुक्षु होनेपर चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य उनके लिये जीर्णतृणके समान हो गया और इसलिए उन्होंने निःसार समझकर उसे त्याग दिया । उनके रूप-सौन्दर्यको देखकर द्विनेत्र इन्द्र तृप्त न हो सका और इसलिए (विक्रियाकृद्धिसे) सहस्रनेत्र बन कर देखने लगा और बहुत ही विस्मयको प्राप्त हुआ । उन्होंने कषाय-भटोंकी सेनासे सम्पन्न पापी मोहशत्रुको दृष्टि संविद् और उपेक्षारूप अस्त्रोंसे पराजित किया था और अपनी तृष्णा-नदीको विद्या नौकासे पार किया था । उनके सामने कामदेव लज्जित तथा हतप्रभ हुआ था और जगत्को रलानेवाले अन्तकको अपना स्वेच्छ व्यवहार बन्द करना पड़ा था और इस तरह वह भी पराजित हुआ था । उनका रूप

आभूषणों, वेपों तथा आयुधोंका त्यागी और विद्या, कषायेन्द्रियजय तथा दयाकी उत्कृष्टताको लिये हुए था। उनके शरीरके वृहत् प्रभामण्डलसे बाह्य अन्धकार और ध्यानतेजसे आध्यात्मिक अन्धकार दूर हुआ था। समवरणसभामें व्याप्त होनेवाला उनका वचनानामृत सर्वभाषाओंमें परिणत होनेके स्वभावको लिए हुए था तथा प्राणियोंको तृप्ति प्रदान करनेवाला था। उनकी दृष्टि अनेकान्तात्मक थी। उस सती दृष्टिके महत्वादिका स्थायन तथा उनके स्या-द्वादशासनादिका कुछ विशेष कथन सात कारिकाओंमें किया गया है।

(१९) मल्लि-जिनको जब सकल पदार्थोंका साक्षात् प्रत्यवबोध (केवल-ज्ञान) हुआ था तब देवों तथा मर्त्यजनोंके साथ सारे ही जगत्ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया था। उनकी शरीराकृति सुवर्ण-निर्मित-जैसी थी और स्फुरित आभासे परिमण्डल किये हुए थी। वाणी भी यथार्थ वस्तुतत्त्वका कथन करनेवाली और साधुजनोंको रमानेवाली थी। जिनके सामने गलितमान हुए प्रतितीर्थजन (एकान्तवादमतानुयायी) पृथ्वीपर कहीं विवाद नहीं करबे थे। और पृथ्वी भी (उनके बिहारके समय) पद-पदपर विकसित कमलोंसे मृदु-हासको लिये हुए रमणीय हुई थी। उन्हें सब ओरसे (प्रचुरपरिमाणमें) शिष्य साधुओंका विभव (ऐश्वर्य) प्राप्त हुआ था और उनका तीर्थ (शासन) भी संसार-समुद्रसे भयभीत प्राणियोंको पार उतारनेके लिये प्रधान मार्ग बना था।

(२०) मुनिसुव्रत-जिन मुनियोंकी परिषद्में—गराधरादिक ज्ञानियोंकी महती सभा (समवरण)में—उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार कि नक्षत्रोंके समूहसे परिवेष्टित चन्द्रमा शोभाको प्राप्त होता है। उनका शरीर तपसे उत्पन्न हुई तरुण मोरके कण्ठवर्ण-जैसी आभासे उसी प्रकार शोभित था जिस प्रकार कि चन्द्रमाके परिमण्डलकी दीप्ति शोभती है। साथ ही, वह चन्द्रमाकी दीप्तिके समान निर्मल शुक्ल रुधिरसे युक्त, अति सुगन्धित, रजरहित शिवस्वरूप (स्व-पर-कल्याणमय) तथा अति आश्चर्यको लिए हुए था। उनका यह वचन कि 'चर और अचर जगत् प्रतिक्षण स्थिति-जनन-निरोध-लक्षणको लिये हुए है'—प्रत्येक समयमें ध्रौव्य, उत्पाद और व्यय (विनाश) स्वरूप है—सर्वज्ञताका द्योतक है। वे अनुपम योगबलसे पापमलरूप आठों कलकोंको

(ज्ञानावरणादि कर्मोंको) भस्मीभूत करके संसारमें न पाथी जाननेवाले सौख्यको—
परम अतीन्द्रिय मोक्ष-सौख्यको—प्राप्त हुए थे ।

(२१) नमि-जिनमें विभवकिरणोंके साथ केवलज्ञान-ज्योतिके प्रकाशित होनेपर अन्यमती—एकान्तवादी—जन उसी प्रकार हतप्रभ हुए थे जिस प्रकार कि निर्मल सूर्यके सामने खद्योत (जूगनू) होते हैं । उनके द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तात्मक तत्त्वका गंभीर रूप एक ही कारिका 'विधेयं वार्यं' इत्यादिमें इतने अच्छे ढंगसे सूत्ररूपमें दिया है कि उस पर हजारों-लाखों श्लोकोंकी व्याख्या लिखी जा सकती है । उन्होंने परम करुणाभावसे सम्पन्न होकर अहिंसा-परमब्रह्मकी सिद्धिके लिये बाल्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका परित्याग कर उस आश्रमविधिको ग्रहण किया था जिसमें अणुमात्र भी आरम्भ नहीं है; क्योंकि जहाँ अणुमात्र भी आरम्भ होता है वहाँ अहिंसाका वास नहीं अथवा पूर्णतः वास नहीं बनता । जो साधु यथाजातलिङ्गके विरोधी विकृत वेषों और उपधियोंमें रत हैं, उन्होंने वस्तुतः बाल्याभ्यन्तर परिग्रहको नहीं छोड़ा है—और इसलिए ऐसीसे उस परमब्रह्मकी सिद्धि भी नहीं बन सकती । उनका आभूषण वेष तथा व्यवधान (वस्त्र-प्रावरणादि) से रहित और इन्द्रियोंकी शान्तताको लिये हुए (नग्न दिगम्बर) शरीर काम-क्रोध और मोह पर विजय-का सूचक था ।

(२२) अरिष्टनेमि-जिनने परमयोगाग्निसे कलमषेन्धनको—ज्ञानावरणादि-रूप कर्मकाष्ठको—भस्म किया था और सकल पदार्थोंको जाना था । वे हरिवंशकेतु थे, विकसित कमलदलके समान दीर्घनेत्रके धारक थे, और निर्दोष विनय तथा दमतीर्थके नायक हुए हैं । उनके चरणयुगल त्रिदशेन्द्र-वन्दिता थे । उनके चरणयुगलको दोनों लोकनायकों गरुडध्वज (नारायण) और हलधर (बलभद्र) ने, जो स्वजनभक्तिसे मुदितहृदय थे और धर्म तथा विनयके रसिक थे, बन्धुजनोंके साथ बार-बार प्रणाम किया है । गरुडध्वजका दीप्तिमण्डल द्युतिमद्रथांग (सुदर्शनचक्र) रूप रविबिम्बकी किरणोंसे जटिल था और शरीर नीले कमलदलोंकी राशिके अथवा सजलमेघके समान श्यामवर्ण था । इन्द्र-द्वारा लिखे गये नेमिजिनके लक्षणों (चिह्नों) को वह लोकप्रसिद्ध ऊर्जयन्तगिरि (गिरनार) पर्वत धारण करता है जो पृथ्वीका ककुद है, विद्याधरोंकी स्त्रियोंसे

सेवित-शिखरोंसे अलंकृत है, मेघपटलोंसे व्याप्त तटोंको लिये हुए है, तीर्थस्थान है और आज भी भक्तिसे उल्लसितचित्त-ऋषियोंके द्वारा सब ओरसे निरन्तर अतिसेवित है। उन्होंने उस अखिल विश्वको सदा करतलस्थित स्फटिकमणिके समान युगपत् जाना था और उनके इस जाननेमें बाह्यकरण—चक्षुरादिक और अन्तःकरण—मन ये अलग-अलग तथा दोनों मिलकर भी न तो कोई बाधा उत्पन्न करते थे और न किसी प्रकारका उपकार ही सम्पन्न करते थे।

(२३) पार्श्वजिन महामना थे, वे वैरीके वशवर्ती—कमठशत्रुके इशारेपर नाचनेवाले—उन भयंकर मेघोंसे उपद्रवित होनेपर भी अपने योगसे (शुक्ल-ध्यानसे) चलायमान नहीं हुए थे, जो नीले-श्यामवर्णके धारक, इन्द्रधनुष तथा विद्युद्-गुणोंसे युक्त और भयंकर वज्र वायु तथा वर्षाको चारों ओर बखेरनेवाले थे। इस उपसर्गके समय धरणा नागने उन्हें अपने बृहत्फणाओंके मण्डलरूप मण्डपसे वेष्टित किया था और वे अपने योगरूप खड्गकी तीक्ष्ण धारसे दुर्जय मोहशत्रुको जीत कर उस आर्हन्त्यपदको प्राप्त हुए थे जो अचिन्त्य है, अद्भुत है और त्रिलोककी सातिशय-पूजाका स्थान है। उन्हें विधूतकल्मष (घातिकर्म-चतुष्टयरूप पापमलसे रहित), शमोपदेशक (मोक्षमार्गके उपदेष्टा) और ईश्वर (सकल-लोकप्रभु) के रूपमें देखकर वे वनवासी तपस्वी भी शरणमें प्राप्त हुए थे जो अपने श्रमको—पंचाग्नि-साधनादिरूप प्रयासको—विफल समझ गये थे और भगवान् पार्श्व-जैसे विधूतकल्मष ईश्वर होनेकी इच्छा रखते थे। पार्श्वप्रभु समग्रबुद्धि थे, सच्ची विद्याओं तथा तपस्यायोंके प्ररोता थे, उग्रकुलरूप आकाशके चन्द्रमा थे और उन्होंने मिथ्यामार्गोंकी दृष्टियोंसे उत्पन्न होनेवाले विभ्रमोंको विनष्ट किया था।

(२४) वीर-जिन अपनी गुण-समुत्थ-निर्मलकीर्ति अथवा दिव्यवाणीसे पृथ्वी (समवसरणभूमि) पर उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हुए थे जिस प्रकार कि चन्द्रमा आकाशमें नक्षत्र-समास्थित उस प्रभासे शोभता है जो सब ओरसे घवल है। उनका शासनविभव कलिकालमें भी जयको प्राप्त है और उसकी वे निर्दोष साधु (भगवन्नादिकदेव) स्तुति करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञानादि-तेजसे आसन-विभुओंको—लोकके प्रसिद्ध नायकोंको—निस्तेज किया है। उनका

स्याद्वादरूप प्रवचन दृष्ट और इष्टके साथ विरोध न रखनेके कारण निर्दोष है, जब कि दूसरों का—अस्याद्वादियोंका—प्रवचन उभय विरोधको लिए हुए होने-से वसा नहीं है। वे सुराज्जुरोंसे पूजित होने हुए भी ग्रन्थिक सत्त्वोंके—मिथ्या-त्वादपरिग्रहसे युक्त प्राणियोंके—(अभक्त) हृदयसे प्राप्त होनेवाले प्रणामोंसे पूजित नहीं हैं। और अनावरणज्योति होकर उस धामको—मुक्तिस्थान अथवा सिद्धशिलाको—प्राप्त हुए हैं जो अनावरण-ज्योतिर्योसे प्रकाशमान है। वे उस गुणभूषणको—सर्वज्ञ-वीतरागतादि-गुणरूप आभूषण-समूहको—धारण किए हुए थे जो सम्पन्नजनों अथवा समवसरण-समा-स्थित भव्यजनोंको रुचिकर था और श्रीसे—अष्टप्रातिहार्यादिरूप-विभूतिसे—ऐसे रूपमें पुष्ट था जिससे उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। साथ ही उनके शरीरका सौन्दर्य और आकर्षण पूर्णचन्द्रमासे भी बढ़ा चढ़ा था। उन्होंने निष्कपट यम और दमका—महाव्रतादि-के अनुष्ठान और कवायों तथा इन्द्रियोंके जयका—उपदेश दिया है। उनका उदार विहार उस महाशक्ति-सम्पन्न गजराजके समान हुआ है जो भरते हुए मदका दान देते हुए और मार्गमें बाधक गिरिभित्तियोंका विदारण करते हुए (फलतः जो बाधक नहीं उन्हें स्थिर रखते हुए) स्वाधीन चला जाता है। वीरजिनेन्द्रने अपने विहारके समय सबको अहिंसाका—अभयका—दान दिया है, शमवादोंकी-रागादिक दोषोंकी उपशान्तिके प्रतिपादक आगमोंकी—रक्षा की है और वैषम्यस्थापक, हिंसाविधायक एवं सर्वथा एकान्त-प्रतिपादक उन सभी वादोंका—मतोंका—खण्डन किया है जो गिरिभित्तियोंकी तरह सन्मार्गमें बाधक बने हुए थे। उनका शासन नयोंके भङ्ग अथवा भक्तिरूप अलङ्कारोंसे अलङ्कृत है—अनेकान्तवादका आश्रय लेकर नयोंके सापेक्ष व्यवहारकी सुन्दर शिक्षा देता है—और इसतरह यथार्थ वस्तुतत्त्वके निरूपण और परहित-प्रतिपादनादि में समर्थ होता हुआ बहुगुण-सम्पत्तिसे युक्त है, पूर्ण है और समन्तभद्र है—सब और से भद्ररूप, निर्बाधतादि-विशिष्ट-शोभासे सम्पन्न एवं जगत-के लिये कल्याणकारी है; जब कि दूसरोंका—एकान्तवादियोंका—शासन मधुर वचनोंके विन्याससे मनोज्ञ होता हुआ भी बहुगुणोंकी सम्पत्तिसे विकल है—सत्यशासनके योग्य जो यथार्थवादिता, और परहित-प्रतिपादनादिरूप बहुतसे गुण हैं उनकी शोभासे रहित हैं।

स्तवनोंके इस परिचय-समुच्चय-परसे यह साफ जाना जाता है कि सभी जैन तीर्थङ्कर स्वावलम्बी हुए हैं। उन्होंने अपने आत्मदोषों और उनके कारणों-को स्वयं समझा है, और समझकर अपने ही पुरुषार्थसे—अपने ही ज्ञानबल और योगबलसे—उन्हें दूर एवं निर्मूल किया है। अपने आत्मदोषोंको स्वयं दूर तथा निर्मूलकरके और इस तरह अपना आत्म-विकास स्वयं सिद्ध करके वे मोह, माया, ममता और तृष्णादिसे रहित 'स्वयम्भू' बने हैं—पूर्ण दर्शन ज्ञान एवं सुख-शक्तिको लिये हुए 'अर्हत्पदको' प्राप्त हुए हैं। और इस पदको प्राप्त करनेके बाद ही वे दूसरोंको उपदेश देनेमें प्रवृत्त हुए हैं। उपदेशके लिये परम-करुणा-भावसे प्रेरित होकर उन्होंने जगह-जगह विहार किया है और उस विहारके अवसर पर उनके उपदेशके लिये बड़ी बड़ी सभाएँ जुड़ी हैं, जिन्हें 'समवसरण' कहा जाता है। उन सबका उपदेश, शासन अथवा प्रवचन अनेकान्त और अहिंसाके आधारपर प्रतिष्ठित था और इसलिये यथार्थ वस्तुतत्त्वके अनुकूल और सबके लिये हितरूप होता था। उन उपदेशोंसे विश्वमें तत्त्वज्ञान-की जो धारा प्रवाहित हुई है उसके ठीक सम्पर्कमें आनेवाले असंख्य प्राणियोंके अज्ञान तथा पापमल धुल गए हैं और उनकी भूल-भ्रांतियाँ मिटकर तथा असत्य-प्रवृत्तियाँ दूर होकर उन्हें यथेष्ट सुख-शान्तिकी प्राप्ति हुई है। उन प्रवचनोंसे ही उस समय सत्तीर्थकी स्थापना हुई है और वे संसारसमुद्र अथवा दुःखसागरसे पार उतारनेके साधन बने हैं। उन्हींके कारण उनके उपदेष्टा 'तीर्थङ्कर' कहलाते हैं और वे लोकमें सातिशय-पूजाको प्राप्त हुए हैं तथा आज भी उन गुणज्ञों और अपना हित चाहनेवालोंके द्वारा पूजे जाते हैं जिन्हें उनका यथेष्ट परिचय प्राप्त है।

अर्हद्विशेषण-पद—

स्वामी समन्तभद्रने, अपने इसस्तोत्रमें तीर्थङ्कर अर्हन्तोंके लिये जिन विशेषणपदोंका प्रयोग किया है उनसे अर्हत्स्वरूपपर अच्छा प्रकाश पड़ता है और वह नय-विवक्षाके साथ अर्थपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेपर सहजमें ही अवगत हो जाता है। अतः यहाँ पर उन विशेषणपदोंका स्तवनक्रमसे एकत्र संग्रह किया जाता है। जिन पदोंका मूलप्रयोग सम्बोधन तथा

द्वितीयादि विभक्तियों और बहुवचनादिके रूपमें हुआ है उन्हें अर्थावबोधकी सुविधा एवं एकरूपताकी दृष्टिसे यहां प्रथमाके एक वचनमें ही रक्खा गया है, साथमें स्थान-सूचक पद्याङ्क भी पद्य-सम्बन्धी विशेषणों के अन्तमें दे दिये गये हैं। और जो एक विशेषण अनेक स्तवनोंमें प्रयुक्त हुआ है उसे एक ही जगह—प्रथम प्रयोगके स्थानपर—ग्रहण किया गया है, अन्यत्र प्रयोगकी सूचना उसके आगे ब्रेकटके भीतर पद्याङ्क देकर कर दी गई है:—

(१) स्वम्भूः, भूतहितः, समञ्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुः, तमो विधुन्वन् १; प्रबुद्धतत्त्वः, अद्भुतोदयः, विदांवरः २; मुमुक्षुः (८८), आत्मवान् (८२), प्रभुः (२०, २८, ६६), सहिष्णुः, अच्युतः ३; ब्रह्मपदामृतेश्वरः ४; विश्वचक्षुः, वृषभः, सतामर्चितः, समग्रविद्यात्मवपुः, निरञ्जनः, जिनः (३६, ४५, ५०, ५१, ५७, ८०, ८१, ११२, ११४, १३०, १३७, १४१), अजित-क्षुल्लक-वादि-शासनः ५।

(२) अजितशासनः, प्रणेता ७; महामुनिः (७०) मुक्तघनोपदेहः ८; पृथुज्येष्ठ-धर्मतीर्थ-प्रणेता ९; ब्रह्मनिष्ठः, सम-मित्र-शत्रुः, विद्या-विनिर्वान्त-कषाय-दोषः लब्धात्म-लक्ष्मीः, अजितः, अजितात्मा, भगवान् (१८, ३१ ४०, ६६, ८०, ११७, १२१) १०।

(३) शम्भवः, आकस्मिकवैद्यः ११; स्याद्वादी, नाथः (२५, ५७, ७५, ६६, १२६), शास्ता १४; पुण्यकीर्तिः (८७), आर्यः (४८, ६८) १५।

(४) अभिनन्दनः, समाधितन्त्रः १६; सतां गतिः २०।

(५) सुमतिः, मुनिः (४६, ६१, ७४, ७६) २१।

(६) पद्मप्रभः, पद्मालयालिङ्गित-चारुसूतिः, भव्यपयोरुहाणां पद्मबन्धुः २६; विभुक्तः, २७; पातित-मार-दर्पः २६; गुणाम्बुधिः अजः (५०, ८५), ऋषिः (६०, १२१) ३०।

(७) सुपाश्वः ३१; सर्व-तत्त्व-प्रमाता, हितानुशास्ता, गुणावलोकस्य जनस्य नेता ३५।

(८) चन्द्रप्रभः, चन्द्रमरीचि-गौरः, महतामभिवन्धः, ऋषीन्द्रः, जितस्वान्त-कषाय-बन्धः ३६; सर्वलोक-परमेष्ठी, अद्भुत-कर्म-तेजाः, अनन्तधामाऽक्षर-विश्व-

चक्षुः. समन्त-दुःख-क्षय-शासनः ३६; विपन्न-दोषाऽभ्र-कलङ्क-लेपः, व्याकोश-वाङ्-न्याय-मयूख-मालः, पवित्रः ४० ।

(६) सुविधिः ४१, जगदीश्वराणामभिवन्द्यः, साधुः ४५ ।

(१०) अनघः (१११) ४६; नक्तं दिविमप्रमत्तवान् ४८; समधीः ४६; उत्तम-ज्योतिः, निर्वृतः, शीतलः ५० ।

(११) श्रेयान्, अजेयवाक्यः ५१; कैवल्यविभूतिसम्प्राट्, अर्हन्, स्तवार्हं ५५ ।

(१२) शिवास्वभ्युदय-क्रियासु पूज्यः, त्रिदशेन्द्र-पूज्यः, मुनीन्द्रः (८५) ५६; वीतरागः, विवान्त-वैरः ५७; पूज्यः ५८; बुधानामभिवन्द्यः ६० ।

(१३) विमलः ६१; आर्य-प्रणतः ६५ ।

(१४) तत्त्वरुचौ प्रसीदन्, अनन्तजित् ६६; अशेषवित् ६७; उदासीन-तमः ६९ ।

(१५) अनघ-धर्मतीर्थ-प्रवर्तयिता, धर्मः, शङ्करः ७१; देव-मानव-निकाय-सत्तमैः परिवृतः, बुधैर्वृतः ७२; प्रातिहार्य-विभवैः परिष्कृतः, देहतोऽपि विरतः, शासन-फलैषणाऽनातुरः ७३; धीरः (६०, ६१, ६४) ७४; मानुषीं प्रकृतिमभ्य-तीतवान्, देवतास्वरूपि देवता, परमदेवता, जिनवृषः ७५ ।

(१६) दयामूर्तिः ७६; महोदयः ७७; आत्मतन्त्रः ७८; स्वदोषशान्त्या विहितात्म-शान्तिः, शरणं गतानां शान्तेर्विधाता, शान्तिः, शरण्यः ८० ।

(१७) कुन्धु-प्रभृत्यखिल-सत्त्व-दयैकतानः, कुन्धुः, धर्म-चक्रवर्तयिता ८१; विषय-सौख्य-पराङ्मुखः ८२; रत्नत्रयाऽतिशयतेजसि जातवीर्यः, सकल-वेद-विधेर्विनेता ८४; अप्रतिमेयः, स्तुत्यः (११६) ८५ ।

(१८) भूषा-वेषाऽऽयुध-त्यागी, विद्या-दम-दयापरः, दोष-विनिग्रहः ८४; सर्वज्ञज्योतिषोद्भूत-महिमोदयः ८६; अनेकान्तात्मदृष्टिः ८८; निरुपम-युक्त-शामनः, प्रियहित-योग-गुणाऽनुशासनः, अर-जिनः, दम-तीर्थनायकः १०४; वरदः १०५ ।

(१९) महर्षिः १०६; जिन-शिशिरांशुः १०९; जिनसिंहः, कृतकरणीयः, मल्लिः, अशल्यः ११०

(२०) अधिगत-मुनि-सुव्रत-स्थितिः, मुनिवृषभः, मुनिसुव्रतः, १११; कृत-मद

निग्रह-विग्रहः ११२; शशि-रुचि-शुचि-शुक्ल-लोहित-वपुः, सुरभितर-विरजवपुः, यतिः ११३; वदतांवरः ११४; अभवसौख्यवान् ११५ ।

(२१) सततमभिपूज्यः, नमि-जिनः ११६; धीमान्, ब्रह्म-प्रणिधिमनाः, विदुषां मोक्ष-पदवी ११७; सकल-भुवन-ज्येष्ठ-गुरुः ११८; परमकरुणः ११९; भूषा-वेष-व्यवधि-रहित-वपुः, शान्तकरणः, निर्मोहः, शान्तिनिलयः १२० ।

(२२) परम-योग-दहन-हुत-कल्मषेन्वनः १२१; अनवद्य-विनय-दम-तीर्थ-नायकः, शीलजलधिः, विभवः, अरिष्टनेमिः, जिनकुञ्जरः, अजरः १२२; बुधनुतः १३० ।

(२३) महामना १३१; ईश्वरः, विधूत-कल्मषः, शमोपदेशः १३४; सत्य-विद्या-तपसां प्रणायकः, समग्रधीः, पार्श्वजिनः, विलीनमिथ्यापथ-दृष्टि-विभ्रमः १३५ ।

(२४) वीरः १३६; मुनीश्वरः १३८; सुराऽसुर-महितः, ग्रन्थिक-सत्वा-ऽऽशयप्रणामाऽमहितः, लोक-त्रय-परम-हितः, अनावरण-ज्योतिः, उज्ज्वल-धामहितः १३९; गत-मर-मायः, मुमुक्ष-कामदः १४१, शम-वादानवन्, अपगत-प्रमा-दानवान् १४२; देवः, समन्तभद्र-मतः १४३ ।

इन विशेषण-पदोंको आठ समूहों अथवा विभागोंमें विभाजित किया जा सकता है; जैसे १ कर्मकलंक और दोषों पर विजयके सूचक, २ ज्ञानादि-गुणोत्कर्ष-व्यञ्जक, ३ परहित-प्रतिपादनादिरूप लोकहितैषितामूलक, ४ पूज्यताऽभिव्यञ्जक, ५ शासनकी महत्ताके प्रदर्शक, ६ शारीरिक स्थिति और अभ्युदयके निदर्शक, ७ साधनाकी प्रधानताके प्रकाशक, और ८ मिश्रित-गुणोंके वाचक ।

ये सब विशेषणपद एक प्रकारसे अर्हन्तोंके नाम हैं जो उनके किसी-किसी गुण अथवा गुणसमूहकी अपेक्षाको साथमें लिये हुए हैं । यद्यपि इन विशेषण-पदोंमें कितने ही विशेषणपद—जैसे साधुः, मुनिः, यतिः आदिक—साधारण अथवा सामान्य जान पड़ते हैं; क्योंकि वे अर्हत्पदसे रहित दूसरोंके लिए भी प्रयुक्त होते हैं । परन्तु उन्हें यहाँ साधारण नहीं समझना चाहिये; क्योंकि असाधारण व्यक्तित्वको लिये हुए महान् पुरुषोंके लिए जब साधारण विशेषण प्रयुक्त होते हैं तब वे 'आश्रयाज्जायते लोके निःप्रभोऽपि महाद्युतिः' की उक्तिके अनुसार आश्रयके माहात्म्यसे असाधारण अर्थके द्योतक होते हैं—उनका अर्थ अपनी

चरमसीमाको पहुँचा हुआ ही नहीं होता बल्कि दूसरे अर्थोंकी प्रभाको भी अपने साथमें लिये हुए होता है ।

जैनतीर्थकर अर्हद्गुणोंकी दृष्टिसे प्रायः समान होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व-विशेषकी कुछ बातोंको छोड़कर अर्हत्तदकी दृष्टिसे एक तीर्थकरके जो गुण अथवा विशेषण हैं वे ही दूसरेके हैं—भले ही उनके साथमें उन विशेषणोंका प्रयोग न हुआ हो या प्रयोगको अवसर न मिला हो । और इस तरह अन्तिम तीर्थकर श्रीवीरजिनेन्द्रमें उन सभी गुणोंकी परिसमाप्ति एवं पूर्णता समझनी चाहिये जिनका ग्रन्थ वृषभादि तीर्थकरोंके स्तवनोंमें उल्लेख हुआ अथवा प्रदर्शन किया गया है । और उनका शासनतीर्थ उन सब गुणोंसे विशिष्ट है जो अन्य जैन तीर्थकरोंके शासनमें निर्दिष्ट हुए हैं । तीर्थकर-नामोंके सार्थक, अन्वयार्थक अथवा गुणार्थक होनेसे एक तीर्थकरका जो नाम है वह दूसरोंका विशेषण अथवा गुणार्थक पद हो जाता है ❀ और इसलिए उन्हें भी विशेषणपदोंमें संगृहीत किया गया है ।

* इसी दृष्टिको लेकर द्विसंधानादि चतुर्विंशतिसंधान-जैसे काव्य रचे गए हैं । चतुर्विंशतिसंधानको पं० जगन्नाथने एक ही पद्यमें रचा है, जिसमें २४ तीर्थकरोंके नाम आ गए हैं, और एक-एक तीर्थकरकी अलग-अलग स्तुतिके रूपमें उसकी २४ व्याख्याएँ की गई हैं और २५ वीं व्याख्या समुच्चय-स्तुतिके रूपमें है (देखो, वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित 'जैनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह पृ० ७८) । हालमें 'पंचवटी' नामका एक ऐसा ही ग्रन्थ मुझे जयपुरसे उपलब्ध हुआ है जिसके प्रथम स्तुतिपद्यमें २४ तीर्थकरोंके नाम आ गए हैं और संस्कृत व्याख्यानमें उन नामोंके अर्थको वृषभजिनके सम्बन्धमें स्पष्ट करते हुए अजितादिशेष तीर्थकरोंके सम्बन्धमें भी घटित करलेनेकी बात कही गई है । वह पद्य इस प्रकार है—

श्रीधर्मोवृषभोऽभिनन्दन अरः पद्मप्रभः शीतलः

शान्तिः संभव वासुपूज्य अजितश्चन्द्रप्रभः सुव्रतः ।

श्रेयान् कुन्धुरनंतवीरविमलः श्रीपुष्पदन्तो नमिः

श्रीनेमिः सुमतिः सुपाश्वजिनराट् पाश्वो मलिः पातु वः ॥१॥

भक्तियोग और स्तुति-प्रार्थनादि-रहस्य—

जैनधर्मके अनुसार, सब जीव द्रव्यदृष्टिसे अथवा शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा परस्पर समान हैं—कोई भेद नहीं—सबका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है। प्रत्येक स्वभावसे ही अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यादि अनन्तशक्तियोंका आधार है—पिण्ड है। परन्तु अनादिकालसे जीवोंके साथ कर्ममल लगा हुआ है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ आठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकसौ अड़तालीस और उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ असंख्य हैं। इस कर्म-मलके कारण जीवोंका असली स्वभाव आच्छादित है, उनकी वे शक्तियाँ अविकसित हैं और वे पर-तंत्र हुए नाना प्रकारकी पर्यायें धारण करते हुए नज़र आते हैं। अनेक अवस्थाओंको लिए हुए संसारका जितना भी प्राणिवर्ग है वह सब उसी कर्म-मलका परिणाम है—उसीके भेदसे यह सब जीवजगत् भेदरूप है; और जीवकी इस अवस्थाको 'विभाव-परिणति' कहते हैं। जबतक किसी जीवकी यह विभाव-परिणति बनी रहती है तब तक वह 'संसारी' कहलाता है और तभी तक उसे संसारमें कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप धारण करके परिभ्रमण करना तथा दुःख उठाना होता है। जब योग्य-साधनोंके बलपर यह विभाव-परिणति भिंट जाती है—आत्मामें कर्म-मलका सम्बन्ध नहीं रहता—और उसका निज स्वभाव सर्वज्ञरूपसे अथवा पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब वह जीवात्मा संसार-परिभ्रमणसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है और मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा कहलाता है, जिसकी दो अवस्थाएँ हैं—एक जीवन्मुक्त और दूसरी विदेहमुक्त। इस प्रकार पर्यायदृष्टिसे जीवोंके 'संसारी' और 'सिद्ध' ऐसे मुख्य दो भेद कहे जाते हैं; अथवा अविकसित, अल्पविकसित, बहुविकसित और पूर्ण-विकसित ऐसे चार भागोंमें भी उन्हें बांटा जा सकता है। और इसलिये जो अधिकाधिक विकसित हैं वे स्वरूपसे ही उनके पूज्य एवं आराध्य हैं जो अविकसित या अल्प-विकसित हैं; क्योंकि आत्मगुणोंका विकास सबके लिये इष्ट है।

ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि संसारी जीवोंका हित इसीमें है कि वे अपनी विभाव-परिणतिको छोड़कर स्वभावमें स्थिर होने अर्थात् सिद्धिको प्राप्त करनेका यत्न करें। इसके लिये आत्म-गुणोंका परिचय चाहिये गुणोंमें

वर्धमान अनुराग चाहिये और विकासमार्गकी दृढ़ श्रद्धा चाहिए। बिना अनुराग-के किसी भी गुणकी प्राप्ति नहीं होती—अनुरागी अथवा अभक्त-हृदय गुण-ग्रहणका पात्र ही नहीं, बिना परिचयके अननुराग बढ़ाया नहीं जा सकता और बिना विकासमार्गकी दृढ़ श्रद्धाके गुणोंके विकासकी ओर यथेष्ट प्रवृत्ति ही नहीं बन सकती। और इसलिये अपना हित एवं विकास चाहनेवालोंको उन पूज्य महापुरुषों अथवा सिद्धात्माओंकी शरणमें जाना चाहिये, उनकी उपासना करनी चारिये, उनके गुणोंमें अनुराग बढ़ाना चाहिए और उन्हें अपना मार्ग-प्रदर्शक मानकर उनके नक्शे कदमपर—पदचिन्होंपर—चलना चाहिये, अथवा उनकी शिक्षाओंपर अमल करना चाहिये, जिनमें आत्माके गुणोंका अधिकाधिक रूपमें अथवा पूर्णरूपसे विकास हुआ हो; यही उनके लिये कल्याणका सुगम मार्ग है। वास्तवमें ऐसे महान् आत्माओंके विकसित आत्मस्वरूपका भजन और कीर्तन ही हम संसारी जीवोंके लिये अपने आत्माका अनुभवन और मनन है; हम 'सोऽहं' की भावना-द्वारा उसे अपने जीवनमें उतार सकते हैं और उन्हींके—अथवा परमात्मस्वरूपके—आदर्शको सामने रखकर अपने चरित्रका गठन करते हुए अपने आत्मीय-गुणोंका विकास सिद्ध करके तद्रूप हो सकते हैं। इस सब अनुष्ठानमें उन सिद्धात्माओंकी कुछ भी गरज नहीं होती और न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर है—यह सब साधना अपने ही उत्थानके लिए की जाती है। इसीसे सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) के साधनोंमें 'भक्ति-योग' को एक मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे 'भक्ति-मार्ग' भी कहते हैं।

सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओंकी भक्तिद्वारा आत्मोत्कर्ष साधनेका नाम ही 'भक्तियोग' अथवा 'भक्ति-मार्ग' है और 'भक्ति' उनके गुणोंमें अनुरागको, तदनुकूल वर्त्तनको अथवा उनके प्रति गुणानुरागपूर्वक आदर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी उत्पत्ति एवं रक्षाका साधन है। स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सब भक्तिके ही रूप अथवा नामान्तर हैं। स्तुति-पूजा-वन्दनादिके रूपमें इस भक्तिक्रिया को 'सम्यक्त्वर्वाद्धिनी क्रिया' बतलाया है, 'शुभोपयोगिचारित्र' लिखा है और साथ ही 'कृतिकर्म' भी लिखा है, जिसका अभिप्राय है 'पापकर्म-छेदन-

का अनुष्ठान'। सद्भक्तिके द्वारा औद्धत्य तथा अहंकारके त्यागपूर्वक गुणानुराग बढ़नेसे प्रशस्त अध्यवसायकी अथवा परिणामोंकी विशुद्धिसे संचित कर्म उसी तरह नाशको प्राप्त होता है जिस तरह काष्ठके एक सिरेमें अग्निके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्म हो जाता है। इधर संचित कर्मोंके नाशसे अथवा उनकी शक्तिके शमनसे गुणावरोधक कर्मोंकी निर्जरा होती या उनका बल क्षय होता है तो उधर उन अभिलषित गुणोंका उदय होता है, जिससे आत्माका विकास सधता है। इसीसे स्वामी समन्तभद्र-जैसे महान् आचार्योंने परमात्माकी स्तुतिरूपमें इस भक्तिको कुशल-परिणामकी हेतु बतलाकर इसके द्वारा श्रेयोमार्गको सुलभ और स्वाधीन बतलाया है ‡ अपने तेजस्वी तथा सुकृति आदि होनेका कारण भी इसीको ❀ निर्दिष्ट किया है और इसीलिये स्तुति-वन्दनादिके रूपसे यह भक्ति अनेक नैमित्तिक क्रियाओंमें हो नहीं, किन्तु नित्यकी षट् आवश्यक क्रियाओंमें भी शामिल की गई है, जो कि सब आध्यत्मिक क्रियाएँ हैं और अन्तर्दृष्टिपुरुषों (मुनियों तथा श्रावकों) के द्वारा आत्मगुणोंके विकासको लक्ष्यमें रखकर ही नित्य की जाती हैं और तभी वे आत्मोत्कर्षकी साधक होती हैं। अन्यथा, लौकिक लाभ, पूजा-प्रतिष्ठा, यश, भय, रुद्धि आदिके वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय नहीं बन सकता और न प्रशस्त अध्यवसायके बिना संचित पापों अथवा कर्मोंका नाश होकर आत्मीय-गुणोंका विकास ही सिद्ध किया जा सकता है। अतः इस विषयमें लक्ष्यशुद्धि एवं भावशुद्धिपर दृष्टि रखनेकी खास जरूरत है, जिसका सम्बन्ध विवेकसे है। बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नहीं होती और न बिना विवेककी भक्ति सद्भक्ति ही कहलाती है।

स्वामी समन्तभद्रका यह स्वयम्भू ग्रन्थ 'स्तोत्र' होनेसे स्तुतिपरक है और इसलिए भक्तियोगकी प्रधानताको लिये हुए है, इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है। सच पूछिये तो जब तक किसी मनुष्यका अहंकार नहीं मरता तब तक उसके विकासकी भूमिका ही तय्यार नहीं होती। बल्कि पहलेसे यदि कुछ

‡ देखो, स्वयम्भूस्तोत्रकी कारिका नं० ११६

❀ देखो, स्तुतिविद्याका पद्य नं० ११४

विकास हुआ भी होता है तो वह भी 'किया कराया सब गया जब आया हुंकार' की लोकोक्तिके अनुसार जाता रहता अथवा दूषित हो जाता है। भक्तियोगसे अहंकार मरता है, इसीसे विकास-मार्गमें सबसे पहले भक्तियोग-को अपनाया गया है और इसीसे स्तोत्रग्रन्थोंके रचनेमें समन्तभद्र प्रायः प्रवृत्त हुए जान पड़ते हैं। आसपुरुषों अथवा विकासको प्राप्त शुद्धात्माओंके प्रति आचार्य समन्तभद्र कितने विनम्र थे और उनके गुणोंमें कितने अनुरागी थे यह उनके स्तुति-ग्रन्थोंसे भले प्रकार जाना जाता है। उन्होंने स्वयं 'स्तुतिविद्या'में अपने विकासका प्रधान श्रेय 'भक्तियोग'को दिया है (पद्य ११४); भगवान् जिनदेवके स्तवनको भव-वनको भस्म करने वाली अग्नि लिखा है; उनके स्मरणको क्लेश-समुद्रसे पार करनेवाली नौका बतलाया है (पं ११५) और उनके भजनको लोहेसे पारसमणिके स्पर्श-समान बतलाते हुए यह घोषित किया है कि उसके प्रभावसे मनुष्य विशदज्ञानी होता हुआ तेजको धारण करता है और उसका वचन भी सारभूत हो जाता है (६०)।

अब देखना यह है कि प्रस्तुत स्वयम्भूग्रन्थमें भक्तियोगके अङ्गस्वरूप 'स्तुति' आदिके विषयमें क्या कुछ कहा है और उनका क्या उद्देश्य, लक्ष्य अथवा हेतु प्रकट किया है:—

लोकमें 'स्तुति' का जो रूप प्रचलित है उसे बतलाते हुए और वैसी स्तुति करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए, स्वामीजी लिखते हैं—

गुण-स्तोकं सदुल्लंघ्य तद्बहुत्व-कथा स्तुतिः।

आनन्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम् ॥८६॥

तथाऽपि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामाऽपि कीर्तितम्।

पुनाति पुण्यकीर्तेर्नस्ततो ब्रूयाम किञ्चन ॥८७॥

अर्थात्—विद्यमान गुणोंकी अल्पताको उल्लङ्घन करके जो उनके बहुत्वकी कथा की जाती है—उन्हें बड़ा-चढ़ाकर कहा जाता है—उसे लोकमें 'स्तुति' कहते हैं। वह स्तुति (हे जिन!) आपमें कैसे बन सकती है?—नहीं बन सकती। क्योंकि आपके गुण अनन्त होनेसे पूरे तौर पर कहे ही नहीं जा सकते—बड़ा-चढ़ाकर कहनेकी तो बात ही दूर है। फिर भी आप पुण्यकीर्ति मुनीन्द्रका

चूँकि नाम-कीर्तन भी—भक्ति-पूर्वक नामका उच्चारण भी—हमें पवित्र करता है, इस लिए हम आपके गुणोंका कुछ—लेशमात्र—कथन (यहाँ) करते हैं ।

इससे प्रकट है कि समन्तभद्रकी जिन-स्तुति यथार्थताका उल्लंघन करके गुणोंको बड़ा-चढ़ाकर कहनेवाली लोकप्रसिद्ध स्तुति-जैसी नहीं है, उसका रूप जिनेन्द्रके अमन्त गुणोंमेंसे कुछ गुणोंका अपनी शक्तिके अनुसार आंशिक कीर्तन करना है † और उसका उद्देश्य अथवा लक्ष्य है आत्माको पवित्र करना । आत्माका पवित्रीकरण पापोंके नाशसे—मोह, कषाय तथा राग-द्वेषादिकके अभावसे—होता है । जिनेन्द्रके पुण्य-गुणोंका स्मरण एवं कीर्तन आत्माकी पाप-परिणति-को छुड़ाकर उसे पवित्र करता है, इस बातको निम्न कारिकामें व्यक्त किया गया है—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ ! विवान्त-वैरे ।

तथाऽपि ते पुण्य-गुण-स्मृतिर्नः पुनाति चित्तं दुरिताञ्जनेभ्यः ॥५७॥

इसी कारिकामें यह भी बतलाया गया है कि पूजा-स्तुतिसे जिनदेवका कोई प्रयोजन नहीं है; क्योंकि वे वीतराग हैं—रागका अंश भी उनके आत्मामें विद्यमान नहीं है, जिससे किसीकी पूजा, भक्ति या स्तुतिपर वे प्रसन्न होते । वे तो सच्चिदानन्दमय होनेसे सदा ही प्रसन्नस्वरूप हैं, किसीकी पूजा आदिकसे उनमें नवीन प्रसन्नताका कोई संचार नहीं होता और इसलिये उनकी पूजा भक्ति या स्तुतिका लक्ष्य उन्हें प्रसन्न करना तथा उनकी प्रसन्नता-द्वारा अपना कोई कार्य सिद्ध करना नहीं है और न वे पूजादिकसे प्रसन्न होकर या स्वेच्छासे किसीके पापोंको दूर करके उसे पवित्र करनेमें प्रवृत्त होते हैं, बल्कि उनके पुण्य-गुणोंके स्मरणादिसे पाप स्वयं दूर भागते हैं और फलतः पूजक या स्तुतिकर्ताके आत्मामें

† इसी आशयको 'युक्त्यनुशासन' की निम्न दो कारिकाओंमें भी व्यक्त किया गया है:—

याथात्म्यमुल्लंघ्य गुणोदयारूपा लोके स्तुतिभूरिगुणोदधेस्ते ।

अणिष्टमप्यंशमशक्नुवन्तो वक्तुं जिन ! त्वां किमिव स्तुयाम ॥२॥

तथापि वैय्यात्यमुपेत्य भक्त्या स्तोतास्मि ते शक्त्यनुरूप-वाक्यः ।

इष्टे प्रमेयेऽपि यथास्वशक्ति किन्नोत्सहन्ने पुरुषाः क्रियाभिः ॥३॥

पवित्रताका संचार होता है। इसी बातको और अच्छे शब्दोंमें निम्नकारिका-
द्वारा स्पष्ट किया गया है—

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा

भवेन्मा वा स्तुत्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः ।

किमेवं स्वाधीन्याजगति सुलभे श्रायसपथे

स्तुयात्र त्वा विद्वान्सततमभिपूज्यं नमिजिनम् ॥११६॥

इसमें बतलाया है कि—‘स्तुतिके समय और स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी (Direct) उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु आत्मसाधनामें तत्पर साधुस्तोताकी—विवेकके साथ भक्तिभावपूर्वक स्तुति करनेवालेकी—स्तुति कुशलपरिणामकी—पुण्यप्रसाधक या पवित्रता-विधायक शुभभावोंकी—कारण जरूर होती है; और वह कुशल-परिणाम अथवा तज्जन्य पुण्यविशेष श्रेय फलका दाता है। जब जगतमें इस तरह स्वाधीनतासे श्रेयोमार्ग सुलभ है—स्वयं प्रस्तुत की गई अपनी स्तुतिके द्वारा प्राप्य है—तब हे सर्वदा अभिपूज्य नमि-जिन ! ऐसा कौन विद्वान्—परीक्षा-पूर्वकारी अथवा विवेकी जन—है जो आपकी स्तुति न करे ? करे ही करे।

अनेक स्थानोंपर समन्तभद्रने जिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपनेको अज्ञ (१५), बालक (३०) तथा अल्पधी (५६) के रूपमें उल्लिखित किया है; परन्तु एक स्थानपर तो उन्होंने अपनी भक्ति तथा विनम्रताकी पराकाष्ठा ही कर दी है, जब इतने महान् ज्ञानी होते हुए और इतनी प्रौढ स्तुति रचते हुए भी वे लिखते हैं—

त्वमीदृशस्तादृश इत्ययं मम प्रलाप-लेशोऽल्प-मतेर्महामुने !

अशेष-माहात्म्यमनीरयन्नपि शिवाय संस्पर्श इवाऽमृताम्बुधेः ॥७०॥

‘(हे भगवन् !) आप ऐसे हैं, वैसे हैं—आपके ये गुण हैं, वे गुण हैं—इस प्रकार स्तुतिरूपमें मुझ अल्पमतिका—यथावत् गुणोंके परिज्ञानसे रहित स्तोताका—यह थोड़ासा प्रलाप है। (तब क्या यह निष्फल होगा ? नहीं ।) अमृतसमुद्रके अशेष माहात्म्यको न जानते और न कथन करते हुए भी जिस प्रकार उसका संस्पर्श कल्याणकारक होता है उसी प्रकार हे महामुने ! आपके

अशेष माहात्म्यको न जानते और न कथन करते हुए भी मेरा यह थोड़ासा प्रलाप आपके गुणोंके संस्पर्शरूप होनेसे कल्याणका ही हेतु है ।’

इससे जिनेन्द्र-गुणोंका स्पर्शमात्र थोड़ासा अधूरा कीर्तन भी कितना महत्त्व रखता है यह स्पष्ट जाना जाता है ।

जब स्तुत्य पवित्रात्मा, पुण्य-गुणोंकी मूर्ति और पुण्यकीर्ति हो तब उसका नाम भी, जो प्रायः गुण-प्रत्यय होता है, पवित्र होता है और इसीलिये ऊपर उद्धृत ८७ वीं कारिकामें जिनेन्द्रके नाम-कीर्तनको भी पवित्र करनेवाला लिखा है तथा नीचेकी कारिकामें, अजितजिनकी स्तुति करते हुए, उनके नामको ‘परमपवित्र’ बतलाया है और लिखा है कि आज भी अपनी सिद्धि चाहनेवाले लोग उनके परमपवित्र नामको मंगलके लिये—पापको गालने अथवा विघ्न-बाधाओंको टालनेके लिये—बड़े आदरके साथ लेते हैं—

अद्यापि यस्याऽजित-शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम् ।

प्रगृह्यते नाम परम-पवित्रं स्वसिद्धि-कामेन जनेन लोके ॥७॥

जिन अर्हन्तोंका नाम-कीर्तन तक पापोंको दूर करके आत्माको पवित्र करता है उनके शरणमें पूर्ण हृदयसे प्राप्त होनेका तो फिर कहना ही क्या है—वह तो पाप-तापको और भी अधिक शान्त करके आत्माको पूर्ण निर्दोष एवं सुख-शान्ति-मय बनानेमें समर्थ है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने अनेक स्थानोंपर ‘ततस्त्वं निर्मोहः शरणमसि नः शान्ति-निलयः’ (१२०) जैसे वाक्योंके साथ अपनेको अर्हन्तोंकी शरणमें अर्पण किया है । यहाँ इस विषयका एक खास वाक्य उद्धृत किया जाता है, जो शरण-प्राप्तिमें कारणके भी स्पष्ट उल्लेखको लिये हुए है—

स्वदोष-शान्त्या विहितात्म-शान्तिः शान्तेर्विधाता शरणं गतानाम् ।

भूयाद्भव-क्लेश-भयोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे भगवान् शरण्यः ॥८॥

इसमें बतलाया है कि ‘वे भगवान् शान्तिजिन मेरे शरण्य हैं—मैं उनकी शरण लेता हूँ—जिन्होंने अपने दोषोंकी—अज्ञान, मोह तथा राग-द्वेष-काम-क्रोधादि-विकारोंकी—शान्ति करके आत्मामें परमशान्ति स्थापित की है—पूर्ण सुखस्वरूपा स्वाभाविकी स्थिति प्राप्त की है—और इसलिये जो शरणागतोंको शान्तिके विधाता हैं—उनमें अपने आत्मप्रभावसे दोषोंकी शान्ति करके शान्ति-

सुखका संचार करने अथवा उन्हें शान्ति-मुखरूप परिणत करनेमें सहायक एवं निमित्तभूत है। अतः (इस शरणागतिके फलस्वरूप) वे शान्तिजिन मेरे संसार-परिभ्रमणका अन्त और सांसारिक क्लेशों तथा भयोंकी समाप्तिमें कारणी-भूत होंगे ।’

यहां शान्तिजिनको शरणागतोंकी शान्तिका जो विधाता (कर्ता) कहा है उसके लिये उनमें किसी इच्छा या तदनुकूल प्रयत्नके आरोपकी जरूरत नहीं है, वह कार्य उनके ‘विहितात्म-शान्ति’ होनेसे स्वयं ही उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कि अग्निके पास जानेसे गर्मीका और हिमालय या शीतप्रधान प्रदेशके पास पहुंचनेसे सर्दीका संचार अथवा तद्रूप परिणामन स्वयं हुआ करता है और उसमें उस अग्नि या हिममय पदार्थकी इच्छादिक-जैसा कोई कारण नहीं पड़ता। इच्छा तो स्वयं एक दोष है और वह उस मोहका परिणाम है जिसे स्वयं स्वामी-जिने इस ग्रन्थमें ‘अनन्तदोषाशय-विग्रह’ (६६) बतलाया है। दोषोंकी शान्ति हो जानेसे उसका अस्तित्व ही नहीं बनता। और इसलिए अर्हन्तदेवमें विना इच्छा तथा प्रयत्नवाला कर्तृत्व सुघटित है। इसी कर्तृत्वको लक्ष्यमें रखकर उन्हें ‘शान्तिके विधाता’ कहा गया है—इच्छा तथा प्रयत्नवाले कर्तृत्वकी दृष्टिसे वे उसके विधाता नहीं हैं। और इस तरह कर्तृत्व-विषयमें अनेकान्त चलता है—सर्वथा एकान्तपक्ष जैनशासनमें ग्राह्य ही नहीं है।

यहां प्रसंगवश इतना और भी बतला देना उचित जान पड़ता है कि उक्त पद्यके तृतीय चरणमें सांसारिक क्लेशों तथा भयोंकी शान्तिमें कारणीभूत होनेकी जो प्रार्थना की गई है व जैनी प्रार्थनाका मूलरूप है, जिसका और भी स्पष्ट दर्शन नित्यकी प्रार्थनामें प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथामें पाया जाता है—

दुःख-खञ्जो कम्म-खञ्जो समाहि-मरणं च बोहिताहो य ।

मम होउ तिजगबंधव ! तव जिणवर चरण-सरणोण ॥

इसमें जो प्रार्थना की गई है उसका रूप यह है कि—‘हे त्रिजगतके (निर्निमित्त) बन्धु जिनदेव ! आपके चरण-शरणके प्रसादसे मेरे दुःखोंका क्षय, कर्मोंका क्षय, समाधिपूर्वक मरण और बोधिका—सम्यग्दर्शनादिकका—लाभ होवे ।’ इससे यह प्रार्थना एक प्रकारसे आत्मोत्कर्षकी भावना है और इस बातको सूचित करती है कि जिनदेवकी शरण प्राप्त होनेसे—प्रसन्नतापूर्वक जिनदेवके चरणोंका

आराधन करनेसे—दुःखोंका क्षय और कर्मोंका क्षयादिक सुख-साध्य होता है। यही भाव समन्तभद्रकी प्रार्थनाका है। इसी भावको लिए हुए ग्रन्थमें दूसरी प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं—

“मति-प्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाथ !” (२५)

“मम भवताद् दुरितासनोदितम्” (१८५)

“भवतु ममाऽपि भवोपशान्तये” (११५)

परन्तु ये ही प्रार्थनाएँ जब जिनेन्द्रदेवको साक्षात् रूपमें कुछ करने-करानेके लिये प्रेरित करती हुई जान पड़ती हैं तो वे अलंकृतरूपको धारण किये हुए होती हैं। प्रार्थनाके इस अलंकृतरूपको लिये हुए जो वाक्य प्रस्तुत ग्रन्थमें पाये जाते हैं वे निम्न प्रकार हैं—

१. पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनः (५)

२. जिनः श्रियं मे भगवान् विधत्ताम् (१०)

३. ममाऽऽर्य देयाः शिवतातिमुच्चैः (१५)

४. पूयात्पवित्रो भगवान् मनो मे (४०)

५. श्रेयसे जिनवृष ! प्रसीद नः (७५)

ये सब प्रार्थनाएँ चित्तको पवित्र करने, जिनश्री तथा शिवसन्ततिको देने और कल्याण करनेकी याचनाको लिये हुए हैं, आत्मोत्कर्ष एवं आत्मविकासको लक्ष्य करके की गई हैं, इनमें असंगतता तथा असंभाव्य-जैसी कोई बात नहीं है—सभी जिनेन्द्रदेवके सम्पर्क तथा शरणमें आनेसे स्वयं सफल होनेवाली अथवा भक्ति-उपासनाके द्वारा सहजसाध्य हैं—और इसलिये अलंकारकी भाषामें की गई एक प्रकारकी भावनाएँ ही हैं। इनके मर्मको ग्रन्थके अनुवादमें स्पष्ट किया गया है। वास्तवमें परम वीतरागदेवसे विवेकी जनकी प्रार्थनाका अर्थ देवके समक्ष अपनी भावनाको व्यक्त करना है अर्थात् यह प्रकट करना है कि वह आपके चरण-शरण एवं प्रभावमें रह कर और कुछ पदार्थपाठ लेकर आत्म-शक्तिको जाग्रत एवं विकसित करता हुआ अपनी उस इच्छा, कामना या भावनाको पूरा करनेमें समर्थ होना चाहता है। उसका यह आशय कदापि

नहीं होता कि वीतरागदेव भक्तकी प्रार्थनासे द्रवीभूत होकर अपनी इच्छाशक्ति एवं प्रयत्नादिको काममें लाते हुए स्वयं उसका कोई काम कर देंगे अथवा दूसरोंसे प्रेरणादिके द्वारा करा देंगे । ऐसा आशय असम्भाव्यको संभाव्य बनाने-जसा है और देवके स्वरूपसे अनभिज्ञता व्यक्त करता है । अस्तु, प्रार्थना-विषयक विशेष ऊहापोह स्तुतिविद्याकी प्रस्तावना या तद्विषयक निबन्धमें 'वीतराग-से प्रार्थना क्यों ?' इस शीर्षकके नीचे किया गया है और इसीलिए उसे वहींसे जानना चाहिये ।

इस तरह भक्तियोग, जिसके स्तुति, पूजा, वन्दना, आराधना, शरणागति, भजन-स्मरण और नामकीर्तनादिक अंग हैं, आत्मविकासमें सहायक है । और इसलिए जो विवेकी जन अथवा बुद्धिमान पुरुष आत्मविकासके इच्छुक तथा अपना हितसाधनमें सावधान हैं वे भक्तियोगका आश्रय लेते हैं । इसी बातको प्रदर्शित करनेवाले ग्रन्थके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

१. इति प्रभो ! लोक-हितं यतो मतं
ततो भवानेव गतिः सतां मतः (२०) ।
२. ततः स्वनिश्रेयस-भावना-परै-
र्बुधप्रवेकैर्जिन ! शीतलेड्यसे (५०) ।
३. ततो, भवन्तमार्याः प्रणता हितैपिणः (६५) ।
४. तस्माद्भवन्तमजमप्रतिमेयमार्याः
स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियः स्वहितैकतानाः (८५) ।
५. स्वार्थ-नियत-मनसः सुधियः
प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महर्षयः (१२४) ।

स्तुतिविद्यामें तो बुद्धि उसीको कहा है जो जिनेन्द्रका स्मरण करती है, मस्तक उसीको बतलाया है जो जिनेन्द्रके पदोंमें नत रहता है, सफलजन्म उसीको घोषित किया है जिसमें संसार-परिभ्रमणको नष्ट करनेवाले जिन-चरणोंका आश्रय लिया जाता है, वाणी उसीको माना है जो जिनेन्द्रका स्तवन (गुणकीर्तन) करती है, पवित्र उसीको स्वीकार किया है जो जिनेन्द्रके मतमें रत है और पंडितजन उन्हींको अंगीकार किया है जो जिनेन्द्रके चरणोंमें

सदा नम्रीभूत रहते हैं॥ (११३) ।

इन्हीं सब बातोंको लेकर स्वामी समन्तभद्रने अपनेको अर्हजिनेन्द्रकी भक्तिके लिए अर्पण कर दिया था । उनकी इस भक्तिके ज्वलन्त रूपका दर्शन स्तुतिविद्याके निम्न पद्यमें होता है, जिसमें वे वीरजिनेन्द्रको लक्ष्य करके लिखते हैं 'हे भगवन् आपके मतमें अथवा आपके विषयमें मेरी सुश्रद्धा है—अन्ध श्रद्धा नहीं; मेरी स्मृति भी आपको ही अपना विषय बनाये हुए है—सदा आपका ही स्मरण किया करती है; मैं पूजन भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ आपको ही प्राणामांजलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान आपकी ही गुण-कथाको सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी आँखें आपके ही सुन्दर रूपको देखा करती हैं, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी सुन्दर स्तुतियोंके रचने का है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमें तत्पर रहता है । इस प्रकारकी चूँकि मेरी सेवा है—मैं निरन्तर ही आपका इस तरह आराधन किया करता हूँ—इसीलिए हे तेजःपते ! (केवलज्ञानस्वामिन्) मैं तेजस्वी हूँ, सुजन हूँ और सुकृति (पुण्यवान्) हूँ—

सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चाऽपि ते

हस्तावज्जलये कथा-श्रुति-रतः कर्णोऽक्षि संप्रेक्षते ।

सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशी येन ते

तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते ॥११४॥

यहाँ सबसे पहले 'सुश्रद्धा' की जो बात कही गई है वह बड़े महत्वकी है और अगली सब बातों अथवा प्रवृत्तियोंकी जान-प्राण जान पड़ती है । इससे जहाँ यह मालूम होता है कि समन्तभद्र जिनेन्द्रदेव तथा उनके शासन^(१) (मत) के विषयमें अन्धश्रद्धालु नहीं थे वहाँ यह भी जाना जाता है कि भक्तियोगमें अन्ध-श्रद्धाका ग्रहण नहीं है—उसके लिये सुश्रद्धा चाहिये, जिसका सम्बन्ध विवेकसे

१. प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव शिरस्तद्यन्तं ते पदे

जन्मादः सफलं परं भवभिदी यन्नाश्रिते ते पदे ।

मांगल्यं च स यो रतस्तत्र मते गीः सैव या त्वां स्तुते

ते ज्ञा ये प्रणता जनाः क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते ॥११३॥

है। समन्तभद्र ऐसी ही विवेकवती सुश्रद्धासे सम्पन्न थे। अन्धी भक्ति वास्तवमें उस फलको फल ही नहीं सकती जो भक्तियोगका लक्ष्य और उद्देश्य है।

इसी भक्त्यर्पणाकी बातको प्रस्तुत ग्रन्थमें एक दूसरे ही ढंगसे व्यक्त किया गया है और वह इस प्रकार है—

अतएव ते बुधनुतस्य चरित-गुणमद्भुतोदयम् ।

न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् ॥

इस वाक्यमें स्वामी समन्तभद्र यह प्रकट करते हैं कि 'हे बुधजनस्तुत-जिनेन्द्र ! आपके चरित-गुण और अद्भुत उदयको न्यायविहित—युक्तियुक्त—निश्चय करके ही हम बड़े प्रसन्नचित्तसे आपमें स्थित हुए हैं—आपके भक्त बने हैं और हमने आपका आश्रय लिया है।'

इससे साफ़ जाना जाता है कि समन्तभद्रने जिनेन्द्रके चरितगुणकी और केवलज्ञान तथा समवसरणादि-विभूतिके प्रादुर्भावको लिये हुए अद्भुत उदयकी जाँच की है—परीक्षा की है—और उन्हें न्यायकी कसौटीपर कसकर ठीक एवं युक्तियुक्त पाया है तथा अपने आत्मविकासके मार्गमें परम-सहायक समझा है, इसीलिये वे पूर्ण-हृदयसे जिनेन्द्रके भक्त बने हैं और उन्होंने अपनेको उनके चरण-शरणमें अर्पण कर दिया है। अतः उनका भक्तिमें कुलपरम्परा, रुढ़ि-पालन और कृत्रिमता (बनावट-दिखावट)—जैसी कोई बात नहीं थी—वह एक दम शुद्ध विवेकसे संचालित थी और ऐसा ही भक्तियोगमें होना चाहिये।

हाँ, समन्तभद्रका भक्तिमार्ग, जो उनके स्तुति-ग्रन्थोंसे भले प्रकार जाना जाता है, भक्तिके सर्वथा एकान्तको लिये हुए नहीं है। स्वयं समन्तभद्र भक्ति-योग, ज्ञानयोग और कर्मयोग तीनोंकी एक मूर्ति बने हुए थे—इनमेंसे किसी एक ही योगके वे एकान्त पक्षपाती नहीं थे। निरी या कोरी एकान्तता* तो उनके

* जो एकान्तता नयोंके निरपेक्ष व्यवहारको लिए हुए होती है उसे 'निरी' 'कोरी' अथवा 'मिथ्या' एकान्तता कहते हैं। समन्तभद्र इस मिथ्याएकान्ततासे रहित थे; इसीसे 'देवागममें, एक आपत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने लिखा है—“न मिथ्यैकान्तताऽस्ति नः। निरपेक्षा नया मिथ्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ॥”

पास तक भी नहीं फटकती थी वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विरोधी थे और उसे वस्तुतत्त्व नहीं मानते थे। उन्होंने जिन खास कारणोंसे अर्हज्जिनेन्द्रको अपनी स्तुतिके योग्य समझा और उन्हें अपनी स्तुतिका विषय बनाया है उनमें, उनके द्वारा एकान्तदृष्टिके प्रतिषेधकी सिद्धिरूप न्यायबाण भी एक कारण है। अर्हन्त-देव अपने इन एकान्तदृष्टि-प्रतिषेधक अमोघ न्यायबाणोंसे—तत्त्वज्ञानके सम्यक् प्रहारोंसे—मोहशत्रुका अथवा मोहकी प्रधानताको लिये हुए ज्ञानावरणादिरूप शत्रु-समूहका नाश करके कैवल्य-विभूतिके—केवलज्ञानके साथ-साथ समवसरणादि-विभूतिके—सम्राट् हुए हैं, इसीलिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके प्रस्तुत ग्रन्थके निम्नवाक्यमें कहते हैं कि 'आप मेरी स्तुतिके योग्य हैं—पात्र हैं'।

एकान्तदृष्टि-प्रतिषेध-सिद्धि-न्यायेषुभिर्मोहरिपुं निरस्य ।

असिस्म कैवल्य-विभूति-सम्राट् ततस्त्वमर्हन्नसि मे स्तवार्हः ॥

इससे समन्तभद्रकी परीक्षा-प्रधानता, गुणज्ञता और परीक्षा करके सुश्रद्धाके साथ भक्तिमें प्रवृत्त होनेकी बात और भी स्पष्ट हो जाती है। साथ ही, यह भी मालूम हो जाता है कि जब तक एकान्तदृष्टि बनी रहती है तब तक मोह नहीं जीता जाता, जब तक मोह नहीं जीता जाता तब तक आत्म-विकास नहीं बनता और न पूज्यताकी ही प्राप्ति होती है। मोहको उन न्याय-बाणोंसे जीता जाता है जो एकान्तदृष्टिके प्रतिरोधको सिद्ध करनेवाले हैं—सर्वथा एकान्तरूप दृष्टिदोषको मिटाकर अनेकान्तदृष्टिकी प्रतिष्ठारूप सम्यग्दृष्टित्वका आत्मामें संचार करनेवाले हैं। इससे तत्त्वज्ञान और तत्त्वश्रद्धानका महत्व सामने आजाता है, जो अनेकान्तदृष्टिके आश्रित है, और इसीसे समन्तभद्र भक्तियोगके एकान्त-पक्षपाती नहीं थे। इसी तरह ज्ञानयोग तथा कर्मयोगके भी वे एकान्त-पक्षपाती नहीं थे—एकका दूसरेके साथ अकाट्य सम्बन्ध मानते थे।

ज्ञान-योग—

जिस समीचीन ज्ञानाभ्यासके द्वारा इस संसारी जीवात्माको अपने शुद्ध-स्वरूपका, पररूपका, परके सम्बन्धका, सम्बन्धसे होनेवाले विकारका—दोषका अथवा विभावपरिणतिका—विकारके विशिष्ट कारणोंका और उन्हें दूर करने, निर्विकार (निर्दोष) बनने, बन्धनरहित (मुक्त) होने तथा अपने निजरूपमें

सुस्थित होनेके साधनोंका परिज्ञान कराया जाता है, और इस तरह हृदयान्धकारको दूरकर—भूल-भ्रान्तियोंको मिटाकर—आत्मविकास सिद्ध किया जाता है, उसे 'ज्ञानयोग' कहते हैं। इस ज्ञानयोगके विषयमें स्वामी समन्तभद्रने क्या कुछ कहा है उसका पूरा परिचय तो उनके देवागम, युक्त्यनुशासन आदि सभी ग्रन्थोंके गहरे अध्ययनसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँपर प्रस्तुत ग्रन्थमें स्पष्टतया सूत्ररूपसे, सांकेतिक रूपमें अथवा सूचनाके रूपमें जो कुछ कहा गया है उसे, एक स्वतंत्र निबन्धमें संकलित न कर, स्तवन-क्रमसे नीचे दिया जाता है, जिससे पाठकोंको यह मालूम करनेमें सुविधा रहे कि किस स्तवनमें कितना और क्या कुछ तत्त्वज्ञान सूत्रादिरूपसे समाविष्ट किया गया है। विज्ञान अपने बुद्धिबलसे उसके विशेष रूपको स्वयं समझ सकेंगे—व्याख्या करके यह बतलानेका यहाँ अवसर नहीं कि उसमें और क्या-क्या तत्त्वज्ञान छिपा हुआ है अथवा उसके साथमें अविनाभावरूपसे सम्बद्ध है। उसे व्याख्या करके बतलानेसे प्रस्तुतनिबन्धका विस्तार बहुत बढ़ जाता है, जो अपनेको इष्ट नहीं है। तत्त्वज्ञान-विषयक जो कथन जिस कारिकामें आया है उस कारिकाका नम्बर भी साथमें नोट कर दिया गया है।

(१) पूर्ण विकासके लिये प्रबुद्धतत्त्व होकर ममत्वसे विरक्त होना, वधू-वित्तादि-परिग्रहका त्याग करके जिनदीक्षा लेना—महाव्रतादिको ग्रहण करना, दीक्षा लेकर आए हुए उपसर्ग-परिषहोंको समभावसे सहना और प्रतिज्ञात सद्व्रत-नियमोंसे चलायमान नहीं होना आवश्यक है (२, ३)। अपने दोषोंके मूल कारणको अपने ही समाधि-तेजसे भस्म किया जाता है और तभी ब्रह्मपदरूप अमृतका स्वामी बना जाता है (४)।

(२) जो महामुनि घनोपदेहसे—घातिया कर्मोंके आवरणादिरूप उपलेपसे—रहित होते हैं वे भव्यजनोंके हृदयोंमें संलग्न हुए कलङ्कोंकी—अज्ञानादि दोषों तथा उनके कारणीभूत ज्ञानावरणादि कर्मोंकी—शान्तिके लिये उसी प्रकार निमित्तभूत होते हैं जिस प्रकार कि कमलोंके अभ्युदयके लिये सूर्य (८) [यह ज्ञान भक्तियोगमें सहायक होता है]। उत्तम और महान् धर्मतीर्थको पाकर भव्यजन दुःखोंपर उसी प्रकार विजय प्राप्त करते हैं जिस प्रकार कि घामसे संतप्त हुए हाथी शीतल गंगाद्रुमें प्रवेश करके अपना सब आताप मिटा डालते

है (६) । जो ब्रह्मनिष्ठ (अहिंसातत्पर), सम-मित्र-शत्रु और कषाय-दोषोंसे रहित होते हैं वे ही आत्मलक्ष्मीको—अनन्तज्ञानादिरूप जिनश्रीको—प्राप्त करनेमें समर्थ होते हैं (१०) ।

(३) यह जगत अनित्य है, अशरण है, अहंकार-ममकारकी क्रियाओंके द्वारा संलग्न हुए मिथ्याभिनिवेशके दोषसे दूषित है और जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित है, उसे निरंजना शान्तिकी जरूरत है (१२) । इन्द्रिय-विषय-सुख बिजलीकी चमकके समान चंचल है—क्षणभर भी स्थिर रहनेवाला नहीं है—और तृष्णारूपी रोगकी वृद्धिका एकमात्र हेतु है—इन्द्रिय विषयोंके अधिकाधिक सेवनसे तृप्ति न होकर उलटी तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णाकी वृद्धि ताप उत्पन्न करती है और वह ताप जगतको (कृषिवाणिज्यादि क्लेशकर्मोंमें प्रवृत्त कराकर) अनेक दुःख-परम्परासे पीड़ित करता रहता है (१३) । बन्ध, मोक्ष, दोनोंके कारण, बद्ध, मुक्त और मुक्तिका फल, इन सबकी व्यवस्था स्याद्वादी—अनेकान्तदृष्टिके मतमें ही ठीक बैठती है—एकान्तदृष्टियों अथवा सर्वथा एकान्तवादियोंके मतोंमें नहीं—और ‘शास्ता’ (तत्त्वोपदेष्टा) पदके योग्य स्याद्वादी अर्हन्त-जिन ही होते हैं—उन्हींका उपदेश मानना चाहिये (१४) ।

(४) समाधिकी सिद्धिके लिये उभयप्रकारके नैर्ग्रन्थ-गुणसे—बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहके त्यागसे—युक्त होना आवश्यक है—विना इसके समाधिकी सिद्धि नहीं होती; परन्तु क्षमा सखीवाली दयावधूका त्याग न करके दोनोंको अपने आश्रयमें रखना जरूरी है (१६) । अचेतन शरीरमें और शरीर-सम्बन्धसे अथवा शरीरके साथ किया गया आत्माका जो कर्मवश बन्धन है उससे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखादि तथा स्त्री-पुत्रादिकमें ‘यह मेरा है’ इस प्रकारके अभिनिवेशको लिये हुए होनेसे तथा क्षणभंगुर पदार्थोंमें स्थायित्वका निश्चय कर लेनेके कारण यह जगत नष्ट हो रहा है—आत्महित-साधनसे विमुख होकर अपना अकल्याण कर रहा है (१७) । क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकारसे और इन्द्रिय-विषय-जन्य स्वल्प सुखके अनुभवसे देह और देहधारीका सुखपूर्वक अवस्थान नहीं बनता । ऐसी हालतमें क्षुधादि-दुःखोंके इस क्षणस्थायी प्रतीकार (इलाज) और इन्द्रिय-विषय-जन्य स्वल्प सुखके सेवनसे न तो वास्तवमें इस शरीरका कोई उपकार बनता है और न शरीरधारी आत्माका ही कुछ भला होता है अतः इन-

के प्रतीकारादिमें आसक्ति (अतीव रागकी प्रवृत्ति) व्यर्थ है (१८) जो मनुष्य आसक्तिके इस लोक तथा परलोक-सम्बन्धी दोषोंको समझ लेता है वह इन्द्रिय-विषयसुखोंमें आसक्त नहीं होता; अतः आसक्तिके दोषको भले प्रकार समझ लेना चाहिये (१९)। आसक्तिसे तृष्णाकी अभिवृद्धि होती है और इस प्राणी-की स्थिति सुखपूर्वक नहीं बनती, इसीसे वह तापकारी है। (चौथे स्तवनमें वर्णित) ये सब लोक-हितकी बातें हैं (२०)।

(५) अनेकान्त-मतसे भिन्न शेष सब मतोंमें सम्पूर्ण क्रियाओं तथा कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंके तत्त्वकी सिद्धि—उनके स्वरूपकी उत्पत्ति अथवा ज्ञातिके रूपमें प्रतिष्ठा—नहीं बनती, इसीसे अनेकान्तात्मक वस्तुतत्त्व ही सुयुक्ति-नीत है (२१)। वह सुयुक्ति-नीत वस्तुतत्त्वभेदाऽभेद-ज्ञानका विषय है और अनेक तथा एकरूप है, और यह वस्तुको भेद-अभेदके रूपमें ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही सत्य है। जो लोग इनमेंसे एकको ही सत्य मानकर दूसरेमें उपचारका व्यवहार करते हैं वह मिथ्या है; क्योंकि परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध होनेसे दोनोंमेंसे एकका अभाव हो जानेसे वस्तुतत्त्व अनुपाख्य-निःस्वभाव हो जाता है (२२)। जो सत् है उसके कथञ्चित् असत्त्व-शक्ति भी होती है; जैसे पुष्प वृक्षोंपर तो अस्तित्वको लिए हुए प्रसिद्ध है परन्तु आकाशपर उसका अस्तित्व नहीं है, आकाशकी अपेक्षा वह असत् रूप है। यदि वस्तुतत्त्वको सर्वथा स्वभावच्युत माना जाय तो वह अप्रमाण ठहरता है। इसीसे सर्वजीवादितत्त्व कथञ्चित् सत्-असत् रूप अनेकान्तात्मक है। इस मत-से भिन्न जो एकान्त मत है वह स्ववचन-विरुद्ध है (२३)। यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो वह उदय-अस्तको प्राप्त नहीं हो सकती और न उसमें क्रिया-कारककी योजना ही बन सकती है। (इसी तरह) जो सर्वथा असत् है उसका कभी जन्म नहीं होता और जो सर्वथा सत् है उसका कभी नाश नहीं होता। दीपक भी बुझ जानेपर सर्वथा नाशको प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस समय अन्ध-काररूप पुद्गल पर्यायको धारण किये हुए अपना अस्तित्व रखता है (२४)। (वास्तव में) विधि और निषेध दोनों कथञ्चित् इष्ट हैं। विवक्षासे उनमें मुख्य-गौणकी व्यवस्था होती है (२५)। इस तत्त्वज्ञानकी कुछ विशेष व्याख्या अनुवादपरसे जानने योग्य है।

(६) जो केवलज्ञानादि लक्ष्मीसे आलिंगित चारुमूर्ति होता है वही भव्य-जीवरूप कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यका काम देता है (२६) ।

(७) आत्यन्तिक स्वास्थ्य—विभावपरिणतिसे रहित अपने अनन्तज्ञानादि-स्वरूपमें अवनिश्वरी स्थिति—ही जीवात्माओंका स्वार्थ है—क्षणभंगुर भोग स्वार्थ न होकर अस्वार्थ है । इन्द्रियविषय-मुखके सेवनसे उत्तरोत्तर तृष्णाकी—भोगाकांक्षाकी—वृद्धि होती है और उससे तापकी—शारीरिक तथा मानसिक दुःखकी—शान्ति नहीं होने पाती (३१) । जीवके द्वारा धारण किया हुआ शरीर अजंगम, जंगम-नेय-यन्त्र, बीभत्सु, पूति, क्षयि, और तापक है और इसलिये इसमें अनुराग व्यर्थ है, यह हितकी बात है (३२) । हेतुद्वयसे आविष्कृत-कार्य-लिङ्गा भवितव्यता अलंध्यशक्ति है, इस भवितव्यताकी अपेक्षा न रखनेवाला अहंकारसे पीड़ित हुआ संसारी प्राणी (यंत्र-मंत्र-तंत्रादि) अनेक सहकारी कारणोंको मिलाकर भी सुखादिक कार्योंको वस्तुतः सम्पन्न करनेमें समर्थ नहीं होता (३३) । यह संसारी प्राणी मृत्युसे डरता है परन्तु (अलंध्य-शक्ति-भवितव्यता-वश) उस मृत्युसे छुटकारा नहीं, नित्य ही कल्याण चाहता है परन्तु (भावीकी उसी अलंध्यशक्तिवश) उसका लाभ नहीं होता, फिर भी यह मूढप्राणी भय तथा इच्छाके वशीभूत हुआ स्वयं ही वृथा तप्तायमान होता है अथवा भवितव्यता-निरपेक्ष प्राणी वृथा ही भय और इच्छाके वश हुआ दुःख उठाता है (३४) ।

(८) जिन्होंने अपने अन्तःकरणके कषाय-बन्धनको जीता है—सम्पूर्ण-क्रोधादि-कषायोंका नाश कर अकषाय-पद प्राप्त किया है—वे 'जिन' होते हैं (३६) । ध्यान-प्रदीपके अतिशयसे—परमशुक्लध्यानके तेज-द्वारा—प्रचुर मानसअन्धकार—ज्ञानावरणादि-कर्मजन्य आत्माका समस्त अज्ञानान्धकार—दूर होता है (३७) ।

(९) तत्त्व वह है जो सत्-असत् आदिरूप विवक्षिताऽविवाक्षित स्वभावको लिये हुए है और एकान्तदृष्टिका प्रतिषेधक है तथा प्रमाण-सिद्ध है (४१) । वह तत्त्व कथंचित् तद्रूप और कथंचित् अतद्रूप है; क्योंकि वैसी ही सत्-असत् आदि रूपकी प्रतीति होती है । स्वरूपादि-चतुष्टयरूप विधि और पररूपादि-चतुष्टयरूप निषेधके परस्परमें अत्यन्त (सर्वथा) भिन्नता तथा अभिन्नता नहीं

है; क्योंकि सर्वथा भिन्नता या अभिन्नता माननेपर शून्य-दोष आता है—वस्तुके सर्वथा लोपका प्रसंग उपस्थित होता है (४२)। यह वही है, इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे वस्तुतव नित्य है और यह वह नहीं—अन्य है, इस प्रकारकी प्रतीतिकी सिद्धिसे वस्तुतत्त्व नित्य नहीं—अनित्य है। वस्तुतत्त्वका नित्य और अनित्य दोनों रूप होना विरुद्ध नहीं है; क्योंकि वह बहिरंग निमित्त—सहकारी कारण—अन्तरंग निमित्त—उपादान कारण—और नैमित्तिक—निमित्तोंसे उत्पन्न होनेवाले कार्य—के सम्बन्धको लिये हुए है (४३)। पदका वाच्य प्रकृति (स्वभाव) से एक और अनेक रूप है, 'वृक्षाः' इस पदज्ञानकी तरह। अनेकान्तात्मक वस्तुके 'अस्तित्वादि किसी एक धर्मका प्रतिपादन करनेपर उस समय गौणभूत नास्तित्वादि दूसरे धर्मके प्रतिपादनमें जिसकी आकांक्षा रहती है ऐसे आकांक्षी—सापेक्षवादी अथवा स्याद्वादीका स्यात्' यह निपात—स्यात् शब्दका साथमें प्रयोग—गौणकी अपेक्षा न रखनेवाले नियममें—सर्वथा एकान्तमतमें—बाधक होता है (४४)। 'स्यात्' पदरूपसे प्रतीयमान वाक्य मुख्य और गौणकी व्यवस्थाको लिये हुए है और इसलिये अनेकान्तवादसे द्वेष रखनेवालोंको अपथ्यरूपसे अनिष्ट है—उनकी सैद्धान्तिक प्रकृतिके विरुद्ध है (४५)। इस स्तवनमें तत्त्वज्ञानकी भी कुछ विशेष व्याख्या अनुवादपरसे जानने योग्य है।

(१०) सांसारिक सुखोंकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूर्छित हुआ मन ज्ञानमय अमृतजलोंके सिञ्चनसे मूर्छा-रहित होता है (४७)। आत्मविशुद्धिके मार्गमें दिन रात जागृत रहनेकी—पूर्ण सावधान रहनेकी—ज़रूरत है, तभी वह विशुद्धि सम्पन्न हो सकती है (४८)। मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिको पूर्णतया रोकनेसे पुनर्जन्मका अभाव होता है और साथ ही जरा भी टल जाती है (४९)।

(११) वह विधि—स्वरूपादि-चतुष्टयसे अस्तित्वरूप—प्रमाण है जो कथंचित् तादात्म्य-सम्बन्धोंको लिए हुए प्रतिषेधरूप है—पररूपादि-चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तित्वरूप भी है। इन विधि प्रतिषेध दोनोंमेंसे कोई प्रधान होता है (वक्ताके अभिप्रायानुसार, न कि स्वरूपसे)। मुख्यके नियामका—'स्वरूपादि चतुष्टयसे विधि और पररूपादि चतुष्टयसे ही 'निषेध' इस नियमका—जो हेतु है वह नय है और वह नय दृष्टान्त समर्थन—दृष्टान्तसे समर्थित अथवा दृष्टान्त-

समर्थक—होता है ! (५२)। विवक्षित मुख्य होता है और अविवक्षित गौण । जो अविवक्षित होता है वह निरात्मक (अभावरूप) नहीं होता । मुख्य-गौणकी व्यवस्थासे एक ही वस्तु शत्रु, मित्र तथा उभय अनुभय-शक्तिको लिये रहती है । वास्तवमें वस्तु दो अवधियों(मर्यादाओं)से ही कार्यकारी होती है—विधि-निषेध, सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्यायरूप दो दो धर्मोंका आश्रय लेकर ही अर्थक्रिया करनेमें प्रवृत्त होती है और अपने यथार्थ स्वरूपकी प्रतिष्ठापक बनती है (५३) । वादी-प्रतिवादी दोनोंके विवादमें दृष्टान्तकी सिद्धि होनेपर साध्य प्रसिद्ध होता है; परन्तु वैसी कोई दृष्टान्तभूत वस्तु है नहीं जो सर्वथा एकान्तकी नियामक दिखाई देती हो ! अनेकान्तदृष्टि सबमें—साध्य, साधन और दृष्टान्तादिमें—अपना प्रभाव डाले हुए है—वस्तुमात्र अनेकान्तत्वसे व्याप्त है । इसीसे सर्वथा एकान्तवादियोके मतमें ऐसा कोई दृष्टान्त ही नहीं बन सकता जो उनके सर्वथा एकान्तका नियामक हो और इसलिये उनके सर्वथा नित्यत्वादि साध्यकी सिद्धि नहीं बन सकती (५४) एकान्तदृष्टिके प्रतिषेधकी सिद्धिरूप न्याय-बाणोंसे—तत्त्वज्ञानके सम्यक् प्रहारोंसे—मोहशत्रुका अथवा मोहकी प्रधानताको लिये हुए शत्रुसमूहका—नाश किया जाता है (५५) ।

(१२) जो राग और द्वेषसे रहित होते हैं उन्हें यद्यपि पूजा तथा निन्दासे कोई प्रयोजन नहीं होता, फिर भी उनके पुण्यगुणोंका स्मरण चित्तको पाप-मलोंसे पवित्र करता है (५७) । पूज्य-जिनकी पूजा करते हुए जो (सराग-परिणति अथवा आरम्भादि-द्वारा) लेशमात्र पापका उपार्जन होता है वह (भावपूर्वक की हुई पूजासे उत्तन्न होनेवाली) बहुपुण्यराशिमें उसी प्रकारसे दोषका कारण नहीं बनता जिस प्रकार कि बिषकी एक कणिका शीत-शिवाम्बुराशिको—ठंडे कल्याणकारी जलसे भरे हुए समुद्रको—दूषित करनेमें समर्थ नहीं होती (५८) । जो बाह्य वस्तु गुण-दोषकी उत्पत्तिका निमित्त होती है वह अन्तरंगमें वर्तनेवाले गुण-दोषोंकी उत्पत्तिके अभ्यन्तर मूलहेतुकी अंगभूत होती है । बाह्य वस्तुकी अपेक्षा न रखता हुआ केवल अभ्यन्तर कारण भी गुण-दोषकी उत्पत्तिमें समर्थ नहीं है (५९) । बाह्य और अभ्यन्तर दोनों कारणोंकी यह पूर्णता ही द्रव्यगत स्वभाव है, अन्यथा पुरुषोंमें मोक्षकी विधि भी नहीं बन सकती (६०) ।

(१३) जो नित्य-क्षणिकादिक न्य परस्परमें अनपेक्ष (स्वतंत्र) होनेसे

स्व-पर-प्रणाशी (स्व-पर-वैरी) हैं (और इसलिये 'दुर्नय' है) वे ही नय परस्परापेक्ष (परस्परतंत्र) होनेसे स्व-परोपकारी हैं और इसलिये तत्त्वरूप सम्यक् नय हैं (६१) । जिस प्रकार एक-एक कारक शेष अन्यको अपना सहायक-रूप कारक अपेक्षित करके अर्थकी सिद्धिके लिए समर्थ होता है उसी प्रकार सामान्य और विशेषसे उत्पन्न होनेवाले अथवा सामान्य और विशेषको विषय करनेवाले (द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक आदिरूप) जो नय हैं वे मुख्य और गौण-की कल्पनासे इष्ट (अभिप्रेत) हैं (६२) । परस्परमें एक-दूसरेकी अपेक्षाको लिए हुए जो अभेद और भेदका—अन्वय तथा व्यतिरेकका—ज्ञान होता है उससे प्रसिद्ध होनेवाले सामान्य और विशेषकी उसी तरह पूर्णता है जिस तरह कि ज्ञान-लक्षण-प्रमाण स्व-पर-प्रकाशक रूपमें पूर्ण है । सामान्यके बिना विशेष और विशेषके बिना सामान्य अपूर्ण है अथवा यों कहिये कि बनता ही नहीं (६३) । वाच्यभूत विशेष्यका—सामान्य अथवा विशेषका—वह वचन जिससे विशेष्यको नियमित किया जाता है 'विशेषण' कहलाता है और जिसे नियमित किया जाता है वह 'विशेष्य' है । विशेषण और विशेष्य दोनोंके सामान्यरूपताका जो अतिप्रसंग आता है वह स्याद्वादमतमें नहीं बनता; क्योंकि विवक्षित विशेषण-विशेष्यसे अन्य अविवक्षित विशेषण-विशेष्यका 'स्यात्' शब्दसे परिहार हो जाता है जिसकी उक्त मतमें सर्वत्र प्रतिष्ठा रहती है (६४) । जो नय स्यात्पद-रूप सत्यसे चिह्नित हैं वे रसोपविद्ध लोह-धातुओंकी तरह अभिप्रेत फलको फलते हैं—यथास्थित वस्तुतत्त्वके प्ररूपणमें समर्थ होकर सन्मार्गपर ले जाते हैं (६५) ।

(१४) मोह पिशाच, जिसका शरीर अनन्त दोषोंका आधार है और जो चिरकालसे आत्माके साथ सम्बद्ध होकर उसपर अपना आतङ्क जमाए हुए है, तत्त्वश्रद्धामें प्रसन्नता धारण करनेसे जीता जाता है (६६) । कषाय पीडनशील शत्रु हैं, उनका नाम निःशेष करनेसे—आत्माके साथ उनका सम्बन्ध पूर्णतः विच्छेद कर देनेसे—मनुष्य अशेषवित् (सर्वज्ञ) होता है । कामदेव विशेष रूपसे शोषक-संतापक एक रोग है, जिसे समाधिरूप औषधके गुणोंसे त्रिलीन किया जाता है (६७), तृष्णा नदी परिश्रम-जलसे भरी है और उसमें भयरूप तरंग-मालाएँ उठती हैं । वह नदी अपरिग्रहरूप ग्रीष्मकालीन सूर्यकी किरणोंसे

सुखार्ह जाती है—परिग्रहके संयोगसे वह उत्तरोत्तर बढ़ा करती है (६८) ।

(१५) तपश्चरणरूप अग्नियोंसे कर्मवन जलाया जाता है और शाश्वत सुख प्राप्त किया जाता है (७१) ।

(१६) दयामूर्ति बननेसे पापकी शान्ति होती है ७६; समाधिचक्रसे दुर्जय मोहचक्र—मोहनीय कर्मका मूलोत्तर-प्रकृति-प्रपञ्च—जीता जाता है ७७; कर्म-परतंत्र न रहकर आत्मतन्त्र बननेपर आर्हन्त्य-लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ७८; ध्यानोन्मुख होनेपर कृतान्त (कर्म) -चक्र जीता जाता है ६६; अपने राग-द्वेष-काम-क्रोधादि दोष-विकार ही आत्मामें अशान्तिके कारण हैं, जो अपने दोषोंको शान्त कर आत्मामें शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेवाला होता है वही शरणागतोंके लिये शान्तिका विधाता होता है और इसलिये जिसके आत्मामें स्वयं शान्ति नहीं वह शरणागतके लिये शान्तिका विधाता भी नहीं हो सकता ८० ।

(१७) जिनदेव कुन्धादि सब प्राणियोंपर दयाके अनन्य विस्तारको लिये हुए होते हैं और उनका धर्मचक्र ज्वर-जरा-मरणकी उपशान्तिके लिए प्रवर्तित होता है (८१) । तृष्णा (विषयाकांक्षा) रूप अग्नि-ज्वालाएँ स्वभावसे ही संतापित करती हैं । इनकी शान्ति अभिलषित इन्द्रि-विषयोंकी सम्पत्तिसे—प्रचुर परिमाणमें सम्प्राप्तिसे—नहीं होती, उलटी वृद्धि ही होती है, ऐसी ही वस्तु-स्थिति है । सेवन किये हुए इन्द्रिय-विषय (मात्र कुछ समयके लिये) शरीरके संतापको मिटानेमें निमित्तमात्र हैं—तृष्णा रूप अग्निज्वालाओंको शान्त करनेमें समर्थ नहीं होते (८२) । बाह्य दुर्द्धर तप आध्यात्मिक (अन्तरंग) तपकी वृद्धि-के लिये विधेय हैं । चार ध्यानोमेंसे आदिके दो क्लुषित ध्यान (आर्त्त-रौद्र) हेय (ताज्य) हैं और उत्तरवर्ती दो सातिशय ध्यान (धर्म्य, शुक्ल) उपादेय हैं (८६) । कर्मोंकी (आठ मूल प्रकृतियोंमेंसे) चार मूल प्रकृतियाँ (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अन्तराय) कटुक (घातिया) हैं और वे सम्यग्दर्शनादि-रूप सातिशय रत्नत्रयाग्निसे भस्म की जाती हैं, उनके भस्म होनेपर ही आत्मा जातवीर्य—शक्तिसम्पन्न अथवा विकसित—होता है और सकल-वेद-विधिका विनेता बनता है (८४) ।

(१८) पुण्यकीर्ति मुनीन्द्र (जिनेन्द्र) का नाम-कीर्तन भी पवित्र करता है (८७) । मुमुक्षु होनेपर चक्रवर्तीका सारा विभव और साम्राज्य भी जीर्ण तुल्यके

समान निःसार जान पड़ता है (८८)। कषाय-भटोंकी सेनासे युक्त जो मोहरूप शत्रु है वह पापात्मक है, उसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और उपेक्षा (परमोदासीन्य-लक्षणा सम्यक्चारित्र्य) रूप अस्त्र-शस्त्रोंसे जीता जाता है (९०)। जो घोर वीर मोहपर विजय प्राप्त किये होते हैं उनके सामने त्रिलोक-विजयी दुर्द्धर काम-देव भी हतप्रभ हो जाता है (९१)। तृष्णा-नदी इस लोक तथा परलोकमें दुःखोंकी योनि है, उसे निर्दोषज्ञान-नौकासे पार किया जाता है (९२)। रोग और पुनर्जन्म जिसके साथी हैं वह अन्तक (यम) मनुष्योंको रूलानेवाला है; परन्तु मोह-विजयीके सन्मुख उसकी एक भी नहीं चलती (९३)। आभूषणों, वेषों तथा आयुधोंका त्यागी और ज्ञान, कषायेन्द्रिय-जय तथा दयाकी उत्कृष्टताको लिये हुए जो रूप है वह दोषोंके विनिग्रहका सूचक है (९४)। ध्यान-तेजसे आध्यात्मिक (ज्ञानावरणादिरूप भीतरी) अन्धकार दूर होता है। (९५)। सर्वज्ञज्योतिसे उत्पन्न हुआ महिमोदय सभी विवेकी प्राणियोंको नतमस्तक करता है (९६)। सर्वज्ञकी वाणी सर्वभाषाओंमें परिणत होनेके स्वभावको लिये हुए होती है और अमृतके समान प्राणियोंको सन्तुष्ट करती है (९७)।

अनेकान्तदृष्टि सती है—सत्स्वरूप सच्ची है—और उसके विपरीत एकान्त-दृष्टि शून्यरूप असती है—सच्ची नहीं है। अतः जो कथन अनेकान्तदृष्टिसे रहित है वह सब मिथ्या कथन है; क्योंकि वह अपना ही—सत् या असत् आदिरूप एकान्तका ही—घातक है—अनेकान्तके विना एकान्तकी स्वरूप-प्रतिष्ठा बन ही नहीं सकती (९८)।

जो आत्मघाती एकान्तवादी अपने स्वघाति-दोषको दूर करनेमें असमर्थ है, स्याद्वादसे द्वेष रखते हैं और यथावत् वस्तु-स्वरूपसे अनभिज्ञ हैं उन्होंने तत्त्वकी अवक्तव्यताको आश्रित किया है—वस्तुतत्त्व सर्वथा अवक्तव्य है ऐसा प्रतिपादन किया है (१००)।

सत्, असत्, एक, अनेक, नित्य, अनित्य, वक्तव्य और अवक्तव्यरूपमें जो नयपक्ष हैं वे सर्वथा रूपमें तो अतिदूषित हैं—मिथ्या नय हैं—स्वेष्टमें बाधक हैं—और स्यात् रूपमें पुष्टिको प्राप्त होते हैं—सम्यक्नय हैं अर्थात् स्वकीय अर्थका निर्विधिरूपसे प्रतिपादन करनेमें समर्थ हैं (१०१)।

‘स्यात्’ शब्द सर्वथारूपसे प्रतिपादनके नियमका त्यागी और अथाहृष्टको—

जिस प्रकार सत् असत् आदि रूपमें वस्तु प्रमाण-प्रतिपन्न है उसको—अपेक्षामें रखनेवाला है। यह शब्द एकान्तवादियोंके न्यायमें नहीं है। एकान्तवादी अपने वैरी आप हैं (१०२)।

स्याद्वादरूप अर्हन्त-मतमें सम्यक् एकान्त ही नहीं किन्तु अनेकान्त भी प्रमाण और नय-साधनों (दृष्टियों) को लिये हुए अनेकान्तस्वरूप है, प्रमाणकी दृष्टिसे अनेकान्तरूप और विवक्षित-नयकी दृष्टिसे अनेकान्तमें एकान्तरूप—प्रतिनियत-धर्मरूप—सिद्ध होता है (१०३)।

(१६) अर्हत्प्रतिपादित धर्मतीर्थ संसार-समुद्रसे भयभीत प्राणियोंके लिये पार उतरनेका प्रधान मार्ग है (१०६)। शुक्लध्यानरूप परमतपोभिन् (परम्परा-से चले आनेवाले) अनन्त-दुरितरूप कर्मदण्डको भस्म करनेके लिए समर्थ है (११०)।

(२०) 'चर और अचर जगत प्रत्येक क्षणमें ध्रौव्य उत्पाद और व्यय-लक्षणको लिए हुए है' यह वचन जिनेन्द्रकी सर्वज्ञताका चिह्न है (११४)। आठों पापमलरूप कलङ्कोंको (जिन्होंने जीवात्माके वास्तविक स्वरूपको आच्छादित कर रक्खा है) अनुपम योगबलसे—परमशुक्लध्यानान्तिके तेजसे—भस्म किया जाता है और ऐसा करके ही अभव-सौख्यको—संसारमें न पाए जानेवाले अतीन्द्रिय मोक्ष-सुखको—प्राप्त किया जाता है (११५)।

(२१) साधु स्तोताकी स्तुति कुशल-परिणामकी कारण होती है और उसके द्वारा श्रेयोमार्ग सुलभ होता है (११६)। परमात्म-स्वरूप अथवा शुद्धात्मस्वरूपमें चित्तको एकाग्र करनेसे जन्म निगडको समूल नष्ट किया जाता है (११७)।

वस्तुतत्त्व बहुत नयोंकी विवक्षाके वशसे विषेय, प्रतिषेध्य, उभय, अनुभय तथा मिश्रभंग—विषेयानुभय, प्रतिषेध्यानुभय और उभयानुभय—रूप है, उसके अपरिमित विशेषों (धर्मों) मेंसे प्रत्येक विशेष सदा एक दूसरेकी अपेक्षाको लिए रहता है और सप्तभङ्गके नियमको अपना विषय किये रहता है (११८)। अहिंसा परमब्रह्म है। जिस आश्रमविधिमें अणुमात्र भी आरम्भ न हो वहीं अहिंसाकी पूर्णप्रतिष्ठा होती है—अन्यत्र नहीं। अहिंसा परमब्रह्मकी सिद्धिके लिए उभय प्रकारके परिग्रहका त्याग आवश्यक है। जो स्वाभाविक वेषको छोड़कर विकृतवेश तथा उपधिमें रते होते हैं उनसे परिग्रहका वह त्याग नहीं बनता

(११६) । मनुष्यके शरीरका इन्द्रियोंकी शान्तताको लिये हुए आभूषण, वेष तथा (वस्त्र प्रावरणादिरूप) व्यवधानसे रहित अपने प्राकृतिक (दिगम्बर) रूपमें होना और फलतः काम-क्रोधका पासमें न फटकना निर्मोही होनेका सूचक है और जो निर्मोही होता है वही शान्ति-सुखका स्थान होता है (१२०) ।

(२२) परमयोगरूप शुक्लध्यानान्निसे कल्मषेन्धनको—ज्ञानावरणादिरूप कर्मकाण्डको—भस्म किया जाता है, उसके भस्म होते ही ज्ञानकी विपुलकिरणें प्रकट होती हैं, जिनसे सकल जगतको प्रतिबुद्ध किया जाता है (१२१) । और ऐसा करके ही अनवद्य (निर्दोष) विनय और दमरूप तीर्थका नायकत्व प्राप्त होता है (१२२) । केवलज्ञान-द्वारा अखिल विश्वको युगपत् करतलामलकवत् जाननेमें बाह्यकरण चक्षुरादिक इन्द्रियाँ और अन्तःकरण मन ये अलग-अलग तथा दोनों मिलकर भी न तो कोई बाधा उत्पन्न करते हैं और न किसी प्रकार-का उपकार ही सम्पन्न करते हैं (१३०) ।

(२३) जो योगनिष्ठ महामना होते हैं वे घोर उपद्रव आनेपर भी पार्श्व-जिनके समान अपने उस योगसे चलायमान नहीं होते (१३१) । अपने योग- (शुक्लध्यान) रूप खड्गकी तीक्ष्णधारसे दुर्जय मोहशत्रुका घात करके वह आर्हन्त्यपद प्राप्त किया जाता है जो अद्भुत है और त्रिलोककी पूजातिथयका स्थान है (१३३) । जो समग्रधी (सर्वज्ञ) सच्ची विद्याओं तथा तपस्याओंका प्रणायक और मिथ्यादर्शनादिरूप कुमार्गोंकी दृष्टियोंसे उत्पन्न होनेवाले विभ्रमोंका विनाशक होता है वह सदा वन्दनीय होता है (१३४) ।

(२४) गुण-समुत्थ-कीर्ति शोभाका कारण होती है (१३६) । जिनेन्द्र-गुणोंमें जो अनुशासन प्राप्त करते हैं—उन्हें अपने आत्मामें विकसित करनेके लिये आत्मीय दोषोंको दूर करनेका पूर्ण प्रयत्न करते हैं—वे विगत-भव होते हैं—संसार परिभ्रमणसे सदाके लिए छूट जाते हैं । दोष चाबुककी तरह पीडन-शील हैं (१३७) ।

‘स्यात्’ शब्द-पुरस्सर कथनको लिए हुए जो ‘स्याद्वाद’ है—अनेकान्तात्मक प्रवचन है—वह निर्दोष है; क्योंकि दृष्ट (प्रत्यक्ष) और इष्ट (आगमादिक) प्रमाणोंके साथ उसका कोई विरोध नहीं है । ‘स्यात्’ शब्द-पूर्वक कथनसे रहित जो सर्वथा एकान्तवाद है वह निर्दोष प्रवचन नहीं है; क्योंकि दृष्ट और इष्ट

दोनोंके विरोधको लिए हुए हैं—प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित ही नहीं किन्तु अपने इष्ट अभिमतको भी बाधा पहुँचाता है और उसे किसी तरह भी सिद्ध एवं प्रमाणित करनेमें समर्थ नहीं होता (१३८) ।

वीरजिनेन्द्रका स्याद्वादरूप शासन (प्रवचन-तीर्थ) श्रीसम्पन्न है—हेयोपा-
देय-तत्त्व-परिज्ञान-लक्षण-लक्ष्मीसे विभूषित है—निष्कपट यम (अहिंसादि महा-
व्रतोंके अनुष्ठान) और दम (इन्द्रिय-जय तथा कषाय-निग्रह) की शिक्षाको लिए
हुए है, नयोंके भङ्गरूप अथवा भक्तिरूप अलङ्कारोंसे अलंकृत है, यथार्थवादिता
एवं परहित-प्रतिपादनतादिक बहुगुण-सम्पत्तिसे युक्त है, पूर्ण है और सब ओरसे
भद्ररूप है—कल्याणकारी है (१४१, १४३) ।

तत्त्वज्ञान-विषयक ज्ञानयोगकी इन सब बातोंके अलावा २४ स्तवनोंमें
तीर्थकर अर्हन्तोंके गुणोंका जो परिचय पाया जाता है और जिसे प्रायः अर्हद्वि-
शेषण-पदोंमें समाविष्ट किया गया है वह सब भी ज्ञानयोगसे सम्बन्ध रखता
है । उन अर्हद्विगुणोंका तात्त्विक परिचय प्राप्त करना, उन्हें आत्मगुण समझना
और अपने आत्मामें उनके विकासको शक्य जानना, यह सब ज्ञानाभ्यास भी
ज्ञानयोगसे भिन्न नहीं है । भक्तियोग-द्वारा उन गुणोंमें अनुराग बढ़ाया जाता
है और उनकी सम्प्राप्तिकी रुचि एवं इच्छाको अपने आत्मामें एक पूर्ण आदर्श
को सामने रखकर जागृत और पुष्ट किया जाता है । यही दोनोंमें भेद है । ज्ञान
और इच्छाके बाद जब प्रयत्न चलता है और तदनुकूल आचरणादिके द्वारा उन
गुणोंको आत्मामें विकसित किया जाता है तो वह कर्मयोगका विषय बन
जाता है ।

इस प्रकार ग्रन्थगत चौबीस स्तवनोंमें अलग-अलग रूपसे जो ज्ञानयोग विष-
यक तत्त्वज्ञान भरा हुआ है वह सब अर्हद्विगुणोंकी तरह वीरजिनेन्द्रका तत्त्वज्ञान है,
ऐसा समझना चाहिये । वीरवाणीमें ही वह प्रकट हुआ है और वीरका ही प्रवचन-
तीर्थ इस समय प्रवर्तित है । इससे वीर-शासन और वीरके तत्त्वज्ञानकी कितनी
ही सार बातोंका परिचय सामने आजाता है, जिनसे उनकी महत्ताको भले
प्रकार आँका जा सकता है, साथ ही आत्मविकासकी तथ्यारीके लिए एक
समुचित आधार भी मिल जाता है ।

वस्तुतः ज्ञानयोग भक्तियोग और कर्मयोग दोनोंमें सहायक है और सामान्य-

विशेषादिकी दृष्टिसे कभी उनका साधक होता है तो कभी उनके द्वारा साध्य भी बन जाता है। जैसे सामान्यज्ञानसे भक्तियोगादिक यदि प्रारम्भ होते हैं तो विशेषज्ञानका उनके द्वारा उपार्जन भी किया जाता है। ऐसी ही स्थिति दूसरे योगोंकी है, और इसीसे एक को दूसरे योगके साथ सम्बन्धित बतलाया गया है—मुख्य-गौणकी व्यवस्थासे ही उनका व्यवहार चलता है। एक योग जिस समय मुख्य होता है उस समय दूसरे योग गौण होते हैं—उन्हें सर्वथा छोड़ा नहीं जाता। तीनोंके परस्पर सहयोगसे ही आत्माका पूर्ण विकास सधता अथवा सिद्ध होता है।

कर्म-योग—

मन-वचन-काय-सम्बन्धी जिस क्रियाकी प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिसे आत्म-विकास सधता है उसके लिये तदनुरूप जो भी पुरुषार्थ किया जाता है उसे 'कर्मयोग' कहते हैं। और इसलिये कर्मयोग दो प्रकारका है—एक क्रियाकी निवृत्तिरूप पुरुषार्थको लिये हुए और दूसरा क्रियाकी प्रवृत्तिरूप पुरुषार्थको लिये हुए। निवृत्ति-प्रधान कर्मयोगमें मन-वचन-कायमेंसे किसीकी भी क्रियाका, तीनोंकी क्रियाका अथवा अशुभक्रियाका निरोध होता है। और प्रवृत्ति-प्रधान कर्मयोगमें शुभकर्मोंमें त्रियोग-क्रियाकी प्रवृत्ति होती है—अशुभमें नहीं; क्योंकि अशुभकर्म विकासमें साधक न होकर बाधक होते हैं। राग-द्वेषादिसे रहित शुद्धभावरूप प्रवृत्ति भी इसीके अन्तर्गत है। सच पूछिये तो प्रवृत्ति बिना निवृत्तिके और निवृत्ति बिना प्रवृत्तिके होती ही नहीं—एकका दूसरेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों मुख्य-गौणकी व्यवस्थाको जिये हुए हैं। निवृत्ति योगमें प्रवृत्तिकी और प्रवृत्ति योगमें निवृत्तिकी गौणता है। सर्वथा प्रवृत्ति या सर्वथा निवृत्तिका एकान्त नहीं बनता। और इसलिये ज्ञानयोगमें जो बातें किसी-न-किसी रूपसे विधेय ठहराई गई हैं, उचित तथा आवश्यक बतलाई गई हैं अथवा जिनका किसी भी तीर्थङ्करके द्वारा स्वविकासके लिये किया जाना विहित हुआ है उन सबका विधान एवं अनुष्ठान कर्मयोगमें गभित है। इसी तरह जिन बातोंको दोषादिकके रूपमें हेय बतलाया गया है, अविधेय तथा अकरणीय सूचित किया गया है अथवा किसी भी तीर्थ-ङ्करके द्वारा जिनका छोड़ना-उजना या उनसे विरक्ति धारण करना आदि कहा

गया है उन सबका त्याग एवं परिहार भी कर्मयोगमें दाखिल(शामिल) है । और इसलिये कर्मयोग-सम्बन्धी उन सब बातोंको पूर्वोल्लिखित ज्ञानयोगसे ही जान लेना और समझ लेना चाहिये । उदाहरणके तौरपर प्रथम-जिन-स्तवनके ज्ञान-योगमें ममत्वसे विरक्त होना, वधू-वित्तादि परिग्रहका त्याग करके जिन-दीक्षा लेना, उपसर्ग-परीपहोंका समभावसे सहना और सद्ब्रत-नियमोंसे चलायमान न होना-जैसी जिन बातोंको पूर्णविकासके लिये आवश्यक बतलाया गया है उनका और उनकी-इस आवश्यकताका परिज्ञान ज्ञानयोगसे सम्बन्ध रखता है और उनपर अमल करना तथा उन्हें अपने जीवनमें उतारना यह कर्मयोगका विषय है । साथ ही, 'अपने दोषोंके मूलकारणको अपने ही समाधितेजसे भस्म किया जाता है' यह जो विधिवाक्य दिया गया है इसके मर्मको समझना, इसमें उल्लिखित दोषों, उनके मूलकारणों, समाधितेज और उसकी प्रक्रियाको मालूम करके अनुभवमें लाना, यह सब ज्ञानयोगका विषय है और उन दोषों तथा उनके कारणोंको उस प्रकारसे भस्म करनेका जो प्रयत्न, अमल अथवा अनुष्ठान है वह सब कर्मयोग है । इसी तरह अन्य स्तवनोंके ज्ञानयोगमेंसे भी कर्मयोग-सम्बन्धी बातोंका विश्लेषण करके उन्हें अलगसे समझ लेना चाहिये, और यह बहुत कुछ सुख-साध्य है । इसीसे उन्हें फिरसे यहाँ देकर निबन्धको विस्तार देनेकी जरूरत नहीं समझी गई । हाँ, स्तवन-कर्मको छोड़कर, कर्मयोगका उसके आदि अन्त और मध्यकी दृष्टिसे एक संक्षिप्त सार यहाँ दे देना उचित जान पड़ता है और वह पाठकोंके लिए विशेष हितकर तथा रुचिकर होगा । अतः सारे ग्रन्थका दोहन एवं मंथन करके उसे देनेका आगे प्रयत्न किया जाता है । ग्रन्थके स्थलोंकी यथावश्यक सूचना ब्रेकटके भीतर पद्यांकोंमें रहेगी ।

कर्मयोगका आद्य और अन्त

कर्मयोगका चरम लक्ष्य है आत्माका पूर्णतः विकास । आत्माके इस पूर्ण विकासको ग्रन्थमें—ब्रह्मपदप्राप्ति (४), ब्रह्मनिष्ठावस्था, आत्मलक्ष्मीकी लब्धि, जिनश्री तथा आर्हन्त्यलक्ष्मीकी प्राप्ति (१०, ७८), आर्हन्त्य-पदावाप्ति (१३३), आत्यन्तिक स्वास्थ्य=स्वात्मस्थिति (३१), आत्म-विशुद्धि (४८), कैवल्यो-पलब्धि (५५), मुक्ति, विमुक्ति (२७), निवृत्ति (५०, ६८), मोक्ष (६०, ७ ३

(११७), श्रयस (११६), श्रेयस् (५१, ७५), निःश्रेयस (५०), निरंजना शान्ति (१२), उच्चशिवताति (१५), शाश्वतशर्मावाप्ति (७१), भवक्लेश-भयोपशान्ति (८०) और भवोपशान्ति तथा अभव-सौख्य-संप्राप्ति (११५) जैसे पदवाक्यों अथवा नामोंके द्वारा उल्लिखित किया है। इनमेंसे कुछ नाम तो शुद्धस्वरूपमें स्थितिपरक अथवा प्रवृत्तिपरक हैं, कुछ पररूपसे निवृत्तिके द्योतक हैं और कुछ उस विकासावस्था में होनेवाले परम शान्ति-मुखके सूचक हैं। 'जिनश्री' पद उपमालंकारकी दृष्टिसे 'आत्मलक्ष्मी' का ही वाचक है; क्योंकि घातिकर्मसे रहित शुद्धात्माको अथवा आत्मलक्ष्मीके सातिशय विकासको प्राप्त आत्माको ही 'जिन' कहते हैं। 'जिनश्री' का ही दूसरा नाम 'निजश्री' है। ❀ 'जिन' और अर्हत्पद समानार्थक होनेसे आर्हन्त्यलक्ष्मीपद भी आत्मलक्ष्मीकाही वाचक है। इसी स्वात्मोपलब्धिको पूज्यपाद आचार्यने, सिद्धभक्तिमें, 'सिद्धि' के नामसे उल्लेखित किया है † ।

अपने शुद्धस्वरूपमें स्थितिरूप यह आत्माका विकास ही मनुष्योंका स्वार्थ है—ग्रसली स्वप्रयोजन है—क्षणभंगुरभोग—इन्द्रिय-विषयोंका सेवन—उनका स्वार्थ नहीं है; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रगत है—

स्वास्थ्यं यदात्यान्तिकमेष पुंसां स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा
तृषोऽनुषंगान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यद्भगवान्सुपार्श्वः ॥३१॥

और इसलिये इन्द्रिय-विषयोंको भोगनेके लिये—उनसे तृप्ति प्राप्त करनेके लिए—जो भी पुरुषार्थ किया जाता है वह इस ग्रन्थके कर्मयोगका विषय नहीं है। उक्त वाक्यमें ही इन भोगोंको उत्तरोत्तर तृष्णाकी—भोगाकांक्षाकी—वृद्धि-के कारण बतलाया है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक तापकी शान्ति होने नहीं पाती। अन्यत्र भी ग्रन्थमें इन्हें तृष्णाकी अभिवृद्धि एवं दुःख-संतापके कारण बतलाया है तथा यह भी बतलाया है कि इन विषयोंमें आसक्ति होनेसे मनुष्योंकी सुखपूर्वक स्थिति नहीं बनती और न देह अथवा देही (आत्मा) का

❀ स्तुतिविद्याके पार्श्वजिन-स्तवनमें 'पुरुनिजश्रियं' पदके द्वारा इसी नामका उल्लेख किया गया है ।

† 'सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादि-दोषापहारात् ।'

कोई उपकार ही बनता है (१३, १८, २०, ३१, ८२) । मनुष्य प्रायः विषय-सुखकी तृष्णाके वश हुए दिन भर श्रमसे पीड़ित रहते हैं और रातको सो जाते हैं—उन्हें आत्महितकी कोई सुधि ही नहीं रहती (४८) । उनका मन विषय-सुखकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूर्छित-जैसा हो जाता है (४७) । इस तरह इन्द्रिय-विषयको हेय बतलाकर उनमें आसक्तिका निषेध किया है, जिससे स्पष्ट है कि वे उस कर्मयोगके विषय ही नहीं जिसका चरम लक्ष्य है आत्माका पूर्णतः विकास ।

पूर्णतः आत्मविकासके अभिव्यञ्जक जो नाम ऊपर दिये हैं उनमें मुक्ति और मोक्ष ये दो नाम अधिक लोकप्रसिद्ध हैं और दोनों बन्धनसे छूटनेके एक ही आशयको लिये हुए हैं । मुक्ति अथवा मोक्षका जो इच्छुक है उसे 'मुमुक्षु' कहते हैं । मुमुक्षु होनेसे कर्मयोगका प्रारम्भ होता है—यही कर्मयोगकी आदि अथवा पहली सीढ़ी है । मुमुक्षु बननेसे पहले उस मोक्षका जिसे प्राप्त करनेकी इच्छा हृदयमें जागृत हुई है, उस बन्धनका जिससे छूटनेका नाम मोक्ष है, उस वस्तु या वस्तु-समूहका जिससे बन्धन बना है, बन्धनके कारणोंका, बन्धन जिसके साथ लगा है उस जीवात्माका, बन्धनसे छूटनेके उपायोंका और बन्धनसे छूटनेमें जो लाभ है उसका अर्थात् मोक्षफलका सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है—उस ज्ञानके बिना कोई मुमुक्षु बन ही नहीं सकता । यह ज्ञान जितना यथार्थ विस्तृत एवं निर्मल होगा अथवा होता जायगा और उसके अनुसार बन्धनसे छूटनेके समीचीन उपायोंको जितना अधिक तत्परता और सावधानीके साथ काममें लाया जायगा उतना ही अधिक कर्मयोग सफल होगा, इसमें विवादके लिये कोई स्थान नहीं है । बन्ध, मोक्ष तथा दोनोंके कारण, बद्ध, मुक्त और मुक्तिका फल इन सब बातोंका कथन यद्यपि अनेक मतोंमें पाया जाता है परन्तु इनकी समुचित व्यवथा स्याद्वादी अर्हन्तोंके मतमें ही ठीक बैठती है, जो अनेकान्तदृष्टिको लिये होता है । सर्वथा एकान्तदृष्टिको लिये हुए नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्वादि एकान्तपक्षोंके प्रतिपादक जो भी मत हैं, उनमेंसे किसीमें भी इनकी समुचित व्यवस्था नहीं बनती । इसी बातको ग्रन्थकी निम्न कारिकामें व्यक्त किया गया है—

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतू

बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः ।

स्याद्वादिनो नाथ ! तवैव युक्तं

नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥१४॥

और यह बात बिल्कुल ठीक है। इसको विशेषरूपमें सुमति-जिन आदिके स्तवनोंमें पाये जानेवाले तत्त्वज्ञानसे, जिसे ऊपर ज्ञानयोगमें उद्धृत किया गया है, और स्वामी समन्तभद्रके देवागम तथा युक्त्यनुशासन-जैसे ग्रन्थोंके अध्ययनसे और दूसरे भी जैनागमोंके स्वाध्यायसे भले प्रकार अनुभूत किया जा सकता है। अस्तु।

प्रस्तुत ग्रन्थमें बन्धन को 'अचेतनकृत' (१७) बतलाया है और उस अचेतनको जिससे चेतन (जीव) बँधा है 'कर्म' (७१, ८४) कहा है, 'कृतान्त' (७९) नाम भी दिया है और दुरित (१८५, ११०), दुरिताञ्जन (५७) दुरितमल (११५), कल्मष (१२१), तथा 'दोषमूल' (४) जैसे नामोंसे भी उल्लेखित किया है। वह कर्म अथवा दुरितमल आठ प्रकारका (११५) है—आठ उसकी मूल प्रकृतियाँ हैं, जिनके नाम हैं—१ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ मोहनीय (मोह), ४ अन्तराय, ५ वेदनीय, ६ नाम, ७ गोत्र, ८ आयु। इनमें-से प्रथम चार प्रकृतियाँ कटुक (८४) हैं—बड़ी ही कड़वी हैं, आत्माके स्वरूपकी घात करनेवाली हैं और इसलिये उन्हें 'घातिया' कहा जाता है, शेष चार प्रकृतियाँ 'अघातिया' कहलाती हैं। इन आठों जड़ कर्ममलोंके अनादि-सम्बन्धसे यह जीवात्मा मलिन, अपवित्र, कलंकित, विकृत और स्वभावसे च्युत होकर विभावपरिणतिरूप परिणाम रहा है; अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभादिक असंख्य-अनन्त दोषोंका क्रीड़ास्थल बना हुआ है, जो तरह-तरह के नाच नचा रहे हैं; और इन दोषोंके नित्यके ताण्डव एवं उपद्रवसे सदा अशान्त, उद्विग्न अथवा बेचैन बना रहता है और उसे कभी सच्ची सुख-शान्ति नहीं मिल पाती। इन दोषोंकी उत्पत्तिका प्रधान कारण उक्त कर्ममल है, और इसीसे उसे 'दोषमूल' कहा गया है। वह पुद्गलद्रव्य होनेसे 'द्रव्यकर्म' भी कहा जाता है और उसके निमित्तसे होनेवाले दोषोंको 'भावकर्म' कहते हैं। इन द्रव्य-भाव-रूप उभय प्रकारके कर्मोंका सम्बन्ध जब आत्मासे नहीं रहता—उसका पूर्णतः विच्छेद हो जाता है—तभी आत्माको

असली सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है और उसके प्रायः सभी गुण विकसित हो उठते हैं। यह सुख-शान्ति आत्मामें बाहरसे नहीं आती और न गुणोंका कोई प्रवेश ही बाहरसे होता है, आत्माकी यह सब निजी सम्पत्ति है जो कर्ममलके कारण आच्छादित और विलुप्तसी रहती है और उस कर्ममलके दूर होते ही स्वतः अपने असली रूपमें विकासको प्राप्त हो जाती है। अतः इस कर्ममलको दूर करना अथवा जला कर भस्म करदेना ही कर्मयोगका परम-पुरुषार्थ है। वह परमपुरुषार्थ योगबलका सातिशय प्रयोग है, जिसे 'निरुपम-योगबल' लिखा है और जिसके उस प्रयोगसे समूचे कर्ममलको भस्म करके उस अभाव-सौख्यको प्राप्त करनेकी घोषणा की गई है जो संसारमें नहीं पाया जाता (११५)। इस योगके दूसरे प्रसिद्ध नाम प्रशस्त (सातिशय) ध्यान (८३), शुक्लध्यान (११०) और समाधि (४, ७७) हैं। कर्म-दहन-गुण-सम्पन्न होनेसे इस योग-ध्यान अथवा समाधिको, जो कि एक प्रकारका तप है, अग्नि (तेज) कहा गया है॥ इसी अग्निमें उक्त पुरुषार्थ-द्वारा कर्ममलको जलाया जाता है; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

स्व-दोष-मूलं स्व-समाधि-तेजसा
निनाय यो निर्दयभस्मसात्क्रियाम् (४)।
कर्म-कक्षमदत्तपोऽग्निभिः (७१)।
ध्यानोन्मुखे ध्वंसि कृतान्तचक्रम् (७६)।
यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्नि-
ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षीत् (११०)।

॥ कर्म-छेदनकी शक्तिसे भी सम्पन्न होनेके कारण इन योगादिकको कहीं कहीं खड्ग तथा चक्रकी भी उपमा दी गई है। यथाः—

“समाधि-चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय-मोह-चक्रम् (७७)।”

“स्व-योग-निस्त्रिंश-निशात-धारया निशात्य यो दुर्जय-मोह-विद्विषम् (१३३)”

एक स्थान पर समाधिको कर्मरोग-निर्मूलनके लिये ‘भैषज्य’ (अमोघ-औषधि) की भी उपमा दी गई है—

“विशोषणं मन्मथ-दुर्मदाऽऽमयं समाधि-भैषज्य-गुणैर्व्यलीनयत् (६७)”

परमयोग-दहन-हुत-कल्मषेन्धनः (१२१) ।

यह योगाग्नि क्या वस्तु है ? इसका उत्तर ग्रन्थके निम्न वाक्यपरसे ही यह फलित होता है कि 'योग वह सातिशय अग्नि है जो रत्नत्रयकी एकाग्रता-के योगसे सम्पन्न होती है और जिसमें सबसे पहले कर्मोंकी कटुक प्रकृतियोंकी आहूति दी जाती है' —

हुत्वा स्व-कर्म-कुटुरु-प्रकृतीश्चतस्रो

रत्नत्रयातिशय-तेजसि-जात-वीर्यः । (८४)

'रत्नत्रय' सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको कहते हैं; जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके 'रत्नकरण्ड' ग्रन्थसे प्रकट है। इस ग्रन्थमें भी उसके तीनों अंगोंका उल्लेख है और वह दृष्टि, सिद्धि एवं उपेक्षा-जैसे शब्दोंके द्वारा किया गया है (६०) ‡, जिनका आशय सम्यग्दर्शनादिकसे ही है। इन तीनोंकी एकाग्रता जब आत्माकी ओर होती है—आत्माका ही दर्शन, आत्माका ही ज्ञान, आत्मामें ही रमण होने लगता है—और परमें आसक्ति छूटकर उपेक्षाभाव आजाता है तब यह अग्नि सातिशयरूपमें प्रज्वलित हो उठती है और कर्म-प्रकृतियोंको सविशेष रूपसे भस्म करने लगती है। यह भस्म-क्रिया इन त्रिरत्न-किरणोंकी एकाग्रतासे उसी प्रकार सम्पन्न होती है जिस प्रकार कि सूर्यरश्मियोंको शीशे या काँच-विशेषमें एकाग्र कर शरीरके किसी अंग अथवा वस्त्रादिक पर डाला जाता है तो उनसे वह अङ्गादिक जलने लगता है। सचमुच एकाग्रतामें बड़ी शक्ति है। इधर उधर बिखरी हुई तथा भिन्नाग्रमुख-शक्तियां वह काम नहीं देतीं जो कि एकत्र और एकाग्र (एकमुख) होकर देती हैं। चिन्ताके एकाग्रनिरोधका नाम ही ध्यान तथा समाधि है। आत्म-विषयमें यह चिन्ता जितनी एकाग्र होती जाती है सिद्धि अथवा स्वात्मोपलब्धि भी उतनी ही समीप आती जाती है। जिस समय इस एकाग्रतासे सम्पन्न एवं प्रज्वलित

‡ 'दृष्टि-संविदुपेक्षाऽस्त्रैस्त्वया धीर पराजितः' इस वाक्यके द्वारा इन्हें 'अत्र' भी लिखा है, जो आग्नेय अस्त्र हो सकते हैं अथवा कर्मछेदनकी शक्तिसे सम्पन्न होने के कारण खड्गादि-जैसे आयुध भी हो सकते हैं।

योगानलमें कर्मोंकी चारों मूल कटुक प्रकृतियां अपनी उत्तर और उत्तरोत्तर शाखा-प्रकृतियोंके साथ भस्म हो जाती हैं अथवा यों कहिए कि सारा घाति-कर्ममल जलकर आत्मासे अलग हो जाता है उस समय आत्मा जातवीर्य (परमशक्ति-सम्पन्न) होता है—उसकी अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य नामकी चारों शक्तियाँ पूर्णतः विकसित हो जाती हैं और सबको देखने-जाननेके साथ साथ पूर्ण-सुख-शान्तिका अनुभव होने लगता है। ये शक्तियाँ ही आत्माकी श्री हैं, लक्ष्मी हैं, शोभा हैं और यह विकास उसी प्रकारका होता है जिस प्रकारका कि सुवर्ण-पाषाणसे सुवर्णका होता है। पाषाणस्थित सुवर्ण जिस तरह अग्नि-प्रयोगादिके योग्य साधनोंको पाकर किट्ट-कालिमादि पाषाणमलसे अलग होता हुआ अपने शुद्ध सुवर्णरूपमें परिणत हो जाता है उसी तरह यह संसारी जीव उक्त कर्ममलके भस्म होकर पृथक् होजानेपर अपने शुद्धात्मस्वरूपमें परिणत हो जाता है †। घातिकर्ममलके अभावके साथ प्रादुर्भूत होनेवाले इस विकासका नाम ही ‘आर्हन्त्यपद’ है, जो बड़ा ही अचिन्त्य है, अद्भुत है और त्रिलोककी पूजाके अतिशय (परमप्रकर्ष)-का स्थान है (१३३)। इसीको जिनपद, कैवल्यपद तथा ब्रह्मपदादि नामोंसे उल्लेखित किया जाता है।

ब्रह्मपद आत्माकी परमविशुद्ध अवस्थाके सिवा दूसरी कोई चीज नहीं है। स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत ग्रन्थमें ‘अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं’ (११६) इस वाक्यके द्वारा अहिंसाको ‘परमब्रह्म’ बतलाया है और यह ठीक ही है; क्योंकि अहिंसा आत्मामें राग-द्वेष-काम-क्रोधादि दोषोंकी निवृत्ति अथवा अप्रादुर्भूतको कहते हैं *। जब आत्मामें रागादि-दोषोंका समूलनाश

† सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रशुण-शुणगणोच्छादि-दोषापहारात्।

योग्योपादान-युक्त्या दृषद् इह यथा हेमभावोपलब्धिः ॥१॥

—पूज्यपाद-सिद्धभक्ति

ॐ अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥४४॥

—पुरुषार्थसिद्धयुपाये, अमृतचन्द्रः।

होकर उसकी विभाव-परिणति मिट जाती है और अपने शुद्धस्वरूपमें चर्या होने लगती है तभी उसमें अहिंसाकी पूर्णप्रतिष्ठा कही जाती है, और इसलिए शुद्धात्म-चर्यारूप अहिंसा ही परमब्रह्म है—किसी व्यक्ति-विशेषका नाम ब्रह्म या परमब्रह्म नहीं है । इसीसे जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वह आत्मलक्ष्मीकी सम्प्राप्तिके साथ साथ 'सम-मित्र-शत्रु' होता तथा 'कषाय-दोषोंसे रहित' होता है; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

सब्रह्मनिष्ठः सम-मित्र-शत्रु-विद्या-विनिर्घात-कषायदोषः ।

लब्धात्मलक्ष्मीरजितोऽजितात्मा जिनश्रियं मे भगवान्वित्ताम् ॥

यहां ब्रह्मनिष्ठ अजित भगवान्से 'जिनश्री' की जो प्रार्थना की गई है उससे स्पष्ट है कि 'ब्रह्म' और 'जिन' एक ही हैं, और इसलिये जो 'जिनश्री' है वही 'ब्रह्मश्री' है—दोनोंमें तात्त्विकदृष्टिसे कोई अन्तर नहीं है । यदि अन्तर होता तो ब्रह्मनिष्ठसे ब्रह्मश्रीकी प्रार्थना की जाती, न कि जिनश्रीकी । अन्यत्र भी, वृषभतीर्थङ्करके स्तवन (४) में, जहाँ 'ब्रह्मपद' का उल्लेख है वहाँ उसे 'जिनपद' के अभिप्रायसे सर्वथा भिन्न न समझना चाहिये । वहाँ अगले ही पद्य (५) में उन्हें स्पष्टतया 'जिन' रूपसे उल्लेखित भी किया है । दोनों पदोंमें थोड़ा-सा दृष्टिभेद है—'जिन' पद कर्मके निषेधकी दृष्टिको लिए हुए है और 'ब्रह्म' पद स्वरूपमें अवस्थिति अथवा प्रवृत्तिकी दृष्टिको प्रधान किये हुए है । कर्मके निषेध-विना स्वरूपमें प्रवृत्ति नहीं बनती और स्वरूपमें प्रवृत्तिके विना कर्मका निषेध कोई अर्थ नहीं रखता । विधि और निषेध दोनोंमें परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है—एकके विना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं बनता, यह बात प्रस्तुत ग्रन्थमें खूब स्पष्ट करके समझाई गई है । अतः संज्ञा अथवा शब्द-भेदके कारण सर्वथा भेदकी कल्पना करना न्याय-संगत नहीं है । अस्तु ।

जब घाति-कर्ममल जलकर अथवा शक्तिहीन होकर आत्मासे बिल्कुल अलग हो जाता है तब शेष रहे चारों अघातियाकर्म, जो पहले ही आत्माके स्वरूपको घातनेमें समर्थ नहीं थे, पृष्ठबलके न रहनेपर और भी अधिक अघातिया हो जाते एवं निर्बल पड़ जाते हैं और विकसित आत्माके सुखोपभोग एवं जानादिककी प्रवृत्तिमें जरा भी अड़चन नहीं डालते । उनके द्वारा निर्मित, स्थित और संचालित शरीर भी अपने बाह्यकरण-स्पर्शनादिक इन्द्रियों और

अन्तःकरण—मनके साथ उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करता और न अपने उभयकरणोंके द्वारा कोई उपकार ही सम्पन्न करता है* । उन अघातिया प्रकृतियोंका नाश उसी पर्यायमें अवश्यभावी होता है—आयुर्कर्मकी स्थिति पूरी होते होते अथवा पूरी होने के साथ साथ ही वेदनीय, नाम और गोत्र-कर्मोंकी प्रकृतियाँ भी नष्ट हो जाती हैं अथवा योग-निरोधादिके द्वारा सहज ही नष्ट कर दी जाती हैं । और इसलिये जो घातिया कर्मप्रकृतियोंका नाश कर आत्मलक्ष्मीको प्राप्त होता है उसका आत्मविकास प्रायः पूरा ही हो जाता है, वह शरीर-सम्बन्धको छोड़कर अन्य सब प्रकारसे मुक्त होता है और इसीसे उसे 'जीवन्मुक्त' या 'सदेहमुक्त' कहते हैं—'सकलपरमात्मा' भी उसका नाम इसी शारीरिक दृष्टिको लेकर है—उसके लिये उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करना, विदेहमुक्त होना और निष्कल परमात्मा बनना असन्दिग्ध तथा अनिवार्य हो जाता है—उसकी इस सिद्धपद-प्राप्तिको फिर कोई रोक नहीं सकता । ऐसी स्थितिमें यह स्पष्ट है कि घाति-कर्ममलको आत्मामे सदाके लिये पृथक् कर देना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और इसलिये कर्मयोगमें सबसे अधिक महत्व इसीको प्राप्त है । इसके बाद जिस अन्तिम समाधि अथवा शुक्लध्यानके द्वारा अवशिष्ट अघातिया कर्मप्रकृतियोंका मूलतः विनाश किया जाता है और सकलकर्ममें विमुक्तिरूप मोक्षपदको प्राप्त किया जाता है उसके साथ ही कर्मयोगकी समाप्ति हो जाती है और इसलिये उक्त अन्तिम समाधि ही कर्मयोगका अन्त है, जिसका प्रारम्भ 'मुमुक्षु' बननेके साथ होता है ।

कर्मयोगका मध्य—

अब कर्मयोगके 'मध्य' पर विचार करना है जिसके आश्रय-विना कर्मयोगकी अन्तिम तथा अन्तसे पूर्वकी अवस्थाको कोई अवसर ही नहीं मिल सकता और न आत्माका उक्त विकास ही सध सकता है ।

मोक्ष-प्राप्तिकी सदिच्छाको लेकर जब कोई सच्चा मुमुक्षु बनता है तब उसमें

* जैसाकि ग्रन्थगत स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

बहिरन्तरप्युभयथा च करणमविधाति नाऽर्थकृत् ।

नाथ ! युगपदखिलं च सदा त्वमिदं तलामलकवद्विवेदिथ ॥१२६॥

बन्धके कारणोंके प्रति अरुचिका होना स्वाभाविक हो जाता है । मोक्षप्राप्तिकी इच्छा जितनी तीव्र होगी बन्ध तथा बन्ध-कारणोंके प्रति अरुचि भी उसकी उतनी ही बढ़ती जायगी और वह बन्धनोंको तोड़ने, कम करने, घटाने एवं बन्ध-कारणोंको मिटानेके समुचित प्रयत्नमें लग जायगा, यह भी स्वाभाविक है । सबसे बड़ा बन्धन और दूसरे बन्धनोंका प्रधान कारण 'मोह' है । इस मोहका बहुत बड़ा परिवार है । दृष्टि-विकार (मिथ्यात्व), ममकार, अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय और घृणा (जुगुप्सा) ये सब उस परिवारके प्रमुख अंग हैं अथवा मोहके परिणाम-विशेष हैं, जिनके उत्तरोत्तर भेद तथा प्रकार असंख्य हैं । इन्हें अन्तरंग तथा आभ्यन्तर परिग्रह भी कहते हैं । इन्होंने भीतरसे जीवात्माको पकड़ तथा जकड़ रक्खा है । ये ग्रहकी तरह उसे चिपटे हुए हैं और अनन्त दोषों, विकारों एवं आपदाओंका कारण बने हुए हैं । इसीसे ग्रन्थमें मोहको अनन्त दोषोंका घर बतलाते हुए उस ग्राहकी उपमा दी गई है जो चिरकालसे आत्माके साथ संलग्न है—चिपटा हुआ है ॐ । साथ ही उसे वह पापी शत्रु बतलाया है जिसके क्रोधादि कषाय सुभट हैं (६५) । इस मोहसे पिण्ड छुड़ानेके लिये उसके अंगोंको जैसे-तैसे भंग करना, उन्हें निर्बल-कमजोर बनाना, उनकी आज्ञामें न चलना अथवा उनके अनुकूल परिणामन न करना जरूरी है ।

सबसे पहले दृष्टिविकारको दूर करनेकी जरूरत है । यह महा-बन्धन है, सर्वोपरि बन्धन है और इसके नीचे दूसरे-बन्धन छिपे रहते हैं । दृष्टिविकारकी मौजूदगीमें यथार्थ वस्तुतत्त्वका परिज्ञान ही नहीं हो पाता—बन्धन बन्धनरूपमें नजर नहीं आता और न शत्रु शत्रुके रूपमें दिखाई देता है । नतीजा यह होता है कि हम बन्धनको बन्धन न समझकर उसे अपनाए रहते हैं, शत्रुको मित्र मानकर उसकी आज्ञामें चलते रहते हैं और हानिकरको हितकर समझनेकी भूल करके निरन्तर दुःखों तथा कष्टोंके चक्करमें पड़े रहते हैं—कभी निराकुल एवं सच्चे शान्तिमुखके उपभोक्ता नहीं हो पाते । इस दृष्टि विकारको दूर करनेके लिये 'अनेकान्त' का आश्रय लेना परम आवश्यक है । अनेकान्त ही इस महा-

रोगकी अमोघ औषधि है । अनेकान्त ही इस दृष्टिविकारके जनक तिमिर-जालको छेदनेकी पैनी छैनी है । जब दृष्टिमें अनेकान्त समाता है—अनेकान्तमय अंजना-दिक अपना काम करता है—तब सब कुछ ठीक-ठीक नज़र आने लगना है । दृष्टिमें अनेकान्तके संस्कार बिना जो कुछ नज़र आता है वह सब प्रायः मिथ्या, भ्रमरूप तथा अवास्तविक होता है । इसीसे प्रस्तुत ग्रन्थमें दृष्टिविकारको मिटानेके लिये अनेकान्तकी खास तोरसे योजना की गई है—उसके स्वरूपादिकको स्पष्ट करके बतलाया गया है, जिससे उसके ग्रहण तथा उपयोगादिकमें सुविधा हो सके । साथ ही, यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि जिस दृष्टिका आत्मा अनेकान्त है—जो दृष्टि अनेकांतसे संस्कारित अथवा युक्त है—वह सती सच्ची अथवा समीचीन दृष्टि है, उसीके द्वारा सत्यका दर्शन होता है; और जो दृष्टिअनेकान्तात्मक न हो कर सर्वथा एकान्तात्मक है वह असती झूठी अथवा मिथ्यादृष्टि है और इसलिये उसके द्वारा सत्यका दर्शन न होकर असत्यका ही दर्शन होता है । वस्तुतत्त्वके अनेकान्तात्मक होनेसे अनेकान्तके बिना एकान्तकी स्वरूप-प्रतिष्ठा बन ही नहीं सकती ❀ । अतः सबसे पहले दृष्टिविकारपर प्रहार कर उसका सुधार करना चाहिये और तदनन्तर मोहके दूसरे अंगोंपर, जिन्हें दृष्टि-विकारके कारण अभी तक अपना सगा सप्तभ्रमर अपना रक्खा था, प्रतिपक्ष भावनाओंके बलपर अधिकार करना चाहिये—उनसे शत्रु-जैसा व्यवहार कर उन्हें अपने आत्मनगरसे निकाल बाहर करना चाहिए अथवा यों कहिये कि क्रोधादिरूप न परिणामनेका दृढ संकल्प करके उनके बहिष्कारका प्रयत्न करना चाहिये । इसीको अन्तरंग परिग्रहका त्याग कहते हैं ।

अन्तरंग परिग्रहको जिसके द्वारा पोषण मिलता है वह बाह्य परिग्रह है और उसमें संसारकी सभी कुछ सम्पत्ति और विभूति शामिल है । इस बाह्य-सम्पत्ति एवं विभूतिके सम्पर्कमें अधिक रहनेसे रागादिककी उत्पत्ति होती है, ममत्त्व-परिणामको अवसर मिलता है, रक्षण-वर्द्धन और विघटनादि-सम्बन्धी अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ तथा आकुलताएँ घेरे रहती है, भय बना रहता है, जिन

❀ अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ।

ततः सर्वं मृषोक्तं स्यात्तदयुक्तं स्वघाततः ॥६८॥

सबके प्रतिकारमें काफी शक्ति लगानी पड़ती है तथा आरम्भ जैसे सावद्य कर्म करने पड़ते हैं और इस तरह उक्त सम्पत्ति एवं विभूतिका मोह बढ़ता रहता है । इसीसे इस सम्पत्ति एवं विभूतिको बाह्यपरिग्रह कहा गया है । मोहके बढ़नेका निमित्त होनेसे इन बाह्यपदार्थोंके साथ अधिक सम्पर्क नहीं बढ़ाना चाहिये, आवश्यकतासे अधिक इनका संचय नहीं करना चाहिये । आवश्यकताओंको भी बराबर घटाते रहना चाहिये । आवश्यकताओंकी वृद्धि बन्धनोंकी ही वृद्धि है ऐसा समझना चाहिये और आवश्यकतानुसार जिन बाह्य चेतन-अचेतन पदार्थोंके साथ सम्पर्क रखना पड़े उनमें भी आसक्तिका भाव तथा ममत्व-परिणाम नहीं रखना चाहिये । यही सब बाह्यपरिग्रहका एकदेश और सर्वदेश त्याग है । एकदेश त्याग गृहस्थियोंके लिये और सर्वदेश त्याग मुनियोंके लिये होता है ।

इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंके पूर्ण त्याग-विना वह समाधि नहीं बनती जिसमें चारों घातिया कर्मप्रकृतियोंको भस्म किया जाता है* और न उस अहिंसाकी सिद्धि ही होती है जिसे 'परमब्रह्म' बतलाया गया है † । अतः समाधि और अहिंसा परमब्रह्म दोनोंकी सिद्धिके लिये—दोनों प्रकारके परिग्रहका, जिन्हें 'ग्रन्थ' नामसे उल्लेखित किया जाता है, त्याग करके नैर्ग्रन्थ-गुण अथवा अपरिग्रह-व्रतको अपनानेकी बड़ी जरूरत होती है । इसी भावको निम्न दो

* इसी बातको लेकर विप्रवंशाग्रणी श्रीपात्रकेसरी स्वामीने, जो स्वामी समन्तभद्रके 'देवागम' को प्राप्त करके जैनधर्ममें दीक्षित हुए थे, अपने स्तोत्रके निम्न पद्यमें परिग्रही जीवोंकी दशाका कुछ दिग्दर्शन कराते हुए, लिखा है कि 'ऐसे परिग्रहवशवर्ति-कलुषात्माओंके शुक्लरूप सद्धानता बनती कहाँ है ?'—

परिग्रहवतां सतां भयमवश्यमापद्यते

प्रकोप-परिहिंसने च परुषाऽनृत-व्याहृती ।

ममत्वमथ चोरतः स्वमनसश्च विभ्रान्तता

कुतो हि कलुषात्मनां परमशुक्लसद्धानता ॥४२॥ (पात्रकेसरी)

‡ उभय-परिग्रह-वर्जनमाचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति ।

द्विविध-परिग्रह-वहन हिंसेति जिन-प्रवचनज्ञाः ॥११८॥

—पुरुषार्थसिद्ध्युपाये, अमृतचन्द्रसूरिः

कारिकाओंमें व्यक्त किया गया है—

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्दयावधूः क्षान्तिसखीमशिश्रियत् ।
समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैर्ग्रन्ध्यगुणेन चाऽयुजत् ॥१६॥

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं
न सा तत्राऽऽम्भोऽस्त्यगुरपि च यत्राश्रमविधौ ।
ततस्तत्सिद्धयर्थं परमकरुणो ग्रन्थमुभयं ।
भवानेवाऽत्याक्षीन्न च विकृत-वेषोपधिरतः ॥११६॥

यह परिग्रह-त्याग उन साधुओंमें नहीं बनता जो प्राकृतिक वेषके विरुद्ध विकृत वेष तथा उपधिमें रत रहते हैं। और यह त्याग उस तृष्णा-नदीको सुखानेके लिये ग्रैष्मकालीन सूर्यके समान है, जिसमें परिश्रमरूपी जल भरा रहता है और अनेक प्रकारके भयोंकी लहरें उठा करती हैं।

दृष्टिविकारके मिटनेपर जब बन्धनोंका ठीक भान हो जाता है, शत्रु-मित्र एवं हितकर-अहितकरका भेद साफ़ नजर आने लगता है और बन्धनोंके प्रति अरुचि बढ़ जाती है तथा मोक्षप्राप्तिकी इच्छा तीव्रसे तीव्रतर हो उठती है तब उस मुमुक्षुके सामने चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य भी जीर्ण तृणके समान हो जाता है, उसे उसमें कुछ भी रस अथवा सार मालूम नहीं होता, और इसलिए वह उससे उपेक्षा धारण कर—वधू-वित्तादि सभी सुखरूप समझी जानेवाली सामग्री एवं विभूतिका परित्याग कर—जंगलका रास्ता लेता है और अपने ध्येयकी सिद्धि-के लिये अपरिग्रहादि-व्रतस्वरूप 'दैगम्बरी' जिनदीक्षाको अपनाता है—मोक्षकी साधनाके लिये निर्ग्रन्थ साधु बनता है! परममुमुक्षुके इसी भाव एवं कर्तव्यको श्रीवृषभजिन और अरजिनकी स्तुतिके निम्न पद्योंमें समाविष्ट किया गया है—

विहाय यः सागर-वारिवाससं वधूमिवेमां वसुधा-वधूः सतीम् ।

मुमुक्षुरिद्धाकु-कुलादिरात्मवान् प्रभुः प्रवव्राज सहिष्णुरच्युतः ॥३॥

लक्ष्मी-विभव-सर्वस्वं मुमुक्षोश्चक्रलाञ्छनम् ।

साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरत्तृणमिवाऽभवत् ॥ ८८ ॥

समन्त बाह्य परिग्रह और गृहस्थ-जीवनकी सारी सुख-सुविधाओंको त्याग कर साधु-मुनि बनाना यह मोक्षके मार्गमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना

होता है। इस कदमको उठानेसे पहले मुमुक्षु कर्मयोगी अपनी शक्ति और विचार-सम्पत्तिका खूब सन्तुलन करता है और जब यह देखता है कि वह सब प्रकारके कष्टों तथा उपसर्ग-परिषर्होंको समभावसे सह लेगा तभी उक्त कदम उठाता है और कदम उठा देनेके बाद बराबर अपने लक्ष्यकी ओर सावधान रहता एवं बढ़ता जाता है; ऐसा होनेपर ही वह तृतीय-कारिकामें उल्लेखित उन 'सहिष्णु' तथा 'अच्युत' पदोंको प्राप्त होता है जिन्हें ऋषभदेवने प्राप्त किया था, जबकि दूसरे राजा, जो अपनी शक्ति एवं सम्पत्तिका कोई विचार न कर भावुकताके वश उनके साथ दीक्षित हो गये थे, कष्ट-परिषर्होंके सहनेमें असमर्थ होकर लक्ष्यभ्रष्ट एवं व्रतच्युत हो गये थे।

ऐसी हालतमें इस बाह्य-परिग्रहके त्यागसे पहले और वादको भी मन-सहित पाँचों इन्द्रियों तथा लोभादिक कपायोंके दमनकी—उन्हें जीतने अथवा स्वात्माधीन रखनेकी—बहुत बड़ी जरूरत है। इनपर अपना (Control) होनेसे उपसर्ग-परिषर्हादि कष्टके अवसरोंपर मुमुक्षु अडोल रहता है, इतना ही नहीं बल्कि उसका त्याग भी भले प्रकार बनता है और उस त्यागका निर्वाह भी भले प्रकार सधता है। सच पूछिये तो इन्द्रियादिके दमन-विना—उनपर अपना क्रावू किये बगैर—सच्चा त्याग बनता ही नहीं, और यदि भावुकताके वश बन भी जाये तो उसका निर्वाह नहीं हो सकता। इसीसे ग्रन्थमें इस दमनका महत्व ख्यापित करते हुए उसे 'तीर्थ' बतलाया है—संसारसे पार उतरनेका उपाय सुझाया है—और 'दम-तीर्थनायकः' तथा 'अनवद्य-विनय-दमतीर्थ-नायकः' जैसे पदों-द्वारा जैनतीर्थंकरोंको उस तीर्थका नायक बतलाकर यह घोषित किया है कि जैनतीर्थंकरोंका शासन इन्द्रिय-कषाय-निग्रहपरक है (१०४, १२२)। साथ ही, यह भी निर्दिष्ट किया है कि वह दम (दमन) मायाचार रहित निष्कपट एवं निर्दोष होना चाहिए—दम्भके रूपमें नहीं (१४१)। इस दम-के साथी-सहयोगी एवं सखा (मित्र) हैं यम-नियम, विनय, तप और दया। अहिंसादि व्रतानुष्ठानका नाम 'यम' है। कोई व्रतानुष्ठान जब यावज्जीवके लिये न होकर परमित कालके लिए होता है तब वह नियम कहलाता है। यमको

ग्रन्थमें 'सप्रयामदमायः' (१४१) पदके द्वारा 'याम' शब्दसे उल्लेखित किया है जो स्वार्थिक 'अण्' प्रत्ययके कारण यमका ही वाचक है और 'प्र' उपसर्गके साथमें रहनेसे महायम (महाव्रतानुष्ठान) का सूचक हो जाता है । इस यम अथवा महायमको ग्रन्थमें 'अधिगत-मुनि-सुव्रत-स्थितिः (१११)' पदके द्वारा 'सुव्रत' भी सूचित किया है और वे सुव्रत अहिंसादिक महाव्रत ही हैं, जिन्हें कर्मयोगीको भले प्रकार अधिगत और अधिकृत करना होता है । विनयमें अहंकारका त्याग और दूसरा भी कितना ही सदाचार शामिल है । तपमें सांसारिक इच्छाओंके निरोधकी प्रमुखता है और वह बाह्य तथा अभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है । बाह्यतप अनशनादिक-रूप* है और वह अन्तरंग तपकी वृद्धिके लिए ही किया जाता है (८३)—वही उसका लक्ष्य और ध्येय है; मात्र शरीर को सुखाना, कृश करना अथवा कष्ट पहुँचाना उसका उद्देश्य नहीं है । अन्तरंग तप प्रायश्चित्तादिरूप † है । जिसमें ज्ञानाराधन और ध्यान-साधनकी प्रधानता है—प्रायश्चित्तादि प्रायः उन्हींकी वृद्धि और सिद्धिको लक्ष्यमें लेकर किये जाते हैं । ध्यान आर्त्त, रौद्र, धर्म्य और शुक्लके भेदसे चार प्रकारका होता है, जिनमें पहले दो भेद अप्रशस्त (कलुषित) और दूसरे दो प्रशस्त (सात्विशय) ध्यान कहलाते हैं । दोनों अप्रशस्त ध्यानोंको छोड़कर प्रशस्त ध्यानोंमें प्रवृत्ति करना ही इस कर्मयोगीके लिये विहित है (८३) । यह योगी तप साधनाकी प्रधानताके कारण 'तपस्वी' भी कहलाता है; परन्तु इसका तप दूसरे कुछ तपस्वियोंकी तरह सन्ततिकी, धनसम्पत्तिकी तथा परलोकमें इन्द्रासनादि-प्राप्तिकी आशा-तृष्णाको लेकर नहीं होता बल्कि उसका शुद्ध लक्ष्य स्वात्मोपलब्धि होता है—वह जन्म-जरा-मरणरूप संसार-परिभ्रमणसे छूटनेके लिये ही अपने मन-वचन और कायकी प्रवृत्तियोंको तपश्चरण-द्वारा स्वाधीन करता है (४८) इन्द्रिय-विषय-सौख्यसे पराङ्मुख रहता है (८१) और इतना

* अनशनाऽवमोदर्य-व्रतपरिसंख्यान-रसपरित्याग-विबिक्तशय्यासन-काय-क्लेशा बाह्यतपः ।—तत्त्वार्थसूत्र ६-१६ ॥

† प्रायश्चित्त-विनय-वैयावृत्य-स्वाध्यायव्युत्सर्ग-ध्यानान्युत्तरम् ।

—तत्त्वार्थसूत्र ६-२० ॥

निस्पृह हो जाता है कि अपने देहने भी विरक्त रहता है (७२)—उसे धोना, मांजना, तेल लगाना, कोमल-शय्यापर सुलाना, पौष्टिक भोजन कराना, शृङ्गारित करना और सर्दी-गर्मी आदि की परीपहोसे अनावश्यक रूपमें वचाना—जैसे कार्योंमें वह कोई रुचि नहीं रखता । उसका शरीर आभूषणों, वेपों, आयुधों और वस्त्र प्रावरण-दिरूप व्यवधानोंसे रहित होता है और इन्द्रियोंकी शान्तता-को लिये रहता है (४६, १२०) । ऐसे तपस्वीका एक सुन्दर संक्षिप्तलक्षण ग्रन्थकार-महोदयने अपने दूसरे ग्रन्थ 'समीचीनधर्मशास्त्र' (रत्नकरण्ड) में निम्न प्रकार दिया है:—

विषयाशा-वशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञान-ध्यान-तपो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१८॥

‘जो इन्द्रिय-विषयोंकी आशातकके वशवर्ती नहीं हैं, आरम्भोंसे—कृषि-बाणिज्यादिरूप सावश्यकर्मोंसे—रहित है, बाह्याभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त है और ज्ञान-ध्यानकी प्रधानताको लिये हुए तस्यामें लीन रहता है वह तपस्वी प्रशंसनीय है ।’

अब रही दयाकी बात, वह तो सारे धर्मानुष्ठानका प्राण ही है । इसीसे ‘मुनौ दया-दीधित-धर्मचक्र’ वाक्यके द्वारा योगी साधुके सारे धर्म-समूहको दयाकी किरणोंवाला बतलाया है (७८) और सच्चे मुनिको दयामूर्तिके रूपमें पापोंकी शान्ति करनेवाला (७६) और अखिल प्राणियोंके प्रति अपनी दयाका विस्तार करनेवाला (८१) लिखा है । उसका रूप शरीरकी उक्त स्थितिके साथ विद्या, दम और दयाकी तत्परताको लिए हुए होता है (६४) । दया के बिना न दम बनता है, न यम-नियमादिक और न परिग्रहका त्याग ही सुघटित होता है; फिर समाधि और उसके द्वारा कर्मबन्धनोंको काटने अथवा भस्म करनेकी तो बात ही दूर है । इसीसे समाधिकी सिद्धिके लिये जहाँ उभय प्रकारके परिग्रह-त्यागको आवश्यक बतलाया है वहाँ क्षमा-सखीवाली दया-वधू-को अपने आश्रयमें रखनेकी बात भी कही गई है (१६) और अहिंसा-परमब्रह्मकी सिद्धिके लिये जहाँ उस आश्रमविधिको अपनातेकी बात करते हुए जिसमें अणुमात्र भी आरम्भ न हो, द्विविध-परिग्रहके त्यागका विधान किया है वहाँ उस परिग्रह-त्यागको ‘परमकरुणः’ पदके द्वारा ‘परमकरुणाभावसे—असाधारण

दया-सम्पत्तिसे—सम्पन्न भी सूचित किया है। इस तरह दम, त्याग, और समाधि (तथा उनसे सम्बन्धित यम-नियमादि) सबमें दयाकी प्रधानता है। इसीसे मुमुक्षुके लिये कर्मयोगके अंगोंमें 'दया' को अलग ही रक्खा गया है और पहला स्थान दिया गया है।

स्वामी समन्तभद्रने अपने दूसरे महान् ग्रन्थ 'युक्त्यनुशासन' में कर्मयोगके इन चार अङ्गों दया, दम, त्याग और समाधिका इसी क्रमसे उल्लेख किया है† और साथ ही यह निर्दिष्ट किया है कि वीर जिनेन्द्रका शासन (मत) नय-प्रमाणके द्वारा वस्तु-तत्त्वको स्पष्ट करने के साथ साथ इन चारोंकी तत्परता-को लिये हुए है, ये सब उसकी खास विशेषताएँ हैं और इन्हींके कारण वह अद्वितीय है तथा अखिल प्रवादियों के द्वारा अधृष्य है—प्रजय्य है। जैसा कि उक्त ग्रन्थकी निम्न कारिका से प्रकट है:—

दया-दम-त्याग-समाधि-निष्ठं नय-प्रमाण-प्रकृताञ्जसार्थम् ।

अधृष्यमन्यैरखिलैः प्रवादैर्जिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम् ॥६॥

यह कारिका बड़े महत्त्वकी है। इसमें वीरजिनेन्द्रके शासनका बीज-पदोंमें सूत्ररूपसे सार संकलन करते हुए भक्तियोग और कर्मयोग तीनोंका सुन्दर समावेश किया गया है। इसका पहला चरण कर्मयोगकी, दूसरा चरण ज्ञानयोगकी और शेष तीनों चरण प्रायः भक्तियोगकी संसूचनाको लिये हुए है। और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि दया, दम, त्याग और समाधि इन चारोंमें वीरशासनका सारा कर्मयोग समाविष्ट है। यम, नियम, संयम, व्रत, विनय, शील, तप, ध्यान, चारित्र्य, इन्द्रियजय, कषायजय, परीषहजय, मोहविजय, कर्मविजय, गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, त्रिदण्ड, हिंणदिविरित और क्षमादिकके रूपमें जो भी कर्मयोग अन्यत्र पाया जाता है वह सब इन चारोंमें

† श्री विद्यानन्दाचार्य इस क्रमकी सार्थकता बतलाते हुए टीकामें लिखते हैं—निमित्त-नैमित्तिक-भाव-निबन्धनः पूर्वोत्तर-वचन-क्रमः । दया हि निमित्तं दमस्य, तस्यां सत्यां तदुत्पत्तेः । दमश्च त्यागस्य (निमित्तं) तस्मिन्सति तद्वटनात् । त्यागश्च समाधेस्तस्मिन्सत्येव विक्षेपादिनिवृत्ति-सिद्धेरेकाग्रस्य समाधिविशेषस्योत्पत्तेः अन्यथा तदनुपपत्तेः ।”

अन्तर्भूत है—इन्हींकी व्याख्यामें उसे प्रस्तुत किया जा सकता है । चुनोंचे प्रस्तुत ग्रन्थमें भी इन चारोंका अपने कुछ अभिन्न संगी-साथियोंके साथ इधर उधर प्रसृत निर्देश है; जैसा कि ऊपरके संचयन और विवेचनसे स्पष्ट है ।

इस प्रकार यह ग्रन्थके सारे शरीरमें व्याप्त कर्मयोग-रसका निचोड़ है—सत है अथवा सार है, जो अपने कुछ उपयोग-प्रयोगको भी साथमें लिए हुए है ।

तीनों योगोंके इस भारी कथनको लिये हुए प्रस्तुत स्तोत्रपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि स्वामी समस्तभद्र कैसे और कितने उच्चकोटिके भक्तियोगी, ज्ञानयोगी और कर्मयोगी थे और इसलिये उनके पद-चिह्नोंपर चलनेके लिये हमारा आचार-विचार किस प्रकारका होना चाहिए और कैसे हमें उनके पथका पथिक बनना अथवा आत्महितकी साधनाके साथ साथ लोक-हितकी साधनामें तत्पर रहना चाहिये।



समन्तभद्रका युक्त्यनुशासन

ग्रन्थ-नाम—

इस ग्रन्थका सुप्रसिद्ध नाम 'युक्त्यनुशासन' है। यद्यपि ग्रन्थके आदि तथा अन्तके पद्योंमें इस नामका कोई उल्लेख नहीं है—उनमें स्पष्टतया वीर-जिनके स्तोत्रकी प्रतिज्ञा और उसीकी परिसमाप्तिका उल्लेख है ‡ और इससे ग्रन्थका मूल अथवा प्रथम नाम 'वीरजिनस्तोत्र' जान पड़ता है—फिर भी ग्रन्थकी उपलब्ध प्रतियों तथा शास्त्र-भण्डारोंकी सूचियोंमें 'युक्त्यनुशासन' नामसे ही इसका प्रायः उल्लेख मिलता है। टीकाकार श्रीविद्यानन्दाचार्यने तो बहुत स्पष्ट शब्दोंमें टीकाके मंगलपद्य, मध्यपद्य और अन्त्यपद्यमें इसको समन्तभद्रका 'युक्त्यनुशासन' नामका स्तोत्रग्रन्थ उद्घोषित किया है; जैसा कि उन पद्योंके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

‘जीयात्समन्तभद्रस्य स्तोत्रं युक्त्यनुशासनम्’ (१)

“स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्वीरस्य निःशेषतः (२)

“श्रीमद्वीरजिनेश्वराऽमलगुणस्तोत्रं परीक्षेत्तैः

साक्षात्स्वामिसमन्तभद्रगुरुभिस्त्वं समीक्ष्याऽखिलम् ।

प्रोक्तं युक्त्यनुशासनं विजयिभिः स्याद्वाद्मार्गानुगैः” (४)

‡ “स्तुतिगोचरत्वं निनीषवः स्मो वयमद्य वीरं” (१);

“नरागन्नः स्तोत्रं भवति भवपाशच्छिदि मुनौ” (६३);

“इति”...स्तुतः शक्त्या श्रेयः पदमधिगतस्त्वं जिन मया ।

महावीरो वीरो दुरितपरसेनाभिविजये” (६४) ।

यहां मध्य और अन्त्यके पद्योंसे यह भी मालूम होता है कि ग्रन्थ वीरजिन-का स्तोत्र होते हुए भी 'युक्त्यनुशासन' नामको लिये हुए है अर्थात् इसके दो नाम हैं—एक 'वीरजिनस्तोत्र' और दूसरा 'युक्त्यनुशासन'। समन्तभद्रके अन्य उपलब्ध ग्रन्थ भी दो-दो नामोंको लिये हुए हैं; जैसा कि मैंने 'स्वयम्भूस्तोत्र' की प्रस्तावनामें व्यक्त किया है पर स्वयम्भूस्तोत्रादि अन्य चार ग्रन्थोंमें ग्रन्थका पहला नाम प्रथम पद्य-द्वारा और दूसरा नाम अन्तिम पद्य द्वारा सूचित किया गया है और यहां आदि-अन्तके दोनों ही पद्योंमें एक ही नामकी सूचना की गई है; तब यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या 'युक्त्यनुशासन' यह नाम बादको श्री विद्यानन्द या दूसरे किसी आचार्यके द्वारा दिया गया है अथवा ग्रन्थके अन्य किसी पद्यसे इसकी भी उपलब्धि होती है ? श्रीविद्यानन्दाचार्यके द्वारा यह नाम दिया हुआ मालूम नहीं होता; क्योंकि वे टीकाके आदिम मंगल पद्यमें 'युक्त्यनुशासन'का जयघोष करते हुए उसे स्पष्ट रूपमें समन्तभद्रकृत बतला रहे हैं और अन्तिम पद्यमें यह साफ घोषणा कर रहे हैं कि स्वामी समन्तभद्रने अखिल तत्त्वकी समीक्षा करके श्रीवीरजिनेन्द्रके निर्मल गुणोंके स्तोत्ररूपमें यह 'युक्त्यनुशासन' ग्रन्थ कहा है। ऐसी स्थितिमें उनके द्वारा इस नामकरणकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसके सिवाय, शकसंवत् ७०५ (वि० सं० ८४०) में हरिवंशपुराणको बनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने 'जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्त्यनुशासनम्, वचः समन्तभद्रस्य' इन पदोंके द्वारा बहुत स्पष्ट शब्दोंमें समन्तभद्रको 'जीवसिद्धि' ग्रन्थका विधाता और 'युक्त्यनुशासन' का कर्ता बतलाया है। इससे भी यह साफ जाना जाता है कि 'युक्त्यनुशासन' नाम श्रीविद्यानन्द अथवा श्रीजिनसेनके द्वारा बादको दिया हुआ नाम नहीं है, बल्कि ग्रन्थकार-द्वारा स्वयंका ही विनियोजित नाम है।

अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थके किसी दूसरे पद्यसे इस नामकी कोई सूचना मिलती है ? सूचना जरूर मिलती है। स्वामीजीने स्वयं ग्रन्थकी ४८ वीं कारिकामें 'युक्त्यनुशासन' का निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

“ऋष्ठागमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते ।”

इसमें बतलाया है कि 'प्रत्यक्ष और आगमसे अविरोधरूप जो अर्थ वा अर्थसे प्ररूपण है उसे 'युक्त्यनुशासन' कहते हैं और वही (हे वीर भगवान् !) आपको

अभिमत है—अभीष्ट है ।” ग्रन्थका सारा अर्थप्रकरण युक्त्यनुशासनके इसी लक्षण-से लक्षित है, इसीसे उसके सारे शरीरका निर्माण हुआ है और इसलिये ‘युक्त्यनु-शासन’ यह नाम ग्रन्थकी प्रकृतिके अनुरूप उसका प्रमुख नाम है । बुनाँचे ग्रन्थ-कार-महोदय, ६३ वीं कारिकामें ग्रन्थके निर्माणका उद्देश्य व्यक्त करते हुए, लिखते हैं कि ‘हे वीर भगवन् ! यह स्तोत्र आपके प्रति रागभावको अथवा दूसरोंके प्रति द्वेषभावको लेकर नहीं रचा गया है, बल्कि जो लोग न्याय-अन्याय-को पहचानना चाहते हैं और किसी प्रकृतविषयके गुण-दोषोंको जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह हितान्वेषणके उपायस्वरूप आपकी गुण-कथाके साथ कहा गया है । इससे साफ जाना जाता है कि ग्रन्थका प्रधान लक्ष्य भूले-भटके जीवोंको न्याय-अन्याय, गुण-दोष और हित-अहितका विवेक कराकर उन्हें वीर-जिन-प्रदर्शित सन्मार्गपर लगाना है और वह युक्तियोंके अनुशासन-द्वारा ही साध्य होता है, अतः ग्रन्थका मूलतः प्रधान नाम ‘युक्त्यनुशासन’ ठीक जान पड़ता है । यही वजह है कि वह इसी नामसे अधिक प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है । ‘वीरजिन-स्तोत्र’ यह उसका दूसरा नाम है, जो स्तुतिपात्रकी दृष्टिसे है, जिसका और जिसके शासनका महत्त्व इस ग्रन्थमें स्थापित किया गया है । ग्रन्थके मध्यमें प्रयुक्त हुए किसी पदपरसे भी ग्रन्थका नाम रखनेकी प्रथा है, जिसका एक उदा-हरण धनंजय कविका ‘विषापहार’ स्तोत्र है, जो कि न तो ‘विषापहार’ शब्दसे प्रारम्भ होता है और न आदि-अन्तके पद्योंमें ही उसके ‘विषापहार’ नामकी कोई सूचना की गई है, फिर भी मध्यमें प्रयुक्त हुए ‘विषापहारं मणिमौपधानि’ इत्यादि वाक्यपरसे वह ‘विषापहार’ नामको धारण करता है । उसी तरह यह स्तोत्र भी ‘युक्त्यनुशासन’ नामको धारण करता हुआ जान पड़ता है ।

इस तरह ग्रन्थके दोनों ही नाम युक्तियुक्त हैं और वे ग्रन्थकार-द्वारा ही प्रयुक्त हुए सिद्ध होते हैं । जिसे जैसी रुचि हो उसके अनुसार वह इन दोनों नामोंमेंसे किसीका भी उपयोग कर सकता है ।

ग्रन्थका संक्षिप्त परिचय और महत्त्व—

यह ग्रन्थ उन आतों अथवा ‘सर्वज्ञ’ कहे जानेवालोंकी परीक्षाके बाद रचा गया है, जिनके आगम किसी-न-किसी रूपमें उपलब्ध हैं और जिनमें बुद्ध-कपि-

लादि के साथ वीर जिनेन्द्र भी शामिल हैं। परीक्षा 'युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक्त्व' हेतुसे की गई है अर्थात् जिनके वचन युक्ति और शास्त्रसे अविरोधरूप पाये गये उन्हें ही आस्रूपमें स्वीकार बिया गया है—शेषका आस्र होना बाधित ठहराया गया है। ग्रन्थकारमहोदय स्वामी समन्तभद्रकी इस परीक्षामें, जिसे उन्होंने अपने 'आस्र-मीमांसा' (देवागम) ग्रन्थमें निबद्ध किया है, स्याद्वादनायक श्रीवीरजिनेन्द्र, जो अनेकान्तवादि-आस्रोंका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णरूपसे समुत्तीर्ण रहे हैं और इसलिये स्वामीजीने उन्हें निर्दोष आस्र (सर्वज्ञ) घोषित करते हुए और उनके अभिमत अनेकान्तशासनको प्रमाणाऽबाधित बतलाते हुए लिखा है कि आपके शासनाऽमृतसे बाह्य जो सर्वथा एकान्तवादी हैं वे आस्र नहीं आप्ताभिमानसे दग्ध हैं; क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित दृष्ट तत्त्व प्रत्यक्ष-प्रमाणसे बाधित है--

स त्वमेवाऽसि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक् ।

अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ ६ ॥

त्वन्मताऽमृत-वाह्यानां सर्वथैकान्तवादिनाम् ।

आप्ताभिमान-दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥ ७ ॥

—आस्रमीमांसा

इस तरह वीरजिनेन्द्रके गलेमें आप्त-विषयक जयमाल डालकर और इन दोनों कारिकाओंमें वर्णित अपने कथनका स्पष्टीकरण करनेके अनन्तर आचार्य स्वामी समन्तभद्र इस स्तोत्रद्वारा वीरजिनेन्द्रका स्तवन करने बैठे हैं, जिसकी सूचना इस ग्रन्थकी प्रथम कारिकामें प्रयुक्त हुए 'अद्य' शब्दके द्वारा की गई है। टीकाकार श्रीविद्यानन्दाचार्यने भी 'अद्य' शब्दका अर्थ 'अद्याऽस्मिन् काले परीक्षावसानसमये' दिया है। साथ ही, कारिकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा यह भी सूचित किया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ आप्तमीमांसाके बाद रचा गया है—

“श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिराप्तमीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदाद् व्यवस्थापितेन भगवता श्रीमतार्हतान्यतीर्थङ्करपरमदेवेन मां परीक्ष्य किं चिकीषवो भवन्तः ? इति ते पृष्टा इव प्राहुः ।”

स्वामी समन्तभद्र एक बहुत बड़े परीक्षा-प्रधानी आचार्य थे, वे यों ही किसीके आगे मस्तक टेकनेवाले अथवा किसीकी स्तुतिमें प्रवृत्त होनेवाले नहीं थे। इसीसे वीरजिनेन्द्रकी महानता-विषयक जब ये बातें उनके सामने आईं कि 'उनके पास देव आते हैं, आकाशमें बिना किसी विमानादिकी सहायताके उनका गमन होता है और चँवर-छत्रादि अष्ट प्रातिहार्योंके रूपमें तथा समवसरणादिके रूपमें अन्य विभूतियोंका भी उनके निमित्त प्रादुर्भाव होता है तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि 'ये बातें तो मायाविषयोंमें—इन्द्रजालियोंमें—भी पाई जाती हैं, इनके कारण आप हमारे महान्-पूज्य अथवा आप्त-पुरुष नहीं हैं ॐ।' और जब शरीरादिके अन्तर्बाह्य महान् उदयकी बात बतलाकर महानता जतलाई गई तो उसे भी अस्वीकार करते हुए उन्होंने कह दिया कि शरीराका यह महान् उदय रागादिके वशीभूत देवताओंमें भी पाया जाता है। अतः यह हेतु भी व्यभिचारी है, इससे महानता (आप्तता) सिद्ध नहीं होती †। इसी तरह तीर्थंकर होनेसे महानताकी बात जब सामने लाई गई तो आपने साफ़ कह दिया कि 'तीर्थंकर' तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हैं और वे भी संसारसे पार उतरने अथवा निवृत्ति प्राप्त करनेके उपायरूप आगमतीर्थके प्रवर्तक माने जाते हैं तब वे सब भी आप्त-सर्वज्ञ ठहरते हैं, और यह बात बनती नहीं; क्योंकि तीर्थंकरोंके आगमोंमें परस्पर विरोध पाया जाता है। अतः उनमें कोई एक ही महान् हो सकता है जिसका ज्ञापक तीर्थंकरत्व हेतु नहीं, कोई दूसरा ही हेतु होना चाहिए *।

ऐसी हालतमें पाठकजन यह जाननेके लिये जरूर उत्सुक होंगे कि स्वामीजी ने इस स्तोत्रमें वीरजिनकी महानताका किस रूपमें सद्योतन किया है। वीर-

ॐ देवागम-नभोयान-चामरादि-विभूतयः ।

मायाविष्वधि दृश्यन्ते नास्तस्त्वमसि नो महान् ॥१॥

† अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादिमहोदयः ।

दिव्यः सत्यो दिव्योक्स्त्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥

* तीर्थंकृतसमयानां च परस्पर-विरोधतः ।

सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्गुरुः ॥३॥—आप्तमीमांसा

जिनकी महानताका संद्योतन जिस रूपमें किया गया है, उसका पूर्ण परिचय तो पूरे ग्रन्थको बहुत दत्तावधानके साथ अनेक बार पढ़ने-पर ही ज्ञात हो सकेगा, यहाँ पर संक्षेपमें कुछ थोड़ा-सा ही परिचय कराया जाता है और उसके लिये ग्रन्थकी निम्न दो कारिकाएँ खास तौरसे उल्लेखनीय हैं—

त्वं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुला-व्यतीतां जिन ! शान्तिरूपाम् ।
 अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीयत्प्रतिवक्तुमोशाः ॥ ४ ॥
 दय-दम-त्याग-समाधि-निष्ठं नय-प्रमाण - प्रकृताऽऽङ्गजसार्थम् ।
 अधृष्यमन्यैरखिलैः प्रवादैर्जिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम् ॥ ६ ॥

इनमेंसे पहली कारिकामें श्रीवीरकी महानताका और दूसरीमें उनके शासनकी महानताका उल्लेख है । श्रीवीरकी महानताको इस रूपमें प्रदर्शित किया है कि 'वे अतुलित शान्तिके साथ शुद्धि और शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्त हुए हैं—उन्होंने मोहनीयकर्मका अभाव कर अनुपम सुख-शान्तिकी, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्मोंका नाशकर अनन्त ज्ञानदर्शनरूप शुद्धिके उदयकी और अन्तराय कर्मका विनाश कर अनन्तवीर्यरूपा शक्तिके उत्कर्षकी चरम-सीमाको प्राप्त किया है—और साथ ही ब्रह्मपथके—अहिंसात्मक आत्मविकासपद्धति अथवा मोक्षमार्गके वे नेता बने हैं—उन्होंने अपने आदर्श एवं उपदेशादि-द्वारा दूसरोंको उस सन्मार्ग पर लगाया है जो शुद्धि, शक्ति तथा शान्तिके परमोदयरूपमें आत्मविकासका परम सहायक है ।' और उनके शासनकी महानताके विषयमें बतलाया है कि 'वह दया (अहिंसा), दम (संयम), त्याग (परिग्रह-त्यजन) और समाधि (प्रशस्तध्यान) की निष्ठा—तत्परताको लिये हुए है, नयों तथा प्रमाणोंके द्वारा वस्तुतत्त्वको बिल्कुल स्पष्ट-सुनिश्चित करनेवाला है और (अनेकान्तवादसे भिन्न) दूसरे सभी प्रवादोंके द्वारा अबाध है—कोई भी उसके विषयको खंडित अथवा दूषित करनेमें समर्थ नहीं है । यही सब उसकी विशेषता है और इसलिये वह अद्वितीय है ।

अगली कारिकाओंमें सूत्ररूपसे वर्णित इस वीरशासनके महत्त्वको और उसके द्वारा वीरजिनेन्द्रकी महानताको स्पष्ट करके बतलाया गया है—खास तौरसे यह प्रदर्शित किया गया है कि वीरजिन-द्वारा इस शासनमें वर्णित

वस्तुतत्त्व कैसे नय-प्रमाणके द्वारा निर्बाध सिद्ध होता है और दूसरे सर्वथैकान्त-शासनोंमें निदिष्ट हुआ वस्तुतत्त्व किस प्रकारसे प्रमाणबाधित तथा अपने अस्तित्वको सिद्ध करनेमें असमर्थ पाया जाता है। सारा विषय विज्ञ पाठकोंके लिये बड़ा ही रोचक है और वीरजिनेन्द्रकी कीर्तिको दिग्दिगन्त-व्यापिनी बनाने-वाला है। इसमें प्रधान-प्रधान दर्शनों और उनके अवान्तर कितने ही वादोंका सूत्र अथवा संकेतादिकके रूपमें बहुत कुछ निर्देश और विवेक आ गया है। यह विषय ३६ वीं कारिका तक चलता रहा है। श्री विद्यानन्दाचार्यने इस कारिकाकी टीकाके अन्तमें वहाँ तकके वर्णित विषयकी संक्षेपमें सूचना करते हुए लिखा है—

स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्वीरस्य निःशेषतः

सम्प्राप्तस्य विशुद्धि-शक्ति-पदवीं काष्ठां परामाश्रिताम्।

निर्णीतं मतमद्वितीयममलं संचेपतोऽपाकृतं

तद्बाह्यं वितथं मतं च सकलं सद्बुद्धिनैवैवध्यताम् ॥

अर्थात्—यहाँतकके इस युक्त्यनुशासन स्तोत्रमें शुद्धि और शक्तिकी पराकाष्ठाको प्राप्ता हुए वीरजिनेन्द्रके अनेकान्तात्मक स्याद्वादमत (शासन) को पूर्णतः निर्दोष और अद्वितीय निश्चित किया गया है और उससे बाह्य जो सर्वथा एकान्तके आप्रहको लिये हुए मिथ्यामतोंका समूह है उस सबका संक्षेपसे निराकरण किया गया है, यह बात सद्बुद्धिशालियोंको भले प्रकार समझ लेनी चाहिए।

इसके आगे, ग्रंथके उत्तरार्धमें, वीर-शासन-वर्णित तत्त्वज्ञानके मर्मकी कुछ ऐसी गुह्य तथा सूक्ष्म बातोंको स्पष्ट करके बतलाया गया है जो ग्रंथकार-महोदय स्वामी समन्तभद्रसे पूर्वके ग्रंथोंमें प्रायः नहीं पायी जातीं, जिनमें 'एव' तथा 'स्यात्' शब्दके प्रयोग-अप्रयोगके रहस्यकी बातें भी शामिल हैं और जिन सबसे वीरके तत्त्वज्ञानको समझने तथा परखोकी निर्मल दृष्टि अथवा कसौटी प्राप्त होती है। वीरके इस अनेकान्तात्मक शासन (प्रवचन) को ही ग्रंथमें 'सर्वोदयतीर्थ' बतलाया है—संसार समुद्रसे पार उतरनेके लिये वह समीचीन घाट अथवा मार्ग सूचित किया है जिसका आश्रय लेकर सभी

पार उतर जाते हैं। और सर्वोंके उदय-उत्कर्षमें अथवा आत्माके पूरा विकासमें सहायक है—और यह भी बतलाया है कि वह सर्वान्तवान् है—सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्याय, विधि-निषेध और एकत्व-अनेकत्वादि अशेष धर्मोंको अपनाने हुए हैं—, मुख्य-गौणकी व्यवस्थामें सुव्यवस्थित है और सब दुखोंका अन्त करने वाला तथा स्वयं निरन्त है—अविनाशी तथा अखंडनीय है। साथ ही, यह भी घोषित किया है कि जो शासन धर्मोंमें पारस्परिक अपेक्षाका प्रतिपादन नहीं करता है—उन्हें सर्वथा निरपेक्ष बतलाता है—वह सर्वधर्मोंसे शून्य होता है—उसमें किसी भी धर्मका अस्तित्व नहीं बन सकता और न उसके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था ही ठीक बैठ सकती है; ऐसी हालतमें सर्वथा एकान्त-शामन 'सर्वोदयतीर्थ' पदके योग्य हो ही नहीं सकता। जैसा कि ग्रंथके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

सर्वान्तवत्तद्गुण-मुख्य-कल्पं सर्वान्त-शून्यं च मिथोऽनपेक्षम् ।

सर्वोपदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव ॥६१॥

वीरके इस शासनमें बहुत बड़ी खूबी यह है कि 'इस शासनसे यथेष्ट अथवा भरपेट द्वेष रखनेवाला मनुष्य भी, यदि समदृष्टि हुआ उपपत्ति-चक्षुसे—मात्सर्यके त्यागपूर्वक समाधानकी दृष्टिसे—वीरशासनका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही उसका मानश्रृंग खंडित हो जाता है—सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यामतका आग्रह छूट जाता है—और वह अभद्र अथवा मिथ्या-दृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्ररूप एवं सम्यग्दृष्टि बनजाता है।' ऐसी इस ग्रन्थके निम्न वाक्यमें स्वामी समन्तभद्रने जोरों के साथ घोषणा की है—

कामं द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षुः समोक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम् ।

त्वयि ध्रुवं खण्डित-मान-शृङ्गा भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥६२॥

इस घोषणामें सत्यका कितना अधिक साक्षात्कार और आत्म-विश्वास संनिहित है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं, जरूरत है यह कहने और बतलानेकी कि एक समर्थ आचार्यकी ऐसी प्रबल घोषणाके होते हुए और वीर शासनको 'सर्वोदयतीर्थ' का पद प्राप्त होते हुए भी आज वे लोग क्या कर रहे हैं। जो तीर्थके उपासक कहलाते हैं, पण्डे-पुजारी बने हुए हैं और जिनके हाथों

यह तीर्थ पड़ा हुआ है। क्या वे इस तीर्थके सच्चे उपासक हैं? इसकी गुण-गरिमा एवं शक्तिसे भले प्रकार परिचित हैं? और लोकहितकी दृष्टिसे इसे प्रचारमें लाना चाहते हैं? उत्तरमें यही कहना होगा कि 'नहीं'। यदि ऐसा न होता तो आज इसके प्रचार और प्रसारकी दिशामें कोई खास प्रयत्न होता हुआ देखनेमें आता, जो नहीं देखा जा रहा है। खेद है कि ऐसे महान् प्रभावक ग्रन्थोंको हिन्दी आदिके विशिष्ट अनुवादिके साथ प्रचारमें लानेका कोई खास प्रयत्न भी आज तक नहीं हो सका है, जो वीरशासनका सिक्का लोक हृदयोंपर अंकित कर उन्हें सन्मार्गकी ओर लगानेवाले हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ कितना प्रभावशाली और महिमामय है, इसका विशेष अनुभव तो विज्ञातक इसके गहरे अध्ययनसे ही कर सकेंगे। यहांपर सिर्फ इतना ही बतला देना उचित जान पड़ता है कि श्रीविद्यानन्द आचार्यने युक्त्यनुशासनका जयघोष करते हुए उसे 'प्रमाण-नय-निर्णीत-वस्तु-तत्त्वमबाधित' (१) विशेषण-के द्वारा प्रमाण-नयके आधार पर वस्तुतत्त्वका अबाधित रूपसे निर्णायक बतलाया है। साथ ही, टीकाके अन्तिम पद्यमें यह भी बतलाया है कि 'स्वामी समन्तभद्र-ने अखिल तत्त्वसमूहकी साक्षात् समीक्षा कर इसकी रचना की है।' और श्री-जितसेनाचार्यने, अपने हरिवंशपुराणमें, 'कृतयुक्त्यनुशासन' पदके साथ 'वचः' समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते' इस वाक्यकी योजना कर यह घोषित किया है कि 'समन्तभद्रका युक्त्यनुशासन ग्रन्थ वीरभगवानके वचन (आगम) के समान प्रकाशमान एवं प्रभावादिकसे युक्त है।' और इससे साफ़ जाना जाता है कि यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक है, आगमकी कोटिमें स्थित है और इसका निर्माण बीजपदों अथवा गिम्भीरार्थक और वल्लर्थक सूत्रों द्वारा हुआ है। सचमुच इस ग्रन्थकी कारिकाएं प्रायः ओक गद्यसूत्रोंसे निमित हुई जान पड़ती हैं, जो बहुत ही गाम्भीर्य तथा अर्थ-गौरवकी लिये हुए हैं। उदाहरणके लिए ७वीं कारिका-को लीजिये, इसमें निम्न चार सूत्रोंका समावेश है—

१ अभेद-भेदात्मकमर्थतत्त्वम् । २ स्वतन्त्राऽन्यतरत्त्वपुष्पम् ।

३ अवृत्तिमत्वात्समवायवृत्तेः (संसर्गहानिः) ।

४ संसर्गहानेः सकलाऽर्थ-हानिः ।

इसी तरह दूसरी कारिकाओंका भी हाल है। मैं चाहता था कि कारिकाओंपरसे फलित होनेवाले गद्यसूत्रोंकी एक सूची ग्रन्थके प्रथम संस्करणके साथ अलगसे दी जाती, परन्तु उसके तैयार करने योग्य मुझे स्वयं अवकाश नहीं मिल सका और दूसरे एक विद्वान्प जो उसके लिये निवेदन किया गया तो उनसे उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो सका। और इसलिए वह सूची फिर किसी दूसरे संस्करणके अवसरपर ही दी जा सकेगी।

आशा है ग्रन्थके इस संक्षिप्त परिचय और १२ पेजी विषयसूची परसे पाठक ग्रन्थके गौरव और उसकी उपादेयताको समझ कर सविशेषरूपसे उसके अध्ययन और मननमें प्रवृत्त होंगे।



रत्नकरण्डके कर्तृत्व-विषयमें मेरा विचार और निर्णय

रत्नकरण्ड श्रावकाचारके कर्तृत्व-विषयकी वर्तमान चर्चाको उठे हुए चार वर्ष हो चुके—प्रोफेसर हीरालाल जी एम० ए० ने 'जैनइतिहासका विलुप्त अध्याय' नामक निबन्धमें इसे उठाया था, जो जनवरी सन् १९४४ में होनेवाले अखिल भारतवर्षीय प्राच्य सम्मेलनके १२ वें अधिवेशनपर बनारस में पढ़ा गया था। उस निबन्धमें प्रो० सा० ने, अनेक प्रस्तुत प्रमाणोंसे पुष्ट होती हुई प्रचलित मान्यताके विरुद्ध अपने नये मतकी घोषणा करते हुए, यह बतलाया था कि रत्नकरण्ड उन्हीं ग्रन्थकार (स्वामी समन्तभद्र) की रचना कदापि नहीं हो सकती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी; क्योंकि उसके 'ध्रुतिपासा' नामक पदमें दोषका जो स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता।' साथ ही यह भी सुझाया था कि इस ग्रन्थके कर्ता रत्नमालाका कर्ता शिवकोटिका गुरु भी हो सकता है। इसी घोषणाके प्रतिवादरूपमें न्यायाचार्य पं० दरबारीलालजी कोटियाने जुलाई सन् १९४४ में 'बया रत्नकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है' नामका एक लेख लिखकर अनेकान्तर्गते इस चर्चाका प्रारम्भ किया था और तबसे यह चर्चा दोनों विद्वानोंके उत्तर-प्रत्युत्तररूपमें बराबर चली आ रही है। कोटियाजीने अपनी लेखमालाका उपसंहार अनेकान्तर्गती ८वें वर्षकी किरण १०-११ में किया है और प्रोफेसर साहब अपनी लेखमालाका उपसंहार ६वें वर्षकी पहली किरणमें प्रकाशित 'रत्नकरण्ड और आप्तमीमांसाका भिन्नकर्तृत्व' लेखमें कर रहे हैं। दोनों ही पक्षके लेखोंमें यद्यपि कहीं कहीं कुछ पिष्टपेष तथा खींचतानसे भी काम लिया गया है और एक दूसरेके प्रति आक्षेपपरक भाषाका भी प्रयोग हुआ है, जिससे कुछ कटुताकी अवसर

मिला। यह सब यदि न हो पाता तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर भी इसमें संदेह नहीं कि दोनों विद्वानों ने प्रकृत विषयको सुलभानेमें काफी दिलचस्पी से काम लिया है और उनके अन्वेषणात्मक परिश्रम एवं विवेचनात्मक प्रयत्न-के फलस्वरूप कितनी ही नई बातें पाठकोंके सामने आई हैं। अच्छा होता यदि प्रोफेसर साहब न्यायाचार्यजीके पिछले लेखकी नवोद्भावित-युक्तियोंका उत्तर देते हुए अपनी लेखमालाका उपसंहार करते, जिससे पाठकोंको यह जाननेका अवसर मिलता कि प्रोफेसर साहब उन विशेष युक्तियोंके सम्बन्धमें भी क्या कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि प्रो० सा० के सामने उन युक्तियोंके सम्बन्धमें अपनी पिछली बातोंके पिष्टपेपणके सिवाय अन्य कुछ विशेष एवं समुचित कहनेके लिए अवशिष्ट न हो और इसलिए उन्होंने उनके उत्तरमें न पड़कर अपनी उन चार आपत्तियोंको ही स्थिर घोषित करना उचित समझा हो, जिन्हें उन्होंने अपने पिछले लेख (अनेकान्त वर्ष ८ किरण ३) के अन्तमें अपनी युक्तियोंके उपसंहाररूपमें प्रकट किया था। और संभवतः इसी बातको दृष्टिमें रखते हुए उन्होंने अपने वर्तमान लेखमें निम्न वाक्योंका प्रयोग किया हो:—

“इस विषयपर मेरे ‘जैन इतिहासका एक विखुल अध्याय’ शीर्षक निबन्धसे लगाकर अभी तक मेरे और पं० दरबारीलालजी कोठियाके लहू लेख प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें उपलब्ध साधक-बाधक प्रमाणोंका विवेचन किया जा चुका है। अब कोई नई बात सम्मुख आनेकी अपेक्षा पिष्टपेपण ही अधिक होना प्रारम्भ हो गया है मौलिकता केवल कटु शब्दोंके प्रयोगमें शेष रह गई है।”

(आपत्तियोंके पुनरुल्लेखानन्तर) “इस प्रकार रत्नकरण्डभावनाचार और आप्तमीमांसाके एक कर्तृत्वके विरुद्ध पूर्वोक्त चारों आपत्तियां ज्योंकी त्यों आज भी खड़ी हैं, और जो कुछ ऊहापोह अब तक हुआ है उससे वे और भी प्रबल व अकाट्य सिद्ध होती हैं।

कुछ भी हो और दूसरे कुछ ही समझते रहें, परन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रो० साहब अपनी उक्त चार आपत्तियोंमें से किसीका भी अब तक समाधान अथवा समुचित प्रतिवाद हुआ नहीं मानते; बल्कि वर्तमान ऊहापोहके फलस्वरूप उन्हें वे और भी प्रबल एवं अकाट्य समझने लगे हैं। अस्तु।

अपने वर्तमान लेखमें प्रो० साहबने मेरे दो पत्रों और मुझे भेजे हुए अपने एक पत्रको उद्धृत किया है । इन पत्रोंको प्रकाशित देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई—उनमेंसे किसीके भी प्रकाशनसे मेरे क्रुद्ध होने जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती थी, जिसकी प्रोफेसर साहबने अपने लेखमें कल्पना की है; क्योंकि उनमें प्राइवेट जैसी कोई बात नहीं है, मैं तो स्वयं ही उन्हें ‘समीचीनधर्मशास्त्र’ की अपनी प्रस्तावनामें प्रकाशित करना चाहता था—चुनांचे लेखके साथ भेजे हुए पत्रके उत्तरमें भी मैंने प्रो० साहबको इस बातकी सूचना कर दी थी । मेरे प्रथम पत्र को, जो कि रत्नकरण्डके ‘श्रुतिपासा’ नामक छठे पद्यके सम्बन्धमें उसके ग्रंथका मौलिक अंग होने-न-होने-विषयक गम्भीर प्रश्नको लिये हुए है, उद्धृत करते हुए प्रोफेसर साहबने उसे अपनी ‘प्रथम आपत्तिके परिहारका एक विशेष प्रयत्न’ बतलाया है, उसमें जो प्रश्न उठाया है उसे ‘बहुत ही महत्वपूर्ण’ तथा रत्नकरण्डके कर्तृत्वविषयसे बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाला घोषित किया है और ‘तीनों ही पत्रोंको अपने लेखमें प्रस्तुत करना वर्तमान विषयके निर्णयार्थ अत्यन्त आवश्यक सूचित किया है । साथ ही मुझसे यह जानना चाहा है कि मैंने अपने प्रथम पत्रके उत्तरमें प्राप्त विद्वानोंके पत्रों आदिके आधारपर उक्त पद्यके विषयमें मूलका अंग होने-न-होनेकी बाबत और समूचे ग्रन्थ (रत्नकरण्ड) के कर्तृत्व-विषयमें क्या कुछ निर्णय किया है । इसी जिज्ञासाको, जिसका प्रो० सा० के शब्दोंमें प्रकृत-विषयसे रुचि रखनेवाले दूसरे हृदयोंमें भी उत्पन्न होना स्वाभाविक है, प्रधानतः लेकर ही मैं इस लेखके लिखनेमें प्रवृत्त हो रहा हूँ ।

सबसे पहले मैं अपने पाठकोंको यह बतला देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत चर्चाके वादी-प्रतिवादी रूपमें स्थित दोनों विद्वानोंके लेखोंका निमित्त पाकर मेरी प्रवृत्ति रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यपर सविशेषणरूपसे विचार करने एवं उसकी स्थितिको जाँचनेकी ओर हुई और उसके फलस्वरूप ही मुझे वह दृष्टि प्राप्त हुई जिसे मैंने अपने उस पत्रमें व्यक्त किया है जो कुछ विद्वानोंको उनका विचार मालूम करनेके लिये भेजा गया था और जिसे प्रोफेसर साहबने विशेष महत्वपूर्ण एवं निर्णयार्थ आवश्यक समझकर अपने वर्तमान लेखमें उद्धृत किया है । विद्वानोंको उक्त पत्रका भेजा जाना प्रोफेसर साहबकी प्रथम आपत्तिके

परिहारका कोई खास प्रयत्न नहीं था, जैसा कि प्रो० साहबने समझा है; बल्कि उसका प्रधान लक्ष्य अपने लिये इस बातका निर्णय करना था कि 'समीचीन धर्मशास्त्र' में जो कि प्रकाशनके लिये प्रस्तुत है, उसके प्रति किस प्रकारका व्यवहार किया जाय—उसे मूलका अङ्ग मान लिया जाय या प्रक्षिप्त। क्योंकि रत्नकरण्डमें 'उत्तमन्नदोष आप्त' के लक्षणरूपमें उसकी स्थितिके स्पष्ट होनेपर अथवा 'प्रकीर्त्यते' के स्थानपर 'प्रदोषमुक्' जैसे किसी पाठका आविर्भाव होनेपर मैं आप्तमीमांसाके साथ उसका कोई विरोध नहीं देखता हूँ। और इसी लिये तत्सम्बन्धी अपने निर्णयादिशो उस समय पत्रोंमें प्रकाशित करनेकी कोई जरूरत नहीं समझी गई, वह सब समीचीनधर्मशास्त्रकी अपनी प्रस्तावनाके लिये सुरक्षित रक्खा गया था। हाँ, यह बात दूसरी है कि उक्त 'क्षुत्पिपासा' नामक पद्यके प्रक्षिप्त होने अथवा मूल ग्रन्थका वास्तविक अंग सिद्ध न होनेपर प्रोफेसर साहबकी प्रकृत-चर्चाका मूलाधार ही समाप्त हो जाता है; क्योंकि रत्नकरण्डके इस एक पद्यको लेकर ही उन्होंने आप्तमीमांसा-गत दोष-स्वरूपके साथ उसके विरोधकी कल्पना करके दोनों ग्रन्थोंके भिन्न-वर्तुत्वकी चर्चाको उठाया था—शेष तीन आपत्तियाँ तो उसमें बादको पुष्टि प्रदान करनेके लिये शामिल होती रहीं हैं। और इस पुष्टिसे प्रोफेसर साहबने मेरे उस पत्र-प्रेषणादिको यदि अपनी प्रथम आपत्तिके परिहारका एक विशेष प्रयत्न समझ लिया है तो वह स्वाभाविक है, उसके लिये मैं उन्हें कोई दोष नहीं देता। मैंने अपनी दृष्टि और स्थितिका स्पष्टीकरण कर दिया है।

मेरा उक्त पत्र जिन विद्वानोंको भेजा गया था उनमेंसे कुछका तो कोई उत्तर ही प्राप्त नहीं हुआ, कुछने अनवकाशादिके कारण उत्तर देनेमें अपनी असमर्थता व्यक्त की, कुछने अपनी सहमति प्रकट की और शेषने असहमति। जिन्होंने सहमति प्रकट की उन्होंने मेरे कथनको 'बुद्धिगम्य तर्कपूर्ण तथा युक्तिवादको 'अतिप्रबल' बतलाते हुए उक्त छठे पद्यको सिद्धिग्रहणमें तो स्वीकार किया है; परन्तु जब तक किसी भी प्राचीन प्रतिमें उसका अभाव न पाया जाय तब तक उसे 'प्रक्षिप्त' कहनेमें अपना संकोच व्यक्त किया है। और जिन्होंने असहमति प्रकट की है। उन्होंने उक्त पद्यको ग्रन्थका मौलिक अंग बतलाते हुए उसके विषयमें प्रायः इतनी ही सूचना की है कि वह पूर्व-पद्यमें

वर्णित आसके तीन विशेषणोंमेंसे 'उत्सन्न-दोष' विशेषणके स्पष्टीकरण अथवा व्याख्यादिको लिये हुए है। और उस सूचनादि परसे यह पाया जाता है कि वह उनके सरसरी विचारका परिणाम है—प्रश्नके अनुरूप विशेष ऊहा-पोहसे काम नहीं लिया गया अथवा उसके लिये उन्हें यथेष्ट अवसर नहीं मिल सका। चुनाँचे कुछ विद्वानोंने उसकी सूचना भी अपने पत्रोंमें की है जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं—

“रत्नकरण्डश्रावकाचारके जिस श्लोककी ओर आपने ध्यान दिलाया है, उसपर मैंने विचार किया मगर मैं अभी किसी नतीजेपर नहीं पहुँच सका। श्लोक ५ में उच्छिन्नदोष, सर्वज्ञ और आगमेशीको आस कहाँ है, मेरी दृष्टिमें उच्छिन्नदोषकी व्याख्या एवं पुष्टि श्लोक ६ करता है और आगमेशीकी व्याख्या श्लोक ७ करता है। रही सर्वज्ञता, उसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा है इसका कारण यह जान पड़ता है कि आसमीमांसामें उसकी पृथक् विस्तारते चर्चा की है इसलिये उसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा। श्लोक ६ में यद्यपि सब दोष नहीं आते, किन्तु दोषोंकी संख्या प्राचीन परम्परामें कितनी थी यह खोजना चाहिये। श्लोककी शब्दरचना भी समन्तभद्रके अनुकूल है, अभी और विचार करना चाहिये।” (यह पूरा उत्तर पत्र है)।

“इस समय बिल्कुल फुरसतमें नहीं हूँ..... यहाँ तक कि दो तीन दिन बाद आपके पत्रको पूरा पढ़ सका।.....पद्यके बारेमें अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा था, जो समस्यार्थ आपने उसके बारेमें उपस्थित की है वे आपके पत्रको देखनेके बाद ही मेरे सामने आई हैं, इसलिये इसके विषयमें जितनी गहराईके साथ आप सोच सकते हैं मैं नहीं, और फिर मुझे इस समय गहराईके साथ निश्चित होकर सोचनेका अवकाश नहीं इसलिये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उसमें कितनी दृढ़ता होगी यह मैं नहीं कह सकता फिर भी आशा है कि आप मेरे विचारों पर ध्यान देंगे।”

हाँ, इन्हीं विद्वानोंमेंसे तीनने छठे पद्यको संदिग्ध अथवा प्रक्षिप्त करार दिये जाने पर अपनी कुछ शंका अथवा चिन्ता भी व्यक्त की है, जो इस प्रकार है—

“(छठे पद्यके संदिग्ध होनेपर) ७वें पद्यकी संगति आप किस तरह विठलाएंगे और यदि ७ वें की स्थिति संदिग्ध होजाती है तो ८वां पद्य भी अपने आप संदिग्धताकी कोटिमें पहुँच जाता है।”

“यदि पद्य नं० ६ प्रकरणके विरुद्ध है, तो ७ और ८ भी संकटमें ग्रस्त हो जायेंगे।”

“नं० ६ के पद्यको टिप्पणीकारकृत स्वीकार किया जाय तो मूलग्रन्थकार-द्वारा लक्षणमें ३ विशेषण देखकर भी ७-८ में दोका ही समर्थन या स्पष्टीकरण किया गया पूर्व विशेषणके सम्बन्धमें कोई स्पष्टीकरण नहीं किया यह दोषापत्ति होगी।”

इन तीनों आशंकाओं अथवा आपत्तियोंका आशय प्रायः एक ही है और वह यह कि यदि छठे पद्यको असंगत कहा जावेगा तो ७ वें तथा ८ वें पद्यको भी असंगत कहना होगा। परन्तु बात ऐसी नहीं है। छठा पद्य ग्रन्थका अंग न रहने पर भी ७ वें तथा ८ वें पद्यको असंगत नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ७वें पद्यमें सर्वज्ञकी, आगमेशीकी अथवा दोनों विशेषणोंकी व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं है, जैसाकि अनेक विद्वानोंने भिन्न-भिन्न रूपमें उसे समझ लिया है। उसमें तो उपलक्षणरूपसे आत्मकी नाम-मालाका उल्लेख है, जिसे ‘उपलाल्यते’ पदके द्वारा स्पष्ट घोषित भी किया गया है, और उसमें आत्मके तीनों ही विशेषणोंको लक्ष्यमें रखकर नामोंका यथावश्यक संकलन किया गया है। इस प्रकारकी नाम-माला देनेकी प्राचीन समयमें कुछ पद्धति जान पड़ती है, जिसका एक उदाहरण पूर्ववर्ती आचार्य कुन्दकुन्दके ‘मोक्षपाहुड’ में और दूसरा उत्तरवर्ती आचार्य पूज्यपाद (देवनन्दी) के ‘समाधितंत्र’ में पाया जाता है। इन दोनों ग्रन्थोंमें परमात्माका स्वरूप देनेके अनन्तर उसकी नाममालाका जो कुछ उल्लेख किया है वह ग्रन्थ-क्रमसे इस प्रकार है—

“मलरहिओ कलचत्तो अणिदिओ केवलो विसुद्धप्पा ।

परमेट्ठी परमजिणो सिवंकरो सासओ सिद्धो ॥६॥”

“निर्मलः केवलः शुद्धो विविक्तः प्रभुरव्ययः ।

परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेस्वरो जिनः ॥६॥”

इन पद्योंमें कुछ नाम तो समान अथवा समानार्थक हैं और कुछ एक दूसरे-से भिन्न हैं, और इससे यह स्पष्ट सूचना मिलती है कि परमात्माको उपलक्षित करनेवाले नाम तो बहुत हैं, ग्रन्थकारोंने अपनी-अपनी रुचि तथा आवश्यकताके अनुसार उन्हें अपने-अपने ग्रन्थमें यथास्थान ग्रहण किया है। समाधितंत्र-ग्रन्थके टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्रने, 'तद्वाचिकां नाममालां दर्शयन्नाह' इस प्रस्तावना-वाक्यके द्वारा यह सूचित भी किया है कि इस छठे श्लोकमें परमात्माके नामकी वाचिका नाममालाका निदर्शन है। रत्नकरण्डकी टीकामें भी प्रभाचन्द्राचार्यने 'आप्तस्य वाचिकां नाममालां प्ररूपयन्नाह' इस प्रस्तावना-वाक्यके द्वारा यह सूचना की है कि ७वें पद्यमें आप्तकी नाममालाका निरूपण है। परन्तु उन्होंने साथमें आप्तका एक विशेषण 'उक्तदोषैर्विवर्जितस्य' भी दिया है, जिसका कारण पूर्वमें उत्सन्नदोषकी दृष्टिसे आप्तके लक्षणात्मक पद्यका होना कहा जा सकता है; अन्यथा वह नाममाला एकमात्र 'उत्सन्नदोषआप्त' की नहीं कही जा सकती; क्योंकि उसमें 'परंज्योति' और 'सर्वज्ञ' जैसे नाम सर्वज्ञ आप्तके, 'सार्वः' और 'शास्ता' जैसे नाम आगमेशी (परमहिनोपदेशक) आप्तके स्पष्ट वाचक भी मौजूद हैं। वास्तवमें वह आप्तके तीनों विशेषणोंको लक्ष्यमें रखकर ही संकलित की गई है, और इसलिये ७वें पद्यकी स्थिति ५वें पद्यके अनन्तर ठीक बैठ जाती है, उसमें असंगति जैसी कोई भी बात नहीं है। ऐसी स्थितिमें ७वें पद्यका नम्बर ६ होजाता है और तब पाठकोंको यह जानकर कुछ आश्चर्यसा होगा कि इन नाममालावाले पद्योंका तीनों ही ग्रन्थोंमें छठा नम्बर पड़ता है, जो किसी आकस्मिक अथवा रहस्यमय-घटनाका ही परिणाम कहा जा सकता है।

इस तरह छठे पद्यके अभावमें जब ७ वां पद्य असंगत नहीं रहता तब ८वाँ पद्य असंगत हो ही नहीं सकता; क्योंकि वह ७वें पद्यमें प्रयुक्त हुए 'विराग, और 'शास्ता' जैसे विशेषण-पदोंके विरोधकी शंकाके समाधानरूपमें है।

इसके सिवाय, प्रयत्न करने पर भी रत्नकरण्डकी ऐसी कोई प्राचीन प्रतियाँ मुझे अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, जो प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहलेकी अथवा विक्रमकी ११ वीं शताब्दीकी या उससे भी पहलेकी लिखी हुई हों। अनेकवार कोल्हापुरके प्राचीनशास्त्रभण्डारको टटोलनेके लिये डा० ए० एन०

उपाध्येजीसे निवेदन किया गया; परन्तु हरबार यही उत्तर मिलता रहा कि भट्टारकजी मठमें मौजूद नहीं हैं, बाहर गये हुए हैं—वे श्रवसर बाहर ही घूमा करते हैं—और बिना उनकी मौजूदगीके मठके शास्त्रभण्डारको देखा नहीं जा सकता ।

ऐसी हालतमें रत्नकरण्डका छठा पद्य अभी तक मेरे विचाराधीन ही चला जाता है । फिलहाल, वर्तमान चर्चाके लिये, मैं उसे मूलग्रन्थका अंग मानकर ही प्रोफेसरसाहबकी चारों आपत्तियोंपर अपना विचार और निर्णय प्रकट कर देना चाहता हूँ । और वह निम्न प्रकार है:—

(१) रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न बतलानेमें प्रोफेसर साहबकी जो सबसे बड़ी दलील है वह यह है कि ‘रत्नकरण्डके क्षुत्पिपासा’ नामक पद्यमें दोषका जो स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमांसाकारके अभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता—अर्थात् आप्तमीमांसाकारका दोषके स्वरूप-विषयमें जो अभिमत है वह रत्नकरण्डके उक्त पद्यमें वर्णित दोष-स्वरूपके साथ मेल नहीं खाता—विरुद्ध पड़ता है, और इसलिये दोनों ग्रन्थ एक ही आचार्यकी कृति नहीं हो सकते । इस दलीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह मालूम होनेकी जरूरत है कि आप्तमीमांसाकारका दोषके स्वरूप-विषयमें क्या अभिमत अथवा अभिप्राय है और उसे प्रोफेसर साहबने कहाँसे अवगत किया है ?—मूल आप्तमीमांसापरसे ? आप्तमीमांसाकी टीकाओंपरसे ? अथवा आप्तमीमांसाकारके दूसरे ग्रन्थोंपरसे ? और उसके बाद यह देखना होगा कि वह रत्नकरण्डके ‘क्षुत्पिपासा’ नामक पद्यके साथ मेल खाता अथवा संगत बैठता है या कि नहीं ।

प्रोफेसर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अभिमत दोषके स्वरूपका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया—अपने अभिप्रायानुसार उसका केवल कुछ संकेत ही किया है । उसका प्रधान कारण यह मालूम होता है कि मूल आप्तमीमांसामें कहीं भी दोषका कोई स्वरूप दिया हुआ नहीं है । ‘दोष’ शब्दका प्रयोग कुल पाँच कारिकाओंमें नं० ४, ६, ५६, ६२, ८० में हुआ है जिनमेंसे पिछली तीन कारिकाओंमें बुद्धचसंचरदोष, वृत्तिदोष और प्रतिज्ञा तथा हेतु-दोषका क्रमशः उल्लेख है, आप्तदोषसे सम्बन्ध रखनेवाली केवल ४ थी तथा ६ठी कारिकाएँ ही

है और वे दोनों ही 'दोष' के स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। और इसलिये दोषका अभिमत स्वरूप जाननेके लिये आप्तमीमांसाकी टीकाओं तथा आप्तमीमांसाकार-की दूसरी कृतियोंका आश्रय लेना होगा। साथ ही ग्रन्थके सन्दर्भ अथवा पूर्वापर-कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा।

टीकाओंका विचार—

प्रोफेसर साहबने ग्रन्थसन्दर्भके साथ टीकाओंका आश्रय लेते हुए, अष्ट-सहस्रीटीकाके आधारपर, जिसमें अकलङ्कदेवकी अष्टशती टीका भी शामिल है, यह प्रतिपादित किया है कि 'दोषावरणयोर्हानिः' इस चतुर्थ-कारिका-गत वाक्य और 'स त्वमेवासि निर्दोषः' इस छठी कारिकागत वाक्यमें प्रयुक्त 'दोष' शब्दका अभिप्राय उन अज्ञान तथा राग-द्वेषादिक ❁ वृत्तियोंसे है जो ज्ञाना-वरणादि घातिया कर्मोंसे उत्पन्न होती हैं और केवलीमें उनका अभाव होनेपर नष्ट हो जाती हैं †। इस दृष्टिसे रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यमें उल्लेखित भय, स्मय, राग, द्वेष और मोह ये पांच दोष तो आपको असङ्गत अथवा विरुद्ध मालूम नहीं पड़ते; शेष क्षुधा, पिपासा, जरा, आतङ्क (रोग), जन्म और अन्तक (मरण) इन छह दोषोंको आप असंगत समझते हैं—उन्हें सर्वथा असाता वेदनीयादि अघातिया कर्मजन्य मानते हैं और उनका आप्त-केवलीमें अभाव बतलानेपर अघातिया कर्मोंका सत्त्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण सैद्धान्तिक कठिनाई महसूस करते हैं ‡। परन्तु अष्टसहस्रीमें ही द्वितीया कारिकाके अन्तर्गत 'विग्रहादिमहोदयः' पदका जो अर्थ 'शश्वन्निस्वेदत्वादि' किया है और उसे 'घातिक्षयजः' बतलाया है उसपर प्रो० साहबने पूरीतरपर ध्यान दिया मालूम नहीं होता। 'शश्वन्निः स्वेदत्वादिः' पदमें उन ३४ अतिशयों तथा ८ प्रातिहार्यों का समावेश है जो श्रीपूज्यपादके 'नित्यं निःस्वेदत्वं' इस भक्तिपाठगत अर्हत्स्तोत्रमें वर्णित है। इन अतिशयोंमें अर्हत्-स्वयम्भूकी देह-

❁ "दोषास्तावदज्ञान- राग-द्वेषादय उक्ताः"।

(अष्टसहस्री का० ६, पृ० ६२)

† अनेकान्त वर्ष ७, कि० ७-८, पृ० ६२

‡ अनेकान्त वर्ष ७, कि० ३-४, पृ० ३१

सम्बन्धी जो १० अतिशय हैं उन्हें देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान नहीं रहता और भोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (भुक्त्युपसर्गाभावः) जो दो अतिशय हैं उनकी उपस्थितिमें क्षुधा और पिपासाके लिये कोई अवकाश नहीं मिलता। शेष 'जन्म' का अभिप्राय पुनर्जन्मसे और 'मरण' का अभिप्राय अप-मृत्यु अथवा उस मरणसे है जिसके अनन्तर दूसरा भव (संसारपर्याय) धारण किया जाता है। घातिया कर्मके क्षय हो जानेपर इन दोनोंकी सम्भावनाभी नष्ट हो जाती है। इस तरह घातिया कर्मोंके क्षय होनेपर क्षुत्पिपासादि शेष छहों दोषोंका अभाव होना भी अष्टसहस्री-सम्मत है, ऐसा समझना चाहिये। वसुनन्दि-वृत्तिमें तो दूसरी कारिकाका अर्थ देते हुए, “क्षुत्पिपासाजराख्याप-मृत्यवाद्यभावः इत्यर्थः” इस वाक्यके द्वारा क्षुधा-पिपासादिके अभावको साफ़ तौर पर विग्रहादिमहोदयके अन्तर्गत किया है, विग्रहादि-महोदयको अमानुषातिशय लिखा है तथा अतिशयको पूर्ववस्थाका अतिरेक बतलाया है। और छठी कारिकामें प्रयुक्त हुए 'निर्दोष' शब्दके अर्थमें अविद्या-रागादिके साथ क्षुधादिके अभावको भी सूचित किया है। यथा—

“निर्दोष अविद्यारागादिविरहितः क्षुदादिविरहितो वा अनन्तज्ञाना-दिसम्बन्धेन इत्यर्थः।”

इस वाक्यमें 'अनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेन' पद 'क्षुदादिविरहितः' पदके साथ अपनी खास विशेषता एवं महत्त्व रखता है और इस बातको सूचित करता है कि जब आत्मामें अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यकी आविर्भूति होती है तब उसके सम्बन्धसे क्षुधादि दोषोंका स्वतः अभाव हो जाता है अर्थात् उनका अभाव होजाना उसका आनुषङ्गिक फल है—उसके लिये वेदनीयकर्मका अभाव—जैसे किसी दूसरे साधनके जुटने-जुटानेकी जरूरत नहीं रहती। और यह ठीक ही है; क्योंकि मोहनीयकर्मके साहचर्य अथवा सहायके विना वेदनीयकर्म अपना कार्य करनेमें उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह ज्ञानावरण-कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ ज्ञान वीर्यान्तरायकर्मका अनुकूल क्षयोपशम साथमें न होनेसे अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता है; अथवा चारों घातिया कर्मोंका अभाव होजानेपर वेदनीयकर्म अपना दुःखोत्पानादि कार्य करनेमें उसी-प्रकार असमर्थ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी और पानी आदिके विना बीज

अपना अंकुरोत्पादन कार्य करनेमें असमर्थ होता है । मोहादिकके अभावमें वेदनीयकी स्थिति जीवितशरीर-जैसी न रहकर मृतशरीर-जैसी हो जाती है, उसमें प्राण नहीं रहता अथवा जली रस्सीके समान अपना कार्य करनेकी शक्ति नहीं रहती । इस विषयके समर्थनमें कितने ही शास्त्रीय प्रमाण आप्तस्वरूप, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवार्तिक, श्लोकवार्तिक, आदिपुराण और जयधवला-जैसे ग्रन्थोंपरसे पण्डित दरवारीलालजीके लेखोंमें उद्धृत किये गये हैं ❁, जिन्हें यहाँ फिरसे उपस्थित करनेकी जरूरत मालूम नहीं होती । ऐसी स्थितिमें धुत्पिपासा-जैसे दोषोंको सर्वथा वेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता—वेदनीयकर्म उन्हें उत्पन्न करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है । और कोई भी कार्य किसी एक ही कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादन कारणके साथ अनेक सहकारी कारणोंकी भी उसके लिये जरूरत हुआ करती है, उन सबका संयोग नहीं मिलता तो कार्य भी नहीं हुआ करता । और इसलिये केवलीमें क्षुधादिका अभाव माननेपर कोई भी सैद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होती । वेदनीयका सत्व और उदय वर्तमान रहते हुए भी, आत्मामें अनन्तज्ञान-सुख वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीयकर्मका पुद्गल-परमाणुपुञ्ज क्षुधादि दोषोंको उत्पन्न करनेमें उसी तरह असमर्थ होता है जिस तरह कि कोई विषद्रव्य, जिसकी मारण शक्तिको मन्त्र तथा औषधादिके बलपर प्रक्षीण कर दिया गया हो, मारनेका कार्य करनेमें असमर्थ होता है । निःसत्व हुए विषद्रव्यके परमाणुओंको जिस प्रकार विषद्रव्यके ही परमाणु कहा जाता है उसी प्रकार निःसत्व हुए वेदनीयकर्मके ही परमाणु कहा जाता है इस दृष्टिसे ही आगममें उनके वेदनीयकर्मके परमाणुओंको उदयादिककी व्यवस्था की गई है । उसमें कोई भी बाधा अथवा सैद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती—और इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि ‘क्षुधादि दोषोंका अभाव माननेपर केवलीमें अघातियाकर्मोंके भी नाशका प्रसङ्ग आता है’ † उसी प्रकार युक्तिसङ्गत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके अभावमें अग्निका भी अभाव बतलाना अथवा किसी औषध-प्रयोगमें विषद्रव्यकी

❁ अनेकान्त वर्ष ८, किरण ४-५, पृ० १५६-१६१

† अनेकान्त वर्ष ७, किरण ७-८, पृ० ६२

मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विषद्रव्यके परमाणुओंका ही अभाव प्रतिपादन करना। प्रत्युत इसके, घातिया कर्मोंका अभाव होनेपर भी यदि वेदनीकर्मके उदयादिवश केवलीमें क्षुधादिकी वेदनाओंको और उनके निरसनार्थ भोजनादिके ग्रहणकी प्रवृत्तियोंको माना जाता है तो उससे कितनी ही दुर्निवार सैद्धान्तिक कठिनाइयाँ एवं बाधाएँ उपस्थित होती हैं, जिनमेंसे दो तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार है—

(क) असातावेदनीयके उदय वश केवलीको यदि भूख-प्यासकी वेदनाएँ सताती हैं, जोकि संक्लेश परिणामकी अविनाभाविनी हैं ❀, तो केवलीमें अनन्तसुखका होना बाधित ठहरता है। और उस दुःखको न सह सकनेके कारण जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो अनन्तवीर्य भी बाधित हो जाता है—उसका कोई मूल्य नहीं रहता—अथवा वीर्यन्तरायकर्मका अभाव उसके विरुद्ध पड़ता है।

(ख) यदि क्षुधादि वेदनाओंके उदय-वश केवलीमें भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकर्मका अभाव हुआ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इच्छा मोहका परिणाम है और मोहके सद्भावमें केवलित्व भी नहीं बनता। दोनों परस्पर विरुद्ध हैं।

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होनेपर केवलीमें नित्य-ज्ञानोपयोग नहीं बनता, और नित्यज्ञानोपयोगके न बन सकनेपर उसका ज्ञान छद्मस्थों (असर्वज्ञों) के समान क्षायोपशमिक ठहरता है—क्षायिक नहीं। और तब ज्ञानावरण तथा उसके साथी दर्शनावरण नामके घातियाकर्मोंका अभाव भी नहीं बनता।

(घ) वेदनीयकर्मके उदयजन्य जो सुख-दुःख होता है वह सब इन्द्रियजन्य होता है और केवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति रहती नहीं। यदि केवलीमें क्षुधा-तृषादिकी वेदनाएँ मानी जाएँगी तो इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति होकर केवलज्ञानका विरोध उपस्थित होगा; क्योंकि केवलज्ञान और मतिज्ञानादि युगपत् नहीं होते।

(ङ) क्षुधादिकी पीड़ाके वश भोजनादिकी प्रवृत्ति यथाख्यातचारित्र्यकी विरोधनी है। भोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छठा) गुणस्थान होता है और केवली भगवान् १३वें गुणस्थानवर्ती होते हैं जिससे फिर छठेमें लौटना नहीं

बनता । इससे यथाख्यातचारित्रको प्राप्त केवली भगवान्‌के भोजनका होना उनकी चर्या और पदस्थके विरुद्ध पड़ता है ।

इस तरह क्षुधादिकी वेदनाएँ और उनकी प्रतिक्रिया मानने पर केवलीमें घातियाकर्मोंका अभाव ही घटित नहीं हो सकेगा, जो कि एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बाधा होगी । इसीसे क्षुधादिके अभावको 'घातिकर्मक्षयजः' तथा 'अनन्तज्ञानादिसम्बन्धजन्य' बतलाया गया है, जिसके मानने पर कोई भी सैद्धान्तिक बाधा नहीं रहती । और इसलिये टीकाओंपरसे क्षुधादिका उन दोषों-के रूपमें निर्दिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान्‌में अभाव होता है । ऐसी स्थितिमें रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको क्षुत्पिपासादि दोषोंकी दृष्टिसे भी आत्ममीमांसाके साथ असंगत अथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता ।

ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच—

अब देखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ विरुद्ध पड़ता है ? जहाँ तक मैंने ग्रन्थके सन्दर्भकी जाँच की है और उसके पूर्वापर-कथन-सम्बन्धको मिलाया है मुझे उसमें कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके आधारपर केवलीमें क्षुत्पिपासादिके सद्भावको स्वामी समन्तभद्रकी मान्यता कहा जा सके । प्रत्युत इसके, ग्रन्थकी प्रारम्भिक दो कारिकाओंमें जिन अतिशयोंका देवागम-नभोयान-चामरादि विभूतियोंके तथा अन्तर्बाह्य-विग्रहादि महोदयोंके रूपमें उल्लेख एव संकेत किया गया है और जिनमें घातिकक्षय-जन्य होनेसे क्षुत्पिपासादिके अभावका भी समावेश है उनके विषयमें एक भी शब्द ग्रन्थमें ऐसा नहीं पाया जाता जिससे ग्रन्थकारकी दृष्टिमें उन अतिशयोंका केवली भगवान्‌में होना अमान्य समझा जाय । ग्रन्थकारमहोदयने 'मायाविष्यपि दृश्यन्ते' तथा 'दिव्यः सत्यः दिवौकस्स्वर्ग्यस्ति' इन वाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'अपि' शब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित कर दिया है कि वे अर्हत्केवलीमें उन विभूतियों तथा विग्रहादिमहोदय-रूप अतिशयोंका सद्भाव मानते हैं परन्तु इतनेसे ही वे उन्हें महान् (पूज्य) नहीं समझते; क्योंकि ये अतिशय अन्यत्र मायावियों (इन्द्रजालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते हैं—

भले ही उनमें वे वास्तविक अथवा उस सत्यरूपमें न हों जिसमें कि वे क्षीण-कपाय अर्हत्केवलीमें पाये जाते हैं। और इसलिये उनकी मान्यताका आधार केवल आगमाश्रित श्रद्धा ही नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रबल आधार वह गुण-ज्ञता अथवा परीक्षाकी कसौटी है जिसे लेकर उन्होंने कितने ही आत्माओं की जाँच की है और फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे वीर-जिनेन्द्रके प्रति यह कहनेमें समर्थ हुए हैं कि 'वह निदर्पो आत्मा आप ही हैं'। (सत्वमेवासि निर्दोषः)। साथ ही 'युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्' इस पदके द्वारा उस कसौटीको भी व्यक्त कर दिया है जिसके द्वारा उन्होंने आत्माओं की वीतरागता और सर्वज्ञता जैसे असाधारण गुणोंकी परीक्षा की है जिनके कारण उनके वचन युक्ति और शास्त्रसे अविरोधरूप यथार्थ होते हैं, और आगे संक्षेपमें परीक्षाकी तफ़सील भी दे दी है। इस परीक्षामें जिनके आगम-वचन युक्ति-शास्त्रसे अविरोधरूप नहीं पाये गये उन सर्वथा एकान्तवादियोंको आत्मा न मान कर 'आत्माभिमानदग्ध' घोषित किया है। इस तरह निर्दोष-वचन-प्रणयनके साथ सर्वज्ञता और वीतरागता-जैसे गुणोंको आत्मका लक्षण प्रतिपादित किया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आत्ममें दूसरे गुण नहीं होते, गुण तो बहुत होते हैं किन्तु वे लक्षणात्मक अथवा इन तीन गुणोंकी तरह खास तौरसे व्यावर्तात्मक नहीं, और इसलिये आत्मके लक्षणमें वे भले ही ग्राह्य न हों परन्तु आत्मके स्वरूप-चिन्तनमें उन्हें अग्राह्य नहीं कहा जासकता। लक्षण और स्वरूपमें बड़ा अन्तर है—लक्षण-निर्देशमें जहां कुछ असाधारण गुणोंको ही ग्रहण किया जाता है वहां स्वरूपके निर्देश अथवा चिन्तनमें अशेष गुणोंके लिए गुञ्जाइश रहती है। अतः अष्टसहस्रीकारने 'विग्रहादिमहोदयः' का जो अर्थ 'शश्वन्निस्वे-दत्वादिः' किया है और जिसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है उस पर टिप्पणी करते हुए प्रो० सा०ने जो यह लिखा है कि "शरीर-सम्बन्धी गुण-धर्मोंका प्रकट होना न-होना आत्मके स्वरूप-चिन्तनमें कोई महत्त्व नहीं रखता"* वह ठीक नहीं है। क्योंकि स्वयं स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयम्भू-स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही गुणोंका चिन्तन किया है जिनमें शरीर-

सम्बन्धी गुण-धर्मोंके साथ अन्य अतिशय भी आगये हैं * । और इससे यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी समन्तभद्र अतिशयोंको मानते थे और उन के स्मरण-चिन्तनको महत्व भी देते थे ।

ऐसी हालतमें आत्ममीमांसा ग्रन्थके सन्दर्भकी दृष्टिसे भी आत्ममें क्षुत्पिपासादिकके अभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता और तब रत्नकरण्डका उक्त छठा पद्य भी विरुद्ध नहीं ठहरता । हाँ, प्रोफ़ेसर साहबने आप्तमीमांसाकी ६३वीं गाथाको विरोधमें उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार है—

पुण्यं ध्रुवं स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि ।

वीतरागो मुनिर्विद्वांस्ताभ्यां युञ्ज्यान्निमित्ततः ॥६३॥

इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो० सा० का कहना है कि 'इसमेंवीतराग सर्वज्ञके दुःखकी वेदना स्वीकार की गई है जो कि कर्मसिद्धान्तकी व्यवस्थाके अनुकूल है; जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यमें क्षुत्पिपासादिकका अभाव बतलाकर दुःखकी वेदना अस्वीकार की गई है जिसकी संगति कर्मसिद्धान्तकी उन

* इस विषयके सूचक कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—

(क) शरीररश्मिप्रसरः प्रभोस्ते बालार्करश्मिच्छविरालिलेप २८ । यस्याङ्गलक्ष्मीपरिवेषभिन्नं तमस्तमोरेरिव रश्मिभिन्नं, ननाश बाह्यं बहुमानसे च ३७ । समन्ततोऽङ्गभासां ते परिवेषेण भूयसा, तमो बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मं ध्यानतेजसा ६५ । यस्य च मूर्तिः कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेपा १०७ । शशिरुचिशुचिशुक्लोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपुः । तव शिवमतिविस्मयं यते यदपि च वाङ्मनसीयमीहितम् ११३ ।

(ख) नभस्तलं पल्लवयन्निव त्वं सहस्रपत्राम्बुजगर्भचरैः पादांम्बुजैः पातित-मारदर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थं भूत्यै २६ प्रातिहार्यविभवैः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवानभूत् ७३ । मानुषी प्रकृतिमभ्यतीतवान् देवतास्वपि च देवता यतः ७५ । पूज्ये मुहुः प्राञ्जलिदेवचक्रम् ७६ । सर्वज्ञज्योतिषोद्भूतस्तावको महि-मोदयः कं न कुर्यात्प्रणम्रं ते सत्त्वं नाथ सचेतनम् ६६ । तव वागमृतं श्रीमत्सर्व-भाषास्वभावकं प्रीणयत्यमृतं यद्वत्प्राणिनो व्यापि संसदि ६७ । भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविक्रीशाम्बुजमुदुहासा १०८ ।

व्यवस्थाओंके साथ नहीं बैठती जिनके अनुसार केवलीके भी वेदनीयकर्म-जन्य वेदनाएँ होती हैं, और इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्य इस कारिकाके सर्वथा विरुद्ध पड़ता है—दोनों ग्रन्थोंका एककर्तृत्व स्वीकार करनेमें यह विरोध बाधक है* । जहां तक मैंने इस कारिकाके अर्थपर उसके पूर्वापर-सम्बन्धकी दृष्टिसे और दोनों विद्वानोंके ऊहापोहको ध्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे इसमें सर्वज्ञका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । प्र० साहबका जो यह कहना है कि 'कारिकागत' 'वीतरागः' और 'विद्वान्' पद दोनों एक ही मुनि-व्यक्तिके वाचक हैं और वह व्यक्ति 'सर्वज्ञ' है, जिसका द्योतक विद्वान् पद साथ में लगा है† वह ठीक नहीं है । क्योंकि पूर्वकारिकामें × जिस प्रकार अचेतन और अकपाय (वीतराग) ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसंग उपस्थित करके परमें दुःखःसुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप-पुण्यके बन्धकी एकान्त मान्यताको सदोष सूचित किया है उसी प्रकार इस कारिकामें भी वीतराग मुनि और विद्वान् ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसंग उपस्थित करके स्व (निज) में दुःख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पुण्य-पापके बन्धकी एकान्त मान्यताको सदोष बतलाया है; जैसा कि अष्टसहस्रीकार श्रीविद्यानन्द-चाचार्यके निम्न टीका-वाक्यसे भी प्रकट है:—

“स्वस्मिन् दुःखोत्पादनात् पुण्यं सुखोत्पादनात् पापमिति यदीष्यते तदा वीतरागो विद्वांश्च मुनिस्ताभ्यां पुण्यपापाभ्यामात्मानं युञ्ज्यान्निमित्तसद्भावान्, वीतरागस्य कायक्लेशादिरूपदुःखोत्पत्तेर्विदुषस्तत्त्वज्ञानसन्तोषलक्षणसुखोत्पत्तेस्तन्निमित्तत्वात् ।”

इसमें वीतरागके कायक्लेशादिरूप दुःखकी उत्पत्तिको और विद्वान्के तत्त्वज्ञान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिको अलग-अलग बतलाकर दोनों (वीतराग और विद्वान्) के व्यक्तित्वको साफ तौरपर अलग घोषित कर दिया है । और

* अनेकान्त वर्ष ८, किरण ३, पृ० १३२ तथा वर्ष ९, किं० १, पृ० ९

† अनेकान्त वर्ष ७, किं० ३-४, पृ० ३४

× पापं ध्रुवं परे दुःखात् पुण्यं च सुखतो यदि ।

अचेतनाऽकपायो च बध्येयातां निमित्ततः ॥६२॥

इसलिये वीतरागका अभिप्राय यहाँ उस छद्मस्थ वीतरागी मुनिसे है जो राग-द्वेषकी निवृत्तिरूप सम्यक्चारित्रके अनुष्ठानमें तत्पर होता है—केवलीसे नहीं—और अपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं होता। और विद्वान् का अभिप्राय उस सम्यग्दृष्टि अन्तरात्मा ॐ से है जो तत्त्वज्ञानके अभ्यास-द्वारा सन्तोष-सुखका अनुभव करता है और अपनी उस सम्यग्ज्ञान-परिणतिके निमित्त-से बन्धको प्राप्त नहीं होता। वह अन्तरात्मा मुनि भी हो सकता और गृहस्थ भी; परन्तु परमात्मस्वरूप सर्वज्ञ अथवा आप्त नहीं † ;

अतः इस कारिकामें जब केवली आप्त या सर्वज्ञका कोई उल्लेख न होकर दूसरे दो सचेतन प्राणियोंका उल्लेख है तब रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यके साथ इस कारिकाका सर्वथा विरोध कैसे घटित किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता—खासकर उस हालतमें जबकि मोहादिकका अभाव और अनन्त-ज्ञानादिकका सद्भाव होनेसे केवलीमें दुःखादिककी वेदनाएँ वस्तुतः बननी ही नहीं और जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण किया जा चुका है। मोहनीयादि कर्मोंके अभावमें साता-असाता वेदनीय-जन्म सुख दुःखकी स्थिति उस छायाके समान औपचारिक होती है—वास्तविक नहीं—जो दूसरे प्रकाशके सामने आते ही विलुप्त हो जाती हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होती। और इसलिये प्रोफेसर साहबका यह लिखना कि “यथार्थतः वेदनीयकर्म अपनी फलदायिनी शक्तिमें अन्य अघातिया कर्मोंके समान सर्वथा स्वतन्त्र है” समुचित नहीं है। वस्तुतः अघातिया क्या, कोई भी कर्म अप्रतिहतरूपसे अपनी स्थिति तथा अनुभागादिके अनुरूप फलदान कार्यकरनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। किसी भी कर्मकेलिये अनेक कारणोंकी जरूरत पड़ती हैं और अनेक निमित्तोंको पाकर

ॐ अन्तरात्माके लिये ‘विद्वान्’ शब्दका प्रयोग आचार्य पूज्यपादने अपने समाधितन्त्रके ‘त्यक्त्वारोपं पुनर्विद्वान् प्राप्नोति परमं पदम्’ इस वाक्यमें किया है और स्वामी समन्तभद्रने ‘स्तुत्यान्नत्वा विद्वान् सततमभिपूज्यं नमिजिनम्’ तथा ‘त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी’ इन स्वयम्भूस्तोत्रके वाक्योंद्वारा जिन विद्वानोंका उल्लेख किया है वे भी अन्तरात्मा ही हो सकते हैं।

† अनेकान्त वर्ष ८, किरण १, पृष्ठ ३०

कर्मोंमें संक्रमण-व्यतिक्रमणादि कार्य हुआ करता है, समयसे पहले उनकी निर्जरा भी हो जाती है और तपश्चरणादिके बलपर उनकी शक्तिको बदला भी जा सकता है। अतः कर्मोंको सर्वथा स्वतन्त्र कहना एकान्त है। मिथ्यात्व है और मुक्तिका भी निरोधक है।

यहाँ 'धवला' परसे एक उपयोगी शङ्का-समाधान उद्धृत किया जाता है, जिससे केवलीमें क्षुधा-तृषाके अभावका सकारण प्रदर्शन होनेके साथ साथ प्रोफेसर साहबकी इस शङ्काका भी समाधान हो जाता है कि 'यदि केवली-के सुख-दुःखकी वेदना माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं बन सकता तो फिर कर्म सिद्धान्तमें केवलीके साता और असाता वेदनीय कर्मका उदय माना ही क्यों जाता ❀ और वह इस प्रकार है—

“सगसहाय-घादिकम्माभावेण गिस्सत्तिमावण-असादावेदणीय-उदयादो भुक्त्वा-तिसाणमणुप्पत्तीए गिण्फलस्स परमाणुपुंजस्स समयं पडि परिसदं(डं)तस्स कथमुदय-ववएसो ? ए, जीव-कम्म-विवेग-मेत्त-फलं दट्ठूण उदयस्स फलत्तमभुवगमादो ।”

—वीरसेवामन्दिर प्रति पृ० ३७५, आरा प्रति पृ० ७४१

शङ्का—अपने सहायक घातिया कर्मोंका अभाव होनेके कारण निःशक्तिको प्राप्त हुए असातावेदनीयकर्मके उदयसे जब (केवलीमें) क्षुधा-तृषाकी उत्पत्ति नहीं होती तब प्रतिसमय नाशको प्राप्त होनेवाले (असातावेदनीयकर्मके) निष्फल परमाणु पुञ्जका कैसे उदय कहा जाता है ?

समाधान—यह शङ्का ठीक नहीं; क्योंकि जीव और कर्मका विवेक-मात्र फल देखकर उदयके फलपना माना गया है।

ऐसी हालतमें प्रोफेसर साहबक वीतराग सर्वज्ञके दुःखकी वेदनाके स्वीकार-को कर्मसिद्धान्तके अनुकूल और अस्वीकारको प्रतिकूल अथवा असंगत बतलाना किसी तरह भी युक्ति-संगत नहीं ठहर सकता और इस तरह ग्रन्थसन्दर्भके अन्तर्गत उक्त ६३वीं कारिकाकी दृष्टिसे भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता।

समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोंकी छानबीन—

अब देखना यह है कि क्या समन्तभद्रके दूसरे किसी ग्रन्थमें ऐसी कोई बात पाई जाती है जिससे रत्नकरण्डके उक्त 'क्षुत्पिपासा' पद्यका विरोध घटित होता हो अथवा जो आप्त-केवली या अर्हत्परमेष्ठिमें क्षुधादि दोषोंके सद्भावको सूचित करती हो। जहाँतक मैंने स्वयम्भूस्तोत्रादि दूसरे मान्य ग्रन्थोंकी छानबीन की है, मुझे उनमें कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं हुई जो रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्यके विरुद्ध जाती हो अथवा किसी भी विषयमें उसका विरोध उपस्थित करती हो। प्रत्युत इसके, ऐसी कितनी ही बातें देखनेमें आती हैं जिनसे अर्हत्केवलीमें क्षुधादि-वेदनाओं अथवा दोषोंके अभावकी सूचना मिलती है। यहाँ उनमेंसे दो चार नमूनेके तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं:—

(क) 'स्वदोष-शान्त्या विहितात्मशान्तिः' इत्यादि शान्ति-जिनके स्तोत्रमें यह बतलाया है कि शान्ति-जिनेन्द्रने अपने दोषोंकी शान्ति करके आत्मामें शान्ति स्थापित की है और इसीसे वे शरणागतोंके लिये शान्तिके विधाता हैं। चूँकि क्षुधादिक भी दोष हैं और वे आत्मामें अशान्तिके कारण होते हैं—कहा भी है कि "क्षुधासमा नास्ति शरीरवेदना"। अतः आत्मामें शान्तिकी पूर्ण-प्रतिष्ठाके लिये उनको भी शान्त किया गया है, तभी शान्तिजिन शान्तिके विधाता बने हैं और तभी संसार-सम्बन्धी क्लेशों तथा भयोंसे शान्ति प्राप्त करनेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है। और यह ठीक ही है जो स्वयं रागादिक दोषों अथवा क्षुधादि वेदनाओंसे पीड़ित है—अशान्त है—वह दूसरोंके लिये शान्तिका विधाता कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।

(ख) 'त्वं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन-शान्ति-रूपामवापिथ' इस युक्त्यनुशासनके वाक्यमें वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, शक्ति और शान्तिकी पराकाष्ठाको पहुँचा हुआ बतलाया है जो शान्तिकी पराकाष्ठा (चरम-सीमा) को पहुँचा हुआ हो उसमें क्षुधादि वेदनाओंकी सम्भावना नहीं बनती।

(ग) 'शर्म शाश्वतमवाप शङ्करः' इस धर्म-जिनके स्तवनमें यह बतलाया है कि धर्मनामके अर्हत्परमेष्ठिने शाश्वत सुखकी प्राप्ति की है और इसीसे वे शङ्कर-सुखके करनेवाले-हैं शाश्वतसुखकी अवस्थामें एक क्षणके लिये भी क्षुधादि

दुःखोंका उद्भव सम्भव नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचार्यने श्लोकवार्तिकमें लिखा है कि “क्षुधादिवेदनोद्भूतौ नार्हतोऽनन्तशर्मता” अर्थात् क्षुधादि वेदनाकी उद्भूति होनेपर अर्हन्तके अनन्तमुख नहीं बनता ।

(घ) ‘त्वं शम्भवः सम्भवतर्षरोगैः सन्तप्यमानस्य जनस्य लोके’ इत्यादि स्तवनमें शम्भवजिनको सांसारिक तृषा-रोगोंसे प्रपीडित प्राणियोंके लिये उन रोगोंकी शान्तिके अर्थ आकस्मिक वैद्य बतलाया है । इससे स्पष्ट है कि अर्हज्जन स्वयं-तृषा रोगोंसे पीडित नहीं होते, तभी वे दूसरोंके तृषा-रोगोंको दूर करनेमें समर्थ होते हैं । इसी तरह ‘इदं जगज्जन्म-जराज्जन्तकार्त निरञ्जनां शान्तिमजीगमस्त्व’ इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरणसे पीडित जगतको निरञ्जना शान्तिकी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि वे स्वयं-जन्म-मरणसे पीडित न होकर निरञ्जना शान्तिको प्राप्त थे । निरञ्जना शान्तिमें क्षुधादि वेदनाओंके लिए अवकाश नहीं रहता ।

(ङ) ‘अनन्तदोषाशय-विग्रहो-ग्रहो विषङ्गवान्मोहमयश्चिरं हृदि’ इत्यादि अनन्तजित्-जिनके स्तोत्रमें जिस मोहपिशाचको पराजित करनेका उल्लेख है उसके शरीरको अनन्तदोषोंका आधारभूत बताया है । इससे स्पष्ट है कि दोषोंकी संख्या कुछ इनीगिनी ही नहीं है बल्कि बहुत बड़ी-चढ़ी है—अनन्तदोष तो मोहनीय कर्मके ही आश्रित रहते हैं । अधिकांश दोषोंमें मोहकी पुट ही काम किया करती है । जिन्होंने मोहकर्मका नाश कर दिया है उन्होंने अनन्तदोषोंका नाश कर दिया है । उन दोषोंमेंमोहके सहकारसे होनेवाली क्षुधादिकी वेदनाएँ भी शामिल हैं, इसीसे मोहनीयके अभाव होजानेपर वेदनीय कर्मको क्षुधादि वेदनाओंके उत्पन्न करनेमें असमर्थ बतलाया है ।

इस तरह मूल आप्तमीमांसा ग्रन्थ, उसके १३वीं कारिका-सहित ग्रन्थ-सन्दर्भ, अष्टसहस्री आदि टीकाओं और ग्रन्थकारके दूसरे ग्रन्थोंके उपर्युक्त विवेचनपरसे यह भले प्रकार स्पष्ट है कि रत्नकरण्डका उक्त क्षुत्पिपासादि-पद्य स्वामी समन्तभद्रके किसी भी ग्रन्थ तथा उसके आशयके साथ कोई विरोध नहीं रखता अर्थात् उसमें दोषका क्षुत्पिपासादिके अभावरूप जो स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमांसाके ही नहीं, किन्तु आप्तमीमांसाकारकी दूसरी भी किसी कृतिके विरुद्ध नहीं है; बल्कि उन सबके साथ सङ्गत है । और इसलिये

उक्त पद्यको लेकर आप्तमीमांसा और रत्नकरण्डका भिन्न-कर्तृत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। अतः इस विषयमें प्रोफेसर साहबकी प्रथम आपत्तिके लिये कोई स्थान नहीं रहता—वह किसी तरह भी समुचित प्रतीत नहीं होती।

अब मैं प्रो० हीरालालजीकी शेष तीनों आपत्तियोंपर भी अपना विचार और निर्णय प्रकट कर देना चाहता हूँ; परन्तु उसे प्रकट कर देनेके पूर्व यह बतला देना चाहता हूँ कि प्रो० साहबने, अपनी प्रथम मूल आपत्तिको ‘जैन-साहित्यका एक विलुप्त अध्याय’ नामक निबन्धमें प्रस्तुत करते हुए, यह प्रतिपादन किया था कि ‘रत्नकरण्डश्रावकाचार कुन्दकुन्दाचार्यके उपदेशोंके पश्चात् उन्हींके समर्थनमें लिखा गया है, और इसलिये इसके कर्ता वे समन्तभद्र हो सकते हैं जिनका उल्लेख शिलालेख व पट्टावलियोंमें कुन्दकुन्दके पश्चात् पाया जाता है। कुन्दकुन्दाचार्य और उमास्वामीका समय वीरनिर्वाण से लगभग ६५० वर्ष पश्चात् (वि० सं० १८०) सिद्ध होता है—फलतः रत्नकरण्डश्रावकाचार और उसके कर्ता समन्तभद्रका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग अथवा तीसरी शताब्दी का पूर्वार्ध होना चाहिये (यही समय जैन समाजमें आमतौर पर माना भी जाता है)।’ साथ ही, यह भी बतलाया था कि ‘रत्नकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुरु भी हो सकते हैं जो रत्नमालाके कर्ता हैं’^{४४}। इस पिछली बातपर आपत्ति करते हुए पं० दरबारीलालजीने अनेक युक्तियोंके आधारपर जब यह प्रदर्शित किया कि रत्नमाला एक आधुनिक ग्रन्थ है, रत्नकरण्डश्रावकाचारसे शताब्दियों बादकी रचना है, विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके पूर्वकी तो वह हो नहीं सकती और न रत्नकरण्डश्रावकाचारके कर्ता समन्तभद्रके साक्षात् शिष्यकी कृति हो सकती है^{४५} तब प्रो० साहबने उत्तरकी धुनमें कुछ कल्पित युक्तियोंके आधारपर यह तो लिख दिया कि “रत्नकरण्डका समय विद्यानन्दके समय (ईसवी सन् ८१६ के लगभग) के पश्चात् और वादिराजके समय अर्थात् शक सं० ६४७ (ई० सन् १०२५) के पूर्व सिद्ध होता है। इस समयावधिके प्रकाशमें रत्नकरण्डश्रावकाचार

^{४४} जैन-इतिहासका एक विलुप्त अध्याय पृ० १८, २०

^{४५} अनेकान्त वर्ष ६, किरण १-२, पृ० ३८०-३८२

और रत्नमालाका रचनाकाल समीप आजाते हैं और उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं रहता”*। साथ ही आगे चलकर उसे तीन आपत्तियोंका रूप भी दे दिया †; परन्तु इस बातको भुला दिया कि उनका यह सब प्रयत्न और कथन उनके पूर्वकथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध जाता है। उन्हें या तो अपने पूर्व-कथनको वापिस ले लेना चाहिये था और या उसके विरुद्ध इस नये कथनका प्रयत्न तथा नई आपत्तियोंका आयोजन नहीं करना चाहिये था। दोनों परस्पर विरुद्ध बातें एक साथ नहीं चल सकतीं।

अब यदि प्रोफेसर साहब अपने उस पूर्व कथनको वापिस लेते हैं तो उनकी वह थियोरी (Theory) अथवा मत-मान्यता ही बिगड़ जाती है जिसे लेकर वे ‘जैन-साहित्यका एक-विलुप्त अध्याय’ लिखनेमें प्रवृत्त हुए हैं और यहाँ तक लिख गये हैं कि ‘बौद्धिक-सङ्घके संस्थापक शिवभूति, स्थविरालीमें उल्लिखित आर्य शिवभूति, भगवती आराधनाके कर्ता शिवार्य और उमास्वातिके गुरुके गुरु शिवश्री ये चारों एक ही व्यक्ति हैं। इसी तरह शिवभूतिके शिष्य एवं उत्तराधिकारी भद्र, निर्युक्तियोंके कर्ता भद्रबाहु, द्वादश-वर्षीय दुर्भिक्षकी भविष्य-वाणीके कर्ता व दक्षिणापथको विहार करने वाले भद्रबाहु, कुन्दकुन्दाचार्यके गुरु भद्रबाहु, वनवासी सङ्घके प्रस्थापक समन्तभद्र और आसमीमांसाके कर्ता समन्तभद्र ये सब भी एक ही व्यक्ति हैं।’

और यदि प्रोफेसर साहब अपने उस पूर्वकथनको वापिस न लेकर पिछली तीन युक्तियोंको ही वापिस लेते हैं तो फिर उनपर विचारकी जरूरत ही नहीं रहती—प्रथम मूल आपत्ति ही विचारके योग्य रह जाती है और उसपर ऊपर विचार किया ही जा चुका है।

यह भी हो सकता है कि प्रो० साहबके उक्त विलुप्त अध्यायके विरोधमें जो दो लेख (१ क्या निर्युक्तिकार भद्रबाहु और स्वामी समन्तभद्र एक हैं ?, २ शिवभूति, शिवार्य और शिवकुमार) बीरसेवामन्दिर के विद्वानों द्वारा लिखे

* अनेकान्त वर्ष ७, किरण ५-६, पृ० ५४

† अनेकान्त वर्ष ८, कि० ३ पृ० १३२ तथा वर्ष ९, कि० १ पृ० ९, १०

जाकर अनेकान्तमें प्रकाशित हुए हैं। और जिनमें विभिन्न आचार्योंके एकीकरणकी मान्यताका युक्तिपुरस्सर खण्डन किया गया है तथा जिनका अभी तक कोई भी उत्तर साढ़े तीन वर्षका समय बीत जानेपर भी प्रो० साहबकी तरफसे प्रकाशमें नहीं आया, उनपरसे प्रो० साहबका विलुप्त-अध्याय-सम्बन्धी अपना अधिकांश विचार ही बदल गया हो और इसीसे वे भिन्न कथन-द्वारा शेष तीन आपत्तियोंको खड़ा करनेमें प्रवृत्त हुए हों। परन्तु कुछ भी हो, ऐसी अनिश्चित दशामें मुझे तो शेष तीनों आपत्तियोंपर भी अपना विचार एवं निर्णय प्रकट कर देना ही चाहिये। तदनुसार ही उसे आगे प्रकट किया जाता है।

(२) रत्नकरण्ड और आत्ममीमांसाका भिन्नकर्तृत्व सिद्ध करनेके लिये प्रो० साहबकी जो दूसरी दलील (युक्ति) है वह यह है कि “रत्नकरण्डका कोई उल्लेख शक संवत् ६४७ (वादिराजके पार्श्वनाथचरितके रचनाकाल) से पूर्वका उपलब्ध नहीं है तथा उसका आप्तमीमांसाके साथ एककर्तृत्व बतलानेवाला कोई भी सुप्राचीन उल्लेख नहीं पाया जाता।” यह दलील वास्तवमें कोई दलील नहीं है; क्योंकि उल्लेखानुपलब्धिका भिन्नकर्तृत्वके साथ कोई अविनाभावी सम्बन्ध नहीं है—उल्लेखके न मिलने पर भी दोनोंका एक कर्ता होनेमें स्वरूपसे कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। इसके सिवाय, यह प्रश्न पैदा होता है कि रत्नकरण्डका वह पूर्ववर्ती उल्लेख प्रो० सा० को उपलब्ध नहीं है या किसीको भी उपलब्ध नहीं है अथवा वर्तमानमें कहीं उसका अस्तित्व ही नहीं और पहले भी उसका अस्तित्व नहीं था? यदि प्रो० साहबको वह उल्लेख उपलब्ध नहीं और किसी दूसरेको उपलब्ध हो तो उसे अनुपलब्ध नहीं कहा जासकता—भले ही वह उसके द्वारा अभी तक प्रकाशमें न लाया गया हो। और यदि किसीके द्वारा प्रकाशमें न लाये जानेके कारण ही उसे दूसरोंके द्वारा भी अनुपलब्ध कहा जाय और वर्तमान साहित्यमें उसका अस्तित्व हो तो उसे सर्वथा अनुपलब्ध अथवा उस उल्लेखका अभाव नहीं कहा जा सकता। और वर्तमान साहित्यमें उस उल्लेखके अस्तित्वका अभाव तभी कहा जा सकता है जब सारे साहित्यका भले प्रकार अवलोकन करने पर वह उनमें न पाया

जाता हो। सारे वर्तमान जैनसाहित्यका अवलोकन न तो प्रो० साहबने किया है और न किसी दूसरे विद्वान्के द्वारा ही वह अभी तक हो पाया है। और जो साहित्य लुप्त हो चुका है उसमें वैसा कोई उल्लेख नहीं था इसे तो कोई भी दृढ़ताके साथ नहीं कह सकता। प्रत्युत इसके, वादिराजके सामने शक सं० ६४७ में जब रत्नकरण्ड खूब प्रसिद्धिको प्राप्त था और उससे कोई ३० या ३५ वर्ष बाद ही प्रभाचन्द्राचार्यने उसपर संस्कृत टीका लिखी है और उसमें उसे साफ़ तौरपर स्वामी समन्तभद्रकी कृति घोषित किया है, तब उसका पूर्व साहित्यमें उल्लेख होना बहुत कुछ स्वाभाविक जान पड़ता है। वादिराजके सामने कितना ही जैनसाहित्य ऐसा उपस्थित था जो आज हमारे सामने उपस्थित नहीं है और जिसका उल्लेख उनके ग्रन्थोंमें मिलता है। ऐसी हालतमें पूर्ववर्ती उल्लेखका उपलब्ध न होना कोई खास महत्व नहीं रखता और न उसके उपलब्ध न होने मात्रसे रत्नकरण्डकी रचनाको वादिराज के सम सामयिक ही कहा जा सकता है, जिसके कारण आप्तमीमांसा और रत्नकरण्डके भिन्न कर्तृत्वकी कल्पनाको बल मिलता।

दूसरी बात यह है कि उल्लेख दो प्रकार का होता है—एक ग्रन्थनामका और दूसरा ग्रन्थके साहित्य तथा उसके किसी विषय-विशेषका। वादिराजसे पूर्वका जो साहित्य अभीतक अपनेको उपलब्ध है उसमें यदि ग्रन्थका नाम ‘रत्नकरण्ड’ उपलब्ध नहीं होता तो उससे क्या? रत्नकरण्डका पद-वाक्यादिके रूपमें साहित्य और उसका विषय विशेष तो उपलब्ध हो रहा है; तब यह कैसे कहा जा सकता है कि रत्नकरण्डका कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है? नहीं कहा जा सकता। आ० पूज्यपादने अपनी सर्वार्थसिद्धिमें स्वामी समन्तभद्रके ग्रन्थोंपर-से उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थको कहीं शब्दानुसरणके, कहीं पदानुसरणके, कहीं वाक्यानुसरणके, कहीं अर्थानुसरणके, कहीं भावानुसरणके, कहीं उदाहरणके, कहीं पर्यायशब्दप्रयोगके और कहीं व्याख्यान-विवेचनादिके रूपमें पूर्णतः अथवा अंशतः अपनाया है—ग्रहण किया है—और जिसका प्रदर्शन मैंने ‘सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव’ नामक अपने लेखमें किया है†। उसमें

आप्तमीमांसा, स्वयंभूस्तोत्र और युक्त्यनुशासनके अलावा रत्नकरण्डश्रावका-
चारके भी कितने ही पद-वाक्योंको तुलना करके रक्खा गया है जिन्हें सर्वार्थ-
सिद्धिकाकारने अपनाया है, और इस तरह जिनका सर्वार्थसिद्धिमें उल्लेख पाया
जाता है। अकलङ्कदेवके तत्त्वार्थराजवार्तिक और विद्यानन्दके श्लोकवार्तिकमें
भी ऐसे उल्लेखोंकी कमी नहीं है। उदाहरणके तौरपर तत्त्वार्थ-सूत्रगत ७वें
अध्यायके 'दिग्देशाऽनर्थदण्ड' नामक २१ वें सूत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले "भोग-
परिभोग-संख्यानं पञ्चविधं त्रसघात-प्रमाद-बहुबधाऽनिष्टाऽनुपसेव्य-
विषयभेदात्" इस उभय-वार्तिक-गत वाक्य और इसकी व्याख्याओंको
रत्नकरण्डके 'त्रसहतिपरिहरणार्थः,' 'अल्पफलबहुविघातात्,' 'यदनिष्टं
तद् व्रतयेत्' इन तीन पद्यों (नं० ८४ ८५, ८६) के साथ तुलना करके
देखना चाहिए, जो इस विषयमें अपनी खास विशेषता रखते हैं।

परन्तु मेरे उक्त लेखपरसे जब रत्नकरण्ड और सर्वार्थसिद्धिके कुछ
तुलनात्मक अंश उदाहरणके तौरपर प्रो० साहबके सामने बतलानेके लिए रक्खे
गये कि 'रत्नकरण्ड सर्वार्थसिद्धिके कर्ता पूज्यपादसे भी पूर्वकी कृति है और
इसलिये रत्नमालाके कर्ता शिवकोटिके गुरु उसके कर्ता नहीं हो सकते'
तो उन्होंने उत्तर देते हुए लिख दिया कि "सर्वार्थसिद्धिकारने उन्हें रत्नकरण्ड
से नहीं लिया, किन्तु सम्भव है रत्नकरण्डकारने ही अपनी रचना सर्वार्थसिद्धि-
के आधारसे की हो"। साथ ही, रत्नकरण्डके उपान्त्यपद्य 'येन स्वयं
वीतकलङ्कविद्या' को लेकर एक नई कल्पना भी कर डाली और उसके
आधारपर यह घोषित कर दिया कि 'रत्नकरण्डकी रचना न केवल पूज्यपादसे
पश्चात्कालीन है, किन्तु अकलङ्क और विद्यानन्दसे भी पीछे की है'। और
इसीको आगे चलाकर चौथी आपत्तिका रूप दे दिया। यहाँ भी प्रोफेसर
साहबने इस बात को भुला दिया कि 'शिलालेखोंके उल्लेखानुसार कुन्दकुन्दा-
चार्यके उत्तरवर्ती जिन समन्तभद्रको रत्नकरण्डका कर्ता बतला आए हैं उन्हें
तो शिलालेखोंमें भी पूज्यपाद, अकलङ्क और विद्यानन्दके पूर्ववर्ती लिखा
है, तब उनके रत्नकरण्डकी रचना अपने उत्तरवर्ती पूज्यपादादिके बाद-
की अथवा सर्वार्थसिद्धिके आधारपर की हुई कैसे हो सकती है?' अस्तु; इस
विषयमें विशेष विचार चौथी आपत्तिके विचारावसरपर ही किया जायगा।

यहाँ पर मैं साहित्यिक उल्लेखका एक दूसरा स्पष्ट उदाहरण ऐसा उपस्थित कर देना चाहता हूँ जो ईसाकी ७वीं शताब्दीके ग्रन्थमें पाया जाता है और वह है रत्नकरण्डश्रावकाचारके निम्न पद्यका सिद्धसेनके न्यायावतारमें ज्योंका त्यों उद्धृत होना—

आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्ट-विरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्व शास्त्रं कापथ-घट्टनम् ॥६॥

यह पद्य रत्नकरण्डका एक बहुत ही आवश्यक अंग है और उसमें यथास्थान-यथाक्रम मूलरूपसे पाया जाता है । यदि इस पद्यको उक्त ग्रन्थसे अलग कर दिया जाय तो उसके कथनका सिलसिला ही बिगड़ जाय । क्योंकि ग्रन्थमें, जिन आप्त आगम (शास्त्र) और तपोभूत (तपस्वी) के अष्ट अंगसहित और त्रिमूढतादिरहित श्रद्धानको सम्यग्दर्शन बतलाया गया है उनका क्रमशः स्वरूप-निर्देश करते हुए, इस पद्यसे पहले 'आप्त' का और इसके अनन्तर 'तपोभूत' का स्वरूप दिया है; यह पद्य यहाँ दोनोंके मध्यमें अपने स्थानपर स्थित है, और अपने विषयका एक ही पद्य है । प्रत्युत इसके, न्यायावतारमें, जहाँ भी यह नम्बर ६ पर स्थित है, इस पद्यकी स्थिति मौलिकताकी दृष्टिसे बहुत ही सन्दिग्ध जान पड़ती है— यह उसका कोई आवश्यक अङ्ग मालूम नहीं होता और न इसको निकाल देनेसे वहाँ ग्रन्थके सिलसिलेमें अथवा उसके प्रतिपाद्य विषयमें ही कोई बाधा आती है । न्यायावतारमें परोक्ष प्रमाणके 'अनुमान' और 'शाब्द' ऐसे दो भेदोंका कथन करते हुए, स्वार्थानुमानका प्रतिपादन और समर्थन करनेके बाद इस पद्यसे ठीक पहले 'शाब्द' प्रमाणके लक्षणका यह पद्य दिया हुआ है—

* दृष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात् परमार्थाभिधायिनः ।

तत्त्वग्राहितयोत्पन्नं मानं शाब्दं प्रकीर्तितम् ॥८॥

इस पद्यकी उपस्थितिमें इसके बादका उपर्युक्त पद्य, जिसमें शास्त्र (आगम) का लक्षण दिया हुआ है, कई कारणोंसे व्यर्थ पड़ता है । प्रथम तो उसमें शास्त्र-

* सिद्धाधिकी टीकामें इस पद्यसे पहले यह प्रस्तावना-वाक्य दिया हुआ है—
“तदेवं स्वार्थानुमानलक्षणं प्रतिपाद्य तद्वतां भ्रान्तताविप्रतिपत्तिं च निराकृत्य अधुना प्रतिपादितपरार्थानुमानलक्षणं एवाल्पवक्तव्यत्वात् तावच्छाब्दलक्षणमाह” ।

का लक्षण आगम-प्रमाणरूपसे नहीं दिया—यह नहीं बतलाया कि ऐसे शास्त्रसे उत्पन्न हुआ ज्ञान † आगमप्रमाण अथवा शाब्दप्रमाण कहलाता है; बल्कि सामान्यतया आगमपदार्थके रूपमें निर्दिष्ट हुआ है, जिसे ‘रत्नकरण्डमें सम्यग्दर्शन-का विषय बतलाया गया है। दूसरे, शाब्दप्रमाणसे शास्त्रप्रमाण कोई भिन्न वस्तु भी नहीं है, जिसकी शाब्दप्रमाणके बाद पृथक् रूपसे उल्लेख करनेकी जरूरत होती, बल्कि उसीमें अन्तर्भूत है। टीकाकारने भी, शाब्दके ‘लौकिक’ और ‘शास्त्रज’ ऐसे दो भेदोंकी कल्पना करके, यह सूचित किया है कि इन दोनोंका ही लक्षण इस आठवें पद्यमें आगया है ‡। इससे ६ वें पद्यमें शाब्दके ‘शास्त्रज’ भेदका उल्लेख नहीं, यह और भी स्पष्ट होजाता है। तीसरे, ग्रन्थभरमें, इससे पहले, ‘शास्त्र’ या ‘आगम-शब्दका’ कहीं प्रयोग नहीं हुआ जिसके स्वरूपका प्रतिपादक ही यह ६ वां पद्य समझ लिया जाता, और न ‘शास्त्रज’ नामके भेदका ही मूलग्रन्थमें कोई निर्देश है, जिसके एक अवयव (शास्त्र) का लक्षण-प्रतिपादक यह पद्य हो सकता। चौथे, यदि यह कहा जाय कि ऽवें पद्यमें ‘शाब्द’ प्रमाणको जिस वाक्यसे उत्पन्न हुआ बतलाया गया है उसीका ‘शास्त्र’ नामसे अगले पद्यमें स्वरूप दिया गया है तो यह बात भी नहीं बनती; क्योंकि ऽवें पद्यमें ही ‘दृष्टेष्टाव्याहती’ आदि विशेषणोंके द्वारा वाक्यका स्वरूप दे दिया गया है और वह स्वरूप अगले पद्यमें दिये हुए शास्त्रके स्वरूपसे प्रायः मिलता-जुलता है—उसके ‘दृष्टेष्टाव्याहृत’ का ‘अदृष्टेष्टाविरोधक’के साथ साम्य है और उसमें ‘अनुल्लङ्घ्य’ तथा ‘आप्तोपज्ञ’ विशेषणोंका भी समावेश हो सकता है; ‘परमार्थाभिधायि’ विशेषण ‘कापथघट्टन’ और ‘सार्व’ विशेषणोंके भावका द्योतक है; और शाब्दप्रमाणको ‘तत्त्वग्राहितयोत्पन्न’ प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट ध्वनित है कि वह वाक्य ‘तत्त्वोपदेशकृत्’ माना गया है—इस तरह दोनों पद्योंमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है। ऐसी हालतमें समर्थनमें उद्धरणके सिवाय

† स्व-परावभासी निर्बाध ज्ञानको ही न्यायावतारके प्रथम पद्यमें प्रमाणका लक्षण बतलाया है, इसलिये प्रमाणके प्रत्येक भेदमें उसकी व्याप्ति होनी चाहिये।

‡ “शाब्दं च द्विधा भवति—लौकिकं शास्त्रजं चेति। तत्रेदं द्वयोरपि साधारणं लक्षणं प्रतिपादितम्”।

ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ उसकी दूसरी कोई गति नहीं; उसका विषय पुनरुक्त ठहरता है। पाँचवें, ग्रन्थकारने स्वयं अगले पद्यमें वाक्यको उपचारसे 'परार्थानुमान' बतलाया है। यथा—

स्व-निश्चयवदन्येषां निश्चयोत्पादनं बुधैः ।

परार्थ मानमाख्यातं वाक्यं तदुपचारतः ॥१०॥

इन सब बातों अथवा कारणोंसे यह स्पष्ट है कि न्यायावतारमें 'आतो-पज्ञ' नामका ६ वें पद्यकी स्थिति बहुत ही सन्दिग्ध है, वह मूल ग्रन्थका पद्य मालूम नहीं होता। उसे मूलग्रन्थकार-विरचित ग्रन्थका आवश्यक अङ्ग मानने-से पूर्वोत्तर पद्योंके मध्यमें उसकी स्थिति व्यर्थ पड़ जाती है, ग्रन्थकी प्रति-पादन-शैली भी उसे स्वीकार नहीं करती, और इसलिये वह अवश्य ही वहाँ एक उद्धृत पद्य जान पड़ता है, जिसे 'वाक्य' के स्वरूपका समर्थन करनेके लिये रत्नकरण्डपरसे 'उक्तञ्च' आदिके रूपमें उद्धृत किया गया है। उद्धरणका यह कार्य यदि मूलग्रन्थकारके द्वारा नहीं हुआ है तो वह; अधिक समय बादका भी नहीं है, क्योंकि विक्रमकी १० वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य सिद्धर्षिकी टीकामें यह मूलरूपसे परिगृहीत है, जिससे यह मालूम होता है कि उन्हें अपने समयमें न्यायावतारकी जो प्रतियां उपलब्ध थीं उनमें यह पद्य मूलका अङ्ग बना हुआ था। और जबतक सिद्धर्षिसे पूर्वकी किसी प्राचीन प्रतिमें उक्त पद्य अनुपलब्ध न हो तबतक प्रो० साहब तो अपनी विचार-पद्धति' के अनुसार यह कह ही नहीं सकते कि वह ग्रन्थका अङ्ग नहीं—ग्रन्थकारके द्वारा योजित नहीं हुआ अथवा ग्रन्थकार-से कुछ अधिक समय बाद उसमें प्रविष्ट या प्रक्षिप्त हुआ है। चूनाँचे प्रो० साहबने वैसा कुछ कहा भी नहीं और न उस पद्यके न्यायावतारमें उद्धृत होने-

ॐ प्रो० साहबकी इस विचारपद्धतिका दर्शन उस पत्रपरसे भले प्रकार होसकता है जिसे उन्होंने मेरे उस पत्रके उत्तरमें लिखा था जिसमें उनसे रत्नकरण्डके उन सात पद्यों की बाबत सयुक्तिक राय मांगी गई थी जिन्हें मैंने रत्नकरण्डकी प्रस्तावनामें सन्दिग्ध करार दिया था और जिस पत्रको उन्होंने मेरे पत्र-सहित अपने पिछले लेख (अनेकान्त वर्ष ६ कि० १ पृ० १२) में प्रकाशित किया है।

की बातका स्पष्ट शब्दोंमें कोई युक्तिपुरस्सर विरोध ही प्रस्तुत किया है—वे उसपर एकदम मौन हो रहे हैं।

अतः ऐसे प्रबल साहित्यिक उल्लेखोंकी मौजूदगीमें रत्नकरण्डको विक्रमकी ११वीं शताब्दीकी रचना अथवा रत्नमालाकारके गुरुकी कृति नहीं बतलाया जा सकता और न इस कल्पित समयके आधार पर उसका आसमीमांसासे भिन्नकर्तृत्व ही प्रतिपादित किया जा सकता है। यदि प्रो० साहब साहित्यके उल्लेखादिको कोई महत्त्व न देकर ग्रन्थके नामोल्लेखको ही उसका उल्लेख समझते हों तो वे आसमीमांसाको कुन्दकुन्दाचार्यसे पूर्वकी तो क्या, अकलङ्क-के समयसे पूर्वकी अथवा कुछ अधिक पूर्वकी भी नहीं कह सकेंगे; क्योंकि अकलङ्कसे पूर्वके साहित्यमें उसका नामोल्लेख नहीं मिल रहा है। ऐसी हालतमें प्रो० साहबकी दूसरी आपत्तिका कोई महत्त्व नहीं रहता, वह भी समुचित नहीं कही जा सकती और न उसके द्वारा उनका अभिमत ही सिद्ध किया जा सकता है।

(३) रत्नकरण्ड और आसमीमांसाका भिन्नकर्तृत्व सिद्ध करनेके लिये प्रोफेसर हीरालालजीकी जो तीसरी दलील (युक्ति) है उसका सार यह है कि 'वादिराज-सूरिके पार्श्वनाथचरितमें आसमीमांसाको तो 'देवागम' नामसे उल्लेख करते हुए 'स्वामि-कृत' कहा गया है और रत्नकरण्डको स्वामिकृत न कहकर 'योगीन्द्रकृत' बतलाया है। 'स्वामी' का अभिप्राय स्वामी समन्तभद्रसे और 'योगीन्द्र' का अभिप्राय उस नामके किसी आचार्यसे अथवा आसमीमांसाकारसे भिन्न किसी दूसरे समन्तभद्रसे है। दोनों ग्रन्थोंके कर्ता एक ही समन्तभद्र नहीं हो सकते अथवा यों कहिये कि वादिराज-सम्मत नहीं हो सकते; क्योंकि दोनों ग्रन्थोंके उल्लेख-सम्बन्धी दोनों पद्योंके मध्यमें 'अविन्त्य-महिमादेवः' नामका एक पद्य पड़ा हुआ है जिसके 'देव' शब्दका अभिप्राय देवनन्दी पूज्यपादसे है और जो उनके शब्दशास्त्र (जैनेन्द्र) की सूचनाको साथमें लिए हुए हैं।' जिन पद्यों-परसे इस युक्तिवाद अथवा रत्नकरण्ड और आसमीमांसाके एककर्तृत्वपर आपत्तिका जन्म हुआ है वे इस प्रकार हैं:—

“स्वामिनिश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाऽद्यापि प्रदर्श्यते ॥ १७ ॥

अचिन्त्यमहिमा देवः सोऽभिवन्द्यो हितैषिणा ।

शब्दार्थ येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिलम्बिताः ॥१८॥

त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाऽक्षय्यसुखावहः ।

अर्थिने भव्यसार्थाय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥१९॥

इन पद्योंमेंसे जिन प्रथम और तृतीय पद्योंमें ग्रन्थोंका नामोल्लेख है उनका विषय स्पष्ट है और जिसमें किसी ग्रन्थका नामोल्लेख नहीं है उस द्वितीय पद्यका विषय अस्पष्ट है, इस बातको प्रोफेसर साहबने स्वयं स्वीकार किया है। और इसीलिये द्वितीय पद्यके आशय तथा अर्थ-विषयमें विवाद है—एक उसे स्वामी समन्तभद्रके साथ सम्बन्धित करते हैं तो दूसरे देवनन्दी पूज्यपादके साथ। यह पद्य यदि क्रममें तीसरा हो और तीसरा दूसरे के स्थानपर हो, और ऐसा होना लेखकोंकी कृपासे कुछ भी असम्भव या अस्वाभाविक नहीं है, तो फिर विवादके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता; तब देवागम (आसमीमांसा) और रत्नकरण्ड दोनों निर्विवादरूपसे प्रचलित मान्यताके अनुरूप स्वामी समन्तभद्रके साथ सम्बन्धित हो जाते हैं और शेष पद्यका सम्बन्ध देवनन्दी पूज्यपाद और उनके शब्द-शास्त्रसे लगाया जा सकता है। चूँकि उक्त पार्श्वनाथचरित-सम्बन्धी प्राचीन प्रतियोंकी खोज अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे पद्योंकी क्रमभिन्नताका पता चलता और जिसकी कितनी ही सम्भावना जान पड़ती है, अतः उपलब्ध क्रमको लेकर ही इन पद्योंके प्रतिपाद्य विषय अथवा फलितार्थपर विचार किया जाता है:—

पद्योंके उपलब्ध क्रमपरसे दो बातें फलित होती हैं—एक तो यह कि तीनों पद्य स्वामी समन्तभद्रकी स्तुतिको लिये हुए हैं और उनमें उनकी तीन कृतियोंका उल्लेख है; और दूसरी यह कि तीनों पद्योंमें क्रमशः तीन आचार्यों और उनकी तीन कृतियोंका उल्लेख है। इन दोनोंमेंसे कोई एक बात ही ग्रन्थकारके द्वारा अभिमत और प्रतिपादित हो सकती है—दोनों नहीं। वह एक बात कौनसी होसकती है, यही यहाँ पर विचारणीय है। तीसरे पद्यमें उल्लिखित 'रत्नकरण्डक' यदि वह रत्नकरण्ड या रत्नकरण्डश्रावकाचार नहीं है जो स्वामी समन्तभद्रकी कृतिरूप से प्रसिद्ध और प्रचलित है, बल्कि 'योगीन्द्र' नामके आचार्य-द्वारा रचा हुआ उसी नमा-

का कोई दूसरा ही ग्रन्थ है, तब तो यह कहा जा सकता है कि तीनों पद्योंमें तीन आचार्य और उनकी कृतियोंका उल्लेख है— भले ही वह दूसरा रत्नकरण्ड कहीं पर उपलब्ध न हो अथवा उसके अस्तित्वको प्रमाणित न किया जा सके। और तब इन पद्योंको लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है वही स्थिर नहीं रहता—समाप्त हो जाता है अथवा यों कहिये कि प्रोफेसर साहबकी तीसरी आपत्ति निराधार होकर बेकार हो जाती है। परन्तु प्रो० साहबको दूसरा रत्नकरण्ड इष्ट नहीं, तभी उन्होंने प्रचलित रत्नकरण्डके ही छठे पद्य 'क्षुत्पिपासा' को आप्तमीमांसाके विरोधमें उपस्थित किया था, जिसका ऊपर परिहार किया जा चुका है। और इसलिये तीसरे पद्यमें उल्लिखित 'रत्नकरण्डक' यदि प्रचलित रत्नकरण्डश्रावकाचार ही है तो तीनों पद्योंको स्वामी समन्तभद्रके साथ ही सम्बन्धित कहना होगा, जबतक कि कोई स्पष्टबाधा इसके विरोधमें उपस्थित न की जाय। इसके सिवाय, दूसरी कोई गति नहीं; क्योंकि प्रचलित रत्नकरण्डको आप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकृत माननेमें कोई बाधा नहीं है, जो बाधा उपस्थित की गई थी उसका ऊपर दो आपत्तियोंका विचार करते हुए भले प्रकार निरसन किया जा चुका है और यह तीसरी आपत्ति अपने स्वरूपमें ही स्थिर न होकर असिद्ध तथा संदिग्ध बनी हुई है। और इसलिये प्रो० साहबके अभिमतको सिद्ध करनेमें असमर्थ है। जब आदि-अन्तके दोनों पद्य स्वामी समन्तभद्रसे सम्बन्धित हों तब मध्यके पद्यको दूसरेके साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरणके तौरपर कल्पना कीजिये कि रत्नकरण्डके उल्लेख वाले तीसरे पद्यके स्थानपर स्वामी समन्तभद्र—प्रणीत स्वयंमूस्तोत्रके उल्लेखको लिये हुए निम्न प्रकारके आशयका कोई पद्य है:—

‘स्वयम्भूतुतिकर्तारं भस्मव्याधि-विनाशनम्।

विराग-द्वेष-वादादिमनेकान्तमतं नुमः ॥’

ऐसे पद्यकी मौजूदगीमें क्या द्वितीय पद्यमें उल्लिखित 'देव' शब्दको देवनन्दी पूज्यपादका वाचक कहा जा सकता है ? यदि नहीं कहा जा सकता तो रत्नकरण्डके उल्लेखवाले पद्यकी मौजूदगीमें भी उसे देवनन्दी पूज्यपादका वाचक नहीं कहा जा सकता, उस वक्त तक जब तक कि यह सिद्ध न

कर दिया जाय कि रत्नकरण्ड स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है। क्योंकि असिद्ध साधनोंके द्वारा कोई भी बात सिद्ध नहीं की जा सकती।

इन्हीं सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए, आजसे कोई २३ वर्ष पहले रत्न-करण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावनाके साथमें दिये हुए स्वामी समन्तभद्रके विस्तृत परिचय (इतिहास) में जब मैंने 'स्वामिनश्चरितं तस्य' और 'त्यागी स एव योगीन्द्रो' इन दो पद्योंको पार्श्वनाथचरितसे एक साथ उद्धृत किया था तब मैंने फुटनोट (पादटिप्पणी) में यह बतला दिया था कि इनके मध्यमें 'अचिन्त्य-महिमा देवः' नामका एक तीसरा पद्य मुद्रित प्रतिमें और पाया जाता है जो मेरी रायमें इन दोनों पद्यके बाद होना चाहिये—तभी वह देवनन्दी आचार्यका वाचक हो सकता है। साथ ही, यह भी प्रकट कर दिया था कि 'यदि यह तीसरा पद्य सचमुच ही ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों पद्योंके मध्यमें ही पया जाता है और मध्यका ही पद्य है तो यह कहना पड़ेगा कि वादिराजने समन्तभद्रको अपना हित चाहने वालोंके द्वारा वन्दनीय और अचिन्त्य महिमावाला देव प्रतिपादन किया है साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होते हैं, उनके किसी व्याकरण ग्रन्थका उल्लेख किया है'। अपनी इस दृष्टि और रायके अनुरूप ही मैं 'अचिन्त्यमहिमा देवः' पद्यको प्रधानतः 'देवागम' और 'रत्नकरण्ड' के उल्लेखवाले पद्यके उत्तरवर्ती तीसरा पद्य मानता आ रहा हूँ और तदनुसार ही उसके 'देव' पदका देवनन्दी अर्थ करनेमें प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः इन तीनों पद्योंके क्रमविषयमें मेरी दृष्टि और मान्यताको छोड़कर किसीको भी मेरे उस अर्थका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जो समाधितन्त्रकी प्रस्तावना तथा सत्साधु-स्मरण-मञ्जल-पाठमें दिया हुआ है। क्योंकि मुद्रितप्रतिका पद्य-क्रम ही ठीक होनेपर मैं उस पद्यके 'देव'पदको समन्तभद्रका ही वाचक मानता हूँ और इस तरह तीनों पद्योंको समन्तभद्रके स्तुति-विषयक समझता हूँ। अस्तु।

अब देखना यह है कि क्या उक्त तीनों पद्योंको स्वामी समन्तभद्रके साथ

† प्रो० साहबने अपने मतकी पुष्टिमें उसे पेश करके सचमुच ही उसका दुरुपयोग किया है।

सम्बन्धित करने अथवा रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति बतलानेमें कोई दूसरी बाधा आती है ? जहाँ तक मैंने इस विषय पर गंभीरताके साथ विचार किया है मुझे उसमें कोई बाधा प्रतीत नहीं होती । तीनों पद्योंमें क्रमशः तीन विशेषणों स्वामी, देव और योगीन्द्रके द्वारा समन्तभद्रका स्मरण किया गया है । उक्त क्रमसे रखे हुए तीनों पद्यों का अर्थ निम्न प्रकार है:—

‘उन स्वामी (समन्तभद्र) का चरित्र किसके लिये विस्मयकारक (आश्चर्यजनक) नहीं है जिन्होंने ‘देवागम’ (आत्ममीमांसा) नामके अपने प्रवचन-द्वारा आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रखा है । वे अचिन्त्यमहिमा-युक्त देव (समन्तभद्र) अपना हित चाहनेवालोंके द्वारा सदा वन्दनीय हैं, जिनके द्वारा (सर्वज्ञ ही नहीं किन्तु) शब्द भी * भले प्रकार सिद्ध होते हैं । वे ही योगीन्द्र (समन्तभद्र) सच्चे अर्थोंमें त्यागी (त्यागभावसे युक्त अथवा दाता) हुए हैं जिन्होंने सुवार्थी भव्यसमूहके लिए अक्षयसुखका कारणभूत धर्मरत्नोंका पिटारा—‘रत्नकरण्ड’ नामका धर्मशास्त्र—दान किया है ।

इस अर्थपरसे स्पष्ट है कि दूसरे तथा तीसरे पद्यमें ऐसी कोई बात नहीं जो स्वामी समन्तभद्रके साथ सङ्गत न बैठती हो । समन्तभद्रके लिए ‘देव’ विशेषण का प्रयोग कोई अनोखी अथवा उनके पदसे कोई अधिक चीज नहीं है । देवागमकी वसुनन्द-वृत्ति, पण्डित आशाधरकी सागारधर्माभूत-टीका, आचार्य जयसेनकी समयसार-टीका, नरेन्द्रसेन आचार्यके सिद्धान्तसार-संग्रह और आत्ममीमांसामूलकी एक वि० संवत् १७५२ की प्रतिकी अन्तिम पृष्णिकामें समन्तभद्रके साथ ‘देव’ पदका खुला प्रयोग पाया जाता है, जिन सबके अवतरण पं० दरबारीलालजी कोठियाके लेखमें उद्धृत हो चुके हैं † । इसके सिवाय वादिराजके पार्श्वनाथचरितसे ४७ वर्ष पूर्व शक सं० १६०० में लिखे गये चामुण्डरायके त्रिषष्टिशलाका-महापुराणमें भी ‘देव’ उपपदके साथ समन्तभद्रका स्मरण किया गया है और उन्हें तत्त्वार्थभाष्यादिका कर्ता लिखा है ‡ ।

* मूल में प्रयुक्त हुए ‘च’ शब्दका अर्थ ।

† अनेकान्त वर्ष ८ कि० १०-११, पृ० ४१०-११

‡ अनेकान्त वर्ष ६ कि० १ पृ० ३३

ऐसी हालतमें प्रो० साहबका समन्तभद्रके साथ 'देव' पदकी असङ्गतिकी कल्पना करना ठीक नहीं है—वे साहित्यिकोंमें 'देव' विशेषणके साथ भी प्रसिद्धिको प्राप्त रहे हैं।

और अब प्रो० साहबका अपने अन्तिम लेखमें यह लिखना तो कुछ भी अर्थ नहीं रखता कि 'जो उल्लेख प्रस्तुत किये गये हैं उन सबमें 'देव' पद समन्त-भद्रके साथ-साथ पाया जाता है। ऐसा कोई एक भी उल्लेख नहीं जहाँ केवल 'देव' शब्दसे समन्तभद्रका अभिप्राय प्रकट किया गया हो।' यह वास्तवमें कोई उत्तर नहीं, इसे केवल उत्तरके लिये ही उत्तर कहा जा सकता है; क्योंकि जब कोई विशेषण किसीके साथ जुड़ा होता है तभी तो वह किसी प्रसंगपर संकेतादिके रूपमें अलगसे भी कहा जा सकता है, जो विशेषण कभी साथमें जुड़ा ही न हो वह न तो अलगसे कहा जा सकता है और न उसका वाचक ही हो सकता है। प्रो० साहब ऐसा कोई भी उल्लेख प्रस्तुत नहीं कर सकेगे जिसमें समन्तभद्रके साथ स्वामी पद जुड़नेसे पहले उन्हें के मूल 'स्वामी' पदके द्वारा उल्लेखित किया गया हो। अतः मूल बात समन्तभद्रके साथ 'देव' विशेषणका पाया जाना है, जिसके उल्लेख प्रस्तुत किये गये हैं और जिनके आधारपर द्वितीय पद्यमें प्रयुक्त हुए 'देव' विशेषण अथवा उपपदको समन्तभद्रके साथ संगत कहा जा सकता है। प्रो० साहब वादिराजके इसी उल्लेखको वैसा एक उल्लेख समझ सकते हैं जिसमें 'देव' शब्दसे समन्तभद्रका अभिप्राय प्रकट किया गया है; क्योंकि वादिराजके सामने अनेक प्राचीन उल्लेखोंके रूपमें समन्तभद्रको भी 'देव' पद के द्वारा उल्लेखित करनेके कारण मौजूद थे। इसके सिवाय, प्रो० साहबने श्लेषार्थको लिये हुए जो एक पद्य 'देवं स्वामिनममलं विद्यानन्दं प्रणम्य निजभक्त्या' इत्यादि उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत किया है उसका अर्थ जब स्वामी समन्तभद्र-परक किया जाता है तब 'देव' पद स्वामी समन्तभद्रका, अकलङ्क-परक अर्थ करने से अकलंकका और विद्यानन्द परक अर्थ करने से विद्यानन्दका ही वाचक होता है। इससे समन्तभद्र नाम साथमें न रहते हुए भी समन्तभद्रके लिये 'देव' पदका अलगसे प्रयोग अवर्जित नहीं है, यह प्रो० साहब-द्वारा प्रस्तुत किये गये पद्यसे भी जाना जाता है।

यह भी नहीं कहा जा सकता कि वादिराज 'देव' शब्दको एकान्ततः

‘देवनन्दी’ का वाचक समझते थे और वैसे समझनेके कारण ही उन्होंने उक्त पद्यमें देवनन्दीके लिये उसका प्रयोग किया है, क्योंकि वादिराजने अपने न्याय-विनिश्चय-विवरणमें अकलंकके लिये ‘देव’ पदका बहुत प्रयोग किया है, इतना ही नहीं बल्कि पार्श्वनाथचरितमें भी वे ‘तर्कभूवल्लभो देवः स जयत्यकलंकधीः’ इस वाक्यमें प्रयुक्त हुए ‘देव’ पदके द्वारा अकलंकका उल्लेख कर रहे हैं। और जब अकलंकके लिये वे ‘देव’ पदका उल्लेख कर रहे हैं तब अकलंकसे भी बड़े और उनके भी पूज्यगुरु समन्तभद्रके लिये ‘देव’ पदका प्रयोग करना कुछ भी अस्वाभाविक अथवा अनहोनी बात नहीं है। इसके सिवाय, उन्होंने न्यायविनिश्चयविवरणके अन्तिम भागमें पूज्यपादका देवनन्दी नामसे उल्लेख न करके पूज्यपाद नामसे ही उल्लेख किया है, जिससे मालूम होता है कि यही नाम उनको अधिक इष्ट था।

ऐसी स्थितिमें यदि वादिराजका अपने द्वितीय पद्यसे देवनन्दि-विषयक अभिप्राय होता तो वे या तो पूरा देवनन्दी नाम देते या उनके ‘जैनेन्द्र’ व्याकरणका साथमें स्पष्ट नामोल्लेख करते अथवा इस पद्यको रत्नकरण्डके उल्लेखवाले पद्यके बादमें रखते, जिससे समन्तभद्रका स्मरण-विषयक प्रकरण समाप्त होकर दूसरे प्रकरणका प्रारम्भ समझा जाता। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तब यही कहना ठीक होगा कि इस पद्यमें ‘देव’ विशेषणके द्वारा समन्तभद्रका ही उल्लेख किया गया है। उनका अचिन्त्य महिमासे युक्त होना और उनके

† जैसा कि नीचेके उदाहरणोंसे प्रकट है:—

“देवस्ताकिकचक्रवूडामणिभूयात्स वः श्रेयसे” । पृ० ३

“भूयो भेदनयावगाहगहनं देवस्य यद्वाङ्मयम्” ।

“तथा च देवस्यान्यत्र वचनं “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षं स्वत एव नः” । प्रस्ताव १

“देवस्य शासनमतीवगभीरमेतत्तात्पर्यतः क इव बोद्धुमतीव दक्षः ।”

प्रस्ताव २

❧ “विद्यानन्दमनन्तवीर्यसुखदं श्रीपूज्यपादं दयापालं सन्मतिसागरं..... वन्दे जिनैन्द्रं मुदा” ।

द्वारा शब्दोंका सिद्ध होना भी कोई असंगत नहीं है। वे पूज्यपादसे भी अधिक महान् थे, अकलंक और विद्वानन्दादिक बड़े-बड़े आचार्योंने उनकी महानताका खुला गान किया है, उन्हें सर्वपदार्थतत्त्वविषयक स्याद्वाद-तीर्थकों कलिकालमें भी प्रभावित करनेवाला, और वीरशासनकी हजारगुणी वृद्धि करनेवाला, 'जैनशासनका प्रणेता' तक लिखा है। उनके असाधारण गुणोंके कीर्तनों और-महिमाओंके वर्णनोंसे जैनसाहित्य भरा हुआ है, जिसका कुछ परिचय पाठक 'सत्साधु स्मरण-मंगलपाठ' में दिये हुए समन्तभद्रके स्मरणोंपरसे सहजमेंही प्राप्त कर सकते हैं। समन्तभद्रके एक परिचय-पद्यसे मालूम होता है कि वे 'सिद्धसार-स्वत' ❀ थे—सरस्वती उन्हें सिद्ध थी; वादीभसिंह जैसे आचार्य उन्हें 'सरस्वतीकी स्वच्छन्द-विहारभूमि' बतलाते हैं और एक दूसरे ग्रन्थकार समन्तभद्र-द्वारा रचे हुए ग्रन्थसमूहरूपी निर्मलकमल-सरोवरमें, जो भावरूप हंसोंसे परिपूर्ण है, सरस्वतीको क्रीडा करती हुई उल्लेखित करते हैं *। इससे समन्तभद्रके द्वारा शब्दोंका सिद्ध होना कोई अनोखी बात नहीं कही जा सकती। उनका 'जिनशतक' उनके अपूर्व व्याकरणपाण्डित्य और शब्दोंके एकाधिपत्यको सूचित करता है। पूज्यपादने तो अपने जैनेन्द्रव्याकरणमें 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य' यह सूत्र रखकर समन्तभद्र-द्वारा होनेवाली शब्दसिद्धिको स्पष्ट सूचित भी किया है, जिसपरसे उनके व्याकरण-शास्त्रकी भी सूचना मिलती है। और श्रीप्रभाचन्द्राचार्यने अपने गद्यकथाकोशमें उन्हें तर्कशास्त्रकी तरह व्याकरण-शास्त्रका भी व्याख्याता (निर्माता)† लिखा है ❀। इतने पर भी प्रो० साहवका अपने पिछले लेखमें यह लिखना कि "उनका बनाया हुआ न तो कोई शब्दशास्त्र उपलब्ध है और न उसके कोई प्राचीन प्रामाणिक उल्लेख पाये जाते हैं" व्यर्थकी

❀ अनेकान्त वर्ष ७ किरण ३-४ पृ० २६

* सत्साधुस्मरणमंगलपाठ, पृ० ३४, ४६

† अनेकान्त वर्ष ८ किरण १०-११ पृ० ४१६

❀ 'जैनग्रन्थावली' में रायल एशियाटिक सोसाइटीकी रिपोर्टके आधारपर समन्तभद्रके एक प्राकृत व्याकरणका नामोल्लेख है और उसे १२०० श्लोकपरिमाण सूचित किया है।

खींचतानके सिवाय और कुछ भी अर्थ नहीं रखता। यदि आज कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है तो उसका यह आशय तो नहीं लिया जा सकता कि वह कभी था ही नहीं। वादिराजके ही द्वारा पार्श्वनाथचरितमें उल्लिखित 'सन्मतिसूत्र' की वह विवृति और विशेषवादीकी वह कृति आज कहां मिल रही है? यदि उनके न मिलने मात्रसे वादिराजके उल्लेख विषयमें अन्यथा कल्पना नहीं की जा सकती तो फिर समन्तभद्रके शब्दशास्त्रके उपलब्ध न होने मात्रसे ही वैसी कल्पना क्यों की जाती है? उसमें कुछ भी औचित्य मालूम नहीं होता। अतः वादिराजके उक्त द्वितीय पद्य नं० १८ का यथावस्थित क्रमकी दृष्टिसे समन्तभद्र-विषयक अर्थ लेनेमें किसी भी बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है।

रही तीसरे पद्यकी बात, उसमें 'योगीन्द्रः' पदको लेकर जो वाद-विवाद अथवा झगड़ा खड़ा किया गया है उसमें कुछ भी सार नहीं है। कोई भी बुद्धिमान् ऐसा नहीं हो सकता जो समन्तभद्रको योगी अथवा योगीन्द्र माननेके लिये तैयार न हो, खासकर उस हालतमें जब कि वे धर्माचार्य थे—सम्प्रगदर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्यरूप पञ्च आचारोंका स्वयं आचार करनेवाले और दूसरोंको आचरण करानेवाले दीक्षागुरुके रूपमें थे—'पदद्विक' थे—तपके बलपर चारणऋद्धिको प्राप्त थे—और उन्होंने अपने मंत्ररूप वचनबलसे शिव-पिण्डीमें चन्द्रप्रभकी प्रतिमाको बुला लिया था ('स्वमन्त्रवचन-प्राप्तचन्द्रप्रभः')। योग-साधना जैनमुनिका पहला कार्य होता है और इसलिये जैनमुनिको 'योगी' कहना एक सामान्य-सी बात है, फिर धर्माचार्य अथवा दीक्षागुरु मुनीन्द्रका तो योगी अथवा योगीन्द्र होना और भी अवश्यंभावी तथा अनिवार्य हो जाता है। इसीसे जिस वीरशासनके स्वामी समन्तभद्र अनन्य उपासक थे उसका स्वरूप बतलाते हुए, युक्त्यनुशासन (का० ६) में उन्होंने दया, दम और त्यागके साथ समाधि (योगसाधना) को भी उसका प्रधान अंग बतलाया है। तब यह कैसे हो सकता है कि वीरशासनके अनन्यउपासक भी योग-साधना न करते हों और इसलिये योगी न कहे जाते हों?

सबसे पहले मुहूर्द्वर पं० नाथूरामजी प्रेमीने इस योगीन्द्र-विषयक चर्चाको 'क्या रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही हैं?' इस शीर्षकके अपने लेखमें उठाया था और यहाँ तक लिख दिया था कि "योगीन्द्र-जैसा विशेषण तो उन्हें

(समन्तभद्रको) कहीं भी नहीं दिया गया * ।" इसके उत्तरमें जब मैंने 'स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे' इस शीर्षकका लेख लिखा और उसमें अनेक प्रमाणोंके आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि समन्तभद्र योगीन्द्र थे तथा 'योगी' और 'योगीन्द्र' विशेषणोंका उनके नामके साथ स्पष्ट उल्लेख भी बतलाया गया तब प्रेमीजी तो उस विषयमें मौत हो रहे, परन्तु प्रो० साहबने इस चर्चाको यह लिखकर लम्बा किया कि —

“मुस्तार साहब तथा न्यायाचार्यजीने जिस आधार पर 'योगीन्द्र' शब्दका उल्लेख प्रभाचन्द्र-कृत स्वीकार कर लिया है वह भी बहुत कच्चा है। उन्होंने जो कुछ उसके लिये प्रमाण दिये हैं उनसे जान पड़ता है कि उक्त दोनों विद्वानोंमेंसे किसी एकने भी अभी तक न प्रभाचन्द्रका कथाकोष स्वयं देखा है और न कहीं यह स्पष्ट पढ़ा या किसीसे सुना कि प्रभाचन्द्रकृत कथाकोषमें समन्तभद्रके लिये 'योगीन्द्र' शब्द आया है। केवल प्रेमीजीने कोई बीस वर्ष पूर्व यह लिख भेजा था कि “दोनों कथाग्रोंमें कोई विशेष फर्क नहीं है, नेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्यकथाका प्रायः पूर्ण अनुवाद है”। उसीके आधारपर आज उक्त दोनों विद्वानोंको “यह कहनेमें कोई आपत्ति मालूम नहीं होती कि प्रभाचन्द्र ने भी अपने गद्य-कथाकोषमें स्वामी समन्तभद्रको 'योगीन्द्र' रूपमें उल्लेखित किया है।”

इसपर प्रभाचन्द्रके गद्यकथाकोषको मँगाकर देखा गया और उसपरसे समन्तभद्रको 'योगी' तथा 'योगीन्द्र' बतलानेवाले जब डेढ़ दर्जनके करीब प्रमाण न्यायाचार्यजीने अपने अन्तिम लेखमें † उद्धृत किये तब उसके उत्तरमें प्रो० साहब अब अपने पिछले लेखमें यह कहने बैठे हैं, जिसे वे नेमिदत्त-कथाकोषके अनुकूल पहले भी कह सकते थे, कि “कथानकमें समन्तभद्रको केवल उनके कपट-वेषमें ही योगी या योगीन्द्र कहा है, उनके जैनवेषमें कहीं भी उक्त शब्दका प्रयोग नहीं पाया जाता”। यह उत्तर भी वास्तवमें कोई उत्तर नहीं है। इसे भी केवल

* अनेकान्त वर्ष ७ किरण ३-४, पृ० २६, ३०

† अनेकान्त वर्ष ७ किरण ५-६, पृ० ४२, ४८

‡ अनेकान्त वर्ष ८, किरण १०-११ पृ० ४२०-२१

उत्तरके लिये ही उत्तर कहा जा सकता है। क्योंकि समन्तभद्रके योग-चमत्कार-को देखकर जब शिवकोटिराजा, उनका भाई शिवायन और प्रजाके बहुतसे जन जैनधर्ममें दीक्षित होगये तब योगरूपमें समन्तभद्रकी ख्याति तो और भी बढ़ गई होगी और वे आम तौरपर योगिराज कहलाने लगे होंगे, इसे हर कोई समझ सकता है; क्योंकि वह योगचमत्कार समन्तभद्रके साथ सम्बद्ध था न कि उनके पाण्डुराङ्ग-तपस्वीवाले वेषके साथ। ऐसा भी नहीं कि पाण्डुराङ्गतपस्वीके वेष-वाले ही 'योगी' कहे जाते हों जैनवेष्टवाले मुनियोंको योगी न कहा जाता हो। यदि ऐसा होता तो रत्नकरण्डके कर्ताको भी 'योगीन्द्र' विशेषणसे उल्लेखित न किया जाता। वास्तवमें 'योगी' एक सामान्य शब्द है जो ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी आदिकका वाचक है; जैसा कि धनञ्जय-नाममालाके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

ऋषिर्यतिर्मुनिर्भिक्षुस्तापसः संयतो व्रती ।

तपस्वी संयमी योगी वर्णी साधुश्च पातु वः ॥३॥

जैनसाहित्यमें योगीकी अपेक्षा यति-मुनि-तपस्वी जैसे शब्दोंका प्रयोग अधिक पाया जाता है, जो उसके पर्याय नाम हैं। रत्नकरण्डमें भी यति, मुनि और तपस्वी शब्द योगीके लिये व्यवहृत हुए हैं। तपस्वीको आस तथा आगमकी तरह सम्प्रदर्शनका विषयभूत पदार्थ बनलाते हुए उसका जो स्वरूप एक पद्य ॐ में दिया है वह खासतौरसे ध्यान देने योग्य है। उसमें लिखा है कि—'जो इन्द्रिय-विषयों तथा इच्छाओंके वशीभूत नहीं है, आरम्भों तथा परिग्रहोंसे रहित है और ज्ञान, ध्यान एवं तपश्चरणोंमें लीन रहता है वह तपस्वी प्रशंसनीय है।' इस लक्षणसे भिन्न योगीके और कोई सींग नहीं होते। एक स्थानपर सामायिकमें स्थित गृहस्थको 'चेलोपसृष्टमुनि' की तरह यतिभावको प्राप्त हुआ लिखा है † । चेलोपसृष्टमुनिका अभिप्राय उस नग्न दिगम्बर जैन योगीसे है जो मौन-पूर्वक

ॐ विषयाऽऽशा-वशाऽतीतों निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥

† सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि ।

चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभवाम् ॥१०२॥

योग-साधना करता हुआ ध्यानमग्न हो और उस समय किसीने उसको वस्त्र ओढ़ा दिया हो, जिसे वह अपने लिये उपर्युक्त समझता है। सामायिकमें स्थित वस्त्रसहित गृहस्थको उस मुनिकी उपमा देते हुए उसे जो यतिभाव-योगिके भाव-को प्राप्त हुआ लिखा है और अगले पद्यमें उसे 'अचलयोग' भी बतलाया है उससे स्पष्ट जाना जाता है कि रत्नकरण्डमें भी योगिके लिये 'यति' शब्दका प्रयोग किया गया है। इसके सिवाय, अकलंकदेवने अष्टशती (देवागम-भाष्य) के मंगल-पद्यमें आत्ममीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रको 'यति' लिखा है* जो सन्मार्ग-में यत्नशील अथवा मन-वचन-कायके नियन्त्रणरूप योगकी साधनामें तत्पर योगीका वाचक है, और श्रीविद्यानन्दाचार्यने अपनी अष्ट-सहस्रीमें उन्हें 'यतिभूत' और 'यतीश' तक लिखा है †, जो दोनों ही 'योगिराज' अथवा 'योगीन्द्र' अर्थ-के द्योतक है, और 'यतीश' के साथ 'प्रथिततर' विशेषण लगाकर तो यह भी सूचित किया गया है कि वे एक बहुत बड़े प्रसिद्ध योगिराज थे। ऐसे ही उल्लेखों-को दृष्टिमें रखकर वादिराजने उक्त पद्यमें समन्तभद्रके लिये 'योगीन्द्र' विशेषण-का प्रयोग किया जान पड़ता है। और इसलिये यह कहना कि 'समन्तभद्र योगी नहीं थे अथवा योगीरूपसे उनका कहीं उल्लेख नहीं' किसी तरह भी समुचित नहीं कहा जा सकता। रत्नकरण्डकी अब तक ऐसी कोई प्राचीन प्रति भी प्रो० साहबकी तरफसे उपस्थित नहीं की गई जिसमें ग्रन्थकर्ता 'योगीन्द्र'को नामका कोई विद्वान् लिखा हो अथवा स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न दूसरा कोई समन्तभद्र उसका कर्ता है ऐसी स्पष्ट सूचना साथमें की गई हो।

समन्तभद्र नामके दूसरे छह विद्वानोंकी खोज करके मैंने उसे रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी अपनी प्रस्तावनामें आजसे कोई २३ वर्ष पहले प्रकट किया था— उसके बादसे और किसी समन्तभद्रका अब तक कोई पता नहीं चला। उनमेंसे एक 'लुघु', दूसरे 'चिक्क', तीसरे 'गेरुसोपे', चौथे 'अभिनव', पाँचवें 'भट्टारक', छठे 'गृहस्थ' विशेषणसे विशिष्ट पाये जाते हैं। उनमेंसे कोई भी अपने समयादिक-

❧ 'येनाचार्य-समन्तभद्र-यतिना तस्मै नमः संततम् ।'

† 'स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभृद्-भूयाद्विभुर्भानुमान् ।'

'स्वामी जीयात्स शवस्तप्रथिततरयतीशोऽकलङ्कोरुकीर्तिः ।'

की दृष्टिसे 'रत्नकरण्ड' का कर्ता नहीं हो सकता † । और इस लिये जब तक जैनसाहित्यपरसे किसी ऐसे दूसरे समन्तभद्रका पता न बतलाया जाय जो इस रत्नकरण्डका कर्ता हो सके तब तक 'रत्नकरण्ड' के कर्ताके लिये 'योगीन्द्र' विशेषणके प्रयोग-मात्रसे उसे कोरी कल्पनाके आधारपर स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न किसी दूसरे समन्तभद्रकी कृति नहीं कहा जा सकता ।

ऐसी वस्तुस्थितिमें वादिराजके उक्त दोनों पद्योंको प्रथम पद्यके साथ स्वामि-समन्तभद्र-विषयक समझने और बतलानेमें कोई भी बाधा प्रतीत नहीं होती * । प्रत्युत इसके, वादिराजके प्रायः समकालीन विद्वान् आचार्य प्रभाचन्द्रका अपनी टीकामें 'रत्नकरण्ड' उपासकाध्ययनको साफ़ तौरपर स्वामी समन्तभद्रकी कृति घोषित करना उसे पुष्ट करता है । उन्होंने अपनी टीकाके केवल संधि-वाक्योंमें ही 'समन्तभद्रस्वामि-विरचित' जैसे विशेषणों-द्वारा वैसी घोषणा नहीं की बल्कि टीकाकी आदिमें निम्न प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा भी उसकी स्पष्ट सूचना की है—

“श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रत्नोपायभूतरत्नकरण्डकप्रख्यं सम्य-
ग्दर्शनादिरत्नानां पालनोपायभूतं रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्रं कर्तुकामो नि-
र्विघ्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलषन्निष्टदेवताविशेषं नमस्कु-
र्वन्नाह ।”

हाँ, यहाँपर एक बात और भी जान लेनेकी है और वह यह कि प्रो०साहब-

† देखो, माणिकचन्द-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्डश्रावकाचार, प्रस्तावना पृ० ५ से ६ ।

* सन् १९१२ में तंजोरसे प्रकाशित होनेवाले वादिराजके 'यशोधर-चरित' की प्रस्तावनामें, टी० ए० गोपीनाथराव एम० ए० ने भी इन तीनों पद्योंको इसी क्रमके साथ समन्तभद्रविषयक सूचित किया है । इसके सिवाय, प्रस्तुत चरितपर शुभचन्द्रकृत जो 'पंजिका' है उसे देखकर पं० नाथूरायजी प्रेमीने बादको यह सूचित किया है कि उसमें भी ये तीनों पद्य समन्तभद्रविषयक माने गये हैं । और तीसरे पद्यमें प्रयुक्त हुए 'योगीन्द्र' पदका अर्थ 'समन्तभद्र' ही लिखा है । इससे बाधाकी जगह साधकप्रमाणकी बात और भी सामने आ जाती है ।

ने अपने 'विलुप्त अध्याय' में यह लिखा था कि "दिगम्बरजैन साहित्य में जो आचार्य स्वामीकी उपाधिसे विशेषतः विभूषित किये गये हैं वे आत्ममीमांसाके कर्ता समन्तभद्र ही हैं।" और आगे श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख में भद्रबाहु द्वितीयके साथ 'स्वामी' पद जुड़ा हुआ देखकर यह बतलाते हुए कि "भद्रबाहुकी उपाधि स्वामी थी जो कि साहित्य में प्रायः एकान्ततः समन्तभद्रके लिये ही प्रयुक्त हुई है" समन्तभद्र और भद्रबाहु द्वितीयको "एक ही व्यक्ति" प्रतिपादन किया था। इस परसे कोई भी यह फलित कर सकता है कि जिन समन्तभद्रके साथ 'स्वामी' पद लगा हुआ हो उन्हें प्रो० साहबके मतानुसार आत्ममीमांसाका कर्ता समझना चाहिये। तदनुसार ही प्रो० साहबके सामने रत्नकरण्डकी टीकाका उक्त प्रमाण यह प्रदर्शित करनेके लिये रखा गया कि जब प्रभाचन्द्राचार्य भी रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकृत लिख रहे हैं और प्रो० साहब 'स्वामी' पदका असाधारण सम्बन्ध आत्ममीमांसाकारके साथ जोड़ रहे हैं तब वह उसे आत्ममीमांसाकारसे भिन्न किसी दूसरे समन्तभद्रकी कृति कैसे बतलाते हैं? इसके उत्तरमें प्रो० साहबने लिखा है कि "प्रभाचन्द्रका उल्लेख केवल इतना ही तो है कि रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र हैं उन्होंने यह तो प्रकट किया ही नहीं कि ये ही रत्नकरण्डके कर्ता आत्ममीमांसाके भी रचयिता हैं ‡।" परन्तु साथमें लगा हुआ 'स्वामी' पद तो उन्हींके मन्तव्यानुसार उसे प्रकट कर रहा है यह देखकर उन्होंने यह भी कह दिया है कि 'रत्नकरण्डके कर्ता समन्तभद्रके साथ 'स्वामी' पद बादको जुड़ गया है—चाहे उसका कारण भ्रान्ति हो या जान-बूझकर ऐसा किया गया हो।' परन्तु अपने प्रयोजनके लिये इस कह देने मात्रसे कोई कम नहीं चल सकता जबतक कि उसका कोई प्राचीन आधार व्यक्त न किया जाय—कमसे कम प्रभाचन्द्राचार्यसे पहलेकी लिखी हुई रत्नकरण्डकी कोई ऐसी प्राचीन मूल-प्रति पेश होनी चाहिये थी जिसमें समन्तभद्रके साथ स्वामी पद लगा हुआ न हो। लेकिन प्रो० साहबने पहलेकी ऐसी कोई भी प्रति पेश नहीं की तब वे बादको भ्रान्ति आदिके वश स्वामी पदके जुड़नेकी बात कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, उसी तरह जिस तरह कि मेरे द्वारा सन्दिग्ध करार दिये हुए रत्नकरण्ड-

के सात पद्योंको प्रभाचन्द्रीय टीकासे पहलेकी ऐसी प्राचीन प्रतियोंके न मिलनेके कारण प्रक्षिप्त नहीं कह सकते॥ जिनमें वे पद्य सम्मिलित न हों ।

इस तरह प्रो० साहबकी तीसरी आपत्तिमें कुछ भी सार मालूम नहीं होता । युक्तिके पूर्णतः सिद्ध न होनेके कारण वह रत्नकरण्ड और आत्ममीमांसाके एक-कर्तृत्वमें बाधक नहीं हो सकती, और इसलिये उसे भी समुचित नहीं कहा जा सकता ।

(४) अब रही चौथी आपत्तिकी बात, जिसे प्रो० साहबने रत्नकरण्डके निम्न उपान्त्य पद्यपरसे कल्पित करके रक्खा है—

येन स्वयं वीतकलङ्क-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रत्नकरण्डभावं ।

नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिरित्रिषु विष्टपेषु ॥

इस पद्यमें ग्रन्थका उपसंहार करते हुए यह बतलाया गया है कि 'जिस (भव्यजीव) ने आत्माको निर्दोष-विद्या, निर्दोष-दृष्टि और निर्दोष-क्रियारूप रत्नोंके पिटारेके भावमें परिणत किया है—अपने आत्मामें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रय-धर्मका आविर्भाव किया है—उसे तीनों लोकोंमें सर्वार्थसिद्धि—धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोंकी सिद्धि—स्वयंवरा कन्याकी तरह स्वयं प्राप्त हो जाती है, अर्थात् उक्त सर्वार्थसिद्धि उसे स्वेच्छासे अपना पति बनाती है, जिससे वह चारों पुरुषार्थोंका स्वामी होता है और उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध हुए बिना नहीं रहता ।'

इस अर्थको स्वीकार करते हुए प्रो० साहबका जो कुछ विशेष कहना है वह यह है—

“यहाँ टीकाकार प्रभाचन्द्रके द्वारा बतलाये गये वाच्यार्थके अतिरिक्त श्लेषरूपसे यह अर्थ भी मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि “जिसने अपनेको अकलङ्क और विद्यानन्दके द्वारा प्रतिपादित निर्मल ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूपी रत्नोंकी पिटारी बना लिया है उसे तीनों स्थलोंपर सर्व अर्थोंकी सिद्धिरूप सर्वार्थसिद्धि स्वयं प्राप्त हो जाती है, जैसे इच्छामात्रसे पतिको अपनी पत्नी ।” यहाँ निःसन्दे-

हतः रत्नकरण्डकारने तत्त्वार्थसूत्रपर लिखी गई तीनों टीकाओंका उल्लेख किया है। सर्वार्थसिद्धि कहीं शब्दशः और कहीं अर्थतः अकलङ्कृत राजवार्तिक एवं विद्यानन्दिकृत श्लोकवार्तिकमें प्रायः पूरी ही ग्रथित है। अतः जिसने अकलङ्कृत और विद्यानन्दिकी रचनाओंको हृदयङ्गम कर लिया उसे सर्वार्थसिद्धि स्वयं आज्ञाती है। रत्नकरण्डके इस उल्लेखपरसे निर्विवादतः सिद्ध होजाता है कि यह रचना न केवल पूज्यपादसे पश्चात्कालीन है, किन्तु अकलङ्क और विद्यानन्दिसे भी पीछेकी है ❀ ।” ऐसी हालतमें रत्नकरण्डकारका आत्ममीमांसा-के कतारसे एकत्व सिद्ध नहीं होता ‡ ।’

यहाँ प्रो० साहब-द्वारा कल्पित इस श्लेषार्थके सुघटित होनेमें दो प्रबल बाधाएँ हैं—एक तो यह कि जब ‘वीतकलंक’ से अकलंकका और विद्यासे विद्यानन्दका अर्थ लेलिया गया तब ‘दृष्टि’ और ‘क्रिया’ दो ही रत्न शेष रह जाते हैं और वे भी अपने निर्मल-निर्दोष अथवा सम्यक् जैसे मौलिक विशेषणसे शून्य। ऐसी हालतमें श्लेषार्थके साथ जो “निर्मल ज्ञान” अर्थ भी जोड़ा गया है वह नहीं बन सकेगा और उसके न जोड़नेपर वह श्लेषार्थ ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ असङ्गत हो जायगा; क्योंकि ग्रन्थभरमें तृतीय पद्यसे प्रारम्भ करके इस पद्यके पूर्व तक सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप तीन रत्नोंका ही धर्मरूपसे वर्णन है, जिसका उपसंहार करते हुए ही इस उपान्त्य पद्यमें उनको अपनानेवालेके लिये सर्व अर्थकी सिद्धिरूप फलकी व्यवस्था की गई है, इसकी तरफ किसीका भी ध्यान नहीं गया। दूसरी बाधा यह है कि ‘त्रिषु विष्टपेषु’ पदोंका अर्थ जो “तीनों स्थलोंपर” किया गया है वह सङ्गत नहीं बैठता; क्योंकि अकलंकदेवका राज-वार्तिक और विद्यानन्दका श्लोकवार्तिक ग्रन्थ ये दो ही स्थल ऐसे हैं जहाँपर पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि (तत्त्वार्थवृत्ति) शब्दशः तथा अर्थतः पाई जाती है तीसरे स्थलकी बात मूलके किसी भी शब्दपरसे उसका आशय व्यक्त न करनेके कारण नहीं बनती। यह बाधा जब प्रो० साहबके सामने उपस्थित की गई और पूछा गया कि ‘त्रिषु विष्टपेषु’ का श्लेषार्थ जो ‘तीनों स्थलोंपर’ किया गया

❀ अनेकान्त वर्ष ७ किरण ५-६ पृ० ५३

‡ अनेकान्त वर्ष ८ किरण ३ पृ० १३२

है वे तीन स्थल कौनसे हैं जहाँपर सर्व अर्थकी सिद्धिरूप 'सर्वार्थसिद्धि' स्वयं प्राप्त हो जाती है ? तब प्रोफेसर साहब उत्तर देते हुए लिखते हैं—

“मेरा खयाल था कि वहाँ तो किसी नई कल्पनाकी आवश्यकता ही नहीं क्योंकि वहाँ उन्हीं तीन स्थलोंकी सङ्गति सुस्पष्ट है जो टीकाकारने बतला दिये हैं अर्थात् दर्शन, ज्ञान और चरित्र; क्योंकि वे तत्त्वार्थसूत्रके विषय होनेसे सर्वार्थ-सिद्धिमें तथा अकलङ्कदेव और विद्यानन्दकी टीकाओंमें विवेचित हैं और उनका ही प्ररूपण रत्नकरण्डकारने किया है † ।”

यह उत्तर कुछ भी संगत मालूम नहीं होता; क्योंकि टीकाकार प्रभाचन्द्रने ‘त्रिषु विष्टपेषु’ का स्पष्ट अर्थ ‘त्रिभुवनेषु’ पदके द्वारा ‘तीनों लोकमें’ दिया है। उसके स्वीकारकी घोषणा करते हुए और यह आश्वासन देते हुए भी कि उस विषयमें टीकाकारसे भिन्न “किसी नई कल्पनाकी आवश्यकता नहीं” टीकाकारका अर्थ न देकर ‘अर्थात्’ शब्दके साथ उसके अर्थकी निजी नई कल्पनाको लिये हुए अभिव्यक्ति करना और इस तरह ‘त्रिभुवनेषु’ पदका अर्थ “दर्शन, ज्ञान और चारित्र” बतलाना अर्थका अनर्थ करना अथवा खींचतानकी पराकाष्ठा है। इससे उत्तरकी संगति और भी बिगड़ जाती है; क्योंकि तब यह कहना नहीं बनता कि सर्वार्थसिद्धि आदि टीकाओंमें दर्शन ज्ञान और चारित्र विवेचित हैं—प्रतिपादित हैं; बल्कि यह कहना होगा कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रमें सर्वार्थ-सिद्धि आदि टीकाएँ विवेचित हैं—प्रतिपादित हैं, जो कि एक बिल्कुल ही उल्टी बात होगी। और इस तरह आधार-आधेय सम्बन्धादिकी सारी स्थिति बिगड़ जायगी; और तब श्लेषरूपमें यह भी फलित नहीं किया जा सकेगा कि अकलङ्क और विद्यानन्दकी टीकाएँ ऐसे कोई स्थल या स्थानविशेष हैं जहाँपर पूज्यपादकी टीका सर्वार्थसिद्धि स्वयं प्राप्त हो जाती है।

इन दोनों बाधाओंके सिवाय श्लेषकी यह कल्पना अप्रासंगिक भी जान पड़ती है; क्योंकि रत्नकरण्डके साथ उसका कोई मेल नहीं मिलता, रत्नकरण्ड तत्त्वार्थसूत्रकी कोई टीका भी नहीं जिससे किसी तरह खींचतान कर उसके साथ कुछ मेल बिठलाया जाता, वह तो आगमकी ख्यातिको प्राप्त एक स्वतन्त्र

मौलिक ग्रन्थ है, जिसे पूज्यपादादिकी उक्त टीकाओंका कोई आधार प्राप्त नहीं है और न हो सकता है। और इसलिये उसके साथ उक्त श्लेषका आयोजन एक प्रकारका असम्बद्ध प्रलाप ठहरता है अथवा यों कहिये कि 'विवाह तो किसीका और गीत किसीके' इस उक्तिको चरितार्थ करता है। यदि विना सम्बन्धविशेष-के केवल शब्दछलको लेकर ही श्लेषकी कल्पना अपने किसी प्रयोजनके वश की जाय और उसे उचित समझा जाय तब बहुत कुछ अनर्थोंके सङ्घटित होनेकी सम्भावना है। उदाहरणके लिये स्वामिसमन्तभद्र-प्रणीत 'जिनशतक' के उपान्त्य पद्य (नं० ११५) में भी 'प्रतिकृतिः सर्वार्थसिद्धिः परा' इस वाक्यके अन्तर्गत 'सर्वार्थसिद्धि' पदका प्रयोग पाया जाता है और ६१ वें पद्यमें तो 'प्राप्य सर्वार्थसिद्धिं गां' इस वाक्यके साथ उसका रूप और स्पष्ट होजाता है, उसके साथ-वाले 'गां' पदका अर्थ वाणी लगा लेनेसे वह वचनात्मिका 'सर्वार्थसिद्धि' होजाती है। इस 'सर्वार्थसिद्धि' का वाच्यार्थ यदि उक्त श्लेषार्थकी तरह पूज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि' लगाया जायगा तो स्वामी समन्तभद्रको भी पूज्यपादके बादका विद्वान् कहना होगा और तब पूज्यपादके 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य' इस व्याकरणसूत्रमें उल्लिखित समन्तभद्र चिन्ताके विषय बन जायेंगे तथा और भी शिलालेखों, प्रशस्तियों तथा पट्टावलियों आदिकी कितनी ही गड़बड़ उपस्थित हो जायगी। अतः सम्बन्धविषयको निर्धारित किये विना केवल शब्दोंके समानार्थ-को लेकर ही श्लेषार्थकी कल्पना व्यर्थ है।

इस तरह जब श्लेषार्थ ही सुघटित न होकर बाधित ठहरता है तब उसके आधारपर यह कहना कि "रत्नकरण्डके इस उल्लेखपरसे निर्विवादतः सिद्ध होजाता है कि वह रचना न केवल पूज्यपादके पश्चात्कालीन है, किन्तु अकलंक और विद्यानन्दिसे भी पीछे की है" कोरी कल्पनाके सिवाय और कुछ भी नहीं है। उसे किसी तरह भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता—रत्नकरण्डके 'अप्तोऽज्ञमनुल्लेखं' पद्यका न्यायावतारमें पाया जाना भी इसमें बाधक है। वह केवल उत्तरके लिये किया गया प्रयासमात्र है और इसीसे उसको प्रस्तुत करते हुए प्रो० साहबको अपने पूर्वकथनके विरोधका भी कुछ खयाल नहीं रहा; जसा कि मैं इससे पहले द्वितीयादि आपत्तियोंके विचारकी भूमिकामें प्रकट कर चुका हूँ।

यहांपर एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि प्रो० साहब श्लेषकी कल्पनाके बिना उक्त पद्यकी रचनाको अटपटी और अस्वाभाविक समझते हैं; परन्तु पद्यका जो अर्थ ऊपर दिया गया है और जो आचार्य प्रभाचन्द्र-सम्मत है उससे पद्यकी रचनामें कहीं भी कुछ अटपटापन या अस्वाभाविकता-का दर्शन नहीं होता है। वह बिना किसी श्लेषकल्पनाके ग्रन्थके पूर्वकथनके साथ भले प्रकार सम्बद्ध होता हुआ ठीक उसके उपसंहाररूपमें स्थित है। उसमें प्रयुक्त हुए विद्या, दृष्टि जैसे शब्द पहले भी ग्रन्थमें ज्ञान-दर्शन जैसे अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं, उनके अर्थमें प्रो० साहबको कोई विवाद भी नहीं है। हाँ, 'विद्या' से श्लेषरूपमें 'विद्यानन्द' अर्थ लेना यह उनकी निजी कल्पना है, जिसके समर्थनमें कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया, केवल नामका एक देश कहकर उसे मान्य कर लिया है ❀। तब प्रो० साहबकी दृष्टिमें पद्यकी रचनाका अटपटापन या अस्वाभाविकपन एकमात्र 'वीतकलंक' शब्दके साथ केन्द्रित ज्ञान पड़ता है, उसे ही सीधे वाच्य-वाचक-सम्बन्धका बोधक न समझकर आपने उदाहरणमें प्रस्तुत किया है। परन्तु सम्यक् शब्दके लिये अथवा उसके स्थान-पर 'वीतकलंक' शब्दका प्रयोग छन्द तथा स्पष्टार्थकी दृष्टिसे कुछ भी अटपटा, असंगत या अस्वाभाविक नहीं है; क्योंकि 'कलंक' का सुप्रसिद्ध अर्थ 'दोष' है † और उसके साथमें 'वीत' विशेषण विगत, मुक्त, त्यक्त, त्रिनष्ट अथवा

❀ जहाँतक मुझे मालूम है संस्कृत साहित्यमें श्लेषरूपसे नामका एकदेश ग्रहण करते हुए पुरुषके लिये उसका पुलिग अंश और स्त्रीके लिये स्त्रीलिङ्ग अंश ग्रहण किया जाता है; जैसे 'सत्यभामा' नामकी स्त्रीके लिये 'भामा' अंशका प्रयोग होता है न कि सत्य' अंशका। इसी तरह 'विद्यानन्द' नामका 'विद्या' अंश, जोकि स्त्रीलिङ्ग है, पुरुषके लिये व्यवहृत नहीं होता। चुनाँचे प्रो० साहबने श्लेषके उदाहरणरूपमें जो 'द्वैध स्वामिनममलं विद्यानन्दं प्रणम्य निजभक्त्या' नामका पद्य उद्धृत किया है उसमें विद्यानन्दका 'विद्या' नामसे उल्लेख न करके पूरा ही नाम दिया है। विद्यानन्दका 'विद्या' नामसे उल्लेखका दूसरा कोई भी उदाहरण देखनेमें नहीं आता।

† 'कलंकोडकं कालायसमले दोषापवादयोः।' विश्व० कोश। दोषके अर्थमें

रहित जैसे अर्थका वाचक है, जिसका प्रयोग समन्तभद्रके दूसरे ग्रन्थोंमें भी ऐसे स्थलोंपर पाया जाता है जहाँ श्लेषार्थका कोई काम नहीं; जैसे आसमीमाँसा के 'वीतरागः' तथा 'वीतमोहतः' पदोंमें, स्वयम्भूस्तोत्रके 'वीतघनः' तथा 'वीतरागे' पदोंमें, युक्त्यनुशासनके 'वीतविकल्पधीः' और जिनशतकके 'वीतचेत्त्रोविकाराभिः' पदमें । जिसमेंसे दोष या कलंक निकल गया अथवा जो उससे मुक्त है उसे वीतदोष, निर्दोष, निष्कलंक, अकलंक तथा वीतकलंक जैसे नामोंसे अभिहित किया जाता है, जो सब एक ही अर्थके वाचक पर्याय नाम हैं । वास्तवमें जो निर्दोष है वही सम्यक् (यथार्थ) कहे जानेके योग्य है—दोषोंसे युक्त अथवा पूर्णको सम्यक् नहीं कह सकते । रत्नकरण्डमें सत्, सम्यक्, समीचीन, शुद्ध और वीतकलंक इन पाँचों शब्दोंको एक ही अर्थमें प्रयुक्त किया है और वह है यथार्थता—निर्दोषता, जिसके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमें 'समञ्जस' शब्दका भी प्रयोग किया गया है । इनमें 'वीतकलंक' शब्द सबसे अधिक—शुद्ध से भी अधिक—स्पष्टार्थको लिये हुए है और वह अन्तमें स्थित हुआ अन्तदीपककी तरह पूर्वमें प्रयुक्त हुए 'सत्' आदि सभी शब्दोंकी अर्थदृष्टि पर प्रकाश डालता है, जिसकी जरूरत थी; क्योंकि 'सत्' सम्यक् जैसे शब्द प्रशंसादिके भी वाचक हैं । प्रशंसादि किस चीजमें है ? दोषोंके दूर होनेमें है । उसे भी 'वीतकलंक' शब्द व्यक्त कर रहा है । दर्शनमें दोष शंका-मूढतादिक, ज्ञानमें संशय-विपर्ययादिक और चारित्र्यमें राग-द्वेषादि होते हैं । इन दोषोंसे रहित जो दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य है, वे ही वीतकलंक अथवा निर्दोष दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हैं, उन्हीं रूप जो अपने आत्माको परिणत करता है उसे ही लोक-परलोकके सर्व अर्थोंकी सिद्धि प्राप्त होती है । यही उक्त उपान्त्य पद्यका फलितार्थ है, और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पद्यमें 'सम्यक्'के स्थानपर 'वीतकलंक' शब्दका प्रयोग बहुत सोच-समझकर गहरी दूरदृष्टिके साथ किया गया है । छन्दकी दृष्टिने भी वहाँ सत्, सम्यक् समीचीन, शुद्ध या समञ्जस जैसे

कलंक शब्दके प्रयोगका एक सुस्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है—

अपाकुर्वन्ति यद्वाचः काय-वाक् चित्त-सम्भवम् ।

कलंकमंगितां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते ॥—ज्ञानप्रणव

शब्दोंमेंसे किसीका प्रयोग नहीं बनता और इसलिये 'वीतकलंक' शब्दका प्रयोग श्लेषार्थके लिये अथवा द्राविडी प्राणायामके रूपमें नहीं है जैसा कि प्रोफेसर साहब समझते हैं। यह बिना किसी श्लेषार्थकी कल्पनाके ग्रन्थसन्दर्भके साथ सुसम्बद्ध और अपने स्थानपर सुप्रयुक्त है।

अब मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि ग्रन्थका अन्तःपरीक्षण करनेपर उसमें कितनी ही बातें ऐसी पाई जाती हैं जो उसकी अति प्राचीनताकी द्योतक हैं, उसके कितने ही उपदेशों-आचारों, विधि-विधानों अथवा क्रियाकाण्डोंकी तो परम्परा भी टीकाकार प्रभाचन्द्रके समयमें लुप्त-हुई-सी जान पड़ती है, इसीसे वे उनपर यथेष्ट प्रकाश नहीं डाल सके और न बादको ही किसीके द्वारा वह डाला जा सकता है; जैसे 'मूर्ध्वरुह-मुष्टि-वासो-बन्ध' और 'चतुरावर्तत्रितय' नामक पद्योंमें वर्णित आचारकी बात। अष्ट-मूलगुणोंमें पञ्च अणुव्रतोंका समावेश भी प्राचीन परम्पराका द्योतक है, जिसमें समन्तभद्रसे शताब्दियों बाद भारी परिवर्तन हुआ और उसके अणुव्रतोंका स्थान पञ्चउदम्बरफलोंने ले लिया *। एक चाण्डालपुत्रको 'देव' अर्थात् आराध्य बतलाने और एक गृहस्थको मुनिसे भी श्रेष्ठ बतलाने जैसे उदार उपदेश भी बहुत प्राचीनकालके सूचक हैं, जब कि देश और समाजका वातावरण काफी उदार और सत्यको ग्रहण करनेमें सक्षम था। परन्तु यहाँ उन सब बातोंके विचार एवं विवेचनका अवसर नहीं है—वे तो स्वतन्त्र लेखके विषय हैं, अथवा अवसर मिलनेपर 'समीचीन-धर्मशास्त्र' की प्रस्तावनामें उनपर यथेष्ट प्रकाश डाला जायगा। यहाँ मैं उदाहरणके तौरपर सिर्फ दो बातें ही निवेदन कर देना चाहता हूँ और वे इस प्रकार हैं—

(क) रत्नकरण्डमें सम्यग्दर्शनको तीन मूढताओंसे रहित बतलाया है और उन मूढताओंमें पाण्डिभूढताका भी समावेश करते हुए उसका जो स्वरूप दिया है

ॐ इस विषयको विशेषतः जाननेके लिये देखो लेखकका 'जैनाचार्योंका शासन भेद' नामक ग्रन्थ पृष्ठ ७ से १५। उसमें दिये हुए 'रत्नमाला' के प्रमाणपरसे यह भी जाना जाता है कि रत्नमालाकी रचना उसके बाद हुई है जबकि मूलगुणोंमें अणुव्रतोंके स्थानपर पञ्चोदम्बरकी कल्पना रूढ़ हो चुकी थी और इस लिये भी वह रत्नकरण्डसे शताब्दियों बादकी रचना है।

वह इस प्रकार है—

सग्रन्थाऽऽम्भ-हिंसानां संसाराऽऽवर्त-वर्तिनाम् ।

पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखण्डि-मोहनम् ॥२४॥

‘जो सग्रन्थ है—धन-धान्यादि परिग्रहसे युक्त है—आरम्भ सहित है—
कृषि-वाणिज्यादि सावद्यकर्म करते हैं—, हिंसामें रत हैं और संसारके आवर्तोंमें
प्रवृत्त हो रहे हैं—भवभ्रमणमें कारणीभूत विवाहादि कर्मोंद्वारा दुनियाके चक्कर
अथवा गोरखधन्धेमें फँसे हुए हैं, ऐसे पाखण्डियोंका—वस्तुतः पापके खण्डनमें
प्रवृत्त न होनेवाले लीगी साधुओंका जो (पाखण्डीके रूपमें अथवा साधु-गुरु
बुद्धिसे) आदर-सत्कार है उसे ‘पाखण्डिमूढ’ समझना चाहिए ।’

इसपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि रत्नकरण्ड ग्रन्थकी रचना उस समय
हुई है जबकि ‘पाखण्डी’ शब्द अपने मूल अर्थमें—‘पापं खण्डयतीति पाखण्डी’
इस नियुक्तिके अनुसार—पापका खण्डन करनेके लिए प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुओं-
के लिये आमतौरपर व्यवहृत होता था, चाहे वे साधु स्वमतके हों या परमतके
चुनांचे मूलचार (अ० ५) में ‘रत्तयडवरग तापस-परिहत्तादीयअणपासंडा’
वाक्यके द्वारा रक्तपटादिक साधुओंको अन्यमतके पाखण्डी बतलाया है, जिससे
साफ़ ध्वनित है कि तब स्वमत (जैनों) के तपस्वी साधु भी ‘पाखण्डी’ कह-
लाते थे । और इसका समर्थन कुन्दकुन्दाचार्यके समयसार ग्रन्थकी ‘पाखंडी-
लिङ्गाणि व गिहलिङ्गाणि व बहुपयारणि’ इत्यादि गाथा नं० ४०८ आदिसे
भी होता है, जिनमें पाखंडीलिंगको अनगार-साधुओं (निर्ग्रन्थादि मुनियों) का
लिंग बतलाया है । परन्तु ‘पाखण्डी’ शब्दके अर्थकी यह स्थिति आजसे कोई
दशों शताब्दियों पहलेसे बदल चुकी है । और तबसे यह ‘शब्द प्रायः धूर्त’
अथवा ‘दम्भी-कपटी’ जैसे विकृत अर्थमें व्यवहृत होता आरहा है । इस अर्थका
रत्नकरण्डके उक्त पद्यमें प्रयुक्त हुए ‘पाखण्डिन्’ शब्दके साथ कोई सम्बन्ध
नहीं है । यहाँ ‘पाखण्डी’ शब्दके प्रयोगको यदि धूर्त, दम्भी, कपटी अथवा
भूटे (मिथ्यादृष्टि) साधु जैसे अर्थमें लिया जाय, जैसा कि कुछ अनु-
वादकोंने भ्रमवश आधुनिक दृष्टिसे ले लिया है, तो अर्थका अनर्थ हो
जाय और ‘पाखण्डि-मोहनम्’ पदमें पड़ा हुआ ‘पाखण्डिन्’ शब्द अनर्थक
और असम्बद्ध ठहरे । क्योंकि इस पदका अर्थ है—‘पाखण्डियोंके

विषयमें मूढ होना' अर्थात् पाखण्डीके वास्तविक † स्वरूपको न समझकर अपाखण्डियों अथवा पाखण्डचाभासोंको पाखण्डी मान लेना और वैसा मानकर उनके साथ तद्रूप आदर-सत्कारका व्यवहार करना। इस पदका विन्यास ग्रन्थमें पहलेसे प्रयुक्त 'देवतामूढम्' पदके समान ही है, जिसका आशय है कि 'जो देवता नहीं हैं—रागद्वेषसे मलीन देवताभास हैं—उन्हें देवता समझना और वैसा समझकर उनकी उपासना करना। ऐसी हालतमें 'पाखण्डिन्' शब्दका अर्थ 'धूर्त' जैसा करनेपर इस पदका ऐसा अर्थ हो जाता है कि धूर्तोंके विषयमें मूढ होना अर्थात् जो धूर्त नहीं हैं उन्हें धूर्त समझना और वैसा समझकर उनके साथ आदर-सत्कारका व्यवहार करना' और यह अर्थ किसी तरह भी संगत नहीं कहा जा सकता। अतः रत्नकरण्डमें 'पाखण्डिन्' शब्द अपने मूल पुरातन अर्थमें ही व्यवहृत हुआ है, इसमें जरा भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है। इस अर्थकी विकृति विक्रम सं० ७३४ से पहले हो चुकी थी और वह धूर्त जैसे अर्थमें व्यवहृत होने लगा था इसका पता उक्त सबत् अथवा वीरनिर्वाण सं० १२०४ में बनकर समाप्त हुए श्रीर-विषेणाचार्य-कृत पद्मचरितके निम्न वाक्यसे चलता है—जिसमें भरत चक्र-वर्तीके प्रति यह कहा गया है कि जि। ब्राह्मणोंकी सृष्टि आपने की है वे वद्ध-मान जिनेन्द्रके निर्वाणके बाद कलियुगमें महाउद्धत 'पाखंडी' हो जायेंगे। और अगले पद्यमें उन्हें 'सदा पापक्रियोद्यताः' विशेषण भी दिया गया है—

वद्ध-मान-जिनस्याऽन्ते भविष्यन्ति कलौ युगे ।

ते ये भवता मृष्टाः पाखण्डिनो महोद्धताः ॥४-११६॥

ऐसी हालतमें रत्नकरण्डकी रचना उन विद्यानन्द आचार्यके बादकी नहीं हो सकती जिनका समय प्रो० साहबने ई० सन् ८१६ (वि० संवत् ८७३) के लग-भग बतलाया है।

† पाखण्डीका वास्तविक स्वरूप वही है जिसे ग्रन्थकार महोदयने 'तपस्वी' के निम्न लक्षणमें समाविष्ट किया है। ऐसे ही तपस्वी साधु पापोंका खण्डन करनेमें समर्थ होते हैंः—

विषयाशा-वशास्तीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥

(ख) रत्नकरण्डमें एक पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

गृहतो मुनिवनमित्वा गुरुपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य ।

भैक्ष्याऽशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टचेल-खण्ड-धरः ॥१४॥

इसमें, ११ वीं प्रतिमा (कक्षा) स्थित उत्कृष्ट श्रावकका स्वरूप बतलाते हुए, घरसे 'मुनिवन' को जाकर गुरुके निकट व्रतोंको ग्रहण करनेकी जो बात कही गई है उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि यह ग्रन्थ उस समय बना है जब कि जैन मुनिजन आमतौरपर वनोंमें रहा करते थे—वनोंमें ही यत्याश्रः प्रतिष्ठित थे—और वहीं जाकर गुरु (आचार्य) के पास उत्कृष्ट श्रावकपदकी दीक्षा ली जाती थी । और यह स्थिति उस समयकी है जबकि चैत्यवास-मन्दिर-मठोंमें मुनियोंका आमतौर पर निवास—प्रारम्भ नहीं हुआ था । चैत्यवास विक्रम-की ४थी-५वीं शताब्दीमें प्रतिष्ठित हो चुका था—यद्यपि उसका प्रारम्भ उससे भी कुछ पहले हुआ था—ऐसा तद्विषयक इतिहाससे जाना जाता है । पं० नाथूराम-जी प्रेमीके 'वनवासी और चैत्यवासी सम्प्रदाय' नामक निबन्धसे भी इस विषय-पर कितना ही प्रकाश पड़ता है * और इस लिये भी रत्नकरण्डकी रचना विद्यानन्द आचार्यके बादकी नहीं हो सकती और न उस रत्नमालाकारके सम-सामयिक अथवा उसके गुरुकी कृति हो सकती है जो स्पष्ट शब्दोंमें जैन मुनियोंके लिये वनवासका निषेध कर रहा है—उसे उत्तम मुनियोंके द्वारा वर्जित बतला रहा है—और चैत्यवासका खुला पोषण कर रहा है † वह तो उन्हीं स्वामी समन्तभद्रकी कृति होनी चाहिए जो प्रसिद्ध वनवासी थे, जिन्हें प्रोफेसर साहबने श्वेताम्बर पट्टावलियोंके आधारपर 'वनवासी' गच्छ अथवा सङ्घके प्रस्थापक 'सामन्तभद्र' लिखा है जिनका श्वेताम्बर-मान्य समय भी दिगम्बर-मान्य समय (विक्रमकी दूसरी शताब्दी) के अनुकूल है और जिनका आत्ममीमांसाकारके साथ एकत्व माननेमें प्रो० सा० को कोई आपत्ति भी नहीं है ।

रत्नकरण्डके इन सब उल्लेखोंकी रोशनीमें प्रो० साहबकी चौथी आपत्ति

* जैन साहित्य और इतिहास पृ० ३४७ से ३६६

† कलौ काले वने वासो वज्यते मुनिसत्तमैः ।

स्थापितं च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥२२॥—रत्नमाला

और भी निःसार एवं निस्तेज हो जाती है और उनके द्वारा ग्रन्थके उपान्त्य पद्यमें की गई श्लेषार्थकी उक्त कल्पना बिल्कुल ही निर्मूल ठहरनी है—उसका कहींसे भी कोई समर्थन नहीं होता । रत्नकरण्डके समयको जाने-अनजाने रत्न-मालाके रचनाकाल (विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके उत्तरार्ध या उसके भी बाद) के समीप लानेका आग्रह करनेपर यशस्तिलकके अन्तर्गत सोमदेवसूरिका ४६ कल्पोंमें वर्णित उपासकाध्ययन (वि० सं० १०१६) और श्रीचामुण्डरायका चारित्रसार (वि० सं० १०३५ के लगभग) दोनों रत्नकरण्डके पूर्ववर्ती ठहरेंगे, जिन्हें किसी तरह भी रत्नकरण्डके पूर्ववर्ती सिद्ध नहीं किया जा सकता; क्योंकि दोनों रत्नकरण्डके कितने ही शब्दादिके अनुसरणको लिये हुए हैं—चारित्रसारमें तो रत्नकरण्डका 'सम्यग्दर्शनशुद्धाः' नामका एक पूरा पद्य भी 'उक्तं च' रूपसे उद्धृत है । और तब प्रो० साहवका यह कथन भी कि 'श्रावकाचार-विषयका सबसे प्रधान और प्राचीन ग्रन्थ स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्डश्रावकाचार है' उनके विरुद्ध जायगा, जिसे उन्होंने धवलाकी चतुर्थ पुस्तक (क्षेत्रस्पर्शन अनु०)की प्रस्तावनामें व्यक्त किया है और जिसका उन्हें उत्तरके चक्रमें पड़कर कुछ ध्यान रहा मालूम नहीं होता और वे यहाँ तक लिख गये हैं कि "रत्नकरण्डकी रचनाका समय इस (विद्यानन्दसमय वि० सं० ८७३) के पश्चात् और बादिराजके समय अर्थात् शक सं० ६४७ (वि० सं० १०८२) से पूर्व सिद्ध होता है । इस समयावधिके प्रकाशमें रत्नकरण्डश्रावकाचार और रत्नमालाका रचनाकाल समीप आजाते हैं और उनके बीच शताब्दियोंका अन्तराल नहीं रहता ‡ ।"

इस तरह गम्भीर गवेषण और उदार पर्यालोचनके साथ विचार करनेपर प्रो० साहवकी चारों दलीलें अथवा आपत्तियोंमेंसे एक भी इस योग्य नहीं ठहरती जो रत्नकरण्डश्रावकाचार और आत्ममीमांसाका भिन्नकर्तृत्व सिद्ध करने अथवा दोनोंके एककर्तृत्वमें कोई बाधा उत्पन्न करनेमें समर्थ हो सके और इसलिये बाधक प्रमाणोंके अभाव एवं साधक प्रमाणोंके सङ्कावमें यह कहना न्याय-प्राप्त है कि रत्नकरण्डश्रावकाचार उन्होंने समन्तभद्र आचार्यकी कृति है जो आत्ममीमांसा (देवागम)के रचयिता है । और यही मेरा निर्णय है ।

भगवती आराधना

यह सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक् तत्परूप चार आराधनाओं पर, जो मुक्तिको प्राप्त करानेवाली हैं, एक बड़ा ही अधिकारपूर्ण प्राचीन ग्रन्थ है, जैनसमाजमें सर्वत्र प्रसिद्ध है और प्रायः मुनिधर्मसे सम्बन्ध रखता है। जैनधर्ममें समाधिपूर्वक मरणकी सर्वोपरि विशेषता है—मुनि हो या श्रावक सबका लक्ष्य उसकी ओर रहता है, नित्यकी प्रार्थनाओं उसके लिये भावना की जाती है और उसकी सफलतापर जीवनकी सफलतातथा सुन्दर भविष्यकी आशा निर्भर रहती है। इस ग्रन्थपरसे समाधिपूर्वक मरणकी पर्याप्त शिक्षा-सामग्री तथा व्यवस्था मिलती है—सारा ग्रंथ मरणके भेद-प्रभेदों और तत्सम्बन्धी शिक्षाओं तथा व्यवस्थाओंसे भरा हुआ है। इसमें मरणके मुख्य पाँच भेद किये हैं—१ पंडितपंडित, २ पंडित, ३ बालपंडित, ४ बाल और ५ बाल-बाल। इनमें पहले तीन प्रशस्त और शेष अप्रशस्त हैं। बाल-बालमरण मिथ्यादृष्टि जीवोंका, बालमरण अविरत-सम्यग्दृष्टियोंका, बालपंडितमरण विरताऽविरत (देशव्रती)श्रावकोंका, पंडितमरण सकलसंयमी साधुओंका और पंडित पण्डितमरण क्षीणकषाय केवलियोंका होता है। साथ ही, पंडितमरणके १ भक्तप्रत्याख्यान, २ इङ्गिनी और ३ प्रायोपगमन ऐसे तीन भेद करके भक्तप्रत्याख्यानके सविचार-भक्त-प्रत्याख्यान और अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान ऐसे दो भेद किये हैं और फिर सविचारभक्तप्रत्याख्यानका 'अर्ह' आदि चालीस अधिकारोंमें विस्तारके साथ वर्णन दिया है। तदनन्तर अविचार-भक्तप्रत्याख्यान, इङ्गिनी, प्रायोपगमनमरण बालपंडितमरण और पंडित पंडितमरणका संक्षेपतः निरूपण किया है। इस विषयके इनने अधिक विस्तृत और व्यवस्थित विवेचनको लिए हुए दूसरा कोई भी

ग्रंथ जैनसमाजमें उपलब्ध नहीं है । अपने विषयका असाधारण मूलग्रंथ होनेसे जैनसमाजमें यह खूब ख्यातिको प्राप्त हुआ है । इसकी गाथासंख्या सब मिलाकर २१७० है, जिनमें ५ गाथाएँ 'उक्तैच' आदि रूपसे दी हुई हैं ।

भगवती आराधनाके कर्ता शिवार्य अथवा शिवकोटि नामके आचार्य हैं, जिन्होंने ग्रन्थके अन्तमें आर्यजिननन्दिगणी सर्वगुप्तगणी और आर्यमित्रनन्दिका अपने विद्या अथवा शिक्षा-गुरुके रूपमें इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि उनके पादमूलमें बैठकर 'सम्म' सूत्र और उसके अर्थकी अथवा सूत्र और अर्थकी भले प्रकार जानकारी प्राप्त कीगई और पूर्वाचार्य अथवा आचार्योंके द्वारा निबद्ध हुई आराधनाओंका उपयोग करके यह आराधना स्वशक्तिके अनुसार रची गई है । साथ ही, अपनेको 'पाणि-दल-भोजी' (करपात्र-आहारी) लिखकर श्वेताम्बर सम्प्रदायसे भिन्न दिगम्बर सम्प्रदायका आचार्य सूचित किया है । इसके सिवाय, उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि छद्मस्थता (ज्ञानकी अपूर्णता) के कारण मुझसे कहीं कुछ प्रवचन (आगम) के विरुद्ध निबद्ध हो गया हो तो उसे सुगीतार्थ (आगमज्ञानमें निपुण) साधु प्रवचनवत्सलताकी दृष्टिसे शुद्ध कर लेवें । और यह भावना भी की है कि भक्तिसे वर्णन की हुई यह भगवती आराधना संघको तथा (मुझ) शिवार्यको उत्तम समाधि-वर प्रदान करे—इसके प्रसादसे मेरा तथा संघके सभी प्राणियोंका समाधिपूर्वक मरण होवे॥

इस ग्रंथपर संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी आदिकी कितनी ही टीका-टिप्प-

* अज्जजिणारणदिगणि-सव्वगुत्तगणि-अज्जमित्तारणदीरण ।

अवगमिय पादमूने सम्मं सुत्तं च अत्थं च ॥ २१६५ ॥

पुब्बायरियणिवद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए ।

आराहणा सिवज्जेणा पाणिदलभोइणा रइदा ॥ २१६६ ॥

छदुमत्थदाए एत्थ दु जं बद्धं होज्ज पवयणा-विरुद्धं ।

सोधंतु सुगीदत्था पवयणा- वच्छलदाए दु ॥ २१६७ ॥

आराहणा भगवदी एवं भत्तीए वणिणा दा संती ।

संघस्स सिवज्जस्स य समाहिवरमुत्तमं देउ ॥ २१६८ ॥

गियाँ लिखी गई हैं अनुवाद भी हुए हैं और वे सब ग्रंथकी ख्याति, उपयोगिता, प्रचार और महत्ताके द्योतक हैं। प्राकृतकी टीका-टिप्पणियाँ यद्यपि आज उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु संस्कृत टीकाओंमें उनके स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। और वे ग्रंथकी प्राचीनताको सविशेषरूपसे सूचित करते हैं। जयनन्दी और श्रीचन्द्रके दो टिप्पण और एक अज्ञातनाम विद्वानका पद्यानुवाद भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, जिनका पं० आशाधरकी टीकामें उल्लेख है। और भी कुछ टीका-टिप्पणियाँ अनुपलब्ध हैं। उपलब्ध टीकाओंमें संभवतः विक्रमकी ८ वीं शताब्दीके विद्वान आचार्य अपराजितसूरिकी 'विजयोदया' टीका, १३वीं शताब्दीके विद्वान् पं० आशाधरकी 'मूलाराधनादर्पण' नामकी टीका और ११ वीं शताब्दीके विद्वान् अमितगतिकी पद्यानुवादरूपमें 'संस्कृत आराधना' ये तीनों कृतियाँ एक साथ नई हिन्दी टीका-सहित मुद्रित हो चुकी हैं। पं० सदासुखजीकी हिन्दी टीका इनसे भी पहले मुद्रित हुई है। और 'आराधनापञ्जिका' तथा शिवजीलालकृत 'भावार्थदीपिका' टीका दोनों पूना के भण्डारकर प्राच्य-विद्या-संशोधक-मंदिरमें पाई जाती हैं, ऐसा पं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने लेखोंमें सूचित किया है।



भ० आराधनाकी दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ

‘भगवती आराधना और उसकी टीकाएँ’ नामका एक विस्तृत लेख ‘अनेकान्त’ के प्रथम वर्षकी किरण ३, ४ में प्रकाशित हुआ था। उसमें सुहृद्दर पं० नाथूरामजी प्रेमीने शिवाचार्य-प्रणीत ‘भगवती आराधना’ नामक महान् ग्रन्थकी चार संस्कृत टीकाओंका परिचय दिया था—१ अपराजितसूरिकी ‘विजयोदया’ २ पं० आशाधरकी ‘मूलाराधना-दर्पण’, ३ अज्ञातकर्तृका ‘आराधनापंजिका’ और ४ पं० शिवजीलालकी ‘भावार्थ-दीपिका’ टीका। पं० सदा-सुखजीकी भाषावचनिकाके अतिरिक्त उस वक्त तक इन्हीं चार टीकाओंका पता चला था। हालमें मूलाराधना-दर्पणको देखते हुए मुझे इस ग्रन्थकी कुछ दूसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियोंका भी पता चला है और यह मालूम हुआ है कि इस ग्रन्थ पर दो संस्कृत टिप्पणोंके अतिरिक्त प्राकृत भाषाकी भी एक टीका थी, जिसके होनेकी बहुत बड़ी सम्भावना थी; क्योंकि मूलग्रन्थ अधिक प्राचीन है। साथ ही, यह भी स्पष्ट हो गया कि अपराजितसूरिकी टीकाका नाम ‘विजयोदया’ ही है जैसा कि मैंने अपने सम्पादकीय नोटमें ❀ सूचित किया था ‘विनयोदया’ नहीं, जिसके होनेपर प्रेमीजीने जोर दिया था।

एक विशेष बात और भी ज्ञात हुई है और वह यह कि अपराजितसूरिका दूसरा नाम ‘विजय’ अथवा ‘श्रीविजय’ था। पं० आशाधरजीने जगह-जगह उन्हें ‘श्रीविजयाचार्य’ के नामसे उल्लेखित किया है और प्रायः इसी नामके साथ उनकी उक्त संस्कृत टीकाके वाक्योंको मतभेदादिके प्रदर्शनरूपमें उद्धृत किया है अथवा किसी गायत्रीकी अमान्यतादि-विषयमें उनके इस नामको पेश किया है।

और इसलिये टीकाकारने टीकाको अपने नामाङ्कित किया है, यह बात स्पष्ट होजाती है। स्वयं 'विजयोदया' के एक स्थल परसे यह भी जान पड़ता है कि अपराजितसूरिने दशवैकालिक सूत्रपर भी कोई टीका लिखी है और उसका भी नाम अपने नामानुकूल 'विजयोदया' दिया है। यथा:—

“दशवैकालिकटीकायां श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्यते ।” —‘उगमउप्पायणादि’ गाथा नं० ११६७

अर्थात्—दशवैकालिककी ‘श्रीविजयोदया’ नामकी टीकामें उद्गमादि दोषोंका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है, इसीसे यहां पर उनका विस्तृत कथन नहीं किया जाता।

हाँ, मूलाराधना-दर्पण परसे यह मालूम नहीं हो सका कि प्राकृतटीकाके रचयिता कौन आचार्य हुए हैं—पं० आशाधरजीने उनका नाम साथमें नहीं दिया। शायद एक ही प्राकृतटीका होनेके कारण उसके रचयिताका नाम देनेकी जरूरत न समझी गई हो। परन्तु कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि पं० आशाधरजीने प्राकृतटीकाके रचयिताके विषयमें अपने पाठकोंको अंधेरेमें रखला है। दोनों टिप्पणियोंके कर्ताओंका नाम उन्होंने फ़रार दिया है, जिनमेंसे एक है ‘जयनन्दी’ और दूसरे ‘श्रीचन्द्र’। श्रीचन्द्राचार्यके दूसरे टिप्पण प्रसिद्ध हैं—एक पुष्पदन्तकविके प्राकृत उत्तरपुराणका टिप्पण है और दूसरा रविषेणके पञ्चचरितका। पहला टिप्पण वि० सं० १०८० में और दूसरा वि० सं० १०८७ में बनकर समाप्त हुआ है। भगवती आराधनाका टिप्पण भी संभवतः

† “श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसहस्रे महापुराण-विषम पदविवरणं सागरसेनसैद्धन्तात्परिज्ञाय मूलटिप्पणं चालोक्य कृतमिदं समुच्चय-टिप्पणं अज्ञपातभीतेन श्रीमद्वलात्कारगणश्रीनन्दाचार्य-सत्कविशिष्येण श्रीचन्द्र-मुनिना, निजदोर्दंडाभिभूतरिपुराज्यविजयिनः श्रीभोजदेवस्य (राज्ये) ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणटिप्पणकम्” ।

“बलात्कारगण-श्रीश्रीनन्दाचार्यसत्कविशिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना, श्रीमद्विक्रमादित्यसंवत्सरे सप्ताशीत्यधिकवर्षसहस्रे श्रीमद्वारायां श्रीमतो राज्येभोजदेवस्य पञ्चचरिते । इति पञ्चचरिते १२३..... ।”

इन्हीं श्रीचन्द्रका जान पड़ता है, जिसके गुरुका नाम श्रीनन्दी था और जिन्होंने वि० सं० १८७० में 'पुराणसार' नामका ग्रन्थ भी लिखा है* ।

जयनन्दी नामके यों तो अनेक मुनि हो गये हैं; परन्तु पं० आशाधरजीसे जो पहले हुए हैं ऐसे एक ही जयनन्दी मुनिका पता मुझे अभी तक चला है, जो कि कनडी भाषाके प्रधान कवि आदिपम्पसे भी पहले होगये हैं; क्योंकि आदिपम्पने अपने 'आदिपुराण' और 'भारतचम्पू' में, जिसका रचनाकाल शक सं० ८६३ (वि० सं० १६६८) है, उनका स्मरण किया है । बहुत सम्भव है कि ये ही 'जयनन्दी' मुनि भगवती आराधनाके टिप्पणकार हों । यदि ऐसा हो तो इनका समय वि० की १० वीं शताब्दीके करीबका जान पड़ता है; क्योंकि आदिपुराणमें बहुतसे आचार्योंके स्मरणानन्तर इनका जिसप्रकारसे स्मरण किया गया है उसपरसे ये आदिपम्पके प्रायः समकालीन अथवा थोड़े ही पूर्ववर्ती जान पड़ते हैं । अस्तु, विद्वानोंको विशेष खोज करके इसविषयमें अपना निश्चितमत प्रकट करना चाहिये । जरूरत है प्राकृतटीका और दोनों टिप्पणोंको शास्त्रभण्डारोंकी कालकोठरियोंसे खोजकर प्रकाशमें लाने की । ये सब ग्रन्थ पं० आशाधरजीके अस्तित्वकाल १३वीं-१४वीं शताब्दीमें मौजूद थे और इसलिये पुराने भण्डारोंकी खोज द्वारा इनका पता लगाया जा सकता है । देखते हैं, कौन सज्जन इन लुप्तप्राय ग्रन्थोंकी खोजका श्रेय और यश प्राप्त करते हैं ।

अब मैं मूलाराधना दर्पणके उन वाक्योंमेंसे कुछको नीचे उद्धृत कर देना चाहता हूँ जिन परसे उक्त टीका-टिप्पण आदि बातोंका पता चलता है:—

टीका-टिप्पणके उल्लेख—

(१) 'षट्त्रिंशद्गुणा यथा—अष्टौ ज्ञानाचारा अष्टौ दर्शनाचारा-श्च तपो द्वादश विधं पञ्च समितयस्तिष्ठो गुप्तरचेति संस्कृतटीकायां,

* धारायां पुरि भोजदेवनृपते राज्ये जयात्युच्चकैः

श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्ज्ञात्वा पुराणं महत् ।

मुक्त्यर्थं भवभीतिभीतजगतां श्रीनन्दिशिष्यो बुधो

कुर्वे चारुपुराणसारममलं श्रीचन्द्रनामा मुनिः ॥१॥

श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे सप्तत्यधिकवर्षसहस्रे पुराणसाराभिधानं समाप्तम् ।

प्राकृतटीकायां तु अष्टाविंशतिमूलगुणाः अचारवत्वादयश्चाष्टौ इति षट्त्रिंशत् । यदि वा दश आलोचनागुणा दश प्रायश्चित्तगुणा दशस्थितिकल्पाः षड्जीतगुणाश्चेति षट्त्रिंशत् । “—आयारवामादीयांगाथा० नं० ५२६

(२) “कमिरागकंबलस्सव (गा० ५६७) कृमिमुक्ताहारवर्णतंतुभिरुतः कंबलः कृमिरागकंबलस्तस्येति संस्कृतटीकायां व्याख्यानं । टिप्पणके तु कृमिराग्यत्तरक्ताहाररंजिततंतुनिष्पादितकंबलस्येति(?) । प्राकृतटीकायां पुनरिदमुक्तं उत्तरापथे चर्मरंगम्लेच्छविषये म्लेच्छा जलौकाभिर्मानुषरुधिरं गृहीत्वा भंडकेषु स्थापयन्ति । ततस्तेन रुधिरेण कतिपयदिवसोत्पन्नविपन्नकृमिकेणोर्णासूत्रं रंजयित्वा कंबलं वयन्ति । सोऽयं कृमिरागकंबलं इत्युच्यते । स चातीवरुधिरवर्णो भवति । तस्य हि वह्निना दग्धस्यापि स कृमिरागो नापगच्छतीति ।”

(३) “कूरं भक्तं । श्रीचन्द्रटिप्पणके त्वेवमुक्तं । अत्र कथयार्थप्रतिपत्तिर्यथा—चन्द्रनामा सूपकारः (इत्यादि) ।” —मयतण्हादो० गा० ५८६

(४) “एवं सति द्वादशसूत्री तेन (संस्कृतटीकाकारेण) नेष्टो ज्ञायते । अस्माभिस्तु प्राकृतटीकाकारादिमतेनैव व्याख्यायते ।”

चमरीबालं०, छगलंमुत्तं० गा० नं० १०५१-१०५२

(५) कम्मेट्यादि (गा० नं० १६६६) अत्र स कर्ममलः मिथ्यात्वादिस्तोककर्माणि । सिद्धिं सर्वार्थसिद्धिमिति जयनन्दि-टिप्पणे व्याख्या । प्राकृतटीकायां तु कम्ममलविप्पमुक्को कम्ममलेण मेल्लिदो । सिद्धिणिट्वाणं ।” —कम्ममलविप्पमुक्को सिद्धि० गा० १६६६

(६) “सम्मि समभूमिदेशस्थिते वाण वानोद्धव इति जयनन्दी । अन्ये तु वाणविंतरओ इत्यनेन व्यंतरमात्रमाहुः ।”

—वेमाणिओ थलगदो० गाथा नं० २०००

अपराजितसूरि और श्रीविजयकी एकताके उल्लेख—

(७) श्रीविजयाचार्यस्तु मिथ्यात्वसेवामतिचारं नेच्छति । तथा च

तद्ग्रन्थो—“मिथ्यात्वमश्रद्धानं तत्सेवायां मिथ्यादृष्टिरेवासाविति नाति-
चारिता” इति ।

—सम्मत्तादीचारांगा०४४

(८) “एतां (एवमस्मिन् जं पुढवं० गा० ५६५) श्रीविजयो नेच्छति ।”

(६) एते (सल्लेहणाए० ६८१, एगस्मि भवग्गहणे० ६८२) श्रीविज-
याचार्यो नेच्छति ।”

(१०) “श्रीविजयाचार्योऽत्र आणापायविवागविचयोनामधर्मध्यानं
‘आणापायं’ इत्यस्मिन्पाठे त्वपायविचयो नामेति व्याख्यत ।”

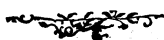
—कल्लाणपावगाणा० गा० १७१२

(११) “श्रीविजयस्तु ‘दिस्सदि दंता व उवरोति’ पाठं मन्यमानो
ज्ञायते ।”

—जदि तस्स उत्तमंगं० गा० १६६६

उपर्युक्त उल्लेखोंमें विजयाचार्यके नामसे जिन वाक्योंका अथवा विशेष-
ताओंका कथन किया गया है वे सब अपराजितसूरिकी उक्त टीकामें उ्योंकी
त्यों पाई जाती हैं । जिन गाथाओंको अपराजितसूरि (श्रीविजय) ने न मानकर
उनकी टीका नहीं दी है उनके विषयमें प्रायः इस प्रकार के वाक्य दिये हैं—
“अत्रेयं गाथा सूत्रेऽनुश्रूयते”, अत्रेमे गाथे सूत्रेऽनुश्रूयते ।” ऐसी
हालतमें श्रीविजय और अपराजितसूरिकी एकतामें कोई सन्देह नहीं रहता ।

आशा है साहित्य-प्रेमी और जिनवाणीके भक्त महाशय शीघ्र ही उक्त
प्राकृतटीका और दोनों टिप्पणोंको अपने अपने यहाँके शास्त्र-भण्डारोंमें खोजने-
का पूरा प्रयत्न करेंगे । जो भाई खोजकर इन ग्रन्थोंको देखनेके लिये मेरे पास
भेजेंगे उनका मैं बहुत अभारी हूँगा और उन ग्रन्थों परसे और नई नई तथा
निश्चित बातें खोज करके उनके सामने रखूँगा । अपने पुरातन साहित्यकी
रक्षा पर सबको ध्यान देना चाहिये । यह इस समय बहुत ही बड़ा पुण्य कार्य
है । ग्रन्थोंके नष्ट होजाने पर किसी मूल्य पर भी उनकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी
और फिर सिवाय पछतानेके और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहेगा । अतः समय रहते
सबको चेत जाना चाहिये ।



कार्तिकेयानुप्रेक्षा और स्वामिकुमार

यह अनुप्रेक्षा अध्रुवादि बारह भावनाओंपर, जिन्हें भव्यजनोंके लिये आनन्दकी जननी लिखा है (गा० १), एक बड़ा ही सुन्दर, सरल तथा मार्मिक ग्रंथ है और ४८६ गाथासंख्याको लिये हुए है। इसके उपदेश बड़े ही हृदय-ग्राही हैं, उक्तियाँ अन्तस्तलको स्पर्श करती हैं और इसीसे यह जैन समाजमें सर्वत्र प्रचलित है तथा बड़े ही आदर एवं प्रेमकी दृष्टिसे देखा जाता है।

इसके कर्ता ग्रंथकी निम्न गाथा तं० ४८७ के अनुसार 'स्वामिकुमार' हैं, जिन्होंने जिनवचनकी भावनाके लिये और चंचल मनको रोकनेके लिये परमश्रद्धाके साथ इन भावनाओंकी रचना की है:—

जिण-वयण-भावणट्ठं सामिकुमारेण परमसद्धाए ।

रइया अणुपेक्खाओ चंचलमण-रुंभणट्ठं च ॥

'कुमार' शब्द पुत्र, बालक, राजकुमार, युवराज, अविवाहित, ब्रह्मचारी आदि अर्थोंके साथ 'कार्तिकेय' अर्थमें भी प्रयुक्त होता है, जिसका एक आशय कृतिकाका पुत्र है और दूसरा आशय हिन्दुओंका वह षडानन देवता है जो शिवजीके उस वीर्यसे उत्पन्न हुआ था जो पहले अग्निदेवताको प्राप्त हुआ, अग्निसे गंगामें स्नान करती हुई छह कृतिकाओंके शरीरमें प्रविष्ट हुआ, जिससे उन्होंने एक एक पुत्र प्रसव किया और वे छहों पुत्र बादको विचित्र रूपमें मिलकर एक पुत्र कार्तिकेय हो गए, जिसके छह मुख और १२ भुजाएँ तथा १२ नेत्र बतलाये जाते हैं। और जो इसीसे शिवपुत्र, अग्निपुत्र, गंगापुत्र तथा कृतिका आदिका पुत्र कहा जाता है। कुमारके इस कार्तिकेय अर्थको लेकर ही यह ग्रन्थ स्वामिकार्तिकेय-कृत कहा

जाता है तथा कार्तिकेयानुप्रेक्षा जैसे नामोंसे इसकी सर्वत्र प्रसिद्धि है। परन्तु ग्रंथ-भरमें कहीं भी ग्रंथकारका नाम कार्तिकेय नहीं दिया और न ग्रंथको कार्तिकेयानुप्रेक्षा अथवा स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा जैसे नामसे उल्लेखित ही किया है; प्रत्युत इसके, प्रतिज्ञा और समाप्ति-वाक्योंमें ग्रन्थका नाम सामान्यतः 'अणुपेक्षा' या 'अणुपेक्षा' (अनुप्रेक्षा) और विशेषतः 'बारसअणुपेक्षा' दिया है ‡। कुन्दकुन्द-के इस विषयके ग्रन्थका नाम भी 'बारस अणुपेक्षा' है। तब 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' यह नाम किसने और कब दिया, यह अनुसन्धानका विषय है। ग्रंथपर एकमात्र संस्कृत टीका जो उपलब्ध है वह भट्टारक शुभचन्द्रकी है और विक्रम-संवत् १६१३ में बनकर समाप्त हुई है। इस टीकामें अनेक स्थानों पर ग्रन्थका नाम 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' दिया है और ग्रन्थवारका नाम 'कार्तिकेय' मुनि प्रकट किया है तथा कुमारका अर्थ भी 'कार्तिकेय' बतलाया है *। इससे संभव है कि शुभचन्द्र भट्टारकके द्वारा ही यह नामकरण किया गया हो—टीकासे पूर्वके उपलब्ध साहित्यमें ग्रन्थकाररूपमें इस नामकी उपलब्धि भी नहीं होती।

'कोहेण जो ण तप्पदि' इत्यादि गाथा नं० ३६४ की टीकामें निर्मल क्षमाको उदाहृत करते हुए घोर उपसर्गोंको सहन करनेवाले सन्तजनोंके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें एक उदाहरण कार्तिकेयमुनिका भी निम्न प्रकार है—

‡ वोच्छं अणुपेक्षाओ (गा० १); बारसअणुपेक्षाओ भणिया हु जिणागमाणु-सारेण (गा० ४८८)।

* यथा:—(१) कार्तिकेयानुप्रेक्षायाष्टीकां वक्ष्ये शुभश्रिये । (आदिमंगल)

(२) कार्तिकेयानुप्रेक्षाया वृत्तिविरचितावरा (प्रशस्ति ८)

(३) स्वामिकार्तिकेयो मुनीन्द्रो अनुप्रेक्षा व्याख्यातुकामः मलगा-लन-मंगलावाप्ति-लक्षण-[मंगल] माचष्टे । (गा० १)

(४) केन रचितः स्वामिकुमारेण भव्यवर-पुण्डरीक-श्रीस्वामि कार्तिकेयमुनिना आजन्मशीलधारिणा अनुप्रेक्षाः रचिताः । (गा० ४८७)

(५) अहं श्रीकार्तिकेयसाधुः संस्तुवे (४८९) (देहली नयामन्दिर-प्रति, वि० संवत् १८०६)

“स्वामिकार्तिकेयमुनि-क्रौंचराज-कृतोपसर्ग सोढ्वा साम्यपरिणा-
मेन समाधिमरणेन देवलोकं प्राप्यः (प्तः?) ।”

इसमें लिखा है कि ‘स्वामीकार्तिकेय मुनि क्रौंचराजकृत उपसर्गको समभावसे सहकर समाधिपूर्वक मरणके द्वारा देवलोकको प्राप्त हुए ।’

तत्त्वार्थराजवातिकदि ग्रंथोंमें ‘अनुत्तरोपपाददाशांग’ का वर्णन करते हुए वर्द्धमान तीर्थकरके तीर्थमें दारुण उपसर्गोंको सहकर विजयादिक अनुत्तर विमानों (देवलोक) में उत्पन्न होनेवाले दस अनगार-साधुओंके नाम दिये हैं, उनमें कार्तिक अथवा कार्तिकेयका भी एक नाम है; परन्तु किसके द्वारा वे उपसर्गको प्राप्त हुए ऐसा कुछ उल्लेख साथमें नहीं है ।

हाँ, भगवती आराधना-जैसे प्राचीनग्रन्थकी निम्नगाथा नं० १५४६ में क्रौंचके द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए एक व्यक्तिका उल्लेख जरूर है—साथमें उपसर्गस्थान ‘रोहेडक’ और ‘शक्ति’ हथियारका भी उल्लेख है—परन्तु कार्तिकेय नामका स्पष्ट उल्लेख नहीं है । उस व्यक्तिको मात्र ‘अग्निदयितः’ लिखा है, जिसका अर्थ होता है अग्निप्रिय, अग्निका प्रेमी अथवा अग्निका प्यारा-प्रेमपात्र—

रोहेडयस्मि सत्तीए हओ कोंचेण अग्निदयितो वि ।

तं वेदणमधियासिय पडिवरणो उत्तमं अट्ठं ॥

‘मूलाराधनादर्पण’ टीकामें पं० आशाधरजीने ‘अग्निदयितो’ (अग्नि-दयितः) पदका अर्थ, ‘अग्निराजनाम्नो राज्ञः पुत्रः कार्तिकेयसंज्ञः—अग्निनामके राजाका पुत्र कार्तिकेयसंज्ञक—दिया है । कार्तिकेय मुनिकी एक कथा भी हरिप्रेण, श्रीचन्द्र और नेमिदत्तके कथाकोषोंमें पाई जाती है और उसमें कार्तिकेयको कृतिका मातासे उत्पन्न अग्निराजाका पुत्र बतलाया है । साथ ही, यह भी लिखा है कि कार्तिकेयने राजकालमें—कुमारावस्थामें—ही मुनिदीक्षा ली थी, जिसका अमुक कारण था, और कार्तिकेयकी बहन रोहेड नगरके उस क्रौंचराजाको व्याही थी जिसकी शक्तिसे आहत होकर अथवा जिसके किये हुए दारुण उपसर्गसे जीतकर कार्तिकेय देवलोक सिधारे हैं । इस कथाके पात्र कार्तिकेय और भगवती आराधनाकी उक्त गाथाके पात्र ‘अग्निदयितः’

को एक बतलाकर यह कहा जाता है और आमतौर पर माना जाता है कि यह कार्तिकेयानुप्रेक्षा उन्हीं स्वामी कार्तिकेयकी बनाई हुई है जो क्राँच राजा-के उपसर्गको समभावसे सहकर देवलोक पधारे थे, और इसलिये इस ग्रन्थका रचनाकाल भगवती आराधना तथा श्री कुन्दकुन्दके ग्रंथोंसे भी पहलेका है— भले ही इस ग्रंथ तथा भ० आराधनाकी उक्त गाथामें कार्तिकेयका स्पष्ट नामोल्लेख न हो और न कथामें इनकी इस ग्रंथरचनाका ही कोई उल्लेख हो ।

परन्तु डाक्टर ए० एन० उपाध्ये एम० ए० कोल्हापुर इस मतसे सहमत नहीं हैं । यद्यपि वे अभी तक इस ग्रंथके कर्ता और उसके निर्माणकालके सम्बन्धमें अपना कोई निश्चित एकमत स्थिर नहीं कर सके फिर भी उनका इतना कहना स्पष्ट है कि यह ग्रंथ उतना (विक्रमसे दोसौ या तीनसौ वर्ष पहलेका †) प्राचीन नहीं है जितना कि दन्तकथाओंके आधार पर माना जाता है, जिन्होंने ग्रंथकार कुमारके व्यक्तित्वको अन्धकारमें डाल दिया है और इसके मुख्य दो कारण दिये हैं, जिनका सार इस प्रकार है:—

(१) कुमारके इस अनुप्रेक्षा-ग्रंथमें बारह भावनाओंकी गणनाका जो क्रम स्वीकृत है वह वह नहीं है जो कि वट्टकेर, शिवायं और कुन्दकुन्दके ग्रंथों (मूला-चार, भ० आराधना तथा बारसअणुपेक्खा) में पाया जाता है, बल्कि उससे कुछ भिन्न वह क्रम है जो बादको उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें उपलब्ध होता है ।

(२) कुमारकी यह अनुप्रेक्षा अपभ्रंश भाषामें नहीं लिखी गई, फिर भी इसकी २७९ वीं गाथामें 'णिमुणहि' और 'भावहि' (Preferably हि) के अपभ्रंशके दो पद आधुसे हैं जो कि वर्तमान काल तृतीय पुरुषके बहुवचनके रूप हैं । यह गाथा जोइन्दु (योगीन्दु) के योगसारके ६५वें दोहेके साथ मिलती जुलती है, एक ही आशयको लिये हुए है और उक्त दोहे परसे परिवर्तित करके रक्खी गई है । परिवर्तनादिका यह कार्य किसी बादके प्रतिलेखक-

† पं० पन्नालालजी बाकलीवालकी प्रस्तावना पृ० १ । Catalogue of SK. and PK. Manuscripts in the C. P. and Berar p. XIV; तथा Winternitz. A History of Indian Literature, Vol. II p. 577.

द्वारा संभव मालूम नहीं होता, बल्कि कुमारने ही जान या अनजानमें जोइन्दु-
के दोहेका अनुसरण किया है ऐसा जान पड़ता है। उक्त दोहा और गाथा
इस प्रकार हैं :—

विरलाजाणहिं तत्तु बहु विरला णिसुणहिं तत्तु ।

विरला भायहिं तत्तु जिय विरला धारहिं तत्तु ॥६५॥

—योगसार

विरला णिसुणहि तच्च[†] विरला जाणंति तच्चदो तच्च[†] ।

विरला भावहि तच्च[†] विरलाणं धारणा होदि ॥३६॥

—कार्तिकेयानुप्रेक्षा

और इसलिये ऐसी स्थितिमें डा० साहबका यह मत है कि कार्तिकेया-
नुप्रेक्षा उक्त कुन्दकुन्दादिके बादकी ही नहीं बल्कि परमात्मप्रकाश तथा
योगसारके कार्त्तिक योगेन्दु आचार्य के भी बादकी बनी हुई है, जिसका समय
उन्होंने पूज्यपादके समाधितंत्रसे बादका और चण्डव्याकरणसे पूर्वका अर्थात्
ईसा की ५वीं और ७वीं शताब्दीके मध्यका निर्धारित किया है; क्योंकि
परमात्मप्रकाशमें समाधितंत्रका बहुत कुछ अनुसरण किया गया है और चण्ड-
व्याकरणमें परमात्मप्रकाशके प्रथम अधिकारका ८५वां दोहा (कालु लहेविणु
जोइया[‡] इत्यादि) उदाहरणके रूपमें उद्धृत है ‡ ।

इसमें सन्देह नहीं कि मूलाचार, भगवती आराधना और बारसग्रणुवेक्खा-
में बारह भावनाओंका क्रम एक है, इतना ही नहीं बल्कि इन भावनाओंके नाम
तथा क्रमकी प्रतिपादकगाथा भी एक ही है और यह एक खास विशेषता है जो
गाथा तथा उसमें वर्णित भावनाओंके क्रमकी अधिक प्राचीनताको सूचित
करती है। वह गाथा इस प्रकार है—

अद्धुवमसरणमेगत्तमण्ण-संसार-लोगमसुचित्तं ।

आसव-संवर-णिज्जर-धम्मं वोहिं च चित्ति(ते)ज्जो ॥

† परमात्मप्रकाशकी अंग्रेजी प्रस्तावना पृ० ६४-६५; प्रस्तावनाका
हिन्दीसार पृ० ११३-११५ ।

उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें इन भावनाओंका क्रम एक स्थानपर ही नहीं बल्कि तीन स्थानोंपर विभिन्न है। उसमें अशरणके अनन्तर एकत्व-अन्यत्व भावनाओंको न देकर संसारभावनाको दिया है और संसारभावनाके अनन्तर एकत्व-अन्यत्व भावनाओंको रक्खा है; लोकभावनाको संसारभावनाके बाद न रखकर निर्जराभावनाके बाद रक्खा है और धर्मभावनाको बोधि-दुर्लभसे पहले स्थान न देकर उसके अन्तमें स्थापित किया है; जैसाकि निम्न सूत्रसे प्रकट है—

“अनित्याऽशरण-संसारैकत्वाऽन्यत्वाऽशुच्याऽऽस्रव-संवर-निर्जरा-
लोक-बोधिदुर्लभ-धर्मस्वाख्याततत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ६-७ ॥

और इससे ऐसा जाना जाता है कि भावनाओंका यह क्रम, जिसका पूर्व साहित्यपरसे समर्थन नहीं होता, बादको उमास्वातिके द्वारा प्रतिष्ठित हुआ है। कार्तिकेयानुप्रेक्षामें इसी क्रमको अपनाया गया है। अतः यह ग्रन्थ उमास्वातिसे पूर्वका नहीं बनता और जब उमास्वातिसे पूर्वका नहीं बनता तब यह उन स्वामिकातिथेयकी कृति भी नहीं हो सकता जो हरिषेणादिकथाकोषकी उक्त कथाके मुख्य पात्र हैं, भगवती आराधनाकी गाथा नं० १५४६में ‘अग्निदयित’ (अग्निपुत्र) के नामसे उल्लेखित हैं अथवा अनुत्तरोपपाददशाङ्गमें वर्णित-दश अनगारोमें जिनका नाम है। इससे अधिक ग्रन्थकार और ग्रन्थके समय-सम्बन्धमें इस क्रम-विभिन्नतापरसे और कुछ फलित नहीं होता।

अब रही दूसरे कारणकी बात, जहाँ तक मैंने उसपर विचार किया है और ग्रन्थकी पूर्वापर स्थितिको देखा है उसपरसे मुझे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता कि ग्रन्थमें उक्त गाथा नं० २७६ की स्थिति बहुत ही संदिग्ध है और वह मूलतः ग्रन्थका अंग मालूम नहीं होती—बादको किसी तरहपर प्रक्षिप्त हुई जान पड़ती है। क्योंकि उक्त गाथा ‘लोकभावना’ अधिकारके अन्तर्गत है, जिसमें लोकसंस्थान, लोकवर्ती जीवादि छह द्रव्य, जीवके ज्ञानगुण और श्रुतज्ञानके विकल्परूप नैगमादि सात नय, इन सबका संक्षेपमें बड़ा ही सुन्दर व्यवस्थित वर्णन गाथा नं० ११५ से २७८ तक पाया जाता है। २७८ वीं गाथामें नयोंके कथनका उपसंहार इस प्रकार किया गया हैः—

एवं विविह-णएहिं जो वत्थू ववहरेदि लोयम्मि ।

दंसण-णाण-चरित्तं सो साहदि सग्ग-मोक्खं च ॥ २७८ ॥

इसके अनन्तर 'विरला णिसुणहि तच्च' इत्यादि गाथा नं० २७९ है, जो औपदेशिक ढंगको लिये हुए है और ग्रन्थकी तथा इस अधिकारकी कथन-शैलीके साथ कुछ संगत मालूम नहीं होती—खासकर क्रमप्राप्त गाथा नं० २८० की उपस्थितिमें, जो उसकी स्थितिको और भी संदिग्ध कर देती है, और जो निम्न प्रकार है:—

तच्चं कहिज्जमाणं णिच्चलभावेण गिह्हेदो जो हि ।

तं चि य भावेइं सया-सो-वि य तच्चं वियाणेइं ॥ २८० ॥

इसमें बतलाया है कि, 'जो उपर्युक्त तत्त्वको—जीवादि-विषयक तत्त्वज्ञान-को अथवा उसके मर्मको—स्थिरभावसे—दृढ़ताके साथ—ग्रहण करता है और सदा उसकी भावना रखता है वह तत्त्वको सविशेषरूपसे जाननेमें समर्थ होता है ।'

इसके अनन्तर दो गाथाएँ और देकर 'एवं लोयसहावं जो भायदि' इत्यादिरूपसे गाथा नं० २८३ दी हुई है, जो लोकभावनाके उपसंहारको लिये हुए उसकी समाप्तिसूचक है और अपने स्थानपर ठीक रूपसे स्थित है । वे दो गाथाएँ इस प्रकार हैं:—

को ण वसो इत्थिजणे कम्म ण मयणेण खंडियं माणं ।

को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहिं संतत्तो ॥ २८१ ॥

सो ण वसो इत्थिजणे सो ण जिओ इंदिएहिं मोहेण ।

जो-स य गिह्हेदि गंथं अब्भंतर बाहिरं सव्वं ॥ २८२ ॥

इनमेंसे पहली गाथामें चार प्रश्न किये गए हैं—“१ कौन स्त्रीजनोंके वशमें नहीं होता ? २ मदन-कामदेवसे किसका मान-खंडित नहीं होता ? ३ कौन इन्द्रियोंके द्वारा जीता नहीं जाता ? ४ कौन कषायोंसे संतप्त नहीं होता ?” दूसरी गाथामें केवल दो प्रश्नोंका ही उत्तर दिया गया है जो कि एक खटकनेवाली बात है, और वह उत्तर यह है कि 'स्त्री जनोंके वशमें वह नहीं होता, और वह इन्द्रियोंसे जीता नहीं जाता जो मोहसे बाह्य और अभ्यन्तर समस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता है ।'

इन दोनों गाथाओंकी लोक भावनाके प्रकरणके साथ कोई संगति नहीं बैठती और न ग्रन्थमें अन्यत्र ही कथनकी ऐसी शैलीको अपनाया गया है। इससे ये दोनोंही गाथाएँ स्मृष्ट रूपसे प्रक्षिप्त जान पड़ती हैं और अपनी इस प्रक्षिप्तताके कारण उक्त 'विरलाणिमुग्राहि तच्च' नामकी गाथा नं० २७६ की प्रक्षिप्तताकी संभावनाको और दृढ़ करती हैं। मेरी रायमें इन दोनों गाथाओंकी तरह २७६ नम्बरकी गाथा भी प्रक्षिप्त है, जिसे किसीने अपनी ग्रन्थप्रतिमें अपने उपयोगके लिए संभवतः गाथा नं० २८० के आसपास हाशियेपर, उसके टिप्पणके रूपमें, नोट कर रक्खा होगा, और जो प्रतिलेखककी असावधानीसे मूलम प्रविष्ट हो गई है। प्रवेशका यह कार्य भ० शुभचन्द्रकी टीकासे पहले ही हुआ है, इसीसे इन तीनों गाथाओंपर भी शुभचन्द्रकी टीका उपलब्ध है और उसमें (तदनुसार पं० जयचन्द्रजीकी भाषाटीकामें भी) बड़ी खीचातानीके साथ इनका सम्बन्ध जोड़नेकी चेष्टा की गई है; परन्तु सम्बन्ध जुड़ता नहीं है। ऐसी स्थितिमें उक्त गाथाकी उपस्थितिपरसे यह कल्पित कर लेना कि उसे स्वामिकुमारने ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके बनाया है समुचित प्रतीत नहीं होता—खासकर उस हालतमें जब कि ग्रन्थभरमें अपभ्रंश भाषाका और कोई प्रयोग भी न पाया जाता हो। बहुत सम्भव है कि किसी दूसरे विद्वान्ने दोहेको गाथाका रूप देकर उसे अपनी ग्रन्थप्रतिमें नोट किया हो। और यह भी सम्भव है कि यह गाथा साधारणसे पाठ-भेदके साथ अधिक प्राचीन हो और योगेन्दुने ही इसपरसे थोड़ेसे परिवर्तनके साथ अपना उक्त दोहा बनाया हो; क्योंकि योगेन्दुके परमात्मप्रकाश आदि ग्रंथोंमें और भी कितने ही दोहे ऐसे पाये जाते हैं जो भावपट्ट तथा समाधित्वादिके पद्योंपरसे परिवर्तन करके बनाये गये हैं और जिसे डाक्टर साहबने स्वयं स्वीकार किया है; जब कि स्वामिकुमारके इस ग्रंथकी ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई—कुछ गाथाएँ ऐसी जरूर देखनेमें आती हैं जो कुन्दकुन्द तथा शिवार्य-जैसे आचार्योंके ग्रंथोंमें भी समानरूपसे पाई जाती हैं और वे और भी प्राचीन स्रोतसे सम्बन्ध रखनेवाली हो सकती हैं, जिसका एक नमूना भावनाओंके नाम वाली गाथाका ऊपर दिया जा चुका है। अतः इस विवादास्पद गाथाके सम्बन्धमें उक्त कल्पना करके यह नतीजा निकालना कि, यह ग्रंथ योगेन्दुके योगसारसे—

ईसाकी प्रायः छठी शताब्दीसे—बादका बना हुआ है, ठीक मालूम नहीं देता । मेरी समझमें यह ग्रंथ उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रसे अधिक बादका नहीं—उसके निकटवर्ती किसी समयका होना चाहिये । और उसके कर्ता वे अग्निपुत्र कातिकेय मुनि नहीं हैं जो आमतौरपर इसके कर्ता समझे जाते हैं और क्रौंच राजा-के द्वारा उपसर्गको प्राप्त हुए थे, बल्कि स्वामिकुमारनामके आचार्य ही हैं जिस नामका उल्लेख उन्होंने स्वयं अन्तमंगलकी निम्न गाथामें श्लेषरूपसे भी किया है—

तिहुयण-पहाण-सामिं कुमार-काले वि त वय तवयरणं ।

वसुपुज्जसुयं मल्लिं चरम-तियं संधुवे णिच्चवं ॥ ४८६ ॥

इसमें वसुपूज्यसुत-वासुपूज्य, मल्लि और अन्तके तीन नेमि, पार्श्व तथा वर्द्धमान ऐसे पाँच कुमार-श्रमण तीर्थङ्करोंकी वन्दना की गई है, जिन्होंने कुमारावस्थामें ही जिनदीक्षा लेकर तपश्चरण किया है और जो तीन लोकके प्रधान स्वामी हैं । और इससे ऐसा ध्वनित होता है कि ग्रन्थकार भी कुमारश्रमण थे, बालब्रह्मचारी थे और उन्होंने बाल्यावस्थामें ही जिनदीक्षा लेकर तपश्चरण किया है—जैसाकि उनके विषयमें प्रसिद्ध है, और इसीसे उन्होंने अपनेको विशेषरूपमें इष्ट पाँच कुमार तीर्थङ्करोंकी यहाँ स्तुति की है ।

स्वामी-शब्दका व्यवहार दक्षिण देशमें अधिक है और वह व्यक्तिविशेषोंके साथ उनकी प्रतिष्ठाका द्योतक होता है । कुमार, कुमारसेन, कुमारनन्दी और कुमारस्वामी जैसे नामोंके आचार्य भी दक्षिणमें हुए हैं । दक्षिण देशमें बहुत प्राचीन कालसे क्षेत्रपालकी पूजाका प्रचार रहा है और इस ग्रन्थकी गाथा नं० २५ में 'क्षेत्रपाल' का स्पष्ट नामोल्लेख करके उसके विषयमें फैली हुई रक्षासम्बन्धी मिथ्या धारणाका निषेध भी किया है । इन सब बातोंपरसे ग्रन्थकार महोदय प्रायः दक्षिण देशके आचार्य मालूम होते हैं, जैसा कि डाक्टर उपाध्येने भी अनुमान किया है ।



सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन

‘सन्मतिसूत्र’ जैनवाङ्मयमें एक महत्त्वका गौरवपूर्ण ग्रन्थरत्न है, जो दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें समानरूपसे माना जाता है। श्वेताम्बरोंमें यह ‘सम्मतिर्तक’, ‘सम्मतिर्तकप्रकरण’ तथा ‘सम्मतिप्रकरण’ जैसे नामोंसे अधिक प्रसिद्ध है, जिनमें ‘सन्मति’ की जगह ‘सम्मति’ पद अशुद्ध है और वह प्राकृत ‘सम्मइ’ पदका गलत संस्कृत रूपान्तर है। पं० सुखलालजी और पं० बेचरदासजीने, ग्रन्थका गुजराती अनुवाद प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तावनामें इस गलतीपर यथेष्ट प्रकाश डाला है और यह बतलाया है कि ‘सन्मति’ भगवान् महावीरका नामान्तर है, जो दिगम्बर-परम्परामें प्राचीन-कालसे प्रसिद्ध तथा ‘धनञ्जयनाममाला’ में भी उल्लेखित है, ग्रन्थ-नामके साथ उसकी योजना होनेसे वह महावीरके सिद्धान्तोंके साथ जहाँ ग्रन्थके सम्बन्धको दर्शाता है वहाँ श्लेषरूपसे श्रेष्ठमति अर्थका सूचन करता हुआ अंशकर्ताके योग्य स्थानको भी व्यक्त करता है और इसलिये औचित्यकी दृष्टिसे ‘सम्मति’ के स्थानपर ‘सन्मति’ नाम ही ठीक बैठता है। तदनुसार ही उन्होंने ग्रन्थका नाम ‘सन्मति-प्रकरण’ प्रकट किया है दिगम्बर-परम्पराके ध्वलादिक प्राचीन ग्रंथोंमें यह सन्मतिसूत्र (सम्मइसुत्त) नामसे ही उल्लेखित मिलता है † और यह नाम सन्मति-प्रकरण नामसे भी अधिक औचित्य रखता

† ‘अणोणः सम्मइसुत्तेण सह कथमिदं वक्खाणं ण विरुज्झदे ? इदि ण , तत्थ पज्जायस्स लक्खणं खइणो भावब्भुवगमादो ।’ (ध्वला १)

‘ए च सम्मइसुत्तेण सह विरोहो उज्जुसुद-णय-विसय-भावणिक्खेवमस्सिदूण तप्पउत्तीदो ।’ (जयध्वला १)

है; क्योंकि इसकी प्रायः प्रत्येक गाथा एक सूत्र है अथवा अनेक सूत्र-वाक्योंको साथमें लिये हुए है। पं० सुखलालजी आदिने भी प्रस्तावना (पृ० ६३) में इस बातको स्वीकार किया है कि 'सम्पूर्ण' सन्मतिग्रंथ सूत्र कहा जाता है और इसकी प्रत्येक गाथाको भी सूत्र कहा गया है।' भावनगरकी श्वेताम्बर सभासे सं० १९६५ में प्रकाशित मूलप्रतिमें भी 'श्रीसंमतिसूत्र समाप्तमिति भद्रम्' वाक्यके द्वारा इसे सूत्र नामके साथ ही प्रकट किया है—तर्क अथवा प्रकरण नामके साथ नहीं।

इसकी गणना जैनशासनके दर्शन-प्रभावक ग्रंथोंमें है। श्वेताम्बरोंके 'जीतकल्पचूर्णि' ग्रंथकी श्रीचन्द्रसूरि-विरचित 'विषमपदव्याख्या' नामकी टीका-में श्रीअकलंकदेवके 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रंथके साथ इस 'सन्मति' ग्रंथका भी दर्शनप्रभावक ग्रंथोंमें नमोल्लेख किया गया है और लिखा है कि 'ऐसे दर्शनप्रभावक शास्त्रोंका अध्ययन करते हुए साधुको अकल्पित प्रतिसेवका दोष भी लगे तो उसका कुछ भी प्रायश्चित्त नहीं है, वह साधु शुद्ध है।' यथा—

“दंसण त्ति—दंसण-पभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छय-सम्मत्यादि गिएहंतोऽसंथरमाणो जं अकप्पयं पडिसेवइ जयणाए तत्थ सो सुद्धोऽप्रायश्चित्त इत्यर्थः *।”

इससे प्रथमोल्लेखित सिद्धिविनिश्चयकी तरह यह ग्रन्थ भी कितने असाधारण महत्त्वका है इसे विज्ञपाठक स्वयं समझ सकते हैं। ऐसे ग्रन्थ जैन-दर्शनकी प्रतिष्ठाको स्व-पर-हृदयोंमें अंकित करनेवाले होते हैं। तदनुसार यह ग्रन्थ भी अपनी कीर्तिको अधुणा बनाये हुए है।

इस ग्रंथके तीन विभाग हैं जिन्हें 'काण्ड' संज्ञा दी गई है। प्रथम काण्डको कुछ हस्तलिखित तथा मुद्रितप्रतियोंमें 'नयकाण्ड' बतलाया है—लिखा है 'नयकंडं सम्मतं'—और यह ठीक ही है; क्योंकि सारा काण्ड नयके ही

* श्वेताम्बरोंके निशीथ ग्रन्थकी चूर्णिमें भी ऐसा ही उल्लेख है:—

‘दंसणगाही—दंसणणाणपभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छय-संमति-मादि गेण्हंतो असंथरमाणो जं अकप्पियं पडिसेवदि जयणाए तत्थ सो सुद्धो अप्रायश्चित्ती भवतीत्यर्थः।”

(उद्देशक १)

विषयको लिये हुए है और उसमें द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक दो नयोंको मूलाधार बनाकर और यह बतलाकर कि 'तीर्थकर-वचनोंके सामान्य और विशेषरूप प्रस्तारके मूलप्रतिपादक ये ही दो नय हैं—शेष सब नय इन्हींके विकल्प हैं ॐ, उन्हींके भेद-प्रभेदों तथा विषयका अच्छा सुन्दर विवेचन और संसूचन किया गया है। दूसरे काण्डको उन प्रतियोंमें 'जीवकाण्ड' बतलाया है—लिखा है "जीवकण्डं सम्मतं"। पं० सुखलालजी और पं० बेचरदासजीकी रायमें यह नामकरण ठीक नहीं है, इसके स्थानपर 'ज्ञानकाण्ड' या 'उपयोग-काण्ड' नाम होना चाहिये; क्योंकि इसकाण्डमें, उनके कथानानुसार, जीवतत्त्वकी चर्चा ही नहीं है—पूरातया मुख्य चर्चा ज्ञानकी है। यह ठीक है कि इस काण्डमें ज्ञानकी चर्चा एक प्रकारसे मुख्य है परन्तु वह दर्शनकी चर्चाको भी साथमें लिए हुए है—उसीसे चर्चा का प्रारम्भ है—और ज्ञान तथा दर्शन दोनों जीवद्रव्यकी पर्यायें हैं, जीवद्रव्यसे भिन्न उनकी कहीं कोई सत्ता नहीं, और इस लिये उनकी चर्चाको जीवद्रव्यकी ही चर्चा कहा जा सकता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि इसमें प्रकटरूपसे जीवतत्त्वकी कोई चर्चा ही न हो—दूसरी गाथा में 'द्वयद्विग्रो वि होऊए दंसरो एज्जवद्विग्रो होई' इत्यादिरूपसे जीवद्रव्यका कथन किया गया है, जिसे पं० सुखलालजी आदिने भी अपने अनुवादमें 'आत्मा दर्शन वखते' इत्यादिरूपसे स्वीकार किया है। अनेक गाथाओंमें कथन-सम्बन्ध-को लिये हुए सर्वज्ञ, केवली, अर्हन्त तथा जिन जैसे अर्थपदोंका भी प्रयोग है जो जीवके ही विशेष हैं। और अन्तकी 'जीवो अणाइणिहणो' से प्रारम्भ होकर 'अणो वि य जीवपज्जाया' पर समाप्त होनेवाली सात गाथाओंमें तो जीवका स्पष्ट ही नामोल्लेखपूर्वक कथन है—वही चर्चाका विषय बना हुआ है। ऐसी स्थितिमें यह कहना समुचित प्रतीत नहीं होता कि 'इस काण्डमें जीवतत्त्वकी चर्चा ही नहीं है' और न 'जीवकाण्ड' इस नामकरणको सर्वथा अनुचित अथवा अयथार्थ ही कहा जा सकता है। कितने ही ग्रन्थोंमें ऐसी परिपाटी देखनेमें आती है कि पर्व तथा अधिकारादिके अन्तमें जो विषय चर्चित होता

ॐ तित्थयर-वयण-संगह-विसेस-पत्थारमूलवागरणी ।

द्वद्विग्रो य पज्जवणग्रो य सेसा वियप्पासि ॥३॥

है उसी परसे उस पर्ववादिका नामकरण किया जाता है *, इस दृष्टिसे भी काण्डके अन्तमें चर्चित जीवद्रव्यकी चर्चाके कारण उसे 'जीवकाण्ड' कहना अनुचित नहीं कहा जा सकता। अब रही तीसरे काण्डकी बात, उसे कोई नाम दिया हुआ नहीं मिलता। जिस किसीने दो काण्डोंका नामकरण किया है उसने तीसरे काण्डका भी नामकरण जरूर किया होगा, संभव है खोज करते हुए किसी प्राचीन प्रतिपरसे वह उपलब्ध हो जाय। डाक्टर पी० एल० वैद्य एम० ए० ने, न्यायावतारकी प्रस्तावना (Introduction) में, इस काण्डका नाम असंदिग्धरूपसे 'अनेकान्तवादकाण्ड' प्रकट किया है। मालूम नहीं यह नाम उन्हें किस प्रतिपरसे उपलब्ध हुआ है। काण्डके अन्तमें चर्चित विषयादिककी दृष्टिसे यह नाम भी ठीक हो सकता है। यह काण्ड अनेकान्तदृष्टि-को लेकर अधिकांशमें सामान्य-विशेषरूपसे अर्थकी प्ररूपणा और विवेचनाको लिये हुए है, और इसलिये इसका नाम 'सामान्य-विशेषकाण्ड' अथवा 'द्रव्य-पर्याय-काण्ड' जैसा भी कोई हो सकता है। पं० सुखलालजी और पं० बेचर-दासजीने इसे 'ज्ञेय-काण्ड' सूचित किया है, जो पूर्वकाण्डको 'ज्ञानकाण्ड' नाम देने और दोनों काण्डोंके नामोंमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत प्रवचनसारके ज्ञान-ज्ञेयाधिकारनामोंके साथ समानता लानेकी दृष्टिसे सम्बद्ध जान पड़ता है।

इस ग्रन्थकी गाथा-संख्या ५४, ४३, ७० के क्रमसे कुल १६७ है। परन्तु पं० सुखलालजी और पं० बेचरदासजी उसे अब १६६ मानते हैं; क्योंकि तीसरे काण्डमें अन्तिम गाथाके पूर्व जो निम्न गाथा लिखित तथा मुद्रित मूलप्रतियों में पाई जाती है उसे वे इसलिए बादको प्रक्षिप्त हुई समझते हैं कि उसपर अभयदेवसूरीकी टीका नहीं है:—

जेण विणा लोगस्स वि ववहारो सव्वहा ण णिव्वड्ढ ।

तस्स भुवणोक्कगुरुणो णमो अणो गंतवायस्स ॥ ६६ ॥

इसमें बतलाया है कि 'जिसके बिना लोकका व्यवहार भी सर्वथा बन नहीं

* जैसे जिनसेनकृत हरिवंशपुराणके तृतीय सर्गका नाम 'श्रेणिकप्रश्नवर्णन', जब कि प्रश्नके पूर्वमें वीरके विहारादिका और तत्त्वोपदेशका कितना ही विशेष वर्णन है।

सकता उस लोकके अद्वितीय (असाधारण) गुरु अनेकान्तवादको नमस्कार हो ।
इस तरह जो अनेकान्तवाद इस सारे ग्रन्थकी आधार-शिला है और जिसपर उसके कथनोंकी ही पूरी प्राण-प्रतिष्ठा अवलम्बित नहीं है बल्कि उस जिन-वचन, जैनागम अथवा जैनशासनकी भी प्राण-प्रतिष्ठा अवलम्बित है जिसकी अगली (अन्तिम) गाथामें मंगल-कान्ना की गई है और ग्रन्थकी पहली (आदिम) गाथामें जिसे 'मिद्धशासन' घोषित किया गया है, उसीकी गौरव-गरिमाको इस गाथामें अच्छे युक्तिपुरस्पर ढंगसे प्रदर्शित किया गया है । और इस लिये यह गाथा अपनी कथनशैली और कुशल-साहित्य-योजनापरसे ग्रन्थका अंग होनेके योग्य जान पड़ती है तथा ग्रन्थकी अन्त्य मंगल-कारिका मालूम होती है । इसपर एकमात्र अमुक टीकाके न होनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि वह मूलकारके द्वारा योजित न हुई होगी; क्योंकि दूसरे ग्रन्थोंकी कुछ टीकाएँ ऐसी भी पाई जाती हैं जिनमेंसे एक टीकामें कुछ पद्य मूलरूपमें टीका-सहित हैं तो दूसरीमें वे नहीं पाये जाते ❁ और इसका कारण प्रायः टीकाकारको ऐसी मूल प्रतिका ही उपलब्ध होना कहा जा सकता है जिसमें वे पद्य न पाये जाते हों । दिगम्बराचार्य सुमति (सन्मति) देवकी टीका भी इस ग्रन्थपर बनी है, जिसका उल्लेख वादिराजने अपने पार्श्वनाथचरित (शक स ० ६४७) के निम्न पद्यमें किया है—

नमः सन्मतये तस्मै भव-कूप-निपातिनाम् ।

सन्मतिर्विवृता येन सुखधाम-प्रवेशिनी ॥

यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई—खोजका कोई खास प्रयत्न भी नहीं हो सका । इसके सामने आनेपर उक्त गाथा तथा और भी अनेक बातोंपर प्रकाश पड़ सकता है; क्योंकि यह टीका सुमतिदेवकी कृति होनेसे ११वीं शताब्दी के श्वेताम्बरीय आचार्य अभयदेवकी टीकासे कोई तीन शताब्दी पहलेकी बनी हुई होनी चाहिये । श्वेताम्बराचार्य मल्लवादीकी भी एक टीका इस ग्रन्थपर पहले बनी है, जो आज उपलब्ध नहीं है और जिसका उल्लेख हरिभद्र तथा

❁ जैसे समयसारादि ग्रन्थोंकी अमृतचन्द्रसूरिकृत तथा जयसेनाचार्यकृत टीकाएँ, जिनमें कतिपय गाथाओंकी न्यूनाधिकता पाई जाती है ।

उपाध्याय यशोविजयके ग्रन्थोंमें मिलता है † ।

इस ग्रन्थमें, विचारको दृष्टि प्रदान करनेके लिये, प्रारम्भसे ही द्रव्यार्थिक (द्रव्यास्तिक) और पर्यायार्थिक (पर्यायास्तिक) दो मूल नयोंको लेकर नयका जो विषय उठाया गया है वह प्रकारान्तरसे दूसरे तथा तीसरे काण्डमें भी चलता रहा है और उसके द्वारा नपवादपर अच्छा प्रकाश डोला गया है । यहाँ नयका थोड़ा-सा कथन नमूनेके तौरपर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकोंको इस विषयकी कुछ भाँकी मिल सके:—

प्रथम काण्डमें दोनों नयोंके सामान्य-विशेषविषयको मिश्रित दिखलाकर उस मिश्रितपनाकी चर्चाका उपसंहार करते हुए लिखा है—

दव्वट्टिओ त्ति तम्हा एत्थि एओ नियम सुद्धजाईओ ।

ए य पज्जवट्टिओ एाम कोई भयणाय उ विसेसो ॥६॥

‘अतः कोई द्रव्यार्थिक नय ऐसा नहीं जो नियमसे शुद्धजातीय हो—अपने प्रति-पक्षी पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षा न रखता हुआ उसके विषय-स्पर्शमें मुक्त हो । इसी तरह पर्यायार्थिक नय भी कोई ऐसा नहीं जो शुद्धजातीय हो—अपने विपक्षी द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा न रखता हुआ उसके विषय-स्पर्शसे रहित हो । विवक्षा-को लेकर ही दोनोंका भेद है—विवक्षा मुख्य-गौणके भावको लिये हुए होती है द्रव्यार्थिकमें द्रव्य-सामान्य मुख्य और पर्याय-विशेष गौण होता है और पर्यायार्थिकमें विशेष मुख्य तथा सामान्य गौण होता है ।’

इसके बाद बतलाया है कि—‘पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिमें द्रव्यार्थिकनयका वक्तव्य (सामान्य) नियमसे अवस्तु है । इसी तरह द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमें पर्यायार्थिकनयका वक्तव्य (विशेष) अवस्तु है । पर्यायार्थिकनयकी दृष्टिमें सर्व पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं । द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमें न कोई पदार्थ उत्पन्न होता है और न नाशको प्राप्त होता

† “उक्तं च वादिमुख्येन श्रीमल्लवादिना सम्मतौ” (अनेकान्तजयपताका)

“इहार्थं कोटिशा भङ्गा निदिष्टा मल्लवादिना ।

मूलसम्मत-टीकायामिदं दिडमात्रदर्शनम् ॥”—(अष्टसहस्री-टिप्पण)

है। द्रव्य पर्याय (उत्पाद-व्यय) के विना और पर्याय द्रव्य (ध्रौव्य) के विना नहीं होते; क्योंकि उत्पाद-व्यय और ध्रौव्य ये तीनों द्रव्य-सत्का अद्वितीय लक्षण हैं *। ये तीनों एक दूसरेके साथ मिलकर ही रहते हैं, अलग-अलगरूपमें ये द्रव्य (सत्) के कोई लक्षण नहीं होते और इसलिये दोनों मूलनय अलग-अलग रूपमें—एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते हुए—मिथ्यादृष्टि है। तीसरा कोई मूल-नय नहीं है †। और ऐसा भी नहीं कि इन दोनों नयोंमें यथार्थपना न समाता हो—वस्तुके यथार्थ स्वरूपको पूर्णतः प्रतिपादन करनेमें ये असमर्थ हों—; क्योंकि दोनों एकान्त (मिथ्यादृष्टियाँ) अपेक्षाविशेषको लेकर ग्रहण किये जाते ही अनेकान्त (सम्यग्दृष्टि) बन जाते हैं। अर्थात् दोनों नयोंमेंसे जब कोई भी नय एक दूसरेकी अपेक्षा न रखता हुआ अपने ही विषयको सत् रूप प्रतिपादन करने-का आग्रह करता है तब वह अपने द्वारा ग्राह्य वस्तुके एक अंशमें पूर्णताका माननेवाला होनेसे मिथ्या है और जब वह अपने प्रतिपक्षी नयकी अपेक्षा रखता हुआ प्रवर्तता है—उसके विषयका निरसन न करता हुआ तटस्थरूपसे अपने विषय (वक्तव्य) का प्रतिपादन करता है—तब वह अपने द्वारा ग्राह्य वस्तुके एक अंशको अंशरूपमें ही (पूर्णरूपमें नहीं) माननेके कारण सम्यक् व्यपदेशको प्राप्त होता है। इस सब आशयकी पाँच गाथाएँ निम्न प्रकार हैं—

दव्वट्ठिय-वत्तव्वं अवत्थु णियमेण पज्जवणयस्स ।

तह पज्जवत्थ अवत्थुमेव दव्वट्ठियणयस्स ॥ १० ॥

उपपज्जन्ति विर्यन्ति य भावा पज्जवणयस्स ।

दव्वट्ठियस्स सव्वं सया अणुप्पण्णमविणट्ठं ॥ ११ ॥

* “पज्जयविजुदं दव्वं दव्वविजुता य पज्जवा रात्थि ।

दोण्हं अण्णभूदं भावं समणा परूविति ॥ १-१२ ॥”

—पंचास्तिकाये, श्रीकुन्दकुन्दः ।

“सद्द्रव्यलक्षणम् ॥ २६ ॥ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥”

—तत्त्वार्थसूत्र अ० ५ ।

† तीसरे काण्डमें गुणाधिक (गुणास्तिक) नयकी कल्पनाको उठाकर स्वयं उसका निरसन किया गया है (गा० ६ से १५) ।

दव्वं पज्जव-विउयं दव्व-विउत्ता य पज्जवा एत्थि ।
 उप्पाय-ट्ठि-भंगा हंदि दवियलक्खणं एयं ॥ १२ ॥
 एण पुण संगहओ पाडिक्कमलक्खणं दुवेणहं पि ।
 तम्हा मिच्छादिट्ठी पत्तेयं दो वि मूल-एया ॥ १३ ॥
 ए य तइयो अत्थि एओ ए य सम्मत्तं ए तेसु पडिपुएणं ।
 जेए दुवे एगंता विभज्जमाणा अणेगंतो ॥ १४ ॥

इन गाथाओंके अनन्तर उत्तर नयोंकी चर्चा करते हुए और उन्हें भी मूल-नयोंके समान दुर्नय तथा मुनय प्रतिपादन करते हुए और यह बतलाते हुए कि किसी भी नयका एकमात्र पक्ष लेनेपर संसार, सुख, दुःख, बन्ध और मोक्षकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती, सभी नयोंके मिथ्या तथा सम्यक् रूपको स्पष्ट करते हुए लिखा है—

तम्हा सव्वे वि एया मिच्छादिट्ठी सपक्खपडिबद्धा ।
 अण्णोण्णणस्सिआ उए हवंति सम्मत्तसन्धावा ॥ १५ ॥

‘अतः सभी नय—चाहे वे मूल, उत्तर या उत्तरोत्तर कोई भी नय क्यों न हों—जो एकमात्र अपने ही पक्षके साथ प्रतिबद्ध हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं—वस्तुको यथार्थरूपसे देखने—प्रतिपादन करनेमें असमर्थ हैं। परन्तु जो नय परस्परमें अपेक्षाको लिये हुए प्रवर्तते हैं वे सब सम्यग्दृष्टि हैं—वस्तुको यथार्थरूपसे देखने—प्रतिपादन करनेमें समर्थ हैं।’

तीसरे काण्डमें, नयवादकी चर्चाको एक दूसरे ही ढंगसे उठाते हुए, नयवाद-के परिशुद्ध और अपरिशुद्ध ऐसे दो भेद सूचित किये हैं, जिनमें परिशुद्ध नय-वादको प्रागममात्र अर्थका—केवल श्रुतप्रमाणके विषयका—साधक बतलाया है और यह ठीक ही है; क्योंकि परिशुद्धनयवाद सापेक्षनयवाद होनेसे अपने पक्षका—अंशोंका—प्रतिपादन करता हुआ परपक्षका—दूसरे अंशोंका—निराकरण नहीं करता और इसलिये दूसरे नयवादके साथ विरोध न रखनेके कारण अन्तको श्रुत-प्रमाणके समग्र विषयका ही साधक बनता है और अपरिशुद्ध नयवादको ‘दुर्निक्षिप्त’ विशेषणके द्वारा उल्लेखित करते हुए स्वपक्ष तथा परपक्ष दोनोंका विघातक लिखा है और यह भी ठीक ही है; क्योंकि वह निरपेक्षनयवाद होनेसे एकमात्र

अपने ही पक्षका प्रतिपादन करता हुआ अपनेसे भिन्न पक्षका सर्वथा निराकरण करता है—विरोधवृत्ति होनेसे उसके द्वारा श्रुतप्रमाणका कोई भी विषय नहीं सधता और इस तरह वह अपना भी निराकरण कर बैठता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि वस्तुका पूर्णरूप अनेक सापेक्ष अंशों—धर्मोंसे निर्मित है, जो परस्पर अविनाभाव-सम्बन्धको लिये हुए हैं, एकके अभावमें दूसरेका अस्तित्व नहीं बनता, और इसलिये जो नयवाद परपक्षका सर्वथा निषेध करता है वह अपना भी निषेधक होता है—परके अभावमें अपने स्वरूपको किसी तरह भी सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो सकता।

नयवादके इन भेदों और उनके स्वरूपनिर्देशके अनन्तर बतलाया है कि 'जितने वचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद हैं और जितने (अपरिशुद्ध अथवा परस्पर निरपेक्ष एवं विरोधी) नयवाद हैं उतने ही परसमय—जैनेतरदर्शन—हैं। उन दर्शनोंमें कपिलका सांख्यदर्शन द्रव्यार्थिकनयका वक्तव्य है। शुद्धोदकके पुत्र बुद्धका दर्शन परिशुद्ध पर्यायनय का विकल्प है। उलूक अर्थात् कणादने अपना शास्त्र (वैशेषिक दर्शन) यद्यपि दोनों नयोंके द्वारा प्ररूपित किया है फिर भी वह मिथ्यात्व है—अप्रमाण है; क्योंकि ये दोनों नयदृष्टियाँ उक्त दर्शनमें अपने अपने विषयकी प्रधानताके लिये परस्परमें एक-दूसरेकी कोई अपेक्षा नहीं रखतीं। इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथाएँ निम्न प्रकार हैं—

परिसुद्धो णयवाओ आगममेत्तत्थ साधको होइ ।

सो चेव दुण्णिगिण्णो दोण्णि वि पक्खे विधम्मेइ ॥ ४६ ॥

जावइया वयणवहा तावइया चेव होंति णयवाया ।

जावइया णयवाया तावइया चेव परसमया ॥ ४७ ॥

जं कावितं दरिसणं एयं दब्बट्ठियस्स वत्तत्वं ।

सुद्धोअण-तणअस्स उ परिसुद्धो पज्जवविअप्पो ॥ ४८ ॥

दोहि वि णपहि णीयं सत्थमुलूण तह वि मिच्छत्तं ।

जं सविसअप्पहाणत्तणेण अण्णोण्णणिरवेक्खा ॥ ४९ ॥

इनके अनन्तर निम्न दो गाथाओंमें यह प्रतिपादन किया है कि 'सांख्योंके सद्वाद पक्षमें बौद्ध और वैशेषिक जन जो दोष देते हैं तथा बौद्धों और वैशे-

षिकोंके असद्वाद पक्षमें सांख्य जन जो दोष देते हैं तथा बौद्धों और वैशेषिकोंके असद्वाद पक्षमें सांख्यजन जो दोष देते हैं वे सब सत्य हैं—सर्वथा एकान्तवादमें वैसे दोष आते ही हैं। ये दोनों सद्वाद और असद्वाद दृष्टियाँ यदि एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हुए संयोजित होजायँ—समन्वयपूर्वक अनेकान्त-दृष्टिमें परिणत हो जायँ—तो सर्वोत्तम सम्यग्दर्शन बनता है; क्योंकि ये सत्-असत् रूप दोनों दृष्टियाँ अलग अलग संसारके दुःखसे छुटकारा दिलानेमें समर्थ नहीं हैं—दोनोंके सापेक्ष संयोगसे ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर संसारके दुःखोंसे शान्ति मिल सकती है—

जे संतवाय-दोसे सक्कोलूया भणंति संखाणं ।

संखा य असव्वाए तेसि सव्वे वि ते सच्चा ॥ ५० ॥

ते उ भयणोवणीया सम्महंसणमणुतरं होंति ।

जं भव-दुक्ख-विमोक्खं दो वि ण पूरेंति पाडिक्कं ॥ ५१ ॥

इस सब कथनपरसे मिथ्यादर्शनों और सम्यग्दर्शनका तत्त्व सहज ही समझ में आजाता है और यह मालूम हो जाता है कि कैसे सभी मिथ्यादर्शन मिलकर सम्यग्दर्शनके रूपमें परिणत हो जाते हैं। मिथ्यादर्शन अथवा जैनतरदर्शन जब तक अपने अपने वक्तव्यके प्रतिपादनमें एकान्तताको अपनाकर परविरोधका लक्ष्य रखते हैं तब तक वे सम्यग्दर्शनमें परिणत नहीं होते, और जब विरोधका लक्ष्य छोड़कर पारस्परिक अपेक्षाको लिये हुए समन्वयकी दृष्टिको अपनाते हैं तभी सम्यग्दर्शनमें परिणत हो जाते हैं और जैनदर्शन कहलानेके योग्य होते हैं। जैनदर्शन अपने स्याद्वादन्याय-द्वारा समन्वयकी दृष्टिको लिये हुए है—समन्वय ही उसका नियामक तत्त्व है, न कि विरोध—और इसलिये सभी मिथ्यादर्शन अपने अपने विरोधको भुलाकर उसमें समा जाते हैं। इसीसे ग्रन्थकी अन्तिम गाथामें जिनवचनरूप जिनशासन अथवा जैनदर्शनकी मंगलकामना करते हुए उसे 'मिथ्यादर्शनोंका समूहमय' बतलाया है। वह गाथा इस प्रकार है—

भदं मिच्छादंसण-समूहमइयस्स अमयसारस्स ।

जिणवयणस्स भगवओ संविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥ ७० ॥

इसमें जनदर्शन (शासन) के तीन खास विशेषणोंका उल्लेख किया गया है—पहला विशेषण मिथ्यादर्शनसमूहमय, दूसरा अमृतसार और तीसरा

संविग्नसुखाधिगम्य है। मिथ्यादर्शनोंका समूह होते हुए भी वह मिथ्यात्वरूप नहीं है, यही उसकी सर्वोपरि विशेषता है और यह विशेषता उसके सापेक्ष नय-वादमें संनिहित है—सापेक्षनयमिथ्या नहीं होते, निरपेक्ष नय ही मिथ्या होते हैं*। जब सारी विरोधी दृष्टियाँ एकत्र स्थान पाती हैं तब फिर उनमें विरोध नहीं रहता और वे सहज ही कार्य-साधक बन जाती हैं। इसीपरसे दूसरा विशेषण ठीक घटित होता है, जिसमें उसे अमृतका अर्थात् भवदुःखके अभावरूप अविनाश मोक्षका प्रदान करनेवाला बतलाया है; क्योंकि वह सुख अथवा भवदुःखविनाश मिथ्यादर्शनोंसे प्राप्त नहीं होता, इसे हम ५१वीं गाथासे जान चुके हैं। तीसरे विशेषणके द्वारा यह सुझाया गया है कि जो लोग संसारके दुःखों-क्लेशोंसे उद्विग्न होकर संवेगको प्राप्त हुए हैं—सच्चे मुमुक्षु बने हैं—उनके लिये जैन-दर्शन अथवा जिनशासन सुखसे समझमें आने योग्य है—कोई कठिन नहीं है। इससे पहले ६४वीं गाथामें ‘अत्यगई उण णयवायगहणलीणा दुरभिगम्मा’ वाक्यके द्वारा सूत्रोंकी जिस अर्थगतिको नयवादके गहन-वनमें लीन और दुर-भिगम्य बतलाया था उसीको ऐसे अधिकारियोंके लिये यहाँ सुगम घोषित किया गया है, यह सब अनेकान्तदृष्टिकी महिमा है। अपने ऐसे गुणोंके कारण ही जिनवचन भगवत्पदको प्राप्त है—पूज्य है।

ग्रन्थकी अन्तिम गाथामें जिस प्रकार जिनशासनका स्मरण किया गया है उसी प्रकार वह आदिम गाथामें किया गया है। आदिम गाथामें किन विशेषणोंके साथ स्मरण किया गया है यह भी पाठकोंके जानने योग्य है और इसलिये उस गाथा को भी यहाँ उद्धृत किया जाता है—

सिद्धं सिद्धत्थाणं ठाणमण वमसुहं उवगथाणं ।

कुसमय-विसासणं सासणं जिण्णणं भवजिण्णणं ॥१॥

इसमें भवको जीतनेवाले जिनों—अर्हन्तोंके शासन—आगमके चार विशेषण दिये गये हैं—१ सिद्ध, २ सिद्धार्थोंका स्थान, ३ शरणागतोंके लिये अनुपम

* मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तताऽस्ति नः ।

निरपेक्षा नया मिथ्याः सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ॥ १०८ ॥

—देवागमे, स्वामिसमन्तभद्रः ।

सुखस्वरूप, ४ दुःसमर्थों—एकान्तवादर्प मिथ्यामतोंका निवारक । प्रथम विशेषणके द्वारा यह प्रकट किया गया है कि जैनशासन अपने ही गुणोंसे आप प्रतिष्ठित है । उसके द्वारा प्रतिपादित सब पदार्थ प्रमाणसिद्ध हैं—कल्पित नहीं हैं—यह दूसरे विशेषणका अभिप्राय है और वह प्रथम विशेषण सिद्धत्वका प्रधान कारण भी है । तीसरा विशेषण बहुत कुछ स्पष्ट है और उसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जो लोग वास्तवमें जैनशासनका आश्रय लेते हैं उन्हें अनुपम मोक्ष-सुख तककी प्राप्ति होती है । चौथा विशेषण यह बतलाता है कि जैनशासन उन सब कुशासनों—मिथ्यादर्शनोंके गर्वको चूर चूर करनेकी शक्तिसे सम्पन्न है जो सर्वथा एकान्तवादका आश्रय लेकर शासनारूढ बने हुए हैं और मिथ्यातत्त्वोंके प्रवृत्त-द्वारा जगतमें दुःखोंका जाल फैलाये हुए हैं ।

इस तरह आदि-अन्तकी दोनों गाथाओंमें जिनशासन अथवा जिनवचन (जैनागम) के लिये जिन विशेषणोंका प्रयोग किया गया है उनसे इस शासन (दर्शन) का असाधारण महत्त्व और माहात्म्य ख्यापित होता है । और यह केवल कहनेकी ही बात नहीं है बल्कि सारे ग्रन्थमें इसे प्रदर्शित करके बतलाया गया है । स्वामी समन्तभद्रके शब्दोंमें 'अज्ञान' ग्रन्थकारकी व्याप्ति (प्रसार) को समुचित रूपसे दूर करके जिनशासनके माहात्म्यको जो प्रकाशित करना है उसका नाम प्रभावना है ‡ । यह ग्रन्थ अपने विषय-वर्णन और विवेचनादिके द्वारा इस प्रभावनाका बहुत कुछ साधक है और इसीलिये इसकी भी गणना प्रभावक-ग्रन्थोंमें की गई है । यह ग्रन्थ जैनदर्शनका अध्ययन करनेवालों और जैनदर्शनसे जैनतर दर्शनोंके भेदको ठीक अनुभव करनेकी इच्छा रखनेवालोंके लिये बड़े कामकी चीज है और उनके द्वारा खास मनोयोगके साथ पढ़े जाने तथा मनन किये जानेके योग्य है । इसमें अनेकान्तके अंगस्वरूप जिस नयवादकी प्रमुख चर्चा है और जिसे एक प्रकारसे 'दुरभिगम्य गहन-वन' बतलाया गया है—

‡ "अज्ञ न-तिमिर-व्याप्तिमपाकृत्य यथायथम् ।

जिन-शासन-माहात्म्य-प्रकाशः स्यात्प्रभावना ॥१८॥"

अमृतचन्द्रसूरिने भी जिसे 'गहन' और 'दुरासद' लिखा है ❀—उसपर जैन वाङ्मयमें कितने ही प्रकरण अथवा 'नयचक्र' जैसे स्वतन्त्र ग्रन्थ भी निर्मित हैं, उनका साथमें अध्ययन अथवा पूर्व परिचय भी इस ग्रंथके समुचित अध्ययनमें सहायक है। वास्तवमें यह ग्रंथ सभी तत्त्वजिज्ञासुओं एवं आत्महितैषियोंके लिये उपयोगी है। अभी तक इसका हिन्दी अनुवाद नहीं हुआ है। वीरसेवा-मन्दिरका विचार उसे प्रस्तुत करनेका है।

(क) ग्रन्थकार सिद्धसेन और उनकी दूसरी कृतियाँ—

इस 'सन्मति' ग्रन्थके कर्ता आचार्य सिद्धसेन हैं, इसमें किसीको भी कोई विवाद नहीं है। अनेक ग्रंथोंमें ग्रंथनामके साथ सिद्धसेनका नाम उल्लेखित है और इस ग्रन्थके वाक्य भी सिद्धसेन नामके साथ उद्धृत मिलते हैं; जैसे जयधवलामें आचार्य वीरसेनने 'रामटुवणा दविय' नामकी छठी गाथाको 'उक्तं च सिद्धसेणेण,' इस वाक्यके साथ उद्धृत किया है और पंचवस्तुमें आचार्य हरिभद्रने "आयरियसिद्धिसेणेण सम्मईए पईट्टुअजसेण" वाक्यके द्वारा 'सन्मति' को सिद्धसेनकी कृतिरूपमें निर्दिष्ट किया है, साथ ही कालो सहावणियई' नामकी एक गाथा भी उसकी उद्धृत की है। परन्तु ये सिद्धसेन कौनसे हैं—किस विशेष परिचयको लिये हुए हैं? कौनसे सम्प्रदाय अथवा आम्नायसे सम्बन्ध रखते हैं?, इनके गुरु कौन थे?, इनकी दूसरी कृतियाँ कौन-सी हैं? और इनका समय क्या है? ये सब बातें ऐसी हैं जो विवादका विषय जरूर हैं; क्योंकि जैनसमाजमें सिद्धसेन नामके अनेक आचार्य और प्रखर तार्किक विद्वान् भी हो गये हैं और इस ग्रंथमें ग्रंथकारने अपना कोई परिचय दिया नहीं, न रचनाकाल ही दिया है—ग्रन्थकी आदिम गाथामें प्रयुक्त हुए 'सिद्ध' पदके द्वारा श्लेषरूपमें अपने नामका सूचनमात्र किया है, इतना ही समझा जा सकता है। कोई प्रशस्ति भी किसी दूसरे विद्वान्के द्वारा निर्मित हो कर ग्रन्थके अन्तमें लगी हुई नहीं है। दूसरे जिन ग्रन्थों—खासकर द्वात्रि-

❀ देखो, पुरुषार्थसिद्धयुपाय—

"इति विविधभङ्ग-गहने सुदुस्तरे मार्गमूढदृष्टी-नाम्"। (५८)

"अत्यन्तनिशितधारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम्"। (५९)

शिकाओं तथा न्यायावतार—को इन्हीं आचार्यकी कृति समझा जाता और प्रतिपादन किया जाता है उनमें भी कोई परिचय-पद तथा प्रशस्ति नहीं है। और न कोई ऐसा स्पष्ट प्रमाण अथवा युक्तिवाद ही सामने लाया गया है जिससे उन सब ग्रन्थोंको एक ही सिद्धसेनकृत माना जासके। और इस लिये अधिकांशमें कल्पनाओं तथा कुछ भ्रान्त धारणाओंके आधारपर ही विद्वान् लोग उक्त बातोंके निराय तथा प्रतिपादनमें प्रवृत्त होते रहे हैं; इसीसे कोई भी ठीक निराय अभी तक नहीं हो पाया—वे विवादापन्न ही चली जाती हैं और सिद्धसेनके विषयमें जो भी परिचय-लेख लिखे गये हैं वे सब प्रायः खिचड़ी बने हुए हैं और कितनी ही गलतफ़हमियोंको जन्म दे रहे तथा प्रचारमें ला रहे हैं। अतः इस विषयमें गहरे अनुसन्धानके साथ गम्भीर विचारको जरूरत है और उसीका यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है।

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें सिद्धसेनके नामपर जो ग्रन्थ चढ़े हुए हैं उनमेंसे कितने ही ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो निश्चितरूपमें दूसरे उत्तरवर्ती सिद्धसेनोंकी कृतियाँ हैं; जैसे १ जीतकल्पचूणि, २ तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी टीका, ३ प्रवचनसारोद्धारकी वृत्ति, ४ एकविंशतिस्थानप्रकरण (प्रा०) और ५ सिद्धिश्रेयसमुदय (शक्रस्तव) नामका मंत्रगर्भित गद्यस्तोत्र। कुछ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनका सिद्धसेन नामके साथ उल्लेख तो मिलता है परन्तु आज वे उपलब्ध नहीं हैं, जैसे १ बृहत्पड्दर्शनसमुच्चय* (जैनग्रन्थावली पृ० ६४), २ विषो-ग्रहशमनविधि, जिसका उल्लेख उग्रादित्याचार्य (विक्रम ६ वीं शताब्दी) के 'कल्याणकारक' वैद्यक ग्रन्थ (२८-८५) में पाया जाता है† और ३ नीतिसार-

* हो सकता है कि यह ग्रंथ हरिभद्रसूरिका 'पड्दर्शनसमुच्चय' ही हो और किसी गलतीसे सूरतके उन सेठ भगवानदास कल्याणदासकी प्राइवेट रिपोर्टमें, जो पिटर्सन साहबकी नौकरीमें थे, दर्ज हो गया हो, जिसपरसे जैनग्रन्थावलीमें लिया गया है? क्योंकि इसके साथमें जिस टीकाका उल्लेख है उसे 'गुणरत्न' की लिखा है और हरिभद्रके पड्दर्शनसमुच्चयपर गुणरत्नकी टीका है।

† "शालावयं पूज्यपाद-प्रकटितमधिकं शल्यतंत्रं च पात्रस्वामि-प्रोक्तं विषो-ग्रहशमनविधिः सिद्धसेनैः प्रसिद्धैः।"

पुराण, जिसका उल्लेख केशवसेनसूरि-(वि० सं० १६८८) कृत कणामृतपुराण-के निम्न पद्योंमें पाया जाता है और जिनमें उसकी श्लोकसंख्या भी १५६३०० दी हुई है—

सिद्धोक्त-नीतिसारादिपुराणोद्भूत-सन्मति ।

विधास्यामि प्रमत्तार्थग्रन्थ सन्दर्भगर्भितम् ॥१६॥

खखाग्निरसवाणेन्दु(१५६३००) श्लोकसंख्या प्रसूत्रिता ।

नीतिसारपुराणस्य सिद्धसेनादिसूरिभिः ॥२८॥

उपलब्ध न होनेके कारण ये तीनों ग्रन्थ विचारमें कोई सहायक नहीं हो सकते । इन आठ ग्रन्थोंके अलावा चार ग्रन्थ और हैं—१ द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका, २ प्रस्तुत सन्मतिसूत्र, ३ न्यायावतार और ४ कल्याणमन्दिर । ‘कल्याण-मन्दिर’ नामका स्तोत्र ऐसा है जिसे श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धसेनदिवाकरकी कृति समझा और माना जाता है; जबकि दिगम्बर-परम्परामें वह स्तोत्रके अन्तिम पद्यमें सूचित किये हुए ‘कुमुदचन्द्र’ नामके अनुसार कुमुदचन्द्राचार्यकी कृति माना जाता है । इस विषयमें श्वेताम्बर-सम्प्रदायका यह कहना है कि ‘सिद्धसेनका नाम दीक्षाके समय कुमुदचन्द्र रक्खा गया था, आचार्यपदके समय उनका पुराना नाम ही उन्हें दे दिया गया था, ऐसा प्रभावचन्द्रसूरिके प्रभावकचरित (सं० १३३४) से जाना जाता है और इसलिये कल्याणमन्दिरमें प्रयुक्त हुआ ‘कुमुदचन्द्र’ नाम सिद्धसेनका ही नामान्तर है ।’ दिगम्बर समाज इसे पीछेकी कल्पना और एक दिगम्बर कृतिको हथियानेकी योजनामात्र समझता है; क्योंकि प्रभावकचरितके पहले सिद्धसेन-विषयक जो दो प्रबन्ध लिखे गये हैं उनमें कुमुदचन्द्र नामका कोई उल्लेख नहीं है—पं० सुखलालजी और पं० वैचरदासजीने अपनी प्रस्तावनामें भी इस बातको व्यक्त किया है । बादके बने हुए मेरुतुंगाचार्यके प्रबन्धचिन्तामणि (सं० १३६१) ग्रन्थमें और जिनप्रभूसूरिके विविधतीर्थकल्प (सं० १३८६) में भी उमे अपनाया नहीं गया है । राज-शेखरके प्रबन्धकोश अपरनाम चतुर्विंशति-प्रबन्ध (सं० १४०५) में कुमुदचन्द्र नामको अपनाया जरूर गया है परन्तु प्रभावकचरितके विरुद्ध कल्याणमन्दिर-स्तोत्रको ‘पार्श्वनाथद्वात्रिंशिका’ के रूपमें व्यक्त किया है और साथ ही यह भी

लिखा है कि वीरकी द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका स्तुतिसे जब कोई चमत्कार देखनेमें नहीं आया तब यह पार्श्वनाथद्वात्रिंशिका रची गई है, जिसके ११वें पद्यसे नहीं किन्तु प्रथम पद्यसे ही चमत्कारका प्रारम्भ हो गया * । ऐसी स्थितिमें पार्श्वनाथद्वात्रिंशिकाके रूपमें जो कल्याणमन्दिरस्तोत्र रचा गया वह ३२ पद्योंका कोई दूसरा ही होना चाहिये, न कि वर्तमान कल्याणमन्दिरस्तोत्र, जिसकी रचना ४४ पद्योंमें हुई है और इससे दोनों कुमुदचन्द्र भी भिन्न होने चाहियें । इसके सिवाय वर्तमान कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें 'प्राग्भारसंभृतनभासि रजांसि रोषात्' इत्यादि तीन पद्य ऐसे हैं जो पार्श्वनाथको दैत्यकृत उपसर्गसे युक्त प्रकट करते हैं, जो दिगम्बर-मान्यताके अनुकूल और श्वेताम्बर मान्यताके प्रतिकूल हैं; क्योंकि श्वेताम्बरीय आचारांग-निर्युक्तिमें वर्द्धमानको छोड़कर शेष २३ तीर्थंकरोंके तपःकर्मको निरूपण वर्णित किया है † । इससे भी प्रस्तुत कल्याणमन्दिर दिगम्बर कृति होनी चाहिये ।

प्रमुख श्वेताम्बर विद्वान् पं० सुखलालजी और पं० वेचरदासजीने ग्रन्थकी गुजराती प्रस्तावनामें विविधतीर्थकल्पको छोड़कर शेष पाँच प्रबन्धोंका सिद्धसेन-विषयक सार बहुविश्रामके साथ दिया है और उसमें किन्ती ही परस्पर विरोधी तथा मौलिक मतभेदकी बातोंका भी उल्लेख किया है और साथ ही यह निष्कर्ष निकाला है कि 'सिद्धसेन दिवाकरका नाम मूलमें कुमुदचन्द्र नहीं था, होता तो दिवाकर-विशेषणकी तरह यह श्रुतिप्रिय नाम भी किसी-न-किसी प्राचीन ग्रंथ-

* "इत्यादिश्रीवीरद्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका कृता । परं तस्मात्तादृशं चमत्कारमनालोक्य पश्चात् श्रीपार्श्वनाथद्वात्रिंशिकामभिकर्तुं कल्याणमन्दिरस्तवं चक्रे प्रथमश्लोके एव प्रासादस्थितात् शिखिशिखाग्रादिव लिगाद् धूमवर्तितरुदृतिष्ठत् ।"

—पाटनकी हेमचन्द्राचार्य-ग्रंथावलीमें प्रकाशित प्रबन्धकोश ।

† "सर्व्वेसि तवो कम्म निरुवसग्ग वण्णिय जिणाराणं ।

नवरं तु वड्ढमाणस्स सोवसग्गं मुण्येयव्वं ॥२७६॥

॥ यह प्रस्तावना ग्रन्थके गुजराती अनुवाद-भावार्थके साथ सन् १९३२में प्रकाशित हुई है और ग्रन्थका यह गुजराती संस्करण बादको अग्रजीमें अनुवादित होकर 'सन्मतितर्क' के नामसे सन् १९३६ में प्रकाशित हुआ है ।

में सिद्धसेनकी निश्चित कृति अथवा उसके उद्धृत वाक्योंके साथ जरूर उल्लेखित मिलता—प्रभावकचरितसे पहलेके किसी भी ग्रंथमें इसका उल्लेख नहीं है। और यह कि कल्याणमन्दिरको सिद्धसेनकी कृति सिद्ध करनेके लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है—वह सन्देहास्पद है।' ऐसी हालतमें कल्याणमन्दिरकी बातको यहाँ छोड़ ही दिया जाता है। प्रकृत-विषयके निर्णयमें वह कोई विशेष साधक-बाधक भी नहीं है।

अब रही द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका, सन्मतिसूत्र और न्यायावतारकी बात। न्यायावतार एक ३२ श्लोकोका प्रमाणनयविषयक लघुग्रन्थ है, जिसके आदिग्रन्थमें कोई मंगलाचरण तथा प्रशस्ति नहीं है, जो ग्रामतौरपर श्वेताम्बराचार्य सिद्धसेन-दिवाकरकी कृति माना जाता है और जिसपर श्वे० सिद्धषि (सं० ६६२) की विवृति और उस विवृतिपर देवभद्रकी टिप्पणी उपलब्ध है और ये दोनों टीकाएँ डा० पी० एल० वैद्यके द्वारा सम्पादित होकर सन् १९२८ में प्रकाशित हो चुकी हैं। सन्मतिसूत्र का परिचय ऊपर दिया ही जा चुका है। उसपर अभयदेवसूरिकी २५ हजारश्लोक-परिमाण जो संस्कृतटीका है वह उक्त दोनों विद्वानोंके द्वारा सम्पादित होकर संवत् १९८७ में प्रकाशित हो चुकी है। द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका ३२-३२ पद्योंकी ३२ कृतियाँ बतलाई जाती हैं, जिनमें से २१ उपलब्ध हैं। उपलब्ध द्वात्रिंशिकाएँ भावनगरकी जैनधर्मप्रसारक सभाकी तरफसे विक्रम संवत् १९६५ में प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जिस क्रमसे प्रकाशित हुई हैं उसी क्रमसे निर्मित हुई हों ऐसा उन्हें देखनेसे मालूम नहीं होता—वे बादको किसी लेखक अथवा पाठक-द्वारा उस क्रमसे संग्रह की अथवा कराई गई जान पड़ती हैं। इस बातको पं० सुखलालजी आदिने भी प्रस्तावनामें व्यक्त किया है। साथ ही यह बतलाया है कि ये सभी द्वात्रिंशिकाएँ सिद्धसेनने जैनदीक्षा स्वीकार करनेके पीछे ही रची हों ऐसा नहीं कहा जा सकता, इनमेंसे कितनी ही द्वात्रिंशिकाएँ (बत्तीसियाँ) उनके पूर्वश्रममें भी रची हुई हो सकती हैं।' और यह ठीक है, परन्तु ये सभी द्वात्रिंशिकाएँ एक ही सिद्धसेनकी रची हुई हों ऐसा भी नहीं कहा जा सकता; चुनांचे २१ वीं द्वात्रिंशिकाके विषयमें पं० सुखलालजी आदिने प्रस्तावनामें यह स्पष्ट स्वीकार भी किया है कि 'उसकी भाषारचना और वर्णित वस्तुकी दूसरी बत्तीसियोंके साथ तुलना करने पर ऐसा मालूम

होता है कि वह बत्तीसी किसी जुदे ही सिद्धसेनकी कृति है और चाहे जिस कारणसे दिवाकर (सिद्धसेन) की मानी जानेवाली कृतियोंमें दाखिल होकर दिवाकरके नामपर चढ़ गई है ।' इसे महावीरद्वात्रिंशिका ❁ लिखा है—महावीर नामका इसमें उल्लेख भी है; जबकि और किसी द्वात्रिंशिकामें 'महावीर' नामका उल्लेख नहीं है—प्रायः 'वीर' या 'वर्द्धमान' नामका ही उल्लेख पाया जाता है । इसकी पद्यसंख्या ३३ है और ३३वें पद्यमें स्तुतिका माहात्म्य दिया हुआ है; ये दोनों बातें दूसरी सभी द्वात्रिंशिकाओंसे विलक्षण हैं और उनसे इसके भिन्न-कर्तृत्वकी द्योतक हैं । इसपर टीका भी उपलब्ध है जब कि और किसी द्वात्रिंशिकापर कोई टीका उपलब्ध नहीं है । चन्द्रप्रभसूरिने प्रभावकचरितमें न्यायावतारकी, जिसपर टीका उपलब्ध है, गणना भी ३२ द्वात्रिंशिकाओंमें की है ऐसा कहा जाता है; परन्तु प्रभावकचरितमें वैसा कोई उल्लेख नहीं मिलता और न उसका समर्थन पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती अन्य किसी प्रबन्धसे ही होता है । टीकाकारोंने भी उसके द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिकाका अंग होनेकी कोई बात सूचित नहीं की, और इसलिये न्यायावतार एक स्वतंत्र ही ग्रंथ होना चाहिये तथा उसी रूपमें प्रसिद्धिको भी प्राप्त है ।

२१वीं द्वात्रिंशिकाके अन्तमें 'सिद्धसेन' नाम भी लगा हुआ है, जबकि ५वीं द्वात्रिंशिकाको छोड़कर और किसी द्वात्रिंशिकामें वह नहीं पाया जाता । हो सकता है कि ये नामवाली दोनों द्वात्रिंशिकाएँ अपने स्वरूपपरसे एक नहीं किन्तु दो अलग अलग सिद्धसेनोंसे सम्बन्ध रखती हों और शेष विना नामवाली द्वात्रिंशिकाएँ इनसे भिन्न दूसरे ही सिद्धसेन अथवा सिद्धसेनोंकी कृतिस्वरूप हों । पं० सुखलालजी और पं० बेचरदासजीने पहली पाँच द्वात्रिंशिकाओंको, जो वीर भगवानकी स्तुतिपरक हैं, एक ग्रूप (समुदाय)में रक्खा है और उस ग्रूप (द्वात्रि-

❁ यह द्वात्रिंशिका अलग ही है ऐसा ताडपत्रीय प्रतिसे भी जाना जाता है, जिसमें २० ही द्वात्रिंशिकाएँ अंकित हैं और उनके अन्तमें 'ग्रंथाग्रं ८३० मंगलमस्तु' लिखा है, जो ग्रन्थकी समाप्तिके साथ उसकी श्लोकसंख्याका भी द्योतक है । जैनग्रन्थावली (पृ० २८१) में उल्लेखित ताडपत्रीयप्रतिमें भी २० द्वात्रिंशिकाएँ हैं ।

शिकापंचक) का स्वामी समन्तभद्रके स्वयम्भूस्तोत्रके साथ साम्य घोषित करके तुलना करते हुए लिखा है कि 'स्वयम्भूस्तोत्रका प्रारम्भ जिस प्रकार स्वयम्भू शब्दसे होता है और अन्तिम पद्य (१४३) में ग्रन्थकारने श्लेषरूपसे अपना नाम समन्तभद्र सूचित किया है उसी प्रकार इस द्वात्रिंशिकापंचकका प्रारम्भ भी स्वयम्भू शब्दसे होता है और उसके अन्तिम पद्य (५, ३२) में भी ग्रन्थकारने श्लेषरूपमें अपना नाम सिद्धसेन दिया है।' इससे शेष १५ द्वात्रिंशिकाएँ भिन्न ग्रूप अथवा ग्रूपोंसे सम्बन्ध रखती हैं और उनमें प्रथम ग्रूपकी पद्धतिको न अपनाये जाने अथवा अन्तमें ग्रन्थकारका नामोल्लेख तक न होनेके कारण वे दूसरे सिद्धसेन या सिद्धसेनोंकी कृतियाँ भी हो सकती हैं। उनमेंसे ११वीं किसी राजाकी स्तुतिको लिए हुए है, छठी तथा आठवीं समीक्षात्मक हैं और शेष बारह दार्शनिक तथा वस्तुचर्चावाली हैं।

इन सब द्वात्रिंशिकाओंके सम्बन्धमें यहाँ दो बातें और भी नोट किये जानेके योग्य हैं—एक यह कि द्वात्रिंशिका (बत्तीसी) होनेके कारण जब प्रत्येककी पद्यसंख्या ३२ होनी चाहिये थी तब वह घट-बढ़रूपमें पाई जाती है। १०वींमें दो पद्य तथा २१वींमें एक पद्य बढ़ती है, और ८वींमें छह पद्योंकी, ११वींमें चारकी तथा १५वींमें एक पद्यकी घटती है। यह घट-बढ़ भावनगरकी उक्त मुद्रित प्रतिमें ही नहीं पाई जाती बल्कि पूनाके भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट और कलकत्ताकी एशियाटिक सोसाइटीकी हस्तलिखित प्रतियोंमें भी पाई जाती है। रचना-समयकी तो यह घट-बढ़ प्रतीतिका विषय नहीं—पं० मुखलालजी आदिने भी लिखा है कि 'बढ़-घटकी यह घालमेल रचनाके बाद ही किसी कारणसे होनी चाहिये।' इसका एक कारण लेखकोंकी असावधानी हो सकती है; जैसे १६वीं द्वात्रिंशिकामें एक पद्यकी कमी थी वह पूना और कलकत्ताकी प्रतियोंसे पूरी हो गई। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि किसीने अपने प्रयोजनके वश यह घालमेल की हो। कुछ भी हो, इससे उन द्वात्रिंशिकाओंके पूर्णरूपको समझने आदिमें बाधा पड़ रही है; जैसे ११वीं द्वात्रिंशिकासे यह मालूम ही नहीं होता कि वह कौनसे राजाकी स्तुति है, और इससे उसके रचयिता तथा रचना-कालको जाननेमें भारी बाधा उपस्थित है। यह नहीं हो सकता कि किसी विशिष्ट राजाकी स्तुति की जाय और उसमें उसका नाम तक भी न हो—दूसरी स्तुत्या-

त्मक द्वात्रिंशिकाओंमें स्तुत्यका नाम बराबर दिया हुआ है, फिर यही उससे शून्य रही हो यह कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता ! अतः जरूरत इस बातकी है कि द्वात्रिंशिका-विषयक प्राचीन प्रतियोंकी पूरी खोज की जाय । इससे अनुपलब्ध द्वात्रिंशिकाएँ भी यदि कोई होंगी तो उपलब्ध हो सकेंगी और उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंसे वे अशुद्धियाँ भी दूर हो सकेंगी जिनके कारण उनका पठन-पाठन कठिन हो रहा है और जिसकी पं० सुखलालजी आदिको भी भारी शिकायत है ।

दूसरी बात यह कि द्वात्रिंशिकाओंको स्तुतियाँ कहा गया है ॥ और इनके अवतारका प्रसङ्ग भी स्तुति-विषयका ही है; क्योंकि श्वेताम्बरीय प्रबन्धोंके अनुसार विक्रमादित्य राजाकी ओरसे शिवलिङ्गको नमस्कार करनेका अनुरोध होनेपर जब सिद्धसेनाचार्यने कहा कि यह देवता मेरा नमस्कार सहन करनेमें समर्थ नहीं है—मेरा नमस्कार सहन करनेवाले दूसरे ही देवता हैं—तब राजाने कौतुकवश, परिणामकी कोई पर्वाह न करते हुए नमस्कारके लिये विशेष आग्रह किया ‡ । इसपर सिद्धसेन शिवलिङ्गके सामने आसन जमाकर बैठ गये और उन्होंने अपने इष्टदेवकी स्तुति उच्चस्वर आदिके साथ प्रारम्भ करदी; जैसा कि निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

* “सिद्धसेणोण पारद्धा बत्तीसियाहि जिणथुई” × ×

—(गद्यप्रबन्ध-कथावली)

“तस्सागयस्स तेणं पारद्धा जिणथुई समत्ताहि ।

बत्तीसाहि बत्तीसियाहि उद्दामसद्देण ॥—(पद्यप्रबन्ध स० प्र० पृ० ५६)

न्यायावतारसूत्रं च श्रीवीरस्तुतिमप्यथ ।

द्वात्रिंशच्छलोकमानाश्च त्रिंशदन्याः स्तुतीरपि ॥ १४३ ॥

—प्रभावकचरित

‡ ये मत्प्रणामसोढारस्ते देवा अपरे ननु ।

किं भावि प्रणम त्वं द्राक् प्राह राजेति कौतुकी ॥ १३५ ॥

देवान्निजप्रणाम्याश्च दर्शय त्वं वदन्ति ।

भूपतिर्जल्पितस्तेनोत्पाते दोषो न मे नृप ॥ १३६ ॥

“श्रुत्वेति पुनरासीनः शिवलिङ्गस्य स प्रभुः ।

उदाजह्ये स्तुतिश्लोकान् तारस्वरकरस्तदा ॥ १३८ ॥

—प्रभावकचरित

ततः पद्मासनेन भूत्वा द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिकाभिर्देवं स्तुतिमुपचक्रमे ।”

—विविधतीर्थकल्प, प्रबन्धकोश

परन्तु उपलब्ध २१ द्वात्रिंशिकाओंमें स्तुतिपरक द्वात्रिंशिकाएँ केवल सात ही हैं, जिनमें भी एक राजाकी स्तुति होनेसे देवताविषयक स्तुतियोंकी कोटिसे निकल जाती है और इस तरह छह द्वात्रिंशिकाएँ ही ऐसी रह जाती हैं जिनका श्रीवीर-वर्द्धमानकी स्तुतिसे सम्बन्ध है और जो उस अवसरपर उच्चरित कही जा सकती हैं—शेष १४ द्वात्रिंशिकाएँ न तो स्तुति-विषयक हैं, न उक्त प्रसंगके योग्य हैं और इसलिये उनकी गणना उन द्वात्रिंशिकाओंमें नहीं की जा सकती जिनकी रचना अथवा उच्चारणा सिद्धसेनने शिवलिङ्गके सामने बैठकर की थी ।

यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि प्रभावकचरितके अनुसार स्तुति-का प्रारम्भ “प्रकाशितं त्वयैकेन यथा सम्यग्जगत्त्रयम् ।” इत्यादि श्लोकोंसे हुआ है, जिनमेंसे “तथा हि” शब्दके साथ चार श्लोकोंको † उद्धृत करके उनके

† चारों श्लोक इस प्रकार हैं —

प्रकाशितं त्वयैकेन यथा सम्यग्जगत्त्रयम् ।

समस्तैरपि नो नाथ ! वरतीर्याधिपैस्तथा ॥ १३९ ॥

विद्योतयति वा लोकं यथैकोऽपि निशाकरः ।

समुद्गतः समग्रोऽपि तथा किं तारकागणः ॥ १४० ॥

त्वद्वाक्यनोऽपि केषाञ्चिदबोध इति मेऽद्भुतम् ।

भानोर्मरीचकः कस्य नाम नालोकहेतवः ॥ १४१ ॥

नो वाऽद्भुतमुलूकस्य प्रकृत्या क्लिष्टचेतसः ।

स्वच्छा अपि तमस्त्वेन भासन्ते भास्वतः कराः ॥ १४२ ॥

लिखित पद्यप्रबन्धमें भी ये ही चारों श्लोक ‘तस्सागयस्य तेणं पारद्धा जिणायुई’ इत्यादि पद्यके अनन्तर ‘यथा’ शब्दके साथ दिये हैं ।

—(स० प्र० पृ० ५४ टि० १८)

आगे “इत्यादि” लिखा गया है। और फिर ‘न्यायावतारसूत्रं च’ इत्यादि श्लोक-द्वारा ३२ कृतियोंकी और सूचना की गई है, जिनमेंसे एक न्यायावतारसूत्र, दूसरी श्रीवीरस्तुति और ३० बत्तीस-बत्तीस श्लोकोंवाली दूसरी स्तुतियाँ हैं।

प्रबन्धचिन्तामणिके अनुसार स्तुतिका प्रारम्भ—

“प्रशान्तं दर्शनं यस्य सर्वभूताऽभयप्रदम् ।

मांगल्यं च प्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥”

इस श्लोकसे होता है, जिसके अनन्तर “इति द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका कृता” लिखकर यह सूचित किया गया है कि वह द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका स्तुतिका प्रथम श्लोक है। इस श्लोक तथा उक्त चारों श्लोकोंमेंसे किसीसे भी प्रस्तुत द्वात्रिंशिकाओंका प्रारम्भ नहीं होता है, न ये श्लोक किसी द्वात्रिंशिकामें पाये जाते हैं और न इनके साहित्यका उपलब्ध प्रथम २० द्वात्रिंशिकाओंके साहित्यके साथ कोई मेल ही खाता है। ऐसी हालतमें इन दोनों प्रबन्धों तथा लिखित पद्यप्रबन्धमें उल्लेखित द्वात्रिंशिका स्तुतियाँ उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंसे भिन्न कोई दूसरी ही होनी चाहियें। प्रभावकचरितके उल्लेखपरसे इसका और भी समर्थन होता है; क्योंकि उसमें ‘श्रीवीरस्तुति’ के बाद जिन ३० द्वात्रिंशिकाओंको “ग्रन्थाः स्तुतीः” लिखा है वे श्रीवीरसे भिन्न दूसरे ही तीर्थकरा-दिकी स्तुतियाँ जान पड़नी हैं और इसलिये उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंके प्रथम ग्रूप द्वात्रिंशिकापञ्चकमें उनका समावेश नहीं किया जा सकता, जिसमेंकी प्रत्येक द्वात्रिंशिका श्रीवीरभगवान्से ही सम्बन्ध रखती है। उक्त तीनों प्रबन्धोंके बाद बने हुए विविधतीर्थकल्प और प्रबन्धकोष (चतुर्विंशतिप्रबन्ध) में स्तुतिका प्रारम्भ ‘स्वयंभुवं भूतसहस्रेनेत्र’ इत्यादि पद्यसे होता है, जो उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंके प्रथम ग्रूपका प्रथम पद्य है, इसे देकर “इत्यादि श्रीवीरद्वात्रिंशद्-द्वात्रिंशिका कृता” ऐसा लिखा है। यह पद्य प्रबन्धवर्णित द्वात्रिंशिकाओंका सम्बन्ध उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंके साथ जोड़नेके लिये बादको अपनाया गया मालूम होता है; क्योंकि एक तो पूर्वर्चित प्रबन्धोंमें इसका कोई समर्थन नहीं होता, और उक्त तीनों प्रबन्धोंसे इसका स्पष्ट विरोध पाया जाता है। दूसरे, इन दोनों ग्रन्थोंमें द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिकाको एकमात्र श्रीवीरसे सम्बन्धित किया गया है और उसका विषय भी “देवं स्तोतुमुपचक्रमे” शब्दोंके द्वारा ‘स्तुति’

ही बतलाया गया है; परन्तु उस स्तुतिको पढ़नेसे शिर्वालिंगका विस्फोट होकर उसमेंसे वीरभगवान्की प्रतिमाका प्रादुर्भूत होना किसी ग्रन्थमें भी प्रकट नहीं किया गया—विविधतीर्थकल्पका कर्ता आदिनाथकी और प्रबन्धकोषका कर्ता पार्श्वनाथकी प्रतिमाका प्रकट होना बतलाता है। और यह एक असंगत-सी बात जान पड़ती है कि स्तुति तो किसी तीर्थकरकी की जाय और उसे करते हुए प्रतिमा किसी दूसरे ही तीर्थकरकी प्रकट होवे।

इस तरह भी उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंमें उक्त १४ द्वात्रिंशिकाएँ, जो स्तुतिविषय तथा वीरकी स्तुतिसे सम्बन्ध नहीं रखतीं, प्रबन्धवर्णित द्वात्रिंशिकाओंमें परिगणित नहीं की जा सकतीं। और इसलिये पं० सुखलालजी तथा पं० बेचरदासजीका प्रस्तावनामें यह लिखना कि 'शुरुआतमें दिवाकर (सिद्धसेन) के जीवनवृत्तान्तमें स्तुत्यात्मक बत्तीसियों (द्वात्रिंशिकाओं) को ही स्थान देनेकी जरूरत मालूम हुई और इनके साथमें संस्कृत भाषा तथा पद्य-संख्यामें समानता रखनेवाली परन्तु स्तुत्यात्मक नहीं ऐसी दूसरी घनी बत्तीसियाँ इनके जीवनवृत्तान्तमें स्तुत्यात्मक कृतिरूपमें ही दाखिल हो गईं और पीछे किसीने इस हकीकतको देखा तथा खोजा ही नहीं कि कही जानेवाली बत्तीस अथवा उपलब्ध इक्कीस बत्तीसियोंमें कितनी और कौन स्तुतिरूप हैं और कौन कौन स्तुतिरूप नहीं हैं, और इस तरह सभी प्रबन्धरचयिता आचार्योंको ऐसी मोटी भूलके शिकार बतलाना कुछ भी जीको लगनेवाली बात मालूम नहीं होती। उसे उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंकी संगति बिठलानेका प्रयत्नमात्र ही कहा जा सकता है, जो निराधार होनेसे समुचित प्रतीत नहीं होता।

द्वात्रिंशिकाओंकी इस सारी छान-बीन परसे निम्न बातें फलित होती हैं--

१. द्वात्रिंशिकाएँ जिस क्रमसे छपी हैं उसी क्रमसे निर्मित नहीं हुई हैं।
२. उपलब्ध २१ द्वात्रिंशिकाएँ एक ही सिद्धसेनके द्वारा निर्मित हुई मालूम नहीं होतीं।
३. न्यायावतारकी गणना प्रबन्धोल्लिखित द्वात्रिंशिकाओंमें नहीं की जा सकती।

४. द्वात्रिंशिकाओंकी पद्यसंख्यामें जो घट-बढ़ पाई जाती है वह रचनाके बाद हुई है और उसमें कुछ ऐसी घट-बढ़ भी शामिल है जो कि किसीके द्वारा जान बूझकर अपने किसी प्रयोजनके लिये की गई हो। ऐसी द्वात्रिंशिकाओंका पूर्णरूप अभी अनिश्चित है।

५. उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंका प्रबन्धोंमें वर्णित द्वात्रिंशिकाओंके साथ, जो सब स्तुत्यात्मक हैं और प्रायः एक ही स्तुतिग्रन्थ 'द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका' की अंग जान पड़ती हैं, सम्बन्ध ठीक नहीं बैठता। दोनों एक दूसरेसे भिन्न तथा भिन्नकर्तृक प्रतीत होती हैं।

ऐसी हालतमें किसी द्वात्रिंशिकाका कोई वाक्य यदि कहीं उद्धृत मिलता है तो उसे उसी द्वात्रिंशिका तथा उसके कर्ता तक ही सीमित समझना चाहिये, शेष द्वात्रिंशिकाओंमेंसे किसी दूसरी द्वात्रिंशिकाके विषयके साथ उसे जोड़कर उसपरसे कोई दूसरी बात उस वक्त तक फलित नहीं की जानी चाहिये जब तक कि यह साबित न कर दिया जाय कि वह दूसरी द्वात्रिंशिका भी उसी द्वात्रिंशिकाकारकी कृति है। अस्तु।

अब देखना यह है कि इन द्वात्रिंशिकाओं और न्यायावतारमेंसे कौन-सी रचना सन्मतिमूत्रके कर्ता सिद्धसेन आचार्यकी कृति है अथवा हो सकती है? इस विषयमें पं० सुखलालजी और पं० बेचरदासजीने अपनी प्रस्तावनामें यह प्रतिपादन किया है कि २१ वीं द्वात्रिंशिकाको छोड़कर शेष २० द्वात्रिंशिकाएँ न्यायावतार और सन्मति ये सब एक ही सिद्धसेनकी कृतियाँ हैं और ये सिद्धसेन वे हैं जो उक्त श्वेताम्बरीय प्रबन्धोंके अनुसार वृद्धवादीके शिष्य थे और 'दिवाकर' नामके साथ प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। दूसरे श्वेताम्बर विद्वानोंका बिना किसी जाँच-पड़तालके अनुसरण करनेवाले कितने ही जैनतर विद्वानोंकी भी ऐसी ही मान्यता है और यह मान्यता ही उस सारी भूल-भ्रांतिका मूल है जिसके कारण सिद्धसेन-विषयक जो भी परिचय-लेख अब तक लिखे गये वे सब प्रायः खिचड़ी बने हुए हैं, कितनी ही गलतफहमियोंको फैला रहे हैं और उनके द्वारा सिद्धसेनके समयादिकका ठीक निर्णय नहीं हो पाता। इसी मान्यताको लेकर विद्वद्भर पं० सुखलालजीकी स्थिति सिद्धसेनके समय-सम्बन्ध-

में बराबर डाँवाडोल चली जाती है। आप प्रस्तुत सिद्धसेनका समय कभी विक्रमकी छठी शताब्दीसे पूर्व ५ वीं शताब्दी॥ बतलाते हैं, कभी छठी शताब्दीका भी उत्तरवर्ती समय × कह डालते हैं, कभी सन्दिग्धरूपमें छठी या सातवीं शताब्दी† निदिष्ट करते हैं और कभी ५ वीं तथा ६ ठी शताब्दीका मध्यवर्ती काल‡ प्रतिपादन करते हैं। और बड़ी मजेकी बात यह है कि जिन प्रबन्धोंके आधारपर सिद्धसेनदिवाकरका परिचय दिया जाता है उनमें 'न्यायावतार' का नाम तो किसी तरह एक प्रबन्धमें पाया भी जाता है परन्तु सिद्धसेनकी कृतिरूपमें सन्मतिसूत्रका कोई उल्लेख कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। इतनेपर भी प्रबन्ध-वर्णित सिद्धसेनकी कृतियोंमें उसे भी शामिल किया जाता है !! यह कितने आश्चर्यकी बात है इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

ग्रन्थकी प्रस्तावनामें पं० सुखलालजी आदिने, यह प्रतिपादन करते हुए कि 'उक्त प्रबन्धोंमें वे द्वात्रिंशिकाएँ भी जिनमें किसीकी स्तुति नहीं है और जो अन्य दर्शनों तथा स्वदर्शनके मन्त्रियोंके निरूपण तथा समालोचनको लिए हुए हैं स्तुतिरूपमें परिगणित हैं और उन्हें दिवाकर (सिद्धसेन) के जीवनमें उनकी कृतिरूपसे स्थान मिला है,' इसे एक 'पहेली' ही बतलाया है जो स्वदर्शनका निरूपण करनेवाले और द्वात्रिंशिकाओंसे न उतरनेवाले (नीचा दर्जा न रखनेवाले) 'सन्मतिप्रकरण'को दिवाकरके जीवनवृत्तान्त और उनकी कृतियोंमें स्थान क्यों नहीं मिला। परन्तु इस पहेलीका कोई समुचित हल प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रायः इतना कहकर ही सन्तोष धारण किया गया है कि सन्मतिप्रकरण यदि बत्तीस श्लोकपरिमाण होता तो वह प्राकृतभाषामें होते हुए भी

॥ सन्मतिप्रकरण-प्रस्तावना पृ० ३६, ४३, ६४, ६४।

× ज्ञानविन्दु-परिचय पृ० ६।

† सन्मतिप्रकरणके अंग्रेजी संस्करणका फोरवर्ड (Foreword) प्रौर भारतीयविद्यामें प्रकाशित 'श्रीसिद्धसेन दिवाकरना समयनो प्रश्न' नामक लेख—भा० वि० तृतीय भाग पृ० १५२।

‡ 'प्रतिभामूर्ति सिद्धसेन दिवाकर' नामक लेख—भारतीयविद्या तृतीय भाग पृ० ११।

दिवाकरके जीवनवृत्तान्तमें स्थान पाई हुई संस्कृत बत्तिसियोंके साथमें परिगणित हुए बिना शायद ही रहता ।' पहेलीका यह हल कुछ भी महत्त्व नहीं रखता । प्रबन्धोंसे इसका कोई समर्थन नहीं होता और न इस बातका कोई पता ही चलता है कि उपलब्ध जो द्वात्रिंशिकाएँ स्तुत्यात्मक नहीं है वे सब दिवाकर सिद्धमेनके जीवनवृत्तान्तमें दाखिल हो गई हैं और उन्हें भी उन्हीं सिद्धसेनकी कृतिरूपसे उनमें स्थान मिला है, जिससे उक्त प्रतिपादनका ही समर्थन होता— प्रबन्धवर्णित जीवनवृत्तान्तमें उनका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है । एकमात्र प्रभावकचरितमें 'न्यायावतार' का जो असम्बद्ध, असमर्थित और असमञ्जस उल्लेख मिलता है उसपरसे उसकी गणना उस द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिकाके अंगरूपमें नहीं की जा सकती जो सब जिन-स्तुतिपरक थीं, वह एक जुदा ही स्वतन्त्र ग्रंथ है, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है । और सम्मतिप्रकरणका बत्तीस श्लोकपरिमाण न होना भी सिद्धसेनके जीवनवृत्तान्तसे सम्बद्ध कृतियोंमें उसके परिगणित होनेके लिये कोई बाधक नहीं कहा जा सकता—खासकर उस हालतमें जबकि चवालीस पद्यसंख्यावाले कल्याणमन्दिरस्तोत्रको उनकी कृतियोंमें परिगणित किया गया है और प्रभावकचरितमें इस पद्यसंख्याका स्पष्ट उल्लेख भी साथमें मौजूद है॥ वास्तवमें प्रबन्धोंपरसे यह ग्रन्थ उन सिद्धसेनदिवाकरकी कृति मालूम ही नहीं होता, जो वृद्धवादीके शिष्य थे और जिन्हें आगमग्रन्थोंको संस्कृतमें अनुवादित करनेका अभिप्रायमात्र व्यक्त करनेपर पारश्चिकप्रायश्चित्त-के रूपमें बारह वर्ष तक श्वेताम्बरसंघसे बाहर रहनेका कठोर दण्ड दिया जाना बतलाया जाता है । प्रस्तुत ग्रंथको उन्हीं सिद्धसेनकी कृति बतलाना, यह सब बाद-की कल्पन और योजना ही जान पड़ती है ।

पं० सुखलालजीने प्रस्तावनामें तथा अन्यत्र भी द्वात्रिंशिकाओं, न्यायावतार और सम्मिसूत्रका एककर्तृत्व प्रतिपादन करनेके लिये कोई खास हेतु प्रस्तुत नहीं किया, जिससे इन सब कृतियोंको एक ही आचार्यकृत माना जा सके,

॥ ततश्चतुश्चत्वारिंशद्वृत्तां स्तुतिमसौ जगौ ।

कल्याणमन्दिरेत्यादिविख्यातां जिनशासने ॥ १४४ ॥

—वृद्धवादिप्रबन्ध पृ० १०१ ।

प्रस्तावनामें केवल इतना ही लिख दिया है कि 'इन सबके पीछे रहा हुआ प्रतिभाका समान तत्त्व ऐसा माननेके लिए ललचाता है कि ये सब कृतियाँ किसी एक ही प्रतिभाके फल हैं।' यह सब कोई समर्थ युक्तिवाद न होकर एक प्रकारसे अपनी मान्यताका प्रकाशनमात्र है; क्योंकि इन सभी ग्रन्थोंपरसे प्रतिभाका ऐसा कोई असाधारण समान तत्त्व उपलब्ध नहीं होता जिसका अन्यत्र कहीं भी दर्शन न होता हो। स्वामी समन्तभद्रके मात्र स्वयम्भूस्तोत्र और आसमीमांसा ग्रन्थोंके साथ-इन ग्रन्थोंकी तुलना करते हुए स्वयं प्रह्लादनालेखकोंने दोनोंमें 'पुष्कल साम्य' का होना स्वीकार किया है और दोनों आचार्योंकी ग्रन्थ-निर्माणादि-विषयक प्रतिभाका कितना ही चित्रण किया है। और भी अकलंक-विद्यानन्दादि कितने ही आचार्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा इन ग्रन्थोंके पीछे रहने-वाली प्रतिभासे कम नहीं है, तब प्रतिभाकी समानता ऐसी कोई बात नहीं रह जाती जिसकी अन्यत्र उपलब्धि न हो सके और इसलिये एकमात्र उसके आधार-पर इन सब ग्रन्थोंको, जिनके प्रतिपादनमें परस्पर कितनी ही विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, एक ही आचार्यकृत नहीं कहा जा सकता। जान पड़ता है समान-प्रतिभाके उक्त लालचमें पड़कर ही बिना किसी गहरी जाँच-पड़तालके इन सब ग्रन्थोंको एक ही आचार्यकृत मान लिया गया है; अथवा किसी साम्प्रदायिक मान्यताको प्रश्रय दिया गया है जबकि वस्तुस्थिति वैसी मालूम नहीं होती। गम्भीर गवेषणा और इन ग्रन्थोंकी अन्तःपरीक्षादिपरसे मुझे इस बातका पता चला है कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन अनेक द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनसे भिन्न हैं। यदि २१वीं द्वात्रिंशिकाको छोड़कर शेष २० द्वात्रिंशिकाएँ एक ही सिद्धसेनकी कृतियाँ हों तो वे उनमेंसे किसी भी द्वात्रिंशिकाके कर्ता नहीं हैं, अन्यथा कुछ द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता हो सकते हैं। न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनकी भी ऐसी ही स्थिति है वे सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनसे जहाँ भिन्न हैं वहाँ कुछ द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनसे भी भिन्न हैं और उक्त २० द्वात्रिंशिकाएँ यदि एकसे अधिक सिद्धसेनोंकी कृतियाँ हों तो वे उनमेंसे कुछके कर्ता हो सकते हैं, अन्यथा किसीके भी कर्ता नहीं बन सकते। इस तरह सन्मतिसूत्रके कर्ता, न्यायावतारके कर्ता और कतिपय द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता तीन सिद्धसेन अलग अलग हैं—शेष द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता इन्हींमेंसे कोई एक या दो अथवा तीनों हो सकते

हैं और यह भी हो सकता है कि किसी द्वात्रिंशिकाके कर्ता इन तीनोंसे भिन्न कोई अन्य ही हों। इन तीनों सिद्धसेनोंका अस्तित्वकाल एक दूसरेसे भिन्न अथवा कुछ अन्तरालको लिये हुए है और उनमें प्रथम सिद्धसेन कतिपय द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता, द्वितीय सिद्धसेन सन्मतिसूत्रके कर्ता और तृतीय सिद्धसेन न्यायावतारके कर्ता हैं। नीचे अपने अनुसन्धान-विषयक इन्हीं सब बातोंको संक्षेपमें स्पष्ट करके बतलाया जाता है:—

(१) सन्मतिसूत्रके द्वितीय काण्डमें केवलीके ज्ञान-दर्शन-उपयोगोंकी क्रम-वादिता और युगपद्वादितामें दोष दिखाते हुए अभेदवादिता अथवा एकोपयोग-वादिताका स्थापन किया है। साथ ही, ज्ञानावरण और दर्शनावरणका युगपत् क्षय मानते हुए भी यह बतलाया है कि दो उपयोग एक साथ कहीं नहीं होते और केवलीमें वे क्रमशः भी नहीं होते। इन ज्ञान और दर्शन उपयोगोंका भेद मनःपर्ययज्ञान पर्यन्त अथवा छद्मस्थावस्था तक ही चलता है, केवलज्ञान हां-जानेपर दोनोंमें कोई भेद नहीं रहता—तब ज्ञान कहो अथवा दर्शन एक ही बात है, दोनोंमें कोई विषय-भेद चरितार्थ नहीं होता। इसके लिए अथवा आगमग्रन्थोंसे अपने इस कथनकी सङ्गति बिठलानेके लिए दर्शनकी 'अर्थविशेष-रहित निराकार सामान्यग्रहरूप' जो परिभाषा है उसे भी बदल कर रक्खा है अर्थात् यह प्रतिपादन किया है कि अस्पृष्ट तथा अविषयरूप पदार्थमें अनुमान-ज्ञानको छोड़कर जो ज्ञान होता है वह दर्शन है।' इस विषयसे सम्बन्ध रखने-वाली कुछ गाथाएँ नमूनेके तौरपर इस प्रकार हैं—

मणपञ्जवणाणंते णाणस्स दरिसणस्स य विसेसो ।

केवलणाणं पुणं दंसणं ति णाणं ति य समाणं ॥ ३ ॥

केई भणंति 'जइया जाणइ तइया ण पासइ जिणो' त्ति ।

सुत्तमवलंबमाणा तित्थयरासायणाभीरू ॥ ४ ॥

केवलणाणावरणक्खयजायं केवलं जहा णाणं ।

तह दंसणं पि जुज्जइ णियआवरणक्खयस्संते ॥ ५ ॥

सुत्तस्मि चेव 'साइ अपञ्जवसियं' ति केवलं वुत्तं ।

सुत्तासायणभीरूहि तं च दट्ठवयं होइ ॥ ७ ॥

सन्तम्भि केवले दंसणम्भि णाणस्स संभवो णत्थि ।
 केवलणाणम्भि य दंसणस्स तम्हा सण्हणाइं ॥ ८ ॥
 दंसणणाणावरणक्खए समाणम्भि कस्स पुव्वअरं ।
 होज्ज समं उप्पाओ हंदि दुवे णत्थि उवओगा ॥ ९ ॥
 अण्णायं पासंतो अहिट्ठं च अरहा वियाणंतो ।
 किं जाणइ किं पासइ कह सव्वण्णूत्ति वा होइ ॥ १३ ॥
 णाणं अप्पुट्ठे अविसए य अत्थम्भि दंसणं होइ ।
 मोत्तूण लिंगओ जं अणागयाईयविसएसु ॥ २५ ॥
 जं अप्पुट्ठे भावे जाणइ पासइ य केवली णत्थिमा ।
 तम्हा तं णाणं दंसणं च अविसेसओ सिद्धा ॥ ३० ॥

इसीसे सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन अभेदवादके पुरस्कृता माने जाते हैं । टीकाकार अभयदेवसूरि और ज्ञानविन्दुके कर्ता उपाध्याय यशोविजयने भी ऐसा ही प्रतिपादन किया है । ज्ञानविन्दुमें तो एतद्विषयक सन्मति-गाथाओंकी व्याख्या करते हुए उनके इस वादको “श्रीसिद्धसेनोपज्ञनव्यमतं” (सिद्धसेनकी अपनी ही सूक्त-बुक्त अथवा उपजरूप नया मत) तक लिखा है । ज्ञानविन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनाके आदिमें पं० सुखलालजीने भी ऐसी ही घोषणा की है ।

(२) पहली, दूसरी और पांचवीं द्वात्रिंशकाएँ युगपद्वादकी मान्यताको लिये हुए हैं; जैसा कि उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है—

क—जगन्नेकावस्थं युगपदखिलाऽनन्तविषयं

यदेतत्प्रत्यक्षं तव न च भवान् कस्यचिदपि ।

अनेनैवाऽचिन्त्य-प्रकृति-रस-सिद्धेस्तु विदुषां

समीक्ष्यैतद्द्वारं तव गुण-कथात्का वयमपि ॥ १-३२ ॥

ख—नाऽर्थान् विवित्ससि न वेत्स्यसि नाऽप्यवेत्सी-
 र्न ज्ञातवानसि न तेऽच्युत ! वेद्यमस्ति ।

त्रैकाल्य-नित्य-विषयं युगपच्च विश्वं

पश्यस्यचिन्त्य-चरिताय नमोऽस्तु तुभ्यम् ॥ २-३० ॥”

ग.—अनन्तमेकं युगपत् त्रिकालं शब्दादिभिर्निर्गतिघातवृत्ति ॥ ५-२१ ॥

दुरापमाप्तं यदचिन्त्य-भूति-ज्ञानं त्वया जन्म-जराऽन्तकृत् ।

तेनाऽसि लोकानभिभूय सर्वान्सर्वज्ञ ! लोकोत्तमतामुपेतः ॥१-२२॥

इन पद्योंमें ज्ञान और दर्शनके जो भी त्रिकालवर्ती अनन्त विषय हैं उन सबको युगपत् जानने-देखनेकी बात कही गई है अर्थात् त्रिकालगत विद्वके सभी साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त, सूक्ष्म-स्थूल, दृष्ट-अदृष्ट, ज्ञात-अज्ञात, व्यवहित-अव्यवहित आदि पदार्थ अपनी-अपनी अनेक-अनन्त अवस्थाओं अथवा पर्यायों-सहित वीरभगवान्के युगपत् प्रत्यक्ष हैं, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। यहाँ प्रयुक्त हुआ 'युगपत्' शब्द अपनी खास विशेषता रखता है और वह ज्ञान-दर्शनके यौगपद्यका उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार स्वामी समन्तभद्रप्रणीत आस-मीमांसा (देवागम) के 'तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम्' (का० १०१) इस वाक्यमें प्रयुक्त हुआ 'युगपत्' शब्द, जिसे ध्यानमें लेकर और पादटिप्पणीमें पूरी कारिकाको उद्धृत करते हुए पं० सुखलालजीने ज्ञानबिन्दुके परिचयमें लिखा है—'दिगम्बराचार्य समन्तभद्रने भी अपनी 'आसमीमांसा' में एकमात्र यौगपद्य-पक्षका उल्लेख किया है।' साथ ही, यह भी बतलाया है कि 'भट्ट अकलङ्कने इस कारिकागत अपनी 'अष्टशती' व्याख्यामें यौगपद्य पक्षका स्थापन करते हुए क्रमिक पक्षका, सक्षेपमें पर स्पष्टरूपमें, खण्डन किया है', जिसे पादटिप्पणीमें निम्न प्रकारसे उद्धृत किया है:—

“तज्ज्ञान-दर्शनयोः क्रमवृत्तौ हि सर्वज्ञत्वं कादाचित्कं स्यात् । कुत-स्तत्सिद्धिरिति चेत् सामान्य-विशेष-विषययोर्विगतावरणयोर्युगपत्प्रति-भासायोगात् प्रतिबन्धकान्तराऽभावात् ।”

ऐसी हालतमें इन तीन द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता वे सिद्धसेन प्रतीत नहीं होते जो सन्मत्तिसूत्रके कर्ता और अभेदवादके प्रस्थापक अथवा पुरस्कर्ता हैं; बल्कि वे सिद्धसेन जान पड़ते हैं जो केवलीके ज्ञान और दर्शनका युगपत् होना मानते थे। ऐसे एक युगपद्वादी सिद्धसेनका उल्लेख विक्रमकी ८वीं-९वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य हरिभद्रने अपनी 'नन्दीवृत्ति' में किया है । नन्दीवृत्तिमें 'केई भणति जुगवं जाणइ पासइ य केवली नियमा' इत्यादि दो गाथाओंको उद्धृत करके, जो कि जिनभद्रक्षमाश्रमणके 'विशेषणवती' ग्रन्थकी हैं, उनकी व्याख्या करते हुए लिखा है—

“केचन सिद्धसेनाचार्यादयः भणन्ति, किं ? ‘युगपद्’ एकस्मिन्नेव काले जानाति पश्यति च, कः ? केवली, न त्वन्यः, नियमात् नियमेन ।”

नन्दीसूत्रके ऊपर मलयगिरिसूरिने जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने भी युगपद्वादका पुरस्कर्ता सिद्धसेनाचार्यको बतलाया है । परन्तु उपाध्याय यशो-विजयने, जिन्होंने सिद्धसेनको अभेदवादका पुरस्कर्ता बतलाया है, ज्ञानबिन्दुमें यह प्रकट किया है कि ‘नन्दीवृत्तिमें सिद्धसेनाचार्यका जो युगपद् उपयोगवादित्व कहा गया है वह अभ्युपगमवादके अभिप्रायसे है, न कि स्वतन्त्रसिद्धान्तके अभि-प्रायसे; क्योंकि क्रमोपयोग और अक्रम (युगपद्), उपयोगके पर्यनुयोगाजन्तर ही उन्होंने सन्मतिसूत्रमें अपने पक्षका उद्भावन किया है †’, जो कि ठीक नहीं है । मालूम होता है उपाध्यायजीकी दृष्टिमें सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन ही एकमात्र सिद्धसेनाचार्यके रूपमें रहे हैं और इसीसे उन्होंने सिद्धसेन-विषयक दो विभिन्न वादोंके कथनोंसे उत्पन्न हुई असङ्गतिको दूर करनेका यह प्रयत्न किया है, जो ठीक नहीं है । चुनौचे पं० सुखलालजीने उपाध्यायजीके इस कथनको कोई महत्त्व न देते हुए और हरिभद्र जैसे बहुश्रुत आचार्यके इस प्राचीनतम उल्लेखकी महत्ता-का अनुभव करते हुए ज्ञानबिन्दुके परिचय (पृ० ६०) में अन्तको यह लिखा है कि “समान नामवाले अनेक आचार्य होते आए हैं । इसलिये असम्भव नहीं कि सिद्धसेनदिवाकरसे भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जो कि युगपद्वादके समर्थक हुए हों या माने जाते हों ।” वे दूसरे सिद्धसेन अन्य कोई नहीं, उक्त तीनों द्वात्रिंशिकाओंमेंसे किसीके भी कर्ता होने चाहियें । अतः इन तीनों द्वात्रिं-शिकाओंको सन्मतिसूत्रके कर्ता आचार्य सिद्धसेनकी जो कृति माना जाता है वह ठीक और संगत प्रतीत नहीं होता । इनके कर्ता दूसरे ही सिद्धसेन हैं जो केवली के विषयमें युगपद्-उपयोगवादी थे और जिनकी युगपद्-उपयोगवादित्वाका समर्थन हरिभद्राचार्यके उक्त प्राचीन उल्लेखसे भी होता है ।

† “यत्तु युगपदुपयोगवादित्वं सिद्धसेनाचार्याणां नन्दिवृत्तावुक्तं तदभ्युपगम-वादाभिप्रायेण, न तु स्वतन्त्रसिद्धान्ताभिप्रायेण, क्रमाऽक्रमोपयोगद्वयपर्यनुयोगा-न्तरमेव स्वपक्षस्य सम्मतौ उद्भावितत्वादिति दृष्टव्यम् ।”

(३) १६वीं निश्चयद्वात्रिशिकामें “सर्वोपयोग-द्वैविध्यमनेनोक्तमनक्षरम्” इस वाक्यके द्वारा यह सूचित किया गया है कि ‘सब जीवोंके उपयोगका द्वैविध्य अविनश्वर है।’ अर्थात् कोई भी जीव संसारी हो अथवा मुक्त, छद्मस्थज्ञानी हो या केवली सभीके ज्ञान और दर्शन दोनों प्रकारके उपयोगोंका सत्त्व होता है—यह दूसरी बात है कि एकमें वे क्रमसे प्रवृत्त(चरितार्थ)होते हैं और दूसरेमें आवरण-भावके कारण युगपत् । इससे उस एकोपयोगवादका विरोध आता है जिसका प्रतिपादन सन्मतिसूत्रमें केवलीको लक्ष्यमें लेकर किया गया है और जिसे अभेद-वाद भी कहा जाता है। ऐसी स्थितिमें यह १६वीं द्वात्रिंशिका भी सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनकी कृति मालूम नहीं होती।

(४) उक्त निश्चयद्वात्रिशिका(१६)में श्रुतज्ञानको मतिज्ञानसे अलग नहीं माना है—लिखा है कि ‘मतिज्ञानसे अधिक अथवा भिन्न श्रुतज्ञान कुछ नहीं है, श्रुतज्ञानको अलग मानना व्यर्थ तथा अतिप्रसङ्ग दोषको लिये हुए है।’ और इस तरह अवधिज्ञानसे भिन्न मनः पर्ययज्ञानकी मान्यताका भी निषेध किया है—लिखा है कि या तो द्वीन्द्रियादिक जीवोंके भी, जो कि प्रार्थना और प्रतिघातके कारण चेष्टा करते हुए देखे जाते हैं, मनःपर्ययविज्ञानका मानना युक्त होगा अन्यथा मनः-पर्ययज्ञान कोई जुदी वस्तु नहीं है। इन दोनों मन्तव्योंके प्रतिपादक वाक्य इस प्रकार है:—

“वैयर्थ्याऽतिप्रसंगाभ्या न मत्यधिकं श्रुतम् ।

सर्वेभ्यः केवलं चक्षुस्तमःक्रम-विवेककृत् ॥१३॥”

“प्रार्थना-प्रतिघाताभ्यां चेष्टन्ते द्वीन्द्रियादयः ।

मनःपर्यायविज्ञानं युक्तं तेषु न वाऽन्यथा ॥१४॥”

यह सब कथन सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है; क्योंकि उसमें श्रुतज्ञान और मनः पर्ययज्ञान दोनोंको अलग ज्ञानोंके रूपमें स्पष्टरूपसे स्वीकार किया गया है—जैसा कि उसके द्वितीय † काण्डगत निम्न वाक्योंसे प्रकट है:—

“मणपज्जवणाणंतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो ॥३॥”

“जेण मणोविसयगयाण दंसणं णत्थि दव्वजायाणं ।

† तृतीयकाण्डमें भी आगमश्रुतज्ञानको प्रमाणरूपमें स्वीकार किया है।

तो मएपञ्जवणाणं णियमा णाणं तु णिहिट्ठं ॥१६॥”

“मएपञ्जवणाणं दंसणं ति तेणेह होइ ए य जुत्तं ।

भएणइ णाणं णोइदियम्मि ए घडादओ जम्हा ॥२६॥”

“मइ-सुय-णाणणिमित्तो छुदुमत्थे होइ अत्थउवलंभो ।

एगयरम्मि वि तेसि ए दंसणं दंसणं कत्तो ? ॥२७॥

जं पच्चक्खग्गहणं एं इति सुयणाण-सम्मिया अत्था ।

तम्हा दंसणमदो ए होइ सयले वि सुयणाणे ॥२८॥”

ऐसी हालतमें यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि निश्चयद्वात्रिशिका (१६) उन्हीं सिद्धसेनाचार्यकी कृति नहीं है जो कि सन्मतिसूत्रके कर्ता हैं—दोनोंके कर्ता सिद्धसेननामकी समानताको धारण करते हुए भी एक दूसरेसे एकदम भिन्न हैं । साथ ही, यह कहनेमें भी कोई संकोच नहीं होता कि न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेन भी निश्चयद्वात्रिशिकाके कर्तासे भिन्न हैं; क्योंकि उन्होंने श्रुतज्ञानके भेदको स्पष्टरूपसे माना है और उसे अपने ग्रन्थमें शब्दप्रमाण अथवा आगम (श्रुत-शास्त्र) प्रमाणके रूपमें रक्खा है; जैसा कि न्यायावतारके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :—

“दृष्टेऽष्टाऽन्याहताद्वाक्यात्परमार्थाऽभिधायिनः ।

तत्त्व-ग्राहितयोत्पन्नं मानं शाब्दं प्रकीर्तितम् ॥८॥

ॐ आप्रोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्ट-विरोधकम् ।

तत्त्वोपदेशकृत्सार्व शास्त्र कापथ-घट्टनम् ॥९॥”

“नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तेः श्रुतवर्त्मनि ।

सम्पूर्णार्थविनिश्चायि स्याद्वादश्रुतमुच्यते ॥३०॥”

इस सम्बन्धमें पं० सुखलालजीने ज्ञानबिन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनामें, यह बतलाते हुए कि ‘निश्चयद्वात्रिशिकाके कर्ता सिद्धसेनने मति और श्रुतमें ही नहीं किन्तु ग्रन्थ और मनः पर्यायमें भी आगमसिद्ध भेद-रेखाके विरुद्ध तर्क

ॐ यह पद्य मूलमें स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्ड (समीचीनधर्मशास्त्र)का है, वहीसे उद्धृत किया गया है ।

करके उसे अमान्य किया है' एक फुटनोट-द्वारा जो कुछ कहा है वह इस प्रकार है:—

‘यद्यपि दिवाकरश्री (सिद्धसेन) ने अपनी बत्तीसी (निश्चय० १६) में मति और श्रुतके अभेदको स्थापित किया है फिर भी उन्होंने विरप्रचलित मति-श्रुतके भेदकी सर्वथा अवगणना नहीं की है। उन्होंने न्यायवतारमें आगमप्रमाण-को स्वतन्त्ररूपसे निर्विष्ट किया है। जान पड़ता है इस जगह दिवाकरश्रीने प्राचीन परम्पराका अनुसरण किया और उक्त बत्तीसीमें अपना स्वतन्त्र मत व्यक्त किया। इस तरह दिवाकरश्रीके ग्रन्थोंमें आगमप्रमाणको स्वतन्त्र अतिरिक्त मानने और न माननेवाली दोनों दर्शनान्तरीय धाराएं देखी जाती हैं जिनका स्वीकार ज्ञानबिन्दुमें उपाध्यायजीने भी किया है।” (पृ० २४)

इस फुटनोटमें जो बात निश्चयद्वात्रिशिका और न्यायावतारके मति-श्रुत-विषयक विरोधके समन्वयमें कही गई है वही उनकी तरफसे निश्चयद्वात्रिशिका और सन्मतिके अवधिमतःपर्यन्त-विषयक विरोधके समन्वयमें भी कही जा सकती है और समझनी चाहिये। परन्तु यह सब कथन एकमात्र तीनों ग्रन्थोंकी एककर्तृत्व-मान्यतापर अवलम्बित है, जिसका साम्प्रदायिक मान्यताको छोड़कर दूसरा कोई भी प्रबल आधार नहीं है और इसलिये जबतक द्वात्रिशिका, न्यायावतार और सन्तिसूत्र तीनोंको एक ही सिद्धसेनकृत सिद्ध न कर दिया जाय तब तक इस कथनका कुछ भी मूल्य नहीं है। तीनों ग्रन्थोंका एक-कर्तृत्व अभी तक सिद्ध नहीं है; प्रत्युत इसके द्वात्रिशिका और अन्य ग्रन्थोंके परस्पर विरोधी कथनोंके कारण उनका विभिन्नकर्तृक होना पाया जाता है। जान पड़ता है पं० सुखलाल-जीके हृदयमें यहाँ विभिन्न सिद्धसेनोंकी कल्पना ही उत्पन्न नहीं हुई और इसी लिये वे उक्त समन्वयकी कल्पना करनेमें प्रवृत्त हुए हैं, जो ठीक नहीं है; क्योंकि सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन-जैसे स्वतन्त्र विचारक यदि निश्चयद्वात्रिशिकाके कर्ता होते तो उनके लिये कोई वजह नहीं थी कि वे एक ग्रन्थमें प्रदर्शित अपने स्वतन्त्र विचारोंको दबाकर दूसरे ग्रन्थमें अपने विरुद्ध परम्पराके विचारोंका अनुसरण करते, खासकर उस हालतमें जब कि वे सन्मतिसंयोग-सम्बन्धी युगपद्वादादिकी प्राचीन-परम्पराका खण्डन करके अपने अभेदवाद-विषयक नये स्वतन्त्र विचारोंको प्रकट करते हुए देखे जाते हैं—वहींपर वे श्रुतज्ञान और मनःपर्यन्त-

ज्ञान-विषयक अपने उन स्वतन्त्र विचारोंको भी प्रकट कर सकते थे, जिनके लिये ज्ञानोपयोगका प्रकरण होनेके कारण वह स्थल (सन्मतिका द्वितीय काण्ड) उपयुक्त भी था; परन्तु वैसा न करके उन्होंने वहां उक्त द्वात्रिंशिकाके विरुद्ध अपने विचारोंको रक्खा है और इसलिये उसपरसे यही फलित होता है कि वे उक्त द्वात्रिंशिकाके कर्ता नहीं हैं—उसके कर्ता कोई दूसरे ही सिद्धसेन होने चाहियें। उपाध्याय यशोविजयजीने द्वात्रिंशिकाका न्यायावतार और सन्मतिके साथ जो उक्त विरोध बैठाता है उसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं कहा।

यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि श्रुतकी ग्रामान्यतारूप इस द्वात्रिंशिकाके कथनका विरोध न्यायावतार और सन्मतिके साथ ही नहीं है बल्कि प्रथम द्वात्रिंशिकाके साथ भी है, जिसके 'मुनिश्चतं नः' इत्यादि ३०वें पद्यमें 'जगत्प्रमाणं जिनवाक्यविप्रुषः' जैसे शब्दोंद्वारा अर्हत्प्रवचनरूप श्रुतको प्रमाण माना गया है।

(५) निश्चयद्वात्रिकाकी दो बातें और भी यहां प्रकट कर देनेकी हैं, जो सन्मतिके साथ स्पष्ट विरोध रखती हैं और वे निम्न प्रकार हैं:—

“ज्ञान-दर्शन-चारित्राण्युपायाः शिवहेतवः।

अन्योऽन्य-प्रतिपक्षत्वाच्छ्रुद्धावगम-शक्तयः ॥१॥”

इस पद्यमें ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रको मोक्ष-हेतुओंके रूपमें तीन उपाय (मार्ग) बतलाया है—तीनोंको मिलाकर मोक्षका एक उपाय निर्दिष्ट नहीं किया; जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रके प्रथमसूत्रमें 'मोक्षमार्गः' इस एकवचनात्मक पदके प्रयोग-द्वारा किया गया है। अतः ये तीनों यहाँ समस्तरूपमें नहीं किन्तु व्यस्त (अलग अलग) रूपमें मोक्षके मार्ग निर्दिष्ट हुए हैं और उन्हें एक दूसरेके प्रतिपक्षी लिखा है। साथ ही तीनों सम्प्रक् विशेषणसे शून्य है और दर्शनको ज्ञानके पूर्व न रखकर उसके अनन्तर रक्खा गया है, जो कि समूची द्वात्रिंशिकापरसे श्रद्धान् अर्थका वाचक भी प्रतीत नहीं होता। यह सब कथन सन्मतिसूत्रके निम्न वाक्योंके विरुद्ध जाता है, जिनमें सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी प्रतिपत्तिसे सम्पन्न भव्यजीव-को संसारके दुःखोंका अन्तकर्तारूपमें उल्लेखित किया है और कथनको हेतुवाद-सम्मत बतलाया है (३-४४) तथा दर्शन शब्दका अर्थ जिनप्रणीत पदार्थोंका श्रद्धान् ग्रहण किया है। साथ ही सम्यग्दर्शनके उत्तरवर्ती सम्यग्ज्ञानको सम्यग्दर्शन-

से युक्त बतलाते हुए वह इस तरह सम्यग्दर्शनरूप भी है, ऐसा प्रतिपादन किया है (२-३२, ३३):-

“एवं जिणपण्णत्ते सदहमाणस्स भावओ भावे ।

पुरिसस्साभिणिबोहे दंसणसदो हवइ जुत्तो ॥ २-३२ ॥

सम्मण्णाणे णियमेण दंसणं दंसणे उ भयणिज्जं ।

सम्मण्णाणं च इमं ति अत्थओ होइ उववणं ॥ २-३३ ॥”

“भविओ सम्महंसण-णाण-चरित्त-पडिवित्ति-संपण्णो ।

णियमा दुक्खंतकडो त्ति लक्खणं हेउवायस्स ॥ ३-४४ ॥”

निश्चयद्वात्रिंशिकाका यह कथन दूसरी कुछ द्वात्रिंशिकाओंके भी विरुद्ध पड़ता है, जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं—

“क्रियां च संज्ञान-वियोग-निष्फलां क्रिया-विहीनां च विबोधसंपदम् ।

निरस्यता क्लेश-समूह-शान्तये त्वया शिवायालिखितेव पद्धतिः॥१-२६॥”

“यथाऽगद-परिज्ञानं नालमाऽऽमय-शान्तये ।

अचारित्रं तथा ज्ञानं न बुद्ध्यध्य(व्य)वसायतः॥१७-२७॥”

इनमेंसे पहली द्वात्रिंशिकाके उद्धरणमें यह सूचित किया है कि ‘वीरजिनेन्द्रने सम्यग्ज्ञानसे रहित क्रिया (चारित्र)को और क्रियासे विहीन सम्यग्ज्ञानकी सम्पदाको क्लेशसमूहकी शान्ति अथवा शिवप्राप्तिके लिये निष्फल एवं असमर्थ बतलाया है और इसलिये ऐसी क्रिया तथा ज्ञानसम्पदाका निषेध करते हुए ही उन्होंने मोक्षपद्धतिका निर्माण किया है ।’ और १७वीं द्वात्रिंशिकाके उद्धरणमें बतलाया है कि ‘जिस प्रकार रोगनाशक औषधिका परिज्ञानमात्र रोगकी शान्तिके लिये समर्थ नहीं होता उसी प्रकार चारित्ररहितज्ञानको समझना चाहिए—वह भी अकेला भवरोगको शान्त करनेमें समर्थ नहीं है ।’ ऐसी हालतमें ज्ञान, दर्शन और चारित्रको अलग-अलग मोक्षकी प्राप्तिका उपाय बतलाना इन द्वात्रिंशिकाओंके भी विरुद्ध ठहरता है ।

“प्रयोग-विस्त्रसाकर्म तदभावस्थितिस्तथा ।

लोकानुभाववृत्तान्तः किं धर्माऽधर्मयोः फलम् ॥ १६-२४ ॥

आकाशमवगाहाय तदनन्या दिगन्यथा ।

तावप्येवमनुच्छेदात्ताभ्यां वाऽन्यमुदाहृतम् ॥ १६-२५ ॥

प्रकाशवदनिष्टं स्यात्साध्ये नार्थस्तु न श्रमः ।

जीव-पुद्गलयोरेव परिशुद्धः परिग्रहः ॥ १६-२६ ॥”

इन पद्योंमें द्रव्योंकी चर्चा करते हुए धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्योंकी मान्यताको निरर्थक ठहराया है तथा जीव और पुद्गलका ही परिशुद्ध परिग्रह करना चाहिए अर्थात् इन्हीं दो द्रव्योंको मानना चाहिए, ऐसी प्रेरणा की है । यह सब कथन भी सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है; क्योंकि उसके तृतीय काण्डमें द्रव्यगत उत्पाद तथा व्यय (नाश)के प्रकारोंको बतलाते हुए उत्पादके जो प्रयोगजनित (प्रयत्नजन्य) तथा वैज्ञानिक (स्वाभाविक) ऐसे दो भेद किये हैं उनमें वैज्ञानिक उत्पादके भी समुदायकृत तथा ऐकत्विक ऐसे दो भेद निर्दिष्ट किये हैं और फिर यह बतलाया है कि ऐकत्विक उत्पाद आकाशादिक तीन द्रव्यों (आकाश, धर्म, अधर्म) में परनिमित्तसे होता है और इसलिये अनियमित होता है । नाशकी भी ऐसी ही विधि बतलाई है । इससे सन्मतिकार सिद्धसेनकी इन तीन अमूर्तिक द्रव्योंके, जो कि एक एक हैं, अस्तित्व-विषयमें मान्यता स्पष्ट है । यथा—

“उप्पाओ दुवियप्पो पञ्चोगजणिओ य विस्ससा चेव ।

तत्थ उ पञ्चोगजणिओ समुदयवायो अपरिसुद्धो ॥३२॥

साभाविओ वि समुदयकओ व्व एगत्तिओ व्व होज्जाहि ।

आगासाईआणं तिण्हं परपच्चओऽणियमा ॥ ३३ ॥

विगमस्स वि एस विही समुदयजणियम्मि सो उ दुवियप्पो ।

समुदयविभागमेत्तं अत्थंतरभावगमणं च ॥ ३४ ॥”

इस तरह यह निश्चयद्वात्रिशिका कतिपय द्वात्रिशिकाओं, न्यायावतार और सन्मतिके विरुद्ध प्रतिपादनोंको लिए हुए है । सन्मतिके विरुद्ध तो वह सबसे अधिक जान पड़ती है और इसलिये किसी तरह भी सन्मतिकार सिद्धसेनकी कृति नहीं कही जा सकती । यही एक द्वात्रिशिका ऐसी है जिसके अन्तमें उसके कर्ता

सिद्धसेनाचार्यको अनेक प्रतियोंमें श्वेतपट (श्वेताम्बर) विशेषणके साथ 'द्वेष्य' विशेषणमे भी उल्लेखित किया गया है, जिसका अर्थ द्वेषयोग्य, विरोधी अथवा शत्रुका होता है और यह विशेषण सम्भवतः प्रसिद्ध जैन सैद्धान्तिक मान्यताओं-के विरोधके कारण ही उन्हें अपनी ही सम्प्रदायके किसी असहिष्णु विद्वान्-द्वारा दिया गया जान पड़ता है। जिस पुष्पिकावाक्यके साथ इस विशेषण पदका प्रयोग किया गया है वह भाण्डारकर इन्स्टिट्यूट पूना और एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल (कलकत्ता) की प्रतियोंमें निम्न प्रकारसे पाया जाता है:—

“द्वेष्य-श्वेतपटसिद्धसेनाचार्यस्य कृतिः निश्चयद्वात्रिंशिकैकोनविंशतिः ।”

दूसरी किसी द्वात्रिंशिकाके अन्तमें ऐसा कोई पुष्पिकावाक्य नहीं है। पूर्वकी १८ और उत्तरवर्ती १ ऐसे १९ द्वात्रिंशिकाओंके अन्तमें तो कर्ताका नाम तक भी नहीं दिया है—द्वात्रिंशिकाकी संख्यासूचक एक पंक्ति 'इति' शब्दसे युक्त अथवा वियुक्त और कहीं कहीं द्वात्रिंशिकाके नामके साथ भी दी हुई है।

(६) द्वात्रिंशिकाओंकी उपर्युक्त स्थितिमें यह कहना किसी तरह भी ठीक प्रतीत नहीं होता कि उपलब्ध सभी द्वात्रिंशिकाएँ अथवा २१ वीं को छोड़कर बीस द्वात्रिंशिकाएँ सन्मतिकार सिद्धसेनकी ही कृतियाँ हैं; क्योंकि पहली, दूसरी, पाँचवीं और उन्नीसवीं ऐसी चार द्वात्रिंशिकाओंकी बाबत हम ऊपर देख चुके हैं कि वे सन्मतिके विरुद्ध जानेके कारण सन्मतिकारकी कृतियाँ नहीं बनतीं। शेष द्वात्रिंशिकाएँ यदि इन्हीं चार द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनोंमेंसे किसी एक या एकसे अधिक सिद्धसेनोंकी रचनाएँ हैं तो भिन्न व्यक्तित्वके कारण उनमेंसे कोई भी सन्मतिकार सिद्धसेनकी कृति नहीं हो सकती। और यदि ऐसा नहीं है तो उनमेंसे अनेक द्वात्रिंशिकाएँ सन्मतिकार सिद्धसेनकी भी कृति हो सकती हैं; परन्तु हैं और अमुक अमुक हैं यह निश्चितरूपमें उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता जब तक इस विषयका कोई स्पष्ट प्रमाण सामने न आजाए।

(७) अब रही न्यायावतारकी बात, यह ग्रंथ सन्मतिसूत्रसे कोई एक शताब्दी-से भी अधिक बादका बना हुआ है; क्योंकि इसपर समन्तभद्रस्वामीके उत्तर-कालीन पात्रस्वामी (पात्रकेशरी) जैसे जैनाचार्योंका ही नहीं किन्तु धर्मकीर्ति और धर्मोत्तर जैसे बौद्धाचार्योंका भी स्पष्ट प्रभाव है। डा० हर्मन जैकोबीके मता-

नुसार † धर्मकीर्तिने दिग्नागके प्रत्यक्षलक्षण ॐ में ‘कल्पनापोढ’ विशेषणके साथ ‘अभ्रान्त’ विशेषणकी वृद्धि कर उसे अपने अनुरूप सुधारा था अथवा प्रशस्तरूप दिया था और इसलिये “प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्” यह प्रत्यक्षका धर्मकीर्ति-प्रतिपादित प्रसिद्धलक्षण है जो उनके न्यायबिन्दु ग्रन्थमें पाया जाता है और जिसमें ‘अभ्रान्त’ पद अपनी खास विशेषता रखता है। न्यायावतारके चौथे पद्यमें प्रत्यक्षका लक्षण, अकलङ्कदेवकी तरह ‘प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं’ न देकर, जो “अपरोक्षतयार्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशं प्रत्यक्षम्” दिया है और अगले पद्यमें, अनुमानका लक्षण देते हुए, ‘तदभ्रान्तं प्रमाणत्वात्समक्षवत्’ वाक्यके द्वारा उसे (प्रत्यक्षको) ‘अभ्रान्त’ विशेषणसे विशेषित भी सूचित किया है उससे यह साफ ध्वनित होता है कि सिद्धसेनके सामने—उनके लक्ष्यभेद-धर्मकीर्तिका उक्त लक्षण भी स्थित था और उन्होंने अपने लक्षणमें ‘ग्राहक’ पदके प्रयोग-द्वारा जहाँ प्रत्यक्षको व्यवसायात्मक ज्ञान बतलाकर धर्मकीर्तिके ‘कल्पनापोढ’ विशेषणका निरसन अथवा वेधन किया है वहाँ उनके ‘अभ्रान्त’ विशेषणको प्रकारान्तर-से स्वीकार भी किया है। न्यायावतारके टीकाकार सिद्धशि भी ‘ग्राहक’ पदके द्वारा बौद्धों (धर्मकीर्ति) के उक्त लक्षणका निरसन होना बतलाते हैं। यथा—

“ग्राहकमिति च निर्णायकं दृष्टव्यं, निर्णयाभावेऽर्थप्रदणायो गतात् ।
तेन यत् ताथागतैः प्रत्यपादि ‘प्रत्यक्षं’ कल्पनापोढमभ्रान्तम् [न्या. वि.
४] इति, तदपास्तं भवति । तस्य युक्तिरिक्तत्वात् ।”

इसी तरह ‘त्रिरूपास्त्रिज्ञाद्यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानं’ यह धर्मकीर्तिके अनुमानका लक्षण है। इसमें ‘त्रिरूपात्’ पदके द्वारा लिङ्गको त्रिरूपात्मक बतलाकर अनुमानके साधारण लक्षणको एक विशेषरूप दिया गया है। यहाँ इस अनुमानज्ञानको अभ्रान्त या भ्रान्त ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया गया; परन्तु न्यायबिन्दुकी टीकामें धर्मोत्तरने प्रत्यक्ष-लक्षणकी व्याख्या करते और उसमें

† देखो, ‘समराइच्चकहा’ की जैकोवीकृत प्रस्तावना तथा न्यायावतारकी डा. पी. एल. वैद्यकृत प्रस्तावना ।

ॐ “प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम् ।” (प्रमाणसमुच्चय) ।

“प्रत्यक्षं कल्पनापोढं यज्ज्ञानं नामजात्यादिकल्पनारहितम् ।” (न्यायप्रवेश) ।

प्रयुक्त हुए 'अभ्रान्त' विशेषणकी उपयोगिता बतलाते हुए "अभ्रान्तं ह्यनुमानम्" इस वाक्यके द्वारा अनुमानको अभ्रान्त प्रतिपादित किया है। जान पड़ता है इस सबको भी लक्ष्यमें रखते हुए ही सिद्धसेनने अनुमान के "साध्याविनाभ्रुतो (वो) लिगात्साध्यनिश्चायकमनुमानं" इस लक्षणका विधान किया है और इसमें लिंग का 'साध्याविनाभावी' ऐसा एकरूप देकर धर्मकीर्तिके 'त्रिरूप'का—पक्षधर्मत्व, सपक्षेसत्व तथा विपक्षासत्त्वरूपका निरम्न किया है। साथ ही, 'तदभ्रान्तं समक्षवत्' इस वाक्यकी योजनाद्वारा अनुमानको प्रत्यक्षकी तरह अभ्रान्त बतलाकर बौद्धोंकी उसे अभ्रान्त प्रतिपादन करनेवाली उक्त मान्यताका खण्डन भी किया है। इसी तरह "न प्रत्यक्षमपि अभ्रान्तं प्रमाणत्वविनिश्चयात्" इत्यादि छठे पद्यमें उन दूसरे बौद्धोंकी मान्यताका खण्डन किया है जो प्रत्यक्षको अभ्रान्त नहीं मानते। यहाँ लिंगके इस एकरूपका और फलतः अनुमानके उक्त लक्षणका आभारी पात्र स्वामीका वह हेतुलक्षण है जिसे न्यायावतारकी २२वीं कारिकामें "अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोर्लक्षणमीरितम्" इस वाक्यके द्वारा उद्धृत भी किया गया है और जिसके आधारपर पात्रस्वामीने बौद्धोंके त्रिलक्षण-हेतुका कदर्थन किया था तथा "त्रिलक्षणकदर्थनः" * नामका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही रच डाला था, जो आज अनुपलब्ध है परन्तु उसके प्राचीन उल्लेख मिल रहे हैं। विक्रमकी ८वीं-९वीं शताब्दीके बौद्ध विद्वान् शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें त्रिलक्षणकदर्थनसम्बन्धी कुछ श्लोकोंको उद्धृत किया है और उनके शिष्य कमलशीलने टीकामें उन्हें "अन्यथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशङ्कते" इत्यादि वाक्योंके साथ दिया है। उनमेंसे तीन श्लोक नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं—

अन्यथानुपपन्नत्वे ननु दृष्टा सुहेतुता ।

नाऽसति त्र्यंशकस्याऽपि तस्मात् क्लीवास्त्रिलक्षणाः ॥१३६४॥

अन्यथानुपपन्नत्वं यस्य तस्यैव हेतुता ।

दृष्टान्तौ द्वावपि स्ता वा मा वा तो हि न कारणम् ॥१३६५॥

* महिमा स पात्रकेसरिगुरोः परं भववि यस्य भक्तचासीत् ।

पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकदर्थनं कर्तुम् ॥

—मल्लिषेणप्रशस्ति (श्र० शि० ५४)

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र त्रयेण किम् ? ।

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ? ॥१२६६॥

इनमेंसे तीसरे पद्यको विक्रमकी ७वीं-८वीं शताब्दीके ११ विद्वान् अकलंकदेव-
ने अपने 'न्यायविनिश्चय' (कारिका ३२३) में अपनाया है और सिद्धिविनि-
श्चय (प्र० ६) में इसे स्वामीका 'अमलालीढ पद' प्रकट किया है तथा वादि-
राजने न्यायविनिश्चय-विवरणमें इस पद्यको पात्रकेसरीसे सम्बद्ध 'अन्यथा-
नुपपत्तिवार्तिक' बतलाया है ।

धर्मकीर्तिका समय ई० सन् ६२५ से ६५० अर्थात् विक्रमकी ७वीं
शताब्दीका प्रायः चतुर्थ चरण, धर्मोत्तरका समय ई० सन् ७२५ से ७५०
अर्थात् विक्रमकी ८वीं शताब्दीका प्रायः चतुर्थ चरण और पात्रस्वामीका
समय विक्रमकी ७वीं शताब्दीका प्रायः तृतीय चरण पाया जाता है; क्योंकि वे
अकलंकदेवसे कुछ पहले हुए हैं । तब सन्मतिकार सिद्धसेनका समय वि०
संवत् ६६६ से पूर्वका सुनिश्चित है जैसा कि अगले प्रकरणमें स्पष्ट करके
बतनाया जायगा । ऐसी हालतमें जो सिद्धसेन सन्मतिके कर्ता हैं वे ही
न्यायावतारके कर्ता नहीं हो सकते—समयकी दृष्टिसे दोनों ग्रन्थोंके कर्ता एक-
दूसरेसे भिन्न होने चाहियें ।

इस विषयमें पं० मुखलालजी आदिका यह कहना है ‡ कि 'प्रो० टुची
(Tousi) ने दिग्नागसे पूर्ववर्ती बौद्धन्यायके ऊपर जो एक निबन्ध राँयल
एशियाटिक सोसाइटीके जुलाई सन् १६२६ के जर्नलमें प्रकाशित कराया है
उसमें बौद्ध-संस्कृत-ग्रन्थोंके चीनी तथा तिब्बती अनुवादके आधारपर यह
प्रकट किया है कि 'योगाचार्य भूमिशास्त्र और प्रकरणाद्यवाचा नामके ग्रन्थों-
में प्रत्यक्षकी जो व्याख्या दी है उसके अनुसार प्रत्यक्षको अपरोक्ष, कल्पनापोड,

११ विक्रमसंवत् ७०० में अकलंकदेवका बौद्धोंके साथ महान् वाद हुआ है,
जैसा कि अकलंकचरितके निम्न पद्यसे प्रकट है—

विक्रमार्क-शकाब्दीय-शतसप्त-प्रमाजुषि । कालेऽकलंक-यतिनो बौद्धैर्वादी महानभूत् ॥

‡ देखो, सन्मतिके गुजराती संस्करण की प्रस्तावना पृ० ४१, ४२, और
अंग्रेजी संस्करण की प्रस्तावना पृ० १२, १४ ।

निर्विकल्प और भूल-विनाका अभ्रान्त अथवा अव्यभिचारी-होना चाहिये । साथ ही अभ्रान्त तथा अव्यभिचारी शब्दोंपर नोट देते हुए बतलाया है कि ये दोनों पर्यायशब्द हैं, और चीनी तथा तिब्बती भाषाके जो शब्द अनुवादोंमें प्रयुक्त हैं उनका अनुवाद अभ्रान्त तथा अव्यभिचारी दोनों प्रकारसे हो सकता है । और फिर स्वयं 'अभ्रान्त' शब्दको ही स्वीकार करते हुए यह अनुमान लगाया है कि धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षकी व्याख्यामें 'अभ्रान्त' शब्दकी जो वृद्धि की है वह उनके द्वारा की गई कोई नई वृद्धि नहीं है बल्कि सौत्रान्तिकोंकी पुरानी व्याख्याको स्वीकार करके उन्होंने दिग्नाग की व्याख्यामें इस प्रकारसे सुधार किया है । योगाचार्य-भूमिशस्त्र असङ्गके गुरु मैत्रेयकी कृति है, असङ्ग (मैत्रेय ?) का समय ईसा की चौथी शताब्दीका मध्यकाल है, इससे प्रत्यक्षके लक्षणमें 'अभ्रान्त' शब्दका प्रयोग तथा अभ्रान्तपना का विचार विक्रमकी पांचवीं शताब्दीके पहले भले प्रकार ज्ञात था अर्थात् यह (अभ्रान्त) शब्द सुप्रसिद्ध था । अतः सिद्धसेनदिवाकरके न्यायावतारमें प्रयुक्त हुए मात्र 'अभ्रान्त' पदपरसे उसे धर्मकीर्तिके वादका बतलाना जरूरी नहीं । उसके कर्ता सिद्धसेनको असङ्गके बाद और धर्मकीर्तिके पहले माननेमें कोई प्रकारका अन्तराय (विघ्न-बाधा) नहीं है ।'

इस कथनमें प्रो० टुचीके कथनको लेकर जो कुछ फलित किया गया है वह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रथम तो प्रोफेसर महाशय अपने कथनमें स्वयं भ्रान्त हैं— वे निश्चयपूर्वक यह नहीं कह रहे हैं कि उक्त दोनों मूल संस्कृत ग्रन्थोंमें प्रत्यक्षकी जो व्याख्या दी अथवा उसके लक्षणका जो निर्देश किया है उसमें 'अभ्रान्त' पदका प्रयोग पाया ही जाता है बल्कि साफ तौरपर यह सूचित कर रहे हैं कि मूल ग्रन्थ उनके सामने नहीं, चीनी तथा तिब्बती अनुवाद ही सामने हैं और उनमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका अर्थ अभ्रान्त तथा अव्यभिचारि दोनों रूपसे हो सकता है । तीसरा भी कोई अर्थ अथवा संस्कृत शब्द उनका वाच्य हो सकता हो तो उसका निषेध भी नहीं किया । दूसरे, उक्त स्थितिमें उन्होंने अपने प्रयोजनके लिये जो अभ्रान्त पद स्वीकार किया है वह उनकी रुचिकी बात है न कि मूलमें अभ्रान्त पदके प्रयोगकी कोई गारंटी है और इसलिए उसपरसे निश्चितरूपमें यह फलित कर लेना कि

‘विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीके पहले प्रत्यक्षके लक्षणमें अभ्रान्त पदका प्रयोग भले प्रकार ज्ञात तथा सुप्रसिद्ध था’ फलितार्थ तथा कथनका अतिरेक है और किसी तरह भी समुचित नहीं कहा जा सकता। तीसरे, उन मूल संस्कृत ग्रन्थोंमें यदि ‘अव्यभिचारि’ पदका ही प्रयोग हो तब भी उसके स्थानपर धर्मकीर्तिने ‘अभ्रान्त’ पदकी जो नई योजना की है वह उसीकी योजना कहलाएगी और न्यायावतारमें उसका अनुसरण होनेसे उसके कर्ता सिद्धसेन धर्मकीर्तिके बादके ही विद्वान् ठहरेगे। चौथे, पात्रकेसरीस्वामीके हेतु-लक्षणका जो उद्धरण न्यायावतारमें पाया जाता है और जिसका परिहार नहीं किया जा सकता उससे सिद्धसेनका धर्मकीर्तिके बाद होना और भी पुष्ट होता है। ऐसी हालतमें न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनको असङ्गके बादका और धर्मकीर्तिके पूर्वका बतलाना निरापद नहीं है—उसमें अनेक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं। फलतः न्यायावतार धर्मकीर्ति और पात्रस्वामीके बादकी रचना होनेसे उन सिद्धसेनाचार्यकी कृति नहीं हो सकता जो सन्मतिसूत्रके कर्ता हैं। जिन अन्य विद्वानोंने उसे अधिक प्राचीनरूपमें उल्लेखित किया है वह मात्र द्वात्रिंशिकाओं, सन्मति और न्यायावतारको एक ही सिद्धसेनकी कृतियाँ मानकर चलनेका फल है।

इस तरह यहाँ तकके इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट है कि सिद्धसेनके नामपर जो भी ग्रन्थ चढ़े हुए हैं उनमेंसे सन्मतिसूत्रको छोड़कर दूसरा कोई भी ग्रन्थ सुनिश्चितरूपमें सन्मतिकारकी कृति नहीं कहा जा सकता—अकेला सन्मतिसूत्र ही असपत्नभावसे अभीतक उनकी कृतिरूपमें स्थित है। कलको अविरোধिनी द्वात्रिंशिकाओंमेंसे यदि किसी द्वात्रिंशिकाका उनकी कृतिरूपमें सुनिश्चय हो गया तो वह भी सन्मतिके साथ शामिल हो सकेगी।

(ख) सिद्धसेनका समयादिक—

अब देखना यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ ‘सन्मति’ के कर्ता सिद्धसेनाचार्य कब हुए हैं और किस समय अथवा समयके लगभग उन्होंने इस ग्रन्थकी रचना की है। ग्रन्थमें निर्माणकालका कोई उल्लेख और किसी प्रशस्तिका आयोजन न होनेके कारण दूसरे साधनोंपरसे ही इस विषयको जाना जा सकता है और वे दूसरे साधन हैं ग्रन्थका अन्तःपरीक्षण—उसके सन्दर्भ—साहित्यकी जाँच-

द्वारा बाह्य प्रभाव एवं उल्लेखादिका विश्लेषण—, उसके वाक्यों तथा उसमें चर्चित खास विषयोंका अन्यत्र उल्लेख, आलोचन-प्रत्यालोचन, स्वीकार-अस्वीकार अथवा खण्डन-मण्डनादिक और साथ ही सिद्धसेनके व्यक्तित्व-विषयक महत्त्वके प्राचीन उद्गार। इन्हीं सब साधनों तथा दूसरे विद्वानोंके इस दिशामें किये गये प्रयत्नोंको लेकर मैंने इस विषय में जो कुछ अनुसंधान एवं निर्णय किया है उसे ही यहाँ प्रकट किया जाता है:—

(१) सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन केवलीके ज्ञान-दर्शनोपयोग-विषयमें अभेदवादके पुरस्कर्ता हैं यह बात पहले (पिछले प्रकरणमें) बतलाई जा चुकी है। उनके इस अभेदवादका खण्डन इधर दिगम्बर-सम्प्रदायमें सर्वप्रथम अकलंकदेवके राजवात्तिकभाष्यमें* और उधर श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें सर्वप्रथम जिनभद्रक्षमाश्रमणके विशेषावश्यकभाष्य तथा विशेषणवती नामके ग्रन्थोंमें ‡ मिलता है। साथ ही तृतीय काण्डकी 'रात्थि पृढवीविसिट्ठो' और 'दोहिं वि राएहिंणीयं' नामकी दो गाथाएं (५२, ४९) विशेषावश्यकभाष्यमें क्रमशः गा० नं० २१०४, २१९५ पर उद्धृत पाई जाती हैं † । इसके सिवाय, विशेषावश्यकभाष्यकी स्वोपज्ञटीकामें * 'रामाभाइतियं दव्वट्टियस्स' इत्यादि गाथा ७५वीं की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकारने स्वयं "द्रव्यास्तिकनयावलम्बिनौ संग्रह-व्यवहारौ ऋजुसूत्रादयस्तु पर्यायनयमतानुसारिणः आचार्यसिद्धसेनाऽभिप्रायात्" इस वाक्यके द्वारा सिद्धसेनाचार्यका नामोल्लेखपूर्वक उनके सन्मतिसूत्र-गत मतका उल्लेख किया है, ऐसा मुनि पुण्यविजयजीके मंगसिर सुदि १०मी सं० २००५के एक पत्रसे मालूम हुआ है। दोनों ग्रन्थकार विक्रमकी ७वीं शताब्दीके प्रायः

* राजवा० भा० अ० ६ सू० १० वा० १४-१६ ।

‡ विशेषा० भा० गा० ३०८९ से (कोट्याचार्यकी वृत्तिमें गा० ३७२९से) तथा विशेषणवती गा० १८४ से २८०; सन्मति-प्रस्तावना पृ० ७५ ।

† उद्धरण-विषयक विशेष ऊहापोहके लिए देखो, सन्मति-प्रस्तावना पृ० ६८, ६९ ।

* इस टीकाके अस्तित्वका पता हालमें मुनि पुण्यविजयजीको चला है। देखो, श्री आत्मानन्दप्रकाश पुस्तक ४५ अंक ८ पृ० १४२ पर उनका तद्विषयक लेख।

उत्तरार्धके विद्वान् हैं। अकलंकदेवका विक्रम सं० ७०० में बौद्धोंके साथ महान् बाद हुआ है जिसका उल्लेख पिछले एक फुटनोटमें अकलंकचरितके आधारपर किया जा चुका है, और जिनभद्रक्षमाश्रमणने अपना विशेषावश्यकभाष्य शक सं० ५३१ अर्थात् वि० सं० ६६६ में बनाकर समाप्त किया है। ग्रन्थका यह रचनाकाल उन्होंने स्वयं ही ग्रन्थके अन्तमें दिया है, जिसका पता श्रीजिन-विजयजीको जैसलमेर भण्डारकी एक अतिप्राचीन प्रतिको देखते हुए चला है। ऐसी हालतमें सन्मतिकार सिद्धसेनका समय विक्रम सं० ६६६ से पूर्वका सुनिश्चित है, परन्तु वह पूर्वका समय कौन-सा है?—कहाँ तक उसकी कमसे कम सीमा है?—यही आगे विचारणीय है।

(२) सन्मतिसूत्रमें उपयोग-द्वयके क्रमवादका जोरोंके साथ खण्डन किया गया है, यह बात भी पहले बतलाई जा चुकी तथा मूल ग्रन्थके कुछ वाक्योंको उद्धृत करके दर्शाई जा चुकी है। उस क्रमवादका पुरस्कर्ता कौन है और उस का समय क्या है? यह बात यहां खास तौरसे जान लेनेकी है। हरिभद्रसूरिने नन्दिवृत्तिमें तथा अभयदेवसूरिने सन्मतिकी टीकामें यद्यपि जिनभद्रक्षमाश्रमण-को क्रमवादके पुरस्कर्तारूपमें उल्लेखित किया है परन्तु वह ठीक नहीं है; क्योंकि वे तो सन्मतिकारके उत्तरवर्ती हैं, जब कि होना चाहिए कोई पूर्ववर्ती। यह दूसरी बात है कि उन्होंने क्रमवादका जोरोंके साथ समर्थन और व्यवस्थित रूपसे स्थापन किया है, संभवतः इसीसे उनको उस वादका पुरस्कर्ता समझ लिया जान पड़ता है। अन्यथा, क्षमाश्रमणजी स्वयं विशेषणवतीमें अपने निम्न वाक्यों-द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि उनसे पहले युगपद्वाद, क्रमवाद तथा अभेदवादके पुरस्कर्ता हो चुके हैं—

केई भणंति जुगवं जाणइ पासइ य केवली णियमा ।

अणणे एगंतरियं इच्छंति सुओवएसेणं ॥ १८४ ॥

अणणे ण चेव वोसु दंसणमिच्छति जिणवरिदस्स ।

जं चि य केवलणाणं तं चि य से दरिसणं विति ॥ ८५ ॥

प० सुबलालजी आदिने भी कथन-विरोधको महसूस करते हुए प्रस्तावनामें यह स्वीकार किया है कि जिनभद्र और सिद्धसेनके पहले क्रमवादके पुरस्कर्ता-

रूपमें कोई विद्वान् होने ही चाहियें जिनके पक्षका सन्मतिमें खण्डन किया गया है; परन्तु उनका कोई नाम उपस्थित नहीं किया । जहाँ तक मुझे मालूम है वे विद्वान् नियुक्तिकार भद्रबाहु होने चाहियें, जिन्होंने आवश्यकनियुक्तिके निम्न वाक्य-द्वारा क्रमवादकी प्रतिष्ठा की है—

णाणंमि दंसणंमि अ इत्तो एगयरयंमि उवजुत्ता ।

सव्वस्स केवलिम्मा (स्स वि) जुगवं दो एत्थि उवओगा ॥६७८॥

ये नियुक्तिकार भद्रबाहु श्रुतकेवली न होकर द्वितीय भद्रबाहु हैं जो अष्टाङ्ग-निमित्त तथा मन्त्र-विद्याके परगामी होनेके कारण 'नैमित्तिक' कहे जाते हैं, जिनकी कृतियोंमें भद्रबाहुसंहिता और उपसंगहरस्तोत्रके भी नाम लिये जाते हैं और जो ज्योतिर्विद वराहमिहरके सगे भाई माने जाते हैं । इन्होंने दशाश्रुतस्कन्ध-नियुक्तिमें स्वयं अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुको 'प्राचीन' विशेषणके साथ नमस्कार किया है †, उत्तराध्ययननियुक्तिमें मरणविभक्तिके सभी द्वारोंका क्रमशः वर्णन करनेके अनन्तर लिखा है कि 'पदार्थोंको सम्पूर्ण तथा विशदरीतिसे जिन (केवलज्ञानी) और चतुर्दशपूर्वी ‡ (श्रुतकेवली) ही कहते हैं—कह सकते हैं', और आवश्यक आदि ग्रंथोंपर लिखी गई अनेक नियुक्तियोंमें आर्यवज्र, आर्य-रक्षित, पादलिप्ताचार्य, कालिकाचार्य और शिवभूति आदि कितने ही ऐसे आचार्यों के नामों, प्रसंगों, मन्त्रव्यों अथवा तत्सम्बन्धी अन्य घटनाओंका उल्लेख

ॐ पावयणी^१ धम्मकही^२ वाई^३ रोमितिओ^४ तवस्सी^५ य ।

विज्जा^६ सिद्धौ^७ य कई^८ अट्ठेव पभावगा भरिया ॥ १ ॥

अजरक्ख^१ नदिसेणो^२ मिरिगुत्तविणोय^३ भद्रबाहु^४ य ।

खवग^५ ऽज्जखवुड^६ समिया^७ दिवायरो^८ वा इहाऽऽहरणा ॥ २ ॥

—'छेदसूत्रकार अने नियुक्तिकार' लेखमें उद्धृत ।

† वंदामि भद्रबाहुं पाईणं चरिमसगलसुयणाणि ।

सुत्तस्स कारगमिसिं दसामु कप्पे य ववहारे ॥ १ ॥

‡ सब्बे एए दारो मरणविभत्तीइ वणिाया कमसो ।

सगलणिउणो पयत्थे जिणचउदमण्वि भासंने ॥ २३३ ॥

किया गया है जो भद्रबाहु-श्रुतकेवलीके बहुत कुछ बाद हुए हैं—किसी-किसी घटनाका समय तक भी साथमें दिया है; जैसे निह्णवोंकी क्रमशः उत्पत्तिका समय वीरनिर्वाणसे ६०६ वर्ष बाद तकका बतलाया है। ये सब बातें और इसी प्रकारकी दूसरी बातें भी नियुक्तिकार भद्रबाहुको श्रुतकेवली बतलानेके विरुद्ध पड़ी हैं—भद्रबाहुश्रुतकेवली-द्वारा उनका उस प्रकारसे उल्लेख तथा निरूपण किसी तरह भी नहीं बनता। इस विषयका सप्रमाण विशद एवं विस्तृत विवेचन मुनि पुण्यविजयजीने आजसे कोई सात वर्ष पहले अपने 'छेदसूत्रकार और नियुक्तिकार' नामके उस गुजराती लेखमें किया है जो 'महावीर-जैनविद्यालय-रजत-महोत्सव-ग्रन्थ'में मुद्रित है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि 'तत्त्वोगालि-प्रकीर्णक, आवश्यकचूर्णि, आवश्यक-हारिभद्रीया टीका, परिशिष्टपर्व आदि प्राचीन मान्य ग्रन्थोंमें जहाँ चतुर्दशपूर्वधर भद्रबाहु (श्रुतकेवली) का चरित्र वर्णन किया गया है वहाँ द्वादशवर्षीय दुष्काल.....छेदसूत्रोंकी रचना आदिका वर्णन तो है परन्तु वराहमिहरका भाई होना, नियुक्तिकारग्रन्थों, उपसर्गहरस्तोत्र, भद्रबाहुसंहितादि ग्रन्थोंकी रचनासे तथा नैमित्तिक होनेसे सम्बन्ध रखने-वाला कोई उल्लेख नहीं है। इससे छेदसूत्रकार भद्रबाहु और नियुक्ति आदिके प्रणेता भद्रबाहु एक दूसरेसे भिन्न व्यक्तियाँ हैं।

इन नियुक्तिकार भद्रबाहुका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः मध्यकाल है; क्योंकि इनके समकालीन सहोदर भ्राता वराहमिहरका यही समय सुनिश्चित है—उन्होंने अपनी 'पञ्चसिद्धान्तिका' के ग्रन्थमें, जोकि उनके उपलब्ध ग्रन्थोंमें अन्तकी कृति मानी जाती है, अपना समय स्वयं निर्दिष्ट किया है और वह है शक संवत् ४२७ अर्थात् विक्रम संवत् ५६२। यथा—

❀ इससे भी कई वर्ष पहले आपके गुरु मुनि श्रीचतुरविजयजीने श्रीविजया-नन्दसूरीश्वरजन्मशताब्दि-स्मारकग्रन्थमें मुद्रित अपने 'श्रीभद्रबाहुस्वामी' नामक गुजराती लेखमें इस विषयको प्रदर्शित किया था और यह सिद्ध किया था कि नियुक्तिकार भद्रबाहु श्रुतकेवली भद्रबाहुसे भिन्न द्वितीय भद्रबाहु हैं और वराह-मिहरके सहोदर होनेसे उनके समकालीन हैं। उनके इस लेखका हिन्दी अनुवाद अनेकान्त वर्ष ३ किरण १२ में प्रकाशित हो चुका है।

“सप्ताश्विवेदसंख्यं शककालमपास्य चैत्रशुक्लादौ ।

अर्धास्तमिते भानौ यवनपुरे सौम्यदिवसाद्ये ॥८॥”

जब नियुक्तिकार भद्रबाहुका उक्त समय सुनिश्चित हो जाता है तब यह कहनेमें कोई आपत्ति नहीं रहनी कि सन्मतिकार सिद्धसेनके समयकी पूर्वसीमा विक्रमकी छठी शताब्दीका तृतीय चरण है और उन्होंने क्रमवादके पुरस्कर्ता उक्त भद्रबाहु अथवा उनके अनुसर्ता किसी शिष्यादिके क्रमवाद-विषयक कथनको लेकर ही सन्मतमें उसका खण्डन किया है ।

इस तरह सिद्धसेनके समयकी पूर्वसीमा विक्रमकी छठी शताब्दीका तृतीय चरण और उत्तरसीमा विक्रमकी सातवीं शताब्दीका तृतीय चरण (वि० स० ५६२से ६६६) निश्चित होनी है । इन प्रायः सौ वर्षके भीतर ही किसी समय सिद्धसेनका ग्रन्थकाररूपमें अवतार हुआ और यह ग्रन्थ बना जान पड़ता है ।

(३) सिद्धसेनके समय-सम्बन्धमें पं० मुखलालजी संघवीकी जो स्थिति रही है उसको ऊपर बतलाया जा चुका है । उन्होंने अपने पिछले लेखमें, जो ‘सिद्धसेनदिवाकरना समयनो प्रश्न’ नामसे ‘भारतीयविद्या’ के तृतीय भाग (श्रीबहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिग्रन्थ) में प्रकाशित हुआ है, अपनी उस गुजराती प्रस्तावना-कालीन मान्यताको जो सन्मतिके अंग्रेजी संस्करणके अवसर पर फोरवर्ड (foreword) † लिखे जानेके पूर्व कुछ नये बौद्ध ग्रन्थोंके सामने आनेके कारण बदल गई थी और जिसकी फोरवर्डमें सूचना की गई है फिसे निश्चितरूप दिया है अर्थात् विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीको ही सिद्धसेनका समय निर्धारित किया है और उसीको अधिक सङ्गत बतलाया है । अपनी इस मान्यताके समर्थनमें उन्होंने जिन दो प्रमाणोंका उल्लेख किया है उनका सार इस प्रकार है, जिसे प्रायः उन्हींके शब्दोंके अनुवादरूपमें सङ्कलित किया गया है:—

† फोरवर्डके लेखकरूपमें यद्यपि नाम ‘दलमुख मालवणिया’का दिया हुआ है परन्तु उसमें दी हुई उक्त सूचनाको पण्डित मुखलालजीने उक्त लेखमें अपनी ही सूचना और अपना ही विचार-परिवर्तन स्वीकार किया है ।

(प्रथम) जिनभद्रक्षमाश्रमणने अपने महान् ग्रन्थ विशेषावश्यक-भाष्यमें, जो विक्रम सवत् ६६६ में बनकर समाप्त हुआ है और लघुग्रन्थ विशेषणवतीमें सिद्धसेनदिवाकरके उपयोगाऽभेदवादकी तथैव दिवाकरकी कृति सन्मतितर्कके टीकाकार मल्लवादीके उपयोग-योग-पद्यवादकी विस्तृत समालोचना की है। इससे तथा मल्लवादीके द्वादशारनयचक्रके उपलब्ध प्रतीकोंमें दिवाकरका सूचन मिलने और जिनभद्रगणिका सूचन न मिलनेसे मल्लवादी जिनभद्रसे पूर्ववर्ती और सिद्धसेन मल्लवादीमे भी पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। मल्लवादीको यदि विक्रम-की छठी शताब्दीके पूर्वार्धमें मान लिया जाय तो सिद्धसेनदिवाकरका समय जो पाँचवीं शताब्दी निर्धारित किया गया है वह अधिक सङ्गत लगता है।

(द्वितीय) पूज्यपाद देवनन्दीने अपने जैनेन्द्रव्याकरणके 'वैत्ते: सिद्धसेनस्य' इस सूत्रमें सिद्धसेनके मतविशेषका उल्लेख किया है और वह यह है कि सिद्धसेनके मतानुसार 'विद्' धातुके 'र्' का आगम होता है, चाहे वह धातु सकर्मक ही क्यों न हो। देवनन्दीका यह उल्लेख बिल्कुल सच्चा है क्योंकि दिवाकरकी जो कुछ थोड़ीसी संस्कृत कृतियाँ बची हैं उनमेंसे उनकी नवमी द्वात्रिंशिकाके २२वें पद्यमें 'विद्वते:' ऐसा 'र्' आगम वाला प्रयोग मिलता है। अन्य व्याकरण जब 'सम्' उपसर्ग पूर्वक और अकर्मक 'विद्' धातुके 'र्' आगम स्वीकार करते हैं तब सिद्धसेनने अनुपसर्ग और सकर्मक 'विद्' धातुका 'र्' आगमवाला प्रयोग किया है। इसके सिवाय, देवनन्दी पूज्यपादकी सर्वार्थ-सिद्धि नामकी तत्त्वार्थ-टीकाके सप्तम अध्यायगत १३वें सूत्रकी टीकामें सिद्धसेनदिवाकरके एक पद्यका अंश 'उक्तं च' शब्दके साथ उद्धृत पाया जाता है और वह है "वियोजयति चासृभिर्न च वधेन संयुज्यते।" यह पद्यांश उनकी तीसरी द्वात्रिंशिकाके १६वे पद्यका प्रथम चरण है। पूज्यपाद देवनन्दीका समय वर्तमान मान्यतानुसार विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वार्ध है अर्थात् पाँचवीं शताब्दीके अमुक भागसे छठी शताब्दीके अमुक भाग तक लम्बा है। इससे सिद्धसेनदिवाकरकी पाँचवीं शताब्दीमें होनेकी बात जो अधिक संगत कही गई है उसका खुलासा हो जाता है। दिवाकरको देवनन्दीसे पूर्ववर्ती या देवनन्दीके वृद्ध समकालीनरूपमें मानिये तो भी उनका जीवनसमय पाँचवीं शताब्दीसे अर्वाचीन नहीं ठहरता।

इनमेंसे प्रथम प्रमाण तो वास्तवमें कोई प्रमाण ही नहीं है; क्योंकि वह 'मल्लवादीको यदि विक्रमकी छठी शताब्दीके पूर्वार्धमें मान लिया जाय तो इस भ्रान्त कल्पना पर अपना आधार रखता है। परन्तु क्यों मान लिया जाय अथवा क्यों मान लेना चाहिये, इसका कोई स्पष्टीकरण साथमें नहीं है। मल्लवादीका जिनभद्रसे पूर्ववर्ती होना प्रथमतो सिद्ध नहीं है, सिद्ध होता भी तो उन्हें जिनभद्रके समकालीन वृद्ध मानकर अथवा २५ या ५० वर्ष पहले मानकर भी उस पूर्ववर्तित्वको चरितार्थ किया जा सकता है, उसके लिये १०० वर्षसे भी अधिक समय पूर्वकी बात मान लेनेकी कोई जरूरत नहीं रहती। परन्तु वह सिद्ध ही नहीं है; क्योंकि उनके जिस उपयोग-योगपद्यवादकी विस्तृत समालोचना जिनभद्रके दो ग्रन्थोंमें बतलाई जाती है उनमें कहीं भी मल्लवादी अथवा उनके किसी ग्रन्थका नामोल्लेख नहीं है, होता तो पण्डितजी उस उल्लेखवाले अंशको उद्धृत करके ही सन्तोष धारण करते, उन्हें यह तर्क करनेकी जरूरत ही न रहती और न रहनी चाहिये थी कि 'मल्लवादीके द्वादशारनयचक्रके उपलब्ध प्रतीकोंमें दिवाकरका सूचन मिलने और जिनभद्रका सूचन न मिलनेसे मल्लवादी जिनभद्रसे पूर्ववर्ती है'। यह तर्क भी उनका अभीष्ट-सिद्धिमें कोई सहायक नहीं होता; क्योंकि एक तो किसी विद्वान्के लिये लाजिमी नहीं कि वह अपने ग्रन्थमें पूर्ववर्ती अमुक अमुक विद्वानोंका उल्लेख करे ही करे। दूसरे, मूल द्वादशारनयचक्रके जब कुछ प्रतीक ही उपलब्ध हैं—वह पूरा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है—तब उसके अनुपलब्ध अंशोंमें भी जिनभद्रका अथवा उनके किसी ग्रन्थादिका उल्लेख नहीं इसकी क्या गारण्टी? गारण्टीके न होने और उल्लेखोपलब्धिकी सम्भावना बनी रहनेसे मल्लवादीको जिनभद्रके पूर्ववर्ती बतलाना तर्कदृष्टिसे कुछ भी अर्थ नहीं रखता। तीसरे, ज्ञानबिन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनामें पण्डित मुखलालजी स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि "अभी हमने उस सारे सटीक नयचक्रका अवलोकन करके देखा तो उसमें कहीं भी केवलज्ञान और केवलदर्शन (उपयोगद्वय)के सम्बन्धमें प्रचलित उपर्युक्त वादों (क्रम, युगपत् और अभेद) पर थोड़ी भी चर्चा नहीं मिली। यद्यपि सन्मतितर्ककी मल्लवादि-कृत-टीका उपलब्ध नहीं है पर जब मल्लवादी अभेदसमर्थक दिवाकरके ग्रन्थपर टीका लिखें तब यह कैसे माना जा सकता है कि उन्होंने

दिवाकरके ग्रन्थकी व्याख्या करते समय उसीमें उनके विरुद्ध अपना युगपत् पक्ष किसी तरह स्थापित किया हो। इस तरह जब हम सोचते हैं तब यह नहीं कह सकते हैं कि अभयदेवके युगपद्वादके पुरस्कर्तारूपसे मल्लवादीके उल्लेखका आधारनयचक्र या उनकी सन्मतिटीकामेंसे रहा होगा। साथ ही अभयदेवने सन्मतिटीकामें विशेषणवतीकी “केई भण्ति जुगवं जाणइ पासइ य केवली णियमा” इत्यादि गाथाओंको उद्धृत करके उनका अर्थ देते हुए ‘केई’ पदके वाच्यरूपमें मल्लवादीका जो नामोल्लेख किया है और उन्हें युगपद्वादका पुरस्कर्ता बतलाया है उनके उस उल्लेखकी अभ्रान्ततापर सन्देह व्यक्त करते हुए, पण्डित सुखलालजी लिखते हैं—“अगर अभयदेवका उक्त उल्लेखांश अभ्रान्त एवं साधार है तो अधिकसे अधिक हम यही कल्पना कर सकते हैं कि मल्लवादीका कोई अन्य युगपत् पक्ष-समर्थक छोटा बड़ा ग्रन्थ अभयदेवके सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्यवाला कोई उल्लेख उन्हें मिला होगा।” और यह बात ऊपर बतलाई ही जा चुकी है कि अभयदेवसे कई शताब्दी पूर्वके प्राचीन आचार्य हरिभद्रसूरिने उक्त ‘केई’ पदके वाच्यरूपमें सिद्धमेना-चार्यका नाम उल्लेखित किया है, पं० सुखलालजीने उनके उस उल्लेखको महत्त्व दिया है तथा सन्मतिकारसे भिन्न दूसरे सिद्धसेनकी सम्भावना व्यक्त की है, और वे दूसरे सिद्धसेन उन द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता हो सकते हैं जिनमें युगपद्वादका समर्थन पाया जाता है, इसे भी ऊपर दर्शाया जा चुका है। इस तरह जब मल्लवादीका जिनभद्रसे पूर्ववर्ती होना सुनिश्चित ही नहीं है तब उक्त प्रमाण और भी निःसार एवं बेकार हो जाता है। साथ ही, अभयदेवका मल्लवादीको युगपद्वादका पुरस्कर्ता बतलाना भी भ्रान्त ठहरता है।

यहाँपर एक बात और भी जान लेनेकी है और वह यह कि हालमें मुनि श्रीजम्बूविजयजीने मल्लवादीके सटीक नयचक्रका पारायण करके उसका विशेष परिचय ‘श्रीआत्मानन्दप्रकाश’ (वर्ष ४५ अंक ७) में प्रकट किया है, उसपर-से यह स्पष्ट मालूम होता है कि मल्लवादीने अपने नयचक्रमें पद-पदपर ‘वाक्य-पदीय’ ग्रन्थका उपयोग ही नहीं किया बल्कि उसके कर्ता भर्तृहरिका नामोल्लेख और भर्तृहरिके मतका खण्डन भी किया है। इन भर्तृहरिका समय इतिहासमें चीनी यात्री इत्सिङ्गके यात्राविवरणादिके अनुसार ई० सन् ६०० से ६५०

(वि० सं० ६५७ से ७०७) तक माना जाता है; क्योंकि इत्तिस्ङ्गने जब सन् ६६१ में अपना यात्रावृत्तान्त लिखा तब भर्तृहरिका देहावसान हुए ४० वर्ष बीत चुके थे। और वह उस समयका प्रसिद्ध वैयाकरण था। ऐसी हातमें भी मल्लवादी जिनभद्रसे पूर्ववर्ती नहीं कहे जा सकते। उक्त समयादिककी दृष्टिसे वे विक्रमकी प्रायः आठवीं-नवमी शताब्दीके विद्वान् हो सकते हैं और तब उनका व्यक्तित्व न्यायबिन्दुकी धर्मोत्तर ३३-टीकापर टिप्पण लिखनेवाले मल्लवादीके साथ एक भी हो सकता है। इस टिप्पणमें मल्लवादीने अनेक स्थानोंपर न्याय-बिन्दुकी विनीतदेव-कृत-टीकाका उल्लेख किया है और इस विनीतदेवका समय राहुलसांकृत्यायनने, वादन्यायकी प्रस्तावनामें, धर्मकीतिके उत्तराधिकारियोंकी एक तिब्बती सूचीपरसे ई० सन् ७०५ से ८०० (वि० सं० ८५७) तक निश्चित किया है।

इस सारी वस्तुस्थितिको ध्यानमें रखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि विक्रम-की १४वीं शताब्दीके विद्वान् प्रभाचन्द्रने अपने प्रभावकचरितके विजयसिंहसूरि-प्रबन्धमें बौद्धों और उनके व्यन्तरोको वादमें जीतनेका जो समय मल्लवादीका वीरवत्सरसे ८८४ वर्ष बादका अर्थात् विक्रम सं० ४१४ दिया है † और जिसके कारण ही उन्हें श्वेताम्बर समाजमें इतना प्राचीन माना जाता है तथा मुनि जिनविजयने भी जिसका एकवार पक्ष लिया है ‡ उसके उल्लेखमें जरूर कुछ भूल हुई है। पं० मुखलालजीने भी उस भूलको महसूस किया है, तभी उसमें प्रायः १०० वर्षकी वृद्धि करके उसे विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वार्ध (वि० सं० ५५०) तक मान लेनेकी बात अपने इस प्रथम प्रमाणमें कही है। डा० पी० एल० वैद्य एम० ए० ने न्यायावतारकी प्रस्तावनामें, इस भूल अथवा

* बौद्धाचार्य धर्मोत्तरका समय पं० राहुलसांकृत्यायनने वादन्यायकी प्रस्तावनामें ई० स० ७२५ से ७५०, (वि० सं० ७८२ से ८०७) तक व्यक्त किया है।

† श्रीवीरवत्सरादय शताष्टके चतुरशीति-संयुक्ते।

जिग्ये स मल्लवादी बौद्धास्तद्व्यन्तराश्चाऽपि ॥ ८३ ॥

‡ देखो, जैनसाहित्यसंशोधक भाग २।

गलतीका कारण 'श्रीवीरविक्रमात्' के स्थानपर 'श्रीवीरवत्सरात्' पाठान्तरका हो जाना सुझाया है। इस प्रकारके पाठान्तरका हो जाना कोई अस्वाभाविक अथवा असंभाव्य नहीं है किन्तु सहजसाध्य जान पड़ता है। इस सुभावके अनुसार यदि शुद्ध पाठ 'वीरविक्रमात्' हो तो मल्लवादीका समय वि० सं० ८८४ तक पहुँच जाता है और यह समय मल्लवादीके जीवनका प्रायः अन्तिम समय हो सकता है और तब मल्लवादीको हरिभद्रके प्रायः समकालीन कहना होगा; क्योंकि हरिभद्रने 'उक्तं च वादिमुख्येन मल्लवादिना' जैसे शब्दोंके द्वारा अनेकान्त-जयपताकाकी टीकामें मल्लवादीका स्पष्ट उल्लेख किया है। हरिभद्रका समय भी विक्रमकी ९वीं शताब्दीके तृतीय-चतुर्थ चरण तक पहुँचता है; ❀ क्योंकि वि० सं० ८५७ के लगभग बनी हुई भट्टजयन्तकी न्यायमञ्जरीका 'गम्भीर-गजितारम्भ' नामका एक पद्य हरिभद्रके षड्दर्शनसमुच्चयमें उद्धृत मिलता है, ऐसा न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने न्यायकुमुदचन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्तावनामें उद्धोषित किया है। इसके सिवाय, हरिभद्रने स्वयं शास्त्रवार्तासमुच्चयके चतुर्थस्तवनमें 'एतेनैव प्रतिक्षिप्तं यदुक्तं सूक्ष्मबुद्धिना' इत्यादि वाक्यके द्वारा बौद्धाचार्य शान्तरक्षितके मतका उल्लेख किया है और स्वोपज्ञटीकामें 'सूक्ष्म-बुद्धिना' का 'शान्तरक्षितेन' अर्थ देकर उसे स्पष्ट किया है। शान्तरक्षित धर्मोत्तर तथा विनीतदेवके भी प्रायः उत्तरवर्ती हैं और उनका समय राहुलसांकृत्यायनने वादन्यायके परिशिष्टोंमें ई० सन् ८४० (वि० सं० ८९७) तक बतलाया है। हरिभद्रको उनके समकालीन समझना चाहिये। इससे हरिभद्रका कथन उक्त समयमें बाधक नहीं रहता और सब कथनोंकी सङ्गति ठीक बैठ जाती है।

❀ ९वीं शताब्दीके द्वितीय चरण तकका समय तो मुनि जिनविजयजीने भी अपने हरिभद्रके समय-निर्णयवाले लेखमें बतलाया है। क्योंकि विक्रमसंवत् ८३५ (शक सं० ७००) में बनी हुई कुवलयमालामें उद्योतनसूरिने हरिभद्रको न्याय-विद्यामें अपना गुरु लिखा है। हरिभद्रके समय, संयतजीवन और उनके साहित्यिक कार्योंकी विशालताको देखते हुए उनकी आयुका अनुमान सौ वर्षके लगभग लगाया जा सकता है और वे मल्लवादीके समकालीन होनेके साथ-साथ कुवलयमालाकी रचनाके कितने ही वर्ष बाद तक जीवित रह सकते हैं।

नयचक्रके उक्त विशेष परिचयसे यह भी मालूम होता है कि उस ग्रन्थमें सिद्धसेन नामके साथ जो भी उल्लेख मिलते हैं उनमें सिद्धसेन ही 'आचार्य' और 'सूरि' जैसे पदोंके साथ तो उल्लेखित किया है परन्तु 'दिवाकर' पदके साथ कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है, तभी मुनि श्रीजम्बूवेज्रयजीकी यह लिखनेमें प्रवृत्ति हुई है कि "आ सिद्धसेनसूरि सिद्धसेनदिवाकरज संभवतः होवा जोइये" अर्थात् यह सिद्धसेनसूरि सम्भवतः सिद्धसेनदिवाकर ही होने चाहिये—भले ही दिवाकर नामके साथ वे उल्लेखित नहीं मिलते। उनका यह लिखना उनकी धारणा और भावनाका ही प्रतीक कहा जा सकता है; क्योंकि 'होना चाहिये'का कोई कारण साथमें व्यक्त नहीं किया गया। पं० सुखलालजीने अपने उक्त प्रमाणमें इन सिद्धसेनको 'दिवाकर' नामसे ही उल्लेखित किया है, जो कि वस्तुस्थितिका बड़ा ही गलत निरूपण है। आप अनेक भूत-भ्रान्तियोंको जन्म देनेवाला है—किसी विषयको विचारके लिये प्रस्तुत करनेवाले निष्पक्ष विद्वानोंके द्वारा अपनी प्रयोजनादि-सिद्धिके लिये वस्तुस्थितिका ऐसा गलत चित्रण नहीं होना चाहिये। हाँ, उक्त परिचयमें यह भी मालूम होता है कि सिद्धसेन नामके साथ जो उल्लेख मिल रहे हैं उनमेंसे कोई भी उल्लेख सिद्धसेनदिवाकरके नामपर चढ़े हुए उपलब्ध ग्रन्थोंमेंसे किसीमें भी नहीं मिलता है। नमूनेके तौरपर जो दो उल्लेख ❁ परिचयमें उद्धृत किये गये हैं उनका विषय प्रायः शब्दशास्त्र (व्याकरण) तथा शब्दनयादिसे सम्बन्ध रखता हुआ जान पड़ता है। इससे भी सिद्धसेनके उन उल्लेखोंको दिवाकरके उल्लेख बतलाना व्यर्थ ठहरता है।

रही द्वितीय प्रमाणकी बात, उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि तीसरी और नवमी द्वात्रिंशिकाके कर्ता जो सिद्धसेन हैं वे पूज्यपाद देवन्दीसे पहले हुए हैं—उनका समय विक्रमकी पाँचवीं शताब्दी भी हो सकता है। इससे अधिक यह सिद्ध नहीं होता कि सन्मत्तिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन भी पूज्यपाद देव-

❁ "तथा च आचार्यसिद्धसेन आह—

"यत्र ह्यर्थो वाचं व्यभिचरति न (ना) भिधानं तत् ॥" (वि० २७७)

"अस्ति-भवति-विद्यति-वर्ततयः सन्निपातषष्ठाः सत्तार्था इत्यविशेषणोक्तत्वात् सिद्धसेनसूरिणा ।" (वि० १६६)

नन्दीसे पहले अथवा विक्रमकी ५वीं शताब्दीमें हुए हैं। इसको सिद्ध करनेके लिये पहले यह सिद्ध करना होगा कि सन्मतिसूत्र और तीसरी तथा नवमी द्वात्रिंशिकाएं तीनों एक ही सिद्धसेनकी कृतियां हैं। और यह सिद्ध नहीं है। पूज्यपादसे पहले उपयोगद्वयके क्रमवाद तथा अभेदवादके कोई पुरस्कर्ता नहीं हुए हैं, होते तो पूज्यपाद अपनी सर्वार्थसिद्धिमें सनातनसे चले आये युगपदवादका प्रतिपादनमात्र करके ही न रह जाते, बल्कि उसके विरोधी वाद अथवा वादोंका खण्डन जरूर करते। परन्तु ऐसा नहीं है ❀, और इससे यह मालूम होता है कि पूज्यपादके समयमें केवलीके उपयोग-विषयक क्रमवाद तथा अभेदवाद प्रचलित नहीं हुए थे—वे उनके बाद ही सविशेषरूपसे घोषित तथा प्रचारको प्राप्त हुए हैं, और इसीसे पूज्यपादके बाद अकलङ्कादिकके साहित्यमें उनका उल्लेख तथा खण्डन पाया जाता है। क्रमवादका प्रस्थापन नियुक्तिकार भद्रबाहुके द्वारा और अभेदवादका प्रस्थापन सन्मतिकार सिद्धसेनके द्वारा हुआ है। उन वादोंके इस विकासक्रमका समर्थन जिनभद्रके विशेषणवती ग्रंथकी उन दो गाथाओं (‘केई भणंति जुगव’ इत्यादि नम्बर १८४, १८५) से भी होता है जिनमें युगपत्, क्रम और अभेद इन तीनों वादोंके पुरस्कर्ताओंका इसी क्रमसे उल्लेख किया गया है और जिन्हें ऊपर (नं० २में) उद्धृत किया जा चुका है।

पं० सुखलालजीने नियुक्तिकार भद्रबाहुको प्रथम भद्रबाहु और उनका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी मान लिया है X, इसीसे इन वादोंके क्रम-विकासको समझनेमें उन्हें भ्रान्ति हुई है। और वे यह प्रतिपादन करनेमें प्रवृत्त हुए हैं कि पहले क्रमवाद था, युगपत्वाद बादको सबसे पहले वाचक उमास्वाति†-द्वारा जैन वाङ्मयमें प्रविष्ट हुआ और फिर उसके बाद अभेदवादका प्रवेश मुख्यतः

❀ “स उपयोगो द्विविधः। ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्चेति। साकारं ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति। तच्छब्दस्थेषु क्रमेण वर्तते। निरावरणेषु युगपत्।”

X ज्ञानबिन्दु-परिचय पृ० ५ पादटिप्पण।

† “मतिज्ञानादिचतुर्षु पर्यायिणोपयोगो भवति, न युगपत्। संभिन्नज्ञानदर्शनस्य तु भगवतः केवलिनो युगपत्सर्वभावग्राहके निरपेक्षे केवलज्ञाने केवलदर्शने चानुसमयमुपयोगो भवति।”
—तत्त्वार्थभाष्य १-३१।

सिद्धसेनाचार्यके द्वारा हुआ है। परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि प्रथम तो युग-पत्वादका प्रतिवाद भद्रबाहुकी आवश्यकनिर्युक्तिके “सव्वस्स केवलस्स वि जुगवं दो एत्थि उवओगा” इस वाक्यमें पाया जाता है जो भद्रबाहुको दूसरी शताब्दी-का विद्वान् माननेके कारण उमास्वातिके पूर्वका* ठहरता है और इसलिये उनके विरुद्ध जाता है। दूसरे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके नियमसार-जैसे ग्रंथों और आचार्य भूतबलिके षट्खण्डागममें भी युगपत्वादका स्पष्ट विधान पाया जाता है। ये दोनों आचार्य उमास्वातिके पूर्ववर्ती हैं और इनके युगपदवाद-विधायक वाक्य नमूनेके तौरपर इस प्रकार हैं:—

“जुगवं वट्ठइ एणं केवलणाणस्स दंसणं च तहा ।

दिणयर-पयास-तावं जह वट्ठइ तह मुणेयव्वं ॥” (णियम० १५६) ।

“सयं भयवं उप्पण्ण-णाण-दरिसी सदेवाऽसुर-माणुसस्स लोगस्स आगदिं गदिं चयणोववादं बन्धं मोक्खं इद्धि ठिदिं जुदिं अणुभागं तक्कं कलं मणोमाणसियं भुत्तं कदं पडिसेविदं आदिकम्मं अरहकम्मं सव्वलोए सव्वजीवे सव्वभावे सव्वं समं जाणदि पस्सदि विहर-दित्ति ।”—(षट्खण्डा० ४ पयडि अ० सू० ७८) ।

ऐसी हालतमें युगपत्वादकी सर्वप्रथम उत्पत्ति उमास्वातिसे बतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता, जैनवाद मयमें इसकी अविकल धारा अतिप्राचीन कालसे चली आई है। यह दूसरी बात है कि क्रम तथा अभेदकी धाराएँ भी उसमें कुछ बादको शामिल हो गई हैं; परन्तु विकास-क्रम युगपत्-वादसे ही प्रारम्भ होता है, जिसकी सूचना विशेषणवतीकी उक्त गाथाओं (‘केई भणंति जुगवं’ इत्यादि) से भी मिलती है। दिगम्बराचार्य श्रीकुन्दकुन्द, समन्त-भद्र और पूज्यपादके ग्रन्थोंमें क्रमवाद तथा अभेदवादका कोई ऊहापोह अथवा

❁ उमास्वातिवाचकको पं० सुखलालजीने तीसरीसे पाँचवीं शताब्दीके मध्यका विद्वान् बतलाया है। (ज्ञा० वि० परि पृ० ५४) ।

§ इस पूर्ववर्तित्वका उल्लेख श्रवणबेलगोलादिके शिलालेखों तथा अनेक ग्रंथ-प्रशस्तियोंमें पाया जाता है ।

खण्डन न होना प० सुखलालजीको कुछ अखरा है; परन्तु इसमें अखरनेकी कोई बाधा नहीं है। जब इन आचार्योंके सामने ये दोनों वाद आए ही नहीं तब वे इन वादोंका ऊहापोह अथवा खण्डनादिक कैसे कर सकते थे? अकलङ्कके सामने जब ये वाद आए तब उन्होंने उनका खण्डन किया ही है; चुनांचे प० सुखलालजी स्वयं ज्ञानबिन्दुके परिचयमें यह स्वीकार करते हैं कि “ऐसा खण्डन हृष सबमे पहले अकलङ्ककी कृतियोंमें पाते हैं।” और इसलिये उनसे पूर्वकी—कुन्दकुन्द, समन्तभद्र तथा पूज्यपादकी—कृतियोंमें उन वादोंकी कोई चर्चाका न होना इस बातको और भी साफ तौरपर सूचित करता है कि इन दोनों वादोंकी प्रादुर्भूति उनके समयके बाद हुई है। सिद्धसेनके सामने ये दोनों वाद थे—दोनोंकी चर्चा सन्मतिसूत्र में की गई है—अतः ये सिद्धसेन पूज्यपादके पूर्ववर्ती नहीं हो सकते। पूज्यपादने जिन सिद्धसेनका अपने व्याकरणमें नामोल्लेख किया है वे कोई दूसरे ही सिद्धसेन होने चाहियें।

यहांपर एक खास बात नोट किये जानेके योग्य है और वह यह कि प० सुखलालजी सिद्धसेनको पूज्यपादसे पूर्ववर्ती सिद्ध करनेके लिये पूज्यपादीय जैनैन्द्र व्याकरणका उक्त सूत्र तो उपस्थित करते हैं परन्तु उसी व्याकरणके दूसरे समकक्ष सूत्र “चतुष्टयं सन्मतभद्रस्य” को देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं—उसके प्रति गजनिमीलन-जैसा व्यवहार करते हैं—और ज्ञानबिन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावना (पृ० ५५) में बिना किसी हेतुके ही यहाँ तक लिखनेका साहस करते हैं कि “पूज्यपादके उत्तरवर्ती दिगम्बराचार्य समन्तभद्र” ने अमुक उल्लेख किया! साथ ही, इस बातको भी भुला जाते हैं कि सन्मतिसूत्रकी प्रस्तावनामें वे स्वयं पूज्यपादको समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला आए हैं और यह लिख आए हैं कि “स्तुतिकाररूपसे प्रसिद्ध इन दोनों जैनाचार्योंका उल्लेख पूज्यपादने अपने व्याकरणके उक्त सूत्रोंमें किया है उनका कोई भी प्रकारका प्रभाव पूज्यपादकी कृतियोंपर होना चाहिये।” मालूम नहीं फिर उनके इस साहसिक कृत्यका क्या रहस्य है! और किस अभिनिवेशके वशवर्ती होकर उन्होंने अब यों ही चलती कलमसे समन्तभद्रको पूज्यपादके उत्तरवर्ती कह डाला है!! इसे अथवा इसके औचित्यको वे ही स्वयं समझ सकते हैं। दूसरे विद्वान् तो इसमें कोई औचित्य एवं न्याय नहीं देखते कि एक ही व्याकरण अग्रमें उल्लेखित दो विद्वानोंमेंसे

एकको उस ग्रंथकारके पूर्ववर्ती और दूसरेको उत्तरवर्ती बतलाया जाय और वह भी बिना किसी युक्तिके। इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित सुखलालजीकी बहुत पहलेसे यह धारणा बनी हुई है कि सिद्धसेन समन्तभद्रके पूर्ववर्ती हैं और वे जैसे तैसे उसे प्रकट करनेके लिये कोई भी अवसर चूकते नहीं हैं। हो सकता है कि उसीकी धुनमें उनसे यह कार्य बन गया हो, जो उस प्रकटीकरणका ही एक प्रकार है; अन्यथा वैसा कहनेके लिए कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं है।

पूज्यपाद समन्तभद्रके पूर्ववर्ती नहीं किन्तु उत्तरवर्ती हैं, यह बात जेनेन्द्र-व्याकरण के उक्त “चतुष्टयं समन्तभद्रस्य” सूत्रसे ही नहीं किन्तु श्रवणबेलगोलके शिखालेखों आदिसे भी भले प्रकार जानी जाती हैं। पूज्यपादकी ‘सर्वार्थसिद्धि’ पर समन्तभद्रका स्पष्ट प्रभाव है, इसे ‘सर्वार्थसिद्धि पर समन्तभद्रका प्रभाव’ नामक लेखमें स्पष्ट करके बतलाया जा चुका है †। समन्तभद्रके ‘रत्नकरण्ड’ का ‘आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यम्’ नामका शास्त्रलक्षणवाला पूरा पद्य न्यायावतारमें उद्धृत है, जिसकी रत्नकरण्डमें स्वाभाविकी और न्यायावतारमें उद्धरण-जैसी स्थितिको खूब खोलकर अनेक युक्तियोंके साथ अन्यत्र दर्शाया जा चुका है*— उसके प्रक्षिप्त होनेकी कल्पना-जैसी बात भी अब नहीं रही: क्योंकि एक तो न्यायावतारका समय अधिक दूरका न रह कर टीकाकार सिद्धर्षिके निकट पहुँच गया है, दूसरे उसमें अन्य कुछ वाक्य भी समर्थनादिके रूपमें उद्धृत पाये

† देखो, श्रवणबेलगोल-शिलालेख नं० ४०(६४); १०८ (२५८); ‘स्वामी समन्तभद्र’ (इतिहास) पृ० १४१-१४३; तथा ‘जैनजगत’ वर्ष ९ अङ्क १५-१६ में प्रकाशित ‘समन्तभद्रका समय और डा० के० बी० पाठक’ शीर्षक लेख पृ० १८-२३, अथवा ‘दि एनल्लस आफ़ दि भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट पूना वोल्यूम १५ पार्ट १-२ में प्रकाशित Samantabhadra’s date and Dr. K. B. Pathak पृ० ८१-८८।

‡ देखो, अनेकान्त वर्ष ५, किरण १०-११ पृ० ३४६-३५२।

ॴ देखो, स्वामी समन्तभद्र’ (इतिहास) पृ० १२६-१३१ तथा अनेकान्त वर्ष ९, कि० १से ४में प्रकाशित ‘रत्नकरण्डके कर्तृत्वविषयमें मेरा विचार और निर्णय’ नामक लेख पृ० ५-१४०।

जाते हैं। जैसे “साध्याविनाभुवो हेतोः” जैसे वाक्यमें हेतुका लक्षण आजानेपर भी “अन्यथानुपपन्नत्वं हेतोलक्षणमीरितम्” इस वाक्यमें उन पात्रस्वामीके हेतुलक्षणको उद्धृत किया गया है जो समन्तभद्रके देवागमसे प्रभावित होकर जैनधर्ममें दीक्षित हुए थे। इसी तरह “दृष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्” इत्यादि आठवें पद्यमें शब्द (आगम) प्रमाणका लक्षण आजाने पर भी अगले पद्यमें समन्तभद्रका “आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यमदृष्टेष्टविरोधकम्” इत्यादि शास्त्रका लक्षण समर्थनादिके रूपमें उद्धृत हुआ समझना चाहिए। इसके सिवाय, न्यायावतार पर समन्तभद्रके देवागम (आप्तमीमांसा) का भी स्पष्ट प्रभाव है; जैसा कि दोनों ग्रन्थोंमें प्रमाणके अनन्तर पाये जानेवाले निम्न वाक्योंकी तुलनापरसे जाना जाता है—

“उपेक्षा फलमाऽऽद्यस्य शेषस्याऽऽदान-हान-धीः।

पूर्वा(र्व) वाऽज्ञान-नाशो वा सर्वस्याऽस्य स्वगोचरे ॥१०२॥”

— देवागम

“प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञान-विनिवर्तनम्।

केवलस्य-सुखोपेक्षेः शेषस्याऽऽदान-हानधीः ॥२८॥”

— न्यायावतार

ऐसी स्थितिमें व्याकरणादिके कर्ता पूज्यपाद और न्यायवतारके कर्ता सिद्धसेन दोनों ही स्वामी समन्तभद्रके उत्तरवर्ती हैं, इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान नहीं है। सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन चर्चि निर्युक्तिकार एवं नैमित्तिक भद्रबाहुके बाद हुए हैं—उन्होंने भद्रबाहुके द्वारा पुरस्कृत उपयोग-क्रमवादका खंडन किया है—और इन भद्रबाहुका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः तृतीय चरण पाया जाता है, इसीसे यही समय सन्मतिकार सिद्धसेनके समयकी पूर्वसीमा है, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। पूज्यपाद इस समयसे पहले गंगवंशी राजा अविनीत (ई० सन् ४३०-४८२) तथा उसके उत्तराधिकारी दुर्विनीतके

❁ यहाँ ‘उपेक्षा’के साथ सुखकी वृद्धि की गई है, जिसका अज्ञाननिवृत्ति तथा उपेक्षा (रागादिककी निवृत्तिरूप अनासक्ति)के साथ अविनाभावी सम्बन्ध है।

समयमें हुए हैं और उनके एक शिष्य वज्रनन्दीने विक्रम संवत् ५२६ में द्राविड-संघकी स्थापना की है, जिसका उल्लेख देवसेनसूरिके दर्शनसार (वि० सं० ६६०) ग्रन्थमें मिलता है ‡ । अतः सन्मतिकार सिद्धसेन पूज्यपादके उत्तरवर्ती हैं, पूज्य-पादके उत्तरवर्ती होनेसे समन्तभद्रके भी उत्तरवर्ती हैं, ऐसा सिद्ध होता है । और इसलिये समन्तभद्रके स्वयम्भूस्तोत्र तथा आसमीमांसा (देवागम) नामक दो ग्रन्थोंकी सिद्धसेनीय सन्मतिसूत्रके साथ तुलना करके पं० सुखलालजीने दोनों आचार्योंके इन ग्रन्थोंमें जिस 'वस्तुगत पुष्कल साम्य' की सूचना सन्मतिकी प्रस्तावना (पृ० ६६) में की है उसके लिये सन्मतिसूत्रको अधिकांशमें सामन्त-भद्रीय ग्रन्थोंके प्रभावादिका आभारी समझना चाहिये । अनेकान्त-शासनके जिस स्वरूप-प्रदर्शन एवं गौरव-ख्यापनकी ओर समन्तभद्रका प्रधान लक्ष्य रहा है उसी-को सिद्धसेनने भी अपने ढंगसे अपनाया है । साथ ही, सामान्य-विशेष-मातृक नयोंके सर्वथा-असर्वथा, सापेक्ष-निरपेक्ष और सम्यक्-मिथ्यादि-स्वरूपविषयक समन्तभद्रके मौलिक निर्देशोंको भी आत्मसात् किया है । सन्मतिका कोई-कोई कथन समन्तभद्रके कथनसे कुछ मतभेद अथवा उसमें कुछ वृद्धि या विशेष आयोजनको भी साथमें लिये हुए जान पड़ता है, जिसका एक नमूना इस प्रकार है—

द्वयं खित्तं कालं भावं पज्जाय-देस-संजोगे ।

भेदं च पडुच्च समा भावाणं पणवणपज्जा ॥३-६०॥

इस गाथामें बतलाया है कि 'पदार्थोंकी प्ररूपणा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पर्याय, देश, संयोग और भेदको आश्रित करके ठीक होती है,' अब कि समन्त-भद्रने "सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्टयात्" जैसे वाक्योंके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इस चतुष्टयको ही पदार्थप्ररूपणका मुख्य साधन बतलाया है । इससे यह साफ जाना जाता है कि समन्तभद्रके उक्त चतुष्टयमें सिद्धसेनने

‡ "सिरिपुज्जपादसीमो दाविडसंघस्स कारगो दुट्ठो ।

णामेण वज्जणंदी पाहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥

पंचसए छुव्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।

दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो महामोहो ॥ २५ ॥"

बादको एक दूसरे चतुष्टयकी और वृद्धि की है, जिसका पहलेसे पूर्वके चतुष्टयमें ही अन्तर्भाव था ।

रही द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनकी बात, पहली द्वात्रिंशिकामें एक उल्लेख-वाक्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है, जो इस विषयमें अपना खास महत्त्व रखता है:—

य एष षड्जीव-निकाय-विस्तरः परैरनालीढपथस्त्वयोदितः ।

अनेन सर्वज्ञ-परीक्षण-क्षमास्त्वयि प्रसादादयसोत्सवाः स्थिताः ॥१३

इसमें बतलाया है कि 'हे वीरजिन ! यह जो षट् प्रकारके जीवोंके निकायों (समूहों) का विस्तार है और जिसका मार्ग दूसरोंके अनुभवमें नहीं आया वह आपके द्वारा उदित हुआ—बतलाया गया अथवा प्रकाशमें लाया गया है । इसी-से जो सर्वज्ञकी परीक्षा करनेमें समर्थ हैं वे (आपको सर्वज्ञ जानकर) प्रसन्नताके उदयरूप उत्सवके साथ आपमें स्थित हुए हैं—बड़े प्रसन्नचित्तसे आपके आश्रयमें प्राप्त हुए और आपके भक्त बने हैं ।' वे समर्थ-सर्वज्ञ-परीक्षक कौन हैं जिनका यहाँ उल्लेख है और जो आसप्रभु वीरजिनेन्द्रकी सर्वज्ञरूपमें परीक्षा करनेके अनन्तर उनके सुहृद भक्त बने हैं? वे हैं स्वामी समन्तभद्र, जिन्होंने आसमीमांसा-द्वारा सबसे पहले सर्वज्ञकी परीक्षा * की है, जो परीक्षाके अनन्तर वीरकी स्तुतिरूपमें 'युक्त्यनुशासन' स्तोत्रके रचनेमें प्रवृत्त हुए हैं † और जो स्वयम्भू स्तोत्रके निम्न पद्योंमें सर्वज्ञका उल्लेख करते हुए उसमें अपनी स्थिति एवं भक्ति-

* अकलङ्कदेवने भी 'अष्टशती' भाष्यमें आसमीमांसाको "सर्वज्ञविशेष-परीक्षा" लिखा है और बादिराजसूरिने पार्श्वनाथचरितमें यह प्रतिपादित किया है कि 'उसी देवागम (आसमीमांसा) के द्वारा स्वामी (समन्तभद्र) ने आज भी सर्वज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा है:—

“स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य न विस्मयावहम् ।

देवागमेन सर्वज्ञो येनाऽद्यापि प्रदर्श्यते ॥”

† युक्त्यनुशासनकी प्रथमकारिकामें प्रयुक्त हुए 'अद्य' पदका अर्थ श्रीविद्या-नन्दने टीकामें "अस्मिन् काले परीक्षाऽवसानसमये" दिया है और उसके द्वारा आसमीमांसाके बाद युक्त्यनुशासनकी रचनाको सूचित किया है ।

को “त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्” इस वाक्यके द्वारा स्वयं व्यक्त करते हैं, जो कि “त्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः” इस वाक्यका स्पष्ट मूलाधार जान पड़ता है:—

बहिरन्तरप्युभयथा च, करणमविधाति नाऽर्थकृत् ।

नाथ ! युगपदखिलं च सदा, त्वमिदं तलाऽऽमलकवद्विवेदिथ ॥१२६

अत एव ते बुध-नुतस्य, चरित-गुणमद्भुतोदयम् ।

न्यायविहितमवधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम् ॥१३०

इन्हीं स्वामी समन्तभद्रको मुख्यतः लक्ष्य करके उक्त द्वात्रिंशिकाके अगले दो पद्य * कहे गये जान पड़ते हैं, जिनमेंसे एकमें उनके द्वारा अर्हन्तमें प्रतिपादित उन दो दो बातोंका उल्लेख है जो सर्वज्ञ-विनिश्चयकी सूचक हैं और दूसरेमें उनके प्रथित यशकी मात्राका बड़े गौरवके साथ कीर्तन किया गया है । अतः इस द्वात्रिंशिकाके कर्ता सिद्धसेन भी समन्तभद्रके उत्तरवर्ती हैं । समन्तभद्रके स्वयम्भू-स्तोत्रका शैलीगत, शब्दगत और अर्थगत कितना ही साम्य भी इसमें पाया जाता है, जिसे अनुसरण कह सकते हैं और जिसके कारण इस द्वात्रिंशिकाको पढ़ते हुए कितनी ही बार इसके पदविन्यासादिपरसे ऐसा भान होता है मानों हम स्वयम्भूस्तोत्र पढ़ रहे हैं । उदाहरणके तौरपर स्वयम्भूस्तोत्रका प्रारम्भ जैसे उपजातिछन्दमें ‘स्वयम्भुवा भूत’ शब्दोंसे होता है वैसे ही इस द्वात्रिंशिकाका प्रारम्भ भी उपजातिछन्दमें ‘स्वयम्भुवं भूत’ शब्दोंसे होता है । स्वयम्भूस्तोत्रमें जिस प्रकार समन्त, संहत, गत, उदित, समीक्ष्य, प्रवादिन्, अनन्त, अनेकान्त-जैसे कुछ विशेष शब्दोंका; मुने, नाथ, जिन, वीर-जैसे सम्बोधन-पदोंका और १ जित-क्षुल्लकवादिशासनः, २ स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिताः, ३ नैतत्समालीढपदं त्वदन्यैः, ४ शेरते प्रजाः, ५ अशेषमाहात्म्यमनीरयन्नपि, ६ नाऽऽसमीक्ष भवतः प्रवृत्तयः, ७ अचिन्त्यमीहितम्, आर्हन्त्यमचिन्त्यमद्भुतं ८ सहस्राक्षः, ९ त्वद्विषः, १० शशि-

❧ “वपुः स्वभावस्यमरक्तशोणितं पराऽनुकम्पा सकृजं च भाषितम् ।

न यस्य सर्वज्ञ-विनिश्चयस्त्वयि द्वयं करोत्येतदसौ न मानुषः ॥१४॥

अलब्धनिष्ठाः प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्याः प्रथयन्ति यद्यशः ।

न तावदप्येकसमूहसंहताः प्रकाशयेयुः परवादिपार्थिवाः ॥१५॥

रुचिशुचिशुक्ललोहित...वपुः, ११ स्थितावयं जैसे विशिष्ट पदवाक्योंका प्रयोग पाया जाता है उसी प्रकार पहली द्वात्रिंशिकामें भी उक्त शब्दों तथा सम्बोधन पदोंके साथ १ प्रपञ्चितक्षुल्लकतर्कशासनैः, २ स्वपक्ष एव प्रतिबद्धमत्सराः, ३ परैरनालीढपथस्त्वयोदितः, ४ जगत्...शेरते, ५ त्वदीयमाहात्म्यविशेषसंभली...भारती, ६ समीक्ष्यकारिणः, ७ अचिन्त्यमाहात्म्यं, ८ भूतसहस्रनेत्रं, ९ त्वत्प्रतिघातनोन्मुखैः, १० वपुः स्वभावस्थमरक्तशोणितं, ११ स्थितावयं-जैसे विशिष्ट पद-वाक्योंका प्रयोग देखा जाता है, जो यथाक्रम स्वयम्भूस्तोत्रगत उक्त पदोंके प्रायः समकक्ष हैं। स्वयम्भूस्तोत्रमें जिस तरह जिनस्तवनके साथ जिनशासन-जिनप्रवचन तथा अनेकान्तका प्रशंसन एवं महव ख्यापन किया गया है और वीरजिनेन्द्रके शासनमाहात्म्यको 'तव जिनशासनविभवः जयति कलावपि गुणानुशासनविभवः' जैसे शब्दों-द्वारा कलिकालमें भी जयवन्त बतलाया गया है उसी तरह इस द्वात्रिंशिकामें भी जिनस्तुतिके साथ जिनशासनादिका संक्षेपमें कीर्तन किया गया है और वीरभगवानको 'सच्छासनवर्द्धमान' लिखा है।

इस प्रथम द्वात्रिंशिकाके कर्ता सिद्धसेन ही यदि अगली चार द्वात्रिंशिकाओंके भी कर्ता हैं, जैसाकि पं० सुखलालजीका अनुमान है, तो पाँचों ही द्वात्रिंशिकाएँ, जो वीरस्तुतिसे सम्बन्ध रखती हैं और जिन्हें मुख्यतया लक्ष्य करके ही आचार्य हेमचन्द्रने 'वक्त्र सिद्धसेनस्तुतयो महार्थाः' जैसे वाक्यका उच्चारण किया जान पड़ता है, स्वामी समन्तभद्रके उत्तरकालीन रचनाएँ हैं। इन सभीपर समन्तभद्रके ग्रन्थोंकी छाया पड़ी हुई जान पड़ती है।

इस तरह स्वामी समन्तभद्र न्यायवितारके कर्ता, सन्मतिके कर्ता और उक्त द्वात्रिंशिका अथवा द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता तीनों ही सिद्धसेनोंसे पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। उनका समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दी है, जैसा कि दिगम्बर पट्टावली ४ में शकसंवत् ६० (वि० सं० १६५) के उल्लेखानुसार दिगम्बर-समाजमें आमतौरपर माना जाता है। श्वेताम्बर पट्टावलियोंमें उन्हें 'सामन्तभद्र' नाम-

ॐ देखो, हस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसन्धान-विषयक डा० भाण्डरकरकी सन् १८८३-८४ की रिपोर्ट पृ० ३२०; मिस्टर लेविस राइसकी 'इस्क्रिप-शन्स ऐट् श्रवणबेलगोळकी प्रस्तावना और कर्णाटक शब्दानुशासनकी भूमिका।

से उल्लेखित किया है और उनके समयका पट्टाचार्यरूपमें प्रारम्भ वीरनिर्वाण-संवत् ६४३ अर्थात् वि० सं० १७३ से बतलाया है। साथ ही यह भी उल्लेखित किया है कि उनके पट्टशिष्यने वीर नि० सं० ६९५ (वि० सं० २२५) * में एक प्रतिष्ठा कराई है, जिससे उनके समयकी उत्तरावधि विक्रमकी तीसरी शताब्दी के प्रथमचरण तक पहुँच जाती है †। इससे समय-सम्बन्धी दोनों सम्प्रदायोंका कथन मिल जाता है और प्रायः एक ही ठहरता है।

ऐसी वस्तुस्थितिमें पं० मुखलालजीका अपने एक दूसरे लेख 'प्रतिभामूर्ति सिद्धसेनदिवाकर' में, जो कि 'भारतीयविद्या' के उसी अङ्क (तृतीय भाग) में प्रकाशित हुआ है, इन तीनों ग्रन्थोंके कर्ता तीन सिद्धसेनोंको एक ही सिद्धसेन बतलाते हुए यह कहना कि 'यही सिद्धसेन दिवाकर "आदि जैनताकिके"—"जैन परम्परामें तर्कविद्याका और तर्कप्रधान संस्कृत वाङ्मयका आदिप्रणेता", "आदि जैनकवि", "आदि जैनस्तुतिकार", "आद्य जैनवादी ।" और "आद्य जैनदार्शनिक" है' क्या अर्थ रखता है और कैसे सङ्गत हो सकता है? इसे विज्ञ साठक स्वयं समझ सकते हैं। सिद्धसेनके व्यक्तित्व और इन सब विषयोंमें उनकी विद्या-योग्यता एवं प्रतिभाके प्रति बहुमान रखते हुए भी स्वामी समन्तभद्रकी पूर्वस्थिति और उनके अद्वितीय-अपूर्व साहित्यकी पहलसे मौजूदजीमें मुझे इन सब उद्गारोंका कुछ भी मूल्य मालूम नहीं होता और न पं० मुखलालजीके इन कथनोंमें कोई सार ही जान पड़ता है कि—(क) 'सिद्धसेनका सन्मति प्रकरण जैनदृष्टि और जैनमन्तव्योंको तर्कशैलीसे स्पष्ट करने तथा स्थापित करनेवाला जैन वाङ्मयमें सर्वप्रथम ग्रन्थ है' तथा (ख) 'स्वामी समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र और युक्त्यनुशासन नामक ये दो दार्शनिक स्तुतियाँ सिद्धसेनकी कृतियोंका अनुकरण हैं।' तर्कादि-विषयोंमें समन्तभद्रकी योग्यता और प्रतिभा किसीसे भी कम नहीं किन्तु

* कुछ पट्टावलियोंमें यह समय वी० नि० सं० ५९५ अथवा विक्रमसंवत् १२५ दिया है जो किसी गलतीका परिणाम है और मुनि कल्याणविजयने अपने द्वारा सम्पादित 'तपागच्छपट्टावली'में उसके सुधारकी सूचना की है।

† देखो, मुनि श्रीकल्याणविजयजीके द्वारा सम्पादित 'तपागच्छपट्टावली' पृ० ७९-८१।

सर्वोपरि रही है, इसीसे अकलङ्कदेव और विद्यनन्दादि-जैसे महान् तार्किकों-
दार्शनिकों एवं वादविशारदों आदिने उनके यशका खुला गान किया है; भगव-
जिनसेनने आदिपुराणमें उनके यशको कवियों, गमकों, वादियों तथा वादियोंके
मस्तकपर चूड़ामणिकी तरह सुशोभित बतलाया है (इसी यशका पहली द्वाशि-
शिकाके 'तव प्रशिष्याः प्रययन्ति यद्यशः' जैसे शब्दोंमें उल्लेख है) और साथ
ही उन्हें कविब्रह्मा—कवियोंको उत्पन्न करनेवाला विधाता—लिखा है तथा
उनके वचन-रूपी वज्रपातसे कुमतरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गये, ऐसा उल्लेख
भी किया है † । और इसलिये उपलब्ध जैनवाङ्मयमें समयादिककी दृष्टिसे
आद्य तार्किकादि होनेका यदि किसीको मान अथवा श्रेय प्राप्त है तो वह स्वामी-
समन्तभद्रको ही प्राप्त है । उनके देवागम (आत्ममीमांसा), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भू-
स्तोत्र और स्तुतिविद्या (जिनशतक) जैसे ग्रन्थ आज भी जैनसमाजमें अपनी
जोड़का कोई ग्रन्थ नहीं रखते । इन्हीं ग्रंथोंको मुनि कल्याणविजयजीने भी उन
निर्ग्रन्थचूड़ामणि श्रीसमन्तभद्रकी कृतियाँ बतलाया है जिनका समय भी श्वेताम्बर-
मान्यतानुसार विक्रमकी दूसरी-शताब्दी है ‡ । तब सिद्धसेनको विक्रमकी ५वीं
शताब्दीका मान लेनेपर भी समन्तभद्रकी किसी कृतिको सिद्धसेनकी कृतिका
अनुकरण कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता ।

इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट है कि पं० सुखलालजीने सन्मतिकार सिद्धसेन
को विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीका विद्वान् सिद्ध करनेके लिये जो प्रमाण
उपस्थित किये हैं वे उस विषयको सिद्ध करनेके लिये बिल्कुल असमर्थ हैं ।
उनके दूसरे प्रमाणसे जिन सिद्धसेनका पूज्यपादसे पूर्ववर्तित्व एवं विक्रमकी
पाँचवीं शताब्दीमें होना पाया जाता है वे कुछ द्वात्रिंशिकाग्रोंके कर्ता हैं न कि
सन्मतिसूत्रके, जिसका रचनाकाल निर्युक्तिकार भद्रबाहुके समयसे पूर्वका सिद्ध
नहीं होता और इन भद्रबाहुका समय प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् मुनि श्रीचतुर-
विजयजी और मुनि श्रीपुण्यविजयजीने भी अनेक प्रमाणोंके आधारपर विक्रम-
की छठी शताब्दीके प्रायः तृतीय चरण तकका निश्चित किया है । पं० सुखलालजी

† विशेषके लिये देखो, 'सत्साधुस्मरण-मंगलपाठ' पृ० २५ से ५१ ।

‡ तपागच्छपट्टावली भाग पहला पृ० ८० ।

का उसे विक्रमकी दूसरी शताब्दी बतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता । अतः सन्मतिकार सिद्धसेनका जो समय विक्रमकीछठी शताब्दीके तृतीय चरण और सातवीं शताब्दीके तृतीय चरणका मध्यवर्ती काल निर्धारित किया गया है वही समुचित प्रतीत होता है, जब तक कि कोई प्रबल प्रमाण उसके विरोध में सामने न लाया जावे । जिन दूसरे विद्वानोंने इस समयसे पूर्वकी अथवा उत्तरसमयकी कल्पना की है वह सब उक्त तीन सिद्धसेनोंको एक मानकर उनमें से किसी एकके ग्रन्थको मुख्य करके की गई है अर्थात् पूर्वका समय कतिपय द्वात्रिंशिकाओंके उल्लेखोंको लक्ष्यकरके और उत्तरका समय न्यायावतारको लक्ष्य करके कल्पित किया गया है । इस तरह तीन सिद्धसेनोंकी एकत्वमान्यता ही सन्मतिसूत्रकारके ठीक समय निर्णयमें प्रबल बाधक रही है, इसीके कारण एक सिद्धसेनके विषय अथवा तत्सम्बन्धी घटनाओंको दूसरे सिद्धसेनोंके साथ जोड़ दिया गया है, और यही वजह है कि प्रत्येक सिद्धसेनका परिचय थोड़ा-बहुत खिचड़ी बना हुआ है ।

(ग) सिद्धसेनका सम्प्रदाय और गुणकीर्तन—

अब विचारणीय यह है कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन किस सम्प्रदायके आचार्य थे अर्थात् दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं या श्वेताम्बर सम्प्रदायसे और किस रूपमें उनका गुण-कीर्तन किया गया है । आचार्य उमास्वाति- (मी) और स्वामी समन्तभद्रकी तरह सिद्धसेनाचार्यकी भी मान्यता दोनों सम्प्रदायोंमें पाई जाती है । यह मान्यता केवल विद्वत्ताके नाते सम्प्रदायोंमें आदर-सत्कारके रूपमें नहीं और न उनके किसी मन्तव्य अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित किसी वस्तुतत्त्व या सिद्धान्त-विशेषका ग्रहण करनेके कारण ही है बल्कि उन्हें अपने अपने सम्प्रदायके गुरुरूपमें माना गया है, गुर्वावलियों तथा पट्टावलियोंमें उनका उल्लेख किया गया है और उसी गुरुदृष्टिसे उनके स्मरण, अपनी गुणज्ञताको साथमें व्यक्त करते हुए, लिखे गये हैं अथवा उन्हें अपनी श्रद्धाञ्जलियां अर्पित की गई हैं । दिगम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धसेनको सेन-गण (संघ) का आचार्य माना जाता है और सेनगणकी पट्टावली† में उनका

† देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर किरण १ पृ० ३८ ।

उल्लेख है। हरिवंशपुराणको शकसम्बत् ७०५ में बनाकर समाप्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने, पुराणके अन्तमें दी हुई अपनी गुर्वावलीमें, सिद्धसेनके नामका भी उल्लेख किया है * और हरिवंशपुराणके प्रारम्भमें समन्तभद्रके स्मरणान्तर सिद्धसेनका जो गौरवपूर्ण स्मरण किया है वह इस प्रकार है—

जगत्प्रसिद्धबोधस्य वृषभस्येव निस्तुषाः ।

बोधयन्ति सतां बुद्धिं सिद्धसेनस्य सूक्तयः ॥३०॥

इसमें बतलाया है कि 'सिद्धसेनाचार्यकी निमल सूक्तियाँ (मुन्दर उक्तियाँ) जगत्प्रसिद्धबोध (केवलज्ञान) के धारक (भगवान्) वृषभदेवकी निर्दोष सूक्तियोंकी तरह सत्पुरुषोंकी बुद्धिको बोधित करती हैं—विकसित करती हैं।'

यहाँ सूक्तियोंमें सन्मतिके साथ कुछ द्वात्रिंशिकाग्रोंकी उक्तियाँ भी शामिल समझी जा सकती हैं।

उक्त जिनसेनके द्वारा प्रशंसित भगवज्जिनसेनने आदिपुराणमें सिद्धसेनको अपनी हादिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए उनका जो महत्त्वका कीर्तन एवं जयघोष किया है वह यहाँ खासतौरसे ध्यान देने योग्य है—

“कवयः सिद्धसेनाद्या वयं तु कवयो मताः ।

मणयः पद्मरागाद्या ननु काचोऽपि मेचकः ।

प्रवादि-करियूथानां केशरी नयकेशरः ।

सिद्धसेन-कविर्जीयाद्विकल्प-नखरांकुरः ॥”

इन पद्योंमेंसे प्रथमपद्यमें भगवज्जिनसेन, जो स्वयं एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, लिखते हैं कि 'कवि तो (वास्तवमें) सिद्धसेनादिक हैं, हम तो कवि मान लिये गये हैं। (जैसे) मणि तो वास्तवमें पद्मरागादिक हैं किन्तु काच भी (कभी कभी किन्हींके द्वारा) मेचकमणि समझ लिया जाता है।' और दूसरे पद्यमें यह घोषणा करते हैं कि 'जो प्रवादिरूप हाथियोंके समूहके लिये विकल्प रूप-नुकीले नखोंसे युक्त और नयरूप केशरोंको धारण किये हुए केशरी सिंह हैं वे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों—अपने प्रवचन-द्वारा मिथ्यावादियोंके मतोंका निरसन करते हुए सदा ही लोकहृदयोंमें अपना सिक्का जमाए रखें—अपने

वचन-प्रभावको अङ्कित किये रहें ।'

यहाँ सिद्धसेनका कविरूपमें स्मरण किया गया है और उसीमें उनके वादित्वगुणको भी समाविष्ट किया गया है । प्राचीन समयमें कवि साधारण कविता-शायरी करनेवालोंको नहीं कहते थे बल्कि उस प्रतिभाशाली विद्वान्को कहते थे जो नये नये सन्दर्भ, नई-नई मौलिक रचनाएं तय्यार करनेमें समर्थ हो अथवा प्रतिभा ही जिसका उज्जीवन हो, जो नाना वर्णानामोंमें निपुण हो, कृती हो, नाना अभ्यासोंमें कुशाग्रबुद्धि हो और व्युत्पत्तिमान (लौकिक व्यवहारोंमें कुशल) हो ‡ । दूसरे पद्यमें सिद्धसेनको केशरी सिंहकी उपमा देते हुए उसके साथ जो 'नय-केशरः' और विकल्प-नखराङ्कुरः' जैसे विशेषण लगाये गए हैं उनके द्वारा खास तौरपर सन्मत्तिसूत्र लक्षित किया गया है, जिसमें नयोंका ही मुख्यतः विवेचन है और अनेक विकल्पों द्वारा प्रवादियोंके मन्तव्यों-मान्यसिद्धान्तोंका विदारण (निरसन) किया गया है । इसी सन्मत्तिसूत्रका जिनसेनने जयधवलामें और उनके गुरु वीरसेनने धवलामें उल्लेख किया है और उसके साथ घटित किये जानेवाले विरोधका परिहार करते हुए उसे अपना एक मान्य ग्रन्थ प्रकट किया है; जैसा कि इन सिद्धान्त ग्रन्थोंके उन वाक्योंसे प्रगट है जो इस लेखके प्रारम्भिक फुटनोटमें उद्धृत किये जा चुके हैं ।

नियमसारकी टीकामें पद्मप्रभ मलधारिदेवने 'सिद्धान्तोद्धश्रीधवं सिद्धसेनं' ... वन्दे' वाक्यके द्वारा सिद्धसेनकी वन्दना करते हुए उन्हें 'सिद्धान्तकी जान-कारी एवं प्रतिपादनकौशलरूप उच्चश्रीके स्वामी' सूचित किया है । प्रतापकीर्तिने आचार्यपूजाके प्रारम्भमें दी हुई गुर्वावलीमें "सिद्धान्तपाथोनिधिलब्धधारः श्री-सिद्धसेनोऽपि गणस्य सारः" इस वाक्यके द्वारा सिद्धसेनको 'सिद्धान्तसागरके पारगामी' और 'गणके सारभूत' बतलाया है । मुनिकनकामरने, 'करकंडुचरिउ' में, सिद्धसेनको समन्तभद्र तथा अकलङ्कदेवके समकक्ष 'श्रुतजलके समुद्र' ❁ रूपमें

‡ "कविर्नूतनसन्दर्भः" ।

"प्रतिभोज्जीवनो नाना-वर्णाना-निपुणः कविः ।

नानाऽभ्यास-कुशाग्रीयमतिव्युत्पत्तिमान् कविः ॥" —अलङ्कारचिन्तामणि

❁ "तो सिद्धसेण सुसमन्तभद्र अकलंकदेव सुअजलसमुद्र ।" क० २

उल्लेखित किया है। ये सब श्रद्धांजलि-मय दिगम्बर उल्लेख भी सन्मतिकार-सिद्धसेनसे सम्बन्ध रखते हैं, जो खास तौरपर सैद्धान्तिक थे और जिनके इस सैद्धान्तिकत्वका अच्छा आभास ग्रन्थके अन्तिम काण्डकी उन गाथाओं (६१ आदि) से भी मिलता है जो श्रुतधर-शब्दसन्तुष्टों, भक्तसिद्धान्तज्ञों और शिष्य-गणपरिवृत-बहुश्रुतमन्योंकी आलोचनाको लिए हुए हैं।

श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें आचार्य सिद्धसेन प्रायः 'दिवाकर' विशेषण अथवा उपपद (उपनाम) के साथ प्रसिद्धिको प्राप्त हैं। उनके लिये इस विशेषण-पदके प्रयोगका उल्लेख श्वेताम्बर-साहित्यमें सबसे पहले हरिभद्रसूरिके 'पञ्चवस्तु' ग्रन्थमें देखनेको मिलता है, जिसमें उन्हें दुःषमाकालरूप रात्रिके लिये दिवाकर (सूर्य) के समान होनेसे 'दिवाकर' की आख्याको प्राप्त हुए लिखा है † । इसके बादसे ही यह विशेषण उधर प्रचारमें आया जान पड़ता है; क्योंकि श्वेताम्बर चूर्णियों तथा मल्लवादीके नयचक्र-जैसे प्राचीन ग्रन्थोंमें जहाँ सिद्धसेनका नामो-ल्लेख है वहाँ उनके साथमें 'दिवाकर' विशेषणका प्रयोग नहीं पाया जाता है ‡ । हरिभद्रके बाद विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान् अभयदेवसूरिने सन्मतिटीकाके प्रारम्भमें उसे उसी दुःषमाकालरात्रिके अन्धकारको दूर करनेवालेके अर्थमें अपनाया है * ।

श्वेताम्बर-सम्प्रदायकी पट्टावलियोंमें विक्रमकी छठी शताब्दी आदिकी जो प्राचीन पट्टावलियाँ हैं—जैसे कल्पसूत्रस्थविरावली (थेरावली), नन्दीसूत्रपट्टा-वली, दुःषमाकाल-श्रमणसंघस्तव—उनमें तो सिद्धसेनका कहीं कोई नामोल्लेख

† आयरिदसिद्धसेणोण सम्मइए पइट्ठिअज्जेणं ।

दूसमणिसा-दिवागर-कप्पन्तराओ तदक्खेणं ॥ १०४८ ।

‡ देखो, सन्मतिसूत्रकी गुजराती प्रस्तावना पृ० ३६, ३७ पर निशीथचूर्णि (उद्देश ४) और दशाचूर्णिके उल्लेख तथा पिछले समय-सम्बन्धी प्रकरणमें उद्धृत नयचक्रके उल्लेख ।

* “इति मन्वान आचार्यो दुषमाऽरसमाश्यामासमयोद्धतसमस्तजनाहर्द-सन्तमसविध्वंसकत्वेनावस्यथार्थाभिधानः सिद्धसेनदिवाकरः तदुपाभूतसम्मत्या-ख्यप्रकरणकरणो प्रवर्तमानः.....स्तवाभिधायिकां गाथामाह ।”

ही नहीं है। दुःषमाकालश्रमणसंघकी अवचूरिमें, जो विक्रमकी १वीं शताब्दीसे बादकी रचना है, सिद्धसेनका नाम जरूर है किन्तु उन्हें 'दिवाकर' न लिखकर 'प्रभावक' लिखा है और साथ ही धर्माचार्यका शिष्य सूचित किया है—
वृद्धवादीका नहीं—

“अत्रान्तरे धर्माचार्य-शिष्य-श्रीसिद्धसेन-प्रभावकः ॥”

दूसरी विक्रमकी १५वीं शताब्दी आदिकी बनी हुई पट्टावलियोंमें भी कितनी ही पट्टावलियाँ ऐसी हैं जिनमें सिद्धसेनका नाम नहीं है—जैसे कि गुरुपर्वक्रम-वर्णन, तपागच्छपट्टावलीसूत्र, महावीरपट्टपरम्परा, युगप्रधानसम्बन्ध (लोक-प्रकाश) और सूरिपरम्परा । हाँ, तपागच्छपट्टावलीसूत्रकी वृत्तिमें, जो विक्रमकी १७वीं शताब्दी (सं० १६४८) की रचना है, सिद्धसेनका 'दिवाकर' विशेषण-के साथ उल्लेख जरूर पाया जाता है। यह उल्लेख मूल पट्टावलीकी ५वीं गाथा-की व्याख्या करते हुए पट्टाचार्य इन्द्रदिन्नसूरिके अनन्तर और दिन्नसूरिके पूर्वकी व्याख्यामें स्थित है ❁ । इन्द्रदिन्नसूरिको सुस्थित और सुप्रतिबुद्धके पट्टपर दसवाँ पट्टाचार्य बतलानेके बाद 'अत्रान्तरे' शब्दोंके साथ कालकसूरि आर्यखपट्टाचार्य और आर्यमंथुका नामोल्लेख समयनिर्देशके साथ किया गया है और फिर लिखा है.—

“वृद्धवादी पादलिप्तश्चात्र । तथा सिद्धसेनदिवाकरो येनोज्जयिन्यां महाकाल-प्रासाद-रुद्रलिङ्गस्फोटनं विधाय कल्याणमन्दिरस्तवेन श्री-पार्श्वनाथबिम्बं प्रकटीकृतं, श्रीविक्रमादित्यश्च प्रतिबोधितस्तद्राज्यं तु श्रीवीरसप्ततिवर्षशतचतुष्टये ४७० संजातं ।”

इसमें वृद्धवादी और पादलिप्तके बाद सिद्धसेनदिवाकरका नामोल्लेख करते हुए उन्हें उज्जयिनीमें महाकालमन्दिरके रुद्रलिङ्गका कल्याणमन्दिरस्तोत्रके द्वारा स्फोटन करके श्रीपार्श्वनाथकेबिम्बको प्रकट करनेवाला और विक्रमादित्यराजाको प्रतिबोधित करनेवाला लिखा है। साथ ही विक्रमादित्यका राज्य वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद हुआ निर्दिष्ट किया है, और इस तरह सिद्धसेन दिवाकरको विक्रमकी प्रथम शताब्दीका विद्वान् बतलाया है, जो कि उल्लेखित विक्रमादित्य-

❁ देखो, मुनि दर्शनविजय-द्वारा सम्पादित 'पट्टावलीसमुच्चय' प्रथम भाग ।

को गलतरूपमें समझनेका परिणाम है । विक्रमादित्य नामके अनेक राजा हुए हैं । यह विक्रमादित्य वह विक्रमादित्य नहीं है जो प्रचलित संवत्का प्रवर्तक है, इस बातको पं० सुखलालजी आदिने भी स्वीकार किया है । अस्तु; तपागच्छ-पदावलीकी यह वृत्ति जिन आधारोंपर निर्मित हुई है उनमें प्रधान पद तपागच्छ-की मुनि सुन्दरसूरिकृत गुर्वावलीको दिया गया है, जिसका रचनाकाल विक्रम संवत् १४६६ है । परन्तु इस पट्टावलीमें भी सिद्धसेनका नामोल्लेख नहीं है । उक्त वृत्तिसे कोई १०० वर्ष बादके (वि० सं० १७३६ के बादके) बने हुए 'पट्टावलीसारोद्धार' ग्रन्थमें सिद्धसेनदिवाकरका उल्लेख प्रायः उन्हीं शब्दोंमें दिया है जो उक्त वृत्तिमें 'तथा' से 'संजात' तक पाये जाते हैं ‡ । और यह उल्लेख इन्द्रदिनसूरिके बाद 'अत्रान्तरे' शब्दोंके साथ मात्र कालकसूरिके उल्लेखानन्तर किया गया है—आर्यखपट्ट, आर्यमंगु, वृद्धवादी और पादलिप्त नामके आचार्योंका कालकसूरिके अनन्तर और सिद्धसेनके पूर्वमें कोई उल्लेख ही नहीं किया है । वि० सं० १७८६ से भी बादकी बनी हुई 'श्रीगुरुपट्टावली' में भी सिद्धसेनदिवाकरका नाम उज्जयिनीकी लिगस्फोटन-सम्बन्धी घटनाके साथ उल्लेखित है * ।

इस तरह श्वे० पट्टावलियों—गुर्वावलियोंमें सिद्धसेनका दिवाकररूपमें उल्लेख विक्रमकी १५वीं शताब्दीके उत्तरार्धसे पाया जाता है कतिपय प्रबन्धोंमें उनके इस विशेषणका प्रयोग सौ-दो सौ वर्ष और पहलेसे हुआ जान पड़ता । रही स्मरणोंकी बात, उनकी भी प्रायः ऐसी ही हालत है—कुछ स्मरण दिवाकर-विशेषणको साथमें लिये हुए हैं और कुछ नहीं हैं । श्वेताम्बर-साहित्यसे सिद्धसेनके श्रद्धाञ्जलिरूप जो भी स्मरण अभी तक प्रकाशमें आये हैं वे प्रायः

‡ “तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरोपि जातो येनोज्जयिन्यां महाकालप्रासादे रुद्र-लिगस्फोटनं कृत्वा कल्याणमन्दिरस्तवनेन श्रीपार्श्वनाथबिम्बं प्रकृटीकृत्य श्री-विक्रमादित्यराजपि प्रतिबोधितः श्रीवीरनिर्वाणात् सप्ततिवर्षाधिकं शतचतुष्टये ४७० ऽतिक्रमे श्रीविक्रमादित्यराज्यं संजातं ॥ १० ॥ पट्टावलीसमुच्चय पृ० १५०

* “तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरेणोज्जयिनीनगर्यां महाकालप्रासादे लिगस्फोटनं विधाय स्तुत्या ११ काव्ये श्रीपार्श्वनाथबिम्बं प्रकृटीकृतं, कल्याणमन्दिरस्तोत्रं कृतं ।” — पट्टा० सं० पृ० १६६

इस प्रकार है:—

(क) उदितोऽर्हन्मत-व्योम्नि सिद्धसेनदिवाकरः ।

चित्रं गोभिः क्षितौ जह्ने कविराज-बुध-प्रभा ॥

यह विक्रमकी १३वीं शताब्दी (वि० सं० १२५२) के ग्रन्थ अममचरित्रका पद्य है। इसमें रत्नसूरि अलङ्कार-भाषाको अपनाते हुए कहते हैं कि 'अर्हन्मत-रूपी आकाशमें सिद्धसेन-दिवाकरका उदय हुआ है, आश्चर्य है कि उसकी वचनरूप-किरणोंसे पृथ्वीपर कविराजकी—बृहस्पतिरूप 'शेष' कविकी—और बुधकी—बुधग्रहरूप विद्वद्गङ्गी—प्रभा लज्जित हो गई—फीकी पड़ गई है।'

(ख) तमतोमं स हन्तु श्रीसिद्धसेनदिवाकरः ।

यस्यादये स्थितं मूकैरुलूकैरिव वादिभिः ॥

यह विक्रमकी १४वीं शताब्दी (सं० १३२४) के ग्रन्थ समरादित्यका वाक्य है, जिसमें प्रद्युम्नसूरिने लिखा है कि 'वे श्रीसिद्धसेन दिवाकर (अज्ञान) ग्रन्थकारके समूहको नाश करें जिनके उदय होनेपर वादीजन उल्लुओं-की तरह मूक हो रहे थे—उन्हें कुछ बोल नहीं आता था।'

(ग) श्रीसिद्धसेन-हरिभद्रमुरवाः प्रसिद्धा-

स्तेसूरयो मयि भवन्तु कृतप्रसादाः ।

येषां विमृश्य सततं विविधान्नियन्धान्,

शास्त्रं चिकीर्षति तनुप्रतिभोऽपि मादृक् ॥

यह 'स्याद्वादरत्नाकर' का पद्य है। इसमें १२वीं-१३वीं शताब्दीके विद्वान् वादिदेवसूरि लिखते हैं कि 'श्रीसिद्धसेन और हरिभद्र जैसे प्रसिद्ध आचार्य मेरे ऊपर प्रसन्न हों, जिनके विविध निबन्धोंपर बार-बार विचार करके मेरे जैसा अल्प-प्रतिभाका धारक भी प्रस्तुत शास्त्रके रचनेमें प्रवृत्त होता है।'

(घ) क्व सिद्धसेन-स्तुतयो महार्था अशिञ्जितालापकला क्व चैषा ।

तथाऽपि यूथाधिपते पथस्थः स्वलद्गतिस्तस्य शिशुर्न शोच्यः ॥

यह विक्रमकी १२वीं-१३वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य हेमचन्द्रकी एक द्वात्रिंशिका-स्तुतिका पद्य है। इसमें हेमचन्द्रसूरि सिद्धसेनके प्रति अपनी श्रद्धा-ञ्जलि अर्पण करते हुए लिखते हैं कि 'कहाँ तो सिद्धसेनकी महान् अर्थावली

गम्भीर स्तुतियाँ और कहाँ अशिक्षित मनुष्योंके आलाप-जसो भरी वह रचना ? फिर भी यूथके अधिपति गजराजके पथपर चलता हुआ उसका बच्चा (जिस प्रकार) स्खलितगति होता हुआ भी शोचनीय नहीं होता—उसी प्रकार मैं भी अपने यूथाधिपति आचार्यके पथका अनुसरण करता हुआ स्खलित होनेपर शोचनीय नहीं हूँ ।’

यहाँ ‘स्तुतयः’ ‘यूथाधिपतेः’ और ‘तस्य शिशुः’ ये पद्य खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं । ‘स्तुतयः’ पदके द्वारा सिद्धसेनीय ग्रन्थोंके रूपमें उन द्वात्रिंशिकाओंकी सूचना की गई है जो स्तुत्यात्मक हैं और शेष पदोंके द्वारा सिद्धसेनको अपने सम्प्रदायका प्रमुख आचार्य और अपनेको उनका परम्परा-शिष्य घोषित किया गया है । इस तरह श्वेताम्बर-सम्प्रदायके आचार्यरूपमें यहाँ वे सिद्धसेन विवक्षित हैं जो कतिपय स्तुतिरूप द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता हैं, न कि वे सिद्धसेन जो कि स्तुतिभिन्न द्वात्रिंशिकाओंके अथवा खासकर सन्मतिसूत्रके रचयिता हैं । श्वेताम्बरीय प्रबन्धोंमें भी, जिनका कितनाही परिचय ऊपर आ चुका है, उन्हीं सिद्धसेनका उल्लेख मिलता है जो प्रायः द्वात्रिंशिकाओं अथवा द्वात्रिंशद्द्वात्रिंशिका-स्तुतियोंके कर्तारूपमें विवक्षित हैं । सन्मतिसूत्रका उन प्रबन्धोंमें कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है । ऐसी स्थितिमें सन्मतिकार सिद्धसेनके लिये जिस ‘दिवाकर’ विशेषणका हरिभद्रसूरिने उल्लेख किया है वह बादको नाम-साम्यादिके कारण द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेन एवं न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनके साथ भी जुड़ गया मालूम होता है और सम्भवतः इस विशेषणके जुड़ जानेके कारण ही तीनों सिद्धसेन एक ही समझ लिये गये जान पड़ते हैं । अन्यथा, पं० सुखलालजी आदिके शब्दों- (प्र० पृ० १०३) में ‘जिन द्वात्रिंशिकाओंका स्थान सिद्धसेनके ग्रन्थोंमें चढ़ता हुआ है उन्हींके द्वारा सिद्धसेनको प्रतिष्ठितयश बतलाना चाहिये था, परन्तु हरिभद्रसूरिने वैसा न करके सन्मतिके द्वारा सिद्धसेनका प्रतिष्ठितयश होना प्रतिपादित किया है और इससे यह साफ ध्वनि निकलती है कि सन्मतिके द्वारा प्रतिष्ठितयश होनेवाले सिद्धसेन उन सिद्धसेनसे प्रायः भिन्न हैं जो द्वात्रिंशिकाओंको रचकर यशस्वी हुए हैं ।

हरिभद्रसूरिके कथनानुसार जब सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन ‘दिवाकर’की आख्याको प्राप्त थे तब वे प्राचीनसाहित्यमें सिद्धसेन नामके बिना ‘दिवाकर’ नामसे भी

उल्लेखित होने चाहियें, उसी प्रकार जिस प्रकार समन्तभद्र 'स्वामी' सौमसे उल्लेखित मिलते हैं * । खोज करनेपर श्वेताम्बरसाहित्यमें इसका एक उदाहरण 'अजरक्खनंदिसेणो' नामकी उम गाथामें मिलता है जिसे मुनि पुण्यविजयजीने अपने 'छेदसूत्रकार और निवृत्तिकार' नामक लेखमें 'पावयणी धम्मकही' नामकी गाथाके साथ उद्धृत किया है और जिसमें आठ प्रभावक आचार्योंकी नामावली देते हुए 'दिवायरो' पदके द्वारा सिद्धसेनदिवाकरका नाम भी सूचित किया है । ये दोनों गाथाएं पिछले समयादिसम्बन्धी प्रकरणके एक फुटनोटमें उक्त लेखकी चर्चा करते हुए उद्धृत की जा चुकी हैं । दिगम्बर साहित्यमें 'दिवाकर' का यतिरूपसे एक उल्लेख रविषेणाचार्यके पद्मचरितकी प्रशस्तिके निम्न वाक्यमें पाया जाता है, जिसमें उन्हें इन्द्र-गुरुका शिष्य, अर्हन्मुनिका गुरु और रविषेणके गुरु लक्ष्मणसेनका दादागुरु प्रकट किया है:—

आसीदिन्द्रगुरौर्दिवाकर-यतिः शिष्योऽस्य चार्हन्मुनिः ।

तस्मात्तन्मणसेन-सन्मुनिरदः शिष्यो रविस्तु स्मृतम् ॥ १२३-१६७ ॥

इस पद्यमें उल्लेखित दिवाकरयतिका सिद्धसेनदिवाकर होना दो कारणोंसे अधिक सम्भव जान पड़ता है—एक तो समयकी दृष्टिसे और दूसरे गुरु-नामकी दृष्टिसे । पद्मचरित वीरनिर्वाणसे १२०३ वर्ष ६ महीने बीतनेपर अर्थात् विक्रम-संवत् ७३४ में बनकर समाप्त हुआ है †, इससे रविषेणके पड़दादा (गुरुके दादा) गुरुका समय लगभग एक शताब्दी पूर्वका अर्थात् विक्रमकी सातवीं शताब्दीके द्वितीय चरण (६२६-६५०) के भीतर आता है जो सन्मतिकार सिद्धसेनके लिये ऊपर निश्चित किया गया है । दिवाकरके गुरुका नाम यहाँ इन्द्र दिया है, जो इन्द्रसेन या इन्द्रदत्त आदि किसी नामका संक्षिप्त रूप अथवा एक देश मालूम होता है । श्वेताम्बर-पट्टावलियोंमें जहां सिद्धसेनदिवाकरका नामोल्लेख किया है वहाँ इन्द्रदिन्त नामक पट्टाचार्यके बाद 'अत्रान्तरे' जैसे शब्दोंके साथ उस नामकी वृद्धि की गई है । हो सकता है कि सिद्धसेनदिवाकर

* देखो, मारिणकचन्द्र-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रत्नकरण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावना पृ० ८ ।

† द्विशताभ्यधिके समासहस्रे समतीतेऽद्धंचतुष्कवर्षयुक्ते ।

जिनभास्कर-वर्द्धमान-सिद्धे चरितं मुनेरिदं निबद्धम् ॥ १२३-१८१ ॥

के गुरुका नाम इन्द्र-जैसा होने और सिद्धसेनका सम्बन्ध आद्य विक्रमादित्य अथवा संवत्प्रवर्त्तक विक्रमादित्यके साथ समझ लेनेकी भूलके कारण ही सिद्धसेनदिवाकरको इन्द्रदिन आचार्यकी पट्टावाह-शिष्यपरम्परामें स्थान दिया गया हो। यदि यह कल्पना ठीक है और उक्त पद्यमें 'दिवाकरयतिः' पद्य सिद्धसेनाचार्यका वाचक है तो कहना होगा कि सिद्धसेनदिवाकर रविषेणाचार्य-के पड़दादागुरु होनेसे दिगम्बर-सम्प्रदायके आचार्य थे। अन्यथा यह कहना अनुचित न होगा कि सिद्धसेन अपने जीवनमें 'दिवाकर'की आख्याको प्राप्त नहीं थे, उन्हें यह नाम अथवा विशेषण बादको हरिभद्रसूरि अथवा उनके निकटवर्त्ती किसी पूर्वाचार्यने अलङ्कारकी भाषामें दिया है और इसीसे सिद्धसेनके लिए उसका स्वतन्त्र उल्लेख प्राचीन साहित्यमें प्रायः देखनेको नहीं मिलता। श्वेताम्बर-साहित्यका जो एक उदाहरण ऊपर दिया गया है वह रत्नशेखर सूरिकृत गुरुगुणषट्त्रिंशिकाकी स्वोपज्ञकृतिका एक वाक्य होनेके कारण ५०० वर्षसे अधिक पुराना मालूम नहीं होता और इस लिये वह सिद्धसेनकी दिवाकररूपमें बहुत बादकी प्रसिद्धिसे सम्बन्ध रखता है। आजकल तो सिद्धसेनके लिये दिवाकर नामके प्रयोगकी वाढ़-सी आरही है; परन्तु अति प्राचीनकालमें वैसा कुछ भी मालूम नहीं होता।

यहाँपर एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि उक्त श्वेताम्बर-प्रबन्धों तथा पट्टावलियोंमें सिद्धसेनके साथ उज्जयिनीके महाकाल-मन्दिरमें लिङ्गस्फोटनादि-सम्बन्धिनी जिस घटनाका उल्लेख मिलता है उसका वह उल्लेख दिगम्बर-सम्प्रदायमें भी पाया जाता है, जैसा कि सेनगणकी पट्टा-वलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है:—

“(स्वस्ति) श्रीमदुज्जयिनीमहाकाल-संस्थापन-महाकाललिंगमहीधर-वाग्बज्रदण्डविष्ट्याविष्कृत-श्रीपार्श्वतीर्थेश्वर-प्रतिद्वन्द-श्रीसिद्धसेनभट्टार-काणाम् ॥ १४ ॥”

ऐसी स्थितिमें द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनके विषयमें भी सहज अथवा निश्चितरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे एकान्ततः श्वेताम्बर-सम्प्रदायके थे, सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनकी तो बात ही जुदी है। परन्तु सन्मतिकी प्रस्तावनामें पं० सुखलालजी और पण्डित बेचरदासजीने उन्हें एकान्ततः श्वे-

ताम्बर-सम्प्रदायका आचार्य प्रतिपादित किया है—लिखा है कि 'वे श्वेताम्बर थे, दिगम्बर नहीं' (पृ० १०४)। परन्तु इस बातको सिद्ध करनेवाला कोई समर्थ कारण नहीं बतलाया, कारणरूपमें केवल इतना ही निर्देश किया है कि 'महा-वीरके गृहस्थाश्रम तथा चमरेन्द्रके शरणागमनकी बात सिद्धसेनने वर्णन की है जो दिगम्बरपरम्परामें मान्य नहीं किन्तु श्वेताम्बर, आगमोंके द्वारा निर्विवादरूपसे मान्य है' और इसके लिये फुटनोटमें ५वीं द्वात्रिंशिकाके छठे और दूसरी द्वात्रिंशिकाके तीसरे पद्यको देखनेकी प्रेरणा की है, जो निम्न प्रकार है—

“अनेकजन्मान्तरभग्नमानः स्मरो यशोदाप्रिय यत्पुरस्ते ।

चचार निर्हृकिशरस्तमर्थं त्वमेव विद्यासु नयज्ञ कोऽन्यः ॥५-६॥”

“कृत्वा नवं सुरवधूभयरोमहर्षं दैत्याधिपः शतमुख-भ्रकुटीवितानः ।
त्वत्पादशान्तिगृहसंश्रयलब्धचेता लज्जातनुद्युति हरेः कुलिशं चकार ॥२-३

इनमेंसे प्रथम पद्यमें लिखा है कि 'हे यशोदाप्रिय ! दूसरे अनेक जन्मोंमें भग्नमान हुआ कामदेव निर्लज्जतारूपी बाणको लिये हुए जो आपके सामने कुछ चला है उसके अर्थको आप ही नयके ज्ञाता जानते हैं, दूसरा और कौन जान सकता है ? अर्थात् यशोदाके साथ आपके वैवाहिक सम्बन्ध अथवा रहस्यको समझनेके लिए हम असमर्थ हैं।' दूसरे पद्यमें देवाऽसुर-संग्रामके रूपमें एक घटनाका उल्लेख है, 'जिसमें दैत्याधिप असुरेन्द्रने सुरवधुओंको भयभीतकर उनके रोंगटे खड़े कर दिये। इससे इन्द्रकी भ्रकुटी तन गई और उसने उसपर वज्र छोड़ा, असुरेन्द्रने भागकर वीरभगवानके चरणोंका आश्रय लिया जो कि शान्तिके धाम हैं और उनके प्रभावसे वह इन्द्रके वज्रको लज्जासे क्षीणद्युति करनेमें समर्थ हुआ।'।

अलंकृत भाषामें लिखी गई इन दोनों पौराणिक घटनाओंका श्वेताम्बर-सिद्धान्तोंके साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं है और इसलिये इनके इस रूपमें उल्लेख मात्रपरसे यह नहीं कहा जा सकता कि इन पद्योंके लेखक सिद्धसेन वास्तवमें यशोदाके साथ भ० महावीरका विवाह होना और असुरेन्द्र (चमरेन्द्र) का सेना सजाकर तथा अपना भयंकर रूप बनाकर युद्धके लिये स्वर्गमें जाना आदि मानते थे, और इसलिये श्वेताम्बर-सम्प्रदायके आचार्य थे; क्योंकि प्रथम तो श्वेताम्बरों-

के आवश्यकनिर्युक्ति आदि कुछ प्राचीन आगमोंमें भी दिग्म्बर आगमोंकी तरह भगवान् महावीरको कुमारश्रमणके रूपमें अविवाहित प्रतिपादित किया है ॐ और असुरकुमार-जातिविशिष्ट-भवनवासी देवोंके अधिपति चमरेन्द्रका युद्धकी भावनाको लिये हुए सैन्य सजाकर स्वर्गमें जाना सैद्धान्तिक मान्यताओंके विरुद्ध जान पड़ता है । दूसरे, यह कथन परवक्तव्यके रूपमें भी हो सकता है और आगमसूत्रोंमें कितना ही कथन परवक्तव्यके रूपमें पाया जाता है इसकी स्पष्ट सूचना सिद्धसेनाचार्यने सन्मतिसूत्रमें की है और लिखा है कि ज्ञाना पुरुषको (युक्ति-प्रमाण-द्वारा) अर्थकी संगतिके अनुसार ही उनकी व्याख्या करनी चाहिए ‡ ।

यदि किसी तरहपर यह मान लिया जाय कि उक्त दोनों पद्योंमें जिन घटनाओंका उल्लेख है वे परवक्तव्य या अलङ्कारादिके रूपमें न होकर शुद्ध श्वेताम्बरीय मान्यताएं हैं तो इससे केवल इतना ही फलित हो सकता है कि इन दोनों द्वात्रिंशिकाओं (२, ५) के कर्ता जो सिद्धसेन हैं वे श्वेताम्बर थे । इससे अधिक यह फलित नहीं हो सकता कि दूसरी द्वात्रिंशिकाओं तथा सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन भी श्वेताम्बर थे, जब तक कि प्रबल युक्तियोंके बलपर इन सब ग्रन्थोंका कर्ता एक ही सिद्धसेन सिद्ध न कर दिया जाय; परन्तु वह सिद्ध नहीं है जैसा कि पिछले एक प्रकरणमें व्यक्त किया जा चुका है । और फिर इस फलित होनेमें भी एक बाधा और आती है और वह यह कि इन द्वात्रिंशिकाओंमें कोई कोई बात ऐसी भी पाई जाती है जो इनके शुद्ध श्वेताम्बर कृतियाँ होनेपर नहीं बनती, जिसका एक उदाहरण तो इन दोनोंमें उपयोगद्वयके युगपत्वादका प्रतिपादन है, जिसे पहले प्रदर्शित किया जा चुका है और जो दिग्म्बर-परम्पराका सर्वोपरि मान्य सिद्धान्त है तथा श्वेताम्बर आगमोंकी क्रमवाद-मान्यताके विरुद्ध जाता है । दूसरा उदाहरण पाँचवीं द्वात्रिंशिकाका निम्न वाक्य है:—

ॐ देखो, आवश्यकनिर्युक्ति गाथा २२१, २२२, २२६ तथा अनेकान्त वर्ष ४ कि० ११-१२ पृ० ५७६ पर प्रकाशित 'श्वेताम्बरोंमें भी भगवान् महावीरके अविवाहित होनेकी मान्यता' नामक लेख ।

‡ परवक्तव्यपक्खा अविसिद्धा तेसु तेसु सुत्तेसु ।

अत्यगईम उ तेसि वियज्जणं जाणामो कुणइ ॥ २-१८॥

“नाथ त्वया देशितसत्पथस्थाः स्त्रीचेतसोऽप्याशु जयन्ति मोहम् ।
नैवाऽन्यथा शीघ्रगतिर्यथा गां प्राचीं यियासुर्विपरीतयायी ॥२५॥”

इसके पूर्वार्धमें बतलाया है कि ‘हे नाथ !—वीरजिन !—आपके बतलाये हुए सन्मार्गपर स्थित वे पुरुष भी शीघ्र मोहको जीत लेते हैं—मोहनीयकर्मके सम्बन्धका अपने आत्मासे पूर्णतः विच्छेद कर देते हैं—जो ‘स्त्रीचेतसः’ होते हैं—स्त्रियों-जैसा चित्त (भाव) रखते हैं अर्थात् भावस्त्री होते हैं ।’ और इससे यह साफ़ ध्वनित है कि स्त्रियां मोहको पूर्णतः जीतनेमें समर्थ नहीं होतीं, तभी स्त्रीचित्तके लिये मोहको जीतनेकी बात गौरवको प्राप्त होती है । श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें जब स्त्रियाँ भी पुरुषोंकी तरह मोहपर पूर्ण विजय प्राप्त करके उसी भवसे मुक्तिको प्राप्त कर सकती हैं तब एक श्वेताम्बर विद्वान्के इस कथनमें कोई महत्त्व मालूम नहीं होता कि ‘स्त्रियों-जैसा चित्त रखनेवाले पुरुष भी शीघ्र मोहको जीत लेते हैं,’ वह निरर्थक जान पड़ता है । इस कथनका महत्त्व दिगम्बर विद्वानोंके मुखसे उच्चरित होनेमें ही है जो स्त्रीको मुक्तिकी अधिकारिणी नहीं मानते फिर भी स्त्रीचित्तवाले भावस्त्री पुरुषोंके लिये मुक्तिका विधान करते हैं । अतः इस वाक्यके प्रणेता सिद्धसेन दिगम्बर होने चाहियें, न कि श्वेताम्बर, और यह समझना चाहिये कि उन्होंने इसी द्वात्रिंशिकाके छठे पद्यमें ‘यशोदाप्रिय’ पदके साथ जिस घटनाका उल्लेख किया है वह अलङ्कारकी प्रधानताको लिये हुए परवक्तव्यके रूपमें उसी प्रकारका कथन है जिस प्रकार कि ईश्वरको कर्ता-हर्ता न माननेवाला एक जैनकवि ईश्वरको उलहना अथवा उसकी रचनामें दोष

देता हुआ लिखता है—

“हे विधि ! भूल भई तुमतैं, समुझे न कहाँ कस्तूर बनाई !
दीन कुरङ्गनके तनमें, तृन दन्त धरैं करुना नहिं आई ॥
क्यों न रची तिन जीभनि जे रस-काव्य करैं परको दुखदाई ।
साधु-अनुग्रह दुर्जन-दण्ड, दुहूँ सधते बिसरी चतुराई ॥”

इस तरह ॥सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनको श्वेताम्बर सिद्ध करनेके लिये जो द्वात्रिंशिकाओंके उक्त दो पद्य उपस्थित किये गए हैं उनसे सन्मतिकार सिद्धसेनका श्वेताम्बर सिद्ध होना तो दूर रहा, उन द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनका भी श्वेताम्बर होना प्रमाणित नहीं होता जिनके उक्त दोनों पद्य

अङ्गरूप हैं। श्वेताम्बरत्वकी सिद्धि के लिये दूसरा और कोई प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया और इससे यह भी साफ मालूम होता है कि स्वयं सन्मतिसूत्रमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उसे दिगम्बरकृति न कहकर श्वेताम्बरकृति कहा जा सके, अन्यथा उसे जरूर उपस्थित किया जाता। सन्मतिसूत्रमें ज्ञान-दर्शनोपयोगके अभेदवादकी जो खास बात है वह दिगम्बर मान्यताके अधिक निकट है, दिगम्बरोंके युगपद्वादपरसे ही फलित होती है—न कि श्वेताम्बरोंके क्रमवादपरसे, जिसके खण्डनमें युगपद्वादकी दलीलोंको सन्मतिसूत्रमें अपनाया गया है। और श्रद्धात्मक दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानके अभेदवादकी जो बात सन्मतिके द्वितीयकाण्डकी गाथा ३२-३३में कही गई है उसके बीज श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके समयसार ग्रंथमें पाये जाते हैं। इन बीजोंकी बातको पं० सुखलालजी आदिने भी सन्मतिकी प्रस्तावना (पृ० ६२) में स्वीकार किया है—लिखा है कि “सन्मतिना (का० २ गाथा ३२) श्रद्धा-दर्शन अपने ज्ञानना ऐक्यवादानुं बीज कुन्दकुन्दना समयसार गा० १-१३ मां † स्पष्ट छे।” इसके सिवाय, समयसारकी ‘जो पत्सदि अप्पाणं’ नामकी १४वीं गाथामें शुद्धनयका स्वरूप बतलाते हुए जब यह कहा गया है कि वह नय आत्माको अविशेषरूपसे देखता है तब उसमें ज्ञान-दर्शनोपयोगकी भेद-कल्पना भी नहीं बनती और इस दृष्टिसे उपयोग-द्वयकी अभेदवादताके बीज भी समयसारमें सन्निहित हैं ऐसा कहना चाहिये।

हाँ, एक बात यहाँ और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि पं० सुखलालजीने ‘सिद्धसेनदिवाकरना समयतो प्रश्न’ नामक लेखमें ॐ देवनन्दी पूज्यपादको ‘दिगम्बरपरम्पराका पक्षपाती सुविद्वान्’ बतलाते हुए सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनदिवाकरको “श्वेताम्बरपरम्पराका समर्थक आचार्य” लिखा

† यहाँ जिस गाथाकी सूचना की गई है वह ‘दंसणणाणचरित्ताणि’ नाम की १६वीं गाथा है। इसके अतिरिक्त ‘ववहारेणुवदिससइ णाणिसस चरित्तं दंसणं णाण’ (७), ‘सम्मदंसणणाणं एसो लहदि त्ति णवरि ववदेसं’ (१४४), और ‘णाणं सम्मादिट्ठं दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं’ (४०४) नामकी गाथाओंमें भी अभेदवादके बीज सन्निहित हैं।

है, परन्तु यह नहीं बतलाया कि वे किसरूपमें श्वेताम्बरपरम्पराके समर्थक हैं। दिगम्बर और श्वेताम्बरमें भेदकी रेखा खींचने वाली मुख्यतः तीन बातें प्रसिद्ध हैं—१ स्त्रीमुक्ति, २ केवलभुक्ति (कवलाहार) और ३ सवस्त्रमुक्ति, जिन्हें श्वेताम्बर-सम्प्रदाय मान्य करता और दिगम्बर-सम्प्रदाय अमान्य ठहराता है। इन तीनोंमेंसे एकका भी प्रतिपादन सिद्धसेनने अपने किसी ग्रन्थमें नहीं किया है और न इनके अलावा अलंकृत अथवा शृङ्गारित जिन प्रतिमाओंके पूजनादिका ही कोई विधान किया है, जिसके मण्डनादिककी भी सन्मतिके टीकाकार अभयदेवसूरिको जरूरत पड़ी है और उन्होंने मूलमें वैसा कोई खास प्रसङ्ग न होते हुए भी उसे यों ही टीकामें लाकर घुसेड़ा है *। ऐसी स्थितिमें सिद्धसेन-दिवाकरको दिगम्बरपरम्परासे भिन्न एकमात्र श्वेताम्बर परम्पराका समर्थक आचार्य कैसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता। सिद्धसेनने तो श्वेताम्बरपरम्पराकी किसी विशिष्ट बातका कोई समर्थन न करके उल्टा उसके उपयोग द्वय-विषयक क्रमबादकी मान्यताका सन्मतिके जोरोके साथ खण्डन किया है और इसके लिये उन्हें अनेक साम्प्रदायिक कट्टरताके शिकार श्वेताम्बर आचार्योंका कोपभाजन एवं तिरस्कारका पात्र तक बनना पड़ा है। मुनि जिनविजयजीने 'सिद्धसेनदिवाकर और स्वामी समन्तभद्र' नामक लेखमें † उनके इस विचार-भेद का उल्लेख करते हुए लिखा है:—

“सिद्धसेनजीके इस विचारभेदके कारण उस समयके सिद्धान्त-ग्रन्थ-पाठी और आगमप्रवण आचार्यगण उनको 'तर्कमन्य' जैसे तिरस्कार-व्यञ्जक विशेषणोंसे अलंकृत कर उनके प्रति अपना सामान्य अनादर-भाव प्रकट किया करते थे।”

“इस (विशेषावश्यक) भाष्यमें क्षमाश्रमण (जिनभद्र)जीने दिवाकरजीके उक्त विचारभेदका खूब ही खण्डन किया है और उनको 'आगम-विरुद्ध-भाषी'

* देखो, सन्मति-तृतीयकाण्डगत गाथा ६५की टीका (पृ० ७५४), जिसमें “भगवत्प्रतिमाया भूषणाद्यारोपणं कर्मक्षयकारण” इत्यादि रूपसे मण्डन किया गया है।

† जैनसाहित्यसंगोष्क, भाग १ अङ्क १ पृ० १०, ११।

बतलाकर उनके सिद्धान्तोंको अमान्य बतलाया है ।।’

“सिद्धसेनगणीने ‘एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुर्भ्यः’ (१-३१) इस सूत्रकी व्याख्यामें दिवाकरजीके विचारभेदके ऊपर अपने ठीक वाग्वाण चलाये हैं । गणीजीके कुछ वाक्य देखिये--“यद्यपि केचित्पण्डितमन्याः सूत्रान्यथाकारमर्थमाचक्षते तर्कशलानुविद्धबुद्धयो वारंवारेणोपयोगो नास्ति, तत्तु न प्रमाणयामः, यत आम्नाये भूयांसि सूत्राणि वारंवारेणोपयोगं प्रतिपादयन्ति ।”

दिगम्बर साहित्यमें ऐसा एक भी उल्लेख नहीं जिसमें सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनके प्रति अनादर अथवा तिरस्कारका भाव व्यक्त किया गया हो—सर्वत्र उन्हें बड़े ही गौरवके साथ स्मरण किया गया है, जैसा कि ऊपर उद्धृत हरिवंशपुराणादिके कुछ वाक्योंमें प्रकट है । अकलंकदेवने उनके अभेदवादके प्रति अपना मतभेद व्यक्त करते हुए किसी भी कटु शब्दका प्रयोग नहीं किया, बल्कि बड़े ही आदरके साथ लिखा है कि “यथा हि असद्भूतमनुपदिष्टं च जानाति तथा पश्यति किमत्र भवतो हीयते”—अर्थात् केवली (सर्वज्ञ) जिस प्रकार असद्भूत और अनुपदिष्टको जानता है उसी प्रकार उनको देखता भी है इसके माननेमें आपकी क्या हानि होती है ?—वास्तविक बाततो प्रायः ज्योंकी त्यों एक ही रहती है । अकलंकदेवके प्रधान टीकाकार आचार्य श्रीअनन्तरीयजीने सिद्धिविनिश्चयकी टीकामें “असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः । द्वेधा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने ।” इस कारिकाकी व्याख्या करते हुए सिद्धसेनको महान् आदरसूचक ‘भगवान्’ शब्दके साथ उल्लेखित किया है और जब उनके किसी स्वयूच्यने—स्वसम्प्रदायके विद्वान्ने—यह आपत्ति की कि ‘सिद्धसेनने एकान्तके साधनमें प्रयुक्त हेतुको कहीं भी असिद्ध नहीं बतलाया है अतः एकान्तके साधनमें प्रयुक्त हेतु सिद्धसेनकी दृष्टिमें असिद्ध है’ यह वचन सूका न होकर अयुक्त है, तब उन्होंने यह कहते हुए कि ‘क्या उसने कभी सन्मतिसूत्रका यह वाक्य नहीं सुना है, ‘जे संतवाम्यदोसे’ इत्यादि कारिका (३-५०) को उद्धृत किया है और उसके द्वारा एकान्त-साधनमें प्रयुक्त हेतुको सिद्धसेनकी दृष्टिमें ‘असिद्ध’ प्रतिपादन करना सन्निहित बतलाकर उसका समाधान किया है । यथाः—

“असिद्ध इत्यादि, स्वलक्षणैकान्तस्य साधने सिद्धावङ्गीक्रियमानायां सर्वो हेतुः सिद्धसेनस्य भगवतोऽसिद्धः । कथमिति चेदुच्यते..... । ततः सूक्तमेकान्तसाधने हेतुरसिद्धः सिद्धसेनस्येति । कश्चित्स्वयूथ्योऽत्राह—सिद्धसेनेन क्वचित्तस्याऽसिद्धस्याऽवचनादयुक्तमेतदिति । तेन कदाचिदेतत् श्रुतं—‘जे संतवायदोसे सक्कोल्लूया भणंति संखाणं । संखा य असव्वाए तेसि सव्वे वि ते सच्चा’ ॥”

इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें रखकर प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान् स्वर्गीय श्रीमोहनलाल दलीचन्द देशाई बी. ए., एल-एल. बी., एडवोकेट हाईकोर्ट बंबईने, अपने ‘जैन-साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास’ नामक गुजराती ग्रन्थ (पृ० ११६) में लिखा है कि “सिद्धसेनसूरि प्रत्येनो आदर दिगंबरी विद्वानोमां रहेलो देखाय छे” अर्थात् (सन्मतिकार) सिद्धसेनाचार्यके प्रति आदर दिगम्बर विद्वानोंमें रहा दिखाई पड़ता है—श्वेताम्बरोंमें नहीं । साथ ही हरिवंशपुराण राजवातिक, सिद्धिविनिश्चय-टीका, रत्नमाला, पार्श्वनाथचरित और एकान्त-खण्डन-जैसे दिगम्बर ग्रन्थों तथा उनके रचयिता जिनसेन, अकलंक, अनन्तवीर्य, शिवकोटि, बादिराज और लक्ष्मीभद्र (धर) जैसे दिगम्बर विद्वानोंका नामोल्लेख करते हुए यह भी बतलाया है कि ‘इन दिगम्बर विद्वानोंने सिद्धसेनसूरि-संबंधी और उनके सन्मतितर्क-संबंधी उल्लेख भक्तिभावसे किये हैं, और उन उल्लेखों-से यह जाना जाता है कि दिगम्बर ग्रन्थकारोंमें घना समय तक सिद्धसेनके (उक्त) ग्रन्थका प्रचार था और वह प्रचार इतना अधिक था कि उसपर उन्होंने टीका भी रची है ।

इस सारी परिस्थितिपरसे यह साफ समझा जाता और अनुभवमें आता है कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन एक महान् दिगम्बराचार्य थे, और इसलिये उन्हें श्वेताम्बर-परम्पराका अथवा श्वेताम्बरत्वका समर्थक आचार्य बतलाना कोरी कल्पनाके सिवाय और कुछ भी नहीं है । वे अपने प्रवचन-प्रभाव आदिके कारण श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें भी उसी प्रकारसे अपनाये गये हैं जिस प्रकार कि स्वामी समन्तभद्र, जिन्हें श्वेताम्बर पट्टावलियोंमें पट्टाचार्य तकका पद प्रदान किया गया है और जिन्हें पं० सुखलाल, पं० बेवरदास और मुनि जिनविजय आदि बड़े-बड़े श्वेताम्बर विद्वान् भी अब श्वेताम्बर न मानकर दिगम्बर मानने लगे हैं ।

कतिपय द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेन इन सन्मतिकार सिद्धसेनसे भिन्न तथा पूर्ववर्ती दूसरे ही सिद्धसेन हैं, जैसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका है, और सम्भवतः वे ही उज्जयिनीके महाकालमन्दिरवाली घटनाके नायक जान पड़ते हैं। हो सकता है कि वे गुरुसे श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें ही दीक्षित हुए हों, परन्तु श्वेताम्बर आगमोंको संस्कृतमें कर देनेका विचारमात्र प्रकट करनेपर जब उन्हें बारह वर्षके लिये संघबाह्य करने-जैसा कठोर दण्ड दिया गया हो तब वे सविशेषरूपसे दिगम्बर साधुओंके सम्पर्कमें आए हों, उनके प्रभावसे प्रभावित तथा उनके संस्कारों एवं विचारोंको ग्रहण करनेमें प्रवृत्त हुए हों—खासकर समन्तभद्रस्वामीके जीवनवृत्तान्तों और उनके साहित्यका उनपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हो और इसी लिये वे उन्हीं-जैसे स्तुत्यादिक कार्योंके करनेमें दत्तचित्त हुए हों।

इस प्रभावादिकी पुष्टि पहली द्वात्रिंशिकासे भले प्रकार होती है, जिसमें “अनेन सर्वज्ञपरीक्षणक्षमास्त्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः ।” जैसे वाक्योंके द्वारा समन्तभद्रका सर्वज्ञ-प्राप्तके समर्थ परीक्षक आदिके रूपमें गौरव-पूर्ण शब्दोंमें उल्लेख ही नहीं किया गया बल्कि अन्तके निम्न पद्यमें वही ‘सर्व-जगतके युगपत् साक्षात्कारी सर्वज्ञ’की बात उठाकर उसकी गुण-कथामें समन्तभद्रके अनुकरणकी स्पष्ट सूचना भी की गई है—लिखा है कि इस सर्वज्ञद्वारकी समीक्षा करके हम भी आपकी गुण-कथाके करनेमें उत्सुक हुए हैं—

“जगन्नैकावस्थं युगपदखिलाऽनन्तविषयं
यदेतत्प्रत्यक्षं तव न च भवान्कस्यचिदपि ।

अनेनैवाऽचिन्त्य-प्रकृतिरस-सिद्धेस्तु विदुषां
समीक्ष्यैतदद्वारं तवगुण-कथोत्का वयमपि ॥ ३२ ॥

साथ ही यह भी संभव है कि उन्हींके सम्पर्क एवं संस्कारोंमें रहते हुए ही सिद्धसेनसे उज्जयिनीकी वह महाकालमन्दिरवाली घटना बन पड़ी हो, जिससे उनका प्रभाव चारों ओर फैल गया हो और उन्हें भारी राजाश्रय प्राप्त हुआ हो। यह सब देखकर ही श्वेताम्बरसंघको अपनी भूल मालूम पड़ी हो, उसने प्रायश्चित्तकी शेष अवधिको रद्द कर दिया हो और सिद्धसेनको अपना ही साधु

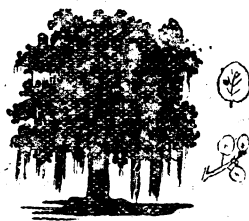
तथा प्रभावक आचार्य घोषित किया हो। अन्यथा, द्वात्रिंशिकाओंपरसे सिद्धसेन गम्भीर विचारक एवं कठोर समालोचक होनेके साथ साथ जिस उदार स्वतन्त्र और निर्भय-प्रकृतिके समर्थ विद्वान् जान पड़ते हैं उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उन्होंने ऐसे अनुचित एवं अविवेकपूर्ण दण्डको यों ही चुपके-से गर्दन झुकाकर मान लिया हो, उसका कोई प्रतिरोध न किया हो अथवा अपने लिये कोई दूसरा मार्ग न चुना हो। सम्भवतः अपने साथ किये गये ऐसे किसी दुर्व्यवहारके कारण ही उन्होंने पुराणपन्थियों अथवा पुरातनप्रेमी एकान्तियोंकी (द्वात्रिंशिका ६में) कड़ी आलोचनाएँ की हैं।

यह भी हो सकता है कि एक सम्प्रदायने दूसरे सम्प्रदायकी इस उज्जयिनी-वाली घटनाको अपने सिद्धसेनके लिये अपनाया हो अथवा यह घटना मूलतः कांची या काशीमें घटित होनेवाली समन्तभद्रकी घटनाकी ही एक प्रकारसे कापी हो और इसके द्वारा सिद्धसेनको भी उसप्रकारका प्रभावक स्थापित करना अभीष्ट रहा हो। कुछ भी हो, उक्त द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेन अपने उदार विचार एवं प्रभावदिके कारण दोनों सम्प्रदायोंमें समानरूपसे माने जाते हैं—चाहे वे किसी भी सम्प्रदायमें पहले अथवा पीछे दीक्षित क्यों न हुए हों।

परन्तु न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनकी दिगम्बर-सम्प्रदायमें वैसी कोई खास मान्यता मालूम नहीं होती और न उस ग्रन्थपर दिगम्बरोंकी किसी खास टीका-टिप्पणीका ही पना चलता है, इसीसे वे प्रायः श्वेताम्बर जान पड़ते हैं। श्वेताम्बरोंके अनेक टीका-टिप्पण भी न्यायावतारपर उपलब्ध होते हैं—उसके 'प्रमाणं स्वपराभासि' इत्यादि प्रथम श्लोकको लेकर तो विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान् जिनेश्वरसूरिने उस पर 'प्रमालक्ष्म' नामका एक सटीक वार्तिक ही रच डाला है, जिसके अन्तमें उसके रचनेमें प्रवृत्त होनेका कारण उन दुर्जनवाक्योंको बतलाया है जिनमें यह कहा गया है कि 'इन श्वेताम्बरोंके शब्दलक्षण और प्रमाणलक्षण-विषयक कोई ग्रन्थ अपने नहीं हैं—ये परलक्षणोपजीवी हैं—बौद्ध तथा दिगम्बरादि ग्रन्थोंसे अपना निर्वाह करनेवाले हैं—अतः ये आदिसे नहीं—किसी निमित्तसे नये ही पैदा हुए अर्वाचीन हैं।' साथ ही यह भी बतलाया है कि 'हरिभद्र, मल्लवादी और अभयदेवसूरि-जैसे महान् आचार्योंके द्वारा इन विषयोंकी उपेक्षा किये जानेपर भी हमने उक्त कारणसे यह 'प्रमालक्ष्म' नामका

ग्रन्थ वार्तिकरूपमें अपने पूर्वाचार्यका गौरवप्रदर्शित करनेके लिये (टीका— “पूर्वाचार्यगौरव-दर्शनार्थ”) रचा है और (हमारे भाई) बुद्धिसागराचार्यने संस्कृत-प्राकृत-शब्दोंकी सिद्धिके लिये पद्योंमें व्याकरण ग्रन्थकी रचना की है॥

इस तरह सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन दिगम्बर और न्यायवतार के कर्ता सिद्धसेन श्वेताम्बर जाने जाते हैं। द्वात्रिंशिकाओंमेंसे कुछके कर्ता सिद्धसेन दिगम्बर और कुछके कर्ता श्वेताम्बर जान पड़ते हैं और वे उक्त दोनों सिद्धसेनोंसे भिन्न पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती अथवा उनसे अभिन्न भी हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उज्जयिनीकी उस घटनाके साथ जिन सिद्धसेनका सम्बन्ध बतलाया जाता है उन्होंने सबसे पहले कुछ द्वात्रिंशिकाओंकी रचना की है, उनके बाद दूसरे सिद्धसेनोंने भी कुछ द्वात्रिंशिकाएँ रची हैं और वे सब रचयिताओंके नामसाम्यके कारण परस्परमें मिलजुल गई हैं, अतः उपलब्ध द्वात्रिंशिकाओंमें यह निश्चय करना कि कौन सी द्वात्रिंशिका किस सिद्धसेनकी कृति है विशेष अनुसन्धानसे सम्बन्ध रखता है। साधारणतौरपर उपयोग-द्वयके युगपद्वादिकी दृष्टिसे, जिसे पीछे स्पष्ट किया जा चुका है, प्रथमादि पाँच द्वात्रिंशिकाओंको दिगम्बर सिद्धसेनकी, १६वीं तथा २१ वीं द्वात्रिंशिकाओंको श्वेताम्बर सिद्धसेनकी और शेष द्वात्रिंशिकाओंको दोनोंमेंसे किसी भी सम्प्रदायके सिद्धसेनकी अथवा दोनों ही सम्प्रदायोंके सिद्धसेनोंकी अलग अलग कृति कहा जा सकता है। यही इन विभिन्न सिद्धसेनोंके सम्प्रदाय-विषयक विवेचनका सार है।



॥ देखो, वार्तिक न० ४८१ से ४८५ और उनकी टीका अथवा जैनहितैषी भाग १३ अंक ६-१०में प्रकाशित मुनिजिनविजयजीका ‘प्रमालक्षण’ नामक लेख।

तिलोयपण्णत्ती और यतिवृषभ

तिलोयपण्णत्ती (त्रिलोकप्रज्ञप्ति) तीन लोकके स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल और युग-परिवर्तनादि-विषयका निरूपक एक महत्त्वका प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थ है—प्रसंगोपात्त जैनसिद्धान्त, पुराण और भारतीय इतिहास-विषयकी भी कितनी ही बातों एवं सामग्रीको यह साथमें लिये हुए है। इसमें १. सामान्यजगत्स्वरूप, २. नारकलोक, ३. भवनवासिलोक, ४. मनुष्यलोक, ५. तिर्यक्लोक, ६. व्यन्तरलोक, ७. ज्योतिर्लोक, ८. सुरलोक और ९. सिद्धलोक नामके ९ महाधिकार हैं। अवान्तर अधिकारोंकी संख्या १८० केलगभग है; क्योंकि द्वितीयादि महाधिकारोंके अवान्तर अधिकार क्रमशः १५, २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ ऐसे १३१ हैं और चौथे महाधिकारके जम्बूद्वीप, घातकी खण्डद्वीप और पुष्करद्वीप नामके अवान्तर अधिकारोंमेंसे प्रत्येकके फिर सोलह-सोलह ($१६ \times ३ = ४८$) अवान्तर अधिकार हैं। इस तरह यह ग्रन्थ अपने विषयके बहुत विस्तारको लिये हुए है। इसका प्रारंभ निम्न मंगलगाथासे होता है, जिसमें सिद्धि-कामनाके साथ सिद्धोंका स्मरण किया गया है:—

अट्टविह-कम्म-वियला णिट्ठिय-कज्जा पणट्ठ-संसारा ।

दिट्ठ-सयलट्ठ-सारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ १ ॥

ग्रन्थका अन्तिम भाग इस प्रकार है:—

पणमह जिणवरवसहं गणहरवसहं तद्देव गुण [हर] वसहं ।

दट्ठूण परिसवसहं (?) जदिवसहं धम्मसुत्तपाढगवसहं ॥६-७॥

चुण्णिणसरूवं अत्थं करणसरूवपमाण होदि किं (?) जं त ।

अट्टसहस्सपमाणं तिलोपपण्णत्तिणामाए ॥ ६-७६ ॥

एवं आइरियपरंपरागए तिलोपपण्णत्तीए सिद्धलोयसरूवणिरूवण-
पण्णत्त णाम णवमो महाहियारो सम्मत्तो ॥

मग्गप्पभावणट्ठं पवयण-भत्तिप्पचोदिदेण मया ।

भणिदं गंथप्पवरं सोहंतु बहुमुदाइरिया ॥ ६-८० ॥

तिलोपपण्णत्ती सम्मत्ता ॥

इसमें तीन गाथाएं हैं, जिनमें पहली गाथा ग्रन्थके अन्तमंगलको लिये हुए है और उसमें ग्रन्थकार यतिवृषभाचार्यने 'जदिवसहं' पदके द्वारा, श्लेषरूपसे अपना नाम भी सूचित किया है ❀ । इसका दूसरा और तीसरा चरण कुछ अशुद्ध जान पड़ते हैं । दूसरे चरणमें 'गुण' के अनन्तर 'हर' और होना चाहिये—देहलीकी प्रतिमें भी त्रुटित अंशके संकेतपूर्वक उमे हाशियेपर दिया है, जिससे वह उन गुणधराचार्यका भी वाचक हो जाता है जिनके 'कसायपाहुड' सिद्धान्त ग्रन्थपर यतिवृषभने चूर्णिणसूत्रोंकी रचना की है और उस 'हर' शब्दके संयोगसे 'आर्यागीति' छंदके लक्षणानुरूप दूसरे चरणमें भी २० मात्राएँ हो जाती हैं जैसी कि वे चतुर्थ चरणमें पाई जाती हैं । तीसरे चरणका पाठ पं० नाथूरामजी प्रेमीने पहले यही 'दट्टूण परिसवसहं' प्रकट किया था †, जो देहलीकी प्रतिमें भी पाया जाता है और उसका संस्कृतरूप 'दृष्ट्वा परिषद्वृषभं' दिया था, जिसका अर्थ होता है—परिषदोंमें श्रेष्ठ परिषद् (सभा) को देखकर । परन्तु 'परिस' का अर्थ कोषमें परिषद् नहीं मिलता किन्तु 'स्पर्श' उपलब्ध होता है, परिषद्का वाचक 'परिसा' शब्द स्त्रीलिंग है ‡ । शायद यह देखकर अथवा दूसरे किसी कारणके वश, जिसकी कोई सूचना नहीं की गई, हालमें उन्होंने

❀ श्लेषरूपसे नाम-सूचनकी पद्धति अनेक ग्रन्थोंमें पाई जाती है । देखो, गोम्मटसार, नीतिवाक्यामृत और प्रभाचन्द्रादिके ग्रन्थ ।

† देखो, जैनहितैषी भाग १३ अंक १२ पृ० ५२८ ।

‡ देखो, 'पाइअसद्महण्णव'कोश ।

‘दट्ठूण य रिसिवसहं पाठ दिया है §, जिसका अर्थ होता है—‘ऋषियोंमें श्रेष्ठ ऋषिको देखकर’। परन्तु ‘जदिवसहं’की मौजूदगीमें ‘रिसिवसहं’ पद कोई खास विशेषता रखता हुआ मालूम नहीं होता—ऋषि, मुनि, यति जैसे शब्द प्रायःसमान अर्थके वाचक हैं—और इसलिये वह व्यर्थ पड़ता है। अस्तु, इस पिछले पाठको लेकर पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने उसके स्थानपर ‘दट्ठूण अरिसिवसहं’ पाठ सुभाया है * और उसका अर्थ ‘आर्षग्रन्थोंमें श्रेष्ठको देखकर’ सूचित किया है। परन्तु ‘अरिस’का अर्थ कोषमें ‘आर्ष’ उपलब्ध नहीं होता किन्तु ‘अशं’(बवासीर) नामका रोगविशेष पाया जाता है, आर्षके लिये ‘आरिस’ शब्दका प्रयोग होता है ‡। यदि ‘अरिस’ का अर्थ आर्ष भी मान लिया जाय अथवा ‘प’ के स्थान पर कल्पना किये गए ‘अ’ के लोपपूर्वक इस चरणको ‘दट्ठूणारिसवसहं’ ऐसा रूप देकर (जिसकी उपलब्धि कहींसे नहीं होती) संधिके विश्लेषण-द्वारा इसमेंसे आर्षका वाचक ‘आरिस’ शब्द निकाल लिया जावे, फिर भी इस चरणमें ‘दट्ठूण’ पद सबसे अधिक खटकनेवाली चीज मालूम होता है, जिसपर अभी तक किसी-की भी दृष्टि गई मालूम नहीं होती। क्योंकि इस पदकी मौजूदगीमें गाथाके अर्थ-की ठीक संगति नहीं बैठती—उसमें प्रयुक्त हुआ ‘पणमह’ (प्रणाम करो) क्रिया-पद कुछ बाधा उत्पन्न करता है और उससे अर्थ सुव्यवस्थित अथवा सुशृङ्खलित नहीं हो पाता। ग्रन्थकारने यदि ‘दट्ठूण’ (दृष्ट्वा) पदको अपने विषयमें प्रयुक्त किया है तो दूसरा क्रियापद भी अपने ही विषयका होना चाहिये था अर्थात् वृषभ या ऋषिवृषभ आदिको देखकर मैंने यह कार्य किया या मैं प्रणामादि अमुक कार्य करता हूँ ऐसा कुछ बतलाना चाहिये था, जिसकी गाथापरसे उपलब्धि नहीं होती। और यदि यह पद दूसरोंसे सम्बन्ध रखता है—उन्हींकी प्रेरणाके लिये प्रयुक्त हुआ है—तो ‘दट्ठूण’ और ‘पणमह’ दोनों क्रियापदोंके लिये गाथामें अलग अलग कर्मपदोंकी संगति बिठलानी चाहिये, जो नहीं बैठती। गाथाके वसहान्त पदोंमेंसे एकका वाच्य तो देखनेकी ही वस्तु हो और दूसरेका

§ देखो, जनसाहित्य और इतिहास पृ० ६।

* देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ११ किरण १, पृ० ८०।

‡ देखो, ‘पाइअसहमहण्णव’ कोश।

वाच्य प्रणामकी वस्तु, यह बात संदर्भपरसे कुछ संगत मालूम नहीं होती। और इसलिये 'दट्ठूण' पदका अस्तित्व यहाँ बहुत ही आपत्तिके योग्य जान पड़ता है। मेरी रायमें यह तीसरा चरण 'दट्ठण परिसवसहं' के स्थानपर 'दुट्ठु परीसह-विसहं' होना चाहिये। इससे गाथाके अर्थकी सब संगति ठीक बैठ जाती है। यह गाथा जयधवलाके १०वें अधिकारमें बतौर मंगलाचरणके अपनाई गई है, वहाँ इसका तीसरा चरण 'दुसहपरीसहविसहं' दिया है। परिषहके साथ दुसह (दुःसह) और दुठु (दुष्ट) दोनों शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं—दोनोंका आशय परीषहको बहुत बुरी तथा असह्य बतलानेका है। लेखकोंकी कृपासे 'दुसह' की अपेक्षा 'दुट्ठु' के 'दट्ठूण' होजानेकी अधिक संभावना है, इसीसे यहाँ 'दुट्ठु' पाठ सुझाया गया है, वैसे 'दुसह' पाठ भी ठीक है। यहाँ इतना और भी जान लेना चाहिये कि जयधवलामें इस गाथाके दूसरे चरणमें 'गुणवसहं' के स्थानपर 'गुणहरवसहं' पाठ ही दिया है, और इस तरह इस गाथाके दोनों चरणोंमें जो गलती और शुद्धि सुझाई गई है उसकी पुष्टि भले प्रकार हो जाती है।

दूसरी गाथामें इस तिलोयपण्णत्तीका परिमाण आठ हजार श्लोक-जितना बतलाया है। साथ ही, एक महत्त्वकी बात और सूचित की है और वह यह कि आठ हजारका परिमाण चूर्णिस्वरूप अर्थका और करणस्वरूपका जितना परिमाण है उसके बराबर है। इससे दो बातें फलित होती हैं—एक तो यह कि गुणधराचार्यके कसायपाहुड ग्रन्थपर यतिवृषभने जो चूर्णिसूत्र रचे हैं वे इस ग्रन्थसे पहले रचे जा चुके हैं; दूसरी यह कि 'करणस्वरूप' नामका भी कोई ग्रंथ यतिवृषभके द्वारा रचा गया है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। वह भी इस ग्रन्थसे पहले बन चुका था। बहुत सम्भव है कि वह ग्रन्थ उन करण-सूत्रोंका ही समूह हो जो गणितसूत्र कहलाते हैं और जिनका कितना ही उल्लेख त्रिलोक-प्रज्ञप्ति, गोम्मतसार, त्रिलोकसार और धवला-जैसे ग्रन्थोंमें पाया जाता है। चूर्णिसूत्रोंकी—जिन्हें वृत्तिसूत्र भी कहते हैं—संख्या चूँकि छह हजार श्लोक-परिमाण है अतः 'करणस्वरूप' ग्रंथकी संख्या दो हजार श्लोक-परिमाण समझनी चाहिये; तभी दोनोंकी संख्या मिलकर आठ हजारका परिमाण इस ग्रंथका बँठता है। तीसरी गाथामें यह निवेदन किया गया है कि यह ग्रंथ प्रवचनभक्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रभावनाके लिये रचा गया है, इसमें

कहीं कोई भूल हुई हो तो बहुश्रुत आचार्य उसका संशोधन करें।

(क) ग्रन्थकार यतिवृषभ और उनका समय—

ग्रंथमें रचना-काल नहीं दिया और न ग्रंथकारने अपना कोई परिचय ही दिया है—उक्त दूसरी गाथापरसे इतना ही ध्वनित होता है कि 'वे धर्मसूत्रके पाठ-कोंमें श्रेष्ठ थे' और इसलिये ग्रंथकार तथा ग्रंथके समय-सम्बन्धादिमें निश्चित-रूपसे कुछ कहना सहज नहीं है। चूर्णिसूत्रोंको देखनेसे मालूम होता है कि यति-वृषभ एक अच्छे प्रौढ सूत्रकार थे और प्रस्तुत ग्रन्थ जैनशास्त्रोंके विषयमें उनके अच्छे विरतृत अध्ययनको व्यक्त करता है। उनके सामने 'लोकविनिश्चय' 'संगाङ्गी' (संग्रहणी ?) और 'लोकविभाग (प्राकृत)' जैसे कितने ही ऐसे प्राचीन ग्रन्थ भी मौजूद थे जो आज अपनेको उपलब्ध नहीं हैं और जिनका उन्होंने अपने इस ग्रन्थमें उल्लेख किया है। उनका यह ग्रन्थ प्रायः प्राचीन ग्रंथोंके आधारपर ही लिखा गया है इसीसे उन्होंने ग्रन्थकी पीठिकाके अन्तमें ग्रंथ-रचनेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसके विषयको 'आयरिय-अणुक्कमायाद' (गा० ८६) बतलाया है और महाधिकारोंके संधि-वाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'आयरियपरंपरागए'पदके द्वारा भी उसी बातको पुष्ट किया है। और इस तरह यह घोषित किया है कि इस ग्रन्थका मूल विषय उनका स्वरुचि-विरचित नहीं है, किन्तु आचार्यपरम्पराके आधारको लिये हुए है। रही उपलब्ध करणसूत्रोंकी बात, वे यदि आपके उस 'करणस्वरूप' ग्रंथके ही अंग हैं, जिसकी अधिक सम्भावना है, तब तो कहना ही क्या है ? वे सब आपके उस विषयके पाण्डित्य और आपकी बुद्धिकी खूबी तथा उसकी सूक्ष्मताके अच्छे परिचायक हैं।

जयधवलाकी आदिमें मंगलाचरण करते हुए श्रीवीरसेनाचार्यने यतिवृषभका जो स्मरण किया है वह इस प्रकार हैः—

जो अज्जमंखु-सीसो अंतेवासी वि णागहस्तिस्स ।

सो विचिंसुत्त-कत्ता जइवसहो मे वरं देउ ॥८॥

इसमें यतिवृषभको, कसायपाहुडपर लिखे गए उन वृत्ति (चूर्ण) सूत्रोंका कर्ता बतलाते हुए जिन्हें साथमें लेकर ही जयधवला टीका लिखी गई है, आर्यमंथुका शिष्य और नागहस्तिका अन्तेवासी बतलाया है, और इससे यतिवृषभके दो गुरु-ओंके नाम सामने आते हैं, जिनके विषयमें जयधवलापरसे इतना और जाना जाता

है कि श्रीगुणधराचार्यने कसायपाहुड अपरनाम पेज्जदोसपाहुडका उपसंहार (संक्षेप) करके जो सूत्रगाथाएँ रची थीं वे इन दोनोंको आचार्यपरम्परासे प्राप्त हुई थीं और ये उनके अर्थके भले प्रकार जानकार थे, इनसे समीचीन अर्थको सुनकर ही यतिवृषभने, प्रवचन-वात्सल्यसे, प्रेरित होकर उन सूत्र-गाथाओंपर चूर्णिसूत्रोंकी रचना की है † । ये दोनों जैनपरम्पराके प्राचीन आचार्योंमें हैं और इन्हें दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंने माना है—श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें आर्य-मंथुको आर्यमंथु नामसे उल्लेखित किया है, मंथु और मंथु एकार्थक है । धवला-जयधवलामें इन दोनों आचार्योंको ‘क्षमाश्रमण’ और ‘महावाचक’ भी लिखा है॥ जो उनकी महत्ताके द्योतक हैं इन दोनों आचार्योंके सिद्धान्त-विषयक उपदेशोंमें कहीं कहीं कुछ सूक्ष्म मतभेद भी रहा है जो वीरसेनको उनके ग्रंथों अथवा गुरुपरम्परासे ज्ञात था, और इसलिये उन्होंने धवला और जयधवला टीकाओंमें उसका उल्लेख किया है । ऐसे जिस उपदेशको उन्होंने सर्वाचार्य-

† ‘पुणो तेण गुणहर-भडारएण गाराणपवाद-पंचमपुव्व-दसमवत्थु-तदियकसा-यपाहुड-महण्णव-वारएण गंथवोच्छेदभएण वच्छलपरवसिकयहियएण एवं पेज्ज-दोसपाहुडं सोलसपदसहस्सपरिमाणं होतं अस्सिदिसदमेत्तगाहाहि उपसंहारिदं । पुणो ताओ चैव सुत्तगाथाओ आइरियपरंपराए आगच्छमाणाओ अज्जमंखु-गाणहत्थीणं पत्ताओ । पुणो तेसि दोहं पि पादमूले असीदिसदगाहाणं गुणहर-मुहकमलविरिण्णगयाणमत्थं सम्मं सोऊण जइवसह-भडारएण पवयणवच्छलेण चुण्णिसुत्तं कयं ।’—जयधवला ।

॥ ‘कम्मट्ठिदि त्ति अण्णिणोगद्वारे हि भण्णमाणे वे उवएसा होति । जह-ण्णमुक्कस्सट्ठिदीणां पमाणपरूवरणा कम्मट्ठिदिपरूवरणा त्ति गाणहत्थि-खमासमणा भणति । अज्जमंखु-खमासमणा पुण कम्मट्ठिदिपरूवेणे त्ति भणति । एवं दोहि उवएसेहि कम्मट्ठिदिपरूवरणा कायक्वा ।’ ‘एत्थ दुवे उवएसा.....महावाच-याणमज्जमंखुखवणाणमुवएसेण लोगपूरिदे आउगसमाणं गामा-गोद-वेदणी-याणां ठिदिसंतकम्मं ठवेदि । महावाचयाणां गाणहत्थि-खवणाणमुवएसेण लोणे पूरिदे गामा-गोद-वेदणीयाणां ट्ठिदिसंतकम्मं अतोमुहुत्तपमाणं होदि ।

सम्मत, अव्युच्छिन्न-सम्प्रदाय-क्रमसे चिरकालागत और शिष्यपरंपरामें प्रचलित तथा प्रज्ञापित समझा है उसे 'पवाइज्जंत' 'पवाइज्जमाण', उपदेश बतलाया है और जो ऐसा नहीं उसे 'अपवाइज्जंत' अथवा अपवाइज्जमाण' नाम दिया है। उल्लिखित मत-भेदोंमें आर्यनागहस्तिके अधिकांश उपदेश 'पवाइज्जंत' और आर्यमंशुके 'अपवाइज्जंत' बतलाये गये हैं। इस तरह यतिवृषभ दोनोंका शिष्यत्व प्राप्त करनेके कारण उन सूक्ष्म मतभेदोंकी बातोंसे अवगत थे, यह सहज हीमें जाना जाता है। वीरसेनने यतिवृषभको एक बहुत प्रामाणिक आचार्यके रूपमें उल्लेखित किया है और एक प्रसंगपर रागद्वेष-मोहके अभावको उनकी वचन-प्रमाणतामें कारण बतलाया है ॐ। इन सब बातोंसे आचार्य यतिवृषभका महत्त्व स्वतः स्थापित हो जाता है।

अब देखना यह है कि यतिवृषभ कब हुए हैं और कब उनकी यह तिजोय-पण्णत्ती बनी है, जिसके वाक्योंको धवलादिकमें उद्धृत करते हुए अनेक स्थानों पर श्रीवीरसेनने उसे 'तिलोयपण्णत्तिसुत्त' सूचित किया है। यतिवृषभके गुह्यग्रोमेंसे यदि किसीका भी समय सुनिश्चित होता तो इस विषयका कितना ही काम निकल जाता; परन्तु उनका भी समय सुनिश्चित नहीं है। श्वेताम्बर पट्टावलियोंमेंसे 'कल्पसूत्रस्यविरावली' और 'पट्टावलीसारोद्धार' जैसी कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पट्टावलियोंमें तो आर्यमंगु और आर्यनागहस्तिका नाम ही नहीं है, किसी किसी पट्टावलीमें एकका नाम है तो दूसरेका नहीं और जिनमें दोनोंका नाम है उनमेंसे कोई दोनोंके मध्यमें एक आचार्यका और कोई एकसे अधिक आचार्योंका नामोल्लेख करती है। कोई कोई

† "सव्वाइरिय-सम्मदो चिरकालमवोच्छिण्णसंप्रदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सरंपराए पवाइज्जदे सो पवाइज्जंतोवएसो त्ति भण्णदे। अथवा अज्ज मंखुभयवताणमुवएसो एत्थापवाइज्जमाणो णाम। णागहत्थिखमाणामुवएसो पवाइज्जंतो त्ति घेतवो।—जयध० प्र० पृ० ४३।

ॐ "कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव जइवसहाइरियमुइकमलविणिग्गयच्चुणि-सुत्तादो। चुणिणसुत्तमण्णहा कि ण होदि ? ण, रागदोसमोहाभावेण पमाणत्त-मुवगय-जइवसह-वयणस्स असच्चत्तविरोहादो।"—जयध० प्र० पृ० ४६

पट्टावली समयका निर्देश ही नहीं करती और जो करती हैं उनमें उन दोनोंके समयोंमें परस्पर अन्तर भी पाया जाता है—जैसे आर्यमंशुका समय तपागच्छ-पट्टावलीमें वीरनिर्वाणसे ४६७ वर्षपर और 'सिरिदुसमाकाल-समणसंघथयं' की अवचूरिमें ४५० पर बतलाया है ❀ । और दोनोंका एक समय तो किसी भी श्वे० पट्टावलीसे उपलब्ध नहीं होता बल्कि दोनोंमें १५० या १३० वर्षके करीबका अन्तराल पाया जाता है; जब कि दिगम्बर-परम्पराका स्पष्ट उल्लेख दोनोंको यतिवृषभके गुरुरूपमें प्रायः समकालीन बतलाया है । ऐसी स्थितिमें श्वे० पट्टावलियोंको उक्त दोनों आचार्योंके समयादिविषयमें विश्वासनीय नहीं कहा जा सकता । और इसलिए यतिवृषभदिके समयका अब तिलोयपण्णत्ती-के उल्लेखोंपरसे अथवा उसके अन्तःपरीक्षणपरसे ही अनुसंधान करना होगा । तदनुसार ही नीचे उसका यत्न किया जाता है—

(१) तिलोयपण्णत्तीके अनेक पद्योंमें 'संगाइणी' तथा 'लोकविनिश्चय' ग्रंथके साथ 'लोकविभाग' नाम के ग्रंथका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है । यथा—

जलसिहरे विक्रमंभो जलणिहिणो जोयणा दससहस्सा ।

एवं संगाइणिणं लोयविभाणं विणिहिट्ठं ॥अ०४॥

लोयविणिच्छय-गंथे लोयविभागम्मि सव्वसिद्धाणं ।

ओगाहण-परिमाणं भणिदं किंचूणचरिमदेहसमो ॥अ०६॥

यह 'लोकविभाग' ग्रन्थ उस प्राकृत लोकविभाग ग्रन्थसे भिन्न मालूम नहीं होता, जिसे प्राचीन समयमें सर्वनन्दी आचार्यने लिखा (रचा) था, जो कांचीके राजा सिंहवर्मके राज्यके २२वें वर्ष—उस समय जबकि उत्तराषाढ नक्षत्रमें शनिश्चर, वृषराशिमें वृहस्पति, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें चन्द्रमा था, शुक्लपक्ष था—शकसंवत् ३८० में लिखकर पाणराष्ट्रके पाटलिक ग्राममें पूरा किया गया था और जिसका उल्लेख सिंहसूर ‡ के उस संस्कृत 'लोकविभाग'के निम्न पद्यों-

❀ देखो, पट्टावलीसमुच्चय' ।

‡ 'सिंहसूरषिणा' पदपरसे 'सिंहसूर' नामकी उपलब्धि होती है—सिंहसूर-की नहीं, जिसके 'सूर' पदको 'आचार्य' पदका वाचक समझकर पं० नाथूरामजी

में पाया जाता है, जो कि सर्वनन्दीके लोकविभागको सामने रखकर ही भाषाके परिवर्तनद्वारा रचा गया है—

वैश्वे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे, राजोत्तरेषु सितपद्ममुपेत्य चन्द्रे ।
ग्रामे च पाटलिकनामनि पाणराष्ट्रे, शास्त्रं पुरा लिखितवान्मुनिसर्वनन्दी॥३॥
संवत्सरे तु द्वाविंशे काञ्चीश-सिंहवर्मणः ।

अशीत्यग्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छतत्रये ॥४॥

तिलोपपण्णतीकी उक्त दोनों गाय/ओंमें जिन विशेष वर्णनोंका उल्लेख 'लोकविभाग' आदि ग्रन्थोंके आधारपर किया गया है वे सब संस्कृत लोकविभाग-में भी पाये जाते हैं † और इससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत-का उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागको सामने रखकर ही लिखा गया है ।

इस सम्बन्धमें एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि संस्कृत लोकविभागके अन्तमें उक्त दोनों पद्योंके बाद एक पद्य निम्न प्रकार दिया है—

पंचदशशतान्याहुः षट्त्रिंशदधिकानि वै ।

शास्त्रस्य संग्रहस्त्वेदं छंदसानुष्टुमेन च ॥५॥

इसमें ग्रन्थकी संख्या १५३६ श्लोक-परिमाण बतलाई है, जबकि उपलब्ध

प्रेमीने ('जैन साहित्य और इतिहास पृ० ५ पर) नामके अधूरेपनकी कल्पना की है और "पुरा नाम शायद सिंहनन्दि हो" ऐसा सुझाया है । छंदकी कठिनाईका हेतु कुछ भी समीचीन मालूम नहीं होता; क्योंकि सिंहनन्दि और सिंहसेन जैसे नामोंका वहाँ सहज ही समावेश किया जा सकता था ।

‡ "आचार्यवलिकागतं विरचितं तत्सिंहसूरषिणा ।

भाषायाः परिवर्तनेन निपुणः सम्मानितं साधुभिः ॥"

† "दशैवैष सहस्राणि मूलोऽग्रेपि पृथुर्मतः ।" —प्रकरण २

"अन्त्यकायप्रमाणान्तु किञ्चित्संकुचित्तात्मकाः ॥"—प्रकरण ११

॥ देखो, आराके जैनसिद्धान्तभवनकी प्रति और उसपरसे उतारी हुई वीर-सेवामन्दिरकी प्रति ।

संस्कृत-लोकविभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है। मालूम होता है कि यह १५३६ की श्लोकसंख्या उसी पुराने प्राकृत लोकविभागकी है—यहाँ उसके संख्यासूचक पद्यका भी अनुवाद करके रख दिया है। इस संस्कृत ग्रन्थमें जो ५०० श्लोक-जितना पाठ अधिक है वह प्रायः उन 'उक्तं च' पद्योंका परिमाण है जो इस ग्रन्थमें दूसरे ग्रन्थोंसे उद्धृत करके रखे गये हैं—१०० से अधिक गाथाएँ तो तिलोयपण्णत्तीकी ही हैं, २००के करीब श्लोक भगवज्जिनसेनके आदिपुराण-से उठाकर रखे गये हैं और शेष ऊपरके पद्य तिलोयसार (त्रिलोकसार) और जंबूदीवपण्णत्ती (जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति) आदि ग्रन्थोंसे लिये गये हैं। इस तरह इस ग्रन्थमें भाषाके परिवर्तन और दूसरे ग्रन्थोंसे कुछ पद्योंके 'उक्तं च' रूपसे उद्धरण-के सिवाय सिंहसूरकी प्रायः और कुछ भी कृति मालूम नहीं होती। बहुत संभव है कि 'उक्तं च' रूपसे जो यह पद्योंका संग्रह पाया जाता है वह स्वयं सिंहसूर मुनिके द्वारा न किया गया हो, बल्कि बादको किसी दूसरे ही विद्वानके द्वारा अपने तथा दूसरोंके विशेष उपयोगके लिये किया गया हो; क्योंकि ऋषि सिंहसूर जब एक प्राकृत ग्रन्थका संस्कृतमें—मात्र भाषाके परिवर्तन रूपसे ही—अनुवाद करने बैठे—व्याख्यान नहीं, तब उनके लिये यह सम्भावना बहुत ही कम जान पड़ती है कि वे दूसरे प्राकृतनादि ग्रन्थोंपरसे तुलनादिके लिये कुछ वाक्योंको स्वयं उद्धृत करके उन्हें ग्रन्थका अंग बनाएँ। यदि किसी तरह उन्हींके द्वारा यह उद्धरण-कार्य सिद्ध किया जा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११वीं शताब्दीके अन्तमें अथवा उसके बाद हुए हैं; क्योंकि इसमें आचार्य नमिचन्द्रके त्रिलोक-सारकी गाथाएँ भी 'उक्तं च त्रैलोक्यसारे' जैसे वाक्यके साथ उद्धृत पाई जाती हैं। और इसलिये इस सारी परिस्थिति परसे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं होता कि तिलोयपण्णत्तीमें जिस लोकविभागका उल्लेख है वह वही सर्वनन्दीका प्राकृत-लोकविभाग है जिसका उल्लेख ही नहीं किन्तु अनुवादितरूप संस्कृत लोक-विभागमें पाया जाता है। चूँकि उस लोकविभागका रचनाकाल शक सं० ३८० (वि० सं० ५१५) है अतः तिलोयपण्णत्तीके रचयिता यतिवृषभ शक सं० ३८० के बाद हुए हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। अब देखना यह है कि कितने बाद हुए हैं।

(२) तिलोयपण्णत्तीमें अनेक काल-गणनाओंके आधारपर 'चतुर्मुंख' नामक कल्कि ‡ की मृत्यु वीरनिर्वाणसे एक हजार वर्ष बाद बतलाई है, उसका राज्यकाल ४२ वर्ष दिया है, उसके अत्याचारों तथा मारे जानेकी घटनाओंका उल्लेख किया है और मृत्युपर उसके पुत्र अजितंजयका दो वर्ष तक धर्मराज्य होना लिखा है। साथ ही, बादको धर्मकी क्रमशः हानि बतलाकर और किसी राजाका उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकारकी कुछ गाथाएं निम्न प्रकार हैं, जो कि पालकादिके राज्यकाल ६५८ का उल्लेख करनेके बाद दी गई है:—

“तत्तो कक्की जादो इन्दसुदो तस्स चउमुहो णामो ।
 सत्तरि-वरिसा आऊ विगुणिय-इगवीस-रज्जत्तो ॥६६॥
 आचारांगधरादो पणहत्तरि-जुत्त दुसय-वासेसुं ।
 बोलीणैसुं बद्धो पट्ठो कक्की स णरवइणो ॥१०८॥”
 “अह को वि असुरदेओ ओहीदो मुण्णिगणाय उवसगं ।
 णादूणं तक्कक्की मारेदि हु धम्मदोहि त्ति ॥१०३॥
 कक्किसुदो अजितंजय-णामो रक्खदि णमदि तच्चरणे ।
 तं रक्खदि असुरदेओ धम्मे रज्जं करेज्जंति ॥१०४॥

‡ कल्कि निःसन्देह ऐतिहासिक व्यक्ति हुआ है, इस बातको इतिहासज्ञोंने भी मान्य किया है। डा० के० बी० पाठक उसे 'मिहिरकुल' नामका राजा बतलाते हैं और जैनकालगणनाके साथ उसकी संगति बिठलाते हैं, जो बहुत अत्याचारी था और जिसका वर्णन चीनी यात्री हुएनतसाङ्गने अपने यात्रा-वर्णनमें विस्तारके साथ किया है तथा राजतरंगिणीमें भी जिसकी दुष्टताका हाल दिया है। परन्तु डा० काशीप्रसाद (के०पी०) जायसवाल इस मिहिरकुल-को पराजितकरनेवाले मालवाधिपति विष्णुयशोधर्माको ही हिन्दू पुराणों आदिके अनुसार 'कल्कि' बतलाते हैं, जिसका विजयस्तम्भ मन्दसौरमें स्थित है और वह ई० सन् ५३३-३४ में स्थापित हुआ था। (देखो, जैनहितैषी भाग १३ अंक १२में जायसवालजीका 'कल्कि-अवतारकी ऐतिहासिकता' और पाठकजीका 'गुप्तराजाओंका काल, मिहिरकुल और कल्कि' नामक लेख पृ० ५१६ से ५२५।

तत्तो दो वे वासो सम्मं धम्मो पयट्ठदि जणाणं ।

कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हाएदे ॥१०५॥”

इस घटनाचक्रपरसे यह साफ़ मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तीकी रचना कल्कि राजाकी मृत्युसे १०-१२ वर्षसे अधिक बादकी नहीं है । यदि अधिक बादकी होती तो ग्रन्थपद्धतिको देखते हुए संभव नहीं था कि उसमें किसी दूसरे प्रधान राज्य अथवा राजाका उल्लेख न किया जाता । अस्तु; वीर-निर्वाण शकराजा अथवा शक संवत्से ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुआ है, जिसका उल्लेख तिलोयपण्णत्तीमें भी पाया जाता है* । एक हजार वर्षमेंसे इस संख्याको घटानेपर ३६४ वर्ष ७ महीने अवशिष्ट रहते हैं । यही (शक संवत् ३६५) कल्किकी मृत्युका समय है । और इसलिये तिलोयपण्णत्तीका रचना-काल शक सं० ४८५ (वि० सं० ५४०) के करीबका जान पड़ता है जबकि लोकविभाग-को बने हुए २५ वर्षके करीब हो चुके थे, और यह अर्धा लोकविभागकी प्रसिद्धि तथा यतिवृषभ तक उसकी पहुँचके लिये पर्याप्त है ।

(ख) यतिवृषभ और कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धमें प्रेमीजीके मतकी आलोचना—

ये यतिवृषभ कुन्दकुन्दाचार्यसे २०० वर्षपे भी अधिक समय बाद हुए हैं, इस बातको सिद्ध करनेके लिये मैंने ‘श्रीकुन्दकुन्द और यतिवृषभमें पूर्ववर्ती कौन?’ नामका एक लेख आजसे कोई ६ वर्ष पहले लिखा था† । उसमें,

* गिण्वाणो वीरजिरो छुव्वास-सदेसु पंच-वरसेसु ।

पण-मासेसु गदेसु संजादो सग-णिओ अहवा ॥—तिलोयपण्णत्ती

पण-छस्सय-वस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिठ्ठुइदो ।

सगराजो तो कक्की चदुणवतियमहियसगमासं ॥—त्रिलोकसार

वीरनिर्वाण और शकसंवत्की विशेष जानकारीके लिये, लेखककी

‘भगवान् महावीर और उनका समय’ नामकी पुस्तक देखनी चाहिये ।

† देखो, अनेकान्त वर्ष २, नवम्बर सन् १६३८ की किरण नं० १

इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके कुछ गलत तथा भ्रान्त उल्लेखोंपरसे बनी हुई और श्रोधर-श्रुतावतारके उसमें भी अधिक गलत एवं आपत्तिके योग्य उल्लेखों-परसे पुष्ट हुई कुछ विद्वानोंकी गलत धारणाको स्पष्ट करते हुए, मैंने सुहृद्दर पं० नाथूरामजी प्रेमीकी उन युक्तियोंपर विचार किया था जिनके आधारपर वे कुन्दकुन्दकी यतिवृषभके बादका विद्वान् बतलाते हैं। उनमेंसे एक युक्ति तो इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारपर ही अपना आधार रखती है; दूसरी प्रवचनसारकी 'एस सुरासुर' नामकी आद्य मंगल-गाथासे सम्बन्धित है, जो त्रितीयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारमें भी पाई जाती है और जिसे प्रेमीजीने तिलोयपण्णत्तीपरसे ही प्रवचनसारमें लीगई लिखा था, और तीसरी कुन्दकुन्दके नियमसारकी निम्न गाथासे सम्बन्ध रखती है, जिसमें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेषु' पदमें प्रेमीजी सर्वनन्दीके 'लोकविभाग' ग्रन्थका उल्लेख समझते हैं और चूँकि उसकी रचना शक सं० ३८० में हुई है अतः कुन्दकुन्दाचार्यको शक सं० ३८० (वि० सं० ५१५) के बादका विद्वान् ठहराते हैं—

चउदसभेदा भण्णिदा तेरिच्छा सुरगणा चउभेदा ।
एदेसिं वित्थारं लोयविभागेषु णादव्वं ॥१७॥

'एस सुरासुर' नामकी गाथाको कुन्दकुन्दकी सिद्ध करनेके लिये मैंने जो युक्तियाँ दी थीं उनपरसे प्रेमीजीका विचार अपनी दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें तो बदल गया है, ऐसा उनके 'जैनसाहित्य और इतिहास' नामक ग्रन्थके प्रथम लेख 'लोकविभाग और तिलोयपण्णत्ति' परसे जाना जाता है। उसमें उन्होंने उक्त गाथाको स्थितिकी प्रवचनसारमें सुहृद स्वीकार किया है, उसके अभावमें प्रवचनसारकी दूसरी गाथा 'सेसे पुण तित्थयेरे' को लटकती हुई माना है और तिलोयपण्णत्तीके अन्तिम अधिकारके अन्तमें पाई जानेवाली कुन्धुनायसे वर्द्धमानतःकी स्तुति-विषयक ८ गाथाओंके सम्बन्धमें, जिनमें उक्त गाथा भी शामिल है, लिखा है कि—“बहुत संभव है कि ये सब गाथाएँ मूलग्रन्थकी न हों, पीछेसे किसीने जोड़ दी हों और उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा आ गई हो।”

दूसरी युक्तिके सम्बन्धमें मैंने यह बतलाया था कि इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके

जिस उल्लेख† परसे कुन्दकुन्द (पद्मनन्दी) को यतिवृषभके बादका विद्वान समझा जाता है उसका अभिप्राय 'द्विविध-सिद्धान्त'के उल्लेखद्वारा यदि कसायपाहुड (कषायप्राभृत) को उसकी टीकाओं-सहित कुन्दकुन्द तक पहुँचाना है तो वह जरूर गलत है और किसी गलत सूचना अथवा गलतफहमीका परिणाम है। क्योंकि कुन्दकुन्द यतिवृषभसे बहुत पहले हुए हैं, जिसके कुछ प्रमाण भी दिये थे। साथ ही, यह भी बतलाया था कि यद्यपि इन्द्रनन्दीने यह लिखा है कि गुणधर और धरसेन आचार्यों की गुरु-परम्पराका पूर्वापरक्रम, उनके वंशका कथन करनेवाले शास्त्रों तथा मुनिजनोंका उस समय अभाव होनेसे, उन्हें मालूम नहीं है* ; परन्तु दोनों सिद्धान्त ग्रन्थोंके अवतारका जो कथन दिया है वह भी उन ग्रंथों तथा उनकी टीकाओंको स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता—सुना-सुनाया जान पड़ता है। यही वजह है जो उन्होंने आर्यमंक्षु और नागहस्तिको गुणधराचार्यका साक्षात् शिष्य घोषित कर दिया और लिख दिया है कि गुणधराचार्यने कसायपाहुडकी सूत्रगाथाओंको रचकर उन्हें स्वयं ही उनकी व्याख्या करके आर्यमंक्षु और नागहस्तिको पढ़ाया था‡; जबकि उनकी टीका जयधवलामें स्पष्ट लिखा है कि 'गुणधराचार्यकी उक्त सूत्रगाथाएँ आचार्य-परम्परासे चली आती हुई आर्यमंक्षु और नागहस्तिको प्राप्त हुई थीं—गुणधराचार्यसे उन्हें उनका सीधा (direct) आदान-प्रदान नहीं हुआ था। जैसा कि

† 'गाथा-चूण्युच्चारणसूत्ररूपसंहतं कषायाख्य—

प्राभृतमेव गुणधर-यतिवृषभोच्चारणाचार्यैः ॥१५६॥

एवं द्विविधो द्रव्य-भाव-पुस्तकगतः समागच्छत् ।

गुरुपरिपाटया ज्ञातः सिद्धान्तः कोण्डकुन्दपुरे ॥१६०॥

श्रीपद्मनन्दी-मुनिना, सोऽपि द्वादशशहस्रपरिमाणः ।

ग्रन्थ-परिकर्म-कर्ता षट्खण्डाऽऽद्यत्रिखंडस्य” ॥१६१॥

❖ 'गुणधर-धरसेनान्वयगुर्वोः पूर्वापरक्रमोऽस्माभि—

न ज्ञायते तदन्वय-कथकाऽऽगम-मुनिजनाभावात् ॥१५०॥

‡ एवं गाथासूत्राणि पंचदशमहाधिकाराणि ।

प्रविरच्य व्याचख्यौ स नागहस्त्यार्यमंक्षुभ्याम् ॥१५४॥

उसके निम्न अंशसे प्रकट है—

“पुणो ताओ सुत्तगाहाओ आइरिय-परम्पराए आगच्छमाणाओ
अज्जमंसु-णागहत्थीणं पत्ताओ ।”

और इसलिये इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके उक्त कथनकी सत्यतापर कोई भरोसा अथवा विश्वास नहीं किया जा सकता । परन्तु मेरी इन सब बातोंपर प्रेमीजी-ने कोई खास ध्यान दिया मालूम नहीं होता और इसी लिये वे अपने उक्त ग्रन्थ-गत लेखमें आर्यमंक्षु और नागहस्तिको गुणधराचार्यका साक्षात् शिष्य मानकर ही चले हैं और इस मानकर चलनेमें उन्हें यह भी खयाल नहीं हुआ कि जो इन्द्रनन्दी गुणधराचार्यके पूर्वापर-ग्रन्थगुरुओंके विषयमें एक जगह अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते हैं वे ही दूसरी जगह उनकी कुछ शिष्य-परम्पराका उल्लेख करके अपर (बादको होनेवाले) गुरुओंके विषयमें अपनी अभिज्ञता जतला रहे हैं, और इस तरह उनके इन दोनों कथनोंमें परस्पर भारी विरोध है । और चूँकि यति-वृषभ आर्यमंक्षु और नागहस्तिके शिष्य थे इसलिये प्रेमीजीने उन्हें गुणधरा-चार्यका समकालीन अथवा २०-२५ वर्ष बादका ही विद्वान सूचित किया है और साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि ‘कुन्दकुन्द (पद्मनन्दि) को दोनों सिद्धान्तोंका जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें यतिवृषभकी चूर्णिका अन्तर्भाव भले ही न हो’ फिर भी जिस द्वितीय सिद्धान्त कषायप्राप्तको कुन्दकुन्दने प्राप्त किया है उसके कर्ता गुणधर जब यतिवृषभके समकालीन अथवा २०-२५ वर्ष पहले हुए थे तब कुन्दकुन्द भी यतिवृषभके समसामयिक बल्कि कुछ पीछेके ही होंगे; क्योंकि उन्हें दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान ‘गुरुपरिपाटीसे प्राप्त हुआ था । अर्थात् एक दो गुरु उनसे पहलेके और मानने होंगे ।’ और अन्तमें इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारपर अपना आधार व्यक्त करते और उनके विषयमें अपनी श्रद्धाको कुछ ढीली करते हुए यहाँ तक लिख दिया है—“गरज यह कि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके अनुसार पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) का समय यतिवृषभसे बहुत पहले नहीं जा सकता । अब यह बात दूसरी है कि इन्द्रनन्दिने जो इतिहास दिया है, वही गलत हो और या ये पद्मनन्दि कुन्दकुन्दके बादके दूसरे ही आचार्य हों और जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्ड-कुण्डपुरके थे उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों ।”

बादमें जब प्रेमीजीको जयधवलाका वह कथन पूरा मिल गया जिसका एक अंश 'पुणो ताओ' से आरम्भ करके मैंने अपने उक्त लेखमें दिया था और जो अधिकांशमें ऊपर उद्धृत किया गया है तब ग्रन्थ छप चुकनेपर उसके परिशिष्ट-में आपने उस कथनको देते हुए स्पष्ट सूचित किया है कि "नागहस्ति और आर्य-मंथु गुणधरके साक्षात् शिष्य नहीं थे ।" परन्तु इस सत्यको स्वीकार करनेपर उनकी उस दूसरी युक्तिका क्या रहेगा, इस विषयमें कोई सूचना नहीं की, जब कि करनी चाहिये थी । स्पष्ट है कि उनकी इस दूसरी युक्तिमें तब कोई सार नहीं रहता और कुन्दकुन्द, द्विविधसिद्धान्तमें चूणिका अन्तर्भाव न होनेसे, यतिवृषभसे बहुत पहलेके विद्वान भी हो सकते हैं ।

अब रही प्रेमीजीकी तीसरी युक्तिकी बात, उसके विषयमें मैंने अपने उक्त लेखमें यह बतलाया था कि 'नियमसारकी उस गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोय-विभागेसु' पदका अभिप्राय सर्वनन्दीके उक्त लोकविभागसे नहीं है और न हो सकता है; बल्कि बहुवचनान्त पद होनेसे वह 'लोकविभाग' नामके किसी एक ग्रन्थविशेषका भी वाचक नहीं है । वह तो लोकविभाग-विषयक कथन-वाले अनेक ग्रंथों अथवा प्रकरणोंके संकेतको लिए हुए जान पड़ता है और उसमें खुद कुन्दकुन्दके 'लोयपाहुड'-'संठाणपाहुड' जैसे ग्रन्थ तथा दूसरे 'लोकानुयोग' अथवा लोकाल्लोकके विभागको लिये हुए करणानुयोग-सम्बन्धी ग्रन्थ भी शामिल किये जा सकते हैं । और इसलिये 'लोयविभागेसु' इस पदका जो अर्थ कई शताब्दियों पीछेके टीकाकार पद्मप्रभने 'लोकविभागविधानपरमाण्वे' ऐसा एकवचनान्त किया है वह ठीक नहीं है ॥' साथ ही यह बतलाया था कि उपलब्ध लोकविभागमें, जो कि ('उक्त' च' वाक्योंको छोड़कर) सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका ही अनुवादित संस्कृतरूप है, तिर्यचोंके उन चौदह भेदों-के विस्तार-कथनका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख नियमसारकी उक्त गाथामें किया गया है । और इससे मेरा उक्त कथन अथवा स्पष्टीकरण और भी

ॐ मेरे इस विवेचनसे, जो 'जैनजगत' वर्ष ८ अंक ६ के एक पूर्ववर्ती लेखमें प्रथमतः प्रकट हुआ था, डा० ए० एन० उपाध्ये एम० ए० ने प्रवचनसारकी प्रस्तावना (पृ० २२, २३) में अपनी पूर्ण-सहमति व्यक्त की है ।

ज्यादा पुष्ट होता है। इसके सिवाय, दो प्रमाण ऐसे उपस्थित किये थे, जिनकी मौजूदगीमें कुन्दकुन्दका समय शक सं० ३८० (वि० सं० ५१५) के बादका किसी तरह भी नहीं हो सकता। उनमें एक प्रमाण मकरांके ताम्रपत्रका था, जो शक० सं० ३८८ का उत्कीर्ण है और जिसमें देशीगणान्तर्गत कुन्दकुन्द-के अन्वय (वंश) में होनेवाले गुणचन्द्रादि छह आचार्योंका गुरु-शिष्यक्रमसे उल्लेख है। और दूसरा प्रमाण स्वयं कुन्दकुन्दके बोधपाहुडकी 'सद्दिव्यारो हूओ' नामकी गाथाका था, जिसमें कुन्दकुन्दने अपनेको भद्रबाहुका शिष्य सूचित किया है।

प्रथम प्रमाणको उपस्थित करते हुए मैंने बतलाया था कि 'यदि मोटे रूपसे गुणचन्द्रादि छह आचार्योंका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय, जो उस समयकी आयुकायादिककी स्थितिको देखते हुए अधिक नहीं कहा जा सकता, तो कुन्दकुन्दके वंशमें होनेवाले गुणचन्द्रका समय शकसंवत् २३८ (वि सं० ३७३) के लगभग ठहरता है। और चूंकि गुणचन्द्राचार्य कुन्दकुन्दके साक्षात् शिष्य या प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुन्दके अन्वय (वंश) में हुए हैं और अन्वयके प्रतिष्ठित होनेके लिये कमसे कम ५० वर्षका समय मान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी हालतमें कुन्दकुन्दका पिछला समय उक्त ताम्रपत्रपरसे २०० (१५० + ५०) वर्ष पूर्वका तो सहज ही में हो जाता है। और इसलिये कहना होगा कि कुन्दकुन्दाचार्य यतिवृषभसे २०० वर्षसे भी अधिक पहले हुए हैं। और दूसरे प्रमाणमें गाथाको छ उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें बतलाया है कि 'त्रिनेन्द्रने—भगवान् महावीरने—अर्थ रूपसे जो कथन किया है वह भाषा-सूत्रोंमें शब्दविकारको प्राप्त हुआ है—अनेक प्रकारके शब्दोंमें गुंथा गया है—, भद्रबाहुके मुक्त शिष्यने उन भाषासूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है और (जानकर) कथन किया है।' इससे बोधपाहुडके कर्ता कुन्दकुन्दाचार्य भद्रबाहुके शिष्य मालूम होते हैं। और ये भद्रबाहु श्रुतकेवलीसे भिन्न द्वितीय भद्रबाहु जान पड़ते हैं, जिन्हें प्राचीन ग्रन्थकारोंने 'आचाराङ्ग' नामक प्रथम अंगके धारियोंमें

* सद्दिव्यारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिरो कहियं !

सो तह कहियं गायं सीसेण य भद्दबाहुस्स ॥ ६१ ॥

तृतीय विद्वान् सूचित किया है और जिनका समय जैन कालगणनाओंके † अनुसार वीरनिर्वाण-संवत् ६१२ अर्थात् वि० सं० १४२ (भद्रबाहु द्वि०के समाप्ति-काल) से पहले भले ही हो; परन्तु पीछेका मालूम नहीं होता। क्योंकि श्रुत-केवली भद्रबाहुके समयमें जिन-कथित श्रुतमें ऐसा कोई विकार उपस्थित नहीं हुआ था, जिसे गाथामें ‘सहवियारो हुआ भासासुत्तेसु जं जिरो कहियं’ इन शब्दोंद्वारा सूचित किया गया है—वह अविच्छिन्न चला आया था। परन्तु दूसरे भद्रबाहुके समयमें वह स्थिति नहीं रही थी—कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका था और जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषा-सूत्रोंमें परिवर्तित हो गया था। और इसलिये कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी तो हो सकता है परन्तु तीसरी या तीसरी शताब्दिके बादका वह किसी तरह भी नहीं बनता।

परन्तु मेरे इस सब विवेचनको प्रेमीजीकी बद्धमूल हुई धारणाने कबूल नहीं किया, और इसलिये वे अपने उक्त ग्रन्थगत लेखमें मर्कराके ताम्रपत्रको कुन्दकुन्द-के स्वनिर्धारित समय (शक सं० ३८० के बाद) के माननेमें “सबसे बड़ी बाधा” स्वीकार करते हुए और यह बतलाते हुए भी कि “तब कुन्दकुन्दको यति-वृषभके बाद मानना असंगत हो जाता है।” लिखते हैं—

“पर इसका समाधान एक तरहसे हो सकता है और वह यह कि कौण्ड-कुन्दान्वयका अर्थ हमें कुन्दकुन्दकी वंशपरम्परा न करके कौण्डकुन्दपुर नामक स्थानसे निकली हुई परम्परा करना चाहिये। जैसे श्रीपुर स्थानकी परम्परा श्रीपुरान्वय, अरुंगलकी अरुंगलान्वय, कित्तूरकी कित्तूरान्वय, मथुराकी माथुरान्वय आदि।”

परन्तु अपने इस संभावित समाधानकी कल्पनाके समर्थनमें आपने एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया, जिससे यह मालूम होता कि श्रीपुरान्वयकी तरह कुन्दकुन्दपुरान्वयका भी कहीं उल्लेख आया है अथवा यह मालूम होता कि जहाँ पद्मनन्दि अपरनाम कुन्दकुन्दका उल्लेख आया है वहाँ उसके पूर्व कुन्दकुन्दान्वय-

† जैन कालगणनाओंका विशेष जाननेके लिये देखो लेखकद्वारा लिखित ‘स्वामी समन्तभद्र’ (इतिहास) का ‘समय-निर्णय’ प्रकरण पृ० १८३ से तथा ‘भ० महावीर और उनका समय’ नामक पुस्तक पृ० ३१ से।

का भी उल्लेख आया है और उसी कुन्दकुन्दान्वयमें उन पद्मनन्दि-कुन्दकुन्दको बतलाया है, जिससे ताम्रपत्रके 'कुन्दकुन्दान्वय' का अर्थ 'कुन्दकुन्दपुरान्वय' कर लिया जाता। बिना समर्थनके कोरी कल्पनासे काम नहीं चल सकता। वास्तवमें कुन्दकुन्दपुरके नामसे किसी अन्वयके प्रतिष्ठित अथवा प्रचलित होनेका जैनसाहित्यमें कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता। प्रत्युत इसके, कुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयके प्रतिष्ठित और प्रचलित होनेके सैकड़ों उदाहरण शिलालेखों तथा ग्रन्थप्रशस्तियोंमें उपलब्ध होते हैं और वह देशादिके भेदसे 'इंग्लेज़र' ❁ आदि अनेक शाखाओं (बलियों) में विभक्त रहा है। और जहाँ कहीं अकुन्दकुन्दके पूर्वकी गुरुपरम्पराका कुछ उल्लेख देखनेमें आता है वहाँ उन्हें गौतम गणधरकी सन्ततिमें अथवा श्रुतकेवली भद्रबाहुके शिष्य चन्द्रगुप्तके अन्वय (वंश) में बतलाया है †। जिनका कौण्डकुन्दपुरके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। श्रीकुन्दकुन्द मूलसंघ (नन्दि-संघ भी जिसका नामान्तर है) के अग्रणी गणी थे और देशीगणका उनके अन्वयसे खास सम्बन्ध रहा है, ऐसा श्रवणबेलगोलके ५५ (६६) नम्बरके शिलालेखके निम्नवाक्योंसे जाना जाता है—

“श्रीमतो वर्द्धमानस्य वर्द्धमानस्य शासने ।

श्रीकोण्डकुन्दनामाऽभून्मूलसंघाग्रणी गणी ॥३॥

तस्याऽन्वयेऽजनि ख्याते.....देशिके गणे ।

गुणी देवेन्द्रसैद्धान्तदेवो देवेन्द्र-वन्दितः ॥४॥”

और इसलिये मर्कराके ताम्रपत्रमें देशीगणके साथ जो कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख है वह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयका ही उल्लेख है, कुन्दकुन्दपुरान्वयका नहीं। और इससे प्रेमीजीकी उक्त कल्पनामें कुछ भी सार मालूम नहीं होता। इसके सिवाय, प्रेमीजीने बोधपाहुड-गाथा-सम्बन्धी मेरे दूसरे प्रमाणका कोई

❁ सिरिमूलसंघ-देसियगण-पुत्थयगच्छ-कौंडकुंदाणं ।

परमण-इंगलेसर-बलिम्मि जादस्स मुणिपहाणस्स ॥

—भावत्रिभंगी ११८, परमाणसार २२६

† देखो, श्रवणबेलगोलके शिलालेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १०८

विरोध नहीं किया, जिससे वह स्वीकृत जान पड़ता है अथवा उसका विरोध अशक्य प्रतीत होता है। दोनों ही अवस्थाओंमें कौण्डकुन्दपुराणव्यकी उक्त कल्पनासे क्या नतीजा ? क्या वह कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धी अपनी धारणाको, प्रबलतर बाधाके उपस्थित होनेपर भी, जीवित रखने आदिके उद्देश्यसे की गई है ? कुछ समझमें नहीं आता !!

नियमसारकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेसु' पदको लेकर मैंने जो उपर्युक्त दो आपत्तियां की थीं उनका भी कोई समुचित समाधान प्रेमीजीने नहीं किया है। उन्होंने अपने उक्त मूल लेखमें तो प्रायः इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि "बहुवचनका प्रयोग इसलिये भी इष्ट हो सकता है कि लोक-विभागके अनेक विभागों या अध्यायोंमें उक्त भेद देखने चाहियें।" परन्तु ग्रन्थकार कुन्द-कुन्दाचार्यका यदि ऐसा अभिप्राय होता तो वे 'लोयविभाग-विभागेसु' ऐसा पद रखते, तभी उक्त आशय घटित हो सकता था; परन्तु ऐसा नहीं है, और इस लिये प्रस्तुत पदके 'विभागेसु' पदका आशय यदि ग्रन्थके विभागों या अध्यायोंका लिया जाता है तो ग्रन्थका नाम 'लोक' रह जाता है—'लोकविभाग' नहीं—और उससे प्रेमीजीकी सारी युक्ति ही लौट जाती है जो 'लोकविभाग' ग्रन्थके उल्लेखको मानकर की गई है। इसपर प्रेमीजीका उस समय ध्यान गया मालूम नहीं होता। हाँ, बादको किसी समय उन्हें अपने इस समाधानकी निःसारताका ध्यान आया ज़रूर जान पड़ता है और उसके फलस्वरूप उन्होंने परिशिष्टमें समाधानकी एक नई दृष्टिका आविष्कार किया है और वह इस प्रकार है—

"लोयविभागेसु णादव्वं" पाठ पर जो यह आपत्ति की गई है कि वह बहुवचनान्त पद है, इसलिये किसी लोकविभागनामक एक ग्रन्थके लिये प्रयुक्त नहीं हो सकता, तो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठको 'लोय-विभागे सुणादव्वं' इस प्रकार पढ़ना चाहिये, 'सु' को 'णादव्वं' के साथ मिला देनेसे एकवचनान्त 'लोयविभागे' ही रह जायगा और अगली क्रिया 'सुणादव्वं' (सुजातव्यं) हो जायगी। पक्षप्रभने भी शायद इसी लिये उसका अर्थ 'लोक-विभागाभिधानपरमागमे' किया है।"

इसपर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम तो मूलका पाठ जब 'लोयविभागेसु णादव्वं' इस रूपमें स्पष्ट मिल रहा है और टीकामें उसकी

संस्कृत छाया जो 'लोकविभागेषु ज्ञातव्यः'* दी है उससे वह पुष्ट हो रहा है तथा टीकाकार पद्मप्रभने क्रियापदके साथ 'सु'का 'सम्यक्' आदि कोई अर्थ व्यक्त भी नहीं किया—मात्र विशेषणरहित 'दृष्टव्यः' पदके द्वारा उसका अर्थ व्यक्त किया है, तब मूलके पाठकी, अपने किसी प्रयोजनके लिये अन्यथा कल्पना करना ठीक नहीं है। दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब पहले मर्कराके ताम्रपत्र और बोधपाहुडकी गाथा-सम्बन्धी उन दोनों प्रमाणों-का निरसन कर दिया जाय जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है; क्योंकि उनका निरसन अथवा प्रतिवाद न हो सकनेकी हालतमें जब कुन्दकुन्दका समय उन प्रमाणों परसे विक्रमकी दूसरी शताब्दी अथवा उससे पहलेका निश्चित होता है तब 'लोकविभागे' पदकी कल्पना करके उसमें शक सं० ३८० अर्थात् विक्रमकी छठी शताब्दीमें बने हुए लोकविभाग ग्रन्थके उल्लेखकी कल्पना करना कुछ भी अर्थ नहीं रखता। इसके सिवाय, मैंने जो यह आपत्ति की थी, कि नियमसारकी उक्त गाथाके अनुसार प्रस्तुत लोकविभागमें तिर्यचोके १४ भेदोंका विस्तारके साथ कोई वर्गन उपलब्ध नहीं है, उसका भले प्रकार प्रतिवाद होना चाहिये अर्थात् लोकविभागमें उस कथाके अस्तित्वको स्पष्ट करके बतलाना चाहिये, जिससे 'लोकविभागे' पदका वाच्य प्रस्तुत लोकविभाग समझा जा सके; परन्तु प्रेमीजीने इस बातका कोई ठीक समाधान न करके उसे टालना चाहा है। इसीसे परिशिष्टमें आपने यह लिखा है कि "लोकविभागमें चतुर्गंतजीव-भेदोंका या तिर्यचों और देवोंके चौदह और चार भेदोंका विस्तार नहीं है, यह कहना भी विचारणीय है। उसके छठे अध्यायका नाम ही

* मूलमें 'एदेसि वित्थार' पदोंके अनन्तर 'लोकविभागेषु ज्ञातव्य' पदोंका प्रयोग है। चूँकि प्राकृतमें 'वित्थार' शब्द नपुंसक लिंगमें भी प्रयुक्त होता है इसीसे वित्थार' पदके साथ 'ज्ञातव्य' क्रियाका प्रयोग हुआ है। परन्तु संस्कृतमें 'विस्तार' शब्द पुलिग माना गया है अतः टीकामें संस्कृत छाया 'एतेषां विस्तारः लोकविभागेषु ज्ञातव्यः' दी गई है, और इसलिये 'ज्ञातव्यः' क्रियापद ठीक है। प्रेमीजीने ऊपर जो 'सुज्ञातव्य' रूप दिया है उसपरसे उसे गलत न समझ लेना चाहिये।

‘तिर्यक् लोकविभाग’ है और चतुर्विध देवोंका वर्णन भी है ।” परन्तु “यह कहना” शब्दोंके द्वारा जिस वाक्यको मेरा वाक्य बतलाया गया है उसे मैंने कब और कहाँ कहा है ? मेरी आपत्ति तो तिर्यचोंके १४ भेदों के विस्तार कथन तक ही सीमित है और वह ग्रंथको देखकर ही की गई है, फिर उतने अंशोंमें ही मेरे कथनको न रखकर अतिरिक्त कथनके साथ उसे ‘विचारणीय’ प्रकट करना तथा ग्रंथमें ‘तिर्यक्लोकविभाग’ नामका भी एक अध्याय है ऐसी बात कहना, यह सब टलाने के सिवाय और कुछ भी अर्थ रखता हुआ मालूम नहीं होता । मैं पूछता हूँ क्या ग्रंथमें ‘तिर्यक् लोकविभाग’ नामका छठा अध्याय होनेसे ही उसका यह अर्थ हो जाता है कि ‘उसमें तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तारके साथ वर्णन है ? यदि नहीं तो ऐसे समाधानसे क्या नतीजा ? और वह टलानेकी बात नहीं तो और क्या है ?

जान पड़ता है प्रेमीजी अपने उक्त समाधानकी गहराई को समझते थे— जानते थे कि वह सब एक प्रकारकी खानापूरी ही है—और शायद यह भी अनुभव करते थे कि संस्कृत लोकविभागमें तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तार नहीं है, और इसलिये उन्होंने परिशिष्टमें ही, एक कदम आगे, समाधानका एक दूसरा रूप अखितयार किया है—जो सब कल्पमात्मक, सन्देहात्मक एवं अनिर्णयात्मक है—और वह इस प्रकार है:—

“ऐसा मालूम होता है कि सर्वनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा होगा । सिंहसूरिने उसका संक्षेप किया है । ‘व्याख्यास्यामि समासेन’ पदसे वे इस बातको स्पष्ट करते हैं । इसके सिवाय आगे ‘शास्त्रस्य संग्रहस्त्वित्’ से भी यही ध्वनित होता है—संग्रहका भी एक अर्थ संक्षेप होता है । जैसे गोम्मटसंग्रहसुत्त आदि । इसलिये यदि संस्कृत लोकविभागमें तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तार नहीं, तो इससे यह भी तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थमें रहा होगा, संस्कृतमें संक्षेप करनेके कारण नहीं लिखा गया ।”

इस समाधानके द्वारा प्रेमीजीने, संस्कृत लोकविभागमें तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तार कथन न होनेकी हालतमें, अपने बचावकी और नियमसारकी उक्त गाथामें सर्वनन्दीके लोकविभाग-विषयक उल्लेखकी अपनी धारणाको बनाये रखने तथा दूसरों पर लादे रखनेकी एक सूरत निकाली है । परन्तु

प्रेमीजी जब स्वयं अपने लेखमें लिखते हैं कि “उपलब्ध ‘लोकविभाग’ जो कि संस्कृतमें है बहुत प्राचीन नहीं है । प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है कि वह एक बहुत पुराने शक संवत् ३८० के बने हुए ग्रन्थसे अनुवाद किया गया है” और इस तरह संस्कृतलोकविभागको सर्वनन्दीके प्राकृत लोकविभागका अनुवादित रूप स्वीकार करते हैं । और यह बात मैं अपने लेखमें पहले भी बतला चुका हूँ कि संस्कृत लोकविभागके अन्तमें ग्रन्थकी श्लोकसंख्याका ही सूचक जो पद्य है और जिसमें श्लोकसंख्याका परिमाण १५३६ दिया है वह प्राकृत लोकविभागकी संख्याका ही सूचक है और उसीके पद्यका अनुवादित रूप है; ग्रन्थया उपलब्ध लोकविभागकी श्लोकसंख्या २०३० के करीब पाई जाती है और उसमें जो ५०० श्लोक-जितना पाठ अधिक है वह प्रायः उन ‘उक्त’ च’ पद्योंका परिमाण है जो दूसरे ग्रन्थोंपरसे किसी तरह उद्धृत होकर रक्खे गये हैं । तब किस आधारपर उक्त प्राकृत लोकविभागको ‘बड़ा’ बतलाया जाता है ? और किस आधार पर यह कल्पना की जाती है कि ‘व्याख्यास्यामि समासेन’ इस वाक्यके द्वारा सिंहसूरि स्वयं अपने ग्रन्थ-निर्माणकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं और वह सर्वनन्दीकी ग्रन्थ-निर्माण-प्रतिज्ञाका अनुवादित रूप नहीं है ? इसी तरह ‘शास्त्रस्य संग्रहस्त्वद’ यह वाक्य भी सर्वनन्दीके वाक्यका अनुवादित रूप नहीं है ? जब सिंहसूरि स्वतन्त्र रूपसे किसी ग्रन्थका निर्माण अथवा संग्रह नहीं कर रहे हैं और न किसी ग्रन्थकी व्याख्या ही कर रहे हैं बल्कि एक प्राचीन ग्रन्थका भाषाके परिवर्तन द्वारा (भाषायाः परिवर्तनेन) अनुवाद मात्र कर रहे हैं तब उनके द्वारा ‘व्याख्यास्यामि समासेन’ जैसा प्रतिज्ञा-वाक्य नहीं बन सकता और न श्लोकसंख्याको साथमें देता हुआ ‘शास्त्रस्य संग्रहस्त्वद’ वाक्य ही बन सकता है । इससे दोनों वाक्य मूलकार सर्वनन्दीके ही वाक्योंके अनुवादितरूप जान पड़ते हैं । सिंहसूरका इस ग्रन्थकी रचनासे केवल इतना ही सम्बन्ध है कि वे भाषाके परिवर्तन-द्वारा इसके रचयिता हैं— त्रिपयके संकलनादिद्वारा नहीं—जैसाकि उन्होंने अन्तके चार पद्योंमेंसे प्रथम पद्यमें सूचित किया है और ऐसा ही उनकी ग्रन्थ-प्रकृतिपरसे जाना जाता है । मालूम होता है प्रेमीजीने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे वैसे ही अपनी किसी धुन अथवा धारणाके पीछे युक्तियोंको तोड़-मरोड़ कर

अपने अनूकूल बनानेके प्रयत्नमें समाधानकरने बैठ गये हैं ।

ऊपरके इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट है कि प्रेमीजीके इस कथन के पीछे कोई युक्तिबल नहीं है कि कुन्दकुन्द यतिवृषभके बाद अथवा सम-सामयिक हुए हैं । उनका जो खास आधार आर्यमंक्षु और नागहस्तिका गुणधराचार्य-के साक्षात् शिष्य होना था वह स्थिर नहीं रह सका—प्रायः उसीको मूलाधार मानकर और नियमसारकी उक्त गाथामें सर्वनन्दीके लोकविभागकी आशा लगाकर वे दूसरे प्रमाणोंको खींच-तान-द्वारा अपने सहायक बनाना चाहते थे, और वह कार्य भी नहीं हो सका । प्रत्युत इसके, ऊपर जो प्रमाण दिये गये हैं उनपरसे यह भले प्रकार फलित होता है कि कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शताब्दी तक तो हो सकता है—उसके बादका नहीं, और इसलिये छठी शताब्दीमें होनेवाले यतिवृषभ उनसे कई शताब्दी बाद हुए हैं ।

(ग) नई विचार-धारा और उसकी जाँच—

अब 'तिलोयपण्णत्ती' के सम्बन्धमें एक नई विचार-धाराको सामने रखकर उसपर विचार एवं जाँचका कार्य किया जाता है । यह विचार-धारा पं० फूलचन्दजी शास्त्रीने अपने 'वर्तमान तिलोयपण्णत्ति और उसके रचना-काल आदिका विचार' नामक लेखमें प्रस्तुत की है, जो जैनसिद्धान्तभास्करके ११वें भागकी पहली किरणमें प्रकाशित हुआ है । शास्त्रीजीके विचारानुसार वर्तमान तिलोयपण्णत्ती विक्रमकी ६वीं शताब्दी अथवा शक सं० ७३८ (वि० सं० ८७३) से पहले की बनी हुई नहीं है और उसके कर्ता भी यतिवृषभ नहीं हैं । अपने इस विचारके समर्थनमें आपने जो प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उनका सार निम्न प्रकार है । इस सारको देनेमें इस बातका खास खयाल रक्खा गया है कि जहां तक भी हो सके शास्त्रीजीका युक्तिवाद अधिकसे अधिक उन्हींके शब्दोंमें रहे:—

(१) 'वर्तमानमें लोकको उत्तर और दक्षिणमें जो सर्वत्र सात राजु मानते हैं उसकी स्थापना घवलाके कर्ता वीरसेन स्वामीने की है—वीरसेनस्वामी-से पहले वैसी मान्यता नहीं थी । वीरसेनस्वामीके समय तक जैन आचार्य उपमालोकसे पाँच द्रव्योंके आधारभूत लोकको भिन्न मानते थे ! जैसा कि

राजवार्तिकके निम्न दो उल्लेखोंसे प्रकट है—

“अधः लोकमूले दिग्विदिक्षु विष्कम्भः सप्तरज्जवः, तिर्यग्लोके रज्जुरेका, ब्रह्मलोके पंच, पुनर्लोकाम्रे रज्जुरेका । मध्यलोकादधो रज्जु-मवगाह्य शर्करान्ते अष्टास्वपि दिग्विदिक्षु विष्कम्भः रज्जुरेका रज्जवाश्च षट् सप्तभागाः ।”
—(अ० १ सू० २० टीका)

“ततोऽसंख्यानं खण्डानपनीयासंख्येयमेकं भागं बुद्ध्या विरलीकृत्य एकैकस्मिन् घनाङ्गुलं दत्वा परस्परेण गुणिता जगच्छ्रेणी सापरया जगच्छ्रेण्या अभ्यस्ता प्रतरलोकः । स एवापरया जगच्छ्रेण्या सवर्गितो घनलोकः ।”
—(अ० ३० सू० ३८ टीका)

इनमेंसे प्रथम उल्लेख परसे लोक आठों दिशाओंमें समान परिमाणको लिये हुए होनेसे गोल हुआ और उसका परिमाण भी उपमालोकके प्रमाणानुसार ३४३ घनराजु नहीं बैठता, जब कि वीरसेनका लोक चौकोर है, वह पूर्व-पश्चिम-दिशामें ही उक्त क्रमसे घटता है दक्षिण-उत्तर-दिशामें नहीं—इन दोनों दिशाओंमें वह सर्वत्र सात राजु बना रहता है । और इसलिये उसका परिमाण उपमालोकके अनुसार ही ३४३ घनराजु बैठता है और वह प्रमाणमें पेश की हुई निम्न दो गाथाओंपरसे, उक्त आकारके साथ भले प्रकार फलित होता हैः—

“मुहतलसमासश्च द्वं वुस्सेधगुणं गुणं च वेधेण ।

घणगणिदं जाणेज्जो वेत्तासणसंठिए खेत्तो ॥१॥

मूलं मज्जेण गुणं मुहजहिदद्धमुस्सेधकदिगुणिदं ।

घणगणिदं जाणेज्जो मुहंगसंठाणखेत्ताम्मि ॥२॥”

—धवला, क्षेत्रानुयोगद्वार पृ० २०)

राजवार्तिकके दूसरे उल्लेखपरसे उपमालोकका परिमाण ३४३ घनराजु तो फलित होता है; क्योंकि जगश्च्रेणीका प्रमाण ७ राजु है और ७का घन ३४३ होता है । यह उपमालोक है परन्तु इस परसे पाँच द्रव्योंके आधारभूत लोकका आकार आठों दिशाओंमें उक्त क्रमसे घटता-बढ़ता हुआ ‘गोल’ फलित नहीं होता ।

“वीरसेनस्वामीके सामने राजवार्तिक आदिमें बतलाये गए आकारके विरुद्ध लोकके आकार को सिद्ध करनेके लिए केवल उपर्युक्त दो गाथाएँ ही थीं। इन्हींके आधारसे वे लोकके आकारको भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहने में समर्थ हुए कि ‘जिन ग्रन्थोंमें लोकका प्रमाण अधोलोकके मूलमें सातराजु, मध्यलोकके पास एक राजु, ब्रह्मस्वर्गके पास पाँच राजु और लोकाग्रमें एक राजु बतलाया है वह वहाँ पूर्व और पश्चिम दिशाकी अपेक्षासे बतलाया है। उत्तर और दक्षिण दिशाकी ओरसे नहीं। इन दोनों दिशाओंकी अपेक्षा तो लोकका प्रमाण सर्वत्र सात राजु है। यद्यपि इसका विधान करणानुयोगके ग्रंथोंमें नहीं है तो भी वहाँ निषेध भी नहीं है अतः लोकको उत्तर और दक्षिणमें सर्वत्र सात राजु मानना चाहिये।

वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें निम्न तीन गाथाएँ भिन्न स्थलोंपर पाई जाती हैं, जो वीरसेनस्वामीके उस मतका अनुसरण करती हैं जिसे उन्होंने ‘मुहत्तल-समास’ इत्यादि गथाओं और युक्तिपरसे स्थिर किया है:—

“जगसेट्ठिघणपमाणो लोयायासो स पंचदव्वरिदी ।

एस अणंताणंतलोयायासस्स बहुमज्जे ॥६१॥

सयलो एस य लाआणिप्पणो सेट्ठिविंदमाणेण ।

तिवियप्पो णादव्वो हेट्ठिममज्झिमउड्ढभेएण ॥१२६॥”

सेट्ठिपमाणायामं भागेसु दक्खिणुत्तरेसु पुढं ।

पुव्वावरेसु वासं भूमिमुहे सत्त एकक पंचेक्का ॥ १४६ ॥”

इन पाँच द्रव्योंसे वास लोकाकाशकी जगश्रेणीके घनप्रमाण बतलाया है। साथ ही, “लोकका प्रमाण दक्षिण-उत्तर दिशामें सर्वत्र जगश्रेणी जितना अर्थात् सात राजु और पूर्व-पश्चिमदिशामें अधोलोकके पास सात राजु, मध्यलोकके पास एक राजु, ब्रह्मलोकके पास पाँच राजु और लोकाग्रमें एक राजु है” ऐसा

† ‘ए च तइयाए गाहाए सह विरोहो, एत्थ वि दोमु दिसामु चउव्विह-
विक्खंभदंसणादो ।’ धवला, क्षेत्रानुयोगद्वार पृ० २१ ।

❧ ‘ए च सत्तरज्जुवाहल्लं करणाणिओगमुत्त-विरुद्धं, तत्थ विट्ठिण्डिसेधा-
भावादो ।’ —धवला, क्षेत्रानुयोगद्वार पृ० २२ ।

सूचित किया है। इसके त्रिवाय, तिलोयपण्णत्तीका पहला महाधिकार सामान्य-लोक, अधोलोक व ऊर्ध्वलोकके विविध प्रकारसे निकाले गए घनफलों † से भरा पड़ा है जिससे वीरसेन स्वामीकी मान्यताकी ही पुष्टि होती है। तिलोयपण्णत्तीका यह अंश यदि वीरसेनस्वामीके सामने मौजूद होता तो 'वे इसका प्रमाणरूपसे उल्लेख नहीं करते यह कभी सम्भव नहीं था।' चूँकि वीरसेनने तिलोयपण्णत्तीकी उक्त गाथाएं अथवा दूसरा अंश धवलामें अपने विचारके अवसरपर प्रमाणरूपसे उपस्थित नहीं किया अतः उनके सामने जो तिलोयपण्णत्ती थी और जिसके अनेक प्रमाण उन्होंने धवलामें उद्धृत किये हैं वह वर्तमान तिलोयपण्णत्ती नहीं थी—इससे भिन्न दूसरी ही तिलोयपण्णत्ती होनी चाहिये, यह निश्चित होता है।

(२) "तिलोयपण्णत्तीमें पहले अधिकारकी ७वीं गाथासे लेकर ८७वीं गाथा तक ८१ गाथाओंमें मंगल आदि छह अधिकारोंका वर्णन है। यह पूराका पूरा वर्णन संतपरुवरणाकी धवलाटीकामें आये हुए वर्णनसे मिलता हुआ है। ये छह अधिकार तिलोयपण्णत्तीमें अन्यत्रसे संग्रह किये गये हैं इस बातका उल्लेख स्वयं तिलोयपण्णत्तीकारने पहले अधिकारकी ८५वीं गाथा * में किया है तथा धवलामें इन छह अधिकारोंका वर्णन करते समय जितनी गाथाएँ या श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्णत्तीसे नहीं, इससे मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकारके सामने धवला अवश्य रही है।"

(दोनों ग्रन्थोंके कुछ समान उद्धरणोंके अनन्तर) "इसी प्रकारके पचासों उद्धरण दिये जा सकते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि एक ग्रन्थ लिखते समय दूसरा ग्रन्थ अवश्य सामने रहा है। यहाँ पष्ठक एक विशेषता और देखेंगे कि धवलामें जो गाथा या श्लोक अन्यत्रसे उद्धृत हैं तिलोयपण्णत्तिमें वे भी मूलमें शामिल कर लिये गए हैं। इससे तो यही ज्ञात होता है कि तिलोयपण्णत्ति लिखते समय लेखकके सामने धवला अवश्य रही है।"

(३) "ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः" इत्यादि श्लोक इन(भट्टाकलंकदेव) की

† देखो, तिलोयपण्णत्तिके पहले अधिकारकी गाथाएँ २१५ से २५१ तक।

* "मंगलपट्टदिच्छक्कं ववखाणिय विविहगंयुत्तीहि।"

मौलिक कृति है जो लघीयस्त्रयके छठे अध्यायमें आया है। तिलोयपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा। लघीयस्त्रयमें जहाँ यह श्लोक आया है वहाँसे इसके अलग कर देने पर प्रकरण ही अधूरा रह जाता है। पर तिलोयपण्णत्तिमें इसके परिवर्तित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वहाँसे उसे अलग भी कर दिया जाय तो भी प्रकरणकी एकरूपता बनी रहती है। वीरसेनस्वामीने धवलामें उक्त श्लोकको उद्धृत किया है। तिलोयपण्णत्तिको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकारने इसे लघीयस्त्रयसे न लेकर धवलासे ही लिया है; क्योंकि धवलामें इसके साथ जो एक दूसरा श्लोक उद्धृत है उसे भी उसी क्रमसे तिलोयपण्णत्तिकारने अपना लिया है। इससे भी यही प्रतीत होता है कि तिलोयपण्णत्तिकी रचना धवलाके बाद हुई है।”

(४) “धवला द्रव्यप्रमाणानुयोगद्वारके पृष्ठ ३६ में तिलोयपण्णत्तिका एक गाथांश उद्धृत किया है जो निम्न प्रकार है—

‘दुगुणदुगुणो दुवग्गो णिरंतरा तिरियल्लोगो’ त्ति ।

वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें इसकी पर्याप्त खोज की, किन्तु उसमें यह नहीं मिला। हाँ, इस प्रकारकी एक गाथा स्पर्शानुयोगमें वीरसेनस्वामीने अवश्य उद्धृत की है, जो इस प्रकार है—

‘चंदाइच्चगहेहिं चेवं एकलत्तताररूवेहिं ।

दुगुण दुगुणेहि णिरंतरेहि दुवग्गो तिरियल्लोगो ॥’

किन्तु वहाँ यह नहीं बतलाया कि कहाँकी है। मालूम पड़ता है कि इसीका उक्त गाथांश परिवर्तित रूप है। यदि यह अनुमान ठीक है तो कहना होगा कि तिलोयपण्णत्तिमें पूरी गाथा इस प्रकार रही होगी। जो कुछ भी हो, पर इतना सच है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्ति उससे भिन्न है।”

(५) “तिलोयपण्णत्तिमें यत्र तत्र गद्य भाग भी पाया जाता है। इसका बहुत कुछ अंश धवलामें आये हुए इस विषयके पद्य भागसे मिलता हुआ है। अतः यह शंका होना स्वाभाविक है कि इस गद्य भागका पूर्ववर्ती लेखक कौन रहा होगा। इस शंकाके दूर करनेके लिये हम एक ऐसा गद्यांश उपस्थित करते हैं जिससे इसका निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिलती है। वह इस प्रकार है:—

‘एसा तप्पाओगासंखेज्जरूवाहियजंबूदीवछेदणयसहिददीवसायर-
रूपमेत्तरज्जुच्छेदपमाणपरिक्खाविही ण अण्णाडरिओवएसपरंपराणु-
सारिणी केवलं तु तिलोयपण्णत्तिमुत्ताणुमारिजोदिसियदेवभागहारपदु-
प्पाइदसुत्तावलंबिजुत्तिवलेण पयदगच्छसाहणट्टमम्हेहि परूविदा ।’

यह गद्यांश धवला स्पशानुयोगद्वारा पृ० १५७ का है । तिलोयपण्णत्तिमें यह उसी प्रकार पाया जाता है । अन्तर केवल इतना है कि वहाँ ‘अम्हेहि’के स्थानमें ‘एसा परूवणा’ पाठ है । पर विचार करनेसे यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है; क्योंकि ‘एसा’ पद गद्यके प्रारम्भमें ही आया है अतः पुनः उसी पदके देनेकी आवश्यकता नहीं रहती । ‘परिक्खाविही’ यह पद विशेष्य है; अतः ‘परूवणा’ पद भी निष्फल हो जाता है ।

“(गद्यांशका भाव देनेके अनन्तर) इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त गद्यभागमें एक राजुके जितने अर्धछेद बतलाये हैं वे तिलोयपण्णत्तिमें नहीं बतलाये गये हैं किन्तु तिलोयपण्णत्तिमें जो ज्योतिषी देवोंके भागहारका कथन करनेवाला सूत्र है उसके बलसे सिद्ध किये गए हैं । अब यदि यह गद्यभाग तिलोयपण्णत्तिका होता तो उसीमें ‘तिलोयपण्णत्तिमुत्ताणुसारि’ पद देनेकी और उसीके किसी एक सूत्रके बलपर राजुकी चालू मान्यतासे संख्यात अधिक अर्धछेद सिद्ध करनेकी क्या आवश्यकता थी । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि यह गद्य-भाग धवलासे तिलोयपण्णत्तिमें लिया गया है । नहीं तो वीरसेन स्वामी जोर देकर ‘हमने यह परीक्षाविधि कही है’ यह न कहते । कोई भी मनुष्य अपनी युक्तिको ही अपनी कहता है । उक्त गद्यभागमें आया हुआ ‘अम्हेहि’ पद साफ बतला रहा है कि यह युक्ति वीरसेनस्वामीकी है । इस प्रकार इस गद्यभागसे भी यही सिद्ध होता है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिकी रचना धवलाके अनन्तर हुई है ।”

इन पाँचों प्रमाणोंको देकर शास्त्रीजीने बतलाया है कि ‘धवलाकी समाप्ति चूँकि शक संवत् ७३८ में हुई थी इसलिये वर्तमान तिलोयपण्णत्ति उससे पहलेकी बनी हुई नहीं है और चूँकि त्रिलोकसार इसी तिलोयपण्णत्तिकी आधारपर बना हुआ है और उसके रचयिता नेमिचन्द्र सि० चक्रवर्ती शक संवत् ६०० के

लगभग हुए हैं इसलिये यह ग्रन्थ शक सं० ६०० के बादका बना हुआ नहीं है, फलतः इस तिलोयपण्णत्तिकी रचना शक सं० ७३८ से लेकर ६०० के मध्यमें हुई है। अतः इसके कर्ता यतिवृषभ किसी भी हालतमें नहीं हो सकते।” इसके रचयिता सम्भवतः वीरसेनके शिष्य जिनसेन हैं—वे ही होने चाहियें; क्योंकि एक तो वीरसेन स्वामीके साहित्य-कार्यसे वे अच्छी तरह परिचित थे। तथा उनके शेष कार्यको इन्होंने पूरा भी किया है। सम्भव है उन शेष कार्यमें उस समयकी आवश्यकतानुसार तिलोयपण्णत्तिका संकलन भी एक कार्य हो। दूसरे वीरसेनस्वामीने प्राचीन साहित्यके संकलन, संशोधन और सम्पादनकी जो दिशा निश्चित की थी वर्तमान तिलोयपण्णत्तिका संकलन भी उसीके अनुसार हुआ है। तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन ही थे। इसके सिवाय ‘जय-धवलाके जिस भागके लेखक आचार्य जिनसेन हैं उसकी एक गाथा (‘पणमह जिणवरवमहं’ नामकी) कुछ परिवर्तनके साथ तिलोयपण्णत्तिके अन्तमें पाई जाती है, और इससे तथा उक्त गद्यमें ‘अम्हेहि’ पदके न होनेके कारण वीरसेन स्वामी वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके कर्ता मालूम नहीं होते। उनके सामने जो तिलोयपण्णत्ति थी वह सम्भवतः यतिवृषभाचार्यकी रही होगी।” वर्तमान तिलोय-पण्णत्तिके अन्तमें पाई जाने वाली उक्त गाथा (‘पणमह जिणवरवमहं’) में जो मौलिक परिवर्तन दिखाई देना है वह कुछ अर्थ अवश्य रखता है और उसपरसे, सुझाए हुए ‘अरिस वसहं’ पाठके अनुसार, यह अनुमानित होता एवं सूचना मिलती है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्तिके पहले एक दूसरी तिलोयपण्णत्ति आर्ष-ग्रन्थके रूपमें थी, जिसके कर्ता यतिवृषभ स्थविर थे और उसे देखकर इस तिलोयपण्णत्तिकी रचना की गई है।’

शास्त्रीजीके उक्त प्रमाणों तथा निष्कर्षोंके सम्बन्धमें अबमें अपनी विचरणा एवं जाँच प्रस्तुत करता हूँ और उसमें शास्त्रीजीके प्रमाणोंको क्रम से लेता हूँ—

(१) प्रथम प्रमाणोंको प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कहा है उसपरसे इतना ही फलित होता है कि ‘वर्तमान तिलोयपण्णत्ति वीरसेन स्वामीके बादकी बनी हुई है और उस तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न है जो वीरसेन स्वामाके सामने मौजूद थी; क्योंकि इसमें लोकके उत्तरद-क्षिणमें सर्वत्र सात राज्ञकी उस मान्यताको अपनाया गया है और उसीका अनुसरण करते हुए

घनफलोंको निकाला गया है जिसके संस्थापक वीरसेन हैं। और वीरसेन इस मान्यताके संस्थापक इसलिये हैं कि उनसे पहले इस मान्यताका कोई अस्तित्व नहीं था, उनके समय तक सभी जैनाचार्य ३४३ घनराजुवाले उपमालोक ('परिमाणलोक') से पाँच द्रव्योंके आधारभूतलोकको भिन्न मानते थे। यदि वर्तमान तिलोयपण्णत्ति वीरसेनके सामने मौजूद होती अथवा जो तिलोयपण्णत्ति वीरसेनके सामने मौजूद थी उसमें उक्त मान्यताका कोई उल्लेख अथवा संसूचन होता तो यह असंभव था कि वीरसेनस्वामी उसका प्रमाण-रूपसे उल्लेख न करते। उल्लेख न करनेसे ही दोनोंका अभाव जाना जाता है।'

अब देखना यह है कि क्या वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्यताके संस्थापक हैं और उन्होंने कहीं अपनेको उसका संस्थापक या आविष्कारक प्रकट किया है। जिस धवला टीकाका शास्त्रीजीने उल्लेख किया है उसके उस स्थलको देख

जानेसे वैसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। वहाँ वीरसेनने, क्षेत्रानुगम अनुयोगद्वारके 'ओषेण मिच्छादिट्ठी केवडि खेतो, सव्वलोगे' इस द्वितीयसूत्रमें स्थित 'लोगे' पदकी व्याख्या करते हुए बतलाया है कि यहाँ 'लोक'से सात राजु घनरूप (३४३ घनराजु प्रमाण) लोक ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि यहाँ क्षेत्र प्रमाणाधिकारमें पत्थ, सागर, सूच्यंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगश्रेणी, लोक-प्रतर और लोक ऐसे आठ प्रमाण क्रमसे माने गए हैं। इससे यहाँ प्रमाण-लोकका ही ग्रहण है—जो कि सात राजुप्रमाण जगश्रेणीका घनरूप होता है। इसपर किसीने शंका की कि 'यदि ऐसा लोक ग्रहण किया जाता है तो फिर पाँच द्रव्योंके आधारभूत आकाशका ग्रहण नहीं बनता; क्योंकि उसमें सात राजु के घनरूप क्षेत्रका अभाव है। यदि उसका क्षेत्र भी सातराजुके घनरूप माना जाता है तो 'हेट्ठा मज्जे उवरि', 'लोगों अकिट्ठमो खलु' और 'लोयस्स विक्खंभो चउप्पयारो' ये तीन सूत्र-गाथाएँ अप्रमाणाताको प्राप्त होती हैं। इस शंकाका परिहार (समाधान) करते हुए वीरसेनस्वामीने पुनः बतलाया है कि यहाँ 'लोगे' पदमें पंचद्रव्योंके आधाररूप आकाशका ही ग्रहण है, अन्य का नहीं। क्योंकि 'लोगपूरणगदो केवली केवडि खेतो, सव्वलोगे' (लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त केवली कितने क्षेत्रमें रहता है? सर्वलोकमें रहता है) ऐसा सूत्रवचन पाया जाता है। यदि लोक सात राजु के घनप्रमाण नहीं है तो यह

कहना चाहिये कि लोकपूरण समुद्धातको प्राप्त हुआ केवली लोकके संख्यातवें भागमें रहता है। और शंकाकार जिनका अनुयायी है उन दूसरे आचार्योंके द्वारा प्ररूपित मृदंगाकार लोकके प्रमाणकी दृष्टिसे लोकपूरणसमुद्धात-गत केवलीका लोकके संख्यातव भाग में रहना असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि गणना करनेपर मृदंगाकार लोकका प्रमाण घनलोकके संख्यातवें भाग ही उपलब्ध होता है।

इसके अनन्तर गणित द्वारा घनलोकके संख्यातवें भागको सिद्ध घोषित करके, वीरसेनस्वामीने इतना और बतलाया है कि 'इस पंचद्रव्योंके आधाररूप आकाशसे अतिरिक्त दूसरा सात राजु घनप्रमाण लोकसंज्ञक कोई क्षेत्र नहीं है, जिससे प्रमाणलोक (उपमालोक) छह द्रव्योंके समुदायरूप लोकसे भिन्न होवे। और न लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनोंमें स्थित सातराजु घनमात्र आकाश-प्रदेशोंकी प्रमाणरूपसे स्वीकृत 'घनलोक' संज्ञा है। ऐसी संज्ञा स्वीकार करनेपर लोकसंज्ञाके यादृच्छिकपनेका प्रसंग आता है और तब संपूर्ण आकाश, जगध्रंणी, जगप्रतर और घनलोक जैसी संज्ञाओंके यादृच्छिकपनेका प्रसंग उपस्थित होगा (और इससे सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायगी)। इसके सिवाय, प्रमाणलोक और षट्द्रव्योंके समुदायरूप लोकको भिन्न माननेपर प्रतर-गत केवलीके क्षेत्रका निरूपण करते हुए यह जो कहा गया है कि 'वह केवली लोकके असंख्यातवें भागसे न्यून सर्वलोकमें रहता है और लोकके असंख्यातवें भागसे न्यून सर्वलोकका प्रमाण ऊर्ध्वलोकके कुछ कम तीसरे भागसे अधिक दो ऊर्ध्वलोक प्रमाण है *' वह नहीं बनता। और इसलिये दोनों लोकोंकी एकता सिद्ध होती है। अतः प्रमाणलोक (उपमालोक) आकाश प्रदेशोंकी गणनाकी अपेक्षा छह द्रव्योंके समुदायरूप लोकके समान है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

इसके बाद यह शंका होने पर कि 'किस प्रकार पिण्ड(घन) रूप किया गया लोक सात राजुके घनप्रमाण होता है ? वीरसेनस्वामीने उत्तरमें बतलाया

* 'पदरगदो केवली केवडि खेत्ते, लोगे असंखेज्जदिभाणूणे । उड्ढलोगेण दुवे उड्ढलोगा उड्ढलोगस्स तिभागेण देसूणेण सादिरंगा ।'

है कि 'लोक संपूर्ण आकाशके मध्यभागमें स्थित है', चौदह राजु आयामवाला है दोनों दिशाओंके अर्थात् पूर्व और पश्चिम दिशाके मूल, अर्धभाग, त्रिचतुर्भाग और चरम भागमें क्रमसे सात, एक, पांच और एक राजु विस्तारवाला है, तथा सर्वत्र सात राजु मोटा है, वृद्धि और हानिके द्वारा उसके दोनों प्रान्त-भाग स्थित हैं, चौदह राजु लम्बी एकराजुके वर्गप्रमाण मुखवाली लोकनाली उसके गर्भमें है, ऐसा यह पिण्डरूप किया गया लोक सात राजुके घन प्रमाण अर्थात् $7 \times 7 \times 7 = 343$ राजु होता है। यदि लोकको ऐसा नहीं माना जाता है तो प्रतर-समुद्रघातगत केवलीके क्षेत्रके साधनार्थ जो 'मुहत्तलसमासग्रद्ध' और 'मूलं मज्जेण गुणं' नामकी दो गाथाएँ कही गई हैं वे निरर्थक हो जायेंगी; क्योंकि उनमें कहा गया घनफल लोकको अन्य प्रकारसे माननेपर संभव नहीं है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि 'इस (उपयुक्त आकारवाले) लोकका शंकाकारके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम गाथा ('हेट्ठा मज्जे उव्वरि वेत्तासनभल्लरीमुङ्गणिभो') के साथ विरोध नहीं है; क्योंकि एक दिशामें लोक वेत्तासन और मुदंगके आकार दिखाई देता है, और ऐसा नहीं कि उसमें भल्लरीका आकार न हो; क्योंकि मध्यलोक में स्वयंभूरमण समुद्रसे परिक्षिप्त तथा चारों ओरसे असंख्यात योजन विस्तारवाला और एक लाख योजन मोटाई वाला यह मध्यवर्ती देश चन्द्रमण्डलकी तरह भल्लरीके ससान दिखाई देता है। और दृष्टान्त सर्वथा दार्ष्टान्तिके समान होता भी नहीं, अन्यथा दोनोंके ही अभावका प्रसंग आजायगा। ऐसा भी नहीं कि (द्वितीय सूत्र-गाथामें बतलाया हुआ) तालवृक्षके समान आकार इसमें असंभव हो, क्योंकि एक दिशा से देखने पर तालवृक्षके समान आकार दिखाई देता है। और तीसरी गाथा ('लोयस्स विवखंभो चउप्पयारो') के साथ भी विरोध नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओंमें गाथोक्त चारों ही प्रकारके विष्कम्भ दिखाई देते हैं। सात राजुकी मोटाई करणानुयोग सूत्रके विरुद्ध नहीं हैं; क्योंकि उक्त सूत्रमें उसकी यदि विधि नहीं है तो प्रतिषेध भी नहीं है —विधि और प्रतिषेध दोनोंका अभाव है। और इसलिये लोकको उपयुक्त प्रकारका ही ग्रहण करना चाहिये।'

यह सब ध्वलाका वह कथन है जो शास्त्रीजीके प्रथम प्रमाणका मूल

आधार है और जिसमें राजवार्तिकका कोई उल्लेख भी नहीं है। इसमें कहीं भी न तो यह निर्दिष्ट है और न इसपरसे फलित ही होता है कि वीरसेनस्वामी लोकके उत्तर-दक्षिणमें सर्वत्र सात राज्जु मोटाईवाली मान्यताके संस्थापक हैं—उनसे पहले दूसरा कोई भी आचार्य इस मान्यताको माननेवाला नहीं था अथवा नहीं हुआ है। प्रत्युत इसके यह साफ़ जाना जाता है कि वीरसेनने कुछ लोगोंकी गलतीका समाधानमात्र किया है—स्वयं कोई नई स्थापना नहीं की। इसी तरह यह भी फलित नहीं होता कि वीरसेनके सामने ‘मुहतलसमासश्रद्ध’ और ‘मूलं मञ्ज्केण गुणं’ नामकी दो गाथाओंके सिवायदूसरा कोई भी प्रमाण उक्त मान्यताको स्पष्ट करनेके लिए नहीं था। क्योंकि प्रकरणको देखते हुए ‘अण्णाइरियपरू-विदमुदिगायारलोगस्स’पदमें प्रयुक्त हुए ‘अण्णाइरिय’(अन्याचार्य)शब्दसे उन दूसरे आचार्योंका ही ग्रहण किया जा सकता है जिनके मतका शंकाकार अनुयायी था अथवा जिनके उपदेशको पाकर शंकाकार उक्त शंका करनेके लिये प्रस्तुत हुआ था, न कि उन आचार्योंका जिनके अनुयायी स्वयं वीरसेन थे और जिनके अनुसार कथन करनेकी अपनी प्रवृत्तिका वीरसेनने जगह जगह उल्लेख किया है। इस क्षेत्रानुगम अनुयोगद्वारके मंगलाचरणमें भी वे ‘खेत्तमुत्तं जहोवएसं पयासेमो’ इस वाक्यके द्वारा यथोपदेश (पूर्वाचार्योंके उपदेशानुसार) क्षेत्रसूत्रको प्रकाशित करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दूसरे, जिन दो गाथाओंको वीरसेनने उपस्थित किया है उनसे जब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होती है तब वीरसेनको उक्त मान्यताका संस्थापक कैसे कहा जा सकता है?—वह तो उक्त गाथाओंसे भी पहलेकी स्पष्ट जानी जाती है। और इससे तिलोपपण्णत्तीको वीरसेनसे बादकी बनी हुई कहनेमें जो प्रधान कारण था वह स्थिर नहीं रहता। तीसरे, वीरसेनने ‘मुहतलसमास-श्रद्ध’ आदि उक्त दोनों गाथाएँ शंकाकरको लक्ष्य करके ही प्रस्तुत की हैं और वे सम्भवतः उसी ग्रन्थ अथवा शंकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थकी जान पड़ती है जिसपरसे तीन सूत्रगाथाएँ शंकाकारने उपस्थित की थीं; इसीसे वीरसेनने उन्हें लोकका दूसरा आकार मानने पर निरर्थक बतलाया है। और इस तरह शंकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थके वाक्यों परसे ही उसे निरुत्तर कर दिया है। और अन्तमें जब उसने ‘करणानुयोगसूत्र’ के विरोधकी कुछ बात उठाई है अर्थात् ऐसा संकेत किया है कि उस ग्रंथमें सात राज्जुकी मोटाईकी कोई स्पष्ट विधि नहीं है

तो वीरसेनने साफ उत्तर दे दिया है कि वहाँ उसकी विधि नहीं तो निषेध भी नहीं है—विधि और निषेध दोनोंके अभावसे विरोधके लिये कोई अवकाश नहीं रहता। इस विवक्षित ‘करणानुयोगसूत्र’का अर्थ करणानुयोग-विषयके समस्त ग्रन्थ तथा प्रकरण समझ लेना युक्तियुक्त नहीं है। वह ‘लोकानुयोग’की तरह, जिसका उल्लेख सर्वार्थसिद्धि और लोकविभागमें भी पाया जाता है ❁, एक जुदा ही ग्रन्थ होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें वीरसेनके सामने लोकके स्वरूप सम्बन्धमें अपने मान्य ग्रन्थोंके अनेक प्रमाण मौजूद होते हुए भी उन्हें उपस्थित (पेश) करनेकी जरूरत नहीं थी और न किसीके लिये यह लाजिमी है कि जितने प्रमाण उसके पास हों वह उन सबको ही उपस्थित करे—वह जिन्हें प्रसंगानुसार उपयुक्त और जरूरी समझता है उन्हींको उपस्थित करता है और एक ही आशयके यदि अनेक प्रमाण हों तो उनमेंसे चाहे जिसको अथवा अधिक प्राचीनको उपस्थित कर देना काफी होता है। उदाहरणके लिये ‘मुह्तलसमासग्रन्थ’ नामकी गाथासे मिलती जुलती और उसी आशयकी एक गाथा तिलोयपण्णत्तीमें निम्न प्रकार पाई जाती है—

मुहभूमिसमासद्विय गुणिदं तु'गेन तह य वेधेण ।

घणगणिदं णादव्वं वेत्तासण-सण्णण खेत्ते ॥१६५॥

इस गाथाको उपस्थित न करके यदि वीरसेनने ‘मुह्तलसमासग्रन्थ’ नामकी उक्त गाथाको उपस्थित किया जो शंकाकारके मान्य सूत्रग्रन्थकी थी तो उन्होंने वह प्रसंगानुसार उचित ही किया, और उसपरसे यह नहीं कहा जा सकता कि वीरसेनके सामने तिलोयपण्णत्तिकी यह गाथा नहीं थी, होती तो उसे जरूर पेश करते। क्योंकि शंकाकार मूलसूत्रोंके व्याख्यानादि-रूपमें स्वतंत्ररूपसे प्रस्तुत किये गए तिलोयपण्णत्ती-जैसे ग्रन्थोंको माननेवाला मालूम नहीं होता—माननेवाला होता तो वैसी शंका ही न करता—, वह तो कुछ प्राचीन मूलसूत्रोंका पक्षगती जान पड़ता है और उन्हींपरसे सब कुछ फलित करना चाहता है। उसे वीरसेनने मूलसूत्रोंकी कुछ दृष्टि बतलाई है और उसके द्वारा पेश की हुई सूत्रगाथाओंकी

❁ “इतरो विशेषो लोकानुयोगतः वेदितव्यः” (३-२) —सर्वार्थसिद्धि

“बिन्दुमात्रमिदं शेषं ग्राह्यं लोकानुयोगतः” (७-६८) —लोकविभाग

अपने कथनके साथ संगति बिठलाई है। और इस लिये अपने द्वारा सविशेषरूप-से मान्य ग्रन्थोंके प्रमाणोंको उपस्थित करनेका वहाँ प्रसंग ही नहीं था। उनके आधारपर तो वे अपना सारा विवेचन अथवा व्याख्यान लिख ही रहे हैं।

अब मैं तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न दो ऐसे प्राचीन प्रमाणोंको भी पेश कर देना चाहता हूँ जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरसेनकी ध्वला कृतिसे पूर्व (अथवा शक सं० ७३८ से पहले) छह द्रव्योंका आधारभूत लोक, जो अधः ऊर्ध्व तथा मध्यभागमें क्रमशः वेत्रासन, मृदंग तथा भल्लरीके सदृश आकृतिको लिये हुए है अथवा डेढ़ मृदंग-जैसे आकारवाला है उसे चौकोर (चतुरस्रक) माना है। उसके मूल, मध्य, ब्रह्मान्त और लोकान्तमें जो क्रमशः सात, एक, पाँच, तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया है वह पूर्व और पश्चिम दिशाकी अपेक्षासे है, दक्षिण तथा उत्तर दिशाकी अपेक्षासे सर्वत्र सात राजुका प्रमाण माना गया है और इसी लोकको सात राजुके घनप्रमाण निर्दिष्ट किया है:—

(अ) कालः पञ्चास्तिकायाश्च स प्रपञ्चा इहाऽखिलाः ।

लोकयन्ते येन तेनाऽयं लोक इत्यभिलप्यते ॥ ४-५ ॥

वेत्रासन-मृदंगोरु-भल्लरी-सदृशाऽऽकृतिः ।

अधश्चोर्ध्वं च त्रियकं च यथायोगमिति त्रिधा ॥ ४-६ ॥

मूर्जार्धमधोभागे तस्योर्ध्वं मुरजा यथा ।

आकारस्तस्य लोकस्य किन्त्वेष चतुरस्रकः ॥ ४-७ ॥

ये हरिवंशपुराणके वाक्य हैं, जो शक सं० ७०५ (वि० सं० ८४०) में बनकर समाप्त हुआ है। इसमें उक्त आकृतिवाले छह द्रव्योंके आधारभूत लोकको चौकोर (चतुरस्रक) बतलाया है—गोल नहीं, जिसे लम्बा चौकोर समझना चाहिये।

(आ) सत्तेःकुपंचइक्का मूले मज्जे तहेव बंभते ।

लायन्ते रज्जूओ पुण्वावरदो य वित्थारो ॥ ११८ ॥

दक्खिण-उत्तरदो पुण सत्त वि रज्जू हवेदि सन्वत्थ ।

उठ्ठा चउदस रज्जू सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११९ ॥

ये स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथाएँ हैं, जो एक बहुत प्राचीन ग्रन्थ है और वीरसेनसे कई शताब्दी पहलेका बना हुआ है। इनमें लोकके पूर्व-पश्चिम और

उत्तर-दक्षिणके राजुओंका उक्त प्रमाण बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें दिया हुआ है और लोकको चौदह राजु ऊँचा तथा सात राजुके घनरूप (३४३ राजु) भी बतलाया है ।

इन प्रमाणोंके सिवाय, जंबूद्वीपप्रज्ञप्तिमें दो गाथाएं निम्न प्रकारसे पाई जाती हैं—

पच्छिम-पुन्वदिसाए विकखंभो होइ तस्स लोगस्स ।

सत्तेग-पंच-एया मूलादो होंति रज्जुणि ॥ ४-१६ ॥

दक्खिण-उत्तरतो पुण विकखंभो होइ सत्ता रज्जुणि ।

चदुमु वि दिसासु भागे चउदसरज्जुणि उत्तुंगां ॥ ४-१७ ॥

इनमें लोककी पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण चौड़ाई-मोटाई तथा ऊँचाई-का परिमाण स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथाओंके अनुरूप ही दिया है । जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्ति एक प्राचीन ग्रंथ है और उन पद्मनन्दी आचार्यकी कृति है जो बल-नन्दिके शिष्य तथा वीरनन्दीके प्रशिष्य थे और आगमोपदेशक महासत्व श्रीविजय भी जिनके गुरु थे । श्रीविजयगुरुसे सुपरिशुद्ध आगमको सुनकर तथा जिनवचन-विनिर्गन अमृतभूत अर्थपदको धारण करके उन्हींके माहात्म्य अथवा प्रसादसे उन्होंने यह ग्रंथ उन श्रीनन्दी मुनिके निमित्त रचा है जो माघनन्दी मुनीके शिष्य अथवा प्रशिष्य (सकलचन्द्र † शिष्यके शिष्य) थे ऐसा ग्रन्थकी प्रशस्तिपरसे जाना जाता है । बहुत सम्भव है कि ये श्रीविजय वे ही हों जिनका दूसरा नाम 'अपराजितसूरि' था, जिन्होंने श्रीनन्दी गणिकी प्रेरणाको पाकर भगवती-आराधनापर 'विजयोदया' नामकी टीका लिखी है और जो बल्देवसूरिके शिष्य तथा चन्द्रनन्दीके प्रशिष्य थे । और यह भी सम्भव है कि उनके प्रगुरु चन्द्रनन्दी वे ही हों जिनकी एक शिष्यपरम्पराका उल्लेख श्रीपुरुषके दानपत्र अथवा 'नाग-मंगल' ताम्रपत्रमें पाया जाता है, जो श्रीपुरके जिनालयके लिये शक सं० ६९८ (वि० सं० ८३३) में लिखा गया है और जिसमें चन्द्रनन्दीके एक शिष्य कुमार-

† सकलचन्द्र-शिष्यके नामोल्लेखवाली गाथा आमेरकी वि० सं० १५१८ की प्राचीन प्रतिमें नहीं है, बादकी कुछ प्रतिशोंमें है; इसीसे श्रीनन्दीके माघनन्दीके प्रशिष्य होनेकी कल्पना की गई है ।

नन्दीके शिष्य कीर्तिनन्दीके और कीर्तिनन्दीके शिष्य विमलचन्द्रका उल्लेख है। और इससे चन्द्रनन्दीका समय शक० संवत् ६३८ से कुछ पहलेका ही जान पड़ता है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो श्रोविजयका समय शक संवत् ६५८ के लगभग प्रारम्भ होता है और तब जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिका समय शक सं० ६७० अर्थात् वि० सं० ८०५ के आस-पासका होना चाहिए। ऐसी स्थितिमें जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति-की रचना भी धवलासे पहलेकी—कोई ६८ वर्ष पूर्वकी—ठहरती है।

ऐसी हालतमें शास्त्रीजीका यह लिखना कि “वीरसेनस्वामीके सामने राज-वार्तिक आदिमें बतलाए गये आकारके विरुद्ध लोकके आकारको सिद्ध करनेके लिये केवल उपर्युक्त दो गाथाएँ ही थीं। इन्हींके आधारपर वे लोकके आकार-को भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके तथा यह भी कहनेमें समर्थ हुए..... इत्यादि” न्यायसंगत मालूम नहीं होता। और न इस आधारपर तिलोयपण्णत्ति-को वीरसेनसे बादकी बनी हुई अथवा उनके मतका अनुसरण करने वाली बत-लाना ही न्यायसंसंगत अथवा युक्ति-युक्त कहा जा सकता है। वीरसेनके सामने तो उस विषयके न मालूम कितने ग्रंथ थे जिनके आधारपर उन्होंने अपने व्याख्या-नादिकी उसी तरह सृष्टि की है जिस तरह कि अकलंक और विद्यानन्दादिने अपने राजवार्तिक, श्लोकवार्तिकादि ग्रंथोंमें अनेक विषयोंका वर्णन और विवेचन बहुतसे ग्रंथोंके नामलेखके बिना भी किया है।

(२) द्वितीय प्रमाणको उपस्थित करते हुए शास्त्रीजीने यह बतलाया है कि ‘तिलोयपण्णत्तिके प्रथम अधिकारकी ७वीं गाथासे लेकर ८७ वीं गाथा तक ८१ गाथाओंमें मंगलादि छह अधिकारोंका जो वर्णन है वह पूराका पूरा वर्णन संतपरवराणाकी धवला टीकामें आए हुए वर्णनसे मिलता-जुलता है।’ और साथ ही इस सादृश्य परसे यह भी फलित करके बतलाया है कि “एक ग्रंथ लिखते समय दूसरा ग्रंथ अवश्य सामने रहा है।” परन्तु धवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ति नहीं रही, धवला में उन छह अधिकारोंका वर्णन करते हुए जो गाथाएँ या श्लोक उद्धृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपण्णत्तिसे नहीं, इतना ही नहीं बल्कि धवलामें जो गाथाएँ या श्लोक अन्यत्रसे उद्धृत हैं उन्हें भी तिलोयपण्णत्तिके मूलमें शामिल कर लिया है। इस सबके सिद्ध करनेके लिये कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं किया गया।

जान पड़ता है पहले भ्रान्त प्रमाण परसे बनी हुई गलत धारणाके आधारपर ही यह सब कुछ बिना हेतुके ही कह दिया गया है !! अन्यथा शास्त्रीजी कमसे कम एक प्रमाण तो ऐसा उपस्थित करते जिससे यह जाना जाता कि धवलाका अमुक उद्धरण अमुक ग्रन्थके नामोल्लेख-पूर्वक अन्यत्रसे उद्धृत किया गया है और उसे तिलोपपण्णत्तिका अंग बना लिया गया है। ऐसे किसी प्रमाणके अभावमें प्रस्तुत प्रमाण परसे अभीष्टकी कोई सिद्धि नहीं हो सकती और इसलिये वह निरर्थक ठहरता है। क्योंकि वाक्योंकी शाब्दिक या आर्थिक समानता परसे तो यह भी कहा जा सकता है कि धवलाकारके सामने तिलोपपण्णत्ति रही है, बल्कि ऐसा कहना, तिलोपपण्णत्तिके व्यवस्थित मौलिक कथन और धवलाकारके कथनकी व्याख्या-शैलीको देखते हुए, अधिक उपयुक्त जान पड़ता है।

रही यह बात कि तिलोपपण्णत्तिकी ८५वीं गाथामें विविध-ग्रन्थ-युक्तियोंके द्वारा मंगलादिक छह अधिकारोंके व्याख्यानका उल्लेख है † तो उससे यह कहाँ फलित होता है कि उन विविध ग्रन्थोंमें धवला भी शामिल हैं अथवा धवलापरसे ही इन अधिकारोंका संग्रह किया गया है ?—खासकर ऐसी हालतमें जबकि धवलाकार स्वयं 'मंगलणिमित्तहेऊ' नामकी एक भिन्न गाथाको कहींसे उद्धृत करके यह बतला रहे हैं कि 'इस गाथामें मंगलादिक छह बातोंका व्याख्यान करनेके पश्चात् आचार्यके लिये शास्त्रका (मूलग्रन्थका) व्याख्यान करनेकी जो बात कही गई है वह आचार्य-परम्परासे चला आया न्याय है, उसे हृदयमें धारण करके और पूर्वाचार्योंके आचार (व्यवहार)का अनुसरण करना रत्नत्रयका हेतु है ऐसा समझकर, पुष्पदन्त आचार्य मंगलादिक छह अधिकारोंका सकारण प्ररूपण करनेके लिये मंगलसूत्र कहते हैं *। क्योंकि इससे स्पष्ट है कि मंगलादिक छह अधिकारोंके कथनकी परिपाटी बहुत प्राचीन है--उनके

† "मंगलपहुदिछक्कं वक्खाणि य विविहगंथजुत्तीहि ।"

* 'इदि णायमाइरिय-परम्परागयं मणोणावहरिय पुव्वाइरियायाराणु-सरण-तिरयण-हेउ त्ति पुप्फदंताइरियो मंगलादीणं छणं सकारणाणं परूवणादु सुत्तामाह ।'

विधानादिका श्रेय धवलाको प्राप्त नहीं है। और इसलिये तिलोयपण्णत्तिकारने यदि इस त्रिषयमें पुरातन आचार्योंकी कृतियों का अनुसरण किया है तो वह न्याय ही है; परन्तु उतने मात्रसे उसे धवलाका अनुसरण नहीं कहा जा सकता, धवलाका अनुसरण कहनेके लिये पहले यह सिद्ध करना होगा कि धवला तिलोयपण्णत्तिसे पूर्वकी कृति है, और यह सिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके, यह स्वयं धवलाके उल्लेखोंसे ही सिद्ध है कि धवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ति थी, जिसके विषयमें दूसरी तिलोयपण्णत्ति होनेकी तो कल्पना की जाती है परन्तु यह नहीं कहा जाता और न कहा जा सकता है कि उसमें मंगलादिक छह अधिकारोंका वह सब वर्णन नहीं था जो वर्तमान तिलोयपण्णत्तिमें पाया जाता है; तब धवलाकारके द्वारा तिलोयपण्णत्तिके अनुसरणकी बात ही अधिक संभव और युक्तियुक्त जान पड़ती है।

ऐसी स्थितिमें शास्त्रीजीका यह दूसरा प्रमाण वस्तुतः कोई प्रमाण ही नहीं है और न स्वतन्त्र युक्तिके रूपमें उसका कोई मूल्य जान पड़ता है।

(३) तीसरी प्रमाण अथवा युक्तिवाद प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कहा है उसे पढ़ते समय ऐसा मालूम होता है कि 'तिलोयपण्णत्तिमें धवला-पर से उन दो संस्कृत श्लोकोंको कुछ परिवर्तनके साथ अपना लिया गया है जिन्हें धवलामें कहींसे उद्धृत किया गया था और जिनमेंसे एक श्लोक अकलंकदेवके लघीयस्त्रयका 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः' नाम का है।' परन्तु दोनों ग्रन्थोंको जब खोलकर देखते हैं तो मालूम होता है कि तिलोयपण्णत्तिकारने धवलोद्धृत उन दोनों संस्कृत श्लोकोंको अपने ग्रंथका अंग नहीं बनाया—वहाँ प्रकरणके साथ कोई संस्कृतश्लोक है ही नहीं, दो गाथाएँ हैं जो मौलिक रूपमें स्थित हैं और प्रकरणके साथ संगत है। इसी तरह लघीयस्त्रयवाला पद्य धवला में उसी रूपसे उद्धृत नहीं जिस रूपमें कि वह लघीयस्त्रयमें पाया जाता है—उसका प्रथम चरण 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः' के स्थान पर 'ज्ञानं प्रमाणमित्याहुः' के रूपमें उपलब्ध है। और दूसरे चरणमें 'इष्यते' को जगह 'उच्यते' क्रिया-पद है। ऐसी हालतमें शास्त्रीजीका यह कहना कि " 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः' इत्यादि श्लोक भट्टाकलंकदेवकी मौलिक कृति है तिलोयपण्णत्तिकारने इसे भी नहीं छोड़ा" कुछ संगत मालूम नहीं होता। अस्तु; यहाँ दोनों ग्रन्थोंके दोनों

प्रकृत पद्योंको उद्धृत किया जाता है, जिससे पाठक उनके विषयके विचारको भले प्रकार हृदयङ्गम कर सकें,—

जो ण प्रमाणेणयेहिं णिक्खेवेणं णिरक्खदे अत्थं ।

तस्साऽजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्तं च (व) पडिहादि ॥८२॥

णाणं होदि प्रमाणं णाओ वि णादुस्स हिदयभावत्थो ।

णिक्खेवो वि उवाओ जुत्तीए अत्थपडिगहणं ॥८३॥

—तिलोयपण्णत्ती

प्रमाण-नय-निक्षेपैर्योऽर्थो नाऽभिसमीक्ष्यते ।

युक्तं चाऽयुक्तवद् भाति तस्याऽयुक्तं च युक्तवत् ॥१०॥

ज्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्यते ।

नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽर्थपरिग्रहः ॥११॥

—धवला १, १, पृ० १६, १७,

तिलोयपण्णत्तीकी पहली गाथामें यह बतलाया है कि 'जो प्रमाण, नय और निक्षेपके द्वारा अर्थका निरीक्षण नहीं करता है उसको अयुक्त (पदार्थ) युक्तकी तरह और युक्त (पदार्थ) अयुक्त की तरह प्रतिभासित होता है।' और दूसरी गाथामें प्रमाण, नय और निक्षेपका उद्देशानुसार क्रमशः लक्षण दिया है और अन्तमें बतलाया है कि यह सब युक्तिसे अर्थका परिग्रहण है। अतः ये दोनों गाथाएँ परस्पर संगत हैं। और इन्हें ग्रन्थसे अलग कर देने पर अगली 'इयं गाथां अवहारिय आइरियपरम्परागयं मणसा' (इस प्रकार आचार्य परम्परासे चले आये हुए न्यायको हृदयमें धारण करके) नाम की गाथा ॐ असंगत तथा खटकनेवाली हो जाती है। इसलिये ये तीनों ही गाथाएँ तिलोयपण्णत्तीकी अंगभूत हैं।

धवला (संतपखवणा) में उक्त दोनों श्लोकोंको देते हुए उन्हें 'उक्तं च' नहीं लिखा और न किसी खास ग्रन्थके वाक्य ही प्रकट किया है। वे इसप्र-
 स्न-

ॐ इस गाथाका नम्बर ८४ है। शास्त्रीजीने जो इसका नं० ८८ सूचित किया है, वह किसी गलतीका परिणाम जान पड़ता है।

के उत्तरमें दिए गए हैं कि “एत्थ किमट्ठं गायपरूवरणमिदि” ?—यहाँ नय का प्ररूपण किस लिये किया गया है ?—और इस लिए वे धवलाकारके द्वारा निर्मित अथवा उद्धृत भी हो सकते हैं। उद्धृत होनेकी हालतमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्धृत किये गए हैं या दो स्थानोंसे ? यदि एक स्थानसे उद्धृत किए गए हैं तो वे लघीयस्त्रयसे उद्धृत नहीं किये गए, यह सुनिश्चित है; क्योंकि लघीयस्त्रयमें पहला श्लोक नहीं है। और यदि दो स्थानोंसे उद्धृत किये गये हैं तो यह बात कुछ बनती हुई मालूम नहीं होती; क्योंकि दूसरा श्लोक अपने पूर्वमें ऐसे श्लोककी अपेक्षा रखता है जिसमें उद्देशादि किसी भी रूपमें प्रमाण, नय और निक्षेपका उल्लेख हो—लघीयस्त्रयमें भी ‘ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः’ श्लोकके पूर्वमें एक ऐसा श्लोक पाया जाता है जिसमें प्रमाण, नय और निक्षेपका उल्लेख है और उनके आगमानुसार कथनकी प्रतिज्ञा की गई है (‘प्रमाण-नय-निक्षेपानभिधास्ये यथागमं’)—और उसके लिये पहला श्लोक संगत जान पड़ता है। अन्यथा, उसके विषयमें यह बतलाना होगा कि वह दूसरे कौनसे ग्रन्थका स्वतन्त्र वाक्य है। दोनों गाथाओंऔर श्लोकोंकी तुलना करनेसे तो ऐसा मालूम होता है कि दोनों श्लोक उक्त गाथाओं परसे अनुवाद रूपमें निर्मित हुए हैं। दूसरी गाथामें प्रमाण, नय और निक्षेपका उसी क्रमसे लक्षण-निर्देश किया गया है जिस क्रमसे उनका उल्लेख प्रथम गाथामें हुआ है। परन्तु अनुवादके छन्द (श्लोक) में शायद वह बात नहीं बन सकी इसीसे उसमें प्रमाणके बाद निक्षेपका और फिर नयका लक्षण दिया गया है। इससे तिलोयपण्णत्तीकी उक्त गाथाओंकी मौलिकताका पता चलता है और ऐसा जान पड़ता है कि उन्हीं परसे उक्त श्लोक अनुवादरूपमें निर्मित हुए हैं—भले ही यह अनुवाद स्वयं धवलाकारके द्वारा निर्मित हुआ हो या उनसे पहले किसी दूसरेके द्वारा। यदि धवलाकारको प्रथम श्लोक कहींसे स्वतन्त्ररूपमें उपलब्ध होता तो वे प्रश्नके उत्तरमें उसीको उद्धृत करदेना काफ़ी समझते—दूसरे लघीयस्त्रय-जैसे ग्रंथसे दूसरे श्लोकको उद्धृत करके साथमें जोड़नेकी जरूरत नहीं थी; क्योंकि प्रश्नका उत्तर उस एक ही श्लोकसे हो जाता है। दूसरे श्लोकका साथमें होना इस बातको सूचित करता है कि एक साथ पाई जानेवाली दोनों गाथाओंके अनुवादरूपमें ये श्लोक प्रस्तुत किये गये

है—चाहे वे किसीके भी द्वारा प्रस्तुत किए गए हों ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि धवलाकारने तिलोयपण्णात्तीकी उक्त दोनों गाथाओंको ही उद्धृत क्यों न कर दिया, उन्हें श्लोकमें अनुवादित करके या उनके अनुवादको रखनेकी क्या जरूरत थी ? इसके उत्तरमें मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूँ कि यह सब धवलाकार वीरसेनकी रुचिकी बात है, वे अनेक प्राकृत-वाक्योंको संस्कृतमें और संस्कृत-वाक्योंको प्राकृतमें अनुवादित करके रखते हुए भी देखे जाते हैं । इसी तरह अन्य ग्रंथोंके गद्यको पद्यमें और पद्यको गद्यमें परिवर्तित करके अपनी टीकाका अंग बनाते हुए भी पाये जाते हैं । चूनांचे तिलोयपण्णात्तीकी भी अनेक गाथाओंको उन्होंने संस्कृत गद्यमें अनुवादित करके रक्खा है, जैसे कि मंगलकी निरुक्तिपरक गाथाएँ, जिन्हें शास्त्रीजीने अपने द्वितीय प्रमाणमें, समानताकी तुलना करते हुए उद्धृत किया है । और इसलिये यदि ये उनके द्वारा ही अनुवादित होकर रक्खे गये हैं तो इसमें आपत्तिको कोई बात नहीं है । इसे उनकी अपनी शैली और पसन्द

आदिकी बात समझना चाहिए ।

अब देखना यह है कि शास्त्रीजीने 'ज्ञानं प्रमाणमात्मादेः' इत्यादि श्लोकको जो अकलंकदेवकी 'मौलिक कृति' बतलाया है उसके लिये उनके पास क्या आधार है ? कोई भी आधार उन्होंने व्यक्त नहीं किया; तब क्या अकलंकके ग्रन्थमें पाया जाना ही अकलंककी मौलिक कृति होनेका प्रमाण है ? यदि ऐसा है तो राजवार्तिकमें पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिके जिन वाक्योंको वार्तिकादिके रूपमें बिना किसी सूचनाके अपनाया गया है अथवा न्यायविनिश्चयमें समन्तभद्रके 'सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः' जैसे वाक्योंको अपनाया गया है उन सबको भी अकलंक-देवकी 'मौलिक कृति' कहना होगा । यदि नहीं, तो फिर उक्त श्लोकोंको अकलंक-देवकी मौलिक कृति बतलाना निहंतुक ठहरेगा । प्रत्युत इसके, अकलंकदेव चूँकि यतिवृषभके बाद हुए हैं अतः यतिवृषभकी तिलोयपण्णात्तीका अनुसरण उनके लिये न्यायप्राप्त है और उसका समावेश उनके द्वारा पूर्वपद्यमें प्रयुक्त हुए 'यथागमं' पदसे हो जाता है; क्योंकि तिलोयपण्णात्ती भी एक आगम ग्रंथ है जैसा कि गाथा नं० ८५, ८६, ८७ में प्रयुक्त हुए उसके विशेषणसे जाना जाता है, धवलाकारने भी जगह जगह उसे 'सूत्र' लिखा है और प्रमाणरूपमें

उपस्थित किया है। एक जगह वे किसी व्याख्यानको व्याख्यानाभास बतलाते हुए तिलोयपण्णत्तिसूत्रके कथनको भी प्रमाणमें पेश करते हैं और फिर लिखते हैं कि सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान नहीं होता है—जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याख्यानाभास समझना चाहिये—नहीं तो अतिप्रसंग दोष आएगा ॥

इस तरह यह तीसरा प्रमाण असिद्ध ठहरता है। तिलोपण्णत्तिकारने चूँकि धवलाके किसी भी पद्यको नहीं अपनाया अतः पद्योंको अपनानेके आधार-पर तिलोयपण्णत्तीको धवलाके बादकी रचना बतलाना युक्तियुक्त नहीं है।

(४) चौथे प्रमाणरूपमें शास्त्रीजीका इतना ही कहना है कि ‘दुगणदुगुणो दुग्गो गिरंतरो तिरियलोगो’ नामका जो वाक्य धवलाकारने द्रव्यप्रमाणानु-योगद्वारा (पृष्ठ ३६) में तिलोयपण्णत्तीके नामसे उद्धृत किया है वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें पर्याप्त खोज करने पर भी नहीं मिला, इसलिये यह तिलो-यपण्णत्ती उम तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है जो धवलाकारके सामने थी ! परन्तु यह मालूम नहीं होसका कि शास्त्रीजीकी पर्याप्त खोजका क्या रूप रहा है। क्या उन्होंने भारतवर्षके विभिन्न स्थानोंपर पाई जानेवाली तिलोयपण्णत्तीकी समस्त प्रतियाँ पूर्णरूपसे देख डाली हैं ? यदि नहीं देखी है और जहाँ तक में जानता हूँ समस्त प्रतियाँ नहीं देखी हैं, तब वे अपनी खोजको ‘पर्याप्त खोज’ कैसे कहते हैं? वह तो बहुत कुछ अपर्याप्त है। क्या दो प्रतियोंमें उक्त वाक्यके न मिलनेसे ही यह नतीजा निकाला जा सकता है कि वह वाक्य किसी प्रतिमें नहीं है? नहीं निकाला जा सकता। इसका एक ताजा उदाहरण गोम्मटसार-कर्मकाण्ड (प्रथम अधिकार) के वे प्राकृत गद्यसूत्र हैं जो गोम्मटसारकी पचासों प्रतियोंमें नहीं पाये जाते; परन्तु मूडबिंद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कन्नड प्रतिमें उपलब्ध हो रहे हैं और जिनका उल्लेख मैंने अपने गोम्मटसार-विषयक निबन्धमें † किया है। इसके सिवाय, तिलोयपण्णत्ति-जैसे बड़े ग्रन्थमें लेखकोंके प्रमादसे दो चार गाथाओंका छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पुरातन-जैनवाक्य-सूचीके अवसरपर मेरे

॥ “ तं वक्खाणाभासमिदि कुदो राव्वदे ? जोइसिय-भागहारसुत्तादो चदा-इच्च बिबपमारापरुवय-तिलोतपण्णत्तिसुत्तादो च । एण च सुत्तविरुद्धं वक्खाणंहोइ, अइपसंगादो । ” — धवला १, २, ४, पृष्ठ ३६ । † यह निबन्ध दूसरे भागमें छपेगा ।

सामने तिलोपपण्णात्तीकी चार प्रतियाँ रहीं हैं—एक बनारसके स्याद्वादमहा-विद्यालयकी, दूसरी देहलीके नया मन्दिरकी, तीसरी आगराके मोतीकटरा-मन्दिर की और चौथी सहारनपुरके ला० प्रद्युम्नकुमारजीके मन्दिरकी । इन प्रतियोंमें, जिनमें बनारसकी प्रति बहुत ही अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण जान पड़ी, कितनी ही गाथाएँ ऐसी देखनेको मिलीं जो एक प्रतिमें है तो दूसरीमें नहीं है, इसीसे जो गाथा किसी एक प्रतिमें ही बड़ी हुई मिली उसका सूचीमें उस प्रतिके साथ सूचन किया गया है । ऐसी भी गाथाएँ देखनेमें आईं जिनमें किसीका पूर्वार्ध एक प्रतिमें है तो उत्तरार्ध नहीं, और उत्तरार्ध है तो पूर्वार्ध नहीं । और ऐसा तो बहुधा देखनेमें आया कि कितनी ही गाथाओंको बिना नम्बर डाले रनिगरूपमें लिख दिया है, जिससे वे सामान्यावलोकनके अवसरपर ग्रंथका गद्यभाग जान पड़ती हैं । किसी किसी स्थलपर गाथाओंके छूटनेकी साफ सूचना भी की गई है; जैसे कि चौथे महाधिकारकी 'एवणउदिसहस्साणि' इस गाथा नं० २२१३के अनन्तर आगरा और सहारनपुरकी प्रतियोंमें दस गाथाओंके छूटनेकी सूचना की गई है और वह कथन-क्रमको देखते हुए ठीक जान पड़ती है—दूसरी प्रतियोंपरसे उनकी पूर्ति नहीं हो सकी । क्या आश्चर्य है जो ऐसी छूटी अथवा त्रुटित हुई गाथाओंमें-का ही उक्त वाक्य हो । ग्रन्थ-प्रतियोंकी ऐसी स्थितिमें दो चार प्रतियोंको देखकर ही अपनी खोजको पर्याप्त खोज बतलाना और उसके आधारपर उक्त नतीजा निकाल बैठना किसी तरह भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । और इसलिये शास्त्रीजीका यह चतुर्थ प्रमाण भी उनके इष्टको सिद्ध करनेके लिये समर्थ नहीं है ।

(५) अब रहा शास्त्रीजीका अन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह उनकी गलत धारणाका मुख्य आधार बना हुआ है । इसमें जिस गद्यांशकी ओर संकेत किया गया है और जिसे कुछ अशुद्ध भी बतलाया गया है वह क्या स्वयं तिलोपपण्णात्तिकारके द्वारा धवलापरसे 'अम्हेहि' पदके स्थानपर 'ऐसा परवणा' पाठका परिवर्तन करके उद्धृत किया गया है अथवा किसी तरहपर तिलोपपण्णात्तीमें प्रक्षिप्त हुआ है ? इसपर शास्त्रीजीने गम्भीरता के साथ विचार करना शायद आवश्यक नहीं समझा और इसीसे कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया; जब कि इस विषयपर खास तौरपर विचार करनेकी जरूरत थी और तभी कोई

निरांय देना था—वे वैसे ही उस गद्यांशको तिलोयपण्णत्तीका मूल अंग मान बैठे हैं, और इसीसे गद्यांशमें उल्लिखित तिलोयपण्णत्तीको वर्तमान तिलोय-पण्णत्तीसे भिन्न दूसरी तिलोयपण्णत्ती कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्णत्तीमें जो यत्र तत्र दूसरे गद्यांश पाये जाते हैं उनका अधिकांश भाग भी धवलापरसे उद्धृत है, ऐसा सुझानेका संकेत भी कर रहे हैं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जान पड़ता है ऐसा कहते और सुझाते हुए शास्त्रीजीको यह ध्यान नहीं आया कि जिन आचार्य जिनसेनको वे वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका कर्ता बतलाते हैं वे क्या उनकी दृष्टिमें इतने असावधान अथवा अयोग्य थे कि जो ‘अम्हेहि’ पदके स्थानपर ‘ऐसा परूवणा’ पाठका परिवर्तन करके रखते और ऐसा करनेमें उन साधारण मोटी भूलों एवं त्रुटियोंको भी न समझ पाते जिन्हें शास्त्रीजी बतला रहे हैं ? और ऐसा करके जिनसेनको अपने गुरु वीरसेनकी कृतिका लोप करनेकी भी क्या जरूरत थी ? वे तो बराबर अपने गुरुका कीर्तन और उनकी कृतिके साथ उनका नामोल्लेखकरते हुए देखे जाते हैं। चूनांचे वीरसेन जब जयधवलाको अधूरा छोड़ गये और उसके उत्तरार्धको जिनसेनने पूरा किया तो वे प्रशस्तिमें स्पष्ट शब्दों-द्वारा यह सूचित करते हैं कि ‘गुरुने पूर्वाधर्मे जो भूरिवक्तव्य प्रकट किया था—आगे कथनके योग्य बहुत विषयका संसूचन किया था, उसे (तथा तत्सम्बन्धी नोट्स आदिको) देखकर यह अल्पवक्तव्यरूप उत्तरार्ध पूरा किया गया है:—

गुरुणाऽर्धेऽग्रिमे भूरिवक्तव्ये संप्रकाशिते ।

तन्निरीक्ष्याऽल्पवक्तव्यः पश्चार्धस्तेन पूरितः ॥ ३६ ॥

परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमें तो वीरसेनका कहीं नामोल्लेख भी नहीं है—ग्रन्थके मंगलाचरण तकमें भी उनका स्मरण नहीं किया गया। यदि वीरसेनके संकेत अथवा आदेशादिके अनुसार जिनसेनके द्वारा वर्तमान तिलोय-पण्णत्तीका संकलनादि कार्य हुआ होता तो वे ग्रन्थके आदि या अन्तमें किसी न किसी रूपसे उसकी सूचना जरूर करते तथा अपने गुरुका नाम भी उसमें जरूर प्रकट करते। और यदि कोई दूसरी तिलोयपण्णत्ती उनकी तिलोयपण्णत्तीका आधार होती तो वे अपनी पद्धति और परिणतिके अनुसार उसका और उसके रचयिताका स्मरण भी ग्रन्थकी आदिमें उसी तरह करते जिस तरह कि महा-

पुराणकी आदिमें 'कविपरमेश्वर' और उनके 'वागर्थसंग्रह' पुराणका किया है, जो कि उनके महापुराणका मूलाधार रहा है। परन्तु वर्तमान तिलोपपण्णत्तीमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसलिये उसे उक्त जिनसेनकी कृति बतलाना और उन्हींके द्वारा उक्त गद्यांशका उद्धृत किया जाना प्रतिपादित करना किसी तरह भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। दूसरे भी किसी विद्वान् आचार्यके साथ, जिन्हें वर्तमान तिलोपपण्णत्तीका कर्ता बतलाया जाय, उक्त भूलभरे गद्यांशके उद्धरणकी बात संगत नहीं बैठती; क्योंकि तिलोपपण्णत्तीकी मौलिक रचना इतनी प्रौढ और सुव्यवस्थित है कि उसमें मूलकार-द्वारा ऐसे सदोष उद्धरणकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिये उक्त गद्यांश बादको किसीके द्वारा धवला आदि परसे प्रक्षिप्त किया हुआ जान पड़ता है। और भी कुछ गद्यांश ऐसे हो सकते हैं जो धवलापरसे प्रक्षिप्त किये गये हों; परन्तु जिन गद्यांशोंकी तरफ शास्त्रीजीने फुटनोटमें संकेत किया है वे तिलोपपण्णत्तीमें धवलापरसे उद्धृत किये गये मालूम नहीं होते; बल्कि धवलामें तिलोपपण्णत्तीपरसे उद्धृत हुए जान पड़ते हैं। क्योंकि तिलोपपण्णत्तीमें गद्यांशोंके पहले जो एक प्रतिज्ञात्मक गाथा पाई जाती है वह इस प्रकार है—

वादवरुद्धक्खेत्ते विंदफलं तह य अट्टपुढवीए ।

सुद्धायासखिदीणं लवमेत्तं वत्तइस्सामो ॥ २८२ ॥

इसमें वातवलयांसे अवरुद्ध क्षेत्रों, आठ पृथिवियों और शुद्ध आकाशभूमियोंका घनफल बतलानेकी प्रतिज्ञा की गई है और उस घनफलका 'लवमेत्तं (लवमात्र)' ❀ विशेषणके द्वारा बहुत संक्षेपमें ही कहनेकी सूचना की गई है। तदनुसार तीनों घनफलोंका क्रमशः गद्यमें कथन किया गया है और यह कथन

❀ तिलोपपण्णत्तिकारको जहाँ विस्तारसे कथन करनेकी इच्छा अथवा आवश्यकता हुई है वहाँ उन्होंने वैसी सूचना कर दी है; जैसाकि प्रथम अधिकारमें लोकके आकारादिका संक्षेपसे वर्णन करनेके अनन्तर 'विस्थररुइबोहत्थं वोच्छं गाणावियप्पे वि (७४)' इस वाक्यके द्वारा विस्ताररचिवाले प्रतिपाद्योंको लक्ष्य करके उन्होंने विस्तारसे कथनकी प्रतिज्ञा की है।

मुद्रित प्रतिमें पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। धवला (पृ० ५१ से ५५) में इस कथनका पहला भाग संपहि (सपदि)' से लेकर 'जगपदरं होदि' तक प्रायः ज्योंका त्यों उपलब्ध है परन्तु शेष भाग, जो आठ पृथिवियों आदिके घनफलसे सम्बन्ध रखता है, उपलब्ध नहीं है। और इससे वह तिलोयपण्णत्तीपरसे उद्धृत जान पड़ता है—खासकर उस हालतमें जब कि धवलाकारके सामने तिलोयपण्णत्ती मौजूद थी और उन्होंने अनेक विवादग्रस्त स्थलोंपर उसके वाक्यों—को बड़े गौरवके साथ प्रमाणमें उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे वाक्योंको भी बिना नामोल्लेखके उद्धृत किया है और अनुवादित करके भी रक्खा है। ऐसी स्थितिमें तिलोयपण्णत्तीमें पाये जानेवाले गद्यांशोंके विषयमें यह कल्पना करना कि 'वे धवलापरसे उद्धृत किये गये हैं' समुचित नहीं है और न शास्त्रीजीके द्वारा प्रस्तुत किये गये गद्यांशसे इस विषयमें कोई सहायता मिलती है; क्योंकि उस गद्यांशका तिलोयपण्णत्तिकारके द्वारा उद्धृत किया जाना सिद्ध नहीं है—वह बादको किसीके द्वारा प्रक्षिप्त हुआ जान पड़ता है।

अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह इतना ही गद्यांश प्रक्षिप्त नहीं है बल्कि इसके पूर्वका "एत्तो चंदाण सपरिवाराणमाणयणविहाणं वत्ताइस्सामो" से लेकर 'एदम्हादो चेव सुत्तादो' तकका अंश, और उत्तरवर्ती 'तदो ण एत्थ इदमित्थमेवेत्ति' से लेकर 'तं चेदं १६५५३६१।' तकका अंश, जो 'चंदस्स सदसहस्स' नामकी गाथाके पूर्ववर्ती है, वह सब प्रक्षिप्त है। और इसका प्रबलप्रमाण मूलग्रन्थपरसे ही उपलब्ध होता है। मूलग्रन्थमें सातवें महाधिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली गाथामें मंगलाचरण और ज्योतिर्लोकप्रज्ञप्तिके कथनकी प्रतिज्ञा करनेके अनन्तर उत्तरवर्ती तीन गाथाओंमें ज्योतिषियोंके निवासक्षेत्र आदि १७ महाधिकारोंके नाम दिये हैं जो इस 'ज्योतिर्लोकप्रज्ञप्ति' नामक महाधिकारके अंग हैं। वे तीनों गाथाएं इस प्रकार हैं:—

जोइसिय-णिवासखिदी भेदो संखा तहेव विण्णासो ।

परिमाणं चरचारो अचरसरूवाणि आऊ य ॥ २ ॥

आहारो उस्सासो उच्छेहो ओहिणाणसत्तीओ ।

जीवाणं उप्पत्ती मरणाइं एककसमयम्मि ॥ ३ ॥

आउगबंधणभावं दंसणगहणस्स कारणं विविहं ।

गुणठाणादि-पवणणमहियारा सत्तरसिमाए ॥ ४ ॥

इन गाथाओंके बाद निवासक्षेत्र, भेद, संख्या, विन्यास, परिमाण, चरचार, अचरस्वरूप और आयु नामके आठ अधिकारोंका क्रमशः वर्णन दिया है—शेष अधिकारोंके विषयमें लिख दिया है कि उनका वर्णन भावनलोकके वर्णनके समान कहना चाहिये (‘भावणलोए व्व वत्तव्वं’)—और जिस अधिकारका वर्णन जहाँ समाप्त हुआ है वहाँ उसकी सूचना कर दी है। सूचनाके वे वाक्य इस प्रकार हैं:—

“णिवासखेत्तं सम्मत्तं । भेदो सम्मत्तो । संखा सम्मत्ता । विण्णासं सम्मत्तं । परिमाणं सम्मत्तं । एवं चरगहाणं चारो सम्मत्तो एवं अचरजोइसगणपरुवणा सम्मत्ता । आऊ सम्मत्ता ।”

अचर ज्योतिषगणकी प्ररूपणाविषयक ७वें अधिकारकी समाप्तिके बाद ही ‘एत्तो चंदाण’ से लेकर ‘तं चेदं १६५५३६१’ तकका वह सब गद्यांश है, जिसकी ऊपर सूचना की गई है। ‘आयु’ अधिकारके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आयुका अधिकार उक्त गद्यांशके अनन्तर ‘चंदस्स सदसहस्स’ इस गाथासे प्रारम्भ होता है और अगली गाथापर समाप्त हो जाता है। ऐसी हालतमें उक्त गद्यांश मूल ग्रन्थके साथ सम्बद्ध न होकर साफ तौरसे प्रक्षिप्त जान पड़ता है। उसका आदिका भाग ‘एत्तो चंदाण’ से लेकर ‘तदो एण एत्थ सम्पदायविरोधो कायव्वो त्ति’ तक तो धवला-प्रथम खंडके स्पर्शनानुयोगद्वारमें, थोड़ेसे शब्दभेदके साथ प्रायः ज्योंका त्यों पाया जाता है और इसलिये यह उसपरसे उद्धृत हो सकता है परन्तु अन्तका भाग—‘एदेण विहाणेण परुविदगच्छं विरलिय रूवं पडि चत्तारि रूवाणि दादूण अण्णोण्णमत्थे’ के अनन्तरका—धवलाके अगले गद्यांशके साथ कोई मेल नहीं खाता, और इसलिये वह वहाँसे उद्धृत न होकर अन्यत्रसे लिया गया है। और यह भी हो सकता है कि यह सारा ही गद्यांश धवलासे न लिया जाकर किसी दूसरे ही ग्रन्थपरसे, जो इस समय अपने सामने नहीं है और जिसमें आदि अन्तके दोनों भागोंका समावेश हो, लिया गया हो और तिलोपपन्नात्तीमें किसीके द्वारा अपने उपयोगादिकके लिये हाशियेपर नोट किया गया हो और जो बादको ग्रन्थमें कापीके समय किसी तरह प्रक्षिप्त हो गया हो।

इस गद्यांशमें ज्योतिष-देवोंके जिस भागहार सूत्रका उल्लेख है वह वर्तमान तिलोयपण्णत्तीके इस महाधिकारमें पाया जाता है। उसपरसे फलितार्थ होनेवाले व्याख्यानादिकी चर्चाको किसीने यहाँपर अपनाया है, ऐसा जान पड़ता है।

इसके सिवाय, एक बात यहाँ और भी प्रकट कर देनेकी है और वह यह कि जिस वर्तमान तिलोयपण्णत्तीको शास्त्रीजी मूलानुसार आठहजार श्लोक-परिमाण बतलाते हैं वह उपलब्ध प्रतियोंपरसे उतने ही श्लोकपरिमाण मालूम नहीं होती, बल्कि उसका परिमाण एक हजार श्लोक-जितना बढ़ा हुआ है और उससे यह साफ जाना जाता है, कि मूलमें उतना अंश बादको प्रक्षिप्त हुआ है। और इस लिए उक्त गद्यांशको, जो अपनी स्थितिपरसे प्रक्षिप्त होनेका स्पष्ट सन्देह उत्पन्न कर रहा है और जो ऊपरके विवेचनपरसे मूलकारकी कृति मालूम नहीं होता, प्रक्षिप्त कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। ऐसे ही प्रक्षिप्त अंशोंसे, जिनमें कितने ही 'पाठान्तर' वाले अंश भी शामिल जान पड़ते हैं, ग्रन्थके परिमाणमें वृद्धि हो रही है। और यह निर्विवाद है कि कुछ प्रक्षिप्त अंशोंके कारण किसी ग्रन्थको दूसरा ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। अतः शास्त्रीजीने उक्त गद्यांशमें तिलोयपण्णत्तीका नामोल्लेख देख कर जो यह कल्पना करली है कि 'वर्तमान तिलोयपण्णत्ती उस तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है जो धवलाकारके सामने थी' वह ठीक नहीं है।

इस तरह शास्त्रीजीके पाँचों प्रमाणोंमें कोई भी प्रमाण यह सिद्ध करनेके लिए समर्थन नहीं है कि वर्तमान तिलोयपण्णत्ती आचार्य वीरसेनके बादकी बनी हुई है अथवा उस तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है जिसका वीरसेन अपनी धवला टीकामें उल्लेख कर रहे हैं। और तब यह कल्पना करना तो अतिसाहसकी बात है कि 'वीरसेनके शिष्य जिनमेन इसके रचयिता हैं', जिनकी स्वतन्त्र रचना-पद्धतिके साथ इसका कोई मेल भी नहीं खाता। प्रत्युत इसके, ऊपरके संपूर्ण विवेचन एवं ऊहापोहपरसे स्पष्ट है कि 'यह तिलोयपण्णत्ती यतिवृषभाचार्यकी कृति है, धवला से कई शताब्दी पूर्वकी रचना है और वही चीज है जिसका वीरसेनस्वामी अपनी धवलामें उद्धरण, अनुवाद तथा आशयग्रहणादिके रूपमें स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग करते रहे हैं।' शास्त्रीजीने ग्रन्थकी अन्तिम मंगल गाथामें 'दट्ठूण' पदको ठीक मानकर उसके आगे जो 'अरिसवसह' पाठ

की कल्पना की है और उसके द्वारा यह सुझानेका यत्न किया है कि इस तिलोयपण्णत्तीसे पहले यतिवृषभका तिलोयपण्णत्ती नामका कोई आर्षग्रन्थ था जिसे देखकर यह तिलोयपण्णत्ती रची गई है और उसकी सूचना इस गाथामें ‘दट्ठूण अरिसवसहं’ वाक्यके द्वारा की गई है, वह भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि इस पाठ और उसके प्रकृत अर्थकी संगति गाथाके साथ नहीं बैठती, जिसका स्पष्टीकरण इस निबन्धके प्रारम्भमें किया जा चुका है। और इसलिये शास्त्रीजीका यह लिखना कि “इस तिलोयपण्णत्तीका संकलन शक संवत् ७३८ (वि० सं० ८७३) से पहलेका किसी भी हालतमें नहीं हैं” तथा “इसके कर्ता यतिवृषभ किसी भी हालतमें नहीं हो सकते” उनके अतिसाहसका द्योतक है। वह पूर्णतः बाधित है और उसे किसी तरह भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता।



स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द

एकताके भ्रमका प्रचार—

बहुत वर्ष हुए जब सुहृद्वर पं० नाथूरामजी प्रेमीने 'स्याद्वाद-विद्यापति विद्या-नन्दि' नामका एक लेख लिखा था और उसे १६वें वर्षके जैनहितेषी ग्रंथ नं० १ में प्रकाशित किया था। यह लेख प्रायः तात्या नेमिनाथ पांगलके मराठी लेखके आधार पर, उसे कुछ संशोधित परिवर्तित और परिवर्द्धित करके, लिखा गया था। और उसमें यह सिद्ध किया गया था कि 'पात्रकेसरी' और 'विद्यानन्द' दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जिन प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया गया था उनकी सत्यता पर विश्वास करते हुए, उस वक्तके प्रायः सभी विद्वान् यह मानते आ रहे हैं कि ये दोनों एक ही व्यक्तिके नामान्तर हैं—भिन्न नाम हैं। चुनांचे उस वक्तसे आसपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, अष्टसहस्री, तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, युक्त्यनुशासनटीका, पात्रकेसरिस्तोत्र, श्रीपुरपाश्वर्नाथस्तोत्र आदि जो भी ग्रन्थ विद्यानन्द या पात्रकेसरीके नामसे प्रकाशित हुए हैं और जिनके साथमें विद्वानों-द्वारा उनके कर्त्ताका परिचय दिया गया है उन सबमें पात्रकेसरी और विद्यानन्दको एक घोषित किया गया है—बहुतोंमें प्रेमीजीके लेखका सारांश अथवा संस्कृत अनुवाद तक दिया गया है। डा० शतीशचन्द्र विद्याभूषण-जैसे अजैन विद्वानोंने भी, बिना किसी विशेष ऊहापोहके, अपने ग्रन्थोंमें दोनोंकी एकताको स्वीकार किया है। इस तरह पर यह विषय विद्वत्समाजमें रूढ़-सा हो गया है और एक निश्चित विषय समझा जाता है। परन्तु खोज करनेपर मालूम हुआ कि, ऐसा समझना नितान्त भ्रम है। और इसलिये आज इस भ्रमको स्पष्ट करनेके लिये ही यह लेख लिखा जाता है।

प्रमाण-पंचक—

सबसे पहले मैं अपने पाठकोंको उन प्रमाणों—अथवा हेतुओं—का परिचय करा देना चाहता हूँ जो प्रेमीजीने अपने उक्त लेखमें दिये हैं और वे इस प्रकार हैं:—

“विद्यानन्दका नाम पात्रकेसरी भी है। बहुतसे लोगोंका खयाल है कि पात्रकेसरी नामके कोई दूसरे विद्वान् हो गये हैं; परन्तु नीचे लिखे प्रमाणोंसे विद्यानन्दि और पात्रकेसरी एक ही मालूम होते हैं—

१. ‘सम्यक्तप्रकाश’ नामक ग्रन्थमें एक जगह लिखा है कि—

“तथा श्लोकवार्तिके विद्यानन्दपरनाम पात्रकेसरिस्वामिना यदुक्तं तच्च लिख्यते—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं । न तु सम्यग्दर्शनशब्दनिर्वचनसामर्थ्यादेव सम्यग्दर्शनस्वरूपनिर्णयादशेषतद्विप्रतिपत्तिनिवृत्तेः सिद्धत्वात्तदर्थे तल्लक्षणवचनं न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपाकरोति’ ।”

इसमें श्लोकवार्तिकके कर्ता विद्यानन्दिको ही पात्रकेसरी बतलाया है।

२. श्रवणबेलगोलके पं० ब्रह्मसूरि शास्त्रीके ग्रंथसंग्रहमें जो आदिपुराणकी ताडपत्रोंपर लिखित प्रति है उसकी टिप्पणीमें पात्रकेसरीका नामान्तर विद्यानन्दि लिखा है।

३. ब्रह्मनेमिदत्तकृत कथाकोषमें जो पात्रकेसरीकी कथा लिखी है उसके विषयमें परम्परागत यही खयाल चला आता है कि वह विद्यानन्दिकी ही कथा है।

४. वादिचन्दसूरिने अपने ज्ञानसूर्योदय नाटकके चौथे अंकमें ‘अष्टशती’ नामक स्त्रीपात्र से ‘पुरुष’ के प्रति कहलवाया है कि—

“देव, ततोऽहमुत्तालितहृदया श्रीमत्पात्रकेशरिमुखकमलं गता तेन साक्षात्कृतसकलस्याद्वाभिप्रायेण लालिता पालिताष्टसहस्रीतया पुष्टिं नीता । देव, स यदि नापालयिष्यत् तदा कथं त्वामद्राक्षम् ?”

अर्थात्—(जब मैंने एकान्तवादियोंसे स्याद्वादका स्वरूप कहा, तब वे क्रुद्ध होकर कहने लगे—‘इसे पकड़ो ! मारो ! जाने न पावे !’) “तब हे देव, मैंने भयभीत होकर श्रीमत्पात्रकेसरीके मुखकमलमें प्रवेश किया । वे सम्पूर्णस्याद्वादके

अभिप्रायोंको अच्छी तरहसे जाननेवाले थे, इसलिये उन्होंने मेरा अच्छी तरह लालन-पालन किया और अष्टसहस्रीके द्वारा मुझे पुष्टि प्रदान की। हे देव, वे (पात्रकेसरी) यदि मुझे न पालते तो आज मैं तुम्हें कैसे देखती ?” इसका अभिप्राय यह है कि अकलङ्कदेवका बनाया हुआ जो ‘अष्टशती’ नामक ग्रन्थ है, उसे पढ़कर जैनेतर विद्वान् क्रुद्ध होगये और वे उसपर आक्रमण करनेको तय्यार हुए। यह देखकर पात्रकेसरी स्वामीने ‘अष्टसहस्री’ नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचकर उसके अभिप्रायोंकी पुष्टि की। इससे मालूम होता है कि अष्टसहस्रीके बनानेवाले विद्यानन्दि ही पात्रकेसरी हैं।

५. आगे जो हमचका शिलालेख उद्धृत किया गया है, उसके अन्तिम वाक्यसे भी स्पष्ट होता है कि विद्यानन्दि और पात्रकेसरी एक ही थे।

इन पाँच प्रमाणोंसे मेरी समझमें यह बात निस्सन्देह हो जाती है कि पात्रकेसरी और विद्यानन्दि दोनों एक ही हैं।”

प्रमाणोंकी जाँच—

इनमेंसे तीसरे नम्बरका प्रमाण तो वास्तवमें कोई प्रमाण नहीं है; क्योंकि इसमें कथाकोशान्तर्गत पात्रकेसरीकी जिस कथाका उल्लेख किया गया है उसमें विद्यानन्दकी कहीं गन्ध तक भी नहीं पाई जाती—और तो क्या, विद्यानन्दके नामसे प्रसिद्ध होनेवाले ढेरके ढेर ग्रन्थोंमेंसे किसी ग्रन्थका नाम भी पात्रकेसरीकी कृति रूपसे उसमें उल्लेखित नहीं मिलता; बल्कि पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे ‘जिनेन्द्रगुणसंस्तुति’ नामके एक ग्रन्थका उल्लेख पाया जाता है *। और यह ग्रन्थ ही ‘पात्रकेसरिस्तोत्र’ (पात्रकेसरीका रचा हुआ स्तोत्र) कहलाता है—विद्यानन्दस्तोत्र नहीं। इस स्तोत्रका प्रारम्भ ‘जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः’ † पदसे होता है—जिनेन्द्रके गुणोंकी ही इसमें स्तुति भी है—और इसलिये भक्तामर तथा

* यथा:—कृतोज्ज्वलमतविध्वंसो जिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः।

संस्तवः परमानन्दात्मस्तसुखदायकः ॥

† जिनेन्द्र गुणसंस्तुतिस्तव मनागपि प्रस्तुता।

भवत्यखिलकर्मणां प्रहतये परं कारणम् ॥

स्वयंभूस्तोत्रादिकी तरह यही इसका वास्तविक तथा सार्थक नाम जान पड़ता है ‡ ।

दूसरे प्रमाणमें जिस टिप्पणीका उल्लेख है वह आदिपुराणके निम्न वाक्य में प्रयुक्त हुए 'पात्रकेसरिणां' पद पर जान पड़ती है, क्योंकि अन्यत्र आदि-पुराणमें पात्रतेसरीका कोई उल्लेख नहीं मिलता:—

भट्टाकलंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणाः ।

विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेऽतिनिर्मलाः ॥

‡ यह ग्रन्थ मणिकचन्द्रग्रन्थमालामें एक साधारण टीकाके साथ प्रकाशित हुआ है, जिसके कर्ता आदिका कुछ पता नहीं । टीकाके शुरूमें 'मंगलाचरणके तोरपर एक श्लोक रक्खा हुआ है जिसमें 'बृहत्पंचनमस्कारपदं विव्रियतेऽयुना' यह एक प्रतिज्ञावाक्य है और इससे ऐसा ध्वनित होता है मानों मूल ग्रन्थका नाम 'बृहत्पंचनमस्कार' है और इस टीकामें उसीके पदोंकी विवृति की गई है । चुनौचे पं० बाथुरामजी प्रेमीने अपने ग्रन्थपरिचयमें ऐसा लिख भी दिया है । परन्तु ग्रन्थके सदर्भको देखते हुए यह नाम उसके लिये किसी तरह भी उपयुक्त मालूम नहीं होता । द्रव्यसंग्रहकी ब्रह्मदेवकृत-टीकामें एक स्थानपर बारह हजार श्लोकसंख्यावाले 'पंचनमस्कार' ग्रन्थका उल्लेख मिलता है और उसमें लघु सिद्धचक्र, बृहत् सिद्धचक्र, जैसे कितने ही पाठोंका संग्रह बतलाया है । हो सकता है कि 'बृहत्पंचनमस्कार' नामका या तो वही संग्रह हो और या उससे भी बड़ा कोई दूसरा संग्रह तय्यार हुआ हो और उसमें पात्रकेसरिस्तोत्रको भी संग्रहीत किया हो । और उसीकी वृत्ति परसे पात्रकेसरिस्तोत्रको उतारते हुए उसकी वृत्तिका मंगलाचरण इस स्तोत्रकी वृत्तिके ऊपर दे दिया गया हो । अथवा इसके दिये जानेमें कोई दूसरी ही गड़बड़ हुई हो । परन्तु कुछ भी हो, टीकाका यह मंगलपद 'क्षेपक' जान पड़ता है । और इसलिये इससे स्तोत्रके नामपर कोई असर नहीं पड़ता । साथ ही, इस संस्करणके अन्तमें दिये हुए समाप्तिमूचक गद्य-में जो 'विद्यानन्दि'का नाम लगाया गया है वह संशोधक महाशयकी कृति जान पड़ती है ।

[इसमें लिखा है कि 'भट्टाकलंक, श्रीपाल और पात्रकेसरीके अतिनिर्मल गुण विद्वानोंके हृदयपर हारकी तरहसे आरूढ हैं'।]

परन्तु इस टिप्पणीकी बाबत यह नहीं बतलाया गया कि, वह कौनसे आचार्य अथवा विद्वान्की की हुई है ? कब की गई है ? अन्यत्र भी आदिपुराण-की वह समूची टिप्पणी मिलती है या कि नहीं ? और यदि मिलती है तो उसमें भी प्रकृत पदकी वह टिप्पणी मौजूद है या कि नहीं ? अथवा जिस ग्रंथप्रति पर टिप्पणी है वह कबकी लिखी हुई है ? और वह टिप्पणी उसी ग्रन्थलिपिका ग्रंथ है या बादकी की हुई मालूम होती है ? बिना इन सब बातोंका स्पष्टीकरण किये और यह बतलाए कि वह टिप्पणी अधिक प्राचीन है—कमसे कम 'सम्यक्त्व-प्रकाश' और 'ज्ञानसूर्योदय नाटक'की रचनासे पहले की है—अथवा किसी मान्य अधिकारी पुरुष-द्वारा की गई है, इस प्रमाणका कोई खास महत्व और वजन मालूम नहीं होता। हो सकता है कि टिप्पणी बहुत कुछ आधुनिक हो और वह किसी स्वाध्यायप्रेमीने दन्तकथापर विश्वास करके या सम्यक्त्वप्रकाशादिकको देख कर ही लगा दी हो।

पाँचवाँ प्रमाण एक शिलालेख पर आधार रखता है और उस लेखकी जाँचसे वह बिल्कुल निर्मूल जान पड़ता है। मालूम होता है प्रेमीजीके (अथवा तात्या नेमिनाथ पांगलके भी) सामने यह पूरा शिलालेख कभी प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें उसके कुछ खंडोंका सारांशमात्र मिला है और इसीलिये उन्हें इस प्रमाणको प्रस्तुत करने तथा शिलालेखके आधारपर अपने लेखमें विद्यानन्दका कुछ विशेष परिचय देनेमें भारी धोखा हुआ है। अस्तु; इस प्रमाणमें प्रेमीजीने शिलालेखके जिस अन्तिम वाक्यकी ओर इशारा किया है उसे यहाँ दे देने मात्रसे ही काम नहीं चलेगा, पाठकोंके समझनेके लिये अनुवादरूपमें प्रस्तुत किये हुए प्रेमीजीके उस पूरे शिलालेखको ही यहाँ दे देना उचित जान पड़ता है और वह इस प्रकार है—

“विद्यानन्दिस्वामीने नंजराज पट्टणके राजा नंजकी सभामें जाकर नन्दन-मल्लिभट्टसे विवाद करके उसका पराभव किया।शतवेन्द्र राजाकी सभामें एक काव्यके प्रभावसे समस्त श्रोताओंको चकित कर दिया।शाल्वमल्लि राजाकी सभामें पराजित किये हुए वादियों पर विद्यानन्दिने क्षमा की।”

सल्लवदेव राजाकी सभामें परवादियोंके मतोंको असत्य सिद्ध करके जैनमतकी प्रभावना की।बिलगीके राजा नरसिंहकी सभामें जैनमतका प्रभाव प्रकट किया। कारकल नगरीके भैरवाचार्यकी राजसभामें विद्यानन्दिने जैनमतका प्रभाव दिखलाकर उसका प्रसार किया।बिदरीके भव्यजनोंको विद्यानन्दिने अपने धर्मज्ञानसेसम्यक्त्वकी प्राप्ति करा दी.....जिस नरसिंहराजके पुत्र कृष्णराजके दरबारमें हजारों राजा नम्र होते थे उस राजदरबारमें जाकर हे विद्यानन्द, तुमने जैनमतका उद्योत किया और परवादियोंका पराभव किया।कोप्पन तथा अन्य तीर्थस्थलोंमें विपुल धन खर्च कराके तुमने धर्मप्रभावना की। बेलगुलके जैनसंघको सुवर्णवस्त्रादि दिलाकर मण्डित किया।गेरसोप्पाके समीपके प्रदेशके मुनिसंघको अपना शिष्य बनाकर उसे विभूषित किया। जैनशासनका तथा महावीर, गौतम, भद्रबाहु, विशाखाचार्य, उमास्वामी, समन्तभद्र, अकलंकका विजय हो। अकलंकने समन्तभद्रके देवागम पर भाष्य लिखा। आसमीमांसा ग्रंथको समझाकर बतलानेवाले विद्यानन्दको नमोस्तु। श्लोक-वातिकालंकारके कर्ता, कविचूडामणि, तार्किकसिंह, विद्वान् यति विद्यानन्द जयवन्त हों।गिरिनिकट निवास करनेवाले मोक्षेच्छु ध्यानी मुनि पात्रकेसरी ही हो गये.....”

(शिलालेख नं० ४६)

अनुवादरूपमें प्रस्तुत इस शिलालेखके अन्तिम वाक्यसे भी, यद्यपि, यह नहीं पाया जाता कि विद्यानन्द और पात्रकेसरी दोनों एक ही व्यक्ति थे; क्योंकि न तो इसमें ऐसा लिखा है और न और सब कथन अकेले विद्यानन्दसे ही संबंध रखता है बल्कि गौतम, भद्रबाहु, समन्तभद्र और अकलंकादिक आचार्योंका भी इसमें उल्लेख है और तदनुसार पात्रकेसरीका भी एक उल्लेख है। गौतम, भद्रबाहु और समन्तभद्रादिक यदि विद्यानन्दके नामान्तर नहीं हैं तो पात्रकेसरीको ही उनका नामान्तर क्यों समझा जाय ? फिर भी मैं इस लेख-विषयको कुछ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

यह शिलालेख कनड़ी और संस्कृत भाषाका एक बहुत बड़ा शिलालेख है—उक्त अनुवादरूपमें पाठक जितना देख रहे हैं उतना ही नहीं है। इसका पूर्वभाग कनड़ी और उत्तरभाग संस्कृत है और यह संस्कृतभाग ही इसमें बड़ा है। पहले कनड़ी भागमें वादिविद्यानन्दका उल्लेख है और उन राजसभाओं आदिका उल्लेख है जहाँ

पर उनके द्वारा कोई कोई महत्त्वका कार्य हुआ है। यह भाग १७ पद्योंमें है। ऊपर जो अनुवाद दिया है उसमें 'जैनशासन' से प्रारम्भ होनेवाले अन्तिम पाँच वाक्यों-को छोड़कर शेष भाग इसी कनडी भागसे सम्बन्ध रखता है और उसमें पहले तीन पद्यों तथा पाँचवें, आठवें और दसवें पद्यका कोई अनुवाद नहीं है, जिससे अन्य वृत्तान्तके अतिरिक्त श्रीरंगनगरकी राजसभा, गुरु नृपालकी राजसभा और नगरी राज्यकी राजसभाका भी हाल रह गया है और शेष पद्योंका जो अनुवाद या आशय दिया गया है वह बहुत कुछ अधूरा ही नहीं किन्तु कहीं कहीं पर गलत भी है, जिसका एक उदाहरण गेरसोप्पे-सम्बन्धी पद्यका अनुवाद है। इस पद्यमें कहा गया है कि 'हे विद्यानन्द, आपने गेरसोप्पेमें योगागम-विषयक वादमें प्रवृत्त मुनिगणकी पालना—अथवा सहायता—के कार्यको प्रेमके साथ, बतौर एक गुरुके अपने हाथमें लिया है और (इस तरह) अपनेको प्रतिष्ठित किया है। इस परसे पाठक यह सहजमें ही अनुभव कर सकते हैं कि ऊपरका 'गेरसोप्पा' से प्रारम्भ होनेवाला अनुवाद कितना गलत और भ्रामक है। अस्तु; शिलालेखके इस कनडीभागमें जिन राजाओंका उल्लेख है और संस्कृतभागमें भी संगिराज, पद्मानन्दन कृष्णदेव, सालुव कृष्णदेव, विरूपाक्षराय, साल्वमल्लिराय, अच्युतराय, विद्यानगरीके विजयश्रीकृष्णराय आदि जिन राजाओंका विद्यानन्द तथा उनके शिष्योंके सम्बन्धमें उल्लेख है वे सब शककी १५ वीं अथवा विक्रम और ईसाकी प्रायः १६ वीं शताब्दीमें हुए हैं और इसलिये उनकी सभाओं में प्रसिद्ध होनेवाले ये वादिविद्यानन्द महोदय वे विद्यानन्दस्वामी नहीं हैं जो श्लोकवार्तिकादि ग्रन्थोंके प्रसिद्ध रचयिता हैं। और यह बात इस शिलालेखके लेखक तथा विद्यानन्दके प्रशिष्य और बन्धु मुनिवर्द्धमान-द्वारा रचित ❁ 'दश भक्त्यादिशास्त्र' से भी पाई जाती है, जिसमें इन सब पद्योंका ही नहीं किन्तु संस्कृत भागके भी बहुतसे पद्योंका उल्लेख करते हुए विद्यानन्दका मृत्युका समय शक सं० १४६३ दिया है। यथा—

शाके वन्दिह्वरा(रसा?)ब्धिचंद्रकलिते संवत्सरे शार्वरे

❁ यह ग्रन्थ आराके जैनसिद्धान्तभवनसे देखनेको मिला, जिसके लिये अध्यक्ष महाशय विशेष धन्यवादके पात्र हैं।

शुद्धश्रावणभाककृतान्तधरणीतुमैत्रमेषे रवौ ।

कर्कस्थे सगुरौ जिनस्मरणतो वादीन्द्रवृन्दाचितो

विद्यानन्दमुनीश्वरः स गतवान् स्वर्गं चिदानन्दकः ॥

ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि एक विद्वान्की कीर्तियोंको दूसरे विद्वान्के साथ जोड़ देनेमें प्रेमीजी आदिको भारी भ्रम तथा धोखा हुआ है और उन्हें अब उसे मालूम करके तथा यह देखकर कि गलतीका बहुत कुछ प्रचार हो गया है झरूर उसके लिये खेद होगा । अस्तु; अब शिलालेखके संस्कृत भागको लीजिये, जिसका प्रारम्भ निम्न पद्योंसे होता है—

वीरश्रीवरदेवराजकृत्स्नकन्याणपूजात्सवो

विद्यानन्दमहोदयैकनिलयः श्रीसंगिराजार्चितः ।

पद्मानन्दन-कृष्णदेव-वनुतः श्रीवर्द्धमानो जिनः

पायात्सालुव-कृष्णदेवनृपतिं श्रीशोऽर्द्धनारीश्वरः ॥

श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् ।

जीयात् त्रलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥

इन पद्योंके बाद क्रमशः वर्द्धमानजिन, भद्रबाहु, उमास्वाति, सिद्धान्तकीर्ति, अकलंक, श्लोकवार्तिक आदि ग्रन्थोंके कर्ता विद्यानन्दस्वामी, माणिक्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, पूज्यपाद, होयसलराजगुरु वर्द्धमान, वासुपूज्य और श्रीपाल नामक गुरुओंका स्तवन करते हुए 'पात्रकेसरी' का स्तोत्र निम्न प्रकारसे दिया है—

भूभृत्पादानुवर्ती सन् राजसेवापराङ्मुखः ।

संयतोऽपि च मोक्षार्थी भात्यसौ पात्रकेसरी ॥

[इससे मालूम होता है कि 'पात्रकेसरी' पहले किसी राजाकी सेवामें थे और उस राजसेवामें पराङ्मुख होकर—उसे छोड़ कर—ही वे मोक्षार्थी सुनि बने हैं और उन्होंने भूभृत्पादानुवर्ती होना—तपस्याके लिये गिरिचरणाकी शरणमें रहना—ही उत्तम समझा है, और इसीसे आप सुशोभित हुए हैं ।]

इस स्तोत्रके बाद चामुण्डराय-द्वारा पूजित नेमिचन्द्र, माधवचन्द्र, जयकीर्ति, जिनचन्द्र, इन्द्रनन्दी, बसन्तकीर्ति, विशालकीर्ति, शुभकीर्ति, पद्मनन्दी, माधनन्दी, सिंहनन्दी, चन्द्रप्रभ, वसुनन्दी, मेघचन्द्र, वीरनन्दी, धनंजय, वादिराज और

धर्मभूषणका स्तवन देते अथवा इनमेंसे किसी किसीका उल्लेख मात्र करते हुए, फिर उन्हीं वादिविद्यानन्दका शिष्य-प्रशिष्यादि-सहित वर्णन और स्तवन दिया है, जिनका पहले कनडीभागमें तथा संस्कृतभागके पहले पद्यमें उल्लेख है—उन्हें ही 'बुधेशभवन-व्याख्यान' का कर्ता लिखा है—और अन्तमें निम्न पद्य-द्वारा इस सब कथनको 'गुरुसन्तति' का वर्णन सूचित किया है—

वर्द्धमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दार्यबन्धुना ।
देवेन्द्रकीर्तिमहिता लिखिता गुरुसन्ततिः ॥

शिलालेखके इस परिचयसे पाठक सहजमें ही यह समझ सकते हैं कि 'पात्रकेसरी' विद्यानन्दस्वामीका कोई नामान्तर नहीं है, वे गुरुसन्ततिमें एक पृथक् ही आचार्य हुए हैं—दोनों विद्यानन्दोंके मध्यमें उनका नाम कितने ही आचार्योंके अन्तरसे दिया हुआ है—और इसलिए इस शिलालेखके आधारपर प्रेमीजीका उन्हें तथा विद्यानन्दस्वामीको एक ही व्यक्ति प्रतिपादन करना भ्रममात्र है—उन्हें जरूर इस विषयमें दूसरोंके अपरीक्षित कथन पर विश्वास कर लेनेके कारण धोखा हुआ है ।

अब रहे दो प्रमाण, पहला और चौथा । चौथा प्रमाण विक्रमकी १७वीं शताब्दी (सं० १६४८) में बने हुए एक नाटक-ग्रंथके कल्पित पात्रोंकी बात-चीत पर आधार रखता है, जिसे सब औरसे सामंजस्यकी जाँच किये बिना कोई खास ऐतिहासिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता । नाटकों तथा उपन्यासोंमें प्रयोजनादिवश कितनी ही बातें इधरकी उधर हो जाती हैं, उनका प्रधान लक्ष इतिहास नहीं होता किन्तु किसी बहानेसे—कितनी ही कल्पनाएँ करके—किसी विषयको प्रतिपादन करना अथवा उसे दूसरोंके गले उतारना होता है । और इसलिए उनकी ऐतिहासिकता पर सहसा कोई विश्वास नहीं किया जा सकता । उनके पात्रों अथवा पात्रनामोंकी ऐतिहासिकता तो कभी कभी बहुत दूरकी बात हो जाती है, बहुतसे नाम तो उनमें यों ही कल्पित किये हुए (फ़र्जी) होते हैं—वे कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं होते—और कितने ही व्यक्तियोंका काम उनके असली नामोंसे प्रकट न करके कल्पित नामोंसे ही प्रकट किया जाता है । इस ज्ञानसूर्योदय नाटकका भी ऐसा ही हाल है । इसमें 'अष्टशती' के मुखसे जो वाक्य कहलाये गए हैं उनमें नित्यादि परपक्षोंके

खंडनात्मक वाक्य 'अष्टशती' के नहीं किन्तु 'आसमीमांसा' के वाक्य है, जिस को 'देवागम' भी कहते हैं। और इस देवागम-स्तोत्रकी बाबत ही यह कथा प्रसिद्ध है कि इसके प्रभावसे पात्रकेसरी विद्वान अजैनसे जैन हुए थे—समन्त-भद्र-भारतीस्तोत्र में भी 'पात्रकेसरिप्रभावसिद्धकारिणीं स्तुत्रे' वाक्यके द्वारा इसी बात को सूचित किया गया है। पात्रकेसरीको 'अष्टशती' की प्राप्ति हुई थी और वे उसकी प्राप्तिके पहलेसे ही संपूर्ण स्याद्वादके अभिप्रायोंको अच्छी तरहसे जाननेवाले थे, नाटकके इस कथनकी कहींसे भी कोई सिद्धि तथा पुष्टि नहीं होती और न अष्टसहस्रीमें ही उसके कर्ताका नाम अथवा नामान्तर पात्रकेसरी दिया है। जान पड़ता है नाटकके कर्ता भट्टारक वादिचन्द्रको अष्टशतीका अष्टसहस्रीके द्वारा पुष्ट होना दिखलाना था और उसके लिये उन्होंने वैसे ही उसके पुष्टकर्तारूप 'पात्रकेसरी' नामकी कल्पना कर डाली है। और इसलिये उसपर कोई विशेष जोर नहीं दिया जा सकता और न इतने परसे ही उसे ऐतिहासिक सत्य माना जा सकता है।

हाँ, पहले प्रमाणमें 'सम्यक्त्वप्रकाश' नामक ग्रन्थकी जो पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं उनसे विद्यानन्द और पात्रकेसरीका एक होना जरूर प्रकट होता है। और इस लिए इस प्रमाणपंचकमें परीक्षा करनेपर यही एक ग्रन्थ रह जाता है जिसके आधारपर प्रकृत-विषयके सम्बन्धमें कुछ जोर दिया जा सकता है। यह ग्रन्थ मेरे सामने नहीं है—प्रेमीजीको लिखने पर भी वह मुझे प्राप्त नहीं हो सका और न यही मालूम हो सका है कि वह किसका बनाया हुआ है और कब बना है। प्रेमीजी लिखते हैं—“सम्यक्त्वप्रकाशके विषयमें मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। (मेरा) वह लेख मुख्यतः पाँगलके मराठी लेखके आधारसे लिखा गया था; और उन्होंने शायद के० बी० पाठके अंग्रेजी लेखके आधारसे लिखा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है।” अस्तु; डाक्टर शतीशचन्द्र विद्याभूषणने भी, अपनी इंडियन लाजिककी हिस्टरीमें, के० बी० पाठके अंग्रेजी लेखके आधार पर 'सम्यक्त्वप्रकाश' ‡ के इस प्रमाणका उल्लेख किया

‡ 'जैनग्रन्थावली' से मालूम होता है कि इस नामका एक ग्रन्थ दक्कन कालेज पूनाकी लायब्रेरीमें मौजूद है। संभव है कि वह यही प्रकृत ग्रन्थ हो। और के० बी० पाठक महाशयने इसी ग्रन्थप्रति परसे उल्लेख किया हो।

है, और इससे ऐसा मालूम होता है कि शायद के०बी० पाठक महाशयने ही इस प्रमाणको पहले उपस्थित किया है । परन्तु पहले चाहे जिसने उपस्थित किया हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ अपने उक्त वाक्यकी लेखन-शैली परसे बहुत कुछ आधुनिक जान पड़ता है—आश्चर्य नहीं जो वह उक्त 'ज्ञानसूर्योदय' नाटकसे भी अर्वाचीन हो—और मुझे इस कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि यदि इस ग्रन्थके कर्तानि "श्लोकवार्तिके विद्यानन्दपरनामपात्रकेसरिस्वामिना यदुक्तं तच्च लिख्यते" यह वाक्य इसी रूपमें दिया है तो उसे इसके द्वारा विद्यानन्द और पात्रकेसरीस्वामीको एक व्यक्ति प्रतिपादन करनेमें ज़रूर भ्रम हुआ है अथवा उसके समझनेकी किसी गलतीका ही परिणाम है; क्योंकि वास्तवमें पात्रकेसरीस्वामी और विद्यानन्द दोनोंका एक व्यक्तित्व सिद्ध नहीं होता—प्राचीन उल्लेखों अथवा घटनासमूह परसे वे दो भिन्न आचार्य जान पड़ते हैं । और यह बात ऊपरके इस संपूर्ण परीक्षण तथा विवेचनको ध्यानमें रखते हुए नीचे दिये स्पष्टीकरणसे पाठकोंको और स्पष्ट हो जायगी:—

दोनोंकी भिन्नताका स्पष्टीकरण—

(१) विद्यानन्दस्वामीने स्वरचित श्लोकवार्तिकादि किसी भी ग्रन्थमें अपना नाम या नामान्तर 'पात्रकेसरी' नहीं दिया, किन्तु जिस तिस प्रकारसे 'विद्यानन्द' का ही उल्लेख किया है । 'विद्यानन्द' के अतिरिक्त यदि उन्होंने कहींपर किसी तरहसे अपना कोई उपनाम, उपाधि या विशेषण सूचित किया है तो वह 'सत्य-वाक्याधिप' या 'सत्यवाक्य' है; जैसा कि निम्न अवतरणों से जान पड़ता है—

विद्यानन्दबुधैरलंकृतमिदं श्रीसत्यवाक्याधिपैः ।

—युक्त्यनुशासनटीका

सत्यवाक्याधिपाः शश्वद्विद्यानन्दाः जिनेश्वराः

—प्रमाणपरीक्षा

विद्यानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयै ॥

—आप्तपरीक्षा

(२) विद्यानन्दके बाद होनेवाले प्रभाचन्द्र और बादिराज—जैसे प्राचीन आचार्यों ने भी 'विद्यानन्द' नामसे ही आपका उल्लेख किया है। यथा—

विद्यानन्द-समन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्

—प्रमेयकमलमातण्ड

ऋजुसूत्रं स्फुरद्रत्नं विद्यानन्दस्य विस्मयः ।

शृण्वतामप्यलंकारं दीप्तिरंगेषु रङ्गति ॥

—पाश्वनाथचरित

(३) शिलालेखोंमें भी 'विद्यानन्द' नामसे ही आपका उल्लेख मिलता है और यह कहीं सूचित नहीं किया कि विद्यानन्दका ही नाम पात्रकेसरी है। प्रत्युत इसके, हमचाके उक्त शिलालेखमें जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है दोनोंको अलग अलग गुरु सूचित किया है। उसमें भट्टकलंकके बाद विद्यानन्दकी स्तुतिके तीन पद्य दिये हैं और उनमें आपकी कृतियोंका—आप्तमीमांसांशकृति (अष्टसहस्री), प्रमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, विद्यानन्दमहोदय और श्लोकवार्तिकालंकारका—उल्लेख करते हुए सर्वत्र आपको विद्यानन्द नामसे ही उल्लेखित किया है। यथा—

अलं चकार यस्सार्वाप्तमीमांसितं मतं ।

स्वामिविद्यादिनन्दाय नमस्तस्मै महात्मने ॥

यः प्रमाणपत्रपत्राणां परीक्षाः कृतवान्नुमः ।

विद्यानन्दस्वामिनं च विद्यानन्दमहोदयं ॥

विद्यानन्दस्वामी विरचितवान्श्लोकवार्तिकालंकारं ।

जयति कविविबुधतार्किकचूडामणिरमलगुणनिलयः ॥

(४) विद्यानन्दकी कृतिरूपसे जो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं उनमेंसे किसीका भी उल्लेख पात्रकेसरीके नामके साथ प्राचीन साहित्यमें नहीं पाया जाता और न पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे प्रसिद्ध होनेवाले ग्रन्थोंका उल्लेख विद्यानन्दके नामके साथ ही पाया जाता है। यह दूसरी बात है कि आज-कलके कुछ प्रकाशक अथवा संशोधक महाशय दोनोंकी एकताके भ्रमवश एकका नाम दूसरेके साथ जोड़ देंगे। अस्तु; पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे सिर्फ दो ग्रन्थोंका उल्लेख मिलता है—

एक 'जिनेन्द्रगुणसंस्तुति' का, जिसे 'पात्रकेसरिस्तोत्र' भी कहते हैं और जो छप चुका है, और दूसरा 'त्रिलक्षणकदर्थन' का, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। इस 'त्रिलक्षणकदर्थन' के साथ ही पात्रकेसरीकी खास प्रसिद्धि है। बौद्धोंके द्वारा प्रतिपादित अनुमान-विषयक हेतुके विरूपात्मक लक्षणका बिस्तारके साथ खंडन करना ही इस ग्रन्थका अभिप्रेत है। श्रवणबेलगोलके 'मल्लिषेणप्रशस्ति' नामक शिलालेख (नं० ५४/६७) में, जो कि शक सं० १०५० का लिखा हुआ है, 'त्रिलक्षणकदर्थन' के उल्लेखपूर्वक ही पात्रकेसरीकी स्तुति की गई है। यथा—

महिमा सपात्रकेसरिगुरोः परं भवति यस्य भक्त्यासीत् ।

पद्मावती सहाया त्रिलक्षण-कदर्थनं कर्तुम् ॥

इसमें बतलाया है कि उन 'पात्रकेसरी' गुरुका बड़ा माहात्म्य है जिनकी भक्तिके वश होकर पद्मावती देवीने 'त्रिलक्षणकदर्थन' की कृतिमें उनकी सहायता की थी'। कहा जाता है कि पद्मावतीके प्रसादसे आपको नीचे लिखे श्लोककी प्राप्ति हुई थी और उसको पाकर ही आप बौद्धोंके अनुमान-विषयक हेतुलक्षणका खण्डन करनेके लिये समर्थ हुए थे—

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥

कथाकोश-वर्णित पात्रकेसरीकी कथामें भी यह श्लोक दिया है और बहुतसे न्याय-सिद्धान्तादि-विषयक ग्रन्थोंमें यह उद्धृत पाया जाता है। इस श्लोककी भी पात्रकेसरीके नामके साथ खास प्रसिद्धि है और यही आपके 'त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रन्थका मूल मन्त्र जान पड़ता है।

यहाँ, पाठकोंको यह जान कर आश्चर्य होगा कि प्रेमीजी अपने उक्त लेखमें इस ग्रन्थकी सत्तासे ही इनकार करते हैं और लिखते हैं कि "वास्तवमें 'त्रिलक्षणकदर्थन' कोई ग्रन्थ नहीं है। पद्मावतीने 'अन्यथानुपपन्नत्वं' आदि श्लोक लिख कर पात्रकेसरीके जिस अनुमानादि-विषयक त्रिलक्षणके भ्रमको निराकरण किया था, उसीका यहाँ (मल्लिषेणप्रशस्तिमें) उल्लेख है।" परन्तु आपका यह लिखना ठीक नहीं है; क्योंकि यह ग्रन्थ ११वीं शताब्दीके विद्वान् वादिराजसूरि-जैसे प्राचीन आचार्योंके सामने मौजूद था और उन्होंने 'न्यायविनिश्चयालंकार' में

पात्रकेसरीके नामके साथ उसका स्पष्ट उल्लेख किया है और अमुक कथनका उस शास्त्रमें विस्तारके साथ प्रतिपादन होना बतलाकर उसके देखनेकी प्रेरणा की है। जैसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है—

“त्रिलक्षणकदर्शने वा शास्त्रे विस्तरेण श्रीपात्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादनादित्यलमभिनिवेशेन ।”

(५) वादिराजसूरिने, ‘न्यायविनिश्चयालंकार’ नामक अपने भाष्यमें ‘अन्यथानुपपत्तत्वं’ नामके उक्त श्लोकको नीचे लिखे वाक्यके साथ उद्धृत किया है —

“तदेवं पक्षधर्मत्वादिमन्तरेणाप्यन्यथानुपपत्तिबलन हेतोर्गमकत्वं तत्र तत्र स्थाने प्रतिपाद्यभेदं स्वबुद्धिपरिकल्पितमपि तृपरागमसिद्धमित्युपदर्शयितुकामः भगवत्सीमंधरस्वामितीर्थकरदेवसमवसरणाद्गणधरदेवप्रसादापादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्तिकं तदाह—”

और इसके द्वारा इतना विशेष और सूचित किया है कि उक्त श्लोक पद्मावती देवीने सीमंधरस्वामी तीर्थकरके समवसरणमें जाकर गणधरदेवके प्रसादसे प्राप्त किया था और वह ‘अन्यथानुपपत्ति’ नामक हेतुलक्षणका वार्तिक है। अस्तु; यह श्लोक पात्रकेसरीको पद्मावतीदेवीने स्वयं दिया हो या गणधरदेवके पाससे लाकर दिया हो अथवा अपने इष्टदेवताका ध्यान करने पर पात्रकेसरीजीको स्वतः ही सूझ पड़ा हो (कुछ भी हो), किन्तु इस प्रकारके उल्लेखोंसे यह निःसन्देह जान पड़ता है कि लोकमें इस श्लोकके आद्य प्रकाशक पात्रकेसरी स्वामी हुए हैं। और इसलिये यह पद्य उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है।

विद्यानन्दस्वामीने प्रमाणपरीक्षा और श्लोकवार्तिक नामक अपने दो ग्रंथोंमें ‘तथोक्त’, ‘तथाह च’ शब्दोंके साथ पात्रकेसरीके उक्त श्लोकको उद्धृत किया है। और इससे यह जाना जाता है कि पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे भिन्न ही नहीं किन्तु उनसे पहले हुए हैं।

(६) ‘तत्त्वसंग्रह’ नामका एक प्राचीन बौद्धग्रन्थ, पंजिका सहित, बड़ौदाकी ‘गायकवाड-घोरियंटल-सिरीज’ में प्रकाशित हुआ है। यह मूल ग्रंथ आचार्य ‘शान्तरक्षित’का बनाया हुआ है और इसकी पंजिकाके कर्ता उनके शिष्य ‘कमल-

शील' आचार्य है। इस ग्रन्थमें पात्रकेसरी स्वामीके मतका उल्लेख उन्हींके वाक्यों-द्वारा निम्न प्रकारसे किया गया है:—

“अन्यथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशाङ्कते—

अन्यथानुपपन्नत्वे ननु दृष्टा सुहेतुता ।

नासति त्र्यंशकस्यापि तस्मात्क्लीवस्त्रिलक्षणः ॥१३६४॥

अन्यथानुपपन्नत्वं यस्यासौ हेतुरिष्यते ।

एकलक्षणकः सोऽर्थश्चतुर्लक्षणको न वा ॥ १६६५ ॥

यथा लोके त्रिपुत्रः सन्नैकपुत्रक उच्यते ।

तस्यैकस्य सुपुत्रत्वात्तथेहापि च दृश्यताम् ॥ १३६६ ॥

अविनाभावसम्बन्धस्त्रिरूपेषु न जातुचित् ।

अन्यथाऽसंभवैकाङ्गहेतुष्वेकोपलभ्यते ॥ १६३७ ॥

अन्यथानुपपन्नत्वं यस्य तस्यैव हेतुता ।

दृष्टान्तौ द्वावपि स्तां वा मा वा तौ हि न कारणम् ॥१३६८

✽ अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ।

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥१३६९॥

सश्यामस्तस्य पुत्रत्वाद् दृष्टाः श्यामा यथेतरे ।

इति त्रिलक्षणो हेतुर्न निश्चित्यै प्रवर्तते ॥ १३७० ॥

तत्रैकलक्षणो हेतुर्दृष्टान्तद्वयवर्जितः ।

कथंचिदुपलभ्यत्वाद् भावाभावौ सदात्मकौ ॥१३७१॥

चन्द्रत्वेनापदिष्टत्वान्नाचन्द्रः शशलाञ्छनः ।

इति द्विलक्षणो हेतुरयं चापर उच्यते ॥१३७२॥

पतत्कीटकृतेयं मे वेदनेत्यवसीयते ।

तत्कीटकसंस्पर्शप्रतिलब्धोदयत्वतः ॥ १३७३ ॥

चक्षू रूपग्रहे कार्ये सदाऽतिशयशक्तिमत् ।

तस्मिन्पापार्यमानित्वाद्यदि वा तस्य दर्शनात् ॥१३७४॥

✽ यह पात्रकेसरीका वही प्रसिद्ध श्लोक है ।

कथंचिदसदात्मानो यदि वाऽऽत्मघटादयः ।

कथंचिदुपलभ्यत्वात्स्वरसम्बन्धिशृंगवत् ॥१३७५॥

कथंचन सदात्मानः शशशृंगादयोपि च ।

कथंचिदुपलभ्यत्वाद्यथैवात्मघटादयः ॥१३७६॥

त्वदीयो वापि तत्रास्ति वेश्मनीत्यवगम्यते ।

भावत्कपितृशब्दस्य श्रवणादिह सद्धानि ॥ १३७७ ॥

अन्यथानुपपत्यैव शब्ददीपादिवस्तुषु ।

अपक्षधर्मभावेऽपि दृष्टा ज्ञापकताऽपि च ॥ १३७८ ॥

तेनैकलक्षणो हेतुः प्राधान्याद् गमकोस्तु नः ।

पक्षधर्मादिभिस्त्वन्यैः किं व्यर्थैः परिकल्पितैः ॥ १३७९ ॥

इन वाक्योंका विषय प्रायः त्रिरूपात्मक हेतुलक्षणका कदर्थन करना है, और इससे ये पात्रकेसरीके 'त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रंथसे ही उद्धृत किये गये जान पड़ते हैं । अस्तु; शान्तरक्षितका समय ई० सन् ७०५ से ७६२ तक और कमल-शीलका ७१३ से ७६३ तक पाया जाता है ❀ । ये दोनों आचार्य विद्यानन्दसे पहले हुए हैं; क्योंकि विद्यानन्द प्रायः ६ वीं शताब्दी के विद्वान् हैं । और इस लिये इनके ग्रंथमें पात्रकेसरी स्वामी और उनके वाक्योंका उल्लेख होनेसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे बहुत पहले हो गये हैं ।

❀ देखो, श्रीयुत बी० भट्टाचार्यद्वारा लिखित ग्रन्थकी भूमिका [Foreword] । ये दोनों आचार्य नालन्दाके विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे हैं और वहींसे यथा-वसर तिब्बतके राजा द्वारा निमंत्रित होकर तिब्बत भी गये हैं । तिब्बतके राजा Khri-sron-deutsan (ख्रिस्रोन्टेउत्सन्) ने शान्तरक्षितकी सहायतासे ई० सन् ७४६ में एक विहार (मठ) अपने यहाँ निर्माण किया था । और कमल-शीलने 'महायानहोशंग' नामक चीनी साधुको परास्त तथा निर्वासित करके अपने गुरु पद्मसम्भव और शान्तरक्षितके धार्मिक विचारोंकी तिब्बतमें रक्षा की थी; ऐसा डा० शतीश्चन्द्र विद्याभूषणकी 'हिस्टरी आफ़ दि मिडियावल स्कूल आफ़ इन्डियन लाजिक' से जाना जाता है ।

(७) अकलंकदेवके ग्रन्थोंके प्रधान टीकाकार श्रीअनन्तवीर्यने आचार्य जिनका आविर्भाव अकलंकदेवके अन्तिम जीवनमें अथवा उनसे कुछ ही वर्षों बाद हुआ जान पड़ता है और जिनकी उक्तियोंके प्रति प्रभावन्द्राचार्यने अपने 'न्याय-कुमुदचन्द्रोदय' में बड़े ही महत्त्व तथा कृतज्ञताका भाव प्रकट किया है, अकलंक-देवकृत 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रन्थकी टीकाके 'हेतुलक्षणसिद्धि' नामक छठे प्रस्ताव-में पात्रकेसरी स्वामी, उनके 'त्रिलक्षणकदर्थन' ग्रंथ और उनके 'अन्यथानुपपन्नत्वं' नामके उस प्रसिद्ध श्लोकका उल्लेख करते हुए, जो महत्त्वकी चर्चा तथा सूचना की है वह इस प्रकार है:—

“ननु सदोषं तदतस्तदुपरि ज्ञानमदोषायेति चेदत्राह—‘अमलालीढं’ अमलैरणधरभृतिभिरालीढमास्वादितं न हि ते सदोषमालिहन्य-मलत्वहानेः । कस्य तदित्यत्राह—‘स्वामिनः’ पात्रकेसरिणः इत्येके । कुत एतत्तेन तद्विषयत्रिलक्षणकदर्थनमुत्तरभाष्य यतः कृतमिति चेत् नन्वेवं (तर्हि) सीमन्धरभट्टारकस्याशेषार्थसाक्षात्कारिणस्तीर्थकरस्य स्यात्तेन हि प्रथमं ‘अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किं । नान्यथा-नुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किं’ इत्येतत्कृतं । कथमिदमवगम्यत इति चेत् पात्रकेसरिणा त्रिलक्षणकदर्थनं कृतमितिकथमवगम्यत इति, समानमा-चार्यप्रसिद्धेरित्यपि समानमुभयत्र कथा च महती सुप्रसिद्धा तस्य तत्कृतत्वे प्रमाणप्रामाण्ये तत्प्रसिद्धौ कः समाश्वासः । तदर्थं करणात्तस्येति चेत्तर्हि सर्वं शास्त्रं तदविधेयं चात एव शिष्याणामेव न तत्कृतमिति व्यपदिश्येत

† 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रंथकी खोज होने पर हालमें यह उसकी सोलह-सतरह हजार श्लोकपरिमाण टीका गुजरात-पुरातत्त्व-मन्दिर अहमदाबादको प्राप्त हुई है और मुझे गतवर्ष वहीं पर इसके पन्ने पलटनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह टीका बड़े महत्त्वकी है परन्तु यह जानकर खेद हुआ कि इसमें मूलसूत्र पूरे नहीं दिये—आद्याक्षरोंकी सूचना रूपसे पाये जाते हैं । मूल ग्रन्थकी खोज होनेकी बहुत बड़ी जरूरत है । क्या ही अच्छा हो यदि कोई समर्थ जिनवाणी-भक्त इसका मूल-सहित उद्धार करा कर अपनी जिनवाणी-भक्तिका सच्चा परि-चय देवें ।

पात्रकेसरिणोऽपि वा न भवेत्तेनाप्यन्यार्थं तत्करणात्तेनाप्यन्यार्थमिति न कस्यचित्स्यद्येन तद्विषयप्रबंधकरणात्पात्रकेसरिणस्तदिति चिन्तितं मूलसूत्रकारेण कस्यचिद्व्यपदेशाभावप्रसंगान् । तस्मात्साकल्येनसाक्षात्कृत्योपदिशत एवायं भगवतस्तीर्थकरस्य हेतुरिति निश्चीयते एतच्चामलालीढत्वे कारणमुक्तं ।

यह सारी चर्चा वास्तवमें अकलंकदेवके मूलसूत्र (कारिका) में प्रयुक्त हुए 'अमलालीढं और स्वामिनः' ऐसे दो पदोंकी टीका है । और इससे ऐसा जान पड़ता है कि, अकलङ्कदेवने हेतुके 'अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण' का 'अमलालीढ' विशेषण देकर उसे अमलों (निर्दोषों)—गणधरादिकों—द्वारा आस्वादित बतलाया है और साथ ही 'स्वामिनः' पदके द्वारा प्रतिपादित किया है कि वह 'स्वामिकृत' है । इसपर टीकाकारने यह चर्चा की है कि—यहाँ 'स्वामी' शब्दसे कुछ विद्वान् लोग पात्रकेसरी स्वामीका अभिप्राय लेते हैं—उस हेतुलक्षणको पात्रकेसरिकृत बतलाते हैं—और उसका हेतु यह देते हैं कि पात्रकेसरीने चूँकि हेतुविषयक 'त्रिलक्षणकदर्थन' नामके उत्तरभाष्यकी रचना की है इसीसे यह हेतुलक्षण उन्हींका है । यदि ऐसा ही है—ऐसा ही हेतुप्रयोग है—तब तो वह अशेष विषयको साक्षात् करनेवाले सीमंधरस्वामि-तीर्थकर-कृत होना चाहिये; क्योंकि उन्हींने ही पहले 'अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किं । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किं' इस वाक्यकी सृष्टि की है । यदि यह कहा जाय कि सीमंधरस्वामीने ऐसा किया इसके जाननेका क्या साधन है ? तो फिर पात्रकेसरीने त्रिलक्षणका कदर्थन किया इसके जाननेका भी क्या साधन है ? यदि इसे आचार्यपरम्परासे प्रसिद्ध माना जाय तो सीमंधर स्वामीका कर्तृत्व भी उक्त श्लोकके विषयमें आचार्यपरम्परासे प्रसिद्ध है । दोनों ओर कथा समानरूपसे इसके कर्तृत्वविषयमें सुप्रसिद्ध हैं । यदि यह कहा जाय कि सीमंधर स्वामीने चूँकि पात्रकेसरीके लिये इसकी सृष्टि की है इसलिये यह पात्रकेसरिकृत है तब तो सर्वशास्त्रसमूह तीर्थकरके द्वारा अविधेय ठहरेगा और इसलिये यह कहना होगा कि वह शिष्योंका किया हुआ ही है, तीर्थकरकृत नहीं है । ऐसी हालतमें पात्रकेसरीका कर्तृत्व भी नहीं रहेगा; क्योंकि उन्हींने दूसरोंके लिये इसकी रचना की । और इसी तरह दूसरोंने और दूसरोंके लिये रचना की; तब किसीका भी

कर्तृत्व इस विषयमें नहीं ठहरेगा। इससे तद्विषयक प्रबन्धकी रचनाके कारण यह पात्रकेसरिकृत है, इसपर मूलसूत्रकारने—श्रीअकलंकदेवने—विचार किया है... और इसलिये (वास्तवमें तो) पूर्ण रूपसे साक्षात् करके उपदेश देनेवाले तीर्थंकर भगवानका ही यह हेतु निश्चित होता है और यही अमलालीढत्वमें कारण कहा गया है।

इस पुरातन-चर्चा परसे कई बातें स्पष्ट जानी जाती हैं—एक तो यह कि अनन्तवीर्य आचार्यके समयमें पात्रकेसरी स्वामी एक बहुत प्राचीन आचार्य समझे जाते थे, इतने प्राचीन कि उनकी कथा आचार्य-परम्पराकी कथा होगई थी; दूसरे यह कि, 'त्रिलक्षणकदर्थन' नामका उनका कोई ग्रन्थ ज़रूर था; तीसरे यह कि, 'अन्यथानुपपन्नत्व' नामके उक्त श्लोकको पात्रकेसरीकी कृति समझनेवाले तथा सीमंधरस्वामीकी कृति बतलानेवाले दोनों ही उस समय मौजूद थे और जो सीमंधरस्वामीकी कृति बतलाते थे वे भी उसका अवतार पात्रकेसरीके लिये समझते थे; चौथे यह कि मूलसूत्रकार श्रीअकलंकदेवके सामने भी पात्रकेसरिविषयक यह सब लोकस्थिति मौजूद थी और उन्होंने उसपर विचार किया था और उस विचारका ही यह परिणाम है जो उन्होंने सीमंधर या पात्रकेसरी दोनोंमेंसे किसी एक का नाम न देकर दोनोंके लिये समानरूपसे व्यवहृत होनेवाले 'स्वामिन्' शब्दका प्रयोग किया है। ऐसी हालतमें पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे भिन्न व्यक्ति थे और वे उनसे बहुत पहले हो गए हैं इस विषयमें सन्देहको कोई अवकाश नहीं रहता; बल्कि साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि पात्रकेसरी उन अकलंकदेवसे भी पहले हुए हैं जिनकी अष्टशतीको लेकर विद्यानन्दने अष्टसहस्री लिखी है।

(८) बेलूर ताल्लुकेके शिलालेख नं० १७ में भी पात्रकेसरीका उल्लेख है। यह शिलालेख रामानुजाचार्य-मन्दिरके अहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरके छतके एक पत्थरपर उत्कीर्ण है और शक संवत् १०५६ का लिखा हुआ है ❀। इसमें समन्तभद्रस्वामीके बाद पात्रकेसरीका होना लिखा है और उन्हें समन्तभद्रके द्रमिलसंधका अग्रेसर सूचित किया है। साथ ही, यह प्रकट किया है कि पात्र-

देखो, 'एपिग्रेफिका कर्णाटिका' जिल्द ५ भाग १ला।

केसरीके बाद क्रमशः वक्रग्रीव, वज्रनन्दी, सुमति भट्टारक (देव) और समयदीपक अकलंक नामके प्रधान आचार्य हुए हैं। यथा—

...तत् ... त्थेर्थमं सहस्रगुणं माडि समन्तभद्रस्वामिगलु सन्दर
अवरिं बलिक तदोय श्रीमद्द्रमिलसंघाग्रेसरर् अपपात्रकेसरि-स्वामि
गलिं वक्रग्रीवाभि.....रिन्द अनन्तरं ।

यस्य दि.....न् कीर्तिस्त्रैलोक्यमप्यगात् ।

.....येव भात्येको वज्रनन्दी गुणाग्रणीः ॥

अवरिं बलिक सुमति-भट्टारकर अवरिं बलिक... समयदीपक...
रम् उन्मीलित-दोष-क...रजनीचर बलं उद्बोधितं भन्यकमलम्
आयत् ऊर्जितम् अकलंक-प्रमाण-तपन स्फु..... ॥

इससे पात्रकेसरीकी प्राचीनताका कितना ही पता चलता है और इस बातका और भी समर्थन होता है कि वे अकलंकदेवसे पहले ही नहीं किन्तु बहुत पहले हुए हैं। अकलंकदेव विक्रमकी ७वीं-८वीं शताब्दीके विद्वान् हैं, वे बौद्धतार्किक 'धर्मकीर्ति' और मीमांसक विद्वान् 'कुमारिल'के प्रायः समकालीन थे और विक्रम संवत् ७०० में आपका बौद्धोंके साथ महान् वाद हुआ था, जिसका उल्लेख 'अकलंकचरित' के निम्न वाक्यमें पाया जाता है—

विक्रमाक-शकाब्दीय-शतसप्त-प्रमाजुपि ।

कालऽकलंक-यतिनां बौद्धैर्वीदा महानभूत् ॥

और वज्रनन्दी विक्रमकी छठी शताब्दीमें हुए हैं। उन्होंने वि० सं० ५२६में 'द्राविड' सघकी स्थापना की है, ऐसा देवमनके 'दर्शनसार' ग्रन्थसे जाना जाता है। इससे पात्रकेसरीका समय छठी शताब्दीसे पहले पाँचवी या चौथी शताब्दीके करीब जान पड़ता है; जब कि विद्यानन्दका समय प्रायः ९ वीं शताब्दीका ही है।

अतः इस संपूर्ण परीक्षण, विवेचन और स्पष्टीकरण परसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द दो भिन्न आचार्य हुए हैं—दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, ग्रन्थसमूह भिन्न है और समय भी भिन्न है; और इसलिये

‘सम्यक्त्वप्रकाश’ के लेखकने यदि दोनोंको एक लिख दिया है तो वह उसकी स्पष्ट भूल है। पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे कई शताब्दी पहले हुए हैं। वे ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे †, राज्यमें किसी अच्छे पद पर प्रतिष्ठित थे और एक बहुत बड़े अजैन विद्वान् थे। स्वामी समन्तभद्रके ‘देवागम’ स्तोत्रको सुनकर आपकी श्रद्धा पलट गई थी, आप जैनधर्ममें दीक्षित हो गये थे और राज-सेवाको भी छोड़ कर जैनमुनि बन गये थे। आपका आचार पवित्र और ज्ञान निर्मल था। इसीसे भगवज्जिनसेनाचाय-जैसे आचार्योंने आपकी स्तुति की है और आपके अतिनिर्मल गुणोंको विद्वानोंके हृदय पर हारकी तरह-से आरुढ़ बतलाया है। आपने नहीं मालूम और कितने ग्रन्थोंकी रचना की है। पात्रकेसरिस्तोत्र आदि परसे आपके ग्रंथ बड़े महत्त्वके मालूम होते हैं। उनका पठन-पाठन उठ जानेसे ही वे लुप्त हो गये हैं। उनकी जरूर खोज होनी चाहिए। ‘त्रिलक्षणकदर्शन’ ग्रंथ ११वीं शताब्दीमें मौजूद था, खोज करने पर वह जैनभंडारोंसे नहीं तो बौद्धशास्त्रभंडारोंसे—तिब्बत, चीन, जापान, लंकादिकके बौद्धविहारोंसे—अथवा पश्चिमी लायब्रेरियोंसे जरूर मिल जायगा। जैन समाजमें अपने प्राचीन साहित्यके उद्धारका कुछ भी उल्लेखनीय प्रयत्न नहीं हो रहा है—खाली जिनवाणीकी भक्तिके रीते-फाँके गीत गाए जाते हैं—और इसीसे जैनियोंका सारा इतिहास ग्रन्थकारमें पड़ा हुआ है। और उसके विषयमें सैंकड़ों गलतफ़हमियाँ फैली हुई हैं। जिनके हृदय पर साहित्य और इतिहासकी इस दुर्दशाको देख-सुनकर चोट पहुँचती है और जो जिनवाणीके सच्चे भक्त, पूर्वाचार्योंके सच्चे उपासक अथवा समाजके सच्चे शुभचिन्तक हैं उनका इस समय यह खास कर्तव्य है कि वे साहित्य और इतिहास दोनोंके उद्धारके लिये खास तौरसे अग्रसर हों, उद्धार-कार्यको व्यवस्थित रूपमें चलाएँ और उसमें सहायता पहुँचानेके लिये अपनी शक्तिभर कोई भी बात उठा न रखें।

† पात्रकेसरीकी कथाके अतिरिक्त विद्यानन्दिकृत ‘सुदर्शनचरित्र’ के निम्न वाक्यसे भी यह मालूम होता है कि पात्रकेसरी ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे—
विप्रवंशाग्रणीः सुदिः पवित्रः पात्रकेसरी । सचीयाजिन्नापादान्जसेवनेकमधुव्रतः ॥’

(द्वितीय लेख)

अनेकान्तके प्रथम वर्षकी द्वितीय किरणमें १६ दिसम्बर सन् १९२६ को मेंने 'स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' नामका एक लेख लिखा था, जिसमें पात्रकेसरी और विद्यानन्दकी एकता-विषयक उस भ्रमको दूर करनेका प्रयत्न किया गया था जो विद्वानोंमें उस समय फैला हुआ था और उसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि स्वामी-पात्रकेसरी और विद्यानन्द दो भिन्न आचार्य हुए हैं—दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है, ग्रन्थसमूह भिन्न है और समय भी भिन्न है। पात्रकेसरी विक्रमकी ७वीं शताब्दीके विद्वान् आचार्य, अकलङ्कदेवसे भी पहले हुए हैं—अकलङ्कके ग्रन्थोंमें उनके वाक्यादिका उल्लेख है—और उनके तथा विद्यानन्दके मध्यमें कई शताब्दियोंका अन्तर है। हर्षका विषय है कि मेरा वह लेख विद्वानोंको पसन्द आया और तबसे बराबर विद्वानोंका उक्त भ्रम दूर होता चला जा रहा है। अनेक विद्वान् मेरे उस लेखको प्रमाणमें पेश करते हुए भी देखे जाते हैं ॥

मेरे उस लेखमें दोनोंकी एकता-विषयक जिन पाँच प्रमाणोंकी जाँच की गई थी और जिन्हें निःसार व्यक्त किया गया था उनमें एक प्रमाण 'सम्यक्त्वप्रकाश' ग्रन्थका भी निम्न प्रकार था—

“सम्यक्त्वप्रकाश नामक ग्रन्थमें एक जगह लिखा है कि—

‘तथा श्लोकवार्तिके विद्यानन्दिअपरनामपात्रकेसरिस्वाममिना यदुक्तं तच्च लिख्यते—‘तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनं। न तु सम्यग्दर्शनशब्द-निर्वचनसामर्थ्यादेव सम्यग्दर्शनस्वरूपनिर्णयः शेषतद्विप्रतिपत्तिनिवृत्तेः सिद्धत्वात्तदर्थं तल्लक्षणवचनं न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपाकरोति।’

इसमें श्लोकवार्तिकके कर्ता विद्यानन्दिको ही पात्रकेसरी बतलाया है।”

यह प्रमाण सबसे पहले डाक्टर के० बी० पाठकने अपने ‘भर्तृहरि और

॥ हालमें प्रकाशित ‘न्यायकुमुदचन्द्र’की प्रस्तावनामें प० कैलाशचन्द्रशास्त्री भी लिखते हैं—“इस शततफहमीको दूर करनेके लिये, अनेकान्त वर्ष १८७६ पर मुद्रित ‘स्वामीपात्रकेसरी और विद्यानन्द’ शीर्षक निबन्ध देखना चाहिये”

कुमारिल' नामके उस लेखमें उपस्थित किया था जो सन् १८६२ में रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई ब्रांचके जर्नल (J. B. B. R. A. S. For 1892 PP. 222,223) में प्रकाशित हुआ था। इसके साथमें दो प्रमाण और भी उपस्थित किये थे—एक आदिपुराणकी टिप्पणीवाला और दूसरा ज्ञान-सूर्योदय नाटकमें 'अष्टशती' नामक स्तोत्रपात्रसे पुरुषके प्रति कहलाये हुए वाक्य-वाला, जो मेरे उक्त लेखमें क्रमशः नं० २, ४ पर दर्ज है। डा० शतीशचन्द्र विद्याभूषणने, अपनी इण्डियन लॉजिककी हिस्टरीमें, के० बी० पाठकके दूसरे दो प्रमाणोंकी अवगणना करते हुए और उन्हें कोई महत्त्व न देते हुए, सम्यक्त्व-प्रकाशवाले प्रमाणको ही पाठकजीके उक्त लेखके हवालेसे अपनाया था और उसीके आधारपर, बिना किसी विशेष ऊहापोहके, पात्रकेसरी और विद्यानन्दको एक व्यक्ति प्रतिपादित किया था। और इसलिये ब्रह्मनेमिदत्तके कथाकोश तथा हुमचावाले शिलालेखके शेष दो प्रमाणोंको, पाठक महाशयके न समझकर तात्वा नेमिनाथ पांगलके समझने चाहियें, जिन्हें प० नाथूरामजी प्रेमीने अपने 'स्याद्वाद-विद्यापति विद्यानन्दि' नामके उस लेखमें अपनाया था जिसकी मैंने अपने उस लेखमें आलोचना की थी। अस्तु।

उक्त लेख लिखते समय मेरे सामने 'सम्यक्त्वप्रकाश' ग्रन्थ नहीं था—प्रयत्न करनेपर भी मैं उसे उस समय तक प्राप्त नहीं कर सका था—और इसलिये दूसरे सब प्रमाणोंकी आलोचना करके उन्हें निःसार प्रतिपादन करनेके बाद मैंने सम्यक्त्वप्रकाशके "श्लोकवार्तिके विद्यानन्दिअपरनामपात्रकेसरिस्वामिना यदुक्तं तच्च लिख्यते" इस प्रस्तावना-वाक्यकी कैथनशैली परसे इतना ही अनुमान किया था कि वह ग्रन्थ बहुत कुछ आधुनिक जान पड़ता है, और दूसरे स्पष्ट प्रमाणोंकी रोशनीमें यह स्थिर किया था कि 'उसके लेखकको दोनों आचार्योंकी एकताके प्रतिपादन करनेमें जरूर भ्रम हुआ है अथवा वह उसके समझनेकी किसी गलतीका परिणाम है।' कुछ अर्से बाद मित्रवर प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायजी कोल्हापुरके सत्प्रयत्नसे 'सम्यक्त्वप्रकाश' की वह नं० ७७७ की पूनावाली मूल प्रति ही मुझे देखनेके लिये मिल गई, जिसका पाठक महाशयने अपने उस सन् १८६२ वाले लेखमें उल्लेख किया था। इसके लिये मैं उपाध्यायजीका खास तौरसे आभारी हूँ और वे विशेष धन्यवादके पात्र हैं।

ग्रन्थप्रतिको देखने और परीक्षा करनेसे मुझे मालूम हो गया कि इस ग्रन्थके सम्बन्धमें जो अनुमान किया गया था वह बिल्कुल ठीक है—यह ग्रन्थ अनुमानसे भी कहीं अधिक आधुनिक है और जरा भी प्रमाणमें पेश किये जानेके योग्य नहीं है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये आज मैं इस ग्रन्थकी परीक्षा एवं परिचयको अपने पाठकोंके सामने रखता हूँ।

सम्यक्त्वप्रकाश-परीक्षा—

यह ग्रन्थ एक छोटासा संग्रह ग्रन्थ है, जिसकी पत्र-संख्या ३७ है—३७वें पत्रका कुछ पहला पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ पूरा खाली है—और जो प्रायः प्रत्येक पृ० पर ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्तिमें ४५ के करीब अक्षरोंको लिये हुए है। ग्रन्थ-पर लेखक अथवा संग्रहकारका कोई नाम नहीं है और न लिखनेका कोई सन्-संवत्तादिक ही दिया है। परन्तु ग्रन्थ प्रायः उसीका लिखा हुआ अथवा लिखाया हुआ जान पड़ता है जिसने संग्रह किया है और ६०-७० वर्षसे अधिक समय पहलेका लिखा हुआ मालूम नहीं होता। लायब्रेरीके चिटपर Comes From Surat शब्दोंके द्वारा सूरतसे आया हुआ लिखा है और इसने दक्कनकालिज-लायब्रेरीके सन् १८७५-७६ के संग्रहमें स्थान पाया है।

इसमें मंगलाचरणादि-विषयक पद्योंके बाद “तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शन-मितिसूत्रं ॥१॥” ऐसा लिखकर इस सूत्रकी व्याख्यादिके रूपमें सम्यग्दर्शनके विषयपर क्रमशः सर्वार्थसिद्धि, राजवातिक, श्लोकवातिक, दर्शनपाहुड, सूत्रपाहुड, चारित्रपाहुड, भावपाहुड, मोक्षपाहुड, पंचास्तिकाय, समयसार और बृहत् आदि-पुराणके कुछ वाक्योंका संग्रह किया गया है। वातिकोंको उनके भाष्यसहित, दर्शनपाहुडकी सम्पूर्णा ३६ गाथाओंको (जिनमें मंगलाचरणकी गाथा भी शामिल है !) उनकी छाया सहित, शेष पाहुडोंकी कुछ कुछ गाथाओंको छायासहित, पंचास्तिकाय और समयसारकी कतिपय गाथाओंको छाया तथा अमृचन्द्राचार्यकी टीकासहित उद्धृत किया गया है। इन ग्रन्थ-वाक्योंको उद्धृत करते हुए जो प्रस्तावनावाक्य दिये गये हैं और उद्धरणके अनन्तर जो समाप्तिसूचक वाक्य दिये हैं उन्हें तथा मङ्गलाचरणादिके ३-४ पद्योंको छोड़कर इस ग्रन्थमें ग्रन्थ-कारका अपना और कुछ भी नहीं है।

ग्रन्थकारकी इस निजी पूंजी और उसके उद्धृत करनेके ढंग आदिको देखनेसे साफ मालूम होता है कि वह एक बहुत थोड़ी सी समझ-बूझका साधारण आदमी था, संस्कृतादिका उसे यथेष्ट बोध नहीं था और न ग्रन्थ-रचनाकी कोई ठीक कला ही वह जानता था। तब नहीं मालूम किस प्रकारकी वासना अथवा प्रेरणासे प्रेरित होकर वह इस ग्रन्थके लिखनेमें प्रवृत्त हुआ है !! अस्तु; पाठकोंको इस विषयका स्पष्ट अनुभव करानेके लिये ग्रन्थकारकी इस निजी पूंजी आदिका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है—

(१) ग्रन्थका मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञावाक्योंको लिये हुए प्रारंभिक अंश इस प्रकार है—

“ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ अथ सम्यक्त्वप्रकाश लिख्यते ॥

प्रणम्य परमं देवं परमानन्दविधायकं ।

सम्यक्त्वलक्षणं वक्ष्ये पूर्वाचार्यकृतं शुभम् ॥१॥

मोक्षमार्गं जिनैरुक्तं प्रथमं दर्शनं हितं ।

तद्विना सर्व्वधर्मेण चरितं निष्फलं भवेत् ॥२॥

तस्माद्दर्शनशुद्ध्यर्थं लक्ष्यलक्षणसंयुतं ।

सम्यक्त्वप्रकाशकं ग्रंथं करोमि हितकारकम् ॥३॥ युग्मम् ॥

तत्त्वार्थाधिगमे सूत्रे पूर्वं दर्शनलक्षणं ।

मोक्षमार्गं समुद्दिष्टं तदहं चात्र लिख्यते ॥४॥”

नं० ३ के श्लोकको अंक तीनतक काली स्याहीसे काट रक्खा है परन्तु ‘युग्मम्’ को नहीं काटा है ! ‘युग्मम्’ पदका प्रयोग पहले ही व्यर्थ-सा था तीसरे श्लोकके निकल जानेपर वह और भी व्यर्थ हो गया है; क्योंकि प्रथम दो श्लोकोंके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं बैठता, वे दोनों अपने अपने विषयमें स्वतंत्र हैं—दोनों मिलकर एक वाक्य नहीं बनाते—इसलिये ‘युग्मम्’ का यहाँ न काटा जाना चिन्तनीय है ! हो सकता है ग्रन्थकारको किसी तरह पर तीसरा श्लोक अशुद्ध जान पड़ा हो, जो वास्तवमें अशुद्ध है भी; क्योंकि उसके तीसरे चरणमें ढकी जगह ६ अक्षर हैं और पाँचवाँ अक्षर लघु न होकर गुरु पड़ा है जो छंदकी दृष्टिसे ठीक नहीं; और इस लिये उसने इसे निकाल दिया हो और ‘युग्मम्’ पद का निकालना वह भूल गया हो ! यह भी संभव है कि एक

आशयके कई प्रतिज्ञावाक्य हो जानेके कारण ‡ उसे इस श्लोकका रखना उचित न जँवा हो, वह इसके स्थानपर कोई दूसरा ही श्लोक रखना चाहता हो और इसीसे उसने 'युग्मम्' तथा चौथे श्लोकके अंक '४' को कायम रखवा हो, परन्तु बादकी किसी परिस्थितिके फेरमें पड़कर वह उस श्लोकको बना न सका हो। परन्तु कुछ भी हो, ग्रन्थकी इस स्थितिपरसे इतनी सूचना जरूर मिलती है कि यह ग्रंथप्रति स्ययं ग्रन्थकारकी लिखी हुई अथवा लिखाई हुई है।

‘अथ सम्यक्त्वप्रकाश लिख्यते’ इस वाक्यमें ‘सम्यक्त्वप्रकाश’ विभक्तिसे शून्य प्रयुक्त हुआ है जो एक मोटी व्याकरण-सम्बन्धी अशुद्धि है। कहा जा सकता है कि यह कापी किसी दूसरेने लिखी होगी और वही सम्यक्त्व-प्रकाशके आगे विसर्ग(ः) लगाना भूल गया होगा। परन्तु जब आगे रचना-सम्बन्धी अनेक मोटी मोटी अशुद्धियोंको देखा जाता है तब यह कहनेका साहस नहीं होता। उदाहरणके लिये चौथे श्लोकमें प्रयुक्त हुए ‘तदहं चात्र लिख्यते’ वाक्यको ही लीजिए, जो ग्रंथकारकी अच्छी खासी अज्ञताका चेतक है और इस बातको स्पष्ट बतला रहा है कि उसका संस्कृत-व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान कितना तुच्छ था। इस वाक्यका अर्थ होता है ‘वह (दर्शनलक्षण) में यहाँ लिखा जाता है’ जब कि होना चाहिये था यह कि ‘वह दर्शनलक्षण मेरे द्वारा यहाँ लिखा जाता है’ अथवा ‘मैं उसे यहाँ लिखता हूँ।’ और इसलिये यह वाक्य-प्रयोग बेहूदा जान पड़ता है। इसमें ‘तदहं’ की जगह ‘तन्मया’ होना चाहिये था—‘अहं’ के साथ ‘लिख्यते’ का प्रयोग नहीं बनता, ‘लिखामि’ का प्रयोग बन सकता है। जान पड़ता है ग्रन्थकार ‘लिख्यते’ और ‘लिखामि’ के भेदको भी ठीक नहीं समझता था।

(२) इसी प्रकारकी अज्ञता और बेहूदगी उसके निम्न प्रस्तावनावाक्यसे भी पाई जाती है, जो ‘तत्त्वार्थ-श्रद्धानं सम्यग्दर्शनं’ सूत्र पर श्लोकवार्तिकके २१ वार्तिकोंको भाष्यसहित उद्धृत करनेके बाद “इति श्लोकवार्तिके ॥३॥” लिखकर अगले कथनकी सूचनारूपसे दिया गया है:—

‡ वे प्रतिज्ञा-वाक्य इस प्रकार हैं—१ सम्यक्त्वलक्षणं वक्ष्ये, २ सम्यक्त्व-प्रकाशकं ग्रन्थं करोमि, ३ तदहं चात्र लिख्यते।

“अथ अष्टपाहुडमध्ये दर्शनपाहुडे कुन्दकुन्दस्वामिना सम्यक्स्वरूपं प्रतिपादयति ॥”

इसमें तृतीयान्त ‘स्वामिना’ पदके साथ ‘प्रतिपादयति’ का प्रयोग नहीं बनता—वह व्याकरणकी दृष्टिसे महा अशुद्ध है—उसका प्रयोग प्रथमान्त ‘स्वामी’ पदके साथ होना चाहिये था ।

यहाँ पर इतना और भी जान लेना चाहिये कि दर्शनपाहुडकी पूरी ३६ गाथाओंको छाया-सहित † उद्धृत करते हुए, २६ वीं गाथाके स्थान पर उस की छाया और छायाके स्थान पर गाथा उद्धृत की गई है । और पाँचवीं गाथाकी छायाके अनन्तर “अस्मिन् द्वौ एं शब्दं तत्प्राकृते अव्ययं वाक्यालंकारार्थं वर्तते” यह किसी टीकाका अंश भी यों ही उद्धृत कर दिया गया है; जब कि दूसरी गाथाओंके साथ उनकी टीकाका कोई अंश नहीं है । मोक्षपाहुडकी चार गाथाओंको छायासहित उद्धृत करनेके बाद “इति मोक्षपाहुडे” लिखकर मोक्षपाहुडके कथनको समाप्त किया गया है । इसके बाद ग्रन्थकारको फिर कुछ खयाल आया और उसने ‘तथा’ शब्द लिखकर ६ गाथाएँ और भी छायासहित उद्धृत की हैं और उनके अनन्तर ‘इति मोक्षपाहुड’ यह समाप्ति-सूचक वाक्य पुनः दिया है । इससे ग्रन्थकारके उद्धृत करनेके ढंग और उसकी असावधानीका कितना ही पता चलता है ।

(३) अब उद्धृत करनेमें उसकी अर्थज्ञान-सम्बन्धी योग्यता और समझनेके भी कुछ नमूने लीजिए :—

(क) श्लोकवार्तिकमें द्वितीय सूत्रके प्रथम दो वार्तिकोंका जो भाष्य दिया है उसका एक अंश इस प्रकार है—

“न अनेकायध्वाद्वातूनां दृशेः श्रद्धानार्थत्वगतेः । कथमनेकस्मिन्नर्थे संभवत्यपि श्रद्धाम्मर्थस्यैव गतिरिति चेत्, प्रकरणविशेषात् । मोक्षकारणत्वं हि प्रकृतं तत्त्वार्थश्रद्धानस्य युज्यते नालोचनादेरर्थांतरस्य ॥”

ग्रन्थकारने, उक्त वार्तिकोंके भाष्यको उद्धृत करते हुए, इस अंशको निम्न

† छाया प्रायः श्रुतसागरकी छायासे मिलती-जुलती हैं—कहीं-कहीं साधारणसा कुछ भेद है ।

प्रकारसे उद्धृत किया है, जो अर्थके सम्बन्धादिकी दृष्टिसे बड़ा ही बेढंगा जान पड़ता है—

“नानेकार्थत्वाद्वातूनां दृशे श्रद्धानार्थश्रद्धानस्य युत्पद्यते नालोचना-
देरर्थांतरस्य ।”

हो सकता है कि जिस ग्रन्थप्रतिपरसे उद्धरण-कार्य किया गया हो उसमें लेखककी असावधानीसे यह अंश इसी अशुद्ध रूपमें लिखा हो; परन्तु फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि संग्रहकारमें इतनी भी योग्यता नहीं थी कि वह ऐसे वाक्यके अधूरेपन और बेढंगेपनको समझ सके। होती तो वह उक्त वाक्यको इस रूपमें कदापि उद्धृत न करता।

(ख) श्रीजिनसेन-प्रणीत आदिपुराणका एक श्लोक इस प्रकार है—

शमादर्शनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादितः ।

जन्तोरनादिमिथ्यात्वकलंककलिलात्मनः ॥११७॥

इसमें अनादि-मिथ्यादृष्टिजीवके प्रथम सम्यक्त्वका ग्रहण दर्शनमोहके उप-
शमसे बतलाया है। ‘सम्यक्त्वप्रकाश’में, इसश्लोकको आदिपुराणके दूसरे श्लोकोंके
साथ उद्धृत करते हुए, इसके “शमाद्दर्शनमोहस्य” चरणके स्थानपर
‘सम्यक्दर्शनमोहस्य’ पाठ दिया है, जिससे उक्त श्लोक बेढंगा तथा बे-मानीसा
होगया है और इस बातको सूचित करता है कि संग्रहकार उसके इस बेढंगेपन
तथा बे-मानीपनको ठीक समझ नहीं सका है।

(ग) ग्रंथमें “इति मोक्षपाहुडे ॥” के बाद “अथ पंचास्तिकायनाम-
प्रथे कुन्दकुन्दाचार्यः (?) मोक्षमार्ग-प्रपंचसूचिका चूलिका वर्णिता सा
लिख्यते।” इस प्रस्तावना-वाक्यके साथ पंचास्तिकायकी १६ गाथाएँ संस्कृत-
छाया तथा टीकासहित उद्धृत की हैं और उनपर गाथा नम्बर १६२ से १७८
तक डाले हैं, जब कि वे १८० तक होने चाहियें थे। १७१ और १७२ नम्बर
दोबार गलतीसे पड़ गये हैं अथवा जिस ग्रंथप्रतिपरसे नकल की गई है उसमें
ऐसे ही गलत नम्बर पड़े होंगे और संग्रहकार ऐसी मोटी गलतीको भी ‘नकलराचे-
-अकल’की लोकोक्तिके अनुसार महसूस नहीं कर सका! अस्तु; इन गाथाओं
मेंसे १६८, १६९ नम्बरकी दो गाथाओंको छोड़ कर शेष गाथाएँ वे ही हैं जो
बम्बई रायचन्द्र जैनशास्त्रमालामें दो संस्कृत टीकाओं और एक हिन्दी टीकाके

साथ प्रकाशित 'पंचास्तिकाय' में क्रमशः नं० १५४ से १७० तक पाई जाती हैं । १६८ और १६९ नम्बरवाली गाथाएँ वास्तवमें पंचास्तिकायके 'नवपदार्थाधिकार' की गाथाएँ हैं और उसमें नम्बर १०६, १०७ पर दर्ज हैं † । उन्हें 'मोक्षमार्गप्रपंचसूचिका चूलिका' अधिकारकी बतलाना सरासर गलती है । परन्तु इन गलतीयों तथा नासमर्थियोंको छोड़िये और इन दोनों गाथाओंकी टीकापर ध्यान दीजिये । १६९ (१०७) नम्बरवाली 'सम्मत्तं सद्दृहणं०' गाथा टीकामें तो "सुगमं" लिख दिया है; जब कि अमृतचन्द्राचार्यने उसकी बड़ी अच्छी टीका दे रखी है और उसे 'सुगम' पदके योग्य नहीं समझा है । और १६८ (१०६) नम्बरवाली गाथाकी जो टीका दी है वह गाथा-सहित इस प्रकार है—

सम्मत्तं णाणजुदं ‡ चारित्तं रागदोसपरिहीणं ।

मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं लद्धबुद्धीद्धणं ॥

टीका—“पूर्वमुद्दिष्टं तत्स्ववपरप्रत्ययपर्यायाश्रितं भिन्नसाध्यसाधनभावं व्यवहारनयमाश्रित्य प्ररूपितम् । न चैतद्विप्रतिषिद्धं निश्चयव्यवहारयोः साध्यसाधनभावत्वात् सुवर्ण-सुवर्णपाषाणवत् । अत एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीर्थप्रवर्तनेति ॥”

यह टीका उक्त गाथाकी टीका नहीं है और न हो सकती है, इसे थोड़ी भी समझबूझ तथा संस्कृतका ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति समझ सकता है । तब ये महत्त्वकी असम्बद्ध पंक्तियाँ यहाँ कहाँसे आईं ? इस रहस्यको जाननेके लिये पाठक ज़रूर उत्सुक होंगे अतः उसे नीचे प्रकट किया जाता है—

श्रीअमृतचन्द्राचार्यने 'चरियं चरदि सगं सो०' इस गाथा नं० १५९ की टीकाके अनन्तर अगली गाथाकी प्रस्तावनाको स्पष्ट करनेके लिये "यत्तु" शब्द से प्रारम्भ करके उक्त टीकांकित सब पंक्तियाँ दी हैं, तदनन्तर "निश्चयमोक्षमार्गसाधनभावेन पूर्वोद्दिष्टव्यवहारमोक्षमार्गोऽयम्" इस प्रस्तावनावाक्यके

† देखो, बम्बईकी वि० संवत् १९७२की छपी हुई उक्त प्रति, पृष्ठ १६८, १६९

‡ बम्बईकी पूर्वोल्लिखित प्रतिमें प्रथम चरणका रूप "सम्मत्तणाणजुत्त" दिया है और संस्कृत टीकाएँ भी उसीके अनुरूप पाई जाती हैं ।

साथ अगली गाथा नं० १६० दी है, और इस तरह उक्त पंक्तियोंके द्वारा पूर्वो-
द्दिष्ट—पूर्ववर्ती नवपदार्थाधिकारमें ‘सम्मत्त’ आदि दो गाथाओंके द्वारा कहे हुए
—व्यवहारमोक्षमार्गकी पर्यायदृष्टिको स्पष्ट करते हुए उसे सर्वथा निषिद्ध नहीं
ठहराया है; बल्कि निश्चय-व्यवहारनयमें साध्य-साधन-भावको व्यक्त करते हुए
दोनों नयोंके आश्रित पारमेश्वरी तीर्थप्रवर्तनाका होना स्थिर किया है। इससे
उक्त पंक्तियाँ दूसरी गाथाके साथ सम्बन्ध रखती हैं और वहीं पर सुसंगत हैं।
सम्यक्त्वप्रकाशके विधाताने “यत्तु” शब्दको तो उक्त गाथा १५९ (१६७)
की टीकाके अन्तमें रहने दिया है, जो उक्त पंक्तियोंके बिना वहां लँढ़रासा जान
पड़ता है ! और उन पंक्तियोंको यों ही बीचमें घुसेड़ी हुई अपनी उक्त गाथा नं०
१६८ (१०६) की टीकाके रूपमें धर दिया है !! ऐसा करते हुए उसे यह समझ
ही नहीं पड़ा कि इसमें आए हुए “पूर्वमुद्दिष्ट” पदोंका सम्बन्ध पहलेके कौनसे
कथनके साथ लगाया जायगा !! और न यह ही जान पड़ा कि इन पंक्तियोंका
इस गाथाकी टीका तथा विषयके साथ क्या वास्ता है !!!

इस तरह यह स्पष्ट है कि ग्रन्थकारको उद्धृत करनेकी भी कोई अच्छी
तमीज नहीं थी और वह विषयको ठीक नहीं समझता था।

(घ) पंचास्तिकायकी उक्त गाथाओं आदिको उद्धृत करनेके बाद “इति
पंचास्तिकायेषु” (!) यह समाप्तिसूचक वाक्य देकर ग्रन्थमें “अथ समय-
सारे यदुक्तं तल्लिख्यते” इस प्रस्तावना अथवा प्रतिज्ञा-वाक्यके साथ समय-
सारकी ११ गाथाएँ नं० २२८ से २३८ तक, संस्कृतछाया और अमृतचन्द्रा-
चार्यकी आत्मख्याति टीकाके साथ, उद्धृत की गई हैं। ये गाथाएँ वे ही हैं
जो रायचन्द्रजैन ग्रंथमालामें प्रकाशित समयसारमें क्रमशः नं० २२६ से २३६
तक पाई जाती हैं। आत्मख्यातिमें २२४ से २२७ तक चार गाथाओंकी टीका
एक साथ दी है और उसके बाद कलशरूपसे दो पद्य दिये हैं। सम्यक्त्वप्रकाश-
के लेखकने इनमेंसे प्रथम दो गाथाओंको तो उद्धृत ही नहीं किया, दूसरी दो
गाथाओंको अलग अलग उद्धृत किया है, और ऐसा करते हुए गाथा नं०
२२८ (२२६) के नीचे वह सब टीका दे दी है जो २२८, २२९ (२२६,
२२७) दोनों गाथाओंकी थी ! साथमें “त्यक्तं येन फलं” नामका एक
कलशपद्य भी दे दिया है और दूसरे “सम्यग्दृष्टय एव” नामके कलशपद्यको

दूसरी गाथा नं० २२६ (२२७) की टीकाके रूपमें रख दिया है !! इस विडम्बनासे ग्रन्थकारकी महामूर्खता पाई जाती है और इस कहनेमें जर्रा भी संकोच नहीं होता कि वह कोई पागल-सा सनकी मनुष्य था, उसे अपने घरकी कुछ भी समझ-बूझ नहीं थी और न इस बातका ही पता था कि ग्रंथरचना किसे कहते हैं।

इस तरह सम्यक्त्वप्रकाश ग्रंथ एक बहुत ही आधुनिक तथा अप्रामाणिक ग्रन्थ है। उसमें पात्रकेसरी तथा विद्यानन्दको जो एक व्यक्ति प्रकट किया गया है वह यों ही सुना-सुनाया अथवा किसी दन्तकथाके आधार पर अवलम्बित है। और इसलिये उसे रंचमात्र भी कोई महत्त्व नहीं दिया जा सकता और न किसी प्रमाणमें पेश ही किया जासकता है। खेद है कि डाक्टर के० बी० पाठकने बिना जाँच-पड़तालके ही ऐसे आधुनिक, अप्रामाणिक तथा नगण्य ग्रन्थको प्रमाणमें पेश करके लोकमें भारी भ्रमका सर्जन किया है !! यह उनकी उस भारी असावधानीका ज्वलन्त दृष्टान्त है, जो उनके पदको शोभा नहीं देता। वास्तवमें पाठक-महाशयके जिस एक भ्रमने बहुतसे भ्रमोंको जन्म दिया—बहुतोंको भूलके चक्करमें डाला, जो उनकी अनेक भूलोंका आधार-स्तम्भ है और जिसने उनके अकलंकादि-विषयक दूसरे भी कितने ही निर्णयोंको सदोष बनाया है वह उनका स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्दको, बिना किसी गहरे अनुसन्धानके, एक मान लेना है।

मुझे यह देखकर दुःख होता है कि आज डाक्टर साहब इस संसारमें मौजूद नहीं हैं। यदि होते तो वे जरूर अपने भ्रमका संशोधन कर डालते और अपने निर्णयको बदल देते। मैंने अपने पूर्वलेखकी कापी उनके पास भिजवा दी थी। सम्भवतः वह उन्हें उनकी रुग्णावस्थामें मिली थी और इसीसे उन्हें उस पर अपने विचार प्रकट करनेका अवसर नहीं मिल सका था।



कदम्बवंशीय राजाओंके तीन ताम्रपत्र

इस लेख-द्वारा कदम्ब-राजाओंके तीन ताम्रपत्र पाठकोंके सामने रखे जाते हैं, जो कि ऐतिहासिकदृष्टिसे बहुत कुछ पुराने और बड़े महत्त्वके हैं। ये तीनों ताम्रपत्र, कुछ भ्रंसा हुआ, देवगिरि तालुका करजघी (जि० धारवाड़) का तालाब खोदते समय मिले थे और इन्हें मिस्टर काशीनाथ त्रिम्बक तेलंग, एम० ए०, एलएल० बी० ने, रायल एशियाटिक सोसायटीकी बम्बईशाखाके जर्नल नं० ३४ की १२वीं जिल्दमें, अपने अनुसंधानोंके साथ प्रकाशित कराया था। इनमेंसे पहला पत्र (Plate) समकोण तीन पत्रों (Rectangular sheets) से, दूसरा चार पत्रोंसे और तीसरा तीन पत्रोंसे बना हुआ है। अर्थात् ये तीनों दानपत्र, जिनमें जैनसंस्थाओंको दान दिया गया है, क्रमशः ताँबेके तीन, चार और तीन पत्रोंपर खुदे हुए हैं। परन्तु प्रत्येक दानपत्रके पहले और अन्तिम पत्रका बाहिरी भाग खाली है और भीतरी पत्र दोनों ओरसे खुदे हुए हैं। इस तरह दानपत्रोंकी पृष्ठसंख्या क्रमशः ४, ६ और ४ है। प्रत्येक दानपत्रके पत्रोंमें एक एक मामूली छल्ला (Ring) सुराखमें होकर पड़ा हुआ है जिसके द्वारा वे पत्र नत्थी किये गये हैं। छल्लोंपर मुहर मालूम होती है, परन्तु वह अब मुश्किलसे पढ़ी जाती है। उक्त जर्नलमें इन तीनों दानपत्रोंके प्रत्येक पृष्ठका फोटो भी दिया है और उस परसे ये पत्र गुप्त-राजाओंकी लिपिमें लिखे हुए मालूम होते हैं। मिस्टर काशीनाथजी, अपने अनुसंधानविषयक नोट्समें, लिखते हैं कि 'कृष्णवर्मा, जिसका उल्लेख यहाँ तीसरे दानपत्रमें है, वही कृष्णवर्मा मालूम होता है जिसका उल्लेख चेरा (chera) के दानपत्रोंमें पाया जाता है। क्यों-कि उन पत्रोंमें जिस प्रकार कृष्णवर्माको महाराजा और अश्वमेधका कर्ता लिखा

है उसी प्रकार उक्त तीसरे दानपत्रमें भी लिखा है । चेरा दानपत्रोंके कृष्णवर्मा-का समय ईसवी सन् ४६६ के लगभग निश्चित है । इसलिये यह तीसरा दान-पत्र भी उसी समयके लगभगका होना चाहिये । शेष दोनों दानपत्र इससे पहलेके हैं या पीछेके, यह पूरी तौरसे नहीं कहा जासकता । संभवतः इनका समय ईसा-की पाँचवीं शताब्दीके लगभग है ।” इसके सिवाय आपने अपने अनुसंधानके अन्तमें ये पंक्तियाँ दी हैं:—

We may now sum up the result of our investigations. We find, then, that there were two branches of the Kadamba family, one of which may be described as Goa branch, and the other as the Vanvasi branch. It is just possible that there was some connection between the two branches, but we have not at present the materials for settling the question. We find, too, that the princes mentioned in our plates belong to the Vanvasi branch, and that there is not sufficient ground for refering them to a different division from the Vanvasi Kadambas enumerated in Sir W. Elliot's paper. We find, further, that these princes appear from their recorded grants to have been independent sovereigns, and not under subordination to the Chalukya kings, as their successors were, and that they flourished, in all probability, before the fifth century after Christ. Lastly we find that there is great reason for believing that these early Kadambas were of the Jain persuasion, as we find some of the latter Kadambas to have been from their recorded grants.

इन पंक्तियोंके द्वारा, काशीनाथजीने अपने अनुसंधानका नतीजा निकाला है, और वह इस प्रकार है:—

‘हमें ऐसा निश्चित हुआ है कि कदम्बवंशकी दो शाखाएँ थीं, जिनमेंसे एक-को ‘गोआ’ शाखा और दूसरीको ‘वनवासी’ शाखाके तौरपर निरूपण किया जा सकता है। यह बिल्कुल सम्भव है कि इन दोनों शाखाओंके मध्यमें कुछ सम्बन्ध था, परन्तु इस समय उस विषयका निर्णय करनेके लिये हमारे पास सामग्री नहीं है। हमारा यह भी निश्चय है कि जिन राजाओंका हमारे इन पत्रोंमें उल्लेख है वे ‘वनवासी’ शाखाके थे, और यह कि उन्हें सर डबल्यू एलियटके पत्रमें गिनाये गये वनवासी, कदम्बोंसे एक भिन्न विभागमें स्थापित करनेकी कोई काफ़ी वजह नहीं है। इसके सिवाय, हमारा निर्णय यह है कि ये राजा अपने पत्रारूढ दानोंसे स्वतंत्र सम्राट् मालूम होते हैं, न कि चालुक्य राजाओंके मातहत (अधिकांश), जैसा कि उनके उत्तराधिकारी थे। और यह कि वे, सम्पूर्ण सम्भार-वनाओंको ध्यानमें लेने पर भी ईसाके बाद पांचवीं शताब्दीसे पहले हुए जान पड़ते हैं। अन्तमें हमारी यह तजवीज़ है कि यहाँ इस बातके विश्वास करनेकी बहुत बड़ी वजह है कि ये प्राचीन कदम्ब जैनमतानुयायी थे, जैसा कि हम कुछ बादके कदम्बोंको उनके दानपत्रों परसे पाते हैं।’

इन तीनों दानपत्रोंकी बहुतसी शब्दरचना परस्पर कुछ ऐसी मिलती-जुलती है कि जिससे एक-दूसरेको देखकर लिखा गया है, यह कहनेमें कुछ भी संकोच नहीं होता। परन्तु सबसे पहले कौनसा पत्र लिखा गया है, यह अभी निश्चित नहीं हो सका। सम्भव है कि ये पत्र इसी क्रमसे लिखे गये हों जिस क्रमसे इन-पर प्रकाशनके समय नम्बर डाले गये हैं। तीनों पत्रोंमें ‘स्वामिमहासेन’ और ‘मातृगण’ का उल्लेख पाया जाता है जिनके अनुध्यानपूर्वक कदम्ब-राजा अभिषिक्त होते थे। जान पड़ता है ‘स्वामिमहासेन’ कदम्बवंशके कोई कुलगुरु थे। इसीसे राज्याभिषेकादिकके समयमें उनका बराबर स्मरण किया जाता था। परन्तु स्वामिमहासेन कब हुए हैं और उनका विशेष परिचय क्या है, ये सब बातें अभी अंधकाराच्छन्न हैं। मातृगणसे अभिप्राय उन स्वर्गीय माताओंके समूह-का मालूम होता है जिनकी संख्या कुछ लोग सात, कुछ आठ और कुछ

ॐ यथा:—“ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।

माहेंद्री चैव वाराही चामुंडा सप्तमातरः ॥”

इससे भी अधिक मानते हैं। जान पड़ता है कदम्बवंशके राजघरानेमें इन देवियोंकी भी बहुत बड़ी मान्यता थी। जिन कदम्ब राजाओंकी ओरसे ये दानपत्र लिखे गये हैं वे सभी 'मानव्यस' गोत्रके थे, ऐसा तीनों पत्रोंमें उल्लेख है। साथ ही, पहले दो पत्रोंमें उन्हें 'हारितीपुत्र' भी लिखा है। परन्तु 'हारिती' इन कदम्बवंशी राजाओंकी साक्षात् माता मालूम नहीं होती, बल्कि उनके घरानेकी कोई प्रसिद्ध और पूजनीया स्त्री जान पड़ती है जिसके पुत्रके तौरपर ये सभी कदम्ब पुकारे जाते थे, जैसा कि आजकल खुर्जेके सेठोंको 'रानीवाले' कहते हैं।

अब मैं इस समुच्चय कथनके अनन्तर प्रत्येक दानपत्रका कुछ विशद परिचय अथवा सारांश देकर मूलपत्रोंको ज्योंका त्यों उद्धृत करता हूँ।

पत्र नम्बर १—यह पत्र 'श्रीशांतिवर्मा' के पुत्र महाराज श्री 'मृगेश्वर-वर्मा' की तरफसे लिखा है, जिसे पत्रमें काकुस्था (त्स्था) न्वयी प्रकट किया है, और इससे ये कदम्बराजा, भारतके सुप्रसिद्ध वंशोंकी दृष्टिसे, सूर्यवंशी अथवा इक्ष्वाकुवंशी थे, ऐसा मालूम होता है। यह पत्र उक्त मृगेश्वरवर्माके राज्यके तीसरे वर्ष, पोष * (?) नामके संवत्सरमें, कार्तिक कृष्णा दशमीको, जब कि उत्तरामाद्रपद नक्षत्र था, लिखा गया है। इसके द्वारा अभिषेक, उपलेपन, पूजन, भग्नसंस्कार (मर्ममत) और महिमा (प्रभावना) इन कामोंके लिये कुछ भूमि, जिसका परिमाण दिया है, अरहंत देवके निमित्त दान की गई है। भूमिकी तफसीलमें एक निवर्तनभूमि खालिस पुष्पोंके लिये निर्दिष्ट की गई है। ग्रामका नाम कुछ स्पष्ट नहीं हुआ, 'वृहत्परलूरे' ऐसा पाठ पढ़ा जाता है। अन्तमें लिखा है कि जो कोई लोभ या अधर्मसे इस दानका अपहरण करेगा वह पंच महा पापोंसे युक्त होगा और जो इसकी रक्षा करेगा वह इस दानके पुण्यफलका भागी होगा। साथ ही इसके समर्थनमें चार श्लोक भी 'उक्त' च' रूपसे दिये

“ब्राह्मी माहेश्वरी चंडी वाराही वैष्णवी तथा ।

कौमारी चैव चामुंडा चर्चिकेत्यष्टमातरः ॥

देखो, वामन शिवराम आपटेकी 'संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी'।

* साठ संवत्सरोंमें इस नामका कोई संवत्सर नहीं है। संभव है कि यह किसीका पर्याय नाम हो या उस समय दूसरे नामोंके भी संवत्सर प्रचलित हों।

हैं, जिनमेंसे एक श्लोकमें यह बतलाया है कि जो अपनी दा दूसरेकी दान की हुई भूमिका अपहरण करता है वह साठ हजार वर्षतक नरकमें पकाया जाता है, अर्थात् कष्ट भोगता है। और दूसरेमें यह सूचित किया है कि स्वयं दान देना आसान है परन्तु अन्यके दानार्थका पालन करना कठिन है, अतः दानकी अपेक्षा दानका अनुपालन श्रेष्ठ है। इन 'उक्त' च' श्लोकोंके बाद इस पत्रके लेखकका नाम "दानकीर्ति भोजक" दिया है और उसे परम धार्मिक प्रकट किया है। इस पत्रके शुरूमें अर्हंतकी स्तुतिविषयक एक सुन्दर पद्य भी दिया हुआ है जो दूसरे पत्रोंके शुरूमें नहीं है, परन्तु तीसरे पत्रके बिल्कुल अन्तमें जरासे परिवर्तनके साथ जरूर पाया जाता है।

पत्र नं० २—यह दानपत्र कदम्बोंके धर्म महाराज 'श्रीविजयशिवमृगेश वर्मा' की तरफसे लिखा गया है और इसके लेखक हैं 'नरवर' नामके सेना-पति। लिखे जाने का समय चतुर्थ संवत्सर वर्षा (ऋतु) का आठवाँ पक्ष और पूर्णमासी तिथि है। इस पत्रके द्वारा 'कालवज्र' नामके ग्रामको तीन भागोंमें विभाजित करके इस तरह पर दान दिया है कि पहला एक भाग तो अर्हच्छाला परम पुण्ड्रलस्थाननिवासी भगवान् अर्हन्महाजिनेन्द्रदेवताके लिये, दूसरा भाग अर्हत्प्रोक्त सद्धमचरणमें तत्पर श्वेताम्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके लिये और तीसरा भाग निर्ग्रन्थ अर्थात् दिगम्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके लिये। साथ ही, देवभागके सम्बन्धमें यह विधान किया है कि वह धान्य, देवपूजा, बलि, चरु, देवकर्म, कर, भग्नक्रिया प्रवर्तनादि अर्थोपभोगके लिये है और यह सब न्यायलब्ध है। अन्तमें इस दानके अभिरक्षकको वही दानके फलका भागी और विनाशकको पंच महापापोंसे युक्त होना बतलाया है, जैसा कि नं० १ के पत्रमें उल्लेख किया गया है। परन्तु यहाँ उन चार 'उक्त' च' श्लोकोंमेंसे सिर्फ पहलेका एक श्लोक दिया है जिसका यह अर्थ होता है कि 'पृथ्वी-को सगरादि बहुतसे राजाओंने भोगा है, जिस समय जिस जिसकी भूमि होती है उससमय उसी उसीको फल लगता है।' इस पत्रमें 'चतुर्थ' संवत्सरके उल्लेखसे यद्यपि ऐसा भ्रम होता है कि यह दानपत्र भी उन्हीं मृगेश्वरवर्माका है जिनका उल्लेख पहले नम्बरके पत्रमें है अर्थात् जिन्होंने पत्र नं० १ लिखाया था और जो उनके राज्यके तीसरे वर्षमें लिखा गया था; परन्तु एक तो 'श्रीमृगेश्वर-

वर्मा और 'श्रीविजयशिवमृगेशवर्मा' इन दोनों नामोंमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर है। दूसरे, पहले नम्बरके पत्रमें 'आत्मनः राज्यस्य तृतीये वर्षे पौष संवत्सरे' इत्यादि पदोंके द्वारा जैसा स्पष्ट उल्लेख किया गया है वैसा इस पत्र में नहीं है, इस पत्रके समय-निर्देशका ढंग बिल्कुल उससे विलक्षण है। 'संवत्सरः चतुर्थः, वर्षापक्षः अष्टमः, तिथिः पौर्णमासी,' इस कथनमें 'चतुर्थ' संभवतः ६० संवत्सरोंमेंसे चौथे नम्बरके 'प्रमोद' नामक संवत्सरका द्योतक मालूम होता है। तीसरे, पत्र नं० १ में दातारने बड़े गौरवके साथ अनेक विशेषणोंसे युक्त जो अपने 'काकुत्स्थान्वय' का उल्लेख किया है और साथ ही अपने पिता का नाम भी दिया है, वे दोनों बातें इस पत्रमें नहीं हैं जिनके, एक ही दातार होने की हालतमें, छोड़े जानेकी कोई वजह मालूम नहीं होती। चौथे, इस पत्रमें अर्हन्तकी स्तुतिविषयक मंगलाचरण भी नहीं है, जैसा कि प्रथम पत्रमें पाया जाता है। इन सब बातोंसे ये दोनों पत्र एक ही राजाके पत्र मालूम नहीं होते। इस पत्र नं० २ में विजयशिवमृगेशवर्माके जो विशेषण दिये हैं उनसे यह भी पाया जाता है कि 'यह राजा उभय-लोककी दृष्टिसे प्रिय और हितकर ऐसे अनेक शास्त्रोंके अर्थ तथा तत्त्वविज्ञानके विवेचनमें बड़ा ही उदारमति था, नयविनयमें कुशल था और ऊँचे दर्जेके बुद्धि, धैर्य, वीर्य तथा त्यागसे युक्त था। इसने व्यायामकी भूमियोंमें यथावत् परिश्रम किया था, अपने भुजबल तथा पराक्रमसे किसी बड़े भारी संग्राममें विपुल ऐश्वर्यकी प्राप्ति की थी; यह देव, द्विज, गुरु और साधुजनोंको नित्य ही गौ, भूमि, हिरण्य, शयन (शय्या), आच्छादन (वस्त्र) अन्नादि अनेक प्रकारका दान दिया करता था; इसका महाविभक्त विद्वानों, सुहृदों और स्वजनोंके द्वारा सामान्यरूपसे उपभुक्त होता था; और यह आदिकालके राजा (संभवतः भरतचक्रवर्ती) के वृत्तानुसारी धर्मका महाराजा था।' दिगम्बर और श्वेतम्बर दोनों ही संप्रदायोंके जैन-साधुओंको यह राजा समानदृष्टिसे देखता था, यह बात इस दातृपत्रसे बहुत ही स्पष्ट है।

पत्र नं० ३—यह दानपत्र कदम्बोंके धर्ममहाराज श्रीकृष्णवर्माके प्रियपुत्र 'देववर्मा' नामके पुत्रराजकी तरफसे लिखा गया है और इसके द्वारा 'त्रिपथेत' के ऊपरका कुछ क्षेत्र अर्हन्त भगवान्के चैत्यालयकी मरम्मत, पूजा और महिमा-

के लिये 'यापनीय' संघको दान किया गया है। पत्रके अन्तमें इस दानको अपहरण करनेवालेके वास्ते वही कसम दी है अथवा वही विधान किया है जैसा कि पहले नम्बरके पत्रसंबंधमें ऊपर बतलाया गया है। 'उक्तं च' पद्य भी वे ही चारों कुछ क्रमभंगके साथ दिये हुए हैं। और उनके बाद दो पद्योंमें इस दानका फिरसे खुलासा दिया है, जिसमें देववर्माको रणप्रिय, दयामृतसुखास्वादनसे पवित्र, पुण्यगुणोंका इच्छुक और एक वीर प्रकट किया है। अन्तमें अर्हन्तकी स्तुतिविषयक प्रायः वही पद्य है जो पहले नम्बरके पत्रके शुरूमें दिया है। इस पत्रमें श्रीकृष्ण वर्माको 'अश्वमेध' यज्ञका कर्ता और शरद्वृत्तुके निर्मल आकाश-में उदित हुए चन्द्रमाके समान एक छत्रका धारक, अर्थात् एक छत्र पृथ्वीका राज्य करनेवाला लिखा है।

मूल (Text)

सिद्धम् जयत्यर्हस्त्रिलोकेशः सर्वभूतहिते रतः

रागाद्यरिहरोनन्तो नन्तज्ञानदृशीश्वरः

स्वस्ति विजयवैजयन्त्या† स्वामिमहासेनमातृगणानुद्धयाताभिषिक्तानां
मानव्यसगोत्राणां हारितिपुत्राणां अङ्गिरसां प्रतिकृतस्वाध्यायचर्चकानां
सद्वर्त्मसदम्बानां कदम्बानां अनेकजन्मान्तरोपार्जितविपुलपुण्यस्कंधः
आह्वार्जितपरमरुचिरदृढसत्वः‡ विशुद्धान्वयप्रकृत्यानेकपुरुषपरम्परागते
जगत्प्रदीपभूते महत्यदितोदिते काकुस्थान्वये श्रीशान्तिवर्ममतनयः श्रीमृगे-
शवरवर्मा आत्मनः राज्यस्य तृतीये वर्षे पौषसंवत्सरे कार्तिकमासे बहुले
पक्षे दशम्यां तिथौ उत्तराभाद्रपदे नक्षत्रे वृहत्परत्तरे (?) त्रिदशमुकुटपरि-
घृष्टचारचरणेभ्यः ❀ परमार्हदेवेभ्यः संमार्ज्जनोपलेपनाभ्यर्चनभग्नसं-
स्कारमहिमार्थं ग्रामापरदिग्विभागसीमाभ्यन्तरे राजमानेन चत्वारिंशन्नि-

† मूलमें ऐसा ही है, यह 'वैजयन्त्या' होना चाहिये।

‡ इनपत्रोंमें यह एक खास बात है कि जहाँ द्वित्वाक्षरोंका इतना अधिक प्रयोग किया गया है वहाँ 'सत्त्व' और 'तत्त्व' में 'त' अक्षरको द्वित्व नहीं किया गया है।

❀ मूलमें ऐसा ही है।

वर्त्तनं कृष्णभूमिक्षेत्रं चत्वारिक्षेत्र-त्रिवर्त्तनं च चैत्यालयस्य बहिः ‡ एकं निवर्त्तनं पुष्पार्थं देवकुलस्याङ्गनञ्च एकनिवर्त्तनमेव सर्वपरिहारयुक्तं दत्तवान् महाराजः लोभादधर्म्माद्वा योस्याभिहर्त्ता स पचमहापातकसं-युक्तोभवति योस्याभिरक्षिता स तत्पुण्यफलभागभवति उक्तञ्च बहुभिर्व-सुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्यतस्य तदा फलं* स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां षष्ठिवर्षसहस्राणि नरके पच्यते तु सः अद्भिर्दत्तं त्रिभिर्भुक्तं सद्भिश्च परिपालितं एतानि न निवर्तते पूर्वराजकृतानि च स्वन्दातुं सुमहच्छक्यं दुःखमन्यार्थपालनं दानं वा पालनं वेति दानाच्छ्रेयोनुपालनं

परमधार्मिकेण दामकीर्तिभोजकेन लिखितेयं पट्टिका इति सिद्धि-रस्तु ॥—

(२)

सिद्धम् ॥ विजयवैजयन्त्याम् स्वामिमहासेनमातृगणानुद्धयाता-भिषिक्तस्य मानव्यसगोत्रस्य हारितीपुत्रस्य प्रतिकृतचर्चार्पास्य विबुध-प्रतिबिम्बानां कदम्बानां धर्ममहाराजस्य श्रीविजयशिवमृगेशवर्म्मणः वि-जयायुरारोग्यैश्वर्यप्रवर्द्धनकरः संवत्सरः चतुर्थः वर्षापक्षः अष्टमः तिथिः पौर्णमासी अनयानुपूर्व्या अनेकजन्मान्तरोपार्जितविपुलपुण्यस्कंधः सुविशुद्धपितृमातृवंशः उभयलोकप्रियहितकरानेकशास्त्रार्थतत्त्वविज्ञान-विवेचच(?)ने विनिविष्टविशालोदारमतिः हस्त्यश्वारोहणप्रहरणादिषु व्यायामिकीषु भूमिषु यथावत्कृतश्रमः दत्तो दक्षिणः नयविनयकुशलः अनेकाहवार्जितपरमदृढसत्त्वः उदात्तबुद्धिर्धैर्यवीर्यत्यागसम्पन्नः सुमहति समरसङ्कटे स्वभुजबलपराक्रमावाप्तविपुलैश्वर्यः सम्यक्प्रजापालनपरः स्वजनकुमुदवनप्रबोधनशशाङ्कः देवद्विजगुरुसाधुजनेभ्यः गोभूमिहिरण्य-शयनाच्छादनान्नादि अनेकविधदाननित्यः विद्वत्सुहृत्स्वजनसामान्योप-

‡ व्याकरणकी दृष्टिसे यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध मालूम नहीं होता ।

* यह पक्ष मिस्टर फ़्लीट्के शिलालेख नं० ५ में मनुका ठहराया गया है ।
ग्राम तौरपर यह व्यासका माना जाता है ।

भुज्यमानमहाविभवः आदिकालराजवृत्तानुसारी धर्ममहाराजः ॐ कदम्बानां श्रीविजयशिवमृगेशवर्मा कालवङ्गग्रामं त्रिधा विभज्य दत्तवान् अत्र पूर्वमहच्छालापरमपुष्कलस्थाननिवासिभ्यः भगवदहंमहाजिनेन्द्र-देवताभ्य एकोभागः द्वितीयोर्हत्प्रोक्तसद्धर्मकरणापरस्यश्वेतपटमहाश्रमण-संघोपभोगाय तृतीयो निर्ग्रन्थमहाश्रमणसंघोपभोगायेति अत्र देवभाग धान्यदेवपूजाबलिचरुदेवकम्मकरभग्नक्रियाप्रवर्त्तनाद्यर्थोपभोगाय एतदेवं न्यायलब्धं देवभोगसमयेन योभिरक्षति सतत्फलभागभवति यो विनाश-येत्स पंचमहापातकसंयुक्तो भवति उक्तञ्च बहुभिर्बसुधाभुक्ता राजभिस्स-गरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं नरवरसेनापतिना लिखिता

(३)

विजयत्रिपर्वते स्वामिमहासेनमातृगणानुद्धृताभिषिक्तस्य मान-व्यसगोत्रस्य प्रतिकृतस्वाध्यायचर्चया * पारगस्य आदिकालराजर्षिर्बिम्बानां आश्रितजनाम्बानां कदम्बानां धर्ममहाराजस्य अश्वमेधयाजिनः समराजितविपुलैश्वर्यस्य सामन्तराजविशेषरत्नसुनागजिनाकम्पदायानु-भूतस्य (?) शरदमलनभस्युदितशशिसदृशैकातपत्रस्य धर्ममहाराजस्य श्रीकृष्णवर्मणः प्रियतनयो देववर्मयुंवरराजः स्वपुण्यफलाभिकांक्षया त्रिलोकभूतहितदेशिनः धर्मप्रवर्त्तनस्य अर्हतः भगवतः चैत्यालयस्य भग्न-संस्कारार्चनमहिमार्थं यापनीयसङ्घे भ्यः सिद्धकंदारे राजमानेन द्वादश निवर्त्तनानि क्षेत्रं दत्तवान् योस्य अपहर्त्ता स पंचमहापातकसंयुक्तो भवति योस्याभिरक्षिता † (?) स पुण्यफलमश्नुते उक्तं च बहुभिर्बसुधा भुक्ता

ॐ यह बात एक बार सर्वदाके लिये बतला देनेकी है कि इन प्रतिलिपियोंमें विसर्ग उस चिह्नके स्थानमें लिखा गया है जो कंठ्यवर्णों [gutturals] से पहले विसर्गकी जगह प्रयुक्त हुआ है।

* मूलमें ऐसा ही है। शुद्ध पाठ 'चर्चा' होना चाहिये।

† यह अक्षर 'स' मूलमें नहीं है, जो निःसन्देह खोदनेसे रह गया है।

‡ मूलमें यह 'रन्विता' सा मालूम होता है।

राजभिस्सगरादिमिः यस्य यस्य यदाभूमिस्तस्य तस्य तथा (?) फलं
अद्भिर्दत्तं त्रिभिर्युक्तं सद्भिश्च परिपालितं एतानि न निवर्त्तन्ते पूर्वराज-
कृतानि च स्वं दातुं सुमहच्छक्यं दु (?) :ख (म) न्यार्थपालनं दानं वा
पालनं वेति दानाच्छ्रेयोनुपालनं स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां
षष्ठिवर्षसहस्राणि नरके पच्यते तु सः श्रीकृष्णानृपपुत्रेणकदम्बकुलकेतुना
रणप्रियेण देवेन दत्ता भू (?) मिस्त्रिपव्वते दयामृतसुखास्वादपूतपुण्य-
गुणेषुना देववर्म्मैकवीरेण दत्ता जैनाय भूरियं जयत्यहस्त्रिलोकेशः
सर्व्वभूतहितकरः रागाद्यरिहरोनन्तो नन्तज्ञानदृगीश्वरः

इन तीनों दानपत्रोंपरसे निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियोंका पता चलता है:—

१. स्वामिमहासेन—गुरु । २. हारिती—मुख्य और प्रसिद्ध स्त्री । ३. शान्तिवर्मा—राजा । ४. मृगेश्वरवर्मा—राजा । ५. विजयशिवमृगेशवर्मा—महाराजा । ६. कृष्णवर्मा—महाराजा । ७. देववर्मा—युवराज । ८. दामकीर्ति—भोजक । ९. नरवर—सेनापति ।

इन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें यदि किसी विद्वान् भाईको, दूसरे पत्रों, शिलालेखों अथवा ग्रन्थप्रशस्तियों आदि परसे, कुछ विशेष हाल मालूम हो तो वे कृपाकर उससे सूचित करनेका कष्ट उठावें, जिससे एक क्रमबद्ध जैन इतिहास तय्यार करनेमें कुछ सहायता मिले ।



आर्य और म्लेच्छ

श्रीगृहपिच्छाचार्य उमास्वातिने, अपने तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ग्रन्थमें, सब मनुष्योंको दो भागोंमें बाँटा है—एक ‘आर्य’ और दूसरा ‘म्लेच्छ’; जैसा कि उनके निम्न दो सूत्रोंसे प्रकट है:—

“प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ।” “आर्या म्लेच्छाश्च ॥ अ० ३ ॥

परन्तु ‘आर्य’ किसे कहते हैं और ‘म्लेच्छ’ किसे ?—दोनोंका पृथक् पृथक् क्या लक्षण है ? ऐसा कुछ भी नहीं बतलाया । मूलसूत्र इस विषयमें मौन है । हाँ, श्वेताम्बरोंके यहाँ तत्त्वार्थसूत्र पर एक भाष्य है, जिसे स्वोपज्ञभाष्य कहा जाता है—अर्थात् स्वयं उमास्वातिकृत बतलाया जाता है । यद्यपि उस भाष्यका स्वोपज्ञभाष्य होना अभी बहुत कुछ विवादास्पद है, फिर भी यदि थोड़ी देरके लिए—विषयको आगे सरकानेके वास्ते—यह मान लिया जाय कि वह उमास्वाति-कृत ही है, तब देखना चाहिये कि उसमें भी ‘आर्य’ और ‘म्लेच्छ’ का कोई स्पष्ट लक्षण दिया है या कि नहीं । देखनेसे मालूम होता है कि दोनोंकी पूरी और ठीक पहचान बतलानेवाला वैसा कोई लक्षण उसमें भी नहीं है, मात्र भेदपरक कुछ स्वरूप जरूर दिया हुआ है और वह सब इस प्रकार है:—

“द्विविधा मनुष्या भवन्ति । आर्या म्लिशश्च । तत्रार्या षड्विधाः
क्षेत्रार्याः ज्ञात्यार्या कुलार्याः शिल्पार्याः कर्मार्याः भाषार्या इति । तत्र क्षेत्रार्याः

ॐ श्वेताम्बरोंके यहाँ ‘म्लेच्छाश्च’ के स्थानपर ‘म्लिशश्च’ पाठ भी उपलब्ध होता है, जिससे कोई अर्थ भेद नहीं होता ।

पञ्चदशसु कर्मभूमिषु जाताः । तद्यथा । भरतेव्वर्धवड्विंशतिषु जनपदेषु जाताः शेषेषु च चक्रवर्तिविजयेषु । जात्यार्या इह्वाकवो विदेहा हरयोऽम्बष्ठाः ज्ञाताः कुरवो वुं वुनाला उमा मोगा राजन्या इत्येवमादयः । कुलार्याः कुलकराश्चक्रवर्तिनो बलदेवा वासुदेवा ये चान्ये आतृतीयादापञ्चमादासप्तमाद्वा कुलकरेभ्यो वा विशुद्धान्वय-प्रकृतयः । कर्मार्या यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयोगकृषिलिपि-वाणिज्य-योनिपोषणवृत्तयः । शिल्पार्यास्तन्तुवायकुलालनापिततुन्नवायदेवटादयो-ऽल्पसावद्या अगर्हिताजीवाः । भाषार्या नाम ये शिष्टभाषानियत-वर्णं लोक-हृदस्पष्टशब्दं पञ्चविधानामप्यार्याणां संव्यवहारं भाषन्ते ।

अतो विपरीता म्लिशः । तद्यथा । हिमवतश्चतसृषु विदिक्षु त्रीणि-योजनशतानि लवणसमुद्रमवगाह्य चतसृणां मनुष्यविजातीनां चत्वारोऽन्तरद्वीपा भवन्ति त्रियोजनशतविष्कम्भायामा । तद्यथा । एकोरुकाणा-माभाषकाणां लाङ्गूलिकानां वैषाणिकानामिति । चत्वारियोजनशतान्यवगाह्य चतुर्योजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । ह्यंकर्णानां गजकर्णानां गोकर्णानां शङ्कुलीकर्णानामिति । पञ्चशतान्यवगाह्य पञ्च-योजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । गजमुखानां व्याघ्र-मुखानामादर्शमुखानां गोमुखानामिति । षड्योजनशतान्यवगाह्य ताव-दायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । अश्वमुखानां हस्तिमुखानां सिंहमुखानां व्याघ्रमुखानामिति । सप्तयोजनशतान्यवगाह्य तावदाया-मविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । अश्वकर्णसिंहकर्णहस्तिकर्णकर्णप्रा-वरणनामानः । अष्टौ योजनशतान्यवगाह्याष्टयोजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । उत्कामुखविद्युज्जिह्वहमेपमुखविद्युहन्तनामानः ॥ नवयोजनशतान्यवगाह्य नवयोजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा भव-

न्ति । तद्यथा । घनदन्तगूढदन्तविशिष्टदन्तशुद्धदन्तनामानः ॥ एकोरुका-
णामेकोरुकद्वीपः । एवं शेषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेदितव्याः ॥
शिखरिणोऽप्येवमेवेत्येवं षट्पञ्चाशदिति ॥'

इस भाष्यमें मनुष्योंके आर्य और म्लेच्छ ऐसे दो भेद करके आर्योंके क्षेत्रा-
दिकी दृष्टिसे छह भेद किए हैं—अर्थात् पंद्रह कर्मभूमियों (५ भरत, ५ ऐरावत
और ५ विदेहक्षेत्रों) में उत्पन्न होनेवालोंको 'क्षेत्रार्य'; इक्ष्वाकु, विदेह, हरि,
अम्बष्ठ, जात, कुरु, वुं वुनाल, उग्र, भोग, राजन्य इत्यादि वंशवालों को 'जा-
त्यार्य'; कुलकर-चक्रवर्ति-बलदेव-वासुदेवोंको तथा तीसरे पांचवें अथवा सातवें
कुलकरसे प्रारम्भ करके कुलकरोंसे उत्पन्न होनेवाले दूसरे भी विशुद्धान्वय-प्रकृति-
वालोंको 'कुलार्य'; यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, प्रयोग, कृषि, लिपि,
वाणिज्य और योनिपोषणसे आजीविका करनेवालोंको 'कर्मार्य'; अल्पसावद्य-
कर्म तथा अनिन्दित आजीविका करने वाले बुनकरों, कुम्हारों, नाइयों, दर्जियों
और देवटों (artisans = बढ़ई आदि दूसरे कारीगरों) को 'शिल्पकर्मार्य';
और शिष्ट पुरुषोंकी भाषाओंके नियतवर्णोंका, लोकरूढ स्पष्ट शब्दोंका तथा
उक्त क्षेत्रार्यादि पंच प्रकारके आर्योंके संव्यवहारका भले प्रकार उच्चारण-भाषण
करनेवालोंको 'भाषार्य' बतलाया है । साथ ही, क्षेत्रार्यका कुछ स्पष्टीकरण करते
हुए उदाहरणरूपसे यह भी बतलाया है कि भरतक्षेत्रोंके साढ़े पच्चीस साढ़े
पच्चीस जनपदोंमें और शेष जनपदोंमेंसे उन जनपदोंमें जहाँ तक चक्रवर्तीकी
विजय पहुँचती है, उत्पन्न होनेवालोंको 'क्षेत्रार्य' समझना चाहिए । और
इससे यह कथन ऐरावत तथा विदेहक्षेत्रोंके साथ भी लागू होता है—१५ कर्म-
भूमियोंमें उनका भी ग्रहण है, उनके भी २५॥, २५॥ आर्यजनपदों और शेष
म्लेच्छक्षेत्रोंके उन जनपदोंमें उत्पन्न होनेवालोंको 'क्षेत्रार्य' समझना चाहिए, जहाँ
तक चक्रवर्तीकी विजय पहुँचती है ।

इस तरह आर्योंका स्वरूप देकर, इससे विपरीत लक्षणवाले सब मनुष्यों-
को 'म्लेच्छ' बतलाया है और उदाहरणमें अन्तरद्वीपज मनुष्योंका कुछ विस्तार-
के साथ उल्लेख किया है । इससे स्पष्ट है कि जो लोग उन दूरवर्ती कुछ बचे-
खुचे प्रदेशोंमें रहते हैं जहाँ चक्रवर्तीकी विजय नहीं पहुँच पाती अथवा चक्रवर्ती-

की सेना विजयके लिए नहीं जाती है तथा जिनमें जात्यार्य, कुलार्य, कर्मार्य, शिल्पर्य और भाषार्यके भी कोई लक्षण नहीं है वे ही सब 'म्लेच्छ' हैं।

भाष्यविनिर्दिष्ट इस लक्षणसे, यद्यपि, आजकलकी जानी हुई पृथ्वीके सभी मनुष्य क्षेत्रादि किसी-न-किसी दृष्टिसे 'आर्य' ही ठहरते हैं—शक-यवनादि भी म्लेच्छ नहीं रहते—परन्तु साथ ही भोगभूमिया—हैमवत आदि अकर्मभूमिक्षेत्रोंमें उत्पन्न होनेवाले—मनुष्य 'म्लेच्छ' हो जाते हैं; क्योंकि उनमें उक्त छह प्रकारके आर्योंका कोई लक्षण घटित नहीं होता। इसीसे श्वे० विद्वान् पं० सुखलालजीने भी, तत्त्वार्थसूत्रकी अपनी गुजराती टीकामें, म्लेच्छके उक्त लक्षण पर निम्न फुटनोट देते हुए उन्हें 'म्लेच्छ' ही लिखा है—

“आ व्याख्या प्रमाणे हैमवत आदि त्रीश भोगभूमिओमां अर्थात् अकर्म भूमिओमां रहेनारा म्लेच्छो ज छे।”

पण्यवणा (प्रज्ञापना) आदि श्वेताम्बरीय आगम-सिद्धान्त-ग्रन्थोंमें मनुष्यके सम्पूर्णम और गर्भव्युत्क्रान्तिक ऐसे दो भेद करके गर्भव्युत्क्रान्तिकके तीन भेद किये हैं—कर्मभूमक, अकर्मभूमक, अन्तरद्वीपज और इस तरह मनुष्योंके मुख्य चार भेद बतलाए हैं *। इन चारों भेदोंका समावेश आर्य और म्लेच्छ नामके उक्त दोनों भेदोंमें होना चाहिये था; क्योंकि सब मनुष्योंको इन दो भेदोंमें बांटा गया है। परन्तु उक्त स्वरूपकथनपरसे सम्पूर्णम मनुष्योंको—जो कि अंगुलके असंख्यातवें भाग अवगाहनाके धारक, असंजी, अपर्याप्तिक और अन्त-मुहूर्तकी आयुवाले होते हैं—न तो 'आर्य' ही कह सकते हैं और न म्लेच्छ ही; क्योंकि क्षेत्रकी दृष्टिसे यदि वे आर्य क्षेत्रवर्ति-मनुष्योंके मल-मूत्रादिक अशुचित स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं तो म्लेच्छक्षेत्रवर्ति-मनुष्योंके मल-मूत्रादिकमें भी उत्पन्न होते हैं और इसी तरह अकर्मभूमक तथा अन्तरद्वीपज मनुष्योंके मल-मूत्रादिकमें भी वे उत्पन्न होते हैं ‡।

❁ मणुस्सा दुविहा पण्यत्ता तं जहा—संमुच्छिममणुस्सा य। गम्भवक्कं तियमणुस्सा ति विहा पण्यत्ता, तं जहा—कम्मसूमागा, अकम्मभूमगा, अन्तरदीवगा। —प्रज्ञापना सूत्र ३६, जीवाभिगमेऽपि

‡ देखो, प्रज्ञापना सूत्र नं० ३६ का वह अंश जो “गम्भवक्कं तियमणुस्सा य” के बाद “से किं संमुच्छिम-मणुस्सा !” से प्रारम्भ होता है।

इसके सिवाय, उक्तस्वरूप-कथन-द्वारा यद्यपि अकर्मभूमक (भोगभूमिया) मनुष्योंको म्लेच्छोंमें शामिलकर दिया गया है, जिससे भोगभूमियोंकी सन्तान कुल-करादिक भी म्लेच्छ ठहरते हैं, और कुलार्य तथा जात्यार्यकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं रहती। परन्तु श्वे० आगम ग्रन्थ (जीवाभिगम तथा प्रज्ञापना-जैसे ग्रन्थ) उन्हें म्लेच्छ नहीं बतलाते—अन्तर्द्वीपजों तकको उनमें म्लेच्छ नहीं लिखा; बल्कि आर्य और म्लेच्छ ये दो भेद कर्मभूमिज मनुष्योंके ही किये हैं—सब मनुष्योंके नहीं; जैसा कि प्रज्ञापना-सूत्र नं० ३७ के निम्न अंशसे प्रकट है:—

“से किं कम्मभूमगा ? कम्मभूगा पण्णारसविहा पण्णत्ता, तं जहा—पंचहिं भरहेहिं पंचहिं एरावएहिं पंचहिं महाविदेहेहिं; ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—आयरिया य मिलिक्खु य ॥”

ऐसी हालतमें उक्त भाष्य कितना अपर्याप्त, कितना अधूरा, कितना विपरीत और कितना सिद्धान्तागमके विरुद्ध है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं—सहृदय विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं। उसकी ऐसी मोटी मोटी त्रुटियां ही उसे स्वोपज्ञभाष्य माननेसे इनकार कराती हैं और स्वोपज्ञभाष्य माननेवालोंकी ऐसी उक्तियों पर विश्वास नहीं होने देती कि ‘वाचकमुख्य उमास्वातिके लिए सूत्रका उल्लंघन करके कथन करना असम्भव है †।’ अस्तु।

अब प्रज्ञापनसूत्रको लीजिए, जिसमें कर्मभूमिज मनुष्योंके ही आर्य और म्लेच्छ ऐसे दो भेद किए हैं। इसमें भी आर्य तथा म्लेच्छका कोई विशद एवं व्यावर्तक लक्षण नहीं दिया। आर्योंके तो ऋद्धिप्राप्त अनृद्धिप्राप्त ऐसे दो मूलभेद करके ऋद्धि-प्राप्तोंके छह भेद किये हैं—अरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण, विद्याधर। और अनृद्धिप्राप्त आर्योंके नव भेद बतलाए हैं, जिनमें छह भेद तो क्षेत्रार्य आदि वे ही हैं जो उक्त तत्त्वार्थाधिगमभाष्यमें दिए हैं, शेष तीन भेद ज्ञानार्य, दर्शनार्य और चारित्र्यार्य हैं, जिनके कुछ भेद-प्रभेदोंका भी कथन किया है। साथ ही,

॥ जीवाभिगममें भी यही पाठ प्रायः ज्यों का त्यों पाया जाता है—
‘मिलिक्खु’ की जगह ‘मिलेच्छा’ जैसा पाठभेद दिया है।

† “नापि वाचकमुख्याः सूत्रोल्लंघनेनाभिदधत्यसंभाव्य-मानत्वात्।”

—सिद्धसेनगणितटीका, पृ० २६७

म्लेच्छ-विषयक प्रश्न (से किं तं मिलिक्खू ?) का उत्तर देते हुए इतना ही लिखा है—

“मिलिक्खू अण्णेगविहा पणत्ता, तं जहा—सगा जवणा चिलाया सबर-बब्बर-मुरुडोड-भडग-णिण्णग-पक्कणिया कुलक्ख-गोंड-सिंहल-पारसगोधा कोंच-अम्बड-इदमिल-चिल्लल-पुलिंद-हारोस-दोववोक्काण-गन्धा हारवा पहिलय-अञ्जलरोम-पासपउसा मलया य वंधुया य सूयलि-कोंकण-गमेय-पल्हव-मालव-मगगर आभासिआ कणवीर-ल्हसिय-खसा स्वासिय ऐदूर-मोंठ डोंबिल गलओस पाओस कक्केय अक्खाग हण-रोमग-हुणरोमगभरुमरुय चिलाय वियवासी य एवमाइ, खेत्तमिलिक्खू।”

इसमें ‘म्लेच्छ अनेक प्रकारके है’ ऐसा लिख कर शक, यवन, (यूनान) किरात, शबर, बर्बर, मुरुण्ड, ओड (उड़ीसा), भटक, णिण्णग, पक्कणिय, कुलक्ष, गोंड, सिंहल (लंका), फारस, (ईरान), गोध, कोंच आदि देश-विशेष-निवासियोंको ‘म्लेच्छ’ बतलाया है। टीकाकार मलयगिरि सूरिने भी इनका कोई विशेष परिचय नहीं दिया—सिर्फ इतना ही लिख दिया है कि म्लेच्छोंकी यह अनेक प्रकारता शक-यवन-चिलात-शबर-बर्बरादि देशभेदके कारण है। शकदेश निवासियोंको ‘शक’ यवनदेश-निवासियोंको ‘यवन’ समझना, इसी तरह सर्वत्र लगालेना और इन देशोंका परिचय लोकसे—लोकशास्त्रोंके आधार पर प्राप्त करना ॥

इन देशोंमें कितने ही तो हिन्दुस्तानके भीतरके प्रदेश हैं, कुछ हिमालय आदिके पहाड़ी मुकाम हैं और कुछ सरहद्दी इलाके हैं। इन देशोंके सभी निवासियोंको म्लेच्छ कहना म्लेच्छत्वका कोई ठीक परिचायक नहीं है; क्योंकि इन देशोंमें आर्य लोग भी बसते हैं—अर्थात् ऐसे जन भी निवास करते हैं जो क्षेत्र, जाति तथा कुलकी दृष्टिको छोड़ देने पर भी कर्मकी दृष्टिसे, शिल्पकी

ॐ ‘तच्चानेकविधत्वं शक-यवन-चिलात-शबर-बर्बरादिदेशभेदात्, तथा चाह—तं जहा सगा, इत्यादि, शकदेशनिवासिनः शका, यवनदेशनिवासिनो यवनाः एवं, नवरमभी नानादेशाः लोकतो विज्ञेयाः।’

दृष्टिसे, भाषाकी दृष्टिसे आर्य हैं तथा मतिज्ञान-श्रुतज्ञानकी दृष्टिसे और सराग-दर्शनकी दृष्टिसे भी आर्य हैं, उदाहरणके लिये मालवा, उड़ीसा, लंका और कोंकण आदि प्रदेशोंको ले सकते हैं जहाँ उक्त दृष्टियोंको लिये हुए अग्रणीत आर्य बसते हैं ।

हो सकता है कि किसी समय किसी दृष्टिविशेषके कारण इन देशोंके निवासियोंको म्लेच्छ कहा गया हो; परन्तु ऐसी दृष्टि सदा स्थिर रहने-वाली नहीं होती । आज तो फिजी जैसे टापुओंके निवासी भी, जो बिल्कुल जंगली तथा असभ्य थे और मनुष्यों तक को मारकर खा जाते थे, आर्य पुरुषोंके संसर्ग एवं सत्प्रयत्नके द्वारा अच्छे सभ्य, शिक्षित तथा कर्मादिक दृष्टिसे आर्य बन गये हैं; वहाँ कितने ही स्कूल तथा विद्यालय जारी हो गये हैं और खेती दस्तकारी तथा व्यापारादिके कार्य होने लगे हैं । और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि फिजी देशके निवासी म्लेच्छ होते हैं । इसी तरह दूसरे देशके निवासियोंको भी जिन की अवस्था आज बदल गई है म्लेच्छ नहीं कहा जा सकता । जो म्लेच्छ हजारों वर्षोंसे आर्योंके सम्पर्कमें आ रहे हों और आर्योंके कर्म कर रहे हों उन्हें म्लेच्छ कहना तो आर्योंके उक्त लक्षण अथवा स्वरूपको सदोष बतलाना है । अतः वर्तमानमें उक्त देशनिवासियों तथा उन्हीं जैसे दूसरे देशनिवासियोंको भी, जिनका उल्लेख 'एवमाइ' शब्दोंके भीतर संनिहित है, म्लेच्छ कहना समुचित प्रतीत नहीं होता और न वह म्लेच्छत्वका कोई पूरा परिचायक अथवा लक्षण ही हो सकता है ।

श्रीमलयगिरिसूरिने उक्त प्रज्ञापनासूत्रकी टीकामें लिखा है—

“म्लेच्छा अव्यक्तभाषाममाचाराः,”

“शिष्टासम्मतसकलव्यवहारा म्लेच्छाः ।”

अर्थात्—म्लेच्छ वे हैं जो अव्यक्त भाषा बोलते हैं—ऐसी अस्पष्ट भाषा बोलते हैं जो अपनी समझमें न आवे । अथवा शिष्ट (सभ्य) पुरुष जिन भाषा-दिकके व्यवहारोंको नहीं मानते उनका व्यवहार करनेवाले सब म्लेच्छ हैं ।

ये लक्षण भी ठीक मालूम नहीं होते; क्योंकि प्रथम तो जो भाषा आर्योंके लिये अव्यक्त हो वही उक्त भाषाभाषी अनार्योंके लिए व्यक्त होती है तथा

आर्योंके लिए जो भाषा व्यक्त हो वह अनार्यों के लिए अव्यक्त होती है और इस तरह अनार्य लोग परस्परमें अव्यक्त भाषा न बोलनेके कारण आर्य हो जावेंगे तथा आर्य लोग ऐसी भाषा बोलनेके कारण जो अनार्योंके लिए अव्यक्त है—उनकी समझमें नहीं आती—म्लेच्छ ठहरेंगे। दूसरे, परस्परके सहवास और अभ्यासके द्वारा जब एक वर्ग दूसरे वर्गकी भाषासे परिचित हो जावेगा तो इतने परसे ही जो लोग पहले म्लेच्छ समझे जाते थे वे म्लेच्छ नहीं रहेंगे—शक-यवनादिक भी म्लेच्छत्वकी कोटिसे निकल जाएंगे, आर्य हो जावेंगे। इस के सिवाय, ऐसे भी कुछ देश हैं जहाँके आर्योंकी बोली-भाषा दूसरे देशके आर्य लोग नहीं समझते हैं, जैसे कन्नड-तामील-तेलगु भाषाओंको इधर यू० पी० तथा पंजाबके लोग नहीं समझते। अतः इधरकी दृष्टिसे कन्नड-तामील-तेलगु भाषाओंके बोलनेवालों तथा उन भाषाओंमें जैन ग्रंथोंकी रचना करनेवालोंको भी म्लेच्छ कहना पड़ेगा और यों परम्परमें बहुत ही व्याघात उपस्थित होगा—न म्लेच्छत्वका ही कोई ठीक निर्णय एवं व्यवहार बन सकेगा और न आर्य-त्वका ही।

रही शिष्ट-सम्मत-भाषादिकके व्यवहारोंकी बात, जब केवली भगवान-की वाणीको अठारह महाभाषाओं तथा सातसौ लघुभाषाओंमें अनुवादित किया जाता है तब ये प्रचलित सब भाषाएँ तो शिष्ट-सम्मत-भाषाएँ ही समझी जायँगी, जिनमें अरबी, फ़ारसी, लैटिन, जर्मनी, अंग्रेजी, फ़्रांसीसी, चीनी और जापानी आदि सभी प्रधान प्रधान विदेशी भाषाओंका समावेश हो जाता है। इनसे भिन्न तथा बाहर दूसरी और कौनसी भाषा रह जाती है जिसे म्लेच्छोंकी भाषा कहा जाय ? बाकी दूसरे शिष्ट-सम्मत-व्यवहारोंकी बात भी ऐसी ही है—कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें हिन्दुस्तानी असम्य समझते हैं और कुछ व्यवहार ऐसे हैं जिन्हें विदेशी लोग असम्य बतलाते हैं और उनके कारण हिन्दुस्तानियोंको 'असम्य'—अशिष्ट एवं Uncivilized समझते हैं। साथ ही, कुछ व्यवहार हिन्दुस्तानियोंके ऐसे भी हैं जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी दृष्टिमें असम्य हैं और इसी तरह कुछ विदेशियोंके व्यवहार दूसरे विदेशियोंकी दृष्टिमें भी असम्य हैं। इस तरह शिष्टपुरुषों तथा शिष्टसम्मत व्यवहारोंकी बात विवादा-पन्न होनेके कारण इतना कह देने मात्रसे ही आर्य और म्लेच्छकी कोई

व्यावृत्ति नहीं होती—ठीक पहचान नहीं बनती। और इसलिये उक्त सब लक्षण सदीप जान पड़ते हैं।

अब दिगम्बर ग्रन्थोंको भी लीजिए। तत्त्वार्थसूत्रपर दिगम्बरोंकी सबसे प्रधान टीकाएँ सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक तथा श्लोकवार्तिक हैं। इनमेंसे किसीमें भी म्लेच्छका कोई लक्षण नहीं दिया—मात्र म्लेच्छोंके अन्तरद्वीपज और कर्म-भूमिज ऐसे दो भेद बतलाकर अन्तरद्वीपजोंका कुछ पता बतलाया है और कर्म-भूमिज म्लेच्छोंके विषयमें इतना ही लिख दिया है कि ‘कर्मभूमिजाः शकयवनशबरपुलिन्दादयः’ (सर्वा०, राज०)—अर्थात् शक, यवन, शबर और पुलिन्दादिक लोगोंको कर्मभूमिजम्लेच्छ समझना चाहिए। श्लोकवार्तिकमें थोड़ासा विशेष किया है—अर्थात् यवनादिकको म्लेच्छ बतलानेके अतिरिक्त उन लोगोंको भी म्लेच्छ बतला दिया है जो यवनादिकके आचारका पालन करते हों। यथा—

कर्मभूमिभवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनादयः।

स्युः परे च तदाचारपालनाद्बहुधा जनाः॥

परन्तु यह नहीं बतलाया कि यवनादिकका वह कौनसा आचार-व्यवहार है जिसे लक्ष्य करके ही किसी समय उन्हें ‘म्लेच्छ’ नाम दिया गया है, जिससे यह पता चल सकता कि वह आचार इस समय भी उनमें अवशिष्ट है या कि नहीं और दूसरे आर्य कहलानेवाले मनुष्योंमें तो वह नहीं पाया जाता ! हाँ, इससे इतना आभास जरूर मिलता है कि जिन कर्मभूमिजोंको म्लेच्छ नाम दिया गया है वह उनके किसी आचारभेदके कारण ही दिया गया है—देशभेदके कारण नहीं। ऐसी हालतमें उस आचार-विशेषका स्पष्टीकरण होना और भी ज्यादा जरूरी था; तभी आर्य-म्लेच्छकी कुछ व्यावृत्ति अथवा ठीक पहचान बन सकती थी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया, और इसलिए आर्य-म्लेच्छकी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहती है—यह मालूम नहीं होता कि निश्चितरूपसे किसे ‘आर्य’ कहा जावे और किसे ‘म्लेच्छ’ !

श्लोकवार्तिकमें श्रीविद्यानन्दाचार्यने इतना और भी लिखा है—

“उच्चैर्गोत्रोदयादेरायाः, नीचैर्गोत्रोदयादेश्च म्लेच्छाः।”

अर्थात्—उच्चगोत्रके उदयादिक कारणसे आर्य होते हैं और जो नीचगोत्रके उदय आदिको लिये हुए होते हैं उन्हें म्लेच्छ समझना चाहिये ।

यह परिभाषा भी आर्य-म्लेच्छकी कोई व्यावर्तक नहीं है; क्योंकि उच्च-नीचगोत्रका उदय तो अतिसूक्ष्म है—वह छद्मस्थोंके ज्ञानगोचर नहीं, उसके आधारपर कोई व्यवहार चल नहीं सकता—और ‘आदि’ शब्दका कोई वाच्य बतलाया नहीं गया, जिससे दूसरे व्यावर्तक कारणोंका कुछ बोध हो सकता ।

शेष रही आर्योंकी बात, आर्यमात्रका कोई खास व्यावर्तक लक्षण भी इन ग्रन्थोंमें नहीं है—आर्योंके ऋद्धिप्राप्त अनृद्धिप्राप्त ऐसे दो भेद करके ऋद्धिप्राप्तोंके सात तथा आठ और अनृद्धिप्राप्तोंके क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्र्यार्य, दर्शनार्य ऐसे पाँच भेद किये गये हैं । राजवातिकमें इन भेदोंका कुछ विस्तारके साथ वर्णन जरूर दिया है; परन्तु क्षेत्रार्य तथा जात्यार्यके विषयको बहुत कुछ गोल-मोल कर दिया है—“क्षेत्रार्याः काशीकौशलादिषु जाताः । इक्ष्वाकुजाति-भोजादिकुलषु जाता जात्यार्याः” इतना ही लिखकर छोड़ दिया है ! और कर्मार्यके सावद्यकर्मार्य, अल्पसावद्यकर्मार्य, असावद्यकर्मार्य ऐसे तीन भेद करके उनका जो स्वरूप दिया है उससे दोनोंकी पहचानमें उस प्रकारकी वह सब गड़बड़ प्रायः ज्योंकी त्यों उपस्थित हो जाती है, जो उक्त भाष्य तथा प्रज्ञापना-सूत्रके कथनपरसे उत्पन्न होती है । जब असि, मषि, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्यमसे आजीविका करनेवाले, श्रावकका कोई व्रत धारण करनेवाले और मुनि होनेवाले (म्लेच्छ भी मुनि हो सकते हैं ❀) सभी ‘आर्य’ होते हैं तब शक-यवनादिकको म्लेच्छ कहने पर काफ़ी आपत्ति खड़ी होजाती है और आर्य-म्लेच्छकी ठीक व्यावृत्ति होने नहीं पाती ।

हाँ, सर्वार्थसिद्धि तथा राजवातिकमें ‘गुणैर्गुणवद्भिर्वा अयन्त इत्यार्याः’ ऐसी आर्योंकी निरुक्ति और दी है और राजवातिकमें अयन्ते’ का अर्थ ‘सेव्यन्ते’ भी दिया है । यद्यपि यह आर्य शब्दकी निरुक्ति है—लक्षण नहीं । फिर भी इसके द्वारा इतना प्रकट किया गया है कि जो गुणोंके द्वारा तथा गुणियोंके

❀ देखो, जयध्वलाका वह प्रमाण जो ‘भगवान् महावीर और उनका समय’ शीर्षक निबन्धके पृष्ठ २२ परके फुटनोटमें दिया गया है ।

द्वारा सेवा किए जाएँ, प्राप्त हों वा अपनाए जायँ वे सब 'आर्य' हैं। और इस तरह गुणीजन तथा गुणीजन जिन्हें अपना लें वे अगुणी भी सब आर्य ठहरते हैं। शक-यवनादिकोंमें भी काफी गुणीजन होते हैं—बड़े-बड़े विद्वान्, राजा तथा राजसत्ता चलानेवाले मन्त्री आदिक भी होते हैं—वे सब आर्य ठहरेंगे। और जिन गुणहीनों तथा अनक्षर म्लेच्छोंको आदिपुराणके निम्न वाक्यनुसार कुल-शुद्धि आदिके द्वारा आर्य लोग अपना लेंगे, वे भी आर्य हो जावेंगे—

स्वदेशोऽनन्तरम्लेच्छान् प्रजावाधाविधायिनः ।

कुलशुद्धिप्रदानायैः स्वसात्कुर्यादुपक्रमैः ॥

इससे आर्य-म्लेच्छकी समस्या सुलझनेके बजाय और भी ज्यादा उलझ जाती है। अतः विद्वानोंमें निवेदन है कि वे इस समस्याको हल करनेका पूरा प्रयत्न करें—इस बातको खोज निकालें कि वास्तवमें 'आर्य' किसे कहते हैं और 'म्लेच्छ' किसे ? दोनोंका व्यावर्तक लक्षण जैनसाहित्यपरसे क्या ठीक बैठता है ? जिससे सब गड़बड़ मिटकर सहज ही सबको आर्य और म्लेच्छका परिज्ञान हो सके।



समन्तभद्रका समय-निर्णय

दिगम्बर जैनसमाजमें स्वामी समन्तभद्रका समय आम तौरपर क्रि.पू. ६० (वि० सं० १९५) का जो उनके विषयमें उल्लेख है वह किसी घटना-विशेषकी दृष्टिको लिये हुए जान पड़ता है। उनका जीवन-काल अधिकांशमें उससे पहले तथा कुछ बादको भी रहा हो सकता है। श्वेताम्बर जैनसमाजने भी समन्तभद्रको अपनाया है और अपनी पट्टावलियोंमें उन्हें 'सामन्तभद्र' नामसे उल्लेखित करते हुए उनके समयका पट्टाचार्य-रूपमें प्रारम्भ वीरनिर्वाण-संवत् ६४३ (वि० सं० १७३) से हुआ बतलाया है। साथ ही, यह भी उल्लेखित किया है कि उनके पट्टशिष्यने वीरनि० सं० ६९५ (वि० सं० २२५) में एक प्रतिष्ठा कराई है, जिससे उनके समयकी उत्तरावधि विक्रमकी तीसरी शताब्दीके प्रथमचरण तक पहुँच जाती है ❀। इससे समय-सम्बन्धी दोनों सम्प्रदायोंका कथन मिल जाता है और प्रायः एक ही ठहरता है।

उक्त जैन पट्टावली-मान्य शक सं० ६० (ई० सं० १३८) वाले समय-को डाक्टर आर० जी० भाण्डारकरने अपनी 'अर्ली हिस्टरी आफ़ डेक्कन' में, मिस्टर लेविस राइसने अपनी 'इस्क्रिप्शंस ऐट श्रवणबेलगोल' नामक पुस्तककी प्रस्तावना तथा 'कर्णाटक-शब्दानुशासन'की भूमिकामें, मेसर्स आर० एण्ड एस० जी० नरसिंहाचार्यने अपने 'कर्नाटक कविचरिते' ग्रंथमें और मिस्टर एडवर्ड पी०

† यह पट्टावली हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथोंके अनुसन्धान-विषयक डा० भाण्डारकरकी सन् १८८३-८४ की अंग्रेजी रिपोर्टके पृष्ठ ३२० पर प्रकाशित हुई है।

‡ कुछ पट्टावलियोंमें यह समय वीर नि० सं० ५९५ अर्थात् वि० सं० १२५ दिया है जो किसी गलतीका परिणाम है और मुनिकल्याणविजयने अपने द्वारा सम्पादित 'तपागच्छ-पट्टावली'में उसके सुधारकी सूचना भी की है।

❀ देखो, मुनिकल्याणविजय-द्वारा सम्पादित 'तपागच्छ-पट्टावली' पृ० ७९-८१

राइसने अपनी 'हिस्टरी आफ कनडोज लिटरेचर'में मान्य किया है। और भी अनेक ऐतिहासिक विद्वानों ने समन्तभद्रके इस समयको मान्यता प्रदान की है। अब देखना यह है कि इस समयका समर्थन शिलालेखादि दूसरे कुछ साधनों या आधारोंसे भी होता है या कि नहीं और ठीक समय क्या कुछ निश्चित होता है। नीचे इसी विषयको प्रदर्शित एवं विवेचित किया जाता है:—

मिस्टर लेविस राइसने, समन्तभद्रको ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दी का विद्वान अनुमान करते हुए, जहाँ उसकी पुष्टिमें उक्त पट्टावलीको देखनेकी प्रेरणा की है वहाँ श्रवणबेलगोलके शिलालेख न० ५४(६७) को भी प्रमाणमें उपस्थित किया है, जिसमें मल्लिकेणप्रशस्तिको उत्कीर्ण करते हुए समन्तभद्रका स्मरण सिंहनन्दीसे पहले किया गया है। शिलालेखकी स्थिति-को देखते हुए उन्होंने इस पूर्व-स्मरणको इस बातके लिये अत्यन्त स्वाभाविक अनुमान माना है कि समन्तभद्र सिंहनन्दीसे अधिक या कम समय पहले हुए हैं। चूँकि उक्त सिंहनन्दी मुनि गंगराज्य (गंगवाड़) की स्थापनामें सविशेषरूपसे कारणीभूत एवं सहायक थे, गंगवंशके प्रथम राजा कोंगणिवर्माके गुरु थे, और इसलिये कोंगुदेशराजाकल (तामिल क्रानिकल) आदिसे कोंगणिवर्माका जो समय ईसाकी दूसरी शताब्दीका अन्तिम भाग (A. D. 188) पाया जाता है वही सिंहनन्दीका अस्तित्व-समय है ऐसा मानकर उनके द्वारा समन्तभद्रका अस्तित्व-काल ईसाकी पहली या दूसरी शताब्दी अनुमान किया गया है। श्रवणबेलगोलके शिलालेखोंकी उक्त पुस्तकको सन् १८८६ में प्रकाशित करनेके बाद राइस साहबको कोंगणिवर्माका एक शिलालेख मिला, जो शक संवत् २५ (वि० सं० १६०, ई० सन् १०३) का लिखा हुआ है और जिसे उन्होंने, सन् १८६४ में, नजनगूड़ तालुके (मैसूर) के शिलालेखोंमें न० ११० पर प्रकाशित कराया है* (E. C. III)। उससे कोंगणिवर्माका स्पष्ट समय ईसाकी दूसरी शताब्दी का प्रारम्भिक अथवा पूर्वभाग पाया जाता है, और इसलिये उनके मतानुसार

* इस शिलालेखका आद्य अंश निम्न प्रकार है—

“स्वस्ति श्रीमत्कोंगणिवर्ममहामहाराजप्रथमगंगस्य दत्तं शकवर्षगतेषु पंचविंशति २५ नेय शुभक्रिस्तुसंवत्सरसु फाल्गुनशुद्धपंचमी शनि रोहिणि.....।”

यही समय सिंहनन्दीका होनेसे समन्तभद्रका समय निश्चित रूपसे ईसाकी पहली शताब्दी ठहरता है—दूसरी नहीं।

श्रवणबेलगोलके उक्त शिलालेखमें, जो शक संवत् १०५० का लिखा हुआ है, यद्यपि 'ततः' या 'तदन्वय' जैसे शब्दोंके प्रयोग-द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं की गई जिससे यह निश्चितरूपमें कहा जासके कि उसमें पूर्ववर्ती आचार्यों अथवा गुरुओंका स्मरण कालक्रमकी दृष्टिसे किया गया है परन्तु उससे पूर्ववर्ती शकसंवत् ६६६ के लिखे हुए दो शिलालेखों और उत्तरवर्ती शक सं० १०६६ के लिखे एक शिलालेखमें समन्तभद्रके बाद जो उन सिंहनन्दी आचार्योंका उल्लेख है वह स्पष्टरूपसे यह बतला रहा है कि गंगराज्यके संस्थापक आचार्य सिंहनन्दी स्वामी समन्तभद्रके बाद हुए हैं। ये तीनों शिलालेख शिमोगा जिलेके नगरताल्लुकेमें हमच स्थानमें प्राप्त हुए हैं, क्रमशः नं० ३५, ३६, ३७ को लिये हुए हैं और एपिग्रेफिका कर्णाटिकाकी आठवीं जिल्दमें प्रकाशित हुए हैं। यहाँ उनके प्रस्तुत विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले अंशोंको उद्धृत किया जाता है, जो कन्नड़ी भाषा में हैं। इनमेंसे ३६ और ३७ नम्बरके शिला-लेखोंके प्रस्तुत अंश प्रायः समान हैं इसीसे ३६वें शिलालेखसे ३७वेंमें जहाँ कहीं कुछ भेद है उसे ब्रकेटमें नम्बर ३७ के साथ दे दिया गया है—

“.....भद्रबाहुस्वामीगलिन्द इत्तकलिकालवर्तनेयि गणभेदं पुट्टिदुद् अवर अन्वयक्रमदि कलिकालगणधरु शास्त्रकर्तु गलुम् एनिसिद् समन्तभद्रस्वामीगल् अवरशिष्यसंतानं शिवकं ट्याचर्य्यर् अवर्ति वरदत्ताचार्य्यर् अवर्ति तत्त्वार्थसूत्रकर्तु गल् एनिसिद् आर्य्यदेवर् अवर्ति गंगराज्यम माडिद् सिंहनन्द्याचार्य्यर् अवर्तिन्द एकसधि-सुमतिभट्टारकर अवर्ति.....।” (नं० ३५)

“.....श्रुतकेवलिगल् एनिसिद् (एनिय३७) भद्रबाहुस्वामिगल् (गलग३७) मोदलागि पलम्बर (हलम्बर ३७) आचार्य्यर् पोदिम्बलियं समन्तभद्रस्वामिगल् उदयिसिदर अवरअन्वयदोल (अनन्तरं ३७) गंगराज्यम माडिद् सिंहनन्द्याचार्य्यर् अवर्ति.....।” (नं० ३६, ३७)

३५वें शिलालेखमें यह उल्लेख है कि भद्रबाहुस्वामीके बाद यहाँ कलिकालका प्रवेश हुआ—उसका वर्तना आरम्भ हुआ, गणभेद उत्पन्न हुआ और

उनके वंश-क्रममें समन्तभद्रस्वामी उदयको प्राप्त हुए, जो 'कालिकालगणधर' और 'शास्त्रकार' थे, समन्तभद्रकी शिष्य-सन्तानमें सबसे पहले 'शिवकोटि' आचार्य हुए, उनके बाद वरदत्ताचार्य, फिर तत्त्वार्थसूत्र † के कर्ता 'आर्यदेव,' आर्यदेवके पश्चात् गंगराजका निर्माण करनेवाले 'सिंहनन्दी' आचार्य, और सिंहनन्दीके पश्चात् एकसन्धि-सुमति भट्टारक हुए। और ३६वें-३७वें शिलालेखोंमें समन्तभद्रके बाद सिंहनन्दीका उल्लेख करते हुए सिंहनन्दीका समन्तभद्रकी वंशपरम्परामें होना लिखा है, जो वंशपरम्परा वही है जिसका ३५वें शिलालेखमें शिवकोटि, वरदत्त और आर्यदेव नामक आचार्योंके रूपमें उल्लेख है।

इन तीनों या चारों शिलालेखोंसे भिन्न दूसरा कोई भी शिलालेख ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें समन्तभद्र और सिंहनन्दी दोनोंका नाम देते हुए उक्त सिंहनन्दीको समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान् सूचित किया हो या कम-से-कम समन्तभद्रसे पहले सिंहनन्दीके नामका ही उल्लेख किया हो। ऐसी हालतमें मिस्टर लेविस राइस साहबके उस अनुमानका समर्थन होता है जिसे उन्होंने केवल 'मल्लिपेणप्रशस्ति' नामक शिलालेख (नं० ५४) में इन विद्वानोंके आगे पीछे नामोल्लेखको देखकर ही लगाया था। इन बादको ❀ मिले हुए शिलालेखोंमें 'अवरिं', 'अवरअन्वयदोल' और 'अवर अनन्तरं' शब्दोंके प्रयोग-द्वारा इस बातकी स्पष्ट घोषणा की गई है कि सिंहनन्दी आचार्य समन्तभद्राचार्यके बाद हुए हैं। अस्तु; ये सिंहनन्दी गंगवंशके प्रथम राजा कोंगुणिवर्माके समकालीन थे, इन्होंने गंगवंशकी स्थापनामें खास भाग लिया है, जिसका उल्लेख तीनों शिलालेखोंमें "गंगराज्यम् माडिद" इस विशेषण-पदके द्वारा किया गया

† मल्लिपेण-प्रशस्तिमें आर्यदेवको 'राद्धान्त-कर्ता' लिखा है और यहाँ 'तत्त्वार्थसूत्र-कर्ता।' इससे 'राद्धान्त' और 'तत्त्वार्थसूत्र' दोनों एक ही ग्रन्थके नाम मालूम होते हैं और वह गृध्रपिच्छाचार्य उमास्वामीके तत्त्वार्थसूत्रसे भिन्न जान पड़ता है।

❀ श्रवणबेलगोलका उक्त ५४वाँ शिलालेख सन् १८८६ में प्रकाशित हुआ था और नगरतालुकके उक्त तीनों शिलालेख सन् १९०४ में प्रकाशित हुए हैं। वे सन् १८८६ में लेविस राइस साहबके सामने मौजूद नहीं थे।

है, जिसका अर्थ लेविस राइसने who made the Gang kingdom दिया है—अर्थात् यह बतलाया है 'कि जिन्होंने गंगराज्यका निर्माण किया' (वे सिंहनन्दी आचार्य) । सिंहनन्दीने गंगराजकी स्थापनामें क्या सहायता की थी, इसका कितना ही उल्लेख अनेक शिलालेखोंमें पाया जाता है, जिसे यहां पर उद्धृत करनेकी जरूरत मालूम नहीं होती—श्रवणबेलगोलका वह ५४(६७)वाँ शिलालेख भी सिंहनन्दी और उनके छात्र (कोंगुणिवर्मा) के साथ घटित-घटनाकी कुछ सूचनाको लिये हुए है † ।

यहांपर मैं इतना और भी प्रकट कर चाहता हूँ कि सन् १६२५ (वि० सं० १६८२) में मणिकचन्द जैनग्रन्थमालासे प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनाके 'समय-निर्णय' प्रकरणमें (पृ० ११७) मैंने श्री लेविस राइस साहबके उक्त अनुमान पर इस आशयकी आपत्ति की थी कि उक्त शिलालेखमें 'ततः' या 'तदन्वय' आदि शब्दोंके द्वारा सिंहनन्दीका समन्तभद्रके बादमें होना ही नहीं सूचित किया बल्कि कुछ गुरुवोंका स्मरण भी क्रमरहित आगे पीछे पाया जाता है, जिससे शिलालेख कालक्रमसे स्मरण या क्रमोल्लेखकी प्रकृतिका मालूम नहीं होता, और इसके लिए उदाहरणरूपमें पात्रकेसरीका श्रीअकलंकदेव और श्रीवर्द्धदेवसे भी पूर्व स्मरण किया जाना सूचित किया था । मेरी यह आपत्ति स्वामी पात्रकेसरी और उन श्रीविद्यानन्दको एक मानकर की गई थी जो कि अष्टमहस्त्री आदि ग्रन्थोंके कर्ता हैं, और उनके इस एक-व्यक्तित्वके लिये 'सम्यक्त्वप्रकाश' ग्रन्थ तथा वादिचन्दसूरिका 'ज्ञानसूर्योदय' नाटक और 'जैनहितैषी' भाग ६, अंक ६, पृ० ४३६-४४० को देखनेकी प्रेरणा की गई थी; क्योंकि उस समय प्रायः इन्हीं आधारीपर समाजमें दोनोंका व्यक्तित्व एक माना जाता था, जो कि एक भारी भ्रम था । परन्तु बादको मैंने 'स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' नामक अपने खोजपूर्ण निबन्धके दो लेखों-

† यथा:—योऽसौ घातिमल-द्विषद्वल-शिला-स्तम्भावली-खण्डन-

ध्यानासिः पटुरहंतो भगवतस्सोऽस्य प्रसादीकृतः ।

छात्रस्यापि स सिंहनन्दि-मुनिना नो चेतकथं वा शिला-

स्तम्भोराज्य-रमागमाध्व-परिघस्तेनासिखण्डोघ्ननः ॥६॥

द्वारा * इस फैले हुए भ्रमको दूर करते हुए यह स्पष्ट करके बतला दिया कि स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्दका व्यक्तित्व ही नहीं, किन्तु ग्रन्थसमूह और समय भी भिन्न है—पात्रकेसरी विद्यानन्दसे कई शताब्दी पहले हुए हैं, अकलंकदेवसे भी कोई दो शताब्दी पहलेके विद्वान् हैं, और इसलिये उनका अस्तित्व श्रीवज्रदेवसे भी पहले का है । और इसीसे अब, जब कि सम्यक्त्व-प्रकाश-जैसे ग्रन्थकी पोल खुल चुकी है, मैंने उक्त तीनों शिलालेखोंकी मौजूदगीको लेकर यह प्रतिपादित किया है कि उनसे श्री राइस साहबके अनुमानका समर्थन होता है, वह ठीक पाया गया और इसीसे उसपर की गई अपनी आपत्तिको मैंने कभीका वापिस ले लिया है ।

जब स्वयं कोंगुणिवर्मिका 'एक प्राचीन शिलालेख शक संवत् २५ का उपलब्ध है और उससे मालूम होता है कि कोंगुणिवर्मा वि. सं. १६० (ई० सन् १०३) में राज्यासन पर आरूढ़ थे तब प्रायः यही समय उनके गुरु एवं राज्यके प्रतिष्ठापक सिंहनन्दी आचार्यका समझना चाहिये, और इसलिये कहना चाहिये कि सिंहनन्दीकी गुरु-परम्परामें स्थित स्वामी समन्तभद्राचार्य अवश्य ही वि० संवत् १६० से पहले हुए हैं; परन्तु कितने पहले, यह अभी अप्रकट है । फिर भी पूर्वोक्त होने पर कम से कम ३० वर्ष पहले तो समन्तभद्रका होता मान ही लिया जा सकता है; क्योंकि ३५ वें शिलालेखमें सिंहनन्दीमे पहले आर्यदेव, वरदत्त और शिवकोटि नामके तीन आचार्योंका और भी उल्लेख पाया जाता है, जो समन्तभद्रकी शिष्यसन्तानमें हुए हैं और जिनके लिये १०-१० वर्षका औसत समय मान लेना कुछ अधिक नहीं है । इससे समन्तभद्र निश्चिन्नरूपसे विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके पूर्वार्धके विद्वान् ठहरते हैं । और यह भी हो सकता है कि उनका अस्तित्वकाल उत्तरार्धमें भी वि० सं० १६५ (शक सं० ६०) तक चलता रहा हो; क्योंकि उस समयकी स्थितिका ऐसा बोध होता है कि जब कोई मुनि आचार्य-पदके योग्य होता था तभी उसको आचार्यपद दे दिया जाता था और इस तरह एक आचार्यके समयमें उनके कई

* ये दोनों लेख इस निबन्धसंग्रहमें अन्यत्र पृ० ६३७ से ६६७ तक प्रकाशित हो रहे हैं ।

शिष्य भी आचार्य हो जाते थे और पृथक् रूपसे अनेक मुनि संघोंका शासन करते थे; अथवा कोई कोई आचार्य अपने जीवनकालमें ही आचार्य-पदको छोड़ देते थे और संघका शासन अपने किसी योग्य शिष्यके सुपुर्द करके स्वयं उपाध्याय या साधु परमेष्ठीका जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी स्थितिमें उक्त तीनों आचार्य समन्तभद्रके जीवन-कालमें भी उनकी सन्तानके रूपमें हो सकते हैं। शिलालेखोंमें प्रयुक्त अव्यय शब्द 'ततः' वा 'तदनन्तर' जैसे अर्थका वाचक है और उसके द्वारा एकको दूसरेसे बादका जो विद्वान सूचित किया गया है उसका अभिप्राय केवल एकके मरण और दूसरेके जन्मसे नहीं बल्कि शिष्यत्व-ग्रहण तथा आचार्य-पदकी प्रति आदिकी दृष्टिको लिये हुए भी होता है और इस लिये उस शब्द-प्रयोगसे उक्त तीनों आचार्योंका समन्तभद्रके जीवन-कालमें होना बाधित नहीं ठहरता। प्रत्युत इसके, समन्तभद्रके समयका जो एक उल्लेख शक संवत् ६० (वि.सं. १९५) का—संभवतः उनके निधनका—मिलता है उसकी संगति भी ठीक बैठ जाती है। स्वामी समन्तभद्र जिनशासनके एक बहुत बड़े प्रचारक और प्रसारक हुए हैं, उन्होंने अपने समयमें श्रीवीरजिनके शासनकी हजार गुरी वृद्धि की है, ऐसा एक शिलालेखमें उल्लेख है, अपने मिशनको सफल बनानेके लिये उनके द्वारा अनेक शिष्योंको अनेक विषयोंमें खास तौरसे सुशिक्षित करके उन्हें अपने जीवनकालमें ही शासन-प्रचारके कार्यमें लगाया जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है, और इससे सिंहनन्दी जैसे धर्म-प्रचारकी मनोवृत्तिके उदारमना आचार्यके अस्तित्वकी संभावना समन्तभद्रके जीवनकालमें ही अधिक जान पड़ती है। अस्तु।

ऊपरके इन सब प्रमाणों एवं विवेचनकी रोशनीमें यह बात असन्दिग्ध-रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि स्वामी समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताब्दीके विद्वान थे—भले ही वे इस शताब्दीके उत्तरार्धमें भी रहे हों या न रहे हों। और इस लिये जिन विद्वानोंने उनका समय विक्रम या ईसाकी तीसरी शताब्दीसे भी बादका अनुमान किया है वह सब भ्रम-मूलक है। डाक्टर के० बी० पाठकने अपने एक लेखमें समन्तभद्रके समयका अनुमान ईसाकी आठवीं शताब्दीका पूर्वार्ध किया था, जिसका युक्ति-पुरस्सर निराकरण 'समन्तभद्रका समय और डा० के० बी० पाठक' नामके निबन्ध (नं. १८) में विस्तारके साथ

किया जा चुका है और उसमें उनके सभी हेतुओंको असिद्धादि दोषोंसे दूषित सिद्ध करके निःसार ठहराया गया है (पृ० २६७-३२२) ।

डाक्टर सतीशचन्द विद्याभूषणने अपनी 'हिस्टरी आफ़ दि मिडियावल स्कूल आफ़ इन्डियन लॉजिक'में, यह अनुमान प्रकट किया था कि समन्तभद्र ईसवी सन् ६०० के लगभग हुए हैं । परन्तु आपके इस अनुमानका क्या आधार है अथवा किन युक्तियोंके बलपर आप ऐसा अनुमान करनेके लिये बाध्य हुए हैं यह कुछ भी सूचित नहीं किया । हाँ, इससे पहले इतना जरूर सूचित किया है कि समन्तभद्रका उल्लेख हिन्दू तत्त्ववेत्ता 'कुमारिल'ने भी किया है और उसके लिये डा० भाण्डारकरकी संस्कृत ग्रन्थोंके अनुसन्धान-विषयक उस रिपोर्टके पृ० ११८ को देखनेकी प्रेरणा की है जिसका उल्लेख इस लेखके शुरूमें एक फुटनोट-द्वारा किया जा चुका है । साथ ही, यह प्रकट किया है कि 'कुमारिल' बौद्ध तार्किक विद्वान् 'धर्मकीर्ति'का समकालीन था और उसका जीवनकाल आम तौर पर ईसाकी ७वीं शताब्दी (६३५से ६५०) माना गया है । शायद इतने परसे ही—कुमारिलके ग्रन्थमें समन्तभद्रका उल्लेख मिल जाने मात्रसे ही—आपने समन्तभद्रको कुमारिलसे कुछ ही पहलेका अथवा प्रायः समकालीन विद्वान् मान लिया है, जो किसी तरह भी युक्ति-संगत प्रतीत नहीं होता । कुमारिल-ने अपने श्लोकवार्तिकमें, अकलंकदेवके 'अष्टशती' ग्रन्थपर, उसके 'आज्ञाप्रधाना-दि.....' इत्यादि वाक्योंको लेकर, कुछ कटाक्ष किये हैं ❁, जिससे अकलंक-के अष्टशती' ग्रन्थका कुमारिलके सामने मौजूद होना पाया जाता है । और यह अष्टशती ग्रंथ समन्तभद्रके 'देवागम' स्तोत्रका भाष्य है, जो समन्तभद्रसे कई शताब्दी बादका बना हुआ है । इससे विद्याभूषणजीके अनुमानकी निःसारता सहज ही व्यक्त हो जाती है ।

इन दोनों विद्वानोंके अनुमानोंके सिवाय पं० सुखलालजीका, 'ज्ञानबिन्दु' की परिचयात्मक प्रस्तावनामें, समन्तभद्रको बिना किसी हेतुके ही पूज्यपाद (विक्रम छठी शताब्दी)का उत्तरवर्ती बतलाना और भी अधिक निःसारताके लिये हुए है—वे पूज्यपादके 'जैनेन्द्र' व्याकरणमें 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य' और

❁ दखा, प्रोफ़ेसर के० बी० पाठकका 'दिगम्बर जैनसाहित्यमें कुमारिल-का स्थान' नामक निबन्ध ।

‘वेत्तेः सिद्धसेनस्य’ इन दो सूत्रोंके द्वारा समन्तभद्र और सिद्धसेनके उल्लेखको जानते-मानते हुए भी सिद्धसेनको तो एक सूत्रके आधार पर पूज्यपादका पूर्ववर्ती बतला देते हैं परन्तु दूसरे सूत्रके प्रति गज-निमीलन-जसा व्यवहार करके उसे देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं और समन्तभद्रको यों ही चलती कलमसे पूज्यपादका उत्तरवर्ती कह डालते हैं ! साथ ही, इस बातको भी भुला जाते हैं कि सन्मतिकी प्रस्तावनामें वे पूज्यपादको समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला आए हैं और यह लिख आए हैं कि ‘स्तुतिकाररूपमें प्रसिद्ध इन दोनों आचार्योंका उल्लेख पूज्यपादने अपने व्याकरणके उक्त सूत्रोंमें किया है उनका कोई भी प्रकारका प्रभाव पूज्यपादकी कृतियों पर होना चाहिये, जो कि उनके उक्त उत्तरवर्ती कथनके विरुद्ध पड़ता है। उनके इस उत्तरवर्ती कथनका विशेष ऊहापोह एवं उसकी निःसारताका व्यक्तीकरण ‘सन्मतिसूत्र और सिद्धसेन’ नामक निबन्धके ‘सिद्धसेनका समयादिक’ प्रकरण (पृ० ५४३-५६६) में किया गया है और उसमें तथा ‘सिद्धसेनका सम्प्रदाय और गुणकीर्तन’ नामक प्रकरण- (पृ० ५६६-५८५) में यह भी स्पष्ट करके बतलाया गया है कि समन्तभद्र न्यायावतार और सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनोंसे ही नहीं, किन्तु प्रथमादि द्वात्रिंशिकाओंके कर्ता सिद्धसेनोंसे भी पहले हुए हैं। ‘स्वयम्भूस्तुति’ नामकी प्रथमद्वात्रिंशिकामें सिद्धसेनने ‘अनेन सर्वज्ञपरीक्षणक्षमास्त्वयि प्रसादौदयसोत्सन्धाः स्थिताः’ जैसे वाक्योंके द्वारा सर्वज्ञपरीक्षकके रूपमें स्वयं समन्तभद्रका स्मरण किया है और अन्तिम पद्यमें ‘तव गुणकथोत्का वयमपि’ जैसे वाक्योंका साथमें प्रयोग करके वीरस्तुतिके रचनेमें समन्तभद्रके अनुकरणकी साफ सूचना भी की है—लिखा है कि इस सर्वज्ञ-द्वारकी परीक्षा करके हम भी आपकी गुणकथा करनेमें उत्सुक हुए हैं।

समयका अन्यथा प्रतिपादन करनेवाले विद्वानोंके अनुमानादिककी ऐसी स्थितिमें समन्तभद्रका विक्रमकी दूसरी अथवा ईसाकी पहली शताब्दीका समय और भी अधिक निर्णीत और निर्विवाद हो जाता है।

दिल्ली, मंगसिर शुक्ला पंचमी सं० २०१२

परिशिष्ट

१. काव्यचित्रोंका सोदाहरण परिचय

समन्तभद्रकी स्तुतिविद्या (ले० २०) से सम्बद्ध काव्य-चित्रोंके कुछ उदाहरण अपने-अपने काव्यके साथ यहाँ दिये जाते हैं, जिससे उनके विषयका यथेष्ट परिज्ञान हो सके । साथमें चित्रोंका ठीक परिचय प्राप्त करनेके लिये जरूरी सूचनाएँ भी दी जा रही हैं । इन सबको देनेसे पहले चित्रालङ्कार-सम्बन्धी कतिपय सामान्य नियमोंका उल्लेख कर देना आवश्यक है, जिससे किसी प्रकारके भ्रमको अथवा चित्रभङ्ग की कल्पनाको कहीं कोई अवकाश न रहे—

(१) “नाऽनुस्वार-विसर्गौ च चित्रभङ्गायसंमतौ ।”

‘अनुस्वार और विसर्गका अन्तर होनेसे चित्रालङ्कार भग नहीं होता ।’

(२) “यमकादौ भवेदैक्यं डलो रलो र्ववोस्तथा ।”

‘यमकादि अलङ्कारोंमें ड-ल, र-ल, और व-वमें अभेद होता है ।’

(३) यमकादि चित्रालङ्कारोंमें अन्य अभेदोंकी तरह कहीं कहीं श-प और न-ण में भी अभेद होता है; जैसा कि निम्न संग्रह श्लोकसे जाना जाता है—

“यमकादौ भवेदैक्यं डलयो रलयोर्ववोः ।

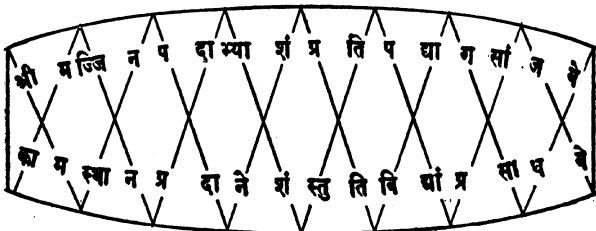
शपयोर्नणयोश्चान्ते सत्रिसर्गाऽविसर्गयोः ।

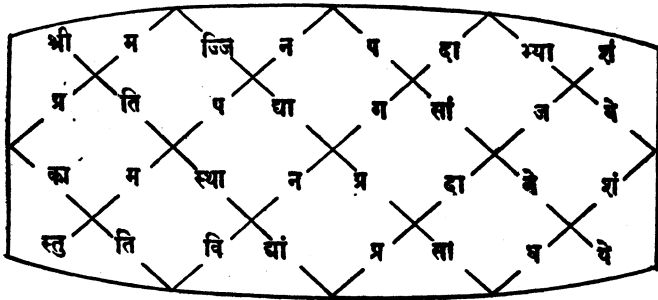
सविन्दुकाऽविन्दुकयोः स्यादभेद-प्रकल्पनम् ॥”

(१) मुरजबन्धः

श्रीमज्जिनपदाभ्याशं प्रतिपद्यागसां जये ।

कामस्थानप्रदानेशं स्तुतिविद्यां प्रसाधये ॥ १ ॥





ये सामान्य मुरजबन्धके दो चित्र हैं। इनमें पूर्वार्धके विषमसंख्यांक (१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५) अक्षरोंको उत्तरार्धके समसंख्याङ्क (२, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६) अक्षरोंके साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे श्लोकका पूर्वार्ध और उत्तरार्धके विषमसंख्याङ्क अक्षरोंको पूर्वार्धके सम संख्याङ्क अक्षरोंके साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेसे उत्तरार्ध बन जाता है। इस प्रकार के अन्य श्लोक ग्रन्थमें निम्नप्रकार हैं—

२, ६, ७, ८, ९, २१, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ४०, ४१, ४२, ४५, ४६, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६५, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ८०, ८२, ८६, १०१, १०२, १०३, १०४, १०५।

(२) अर्धभ्रम-गूढपश्चाद्भिः

धिया ये श्रितयेतार्या यानुपायान्वरानताः।

येपापा यातपारा ये श्रियायातानतन्वत ॥ ३ ॥

१	धि	या	ये	श्रि	त	ये	ता	र्या	८
२	या	नु	पा	या	न्व	रा	न	ता	७
३	ये	पा	पा	या	त	पा	रा	ये	६
४	श्रि	या	या	ता	न	त	न्व	त	५

इसी प्रकार ४, १८, १९, २०, २१, २७, ३६, ४३, ४४, ५६, ६०, ६२, श्लोकोंको जानना । (३) गतप्रत्यागताद्धः

भासते विभुतास्तोना ना स्तोता भुवि ते सभाः ।

याः श्रिताः स्तुत गीत्या नु नुत्या गीतस्तुताः श्रिया ॥ १० ॥

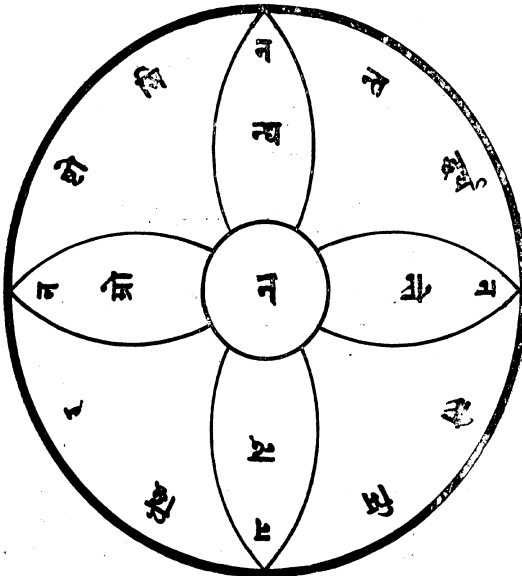
भा	स	ते	वि	भु	ता	स्तो	ना
याः	श्रि	ताः	स्तु	त	गी	त्या	नु

इस कोष्ठकमें स्थित श्लोकके प्रथम-तृतीय चरणोंको उलटा पढ़नेसे क्रमशः द्वितीय-चतुर्थ चरण बन जाते हैं । इसी प्रकारके श्लोक नं० ८३, ८८, ९५ हैं ।

(४) गर्भे महादिशि चैकाक्षरश्चतुरक्षरश्चक्रश्लोकः

नन्धनन्तद्धनन्तेन नन्तेनभ्तेभिनन्दन ।

नन्दनद्धिरनन्त्रो न नभ्रो नष्टोभिनन्ध न ॥२२॥

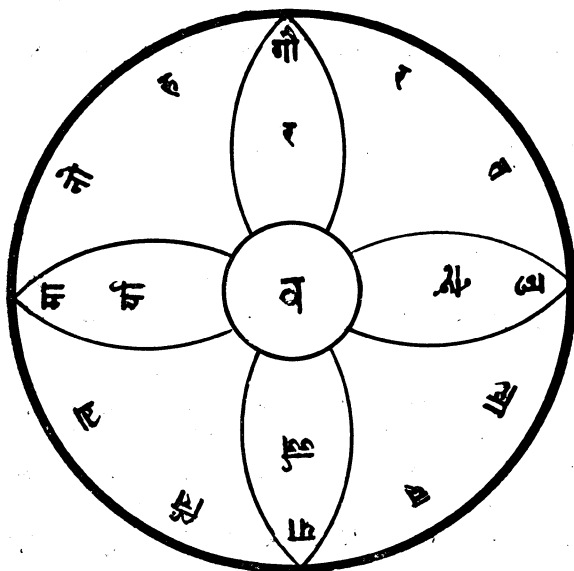


यह श्लोकके प्रथमाक्षरको गर्भमें रखकर बनाया हुआ चार अक्षरोंवाला वह चक्रवृत्त है जिसकी चार महादिशाओंमें स्थित चारों आरोंके अन्तमें भी वही अक्षर पड़ता है । अन्त और उपान्त्यके अक्षर दो दो बार पढ़े जाते हैं । २३, २४ नम्बरके श्लोक भी ऐसे ही चक्रवृत्त हैं ।

(५) चक्रश्लोकः

वरगौरतनुन्देव वन्दे नु त्वाक्षयार्जव ।

वर्जयार्ति त्वमार्याव वर्यामानोरुगौरव ॥२६॥



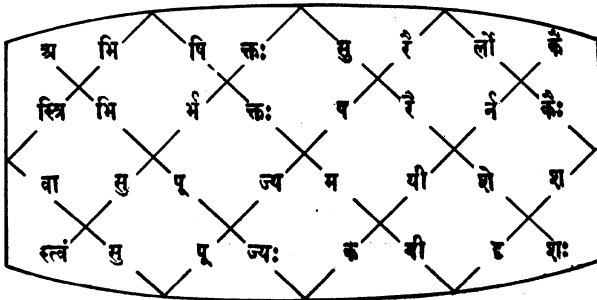
एवं ५३, ५४ श्लोकी

यह श्लोकके प्रथमाक्षरको गर्भमें रखकर बनाया हुआ चार आरोंवाला चक्रवृत्त है । इसके प्रथमादि कोई कोई अक्षर चक्रमें एक बार लिखे जाकर भी अनेक बार पढ़नेमें आते हैं । ५३, ५४ नम्बरके श्लोक भी ऐसे ही चक्रवृत्त हैं ;

(६) अनन्तरपाद-मुरजबन्धः

अभिषिक्तः सुरैर्लोकैस्त्रिभिर्भक्तः परैर्न कैः ।

वासुपूज्य मयीशेशस्त्वं सुपूज्यः कयीदृशः ॥४८॥

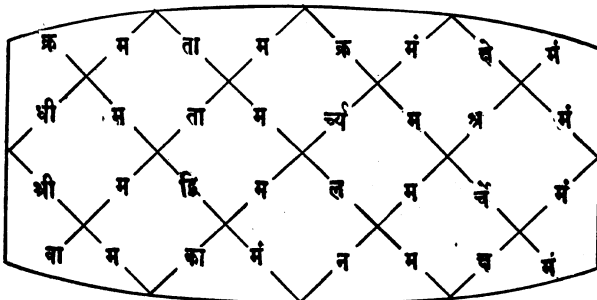


इस चित्रमें श्लोकका एक चरण अपने उत्तरवर्ती चरणके साथ मुरजबन्ध-को लिये हुए है। ऐसे दूसरे श्लोक नं० ६४, ६६, १०० पर स्थित हैं।

(७) यथेष्टैकाक्षरान्तरित-मुरजबन्धः

क्रमतामक्रमं क्षेमं धीमतामर्च्यमश्रमम् ।

श्रीमद्विमलमर्चमं वामकामं नम क्षमम् ॥ ५० ॥



मुरजबन्धके इस चित्रमें ऊपरके चित्रसे यह विशेषता है कि इसमें अपना इष्ट अक्षर (म) एक एक अक्षरके अन्तरसे पद्यके चारों ही चरणोंमें बराबर

प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। इस प्रकारके दूसरे श्लोक ८६ और ६१ हैं।

(८) अनुलोमप्रतिलोमैकश्लोकः

नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर।

रक्ष मामतनुत्यागी जराहा मलपातन ॥ ५७ ॥

न	त	पा	ल	म	हा	रा	ज	गी	त्या	नु	त	म	मा	क्ष	र
---	---	----	---	---	----	----	---	----	------	----	---	---	----	-----	---

इस कोष्ठकमें स्थित पूर्वार्धको उल्टा पढ़नेसे उत्तरार्द्ध बन जाता है। इसी प्रकार श्लोक नं० ६६, ६८ भी अनुलोम-प्रतिलोम-क्रमको लिये हुए हैं।

(९) बहुक्रियापद-द्वितीयपादमध्य-यमकाऽतालुव्यञ्जनाऽवर्णस्वर-
गूढद्वितीयपाद-सर्वतोभद्रः

पारावाररवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा।

वामानाममनामावारक्षे मर्द्धर्द्धमक्षर ॥ ५४ ॥

पा	रा	वा	र	र	वा	रा	पा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
वा	मा	ना	म	म	ना	मा	वा
र	क्ष	म	र्द्ध	र्द्ध	म	क्ष	र
र	क्ष	म	र्द्ध	र्द्ध	म	क्ष	र
वा	मा	ना	म	म	ना	मा	वा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
पा	रा	वा	र	र	वा	रा	पा

इस कोष्ठकमें ऊपरका श्लोक चारों ओरसे पढ़ा जाता है।

(१०) गतप्रत्यागतपाद-पादाभ्यास-

यमकश्लोकः

वीरावारर वारावी वररोरुरोरव ।

वीरावाररवारावी वारिवारिरि वारि वा ॥ ८५ ॥

इस कोष्ठकमें स्थित प्रत्येक चरणोंके पूर्वाधिको उल्टा पढ़ने से उसका उत्तरार्ध बन जाता है। यह श्लोक दो अक्षरों (व, र) से बना है। इसी प्रकारके श्लोक नं० ६३, ६४ है।

वी	रा	वा	र
व	र	रो	रु
वी	रा	वा	र
वा	रि	वा	रि

(११) अनुलोम-प्रतिलोम-श्लोकयुगलम्

रक्ष माक्षर वामेश शमी चारुरुचानुतः ।

भा विभोनशनाजोरुनम्रेन विजरामय ॥ ८६ ॥

र	क्ष	मा	क्ष	र	वा	मे	श	श	मो	चा	रु	रु	चा	नु	तः
मो	वि	भो	न	श	ना	जो	रु	न	म्रे	न	वि	ज	रा	म	य

इस कोष्ठकमें स्थित श्लोकको उल्टा पढ़नेसे नीचे लिखा ८७ वां श्लोक बन जाता है:—

यमराज विनम्रेन रुजोनाशन भो विभो ।

तनु चारुरुचामीश शमेवारक्ष माक्षर ॥ ८७ ॥

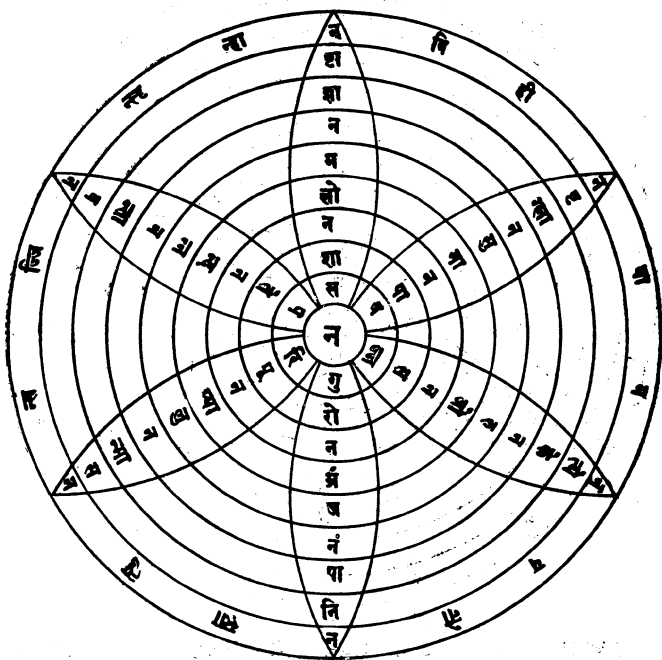
य	म	रा	ज	वि	न	म्रे	न	रु	जो	ना	श	न	भो	वि	भो
त	नु	चा	रु	रु	चा	मी	श	श	मे	वा	र	क्ष	मा	क्ष	र

इस कोष्ठकमें स्थित श्लोकको उल्टा पढ़नेसे पूर्वका ८६ वां श्लोक बन जाता है। इसीसे श्लोकका यह जोड़ा अनुलोम-प्रतिलोम कहलाता है।

(१२) इष्टपादयन्त्र-प्रथमचतुर्थसप्तम

चलयेकाक्षर-चक्रवृत्तम्

नष्टाज्ञान मलोन शासनगुरो नम्रं जनं पानिन
नष्टग्लान सुमान पावन रिपूनप्यालुनन्भासन ।
नस्येकेन रुजोन सज्जनपते नन्दन्ननन्तावन
नन्त्हन्धानविहीनधामनयनो नः स्तात्पुनन्सज्जिन ॥१११॥



इस चक्रवृत्तके गर्भमें जो अक्षर है वही छहों आरोंके प्रथमचतुर्थ और सप्तम चलयमें भी स्थित है अतः १६ बार लिखा जाकर २८ बार पढ़ा जाता है । ११२ वाँ पद्य भी ऐसा ही है ।

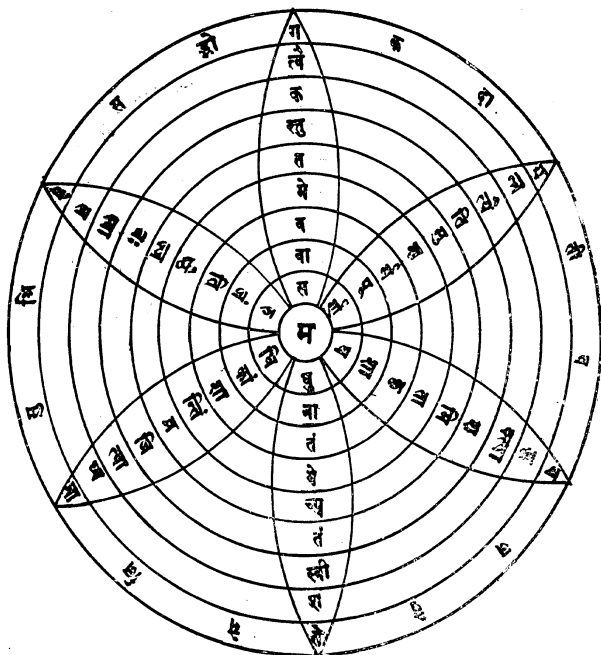
(१३) कवि-काव्य-नामगर्भ-चक्रवृत्तम्

गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना तं येच्युतं स्वीशते

यन्नन्यैति सुशर्म पूर्णमधिकां शान्तिं व्रजित्वाध्वना ।

यद्भक्त्या शमिताकृशाघमरुजं तिष्ठेज्जनः स्वालये

ये सद्भोगकदायतीव यजते ते मे जिनाः सुश्रिये ॥११६॥



इस चक्रवृत्तके बाहरसे ७ वें वलयमें 'शान्तिवर्मकृत' और चौथे वलयमें 'जिनस्तुतिशत' पदोंकी उपलब्धि होती है, जो कवि और काव्यके नामको लिये हुए हैं। कवि और काव्यके नाम बिना इस प्रकारके दूसरे चक्रवृत्त ११०, ११३, ११४, ११५ नं० के हैं।

२ स्वयम्भू-स्तवन-छन्द सूची

२१वें निबन्धसे सम्बद्ध स्वयम्भूस्तोत्रके स्तवन-क्रमसे छन्दोंके नाम और लक्षण निम्न प्रकार हैं—एक स्तवनके पद्य यदि एकसे अधिक छन्दोंमें है तो उन पद्योंके क्रमाङ्ग छन्दे-नामके पूर्वमें दे दिये गये हैं । और जिस छन्दका लक्षण एक बार किसी स्तवनमें आचुका है उसकी सूचना 'उपर्युक्त' शब्दके साथ उस स्तवन-नम्बरको ब्रेकिट के भीतर देकर की गई है :—

१. वंशस्थ—प्रत्येक चरणमें जगण, तगण, जगण, रगणके क्रमको लिये हुए द्वादशाक्षर (५,७) वृत्तका नाम 'वंशस्थ' है ।
२. उपजाति—इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्राके चरण-मिश्रणसे बना हुआ छन्द 'उपजाति' कहलाता है ।
३. १,४ इन्द्रवज्रा, २ उपेन्द्रवज्रा, ३,५ उपजाति—प्रतिचरण तगण, तगण, जगण और अन्तमें दो गुरुके क्रमको लिये हुए एकादशवर्णात्मक वृत्तको 'इन्द्र-वज्रा' कहते हैं और यदि चरणारम्भमें गुरुके स्थान पर लघुगुणक्षर (जगण) हो तो वही 'उपेन्द्रवज्रा' हो जाता है । दोनोंके मिश्रणसे बना 'उपजाति' ।
४. वंशस्थ—उपर्युक्त (१)
५. १-४ उपजाति, ५ उपेन्द्रवज्रा—उपर्युक्त (२), (३)
- ६-६. उपजाति—उपर्युक्त (२)
१०. वंशस्थ—उपर्युक्त (१)
११. १,४,५ उपजाति, २, ३ उपेन्द्रवज्रा—उपर्युक्त (२) उपर्युक्त (३)
१२. १,३,४ उपजाति, २, उपेन्द्रवज्रा, ५ इन्द्रवज्रा—उपर्युक्त (२), (३)
- १३-१४. वंशस्थ—उपर्युक्त (१)
१५. रथोद्धता—रगण, तगण, रगण और लघु-गुरु क्रमको लिये हुए एकादश-वर्णात्मक-चरण-वृत्तका नाम 'रथोद्धता' है ।
१६. उपजाति—उपर्युक्त (२)

१७. वसन्ततिलका—तगण, भगण, जगण, जगण और अन्तमें दो गुरुके क्रमको लिये हुए चतुर्दश-वर्णात्मक (८, ६) चरणावृत्त का नाम 'वसन्ततिलका' है।

१८. १, १८ पथ्यावक्त्र-अनुष्टुप्—अनुष्टुप्के प्रत्येक चरणमें आठ अक्षर होते हैं, जिनमें ५वाँ लघु, ६ठा गुरु और ७वाँ अक्षर समचरणों (२, ४) में लघु तथा विषमचरणों (१, ३) में गुरु होता है। और जिसके समचरणों में चार अक्षरोंके बाद 'जगण' हो उसे 'पथ्यावक्त्र-अनुष्टुप्' कहते हैं।

१९, २० सुभद्रिकामालती-मिश्र-यमक—नगण, नगण, रगण और लघु-गुरुके क्रमको लिये हुए एकादशवर्णात्मक चरणावृत्त का नाम 'सुभद्रिका' है और नगण, जगण, जगण, रगणके क्रमको लिये हुए द्वादशक्षरात्मक चरणावृत्त का नाम 'मालती' है। इन दोनोंके चरण-मिश्रणसे बना हुआ छन्द 'सुभद्रिका-मालती-मिश्र-यमक' कहा जाता है।

१९. वानवासिका—जिसके प्रत्येक चरणमें १६ मात्राएँ और उनमें ९वीं तथा १२वीं मात्रा लघु हों उसे 'वानवासिका' छन्द कहते हैं।

२०. वेतालीय—जिसके प्रथम तृतीय (विषम) चरणोंमें १४ और द्वितीय, चतुर्थ (सम) चरणमें १६ मात्राएँ होती हैं तथा विषम चरणोंमें ६ मात्राओंके और समचरणोंमें ८ मात्राओंके बाद क्रमशः 'रगण' तथा लघु-गुरु होते हैं उसे 'वेताली'यवृत्त कहते हैं।

२१. शिखरिणी—प्रत्येक चरणमें यगण, मगण, तगण, सगण, भगण और लघु-गुरुके क्रमको लिये हुए सप्तदश (६, ११) वर्णात्मक वृत्त का नाम 'शिखरिणी' है।

२२. उद्गता—जिसके प्रथम चरणमें क्रमशः सगण, जगण, सगण और लघु, द्वितीय चरणमें नगण, सगण, जगण और गुरु, तृतीय चरणमें भगण, नगण, जगण और लघु गुरु तथा चौथे चरणमें सगण, जगण, सगण, जगण और गुरु हों उसे 'उद्गता' वृत्त कहते हैं।

२३. वंशस्थ—उपर्युक्त (१)

२४. आर्यागीति (स्कन्धक)—जिसके विषमचरणोंमें १२-१२ और सम-

चरणोंमें २०-२० मात्राएँ होती हैं उसे 'आय्यागीति' अथवा 'स्कन्धक' वृत्त कहते हैं।

गण-लक्षण—आठगणोंमेंसे जिसके आदिमें गुरु वह 'भगण', जिसके मध्यमें गुरु वह 'जगण', जिसके अन्तमें गुरु वह 'सगण', जिसके आदिमें लघु वह 'यगण', जिसके मध्यमें लघु वह 'रगण', जिसके अन्तमें लघु वह 'तगण' जिसके तीनों वर्ण गुरु वह 'मगण' और जिसके तीनों वर्ण लघु वह 'नगण' कहलाता है। लघु एकमात्रिक और गुरु द्विमात्रिक होता है।

३. अर्हत्सम्बोधन पदावली

स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमें तीर्थङ्कर अर्हन्तोंके लिये जिन विशेषणपदोंका प्रयोग किया है उनका एक संग्रह स्तवन-क्रमसे 'समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र' नामक निबन्ध (२१)में दिया गया है और उसके देनेमें यह दृष्टि व्यक्त की गई है कि उससे अर्हत्स्वरूपपर अच्छा प्रकाश पड़ता है और वह नय-विवक्षाके साथ अर्थपर दृष्टि रखते हुए उन(विशेषणपदों)का पाठ करनेपर सहज ही अवगत हो जाता है। यहाँपर उन सम्बोधन-पदोंका स्तोत्र-क्रमसे एकत्र संग्रह दिया जाता है जिनसे स्वामीजी अपने इष्ट अर्हन्तदेवोंको पुकारते थे और जिन्हें स्वामीजीने अपने स्वयम्भू, देवागम, युक्त्यनुशासन और स्तुतिविद्या नामके चार उपलब्ध स्तोत्रोंमें प्रयुक्त किया है। इन्से भी अर्हत्स्वरूपपर अच्छा प्रकाश पड़ता है और वह नय-विवक्षाके साथ अर्थपर दृष्टि रखते हुए पाठ करनेपर और भी सामने आजाता है। साथ ही, इससे पाठकोंको समन्तभद्रकी चित्तवृत्ति और रचना-चातुरीका कितना ही नया एवं विशेष अनुभव भी प्राप्त हो सकेगा। स्तुतिविद्याके अधिकांश सम्बोधनपद तो बड़े ही विचित्र, अतूठे, गम्भीर तथा अर्थगौरवको लिये हुए जान पड़ते हैं और वे सब संस्कृतभाषापर समन्तभद्रके एकाधिपत्यके सूचक हैं। उनके अर्थका कितना ही आभास पाठकोंको स्तुतिविद्याके उस अनुवाद परसे हो सकेगा जो बीरसेवा-मन्दिरसे प्रकाशित हुआ है। शेष सम्बोधनपदों का अर्थ सहज ही बोधगम्य है। एक स्तोत्रमें जो सम्बोधनपद एकसे अधिक बार प्रयुक्त हुए हैं उन्हें उस स्तोत्रमें प्रथम प्रयोगके स्थानपर ही पद्याङ्कके साथ ग्रहण

किया गया है और अन्यत्र प्रयोगकी सूचना ब्रेकटके भीतर पद्याङ्कोंको देकर की गई है। स्तुतिविद्याके सम्बोधनपदोंको स्तवनक्रमसे (स्तवनका नम्बर पेरैग्राफ-के शुरूमें ही देते हुए) रक्खा गया है और उनके स्थानकी सूचना पद्याङ्कों-द्वारा पद्यसम्बन्धी सम्बोधनपदोंके अन्तमें तथा ब्रेकटके भीतर उन्हें देकर की गई है।

१. स्वयम्भूमै प्रयुक्त पद—नाथ १४ (२५, ५७, ७५, ९६, १२९), आर्य १५ (४८, ६८), प्रभो २० (६९), सुविधे ४१, अनघ ४६, जिन ५० (११२, ११४ १३७, १४१), शीतल ५०, मुनीन्द्र ५६ (८५), महामुने ७० धीर ७४ (९०, ९४), जिनवृष ७५, अरजिम १०४, वरद १०५, कृतमद-तिग्रह ११२, यते ११३, धीमन् ११७, भगवन् ११७, वीर १३६, मुनीश्वर १३८, मुमुक्षुकामद १४१, देव १४३ ।

२. देवागममें प्रयुक्त पद—नाथ ८, मुनीन्द्र २० ।

३. युक्त्यनुशासनमें प्रयुक्त पद—जिन २ (४, ६, ३०, ३४, ५२, ६४) वीर ३३, जिननाग ४४, मुने ५८ ।

४. स्तुतिविद्यामें प्रयुक्त सम्बोधनपद—

(१) नतपीलासन, अशोक, सुमनः, ऋषभ ५; आर्य (२६, ४७, ५४, ८८ ९२) ८; स्तुत १०, ईड्य, महोरुपुरवे १२; अतातिततोतोते, ततोततः १३; येयायायायेयाय, नानानूताननानन, अमम (९३), अमिताततीतिततीतितः १४; महिमाय, पद्यासहितायते १५ ।

(२) सदक्षर, अजर (८३, ११२), अजित, प्रभो (२७) १६; सदक्षराज-राजित, प्रभोदय, तान्तमोह १७ ।

(३) वामेश (८६, ८८, ९८), एकाच्य, शंभव १९; जिन (२३, ९१, ९२), अविभ्रम २० ।

(४) अतमः, अभिनन्दन (२२, २३, २४) २१; नन्दनन्तद्धर्चनन्त, इन (२४, २५, ७५, ८६, ८८, ९१, १०८, १११) २३; नन्दनस्वर २४ ।

(५) सुमते, दातः (९६) २५; देव (२८, ८३), अक्षयार्जव, वर्य (५४,

६५, ११०), अपावोरूपैरव २६।

(६) अपापापदमेयश्रीपादपद्म, पद्मप्रभ, अक्षिप्रद २७; विभो (६५, ८७), जेय (७५, ६५), ततामित २८।

(७) एकस्वभाव ३५; शशिप्रभ ३६।

(८) अज (४४, ४६, ८६) ३७; नायक, सन्नजर ३८; अव्याधे, पुष्पदन्त, स्ववत्पते ३९; धीर (६३) ४०।

(१०) भूतनेत्र, पते ४१।

(११) तीर्थादे ४३; अपराग (४७), सहितावार्य ४६; श्रेयन्, विदायेसहित समुत्सन्नजव ४७।

(१२) वासुपूज्य ४८।

(१३) अनेनः (१०८) ५२; नयमानक्षम, अमान (६३), आर्यातिनाशन उरो, अरिमाय ५३।

(१४) वर्णभ, अतिनन्द्य, वन्द्य, अनन्त, सदारव, वरद, (११०), अतिन-
तार्याव, अतान्तसभार्याव ५४; नुन्नानृत (१०६), उन्नत, अनन्त ५५।

(१५) अबाध, दमेनर्द्ध, मत्त, धर्मप्रभ, गोधन, अनागः, धर्म, शर्मतमप्रद ५६; नतपाल, महाराज, गीत्यानुत, अक्षर (८४, ८६, ८६, ११२), मलपातन ५७; नाथ ६०; देवदेव ६२; स्थिर (८६), उदार ६३; ईडित, भगोः ६४।

(१६) बलाढ्य ६६; अधिपते ७०; बुधदेव ७१; संगतोहीन ७२; स्वसमान, भासमान, अनघ ७६।

(१७) अनिज ८१; नतयात, विदामीश, दावितयातन, रजसामन्त, असन्त-
मस ८३; पारावाररवार, क्षमाक्ष, वामानाममन, ऋद्ध (१०८) ८४।

(१८) वीरावार, अर, वरर, वीर ८५; चारुचानुत, अनशन (६१),
उरुनम्र, विजयामय ८६; यमराज, विनम्रेन, रुजोनाशन, चारुचामीश ८७;
स्वयं, स्वयमाय, आर्यस्वमायन, दमराज, ऋतवाद, नदेवार्तज रामद ८८; रक्षार
अदर, शूर ८९।

(२०) हानिहीन, अनन्त (१११), ज्ञानस्थानस्थ, आनतनन्दन ६१; पावन, अजितगोतेजः, वर, नानाव्रत, अक्षते, नानाश्चर्यं, सुवीतागः, पुनिसुव्रत ६२ ।

(२१) नमे, अनामनमनः, नामनमनः ६३; नः, दयाभ, ऋतवागोद्य, को-वार्तभयादनं, अनुनुत, नतामित ६५; स्वय, मेध्य, श्रिया नुतयाश्रित, दान्तेश, शुद्धचाऽमेय, स्वभीत ६६ ।

(२२) सद्यशः, अमेय, रुगुरो, यमेश, उद्यतसतानुत ६८ ।

(२३) ममतातीत, उत्तममतामृत, ततामितमते, तातमत, अतीतमृते, अमित १०० ।

(२४) वामदेव, क्षमाजेय, श्रीमते, वर्द्धमानाय, नमोन (१०४) १०३; श्रीम १०४; सुरानत १०७; वर्द्धमान, श्रेय १०८; नानानन्तनुतान्त, तान्तिनितनुत, नुन्नान्त, नूतीनेन, नितान्ततानितनुते, नूतीनेन नितान्ततानितनुते, निनूत, नुतानन १०९; वन्दारुप्रवलाजवज्रवभयप्रध्वंसिगोप्राभव, वर्द्धिष्णो, विलसद्गुणार्णव, जगन्निर्वाणहेतो, शिव, वन्दीभूतसमस्तदेव, प्राज्ञैकदक्षस्तव, एकवन्द्य, अभव ११०; नष्टाज्ञान, मलोत्, शासनगुरो, नष्टग्लान, सुमान, पावन, भासन, नत्येकेन, रुजोन, सज्जनपते, अवन, सज्जिन १११; रम्य, अपारगुण, अरजः, सुरवरैरर्च्य, श्रीघर, रत्नून, अरतिद्वार, भासुर, अर्य, उत्तरर्द्धीश्वर, शरण्य, आधीर, सुधीर, विद्वर, गुरो ११२; तेजःपते ११४ ।



नामाऽनुक्रमणी

अकलङ्क ३२६, ४६४, ४६५, ४७३, ४७४, ४७५, ५२७, ५३०, ५५५, ५८२, ६४१, ६४२, ६४४,	अजितसेनाचार्य १६५, १६८, ३५७, अजितंजय ५६६ अटक (पंजाब) १७३ अनगारधर्माभृत ७१ अनन्तजीर्य ४६५, ५८१, ५८२, ६५३, ६५५, अनुत्तरोपपाददशांग ४६४, ४६७ अनुप्रेक्षा (कार्तिकेय) ४६२ अनुयोगद्वारसूत्र १३४ अनेकान्त (मासिक) ४५, ४६, ४७, १०१, १२५, २४५, २५३, ३४६, ३५२, ४४६, ४६६, ४६८, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४८३, ४८७, ५५८, ५७७, ५८७, ६५८ अनेकान्तजयपताका १६६, २६६, २६८ ३१०, ५०६ अन्तर्द्वीपज ६८०, ६८१ अन्धदेश ८३ अन्ययोग-व्यवच्छेद-द्वात्रिंशिका २८२ अपराजित ८१ अभयचन्द्र २८१ अभयचन्द्र (सिद्धान्तचक्रवर्ती) २८७
अकलंकग्रन्थत्रय ३२४, ३२६, ३२७, ३२८ अकलंकचरित ५४१, ५४५, ६५६ अकलंकदेव ६८, १६०, १७५, १८२, १८३, १८७, २०७, २२७, २५३, २५६, २६०, २७३, २७४, २७५, २७८, २७६, २८६, २८४, ३००, ३०७, ३०८, ३०६, ३१४, ३२१, ४७०, ४७५, ५०२, ५४१, ५४४, ५४५, ५६१, ५६५, ५६८, ५८१, ६१३, ६२५, ६२८, ६३६, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५८, ६६३, ६६४, ६६६,	
अग्निभूत ६२ अग्निराज ४६४ अच्युतराय ६४३ अजातशत्रु ४२ अजित (तीर्थंकर) ६७ अजित (ब्रह्म) १६५ अजितनाथ ७३	

अभयचन्द्र (सूरि)	२८०	अष्टपाहड	६६३
अभयचन्द्र (सैद्धान्तिक)	२८१	अष्टशनी १८३, २५६, २६०, २७३,	
अभयदेव	५५१	२७५, २६४, ३००, ३०७, ३६२,	
अभयदेवसूरि ५०४, ५१७, ५२६,		४७०, ५३०, ५६१, ६३८, ६३६,	
५४५, ५८४		६४५, ६४६, ६५६, ६६६	
अभयसूरि	२८१	अष्टसहस्री १५३, १८७, १८८, १८९,	
अभिनव-धर्मभूषण	२८३	१६०, १६८, २०६, २५३, २५६	
अममचरित्र	५७२	२६०, २८५, २८६, २८७, २८९,	
अमरकोश	२८१	२६०, २६१, २६२, २६३, ३०४,	
अमितगति	४८६	३०५, ३२४, ३२६, ३२७, ४७०,	
अमितगति (आचार्य) ३३, ३४, ३४७		६३७, ६३६, ६४६, ६६३	
अमृतचन्द्र	४०६, ४१४	अष्टसहस्री-टिप्पण	५०६
अमृतचन्द्रसूरि	५०५, ५१३	अष्टसहस्री-विषमपद-तात्पर्यटीका १८२	
अमृतचन्द्राचार्य ६१, ६६०, ६६५,		असङ्ग	५४२
६६६,		आचाराङ्ग (सूत्र)	६६, ६७२,
अमोघवर्ष	३००	आचाराङ्ग-त्रिगुक्ति	५१६
अम्बष्ट (वंश)	६८०	आचार्य-भक्ति	६७
अथ्यपार्य	२५३, २७१	आचार-वृत्ति	६७, ६६
अरु गलान्वय	६०३	आचारसार	६६
अली हिस्टरी आफ इंडिया १५७		आत्मख्याति (समयसार-टीका) ६६६	
२२८		आत्मानन्दप्रकाश	५५१, ५५४
अली हिस्टरी आफ डैक्कन ६८८		आत्मानुशासन	३००
अर्हत्सूत्रवृत्ति	१०३	आत्माराम (उपाध्याय) १२८, १३४	
अर्हदबली	१६१	आदिपम्प	४८६
अर्हन्मुनि	५७४	आदिपुराण १६४, १६५, २४१, ४८६	
अलंकारचिन्तामणि १५३, १६५		५६५, ५६५, ६३८, ६४०, ६४१,	
१६८, ३५७, ५६८		६५६, ६६४,	
अविनीत (गंगवंशी राजा)	५५६	आदिपुराण (वृहत्)	६६०

आनन्दपल्ली (आनन्दमठ)	२७०	आयंभंगु	५७१, ५८३
आनन्दविक्रम	४०	आर्यमित्रनन्दि	४८५
आप्तपरीक्षा १८६, २८७, २८०,		आर्यरक्षित	५४६
२८१, २८३, ३२४, ३२५, ३२७,		आर्यवज्र	५४६
६३७, ६४७ ६४८		आर्हत्प्रवचन	२८१
आप्तमीमांसा (देवागम) १५१, १८१,		आवश्यक-चूर्णि	५४७
१८२, १८५, २०५, २५८, २६२,		आवश्यक-टीका (हारिभद्रीया)	५४७
२७३, २८३, २८४, २८५, २८६,		आवश्यक-निर्युक्ति ७६, ५४६, ५५६,	
२८०, २८१, २८२, २८४, २८५,		५७७	
२८७, २८८, ३००, ३०४, ३०७,		आवश्यकसूत्र-टीका	२०२
३२६, ३२७, ३२८, ३३१, ३३२,		आशाधर (पं०) ७१, ७२, १६८,	
३३४, ३३५, ४२४, ४२५, ४३१,		२४८, २४९, २६३, ४८६, ४८७,	
४३४, ४३५, ४६३, ४७२, ४७३,		४८८, ४८९, ४९४	
४७४, ४८३, ५२७, ५३०, ५६०,		इडाचार्य	१०३
६६१, ६४६,		इक्ष्वाकु	६८०
आप्तमीमांसालंकृति(अष्टसहस्री) ६४८,		इंडियन एण्टीक्वेरी	३०
६८६		इत्तिस्ज़ (चीनी यात्री) ५५१, ५५२	
आर. एण्ड एस.जी.नरसिहाचार्य ६८६		इन्द्रदिन्न (सूरि) ५७०, ५७१ ५७४,	
आर. जी. भाण्डारकर ६८६		५७५	
आराधनाकथाकोष १६६, २१२, २२२,		इन्द्रनन्दि (नन्दी)	८०, ८१, ८६
२२८, २३१, २५४, ४८६, ४८७,		इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार ८२, ८४, ८६,	
आर्यखपट्ट (ट)	५७१	८७, ८८, २६६, २७५, २७६,	
आर्यजिननन्दिगणी	४८५	५६८, ६००	
आर्यदेव २७५, ६६१, ६६२, ६६४		इन्द्रनन्दी २७८, ३१७, ५६६, ६४४	
आर्यदेव(नागार्जुन-प्रधानशिष्य) ३०६		इन्द्रदत्त	७५४
आर्यनागहस्ति	५६२	इन्द्रपुर (बंगाल)	२३१
आर्यमंथु ८७, ५६०, ५६२, ५६६,		इन्द्रभूति (गीतम) ६, १४, ६१, ६२,	
६००, ६०१		८१, १६४, ३६२	

इन्द्रसेन	५७४	उरगपुर	१५२
इन्स्क्रिप्शंस ऐट् श्रवणबेलगोल १६०,		उरगूर (उरगपुर)	१५२. १५८
१७३, २७६, ५६३, ६८६		ऊर्जयन्तगिरि	१०६
उग्र (वंश)	६८०	ऋजुकूला (नदी) ५, ४, ५७, ५८, ६१	
उग्रादिग्याचार्य	२४१, ५१४	ऋषभ (तीर्थंकर)	७८
उच्चारणाचार्य	८८	ऋषभदेव	६७, ७३
उज्जय (यि, नी ३८, १७४ ५७०,		एकविंशतिस्थानप्रकरण	५१४
५७१, ५७५, ५८३, ५८५		एकसंधिसुमतिभट्टारक	६६१, ६६२
उड्ड (उड्डीसा)	१७४, २४१	एकान्तखण्डन	२६६ ३१३, ३१५,
उत्तराध्ययन (सूत्र)	७६	३२१, ५८२	
उत्तराध्ययन-निर्युक्ति	५४६	एकीभाव (स्तोत्र)	३५८
उदायी (राजा)	३८	ए० चक्रवर्ती (प्रो०)	२२६
उद्योतकर	३०१	एडवर्ड पी० राइस	६८६
उद्योतनसूरि	५५३	ए.एन.उपाध्ये ४५, ६५, ३१५, ४६५	
उपसंगहर-स्तोत्र	५४६, ५४७	५००, ६०१. ६५६	
उपालिसुत्त (मज्झिमनिकायगत)	४२	एन्ल्स आफ दि भाण्डारकर ओ०	
उपासकाध्ययन (रत्नकरण्ड) ४७१,		रिसर्च इन्स्टिट्यूट २६७, ५५८	
४८३.		एपिग्रेफिका कर्नाटिका १०७, १६६,	
उमास्वाति १०२. १०५, १०८, १२१,		१८६ ६५५, ६६१	
१२५, १५६, २७१, २७५,		एलाचार्य	१०५, १५०
२७६, २७७, २७८, २८३, २८८,		ए. शान्तिराज	४५
२८६, २६१, २६४, २६५, ४६७,		एस. बी. बेंकटेश्वर	४४
५००, ५५६,		कटुसंध (काष्ठासंध)	३३
उमास्वाति (गृध्रपिच्छाचार्य) ३२३,		कथाकोष (प्रभाचन्द्रकृत)	४६६
३२६		कदम्ब (वंश) १५३, ६७०, ६७१	
उमास्वाति (वाचक)	११७	कनकामर (मुनि)	५६८
उमास्वाति (वाचकमुख्य)	६८२	कमलशील	६५०, ६५२
उमास्वामी १०६, ६४२, ६६२		करकंडुचरिउ	५६८

करहाटक	१७४, २३६, २४१	कालवङ्ग (ग्राम)	६७२
करहाड (कराड)	१७२	कालिकाचार्य	५४६
कर्णाटक-कविचरिते	१६२, १६३, २८१, ६८६	कालिदास (कवि)	१५२
कर्णाटक-शब्दानुशासन	१७४, २७५	कावेरी (नदी)	१५२
	५६३, ६८६	काव्यानुशासन	३६०
कर्णामृतपुराण	५१५	काशी	४८
कर्मप्रकृतिप्राभृत	२६६, २७६, २८३, २६३	काशीनाथ त्रिम्बकतेलंग	६६८, ६६६,
कर्मप्राभृत-टीका	२६६, २७८	काशीप्रसाद (के० पी०) जायसवाल	५६६
कलापा भरमापा (पं०)	६५, २८८	काश्यप	३०८
कल्कि	३०	कांची १५८, २२२, २२५, २२८,	
कल्पसूत्र-स्थ विरावली	५६६ ५६२	२२६, २३०, २३१, २३४, २३७,	
कल्याणकारक (वैद्यकग्रन्थ)	२४१, ५१४	५६३	
कल्याणमन्दिर (स्तोत्र)	३५८, ५१५,	काँचीपुर (काँजीवरम्)	१७३, २४१
५१६, ५१७, ५२६, ५७०. ५७१		काँजीवरम् (कांची)	१५८
कल्याणविजय (मुनि)	४६, ४७, ४८,	किन्तूरान्वय	६०३
६०, ५६४, ५६५, ६८६		कुण्डपुर	१
कविपरमेश्वर	६३२	कुन्दकुन्द (पद्मनन्दि)	८६, १०३, १२१,
कसायपाहुड (कषायप्राभृत)	८६,	१६०, ४३६. ४६५, ४६६, ५०७,	
८८, २६६, २७६, ५८७, ५८६,		५६८, ५६९, ६००, ६०२	
५६०, ५६६, ६००		कुन्दकुन्द स्वामी	६६३
कंसाचार्य	८२	कुन्दकुन्दाचार्य	८६, ६६, ६६, १०२,
काकुत्स्थवर्मा	१५६	१०४, १५०, ३२६, ३३०, ४८०,	
काकुत्स्थान्वय	६७३	५०४, ५५६, ५७६, ५६८, ६०२,	
कार्तिकेय (मुनि)	४६३, ४६४	६०४, ६०५	
कार्तिकेयानुप्रेक्षा	४६३, ४६६	कुन्दकुन्दान्वय	६०३, ६०४
कालकसूरि	५७०	कुमारनन्दी	५००, ६२२
		कुमारसेन	५००

कुमारस्वामी	५००	कौण्डकुन्दपुर	८६, ६०३, ६०४
कुमारिल (मीमांसक विद्वान्)	३००,	कौण्डकुन्दपुरान्वय	६०५
३०२, ३२१, ६५६, ६६६		कौण्डिन्य (गोत्र)	६२
कुमुदचन्द्र (आचार्य)	५१५, ५१६	कौशाम्बी	१७४
कुवलयमाला	५५३	क्रियाकलाप	२६३
कृणिक (अजातशत्रु)	३८, ३९	क्रौंचराज	४६४
कृष्णदेव	६४३	क्षत्रियकुण्ड	१
कृष्णराजप्रभु	५०	क्षुल्लकबंध	८६
कृष्णराज (नरसिंहपुत्र)	६४२	खपुट्टाचार्य	५७०
कृष्णराज तृतीय (मुम्मडिकृष्णराज		खिस्रोन्देउत्सन् (तिब्बतका राजा)	
ओडेयर)	५०	६५२	
कृष्णवर्मा	६६८	गद्यकथाकोश	२५४, ४६६
के० बी० पाठक	२६७, ३२४, ५६६,	गद्यचिन्तामणि	१६६
६४६, ६४७, ६५८, ६५९, ६६७,		गद्यप्रबन्धकथावली	५२०
६६५, ६६६		गर्दभिल्ल (राजा)	३८
के० भुजबली शास्त्री	४५	गंगदेव	८१
केशववर्णी	२८०	गंगवंश	१५३, ६६०, ६६२
केशवसेन (सूरि)	५१५	गंधहस्ति महाभाष्य	२७१, २७२,
केशी	७६	२७४, २७६, २७७, २७८, २७९,	
कैलाशचन्द्र शास्त्री	६५८	२८३, २८४, २८६, २८९, २९०	
कोट्याचार्य	५४४	२९३, २९४	
कोण्डकुन्द	१०५	गिरिनगर (जूनागढ़)	१०६
कोण्डकुन्दपुर	६००	गुणचन्द्र	६०२
कोण्डकुन्दाचार्य	८६, १५०	गुणचन्द्राचार्य	६०२
कोप्पन	६४२	गुणधर	८८, ५६६
कोशल (देश)	२२२	गुणधराचार्य	८७, ५८७, ५८९,
कोंगुणिवर्मा	६६०, ६६४	५६१, ५६६, ६००, ६०६	
कौण्डकुन्दान्वय	६०	गुणभद्र	३००

गुणरत्न	५१४	चन्द्रनन्दी	६२२
गुणवर्म	२७७	चन्द्रपुर	२३१
गुरुगुणषट्त्रिंशिका	५७५	चन्द्रप्रभ	६४४
गुर्वावली ६६, ५६६, ५६७, ५६८		चन्द्रप्रभचरित	२५३
गुध्रपिच्छाचार्य (उमास्वाति)	१०२,	चन्द्रप्रभसूरि	५१८
१०५, १०७, १०८, १५०, १५६,		चन्द्रवरदाई	४१
१६४, २६०, ६६२, ६७८		चन्तरायपट्टण (तालुका)	१८६
गेरुसोपे	१५०, ६४३	चरक	२१३
गोम्रा (कदम्बवंशशाखा)	६७०	चर्चासामाधान	१६६
गोतम (गोत्र)	८१	चडप्रद्योत	३८
गोम्मटसंगहसुत्त	६०७	चामराजनगर	५१
गोम्मटसार २८०, ५८७, ५८६		चामुण्डराय २७६, ४६३, ४८३, ६४४	
गोम्मटसार कर्मकाण्ड	६२६	चारित्तपाहुड	६२, ६६०
गोवर्द्धन	८१	चारित्र-भक्ति	७२, ६६
गोशालक (मंखलीपुत्र)	४२	चारुकीर्ति	१६४
गौतम, ६२, ८२, ६४२		चाहमान चण्डमहासेन	३४
गौतम (गणधर)	६०४	चूर्णिसूत्र ८८, ५८६, ५६०, ५६१	
गौतमस्वामी	८८	चेटक (राजा)	१
गौरीशंकर हीराचन्द्रजी ओभा	४१	चेलना (रानी)	६
चण्डव्याकरण	४६६	छेदसूत्र	५४७
चतुरविजय (मुनि) ५४७, ५६५		जगन्नाथ	३७६
चतुर्मुख (कल्कि)	५६६	जटासिंहनन्दी (आचार्य)	३६०
चतुर्विंशतिसंधान	३७६	जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति	६२२
चन्द्रगुप्त (सम्राट्) ३८, ३६, ४०		जम्बूविजय (मुनि)	५५१, ५५४
४२, १७३		जम्बूस्वामी	८१, ८७
चन्द्रगुप्त (मुनि)	१५६	जम्बूस्वामिचरित	५५
चन्द्रगुप्त (भद्रबाहुशिष्य)	६०४	जयकीर्ति	६४४
चन्द्रनगर	२३१	जयचन्द्र	४६६

जयचन्द्रराय	२६१	जिनसेन २०७, २५१, २५२, ३६१,
जयनन्दी	४८६, ४८८	६३१, ६३५, ५०४, ५६५, ५६७,
जयनन्दि-टिप्पण	४६०	५८२, ५६५, ६६४
जयधवल	८, ८१, ८७, ८८	अनसेनाचार्य २७, ८८. १६४, १६५,
जयधवला	५६८, ५८६, ५६०, ५६१,	१६१, १६२, २४१, २५३, २६१
५१३, ६०१, ६३१, ६८७		५६७, ६५७
जयन्तभट्ट	५५३	जिनसेनाचार्य (पुष्पाटसंघीय) २६४,
जयपाल	८२	२६५
जयबाहु	८२	जिनस्तुतिशतक (स्तुतिविद्या) २००,
जयसेन (समयसार-टीकाकार) ८१,		२०३, ३४१
४६३		जिनेन्द्र कल्याणाम्युदय १५६, १६८,
जयसेनाचार्य ६४, ६१, २६६, ५०५		१६६, २७२, २७७
जवाहरलाल शास्त्री	२८३	जिनेन्द्रगुणसंस्तुति ६३६, ६४६
जंबूदीबपण्णती	५६५	जियालाल (ज्योतिषरत्न) ५१
जाल चार्पेटियर ३६, ३७, ३६, ४४		जीतकल्पचूर्ण ५०२, ५१४
जिनकाल (महावीरनिर्वाण)	३५	जीवासिद्धि १६०, २६४, ३६१
जिनचन्द्र	६४४	जीवस्थान ८६
जिनदासपार्वनाथ फडकुले १५३, १६६		जीवाभिगम ६८२
२७०		जृम्भका (ग्राम) ४, ५, ५७, ५८
जिनपालित	८५	जैनगजट (हिन्दी) ४५
जिनप्रभसूरि	५१५	जैनगजट (अंग्रेजी) २६४
जिनभद्रगणी	५४६	जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह ३७६
जिनभद्रक्षमाश्रमण ५३०, ५४४,		जैनग्रन्थावली ११८, ११६, २६५
५४५, ५४६		२६७, ४६६, ५१४, ६४६
जिनविजय २०२, २०६, २६१,		जैनजगत ५५८, ६०१
२६६, ५४५, ५५३, ५८२		जैनसंहिताशास्त्र ५०
जिनशतक २०१, २५६, ३४५, ३५६		जैनसाहित्य और इतिहास २४७, २४८
जिनशतकालंकार २६३, ३४१		५३४, ३५४, ५८८, ५६४, ५६८

जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास ११८, ५८२	तत्त्वरत्नप्रदीपिका (तत्त्वार्थतात्पर्यवृत्ति) १०६
जैनसाहित्यसंशोधक २६६	तत्त्वसंग्रह ३०१, ३०४, ५४०, ६५०
जैनसिद्धान्तभवन (प्राग) १५२, २७६, २६२, २६४, २६८, ३५६, ५६४, ६४३	तत्त्वानुशासन २६५, २६६, २६७, ३१०
जैनसिद्धान्तभास्कर १००, १०७, १६०, ३२४, ३२७, ५८८, ५६६, ६०६	तत्त्वार्थभाष्य २७६, ४६३
जैनहितैषी १०७, १५४, २६१, २६५, २६६, ५८७, ६३७, ६६३	तपागच्छ-पट्टावली ५६४, ५६५, ५७० ५७१, ५६३, ६८६
जैनचार्योका शासनभेद ४७६	तपागच्छ-पट्टावलीसूत्रवृत्ति ५७०
जैनेन्द्रव्याकरण २४५, २६८, २६६, ३१६, ३२०, ४६६, ५४६, ६६६	तात्यानेमिनाथपांगल ६४१, ६५६
जैसलमेर-भण्डार ५४५	तित्थोगालि पश्चनय ५३,
जोइन्दु (योगीन्दु) ४६५, ४६६	तित्थोगालिप्रकीर्णक ५४७
ज्ञात (कुल-वंश) ६८०	तिरुमकूडलुनरसीपुर १६१ १७५
ज्ञातखंड (वन) ४	तिलोयपण्णात्ती ३०. ६५, ८२, ८७ १०१, ६८६, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ६०६, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६२०, ६२१, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३६,
ज्ञानार्णव १६४	तिलोयसार (त्रिलोकसार) ५६५
ज्ञानविन्दु ५२५, ५२६, ५३०, ५३१, ५३३, ५३४, ५५७, ६६६	तुम्बूलूराचार्य २७५
ज्ञानसूर्योदयनाटक ६४१, ६४५, ६४७ ६५६, ६६३	त्रिपर्वत ६७३
ज्ञानेश्वर ५१	त्रिलक्षणकदर्थन ५४०, ६४६, ६५०, ६५२, ६५३, ६५४, ६५७
टी० ए० गोपीनाथराव ४७१	त्रिलोकप्रज्ञप्ति ३१, ५२, ५३, ५८६,
टोडरमल ५०	
ठक्क (पंजाब) १७२, २४१	
ढक्क (ढाका) १७३	
णात (नात) वंश २	

त्रिलोकसार २६, २७, २६, ३०,	दामोदर (कवि)	२६३
३१, ४७, ४६, ५०, ५५, ५८६,	दावरागेरे (ताल्लुका)	१६६
५६५, ५६७, ६१४	दिगम्बरमहाश्रमणसंघ	६७२
त्रिलोकसार ४०	दिग्नाग ३०१, ३०२, ३०८, ६१२,	
त्रिलोकसारटीका २७	३१३, ५३६, ५४१, ५४२	
त्रिशला (महावीरमाता)	१	दिवाकरयति ५७४
त्रिषष्टिलक्षणपुराण २७६	दीघनिकाय ४२	
त्रिषष्टिशलाकामहापुराण ४६३	दीपवंश ४२	
त्रिशिकाविज्ञप्तिकारिका ३०६	दुर्विनीत राजा) ५५६	
थोस्सामिथुदि ६७	दुलीचन्द्र (बाबा) ३५४	
दक्षिणमथुरा ३३	देवगिरि (ताल्लुकाकरजघी) ६६८	
दयापाल ४६५	देवनन्दी (पूज्यपाद) २४५, २५०,	
दरबारीलाल (कोठिया) ३२३, ४३१,	२६६ ३१६, ३२३, ४६२, ४६५,	
४३२, ४६३	५७६, ५८१	
दर्शन (दंसार) पाहुड ६६०, ६६३	देवद्विगणी ६५	
दर्शनविजय ५७०	देववर्मा (कृष्णवर्मा पुत्रका) ६७३, ३७४	
दर्शनसार ३४, ८६. ५६०	देवसेनगणी ३४	
दलसुख मालवणिया ५४८	देवसेनसूरि ५५०	
दशपुर (मन्दसौर) १७४, २३१	देवसेनाचार्य ८६	
२३७,	देवागम (आसमीमांसा १६८, २०१	
दशपुरनगर २४१	१८८, १६३, २२६, २४५, २४७,	
दशभक्ति ६६	२४८, २५०, २५१, २५५, २५८,	
दशभक्त्यादिशास्त्र ६४३	२३१, २७२, २७३, २७४, २७८,	
दशवैकालिकटीका(विजयोदया) ४८८	२६३, २८६, २६४, २६५, ३५८,	
दशाचूर्ण ५६६	३५६, ३६१, ४०६, ४१४, ४६२,	
दशाश्रुतस्कन्ध ५४६	४६३, ५११, ५५६, ५६५	
दंसारपाहुड ६२	देवागम-वृत्ति (वसुनन्दाचार्यकृत)	
दामकीर्तिभोजक ६७२	१८२, २५८, २८५, ३५६,	

देवागमस्तोत्र	६४६	धर्मसेन	८१
देशीगरा	१६०, ६०२, ६०४	धर्मादित्य	३८
दीर्बली जिनदाम शास्त्री	१५१	धर्मोत्तर (बौद्धाचार्य)	५३८, ५५२
द्रमिल (द्राविड)	८५	धवल (सिद्धान्त)	८, २७, ५३, ६३
द्रमिलसंघ	१६१, ६५५	धवला (टीका)	८१, ८७, ८८ ५६८,
द्रविडदेश	१५८	५८६, ६०६, ६११, ६१३, ६१४,	
द्रविडसंघ	३३, ५६०, ६५६	६२१, ६२३, ६२४, ६२६, ६२६,	
द्रव्यसंग्रह	२५६, २८१, ६४०	६३२, ६३३, ६३४, ६३५	
द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका	५१५, ५१७	धारा (नगरी)	३४
५१८, ५२२, ५२३, ५२६, ५७३		धृतिषेण	८१
द्वात्रिंशिका ५२६ ५२७, ५३४, ५६२,		धीलपुर	३४, १७४
५६३		ध्रुवसेन	८२
द्वात्रिंशिकापत्रक	५२२	नक्षत्राचार्य	८२
द्वात्रिंशिका-स्तुति	५७२	नगरताल्लुका १०७, २२६, २७४,	
द्वादशार नयचक्र	५५०	२७५, ६६२	
द्विसंधान	३७६	नन्दराजा	३८
द्वैपायक	२८८, २८६	नन्दवश	३६
घनपाल	३३	नन्दिगरा	१६०
घनजय (कवि)	३१४, ६४४	नन्दिमित्र	८१
घनजय नाममाला	४६६, ५०१	नन्दियड (तट)	३३
घरमेन	८३, ८८, ५६६	नन्दिसंघ	३५, ५४
घरसेन भट्टारक	८३, ८५	नन्दिसंघ-पट्टावली	१०८
घरसेनाचार्य	८२, ८४	नन्दीवृत्ति	५३०, ४३१, ५४५
धर्मकीर्ति (बौद्धविद्वान्)	२६८ ३००	नन्दीसूत्र	५३१
३०१, ३०६, ३१२, ३१५ ३२०, ५३८		नन्दीसूत्र-पट्टावली	५६६
५३६, ५४०, ५४२, ५४३, ५५२,		नभोवाहन (नरवाहन)	३८
६५६, ६६६,		नयचक्र ५१३, ५५१, ५५४, ५३६	
धर्मभूषण (आचार्य)	२८३, ६४५	नयनन्दी	२२७

नरवर (सेनापति)	६७२	निर्वाणभक्ति	६७
नरसिंह (राजा)	६४२	निशीथचूर्णि	५६६
नरसिंह	३५५, ३५६	निश्चयद्रात्रिशिका	५३२, ५३३, ५३४,
नरसिंहवर्मन	२२६	५३५, ५३६, ५३७	
नरसिंहवर्मन (द्वितीय)	२२६	नीतिवाक्यामृत	५८७
नरसिंह महाकवि	३५४	नीतिसार	३१७
नरसिंहाचार एम० ए०	१७३	नीतिसारपुराण	५१४
नरेन्द्रसेनाचार्य	१६१, २६१, ४६३	नृपाल (गुरु)	६४३
नर्मदाशंकर मेहताशंकर	३०८	नेमिचन्द्र	६४४
नंजनगूडताल्लुके	६६०	नेमिचन्द्र (वसुनन्दिगुरु)	२२७
नाइल्ल	३८	नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती	२६
नागचन्द्र	१५०	नेमिदत्त २३४ २३८, २३९, २४४,	
नागराज	१६३, १६५	२५४, ६५६	
नागराज (कवि)	३६२	नेमिदत्त-कथाकोश	४६८, ६३८
नागरीप्रचारिणीपत्रिका	४१	नेमिसागर (वर्णी)	२२२, २२४
नागसेन	८१, २६५, ३१०	न्यायकुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रयटीका)	
नागहस्ति ८७, ५६०, ५६६, ६००,		६६, ७०, ३२४, ३२५, ३२७,	
६०१		३२८, ५५३, ६५८	
नागाचार्य	८१	न्यायकुमुदचन्द्रोदय	६५३
नागार्जुन	३०४, ३०६ ३०८	न्यायदीपिका	१६८, २८३
नाथूराम प्रेमी ४५, ४७, १००, ११२,		न्यायप्रवेश ३०१, ३०७, ३०८, ५३६	
२३३, २४५, २६७ ३५४, ५६८,		न्यायबिन्दु ३०१, ५३८, ५३९, ५५२	
६३७, ६४०		न्यायमंजरी	५५३
नालन्दाविश्वविद्यालय	६५२	न्यायवार्तिक	३०१
नाहड	३८	न्यायवार्तिकटीका	३०१
निगंठनातपुत्त	४२, ४३	न्यायविनिश्चय	६२८
नियमसार ६१, २४६, २६६, ५५६,		न्यायविनिश्चयविवरण ३१७, ३१८,	
५६८, ६०१, ६०७, ६०८		४६५, ५४१	

न्यायविनिश्चयालंकार ६४६, ६५०	पन्नालाल (साहित्याचार्य) ३५७
न्यायावतार २४६, ३१४, ५०४, ५१४, ५१५, ५१७, ५१८, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५३३, ५३४, ५३५, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४२, ५४३, ५५२, ५५८, ५५९, ५६३, ५६६, ५८४, ५८५, ६९७	पम्प-रामायण १७४ परमागमसार ६०४ परमात्मप्रकाश ४६६, ४६९ परमेश्वरवर्मन् २२९ परिशिष्टपूर्व ३८, ५४७ परीक्षामुख ३११ पल्लव (वंश) १५३ प्रवयणसार (प्रवचनसार) २७५ पंचगुरु(परमेश्वर)भक्ति ६७ पंचवस्तु ५१३, ५६९ पंचसिद्धान्तिका ५४७ पंचसेलउर ६२ पाइअलच्छीनाममाला ३३, ३४ पाइअसदमहर्षणावकोश ५८७, ५८८ पाटलिक (ग्राम) ५६३ पाटलिपुत्र (पटनानगर) १७२, १७३, २४१ पाठकजी (के. बी. पाठक) ३१६, ३२० पाणराष्ट्र ५६३ पाणनीय व्याकरण ३२० पाण्डुस्वामी ८२ पादलिप्ताचार्य ५४६, ५७४ पात्रकेसरी १६४, ३००, ३०२, ३०७, ३२१, ३२२, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४४, ६४५,
पट्टावली ३५, ८२, ९९, १०३, १०५, ६८६	
पट्टावलीसमुच्चय ५७०, ५७१, ५६३	
पट्टावलीसारोद्धार ५७१, ५६२	
पडुवस्तिभंडार (मूडविद्र) २६८	
पण्णवराणा ६८१	
पतञ्जलि (ऋषि) ३१३	
पत्र परीक्षा १८६, ६३७, ६४८	
पद्मचरित ४८१, ५७४	
पद्मचरित-टिप्पणा ४८८	
पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचार्य) ८६, १०३, १५०, १५९ ६०४, ६२२, ६४४	
पद्मप्रभ(मलधारिदेव) ६१, २४६, २६६, ५६८, ६०१	
पद्मानन्दन ६४३	
पद्मावती २२४	
पद्मावती देवी ६५०	
पन्नालाल (वाकलीवाल) २४७, ३५४	

६४६, ६४८, ६४९, ६५०, ६५२	पुण्यास्रव चम्पू	१९३
६५४, ६५५, ६५६, ६५८,	पुरातन-जैनवाक्य-सूची	६२९
६६७	पुराणमार	४८९
पात्रकेसरी स्वामी ४१४ ५३८, ५४०,	पुरुषार्थसिद्धयुपाय ४०९, ४१४, ५१९	
५४३, ५५९, ६४७, ६५१ ६५७	पुष्पदन्त (आचार्य)	२६९, २७५, ६२४
पात्रकेसरिस्तोत्र ६३७, ६४०, ६४९,	पुष्पदन्त कवि	४८८
६५७	पुष्पदन्तपुराण	८५, ८६
पालक	पुण्यमित्र	३८
पावापुर १०, ३७	पूज्यपाद (देवनन्दी)	२२०, २८४,
पार्श्वनाथ ३१. ७३, ७४, ७६, ७९	२९९, ३१३ ३१४, ३१५, ३१६,	
पार्श्वनाथ-गेह (मन्दिर)	३१९, ३२०, ३२१, ३२६, ३२७,	
पार्श्वनाथचरित १९२, १९३, १९८,	३२८, ३२९, ३३०, ३३६, ३३८,	
२४५, २४८, २५२, ४६२, ४६३,	३३९, ४०९, ४३६, ४६५, ४७४,	
४६५ ४६७, ५०५, ५६१, ५८२	४७५, ४९६, ५४९, ५५४, ५५५,	
पार्श्वनाथतीर्थकर ३१	५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६५,	
पार्श्वनाथ द्वात्रिंशिका (कल्याणमन्दिर-	६२८, ६४४, ६९६, ६९७	
स्तोत्र) ५१६, ५१५	पूज्यपादाचार्य २, ६९, ७२, ९२,	
पार्श्वनाथ स्वामी ७८	९६, ११०, २६८, २८९, ३२१	
पितर्सन साहब २६५, ५१४	पृथ्वीराजरास	४१
पी० एल० वैद्य ५०४, ५१७, ५५२	पेज्जदोसपाहुड (कषायप्राभृत)	८६,
पुण्ड्र (पुण्ड्रवर्धननगर)	८७, ५९१	
पुण्ड्रनगर (बंगालका उत्तरदेश) १७४,	पेनुगोण्डे	२७७
२३७	प्रकरणपंचशती	१०७
पुण्ड्रेन्दुनगर (पुण्ड्रवर्धन)	प्रक्रियासंग्रह	२८०, १८२
पुण्ड्रोड्ड	प्रज्ञापनासूत्र ७८, १३८, ६८२, ६८७	
पुण्यराज ३१३	प्रतापकीर्ति	५६८
पुण्यविजय (श्वे० मुनि) ५४४,	प्रद्युम्नकुमार	६३०
५४७, ५६५, ५७४	प्रद्युम्नसूरि	५७२

प्रबन्धकोश (चतुर्विंशति-प्रबन्ध) ५१५,	प्रशस्तनपाद	३०८
५२१	प्रशस्तिसंग्रह	६६
प्रबन्धचिन्तामणि ५१५	प्राकृतटीका(भगवतीआराधनाकी) ४८८	
प्रभाचन्द्र ६१, ६६, ६७ १५०, २३४,	४६०	
२४७, २४६, २५१ २५४, ३००,	प्राकृत पट्टावली	५४
३०६. ३१२, ३२१, ४३७, ५८७,	प्राकृत व्याकरण	२६७
६४४, ६४८	प्रियकारिणी (महावीर माता)	१
प्रभाचन्द्राचार्य ७३. २०२, २४८,	प्रेमीजी (पं० नाथूराम) २४८, २५०	
२४६. ३५८, ३६०, ४६६, ४७१,	२५४, २५७, ६०१, ६०४, ६०५,	
४७२. ४७५, ४७६, ५५२, ६५३	६०६, ६०७, ६४१, ६४५	
प्रभाचन्द्र (भट्टारक) २४४	प्रो०टुची	५४१, ५४२
प्रभाचन्द्रसूरि ५१५	प्रोफेसरसाहब (हीरालाल) ४३३,	
प्रभावकचरित २३८, २३६. ५१५,	४३४, ४३५, ४६२ ४६४, ४६६,	
५१७, ५१८, ५२०, ५२१, ५२२,	४६८, ४७२, ४७३, ४७४, ४८२,	
५२६. ५५२	प्रोष्ठिल	८१
प्रमाणकलिका २६६	फ्राहियान	१७१
प्रमाण-पदार्थ २६८	फूलचन्द शास्त्री १४०, ५८८, ६०६	
प्रमाणपरीक्षा १८६, ६४७, ६४८,	बन्धस्वामित्वविचय	८६
६५०	बम्बई गजेटियर	१६२
प्रमाणविनिश्चय २६८, ३०४	बलनन्दि	६२२
प्रमाणविहेतना ३०८	बलमित्र	३८
प्रमाणसमुच्चय ३०१, ३०२, ३०८,	बलाकपिच्छ (गच्छ)	१६७
५३६	वल्लभीपुर	३५
प्रमालक्ष्म (प्रमालक्षण) ५८४	बारसअणुवेक्खा	६२, ४६६
प्रमेयकमलमार्तण्ड २४७, २४८, २५४,	बालचन्द्र	२८१, २८८
३१०, ३११, ३१२, ३२४, ६४८	बालचन्द्रदेव	६१, ६२२
प्रवचनसार ६०, ३३०, ५०४, ५६८	बालचन्द्रमुनि	१०८, १११
प्रवचनसारोद्धारकी वृत्ति ५४१	बिलगी	६४२

बी० भट्टाचार्य	६५२	भद्रबाहुश्रुतकेवली	७६, ९३, १५६,
बुद्धदेव	१०	५४६, ५४७, ६०२	
बुद्धनिर्वाण ३२, ४०, ४१, ४२		भद्रबाहुसहिता	२४६, ५४७
बुद्धिल्ल	८१	भद्रबाहुस्वामी	८०, ६६१
बुद्धिसागराचार्य	५८५	भरौच	८५
बृहत्पचनमस्कार	६४०	भर्तृहरि २६६, ३००, ३०२, ३०६,	
बृहत्पङ्दर्शनसमुच्चय	५१४	३११, ३१२, ३१३, ५५१, ५५२,	
बृहत्स्वयंभूस्तोत्र	२६०	६५८	
बेचरदास ५०१, ५०३, ५०४, ५१५,		भाइल्लका	३८
५१६, ५१६, ५२४, ५७५, ५८२		भानुमित्र	३८
बेल्लूरताल्लुके १८६, २४३, ६५५		भारतचम्पू	४८६
बेल्लुलजैनसंघ	६४२	भारतीयविद्या ५२५, ५४८, ५६४,	
बोधपाहुड ६२, ६०२, ६०६		५७६	
बृह्मदेव	२३४, ६४०	भावत्रिभंगी	६०४
भगवती आराधना २७५ ४८४, ४८५		भावपाहुड	६३, ४६६, ६६०
४८७, ४६४, ४६५, ४६६, ६२२		भावप्रकाश	२१३
भगवती आराधनाटीका (संस्कृत) ४६०		भावविजयगणी	७६
प्राकृत ४६०		भावसंग्रह	२८१
भगवती सूत्र	४२	भावाथं दीपिका	४८६, ४८७
भट्टाचार्य (कुमारिल) २६६, ३००		भीमलिंग (शिवालय)	२२२, २२५
भद्रबाहु ८१, १८६, ६०२, ६०३,		भुजंगसुधाकर	१५०
६४२, ६४४		भूधरजैनशतक	३४०
भद्रबाहु (द्वितीय) ६३, ४७२		भूतबली	८५, ८६, २७५, ५५६,
भद्रबाहु (निर्युक्तिकार) ५४६, ५४७,		भोज (राजा)	३३
५५५, ५६५,		भोज (वंश)	६८०
भद्रबाहु (अष्टांगमहा निमित्त ज्ञाता		भोजदेव	२४८
५४६		मन्त्रलिपुत्त गोशाल	४३
भद्रबाहुचरित्र	२७५	मगध	३८

मज्झिमनिकाय (बौद्धग्रंथ)	४१	२८, ३१, ६०, ६३, ६७, ७३,	
मणुवक हन्ली (ग्राम)	१७४, २१२,	८१, ६४२	
	२२२, २३८	महावीर-द्वात्रिंशिका	५१८
मदुरा	१५८	महावीर-पट्टपरम्परा	५७०
मध्यमा (नगरी)	५६, ६०, ६१	महावीर शक	५६
मन्दप्रबोधिका	२८०	महासेन (उद्यान)	५६
मन्दसौर	५६६	महिमा (नगरी)	८२
मर्करा	६०४	महिमानगड (ग्राम जिला सतारा)	८२
मलयगिरि (टीकाकारः)	७८, २०२,	महेन्द्रकुमार (न्यायाचार्य)	३२४, ३२५,
	६८३, ६८४		३२६-३२६, ५५३
मलयगिरिसूरि	५३१	महेन्द्रवर्मन्	२२६
मल्लवादी (स्वे०)	५०५, ५०६, ५४६,	मंगराजकवि	१६७
	५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५६६	माघनन्दी २८१, २८५, ६२२, ६४४	
	५८४,	माणिकचन्द्र (सेठ)	२७१
मल्लिभूषण (भट्टारक)	२२८	माणिक्यनन्दी	६४४
मल्लिषेणप्रशस्ति	१५४, १६६, २२४,	माथुरान्वय	६०३
	२३६, ५४०, ६४६, ६६०, ६६२	माधवचन्द्र	६४४
मल्लिषेणसूरि	२८२	माधवचन्द्र-त्रैविद्यदेव	५०, ५५
महाकम्मपयडि-पाहुड	८४	मानज्यस (गोत्र)	६७१
महाकर्मप्रकृति प्राभृत	८५, ८६	मायिदाबोलु	२२६
महाकाल-प्रासाद	५७१	मालव (मालवा)	२४१
महाकाल-मन्दिर	५७०	मालव (देश)	१७२
महापुराण	६३२	मिहिरकुल(राजा)	५६६
महाबंध	८६	मीमांसाश्लोकवार्तिक	३००
महायानहोशंग	६५२	मुंज (राजा)	३२, ३३
महावंश	४२	मुनिचन्द्र	२८०
महावीर (भगवान्)	१, ५, ७, ११,	मूलसंघ	६०, १०४, १५६
	१४, १५, १६, २३, २४, २६,	मूलसंघ (नन्दिसंघ)	६०४

मूलाचार ६७, ७१, ७३, ७६, ७८,	युक्त्यनुशासन १८२ १८४, १८८,
७९, ८८, ८९, ४९६	१९०, २०१, २६२, २६७,
मूलाराधना-दर्पण ४८६, ४८७, ४८८,	२९४, २९५, २९७, २९८,
४८९, ४९४	३०१, ३०४, ३३१, ३३२,
मृगेशवर्मा १५६	३३४, ३३६, ३५९, ३६१, ३८१,
मृगेश्वरवर्मा (कदम्बराराजा) ६७१	३९०, ४०६, ४१९, ४२१, ४२२,
मेघचन्द्र ६४४	४२३, ४२७, ४२९, ४६७,
मेरुतु गाचार्य २७, ३९, ५१५	४७८, ५६१, ५६४, ५६५
मैत्रेय ५४२	युक्त्यनुशासनटीका २९४, ६३७, ६४७
मोक्षपाहुड ९३, ४३६, ६६०	युक्त्यनुशासनषष्ठिका (युक्तिषष्ठिका)
मोक्षपाहुड ६६३	३०४
मोहनलाल, दलीचन्द देशाई ५८२	युगप्रधानप्रबन्ध ५७०
मौर्यवंश ३८	योगदेव २८८
म्लेच्छ ६८०	योगसार ४९६, ४९९
यतिवृषभ १०१, ५९०, ५९१, ५९२,	योगाचार्य-भूमिशास्त्र ५४२
५९३, ५९५, ५९७, ५९८, ६००,	योगाचार्यभूमिशास्त्र और प्रक-
६०९, ६१५, ६२८	रणार्यवाचा (ग्रन्थ) ५४१
यतिवृषभाचार्य ६५, ८८, ५८७,	योगि(अनगार)-भक्ति ९६
६१५, ६३५	रंगनगर ६४३
यशस्तिलक ४८३	रघुवंश १५२
यशोदा ५७६	रत्नकरण्ड १९३
यशोधरचरित १६४, २७५, ४७१	रत्नकरण्डक २११, ३३६, ३३७,
यशोबाहु ८२	३३८, ४०८, ४१६, ४३३, ४३४
यशोभद्र ८२	४६७, ४७५, ४८०, ४८१, ४८२,
यशोविजय (उपाध्याय) ५०६, ५२९,	५५८
५३५	रत्नकरण्डउपासकाध्ययन २६४
यापनीयसंघ ६७४	रत्नकरण्डश्रावकाचार (समीचीन-
युक्तिषष्ठिका कारिका ३०४	धर्मशास्त्र) १५०, २४३, २४५, २४६,

२४८, २४९, २५०, २५४, २५५,	रामानुजाचार्य	१८६
२५७, २८५, ३३१, ४३१,	रामनुजाचार्य-मन्दिर	६५५
४३२, ४३५, ४६२, ४७८, ४८३,	राहुल सांकृत्यायन	५५२, ५५३
५१२, ५३३	रोहेडक (स्थानविशेष)	४९४
रत्नमाला २०६, ४३१, ४७९, ५८२	लक्ष्मणसेन	५७४
रत्नसिंह (श्वेताम्बराचार्य) ११७,	लक्ष्मीधर	२९९, ३१६, ३२१
११८	लक्ष्मीभद्र	५८२
रत्नसिंहसूरि	१३१	लक्ष्मीसेन (आचर्य)
रत्नशेखर	५७५	२७७
रत्नसूरि (श्वे०)	५७२	३१५
रयणासार	९४	लक्ष्मीसेन मठ
रविषेणाचार्य	४८१, ५७४ ५७५	लघीयस्त्रय २८०, ६१३, ६२५, ६२७
राजगृह (ही)	८, ६१, ६३, ६६	लघु समन्तभद्र १८२, २४६, २४७,
राजतरंगिणी	५९६	२८५, २९०, २९३
राजन्य (वंश)	६८०	लंकावतारसूत्र ३०३, ३०६, ३२०
राजमल (बडजात्या)	११२	लाम्बुश
राजवार्तिक २७९, २८०, २८९, ५८२,		१७४
६१०, ६११, ६१९, ६२८, ६६०,		लालाराम (पं०)
६८६, ६८७		३५५
राजशेखर	५१५	लिगपाहुड
राजवलीकये १५८, १७३, १७४.		९४
२१२, २१८, २२४, २२५, २२६,		लेविस राइस १७३, २२४, ५६३,
२३५, २३८, २३९, २४०		६८९, ६९०, ६९२
राजेन्द्रमौलि	१०३	लोकनाथ (शास्त्री)
राद्धान्तसूत्र	२७५	२६८
रामप्रसाद (शास्त्री)	३२६	लोकमान्य तिलक
रामसेन (आचार्य) २६५, २६७, ३१०		१५
रामस्वामी आर्यंगर	१६२, १७६	लोकविनिश्चय
		५९०, ५९३
		लोकविभाग (प्राकृत)
		५९०, ५९३
		५९४, ५९५, ५९७, ५९८, ६०१,
		६०५, ६०८
		लोकविभाग (संस्कृत)
		५९४, ५९५,
		६०७, ६०८, ६२०
		लोहज्ज (लोहार्य)
		८७

लोहाचार्य	८१, ८२, ८६, ८८	वादन्याय	५५२
वक्रग्रीव	१०५, १५०, ६५६	वादिचन्द्र (भट्टारक)	६४६
वज्रनन्दी	५६०, ६५६	वादिचन्द्रसूरि	६३८, ६६३
वट्टकेर (आचार्य-स्वामी)	६७, ६९, ७६, ८८, ९९, १०१	वादिदेवसूरि	५६३, ५७२
वट्टकेरि	१००	वादिराज १६४, १६२, १६३, १६८, ३१८, ४६२-४६५, ४६७, ४७०, ४७१, ५०५, ५६१, ५८२, ६४४	
वड्डुमारा (भट्टारक)	६२, ६३, ८७	वादिगजसूरि २४५, २४८-२५१,	
वर्गणा (आगमविशेष)	७६	२५४, २७४, ६४९, ६५०	
वनवासी (कदम्ब-वंश-शाखा)	६७०	वादीभसिंह	१६६, ४६६
वरगांव	३३	वायुभूति	६२
वरदत्त (आचार्य) ६६१, ६६२, ६६४		वाराणसी (काशी) १७४, १७५, २२८	
वरांगचरित	१६५, ३६०	२३०, २३१, २३६, २३७, २३९	
वराहमिह	५४६, ५४७	२४१	
वर्द्धमान (जिन-देव-स्वामी) २, ३८, १९४, २२७, ६४४		वासुपूज्य (गुरु)	६४४
वर्धमानसूरि	१६५	विक्रमकाल	४०, ५४
वसन्तकीर्ति	६४४	विक्रम-प्रबन्ध	३५
वसुनन्दि-वृत्ति २६२, २६३, ४६३		विक्रमराज (जा) ३५, ३६, ४७, ५०, ५२, ५५	
वसुनन्दी (सैद्धान्तिक-आचार्य) ६७, ९९, १५२, २०३, २२६, २५१, २५८, २५९, २६०, २६३, २७३, २७४, ३५५, ३५६, ६४४		विक्रमराय	३३
वसुबन्धु (आचार्य) ३०३, ३०५, ३०६		विक्रम (शकाब्द)	५१, ५६
वाक्यपदीय ३११, ३१२, ३१३, ५५१		विक्रम-संवत् २९, ३२, ३३, ३४, ३५ ३६, ३७, ४१, ५४	
वागर्थसंग्रह-पुराण '	६३२	विक्रमादित्य (गर्दभिल्लपुत्र)	३८
वाग्भट	३६०	विक्रमादित्यराजा	५७० ५७१
वाचस्पतिमिश्र	३०१	विक्रान्तकौरव (नाटक) १५९, १६९, २२५, २२६, २५३, २७२, २७४, २७५, २८८	

विचारश्रेणी (स्थविरावली) ३७, ३६	२०६, २५३, २५६, २६०, २६२
५४	२६७, २७३, २७४, २७६, २६१,
विजयश्रीकृष्णराय	६४३ ३०२, ४१६, ४२१, ४२४, ४२७,
विजयसिंहसूरि	५५२ ४२६, ६८६
विजयसेन	८१ विद्यानन्दि ६३७-६४०, ६४२, ६५८
विजयाचार्य	८१, ४६० विद्याभूषण ६६६
विजयानन्दसूरीश्वरजन्मशताब्दि-	विनीतदेव ५५२, ५५३
स्मारक ग्रंथ	५४७ विपुलगिरि ८, २५, ६१, ६२, ६३,
विजयोदया (भगवतीआराधना टीका)	६५, ८७
४८७, ४८८, ६२२	विबुध श्रीधर २७८
विदिशा-वैदिश (दशार्णदेशकी	विरूपाक्षराय ६४३
राजधानी)	१७३ विविधतीर्थकल्प ५१६, ५२१-५२३
विदेह (वंश)	६८० विशाखाचार्य ८१, ६४२
विदेह (देश)	१ विशालकीर्ति ६४४
विदेहक्षेत्र	८६ विशेषणवती ५३०, ५५१, ५५४,
विद्यानगरी	६४३ ५५६
विद्यानन्द २०७, २२७, २८७, २८८,	विशेषावश्यकभाष्य ५४४, ५४५,
२६०, २६५, ३००, ३०६, ३११	५४६
३१२, ३१६, ३२१, ३२४, ३२८,	विषमपदतात्पर्यटीका २८५
४६४, ४६५, ४७० ४७३, ४७४,	विषमपदतात्पर्यवृत्ति (अष्टसहस्री-
४७५, ४८०, ४८३, ५२७, ५६५,	टीका) २४६, २४७
६२४, ६४२, ६४५, ६४७, ६४८,	विषमपदव्याख्या (जीतकल्पचूर्णि-
६५२, ६५८, ६६७, ६६३, ६६४	टीका) ५०२
विद्यानन्द-महोदय	१८६, ६४८ विषापहार ४२३
विद्यानन्दस्तोत्र	६३६ विषोग्र-ग्रह-शमन-विधि ५१४
विद्यानन्दस्वामी १०७, ३२१, ६४१,	विष्णु ८१
६४४	विष्णुगोप (राजा) २२६
विद्यानन्दाचार्य १८२, १८८, १६८,	विष्णुयशोधर्मा (मालवाधिपति) ५८६

विहार	६	शक-संवत् २८, २९, ३२, ३६, ३८	
विसेंट ए स्मिथ	१५७, २२८, २२९	४८, ४९	
वीरकवि	५५	शकारि	५५
वीरजिनस्तोत्र (युक्तयनुशासन)	३५९,	शाकटायन (जैन)	२९९, ३२०
४२१, ४२२		शाकटायनव्याकरण	२८०
वीरनन्दी (आचार्य)	६९, १९१	शाकसंवत्सर	५४
२६१, ६४४		शाक्यपुत्र	२
वीर-निर्वाण-संवत्	२९, ३२, ३५,	शान्तरक्षित (बौद्धविद्वान्)	५४०
३६, ४४, ४६, ४७, ४८		५५३, ६५०, ६५२	
वीरसेन (आचार्य)	२७, ५३, ८७	शान्तिराज (शास्त्री)	१९३, २२२
५१३, ५६८, ५९०, ५९२, ६२१,		शान्तिवर्मा (कदम्बराराजा)	६७१
६२८, ६३१, ६३५		शान्तिवर्मा (समन्तभद्र)	१५४, १५६
वीरसेन स्वामी	६०९, ६११, ६१२,	शान्त्याचार्य	२६६
६१३, ६१६, ६१७, ६१९		शान्तिवाहन (राजा)	४७ ५१, ५२,
वीरिका (कृष्णदास-माता)	३३	५५	
बुं'बुनाल (वंश)	६८०	शास्त्रवार्तासमुच्चय	५५३
वृत्ति(चूर्णि) सूत्र	६९०	शिमोगा(नगर)	२२२
बृद्धवादिप्रबन्ध	५२६, ५७०, ५७१	शिवकुमार (कुन्दकुन्दाचार्यशिष्य)	२३०
वेण्या (नदी)	८३	शिवकोटि (राजा)	२२२, २२३, २२५
वेण्यातट	८३	२२६-२२७, २२८, २२९, २३०,	
वेदना (आगम-खण्ड-विशेष)	८६	२३९, ४६९	
वैदिशा (भिलसा)	१७३, २४१	शिवकोटि (तत्त्वार्थसूत्र-टीकाकार)	
वैभार (पर्वत)	८	२०६, २२६, ५८२, ६९२, ६९१,	
वैशाली	१	६९४	
व्याख्याप्रज्ञप्ति	१३६	शिवकोटि (रत्नमालाकार)	४३१
शककाल	२८, ५३, ५४	शिवजीलाल	४८६, ४८७
शकराज(जा)	२७, २८, ३०-३२, ३६,	शिवदेव (लिच्छवि)	२३०
४७, ५४		शिवभूति	५४६

शिवमार (गगराजा)	२३०	श्रीनन्दी	२२७
शिवमृगेशवर्मा (कदम्बराराजा)	२३०	श्रीपाल	६४०, ६४४
शिवश्री (आंध्र)	२३०	श्रीपालचरित्र	२२८
शिवस्कन्दवर्मा (पल्लवराजा)	२२६	श्रीपुर	६२२
२३०		श्रीपुर-पार्श्वनाथ-स्तोत्र	६३७
शिवस्कन्दवर्मा (कदम्बराराजा)	२३०	श्रीपुरान्वय	६०३
शिवस्कन्धशातकर्णि (आंध्र)	२३०	श्रीविजय (अपराजितसूरि)	४८७
शिवायन	२२३, २३८, २३६	श्रीविजयगुरु	६२२
शिवार्य (शिवकोटि)	४८५, ४६५	श्रीपुरुष	६२२
शीलपाहुड	६४	श्रीवर्द्धदेव	६६३, ६६४
शुभकीर्ति	६४४	श्रीविजय शिवमृगेशवर्मा (कदम्बराराजा)	६७२, ६७३
शुभचन्द्र	४७१, ४६३, ४६६		
शुभचन्द्राचार्य	१०७, १६३, १६४, १८५, १६३	श्रुतभक्ति	६६
श्रवणबेलगोल	५१, ८६, १०५, १५१, १५६, १६६, १६७, २२४, २२५, २३६, २८१, ३१६, ६३८, ६४६, ६८२, ६६३	श्रुतमुनि	२८१
श्रवणबेलगोल-शिलालेख	४७२, ५५६, ६०४	श्रुतसागर	१६६, २८८, २८६, ६६३
श्रीकठ (शिवकोटि पुत्र)	२२३	श्रुतसागरसूरि	६४, १०८
श्रीकृष्णवर्मा	६७३, ६७४	श्रुतसागरी (टीका)	२८८
श्रीचन्द्र	४८६, ४८८	श्रुतावतार	८०
श्रीचन्द्र-टिप्पण	४६०	श्रेणिक (राजा बिम्बसार)	६, ३८, ६३, २२७
श्रीचन्द्र सूरि	५०२	श्लोकवार्तिक	१०७, १८६, १६८, २००, २७६, २८०, २६०, २६१
श्रीधर	२५६		३०६, ३१२, ३२२, ४७४, ६३८
श्रीधर-श्रुतावतार	५६८		६४३, ६४४, ६४७, ६५०, ६५८
श्रीनन्दिगणों (मुनि)	६२२		६६०, ६६२, ६६३, ६८६, ६६६
		श्लोकवार्तिकालंकार	६४८
		श्वेताम्बरपट्टावली	४८२, ५६३, ५७४, ५६२

श्वेताम्बर महाश्रमणसंघ	६७२	१४६, १५०, १५७-१६०, १६१,
षट्खण्डागम ८६, १३५, २५०, २६६		१६४, १६७--१६९, १७४ १७८,
५५६,		१८१--१८३, १८७, १९३, १९४,
षट्दर्शनसमुच्चय	५१४, ५५३	२०१--२०६, २१४, २१५, २१८,
षट्प्राभुतटीका	१९६	२१९, २२१--२२५, २२७, २३१,
सकलचन्द्र	६२२	२३३, २३५--२३९, २४१, २४३-
सतीशचन्द्र (डाक्टर) २४६, ३०४,		२४७, २५०, २५२, २५५, २५८,
३०८, ३११		२६५--२६७, २७०, २७१,
सतीशचन्द्र विद्याभूषण	६६६	२७३-२७६, २७८-२८०, २८४,
सत्यवाक्याधिप	६४७	२८६, २८९, २९१--३००, ३०२-
सत्यशासनपरीक्षा	१८६	३०४, ३०७-३१०, ३१३,
सत्साधुस्मरणमंगलपाठ १६५, २४२,		३१५-३२०, ३२३, ३२६,
२४३, ४६६, ५६५		३२७, ३३०, ३३१, ३३४,
सदासुख (पं०)	४८६, ४८७	३३५, ३४६, ३५५, ३५६,
सन्मति	२, ३, ४३, ५१३	३६१--३६३, ३७६--३८१, ३८३,
सन्मतितर्क (टीका) ५१६, ५५०,		३८५, ३८७, ३८९, ४०६, ४०९,
५५१		४११, ४१४, ४१६, ४२४, ४२८,
सन्मतितर्क प्रकरण ५०१, ५२५, ५२६		४३१, ४३५, ४६२--४६६, ४७१,
५६४		४७६, ४८२, ५११, ५१६, ५२७,
सन्मति-प्रस्तावना	५४४	५३०, ५३३, ५३८, ५५६, ५५९,
सन्मत्तिसागर	४६५	५६४, ५६७, ५६८, ५८१, ६४२,
सन्मतिसूत्र ४६७, ५०१, ५१५, ५१७,		६५५, ६८६, ६९०--६९७
५२५-५२६, ५३०, ५३२,		समन्तभद्र (नन्दिगण-देशीगण) १६०
५३३, ५३५, ५३७, ५४३,		समन्तभद्र (त्रिषमपद-तात्पर्यवृत्ति-
५५४, ५५५, ५५६, ५६०,		कर्ता) २४६
५६५, ५६६, ५६८, ५६९, ५७३,		समन्तभद्र-भारती ३४१, ३६०, ३६२
५७५, ५७७, ५७९, ५८१, ६६७		समन्तभद्र-भारती-स्तोत्र १६५, २६०,
समन्तभद्र (स्वामी-आचार्य) २३,		६४६

समन्तभद्र-महाभाष्य	२६३	संगाइणी (संग्रहणी)	५६०, ५६३
समन्तभद्र-स्तोत्र	३५८	संगिराज (राजा)	६४३
समन्तभद्रान्वय	२७७	संजय (मुनि)	३
समयसार ६०, २६६, ४८०, ५०५, ५७६, ६६०		संस्कृत आराधना	४८६
समराइच्चकहा	५३	सागत्यपट्ट	१०४
समरादित्य	५७२	सागारधर्माभृत	१६८, ४६३
समाधितंत्र ६४, २१५, २१६, २२०, ४३७, ४६२, ४६६		सागारधर्माभृतटीका	२५६
समाधिशतक	३४०	सामगामसुत्त(मज्झिमनिकाय)	४२, ४३
समीचीनधर्मशास्त्र (रत्नकरण्ड)	२६४	सामन्तभद्र	६८६
३५६, ४१८, ४३३, ४३४, ४७६		सामन्तभद्रमहाभाष्य	२८१, २८२
समुद्रगुप्त	२२६	सारसंग्रह	३२६
सम्यक्त्वप्रकाश ६३८, ६४१, ६४६, ६५७, ६५८-६६१, ६६४, ६६६, ६६३, ६६४		सालुवकृष्णदेव (राजा)	६४३
सर डब्ल्यू एलियर	६७०	साल्वमल्लिराय (राजा)	६४३
सरस्वतीगच्छ	१०४	साहसतुंग (राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग)	३००
सर्वगुप्तगणी	४८५	साहित्यसंशोधक	२०२
सर्वदर्शनसंग्रह	३००	सिद्धचक्र (लघु)	६४०
सर्वनन्दी (आचार्य) ५६३, ५६४, ५६८, ६०७, ६०८, ६०९		सिद्धचक्र (वृहत्)	६४०
सर्वार्थसिद्धि ६६, ११०, १११, १२५, २४६, २८८, २८९, २९१, ३२३, ३२५, ३२७, ३३०-३३६, ४७३, ४७४, ४७५, ५५५, ५५८, ६२०, ६२८, ६६०, ६८६		सिद्धभक्ति	६५, ४०६
सर्वार्थसिद्धि-टीका	२८४	सिद्धय्य (विद्वान्)	१०६
		सिद्धिर्षि (न्यायावतार-टीकाकार)	५१७, ५३६, ५५८
		सिद्धसेन ११६, १२७, १३१, १४७, २६६, ३१४-३१७, ५१३, ५१४, ५१७, ५२७, ५२६, ५३१, ५३४, ५३७, ५४३-५४५, ५४८, ५५४, ५५५, ५६०-५६३, ५६५-५७०, ५७३, ६६७	

सिद्धसेनगणी १२७-१२६, १४१,	३२७, ३२६, ३३०, ३३६, ५०१-
१४४, ५८१	५०४, ५१५-५१७, ५१६, ५२०,
सिद्धसेन दिवाकर २३८, ५१५, ५१७	५२५, ५२६, ५२६-५३१, ५३३,
५२५, ५३१, ५४२, ५४६, ५५४,	५४१, ५४५, ५४८-५५०, ५५१,
५६४, ५७०, ५७१, ५७२, ५७४,	५५४, ५५७, ५६०, ५६३-५६५,
५७५	५७१, ५७३, ५७५, ५७६, ५८२,
सिद्धसेनाचार्य ५२०, ५३१, ५३२,	६८१, ६८६
५३८, ५४३, ५४४, ५५१, ५५६,	सुत्तपाहुड ६२
५६६, ५६७, ५७५, ५७७, ५८२	सुदर्शनचरित्र (विद्यानन्दिकृत) ६५७
सिद्धहेमशब्दानुशासन २०२	सुधर्मस्वामी ८७
सिद्धान्तकीर्ति ६४४	सुन्दरसूरि ५७१
सिद्धान्तशास्त्र २७५	सुभद्र ८२
सिद्धान्तसारसंग्रह १६१, ४६३	सुभाषितरत्नमन्दोह ३३
सिद्धार्थ (राजा) १, २	सुमति (सन्मति देव) ५०५
सिद्धार्थदेव ८१	सूत्रपाहुड ६६०
सिद्धिप्रिय (स्तोत्र) ३५८	सेनगण (संघ) ५६६
सिद्धि विनिश्चय ५०२	सेनगणकी पट्टावली १६०, २२५,
सिद्धिविनिश्चय-टीका ३१७, ५८१	५६६, ५७५
सिद्धिश्रेयसमुदय (शक्रस्तव) ५१४	सोमदेवसूरि ४८३
सिन्धु (देश) १७२, २४१	सोमिलायं ५६
सिंहनन्दि(न्दी) ५६४, ६४४, ६६०-६६४	सौदन्ति २८१
सिंहवर्मन् (बौद्ध) २२६	सौराष्ट्र (देश) ३५, १०६
सिंहवर्मा ५६३	सौर्यपुर (सूरत) ४६
सिंहविष्णु २२६	स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनज्म
सिंहसूर ५६३, ५६५, ६०८	१५६, १५८, १६२, १७६
सीमधरस्वामी ८६, ६५४, ६५५	स्तुतिविद्या (जिनशतक) १५२, १६२,
सुखलाल (श्वे० विद्वान्) ११३, ११६,	२६३, २६४, ३४०, ३४५, ३४६,
१२५, १२७, १३०, ३२४, ३२५,	३५५, ३५६, ३५६, ४०४, ५६५

स्थानांग (सूत्र)	१३४	हरिवर्मा	१५६
स्याद्वादमंजरी	२८२	हरिवंशपुराण	२७, ३०, ३१, १६१,
स्याद्वादत्नाकर	२६६, ५७२	२६४, ३६१, ५०४, ५६७, ५८१,	
स्वयम्भूस्तुति (प्रथमा द्वात्रिंशिका)	६६७	५८२, ६२१	
स्वयम्भूस्तोत्र (समन्तभद्रस्तोत्र)	१५३,	हरिषेण-कयाकौश	४६७
१६६, २०२, २०३, २०५, २११,		हर्मनजैकोबी	५३८, ५३९
२१२, २१७, २२०, २४१, २४२,		हस्तिमल्ल (कवि)	२५३, २७२,
२६२, ३३१, ३३२, ३३५, ३४५,		२७४, २७६	
३५८, ३६०, ३६१, ३७६, ४२२,		हारितीपुत्र	६७१
४७८, ५१६, ५२७, ५६०, ५६२		हिन्दतत्त्वज्ञाननो इतिहास	३०८
५६३-५६५, ६४०		हिस्ट्री आफ कनडीज लिटरैचर	१६२,
स्वामिकांतिकेय	४६, ७६, ४६२,	१७१, १७७, ६६०	
४६४, ४६७		हिस्ट्री आफ मिडियावल स्कूल	
स्वामिकांतिकेयानुप्रेक्षा	६२१, ६२२	आफ इंडियन लाजिक	२८५, ३०४,
स्वामिकुमार	४६२, ४६६, ५००	३०६, ३०८, ६५२, ६६६	
स्वामिमहासेन	६७०	हीरालाल (प्रोफेसर)	२५०, ४३१
स्वामीसमन्तभद्र (इतिहास)	५५८, ६०३	हुएन्त्साङ्ग (चीनी यात्री)	१७१, ५६६
हनुमन्चरित	१६५	हुमच (ग्राम)	६६१
हरिवंश	६८०	हेगडदेवन कोट	२२२
हरिभद्र (श्वे० आचार्य)	११६, १२७,	हेतुचक्रडमरू	३०८
५३०		हेमचन्द्र (श्वे० आचार्य)	३८, ३६, ४०,
हरिभद्रसूरि	१६६, २६६, २६८,	४२, ११८, २०२, २५६, २७६,	
३१०, ५१३, ५१४, ५४५, ५५१,		२८२, ५७२	
५५३, ५६६, ५७२, ५७३, ५७५,		होय्यसल-राजगुरु	६४४
५८४			

लेखकको कुछ अन्य विशिष्ट कृतियाँ

- १ ग्रंथ-परीक्षा (प्रथम भाग)—उमास्वामिश्रावकाचार, कुन्दकुन्दश्रावकाचार और जिनसेन-त्रिवर्णाचारकी परीक्षाएँ ।
- २ " (द्वितीय भाग)—भद्रबाहु-संहिताकी परीक्षा ।
- ३ " (तृतीय भाग)—सोमसेन-त्रिवर्णाचार धर्मपरीक्षा (श्वे०)
पूज्यपाद-उपासकाचार, अकलंक-प्रतिष्ठापाठकी परीक्षाएँ ।
- ४ " (चतुर्थ भाग)—सूर्यप्रकाश-परीक्षा ।
- ५ जिनपूजाधिकार-मीमांसा-पूजाधिकार-विषयक विवेचनात्मक निबन्ध ।
- ६ उपासनातत्त्व—उपासना-विषयक सिद्धान्तोंका प्रतिपादक प्रबन्ध ।
- ७ विवाह-समुद्देश्य—विवाहका सप्रमाण मार्मिक और तात्त्विक विवेचन ।
- ८ विवाहक्षेत्र-प्रकाश—विवाहके विशाल क्षेत्रका सप्रमाण निरूपण ।
- ९ जैनाचार्योंका शासन-भेद—जैनाचार्योंके मत-भेदोंका सप्रमाण दिग्दर्शन ।
- १० स्वयंभूस्तोत्र—नूतन पद्धतिसे लिखित विशिष्ट हिन्दी अनुवाद ।
- ११ युक्त्यनुशासन—नई शैलीमें निर्मित सर्व प्रथम हिन्दी टीका ।
- १२ समीचीन-धर्मशास्त्र—गम्भीर विवेचनादिके साथ निर्मित हिन्दी भाष्य
विस्तृत प्रस्तावना-सहित ।
- १३ प्रभाचन्द्रका तत्त्वार्थसूत्र—तुलनात्मक सुबोध हिन्दी व्याख्यादिक ।
- १४ पुरातन जैनवाक्य सूची—६४ प्राकृतग्रंथोंकी विशाल पद्यानुक्रमणी ।
- १५ तत्साधुस्मरण-मंगलपाठ—२१ आचार्योंके १३७ पुण्यस्मरणसानुवाद ।
- १६ अनेकान्तरसलहरी—दुर्गम अनेकान्तवादकी सुगम कुँजी ।
- १७ हम दुखी क्यों ?—दुखके कारणोंका सयुक्तिक प्ररूपण ।
- १८ समन्तभद्रविचारदीपिका—समन्तभद्रके कुछ विशिष्ट मन्तव्योंपर प्रकाश ।
- १९ महावीरका सर्वोदय तीर्थ—महावीरके सर्वहितकारी तीर्थका निरूपण ।
- २० सेवाधर्म—लोकसेवाकी धर्मरूपमें अपूर्व व्याख्या ।
- २१ परिग्रहका प्रायश्चिन—परिग्रहको पाप सिद्ध कर उसका प्रायश्चित्त विधान ।
- २२ सिद्धिसोपान—आ०पूज्यपादकी सिद्धभक्तिका विकसित हिन्दी पद्यानुवाद ।
- २३ मेरी द्रव्यपूजा—जैनोंमें प्रचलित द्रव्यपूजा पर नया प्रकाश पद्यमय ।
- २४ बाहुबलि-जिनपूजा—गोम्मटेश्वर बाहुबलीके चरितसे परिपूर्ण पद्यरचना ।
- २५ महावीर-जिनपूजा—महावीर-जीवन-वाणी-सारदीपिका अपूर्व पूजा ।
- २६ वीर-पुष्पाञ्जलि—'मेरी भावना' आदि अनेक काव्यकृतियोंका संग्रह ।

